भारत

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

1982

भारत सरकार के
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के
गवेषणा और संदर्भ प्रभाग
द्वारा संकलित "इंडिया 1982" का
हिन्दी रूपान्तर



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

दिसम्बर 1982 (अग्रहायण 1904)

© प्रकाशन विभाग 1982

मूल्य: २५ रुपए

मूल्य : 20.00 रुपए

निदेशक, प्रकाशन विभाग,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित।

विक्रय केन्द्र ● प्रकाशन विभाग :

सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, बम्बई-400038
8-एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069
एल० एल० ए० आडीटोरियम, 736, अन्नासलै, मद्रास-600002
बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004
निकट गवर्नमेंट प्रेस, प्रेस रोड, त्रिवेन्द्रम-695001
10 बी०, स्टेशन रोड, लखनऊ-226004
प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

भारत-1982, इस वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ माला का 28वां पुष्प है। इसकी मूल सामग्री का संकलन तथा सम्पादन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का गवेषणा तथा सन्दर्भ प्रभाग करता है तथा हिन्दी रूपान्तर और सम्पादन प्रकाशन विभाग करता है। इस सन्दर्भ ग्रंथ में हमारे राष्ट्रीय जीवन और क्रिया-कलाप से सम्बन्धित सूचना रहती है जो सरकारी तथा अन्य प्रामाणिक स्रोतों से एकत्र की जाती है।

यह सन्दर्भ ग्रंथ उन सब के लिए बहुत उपयोगी है जिनकी भारत सम्बन्धी सूचना में रुचि है। इस ग्रंथ में शोधकर्त्ताओं, विद्यार्थियों, अधिकारियों, पत्रकारों, शिक्षाशास्त्रियों और व्यवसायियों आदि के लिए सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध है। प्रत्येक अध्याय हर वर्ष संशोधित किया जाता है तथा (उपलब्ध स्थान के अनुसार) यथासंभव प्रत्येक जानकारी पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से देने का प्रयास किया जाता है। फिर भी, एक वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ, जिसकी सामग्री एकत्र करने से लेकर प्रकाशन तक 10 महीने का समय लग जाता है, पूर्ण तथा सर्वथा अद्यतन नहीं हो सकता।

इस वार्षिक ग्रंथ में सरकारी तंत्र तथा अन्य संस्थाओं का वर्णन है। कार्य-कलाप के अनेक क्षेत्रों में की गई पहल और प्रगति का लेखा-जोखा भी इस ग्रंथ में है। संशोधित बीस-सूत्री कार्यक्रम पर, जिसे प्रधानमंत्री ने "योजना का हृदय" कहा है, एक नया अध्याय ग्रंथ में जोड़ा गया है।

इसमें एक राजनीतिक मानचित्र के अतिरिक्त तीन मानचित्रों में मुख्य रेलमार्ग, राष्ट्रीय राजपथ एवं मुख्य पर्यटक केन्द्र और वायुमार्ग दिखाये गए हैं। पांचवां नया मानचित्र इन्सेट-1 के अन्तर्गत दूरसंचार भूखण्ड दर्शाता है।

"महत्वपूर्ण घटनाएं" अध्याय का शीर्षक बदलकर "घटनाओं की डायरी" कर दिया गया है और इसमें जनवरी से दिसम्बर, 1981 तक की घटनाएं वर्णित की गई हैं। यथासम्भव इस ग्रंथ को अद्यतन करने का प्रयास किया गया है, लेकिन सामान्यतः मार्च 1982 तक की सूचना ही संकलित की जा सकी है। कुछ सारणियां छोड़ दी गई हैं, क्योंकि पाण्डुलिपि प्रेस में जाने के समय तक इन्हें अद्यतन नहीं किया जा सका था।

इस वार्षिकी में दिए गए तथ्य और आंकड़े केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संघशासित क्षेत्रों तथा अन्य संगठनों के सहयोग से संकलित किए गए हैं।



अनुक्रम

परिशिष्ट

1 भारत भूमि और उसके निवासी

भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। शेष एशिया से पर्वतों तथा समुद्र द्वारा इसकी पृथक भौगोलिक महत्ता सुस्पष्ट है जो इसे एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। इसके उत्तर में महान हिमालय पर्वत है जहां से वह दक्षिण में बढ़ता हुआ कर्क रेखा पर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिन्द महासागर से जा मिलता है। इसका क्षेत्रफल 32,87,782[1] वर्ग किलोमीटर है।

पूर्णतया उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित मुख्य भूमि अक्षांश 8°4′ और 37°6′ उत्तर और देशान्तर 68°7′ और 97°25′ पूर्व के बीच फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक अंतिम अक्षांशों के बीच 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक अंतिम देशान्तरों के बीच 2,933 किलोमीटर है।

प्राकृतिक पृष्ठभूमि

नेपाल क्षेत्र को छोड़ कश्मीर के उत्तर में हिमालय और अन्य ऊंचे पर्वत—मजताग अता, अगिल और कुनलुन और हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कासकार पर्वत का दक्षिण पूर्वी भाग भारत की उत्तरी सीमा बनाते हैं। इसके उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान हैं। पूर्व में कई पर्वत श्रृंखलाएं भारत को बर्मा से अलग करती हैं। पूर्व में बांग्ला देश है जिसके चारों ओर भारतीय राज्य—पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम हैं। उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में देश का भाग पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के बीच हिन्द महासागर में शुण्डाकार बढ़ता चला गया है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा अरब सागर में लक्षद्वीप भारतीय क्षेत्र के अंग हैं।

प्राकृतिक रचना

मुख्य भूमि चार स्पष्ट खण्डों में बंटी है—विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु और गंगा के मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप।

हिमालय की तीन लगभग समानांतर श्रृंखलाएं हैं जिनके बीच बड़े-बड़े पठार और घाटियां हैं, जिनमें कश्मीर और कुल्लू जैसी कुछ घाटियां उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटियों में से कुछ इन्हीं श्रृंखलाओं में हैं। अधिक ऊंचाई के कारण आना-जाना केवल कुछ ही दर्रों से हो सकता है जिनमें मुख्य हैं—दार्जिलिंग के उत्तर-पूर्व में चुम्बी घाटी से होते हुए, मुख्य भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग पर जेलप-ला और नाथू-ला दर्रे और कल्पा (किन्नौर) के उत्तर पूर्व में सतलुज घाटी में शिपकी-ला दर्रा। पर्वतीय

[1] अस्थायी : 1 जुलाई, 1971 का।

दीवार लगभग 2,400 किलोमीटर की दूरी तक फैली है और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ी है। पूर्व में भारत और ... और बांग्ला देश के बीच की पहाड़ी श्रृंखलाओं की ऊंचाई बहुत कम ... पूर्व से पश्चिम तक फैली गारो, खासी, जैन्तिया और नागा ... से दक्षिण तक फैली मिजो तथा अराकान पहाड़ियों की ... मिलती हैं।

सिंधु और गंगा के मैदान लगभग 2,400 किलोमीटर लम्बे ... 320 किलोमीटर तक चौड़े हैं और तीन स्पष्ट नदी प्रणालियों सिंधु, ... के थालों से बने हैं। ये संसार में सबसे बड़े सपाट कछारी ... हैं और भूमि पर सबसे घने बसे क्षेत्रों में भी हैं। इनके ... मुश्किल से कोई अन्तर है। दिल्ली में यमुना नदी और ... के बीच लगभग 1,600 किलोमीटर की दूरी में मुश्किल से 2 ... ढाल है।

रेगिस्तानी क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है ... लघु रेगिस्तान। विशाल रेगिस्तान कच्छ के रन के पास से ... लूणी नदी तक फैला हुआ है। राजस्थान-सिन्ध की पूरी ... रेगिस्तान के साथ-साथ है। लघु रेगिस्तान जैसलमेर और ... लूणी नदी से शुरू होकर उत्तर की ओर फैला हुआ है। इन ... बीच पथरी इलाका है जिसमें कई स्थानों पर चूने के भंडार ... पानी के अभाव और बहुत कम वर्षा के कारण यह इलाका ... बंजर है।

दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार 460 से 1,220 मीटर ऊंचा ... और पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के कारण सिन्धु और गंगा के मैदानों ... है। इनमें प्रमुख हैं—अरावली, विन्ध्य, सतपुड़ा, मैकला और ... के एक तरफ पूर्वी घाट है, जहां औसत ऊंचाई 610 ... और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है, जहां यह ऊंचाई ... मीटर है जो कहीं-कहीं 2,440 मीटर से भी अधिक है। ... सागर के बीच समुद्र तट की एक तंग पट्टी है जबकि पूर्वी ... खाड़ी के बीच चौड़ा तटीय क्षेत्र है। पठार का दक्षिणी ... पहाड़ियों से बना है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ... पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जा सकती हैं।

भूतत्वीय संरचना

भूतत्वीय संरचना भी प्राकृतिक रचना की तरह तीन स्पष्ट ... सकती है—हिमालय तथा उससे सम्बद्ध पहाड़ों का समूह, ... तथा प्रायद्वीप का खण्ड।

उत्तर में हिमालय पर्वत का कटिबंध और पूर्व में ... प्रक्रिया के क्षेत्र हैं। क्षेत्र का बहुत-सा भाग, जो अब संसार की कुछ

दृश्यावली प्रस्तुत करता है, पहले लगभग 60 करोड़ से अधिक वर्षों तक समुद्र था। कोई 7 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुए पहाड़ घटनगति के क्रम में तलछट और चट्टानों के तल विभिन्न आकारों में बहुत ऊंचे उठ गए। उन पर प्राकृतिक तत्वों ने काम किया जिससे आज दिख रहा उभार अस्तित्व में आया।

सिंधु और गंगा के मैदान विशाल कछारी मिट्टी का भाग हैं जो हिमालय को दक्षिण के प्रायद्वीप से अलग करते हैं। यह कछारी भाग भूमि के इतिहास की नवीनतम घटना है और इसके नीचे हिमालय के दक्षिणी सिरे तथा प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे दबे हुए हैं और इसकी मोटाई अनेक स्थानों पर 6,000 मीटर से अधिक है।

प्रायद्वीप अपेक्षाकृत स्थायी और कम भूकम्पीय हलचलों का क्षेत्र है जिसके आधे से अधिक भाग में अति प्रारम्भिक समय की लम्बे अर्से के कायांतरण से बनी चट्टानें हैं और बाकी में गोंडवाना का कोयला क्षेत्र तथा बाद में मिट्टी के जमाव से बना भाग और दक्षिणी लावे से बनी चट्टानें हैं।

भारत की नदियां इस प्रकार वर्गीकृत की जा सकती हैं: (1) हिमालय की नदियां, (2) दक्षिणी नदियां, (3) तटीय नदियां तथा (4) अंतःस्थलीय अप्रवाह क्षेत्र की नदियां।

हिमालय की नदियों को पानी आमतौर से बर्फ के पिघलने से मिलता है। अतः उनमें सारे साल निर्बाध प्रवाह रहता है। मानसून के महीनों में हिमालय पर भारी वर्षा होती है और नदियों में पानी की मात्रा अधिकतम हो जाती है जिससे अक्सर बाढ़ आ जाती है। दक्षिणी नदियों में सामान्यतः वर्षा का पानी रहता है। इसलिए पानी की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। बड़ी संख्या में ये नदियां बारहमासी नहीं हैं। तटीय नदियां, विशेषकर पश्चिमी तट की, कम लम्बी हैं और इनका जलग्रहण क्षेत्र सीमित है। इनमें से अधिकतर बारहमासी नहीं हैं। पश्चिमी राजस्थान में नदियां बहुत कम और अंतःस्थलीय अप्रवाह क्षेत्र वाली हैं। उनमें से अधिकतर थोड़े दिन ही बहती हैं। समुद्र में निकासी से पहले वे अपने क्षेत्रों, द्रोणों या सांभर जैसी नमक की झीलों की ओर जाती हुई सूख जाती हैं या रेत में खो जाती हैं। इस श्रेणी की एक नदी लूणी ही है जो कच्छ के रन में गिरती है।

गंगा-थाला भारत में सबसे बड़ा है और इसमें देश के कुल क्षेत्र के लगभग एक-चौथाई भाग से पानी आता है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्यगिरि से इसकी सीमाएं सुस्पष्ट हैं। हिमालय में गंगा के दो मुख्य जल उद्गम हैं—भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री हिमनद से गोमुख पर निकलती है और अलकनंदा अलकापुरी के हिमनद से। यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी सहित हिमालय की कई नदियां गंगा में आकर मिलती हैं। गंगा प्रणाली की सबसे पश्चिमी नदी यमुना है जो यमुनोत्री के हिमनद से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। मध्य भारत से उत्तर को बहकर यमुना या गंगा में मिलने वाली नदियां चम्बल, बेतवा तथा सोन हैं।

दूसरा सबसे बड़ा थाला गोदावरी का है। इसमें भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत भाग शामिल है। प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा सबसे बड़ा थाला कृष्णा नदी का है। प्रायद्वीप में तीसरे सबसे बड़े थाले में महानदी बहती है। दक्षिण की ऊपरी भूमि में नर्मदा और दूर दक्षिण में कावेरी के थाले लगभग बराबर आकार के हैं यद्यपि उनकी विशेषताएं भिन्न-भिन्न हैं।

दो अन्य नदी प्रणालियां, जो छोटी किन्तु कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये हैं, उत्तर में तापी और दक्षिण में पेण्णार प्रणाली।

जलवायु

भारत की जलवायु मोटे रूप से उष्ण कटिबंधीय है। यहां चार ऋतुएं हैं—शीत ऋतु (जनवरी-फरवरी), ग्रीष्म ऋतु (मार्च-मई), वर्षा ऋतु—दक्षिण पश्चिम मानसून का समय (जून-सितम्बर) और मानसून पश्चात ऋतु—जिसे दक्षिण प्रायद्वीप में उत्तर-पूर्व मानसून का समय भी कहा जाता है (अक्तूबर-दिसम्बर)।

भारत में वर्षा अनिश्चित है और कहीं किसी वर्ष कम तथा कहीं किसी वर्ष अधिक होती है। वर्षा पर आधारित 4 मुख्य जलवायु क्षेत्र हैं। लगभग सारे असम और इसके आसपास के क्षेत्र, पश्चिमी घाट और उसके साथ का तटीय मैदान और हिमालय के कुछ भाग बहुत भारी वर्षा के क्षेत्र हैं और यहां प्रतिवर्ष 2,000 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। मेघालय की खासी और जैन्तिया पहाड़ियों के कुछ स्थानों पर दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्ष में भारत में सबसे अधिक वर्षा औसतन लगभग 11,419 मिलीमीटर चैरापूंजी में होती है। इसके विपरीत कच्छ, राजस्थान और पश्चिम में गिलगित तक फैला कश्मीर का ऊंचा लद्दाख पठार कम वर्षा के प्रदेश हैं और यहां साल भर में 100 से 500 मिलीमीटर तक ही वर्षा होती है। वर्षा की दृष्टि से परस्पर विरोधी इन दो क्षेत्रों के बीच क्रमशः सामान्य रूप से अधिक और कम वर्षा के दो क्षेत्र हैं जिनमें क्रमशः 1,000 से 2,000 मिलीमीटर तक और 500 से 1,000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। इनमें पहली है—प्रायद्वीप के पूर्वी भाग की चौड़ी पट्टी जो उत्तर भारत के मैदानों से मिली हुई है। दूसरी, पंजाब के मैदानों से शुरू होकर विंध्य पहाड़ों को पार करती हुई दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग में फैली वह पट्टी है जो दक्षिण और पूर्व में कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश तक चली गई है।

यद्यपि वर्षा ऋतु देश के अधिकतर भागों में जून से सितम्बर तक रहती है किन्तु तमिलनाडु में यह अक्तूबर-दिसम्बर में होती है।

जीव-जन्तु

अनेक प्रकार की विभिन्न जलवायु और प्राकृतिक दशाओं के कारण भारत में अनेक प्रकार के जीव-जन्तु पाए जाते हैं। करीब 500 किस्म के जीव-जन्तु और लगभग 2,100 किस्म के पक्षी मिलते हैं। 30,000 किस्म के कीटों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के रेंगने वाले जानवर और मछलियां हैं।

जानवरों में चिरकाल से भारत में पौराणिक और राजसी ठाट-बाट से सम्बद्ध हाथी, गौर या भारतीय बाइसन (जंगली भैंसा) और अब केवल असम और पश्चिम बंगाल में ही उपलब्ध विशालकाय भारतीय गैंडा शामिल हैं। विभिन्न जातियों के मृग जैसे दुर्लभ कश्मीरी मृग, दलदली मृग, सुन्दर चित्तीदार मृग, अद्वितीय कस्तूरिया मृग (थामिन) जो अब केवल मणिपुर में ही पाया जाता है, छोटा मूषक मृग, नीलगाय, चौसिंगा मृग (दुनिया का एकमात्र चार सींग का जीव) और काली पीठ वाला मृग भारत में मिलते हैं।

शिकारी पशुओं में भारतीय सिंह है जो भारत के अतिरिक्त संसार में केवल अफ्रीका में ही पाया जाता है। शेर राष्ट्रीय पशु है, जिसकी संख्या 3,000 से अधिक है। हाल के वर्षों में इसकी संख्या आम तौर से कम होने के कारण 'परियोजना शेर' कार्यक्रम कार्यान्वित करना आवश्यक हो गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित यह योजना 11 चुने हुए क्षेत्रों में शेर, इसके शिकार और इसके रहन-सहन के स्थान की सुरक्षा के लिए है। बिल्ली जाति की अन्य किस्मों में चीता और बादल के रंग जैसा चीता, बर्फीला चीता और अनेक प्रकार की छोटी बिल्लियां शामिल हैं।

अनेक प्रकार के बन्दर और लंगूर सामान्य रूप से मिलते हैं। हूलोक नाम का बड़ा वनमानुस पूर्वी क्षेत्र के वर्षा वाले जंगलों में ही पाया जाता है। शेर जैसी पूंछ और मुंह के इर्द-गिर्द व्यापक बालों वाला बन्दर केवल दक्षिण में ही मिलता है।

भारत में अनेक प्रकार के रंगबिरंगे पक्षी मिलते हैं। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। अनेक दूसरे पक्षी जैसे तीतर, बत्तख, मुर्गियां, मैना, लम्बी पूंछ वाले छोटे तोते, कबूतर, सारस और बगुले, लम्बी चोंच वाले पक्षी और अत्यधिक लाल रंग के पक्षी जंगलों में और नमी वाली भूमि में पाए जाते हैं।

नदियों और झीलों में मगरमच्छ और घड़ियाल मिलते हैं। घड़ियाल केवल भारत में ही मिलता है। पश्चिमी घाट के साथ-साथ अन्दमान निकोबार द्वीप समूह के खारे पानी में भी मगरमच्छ पाए गये हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से 1974 में शुरू की गई मगरमच्छ पालन योजना से मगरमच्छों की नस्ल समाप्त होने से बचाई गई और उनकी संख्या बढ़कर लगभग 3,000 हो गई। विभिन्न राज्यों में मगरमच्छ पालन तथा उनको निर्जन स्थानों में छोड़ने के लिए 12 योजनाएं चलाई जा रही हैं।

विशाल हिमालय क्षेत्र में अति आकर्षक जीव-जन्तु हैं जिनमें जंगली भेड़ और बकरियां, मारखोर, आइबेक्स, सिरो और टाकिन शामिल हैं। पन्डा और बर्फीला चीता भी ऊंचे पहाड़ी स्थानों में ही पाए जाते हैं।

वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है। जम्मू और कश्मीर के अपने अधिनियम हैं। यह कानून वन्य प्राणियों की अभिरक्षा करता है और वन क्षेत्र के तथा उसके बाहर के ऐसे वन्य प्राणियों को, जिनकी नस्ल समाप्त होने की आशंका है, सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के अन्तर्गत वन्य जीवों की दुर्लभ और लुप्तप्राय नस्लों का व्यापार निषिद्ध कर दिया गया है तथा कई किस्म के पशु-पक्षियों तथा उनके उत्पादों के निर्यात पर और अधिक प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

भारत अब समाप्तप्राय जीव-जन्तुओं और पेड़-पौधों की नस्लों से सम्बन्धित 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन' का सदस्य है। इस सम्मेलन के अनुसार जीव-जन्तुओं और पेड़-पौधों की समाप्तप्राय नस्लों के आयात-निर्यात पर कठोर नियन्त्रण है तथा उन नस्लों के व्यापारिक शोषण पर प्रतिबन्ध है।

इस समय देश में 23 राष्ट्रीय उद्यान, लगभग 205 वन्यप्राणी अभयारण्य और 35 जैविक उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यप्राणी अभयारण्यों के सुधार तथा विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

उष्ण से लेकर उत्तर-ध्रुवीय जलवायु तक के वैभिन्य के कारण भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो ऐसे आकार के अन्य देशों में बहुत कम मिलती हैं।

भारत को आठ अलग-अलग वनस्पति क्षेत्रों में बांटा जा सकता है—पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, दक्षिण भारत, मालाबार और अंदमान ।

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊं तक फैला है । इस क्षेत्र के शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में चीड़, अन्य शंकु वृक्षों (कोनीफर्स) और चौड़ी पत्तीवाले शीतोष्ण वृक्षों के वनों का बाहुल्य है । इससे ऊपर देवदार, नीली चीड़, सनोवर वृक्ष और श्वेत देवदार के जंगल हैं । आल्पाइन क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र की ऊपरी सीमा से 4,750 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है । इस क्षेत्र में ऊंचे स्थानों में मिलने वाले श्वेत देवदार, श्वेत भोजवृक्ष और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं ।

पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से पूर्व की ओर शुरू होता है और इसके अंतर्गत दार्जिलिंग, कुर्सियांग और उसके साथ लगे भाग आते हैं । इस क्षेत्र के शीतोष्ण भाग में शाहबलूत, जयवृक्ष, द्विफल, बड़े फूलों वाली सदाबहार झाड़ियां, पिंतु वृक्ष और भोज वृक्ष के जंगल हैं । अनेक प्रकार के शंकु वृक्ष, सदाबहार वृक्ष और छोटी बेंत भी इस क्षेत्र में हैं ।

असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियां और बीच की पहाड़ी श्रेणियां आती हैं । इसमें सदाबहार जंगल के साथ गहन श्यामलता वाली वनस्पति पाई जाती है, जिसमें बीच-बीच में घने बांसों और लम्बी घासों के झुरमुट हैं ।

सिंधु मैदान क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल हैं । यह क्षेत्र शुष्क और गर्म है और इसमें बहुत कम प्राकृतिक वनस्पति है ।

गंगा मैदान क्षेत्र के अन्तर्गत अरावली श्रेणियों से लेकर बंगाल और उड़ीसा तक का क्षेत्र आता है । इस क्षेत्र का अधिकतर भाग कछारी मैदान है और इसमें गेहूं, गन्ना और चावल की खेती होती है । केवल थोड़े से भाग में विभिन्न प्रकार के जंगल हैं ।

दक्षिणी क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप की सारी पठारी भूमि शामिल है, जिसमें पतझड़ वाले मिले-जुले वृक्षों के जंगलों के साथ तरह-तरह की वन्य झाड़ियों के जंगल हैं ।

मालाबार क्षेत्र के अधीन प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के साथ-साथ लगने वाली पहाड़ी और अधिक नमीवाली पट्टी है । इस क्षेत्र में घने जंगलों के अलावा कई महत्वपूर्ण नकदी फसलें जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी और चाय पैदा होती हैं । इस क्षेत्र के कुछ भागों में रबड़, काजू और यूकलिप्टस की खेती शुरू हुई है ।

अन्दमान क्षेत्र में अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं । इसमें सदाबहार, अर्ध-सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय और आप्लावी-जंगलों की अधिकता है ।

कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के हिमालय क्षेत्र (नेपाल, सिक्किम, भूटान, मेघालय, नगालैण्ड) और दक्षिण प्रायद्वीप में क्षेत्रीय पर्वतीय श्रेणियों में पाए जाने वाले ऐसे पौधों की अधिकता है जो केवल इन क्षेत्रों को छोड़ दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं हैं । देश में इस प्रकार के फूल देने वाले पौधों की संख्या लगभग 15,000 है ।

देश के दिलचस्प और लाभप्रद पेड़-पौधों का विस्तृत अध्ययन वनस्पति सर्वेक्षण विभाग तथा कुछ अन्य संस्थानों के वनस्पति शास्त्रियों द्वारा किया जा रहा है । भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ने 'भारत के पेड़-पौधे' नामक ग्रन्थमाला खंडों में प्रकाशित करने का कार्य शुरू कर दिया है और अब तक उसके आठ खंड प्रकाशित किए जा चुके हैं ।

खेती, उद्योग और नगर विकास के लिए जंगलों की सफाई के कारण कुछ भारतीय पेड़-पौधे लुप्त हो रहे हैं। इनके नमूने वनस्पति उद्यानों और राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षित रखे जा रहे हैं। इन पौधों के शुष्क नमूनों का संग्रह केन्द्रीय शुष्क वनस्पति संग्रहालय, कलकत्ता, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के क्षेत्रीय शुष्क वनस्पति संग्रहालयों और अन्य अनुसंधान और शिक्षण संस्थानों में किया जाता है।

जनसंख्या की पृष्ठभूमि

भारत में पहली जनगणना, जो यद्यपि समकालिक नहीं थी, 1872 में की गई थी। 1881 के बाद हर दसवें वर्ष नियमित रूप से जनगणना होती आ रही है। 1981 की जनगणना से देश में दसवर्षीय जनगणना के 110 वर्ष पूरे हुए। (1 मार्च, 1981 के सूर्योदय को संदर्भ-तिथि के रूप में लेकर) 9 फरवरी, 1981 और 5 मार्च, 1981 के बीच जनगणना की गई। देश के कुछेक क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान जनगणना नहीं की जा सकी। 1981 की जनगणना की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस अध्याय के अन्त में दी गई हैं।

1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 68,38,97,512 है। 1971 की जनसंख्या की तुलना में 24.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनसंख्या में इस वृद्धि के मुख्य कारण हैं: बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु-दर में कमी; महामारियों पर प्रभावकारी नियंत्रण, अकाल की स्थितियों में उपयुक्त उपाय, सामान्य प्रगति और आर्थिक विकास। जन्म-दर थोड़ी-सी कम हो जाने के बावजूद भी जनसंख्या में वृद्धि हुई।

सारणी 1.1 में 1901 से जनसंख्या की क्रमिक वृद्धि दिखाई गई है।

1 मार्च, 1981 को भारत की जनसंख्या 68.40 करोड़ थी। विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की जनसंख्या इस प्रकार थी: (आंकड़े करोड़ों में), असम 1.99, आंध्र प्रदेश 5.36, उड़ीसा 2.63, उत्तर प्रदेश 11.10, कर्नाटक 3.70, केरल 2.54, गुजरात 3.40, जम्मू और कश्मीर 0.60, तमिलनाडु 4.83, त्रिपुरा 0.20; नगालैण्ड 0.08, पंजाब 1.67, पश्चिम बंगाल 5.45, बिहार 6.98, मणिपुर 0.14, मध्य प्रदेश 5.21, महाराष्ट्र 6.27, मेघालय 0.13, राजस्थान 3.41; सिक्किम 0.03, हरियाणा 1.29, हिमाचल प्रदेश 0.42, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह 0.02, अरुणाचल प्रदेश 0.06, गोआ, दमन तथा दीव 0.11, चंडीगढ़ 0.04, दादरा और नगर हवेली 0.01, दिल्ली 0.62, पांडिच्चेरि 0.06, मिजोरम 0.05 तथा लक्षद्वीप 0.004।

1981 में जन-घनत्व औसतन 221 प्रति वर्ग किलोमीटर था। एक राज्य का जन-घनत्व दूसरे राज्य से भिन्न था, केरल में जन-घनत्व 654 था, सिक्किम में 44 और अरुणाचल प्रदेश में केवल 7। विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों का क्षेत्रफल जनसंख्या और जन-घनत्व सारणी 1.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.1
जनसंख्या में वृद्धि
(1901–1981)

राज्य/संघीय क्षेत्र	1901	1911	1921	1931
भारत	23,83,96,327	25,20,93,390	25,13,21,213	27,89,77,238
राज्य				
असम	32,89,680	38,48,617	46,36,980	55,60,371
आन्ध्र प्रदेश	1,90,65,921	2,14,47,412	2,14,20,448	2,42,03,573
उड़ीसा	1,03,02,917	1,13,78,875	1,11,58,586	1,24,91,056
उत्तर प्रदेश	4,86,27,655	4,81,54,908	4,66,72,398	4,97,79,538
कर्नाटक	1,30,54,754	1,35,25,251	1,33,77,599	1,46,32,992
केरल	63,96,262	71,47,673	78,02,127	95,07,050
गुजरात	90,94,748	98,03,587	1,01,74,989	1,14,89,828
जम्मू और कश्मीर[2]	21,39,362	22,92,535	24,24,359	26,70,208
तमिलनाडु	1,92,52,630	2,09,02,616	2,16,28,518	2,34,72,099
त्रिपुरा	1,73,325	2,29,613	3,04,437	3,82,450
नागालैंड	1,01,550	1,49,038	1,58,801	1,78,844
पंजाब	75,44,790	67,31,510	71,52,811	80,12,325
पश्चिम बंगाल	1,69,40,088	1,79,98,769	1,75,74,348	1,88,97,036
बिहार	2,73,11,865	2,83,14,281	2,81,26,675	3,13,47,108
मणिपुर	2,84,465	3,46,222	3,84,016	4,45,606
मध्य प्रदेश	1,68,60,768	1,94,40,965	1,91,71,750	2,13,55,657
महाराष्ट्र	1,93,91,643	2,14,74,523	2,08,49,666	2,39,59,300
मेघालय	3,40,524	3,94,005	4,22,403	4,80,837
राजस्थान	1,02,94,090	1,09,83,509	1,02,92,648	1,17,47,974
सिक्किम	59,014	87,920	81,721	1,09,808
हरियाणा	46,23,079	41,74,690	42,55,905	45,59,931
हिमाचल प्रदेश	19,20,294	18,96,944	19,28,206	20,29,113
संघीय क्षेत्र[3]				
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24,649	26,459	27,086	29,463
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
गोआ, दमन और दीव	5,07,518	5,19,222	5,00,904	5,41,710
चण्डीगढ़	21,967	18,437	18,133	19,783
दादरा और नगर हवेली	24,280	20,020	31,048	38,260
दिल्ली	4,05,819	4,13,851	4,88,452	6,36,246
पांडिच्चेरि	2,46,354	2,57,179	2,44,156	2,58,628
मिजोरम	82,434	91,204	98,406	1,24,404
लक्षद्वीप	13,882	14,555	13,637	16,040

1. अस्थायी
2. 1951 के लिये जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या 1941 और 1961 की जनसंख्या का समान्तर मान ली गई है। इस राज्य की 1941 तथा उससे पहले की जनगणनाओं की जनसंख्या का इस समय पाकिस्तान और चीन के गैर कानूनी अधिकार वाले क्षेत्रों की जनसंख्या निकाल कर समायोजन किया गया है। बाद के आंकड़ों में ऐसे क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल नहीं है।

1941	1951	1961	1971	1981[1]
31,86,60,580	36,10,88,090	43,92,34,771	54,81,59,652	68,39,97,512
66,94,790	80,28,856	1,08,37,329	1,46,25,152	1,99,02,826[4]
2,72,89,340	3,11,15,259	3,59,83,447	4,35,02,708	5,35,92,605
1,37,67,988	1,46,45,946	1,75,48,846	2,19,44,615	2,62,72,054
5,65,35,154	6,32,19,655	7,37,54,554	8,83,41,144	11,08,85,874
1,62,55,368	1,94,01,956	2,35,86,772	2,92,99,014	3,70,43,451
1,10,31,541	1,35,49,118	1,69,03,715	2,13,47,375	2,54,03,217
1,37,01,551	1,62,62,657	2,06,33,350	2,66,97,475	3,39,60,905
29,46,728	32,53,852	35,60,976	46,16,632	59,54,010
2,62,67,507	3,01,19,047	3,36,86,953	4,11,99,168	4,82,97,456
5,13,010	6,39,029	11,42,005	15,56,342	20,47,351
1,89,641	2,12,975	3,69,200	5,16,449	7,73,281
96,00,236	91,60,500	1,11,35,069	1,35,51,060	1,66,69,755
2,32,29,552	2,62,99,980	3,49,26,279	4,43,12,011	5,44,85,560
3,51,70,840	3,87,82,271	4,64,47,457	5,63,53,369	6,98,23,154
5,12,069	5,77,635	7,80,037	10,72,753	14,11,375
2,39,90,608	2,60,71,637	3,23,72,408	4,16,54,119	5,21,38,467
2,68,32,758	3,20,02,564	3,95,53,718	5,04,12,235	6,27,15,300
5,55,820	6,05,674	7,69,380	10,11,699	13,28,343
1,38,63,859	1,59,70,774	2,01,55,602	2,57,65,806	3,41,08,292
1,21,520	1,37,725	1,62,189	2,09,843	3,14,899
52,72,845	56,73,614	75,90,543	1,00,36,808	1,28,50,902
22,63,245	23,85,981	28,12,463	34,60,434	42,37,569
33,768	30,971	63,548	1,15,133	1,88,254
--	--	3,36,558	4,67,511	6,28,050
5,83,736	5,96,059	6,26,667	8,57,771	10,82,117
22,574	24,261	1,19,881	2,57,251	4,50,061
40,441	41,532	57,963	74,170	1,03,677
9,17,939	17,44,072	26,58,612	40,65,698	61,96,414
2,85,011	3,17,253	3,69,079	4,71,707	6,04,182
1,52,786	1,96,202	2,66,063	3,32,390	4,87,774
18,355	21,035	24,108	31,810	40,237

3 गोआ, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली की 1901, 1911, 1941 और 1951 की जनसंख्या को क्रमशः 1900, 1910, 1940 और 1950 की जनसंख्या के बराबर माना गया है। इसी तरह पांडिच्चेरि के लिये 1948 के आंकड़ों को 1951 के लिये भी मान लिया गया है। गोआ, दमन और दीव के 1961 के आंकड़े पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा 15 दिसम्बर, 1960 को की गई जनगणना के हैं। दादरा और नगर हवेली के आंकड़े 1 मार्च, 1962 को की गई जनगणना के हैं।

4 1981 के अस्थायी आंकड़े।

सारणी 1.2
क्षेत्र तथा जनसंख्या घनत्व

राज्य/संघीय क्षेत्र	क्षेत्रफल[1] (1000 वर्ग किलोमीटर में)	जनसंख्या 1981[1]	जन घनत्व[1] प्रति वर्ग किलोमीटर
1	2	3	4
राज्य	2986.4	68,39,97,512	220[2]
भारत			
असम[3]	..	1, 99,02,826	अप्राप्य
आंध्रप्रदेश	275.1	5,35,92,605	195
उड़ीसा	155.7	2,62,72,054	169
उत्तर प्रदेश	294.4	11,08,85,874	377
कर्नाटक	191.8	3,70,43,451	193
केरल	38.9	2,54,03,217	654
गुजरात	196.0	3,39,60,905	173
जम्मू और कश्मीर	..	59,54,010	अप्राप्य
तमिलनाडु	130.1	4,82,97,456	371
त्रिपुरा	10.5	20,47,351	195
नागालैण्ड	16.6	7,73,281	47
पंजाब	50.4	1,66,69,755	331
पश्चिम बंगाल	88.7	5,44,85,560	614
बिहार	173.9	6,98,23,154	402
मणिपुर	22.3	14,11,375	63
मध्य प्रदेश	443.4	5,21,38,467	118
महाराष्ट्र	307.7	6,27,15,300	204
मेघालय	22.4	13,28,343	59
राजस्थान	342.2	3,41,08,292	100
सिक्किम	7.1	3,14,999	44
हरियाणा	44.2	1,28,50,902	291
हिमाचल प्रदेश	55.5	42,37,569	76
संघीय क्षेत्र			
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	8.2	1,88,254	23
अरुणाचल प्रदेश	83.7	6,28,050	7
गोआ, दमण और दीव	3.8	10,82,117	284
चंडीगढ़	0.1	4,50,061	3,948
दादरा और नगर हवेली	0.5	1,03,677	211
दिल्ली	1.5	61,96,414	4,178
पांडिचेरी	0.5	6,04,182	1,228
मिजोरम	21.1	4,87,774	23
लक्षद्वीप	0.1	40,237	1,257

1. अस्थायी
2. भारत की जनसंख्या का घनत्व निकालते समय जम्मू और कश्मीर तथा असम को छोड़कर दिया गया, क्योंकि इन दोनों राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे ।
3. 1981 के अनुमानित आंकड़े ।

1921 और 1981 के बीच प्रतिवर्ग किलोमीटर जन-घनत्व और जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सारणी 1.3 में दिया गया है।

सारणी 1.3 जन-घनत्व और जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	जन-घनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर	दशक	जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि
1921	81		
1931	90	1921–31	11.0
1941	103	1931–41	14.2
1951	117	1941–51	13.3
1961	142	1951–61	21.5
1971	177[2]	1961–71	24.8
1981[1]	220[2]	1971–81	24.8

स्त्री-पुरुष अनुपात

1981 की जनगणना के अनुसार 35.4 करोड़ पुरुष तथा 33.0 करोड़ महिलायें हैं। इस प्रकार भारत मे 1000 पुरुषों के पीछे 935 महिलायें हैं। 1901 में यह संख्या 972 थी जो कम होते-होते 1931 में 950 रह गई। केवल केरल में पुरुषों की तुलना में महिलायें अधिक है तथा 1000 पुरुषों के पीछे 1034 महिलायें हैं। राज्यों में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की औसत सबसे कम है अर्थात प्रति 1000 के पीछे 836 महिलाएं है। इसी प्रकार संघ शासित क्षेत्रों में अंदमान और निकोबार द्वीपसमूहों का ही ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाओं की औसत सबसे कम केवल 761 है।

साक्षरता

जनसंख्या के सम्बन्ध में जिन आधारों पर सूचना एकत्रित की जाती है उनमें साक्षरता सबसे महत्वपूर्ण है। जनगणना की दृष्टि से वही व्यक्ति शिक्षित समझा जाता है जो स्वविवेक से किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकें। एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता, उसे शिक्षित नहीं कहा जा सकता। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे अशिक्षित समझे जाते हैं।

यदि कुल जनसंख्या में से किसी को 0-4 आयु समूह से निकाल दिया जाए तो साक्षरता दर बहुत अधिक अर्थपूर्ण बन जायेगी। इस समय यह सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये और अधिक सारणियों के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए 0-4 आयु समूह सहित समूची जनसंख्या को गणना में ले लिया गया है। अस्थायी जनसंख्या सारणी 1.6 में देश और राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों की साक्षरता-दर दर्शाई गई है। सारणी 1.4 में देश के प्रत्येक जनगणना वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं। वर्ष 1981 के लिये जनसंख्या की इन दरों का अध्ययन करते हुए, असम, जम्मू और कश्मीर की

[1]अस्थायी।

[2]घनत्व जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल छोड़कर निकाला गया है।

जनसंख्या को छोड़ दिया गया है, क्योंकि अभी तक इन राज्यों में जनगणना नहीं की गई है । सन् 1941 तक की दरें अविभाजित भारत की हैं ।

सारणी 1.4 साक्षरता का प्रतिशत 1901-81

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1901 . . .	5.35	9.83	0.60
1911 . . .	5.92	10.56	1.05
1921 . . .	7.16	12.21	1.81
1931 . . .	9.50	15.59	2.93
1941 . . .	16.10	24.90	7.30
1951 . . .	16.67	24.95	7.93
1961 . . .	24.02	34.44	12.95
1971 . . .	29.45	39.45	18.69
1981 . . .	36.17	46.74	24.88

सारणी 1.5 साक्षरता-दर

भारत में साक्षरता दर प्रति एक हजार स्त्री या पुरुष

जनगणना वर्ष	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति
1901 . . .	98	6	53
1911 . . .	106	11	59
1921 . . .	122	18	72
1931 . . .	156	29	95
1941 . . .	249	73	161
1951 . . .	249	79	167
1961 . . .	344	130	240
1971 . . .	395	187	294
1981 . . .	467	249	362

स्त्री-पुरुष की साक्षरता की अनुपातिक धीमी प्रगति इस विवरण से स्पष्ट हो जाती है । विशेषकर स्त्रियों में साक्षरता की प्रगति उल्लेखनीय है । फिर भी विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश में लगभग आधे पुरुष और 3/4 स्त्रियां अभी भी अशिक्षित हैं । कुल जनसंख्या में लगभग 64 % लोग अभी भी अशिक्षित हैं ।

भाषाएं

भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इनमें से 15 भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित की गई हैं। इनके नाम हैं : असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिन्धी और हिन्दी।

1981 की जनसंख्या की मुख्य बातें

भारत की जनसंख्या	कुल 68,39,97,512 पुरुष 35,35,02,987 स्त्रियां 33,04,94,525
1971-81 की दशवर्षीय जनसंख्या वृद्धि	1. सम्पूर्ण 13,58,37,860 2. प्रतिशत 24.78
जनघनत्व (प्रति वर्ग कि० मी०)	220
स्त्री पुरुष अनुपात (स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष)	935
साक्षरता दर	कुल 36.12 प्रतिशत पुरुष 46.72 प्रतिशत स्त्री 24.81 प्रतिशत

1. अस्थाई

टिप्पणी

1. घनत्व गणना करते समय जम्मू और कश्मीर तथा असम की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल को छोड़ दिया गया है क्योंकि इससे सम्बन्धित तुलनात्मक आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।
2. जम्मू-कश्मीर और असम के साक्षरता दर के आंकड़े छोड़ दिये गये हैं।

सारणी 1.6

वर्ष 1981 में जनसंख्या एवं साक्षरों की संख्या तथा लिंग के आधार पर साक्षरता की दर

भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल जनसंख्या (1981)			साक्षर जनसंख्या (1981)			कुल जनसंख्या का साक्षरता प्रतिशत (1981)		
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारत	68,38,10,051	35,33,47,249	33,04,62,802	23,79,91,932	15,83,37,215	7,91,54,717	36.17[1]	46.71[1]	24.88[1]
राज्य									
असम	1,99,02,826	1,04,72,712	94,30,114	—	—	—	—	—	—
आन्ध्र प्रदेश	5,34,03,619	2,70,35,531	2,63,68,088	1,59,89,260	1,05,78,383	54,10,878	29.94	39.13	20.52
उड़ीसा	2,62,72,054	1,32,53,523	1,30,18,531	89,64,625	62,16,037	27,48,588	34.12	46.90	21.11
उत्तर प्रदेश	11,08,58,019	5,87,80,640	5,20,77,379	3,03,58,013	2,28,45,887	75,12,126	27.38	38.87	14.42
कर्नाटक	3,70,43,451	1,88,69,494	1,81,73,957	1,42,28,947	91,71,677	50,57,270	38.41	48.61	27.83
केरल	2,54,03,217	1,24,87,961	1,29,15,250	1,75,71,819	92,44,009	83,27,210	69.17	74.03	64.49
गुजरात	3,39,60,905	1,74,84,540	1,64,76,365	1,48,58,075	95,34,470	53,23,605	43.75	51.53	32.31
जम्मू और कश्मीर	59,81,600	30,62,200	29,19,400	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	4,82,97,456	2,44,20,228	2,38,77,228	2,21,11,593	1,39,65,132	81,46,461	45.78	57.19	34.12
त्रिपुरा	20,60,189	10,57,714	10,02,475	8,56,683	5,39,932	3,16,750	41.58	51.05	31.00
नागालैंड	7,73,281	4,14,231	3,59,050	3,24,700	2,03,643	1,21,057	41.99	49.10	33.72
पंजाब	1,66,69,755	88,40,234	78,29,521	67,91,547	41,18,415	26,73,132	40.74	46.59	34.14
पश्चिम बंगाल	5,44,85,560	2,85,05,151	2,59,80,409	2,22,71,807	1,43,91,808	78,80,059	40.88	50.49	30.33
बिहार	6,98,23,154	3,58,65,467	3,39,57,687	1,91,63,410	1,35,51,736	46,11,674	26.01	37.74	13.58
मणिपुर	14,33,691	7,27,108	7,06,583	6,01,943	3,85,123	2,16,820	41.99	52.97	30.09
मध्य प्रदेश	5,21,31,717	2,68,56,752	2,52,74,965	1,45,02,063	1,05,74,919	39,27,144	27.82	39.39	15.54
महाराष्ट्र	6,26,93,898	3,23,41,115	3,03,52,783	2,96,95,721	1,90,48,903	1,06,48,758	47.37	58.89	35.08
मेघालय	13,27,874	6,78,883	6,48,991	4,41,077	2,51,056	1,90,021	33.22	36.98	29.28
राजस्थान	3,41,02,912	1,77,49,282	1,63,53,630	82,01,615	63,50,945	18,50,670	24.[illegible]	35.78	11.32
सिक्किम	3,15,682	1,71,959	1,43,723	1,06,780	75,066	31,714	33.83	43.65	22.07
हरियाणा	1,28,50,902	68,46,153	60,04,749	46,05,649	32,71,047	13,34,602	35.84	47.78	22.23

टिप्पणी

हिमाचल प्रदेश	42,37,569	21,31,312	21,06,257	17,77,201	11,15,973	6,61,228	41.94	52.36	31.39
संघीय क्षेत्र									
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1,88,254	1,06,889	81,365	96,520	62,470	34,050	51.27	58.44	41.85
अरुणाचल प्रदेश	6,28,050	3,35,941	2,92,109	1,26,185	94,002	32,183	20.00	27.98	11.02
गोआ, दमण और दीव	10,82,117	5,46,260	5,35,857	6,04,489	3,53,832	2,50,657	55.86	64.77	46.78
चण्डीगढ़	4,50,061	2,54,208	1,95,853	2,91,091	1,74,953	1,16,138	64.68	68.82	59.30
दादरा और नगर हवेली	1,03,677	52,514	51,163	27,578	19,007	8,571	26.60	36.19	16.75
दिल्ली	61,96,414	34,22,550	27,73,864	38,83,611	23,25,804	14,57,807	61.06	67.96	52.56
पांडिचेरि	6,04,136	3,04,342	2,99,794	3,27,600	1,94,792	1,32,808	54.23	64.00	44.30
मिज़ोरम	4,87,774	2,51,988	2,35,786	2,90,241	1,66,296	1,23,945	59.50	65.99	52.57
लक्षद्वीप	40,237	20,367	19,870	22,018	13,233	8,785	54.72	64.97	44.21

[1]असम और जम्मू कश्मीर को छोड़कर ।

2 राष्ट्र के प्रतीक

राष्ट्रीय झंडा

राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है जिसमें समान अनुपात में तीन आड़ी पट्टियां हैं। गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और गहरा हरा सबसे नीचे है। झंडे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र है जो चरखे की जगह है। इसकी डिजाइन सारनाथ के अशोक सिंह स्तम्भ के चक्र की है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई जितना है और इसमें चौबीस तीलियां हैं।

भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे का प्रारूप 22 जुलाई, 1947 को अपनाया। झंडे का उचित प्रयोग और प्रदर्शन एक संहिता द्वारा नियमित होता है।

राज-चिह्न

भारत का राज-चिह्न सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तम्भ के शीर्ष की अनुकृति है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तम्भ में शीर्ष पर चार सिंह हैं जो एक-दूसरे की ओर पीठ किए खड़े हैं जिनके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं जिनके बीच-बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर से काटकर बनाए गए इस स्तम्भ के शीर्ष के सिंहों के ऊपर 'धर्मचक्र' है।

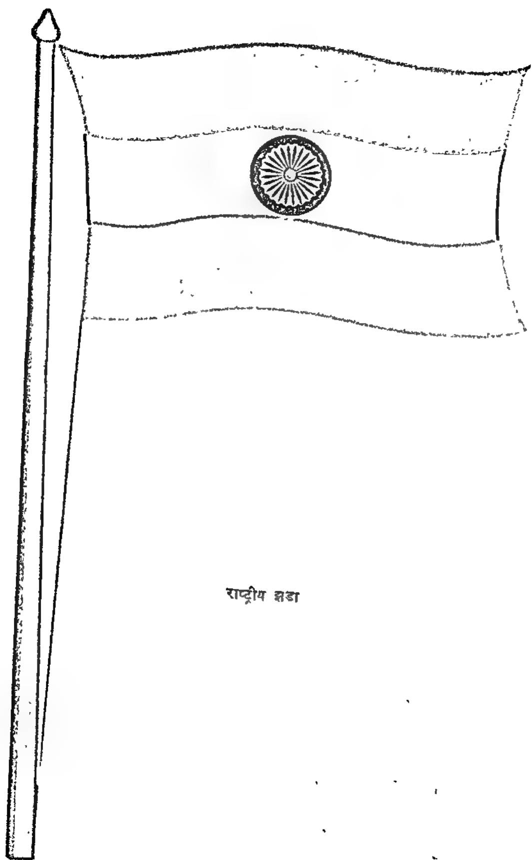
भारत सरकार ने यह चिह्न 26 जनवरी, 1950 को अपनाया। इसमें केवल तीन सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है और दाएं तथा बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। आधार का पद्म छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद् का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है जिसका अर्थ है—सत्य की ही विजय होती है।

राष्ट्रगान

रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीत, 'जन-गण-मन' को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसम्बर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में पांच पद हैं। प्रथम पद, राष्ट्रगान का पूरा पाठ है, जो इस प्रकार है :—

जन-गण-मन अधिनायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा-द्राविड़-उत्कल-बंग
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मागे
गाहे तव जय-गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे।

राष्ट्रगान जैसा कि अपनाया गया है ऊपर पूरा दिया गया है और इसे गाने का समय लगभग 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर यह संक्षिप्त रूप से गाया जाता है जिसमें इस पद की प्रथम और अंतिम पंक्तियां (गाने का समय लगभग 20 सेकंड) होती हैं।



राष्ट्रीय झंडा



सत्यमेव जयते

राज चिन्ह

राष्ट्रीय गीत

बंकिमचंद्र चटर्जी के 'वन्दे मातरम्' का भी 'जन-गण-मन' के समान दर्जा है, जो स्वतन्त्रता संग्राम में जन-जन का प्रेरणा स्रोत था। राजनीतिक अवसर पर यह गीत सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है :

वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज-शीतलाम्
शस्यश्यामलाम् मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।

राष्ट्रीय पंचांग (कैलेण्डर)

ग्रिगोरियन कैलेण्डर के साथ-साथ देश भर के लिए शक संवत् पर आधारित समान राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है; 22 मार्च, 1957 को इन सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया : (1) भारत का राजपत्र, (2) आकाशवाणी के समाचार प्रसारण, (3) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेण्डर और (4) भारत सरकार द्वारा नागरिकों को सम्बोधित पत्र।

राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगोरियन कैलेण्डर की तारीखों में स्थायी अनुरूपता है। 1 चैत्र सामान्य वर्ष में साधारणतया 22 मार्च को और लौंद के वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है।

3 सरकार

राज्यों का संघ भारत एक सम्पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। गणराज्य उस संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासित होता है जो 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ।

संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ संघात्मक है और भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यद्यपि, संविधान कहता है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, वह यह भी उल्लेख करता है कि वह इस शक्ति का प्रयोग 'संविधान के अनुसार' करेगा। संविधान का अनुच्छेद 74 (1) यह निर्दिष्ट करता है कि 'कार्य-संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी'। इस प्रकार कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद में निहित है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति राज्य की कार्यपालिका के प्रधान की होती है परन्तु यथार्थ में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, जो सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार चलाती है।

संविधान के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के अधिकार-क्षेत्र बांट दिए गए हैं। संविधानिक और शेष विषयों से संबंधित विधान के अधिकार संसद के पास हैं।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्वायत्त-शासन की प्रणाली भी प्रचलित है। संविधान के 40वें अनुच्छेद में राज्यनीति का निदेशक सिद्धांत दर्शाता है कि सरकार ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगी और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार देगी जो उन्हें स्वायत्त-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। लगभग प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की एक प्रणाली विकसित हुई है। प्रत्येक गांव या गांव-समूह अधिकारों में कुछ अन्तर के साथ स्वायत्त-शासी संस्थाएं हैं। बड़े शहरों में निर्वाचित नगर निगम हैं और मध्यम और छोटे शहरों में निर्वाचित नगर परिषद या समितियां हैं।

संसद और राज्य-विधान मंडलों के लिए सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए मतदाता सूचियों के निरीक्षण, निर्देशन और उनके निर्माण का नियंत्रण और निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और बाकी उतने निर्वाचन आयुक्त होते हैं जितने राष्ट्रपति निश्चित तथा नियुक्त करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता की रक्षा एक विशेष संवैधानिक प्रावधान के द्वारा की गई है, जिसके अनुसार उसे सिवाय उस ढंग से और उन आधारों पर जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में निर्दिष्ट हैं, हटाया नहीं जाएगा तथा उसकी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा की शर्तों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका अहित हो।

भारत में संसदीय शासन प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है, जिसके अंतर्गत भारत के वे सभी नागरिक जो 21 वर्ष से कम उम्र के न हों और जो संविधान

या उपयुक्त विधानमंडल द्वारा स्वीकृत किसी कानून के अंतर्गत निवासहीनता, पागलपन और भ्रष्ट तरीकों जैसे निश्चित मापदंडों के कारण अयोग्य करार न किए गए हों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के किसी भी निर्वाचन में मतदाता पंजीकृत किए जाने का अधिकार रखते हैं। 1980 में मतदाता सूचियों में मतदाताओं की संख्या लगभग 36.39 करोड़ थी।

न्यायपालिका, भारत के लेखानियन्ता और महालेखा-निरीक्षक तथा लोक सेवा-आयोगों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भी संविधान में प्रावधान है।

अब समूचे देश में सभी स्तरों पर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है।

संघ और क्षेत्र

भारत में 22 राज्य हैं और 9 संघ राज्य क्षेत्र हैं। राज्य ये हैं:—आंध्रप्रदेश, असम, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, नगालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्र ये हैं:—अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, गोआ, दमन और दीव, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली, पाडिच्चेरि, मिजोरम और लक्षद्वीप।

नागरिकता

संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिए एक तथा समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया जो संविधान के लागू होने के दिन (26 जनवरी, 1950 को भारत का अधिवासी था और (क) भारत में पैदा हुआ था, या (ख) जिसके माता-पिता में से एक भारत में पैदा हुआ था, या (ग) जो उस तारीख से ठीक पहले सामान्यतया कम-से-कम पांच वर्ष से भारतीय क्षेत्र में रह रहा था। पाकिस्तान से प्रव्रजन कर के आए व्यक्तियों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। नागरिकता अधिनियम, 1955 में, जो संविधान के उपबंधों को अनुपूरित करता है, यह व्यवस्था की गई है कि जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के सम्मिलित हो जाने से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि परित्याग द्वारा, समाप्त करने और वंचित करने से नागरिकता छीनी भी जा सकती है।

मूल अधिकार

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, कुछ मूलभूत स्वतन्त्रताओं की व्यवस्था की गई है। संविधान में मोटे-तौर पर छः प्रकार के मूल अधिकारों के रूप में इनकी गारंटी दी गई है, जिनके लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। ये हैं: (1) समता का अधिकार: कानून के समक्ष समता, धर्म, मूल,वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध और रोजगार के विषय में अवसर की समता; (2) विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार, शान्तिपूर्वक सम्मेलन करने, संस्था या संघ बनाने, भारत में सर्वत्र आने-जाने, भारत के किसी भाग में रहने, तथा कोई वृत्ति या व्यवसाय करने का अधिकार; (इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के अधीन हैं;) (3) शोषण से रक्षा का अधिकार, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के बलात् श्रम, बालश्रम और व्यक्तियों के क्रय-विक्रय

को प्रतिषिद्ध किया गया है; (4) अन्तःकरण की प्रेरणा तथा धर्म को निर्बाध रूप से मानने, तदनुकूल आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतन्त्रता का अधिकार; (5) अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षण करने तथा अपनी पसन्द की शिक्षा प्राप्त करने एवं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उन्हें चलाने का अधिकार; और (6) मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

मूलभूत कर्तव्य

संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत, जो 1976 में पास किया गया, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अन्य बातों के अलावा इसमें कहा गया है कि नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का अनुसरण करे, देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर देश-सेवा में जुट जाए और धर्म, भाषा और क्षेत्रीय भिन्नताओं को भूल कर सामंजस्य और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा दें।

राज्य-नीति के निदेशक सिद्धांत

संविधान में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, तथापि वे 'देश के शासन में मूलभूत' हैं और 'सरकार का यह कर्तव्य है कि कानून बनाते समय वह इन सिद्धांतों का उपयोग करे।' उनमें कहा गया है, "सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की भरसक कारगर रूप में स्थापना करके और उसका संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी, जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो।" सरकार ऐसी नीति का निदेश करेगी जो सभी स्त्री-पुरुषों को जीवन-यापन के लिए यथेष्ट तथा समान अवसर दे, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करे और अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमाओं के अनुसार सब को काम और शिक्षा पाने का समान अधिकार दिलाए और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी व अपाहिजपन या आवश्यकता की कम पूर्ति के अन्य मामलों में सब को वित्तीय सहायता दे। सरकार को यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि कर्मचारियों के लिए निर्वाह-वेतन, कार्य की मानवीय दशाओं, रहन-सहन के अच्छे स्तर तथा फुरसत के समय सामाजिक व सांस्कृतिक सुविधाओं का पूर्ण आनन्द उठाने की व्यवस्था हो।

आर्थिक-क्षेत्र में सरकार को अपनी नीति इस ढंग से बनानी चाहिए जिससे कि समाज के मौलिक संसाधनों के मालिकाना अधिकार और उन पर नियंत्रण का लोगों के बीच इस प्रकार वितरण हो कि वह सब लोगों के कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध हों और जिससे यह सुनिश्चित होता हो कि आर्थिक प्रणाली को लागू करने के परिणामस्वरूप सर्व-साधारण के हितों के विरुद्ध धन और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के पास केंद्रित नहीं होंगे।

अन्य महत्वपूर्ण निदेशक सिद्धांतो में से कुछ बच्चों के स्वस्थ वातावरण में विकसित होने के लिए अवसर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने; 14 वर्ष तक की अवस्था के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने; अनुसूचित जातियों और जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा सम्बन्धी और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने; ग्राम पंचायतें बनाने;

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने; समान अवसर प्रदान करने के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने; निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने; वातावरण को दूषित होने से बचाने और अधिक अच्छा बनाने; देश के जंगलों और वन्य जीवन की सुरक्षा करने और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा; राष्ट्रों के बीच न्यायोचित और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों; अन्तर्राष्ट्रीय कानून और संधियों की शर्तों के प्रति आदर व अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निबटारे को बढ़ावा देने के बारे में हैं।

संघ

कार्यपालिका

संघीय कार्यपालिका के अन्तर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं तथा राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रि-परिषद होती है।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल के सदस्य सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं। इस निर्वाचक मण्डल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यों के बीच आपस में समानता तथा राज्यों और संघ के बीच समानता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मत को उचित महत्त्व दिया जाता है। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम-से-कम 35 वर्ष की आयु का तथा लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह इस पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। उसे संविधान के अनुच्छेद 61 में निहित कार्यविधि के अनुसार राष्ट्रपति-पद से हटाया जा सकता है। वह अपने हाथ से उपराष्ट्रपति को लिखकर अपने पद का त्याग कर सकता है।

कार्यपालिका के सभी अधिकार राष्ट्रपति में निहित हैं। वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा करता है। रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित करने, उसमें भाषण देने और उसे सन्देश भेजने तथा लोक-सभा को भंग करने, संसद का सत्र न होने के समय अध्यादेश जारी करने, वित्तीय तथा धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सिफारिश करने तथा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने, क्षमादान करने, दण्ड रोकने अथवा उसमें कमी करने आदि के अधिकार प्राप्त हैं। अगर किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था असफल हो जाए तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस सरकार के सम्पूर्ण या कोई भी अधिकार अपने हाथ में ले ले। यदि राष्ट्रपति को इस बारे में विश्वास हो जाए कि कोई ऐसा संकट विद्यमान है जिससे भारत की अथवा उसके राज्य-क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, चाहे यह खतरा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण या विद्रोह के कारण हो, तो वह देश में आपातस्थिति की उद्घोषणा कर सकता है।

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति का चुनाव सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के एक निर्वाचक मण्डल के सदस्य करते हैं।

उपराष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम-से-कम 35 वर्ष की आयु का और राज्यसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह इस पद के लिए पुनः चुना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 67 (ख) में निहित कार्य-विधि द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है और जब राष्ट्रपति बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो या जब राष्ट्रपति की मृत्यु, पद-त्याग अथवा पद से हटाए जाने के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो तो नया राष्ट्रपति चुने जाने तक वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तथा राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना बन्द कर देता है।

मंत्रिपरिषद्

कार्य-संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह भारत संघ के कार्यों के प्रशासन के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद के निर्णयों से, तथा कानून बनाने के प्रस्तावों से और उनसे सम्बन्धित जानकारी से राष्ट्रपति को अवगत कराता रहे।

मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं : (1) वे मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, (2) राज्यमंत्री, (3) उपमंत्री। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सूची परिशिष्ट में देखें।

प्रशासनिक ढांचा

सरकार के कार्य को मंत्रियों के बीच बांटने और सुविधापूर्वक चलाने के लिए संविधान के अन्तर्गत कार्य सम्बन्धी नियम बनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य का आवंटन करता है और इसके लिए वह प्रत्येक मंत्रालय के लिए नियत किए गए कार्य की मदों का विशिष्ट विवरण देता है और एक मंत्रालय या उसके किसी भाग या एक से अधिक मंत्रालयों को किसी मंत्री के प्रभार में सौंपता है। प्रायः राज्यमंत्री या उपमंत्री या दोनों मंत्रिमण्डलीय मंत्री की सहायता करते हैं।

सामान्यतः मंत्री को नीति और सामान्य-प्रशासन के संबंध में परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक अधिकारी होता है जो भारत सरकार के सचिव का पद ग्रहण करता है।

मंत्रिमंडलीय सचिवालय

मंत्रिमंडलीय सचिवालय उच्चतम स्तर पर निर्णय किए जाने की प्रक्रिया में समन्वय करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार काम करता है। इसके कार्यों में मंत्रिमंडल और उसकी समितियों के समक्ष मामले प्रस्तुत करना, उन पर किए गए निर्णयों के रिकार्ड तैयार करना और उन पर अमल के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही करना शामिल है। यह सचिवों की समितियों के कार्य भी करता है। इसकी बैठकें मंत्रिमण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में उन समस्याओं पर विचार करने और परामर्श देने के लिए समय-समय पर होती रहती हैं, जिन पर मंत्रालयों के बीच परस्पर परामर्श और समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य सम्बन्धी नियम बनाता है और प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति से भारत

सरकार के कार्य को मंत्रालयों और विभागों में मार्गदर्शन करता है। यह विभाग प्रत्येक मंत्रालय की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में समय-समय पर उनसे सारांश और टिप्पणी मंगवाता है और उन्हें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के पास भेजता है।

लोक सेवाएं

संघ सरकार की असैनिक सेवाओं और पदों पर भर्ती करने के लिए संविधान के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

आयोग की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा आयोग के अध्यक्ष पर यह रोक लगाई गई है कि अध्यक्षता की अवधि पूरी हो जाने के बाद, वह भारत सरकार की या किसी राज्य सरकार की कोई नौकरी नहीं कर सकता। तथापि, आयोग के अध्यक्ष को [illegible]

[illegible]

अध्यक्ष :	डा० एम० एल० शहारे	
सदस्य :	एन० एस० सक्सेना	ए० के० बक्शी
	जसवन्त राय बन्साल	अब्दुल हमीद
	एस० आर० मेहता	के० वेंकट रमैय्या
	श्रीमती आर० ओ० धान	

कर्मचारी चयन आयोग

प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश पर 1 जुलाई, 1976 को एक अधीनस्थ सेवा आयोग का गठन किया गया। 26 सितम्बर, 1977 को इसका नाम बदल कर कर्मचारी चयन आयोग रख दिया गया। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों (उन पदों को छोड़कर जिनके लिए रेल सेवा आयोग या औद्योगिक प्रतिष्ठान कर्मचारियों की भर्ती करते हैं) में तीसरी श्रेणी के गैर-तकनीकी पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करना है। आयोग का मुख्यालय और इसके उत्तरी क्षेत्र का कार्यालय नई दिल्ली में है। मध्य, पश्चिमी, उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के कार्यालय क्रमशः इलाहाबाद, बम्बई, गुवाहाटी, कलकत्ता और मद्रास में हैं। रायपुर में इसका उपक्षेत्रीय कार्यालय है।

1 जनवरी, 1981 को आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इस प्रकार थे :—

अध्यक्ष : श्रीमती इन्द्रजीत कौर संधु

सदस्य : अमर सिंह

आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अपने पद से हटने के बाद अध्यक्ष या सदस्य द्वारा केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या इनके नियंत्रण में काम कर रहे किसी अन्य संगठन में और किसी पद पर काम करने पर रोक लगा दी गई है।

लेखानियन्ता और महालेखा परीक्षक

लेखानियन्ता और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसको पद से अलग करने के लिए भी वही कारण और कार्यविधि अपनाई जाती है जो कि उच्चतम

न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है। अपने पद से हटने के पश्चात वह संघ की या किसी राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकता।

राष्ट्रपति, लेखानियन्ता और महालेखा परीक्षक की सलाह पर, संघ राज्यों के लेखा-जोखा की कार्यविधि निर्धारित करता है। लेखानियन्ता और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के लेखा-जोखा के निरीक्षण की रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों को भेजता है जो संसद और राज्यों के विधान-मंडलों में पेश की जाती है।

लेखानियन्ता और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, अधिकार और सेवा सम्बन्धी शर्तें 1971 में बनाए गए कानून (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम) द्वारा निश्चित की गई हैं।

राजभाषा

देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी संघ की राजभाषा है और सरकारी कार्यों के लिए भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप अपनाया गया है। संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि 25 जनवरी, 1965 तक संघ के सभी राजकार्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। लेकिन बाद में यह अनुभव किया गया कि इस निर्धारित अवधि में अंग्रेजी के स्थान पर पूर्णतया हिन्दी का उपयोग व्यावहारिक नहीं होगा। अतः संशोधित रूप में राजभाषा अधिनियम 1963 में व्यवस्था है कि हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का उपयोग उन सब सरकारी कार्यों के लिए, जिनके लिए यह 26 जनवरी, 1965 से पहले उपयोग की जाती थी, और संसद की कार्यवाही चलाने के लिए भी जारी रहेगा।

इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन सरकार द्वारा राजभाषा (संघ के सरकारी कार्यों के लिए) नियम, 1976 बनाए गए हैं और सरकारी राजभाषा नीति के क्रियान्वयन सम्बन्धी निर्देश दिए गए हैं। ये नियम केन्द्र सरकार जिसमें निगम एवं कम्पनियां सम्मिलित हैं जो सरकार द्वारा नियंत्रित हैं या उनकी अपनी है, पर लागू होता है। केन्द्र सरकार से क्षेत्र 'क'[1] में जो पत्र-व्यवहार राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश से या परस्पर हो, हिन्दी में होना चाहिए। क्षेत्र 'ख'[2] का भी हिन्दी में पत्र-व्यवहार होना चाहिए। परन्तु व्यक्तिगत रूप में पत्र-व्यवहार प्रायः हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किसी भी भाषा में किया जा सकता है। क्षेत्र 'क' एवं 'ख' को छोड़कर शेष सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों या किसी अन्य व्यक्ति से अंग्रेजी में ही पत्र-व्यवहार किया जाना अनिवार्य है। मंत्रालयों एवं विभागों का आपसी पत्र-व्यवहार हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में किया जा सकता है। किसी मंत्रालय या विभाग का, केन्द्र सरकार के क्षेत्र 'क' में स्थित किसी सम्बद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों से पत्र-व्यवहार हिन्दी में होगा, जो केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुपात के अनुसार होना चाहिए। (इस समय कार्यशील अनुपात 2:3 का है)। क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालयों का आपसी पत्र-व्यवहार केवल हिन्दी में होना चाहिए। जो पत्र हिन्दी में प्राप्त हो उसका उत्तर हिन्दी में ही जाना चाहिए।

---

1. क्षेत्र 'क' में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल हैं।
2. क्षेत्र 'ख' में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चण्डीगढ़ तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

केन्द्र सरकार की कार्य पद्धति सम्बन्धी सामग्री जिसमें सरकारी नियमावली सम्मिलित है, दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी होनी चाहिए। कोई भी कर्मचारी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अपनी फाइल एवं बैठक की कार्यवाही का विवरण लिखने में स्वतन्त्र है। प्रशासकीय उच्चाधिकारी की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि नियम एवं व्यवस्थाओं का पालन ठीक ढंग से हो।

सरकार की सामान्य नीति है कि संघ की सरकारी भाषा के रूप में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा दें, और हिन्दी केन्द्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों में परस्पर सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित हो।

राज भाषा विभाग को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि केन्द्र की सरकारी भाषा नीति का कार्यान्वयन करें और केन्द्र सरकार की ओर से विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की गतिविधियों को समन्वित करें।

विधानमंडल

केन्द्रीय विधानमण्डल में, जिसे 'संसद' कहते हैं, राष्ट्रपति तथा संसद के दो सदन सम्मिलित हैं जो राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाने जाते हैं। संसद को अपनी बैठक पिछली बैठक के छह महीने के भीतर करनी होती है। कुछ मामलों में संसद के दोनो सदनों की संयुक्त बैठक भी की जा सकती है।

राज्यसभा

भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य होंगे जिनमें से 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव के कारण राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष सदस्य राज्यों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। राज्यसभा के लिए निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, सम्बन्धित राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अन्तर्गत एकल संक्रमणीय मत से किया जाता है और केन्द्र-शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार चुने जाते हैं। राज्यसभा भंग नहीं होती, हर दो साल बाद उसके एक-तिहाई सदस्य निवृत्त होते रहते हैं।

इस समय गठित राज्यसभा में 244 सदस्य हैं। इनमें से 232 सदस्य राज्यों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज-सेवा के क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए गए हैं।

लोकसभा

वर्तमान लोकसभा में 544 सदस्य हैं। इसमें 525 सदस्य 22 राज्यों से और 17 सदस्य नौ केन्द्र-शासित क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित हैं और दो सदस्य राष्ट्रपति ने आंग्ल-भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किए हैं।

प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों की संख्या, इस प्रकार नियत की गई है कि स्थानों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच अनुपात, जहाँ तक व्यवहार्य है, समान हो। वर्तमान लोकसभा में स्थानों की राज्यवार संख्या 1971 में की गई मतगणना के आधार पर तथा संविधान के 42वें संशोधन (1976) के अंतर्गत निर्धारित की गई है। जब तक सन् 2000 के बाद प्रथम मतगणना नहीं हो जाती, तब तक यह निर्धारण इसी आधार पर होता रहेगा। लोकसभा की अवधि उसकी पहली बैठक की नियत तिथि से पांच वर्ष के लिए होती है, बशर्ते कि वह पहले भंग न कर दी जाए।

सारणी 3.1 में संसद के दोनों सदनों में स्थानों का राज्यवार नियतन और लोकसभा में राजनीतिक दलों की स्थिति दी गई है। दोनों सदनों के सदस्यों की सूची परिशिष्ट में देखें।

सारणी 3.1

संसद के दोनों सदनों में स्थानों का नियतन और लोकसभा में दलगत स्थिति

(10 फरवरी, 1982 को)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	राज्य सभा में स्थानों की संख्या	लोक सभा									
		स्थान	कांग्रेस (इ)	कम्युनिस्ट (मा०)	लोक दल	द्रमुक	भारतीय जनता पार्टी	अन्य दल	असम्बद्ध	कुल	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश	18	42	41	—	—	—	—	1[1]	—	42	—
असम	7	14	2	—	—	—	—	—	—	2	12
बिहार	22	54	31	—	5	—	2	10[2]	5	53	1
गुजरात	11	26	25	—	—	—	—	1[3]	—	26	—
हरियाणा	5	10	5	—	3	—	1	1[4]	—	10	—
हिमाचल प्रदेश	3	4	4	—	—	—	—	—	—	4	—
जम्मू और कश्मीर	4	6	2	—	—	—	—	2[5]	1	5	1
कर्नाटक	12	28	27	—	—	—	—	1[6]	—	28	—
केरल	9	20	4	6	—	—	—	8[7]	2	20	—
मध्य प्रदेश	16	40	33	—	—	—	5	—	1	39	1
महाराष्ट्र	19	48	40	—	—	—	2	6[8]	—	48	—
मणिपुर	1	2	1	—	—	—	—	1[9]	—	2	—
मेघालय	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1
नागालैंड	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
उड़ीसा	10	21	20	—	1	—	—	—	—	21	—
पंजाब	7	13	11	—	—	—	—	—	1	12[10]	—

राजस्थान	10	25	16	—	2	—	3	2[11]	—	23	2
सिक्किम	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
तमिलनाडु	18	39	20	—	—	16	—	3[12]	—	39	—
त्रिपुरा	1	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—
उत्तर प्रदेश	34	85	47	—	22	—	1	13[13]	1	84	1
पश्चिम बंगाल	16	42	4	27	—	—	—	10[14]	—	41	1
केन्द्र-शासित क्षेत्र											
अंदमान निकोबार द्वीप समूह	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
अरुणाचल प्रदेश	1	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—
चंडीगढ़	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
दादरा तथा नागर हवेली	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
दिल्ली	3	7	6	—	—	—	1	—	—	7	—
गोआ, दमन और दीव	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—
लक्षद्वीप	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
मिजोरम	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
पाण्डिचेरि	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एंग्लो इण्डियन (नामजद)	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—
संविधान की धारा 80(1)(क) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नामजद	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	244	544	351	35	33	16	15	59	14	523[10]	20

1. कांग्रेस (एस०)-1
2. कांग्रेस (एस०)-3, कम्युनिस्ट-5, जनता-2
3. जनता-1
4. लोकतांत्रिक समाजवादी दल-1
5. नेशनल कांफ्रेंस-2
6. जनता-1
7. कांग्रेस (एस०)-3, कम्युनिस्ट-2, मुस्लिम लीग-2, लो० स० दल-1
8. जनता-6
9. कम्युनिस्ट-1
10. अध्यक्ष को छोड़कर
11. कांग्रेस (एस०)-1, जनता-1
12. अ० भा० अन्ना द्रमुक-2, मुस्लिम लीग-1
13. कम्युनिस्ट-1, लोकतांत्रिक समाजवादी दल-9 जनता-1, डी० एल० डी०-2
14. रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी-4, फारवर्ड ब्लाक-3, कम्युनिस्ट-3

संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं

संसद का सदस्य चुने जाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य अर्हताएं संसदद्वारा कानून बनाकर निर्धारित की जा सकती हैं।

संसदीय विशेषाधिकार

संविधान में, संसद में वाक्-स्वातन्त्र्य की व्यवस्था की गई है। संसद में या किसी संसदीय समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के विषय में संसद के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अन्य मामलों में, संसद के प्रत्येक सदन, सदस्यों और समितियों के अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही होंगी जिनकी संसद ने समय-समय पर कानूनी रूप में परिभाषा की है और जब तक इन्हें कानूनी स्वरूप नहीं दिया जाता ये अधिकार विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही मानी जाएंगी जो 20 जून 1979 से पहली थीं। संसद की किसी भी कार्यवाही की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि कार्यविधि में अनियमितता थी।

संसद में विपक्ष के नेता

संसदीय लोकतन्त्र में विपक्ष के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को वैधानिक महत्ता दी गई है।[1] उनको भी वेतन तथा कुछ निर्धारित सुविधाएं दी जाती हैं ताकि संसद में वह अपना कार्य भली-भांति कर सकें। इस विषय में जुलाई, 1977 में आवश्यक कानून बनाया गया था।

संसद के मुख्य कार्य और अधिकार

संसद के मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना और सरकार को राज्य की सेवाओं के लिए धन उपलब्ध कराना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लेखा नियन्ता तथा महालेखा निरीक्षक को उनके पदों से हटाने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक कानून के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है किन्तु वित्तीय विधेयक के बारे में लोकसभा की इच्छा अन्तिम होती है। प्रत्यायोजित विधान की भी संसद पुनरीक्षा कर सकती है तथा उस पर नियंत्रण रख सकती है। वित्त संबंधी सभी कानूनों की राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए, परन्तु केवल लोकसभा को ही सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों पर मत देने का अधिकार प्राप्त है। संकटकालीन स्थिति में तथा संविधान में निर्दिष्ट कुछ अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में संसद को राज्य-सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उन कुछ मामलों को छोड़कर जिनमें कम से कम आधे राज्य-विधान-मण्डलों का अनुसमर्थन अपेक्षित है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी मुख्य रूप से संसद को ही है

1. सातवीं लोकसभा में अभी तक किसी भी विपक्षी दल के नेता को विपक्षी नेता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि विपक्षी दलों में से किसी की भी सदन में अपेक्षित संख्या नहीं है।

संसदीय समितियां संसद के विचार-विमर्श में सहायता करने के लिए सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पेश करके संसदीय समितियां नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं या सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा नाम निर्दिष्ट की जाती हैं।

सामान्यतः ये समितियां दो प्रकार की होती हैं—स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां प्रतिवर्ष या समय-समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं और इनका काम कमोबेश निरंतर चलता रहता है। तदर्थ समितियों की नियुक्ति जरूरत पड़ने पर की जाती है, तथा अपना काम पूरा कर लेने और अपनी रिपोर्ट पेश कर देने के बाद वे समाप्त हो जाती हैं।

स्थायी समितियों में तीन वित्तीय समितियों—लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति—को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ये सरकारी खर्च और सरकारी काम पर नजर रखती हैं।

लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उस पर लेखानियन्ता और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन संसद के निर्णयों के अनुरूप ही खर्च हो। यह अपव्यय, हानि और निरर्थक व्यय के मामलों की ओर ध्यान दिलाती है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में विहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है। संगठन में, कार्य-कुशलता में तथा प्रशासन में क्या सुधार किए जा सकते हैं। यह इस बात की भी जांच करती है कि धन प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप ही व्यय किया गया है या नहीं। समिति इस बारे में भी सुझाव देती है कि प्राक्कलन संसद में किस रूप में पेश किया जाए। सरकारी उपक्रम समिति कुछ निर्धारित सरकारी उपक्रमों की रिपोर्टों और लेखों तथा उन पर लेखानियंता तथा महालेखा निरीक्षक की रिपोर्टों की, यदि कोई हो तो, जांच करती है। यह इस बात की भी जांच करती है कि ये सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं, तथा उनका प्रबंध ठोस व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।

इन समितियों का नियंत्रण निरंतर चलता रहता है। यह प्रश्नावलियों, प्रतिनिधि गैर-सरकारी संगठनों के स्मरण-पत्रों तथा जानकार व्यक्तियों, संगठनों के काम की मौके पर जांच तथा सरकारी और गैर-सरकारी साक्षियों के मौखिक साक्ष्य के जरिए जानकारी एकत्र करती हैं।

अन्य स्थायी समितियां ये हैं:—

(1) विशेषाधिकार समिति:—सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए विशेषाधिकार के किसी भी मामले की जांच करती है;

(2) याचिकाओं संबंधी समिति:—विधेयकों तथा जनहित के मामलों से संबद्ध याचिकाओं की जांच करती है तथा कुछ विषयों पर अभिवेदन प्राप्त करती है;

(3) कानून समिति :—इस बात की जांच करती है कि संविधान प्रदत्त अथवा संसद द्वारा प्रत्यायोजित नियम, विनियम, उप-नियम व उप-विधि बनाने की शक्तियों का सरकार, प्रत्यायोजन की सीमाओं में रहकर उपयोग कर रही है या नहीं;

(4) सरकारी आश्वासन समिति:—सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती है;

(5) दस्तावेज प्रस्तुत समिति:—मंत्रियों द्वारा सदन की मेज पर रखे गए सभी कागजात की जांच करती है;

(6) कार्य परामर्शदात्री समिति:—सदन में पेश किए जाने वाले सभी मामलों पर विचार के लिए समय नियत करती है;

(7) गैर-सरकारी संसद सदस्य विधेयक एवं प्रस्ताव समिति:—गैर-सरकारी संसद सदस्यों के विधेयकों का वर्गीकरण करती है तथा उन पर विचार विमर्श के लिए समय नियत करने की सिफारिश करती है। यह गैर-सरकारी सदस्यों के नोटिस पर लोकसभा में विधान संशोधन विधेयकों के पेश होने से पहले उनकी जांच भी करती है;

(8) अनुपस्थित सदस्य समिति:—सदन की बैठकों में अनुपस्थित सदस्यों की छुट्टी के आवेदन पत्रों पर विचार करती है;

(9) सामान्य उद्देश्य समिति:—सदन से संबंधित मामलों पर विचार करती है तथा इस बारे में अध्यक्ष को सलाह देती है;

(10) सदन समिति:—संसद सदस्यों के लिए आवास, डाक्टरी चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती है;

(11) पुस्तकालय समिति:—संसदीय पुस्तकालयों के रख-रखाव और मरम्मत से सम्बद्ध मामलों पर अध्यक्ष को सलाह देती है;

(12) नियम समिति : सदन में कार्यप्रणाली और संचालन से सम्बन्ध मामलों पर विचार करती है और नियम प्रणाली में किसी संशोधन या संयोजन की सिफारिश करती है;

(13) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति:—इन जातियों के कल्याण से संबंधित मामलों पर विचार करती है और इस बात पर नजर रखती है कि उन्हें जो संवैधानिक संरक्षण दिए गए हैं, वे ठीक से कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं;

(14) संसद सदस्य वेतन व भत्ता समिति:—वेतन और भत्ते से संबंधित मामलों पर विचार करती है तथा चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डाक सुविधाएं तथा अन्य मामलों में नियम बनाती है;

(15) लाभ के पदों के बारे में संयुक्त समिति:—केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बोर्डों और अन्य निकायों की संरचना और स्वरूप की जांच करती है और यह सिफारिश करती है कि कौन-कौन से पद ऐसे हैं जो किसी सदन की सदस्यता के अयोग्य बनाते हैं।

तदर्थ समितियां:—तदर्थ समितियां विशेष विषयों की जांच करने तथा उन पर रिपोर्ट देने के लिए लोकसभा या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर गठित की जाती हैं।

ऐसी समितियों के उदाहरण रेलवे कन्वेंशन समिति और प्रवर या संयुक्त समितियां जो किसी विशेष विधेयक पर विचार करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की जाती हैं।

परामर्शदात्री समितियां

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियां हैं जो मंत्रालयों और संसद सदस्यों के बीच विचार-विमर्श के लिए एक मंच का काम करती हैं। ये समितियां सरकार द्वारा प्रतिपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती हैं।

राज्य

राज्यों की शासन पद्धति केन्द्रीय शासन पद्धति से बहुत मिलती-जुलती है।

कार्यपालिका

राज्य की कार्यपालिका के अन्तर्गत राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है।

राज्यपाल

राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए करता है और उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। 35 वर्ष से अधिक आयु वाले केवल भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका के सारे अधिकार राज्यपाल में निहित हैं। कार्यपालिका सम्बन्धी सभी कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं।

राज्यपाल को अपना कार्य मंत्रि-परिषद के परामर्श से चलाना होता है। किन्तु यह व्यवस्था ऐसे मामलों के अतिरिक्त है, जहां संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को अपनी स्वेच्छा से कोई कार्य करना अपेक्षित हो। राज्यपाल की ऐच्छिक शक्तियां, संविधान में इनका विशेष उल्लेख है, वे हैं जो असम, मेघालय और नगालैंड के तुयेनसांग क्षेत्र में आदिम जातियों से संबंधित कुछ मामलों का प्रशासन चलाने तथा नगालैंड में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित हैं। नगालैंड में राज्यपाल का एक अन्य विशेष उत्तरदायित्व है उसे वहां की क्षेत्रीय परिषद् स्थापित करने के लिए नियम बनाने का स्वेच्छा-धिकार है और नगालैंड के तुयेनसांग जिले और शेष राज्य के बीच उस आबंटित राशि का यथोचित वितरण करना होता है जो उसे इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार से उपलब्ध होती है। सिक्किम के मामले में राज्यपाल का एक अन्य विशेष उत्तरदायित्व है। वहां की आबादी के विभिन्न वर्गों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था करनी होती है। अपने इस विशेष उत्तरदायित्व के निवाहने में उसे अपनी स्वेच्छा से निर्णय करने होते हैं। किन्तु ऐसा करते समय उसे राष्ट्रपति से समय-समय पर प्राप्त होने वाले निर्देशों का ध्यान रखना होता है। फिर भी सभी राज्यपाल अपने संवैधानिक कार्यों को करते समय जैसे-राज्य के मुख्य मंत्री की नियुक्ति करने अथवा राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल रहने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव

को स्वीकृति देने से संबंधित मामलों में राज्यपाल को अपनी स्वेच्छा और विवेक से निर्णय देना होता है।

मंत्रिपरिषद मुख्य मंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा उसी के द्वारा मुख्य मंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

आयोजना राज्य-स्तर पर, मुख्य सचिव या योजना सचिव के नेतृत्व में सचिवों की एक अन्तर्विभागीय समिति विकास कार्यक्रमों का समन्वयन करती है। सामान्यतः जिलों में कार्यक्रमों के आयोजना तथा कार्यान्वयन के समन्वय का कार्य एक अधिकारी करता है जो आमतौर पर विकास आयुक्त होता है। नियम यह है कि मुख्य मंत्री के अधीन राज्य मंत्रिमंडल की एक समिति मार्गदर्शन और निर्देशन करती है। राज्य स्तर पर राज्य योजना बोर्ड, सर्वोच्च संस्थान होता है जिसका अध्यक्ष अक्सर मुख्य मंत्री होता है और अन्य मंत्री तथा प्रमुख गैर-सरकारी व्यक्ति सदस्य होते हैं।

जिला प्रशासन देश में जिला-प्रशासन एक कलक्टर के अधीन होता है जो जिले में राजस्व की समुचित वसूली, कानून और व्यवस्था कायम रखने, और विकास सम्बन्धी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रत्येक जिले की पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है।

विधान मंडल प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होता है जिसके अन्तर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त एक या दो, जैसी भी स्थिति हो, सदन होते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में विधानमण्डल के दो सदन हैं जिन्हें विधान परिषद और विधान सभा कहते हैं।[1] शेष राज्यों में विधानमण्डल का केवल एक ही सदन है जिसे विधान सभा कहा जाता है। किसी वर्तमान विधान परिषद को समाप्त करने के लिए, या जहां वह नहीं है, वहां उसे बनाने के लिए, यदि ऐसे प्रस्ताव का संबंधित विधान सभा द्वारा समर्थन कर दिया जाए, तो संसद कानून बनाकर व्यवस्था कर सकती है।

विधान परिषद प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी।[2] परिषद के लगभग एक तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं जो विधान सभा के सदस्य नहीं हों—एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और राज्य के अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचक मण्डल करते हैं; बारहवें भाग के बराबर संख्या में सदस्यों का निर्वाचन राज्य की कम से कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष से काम

[1]यद्यपि संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 में मध्यप्रदेश में एक विधान परिषद बनाने की व्यवस्था की गई है, परन्तु वह अभी तक गठित नहीं हुई।

[2]जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 50 के अनुसार जम्मू और कश्मीर की विधान परिषद में केवल 36 सदस्य हैं।

कर रहे अध्यापकों के निर्वाचन मंडल करते हैं; दूसरे बारहवें भाग के बराबर संख्या में सदस्यों का निर्वाचन ऐसे पंजीकृत स्नातक करते हैं जिन्हें उपाधि प्राप्त किए 3 वर्ष से अधिक हो गए हों। शेष सदस्यों का राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नाम-निर्दिष्ट किया जाता है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आन्दोलन तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। विधान परिषदों का विघटन नहीं होता परन्तु उन के एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।

विधान सभा

किसी राज्य की विधान सभा में अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं।[1] इनका निर्वाचन उस राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांकन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नियत किए गए स्थानों की जनसंख्या के बीच अनुपात, जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण राज्य में समान रहे। विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है बशर्ते वह पहले भंग न कर दी जाए।

अधिकार तथा कार्य

राज्य विधानमण्डलों को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 में उल्लिखित विषयों पर एकान्तिक अधिकार प्राप्त हैं तथा उसकी सूची 3 में उल्लिखित विषयों पर केन्द्र के साथ मिले-जुले अधिकार प्राप्त हैं। विधानमण्डल की वित्तीय शक्तियों में सरकार द्वारा किया जाने वाला सारा व्यय, लगाए जाने वाले कर और सारे ऋणों को प्राधिकृत करना शामिल है। केवल विधान सभा में ही वित्त विधेयक पेश हो सकता है। विधानपरिषद, वित्त विधेयक के विधान सभा से प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, उसमें केवल ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे। परन्तु परिषद की सिफारिशों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में विधान सभा स्वतंत्र है।

विधेयकों को रोके रखना

विधानमण्डल द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के लिए रोके रख सकता है। सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन, उच्च न्यायालयों की शक्ति और स्थिति पर प्रभाव डालने वाले उपायों और अन्तर्राज्यीय नदी या नदी घाटी योजनाओं में पानी या बिजली के संग्रह, वितरण और बिक्री पर कर लगाने जैसे विषयों से सम्बन्धित विधेयक अनिवार्यतः इस प्रकार से रोके रखे जाने चाहिए। अन्तर्राज्यीय व्यापार पर रोक लगाने का कोई भी विधेयक राज्य विधानमण्डल में राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

कार्यपालिका पर नियंत्रण

राज्य विधानमण्डल वित्तीय नियंत्रण रखने के आम अधिकार का उपयोग करने के अतिरिक्त कार्यपालिका के नित्य प्रति के कार्य पर निगरानी रखने के लिए प्रश्नों, चर्चाओं, वाद-विवादों, स्थगन और अविश्वास प्रस्तावों तथा संकल्पों जैसी सामान्य संसदीय प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। उनकी अपनी प्राक्कलन तथा लोक लेखा समितियां भी होती हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत किए गए अनुदानों का किस प्रकार उचित रूप से उपयोग किया जाए।

[1] संविधान के अनुच्छेद 371 (च) के अनुसार सिक्किम विधान सभा में केवल 32 सदस्य हैं।

केन्द्र-शासित क्षेत्र

केन्द्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में, उस हद तक जिस तक कि वह उचित समझे, अपने ही द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है।

अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोआ, दमन और दीव, मिज़ोरम और पांडिचेरि के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है जबकि अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और चण्डीगढ़ के प्रशासकों को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। गोआ, दमन और दीव का उपराज्यपाल साथ ही दादरा और नागर हवेली का भी प्रशासक होता है। लक्षद्वीप का एक अलग प्रशासक है।

अरुणाचल प्रदेश, गोआ, दमन और दीव, मिजोरम और पांडिचेरि में विधान सभाएं तथा मंत्रिपरिषद हैं। दिल्ली में महानगर परिषद और कार्यकारी परिषद की व्यवस्था है। अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रदेश परिषद और पार्षदों की व्यवस्था है; ये पार्षद उसी परिषद के सदस्यों में से ही नियुक्त होते हैं।

केंद्र-शासित क्षेत्रों की विधान सभाएं, अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में, अर्थात उन मामलों के सम्बन्ध में, जो संविधान के सातवें अनुच्छेद की सूची 2 या 3 में उल्लिखित हैं, जहां तक वे केंद्र-शासित क्षेत्रों के बारे में लागू होते हैं, कानून बना सकती हैं। संसद भी ऐसे मामलों के सम्बन्ध में केंद्र-शासित क्षेत्रों के लिए कानून बना सकती है।

दिल्ली महानगर परिषद को तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रदेश परिषद को क्रमशः दिल्ली, अन्दमान निकोबार द्वीप समूह से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने और उनके बारे में सिफारिश करने के अधिकार हैं।

क्षेत्रीय परिषदें

राज्य और केंद्र-शासित क्षेत्र (उन्हें छोड़कर जो कि पूर्वोत्तर प्रदेश में हैं) कई क्षेत्रों में बांट दिए गए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था होती है जिसे क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। इस परिषद में उस क्षेत्र के राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों के समान हितों पर विचार-विमर्श का अवसर मिलता है। उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान तथा चण्डीगढ़ और दिल्ली के केन्द्र-शासित क्षेत्र शामिल हैं। मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा गोआ, दमन और दीव एवं दादरा और नागर हवेली केंद्र-शासित क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र में हैं। दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरि केंद्र-शासित क्षेत्र शामिल हैं।

पूर्वोत्तर प्रदेश के लिए क्षेत्रीय परिषद की तरह की ही एक संस्था है जो असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा राज्यों और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम केंद्र-शासित क्षेत्रों के समान हित के मामलों पर विचार करती है। पूर्वोत्तर परिषद जिसकी स्थापना अगस्त, 1972 में की गई थी, कुछ और कार्य भी करती है। वह समान हित के मामलों के बारे में एक एकीकृत तथा समन्वित प्रादेशिक योजना बनाती है (जो राज्य योजनाओं की पूरक होती है)। जो परियोजनाएं या योजनाएं दो से अधिक राज्यों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं,

किया जाना चाहिए, किस प्रकार उनका प्रबन्ध किया जाना चाहिए या उन्हें चालू रखा जाना चाहिए, किस प्रकार उनसे होने वाले फायदों को परस्पर बांटना चाहिए और किस प्रकार खर्च किया जाना चाहिए। परिषद समय-समय पर यह समीक्षा भी करती है कि क्षेत्रीय योजनाओं में सम्मिलित परियोजनाओं और कार्यक्रमों को किस प्रकार लागू किया जा रहा है, और उन्हें लागू करने के मामले में सम्बद्ध राज्यों तथा केंद्र-शासित क्षेत्रों में समन्वय के उपायों की भी सिफारिश करती है। परिषद की बैठक आमतौर पर वर्ष में दो बार होती है।

स्थानीय प्रशासन (नगर निगम)

अधिकांश राज्यों में विधानमण्डलों के विशिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत बड़े नगरों में नगर-निगम स्थापित किए गए हैं। उनके अध्यक्ष महापौर (मेयर) कहलाते हैं जो निर्वाचित होते हैं। नगर के प्रशासन का कार्य निर्वाचित परिषद करती है। निगम के अधिकार तीन प्राधिकरणों के अधीन होते हैं: (1) निगम की सामान्य परिषद, (2) परिषद की स्थायी समितियां, और (3) निगम आयुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। स्थायी समितियां, जो सामान्य परिषद द्वारा निर्वाचित की जाती हैं, प्रशासन का मुख्य कार्य करती हैं जिसमें कराधान और वित्त, बजट तैयार करना, इंजीनियरी निर्माण कार्य, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं। निर्धारित राशियों तक के अनुमान और ठेके स्वीकृत करने का अधिकार तीनों प्राधिकरणों को है। निगम की कार्यपालिका-शक्ति आमतौर पर आयुक्त में निहित होती है, जो विभिन्न संस्थाओं के कर्तव्य निर्धारित करता है और उनके कार्य की देख-रेख करता है। जन-सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा नागरिकों की अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित मामलों के अलावा निगम के कार्यक्षेत्र के अधीन जल पूर्ति, जल निकासी सम्बन्धी निर्माण कार्यों, गलियों और पुलों, मार्गों और उद्यानो तथा मनोरंजन-स्थलों, विक्रय केन्द्रों और बाजारों के रख-रखाव का काम भी आता है। किन्तु शहरी विकास के लिए बनाए गए विशेष अधिकरणों को ये कार्य सौंपने की परम्परा बढ़ रही है। दिसम्बर 1981 में देश में 56 नगर निगम थे। मेयर-इन-कौंसिल प्रणाली करने के लिए कलकत्ता निगम अधिनियम हाल ही में संशोधित किया गया है।

नगर पालिकाएं और परिषदें

अन्य सभी कस्बों और शहरों में नगरपालिकाएं बोर्ड और परिषदें चुनती हैं जो अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती हैं। महाराष्ट्र में सन 1974 में अध्यक्षों का सीधा चुनाव कराने की शुरुआत की गई। नगरपालिका के सब सदस्यों को मिलाकर उसकी आम सभा बनती है, जो नीति सम्बन्धी सभी प्रश्नों और नगर पालिका प्रशासन की महत्वपूर्ण बातों पर विचार करती है और उनके बारे में निर्णय करती है। कर वाले बजट पास करने, व्यय को मतदान द्वारा स्वीकृत करने तथा नियम और विनियम बनाने के अधिकार इस आम सभा में निहित होते हैं। नगरपालिका परिषद का कार्य प्रायः कई समितियों के माध्यम से होता है, जो प्रदत्त अधिकारों से संयुक्त होती हैं तथा परिषद के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं। नगरपालिका के नित्य प्रति के कार्य का संचालन एक कार्यकारी अधिकारी करता है, जो या तो नगरपालिका अधिकारियों के राज्य संवर्ग (काडर) से या राज्य सिविल सेवा से लिया जाता है। कई राज्यों में नगरपालिका परिषदें अब भी कर्मचारियों और कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति खुद करती हैं।

जिलों में स्वायत्त शासन

पंचायती राज प्रणाली जो, 1959 में शुरू की गई, सामान्यतः गांव, खण्ड और जिला स्तरों पर स्थानीय स्वायत्त शासन का त्रिस्तरीय ढांचा है। किन्तु स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार

इस ढांचे में राज्य परिवर्तन कर सकते हैं। सब पंचायती राज निकाय संगठनात्मक रूप से संबद्ध हैं। इन निकायों में पिछड़े वर्गों, महिलाओं और सहकारी समितियों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

ग्राम पंचायतें

ग्रामीणों द्वारा और ग्रामीणों में से ही निर्वाचित पंचों वाली ये पंचायतें कृषि उत्पादन, ग्रामीण उद्योगों, चिकित्सा सहायता, मातृत्व और बाल कल्याण, ग्राम चरागाहों के प्रबन्ध, गांव की सड़कों, गलियों, तालाबों और कुओं के रख-रखाव और सफाई तथा जल-निकासी की व्यवस्था आदि के लिए उत्तरदायी होती हैं। कुछ स्थानों पर पंचायतें प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, गांव सम्बन्धी कागजात के रख-रखाव और भू-राजस्व की उगाही का काम भी करती हैं। अपने लिए धन की व्यवस्था करने के लिए वे मकानों और जमीनों, मेलों और त्योहारों तथा माल की बिक्री पर कर लगाती हैं, चुंगी लगाती हैं और लाभकारी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करती हैं।

ग्रामीणों के लिए शीघ्र और कम खर्च में न्याय की व्यवस्था करने के लिए कुछ राज्यों में न्याय पंचायतें काम कर रही हैं।

छावनी बोर्ड

सशस्त्र सेनाओं के जवानों तथा अधिकारियों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए छावनी अधिनियम, 1924 के अन्तर्गत छावनियों की स्थापना की गई थी। यह अधिनियम छावनियों की असैनिक जनता को नगर पालिका प्रशासन भी प्रदान करता है और उनको छावनी प्रशासन में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी देता है। प्रत्येक छावनी मे निर्वाचित, नामजद और पदेन सदस्यों को मिलाकर बोर्ड का गठन किया जाता है, जो कि सम्बद्ध कमांड के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के प्रशासकीय और वित्तीय नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है। उस क्षेत्र का स्टेशन कमांडर बोर्ड का अध्यक्ष होता है और छावनी का कार्यकारी अधिकारी उसका सचिव होता है। कार्यकारी हिदायतों द्वारा बोर्ड में निर्वाचित और नामांकित सदस्यों में समानता रखने के लिए नामजद सदस्यों का एक स्थान खाली रखा जाता है।

ये छावनियां अपने-अपने क्षेत्र की असैनिक आबादी के अनुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं अर्थात प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। 62 छावनियों मे 30 प्रथम श्रेणी की, 19 द्वितीय श्रेणी की और 13 तृतीय श्रेणी की हैं।

केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से इन छावनी बोर्डों को अपने क्षेत्र में ऐसे कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं जैसे कि पड़ोसी नगरपालिकाओं द्वारा लगाए जाते हैं। परन्तु इस प्रकार वसूल की गई धनराशि अधिकतर बोर्डों के बजट को सन्तुलित रखने के लिये पर्याप्त नहीं होती, अतः उन्हें केन्द्रीय सरकार की अनुदान सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है।

4 रक्षा

भारत की रक्षा नीति उपमहाद्वीप के विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते के द्वारा शान्ति को बढ़ाना और उसे स्थायित्व देना है और साथ ही साथ, आक्रमण के खिलाफ अपने बचाव के लिए रक्षा सेनाओं को सुसज्जित रखना है।

राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं, किन्तु राष्ट्रीय रक्षा का उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का है। रक्षा सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति करती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। रक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए रक्षा मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सेनाओं के प्रशासन और कार्य संचालन का नियंत्रण रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं के मुख्यालय करते हैं। रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए तीनों सेनाओं के मुख्यालयों को नीति संबंधी मामलों पर भारत सरकार के निर्णय भेजने, उनके कार्यान्वयन के लिए तथा रक्षा-व्यय के लिए संसद से वित्तीय स्वीकृति लेने के लिए केन्द्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

संगठन

तीनों सेनाएं अपने-अपने सेनाध्यक्षों के अधीन कार्य करती हैं। 1 मई 1982 को ये सेनाध्यक्ष थे:

थलसेनाध्यक्ष	जनरल के० वी० कृष्णाराव
नौसेनाध्यक्ष	एडमिरल ओ० एस० डासन
वायुसेनाध्यक्ष	एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह

थल सेना

थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए थल-सेना के वाइस चीफ तथा पांच अन्य मुख्य स्टाफ अधिकारी होते हैं—डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ, एडजुटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर-जनरल, मास्टर-जनरल आफ आर्डनेन्स और सेना सचिव तथा एक शाखा के मुख्य अधिकारी अर्थात इंजीनियर-इन-चीफ।

थल सेना पांच कमानों में संगठित है: पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्यवर्ती। प्रत्येक कमान लेफ्टिनेन्ट जनरल पद के 'जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ' के अधीन होती हैं। सभी कमानें क्षेत्रों, स्वतन्त्र उपक्षेत्रों और उप-क्षेत्रों में बंटी होती हैं। क्षेत्र की कमान मेजर जनरल पद के एक जनरल आफिसर कमांडिंग के जिम्मे होती है और स्वतन्त्र उपक्षेत्र तथा उपक्षेत्र की एक ब्रिगेडियर के अधीन होती है

थल सेना कई शाखाओं और सेवाओं में संगठित है। ये हैं, राष्ट्रपति अंगरक्षक दल, बख्तरबन्द कोर, तोपखाना रेजिमेंट, इंजीनियर कोर, सिगनल कोर, इन्फेंट्री, सेना सेवा कोर, सेना नर्सिंग सेवा, सेना मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर, आर्मी आर्डनेन्स कोर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर

कोर, रिमाउंट और वेटरिनरी कोर, मिलिटरी फार्म सेवा, सेना शिक्षा कोर, इंटेलिजेंस कोर, मिलिटरी पुलिस कोर, सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर, पायनियर कोर, सेना डाक सेवा कोर तथा डिफेंस सिक्योरिटी कोर।

सेना के सब पदों की स्वीकृत संख्या 8 लाख से अधिक है।

1 अक्तूबर 1981 से थलसेना में भर्ती की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली में, शारीरिक नाप-जोख तथा डाक्टरी-जांच के निर्धारित मानदंडों पर पूरे उतरने वाले उम्मीदवारो का शक्षिक योग्यता तथा शारीरिक क्षमता का भी परीक्षण होता है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य है भर्ती प्रक्रिया मे से व्यक्तिपरक मूल्यांकन को हटाना तथा थलसेना के आधुनिकीकरण के अनुरूप श्रेष्ठ व्यक्तियों को भर्ती करना।

नौसेना

नौसेना के कार्य संचालन का नियंत्रण, नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय, विभिन्न कमानों के जरिए करता है।

मुख्यालय में नौसेनाध्यक्ष की सहायता चार मुख्य स्टाफ अधिकारी करते है। इनके पदों के नाम हैं—नौसेना के वाइस चीफ, मुख्य कार्मिक अधिकारी, मुख्याधिकारी साज-सामान और नौसेना के डिप्टी चीफ। फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफों के अधीन नौसेना तीन कमानों में संगठित है: पश्चिमी नौसेना कमान, मुख्यालय, बम्बई; पूर्वी नौसेना कमान, मुख्यालय, विशाखापत्तनम और दक्षिणी नौसेना कमान, मुख्यालय, कोच्चिन।

नौसेना में दो बेड़े हैं—पश्चिमी बेड़ा और पूर्वी बेड़ा। इन बेड़ो में वायुयान वाहक आई० एन० एस० विक्रांत, एक विनाशक आई० एन० एस० राजपूत और कई रणपोत (फ्रिगेट) स्क्वाड्रन हैं, जिनमें कुछ आधुनिकतम पनडुब्बीमार और विमानभेदी रणपोत, पनडुब्बीमार गश्ती नौकाएं, बारूदी सुरंगो को साफ करने वाला एक स्क्वाड्रन, पनडुब्बियां, एक पनडुब्बी डिपो जहाज और सतह से सतह पर मार करने वाले नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र वाले तेज जहाज शामिल हैं। नौसेना के पास काफी बड़ा हवाई बेड़ा है जिसमें कई प्रकार के हवाई जहाज तथा हेलिकाप्टर शामिल हैं। इसके अलावा कुछ सर्वेक्षण जहाज, दो फ्लीट टैंकर और अनेक सहायक जहाज भी हैं। नौसेना के सर्वेक्षण एकक भारतीय तट का और बन्दरगाहों को जाने वाले मार्गों का सर्वेक्षण करते हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपो की सुरक्षा के लिए 'नौसेना संगठन' पोर्ट ब्लेयर में काम कर रहा है। इस वर्ष नौसेना ने समुद्री-गश्त का काम वायुसेना से अपने हाथ में ले लिया है और कुछ समुद्री-गश्त हवाई जहाज भी प्राप्त किए है।

विशाखापत्तनम मे नेवल डाकयार्ड, जो एशिया की विशालतम जहाज गोदियों मे से एक है, अब पूरी तरह चालू है और उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि उसमे सभी श्रेणियो के जहाज तथा पनडुब्बिया आ जा सकें। बम्बई के नेवल डाकयार्ड में भी आधुनिकीकरण तथा विस्तार कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रगति पर है। 1964 से भारतीय नौसेना के जहाज तथा छोटे जलयान देश में ही बन रहे हैं। लिएन्डर श्रेणी के छः फ्रिगेट नौपोत बनाने का कार्यक्रम 1981 में पूरा हो गया जबकि "आई. एन० एस. विंध्या गिरि" नौसेना के जहाजी बेड़े में सम्मिलित हो गया। गोदावरी श्रेणी के नौपोत का

डिजाइन भारतीय नौसेना डिजाइन संगठन ने तैयार किया था। इस श्रेणी के दो जहाजों में से एक का मझगांव गोदी, बम्बई में जलावतरण किया गया है।

समुद्री संपदा के दोहन में बढ़ती दिलचस्पी और व्यापारी जहाजी बेड़े तथा मत्स्य जलयानों के बेड़े के सतत विकास के कारण भारतीय नौ सेना के दायित्व बहुत बढ़ गए हैं। हिन्द महासागर तथा पड़ोसी देशों में हाल ही की गतिविधियों ने भी नई चुनौतियां पेश की हैं। इन सब को देखते हुए भारतीय नौ सेना की योजनाओं में तटीय रक्षा, समुद्र की सतह पर कार्यवाही और जलगर्भी कार्यवाही की क्षमताएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

तट रक्षक

तट रक्षक संगठन का गठन 1978 में किया गया। उद्देश्य था, भारत के समुद्री तट की और भारत के आर्थिक एकाधिकार वाले सागर क्षेत्र की संपदा की रक्षा। 1979 से 1984 तक के लिए पंचवर्षीय तट रक्षक विकास योजना बनाई गयी है जिस पर एक अरब रुपये खर्च होंगे। इस योजना के अन्तर्गत बन्दरगाहों में, तट पर तथा सागर में गश्त करने वाले जलयान, विमान तथा हेलिकोप्टर बढ़ाए जाएंगे। हवाई निगरानी के लिए एक तट रक्षक हेलिकोप्टर टुकड़ी भी बनाई गयी है।

तट रक्षक संगठन के क्रमिक विकास के सिलसिले में हल्दिया में जून 1981 में एक मुख्यालय-एवं-केन्द्र की स्थापना की गई। शीघ्र ही कैम्पबेल-खाड़ी तथा पोरबन्दर में दो और जिला मुख्यालय-एवं-केन्द्रों की स्थापना होगी।

वायु सेना

भारतीय वायु सेना की छः कमानें ये हैं :—

पश्चिमी वायु कमान, दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान, मध्य वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान, और रख-रखाव कमान।

वायु सेना मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायु सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए पांच मुख्य स्टाफ अधिकारी हैं—वायुसेना के वाइस चीफ, वायुसेना के डिप्टी चीफ, एयर आफिसर-इंचार्ज प्रशासन, एयर आफिसर-इंचार्ज रख-रखाव और एयर आफीसर इन्चार्ज कार्मिक। इनमें से प्रत्येक के नियंत्रण में कई निदेशालय हैं।

हवाई बेड़े में 45 स्क्वाड्रन हैं। इनमें कई प्रकार के लड़ाकू विमान, लड़ाकू-बमवर्षक, लड़ाकू-अवरोधक, बमवर्षक, परिवहन तथा प्रक्षयवाहिकी विमान हैं। लड़ाकू विमानों में एस० यू०-7, हंटर, नैट, अजीत, मिग-21, मिग-23, जगुआर्स तथा एच० एफ०-24 शामिल हैं। बमवर्षक बेड़ा कैनबरा विमानों का है। एक नया युद्धक विमान 'जगुआर' हवाई बेड़े में शामिल किया गया है। यह हंटर और कैनबरा का स्थान लेगा। हवाई परिवहन बेड़े में ए० एन०-12, डकोटा, फेयर चाइल्ड पैकेट, कैरिबू, ओटर, टी० यू०—124 और देश में बने एच० एस०-748 और हाल ही में प्राप्त बोइंग 757 विमान हैं। एम० आई०-4 और एम० आई०-8 और देश में बने चीता और चेतक हेलिकाप्टरों का प्रयोग हो रहा है। पोलैंड से खरीदे गए इस्क्रा तथा देश में ही बने बुनियादी प्रशिक्षणयान एच० टी० 2, एच० जे० टी० - 16 (किरण) जेट ट्रेनर और एच० एस०-748 परिवहन प्रशिक्षण विमानों का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है।

रूसी सुपरसानिक युद्ध लड़ाकू-बम वर्षक विमान मिग-23 का भारतीय वायुसेना में आगमन जनवरी, 1981 में हुआ और अब यह पूर्णतः संक्रियात्मक विमान है। सरकार ने फ्रांस से मिराज-2000, जो वर्तमान दशक का युद्धक विमान है, लेने का भी निर्णय लिया है। हमें यह स्वतन्त्रता होगी कि देश में ही यह विमान, इसके इंजन तथा अन्य उपकरणों का निर्माण कर सकें। यह भी निर्णय हुआ है कि कुछ वर्षों में ही वायुसेना में सबसानिक लड़ाकू विमानों के स्थान पर सुपरसानिक विमान लाए जाएं।

भारतीय वायुसेना का शुभारम्भ चार वेस्टलैंड वपीति विमानों के साथ 1932 में कराची मे हुआ था। 1982 में इसने अपनी स्वर्ण जयन्ती मनाई। अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए इसने अनेक आधुनिक शस्त्र हासिल किए हैं। जब दूर तक दिखाई न दे, ऐसे मौसम में भी विमानों के सकुशल अवतरण के लिए कई हवाई अड्डों पर, 'ग्राउन्डकन्ट्रोल एप्रोच सिस्टम्स' लगाए जा रहे हैं। वायुसेना अपने संचार साधनों तथा दिशा-निर्देश उपकरणों को भी अद्यतन कर रही है। परिवहन तथा बहु-इंजन विमानों को आधुनिक 'ऐवियोनिक सिस्टम' से युक्त किया जा रहा है ताकि उड़ान सुरक्षित रहे; शनैः शनैः पुराने 'ऐवियोनिक सिस्टम' हटाए जा रहे हैं। रेडार तन्त्र का भी आधुनिकीकरण हो रहा है।

राजादिष्ट पद

तीनों सेनाओं के राजादिष्ट पद नीचे दिए गए हैं। हर सेना का पद अन्य सेनाओं में अपने समकक्ष पद के सामने दिया गया है।

थलसेना	नौसेना	वायुसेना
जनरल	एडमिरल	एयर चीफ मार्शल
लेफ्टिनेंट-जनरल	वाइस-एडमिरल	एयर मार्शल
मेजर-जनरल	रियर एडमिरल	एयर वाइस-मार्शल
ब्रिगेडियर	कोमोडोर	एयर कोमोडोर
कर्नल	कैप्टन	ग्रुप कैप्टन
लेफ्टिनेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर
मेजर	लेफ्टिनेंट कमांडर	स्क्वाड्रन लीडर
कैप्टन	लेफ्टिनेंट	फ्लाइट लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट	सब-लेफ्टिनेंट	फ्लाइंग आफिसर
सेकंड लेफ्टिनेंट	एक्टिंग सब-लेफ्टिनेंट	पाइलट आफिसर

प्रशिक्षण संस्थाएं

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में सेना की तीनों शाखाओं के प्रशिक्षणार्थियों के लिए तीन वर्ष के मिले-जुले बुनियादी सेना प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम की व्यवस्था है जिसके बाद सैन्य शिक्षार्थी अपनी-अपनी सेना के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कैडेटों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर की शिक्षा भी दी जाती

है ।अकादमी में प्रवेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा देश के विभिन्न केन्द्रों पर वर्ष में दो बार होने वाली लिखित योग्यता परीक्षा और उसके बाद सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड के द्वारा साक्षात्कार के आधार पर होते हैं । हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा पास लड़के, जो उस महीने की पहली तारीख को जिसमें पाठ्यक्रम शुरू होता है, 16 से 18-1/2 वर्ष के हों, अकादमी में प्रवेश पा सकते हैं । कैडेट अविवाहित हों और अकादमी में पूरे प्रशिक्षण के दौरान ऐसे ही रहने चाहिएं ।

रक्षा सेवा स्टाफ कालेज

वेलिंगटन स्थित रक्षा स्टाफ कालेज में प्रति वर्ष सेना की तीनों शाखाओं के सेवाधीन लगभग 300 अधिकारियों को अपनी-अपनी शाखाओं में स्टाफ नियुक्तियों के लिए और अन्तर-सेवा मुख्यालयों में नियुक्तियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है । इनमें 26 विदेशी अधिकारी और 4 असैनिक अधिकारी होते हैं ।

राष्ट्रीय रक्षा कालेज

नई दिल्ली का राष्ट्रीय रक्षा कालेज सेना की तीनों शाखाओं और केन्द्रीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण स्तरों पर राष्ट्र के सुरक्षा संबंधी राजनैतिक-सैनिक विषयों में प्रशिक्षण देता है । इनमें कुछ विदेशी तथा वरिष्ठ गैर-सैनिक अधिकारी भी होते हैं ।

सेना चिकित्सा कालेज

सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे में नर्सिंग का डिग्री पाठ्यक्रम तथा एम० बी० बी० एस० कोर्स चलाया जाता है । अपने-अपने विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने के योग्य बनाने तथा पुणे विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा डिग्री परीक्षाओं में बैठने के योग्य बनाने के लिए चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में 96 सप्ताह की अवधि के उच्च पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं । दन्त चिकित्सा में भी लम्बी अवधि के पाठ्यक्रम हैं जिससे आगे चलकर बम्बई विश्वविद्यालय की एम० डी० एस० डिग्री मिलती है ।

थल सेना कालेज तथा विद्यालय

देहरादून स्थित भारतीय सेना अकादमी थल सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रमुख केन्द्र है । कमीशन-प्राप्त करने से पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी यहां एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । उच्चतर आयु वर्ग के अन्य प्रशिक्षणार्थी वे हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्नातक कैडेट होते हैं तथा सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाते हैं । अकादमी में तकनीकी ग्रुपों में विशिष्ट कमीशन प्राप्ति के लिए चुने गए अन्य स्नातक एक वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । सेना के नियमित या प्रादेशिक सेना के जूनियर कमीशन प्राप्त और बिना-कमीशन वाले अधिकारी, जिन्होंने सेना कैडेट कालेज में तीन वर्ष का प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है, अकादमी में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । इस प्रशिक्षण को पूरा करने के पश्चात इनको सेना में कमीशन देकर अधिकारी बना दिया जाता है । इन अधिकारियों को अफसर जैसे गुणों और सामान्य शिक्षा के आधार पर चुना जाता है ।

महू स्थित युद्ध कला (समाघात) कालेज उच्च कमान पाठ्यक्रम, वरिष्ठ कमान

पाठ्यक्रम और कनिष्ठ कमान पाठ्यक्रम चलाता है। सैनिक इंजीनियरी कालेज, खड़की, अधिकारियों तथा अन्य सैनिकों को सैनिक इंजीनियरी के सब पहलुओं का प्रशिक्षण देता है। अधिकारियों को स्नातक स्तर का प्रशिक्षण देने के लिए दो वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। महू स्थित सैन्य दूरसंचार इंजीनियरी कालेज दूरसंचार और सिगनल तकनीक में प्रारम्भिक और उच्च प्रशिक्षण देता है। अहमदनगर स्थित बख्तरबंद कोर केन्द्र तथा विद्यालय बख्तरबंद युद्ध वाहनों के कुशल नियंत्रण और चालन तथा रख-रखाव का प्रशिक्षण देता है। देवलाली स्थित तोपखाना विद्यालय जमीन और वायु रक्षण तोपखाने का प्रशिक्षण देता है। महू तथा बेलगांव स्थित पैदल सेना विद्यालय (इन्फेन्ट्री स्कूल) अधिकारियों और जवानों के लिए पाठ्यक्रम चलाते हैं। जबलपुर स्थित सेना आयुध कोर विद्यालय आयुध डिपो में रखे जाने वाले गोला-बारूद और विस्फोटकों सहित सभी पदार्थों को पहचानने तथा सुरक्षित रखने का विशिष्ट सैन्य प्रशिक्षण देता है।

सिकन्दराबाद में रक्षा प्रबन्ध संस्थान सैनिक और सिविल अधिकारियों को आधुनिक रक्षा प्रबन्ध तकनीक में प्रशिक्षण देता है।

अन्य सैन्य प्रशिक्षण केन्द्रों और स्कूलों में से कुछ ये हैं : उच्च स्थलीय युद्ध कला विद्यालय, गुलमर्ग; सेना सेवा कोर स्कूल, बरेली; ई० एम० ई० स्कूल, बड़ोदरा; सैनिक इलेक्ट्रानिक्स और यंत्र इंजीनियरी कालेज, सिकन्दराबाद और रिमाउंट वेटरिनरी कोर केन्द्र तथा स्कूल, मेरठ; सैनिक शिक्षा कोर प्रशिक्षण कालेज और केन्द्र, पंचमढ़ी; खुफिया प्रशिक्षण स्कूल और डिपो, पुणे; सैन्य पुलिस कोर केन्द्र और स्कूल, बंगलौर; सैनिक शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल, पुणे; सैनिक वायु परिवहन सहायता स्कूल, आगरा और सैनिक लिपिक प्रशिक्षण स्कूल, औरंगाबाद।

नौ सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

नौसेना के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र कोच्चिन में स्थित है जो तोपचालन, नौसंचालन, पनडुब्बी विध्वंस, पनडुब्बी-रोधन, संचार और उड्डयन का प्रशिक्षण देता है।

लोनावला (महाराष्ट्र) स्थित आई० एन० एस० शिवाजी में मैकेनिकल इंजीनियरों तथा कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नौसेना के जूनियर इंजीनियर और बिजली शाखा अधिकारी, लोनावला स्थित कालेज में प्रशिक्षण लेते हैं।

आई० एन० एस० वालसुरा, जामनगर बिजली शाखा के अफसरों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है। अधिकतर जहाजों में अब अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरण लगे हुए है, और प्रशिक्षण को नौसेना की वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बनाया गया है।

नौसेना में भर्ती होने वाले नए रंगरूटों को भुवनेश्वर के पास स्थित आई० एन० एस० चिलका में प्रशिक्षण दिया जाता है। वे प्रशिक्षण पूरा करने पर नाविक बनते हैं। समुद्री प्रशिक्षण दो जहाजी बेड़ों द्वारा दिया जाता है। पूर्ति तथा सचिवालय शाखा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बम्बई स्थित आई० एन० एस० हमला, मलाड में प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रशिक्षण की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कोच्चिन में एक नौसेना अकादमी स्थापित की गई है। गोआ में डवोलिम में एक नाविक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोला जा चुका है। अधिकारियों और नाविकों को समुद्री प्रशिक्षण देने के लिए पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन बना दिया गया है।

वायु सेना प्रशिक्षण संस्थान

शिक्षार्थी विमान चालकों को बुनियादी उड्डयन प्रशिक्षण बिदर (आन्ध्र प्रदेश) के प्राथमिक उड्डयन स्कूल में दिया जाता है, और आगे का प्रशिक्षण हैदराबाद की एयर फोर्स अकादमी या हाकिमपेट के फाइटर ट्रेनिंग विंग में (अन्य कोर्स के लिए) दिया जाता है। पायलट प्रशिक्षार्थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी से नहीं आते, जैसे भूतपूर्व वायु सैनिक तथा नेशनल कैडेट कोर के सदस्य, वे उड्डयन प्रशिक्षण शुरू करने से पहले कोयमुत्तूर के वायु सेना प्रशासकीय कालेज में पाठ्यक्रम-पूर्व प्रशिक्षण पाते हैं। उच्च कोर्स के पूरा करने पर विंग और कमीशन दिए जाते हैं। उसके बाद ये प्रशिक्षार्थी आफिसर तीन विभिन्न शाखाओं में लड़ाकू विमान उड्डयन प्रशिक्षण के लिए वायु सेना अकादमी, हैदराबाद के लड़ाकू या हाकिमपेट के लड़ाकू प्रशिक्षण विंग (वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए) में, यल्लाहंका के परिवहन प्रशिक्षण विंग में और हाकिमपेट के हेलिकाप्टर प्रशिक्षण स्कूल में भेजे जाते हैं। प्रारम्भिक और उच्च विमान चालन प्रशिक्षण तथा वायु-सेना सिगनल प्रशिक्षण हैदराबाद के नेविगेशन तथा सिगनल स्कूल में दिया जाता है। वायु-सेना के (गैर-तकनीकी) स्थलीय अधिकारियों तथा प्रादेशिक सेना के अधिकारियों को हैदराबाद की वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। वरिष्ठ गैर-कमीशन अधिकारियों को अपनी-अपनी स्थल-ड्यूटी शाखाओं में कमीशन प्राप्ति के लिए वायु-सेना प्रशासकीय कालेज में संक्षिप्त कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। उड्डयन प्रशिक्षकों को उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल, ताम्बरम में प्रशिक्षण दिया जाता है। सिकन्दराबाद का हवाई युद्ध संबंधी कालेज, उच्च संयुक्त सेवा और हवाई युद्ध अध्ययन पाठ्यक्रम चलाता है।

वायु सेना प्रशासनिक कालेज, कोयमुत्तूर, जमीन पर काम करने वाले गैर-तकनीकी अधिकारियों के लिए उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम तथा सब शाखाओं के लिए कनिष्ठ कमाण्डर पाठ्यक्रम चलाता है। तकनीकी अधिकारी, वायु सेना तकनीकी कालेज, जलहल्लि में प्रशिक्षण पाते हैं। बेलगांव के निकट साम्ब्रा में एक स्कूल वायु सैनिकों को, लेखा, उपकरण, सामान्य दफ्तर कार्य, ड्रिल और खान-पान प्रबन्ध में प्रशिक्षित करता है। अफसरों और हवाई कर्मचारियों को शारीरिक शिक्षा एवं खेल-कूद में प्रशिक्षण देने के लिए भी साम्ब्रा में एक केन्द्र कार्य कर रहा है।

जलहल्लि के संस्थान वायु सैनिकों को राडार, रेडियो, बिजली उपकरणों एवं फोटो, मौसम विज्ञान, विमान क्षेत्र की सुरक्षा, वाहन चालन और पुलिस कार्यों का प्रशिक्षण देते हैं। ताम्बरम स्थित दूसरा संस्थान हवाई प्रशिक्षकों को विमान-ढांचा, इंजन, हथियारबंदी, सुरक्षा उपकरणों का प्रशिक्षण देता है। मोटर मैकेनिकी जैसे वर्कशाप-व्यवसायों का प्रशिक्षण आवड़ी स्थित स्थलीय प्रशिक्षण स्कूल देता है। थल सेना की छाता सैनिक टुकड़ियों को छाता सैनिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाता है। बड़ौदा एवं बैरकपुर स्थित स्थलीय प्रशिक्षण संस्थान सैनिकों

को नीचे से ऊपर जाने वाले प्रक्षेपास्त्र और उससे सम्बन्धित उपकरणों का प्रयोग करने के लिए तैयार करते हैं ।

चिकित्सा और विमानकर्मी दल के अधिकारी उड्डयन चिकित्सा संस्थान, बंगलौर में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ।

राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालेज

पब्लिक स्कूलों की तरह चल रहा राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालेज, देहरादून, सेना में नौकरी के इच्छुक शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करता है ।

सैनिक विद्यालय

राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालेज की तरह 18 सैनिक स्कूल 10 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करते हैं । अब इनकी छात्र संख्या 9,000 है ।

सप्लाई, उत्पादन और अनुसंधान

सेनाओं के लिए आवश्यक रक्षा सामग्री के काफी भाग का अब देश में विकास और उत्पादन हो रहा है । इसका उत्तरदायित्व रक्षा मन्त्रालय के दो विभागों— रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा आपूर्ति विभाग पर है । रक्षा उत्पादन विभाग सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरणों के उत्पादन का संगठन, निर्देशन और समन्वय कार्य करता है । यह अपना कार्य तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय, आयुध कारखानों, निरीक्षण, मानकीकरण, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और सरकारी क्षेत्र के नौ अन्य प्रतिष्ठानों के माध्यम से करता है ।

आयुध कारखाने

रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन 33 आयुध कारखाने हैं जो देश भर में फैले हुए हैं । इनमें से 2 कारखाने निर्माणाधीन हैं । इन कारखानों में अनेक प्रकार के शस्त्र, उपकरण, हिस्से-पुर्जे आदि बनते हैं— जैसे, टैंक, अद्यतन हवामार तोपें तथा पृथ्वी पर गोलाबारी करने वाली तोपें, रायफलें, गोला-बारूद, बम, राकेट, कई प्रकार की मोटर गाड़ियां, पुल-विस्फोटक, प्रोपैलेन्ट, औजार, वर्दी, पैराशूट तथा चमड़े की चीजें ।

इन कारखानों में 1970-71 में 168 करोड़ रुपये के समग्र मूल का उत्पादन हुआ था जो बढते-बढते 1979-80 में 600 करोड़ रु० का हो गया और जिसमें आगे 12½% वृद्धि हो कर 1980-81 में 675 करोड़ रु० हो गया । इसी प्रकार उत्पादन का शुद्ध मूल्य भी 1979-80 में 443 करोड़ रु० से बढकर 1980-81 में 515 करोड़ रु० हो गया यानी 16.3 प्रतिशत बढ़ा । उत्पादकता में सतत सुधार तथा संसाधनों के बेहतर उपयोग पर अधिक बल दिया गया है ।

छोटे तथा मंझले शस्त्रास्त्र तथा गोलाबारूद के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली गई है । इन में से अधिकतर का उत्पादन भारतीय प्रयास से होता है और केवल 10 प्रतिशत आयातित कच्चा माल लगता है ।

वर्ष 1981 मे, कई प्रकार के नए तथा अति-परिष्कृत शस्त्र, गोलाबारूद, आदि तैयार किए गए और सेनाओं को दिए गए जैसे 9 एम एम आटो पिस्टल बम, 120 एम एम, पी डब्ल पी कारतूस, 75/24 बी ई स्मोक, 8. 5 पौंड का फ्लोट स्मोक

एंड फ्लेम, 130 एम एम स्पेयर बैरल गोले तथा कारतूस, 105 एम एम, आई एफ जी हेश, 84 एम एम राकेट लान्चर के लिए लाइटिंग उपकरणों का एक नया क्रम।

नई उत्पादन क्षमता की स्थापना के अतिरिक्त, वर्तमान संयंत्र तथा मशीनों के आधुनिकीकरण तथा वर्तमान तकनीकों को अद्यतन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 31 परियोजनाओं पर काम हो रहा है जिस पर 371 करोड़ रुपये परिव्यय होगा। इन में से 193 करोड़ रु. परिव्यय की 18 परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। इन मे निम्न परियोजनाएं शामिल हैं : प्रोपेलेन्ट के निर्माण के लिए रसायनी कारखाने, तोपों के बैरल, परिष्कृत मार्टर, गोले तथा राकेट, कवचित गाड़ियां बनाने के कारखाने, तथा मिसाइलों के लिए तरल ईंधन।

आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन के क्षेत्र में तो लगातार प्रगति हो रही है, साथ ही अनेक ऐसे अत्याधुनिक उपकरण व वस्तुएं, जिन्हें अब तक बाहरी देशों से मंगाया जाता रहा है, देश में ही निर्मित होने लगी हैं। भारी तोपों में काम आने वाले आधुनिक बारूद का पहली बार भारी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है तथा प्रकाशयुक्त बारूद बनाने वाला एक कारखाना तैयार हो चुका है। थल सेना के लिए एक नए प्रकार की दूरबीनों का निर्माण भी शुरू हो गया है। साथ ही आयुध कारखानों में भी आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूरा हो चुका है। इस कार्यक्रम में भारी तोपों को संचालित करने वाले प्रोपेलेन्ट्स के उत्पादन से सम्बन्धित अत्याधुनिक तकनीकों का भी समावेश है।

आयुध कारखाने भारत में और विदेशों में उत्पादन शुरू करने और प्रशिक्षण में निजी कम्पनियों को भी मदद दे रहे हैं। आजकल ये कारखाने एक मिस्र देश में एक रक्षा उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने में जुटे हुए हैं।

सरकारी क्षेत्र में रक्षा उद्यम

रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत 9 सरकारी प्रतिष्ठानों में उत्पादन शुरू हो गया है। 30 सितम्बर, 1981 तक इसमें लगभग 96,864 व्यक्ति काम कर रहे थे। रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उत्पादन कर ये प्रतिष्ठान इस दिशा में देश को आत्मनिर्भर बनाने में ठोस योगदान दे रहे हैं। 1981-82 में इन प्रतिष्ठानों में 776.42 करोड़ रु० कीमत की वस्तुओं का उत्पादन हुआ। इसी अवधि में इन प्रतिष्ठानों में निवेश 363 से बढ़कर 443.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

अनेक वस्तुओं का देश में ही उत्पादन होने के कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को काफी प्रोत्साहन मिला है। निम्न क्षेत्रों में तो इसका प्रभाव पड़ा ही है—अनेक प्रकार के आधुनिक वायुयान, इलेक्ट्रानिक्स, संचार उपस्कर, राडार और अच्छी किस्म के कलपुर्जे, युद्धपोत व व्यापारी जहाज, ड्रेजर, टगों और भारी सामान वाहक, जलयानों के डीजल से चलने वाले इंजिन, समुद्री जहाजों के लिए डेक मशीनरी, विभिन्न प्रकार के मिट्टी हटाने वाले उपस्कर, टैंक-भेदक प्रक्षेपास्त्र और मशीनों में काम आने वाले औजार।

इन नौ उद्यमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

1964 में स्थापित हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० के 11 कारखाने छः राज्यों मे स्थित हैं। इनमे से पश्चिम बंगाल में बैरकपुर के कारखाने को शामिल कर छः कारखाने एच० ए० एल० के बंगलौर समूह के हैं। कोरापुट और नासिक

के दो कारखाने मिग समूह में हैं। लखनऊ और हैदराबाद के कारखाने सहायक कल पुर्जे बनाते हैं तथा कानपुर स्थित एक कारखाना एच० एस०-748 मालवाहक विमान तथा बसन्त कृषि विमान बनाता है। इस विमान का निर्माण कीड़े मारने की दवाएं छिड़कने और उर्वरक छिड़कने के लिए किया गया है। इनके अतिरिक्त एच० ए० एल० कारखाना नट लड़ाकू विमान की सुधरी किस्म अजीत, जैट ट्रेनर किरण, ट्रेनर एच० पी० टी०-32, सुपरसानिक जैट अवरोधक, मिग-21 एम, एलुयत III हेलिकाप्टर, चेतक व एक हल्का हेलिकाप्टर 'चीता' बना रहा है। पहले जिन वस्तुओं का आयात किया जाता था, उनमें से 2,500 वस्तुएं कम्पनी में ही बनने लगी हैं। जगुआर इन्टरनेशनल एयरक्राफ्ट के इंजिन और ढांचे को बनाने का काम भी इसी कम्पनी को सौंपा गया है। 1979 में इस दिशा में प्रारंभिक कार्यवाही भी शुरू हुई। मार्च 1982 में देश में जोड़े गए जगुआर को सफलतापूर्वक परीक्षण के तौर पर उड़ाया गया।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के बंगलौर, गाजियाबाद और पुणे में तीन कारखाने हैं। इसके बंगलौर कारखाने में, जिसने 1956 में मात्र दो इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया था, लघु ट्रांसमीटरों से लेकर अत्याधुनिक राडार जैसी विभिन्न चीजों का उत्पादन होने लगा है। इस कारखाने में निर्मित इलेक्ट्रानिक कल-पुर्जे हैं:—रेडियो और टेलिविजन वाल्व, जर्मेनियम तथा सिलिकोन ट्राजिस्टर तथा डायोड, एक्स-रे ट्यूबें तथा टी० वी० चित्र ट्यूबें। 1973 में स्थापित गाजियाबाद कारखाना हवाई सुरक्षा सम्बन्धी थल पर्यावरण व्यवस्था के इलेक्ट्रानिक उपस्कर तथा राज्य सरकारों और केन्द्र के विभिन्न विभागों के लिए माइक्रोवेव संचार यन्त्र बनाता है। भारत इलेक्ट्रानिक्स का तीसरा कारखाना, जिसे पुणे में खोला गया है, रात्रि में देख सकने वाले इलेक्ट्रानिकी उपकरणों के उपस्करों का निर्माण करता है।

बम्बई में मझगांव डाक, गोआ में गोआ शिपयार्ड तथा कलकत्ता में गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स—ये तीन कम्पनियां जहाजों, कर्षक जलयानों, बजरों, आदि का निर्माण तथा मरम्मत करती हैं। मझगांव डाक में नौ सेना के लिए लिएन्डर श्रेणी का छठा फ्रिगेट पूरा हो चुका है और भारतीय डिजाइन के गोदावरी श्रेणी के पहले फ्रिगेट का 15 मई 1980 को जलावतरण किया गया। मझगांव डाक की विस्तार परियोजना के अन्तर्गत दो नई जहाज निर्माण गोदियां बनी हैं और एक जलीय गोदी निर्मित हुई है जिसमें मंझले आकार के चार जहाज एक साथ खड़े हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आधुनिक मशीनों से युक्त नई उत्पादन तथा तत्सम्बन्धी कार्यशालाएं भी तैयार कर ली गई हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए स्थिर सागरीय प्लेटफार्मों के निर्माण के क्षेत्र में कम्पनी ने अपने उत्पादन की विविधता बढ़ाई है। मझगांव डाक में अब प्रतिमास 60 जहाजों की मरम्मत उनकी समुद्री यात्रा के दौरान हो सकती है। इस कम्पनी ने 1980-81 में 3.25 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की और यमन में अदन बन्दरगाह के लिए अनेक टग, लांच तथा 150 डी डब्लू टी बार्ज बनाने का ठेका ले लिया है।

कलकत्ता के खिदरपुर-स्थित गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स

(जी आर एस ई) में 26,000 डी डब्लू टी तक के सागरगामी मालवाही जहाज, विशाल कर्षक जहाज तथा अन्य बन्दरगाही जलयान बनते हैं, जैसे टग, बार्ज आदि। इसके अतिरिक्त, यह कम्पनी भारतीय नौसेना के लिए सामरिक नौकाएं तथा सर्वेक्षण जलयान भी बनाती है। सीमा शुल्क विभाग के लिए गश्ती नौकाएं भी यहां बनती हैं। मुगल लाइन्स लि० के लिए बनने वाले विशाल मालवाही जहाजों में से पहला जहाज 'लोक प्रीति' दिसम्बर 1981 में मुगल लाइन्स को सौंपा गया। दूसरे जहाज का जलावतरण हुआ और तीसरे की नीव डाली गई। वर्ष 1980-81 में गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इन्जीनियर्स ने सर्वेक्षण पोत 'सांध्यक' बना कर नौसेना के हवाले कर दिया तथा तट रक्षक संगठन को एक सागरीय रक्षा नौका बना कर दी। वर्ष के दौरान इस कम्पनी ने क्रमशः 913.91 लाख रु० तथा 1517.45 लाख रु० का रक्षा उत्पादन तथा बिक्री की। गोआ शिपयार्ड लि० में अब 1000 डी डब्लू टी तक के बार्ज, छोटे कर्षक जलयान, मछली पकड़ने के जलयान, टग तथा अन्य बन्दरगाही जलयान तैयार करने की क्षमता है। इस कारखाने ने प्रथम "लैन्डिंग क्राफट यूटीलिटी" बना कर जनवरी 1980 में भारतीय नौसेना को दे दी और प्रथम खोजक जलयान बना कर मार्च 1980 में कृषि मंत्रालय को दे दिया।

भारत डायनामिक्स लि० हैदराबाद की स्थापना 1970 में हुई जिसका उद्देश्य टैंक-मारक मिसाइल बनाना था। विदेशी सहयोग से इस कम्पनी ने 1971 में उत्पादन प्रारम्भ किया। तब से स्वदेशीकरण के प्रयास चलते रहे और अब मिसाइल बनाने में 72 प्रतिशत तथा उसके युद्धाग्र में 82 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त, यह उत्पादन में विविधता लाने के प्रयास कर रही है। इस कम्पनी ने मिनी कम्प्यूटर के प्रोटोटाइप बनाने का काम भी हाथ में लिया है।

भारत अर्थमूवर्स लि० बंगलौर हिस्से-पुर्जे औजार तथा लघु उपकरण बनाने के आर्डर देकर लघु उद्योगों की अधिकतम सहायता करता है। सहायता करने के अन्य रूप हैं—कच्चा माल, औजार आदि उपलब्ध करना, निरीक्षण तथा परीक्षण की सुविधाएं देना और आवश्यकता के अनुसार तकनीकी मार्गदर्शन करना। 1980-81 में भारत अर्थमूवर्स लि० ने 354.29 लाख रुपये मूल्य का माल लघु उद्योगों से खरीदा। वर्ष के दौरान कम्पनी भूटान, बुलगारिया, बर्मा तथा श्रीलंका को 1.98 लाख रु० के मूल्य के मिट्टी काटने-हटाने के उपकरणों, रेलडिब्बों तथा हिस्से-पुर्जों का निर्यात किया। 1981-82 में लगभग 500 लाख रु० का निर्यात होने की आशा है।

प्राग टूल्स हैदराबाद में बर्मे, कटर, ग्राइन्डर, सर्फेस ग्राइंडर मिलिंग मशीनें, मशीनी औजारों के हिस्से-पुर्जे, आटो-डीजल पुर्जे और असैनिक उद्योगों तथा रेलों के लिए ढलाई-जुड़ाई का समान बनता है। 1980-81 में असैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन 7.18 करोड़ रु० तक पहुंच गया, यानी पिछले साल से 44 लाख रु० अधिक। जी एफ केरिज तथा इनफीड अटैचमैन्ट के उत्पादन भारतीय कच्चे माल का प्रतिशत काफी बढ़ा है। 1980-81 में कम्पनी ने 9.48 लाख रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

मिश्र धातु निगम हैदराबाद का गठन 1973 में किया गया। उद्देश्य था, अनेक प्रकार की प्रतिपरिष्कृत तथा सामरिक महत्व की विशेष धातुओं के विविध आकारों में उत्पादन की क्षमता भारत में स्थापित करना। इन धातुओं की अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों में आवश्यकता थी, जैसे बिजली उत्पादन, आणविक ऊर्जा, वैमानिकी, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिक्स, रसायनिक इंजीनियरी तथा औजार उद्योग। 1979-80 में कम्पनी में आजमायशी उत्पादन शुरु हुआ। वर्ष 1980-81 में इस कम्पनी ने 342 टन का वजन का उत्पादित सामान अपने ग्राहकों को दिया जो रु० 160 लाख मूल्य का था।

अनुसंधान और विकास

7 मई, 1980 से रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत अनुसंधान और विकास विभाग (डी० आर० डी०ओ०) की स्थापना की गई है। यह विभाग रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा रक्षा अनुसंधान व विकास के सचिव के अधीन कार्य करता है और रक्षा मंत्री, तीन रक्षा, सेवाओं तथा इन सेवाओं के अन्तर्गत अन्य संगठनों को सैनिक अभियानों में काम आने वाले उपस्करों व युद्ध-विज्ञान के वैज्ञानिक पहलुओं पर सलाह देता है। इसके साथ ही अस्त्र-शस्त्रों, विस्फोटों, इलैक्ट्रानिकी, इंजीनियरी, राकेट व प्रक्षेपास्त्र, गाड़ियों, वैमानिक अग्नि-अनुसंधान, नौसैनिक प्रौद्योगिकी, अन्न, कृषि और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए, इस पर यह विभाग एक रूपरेखा तैयार करता है तथा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और उसकी प्रयोगशालाओं का प्रशासनिक कार्य देखता है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी० आर० डी० ओ०) 1958 में स्थापित किया गया था जिसका मुख्य दायित्व सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकतानुसार आयुध प्रणाली और उपकरणों का डिजाइन और विकास, देश में ही इनके उत्पादन में सहायता देना तथा सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों को वैज्ञानिक सलाह देना था।

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक सेना 1949 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश के नागरिकों को अवकाश के समय सैन्य प्रशिक्षण पाने और संकटकाल में नियमित सशस्त्र सेना की टुकड़ियां भेजकर देश सेवा करने का अवसर देना है। यह नागरिकों का स्वैच्छिक दल है और इसमें पैदल सेना, इंजीनियरी और चिकित्सा इकाइयां हैं। इसके लिए सिवाय भारत सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के, भारत के बाहर सैन्य सेवा करना जरूरी नहीं।

आवश्यक योग्यता रखने वाला 18 से 35 वर्ष (कुछ तकनीकी इकाइयों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में ढील सहित) तक का स्वस्थ भारतीय नागरिक प्रादेशिक सेना में अधिकारी के या अन्य पद पर भर्ती हो सकता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर

1948 में स्थापित राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) एक युवा संगठन है जिसमें विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों के छात्र स्वेच्छापूर्वक प्रवेश पा सकते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व, चरित्र, सहयोग, खिलाड़ी की भावना तथा सेवा के आदर्शों का विकास करना तथा एक प्रशिक्षित और अनुशासित दल का निर्माण करना है जो राष्ट्रीय संकट के दौरान रक्षा की दूसरी पंक्ति बनकर देश के काम आ सके।

इन कैडेटों तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर के कमीशनप्राप्त अफसरों के लिए सक्रिय सेना कार्यों में हिस्सा लेना अनिवार्य नहीं है। साहसिक कार्यों तथा समाज सेवा पर इन शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण में विशेष जोर दिया जाता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के तीन डिवीजन हैं—सीनियर, जूनियर और लड़कियां। सीनियर डिवीजन में कैडेटों की वर्तमान अधिकृत संख्या चार लाख है—सेना 3,13,800, नौसेना 12,600, वायु सेना 11,600 और लड़कियां 62,000। जूनियर डिवीजन में अधिकृत संख्या सात लाख है—सेना 5,31,900, नौसेना 49,100, वायुसेना 52,000 और लड़कियां 67,000 है।

वर्ष 1981 में कैडेटों को अधिक सुविधाएं दी गईं और पदाधिकारी का काम करने वाले कैडेटों की नियुक्ति की शर्तों में सुधार किया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर के सदस्य जयन्ती शिखर (6632 मीटर) पर चढ़े। केदारनाथ शिखर (6831 मी०) के सफल अभियान में 10 महिला कैडेट भी शामिल थीं। ये दोनों शिखर गढ़वाल में हैं। जून 1981 में कैडेटों तथा अफसरों ने फूलों की घाटी, हेमकुण्ड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मनाली-रोहतांग दर्रे तथा पीर पंजाल की पद यात्रा भी की।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

रक्षा मंत्रालय का पुनर्वास महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं, व्यावसायिक और तकनीकी, धंधों जमीन, कालोनियों और यातायात सेवाओं में रोजगार दिलाने और उनके लिए पुनर्वास बस्तियां बनाने का काम करता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ग 'सी' और 'डी' में क्रमशः 10% और 20% स्थान भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी उद्यमों में इन वर्गों में आरक्षण 14½% और 24½% है। राज्य सरकारों ने भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक निश्चित प्रतिशत स्थान आरक्षित किए हैं।

स्व-रोजगार बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं, चरणों में कार्यान्वित की जा रही हैं। कुछ चुने हुए इलाकों में भूतपूर्व सैनिक सहकारी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना, फालतू 'सेना-भूमि' का औद्योगिक और बिक्री केन्द्र बनाने के लिए उपयोग करना, कारखानों के लिए प्लाट आरक्षित करना और विशेष औद्योगिक परियोजनाएं बनाना, इसमें शामिल है। कुछ और योजनाएं भी चालू हैं जिनके अन्तर्गत उन भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है जो विशेष जानकारी और प्रशिक्षण वाले धंधों में रोजगार पाना पसन्द करते हैं। मार्च 1981 में ऐसी ही एक योजना के अन्तर्गत एक 'सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम' शुरू किया गया है जिसमें चुने हुए सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सरकारी उद्यमों में दस अलग-अलग व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें औद्योगिक और कृषि संबंधी प्रशिक्षण, पशु-पालन अध्यापन और सामाजिक कार्य शामिल हैं।

महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिकों को नई गाड़ियों, ट्रैक्टर, सेना की अधिशेष गाड़ियां, मरम्मत होने लायक डुप्लिकेटर और टाइपराइटर मशीनें दिलवाने में भी सहायता करता है। साथ ही सरकारी उद्यमों में बनने वाली चीजों, जैसे उर्वरक, चाय, सीमेंट, खाना बनाने वाली गैस, इस्पात और वस्त्र आदि की एजेंसियां भी

इन्हें दिलवाने में सहायता की जाती है। जिन्हें खेती-बाड़ी का काम आता है, उनको निकोबार द्वीप मे बसाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। 327 भूतपूर्व सैनिक वहां बसाए जा चुके हैं।

एक महत्वपूर्ण संस्था—सैनिक 'नौसैनिक और वायु सैनिक बोर्ड' है, जो स्थानीय प्रशासन के सम्पर्क में रहकर भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता करती है। इस बोर्ड का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। यह राज्य-बोर्डों के कार्यों में तालमेल बिठाता है। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए झंडा दिवस निधि, सशस्त्र सेना हितकारी निधि और सशस्त्र सेना पुनर्निर्माण निधि का भी उपयोग किया जाता है।

सेवा निवृत्त होने पर सैनिकों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने ग्रुप बीमा योजना शुरू की है जिसमें बहुत कम किश्त देनी होती है। यह योजना सब पर आवश्यक रूप से लागू होती है और युद्ध में मृत्यु होने पर भी इसका लाभ मिलता है।

ुद्ध पीड़ितों
ा पुनर्वास

दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध के बाद, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के त्रस्त परिवारों, विशेषतया विधवाओं, अपाहिजों और उन के आश्रितों को लाभ तथा सुविधाएं देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं बनाईं। विभिन्न योजनाओं में समन्वय रखने के लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष संगठन बनाया गया है। प्रमुख केन्द्रीय योजनाओं में से एक के अनुसार शहीद जवानों और अफसरों की विधवाओं और परिवारों को तथा अपंग हुए सैनिकों को उदार पेंशन रियायतें देने की व्यवस्था है। 1 फरवरी, 1972 से लागू हुई यह योजना दुनिया में अन्यत्र लागू हुई ऐसी सब योजनाओं में सर्वाधिक उदार है और यह 1947 में कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण से ले कर बाद के सब युद्ध-प्रभावित जवानों के लिए है। इसके अलावा केन्द्र सरकार सेना और अर्ध-सेना के युद्ध में मारे गए सैनिकों या हमेशा के लिए अपंग हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए पहली डिग्री प्राप्त करने तक की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी। जो आश्रित पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा का भी पूरा खर्च सरकार देगी।

अन्य योजनाएं वर्तमान रियायतों के अलावा, केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों में रोजगार में प्राथमिकता देने सम्बन्धी हैं। विकलांग सैनिकों को आयु, शैक्षिक योग्यता और डाक्टरी परीक्षा में रियायत दी जाएगी। सैनिक कार्रवाई में काम आए प्रत्येक सैनिक के परिवार के एक या दो सदस्यों को रक्षा मंत्रालय में, रोजगार दफ्तर में बिना पंजीकरण कराए, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दी जाएगी। उनके लिए तकनीकी संस्थाओं में भी स्थान सुरक्षित रखे गए हैं।

राज्य सरकारों की योजनाओं में नकद-अनुदान, कृषि के लिए मुफ्त जमीन और रहने के लिए रियायती दर पर प्लाट देने की व्यवस्था है।

5 शिक्षा

चिकित्सा, कृषि और कानून की शिक्षा को छोड़कर शिक्षा से संबंधित सभी मामलों का दायित्व संघ और राज्य सरकारों पर है। 1976 से पहले शिक्षा पूर्णतः राज्यों का विषय था और केन्द्र का सीधा सम्बन्ध तकनीकी और उच्च शिक्षा आदि में समन्वय और स्तर निर्धारण करने से था। 1976 में संविधान में संशोधन के जरिए शिक्षा का दायित्व केन्द्र और राज्य सरकारों पर संयुक्त रूप से आ गया। किन्तु मुख्य रूप से यह दायित्व राज्यों का ही बना रहा। इसके अलावा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं तथा अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं का प्रशासन संघ सरकार के ही हाथ में है। साथ ही कमजोर वर्गों, खास तौर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा को बढ़ावा देने का दायित्व भी केन्द्र सरकार पर है।

शिक्षा संबंधी नीति

वर्ष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सरकार ने देश में शिक्षा के समग्र विकास के लिये मार्गदर्शी सिद्धात के रूप में स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में भी कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताये गये कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे संशोधनों और समायोजनों के साथ, जो देश में समय-समय पर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण अनिवार्य हो गये है, क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमो मे सबसे महत्वपूर्ण है प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वभौम बनाना और प्रौढों में निरक्षरता को दूर करना। ये दोनों बातें केन्द्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा नये बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल की गई हैं।

अपने विशिष्ट दायित्वों के निर्वह के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय स्वयं प्रत्यक्ष रूप से और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद जैसी संस्थाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है। इन संस्थाओं का उद्देश्य कुल मिलाकर विभिन्न स्तरों पर शिक्षा और प्रशिक्षण के स्तर में सुधार लाना अथवा शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे भाषा, पुस्तक प्रकाशन को बढ़ावा देना है।

शैक्षिक आयोजना

नीति बनाने के अलावा केन्द्रीय शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय शैक्षिक योजना भी बनाता है जिसका दायित्व राज्य सरकारों पर भी है, पिछली सभी पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा को विकास प्रक्रिया से सम्बद्ध न करके समाज सेवा के रूप मे ही लिया जाता रहा। किन्तु छठी पंचर्षीय योजना से मानव संसाधनो के विकास के जरिए देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वभौम बनाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी है और उसमें कमजोर वर्गों, जिसमें लड़कियां तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि के लोग शामिल हैं, से सम्बन्धित कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षा में दूसरी महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्रौढ़ शिक्षा को दी गई है। अन्य क्षेत्रों में शिक्षा, खास तौर से तकनीकी और उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने, युवा गतिविधियों का विकास करने, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा का रूप देने, प्रादेशिक भाषाओं का विकास करने तथा योजनागत कार्यक्रमों आदि पर निगरानी रखने और उनके मूल्यांकन की व्यवस्था को मजबूत बनाने के कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा, रोजगार और विकास के बीच गतिशील और लाभकारी संपर्क स्थापित किये जाने पर विशेष जोर दिया जायेगा।

योजना आयोग ने छठी योजना में शिक्षा के लिये 2524 करोड़ रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी है जो कि छठी योजना के कुल परिव्यय का केवल 2.6 प्रतिशत है। यदि हम 1980–81 के 347 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय, 1981–82 के 385 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय और 1982-83 में 526 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय को देखें तो पहले 3 वर्षों की अवधि में योजना निधि में से 1,258 करोड़ रुपये अर्थात कुल परिव्यय के लगभग 49.8 प्रतिशत खर्च होंगे।

1981–82 के लिये उपलब्ध बजट अनुमानों में से शिक्षा पर कुल बजट व्यय 4409.25 करोड़ रुपये आता है और ये केन्द्र तथा राज्यों के कुल बजट अनुमान का 10.5 प्रतिशत है।

शिक्षा सम्बन्धी उपलब्धियों और लक्ष्यों को सारिणी 5.1 में विस्तार दिखाया गया है।

साक्षरता

1951 में भारत में 16.6 प्रतिशत लोग लिख-पढ़ सकते थे। 1971 में यह प्रतिशत बढ़कर 29.45 हो गया और 1981 में 36.17 (असम और जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर)। इस समय (1981) केरल में सबसे अधिक साक्षरता-दर (69.17) प्रतिशत है, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु में यह दर क्रमशः 47.37 प्रतिशत और 45.78 प्रतिशत है। संघ राज्य क्षेत्रों में 64.68 प्रतिशत लेकर चंडीगढ़ सबसे आगे था। साक्षरता दर में वृद्धि और साक्षरों की कुल संख्या में वृद्धि के बावजूद निरक्षरों की संख्या 1971 में 37.23 करोड़ से बढ़कर 1981 में 42.01 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका कारण] तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है (इसमें असम और ज मू तथा कश्मीर शामिल नहीं है)।

स्त्री साक्षरता में भी केरल सब राज्यों से आगे है, जहां यह 64.48 प्रतिशत है। महाराष्ट्र 35.08 प्रतिशत और पंजाब 34.14 प्रतिशत के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में चंडीगढ़ का 59.30 प्रतिशत के साथ इस बार भी प्रथम स्थान था।

सारणी 5.1

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपलब्धियां और लक्ष्य

	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1979–80[1]	1984-85 के लक्ष्य
	1	2	3	4	5	6
कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थी (लाख में)	191.5	251.7	349.9	504.7	710.0	827.0
6 से 11 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	42.6	52.8	62.4	76.7	83.6	95.2
कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी (लाख में)	31.2	42.9	67.0	105.3	195.0	258.0
11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	12.7	16.5	22.5	30.8	40.2	50.3
कक्षा 9 से 11/12 के विद्यार्थी (लाख में)	12.2	18.8	28.9	50.4	96.7	—
14 से 17 वर्ष के आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	5.3	7.4	10.6	16.2	21.1	—
विश्वविद्यालय स्तर के कुल विद्यार्थी (कला, विज्ञान और वाणिज्य) (लाख में)	3.6	6.3	8.9	14.9	31.3	—
17 से 23 वर्ष के आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	0.8	1.4	1.8	2.7	4.0	—
विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान के विद्यार्थियों का प्रतिशत	37.8	33.0	26.9	29.5	25.0	—
प्राइमरी/जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या	2,09,671	2,78,135	3,30,399	3,91,064	4,78,249	—
मिडिल/सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या	13,596	21,730	49,663	75,798	1,14,720	—
हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या	7,288	10,838	17,257	27,477	46,043	—
बहुद्देशीय विद्यालयों की संख्या	—	255	2,115	2,386	—	—
प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या	782	930	1,138	601	859	—
प्रशिक्षण कालेजों की संख्या	53	107	478	1,272	501	—

कला, विज्ञान (अनुसंधान संस्थानों सहित) और वाणिज्य कालेजों की संख्या	542	772	1,122	1,788	3,336[2]	—
विश्वविद्यालयों की संख्या	27	32	45	[illegible]	108	—
प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	5,37,918	6,91,249	7,41,515	9,44,377	13,11,931	—
प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत	58.8	61.2	64.1	70.5	86.8	—
मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	85,496	1,48,394	3,45,228	5,27,754	8,35,292	—
मिडिल स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत	53.3	58.5	66.5	76.9	88.9	—
हाई/हायर सेकंडरी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	1,26,504	1,89,794	2,96,305	4,79,060	8,59,359	—
विश्वविद्यालय, कला और विज्ञान कालेजों में अध्यापकों की सं०	18,648	27,883	41,759	66,882	—	—

1. अनंतिम।
2. इसमें अनुसंधान संस्थान सम्मिलित नहीं हैं।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा को सार्वभौम बनाने अर्थात् 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, सार्वभौम नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक निदेश को पूरा करने के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पांचवीं और छठी योजना में दाखिले से संबंधित लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण सारणी 5.2 में दिखाया गया है।

सारणी 5.2

पांचवीं और छठी योजनाओं में दाखिले से संबंधित लक्ष्य और उपलब्धियां

(लाखों में)

आयु वर्ग	पांचवीं योजना लक्ष्य	1977-78 (स्थिति)	1979-80 (स्थिति)	1984-85 लक्ष्य
6—11				
कक्षा 1—5 लड़के .	463.00	431.97	438	484
	(111.2)	(99.3)	(100.2)	(108)
लड़कियां	308.00	269.53	272	342
	(79.1)	(65.4)	(65.2)	(81)
योग . .	771.00	701.50	710	826
	(95.7)	(82.8)	(83.6)	(95)
11—14				
कक्षा 6—8 लड़के .	140.00	120.31	130	166
	(59.0)	(49.7)	(52.0)	(63)
लड़कियां	71.00	57.36	65	92
	(32.2)	(25.3)	(27.7)	(37)
योग . .	211.00	177.67	195	258
	(46.1)	(37.9)	(40.2)	(50)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दी गई संख्याएं संबंधित आयुवर्ग के दाखिले को उस आयुवर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाती हैं।

देश के सभी भागों में पहली से पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा सरकारी और स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में निःशुल्क है। उत्तर प्रदेश में लड़कों की शिक्षा को छोड़कर, शेष सभी राज्यों में छठी से आठवीं कक्षाओं तक की शिक्षा भी निःशुल्क है।

16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाये गये हैं, इनके नाम हैं: आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ और दिल्ली।

शिक्षा को सार्वभौम बनाने की नीति का एक महत्वपूर्ण कार्य अधिक से अधिक संख्या में ऐसे बच्चो को, जिन्होंने या तो दाखिला नही लिया है या जिन्होंने दाखिले के बाद स्कूल छोड़ दिये हैं, गैर-औपचारिक अंशकालिक शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों को जिनमें दाखिला न लेने वाले बच्चों की तीन चौथाई संख्या है, 25 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता दी जायेगी।

माध्यमिक शिक्षा 11 राज्यों और 7 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों--आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, नगालैण्ड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप, मिजोरम और पाण्डिचेरि में माध्यमिक स्तर (कक्षा 10) तक शिक्षा निःशुल्क है। मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। चंडीगढ़ में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा) ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए प्रत्येक राज्य व संघ राज्य क्षेत्र में दसवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क है।

गुजरात, जम्मू और कश्मीर, नगालैण्ड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली व लक्षद्वीप और पांडिचेरि संघ राज्य क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11-12) की शिक्षा निःशुल्क है। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, और सिक्किम में उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा लड़कियों के लिए निःशुल्क है।

10+2+3 पद्धति इस पद्धति को अपनाने की सिफारिश सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917-19) ने की थी। शिक्षा आयोग (1964-66) ने भी इस सिफारिश को दोहराया। इस प्रस्ताव का समर्थन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी किया। इस प्रस्ताव के कई प्रत्यक्ष लाभ हैं। समान पद्धति के अलावा इससे शिक्षा को हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला गया है। इस पद्धति के अन्तर्गत इन्टरमीडियेट स्तर को विश्वविद्यालय से हटाकर स्कूलों में डाल दिया गया है जहां इसे सचमुच होना चाहिये। इससे उच्चतर माध्यमिक स्तर को व्यावसायिक रूप देने का कार्य अधिक आसान और कारगर हो गया है। इसमें विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की आयु को वांछित स्तर तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा इससे स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।

स्कूल की शिक्षा की यह नई पद्धति 15 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्द्ध स्कूलों ने अपना ली है।

उच्चतर तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा

उच्च शिक्षा 116 विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कला, विज्ञान, वाणिज्य या व्यावसायिक कालेजों के माध्यम से दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक विशिष्ट क्षेत्रों में 13 अनुसंधान संस्थान तथा अन्य संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1 जनवरी, 1982) के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त 9 संस्थाओं को संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

1953 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा की उन्नति तथा समन्वय के लिए आवश्यक कदम उठाने और विश्वविद्यालयों में अध्ययन, परीक्षा तथा अनुसंधान के मानदंड स्थापित करने और उनका पालन करवाने का कार्य करता है। इसे विश्वविद्यालयों की आर्थिक आवश्यकताओं की जांच पड़ताल करने, विश्वविद्यालयों को समुचित अनुदान देने का अधिकार है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा इसके पास भेजे गए अन्य उच्चतर शिक्षा संबंधी विषयों पर यह सलाह देता है।

तकनीकी शिक्षा

मध्य स्तर पर प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता अनेक प्रकार के काम-धंधों के लिए होती है, जैसे व्यावहारिक क्षेत्र में जानकारी के प्रयोग के लिए, उत्पादन और निर्माण के लिए, परीक्षण और विकास के लिए। इस उद्देश्य से 340 पालीटेकनिकों में, जिनमें वर्ष भर में 50,600 विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। इनके अन्तर्गत इंजीनियरी और टेक्नीकल तथा कुछ गैर-टेक्नीकल क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता प्राप्त की जा सकती है। जहां पूरे समय की ट्रेनिंग दी जाती है वहां ये कोर्स तीन साल की अवधि के हैं और जहां अन्य कामों के साथ-साथ अथवा अंशकालिक आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करना अभीष्ट है, वहां ये साढ़े तीन से चार वर्ष की अवधि के हैं।

जो लोग इंजीनियरी और टेक्नालाजी में कार्यरत हैं उनके लिए 182 इंजीनियरी कालेजों में इंजीनियरी और टेक्नालाजी के स्नातक डिग्री तक के कोर्स हैं। इन कोर्सों के लिए वार्षिक प्रवेश-क्षमता लगभग 25,000 है।

स्नातकोत्तर कोर्स के लिए 96 संस्थान हैं जिनकी प्रवेश-क्षमता लगभग 5,700 है। जो लोग पहले ही से काम में लगे हुए हैं उनके लिए इन संस्थानों में अंशकालिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण लेने की सुविधा है। ऐसे कोर्सों की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष की है।

लगभग 30 संस्थाओं में, जो अधिकांशतः विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं, प्रथम डिग्री और उच्चतर स्तर की प्रबन्ध-व्यवस्था के कोर्स उपलब्ध हैं। इनमें प्रबन्ध-व्यवस्था और व्यवसाय-प्रशासन की मास्टर डिग्री के स्तर तक का प्रशिक्षण उपलब्ध है और वर्ष में लगभग 1,200 प्रशिक्षार्थी इनका लाभ उठा सकते हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण/कारीगरों के प्रशिक्षण के कोर्स उपलब्ध हैं। पालिटेकनिकों में डिप्लोमा कोर्स लिए जा सकते हैं, ये पालिटेकनिक सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए हैं और संबंधित राज्य

तकनीकी शिक्षा बोर्डों से सम्बद्ध हैं जो प्रामतौर पर कोर्सों के स्तर को निर्धारित करते हैं और परीक्षार्थियों के उत्तरों के मूल्यांकन की पद्धति का निर्देशन करते हैं।

इंजीनियरिंग और टेक्नालाजी के उच्च स्तर के शिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधाएं बंबई, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और नई दिल्ली में स्थापित पांच राष्ट्रीय संस्थानों में प्राप्त हैं। इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी के नाम से जाने वाले ये संस्थान प्रतिवर्ष स्नातक-पूर्व के कोर्सों में लगभग 1,200 विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं। इसके अलावा इनमें तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में प्रति वर्ष स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 2,000 विद्यार्थियों को और 1,500 शोध-छात्रों को प्रवेश मिलता है। इनके अतिरिक्त 70 अन्य इंजीनियरिंग कालेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कोर्स और अनुसंधान की सुविधाएं हैं जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 3,500 विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकता है। इंजीनियरिंग और टेक्नालाजी की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण के लिए 15 प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज तथा अनेक तकनीकी संस्थाएं और पालीटेकनिक भी हैं। खान और धातु विज्ञान, प्रौद्योगिक इंजीनियरी, गढ़ाई और ढलाई तथा वास्तु-शिल्प जैसे विशेष कोर्सों के लिए भी अनेक केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इंजीनियरी की शिक्षा को व्यावहारिक प्रशिक्षण से समेकित करने के लिए कई इंजीनियरिंग कालेज और पालिटेकनिक अब उद्योगों के सहयोग से काम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने के कोर्सों की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए ऐसे कोर्सों की अवधि 5½ वर्ष और डिप्लोमा के लिए 3½ वर्ष है। पालिटेकनिकों के लिए आवश्यक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता, भोपाल, चंडीगढ़ और मद्रास में एक-एक प्रशिक्षण संस्थान है।

1981 में इंजीनियरिंग और टेक्नालाजी में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स चलाने वाले संस्थानों की संख्या क्रमशः 152 और 340 थी, जबकि 1951 में ये संस्थाएं 53 और 89 थीं।

अब तक जो सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं उनकी सहायता से भारत अब अगली दो पंचवर्षीय योजनाओं की जरूरतों के लिए तकनीकी जनशक्ति जुटाने की स्थिति में है।

प्रौढ़ शिक्षा

भारत में बहुमुखी राष्ट्रीय विकास की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके कारण प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी धारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। अब उसका उद्देश्य पारम्परिक ढंग से केवल अक्षर ज्ञान करा देना नहीं रह गया है। बदलती हुई सामाजिक-आर्थिक स्थिति का तकाजा है कि अब मानव-साधन का समग्र विकास किया जाए। इसीलिए जहां 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सार्वभौम बनाने के सुदृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं प्रौढ़ों के लिए भी शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि जिस शिक्षा से वे अब तक वंचित रहे हैं उसे प्राप्त कर सकें और अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सकें। इस प्रकार सरकार का संकल्प है कि निरक्षरता को दूर किया जाए जिससे सामान्य जन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए सक्रिय योगदान दे सकें।

प्रौढ़ो विशेषकर 15 से 35 वर्ष के आयुवर्ग के लोगों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा को योजना अवधि मे प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के स्तर में तत्काल प्रभाव पड़ेगा। कमजोर वर्ग जैसे स्त्रियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, कृषि श्रमशक्ति, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, सूखे क्षेत्र से पीड़ित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता की सुविधाएं देने के साथ-साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य निरक्षर लोगो की कार्यात्मक कुशलता बढाने तथा उनमें सामाजिक चेतना जगाना है। इस कार्यक्रम में छात्रों और ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं जिन्होंने प्रभावकारी ढंग से कार्य करने की क्षमता दिखाई हो, का सहयोग लिया जाएगा।

स्त्री शिक्षा

सरकार ने सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज बनाने के लिए लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है और समय-समय पर इस दिशा में अनेक उपाय किए हैं। जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न योजना कालों में लड़कियों के स्कूलों में दाखिला लेने की दिशा में प्रगति हुई है और पिछले बीस वर्षों में ऐसा प्रतीत हुआ है कि शिक्षा के मामले में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अन्तर काफी कम हुआ है। 1979-80 में समाप्त होने वाले दशक में कक्षा 1 से 5 तक कुल दाखिले में 2.4 प्रतिशत और कक्षा 6 से 8 तक 4.00 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है।

प्रौढ शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के वक्तव्य में 15 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य हैं. पुरुषों और स्त्रियो को अपने-अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति अधिक सजग बनाना, और उन्हें आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना।

शैक्षिक टैक्नालाजी

शैक्षिक टैक्नालाजी परियोजना का उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों का जनसंचार माध्यमो के समन्वित उपयोग को प्रेरित करना और उसे बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता मिलती है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद में शैक्षिक टैक्नालाजी का एक केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके कार्यकलापो में (1) स्कूल न जाने वाले बच्चों को उपयुक्त शिक्षा प्रणाली के अधीन लाने के लिए शिक्षा की विधियों का विकास करना और उन की व्यवहार्यता की जाच करना (2) शिक्षको के सेवाकाल में प्रशिक्षण के लिए अनेक जनसंचार माध्यमो का प्रयोग करना जिनमे दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम, कार्य निर्देशिकाएं, सामग्री और ट्यूटोरियल शामिल हैं (3) खुले स्कूल की मार्गदर्शी परियोजना (4) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भाषाओं की शिक्षण सामग्री तथा विशेष कैसेट टेप के प्रोटोटाइप बनाने (5) प्राइमरी स्कूल विज्ञान के लिए स्वय शिक्षा देने वाले कार्यक्रम की निर्देशिका बनाने का उल्लेख किया जा सकता है।

इसके अलावा, 11 राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, विहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश मे शैक्षिक टैक्नालाजी सेल बनाए गए हैं। अन्य राज्यों में ये सेल विभिन्न चरणों में बनाए जाएंगे। इन सेलो से यह अपेक्षित है कि ये राज्य स्तर पर शैक्षिक टैक्नालाजी का विकास करेंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 'साइट' के प्रयोग में भाग लिया ताकि शिक्षा

के प्रयोजनार्थ जनसंचार के इस सर्वोत्कृष्ट माध्यम की व्यवहार्यता का परीक्षण किया जा सके। इसने छः राज्यों के 47,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया और अब यह प्राइमरी स्कूलों के प्रसारित कार्यक्रमों के मूल्यांकन संबंधी अध्ययन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद बच्चों की एक जनसंचार माध्यम प्रयोगशाला का विकास भी कर रही है जिसका उद्देश्य 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और मनोरंजन वाले कम खर्चीले, गैर-औपचारिक माध्यम का विकास करना है अथवा उसकी खोज करना है ताकि इन बच्चों को कुशलता और ऐसे दृष्टिकोण की शिक्षा दी जा सके जिससे जीवन में उनके लिए अवसरों में वृद्धि हो।

छात्रवृत्तियां (विदेशी)

विदेशी छात्रों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सरकार कुछ एशियाई, अफ्रीकी तथा अन्य विदेशी छात्रों को 180 छात्रवृत्तियां हर वर्ष देती है। छात्रवृत्तियां कृषि, इंजीनियरी, टैक्नालाजी, चिकित्सा, औषध-निर्माण, कलाओं तथा मानविकी के क्षेत्रों में दी जाती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के नागरिकों को 100 छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष दी जा रही हैं। जिन देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक आदान-प्रदान के समझौते हैं वहां के छात्रों को भी 400 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। छात्रवृत्ति आदान-प्रदान योजना, राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/फैलोशिप योजना, भारतीय अध्येता वृत्तियां, कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग योजना—छात्रवृत्तियों की अन्य योजनाएं हैं।

(राष्ट्रीय) छात्रवृत्तियां

माध्यमिक और विश्वविद्यालय के स्तरों पर शैक्षिक अवसरों को समान बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रतिभाशाली बच्चों को आर्थिक मजबूरियों के कारण इन स्तरों पर अपनी शिक्षा जारी रखने में कोई कठिनाई न हो, यह केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के अनेक छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के जरिए किया जाता है। इन कार्यक्रमों में शामिल है : राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (इसमें वार्षिक छात्रवृत्तियों की संख्या को, जो 1980–81 में 23,000 थी, बढ़ाकर 1981–82 में 24,000 कर दिया गया) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना (प्रति वर्ष 20,000) आवासी स्कूलों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां (प्रतिवर्ष 500), आदि।

अनुसन्धान और प्रशिक्षण

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने से सम्बन्धित मामलों में शिक्षा मंत्रालय को परामर्श देने वाली प्रमुख संस्था है। स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए परिषद राज्यों के शिक्षा विभागों और विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के सहयोग से काम करती है। यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भी निकट सम्पर्क बनाए रखती है।

परिषद अनुसन्धान कार्य का संचालन और प्रायोजन करती है, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर अनुसन्धान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है,

शिक्षण सामग्री का विकास करती है, और स्कूल शिक्षा के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में परामर्श सेवाएं देती है।

परिषद राज्यों में शिक्षा के 10+2+3 पद्धति के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दे रही है, नए पाठ्यक्रम के ढांचे को तैयार करने के अलावा परिषद स्कूल की सभी कक्षाओं (पहली से बारहवीं कक्षा तक) के लिए सभी विषयों की आदर्श पाठ्य पुस्तकें अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार कर रही है, विभिन्न राज्य इन पुस्तकों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप रूपांतरित करके अपने स्कूलों में उनका उपयोग करते हैं।

परिषद संयुक्तराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता से चलाए जा रहे प्रारम्भिक शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा और पोषाहार शिक्षा सम्बन्धी पांच परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है।

परिषद का एक शैक्षिक टैक्नालाजी केन्द्र है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जन संचार माध्यमों के प्रभावी उपयोग तथा समुचित शैक्षिक टैक्नालाजी और प्रस्तुतीकरण प्रणाली विकसित करने के बारे में अनुसन्धान और विकास कार्य कर रही है। इस समय यह केन्द्र मुख्य रूप से इनसेट (भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह) के लिए कार्यक्रम विकसित करने के काम पर जुटा है।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन और प्रशासन संस्थान की स्थापना मुख्य रूप से देश में शैक्षिक आयोजना और प्रशासनिक सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से की गई थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह संस्थान केन्द्र और राज्यों में वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करता है, अनुसन्धान और अध्ययन कार्य संचालित करता है, जिन्हें परामर्श सेवाओं की जरूरत होती है उन्हें ये सेवाएं देता है, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करता है और शैक्षिक आयोजना और प्रशासन के क्षेत्र में जानकारी के आदान प्रदान का कार्य करता है।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली जो 1972 में स्थापित की गई थी, इतिहास संबंधी अनुसंधान की राष्ट्रीय नीति प्रतिपादित तथा कार्यान्वित करती है। यह इतिहास के वैज्ञानिक ढंग के लेखन को भी प्रोत्साहित करती है। यह अनुसंधान परियोजनाएं चलाती है, फैलोशिप देती है, तथा प्रकाशन और अनुवाद कार्य की व्यवस्था करती है।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, एक स्वायत्तशासी संगठन है। इसके उद्देश्य हैं: समय-समय पर समाज विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना, सरकार में तथा बाहर स्थित इसका प्रयोग करने वालों को सलाह देना, अनुसन्धान कार्यक्रम प्रायोजित करना और समाज विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अनुदान देना।

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, 1965 में स्थापित हुआ था। यह मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान का उच्च स्तरीय अनुसंधान केन्द्र है। यहां अनेक विद्वान ज्ञान की नई दिशाओं की खोज करते हैं जिनका उद्देश्य सामयिक महत्व के प्रश्नों पर महत्वपूर्ण संकल्पनात्मक विकास करना और विभिन्न विषयों का पारस्परिक परिप्रेक्ष्य देना है। सरकार द्वारा नियुक्त इस समिति ने हाल में इस संस्थान के कामकाज की समीक्षा करके इसके पुनर्गठन के क उपाय सुझाए हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसन्धान परिषद

दर्शनशास्त्र के अध्ययन और अनुसन्धान को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र द्वारा स्थापित भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसन्धान परिषद ने 28 जुलाई, 1981 से कार्य आरम्भ किया।

हिन्दी का विकास

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय, हिन्दी की समृद्धि और प्रसार के लिए कई कार्यक्रम चलाता है इनमें शामिल हैं :(क) हिन्दी शब्दावली का विकास और उसे अन्तिम रूप देना, (ख) शब्दकोशों का निर्माण, (ग) लिंग्वाफोन रिकार्ड, भाषा पाठ और टेप तैयार करना और (घ) गैर-सरकारी प्रकाशकों के सहयोग से लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन करना।

भारत सरकार केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के माध्यम से अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों को हिन्दी सिखाने के लिए उन्नत शिक्षण पद्धति के विकास, उपयुक्त अध्यापन-सामग्री के निर्माण, शिक्षण के तरीकों के विकास आदि को बढ़ावा देती है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के माध्यम से सरकार हिन्दी की किताबों के प्रकाशन और अहिन्दी भाषी राज्यों में उनके मुफ्त वितरण सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करती है।

आधुनिक भारतीय भाषाएं

आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार विश्वकोशों, शब्दकोशों और सामान्य तथा वैज्ञानिक जानकारी की पुस्तकों जैसे प्रकाशनों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को धन देती है। भारतीय भाषाओं के विकास के लिए साहित्यिक सम्मेलन, विचार गोष्ठियां और प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। सहायता के रूप में मुद्रित प्रकाशनों की प्रतियां भी खरीदी जाती हैं। राज्य सरकारों को प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए विशेष सहायता दी जाती है। उर्दू में जानकारी बढ़ाने वाले साहित्य के निर्माण के लिए एक 'तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड' स्थापित किया गया है। ऐसी ही पुस्तकें सिन्धी भाषा में प्रकाशित करने के लिए भी एक योजना चल रही है।

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान

सरकार मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के अध्ययन की भी सुविधाएं देती है। इसके लिए मैसूर का केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, उन्नत शिक्षण पद्धति, शिक्षण सामग्री के निर्माण और संस्थान के प्रादेशिक भाषा केन्द्रों में दूसरी भाषा के अध्यापकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित विकास कार्य करता है। इस उद्देश्य के लिए संस्थान आवश्यक अनुसंधान करता है। जन-जातीय भाषाओं का अध्ययन इस संस्थान के महत्वपूर्ण कार्यों में है।

केन्द्रीय तथा अंग्रेजी विदेशी भाषा संस्थान

हैदराबाद का केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, अध्यापकों को अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए प्रशिक्षित करता है। यह शिक्षण पद्धति और इन भाषाओं के भारतीय अध्यापकों द्वारा प्रयोग के लिए शिक्षण सामग्री के विकास का कार्य भी करता है। जुलाई 1973 से संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

युवा सेवाएं

केन्द्रीय सरकार की युवा सेवाओं सम्बन्धी नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ऐसे अवसर प्रदान करना है कि वे समाज के लिए रचनात्मक योग दे सकें और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें। इसके लिए युवाओं को ऐसे अवसर दिए जाते हैं जिससे कि वे राष्ट्रीय जीवन में सक्रिय भाग ले कर राष्ट्र-पुनर्निर्माण के कार्य में लाभदायक योगदान कर सकें।

नेहरू युवक केन्द्र

गैर-विद्यार्थी युवाओं को राष्ट्र निर्माण कार्यों में लगाने के लिए, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 255 नेहरू युवक केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई है। इन केन्द्रों के कार्यों में ये शामिल हैं: 15 से 35 वर्ष तक के युवाओं को गैर औपचारिक शिक्षा देना, रचनात्मक कार्यों में उनका योगदान लेना, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना तथा सामुदायिक सेवा।

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना का, जो कि 1969 में शुरू की गई थी, उद्देश्य स्नातक-पूर्व विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में जनहित के लिए सार्थक समाज सेवा कर सकें। ऐसे कार्य हैं: युवाओं का साक्षरता कक्षाओं के संगठन में सहयोग, ऐसे रचनात्मक विकास कार्य जिनसे सामाजिक सम्पत्ति बढ़े, सहायता कार्यों में युवाओं को शामिल करना, गन्दी बस्तियां हटाने का काम और चलते-फिरते अस्पतालों का संगठन। 1980-81 के दौरान लगभग 4.75 लाख विद्यार्थियों ने इस योजना में भाग लिया।

खेलकूद और शारीरिक शिक्षा

इस वर्ष भी शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के विकास से सम्बन्धित सरकार के कार्यक्रम संसद द्वारा 1968 की शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति में निर्धारित निदेशों के अनुसार क्रियान्वित किए जाते रहे। वर्तमान कार्यक्रम एक ओर तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे शारीरिक शिक्षा व खेलकूद सम्बन्धी कार्यक्रमों की मुख्यधारा में भाग लेने की ओर लक्ष्य करते हैं, दूसरी ओर इस क्षेत्र में परम्परागत देशी खेलों को एक व्यापक स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्नरत हैं।

अखिल भारतीय खेल परिषद

अखिल भारतीय खेल परिषद, केन्द्र सरकार को खेलकूद को बढ़ावा देने से संबद्ध मामलों में सलाह देने के लिए स्थापित की गई

परिषद की सलाह पर भारत सरकार राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों/एसोसिएशन की भारतीय खेलकूद टीमों को विदेश भेजने और विदेशी टीमों को भारत बुलाने; राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों का आयोजन करने तथा प्रशिक्षण शिविर लगाने के लिए आर्थिक सहायता देती है । राज्य खेल परिषदों को भी खेलों के लिए सामग्री संबंधी सुविधाओं के विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के लिए आर्थिक सहायता दी गई ।

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संस्थान सोसायटी

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संस्थान सोसायटी एक स्वायत्तशासी संस्था है जो शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के दो राष्ट्रीय संस्थानों, अर्थात् नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर की प्रबन्ध व्यवस्था और प्रशासनिक देख-रेख करती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम के जरिए खेलकूद का स्तर ऊंचा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना है।

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान को विभिन्न खेलकूदों में उच्च क्षमता वाले प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा राज्य खेलकूद परिषदों और राज्य सरकारों के सहयोग से देश भर में फैले हुए क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण (कोचिंग) स्कीम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण स्कीम के अन्तर्गत इस संस्थान के लगभग 600 प्रशिक्षक (कोच) देश के विभिन्न भागों में युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। नवें एशियाई खेलों का आयोजन करने के भारत के निर्णय के सन्दर्भ में यह संस्थान 1982 के एशियाई खेलों की तैयारी में सक्रिय रूप से सम्बद्ध है और भारतीय ओलम्पिक एसोसियेशन द्वारा गठित विशेष आयोजन समिति को पूरी तकनीकी सहायता दे रहा है।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर की स्थापना शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं के लिए उच्च क्षमता वाले शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी। यह कालेज पूर्व-स्नातक स्तर पर 3 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम और दो वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जिसके उपरांत मास्टर आफ फिजिकल एजुकेशन की उपाधि दी जाती है, चलाता है । इस कालेज में शारीरिक शिक्षा में एम० फिल० का एक वर्ष के पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था है जोकि देश में अपनी तरह का पहला है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा; कालेज को एजेंसी के आधार पर कुछ केन्द्रीय कार्यक्रमों, जैसे राष्ट्रीय शारीरिक उपयुक्तता कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा व खेल कूद पर प्रकाशित साहित्य के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता का दायित्व भी सौंपा गया है।

राष्ट्रीय खेलकूद संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला के माध्यम से चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य कालेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों में खेलकूद का स्तर ऊंचा करना और उनमें से प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपने-अपने खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता करना है। नेताजी सुभाष संस्थान के माध्यम से कालेजों/विश्वविद्यालयों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों (लड़के और लड़कियों) को प्रति छात्र प्रतिवर्ष 1200 रु० की 100 छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

अर्जुन पुरस्कार

अर्जुन पुरस्कारों की योजना में, जो 1961 से चल रही है ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है, जिन्होंने वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों में विशेष ख्याति अर्जित की हो।

एशियाई खेल 1982

भारत एशियाई खेल संघ का संस्थापक सदस्य है और इस संघ के तत्वावधान में सबसे पहली बार 1951 में भारत में ही एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। अब 31 वर्ष बाद नवें एशियाई खेल फिर भारत में ही खेले जाएंगे। नवें एशियाई खेलों में 21 प्रतियोगी खेलों का आयोजन होगा। इनमें से 19 खेल दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर खेले जाएंगे और नौका दौड़ की दो प्रतियोगिताएं दिल्ली से बाहर होंगी। "याटिंग" बम्बई में तथा "रोइंग" जयपुर में।

विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निम्नलिखित नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं (क) लोदी रोड काम्प्लेक्स में मुख्य एथलिटिक स्टेडियम जिसमें 75,000 दर्शकों के लिए स्थान है। इसमें एथलिटिक खेल, फुटबाल मैच तथा शुभारम्भ और समापन समारोह आयोजित किए जाएंगे। (ख) राजघाट स्पोर्टस काम्पलेक्स में इनडोर स्टेडियम जिसमें 25,000 दर्शक आ सकते हैं। पार्टीशन करके इसे दो स्टेडियमों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें बैडमिन्टन, जिमनास्टिक्स और वालीबाल, की प्रतियोगिताएं होंगी, (ग) तालकटोरा बाग में ओलिम्पिक स्तर का तरणताल, (घ) राजघाट स्पोर्टस काम्पलेक्स में साइकिल दौड़ का वेलोड्रोम, तुगलकाबाद किले के पास शूटिंग रेंज, (च) हौजखास क्षेत्र में लान टेनिस का स्टेडियम और (छ) प्रगति मैदान में नया प्रदर्शनी हाल जिसमें टेबल टेनिस और मुक्केबाजी की प्रतियोगिताएं होंगी।

इनके अलावा दिल्ली में पहले से बने 10 स्टेडियमों को एशियाई खेलों के लिए नया रूप दिया जा रहा है। इनके नाम हैं: नेशनल स्टेडियम, हरबक्श स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अम्बेडकर स्टेडियम, माडल टाउन स्टेडियम, उत्तर रेलवे स्टेडियम, दिल्ली विश्वविद्यालय का क्रिकेट मैदान, दिल्ली गोल्फ मैदान, डी० डी० सी० ए० का क्रिकेट मैदान और तालकटोरा बाग का इनडोर स्टेडियम।

इनके अलावा सात फ्लाई ओवरों का निर्माण कार्य, अनेक महत्वपूर्ण सड़कों को चौड़ा करने का कार्य और नगर की रिंग रेलवे के विद्युतीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। दस नए होटल बनाये जा रहे हैं। ये परियोजनाएं सम्बन्धित अभिकरणों के सामान्य विकास कार्यक्रम का हिस्सा हैं लेकिन उनके क्रियान्वयन में तेजी लाई गई है ताकि एशियाई खेल 1982 के समय उनका लाभ उठाया जा सके।

एशियाई खेलों से सम्बन्धित कार्य के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की है ताकि एशियाई खेलों के आयोजन के लिए अपेक्षित सुविधाओं की समय पर और कम खर्च में व्यवस्था हो सके।

एशियाई खेलों पर सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला कुल अनुमानित

व्यय, जैसा कि नवम्बर 1980 में स्वीकृत हुआ था, 54.83 करोड़ रुपये है। इसके अलावा राजघाट स्पोर्टस काम्पलैक्स में इनडोर स्टेडियम के निर्माण पर दिल्ली विकास प्राधिकरण 9.35 करोड़ रुपये व्यय करेगा तथा तालकटोरा बाग में तरणताल के निर्माण के लिए नई दिल्ली नगर पालिका 2.75 करोड़ रुपये व्यय करेगी ।

6 सांस्कृतिक गतिविधियां

देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, जनता में कला के प्रति जागरूकता पैदा करना और प्रदर्शनात्मक तथा सर्जनात्मक कलाओं में उच्च स्तर को प्रोत्साहित करना राज्य नीति के उद्देश्यों में है। इसके लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें कला, नृत्य, नाटक, संगीत और साहित्य की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अकादमियों के जरिए कला और संस्कृति के विकास का प्रयत्न करती हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन संस्थाओं तथा केन्द्रीय संस्कृति विभाग को जनसम्पर्क के माध्यमों और स्वैच्छिक अभिकरणों से सहयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त, ललित कलाओं के क्षेत्र के मूर्धन्य व्यक्तियों को उनकी सेवाओं के लिए समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा का सदस्य नामजद किया जाता है।

दृश्य-कलाएं चित्रकला

भारतीय चित्रकला की प्रमुख परम्पराओं में अजन्ता, एलोरा के भित्तिचित्र (म्यूरल्स) और अन्य भित्तिचित्र, ताड़पत्र पर बौद्ध पाण्डुलिपियां, जैन धर्म-ग्रन्थ तथा दक्षिणी, मुगल, राजपूत और कांगड़ा कला शैलियों के चित्र शामिल हैं। बंगाल के कलात्मक पुनर्जागरण और नवीन कला प्रवृत्तियों ने भारतीय चित्रकला को आधुनिकता प्रदान की है। जबकि आधुनिक भारतीय चित्रकला यूरोप और अन्य भागों की नवीन कला-प्रवृत्तियों से प्रभावित हुई है, भारतीय लोककला और कथावस्तु को भी सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है तथा अपनाया गया है।

वास्तुकला और मूर्ति-कला

आधुनिक प्रवृत्तियों की शुरुआत से पहले धार्मिकता ही भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की मुख्य प्रेरणास्रोत थी। इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं—मन्दिर, मस्जिद, किले, महल और अन्य स्मारक जो सारे देश में फैले हुए हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बने विशाल भवन और चण्डीगढ़ शहर, भारतीय वास्तुकला के आधुनिक काल के प्रतीक हैं। समकालीन भारतीय शिल्पियों ने मूर्तिकला के प्रति नई जागरूकता पैदा करने में काफी योग दिया है।

हस्तशिल्प

साधारण गलीचों से लेकर बारीक मलमल, बढ़िया सूती और अति सुन्दर रेशमी साड़ियां, कढ़े हुए शाल, धातु की प्रभावोत्पादक कृतियां, कांचित और सादी मिट्टी के बर्तन, मनोहारी आभूषण—आदिवासियों के भारी आभूषण या परिधान या जरदोजी—लकड़ी का खुरदरा अथवा महीन काम, गुड़ियां और पुतलियां भारतीय दस्तकारों की समृद्ध और बहुमुखी निपुणता के कुछ नमूने हैं। इन शिल्पियों का प्रमुख प्रेरणास्रोत उनको विरासत में मिली परम्परा है। आदिवासियों और गांवों के इन शिल्पों की परम्परा बनाए रखने के लिए शिल्पियों को आर्थिक सहायता दी जाती है और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रतिवर्ष सबसे अच्छे दस्तकारों को राष्ट्र की ओर से कुशल दस्तकार के रूप में सम्मानित किया जाता है।

ललित कला अकादमी

देश और विदेश में भारतीय कला की जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की। अकादमी इस उद्देश्य की प्राप्ति प्रदर्शनियों, प्रकाशनों, कर्मशालाओं और शिविरों के माध्यम से करती है। प्रतिवर्ष यह एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी और प्रत्येक तीसरे वर्ष 'त्रिवार्षिक भारत' नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का

आयोजन करती है। पांचवें 'त्रिवार्षिक भारत' का 16 मार्च से 7 अप्रैल 1982 तक आयोजन किया गया जिसमें 46 देशों ने भाग लिया।

अकादमी ने प्राचीन भारतीय कला पर एक पुस्तक-माला प्रकाशित की है और भारतीय कलाओं के संबंध में नए शोध-परिणामों को अपनी पत्रिका 'ललित कला' में प्रकाशित किया है। इसने गुफाओं, मन्दिरों, किलों और महलों के भित्तिचित्रों आदि की अनुकृति करने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया है।

अकादमी के प्रकाशन-कार्यक्रम के अंतर्गत 'ललित कला कंटेम्परेरी' नामक एक अर्धवार्षिक पत्रिका, सम-सामयिक भारतीय कला, समकालीन कलाकारों के जीवनवृत्त और चित्रों, मूर्तियों तथा ग्राफिकों की बड़े आकार की बहुरंगी प्रतिकृतियों के प्रकाशन सम्मिलित हैं।

अकादमी कलाकारों के शिविर, गोष्ठियां और भाषण भी आयोजित करती है और देश के मान्यता प्राप्त कला संगठनों को अनुदान देती है। यह प्रमुख कलाकारों को अकादमी का फेलो बनाकर उन्हें सम्मानित करती है। अब तक 27 व्यक्तियों को फेलोशिप प्रदान की गई है। राष्ट्रीय प्रदर्शनी के अवसर पर 10 कलाकारों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

अकादमी के पास कलाकारों को पेंटिंग, मृत्तिका शिल्प, रेखा चित्र-कला और मूर्ति-कला में प्रशिक्षण देने तथा उनके अभ्यास के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए गढ़ी, दिल्ली में एक स्टूडियो भी है। इसका एक क्षेत्रीय केन्द्र मद्रास में है। और दूसरा लखनऊ में निर्माणाधीन है। अकादमी प्रतिवर्ष 'कुमारस्वामी स्मारक व्याख्यानमाला' का आयोजन करती है।

राष्ट्रीय नवकला वीथि

1954 में स्थापित राष्ट्रीय नवकला वीथि में 100 वर्षों से अधिक की विभिन्न कला प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 3,500 से अधिक कलाकृतियों का संग्रह है। प्रमुख भारतीय कलाकारों में से, जिनकी कृतियां नवकला वीथि में हैं, कुछ ये हैं— राजा रवि वर्मा, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर विज, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, जैमिनी राय, अमृता शेरगिल, मकबूल फिदा हुसैन, एन० एस० बेन्द्रे, बीरेन दे, राम कुमार और जे० स्वामीनाथन। संग्रह में कुछ आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कलाकारों की मूर्तियां, ग्राफचित्र (ग्राफिक्स) और कलाकृतियां भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय नवकला वीथि, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कला की विशेष प्रदर्शनियां जिनमें महत्वपूर्ण कलाकारों की कृतियों और आधुनिक कला की प्रमुख प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन हो, आयोजित करती है। यह कला वीथि, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशों में साथ प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान भी करती है। विचार गोष्ठियों, रंगीन स्लाइडों द्वारा भाषण, फिल्म शो व शैक्षिक भ्रमण निरन्तर होते हैं। हस्तपुस्तिकायें, कलावीथि संग्रहों के चित्र, पोस्टकार्ड और वीथि के महत्वपूर्ण चित्रों की प्रतिकृतियां, बिक्री के लिए प्रकाशित की जाती हैं। इस वीथि में क्षतिग्रस्त कलाकृतियों को ठीक-ठाक करने वाली एक उत्तम प्रयोगशाला भी है।

प्रदर्शनात्मक कलाएं

संगीत

शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शाखाएं हैं: हिन्दुस्तानी और कर्नाटक। दोनों ही शाखाएं मुख्यतः गुरु द्वारा शिष्य को गायन सिखाने की परम्परा से ही जीवित हैं और इसीलिए घराना तथा सम्प्रदाय जैसी परिवार परम्पराएं अस्तित्व में आईं।

हाल के वर्षों में लोकसंगीत में लोगों की रुचि काफी बढ़ी है और अब शहरों में रंगमंच पर इसका आयोजन होने लगा है। एक और प्रकार के संगीत की लोकप्रियता भी बढ़ रही है, जिसे सुगम संगीत के नाम से जाना जाता है।

संगीत को राज्य और जनता दोनों का संरक्षण प्राप्त है। संगीत-नाटक अकादमी, आकाशवाणी, फिल्म, स्वैच्छिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन ही वे मुख्य अभिकरण हैं जिनकी सहायता से संगीत के प्रति राष्ट्रव्यापी जागरुकता और आकर्षण बढ़ा है।

नृत्य

भारत में नृत्य की 2,000 वर्षों से अधिक की अक्षुण्ण परम्परा है। इसकी विषय-वस्तु पुराणों, आख्यानों और प्राचीन साहित्य पर आधारित है। भारतीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं, शास्त्रीय और लोक-नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के रूप प्राचीन ग्रंथों पर आधारित हैं और उनकी तकनीक के संबंध में काफी कड़े नियम हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य के जिन प्रमुख रूपों का आजकल चलन है, वे हैं—भरतनाट्यम, कथकलि, कत्थक, मणिपुरी, ओडिसि और कुचिपूडि। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकलि केरल का नृत्य-नाट्य है। कत्थक उत्तर भारत का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है जिसका विकास भारतीय संस्कृति पर मुगलों के प्रभाव से हुआ। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है और इसकी शैली का आधार गीत है। कुचिपूडि आंध्र प्रदेश का नृत्य-नाट्य है जिसकी विषय-वस्तु रामायण और महाभारत आदि महाकाव्यों से ली जाती है। उड़ीसा के ओडिसि नृत्य का पहले मन्दिरों में प्रयोग होता था और अब कलाकार इसका बहुविध प्रयोग कर रहे हैं। भारत के लोकनृत्य और आदिवासी नृत्य विविध प्रकार के हैं।

आज शास्त्रीय और लोकनृत्य दोनों, संगीत नाटक अकादमी और देश के विभिन्न भागों में स्थित प्रशिक्षण विद्यालयों जैसी संस्थाओं तथा सांस्कृतिक संगठनों के कारण ही लोकप्रिय हैं। अकादमी नृत्य के विभिन्न रूपों के प्रशिक्षण हेतु देश के सांस्कृतिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देती है। नृत्य और संगीत के विविध रूपों, विशेष कर दुर्लभ रूपों म उच्च अध्ययन और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए संगीत नाटक अकादमी विद्वानों, कलाकारों और अध्यापकों को फैलोशिप देती है।

रंगमंच

भारत का रंगमंच उतना ही प्राचीन है जितना इसका संगीत और नृत्य। प्राचीन रंगमंच देश के केवल कुछ भागों में ही है और लोक रंगमंच क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ देश के सभी भाषाई क्षेत्रों में दिखाई देता है। इसके अलावा व्यावसायिक रंगमंच भी है जो मुख्यतः शहरों में ही है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में कठपुतलियों के प्रदर्शन की समृद्ध परम्परा है। इनकी विविध किस्मों में धागे वाली कठपुतलियां, छड़ीवाली कठपुतलिया, दस्ताने वाली कठपुतलियां और चमड़े वाली कठपुतलियां (छाया रंगमंच) भी हैं।

इनके अतिरिक्त बड़े शहरों में बहुत-से अर्धव्यावसायिक और शौकिया नाटक दल भी हैं जो अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में नाटक प्रस्तुत करते हैं।

संगीत नाटक अकादमी

1953 में स्थापित संगीत नाटक अकादमी नृत्य, नाटक और संगीत का पोषण और पल्लवन करती है। अपनी समन्वयकारी एवं विकासशील गतिविधियों के अंग के रूप में यह प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां और संगीत सम्मेलन आयोजित करती है, श्रेष्ठ कलाकारों को पुरस्कार देती है, संगीत, नृत्य और नाटक संस्थाओं को अनुदान देती है तथा पारम्परिक उस्तादों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं।

देश के रंगमंच, संगीत एवं नृत्य के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखकर अकादमी ने एक विशेष एकाश स्थापित किया है जिसका काम इन विभिन्न रूपों का सर्वेक्षण और प्रलेख-पोषण करना है। अकादमी का डिस्क और टेप पुस्तकालय भारतीय, शास्त्रीय लोक और जनजातीय संगीत का सब से बड़ा संग्रह है।

नृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी 2 राष्ट्रीय संस्थाएं चला रही हैं: कत्थक केन्द्र, नई दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, इम्फाल। अकादमी कठपुतली कला को नवजीवन देने के लिए भी सहायता दे रही है।

अकादमी की एक योजना के अन्तर्गत संगीत, नृत्य और नाटक पर विभिन्न भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में पुस्तकों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता देती है। अकादमी असाधारण कलाकारों को फेलो बनाकर और वार्षिक पुरस्कार देकर सम्मानित करती है।

अकादमी की 'आसावरी' नामक वाद्ययंत्र वीथिका है जिसमें बहुत-से शास्त्रीय, लोक और जनजातीय संगीत के वाद्ययंत्र प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। 'यवनिका' नामक एक अन्य वीथिका में आकर्षक मुखौटों, कठपुतलियों और लोकमंच के पहनावों के नमूनों का संग्रह है।

अकादमी विभिन्न प्रकार के लोक, पारम्परिक तथा जनजातीय अभिनयों के प्रलेखनों को काफी महत्त्व देती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकादमी का एक एकक है जो कला का फिल्मों, फोटो, आवाज की रिकार्डिंग तथा वीडियो टेपों में प्रलेखन करता है। इस अनुलेखित सामग्री को शोध-छात्रों और विद्वानों को सुलभ कराने के लिए अकादमी के अभिलेखागार में रखा जाता है।

अकादमी प्रदर्शन कलाओं के दुर्लभ रूपों और परम्परागत कठपुतली कला के कई रूपों के संरक्षण और विकास के लिए भी योजनाएं चलाती है, जनजाति संस्कृति के विकास के प्रारम्भिक चरण में उन क्षेत्रों में जहां जनजाति की आबादी अधिक है, समारोहों का आयोजन करके उनकी प्रदर्शन कलाओं का सर्वेक्षण और अनुलेखन करती है।

राष्ट्रीय नाटक विद्यालय

राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, नई दिल्ली, 1959 में स्थापित किया गया था। इसे भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग से सम्पूर्ण आर्थिक सहायता मिलती है। 1975 से यह समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य कर रही है। यहां नाटक कला में तीन साल का डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया जाता है।

विद्यालय की गतिविधियां अभिनय, निर्देशन और नाटक तैयार करने के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शास्त्रीय, पारम्परिक और आधुनिक नाटक के क्षेत्र में अनुसन्धान और सर्वेक्षण को बढ़ावा देने और अनुसन्धान सामग्री के आदान-प्रदान के जरिए देश के अन्दर और दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक और अकादमी स्तर पर सम्पर्क को बढ़ावा देने से सम्बंधित हैं।

विद्यालय की गतिविधियां इसके विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों के माध्यमों से, जैसे रिपोर्टरी कम्पनी से विभिन्न स्थानों पर रंगमंच वर्कशाप का संगठन स्थापित कर तथा 8 से 14 वर्ष के बच्चों को रंगमंच का प्रशिक्षण देकर प्रदर्शित की जाती हैं।

प्रसारण आकाशवाणी शास्त्रीय, सुगम शास्त्रीय, लोक और जन-जातीय भारतीय संगीत के बारे में जागरूकता लाने और परिबोधन कराने में सहयोग देती रही है।

जिन प्रमुख कार्यक्रमों के जरिए आकाशवाणी संगीत का प्रसार करती है, वे हैं संगीत का साप्ताहिक राष्ट्रीय कार्यक्रम, युवा कलाकारों द्वारा शास्त्रीय संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम, प्रादेशिक संगीत का मासिक राष्ट्रीय कार्यक्रम (लोक और सुगम), युवा प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए वार्षिक संगीत प्रतियोगिता और वार्षिक संगीत समारोह रेडियो संगीत सम्मेलन।

आकाशवाणी की विविध भारती सेवा लोकप्रिय फिल्म और सुगम संगीत प्रसारित करती है।

आकाशवाणी देश के विभिन्न भागों में आयोजित बड़े संगीत सम्मेलनों के रिकार्ड किए हुए अंश भी प्रसारित करती है। समुद्र पार ट्रांसमिशन के जरिए यह विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करती है। आकाशवाणी का संगीत अभिलेखागार देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगीत संग्रहों में से है।

साहित्य प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय साहित्य की पुनः खोज और प्रमुख भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में आधुनिक साहित्य का विकास आजकल की साहित्यिक गतिविधियों की उल्लेखनीय बात है। अनेक साहित्यिक पत्रों और पत्रिकाओं, साहित्यिक संस्थाओं और आकाशवाणी ने आधुनिक भारतीय साहित्य के विकास को प्रेरणा दी है।

साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य के विकास और साहित्य में उच्च स्तर की स्थापना के लिए, सभी भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों के विकास तथा समन्वय के लिए तथा इसके द्वारा देश में सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में नई दिल्ली में मार्च, 1954 में की गई थी।

अकादमी के कुछ प्रमुख कार्य ये हैं: साहित्यिक रचनाओं का एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में और गैर-भारतीय भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना; साहित्य के इतिहास और समीक्षा सम्बन्धी रचनाओं का प्रकाशन करना; ग्रन्थ सूचियों तथा आत्मकथाओं-जैसी संदर्भ पुस्तकों और देवनागरी तथा अन्य भारतीय लिपियों में रचनाओं का प्रकाशन करना तथा जनता में साहित्य के अध्ययन को लोकप्रिय बनाना। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में अकादमी के प्रादेशिक कार्यालय हैं।

भारतीय साहित्य की चार खंडों में प्रकाशित राष्ट्रीय ग्रन्थसूची (1901-1953) अकादमी का एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है, जिसमें सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की साहित्यिक महत्व की पुस्तकों का, जो भारत में प्रकाशित हुई हैं अथवा भारतीय लेखकों द्वारा रचित है, उल्लेख है। डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली तथा राजस्थानी के लिए पांचवां खण्ड तैयार किया जा रहा है। अकादमी भारतीय साहित्य का विश्वकोश तैयार कर रही है।

31 दिसम्बर, 1981 तक अकादमी ने लगभग 1100 ग्रन्थ प्रकाशित किए थे। साहित्य अकादमी "इण्डियन लिट्रेचर" नामक अंग्रेजी द्विमासिक 'समकालीन भारतीय साहित्य' नामक हिन्दी त्रैमासिक और 'संस्कृत प्रतिभा' नामक संस्कृत में एक अर्द्ध-वार्षिक पत्रिका प्रकाशित करती है।

अकादमी ने दो पुस्तक मालाएं आरम्भ की हैं: एक 'भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का इतिहास' पर; दूसरी, 'भारतीय साहित्य के निर्माता' जिसमें देश-भर के प्राचीन काल से आज तक के लेखकों का संक्षिप्त जीवन-परिचय और साहित्य का मूल्यांकन होगा।

1981 में साहित्य अकादमी ने 'एशिया में रामायण के पाठान्तर' उनका 'सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवशास्त्रीय महत्व' पर एक अन्तर्राष्ट्रीय परिसंवाद (सेमिनार) का आयोजन किया। प्रेमचन्द जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय व तीन क्षेत्रीय परिसंवाद दिल्ली व वाराणसी में आयोजित किए गए। सितम्बर 1981 में चण्डीगढ़ में बुल्लेशाह के सम्मान में एक परिसंवाद हुआ और दूसरा परिसंवाद आधुनिक पंजाबी विद्वान डा० पूर्ण सिंह के सम्मान में हुआ।

अकादमी श्रेष्ठ साहित्यकारों को अपना "फेलो" चुनकर सम्मानित करती है। यह अंग्रेजी और प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित रचनाओं को पुरस्कृत भी करती है।

युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन

18–28 वर्ष के प्रखर प्रतिभाशाली युवा कलाकारों के लिए हिन्दुस्तानी संगीत, शास्त्रीय नृत्यों के विभिन्न रूपों तथा प्राचीन कला मंच, नाटक, चित्रकला तथा शिल्प-कला के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 75 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। छात्र 2 वर्ष तक 350 रुपये प्रतिमास पाता है।

प्रतिभाशाली बच्चे

10–14 वर्ष के प्रतिभाशाली बच्चों में संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा शिल्पकला जैसी ललितकलाओं में प्रतिभा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 25 छात्रवृत्तियां शास्त्रीय घरानों और सम्प्रदायों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। अपने रहने वाली जगहों में प्रशिक्षणाधीन छात्रों को 600 रु० प्रति वर्ष दिया जाता है और अपने घर से दूसरी जगह जाकर प्रशिक्षण पाने वालों के मामले में यह रकम बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। ये बच्चे फीस के रूप में जितने रुपये देते हैं उतने रुपये बाद में अकादमी उन्हें अदा कर देती है, विद्यालयों के बच्चों को प्रति वर्ष 1000 रुपये तक और प्राइवेट गुरुओं से सीख रहे बच्चों को प्रति वर्ष 1500 रुपये तक।

फेलोशिप

प्रदर्शनात्मक, प्लास्टिक तथा साहित्य-कलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे 25–65 आयु-समूह के सर्वोत्तम कलाकारों को मूल वित्तीय सहायता देने के लिए, 1000 रु० (प्रतिमास) की 15 सीनियर फेलोशिप, तथा 500 रु० (प्रतिमास) की 35 जूनियर फेलोशिप 1979-80 से प्रति वर्ष दी जा रही है। इनकी कालावधि दो वर्ष होती है। ये फेलोशिप निश्चित परियोजनाओं तथा योजनाओं के लिए दी जाती हैं। ये योजनाएं तथा परियोजनाएं या तो स्वयं कलाकारों के सुझाव पर शुरू की जाती हैं, या इनका चुनाव केन्द्रीय सरकार की पहल पर किया जाता है। विलुप्त हो रही भाषाओं तथा लिपियों, जिनके विशेषज्ञों की संख्या तेजी से घट रही है, के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिये प्रतिवर्ष 10 व्यक्तियों को दो वर्षों के लिए 600 रु० मासिक की छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि पुरालेख शास्त्र पुरालिपि शास्त्र, लुप्त भाषाओं, प्राचीन लिपियों तथा मुद्राशास्त्र के क्षेत्रों में उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य होता रहे।

साहित्य, कलाओं तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे 58 वर्ष से अधिक की आयु के उन विशिष्ट व्यक्तियों को, जिनकी मासिक आय 400 रु० से कम हो, अनुदान के रूप में 200 रु० प्रति माह तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

पुस्तकें

भारत विश्व के दस बड़े पुस्तक प्रकाशक देशों में एक है। और अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन में अमरीका और ब्रिटेन के बाद इसका तीसरा स्थान है। 1980 में लगभग 13,000 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

सन् 1957 में एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में गठित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अच्छे साहित्य का प्रकाशन करता है, तथा ऐसे साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देता है। इस साहित्य को यह साधारण मूल्य पर पुस्तकालयों, शिक्षण संस्थाओं तथा जनता को सुलभ कराता है। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित करने के साथ-साथ यह पुस्तक मेलों, प्रदर्शनियों, गोष्ठियों आदि का भी आयोजन करता है। विद्यार्थियों की जरूरतें पूरी करने की दृष्टि से न्यास, भारतीय लेखकों द्वारा अंग्रेजी की विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन में वित्तीय सहायता देता है।

अपने गठन से दिसम्बर, 1981 तक की अवधि में, न्यास ने अंग्रेजी तथा प्रमुख भारतीय भाषाओं में 2334 पुस्तकें प्रकाशित कीं। न्यास की अधिकांश पुस्तकें 'भारत भूमि और उसके निवासी', 'राष्ट्रीय जीवन चरित', 'लोकप्रिय विज्ञान', 'आज का विश्व', 'भारत का लोक साहित्य' और 'युवा भारत पुस्तकालय', पुस्तकमाला के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त न्यास, सामान्य विषयों पर भी पुस्तकें प्रकाशित करता है। न्यास 'आदान-प्रदान' पुस्तक-माला के अन्तर्गत वयस्क पाठकों तथा 'नेहरू बाल पुस्तकालय' पुस्तकमाला के अन्तर्गत बाल पाठकों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने की दो विशेष परियोजनाएं चलाता है। आदान-प्रदान पुस्तकमाला के अंतर्गत न्यास मुख्य भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण पुस्तकों का अन्य मुख्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन हेतु चुनाव करता है। 'नेहरू बाल पुस्तकालय' पुस्तकमाला बच्चों के पाठ्यक्रम की पुस्तकों की सहायक पठन-सामग्री के रूप में होती है। दोनों ही परियोजनाओं का उद्देश्य

राष्ट्रीय एकता बढ़ाना तथा एक भारतीय भाषा की उत्कृष्ट पुस्तकों को अन्य मुख्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके अन्तर-क्षेत्रीय तथा अन्तर-भाषाई आधार पर सम्पर्क बढ़ाना है।

न्यास ने गांव के लोगों के लिए उपयुक्त पठन-सामग्री के प्रकाशन के लिए एक नई योजना शुरू की है। न्यास ने दूसरी परियोजना जुलाई 1981 में उड़ीसा के पुरी जिले में राज्य सरकार के सहयोग से आरम्भ की। इसके अन्तर्गत पहले तो गांवों में जाकर सर्वेक्षण द्वारा यह मालूम करना होता है कि लोग किस प्रकार के साहित्य को पसन्द करते हैं और फिर कार्यशालाएं चलाकर स्थानीय लेखकों से उसी प्रकार की पठनसामग्री तैयार करवायी जाती है। इसलिए इस प्रकार की छः पाण्डुलिपियां तैयार की गई थीं जिन्हें न्यास ने पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है। इसकी शुरुआत गुजरात में हो चुकी है जहां कुछ चुने हुए स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया और फिर जुलाई 1980 में स्थानीय लेखकों की कार्यशाला आयोजित की गई तथा न्यास ने ग्रामीण लोगों के लिए 7 पुस्तकें तैयार कीं और उनका उड़िया की ■ पुस्तिकाओं के साथ फरवरी 1982 में विमोचन किया गया।

विश्वविद्यालय स्तर की अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता 1970–71 से चल रही है। दिसम्बर 1981 तक न्यास विश्वविद्यालय स्तर की विभिन्न विषयों को 410 पुस्तकों के प्रकाशन में वित्तीय सहायता दें।

न्यास पुस्तक मेलों का राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आधार पर आयोजन करता रहता है। इसने अब तक महानगरों में 10 राष्ट्रीय पुस्तक मेलों का आयोजन किया है। इसके अलावा 95 क्षेत्रीय पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन भी न्यास द्वारा किया जा चुका है। 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने क्षेत्रीय आधार पर पुस्तक समारोहों के आयोजन का कार्यक्रम भी शुरू किया है।

विश्व पुस्तक मेला

न्यास ने अब तक पांच विश्व पुस्तक मेले (1972, 1976, 1978, 1980 और 1982 में) आयोजित किए। पांचवा विश्व पुस्तक मेला 5-15 फरवरी, 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें 450 से अधिक भारतीय प्रकाशकों व 30 देशों से 70 विदेशी प्रकाशकों ने भाग लिया।

उल्लेखनीय है कि मेले में भारतीय भाषाओं तथा इंगलिश में 1980 तथा 1981 में भारत में प्रकाशित 7000 पुस्तकें प्रदर्शित की गयी।

वर्तमान वर्ष में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की रजत जयन्ती है और इस सिलसिले में प्रकाशन का विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है।

पुस्तकों का आयात

शिक्षा, विज्ञान व तकनीकी पुस्तकों और भाषाएं सीखने के लिये रिकार्डों के आयात के लिये आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। 1979-80 की अवधि में 21 करोड़ रु० की पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का आयात हुआ।

पुस्तकों का निर्यात

भारत स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन में बड़ा देश होने के नाते पुस्तकों के निर्यात की संभावनायें बढ़ रही हैं । 1980-81 के दौरान लगभग [redacted] करोड़ रुपये मूल्य की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का निर्यात किया गया । विदेशों में भारतीय पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने तथा वहां से छपाई का काम प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं । विदेशों में भारतीय पुस्तकों को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेता रहता है, भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करता है और बाजार सर्वेक्षण करवाता है ।

1981-82 के दौरान भारत ने कई अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया और विदेशों में भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां भी आयोजित की गईं।

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग सामान्य पाठक को राष्ट्रीय जीवन तथा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं तथा राष्ट्रीय नेताओं की शिक्षाओं के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से पुस्तकें, पुस्तिकाएं, एलबम व पत्रिकाएं प्रकाशित करता है।

प्रकाशन विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है 'सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय' का प्रकाशन। अब तक इसके हिन्दी में 75 तथा अंग्रेजी में 84 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। कुल 90 खंड प्रकाशित करने का कार्यक्रम है।

विभाग बच्चों के लिए भी पुस्तकें निकालता है। इसके साथ विभाग ने नई पीढ़ी के समक्ष सुप्रसिद्ध भारतीयों की जीवनियां मनोरंजक रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक नई चित्रकथा प्रारम्भ की है। ये पुस्तकें अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्ति की मातृभाषा में भी निकाली जाएंगी।

राजा राममोहन राय राष्ट्रीय शैक्षणिक साधन केन्द्र

राजा राममोहन राय राष्ट्रीय शैक्षणिक साधन केन्द्र भारतीय लेखकों, देश में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के उत्पादन और विदेशों से आयातित मुद्रित सामग्री के प्रलेख-पोषण और आंकड़ात्मक विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए 1972 में, नई दिल्ली में, एक सूचना केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया था, जिससे पुस्तकों के लिए एक सार्थक आयात नीति निर्धारित की जा सके। इसके पास विश्वविद्यालय स्तर की देश में प्रकाशित पुस्तकों का तथा ब्रिटेन, अमरीका और सोवियत संघ की सरकारों से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के "सहयोग" कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रकाशित विदेशी पाठ्य पुस्तकों के सस्ते संस्करणों का विशाल संदर्भ संग्रह है। इस संग्रह से लेखकों, प्रकाशकों और इस क्षेत्र के अन्य लोगों को विषय-क्षेत्रों और उस स्तरों के, जिन पर पुस्तकें देश में ही तैयार की जानी चाहिएं, अभिनिर्धारण में सहायता मिलती है। भारतीय पुस्तकों की सुलभता की जानकारी देने के लिए यह केन्द्र विभिन्न विश्वविद्यालय केन्द्रों में पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करता रहा है। केन्द्र चुनी हुई किताबों का विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन कराने की व्यवस्था भी करता है और विभिन्न विश्वविद्यालयों आदि के लिए उपयुक्त सिद्ध होने वाली पुस्तकों के ब्यौरे परिपत्रित करता है ताकि उनका अधिकाधिक उपयोग हो सके। यह विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन तथा उपयोग संबंधी पहलुओं पर नमूना-सर्वेक्षण करता है।

हाल में इसे भारत में अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक क्रमांक प्रणाली लागू करने के लिए राष्ट्रीय अभिकरण का नाम दे दिया गया है । इसके अलावा, लेखकों तथा अनुसंधानकर्त्ताओं की जरूरतें पूरी करने के लिए यह ग्रंथ सूचियां तथा संवाद पत्र (न्यूज लैटर) भी प्रकाशित करता है ।

कापीराइट अधिनियम

कापीराइट अधिनियम, 1957 जिसने तत्सम्बन्धी सब नियमों को संशोधित तथा समेकित किया, 21 जनवरी, 1958 को लागू हुआ । इस अधिनियम के अन्तर्गत एक कापीराइट बोर्ड, जिसे विवादों का फैसला करने का अधिकार प्राप्त है, तथा एक कापीराइट कार्यालय स्थापित किया गया । अपनी स्थापना से लेकर, 31 दिसम्बर, 1981 तक कापीराइट कार्यालय ने, 45,165 कृतियां पंजीकृत कीं । इनमें सिनेमाटो ग्राफ फिल्मों सहित कलात्मक कृतियां 35,302 थीं और साहित्यिक पुस्तकें 9,863 । अधिनियम के अन्तर्गत, अंतर्राष्ट्रीय कापीराइट अनुदेश के द्वारा विदेशों में तैयार पुस्तकों को संरक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है ।

भारत विश्व कापीराइट कन्वेंशन, साहित्यिक और कलात्मक कृतियों की सुरक्षा सम्बन्धी बर्न कन्वेंशन, फोनोग्राम की अनधिकृत अनुकृति के विरुद्ध फोनोग्राम उत्पादकों के हितरक्षा सम्बन्धी जेनेवा कन्वेंशन और विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन सम्बंधी कन्वेंशन का सदस्य है ।

पुस्तकालय

देश भर में सब प्रकार के 60 हजार से अधिक पुस्तकालय हैं जिनमें 10 संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं से सम्बन्धित हैं और 5,000 से अधिक विशिष्ट पुस्तकालय भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित हैं ।

यद्यपि पुस्तकालय सम्बन्धी कार्य राज्यों के अधीन हैं परन्तु केन्द्र का संस्कृति विभाग कुछ केन्द्रीय पुस्तकालयों का प्रबन्ध करता है तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों को चलाने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । सार्वजनिक पुस्तकालयों के नियमित विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों ने कानून पास किए हैं ।

कापीराइट पुस्तकालय

पुस्तक तथा समाचार पत्र वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत चार पुस्तकालय भारत में प्रकाशित हर नई पुस्तक और पत्रिका के सभी अंक की प्रति पाने के अधिकारी हैं । राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता; केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई; केन्नेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, मद्रास और दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली ।

पाण्डुलिपि पुस्तकालय

पाण्डुलिपि पुस्तकालय तथा प्राच्य विद्या के अध्ययन के पुस्तकालय सारे देश में अनेक स्थानों पर हैं । बहुधा इन्हें भारत सरकार आर्थिक सहायता देती है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों तथा निजी अभिकरणों द्वारा संचालित 500 से अधिक पुस्तकालय हैं जिनमें लाखों पाण्डुलिपियां सुरक्षित हैं ।

कुछ महत्वपूर्ण पाण्डुलिपि-पुस्तकालयों में ये शामिल हैं—सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावूर, तमिलनाडु; राजकीय प्राच्य पाण्डुलिपि पुस्तकालय, मद्रास;

खुदाबख्श प्राच्य पब्लिक पुस्तकालय, पटना ; रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश; पुणे, महाराष्ट्र व बड़ोदरा, गुजरात के प्राच्य अनुसंधान पुस्तकालय; संस्कृत विश्वविद्यालय पुस्तकालय वाराणसी; मौलाना आजाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पुस्तकालय, अलीगढ़ और विश्वेश्वरानन्द वैदिक अनुसंधान संस्थान पुस्तकालय, होशियारपुर पंजाब ।

अन्य पुस्तकालय

शोधकर्ताओं की सुविधा के लिए विशेष पुस्तकालयों की व्यवस्था है जिनमें विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली; भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता; गोखले संस्थान, पुणे ; थियोसोफिकल सोसायटी, मद्रास; राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली तथा भारतीय लोक-प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली प्रमुख हैं।

कुछ और मुख्य पुस्तकालय हैं—दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली । इनके अतिरिक्त कुछ बड़े विश्व विद्यालयों में भी पुस्तकों के काफी बड़े-बड़े संग्रह हैं।

पुरातत्व

राष्ट्रीय महत्व के सब प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, केन्द्र सरकार के दायित्व में हैं जबकि अन्य प्राचीन तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की देखरेख राज्य सरकारें करती हैं ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी, प्राचीन स्थानों की खुदाई, केन्द्र द्वारा सुरक्षित स्मारकों और जगहों की देखभाल, पुरातत्व सर्वेक्षण, स्मारकों के इर्द-गिर्द बाग-बगीचों का रख-रखाव, मूर्तियों, स्मारकों तथा अन्य कला-कृतियों का रासायनिक पदार्थों द्वारा संरक्षण, पुरातत्व संग्रहालयों की देखभाल, बहुरूपी अभिलेख और समीक्षाएं प्रकाशित करता है तथा प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 एवं पुरातत्व तथा कला.वस्तु अधिनियम, 1972 को भी लागू करता है ।

पुरातत्व तथा कला वस्तु अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत एक सौ वर्ष पुरानी (पाण्डुलिपियों, मसौदों आदि के मामले में 75 वर्ष) किसी भी वस्तु का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था के महानिदेशक के वैध आज्ञापत्र (परमिट) के बिना निर्यात नहीं किया जा सकता । इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विख्यात कलाकारों की उन कलाकृतियों के निर्यात के लिए भी आज्ञापत्र की जरूरत होती है, जिन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत कलानिधि घोषित कर दिया गया है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय निकास केन्द्रों पर एक विशेषज्ञ समिति होती है जो पुरातत्व सामग्री न होने का प्रमाणपत्र जारी करती है। मूर्तियों और कलाकृतियों के अतिरिक्त चित्रित, पेंटिंग हुई और अक्षरों पर सोने चांदी के काम वाली पाण्डुलिपियां जो सौ वर्षों से अधिक पुरानी है के पंजीकरण की योजना भी चालू है। इस अधिनियम के अनुसार पुराविशेषों का व्यापार केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें पुरातत्व सर्वेक्षण के लाइसेंसिंग अधिकारी से लाइसेंस मिला हुआ हो। केन्द्र द्वारा रक्षित स्मारकों तथा संग्रहालयों का फिल्मांकन करने या फोटो लेने के लिए भी आज्ञापत्र या लाइसेंस की जरूरत होती है।

पुरातत्व सर्वेक्षण का अपना पुस्तकालय भी है जो देश में सबसे पुराने पुस्तकालयों में से है। इसमें न केवल भारत वरन् दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में भी दुर्लभ सामग्री है। इसमें चित्रों का एक अलग पुस्तकालय है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नेपाल, अफगानिस्तान और मिस्र में पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण और खुदाई के कार्य में भी भाग लिया। यह पुरातत्व में एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाता है, जिसमें पड़ोसी देशों के विद्यार्थी भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था के अलावा लगभग सभी राज्यों में अपने-अपने पुरातत्व विभाग हैं। विश्वविद्यालयों के पुरातत्व विभाग, स्वतन्त्र रूप से अथवा राज्य तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था के सहयोग से शोध करते हैं। एक केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड, केन्द्र तथा राज्य सरकारों और विश्व-विद्यालयों के पुरातत्व अनुसंधान कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करता है।

ग्रहालय

भारत में पहला संग्रहालय 1814 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इस समय देश में 370 से अधिक संग्रहालय हैं।

केन्द्र सरकार पुरातत्व, कला, प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, स्मारक और हस्तशिल्प, विज्ञान और टेक्नालाजी तथा उद्योगों और रेल परिवहन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से कुछ का प्रशासन चलाती है और उन्हें वित्तीय सहायता देती है।

कुछ मुख्य संग्रहालय ये हैं: नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय नवकला वीथि, प्रकृति विज्ञानसम्बन्धी राष्ट्रीय संग्रहालय, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, हस्तकला संग्रहालय और रेल परिवहन संग्रहालय, कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल हाल तथा आशुतोष संग्रहालय, हैदराबाद में सालारजंग संग्रहालय और राज्य संग्रहालय, बम्बई में पश्चिम भारत का प्रिंस आफ वेल्स संग्रहालय, मद्रास में सरकारी संग्रहालय, वाराणसी में भारत कला भवन, इलाहाबाद में नगरपालिका संग्रहालय, लखनऊ में राज्य संग्रहालय, अहमदाबाद में केलिको वस्त्र संग्रहालय। लगभग 25 प्राचीन स्थानों पर भी पुरातत्व संग्रहालय हैं। उनमें से कुछ हैं—कोणार्क, अमरावती, नागार्जुनकोण्डा, नालंदा, सांची, सारनाथ आदि। दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे स्थानों पर गुड़ियों; कपड़ों के डिजाइनों तथा बच्चों से सम्बन्धित संग्रहालय भी हैं। कुछ तकनीकी और वैज्ञानिक संग्रहालय भी कलकत्ता, बंगलौर और बम्बई में स्थापित किए गए हैं।

संग्रहालय शास्त्र में स्नातक व डिप्लोमा स्तर के प्रशिक्षण की सुविधाएं अलीगढ़, बड़ोदरा, कलकत्ता, भोपाल और बनारस तथा पिलानी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती हैं।

भारत सरकार विभिन्न स्थानों पर प्रति वर्ष संग्रहालय शिविरों का आयोजन करती है, राष्ट्रीय संग्रहालय में सेवारत कर्मचारियों के लिए छः सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और संग्रहालय सामग्री के संरक्षण का तीन महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाती है और देश और विदेश में प्रशिक्षण के लिए फेलोशिप प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की

सम्बन्धी प्रशिक्षण की सुविधाएं सीमित होने के कारण, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, लखनऊ और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में अधिक संरक्षकों को प्रशिक्षण दिलवाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

हमारे संग्रहालय कुछ चुने हुए विषयों पर देश-विदेश में प्रदर्शनियों का आयोजन भी करते हैं।

राष्ट्रीय अभिलेखागार

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, पुराने अभिलेखों को सुरक्षित रखने में एशिया भर में सबसे बड़ा और सुसंगठित अभिलेखागार है। इसके पास में लाखों सार्वजनिक रिकार्ड, नक्शे, निजी कागजात, माइक्रो फिल्में, पुस्तकें हैं जिन्होंने अलमारी में 25 किलोमीटर स्थान घेर रखा है। हजारों शोधकर्ताओं को शोध-शिक्षा दी जाती है। इस विभाग के प्रमुख कार्य-कलाप हैं : भारतीय अभिलेखागार के रिकार्डों के गाइड तैयार करना, निजी रिकार्डों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना, प्रदर्शनियों, गोष्ठियों तथा व्याख्यानों द्वारा जनसाधारण में अभिलेखों के प्रति जागरूकता पैदा करना। इसके अलावा विभाग का विस्तृत प्रकाशन कार्यक्रम भी है। यह विभाग अभिलेख ज्ञान संबंधी स्कूल भी चलाता है जो कि एशिया भर में अपने ढंग का एकमात्र विद्यालय है जिसमें अभिलेख विज्ञान के विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। एक अन्य परियोजना है "स्वतंत्रता की ओर" जिसके अन्तर्गत '1937-47 में राष्ट्रीय आन्दोलन' तथा सत्ता के हस्तांतरण के रिकार्ड दस खण्डों में प्रकाशित होने हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्बन्ध

सांस्कृतिक करार

भारत के 62 देशों के साथ सांस्कृतिक करार हैं। ये देश हैं:—अफगानिस्तान, मिस्र, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बहरीन, बेल्जियम, ब्राजील, बल्गारिया, क्यूबा, फोलम्बिया, साइप्रस चेकोस्लोवाकिया, कोरिया गणराज्य, संघीय जर्मनी गणराज्य, फ्रांस, जर्मन जनवादी गणराज्य, केन्या यूनान, गुयाना, हंगरी, इन्डोनेशिया, ईरान, इराक, इटली, जापान, जोर्डन, घाना, कुवैत, लेसोथो, मारीशस, मंगोलिया, मेक्सिको, मलेशिया, मोरक्को, नार्वे, यमन जनवादी प्रजातान्त्रिक गणराज्य, फिलिपीन, पोलैण्ड, पुर्तगाल, कोरिया जनवादी गणतन्त्र, रूमानिया, कुआतार रुआंडा, श्रीलंका, सेनेगल, सूडान, सीरिया, सोमालिया, ट्यूनिशिया, तुर्की, थाईलैण्ड, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात, सोवियत संघ, वियतनाम, युगांडा, यूगोस्लाविया, जाम्बिया, जैरे और जिम्बाब्वे। इनमें से कुछ देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के रूप में प्रकट हुए हैं। अब तक भारत ने 35 देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्बन्धी समझौते किए हैं।

यद्यपि सांस्कृतिक सहयोग सम्बन्धी गतिविधियां मुख्यतः केन्द्रीय शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालय के संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम यूनेस्को के साथ सहयोग रखने वाले भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते

औरोविल भारत सरकार के कहने से यूनेस्को ने 'औरोविल' परियोजना अपना ली है जो अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्बंधों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था है। अभी हाल में केन्द्रीय सरकार ने इसका प्रबन्ध अस्थायी तौर पर अपने हाथ में ले लिया है ताकि यह परियोजना अपने आदर्शों और उद्देश्यों के अनुरूप विकसित हो सके।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद जो 1950 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत एक सामूहिक निकाय के रूप में स्थापित की गई थी, भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध और पारस्परिक सद्भावना बढ़ाने और सुदृढ़ करने का सतत प्रयास करती है। बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, मद्रास और वाराणसी में परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय हैं और सूवा (फिजी), जार्जटाउन (गुयाना) और पारामारिबू (सूरिनाम) में सांस्कृतिक केन्द्र हैं।

परिषद के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं : भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन का पारस्परिक आदान-प्रदान, भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं में पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मंडलों, विद्वानों और कलाकारों का आदान-प्रदान और भाषणों, गोष्ठियों तथा सम्मेलनों का आयोजन। विदेशों में भारतीय विद्याओं के अध्ययन केन्द्रों और पीठों की स्थापना, भारत में विदेशी छात्रों के हितों की देख-भाल और अंग्रेजी, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच और हिंदी में पत्रिकाओं के प्रकाशन को यह बढ़ावा देती है।

परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सद्भाव के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान करती है जो 1964 में भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था। अब तक यह पुरस्कार ऊ थां, स्वर्गीय डा० मार्टिन लूथर किंग, खान अब्दुल गफ्फार खां, यहूदी मेनुहिन, मदर टेरेसा, डा० कैनेथ डी० कोंडा, जोसेफ ब्रोज टीटो, आन्द्रे मालरो, जूलियस नैरेरे, राउल प्रेबिश, जोनास साक, जुसेप्पे तुक्की, तुलसी मेहर जी श्रेष्ठ, निचिदात्सु फूजी, नेल्सन मन्डेला 'बारोनेस बारबरा 'वार्ड-जैक्सन' गुन्नर मृडल और एल्वा मृडल को दिया गया है।

त्यौहार

भारतीय त्योहारों की संख्या बहुत बड़ी है और वे अपनी उत्पत्ति में भी विविधता लिए हुए हैं। इनमें से कुछ राष्ट्रीय महापुरुषों के जन्मदिनों, कुछ ऋतुओं और कुछ फसलों के पक जाने से सम्बन्धित हैं। कुछ और त्यौहारों का सम्बन्ध धर्म, पौराणिक कथाओं और आख्यानों से है। देश के सभी मुख्य समुदायों के त्यौहारों को सार्वजनिक छुट्टी के रूप में मान्यता दी गई है। कुछ देश-व्यापी त्यौहारों के नाम हैं—दीवाली, दशहरा, होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, वैशाखी, गुरुपर्व, बुद्ध जयन्ती, महावीर जयन्ती, जमशेद नवरोज, ईद-उल-जुहा, ईद-उल-फितर, ईद-ए-मिलाद और मुहर्रम। 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस, 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस तथा 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी जन्म दिवस, राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में मनाए जाते हैं।

7 वैज्ञानिक अनुसंधान

भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और विभिन्न निजी संगठनों के तत्वावधान में होता है जिनमें उद्योग भी शामिल हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए लगभग 150 अनुसंधान प्रयोगशालाएं मुख्य विज्ञान विभागों के नियंत्रण में काम कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार के रेलवे, दूर-संचार आदि विभिन्न मंत्रालयों में अनुसंधान कार्यक्रमों को चलाने के लिए अनेक वैज्ञानिक संस्थान हैं। कृषि, पशुपालन आदि क्षेत्रों में जो कि राज्य सरकारों के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं, राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के प्रयत्नों में सहायता करती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उन शिक्षा-संस्थाओं में किया जा रहा है, जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन हैं। इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से धन मिलता है। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् बनाई है। शिक्षा-संस्थाओं को विभिन्न प्रमुख वैज्ञानिक अभिकरणों से भी अनुसंधान के लिए सहायता मिलती है।

अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर 1981 में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सहित 717 ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान थे, जिनके अनुसंधान तथा विकास एकक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग में पंजीकृत थे। उन्हें अनुसंधान एवं विकास कार्य शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार अनेक प्रोत्साहन दे रही है।

अनुसंधान तथा विकास और इससे संबधित वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यों पर खर्च 1950–51 में 4.7 करोड़ रु० की तुलना में 1979–80 में लगभग 546 करोड़ रु० हो गया और अनुमान है कि 1980–81 में लगभग 726 करोड़ रु० हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी (योजना और गैर-योजना) कार्यों के लिए कुल 3,397 करोड़ रु० नियत किए गए हैं। परन्तु इसमें उद्योगों और निजी संस्थाओं द्वारा अनुसंधान और विकास पर किया गया निवेश शामिल नहीं है।

विज्ञान नीति

भारत सरकार की विज्ञान नीति 4 मार्च, 1958 में संसद द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के अनुसार निर्देशित होती है। इस प्रस्ताव के मुख्य उद्देश्यों में से एक है वैज्ञानिक जानकारी की प्राप्ति और उसके उपयोग से होने वाले लाभों को देश के लोगों तक पहुंचाना। प्रस्ताव में कुछ अन्य उद्देश्य भी रखे गए हैं, जैसे ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार तथा खोज के लिए व्यक्तिगत पहल को बढ़ावा देना; विज्ञान और शिक्षा, कृषि, उद्योग और रक्षा क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में अभिवृद्धि के साथ-साथ समुचित संख्या में वैज्ञानिक उपलब्ध करना और उनके कार्यों को मान्यता देना।

व्यय

सारणी 7.1 और 7.2 में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर हुए आधारभूत व्यय का क्षेत्रवार ब्योरा तथा प्रमुख वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों का बजट दिया गया है।

सारणी 7.1 वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर व्यय

(करोड़ रु०)

	1974–75	1976–77	1978–79	1979-80 (अनुमानित)	1980–81 (अनुमानित)
केन्द्रीय सरकार	258.92	310.49	432.70	497.60	572.23
राज्य सरकारें	28.65	32.05	41.47	45.62	50.17
निजी क्षेत्र	36.46	48.42	72.04	86.45	103.74
योग	324.03	390.96	546.21	629.67	726.14

नोट:—1979–80 और 1980–81 वर्ष के व्यय का अनुमान निम्नांकित विकास दरें मान कर लगाया गया है:—
केन्द्रीय सरकार—15 प्रतिशत
राज्य सरकारें—12 प्रतिशत
निजी क्षेत्र—20 प्रतिशत

सारणी 7.2 मुख्य वैज्ञानिक संगठनों का अनुसंधान विकास व्यय बजट

(करोड़ रु०)

अभिकरण का नाम	1979–80	1980–81 वास्तविक	1981–82 संशोधित अनुमान
1. परमाणु ऊर्जा विभाग	70.6	71.85	92.32
2. अन्तरिक्ष विभाग	48.49	57.85	77.41
3. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	48.22	41.35	49.84
4. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद	54.28	67.39	83.94
5. रक्षा अनुसन्धान और विकास संगठन	93.46	83.00	87.50
6. भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद	6.15	8.66	10.95
7. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद	85.92	76.31	102.14
8. इलेक्ट्रानिकी विभाग	8.96	5.63	6.21
9. पर्यावरण विभाग	—	3.76	6.03
योग	420.54	415.80	516.34

*वास्तविक

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर सर्वोच्च परामर्श समिति

सरकार ने मार्च 1981 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति बनाई। यह समिति विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समग्र कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करती है तथा उच्च स्तरीय नीति सम्बन्धी मामलों, दीर्घ निवारक उपायों, प्रमुख निवेशों आदि के सम्बन्ध में निर्णय देती है। विज्ञान सम्बन्धी मामलों में मंत्रिमण्डल को सलाह देने के लिए सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर सर्वोच्च परामर्श समिति भी बनाई है। योजना आयोग के सदस्य (विज्ञान) इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। और इसमें विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ शामिल हैं। यह समिति मंत्रिमण्डल को सलाह देती है और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग इसकी सहायता करता है। इसके मुख्य कार्य ये हैं : विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति-निर्धारण के मामले में सरकार को परामर्श देना और यह भी बताना कि उसे किस प्रकार लागू किया जाए, देश की प्रौद्योगिक आत्म-निर्भरता में तेजी लाने वाले उपायों की खोज करना और उन्हें सरकार को बताना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा अथवा प्रधानमंत्री द्वारा समिति को सौंपे गए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग सम्बन्धी नीति विषय मामलों पर विचार करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों/संस्थानों के संगठनात्मक पहलुओं पर विचार करना जिनमें वैज्ञानिकों, शैक्षिक संस्थानों, अनुसन्धान व विकास प्रतिष्ठानों, उद्योग व सरकारी कार्यालयों के बीच पर्याप्त सम्पर्क स्थापित करने के उपाय भी शामिल हैं; और राष्ट्र की प्रतिभाओं व योग्य व्यक्तियों के समुचित विकास के मार्ग में आने वाली विशिष्ट कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सुझाना, विकासमान देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना तथा उन सभी वैज्ञानिक मामलों पर ध्यान देना जिनका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से वास्ता हो।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 1971 में स्थापित हुआ था। तभी से यह नए, अग्रणी और उदीयमान क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में लगा हुआ है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी विविध कार्यों में समन्वय स्थापित कर रहा है। इसके आरम्भिक प्रयत्नों में शामिल हैं—देश में विद्यमान अवस्थापना के अधिकतम उपयोग के लिए बहु-संस्थीय कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय प्रयासों को सुदृढ़ करना तथा राष्ट्रीय महत्व के उच्च प्राथमिकता वाले एवं नवीन क्षेत्रों में अनुसंधान की गति को तेज करने पर ध्यान केन्द्रित करना।

विभाग के कार्यकलाप के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र ये हैं:—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी आयोजना एवं समन्वय; नए ऊर्जा स्रोत; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन; प्रौद्योगिकी उपयोग एवं अन्तरण; विशेष कार्यक्रम जैसे समुद्र-विज्ञान अनुसंधान; रेशा-प्रौद्योगिकी; परीक्षण-सुविधाओं की स्थापना; उपकरण-विकास आदि।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन प्रभाग बनाया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्द्धन के क्षेत्र में विभाग के विभिन्न कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करेगा। जीव-विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और इंजीनियरी विज्ञानों में वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय महत्व के नए उदीयमान क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सुदृढ़ और टिकाऊ राष्ट्रीय आधार तैयार करने के

वास्ते, विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान-परिषद ने समीचीन क्षेत्र निर्धारण या प्रतिवेदन तैयार करने की व्यवस्था की है और गोष्ठियां आयोजित की हैं।

नए ऊर्जा स्रोत

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ऊर्जा के नए और पुनः उपयोग योग्य स्रोतों (जैसे कि सौर-तापीय, सौर प्रकाशवोल्टीय, वायु, बायोगैस, बायोमास के उत्पादन और परिवर्तन) के क्षेत्र में अनुसधान एवं विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, प्रदर्शन-परियोजनाओं आदि प्रारूप निर्माण सुविधाओं की स्थापना को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। इस क्षेत्र का महत्व समझकर सरकार ने विज्ञान एव प्रौद्योगिकी विभाग में ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों पर एक आयोग गठित किया है, नवीकरणीय ऊर्जा से संबधित कार्यक्रम शीघ्रता से क्रियान्वित हो सकें और भावी निर्देशों से सम्बन्ध नीतियों का त्वरित निरूपण तथा समंजन हो सके।

देश के विभिन्न भागों में बीस सामुदायिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे है, जहा तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-प्रशासनिक आंकड़े एकत्र किए जाएगे। दो बायोमास अनुसंधान केन्द्र भी बनाए गए है—एक राष्ट्रीय जीव विज्ञान अनुसधान संस्थान, लखनऊ में और दूसरा कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै में। प्रदर्शन के लिए सौर तापीय यन्त्र (जल तापन, कक्ष तापन, शुष्कीकरण, वातानुकूलन और प्रशीतन के लिए) विकसित किए जा रहे हैं। गुजरात के मवनिया ग्राम में सौर आसवन संयंत्र में पानी पम्प करने के लिए, और राजस्थान के तिजारा ग्राम में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए, द्वारका बन्दरगाह पर दीपघरों में प्रदर्शन प्रणालियों के रूप मे सौर फोटोवोल्टीय माड्यूल लगाए गए है। वायु-ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिये एक व्यापक क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन, संग्रहण और उपयोजन के अध्ययन पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

समुद्र विकास विभाग

भारत सरकार ने 24 जुलाई, 1981 को समुद्र विकास विभाग की स्थापना की है जिसे उसने आपसी समन्वय, सुरक्षा, नियमन उपाय और समुद्रों सम्बन्धी समस्याओं से सम्बन्धित नीतियों को सौंपा है। समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अभिकरण (ओस्टा) के कार्य भी इसी विभाग को सौंप दिए गए हैं।

इस विभाग ने अन्टार्कटिका पर पहले भारतीय वैज्ञानिक अभियान का आयोजन किया। अनेक अलग-अलग तरह के सस्थानों से लिये गए वैज्ञानिकों का एक 21 सदस्यीय दल 6 दिसम्बर, 1981 को गोआ से रवाना हुआ और सफलतापूर्वक ■ जनवरी, 1982 को अन्टार्कटिका पहुंचा। उन्होंने वहा एक मौसम विज्ञान स्टेशन की स्थापना की जिसका कार्य-संचालन बिना किसी मनुष्य की सहायता के वैज्ञानिक उपकरण करेंगे। अपने इस अभियान के दौरान वैज्ञानिकों ने भूगर्भ विज्ञान, भू-भौतिकी, मौसम विज्ञान, सूचना संचार, वायु-प्रदूषण, सम्बन्धी प्रयोग किए और साथ ही जैविक, भूगर्भिक व रासायनिक समुद्र विज्ञान का भी अध्ययन किया।

इस अभियान के दौरान एकत्र किये आंकड़ों और सूचनाओं के विश्लेषण से हिन्द महासागर और मौसम से संबंधित जानकारी में वृद्धि होने की आशा है। इससे समुद्र विज्ञान के कई अजाने पहलुओं की जानकारी मिलने की भी आशा है। साथ ही अन्टार्कटिका के बारे में भी नई जानकारी हमारे सामने आएगी।

निर्जीव स्रोतों पर अनुसन्धान और विकास के लिए समुद्र विज्ञान अनुसन्धान पोत जर्मन संघीय गणराज्य की सहायता से प्राप्त किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण के लिए 87 वैज्ञानिक चुने गए हैं। साथ ही सजीव स्रोतों पर अनुसन्धान व विकास के लिए एक मत्स्य एवं समुद्र विज्ञान अनुसन्धान पोत, गहरे पानी में गोता लगाने के लिए एक भू-तकनीकी जहाज तथा तटीय एवं तटवर्ती क्षेत्रों में अनुसन्धान के लिए अनुसन्धान मोटर लांचों के डिजाइन एवं अभिग्रहण सम्बन्धी ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

बहुधातु अश्मपिण्डों पर अनुसन्धान कार्य और सर्वेक्षण में तेजी लाई गई है। अप्रैल 1982 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की तृतीय सभा में हुए विचार-विमर्श के पश्चात स्वीकृत समुद्री कानून समझौते ने भारत को समुद्री खनन के क्षेत्र में पूंजी लगाने वाले देशों में अग्रणी देश माना है। इससे भारत को यह अधिकार मिला है कि वह दूरस्थ गहरे समुद्र क्षेत्र के 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बहुधातु अश्मपिण्डों की प्राप्ति और उनके प्रक्रमण के लिये दावा कर सकता है।

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, सुदूर संवेदन विधियों का इस्तेमाल करके विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करता है। ऐसे सर्वेक्षणों के लिए उपग्रह प्रतिच्छवियों (इमेजरी) तथा आकाशीय उड्डयन एवं आकाशीय फोटोग्राफी द्वारा प्राप्त बहुवर्णक्रमी अवलोकन आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। राष्ट्रीय सुदूर अन्वेषण की प्रयोगशाला हैदराबाद में तथा विविध सेंसरों (अन्वेषण यंत्रों) से युक्त चार विमानों सहित अनुसंधान उड़ान की सुविधा (ऊंची, मध्यम और नीची उड़ानों के लिए) बंगलौर में है।

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण ने विमानों और उपग्रह प्रतिच्छवि पर आधारित सुदूर अन्वेषण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए संसाधनों के सर्वेक्षण कार्यक्रमों को पूरा करना जारी रखा। हैदराबाद के समीप चालू किए गए भू-केन्द्र का इस्तेमाल करके भूमि और मौसम विज्ञानीय आंकड़े प्राप्त किए गए। उपग्रहीय आंकड़ों के संग्रहण, संसाधन एवं वितरण के लिए एक आंकड़ा केन्द्र स्थापित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पुनर्गठन के सिलसिले में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण को दिसम्बर 1980 से अन्तरिक्ष विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना-प्रणाली

1977 में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना-प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सूचना स्रोतों, प्रणालियों और सेवाओं को एक प्रभावी विकेन्द्रीकृत सूचना जाल में आबद्ध करना और समन्वित करना है, जिसमें सूचना के संग्रहण, रक्षण, विश्लेषण और प्रसारण के लिए मानक और परस्पर-प्रतियोगी प्रणालियां शामिल होंगी। चार विषय-उत्पाद-मिशन प्रधान क्षेत्रीय सूचना केन्द्रों ने, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चार विभिन्न क्षेत्रों—चमड़ा (केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास); मशीनी औजार (केन्द्रीय मशीन टूल्स संस्थान, बंगलौर), खाद्य (केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान, मैसूर) और औषधि (केन्द्रीय औषधि अनुसंधान

संस्थान, लखनऊ) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, नियमित रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। संबद्ध क्षेत्रों में सूचना के सम्भावय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए रसायन, वस्त्र आदि क्षेत्रों में विभिन्न सर्वेक्षण किए गए हैं।

केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

जटिल किस्म के 'फैराइट्स', 'सिरेमिक' तथा अन्य इलेक्ट्रानिक कल-पुर्जों के पूर्णतया देशी जानकारी पर आधारित तकनीकी द्वारा निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। इसका कारखाना साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित है और उसमें व्यापार के लिए उत्पादन शुरू हो गया है। इलेक्ट्रानिकी, सौर फोटो-वोल्टैक सैलों और इलेक्ट्रानिक उपकरणों के क्षेत्रों में व्यापारिक उत्पादन के लिए इस कारखाने ने देशी जानकारी पर आधारित बहुत-सी अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। इस कारखाने को एक राष्ट्रीय परियोजना, नासपेड परियोजना सौंपी गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत सौर्य फोटोवोल्टाइक उत्पादों का प्रायोगिक उत्पादन किया जाना है। सौर्य सेलों की कार्यक्षमता और प्रक्रमण उत्पाद बढ़ाने में आमतौर पर इस परियोजना ने प्रगति की है। मझगाव डाक लि० से तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के लिए बम्बई हाई में स्थित उनके समुद्री तेल मंचों पर पांच सौर्य फोटोवाल्टाइक तन्त्र लगाने के आदेश मिले हैं अनेक सौर्य फोटोवाल्टाइक शक्ति स्रोतों/तन्त्रों की, जिन का उपयोग जमीन से पानी निकालने, सूचना-संचार, नौ सेना उपकरणों, रेडियो/टेलीविजन आदि के लिए किया जाता है, डिजाइन तैयार की गई, उन्हें बनाया गया और उनकी कार्यक्षमता के मूल्याकन के लिए उन्हें स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय सर्वेक्षण और अन्य संस्थान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून, राष्ट्रीय एटलस और थीमैटिक मानचित्रण संगठन, कलकत्ता और राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली का प्रशासनिक दायित्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पर है। वनस्पति विज्ञान एवं प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण विभाग अब नवगठित पर्यावरण विभाग को स्थानान्तरित कर दिए गए हैं।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने कोयला खानों, सिंचाई, बिजली, संचार, बाढ़-नियन्त्रण, वन सर्वेक्षण आदि से सम्बन्धित विकास-परियोजनाओं के लिए अनेक क्षेत्र और धरातल सर्वेक्षण किए। फोटोग्रामिति एवं इंस्ट्रुमैंटेशन के लिए अनुसंधान और विकास कार्य में भी सन्तोषजनक प्रगति हुई।

अनेक अनुसंधान संस्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। ये हैं: भारतीय विज्ञान संवर्द्धन संघ, कलकत्ता; बोस संस्थान, कलकत्ता; रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलौर; बीरबल साहनी पुरातन वनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ; वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून; महाराष्ट्र विज्ञान संवर्द्धन संघ, पुणे; पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणीविज्ञान पार्क, दार्जिलिंग; श्रीचित्र तिरूनल चिकित्सा केन्द्र, तिरुअनन्तपुरम्; भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी; नई दिल्ली और भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता।

राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजना एवं समन्वयन समिति

जनसंख्या की वृद्धि एवं फैलाव और आर्थिक विकास के संदर्भ में मानव पर्यावरण के सुधार की समस्याओं का पता लगाने, छानबीन करने और उनका हल सुझाने के लिए भारत सरकार ने 1972 में राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजना एवं समन्वयन समिति बनाई।

परमाणु ऊर्जा

परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसकी स्थापना अगस्त 1948 में की गई थी, देश में परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारी अभिकरण है, परमाणु ऊर्जा विभाग जिसकी स्थापना अगस्त 1954 में की गई थी।

परमाणु ऊर्जा के उपयोग से संबंधित अनुसंधान और विकास का कार्य बम्बई के निकट स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे में किया जाता है। यह केन्द्र देश में सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रतिष्ठान है। इस समय, इस प्रतिष्ठान में चार अनुसन्धान रिएक्टर हैं: एक मेगावाट की क्षमता वाला तैरने के तालाब जैसा 'अप्सरा'; 40 मेगावाट की क्षमता वाला 'साइरस'; शून्य ऊर्जा वाला प्रयोगात्मक रिएक्टर 'जर्लीना' और शून्य ऊर्जा वाला तीव्र रिएक्टर 'पूर्णिमा'। इसके अतिरिक्त यहां कुछ ऐसी प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं हैं जो विश्व की अत्यधिक विकसित प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं में से हैं। ट्राम्बे में आर–5 नामक 100 मेगावाट का एक तापीय अनुसंधान रिएक्टर निर्माणाधीन है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में 350 से अधिक किस्म के रेडियो-सक्रिय उत्पादों और यौगिकों का उत्पादन किया जाता है और ये देश के अन्दर तथा विदेशों में लगभग 500 संस्थाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। देश में रेडियो-आइसोटोपों का उपयोग औद्योगिक एक्स-रे चित्रण से लेकर विभिन्न रोगों के निदान और उपचार तक में किया जा रहा है। खाद्यान्नों को दूषण-रहित बनाने, चावल, गेहूं, मूंगफली, पटसन, गन्ना और सरसों की अधिक उपज देने वाली रोग-प्रतिरोधक उत्परि-वर्तियों (म्यूटेंट्स) के विकास, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों के परिरक्षण और दवाओं के विसंक्रमण में विकिरण के महत्वपूर्ण उपयोग किए जा रहे हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में जितने रेडियो-सक्रिय उत्पाद तथा उनसे संबंधित उपकरण निर्मित किए जाते हैं, उनमें से कुछ निर्यात भी किए जा रहे हैं। ट्राम्बे स्थित व्यावसायिक विकिरण विसंक्रमण संयंत्र (आई० एस० ओ० एम० ई० डी०) देश में औषधि उद्योग के लिए विसंक्रमण सेवा उपलब्ध करता है। बम्बई स्थित विकिरण चिकित्सा केन्द्र, निदान और चिकित्सा में रेडियो-आइसोटोपों का प्रयोग करता है।

कलकत्ता में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्थापित परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रोन, न्यूक्लीय भौतिकी में उच्चस्तर के कार्यों के लिए तथा जैवीय एवं कृषि उत्पादों के नियंत्रित सीधे अविकिरण के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा है।

बंगलौर के पास भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का गौरीबिदानूर भूकम्प केन्द्र भूमिगत न्यूक्लीय विस्फोटों का पता लगाने और अभिनिर्धारण करने में मदद करता है और भूकम्पीय अनुसंधान की सुविधाएं भी प्रदान करता है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की गुलमर्ग स्थित उच्च स्थलीय अनुसंधान प्रयोगशाला देश के सभी वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए उच्च स्थलीय अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करती है। श्रीनगर में एक न्यूक्लीय अनुसंधान केंद्र भी है।

न्यूक्लीय विज्ञान के अतिरिक्त, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अन्य अनेक क्षेत्रों में भी जिनमें धातुकर्म, निर्वात टेक्नालाजी, लेसर, प्लाज्मा भौतिकी, इले-

प्राकृतिक संसाधन व्यवस्था, उद्योग और पर्यावरण, पर्यावरण शिक्षा, मानव बस्तियों और ग्रामीण पर्यावरण संबंधी विशेष समस्याएं सुलझाने के लिए, राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजना एवं समन्वयन समिति ने उप-समितियां बनाई हैं। अनुसंधान और विकास के परियोजना प्रस्तावों और पर्यावरण-व्यवस्था उपायों के प्रदर्शन कार्यक्रमों के लिए वित्त जुटाने वाली समितियां—पर्यावरण अनुसंधान समिति और भारतीय राष्ट्रीय मनुष्य एवं जीव मंडल अनुसंधान समिति है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बनाई गई हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजना एवं समन्वयन समिति, अपने ही आदेश से अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गठित राज्य पर्यावरण समितियों के कार्यों की समीक्षा भी करती है। देश में जीवमंडल रिजर्वों का पता लगाने के लिए भी यह समिति आगे बढ़ रही है।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC

1953 में नई दिल्ली स्थापित राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, जो अनुसंधान तथा उद्योग के बीच कड़ी का काम करता है। इसे देश में आविष्कार-प्रतिभा को बढ़ावा देने का कार्य भी सौंपा गया है। प्रौद्योगिकी अन्तरण के क्षेत्र में निगम को उदग्र स्तम्भाकार भट्ठों की प्रायोगिकी पर आधारित सीमेंट उत्पादन, दूर भेजे जाने वाले अशोधित सिक्थ तेल परिवहन की गति तेज करने का उपाय ढूंढने, क्लोर-अलकली उद्योग में ऊर्जा-बचत के लिए टिटेनियम-ऐनोड के प्रयोग और पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी में कुछ प्रक्रियाओं के विकास को लेकर महत्वपूर्ण सफलता मिली है, निगम ने भारत में (मिजोरम) और नेपाल व केन्या में बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू किया है।

इस वर्ष से केन्द्र में निगम की प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए एक प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना की गई है। 3000 से अधिक योजनाओं/परियोजनाओं के प्रारूप इस बैंक में परामर्श हेतु रख दिए गए हैं। निगम ने संवर्द्धन कार्यों में भी हिस्सा लिया है जैसे-मेलों, संगोष्ठियों, कार्य-शिविरों और उद्यमों के मेल-मिलाप व अन्य समारोहों के अवसर पर भाग लेना और टेक्नोलोजी डाइजेस्ट, ग्राम शिल्प, आदि विशेष प्रकाशन निकालना। निगम ने भारत सरकार के आई० टी० ई० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत बर्मा में सौर्य उर्जा से पानी गरम करने की 20 में से 19 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं। ग्रामीण विकास के लिए अनेक उपयुक्त परियोजनाओं पर भी निगम ने काम करना शुरू किया है।

पर्यावरण विभाग

भारत सरकार ने 1 नवम्बर, 1980 को, पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रशासनतन्त्र और कानूनी उपायों की गहन समीक्षा के लिए, प्रधानमन्त्री की अधीनता में, एक नए पर्यावरण विभाग की स्थापना की। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 1 फरवरी, 1980 को गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने इस विभाग को स्थापित करने की सिफारिश की थी।

यह विभाग पर्यावरण की रक्षा एवं प्रबन्ध से सम्बन्धित कार्यों के लिए समन्वयकारी अभिकरण के रूप में कार्य करेगा। कई वर्तमान और प्रस्तावित संस्थान/अनुसंधान निकाय इसकी सहायता करेंगे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग और प्राणीसर्वेक्षण विभाग को इस नये विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में रख दिया गया है।

1 अप्रैल, 1981 को दो वर्ष के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण योजना समिति भी बनाई गई हैं।

परमाणु ऊर्जा

परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसकी स्थापना अगस्त 1948 में की गई थी, देश में परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारी अभिकरण है, परमाणु ऊर्जा विभाग जिसकी स्थापना अगस्त 1954 में की गई थी।

परमाणु ऊर्जा के उपयोग से संबंधित अनुसंधान और विकास का कार्य बम्बई के निकट स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे में किया जाता है। यह केन्द्र देश में सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रतिष्ठान है। इस समय, इस प्रतिष्ठान में चार अनुसन्धान रिएक्टर हैं: एक मेगावाट की क्षमता वाला तैरने के तालाब जैसा 'अप्सरा'; 40 मेगावाट की क्षमता वाला 'साइरस'; शून्य ऊर्जा वाला प्रयोगात्मक रिएक्टर 'जर्लीना' और शून्य ऊर्जा वाला तीव्र रिएक्टर 'पूर्णिमा'। इसके अतिरिक्त यहां कुछ ऐसी प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं हैं जो विश्व की अत्यधिक विकसित प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं में से हैं। ट्राम्बे में आर-5 नामक 100 मेगावाट का एक तापीय अनुसंधान रिएक्टर निर्माणाधीन है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में 350 से अधिक किस्म के रेडियो-सक्रिय उत्पादों और यौगिकों का उत्पादन किया जाता है और ये देश के अन्दर तथा विदेशों में लगभग 500 संस्थाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। देश में रेडियोआइसोटोपों का उपयोग औद्योगिक एक्स-रे चित्रण से लेकर विभिन्न रोगों के निदान और उपचार तक में किया जा रहा है। खाद्यान्नों को दूषण-रहित बनाने, चावल, गेहूं, मूंगफली, पटसन, गन्ना और सरसों की अधिक उपज देने वाली रोग-प्रतिरोधक उत्परि-वर्तियों (म्यूटेंट्स) के विकास, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों के परिरक्षण और दवाओं के विसंक्रमण में विकिरण के महत्वपूर्ण उपयोग किए जा रहे हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में जितने रेडियो-सक्रिय उत्पाद तथा उनसे संबंधित उपकरण निर्मित किए जाते हैं, उनमें से कुछ निर्यात भी किए जा रहे हैं। ट्राम्बे स्थित व्यावसायिक विकिरण विसंक्रमण संयंत्र (आई० एस० ओ० एम० ई० डी०) देश में औषधि उद्योग के लिए विसंक्रमण सेवा उपलब्ध करता है। बम्बई स्थित विकिरण चिकित्सा केन्द्र, निदान और चिकित्सा में रेडियोआइसोटोपों का प्रयोग करता है।

कलकत्ता में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्थापित परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रोन, न्यूक्लीय भौतिकी में उच्चस्तर के कार्यों के लिए तथा जैवीय एवं कृषि उत्पादों के नियंत्रित सीधे प्रविकिरण के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा है।

बंगलोर के पास भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का गोरीबिदानूर भूकम्प केन्द्र भूमिगत न्यूक्लीय विस्फोटों का पता लगाने और अभिनिर्धारण करने में मदद करता है और भूकम्पीय अनुसंधान की सुविधाएं भी प्रदान करता है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की गुलमर्ग स्थित उच्च स्थलीय अनुसंधान प्रयोगशाला देश के सभी वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए उच्च स्थलीय अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करती है। श्रीनगर में एक न्यूक्लीय अनुसंधान केंद्र भी है।

न्यूक्लीय विज्ञान के अतिरिक्त, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अन्य अनेक क्षेत्रों में भी जिनमें धातुकर्म, निर्वात टेक्नालाजी, लेसर, प्लाज्मा भौतिकी, इले-

क्ट्रानिक्स, कृषि, जीव-विज्ञान और चिकित्सा सम्मिलित हैं, अनुसंधान और विकास कार्य कर रहा है। गत 30 वर्षों में इस केन्द्र ने बहुत से उत्पादों और प्रक्रियाओं का विकास किया है और उनसे संबंधित तकनीकी जानकारी उद्योगों को उपलब्ध की है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र देशव्यापी कर्मचारी अनुश्रवण सेवा भी करता है जिसका उद्देश्य विकिरण साधनों का इस्तेमाल करने वाले संगठनों में लगे श्रमिकों पर विकिरण का प्रभाव मालूम करना है। इसके अतिरिक्त यह विकिरण क्रिया के प्रभाव से रक्षा संबन्धी सर्वेक्षण भी करता है।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत, अनुसंधान और विकास कार्य के अतिरिक्त अन्य अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ये कार्य, परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन देश के विभिन्न भागों में स्थित एकांशों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा रहे हैं। यूरेनियम, थोरियम, बेरीलियम तथा कोलम्बियम टैंटेलम से संबंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण और विकास का कार्य परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, किया जाता है। भारतीय रेअर अर्थ्स लिमिटेड दक्षिण भारत में तथा उड़ीसा में समुद्रतटवर्ती रेत से दुर्लभ मिट्टी, खनिज और थोरियम निकालता है। भारतीय यूरेनियम निगम बिहार के जादूगड़ा में खानों से यूरेनियम निकाल कर उसका सान्द्रण करता है। न्यूक्लीय ईंधन उद्योग समूह (हैदराबाद) परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के लिए ईंधन घटकों का निर्माण करता है। यह समूह इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए अपेक्षित विशेष प्रकार का सामान भी तैयार करता है। इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा न्यूक्लीय एवं गैर-न्यूक्लीय उपयोग के साज-सामान का निर्माण, जिसमें दूरदर्शन सेटों और संगणकों का निर्माण भी सम्मिलित है, भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड (हैदराबाद) द्वारा किया जाता है।

परमाणु बिजली

परमाणु ऊर्जा का सर्वाधिक महत्व का शांतिपूर्ण उपयोग बिजली का उत्पादन है। 1969 में महाराष्ट्र में 420 मेगावाट की क्षमता वाले तारापुर परमाणु बिजलीघर के चालू होने के साथ ही देश में परमाणु-विद्युत का शुभारंभ हुआ।

परमाणु ऊर्जा विभाग का बिजली परियोजना इंजीनियरी प्रभाग परमाणु बिजलीघरों के निर्माण और संचालन का कार्य कर रहा है। इस समय यह तमिलनाडु मे कलपक्कम स्थित 470 मेगावाट के मद्रास परमाणु बिजलीघर और उत्तर प्रदेश में नरोरा स्थित 470 मेगावाट के नरोरा परमाणु बिजलीघर के निर्माण कार्य में लगा हुआ है। इसने गुजरात में काकरापार में एक और 470 मेगावाट बिजलीघर के निर्माण कार्य को भी हाथ में लिया है। यह पहले ही दो बिजलीघर चला रहा है—एक तो बम्बई के समीप तारापुर में 420 मेगावाट का तारापुर परमाणु बिजलीघर और दूसरा कोटा के समीप राणा प्रताप सागर में 440 मेगावाट का राजस्थान परमाणु बिजली घर।

देश में अब जिन परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया जा रहा है, वे मंदक के रूप में भारी पानी का उपयोग करते हैं। पंजाब में नंगल में भारी पानी एक छोटा संयंत्र कार्यरत है। इसके अतिरिक्त बडोदरा, कोटा, तालचेर और ततोकोरिन में भारी पानी के चार और संयंत्र हैं।

कलपक्कम के रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र में अत्यधिक उन्नत रिएक्टर संकल्पना यथा तीव्र ब्रीडर रिएक्टर पर कार्य हो रहा है। यहां एक 'फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर' बन रहा है।

एक अन्य क्षेत्र, भूमिगत परमाणु विस्फोट प्रौद्योगिकी में भारत सफलता प्राप्त कर चुका है। 18 मई, 1974 को पोखरण (राजस्थान) में भारत ने सफलतापूर्वक प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण किया।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में एक उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत लगभग 150 स्नातक इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विशेष रूप से प्रशिक्षित करके उनको देश के विविध परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों में नियुक्ति के लिए तैयार किया जाता है। भारत की न्यूक्लीय सुविधाएं अनेक विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान कार्य के लिए उपलब्ध हैं।

अन्तरिक्ष अनुसंधान

भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ। उसके लिए भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में भारतीय राष्ट्रीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान समिति बनाई गई। 1969 में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य अन्तरिक्ष विज्ञान, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष अनुप्रयोग में राष्ट्र की बढ़ती हुई गतिविधियों की योजना बनाना, व्यवस्थित करना और कार्यान्वित करना था।

जून 1972 में भारत सरकार ने अन्तरिक्ष आयोग की स्थापना की। इसकी सहायता अन्तरिक्ष विभाग करता है और अन्तरिक्ष विभाग को ही भारत के अन्तरिक्ष कार्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान, संगठन अन्तरिक्ष विभाग के अधीन उसके अनुसन्धान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है।

अन्तरिक्ष आयोग, अन्तरिक्ष विभाग और भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन के मुख्यालय बंगलौर में हैं।

राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भू-उपग्रहों के माध्यम से जन-संचार और शिक्षा में प्रयुक्त करना, सुदूर-अन्वेषण प्रौद्योगिकी द्वारा अन्तरिक्ष प्लेटफार्मों से प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रबन्ध करना तथा अधिकाधिक आत्मनिर्भरता के साथ अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना, भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

ISRO

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यों और अन्तरिक्ष अनुप्रयोग कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन का कार्य उसके चार अन्तरिक्ष केन्द्रों में होता है, जो हैं—(1) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष [illegible]

(2) [illegible]

[illegible]

सहायता देता है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन के मुख्य प्रतिष्ठानों के कार्यकलाप का वर्णन नीचे दिया गया है :

ए-C शा०7

1963 से, जबकि यह रेंज चालू हुई, विभिन्न निर्मितियों (मेकों) के 1400 से भी अधिक साउंडिंग राकेट मौसमविज्ञानीय, आयनमण्डलीय, वायुविज्ञानीय और खगोलविज्ञानीय अध्ययनों के लिए छोड़े जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश प्रयोगों में बल्गारिया, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, ब्रिटेन, अमरीका और सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम किया है।

(2) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह-केन्द्र ISAC

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केन्द्र, अन्तरिक्ष यान के डिजाइन, निर्माण एवं संयोजन और उपग्रह प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जिम्मेदार है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ के नाम पर बनाए गए पहले भारतीय उपग्रह 'आर्यभट्ट' का डिजाइन और निर्माण कार्य इसी केन्द्र में किया गया। 360 कि० ग्रा० वजन का यह उपग्रह 600 कि मी० की लगभग वृत्ताकार कक्षा में भूमध्य रेखा से 51 अंश का कोण बनाते हुए, सोवियत संघ के एक प्रक्षेपण केन्द्र से रूसी अन्तर्ग्रहांडीय राकेट का इस्तेमाल करते हुए 19 अप्रैल, 1975 को छोड़ा गया। आर्यभट्ट अब भी काम कर रहा है और अपनी 6 महीने की निर्धारित आयु से भी अधिक समय तक अपनी कक्षा में भली-भांति स्थित है। इसके अन्दर सभी प्रौद्योगिक प्रणालियां ठीक-ठीक काम कर रही हैं।

आर्यभट्ट के छोड़ने के साथ ही भारत ने उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देशी क्षमता प्राप्त कर ली है यथा अन्तरिक्ष योग्य प्रणाली का डिजाइन बनाना तथा निर्माण करना, कक्षा में उसके कार्य का मूल्यांकन करना, उपग्रह पर जटिल कार्यों की श्रृंखला चलाने का तरीका निकालना, आवश्यक रिसीविंग ट्रांसमिटिंग और ट्रैकिंग प्रणालियां स्थापित करना तथा उपग्रह प्रणालियां बनाने के लिए अवस्थापना स्थापित करना।

दूसरा भारतीय उपग्रह, 'भास्कर' भू-पर्यवेक्षण के लिए सोवियत संघ के एक अन्तरिक्ष केन्द्र से 7 जून, 1979 को छोड़ा गया। 444 कि० ग्रा० के इस प्रायोगिक उपग्रह का नाम दो प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्रियों के नाम पर रखा गया है। इसका डिजाइन भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन ने तैयार किया था और उसी ने इसे बनाया था। भारत में टी० वी० कैमरों और माइक्रोवेव रेडियोमीटरों की सहायता से सुदूर अनुसन्धान प्रयोग करने के लिए इसमें जटिल उपकरण रखे हुए हैं। वन-विज्ञान, जल-विज्ञान, हिमाच्छादन, हिमगलन, भू-विज्ञान, मृत्तिका, भूमि-उपयोग और समुद्र-सतह सम्बन्धी अध्ययनों के क्षेत्रों में भास्कर ने उपयोगी प्रयोग किए हैं।

अधिक विस्तृत जांच रेंज वाला भास्कर उपग्रह का सुधरा रूप भास्कर-2 20 नवम्बर, 1981 को सोवियत संघ से सोवियत वाहन द्वारा छोड़ा गया। 436 कि० ग्रा० श्रेणी का यह उपग्रह अब कक्षा में स्थिर हो गया है। मुख्य अर्जनभार के रूप में इसके अन्दर दो टेलिविजन कैमरे और तीन आवृत्तियों वाला एक माईक्रोवेव रेडियो उपकरण है। टेलिविजन कैमरे द्वारा प्राप्त सूचनाओं से जल विज्ञान, वन विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान के अध्ययन और रेडियो मीटर-प्रणाली द्वारा प्राप्त सूचनाओं से सागर तल की स्थितियों का पता लगाने में सहायता मिलेगी।

रोहिणी उपग्रह (आर एम-1) जो इस केन्द्र में विकसित किया गया, देसी एस एल वी 3 वाहन द्वारा भारत से छोड़ा जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था। अब इस

(1) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र का नाम भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक प्रो० विक्रम साराभाई (1919–71) के नाम पर रखा गया था। यह केन्द्र साउंडिंग राकेटों और उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक पेलोडों (भारयोगों); भू-आधारित एवं वाहन-रूढ़ उपकरणों तथा प्रणोदकों (प्रोपलैन्ट्स) और राकेट हार्डवेयर के लिए उत्पादन सुविधाओं से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्य करता है। विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र ऊपरी वायुमंडल की मौसम विज्ञानीय एवं वैज्ञानिक जांच पड़ताल के लिए साउंडिंग राकेटों, मेनका और रोहिणी (मन्तोर सहित) की शृंखला बनाने और छोडने के लिए उत्तरदायी है। भारत का पहला उपग्रह-प्रक्षेपण वाहन, एसएलवी-3, जो 18 जुलाई, 1980 को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा केन्द्र में सफलतापूर्वक छोड़ा गया, इसी केन्द्र में बनाया गया था। इस चार चरणों वाले वेस प्रणोदक राकेट ने 35 किलोग्राम के देशी रोहिणी उपग्रह (आर एस-1) को पृथ्वी के निकट की कक्षा में स्थापित कर दिया।

एम० एल० वी०—3 की पहली विकासात्मक उड़ान श्रीहरिकोटा से 31 मई, 1981 को शुरू हुई। इसने 38 किलोग्राम वजन के रोहिणी (आर० एस० डी०-1) उपग्रह को पृथ्वी के निकट की कक्षा में स्थापित कर दिया यद्यपि यह अपेक्षित कक्षा से एक कक्षा नीचे थी। इस उडान का मूल उद्देश्य भविष्य की संक्रियात्मक उड़ानों के लिए वाहन क्षमता का मूल्यांकन करना था। उपग्रह के अन्दर काफी मात्रा में सवेदी अर्जन भार था। इस प्रयोग के 90 दिन चलने की आशा थी, किन्तु वाहन की कार्यक्षमता की कमजोरियों के कारण उपग्रह 9 दिन तक ही कक्षा में रहकर वायुमण्डल में प्रवेश कर गया।

ऐसा प्रक्षेपण वाहन (ए० एस० एल० वी०) बनाने के लिए जो 150 कि० ग्रा० वजन के उपग्रहों को निचली पृथ्वी कक्षा में छोड़ सके, 22.7 मीटर लम्बे एस० एल० वी०-3 में स्ट्रैप ऑन्स की मदद से सुधार किया जा रहा है। एक नया कार्यक्रम 1000 कि० ग्रा० की श्रेणी के उपग्रहों को सूर्यसमकालिक कक्षा में स्थापित करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पी० एस० एल० वी०) तैयार करने के लिए चलाया जा रहा है।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र का अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र अनुसन्धान एवं विकास की प्रमुख प्रयोगशाला है। राकेट प्रणोदन संयंत्र में राकेटों के लिए ठोस प्रणोदक तैयार किया जाता है तथा राकेट निर्माण सुविधा में राकेट और अन्य हार्डवेयर बनाए जाते हैं। प्रणोदक ईंधन संमिश्र प्रणोदकों की तैयारी के लिए आवश्यक विशेष सामग्री तैयार करता है। राकेटों के लिये द्रव प्रणोदक भी प्रयोगशाला स्तर पर विकसित किए जा चुके हैं। केरल में आलवे में, ठोस प्रणोदकों में आक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल होने वाले अमोनियम परक्लोरेट के उत्पादन के लिये एक प्रयोगात्मक संयंत्र स्थापित किया गया है।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र थुम्बा भूमध्यरेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र को चलाता और संभालता है। यह प्रक्षेपण केन्द्र संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा थुम्बा के समीप से जाने वाली, भूचुम्बकीय भूमध्यरेखा पर मौसमविज्ञान एवं आयन मण्डल सम्बन्धी समस्याओं की जाच पड़ताल के लिए साउंडिंग राकेट प्रयोगों तथा अन्य प्रयोगों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त है। नवम्बर

स-टेशन

1963 से, जबकि यह रेंज चालू हुई, विभिन्न निर्मितियों (मेकों) के 1400 से भी अधिक साउंडिंग राकेट मौसमविज्ञानीय, आयनमण्डलीय, वायुविज्ञानीय और खगोलविज्ञानीय अध्ययनों के लिए छोड़े जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश प्रयोगों में बल्गारिया, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, ब्रिटेन, अमरीका और सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम किया है।

(2) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह-केन्द्र

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केन्द्र, अन्तरिक्ष यान के डिजाइन, निर्माण एवं संयोजन और उपग्रह प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जिम्मेदार है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ के नाम पर बनाए गए पहले भारतीय उपग्रह 'आर्यभट्ट' का डिजाइन और निर्माण कार्य इसी केन्द्र में किया गया। 360 कि० ग्रा० वजन का यह उपग्रह 600 कि मी० की लगभग वृत्ताकार कक्षा में भूमध्य रेखा से 51 अंश का कोण बनाते हुए, सोवियत संघ के एक प्रक्षेपण केन्द्र से रूसी अन्तर्ब्रह्मांडीय राकेट का इस्तेमाल करते हुए 19 अप्रैल, 1975 को छोड़ा गया। आर्यभट्ट अब भी काम कर रहा है और अपनी 6 महीने की निर्धारित आयु से भी अधिक समय तक अपनी कक्षा में भली-भांति स्थित है। इसके अन्दर सभी प्रौद्योगिक प्रणालियां ठीक-ठीक काम कर रही हैं।

आर्यभट्ट के छोड़ने के साथ ही भारत ने उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देशी क्षमता प्राप्त कर ली है यथा अन्तरिक्ष योग्य प्रणाली का डिजाइन बनाना तथा निर्माण करना, कक्षा में उसके कार्य का मूल्यांकन करना, उपग्रह पर जटिल कार्यों की श्रृंखला चलाने का तरीका निकालना, आवश्यक रिसीविंग ट्रांसमिटिंग और ट्रैकिंग प्रणालियां स्थापित करना तथा उपग्रह प्रणालियां बनाने के लिए अवस्थापना स्थापित करना।

दूसरा भारतीय उपग्रह, 'भास्कर' भू-पर्यवेक्षण के लिए सोवियत संघ के एक अन्तरिक्ष केन्द्र से 7 जून, 1979 को छोड़ा गया। 444 कि० ग्रा० के इस प्रायोगिक उपग्रह का नाम दो प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्रियों के नाम पर रखा गया है। इसका डिजाइन भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन ने तैयार किया था और उसी ने इसे बनाया था। भारत में टी० वी० कैमरों और माइक्रोवेव रेडियोमीटरों की सहायता से सुदूर अनुसन्धान प्रयोग करने के लिए इसमें जटिल उपकरण रखे हुए हैं। वन-विज्ञान, जल-विज्ञान, हिमाच्छादन, हिमगलन, भू-विज्ञान, मृत्तिका, भूमि-उपयोग और समुद्र-सतह सम्बन्धी अध्ययनों के क्षेत्रों में भास्कर ने उपयोगी प्रयोग किए हैं।

अधिक विस्तृत जाच रेंज वाला भास्कर उपग्रह का सुधरा रूप भास्कर-2 20 नवम्बर, 1981 को सोवियत संघ से सोवियत वाहन द्वारा छोड़ा गया। 436 कि० ग्रा० श्रेणी का यह उपग्रह अब कक्षा में स्थिर हो गया है। मुख्य अर्जनभार के रूप में इसके अन्दर दो टेलिविजन कैमरे और तीन आवृत्तियों वाला एक माईक्रोवेव रेडियो उपकरण है। टेलिविजन कैमरे द्वारा प्राप्त सूचनाओं से जल विज्ञान, वन विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान के अध्ययन और रेडियो मीटर-प्रणाली द्वारा प्राप्त सूचनाओं से सागर तल की स्थितियों का पता लगाने में सहायता मिलेगी।

रोहिणी उपग्रह (आर एस-1) जो इस केन्द्र में विकसित किया गया, देसी एस एल वी 3 वाहन द्वारा भारत से छोड़ा जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था। अब इस

केन्द्र में रोहिणी उपग्रहों की एक श्रृंखला तैयार की जा रही है, जिसमें भावी एस एल वी वाहनों द्वारा छोड़े जाने के लिए चुने हुए वैज्ञानिक और उपयोगात्मक यंत्र भार होंगे ।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन उपग्रह केन्द्र में बने भारत के पहले तीन धुरी वाले भू-स्थिर स्थाई, संचार उपग्रह 'एप्पल' (एरियान यात्री अर्जन-भार प्रयोग) को अपनी तीसरी प्रायोगिक उडान पर कोरू, फ्रेंच गुयाना, से यूरोपीय अन्तरिक्ष अभिकरण के एरियान प्रक्षेपण वाहन की सहायता से 19 जून, 1981 को अन्तरिक्ष में छोड़ा गया। प्रारंभिक अन्तरक्ष कक्षा से 'एप्पल' को 16 जुलाई, 1981 को 102° पूर्व के ऊपर भू-समकालिक भू-स्थिर कक्षा में लाया गया। इस 670 कि० ग्रा० श्रेणी के अन्तरिक्ष यान में वे सारी कार्यप्रणालियां, जिन्हे सी-बैंड पर संचार प्रयोगों के लिए बनाया गया था, सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। सिर्फ दो सौर्य-फलकों में से एक को अन्तरिक्ष कक्षा में कार्य करने की स्थिति में नहीं लाया जा सका। 'एप्पल' से भारत की तीन धुरी वाले, भू-स्थिर स्थाई संचार उपग्रह बनाने की प्रौद्योगिक क्षमता मे वृद्धि हुई है। प्रायोगिक तौर पर इसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी में प्रयोग करने तथा देश में संचार व्यवस्था में तेजी लाने, रेडियो प्रसार को बढ़ाने, आकडे प्रदान करने, दूरस्थ क्षेत्रों तक सूचना संचार बढाने के लिए किया जा रहा है। उपग्रह के संचार यंत्रभार अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में बनाए गए तथा एपोजी बूस्ट मोटर जैसी महत्वपूर्ण उपप्रणालिया और गौण प्रणोधन प्रणालियां विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में बनाई गई।

) शार केन्द्र

आन्ध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप पर शार केन्द्र ए एस एल वी और पी एस एल वी जैसे बडे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के छोडने के लिए रेंज के रूप में विकसित किया जा रहा है । भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन एस एल वी यही से छोड़ा गया था । शार केन्द्र में राकेट मोटरो और उप प्रणालियों के विभिन्न भूमिस्थ परीक्षणो के लिए व्यापक परीक्षण सुविधा है । यह परीक्षण-सुविधा पी एस एल वी कार्यक्रम के लिए विकसित की जा रही है । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के टेलीमीटरी, ट्रैकिंग और कमांड जाल ने जो संगठन के टेलीमीटरी और टेलीकमाड जाल के प्रबन्ध के लिए स्थापित किया गया है, अपने 'शार' केन्द्र, अहमदाबाद, कार निकोबार और तिरुअनन्तपुरम स्थित केन्द्रों के द्वारा आर्यभट, भास्कर और आर एस-1 जैसे सभी प्रयासों में सहायता पहुंचाई है ।

4) अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र

अन्तरिक्ष उपयोग-केन्द्र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन की अन्तरिक्ष उपयोग सम्बन्धी परियोजनाओ की आयोजना और कार्यान्वयन करता है। इसका उद्देश्य अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक उपयोग में लाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र ने उपग्रहों द्वारा दूरसंचार और दूरदर्शन प्रसारण और

ग्रहण, प्राकृतिक और नवीकरण योग्य भू-सम्पदा के सर्वेक्षण के लिए सुदूर संवेदन तकनीकों के इस्तेमाल तथा अन्तरिक्ष मौसमविज्ञान और उपग्रह भूगणित के अध्ययन का काम हाथ में लिया है।

इस केन्द्र ने अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) उपग्रह, ए टी एस-6, के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण में एक वर्ष तक (अगस्त 1975 से जुलाई 1976 तक) उपग्रह शिक्षण दूरदर्शन प्रयोग किया। इस प्रयोग के दौरान राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के 2,400 गावों में सामुदायिक दूरदर्शन सेट लगाए गए और उपग्रह के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम सीधे प्रसारित किए।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन और सिम्फानी संगठन के मध्य हुए एक समझौते के अनुसार फ्रांसीसी-पश्चिम जर्मन सिम्फानी उपग्रह के दो ट्रांसपोंडरों में से एक को जून 1977 से दो वर्ष के लिए, उपग्रह दूरसंचार में भारतीय प्रयोगों के लिए दिया गया। उपग्रह दूरसंचार प्रयोग परियोजना नामक इस द्विवर्षीय परियोजना का कार्यान्वयन भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन और डाक-तार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उपग्रह दूरसंचार प्रयोग परियोजना के अन्तर्गत, दूरस्थ क्षेत्र संचार में परिवहनीय टर्मिनलों, रेडियो तन्त्र, आपात संचार, आंकिक संचार, 'मल्टीपल एक्सेस', स्थलीय जाल में उपग्रह सर्किटों के समाकलन तथा बहुल श्रव्य दृश्य प्रेषणों का उपयोग करते हुए प्रयोग किए गए। इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य भू-तुल्यकालीय संचार उपग्रह के लिए प्रणाली परीक्षण का अवसर उपलब्ध कराना तथा भू-स्थिर उपग्रह से सम्बद्ध दूर संचार प्रणालियों के रूपांकन, विकास, निर्माण एवं संचालन में भारत की प्रवीणता को बढ़ाना था।

उपग्रह दूरसंचार प्रयोग परियोजना के भूमिस्थ तन्त्र में अहमदाबाद, दिल्ली और मद्रास के भू-केन्द्र, एक परिवहनीय सुदूर क्षेत्र संचार टर्मिनल और एक आपात संचार टर्मिनल शामिल हैं।

प्राकृतिक और नवीकरण योग्य सम्पदा का सुदूर संवेदन से पता लगाना अन्तरिक्ष प्रयोग केन्द्र का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने 1974-75 में 'कृषि संसाधन सूची तथा सर्वेक्षण प्रयोग' नाम का एक संयुक्त प्रयोग आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले और पंजाब के पटियाला जिले में फसलों एवं भूमि उपयोग के स्वरूप के मूल्यांकन के लिए सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा किया।

कृषि सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन, खनिजों की खोज, जल स्रोतों का प्रबन्ध, वन-सूचियां और मौसम सम्बन्धी अध्ययन आदि विविध प्रयोजनों के लिए सुदूर संवेदन विधियां काम में लायी जा रही हैं। इन अनुप्रयोगों के लिए आंकड़े संकलित करने हेतु गुब्बारों, वायुयानों और अन्तरिक्ष यानों से इस्तेमाल के लिए, अन्तरिक्ष प्रयोग केन्द्र, संवेदकों का विकास कर रहा है। इनमें से कुछ संवेदक ये हैं: इन्फ्रा-रेड स्कैनर, मल्टी-स्पेक्ट्रल स्कैनर, माइक्रोवेव रेडियोमीटर और विडिकोन टी० वी० कैमरा।

पुणे, बम्बई, श्रीहरिकोटा द्वीप, जयपुर, बंगलौर तथा अनन्तपुर, पटियाला और पंचमहल (गुजरात) जिलों में कृषि एवं भूमि सम्बन्धी विशेषताओं के अध्ययन के लिए अब तक लगभग दस सुदूर संवेदन प्रयोग किए जा चुके हैं।

प्रायोजित अनुसंधान भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं का पता लगाया है और उन्हें भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्तरिक्ष विज्ञान, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष प्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास के अध्ययन का काम हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित किया है।

मानसून प्रयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 1979 में किए गए मानसून प्रयोग में भाग लिया। मानसून प्रयोग, जो 'विश्वव्यापी वायुमंडलीय अनुसंधान कार्यक्रम' नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन का क्षेत्रीय अंग था, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद द्वारा सम्मिलत रूप से किया गया। भारत में इस परियोजना को प्रमुख रूप से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चला रहा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा परियोजना को दिए गए योगदान में, राकेटों और हवाई तापीय इन्फ्रा-रेड स्कैनरों का इस्तेमाल करके आंकड़ों का संकलन और उपग्रहों से आंकड़ों का संकलन शामिल था।

भारतीय मध्य वायुमण्डलीय कार्यक्रम 10 से 100 किलोमीटर के बीच पड़ने वाले वायुमण्डल में होने वाली भौतिक व रासायनिक घटनाक्रमों व प्रक्रियाओं की खोज करने की दिशा में वैज्ञानिक अनुसन्धान का एक देशव्यापी सहकारी उद्यम है। इस कार्यक्रम में अन्तरिक्ष विभाग, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, इलैक्ट्रानिकी विभाग, पर्यावरण विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद, पर्यटन व नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भाग लेते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सेट) संचार, पर्यटन और नागरिक उड्डयन तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के सहयोग से अंतरिक्ष विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सेट) प्रणाली शुरू की है। इन्सेट प्रणाली एक बहुउद्देश्यीय कार्य संचालन सम्बन्धी अंतरिक्ष प्रणाली है जो भूस्थिर परिक्रमा करने वाले एक उपग्रह से दूरसंचार, मौसम विज्ञान और दूरदर्शन सेवाएं उपलब्ध कराएगी। प्रस्तावित प्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण दूरसंचार व्यवस्था होगी जिसके जरिए दूर के क्षेत्रों में टेलीफोन हो सकेगा, दूर-दराज इलाकों और द्वीपों से संचार सम्पर्क और आपात संचार सम्पर्क कायम हो सकेगा। मौसम विज्ञान संबंधी सुविधा के अंतर्गत 24 घंटे मौसम की जानकारी मिल सकेगी, आंकड़े इकट्ठे किए जा सकेंगे और दूर-दराज के, निर्जन स्थानों से रिले और संकट संबंधी पूर्व-चेतावनी की सुविधा हो सकेगी। दूरदर्शन क्षमता के अंतर्गत उपग्रह से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक टी०वी० सेटों पर सीधे प्रसारण और रेडियो प्रसारण हो सकेगा।

इन्सेट-1 प्रणाली के अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण में 74° और 94° पूर्व देशान्तर पर स्थिर भूस्थिर कक्षा में दो बहुउद्देश्यीय उपग्रह शामिल हैं। इन्सेट-1 ए उपग्रह को अमरीका में केप केनेवरल से 10 अप्रैल, 1982 को सफलतापूर्वक

छोड़ा गया। इन्सेट-1 ए* की स्थिति 74° पू० देशान्तर पर है। अन्तरिक्ष विभाग द्वारा तय किए गए विशिष्ट विवरण के आधार पर इन उपग्रहों को अमरीका के फोर्ड वैमानिकी अन्तरिक्ष संचार निगम ने बनाया था। इन्सेट-1 के अन्तरिक्ष-भाग की व्यवस्था, संचालन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी, अन्तरिक्ष विभाग की है। भूमि पर दूर संचार प्रणाली की स्थापना, संचालन और अनुरक्षण उस प्रणाली के दूरसंचार उपयोग की जिम्मेदारी डाक व तार विभाग की है। पृथ्वी पर मौसम से सम्बद्ध तन्त्र की स्थापना और संचालन और उसके उपयोग की जिम्मेदारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में संवर्धित दूरदर्शन उपकरणों द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाने और सारे देश में रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों के नियोजन की जिम्मेदारी आकाशवाणी और दूरदर्शन की है।

इन्सेट-1 के पृथ्वी पर स्थित अंश में पांच बड़े व तेरह मध्यम दर्जे के भूमि केन्द्र, दस दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित टर्मिनल और तीन ऐसे आपातकालीन संचार टर्मिनल शामिल हैं जिन्हें सड़क मार्ग या वायुमार्ग से पहुंचाया जा सके। सी-बैंड चैनल को हल्के व भारी दूरमाप मार्गों के लिए प्रयोग किया जाएगा। एस-बैंड चैनल से सामुदायिक दूरदर्शन रिसीवरों पर दूरदर्शन कार्यक्रम प्रेषित होंगे। इसी चैनल पर देशभर में फैले रेडियो सेट प्रसारण ग्रहण करेंगे तथा मौसम सम्बन्धी खतरे की चेतावनी भी इसी चैनल पर दी जाएगी। आंकड़े एकत्र करने वाले प्लेटफार्म बिना किसी व्यक्ति की सहायता के मौसम व जल विज्ञान सम्बन्धी सूचनाएं एक केन्द्रीय स्टेशन को भेजेंगे।

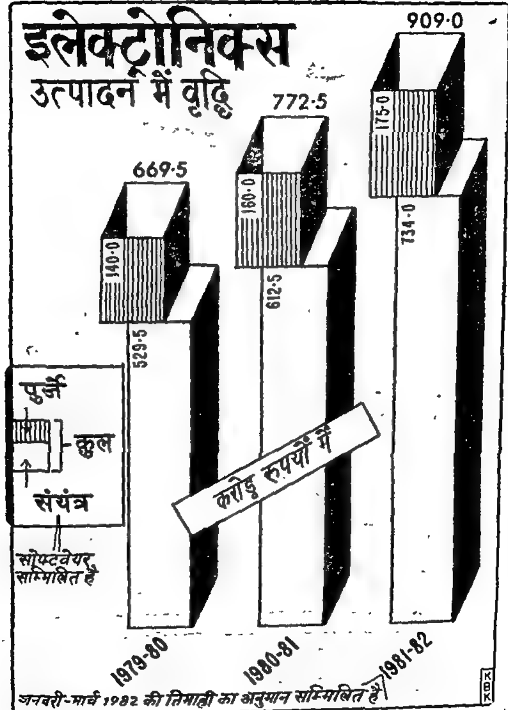
इन्सेट उपग्रहों पर सपूर्ण नियंत्रण सुविधा की व्यवस्था कर्नाटक के हसन जिले में की गई है। इसमे दो विशाल उपग्रह नियंत्रण भूमि केन्द्र हैं और उनसे सम्बद्ध एक अन्तरिक्ष यान केन्द्र भी है। इन्सेट-1 प्रणाली के लिए प्रक्षेपण और सम्बद्ध सुविधाएं अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) से ली जा रही हैं और इस पर होने वाला खर्च नवम्बर 1980 में हुए समझौते के अधीन चुकाया जाएगा।

तमिलनाडु के कावालूर में उपग्रह ट्रैकिंग और रेंजिंग केन्द्र का उद्घाटन 23 जनवरी, 1977 को हुआ। यह केन्द्र सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के सहयोग से स्थापित किया गया। ट्रैकिंग कैमरों के साथ-साथ इस केन्द्र में एक रेंजिंग लेसर भी है। इससे हमारे उपग्रहों की कक्षाओं का सही-सही निर्धारण सभव हो गया है और संग्रहीत आंकड़े भूगणितीय कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

भौतिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, अहमदाबाद, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के ढांचे और गतिविज्ञान, सूर्य और पृथ्वी के सम्बन्ध, नक्षत्रीय-भौतिक समस्याओं आदि को समझने के लिए अन्तरिक्ष विज्ञान में बुनियादी अनुसन्धान करती है।

इलेक्ट्रानिकी आयोग भारत में इलेक्ट्रानिकी उद्योग के उत्तम विकास के लिए उत्तरदायी संगम एजेंसी है। निष्पादन कार्यों में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इसकी सहायता करता है।

*इन्सेट 1-ए 6 सितम्बर, 1982 को जल गया।


इलेक्ट्रोनिक्स
उत्पादन में वृद्धि
669·5
140·0
529·5
772·5
160·0
612·5
909·0
175·0
734·0
पुर्जे
कुल
संयंत्र
सॉफ्टवेयर सम्मिलित है
करोड़ रुपयों में
1979-80
1980-81
1981-82
जनवरी-मार्च 1982 की तिमाही का अनुमान सम्मिलित है
KBK

विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं को निर्धारित करने, क्रियान्वित करने तथा जांच करने के लिए एक सुदृढ़ देशी प्रौद्योगिकी आधार तैयार करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिकी आयोग ने प्रौद्योगिकी विकास परिषद और राष्ट्रीय रडार परिषद की स्थापना की है। राष्ट्रीय रडार परिषद रडार, सोनार और नौचालन उपकरणों के क्षेत्र मे कार्य करती है। इलेक्ट्रॉनिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामग्री, कल-पुर्जे, उपकरण, नियंत्रक, संगणक और रडार आदि क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के लिए प्रौद्योगिकी विकास परिषद 225 और राष्ट्रीय रडार परिषद 50 परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत कर चुकी है। इनमें से क्रमशः 90 और 13 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और विकसित प्रौद्योगिकी समुचित उत्पादन-अभिकरणों को स्थानांतरित की गई हैं या की जा रही हैं। शेष परियोजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है। अधिकांश परियोजनाए उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र मे हैं और वे अधिकांशतः ऐसे उपकरण तैयार करेंगी जो आयात किए जाते हैं। इलैक्ट्रॉनिकी विभाग रक्षा मंत्रालय के लिए कुछ संगणक आधारित इलेक्ट्रानिकी प्रणालियों का विकास कर रहा है।

पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व पुर्जों का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। 1981 में कुल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 856 करोड़ रुपये का हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, भारतीय टेलीफोन उद्योग लि०, भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लि०, इंस्ट्रूमेंटेशन लि०, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि० आदि सार्वजनिक क्षेत्र के एकांश कुल इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करते हैं और अनेक प्रकार की चीजें बनाते हैं। 1981 में 56.4 करोड़ रुपये के मूल्य का इलेक्ट्रॉनिकी माल निर्यात किया गया। सान्ताक्रुज इलेक्ट्रॉनिकी निर्यात परिष्करण क्षेत्र (शत-प्रतिशत निर्यात के लिए) के उत्पादन-आधार को और अधिक विस्तृत किया गया है। इस क्षेत्र से निर्यात 1980 में 16.5 करोड़ रु० से बढ़ कर 1981 मे 25.5 करोड़ रु० हो गया है।

हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए देशी संगणक क्षमता के विकास के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग ने काफी प्रयास किए हैं। देश के अन्दर संगणक निर्माण मुख्यतः हैदराबाद का भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम करता है जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रतिष्ठान है। अब तक यह टी०डी०सी०-12, टी०डी०सी०-312, टी०डी०सी०-316 और माइक्रो-78 जैसी विविध प्रकार की 244 संगणक प्रणालियां तैयार कर चुका है और लगा चुका है। निजी क्षेत्र के कुछ एकांशों ने वित्तीय, विवरण तथा अन्य प्रयोगों के लिए समर्पित माइक्रो-प्रोसेसर आधारित प्रणालियां विकसित कर ली हैं और बेचनी शुरू कर दी हैं। संगणकों में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल के लिए अनुसंधान कार्य भी हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों की संगणक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इलक्ट्रॉनिकी विभाग क्षेत्रीय संगणक केन्द्र स्थापित कर रहा है। कलकत्ता के क्षेत्रीय संगणक केन्द्र ने काम करना शुरू कर दिया है और 80 से अधिक प्रयोक्ता उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय संगणक केन्द्र, चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। दो और केन्द्र पुणे और कानपुर में स्थापित किए गए हैं। साफ्टवेयर विकास

ग्रौर संगणक तकनीकों का बम्बई स्थित राष्ट्रीय केन्द्र मुस्तैदी से अपने लक्ष्यों की ग्रोर बढ रहा है । राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागो तथा संबंधित संगठनों के लिए अन्तःक्रिया संगणकीकृत ग्रांकडा-ग्राधारों के विकास के लिए संगणक जाल अवस्थापना प्रदान करने के वास्ते स्थापित किया गया था, काफी प्रगति कर चुका है । यह विभिन्न सरकारी मन्त्रालयों/ विभागो के लिए अनेक सूचना प्रणालियां विकसित कर चुका है ग्रौर 15 सगणक केन्द्र स्थापित किए हैं जो राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के मैक्सी-कंप्यूटर माएबर 170/72 तक सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं तथा ग्रौर ग्रधिक विशिष्ट क्षेत्रो तक संगणक का उपयोग बढ़ाने के लिए तथा पहले से ही विकसित संगणक सुविधाग्रों की अवस्थापना ग्रौर जनशक्ति का ग्रधिकतम उपयोग करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दो परियोजनाएं शुरू की हैं —(1) संगणक द्वारा डिजाइन कार्यक्रम ग्रौर (2) संयुक्त राष्ट्र-विकास कार्यक्रम की मदद से संगणक द्वारा प्रबन्ध कार्यक्रम ।

औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी विकास-कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य प्रमुख ग्रौद्योगिक क्षेत्रों मे कन्ट्रोल, उपकरण ग्रौर ग्रौद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी की ग्रावश्यकताग्रों का पता लगाना ग्रौर उनका इस्तेमाल बढ़ाना है, प्रगति कर रहा है । स्पेशल माइक्रोवेव प्रोडक्ट यूनिट व्यावसायिक ग्रौर सामरिक प्रयोगों के लिए अनेक नाजुक ग्रौर उच्च ग्रौद्योगिकी माइक्रोवेव यन्त्र ग्रौर उपप्रणालियां विकसित कर रही है ग्रौर सप्लाई कर रही है । भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बम्बई मे बेरीलियम धातु एवं ताबा-बेरीलियम मिश्र धातु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन एकांश हैं । इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा टेक्नालाजी विकास निगम, नई दिल्ली विदेशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहन दे रहा है । भारत के इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने तथा ग्रायात किए जाने वाले उत्पादों को देश मे ही तैयार करने के लिए इसने अपना टेक्नालाजी विकास कार्य बढा लिया है । निर्यात बढाने के लिए, इसने इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की वित्तीय सहायता से एक निर्यात एवं उत्पादन का कार्यक्रम शुरू किया है । यह इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की टेक्नालाजी विकास परियोजनाग्रों के लिए टेक्नालाजी के हस्तान्तरण मे सहायता देता है। यह इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में भारत में तथा विदेशो में परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है । संगणक रख-रखाव निगम, हैदराबाद, जो संगणक सहायता सेवाग्रों के लिए एक देशी ग्राधार तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था, ग्राई०बी० एम०, बरोज, सी० ग्राई० ग्राई०-एच० बी०, डी० ई० सी०, ई० एम०ग्राई०, ग्राई० सी० एल०, इन्फोरेक्स, इन्टरडाटा, ग्रौर रोबोट्रोन ग्रादि विविध निर्मितियों (मेको) के 800 से भी ग्रधिक संगणक कार्ड पंचिग प्रतिष्ठानों को रख-रखाव सेवा प्रदान कर रहा है । चंडीगढ़ के समीप साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) में एक सेमी-कंडक्टर कम्प्लैक्स भी बनाया जा रहा है। यह कम्प्लैक्स, मुख्यत: ग्रांकडा प्रणालियों जैसे केल्कुलेटरों ग्रौर संगणकों, उपकरणों, दूरसंचार एवं उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी में काम ग्राने वाले समेकित सर्किट एल० एस०-ग्राई० उत्पाद बड़े पैमाने पर बनाएगा।

पूरे देश मे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के समान विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक ग्रायोग, क्रियाशील इलेक्ट्रानिक प्रतिष्ठान स्थापित करने को प्रोत्साहन दे रहा है । गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, पजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा

श्रौर महाराष्ट्र श्रादि कई राज्यों ने, श्रनेक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए, राज्य स्वामित्व के इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम स्थापित कर लिए हैं । इलेक्ट्रॉनिक आयोग/विभाग विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण तथा विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दे रहा है। इन केन्द्रों का उद्देश्य देश में वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समेकित मानकीकरण, जांच, विश्वसनीयता, श्रेष्ठता की सुविधा प्रदान करना तथा लगातार प्रतिसंभरण करना है । लघु एवं मध्यम एकाशों को ये सेवाएं प्रदान करने के लिए अब तक ऐसे 117 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने चार क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की भी योजना बनाई है । इनमें से तीन प्रयोगशालाओं ने बम्बई, दिल्ली और बंगलौर में काम शुरू कर दिया है।

इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में सरकार की एक प्रमुख एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कई सीधे तथा अप्रत्यक्ष तरीकों से एक महत्वपूर्ण सलाह, समन्वय, एकीकरण और प्रोत्साहन देने वाली भूमिका अदा करता है । उत्पादन के आधार को पुष्ट बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिकी आयोग देश में विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की आवश्यकता को आंकने तथा तकनीकी विकास, औद्योगिक क्षमता के निर्माण, श्रमिक प्रशिक्षण और विशेष अवस्थापना सुविधाएं आदि उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी पैनलों का गठन कर रहा है । यह विभाग अन्तरिक्ष विभाग के विविध उपग्रह कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा के एक प्रस्ताव द्वारा 1942 में बनायी गयी थी । यह एक स्वशासी संस्था है और 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, के अधीन पंजीकृत है । यह अपनी प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों के एक जाल के साथ सरकारी अधिकार में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का एक प्रमुख माध्यम है और विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण केन्द्रों को अनुसधान मे सहायता देती है ।

परिषद विदेश से लौटे योग्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों, अभियन्ताओं और चिकित्सकों के लिए अस्थायी नियुक्तियां उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए "वैज्ञानिक पूल", जो 1958 से शुरू हुआ था, का प्रबन्धक है। अब पूल का लाभ उन उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों को भी मिलने लगा है, जो विदेश नहीं गए। परिषद देश के वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों का एक रजिस्टर भी रखती है।

परिषद ने विभिन्न राज्यों मे अनेक पालीटेक्नालाजी ट्रांसफर केन्द्र स्थापित किए हैं जो मध्यम तथा लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता देते हैं। परिषद अपने यहां विकसित जानकारी के आधार पर उद्योग स्थापित करने की सुविधा भी प्रदान करती है । विभिन्न विश्वविद्यालयों और विभागों के साथ परिषद के सहयोग के क्षेत्र वर्ष-प्रतिवर्ष बढते जा रहे हैं । प्रयोगशालाओं ने केन्द्र में और राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों के सहयोग से अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं । अनेक विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं ने डिजाइन और परामर्श क्षमताएं भी विकसित कर ली हैं ।

प्रयोगशालाओं ने निश्चित क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ कई सहयोग कार्यक्रम शुरू किए हैं। परिषद द्वारा राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना से समस्त देश की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षमता को निश्चित रूप से बढ़ावा मिला है।

परिषद ने अपने प्रथम निदेशक तथा निर्माता स्वर्गीय डा० शांतिस्वरूप भटनागर, (1894–1955) की स्मृति में 1957 में एक पुरस्कार योजना शुरू की। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष इंजीनियरी तथा टेक्नालाजी सहित विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये दिया जाता है। बीस-बीस हजार के पांच या पांच से अधिक पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष दिए जाते हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञान। परिषद "विज्ञान प्रगति" नाम की एक वैज्ञानिक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है।

परिषद सम्बन्धी कुछ बुनियादी आंकड़े इस प्रकार हैं (1 अप्रैल, 1981 को):—

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं/संस्थान-35; औद्योगिक अनुसंधान समितियां-2; विस्तार केन्द्र/क्षेत्र केन्द्र-71; वैज्ञानिक-4,531; अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी-9,171; प्रशासनिक कर्मचारी-4,877; अनुसंधान समितियां-12; चालू अनुसंधान योजनाएं-522, इमेरिटस वैज्ञानिक-21, पूल वैज्ञानिक-317, अनुसंधान अध्येता वृत्तियां-41001।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में कार्य कर रही प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक अनुसंधान संगठनों को पांच समूहों में रखा गया है।

भौतिक और भू-विज्ञान

CEERI

भौतिक और भू-विज्ञान समूह के अन्तर्गत आने वाली राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं इस प्रकार हैं : राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली (स्थापित 1950) जिसने राष्ट्रीय मानकों के रखरखाव के लिए कानूनी अधिकरण के रूप में काम करने के अलावा, द्रवस्थैतिक निःस्रवण और सामग्री संश्लेषण के लिए एक राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की है। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी (स्थापित 1953 : विस्तार केन्द्र, मद्रास और नई दिल्ली) जिसने रेल इंजन के लिए एकल फेज से लेकर तीन-फेज परिवर्तकों का विकास किया है; केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ (स्थापित 1959 सेवा और रखरखाव के केन्द्र-बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, कोच्चिन, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मद्रास और नई दिल्ली) जिसने आपातकालीन स्थिति में हृदय रोगों की त्वरित जांच के लिए एक लघु-हृतस्पद मापक बनाया है जिसकी तकनीक फ्रेस्नेल लैंस मास्टर फेब्रिकेशन में काम आनेवाली पुनरावृत्ति प्रक्रिया पर आधारित है; राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद (स्थापित 1961) जिसने केन्द्रीय ग्राउंडवाटर बोर्ड के सहयोग से धरातलीय जल उपयोग कार्यक्रम को हाथ में लिया है और हवाई भू-भौतिकी सर्वेक्षण जारी रखे हैं, और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, पणजी (स्थापित 1966 : क्षेत्रीय केन्द्र-बम्बई, कोच्चिन और वाल्टेयर) जिसने हिन्दमहासागर में गहरे सागर तल के खनिजों के सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किए हैं और जो समुद्र विकास विभाग द्वारा चलाए गए अन्टार्कटिका अभियान में अग्रणी संस्थान था।

रसायन विज्ञान

रसायन विज्ञान समूह के अन्तर्गत आने वाली राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं ये हैं : राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे (स्थापित 1950) जिसने विनका रोसिया की पत्तियों से विनब्लास्टिन को अलग करने की विधियां विकसित की हैं और मिथेल क्लोरो मिलेनेज और क्विनपिरेमिन सल्फेट और क्लोराइड का उत्पादन किया है; केन्द्रीय विद्युत रासायनिक संस्थान, अनुसंधान, कराईकुडी (स्थापित 1953 : क्षेत्रीय केन्द्र मद्रास और मण्डयम) जिसने एन्टी—कोरोसन पैकेजिंग कागज के उत्पादन की प्रक्रियाओं का विकास किया है; केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर (स्थापित 1954 : क्षेत्र के केंद्र—बरहामपुर और मण्डयम) जिसने औद्योगिक कपड़ा मिलों में और ऊर्जा से गर्म होने वाले पानी की यूनिटें लगाई हैं : क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद (अधिग्रहित : 1956) जिसने इनफेनेमिक एसिड को जो नौन स्टीरवाइडल एन्टी इन्फलेमेटरी और एन्टी रयूमैटिक दवा है के तकनीक को विकसित किया है और अब यह दवा एक भारतीय फर्म के द्वारा ट्रोमारिल नाम से बनाई और बेची जा रही है; क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट (स्थापित 1959 : क्षेत्रीय केन्द्र—नगालैंड, मणीपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश) जिसने कीट नाशक फीविनफोस और वाटर हाइअसिन्थ से कागज और गत्ते को बनाने की तकनीक विकसित की है; भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून (स्थापित 1959 : क्षेत्र केन्द्र-जवाहर नगर और नई दिल्ली) जिसने पेट्रो-केमिकल माध्यमों और योगकों के लिए कार्यविधियों को विकसित करने का काम जारी रखा है; केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद (स्थापित 1950) जिसने वोकारों में बीटा-नेपथले के उत्पादन की तकनीक प्रदान की, कोयले के सदुपयोग पर अनुसंधान और विकास का काम किया और अपने विलासपुर, जम्मू, जीलगोड़ा, जोरहाट, नागपुर, नंकण और रानीगंज स्थित केन्द्रों से भारतीय कोयले का रासायनिक सर्वेक्षण किया।

जीव विज्ञान

जीव विज्ञान समूह के अन्तर्गत आने वाली राष्ट्रीय प्रयोगशालाए है केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर (स्थापित 1950 . प्रयोगात्मक केन्द्र-बम्बई, हैदराबाद, लखनऊ, लुधियाना, मंगलौर, नागपुर) जिसने मत्स्य-चूर्ण और कोकोआ मास के उत्पादन के लिए प्रक्रियाएं विकसित की हैं; केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (स्थापित 1951) जिसने एक नया सर्जिकल डाइलेटर और प्राइमाक्विन के उत्पादन की तकनीक विकसित की है; राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (अधिग्रहित : 1953 : अनुसंधान केन्द्र—बंगलौर और न्यारा) जिसने सुन्दर पुष्प वृक्षों और फोलिएज एमरन्थस और ग्रीष्म ऋतु में फलने फूलने वाले पौधों की श्रेणी को विकास किया है; भारतीय प्रयोगात्मक औषध संस्थान, जिसे अब भारतीय रसायन जीव विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता है (अधिग्रहित 1956) जिसने कमरे के तापमान पर प्लास्म प्रोटीन की विभाजन प्रक्रिया का विकास किया है; क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जम्मू (अधिग्रहित 1957 क्षेत्रीय केन्द्र : छैयम, पालमपुर, श्रीनगर और बेरीनाग) जिसने जीवरेलिक एसिड और हाईड्रोजनेटिड रोजिन और

डिसप्रपोर्नेटिड रोजिन के उत्पादन तकनीक विकसित किए हैं; केन्द्रीय ग्रोषधीय एवं सुगंध मयत संस्थान, लखनऊ (स्थापित 1959 : क्षेत्रीय केन्द्र—बंगलौर, दार्जिलिंग, जम्मू, कोडाइकनाल ग्रौर पंतनगर जो ग्रौषध निर्माण व इत्र निर्माण उद्योग को सुगंध व ग्रौषध उत्पाद उपलब्ध कराता है; प्रौद्योगिक विष विज्ञान ग्रनुसधान केन्द्र, लखनऊ (स्थापित 1965) जो निरोधन उपायों के विकास के लिए ग्रौद्योगिक विषैले पदार्थों के हानिकारक प्रभावों का अध्ययन करता है; चाय ग्रनुसंधान संस्था (स्थापित 1956) जो चाय उद्योग की उन्नति के लिए वैज्ञानिक ग्रनुसधान ग्रौर सलाह कार्य में सहायता करती है; ग्रौर कोशिका सम्बन्धी व ग्राणविक जीव विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद (स्थापित 1976) जो कोशिका सम्बन्धी व ग्राणविक जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मौलिक ग्रनुसधान करता है।

इंजीनियरी विज्ञान इंजीनियरी विज्ञान समूह के ग्रन्तर्गत ग्राने वाली प्रयोगशालाएं हैं : केन्द्रीय काच ग्रौर मृतिका ग्रनुसंधान संस्थान, कलकत्ता (स्थापित 1950; क्षेत्रीय केन्द्र ग्रहमदाबाद) जिसने ऐसी विधि निकाली है जिसके ग्राधार पर भारत ग्राप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड में प्रकाशीय कांच का व्यापारिक उत्पादन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप देश की प्रकाशीय कांच की पूर्ण मांग देशी स्रोतों द्वारा पूरी की जा सकती है; राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला (स्थापित 1950 : क्षेत्रीय केन्द्र—ग्रहमदाबाद, बटाला, कलकत्ता, दिगा, हावड़ा ग्रौर मद्रास) जिसने सफलतापूर्वक एक ऐसा बहुमुखी वैद्युत ग्रेड एल्युमीनियम मिश्र धातु "एन एम एल पी एम 2", तैयार किया है जिसका विद्युत सम्प्रेषण में उपयोग किया जा सकता है; केन्द्रीय सड़क ग्रनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (स्थापित 1952) जिसने एक उच्च ग्रायाम पट्टीधारी पटकम्पी (हाई एम्लीट्यूड स्क्रीन बोर्ड वाइब्रेटर) का विकास कंकरीट की कुटाई के लिए किया है; केन्द्रीय भवन निर्माण ग्रनुसंधान संस्थान, रुड़की (स्थापित 1953 : क्षेत्रीय केन्द्र—कलकत्ता ग्रौर विस्तार कक्ष—ग्रहमदाबाद ग्रौर भोपाल जिसकी निर्माण तकनीक का प्रयोग, विभिन्न राज्यों में कम लागत के मकान बनाने के लिए किया जा रहा है; केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी ग्रनुसधान संस्थान, दुर्गापुर (स्थापित 1958 : ग्रनुसधान व विकास केन्द्र—मिराडो, कलकत्ता, कोच्चिन, दुर्गापुर, लुधियाना, मद्रास तथा पुणे) जिसने ग्रपने लुधियाना केन्द्र के माध्यम से मल्टी स्पिन्डिल रीमिंग मशीन, एक बहुमुखी एकल स्पिडिल स्वचालित टरेट खराद ग्रौर एक ट्रेक्टर से चलने वाली संयुक्त फसल काटने वाली मशीन बनाई है, केन्द्रीय खनन ग्रनसंधान केन्द्र, धनबाद (स्थापित 1956) जिसके कार्यों में खान सुरक्षा, खनन में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के रूपांकन ग्रौर मशीनों ग्रादि का विकास शामिल है; राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी ग्रनुसधान संस्थान, नागपुर (स्थापित 1958 : क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं—ग्रहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, कोच्चिन, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, ग्रौर मद्रास); जो स्वास्थ्य रक्षा, मलमूत्र ग्रौर ग्रौद्योगिक ग्रवशिष्टों का निस्तारण ग्रौर ग्रौद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रदूषण में ग्रनुसंधान-कार्य करता है; राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलौर (स्थापित 1959) जिसने

राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में एक 1.2 मी० की विध्वनित वायु सुरंग, एक सामग्री प्रयोगशाला तथा एक थकान परीक्षक प्रयोगशाला की स्थापना की है; ढांचा इंजीनियरी अनुसधान केन्द्र मद्रास (स्थापित 1965) जो भवनों, पुलों और अन्य ढांचों के विशिष्ट डिजाइनों और ढांचों सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसंधान करता है; क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर (स्थापित 1964) जिसने क्रोमिक एसिड से इलोक्ट्रोलिटिक क्रोमिअम पाउडर का उत्पादन करने के लिए परियोजना पूरी कर ली है; क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला त्रिवेन्द्रम (स्थापित 1978) जिसने हरी मिर्च की डिब्बाबन्दी के लिए परामर्श सेवा प्रदान की है, और विद्युत अनुसंधान एवं विकास समिति, वडोदरा (1977 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त) जिसने बिजली का सामान बनाने वाले उद्योगों को परामर्श सेवा प्रदान की।

सिविल इंजीनियरी परामर्श सेवा

सिविल इंजीनियरी परामर्श सेवा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1975 में स्थापित की गई थी। इसके संघटक एकक हैं: केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की; ढांचा इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र रुड़की और मद्रास; राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर; केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधानशाला, लखनऊ।

सिविल इंजीनियरी परामर्श सेवा, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के परिसर से कार्य करती है, सिविल इंजीनियरी में अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श सेवाएं, विशेष रूप से, विकासशील देशों को उपलब्ध कराती है।

सूचना विज्ञान

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का प्रकाशन और सूचना निदेशालय, नई दिल्ली (स्थापित 1951) तथा भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन पोषण केन्द्र, (इन्सडोक) नई दिल्ली (स्थापित 1952) वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना का प्रसार कर रहे हैं। प्रकाशन और सूचना निदेशालय 'वेल्थ आफ इंडिया' शीर्षक के अन्तर्गत *कच्चे माल के संसाधनों और औद्योगिक उत्पादों पर ज्ञानकोष ग्रन्थों तथा दस* वैज्ञानिक अनुसंधान पत्रिकाओं के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना से संबंधित अन्य प्रकाशन भी निकालता है। इसने एक नया द्विमासिक पत्र "मेडिसिनल ऐंड एरोमेटिक प्लान्ट्स एब्सट्रैक्ट्स" भी निकालना शुरू किया है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र, प्रलेख पोषण और अनुवाद सेवाएं उपलब्ध कराता है और एक राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय चलाता है। यह भारतीय विज्ञान सार और पुस्तकालय विज्ञान तथा प्रलेख पोषण के इतिवृत्त प्रकाशित करता है और एक सूची शृंखला का संकलन करता है जिसमें विशिष्ट पुस्तकालयों तथा प्रतिष्ठानों की संग्रह सूची होती है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के दो विज्ञान संग्रहालय भी हैं। बिड़ला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय, कलकत्ता में 11 दीर्घाएं हैं, जिनमें माडलों चालित नमूनों, रेखाचित्रों और चित्रमय चार्टों के माध्यम से विज्ञान और टैक्नालाजी का क्रमिक इतिहास प्रदर्शित किया गया है। विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय, बंगलौर, विज्ञान तथा टेक्ना-

लाजी में हुई उन्नति को दर्शाने के लिए वर्कशापों, चल-प्रदर्शनियों, प्रदर्शन-भाषणों, विज्ञान मेलों और गोष्ठियों का आयोजन करता है तथा इसमें विद्युत तकनीकों, परिचालन शक्ति, लकड़ी तथा कागज और प्रचलित विज्ञान से संबंधित दीर्घाएं हैं।

विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन केन्द्र

विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन केन्द्र, जिसे अब विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन का राष्ट्रीय संस्थान के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास के समाजीकरण की यांत्रिकी को समझने और इस ज्ञान को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास की आयोजना में उपयोग करने का अध्ययन करता है। संस्थान ने प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आयोजना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं समाज की गति तथा वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति की आयोजना के क्षेत्र में कई अध्ययन किए हैं। इसके महत्व को देखते हुए हाल ही में इस संस्थान को एक स्वशासी संस्था घोषित कर दिया गया है, जिसका दर्जा राष्ट्रीय प्रयोगशाला का है।

रेशा प्रौद्योगिकी

रेशा प्रौद्योगिकी में 6 संस्थाएं अनुसंधान करती हैं। इनके नाम हैं : अहमदाबाद कपड़ा उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, अहमदाबाद (स्थापित 1947), जिसने बायलर अवधमन से ऊष्मा की पुनः प्राप्ति के लिए एक दमक किफायती एकक का डिजाइन तैयार किया है; बम्बई कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन, बम्बई (स्थापित 1954) जिसने गियर को उतरने से रोकने के एक तरीके और सूत-तनाव मीटर का विकास किया है; दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशन, कोयम्बतूर (स्थापित 1951), जिसने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है जिसके आधार पर (टू-फार-वन) ट्विस्टर और अधिक चलने वाले सेल्यूलोज वस्त्रों की रसायन उपचारित सिट्रेलाइज्ड स्पिण्डल टेप का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया गया है; रेशम और कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान एसोसिएशन, बम्बई (स्थापित 1950) जिसने पालिएमाइड रेशे की फोटो डिग्रेडेशन रोकने के लिए अल्ट्रा-वायलेट अवशोषक (एब्जार्बर) का विकास किया है; भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, कलकत्ता (स्थापित 1966) जिसने बिना किसी पोलीथीलीन परतबन्दी के फास्फेट और नाइट्रोजन वाली खाद की पैकिंग के लिए जूट का बोरा तैयार किया है और रेयन तथा जूट और जूट तथा ऊन के मिश्रण से आकर्षक धागों का विकास किया है और ऊन अनुसंधान एसोसिएशन, बम्बई (स्थापित 1963) जिसने संगणको द्वारा रंगों के मिलान का पहले ही पता लगाने की तकनीक का विकास किया है।

केन्द्रीय कांच और चीनी मिट्टी अनुसंधानशाला, कलकत्ता ने लघु उद्योग क्षेत्र में रेशा काच (फाइबर ग्लास) के उत्पादन के लिए एक प्रौद्योगिकी का विकास किया है।

कृषि अनुसंधान

1973 में स्थापित कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग कृषि, पशु-पालन और मत्स्यपालन के क्षेत्र में अनुसंधान तथा शिक्षण गतिविधियों का समन्वय करता है। इसके अतिरिक्त, यह इनमें तथा इनसे संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी, खाद्य एवं कृषि संगठन आदि एजेन्सियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सांस्थानिक एवं

अन्तःसांस्थानिक सहयोग बढ़ाने में मदद करता है । यह कृषि, पशुपालन आदि से संबंधित मामलों में कृषि मंत्रालय को प्रशासनिक सहायता भी देता है । कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सरकार से सम्बन्ध भी स्थापित करता है।

1929 में स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीनस्थ विस्तार अभिकरणों के माध्यम से तथा कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से भी क्षेत्रीय स्तर पर योजनाएं बनाने और कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन संबंधी शिक्षा और अनुसंधान तथा उनके प्रयोग को समन्वित करने के लिए शीर्ष संस्था है । योग्य विद्यार्थियों को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए परिषद, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अनेक सीनियर और जूनियर फैलोशिप और छात्रवृत्तियां देती है ।

कृषि अनुसंधान सेवा, परिषद के तत्वावधान में तथा विशेष रूप से गठित कृषि-वैज्ञानिक नियुक्ति बोर्ड के माध्यम से, अक्तूबर 1975 से काम कर रही है। यह सेवा उपलब्ध जनशक्ति के अधिकाधिक उपयोग की सुविधा प्रदान करती है तथा कृषि अनुसन्धान एवं शिक्षा के हित में आवश्यक होने पर वैज्ञानिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में सहायता करती है।

चिकित्सा अनुसंधान भारत में चिकित्सा अनुसंधान अधिकांशतः भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के द्वारा अनुसंधान संस्थानों और केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है । अनुसंधान का क्षेत्र काफी व्यापक है । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की जो 1911 में स्थापित की गई थी, 15 स्थायी अनुसंधान संस्थाएं और केन्द्र हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय पोषक आहार संस्थान, हैदराबाद; राष्ट्रीय विषाणु (वाइरस) संस्थान, पुणे; क्षयरोग अनुसन्धान केन्द्र, मद्रास; राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान, कलकत्ता; रोगविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद; प्रजनन अनुसंधान संस्थान, बम्बई; केन्द्रीय जापानी सीओसी मिशन फार एशिया (जालमा) कुष्ठरोग संस्थान, आगरा; रक्त ग्रुप संदर्भ केन्द्र, बम्बई; वेक्टर नियन्त्रण अनुसन्धान केंद्र, पांडिचेरि; मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली; चिकित्सा आंकड़े अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; प्रयोगशाला पशु सूचना सेवा, हैदराबाद; खाद्य एवं औषधि विषविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद; और कोशिका-विज्ञान अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली ।

चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान करने के लिए दो सांविधिक निकाय हैं । ये हैं—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ । मैसूर में बोलने और सुनने के विकारों से सम्बन्धित एक अखिल भारतीय संस्थान भी है जो केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन 1965 से कार्य कर रहा है । इन सभी संस्थानों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय भी कालाजार, प्लेग, तथा अन्य संक्रामक रोगों, जन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं आदि से संबंधित चुनी हुई अनुसंधान परियोजनाओं में 'अन्य अनुसन्धानों को अनुदान' के अन्तर्गत सहायता देता है । इस योजना के

अधीन विशिष्ट क्षेत्रों में अध्ययन, सर्वेक्षण और अनुसन्धान के लिए, विभिन्न संस्थाओं/स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस समय दो परियोजनाएं चालू हैं—(1) "कालाजार यूनिट, पटना" और (2) "प्लेग निगरानी यूनिट, बंगलोर"।

रोगों का अध्ययन और चिकित्सा

भेपज (औषध) और चिकित्सा की विशिष्ट शाखाओं में कार्य कर रही कुछ संस्थाओं के नाम ये हैं—भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, बम्बई; कैंसर संस्थान, मद्रास और चित्तरंजन कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता। इसके अलावा नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रोटरी कैंसर अस्पताल में कैंसर शाखा को कैंसर के लिए क्षेत्रीय संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलोर और वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली में क्षय रोग सहित सीने की बीमारियों पर अनुसंधान होता है। केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपट चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है और कुष्ठ रोग का इलाज करता है तथा इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से, कुष्ठ रोग से सम्बन्धित कुछ खोजों के लिए, क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली (यह 1909 में स्थापित किया गया था और पहले यह भारतीय मलेरिया संस्थान के रूप में जाना जाता था), अपनी 7 शाखाओं के जरिए संचारी रोगों में अनुसंधान, प्रशिक्षण और सेवा प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की आयोजना, मार्गदर्शन और मूल्यांकन भी करता है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना सन्दर्भ केन्द्र बनाया है।

अखिल भारतीय स्वच्छता और जन-स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता, जो 1932 में स्थापित किया गया था, जन-स्वास्थ्य, परिवार-नियोजन, पोषण तथा उससे सम्बन्धित विषयों में अनुसंधान करने के अलावा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण भी देता है। ग्रामीण स्वास्थ्य एकक और प्रशिक्षण केन्द्र, सिंगूर, और शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, चेलता, इस संस्थान से सम्बन्धित हैं। भेपजों के जैविक और रासायनिक परीक्षण केन्द्रीय भेपज प्रयोगशाला, कलकत्ता में किए जाते हैं, जिसका एक जड़ी-बूटी केन्द्र भी है और यह भेपज निर्माताओं को तकनीकी सलाह देता है।

सूक्ष्म जीव विज्ञान और सम्बद्ध अध्ययन

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, सभी जैव उत्पादों के लिए केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला है। इसे देश में निर्मित जैव उत्पादों के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय मानक विकसित करने और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों के मानकों के वितरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संस्थान सरकार और जनता, दोनों को कुत्ता काटने से होने वाले रोग (रेबीज), पीला बुखार, सांप काटने, हैजा, मियादी बुखार, काली खांसी, टैटनस, रोहिणी (डिफ्थीरिया) पर विशेषज्ञ-सलाह देने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करता है। यह संचारी रोगों की रोकथाम में मूल और व्यावहारिक, दोनों प्रकार के अनुसंधान करता है। यह संस्थान देश में जैव उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। निदानीय परीक्षणों के अतिरिक्त यह सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अस्पतालों की प्रयोगशालाओं के लिए निदानीय प्रक्रियाओं

के सम्बन्ध में प्रतिजन (एन्टी-जन), प्रतिलसी (एन्टी-सीरा) और तकनीकी सलाह उपलब्ध करता है। इसने खसरा रोग का टीका (वैक्सीन) तैयार करने का काम शुरू कर दिया है तथा जापानी एन्सिफेलाइटिस के टीके तैयार करने के लिए योजना रिपोर्ट तैयार कर ली है। कुनूर का पैस्चर संस्थान कुत्ते के काटने (रेबीज), इन्फ्लूएंजा और अन्य श्वास-विषाणु रोग, अंतड़ी विषाणुओं से होने वाली बीमारियों जैसे पोलियो, कोक्साकी और एको वर्ग तथा जीवाणु रोगों से संबंधित मोतीझरा और सिफलिस जैसे रोगों पर अनुसधान करता है। यह कुत्ता काटने तथा इन्फ्लूएंजा पर अनुसधान का देश में मुख्य केन्द्र है। कुत्ते के काटने के सम्बन्ध में यह विश्व स्वास्थ्य संगठन में अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ केन्द्र का और इन्फ्लूएंजा पर राष्ट्रीय केन्द्र का भी काम करता है। रोगों की रोकथाम से संबंधित गिंडी (मद्रास) स्थित किंग संस्थान, सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देता है और प्रोफीलैक्टिक वैक्सीन, जमाए और सुखाए हुए चेचक के टीके, टैटनस विरोधी सीरम, टैटनस जीव विषाणु (टैटनस टाक्साइड) और रक्त उत्पाद और अन्तः शिरा तथा विभिन्न प्रकार के विशिष्ट घोल बनाता और सप्लाई करता है। यह जन-स्वास्थ्य के बारे में जीवाणु सम्बन्धी खोज भी करता है। 1896 में स्थापित हाफकिन संस्थान, बम्बई जीवाणु विज्ञान, प्रयोगात्मक चिकित्सा, रासायनिक चिकित्सा विज्ञान, औषध निर्माण विज्ञान, रोगक्रिया विज्ञान (पैथोफिजियोलाजी), जीव रसायन शास्त्र, प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान (इम्यूनोहीमाटोलाजी), प्रतिरोधी विज्ञान (इम्यूनोलाजी) और विषाणु विज्ञान (वायरोलोजी) में संचारी और अन्य रोगों से संबंधित अनुसंधान करता है। यह औषधियों का विश्लेषण और जैविक मानकीकरण भी करता है। यह वैज्ञानिकों को स्नातकोत्तर स्तर का प्रशिक्षण देता है और रोगों के निदान और महामारियों से संबंधित खोजों के जरिए जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवाएं भी उपलब्ध करता है। यह कुछ जीवाणु और विषाणु (बैक्टीरियल एण्ड वायरल) टीके, विष विरोधी और अन्य जैविक पदार्थ, जिनमें मानव प्लाज्मा शामिल है, का उत्पादन भी करता है।

रक्षा अनुसंधान

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, 1958 में तत्कालीन तकनीकी विकास संगठनों और रक्षा विज्ञान संगठन को मिलाकर स्थापित किया गया था। तब से रक्षा विज्ञान और टेक्नोलाजी के कई क्षेत्रों में इसका चरणबद्ध विकास किया गया। इसका कुछ क्षेत्र एकांशों सहित सुसज्जित संगठनों/प्रयोगशालाओं का एक व्यापक जाल बिछा हुआ है।

विभागीय अनुसंधान

अन्य अनेक सरकारी विभाग कुछ क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से कुछेक का वर्णन नीचे किया गया है।

भू गर्भ-विज्ञान

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग 1851 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। इसकी स्थापना मुख्य रूप से पूर्व भारत में कोयले का पता लगाने के लिए की गई थी। इस समय यह निम्नांकित कार्यों के लिए प्रमुख अभिकरण है: देश के तथा समुद्रीय क्षेत्रों के भूगर्भीय, भू-रसायनीय और भू-भौतिकीय मानचित्र तैयार करना; देश के खनिज संसाधनों की खोज और

मूल्यांकन करना; पर्यावरणीय भू-विज्ञान और भू-तकनीकी सेवाओं संबंधी अध्ययनों को चलाना; विविध पर्यावरणीय विकास एवं इंजीनियरी परियोजनाओं में सहायता देना तथा ऐसी सभी भूमि-विज्ञानीय गतिविधियों को चलाना, जिनका खनिज, उद्योग, विद्युत, सिंचाई, कृषि और पर्यावरण-व्यवस्था के क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विभाग कुछ अन्य प्रमुख अनुसंधान जैसे पेट्रोलियम विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, क्षेत्र तकनीक और भू-रसायन संबंधी अनुसंधान करता है। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग [illegible] क्षेत्रीय कार्यालयों, 32 मंडल कार्यालयों तथा अनेक विशिष्ट प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है और मानचित्रों तथा प्रकाशनों द्वारा अध्ययनों और अनुसंधानों के परिणामों की जानकारी प्रसारित करता है।

जल और विद्युत अनुसंधान

पुणे के निकट खडगवासला में केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र को, जो भारत में प्रमुख जल अनुसंधान केन्द्र है, एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग ने अपनी क्षेत्रीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दी है। देश में 15 अन्य जल अनुसंधान केन्द्र और तीन मृदाविश्लेषण विज्ञान तथा सामग्री अनुसंधान केन्द्र हैं जो नदी-घाटी परियोजनाओं के विकास से सम्बद्ध समस्याओं पर काम करते हैं। केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड इन तीन अनुसंधान केन्द्रों तथा बिजलीघरों और पारेषण प्रणालियों की समस्याओं से संबंधित अनेक अनुसंधान केन्द्रों के कार्य की देखरेख और समन्वय करता है।

मौसम विज्ञान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अखिल भारतीय स्तर पर 1875 में संगठित किया गया था। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध करने के लिए यह राष्ट्रीय अभिकरण है। यह विभिन्न प्रकार की 1,400 से अधिक वेधशालाओं से मौसम विज्ञान सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करके उनसे परिणाम निकालता है। यह विभाग भारतीय उष्ण कटिबन्धीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के सहयोग से मौसम विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना, कृषि मौसम विज्ञान, जल मौसम विज्ञान, उपग्रह-मौसम-विज्ञान और वायुदूषण मौसम विज्ञानीय उपकरण रडार, मौसम विज्ञान और भूकम्प विज्ञान के बारे में मूलभूत और व्यावहारिक अनुसन्धान करता है। भारतीय उष्ण कटिबन्धीय मौसम विज्ञान विभाग कृत्रिम वर्षा के लिए बादल तैयार करने के लिए भी लगातार प्रयोग करता आ रहा है। मौसम विज्ञानीय अनुसन्धान कुछ विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में भी किया जाता है, जिनमें आन्ध्र विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और कोचीन विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर विशेष उल्लेखनीय हैं। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलौर और भारतीय भू-चुम्बकीय संस्थान, बम्बई तथा भारतीय उष्ण कटिबन्धीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे, जो पहले भारतीय मौसम विभाग के ही अंग थे, 1971 से स्वायत्त संस्थानों के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, सौर-भौतिकी, अन्तरिक्ष भौतिकी, रेडियो-खगोल विज्ञान, कास्मिक विकिरण आदि में अनुसंधान करता है। भारतीय

भू-चुम्बकीय संस्थान चुम्बकीय आंकड़े एकत्र करता है और भू-चुम्बकीय में अनुसंधान कार्य करता है।

भारी वर्षा, तेजवात और आंधी-अंधड़ के बारे में आम लोगों तथा उड्डयन विभाग, प्रतिरक्षा सेवाएं, जलयान, बन्दरगाह, मत्स्य-निगम, पर्वतारोहण अभियान और कृषकों सहित अनेक निजी व सार्वजनिक संगठनों को यह विभाग चेतावनी देता है। केन्द्रीय जल आयोग के बाढ़ सूचना संगठनों की जानकारी देने के लिए अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, पटना, हैदराबाद और आसनसोल में बाढ़ मौसम कार्यालय काम कर रहे हैं।

कृषि मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान प्रशिक्षण, हिन्द महासागर और दक्षिणी गोलार्द्ध मौसम का विश्लेषण करने, उपकरणों, जल विज्ञान, उपग्रह मौसम विज्ञान, उड्डयन सेवाओं, भूकम्प विज्ञान, रेडियो मौसम विज्ञान, मौसम संचार व्यवस्था को ले कर इस विभाग के अलग अलग निदेशालय कार्य करते हैं।

तेजवात की चेतावनी

बम्बई, कलकत्ता, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर और मद्रास कार्यालयों से बन्दरगाहों और जलयानों को तेजवात की चेतावनी दी जाती है। तटवर्तीय और द्वीपों में स्थित वेधशालाओं, भारतीय समुद्रों में जहाजों, तटवर्तीय तेजवात चेतावनी राडारों से प्राप्त सूचनाओं और मौसम उपग्रहों से प्राप्त बादलों की तस्वीरों के परम्परागत मौसमी अध्ययन पर ये चेतावनियां आधारित होती हैं। तेजवात चेतावनी राडार केन्द्र बम्बई, गोआ, कलकत्ता, मद्रास, कराईकल, पेरादीप, विशाखापत्तनम और मछली पत्तनम में स्थित है। मौसम उपग्रह तसवीरें कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, बम्बई, पुणे, नई दिल्ली, गुवाहाटी और भुवनेश्वर स्थित स्वचालित छायाचित्र प्रेषण केन्द्रों द्वारा प्राप्त होती हैं। तेजवात चेतावनी तथा अनुसन्धान केन्द्र, मद्रास में केवल उष्णकटिबन्धीय तेजवातों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।

पर्यटक मौसम विज्ञान संबंधी सेवा

पर्यटकों को मौसम की सूचना देने के लिए केन्द्र और राज्यों के पर्यटन विभाग कभी भी मौसम विज्ञान की सूचनाओं, दस्तावेजों का लाभ उठा सकते हैं। ये सूचनाएं उन्हें सीधे ही हर समय आसानी से उपलब्ध होती हैं।

पर्यटक मौसम कार्यालय पर्यटकों को संभाव्य मौसम की सूचना देने के लिए देश के अनेक भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। कश्मीर में गुलमर्ग में एक ऐसा केन्द्र खुल चुका है।

आंकड़ों/सूचनाओं का आदान-प्रदान

मौसम सम्बन्धी आंकड़ों का अनेक देशों के बीच तीव्रगामी संचार सुविधाओं के माध्यम से आदान प्रदान होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के विश्व मौसम निगरानी कार्यक्रम के साथ भारत के सहयोग के रूप में नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र और एक क्षेत्री दूरसंचार केन्द्र कार्य कर रहा है।

प्रसारण

आकाशवाणी का अनुसंधान विभाग ध्वनि एवं दूरदर्शन प्रसारण दोनों की समस्याओं की जांच-पड़ताल करता है। इस विभाग का कार्य मुख्यतः चार अनुभागों द्वारा

होता है : प्रचारण एवं तकनीकी सेवा, ध्वनिविज्ञान और श्रवण इंजीनियरी, अनुसंधान और विकास तथा आदिप्रारूप और उत्पादन । प्रचारण अनुभाग में दीर्घ-तरंग सेन्टीमीटर तरंगों से रेडियो-तरंगों के प्रचारण, जिसमें उपग्रह-प्रसारण भी शामिल है, से सम्बद्ध विविध समस्याओं पर गवेषणा होती है । विभाग में माइक्रोफोनों और लाउड स्पीकरों, विभिन्न ध्वानिक पदार्थों और शोर-निरोधकों के मापन-कार्य के लिए एक सुसज्जित ध्वनिक प्रयोगशाला है। अनुसंधान और विकास अनुभाग आत्मनिर्भरता लाने के लिए उपकरणों के विकास का काम करता है। आदिप्रारूप अनुभाग, अनुसंधान और विकास एकक द्वारा विकसित विशिष्ट प्रकार के कुछ ऐसे उपकरण तैयार करता है जो सुविधापूर्वक उपलब्ध नहीं हैं तथा जिनकी सीमित मात्रा में आवश्यकता होती है।

दूरसंचार

विश्व भर में इलेक्ट्रानिकी और संचार के क्षेत्र में हुई आधुनिक प्रौद्योगिकी-प्रगति के साथ चलने के लिए, डाक-तार विभाग ने 1956 में, नई दिल्ली में एक दूर-संचार अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की । यह केन्द्र डाक-तार-जाल में मुख्य रूप से नई प्रौद्योगिकी शुरू करने तथा वर्तमान प्रौद्योगिकी और उपकरणों को आधुनिक रूप प्रदान करने एवं सुधारने के कार्य में संलग्न है। यह डाक-तार विभाग की आयोजना एवं संचालन शाखाओं को मार्गदर्शन प्रदान करता है।

दूरसंचार अनुसन्धान केन्द्र ने ट्रांसमिशन और स्विचिंग दोनों क्षेत्रों में कुछ प्रणालियों के डिजाइन तैयार किए हैं, और इनमें से अधिकांश का उत्पादन सरकारी स्वामित्ववाली इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० और हिन्दुस्तान केबल्स लि० के द्वारा किया जा रहा है। कुछ समय से दूरसंचार अनुसन्धान केन्द्र, भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० जैसे निर्माण अभिकरणों तथा गुजरात कम्यूनिकेशन्स इलेक्ट्रानिक्स लि० जैसे राज्य क्षेत्र के एककों को भी पूर्णतया दूरसंचार अनुसन्धान केन्द्र द्वारा या इन निर्माताओं के सहयोग से केन्द्र द्वारा अभिकल्पित संचार उपकरण तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। दूरसंचार अनुसन्धान केन्द्र ने, निजी क्षेत्र में संचार प्रणालियों के लिए विद्युत उपकरण तैयार करने के लिए पूरी क्षमता विकसित करने मे भी योग दिया है।

इस समय दूरसचार अनुसन्धान केन्द्र प्रकाशीय रेशा संचार उपकरणों कोएक्सियल और माइक्रोवेव माध्यमों जैसी- अंकीय प्रणालियो, डाटा मोडेमों और इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रणालियों पर कार्य कर रहा है। इसका उपयोग टेलीफोन प्रणाली, ट्रंक टेलीफोन प्रणाली, टेंडेम एक्सचेंज प्रणाली, टेलेक्स आदि में होगा।

मानव-विज्ञान

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कलकत्ता में है । इसके कार्यों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, भाषा-सम्बन्धी, भौतिक और उत्पत्ति विज्ञान से संबंधित अनुसंधान शामिल हैं। इसके क्षेत्रीय केन्द्र पोर्ट ब्लेयर, देहरादून, मैसूर, नागपुर, शिलांग और उदयपुर में तथा एक उप-क्षेत्रीय केन्द्र जगदलपुर मे है । इस विभाग का एक फेलोशिप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत में मानवविज्ञान में अनुसंधान को तथा विश्वविद्यालयो तथा अन्य अनुसंधान संगठनो के साथ आपसी सहयोग पर आधारित एक अनुसंधान कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना है।

वैमानिकी नागरिक उड्डयन विभाग का एक अनुसंधान और विकास निदेशालय है, जो असैनिक विमानों के डिजाइन और उड़ान-क्षमता और उपकरण, वायुयान उड़ान परीक्षण, वायुयान के विकास के लिए देशी सामग्री, ग्लाइडरों और हल्के प्रशिक्षण, वायुयानों के डिजाइन और प्रारूप निर्माण, वायुयान उड़ान परिचालन और सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त वायुयान के प्रारूप का चयन करने से संबंधित कार्य करता है।

उड्डयन औषध संस्थान, बंगलौर, जो भारतीय वायुसेना द्वारा 1957 में स्थापित किया गया, वायुकर्मियों और उड़ान-सुरक्षा से सम्बद्ध मानवीय समस्याओं का अध्ययन और अनुसंधान एवं चिकित्सा-सम्बन्धी मूल्यांकन करता है।

लखनऊ के अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन में रेलों, नई दिल्ली की इन्डियन रोड कांग्रेस में सड़कों तथा देहरादून के वन अनुसन्धान संस्थान* में इमारती लकड़ी से सम्बद्ध अनुसन्धान होता है।

8 स्वास्थ्य

भारतीय संविधान के अनुसार "सरकार को अपने लोगों के पोषाहार के स्तर तथा जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने और जन-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्रमुख कर्तव्यों में मानना चाहिए ।" इस निर्देश के परिपालन के लिए स्वास्थ्य को यथायोग्य प्राथमिकता दी गई है ।

जन-स्वास्थ्य मूलतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । केन्द्रीय सरकार लोगों के स्वास्थ्य सुधार संबंधी मार्गदर्शन करती है तथा योजनाएं प्रस्तुत करके सहायता करती है । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारों के कार्यों में समन्वय करता है । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद स्वास्थ्य के सभी पहलुओं की नीति और कार्यक्रमों के बारे में मंत्रालय को सलाह देती है ।

उद्देश्य

छठी योजना (1980—85) के दौरान स्वास्थ्य सेवा का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों, आदिम जाति क्षेत्रों और निर्धन वर्गों के लिए अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य आयोजना का मुख्य ध्येय बीसवीं सदी के अन्त तक सबको स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाने का दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है । 14 जनवरी, 1982 को प्रधानमंत्री ने नए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें लोगों का स्वास्थ्य-स्तर सुधारने पर विशेष बल देने की बात कही गई । इसके अनुसार परिवार नियोजन को स्वैच्छिक आधार पर जन अभियान के रूप मे चलाया जाएगा, सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का काफी विस्तार किया जाएगा और कुष्ट रोग, क्षय रोग तथा अन्धेपन की रोकथाम की जाएगी तथा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के कार्यक्रमों तथा गर्भवती महिलाओं, माताओं, बच्चों, खासकर आदिवासी पहाड़ी व पिछड़े इलाकों मे रहने वालों के लिए पौष्टिक आहार कार्यक्रम तेजी से लागू किए जाएंगे ।

वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

तीन दशकों से अधिक के नियोजित विकास के फलस्वरूप स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी सुधार हुआ है । डाक्टरों की संख्या और अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या ढाई गुनी से अधिक और नर्सों की संख्या छह गुनी से अधिक बढ़ गई है । चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या, जो कि पहली योजना से पहले 30 थी, अब बढ़कर 106 हो गई है। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5,568 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 51,192 उपकेन्द्र हैं, जबकि 1951 से पूर्व ऐसा एक भी केन्द्र नहीं था । मलेरिया, टी० बी० और हैजा पर, जो कि पहले भारी संख्या में जानें ले लेते थे, अब विभिन्न स्तरों पर नियंत्रण पा लिया गया है । 1967 से देश में प्लेग के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। चेचक जो कि पहले एक भयानक बीमारी थी, उन्मूलन कर दिया गया है । सामान्य मृत्यु दर, जो कि 1949-50 में 27.4 प्रति हजार थी, 1979 में अनुमानतः 12.8 प्रति हजार तक उतर आई है और 1976-81 तक जन्म के समय जीवन सम्भावना 32 वर्ष से बढ़कर 52 वर्ष तक हो गई। 1973 में शिशु मृत्यु दर 135 थी जो घटकर 1979 मे 125 हो गई ।

जनसंख्या बढ़ने की दर को रोकने के लिए 1952 में परिवार कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया। जून 1977 में सरकार ने राज्यों के परामर्श से अप्रैल 1976 में घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का पुनरीक्षण किया और एक नया दृष्टिकोण अपनाया ताकि जन्म दर 1982-83 तक कम होकर 30 प्रति हजार रह जाए।

1981 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 68 करोड़ 40 लाख थी। जनसंख्या मे एक दशक (1971-81) में 24.75 प्रतिशत वृद्धि हुई जो पिछले दशक (1961-71) की वृद्धि 24.80 प्रतिशत से मामूली कम है। सन् 2000 तक जन्म दर 21 तथा मृत्यु दर 9 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों मे संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यरूप के साथ-साथ बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारियो को प्रशिक्षित करना तथा संक्रामक रोगों का उन्मूलन या नियंत्रण स्वास्थ्य रक्षा के केन्द्रीय विन्दु हैं। पिछड़े तथा जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने के काम को अब प्राथमिकता दी जा रही है।

स्वास्थ्य कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों जैसे कि नर्सों, सफाई निरीक्षकों, अर्द्ध-चिकित्सा कर्मचारियों, गैर-चिकित्सा निरीक्षकों, कार्य चिकित्सकों आदि के लिए कई प्रशिक्षण केन्द्र हैं। पूरी स्वास्थ्य सुविधा पद्धति के तीन स्तरीय पुनर्निर्माण के लिए "चिकित्सा शिक्षा और सहायक कर्मचारी ग्रुप" की रिपोर्ट के आधार पर कार्य करने की योजना बनाई गई है। पोषाहार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं पैकेज सेवाओं के रूप में पहुंचाने में, थोड़े प्रशिक्षण के बाद सामुदायिक स्तर के कर्मचारियों, जैसे कि शिक्षकों, डाकपालों, ग्राम-सेवकों को लगाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

सारणी 8.1 में विभिन्न योजना अवधियो मे पूंजी निवेश का स्वरूप दिया गया है।

सारणी 8.1
पूंजी निवेश का स्वरूप

(रुपये करोड़ों में)

योजना	अवधि	योजना पर कुल व्यय	स्वास्थ्य-परिव्यय	स्वास्थ्य पर आबंटित राशि का कुल आवंटन का प्रतिशत
पहली योजना	(1951—56)	1,960.00	65.20	3.30
दूसरी योजना	(1956—61)	4,672.00	140.80	3.00
तीसरी योजना	(1961—66)	8,576.00	225.90	2.60
वार्षिक योजनाएं	(1966—69)	6,625.40	140.20	2.10
चौथी योजना	(1969—74)	15,778.80	335.50	2.10
पांचवी योजना	(1974—79)	39,322.00	532.70	1.40
वार्षिक योजना	(1978–79)	11,650.00	281.53	2.42
वार्षिक योजना	(1979–80)	12,601.00	275.45	2.19
छठी योजना	(1980—85)	97,500.00	1,821.05	1.87
परिव्यय	(1980–81)	14593.00	316.80	2.16
अस्थायी परिव्यय	(1981–82)	17,417.31	356 60	2.05
अस्थायी परिव्यय	(1982–83)	21,137.00	392.61	1.86

संक्रामक रोगों का उन्मूलन और नियंत्रण

कई संक्रामक रोगों, कुष्ठ रोग, तपेदिक तथा अंधेपन का नए बीस सूत्री कार्यक्रम अंतर्गत नियन्त्रण किया जाएगा। प्रमुख संक्रामक रोगों के उन्मूलन तथा नियंत्रण के लि कई राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जैसे राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्री मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरि नियंत्रण कार्यक्रम तथा टी० बी०, रोहे, हैजा, अन्धापन, गलगंड और यौन रोगों प नियंत्रण के कार्यक्रम।

मलेरिया

स्वतंत्रता के पश्चात् की अवधि में मलेरिया से 7.5 लाख लोग मरे। अतः 1953 मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। 1958 में यह राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। स्वतन्त्रता पश्चात् की अवधि में मलेरिया के बीमारों की संख्या 7.5 करोड़ से घटाकर 1965 में केवल एक लाख करने में सफलता मिली। इसके अलावा 1965 में मलेरिया से कोई मृत्यु नहीं हुई। परन्तु 1965 के पश्चात् हर वर्ष स्थिति बिगड़ने लगी क्योंकि मलेरिया के मच्छरों पर दवाओं का असर कम हो गया। मलेरिया से पीड़ितों की संख्या 1966 में 1.48 लाख से बढ़ कर 1976 में 64.7 लाख हो गई। स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए सरकार ने 1977 से उन्मूलन की एक संशोधित योजना शुरू की। 1981 में मलेरिया के 2.6 लाख मामले सामने आए।

कर्मचारियों को मलेरिया उन्मूलन के तरीकों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली तथा बंगलौर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, लखनऊ, शिलांग और बड़ोदरा के क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय में दिया जाता है। भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद अनुसंधान कार्य कर रही है। 1981-82 में मलेरिया नियन्त्रण के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की गई है।

चेचक

1947 से पूर्व चेचक दूसरी भीषण जानलेवा बीमारी थी। इसलिए राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम जब 1962 में प्रारम्भ किया गया, तो उसमें व्यापक प्राथमिक टीका अभियान और चुने हुए कमजोर वर्गों को फिर से टीका लगाने पर जोर दिया गया। परिणामतः जुलाई, 1975 में चेचक की बीमारी का पूरी तरह सफाया कर दिया गया। फिर भी, सतर्कता कारवाई जारी रखी गई है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यांकन आयोग द्वारा 23 अप्रैल, 1977 तक भारत से चेचक के उन्मूलन की घोषणा कर दी गई। समूचे विश्व को चेचक की बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया है।

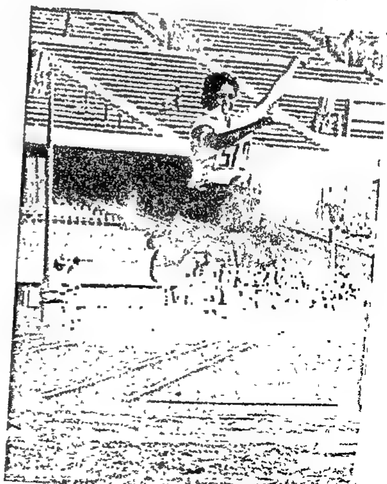
कुष्ठ रोग

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 1955 से चलाया जा रहा है। लगभग 37.2 करोड़ व्यक्तियों को कुष्ठ रोग होने का डर है। इनमें से अब तक 32.4 करोड़ व्यक्ति बचाव कार्यों के अन्तर्गत लाए जा चुके हैं। अनुमानतः 32 लाख कुष्ठ रोगी हैं, जिनमें से लगभग 8 लाख संक्रामक किस्म के हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत फरवरी, 1982 तक 27.53 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 23.71 लाख रोगियों का अनेक कुष्ठ-रोग नियंत्रण इकाइयों तथा छठी योजना के अन्तर्गत स्थापित एक कुष्ठ रोग पुनर्वास प्रोत्साहन केन्द्र में नियमित रूप से इलाज चल रहा है। इसके अलावा



खेलो के लिए तैयार किए गए स्थलो मे एशियाई खेलो से पहले आजमाइशी खेल हुए—चित्र मे बास्केटबाल का मैच हो रहा है।

एक एशियाई खेल स्टेडियम मे लम्बी कूद का आजमाइशी प्रदर्शन।

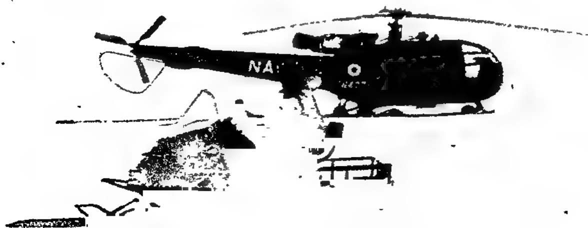


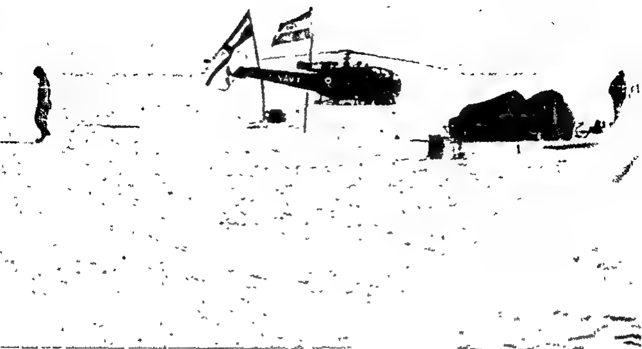
भारत में टेलीफोन सेवा के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष मे जारी किया गया विशेष डाक टिकट।



भारतीय विज्ञानविद् जनवरी 1982 में दक्षिणी ध्रुव प्रदेश के अभियान पर गये। चित्र में उनके आधार-शिविर में भारतीय ध्वज फहरा रहा है।

भारतीय विज्ञानविद् सुदूर दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में गवेषणा-अध्ययन करते हुए।





भारतीय विज्ञानविद् जनवरी 1982 में दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में
में भारतीय ध्वज प

भारतीय विज्ञानविद् सुदूर दक्षिणी ध्रुव प्र

इस मानचित्र में मेघालय की सीमा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971
समुद्र में भारत का जल प्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दू
भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित

भारत



इस मानचित्र में मेघालय की सीमा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971
समुद्र में भारत का जल प्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की
भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

1979-80 साल में राष्ट्रीय राजमार्गों राज्यीय राजमार्गों तथा अन्य राज निर्माण विभाग की सड़कों की कुल लम्बाई पक्की सड़कों तथा कच्ची सो को मिलाकर 5,40,720 किलो मीटर थी। सड़कों की लम्बाई का राज्यवारी सारणी 21.5 में दिया गया है ।

सारणी 21.5 भारत में सड़कों की लम्बाई (1979-80)

(किलोमीटर)

राज्य/संघीय क्षेत्र	पक्की सड़कें	कच्ची सड़कें	कुल
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	35,714	17,134	,718
असम	5 876	17,134	,010
बिहार	16,459	5,186	1,645
गुजरात	12,118	737	2,855
हरियाणा	17,360	2,171	19,531
हिमाचल प्रदेश	3,683	12,386	16,069
जम्मू और कश्मीर	6,257	2,525	8,782
कर्नाटक	49,753	14,750	64,530
केरल	16,078	1,423	17,501
मध्य प्रदेश	45,756	14.911	60,667
महाराष्ट्र	27,002	5,781	32,783
मणिपुर	1,645	1,700	3,345
मेघालय	2,430	1,876	4,306
नागालैंड	1,639	3,377	5,016
उड़ीसा	12,435	5,547	17,982
पंजाब	31,862	—	31,862
राजस्थान	30,088	10,311	40,399
सिक्किम	1,013	24	1,037
तमिलनाडु	35,138	283	35,421
त्रिपुरा	1,117	3,186	4,303
उत्तर प्रदेश		13,231	58,597

388

अनेक कुष्ठ रोग गृहों, अस्पतालों, क्लिनिकों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा अनुसन्धान संस्थाओं के साथ-साथ 29 स्वदेशी तथा 8 विदेशी स्वयं सेवी संगठन भी कुष्ठ रोग निवारण में सहयोग दे रहे हैं। कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यों के लिये बजट बढ़ाकर 1981-82 में 5.40 करोड़ रुपये तथा 1982-83 के लिये 10 करोड़ रुपये कर दिया गया। 382 कुष्ठ नियंत्रण एकांशों, 6,590 सर्वेक्षण, शिक्षा तथा उपचार केन्द्रों, 430 शहरी कुष्ठ केन्द्रों तथा 190 अस्थायी रूप से भर्ती करने वाले वार्डों (प्रत्येक में 20 बिस्तर), 231 कुष्ठ गृहों और अस्पतालों में कुल 32,800 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था है। 71 पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा एकांश हाथों पांवों और चेहरे की विरूपता की रोक-थाम और सुधार के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुष्ठ रोग का सन् 2000 तक उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। एक कार्य दल ने कुष्ठ रोग के उन्मूलन की कार्य पद्धति सुझाई है। सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

42 प्रशिक्षण केन्द्र (32 सरकारी तथा 10 स्वैच्छिक) और केन्द्रीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (तमिलनाडु), चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं तथा प्रशिक्षण देने के साथ-साथ अनुसंधान कार्य भी करते हैं। एशियाई जापानी कुष्ठ रोग मिशन, आगरा को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। यह संस्थान, जिसका नाम अब केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान रख दिया गया है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत कार्य कर रहा है। एक क्षेत्रीय कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान रायपुर में और दूसरा असका (उड़ीसा) में खोला गया है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा इससे सम्बन्धित नीति निर्धारित करने के लिए कुष्ठ रोग सलाहकार समिति का एक उच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय कुष्ठ रोग सलाहकार समिति के रूप में पुनर्गठन कर दिया गया है।

फाइलेरिया

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 से चालू है। अनुमान है कि 30.4 करोड़ लोगों को फाइलेरिया हो सकता है। इनमें से डेढ़ करोड़ ऐसे हैं जिनमें इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं और 1.8 करोड़ लोगों के रक्त में फाइलेरिया के सूक्ष्म रोगाणु विद्यमान हैं।

कार्यक्रम के अनुसार शहरी क्षेत्रों में अभी सारा ध्यान डिंभक (लार्वा) नष्ट करने पर दिया जा रहा है। 173 फाइलेरिया नियंत्रण केन्द्र लगभग 2.4 करोड़ लोगों का इस रोग से बचाव कर रहे हैं। 88 फाइलेरिया चिकित्सालय भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर 12 हेडक्वार्टर ब्यूरो भी कार्य कर रहे हैं। रोगग्रस्त राज्यों के 290 जिलों में से अब तक केवल 208 जिलों का सर्वेक्षण हो चुका है। ऐसे 23 जिलों में भी जहां सर्वेक्षण नहीं हुआ है फाइलेरिया नियंत्रण कार्य चल रहा है। फाइलेरिया नियंत्रण की और इकाइयां, विशेषकर महाराष्ट्र में, स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तीन क्षेत्र अनुसन्धान इकाइयां सर्वेक्षण कर रही हैं। जिन शेष जिलों में सर्वेक्षण नहीं हुआ है, उनमें समस्या का

प्रभाव आंकने के लिये पांचवीं योजना के दौरान 31 सर्वेक्षण इकाइयां स्थापित की जानी थी इनमें 26 की स्थापना कर दी गई है।

फाइलेरिया की रोकथाम के लिए कालीकट (केरल), राजमुंद्री (आंध्र प्रदेश) और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के क्षेत्रीय फाइलेरिया प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

क्षय रोग

देश में प्रतिवर्ष एक लाख लोगों में से लगभग 80 लोग तपेदिक से मरते हैं। लगभग एक करोड़ लोग रेडियो सक्रिय तपेदिक से पीड़ित हैं। इनमें करीब एक चौथाई का रोग संक्रामक है। 1949 में बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम शुरू किया गया था। मार्च, 1980 के अन्त तक लगभग 25.46 करोड़ व्यक्तियों की क्षय रोग सम्बन्धी परीक्षा की गई और 25.28 करोड़ व्यक्तियों को टीका लगाया गया। अब नवजात शिशुओं तथा एक वर्ष की उम्र तक के बच्चों को ही बी० सी० जी० टीका लगाया जाता है। 1973 से सूखे टीके का वितरण समूचे देश में हो रहा है। 600 से ऊपर चिकित्सालय खोले गए हैं, जिनमें से 353 को जिला क्षय रोग केन्द्र बना दिया गया है, जो जिलावार क्षय रोग कार्यक्रम चलाते हैं। अस्पतालों में इस रोग के शिकार व्यक्तियों के लिए लगभग 44,000 टी० बी० बिस्तर उपलब्ध है इस समय घर पर इलाज करने पर ही मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है। देश में 17 केन्द्रों द्वारा चिकित्सकों और सहायक चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर जिला क्षय रोग कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों के चिकित्सकों और सहायक चिकित्सकों के लिए पुन-र्नवीकरण पाठ्यक्रम चलाता है। यह संस्थान इस रोग का सामना करने के लिए क्रियात्मक अनुसन्धान भी करता है। बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए बी० सी० जी० टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं।

भारतीय क्षय रोग एसोसियेशन जो सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है, सहित कई स्वैच्छिक टी० बी० संगठन तपेदिक निवारण में सहायता करते हैं। देश भर में 200 से भी ज्यादा राज्य तथा जिला टी० बी० संस्थाएं हैं।

यौन रोग

इस समय देश में 240 यौन रोग चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं। यौन रोग नियंत्रण सम्बन्धी पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण सुविधाएं नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के प्रशिक्षण केन्द्र और मद्रास स्थित राजकीय जनरल अस्पताल के यौन रोग संस्थान में उपलब्ध हैं। इनके कार्यों में प्रयोगशाला तकनीशियनों का प्रशिक्षण भी शामिल है, ताकि वे स्वतन्त्र रूप से इलाज शुरू करने के लिए एस० टी० डी० और वी० डी० आर० एल० के प्रयोगशाला परीक्षण कहीं और से करवाने की बजाय स्वयं कर सकें। एक दूसरे यौन रोग अनुसन्धान एन्टीजन उत्पादन एकांश ने कलकत्ता में और एक चलते-फिरते यौन रोग एकांश ने दिल्ली में भी कार्य करना शुरू कर दिया है।

संक्रामक यौन रोग राष्ट्रीय संस्थान, दिल्ली ने एक सर्वेक्षण और खोज दल गठित किया है जो कि यौन रोग से सबसे अधिक खतरे वाले वर्गों जैसे कालेज विद्यार्थियों, तकनीकी विद्यार्थियों, औद्योगिक कारीगरों और गैर-कारीगर मजदूरों

आदि में सिफलिस और सुजाक जैसी महामारी के आसारों का पता लगाता है। इसके अतिरिक्त यह दल सर्वेक्षण में पता लगे रोगियों को उचित चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान करता है।

छठी योजना में यौन रोग नियंत्रण कार्यक्रम को पूर्ण केन्द्रीय योजना का रूप दे दिया गया है। पांच क्षेत्रीय शिक्षण और प्रशिक्षण केन्द्र बनाए जा रहे हैं, जिनमे जिला अस्पतालो, सिविल अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा डाक्टरी कालेज अस्पतालों के चिकित्सकों और सहायक चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन पांचों केन्द्रों मे क्षेत्रीय व चलती-फिरती इकाइयां भी स्थापित की जा रही हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों मे इस रोग के महामारी रूप में फैलाने से सम्बन्धित पक्षों को जाच करेंगी।

अंधेपन पर नियंत्रण

अन्धेपन पर नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में शुरू हुआ और 1968 से चल रहा राष्ट्रीय रोहा नियंत्रण कार्यक्रम भी इसी में शामिल कर लिया गया। करीब साढ़े चार करोड़ लोग दृष्टि रोग के शिकार है, जिनमें 90 लाख लोग दृष्टिहीन हैं। इनमें से भी 60 लाख ऐसे है, जो आपरेशन से ठीक हो सकते है। अन्धेपन की रोकथाम के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चलती-फिरती नेत्र इकाइयो के माध्यम से लोगों को नेत्र चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं तथा आंखों की रक्षा के बारे मे जानकारी देना तथा जन-स्वास्थ्य की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत आंखों की चिकित्सा सुविधाओ के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है।

1981 के अन्त तक देश के विभिन्न भागों में उपकरणों से सुसज्जित 45 चलती-फिरती इकाइयां चल रही थी, जिनके काम है—

(1) आंखों के आपरेशन के शिविर लगाना;
(2) आंखों के बचाव के बारे में लोगो को जानकारी देना; तथा
(3) अन्धेपन की घटनाओं और कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करना।

प्रत्येक चलती-फिरती इकाइयो को हर वर्ष 1500 से 2000 आपरेशन करने होते है। राज्यों में डाक्टरी कालेजों के अस्पतालों तथा अन्य अस्पतालों में सभी आवश्यक उपकरणो की व्यवस्था की गई है, जिससे आखों के रोगों की चिकित्सा, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण का स्तर सुधारा जा सके। 191 जिला अस्पतालों में ऐसी सुविधाए मौजूद हैं कि प्रत्येक जिले मे किसी नेत्र चिकित्सक के अधीन नेत्र इकाई शुरू की जा सके। 26 डाक्टरी कालेजों ने नेत्र चिकित्सा विभागों को विकसित करके उन्हें सामुदायिक नेत्र केन्द्र बना दिया गया है, चार नेत्र संस्थाओं को क्षेत्रीय संस्थान का दर्जा दे दिया गया है।

चलती-फिरती इकाइयों के अलावा 200 जिला अस्पतालो में ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे प्रत्येक जिले मे एक नेत्र इकाई प्रारम्भ कर सकें। 1600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी मजबूत किया जाएगा। 1550 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आंखों के इलाज के उपकरणों की व्यवस्था कर दी गई है। उन में नेत्र चिकित्सा सहायकों की नियुक्ति भी की जा रही है।

वर्तमान ■ नेत्र विज्ञान संस्थान तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान संस्थान को भी कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। इन संस्थान को अन्धापन नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने में मार्गदर्शन के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। आशा है 15 डाक्टरी कालेज नेत्र चिकित्सा सहायकों को प्रशिक्षण देने का संशोधित कार्यक्रम शुरू करेंगे। 18 केन्द्रों ने इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया है। इसमें 2 वर्ष के नवीकरण पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। रोहा तथा उससे सम्बन्धित अन्य तकलीफों की रोकथाम के लिए राज्यों को आंखों की दवा वितरित की जा रही है।

सरकार स्वयंसेवी संगठनों को प्रत्येक क्षेत्र शिविर के लिए 12,000 रुपये तथा प्रत्येक आपरेशन के लिए 60 रुपये देती है।

कैंसर

शल्य क्रिया, रेडियो-किरण चिकित्सा तथा रासायनिक चिकित्सा पद्धति से कैंसर का इलाज करने की सुविधाएं अब देश के 110 अस्पतालों में हैं। देश के विभिन्न भागों में स्थित 16 अस्पतालों तथा संस्थानों द्वारा कैंसर की समस्याओं पर अनुसंधान किया जाता है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मुंह, वक्ष और गले के कैंसर पर देश में विभिन्न संस्थानों के सहयोग से अध्ययन शुरू किया है।

कैंसर और टैलीथेरेपी की स्थायी जाच समिति की सिफारिशों पर वर्तमान चार क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के साथ-साथ छठी योजना के दौरान ग्वालियर, कटक, अहमदाबाद, गुवाहाटी, त्रिवेन्द्रम और बंगलौर मे कैंसर केन्द्रों के स्तर को बढ़ाकर क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र बनाने का सरकार ने निश्चय किया है। इसके अतिरिक्त सरकार 9 कैंसर केन्द्रों भोपाल, कालीकट, कटक, गुवाहाटी, गोरखपुर, जोधपुर, पणजी, पटना और श्रीनगर में कोबाल्ट-थेरेपी एकक खोलने और आरंभिक चरणों में कैंसर का पता लगाने के लिए कैंसर निवारण केन्द्रों को स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। कैंसर से संबंधित अनेक पहलुओं पर पांच अन्य संस्थानों मे काम प्रारम्भ किया जा रहा है।

छठी योजना के दौरान कैंसर अनुसंधान और उसके इलाज के लिए 1,150 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

गण्डमाला रोग

गण्डमाला रोग के नियंत्रण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में राष्ट्रीय गण्डमाला रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। स्थानिक गण्डमाला रोग एक अत्यधिक खतरनाक रोग है, जो महामारी विज्ञान के अनुसार मानसिक अवरोध, शारीरिक अवरोध, (मुख्यत: बच्चों और किशोरों मे), बहरेपन तथा मानसिक विकलांगता से जुड़ा है। इससे बाद में गलग्रंथि में कैंसर भी हो सकता है।

इस कार्य के लिए तीन प्रकार की नीति अपनाई गई है: (1) गण्डमाला रोग का सर्वेक्षण, जिससे स्थानिक गण्डमाला रोग के क्षेत्रों का पता लगाया जा सके, (2) आयोडिन युक्त साल्ट का उत्पादन तथा स्थानिक रोग के क्षेत्रों को उसकी पूर्ति। 1980 तक आयोडीन युक्त साल्ट तैयार करने के 12 संयंत्र लगाये जा चुके हैं। 1980 में अपनाई गई नीति के अनुसार इस तरह के संयंत्र उन क्षेत्रों

में लगाये जाएंगे, जहां इस रोग के फैलने का खतरा रहता है। असम में, जहां गण्डमाला रोग बहुत अधिक होता है, दो सयंत्र लगाए जा चुके हैं। आयोडीन युक्त साल्ट के उत्पादन का पूरा खर्च केन्द्र सरकार उठाएगी। रोग वाले क्षेत्रों को लगातार पांच वर्ष तक आयोडीनयुक्त साल्ट सप्लाई करने के बाद इस कार्यक्रम के प्रभाव को आंकने के लिए फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा।

भारत में गण्डमाला रोग हिमालय की सभी उपशृंखलाओं के क्षेत्रों में अधिक होता है। इन क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के हिस्से शामिल हैं। महाराष्ट्र के एक तथा मध्य प्रदेश के दो जिलों में भी यह रोग पाया जाता है। इन क्षेत्रों में इसकी व्यापकता औसतन 35 प्रतिशत है जो 10 से 70 प्रतिशत के बीच रहती है।

अस्पताल और औषधालय

चिकित्सा सेवाएं मुख्य रूप से केन्द्रीय और राज्य सरकारें प्रदान करती हैं। कई धर्मार्थ, स्वयंसेवी तथा निजी संस्थाएं भी चिकित्सा सहायता प्रदान करती हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना आजकल 15 बड़े शहरों में कार्य कर रही है और 24.60 लाख व्यक्तियों को इससे लाभ हो रहा है। जिला और उप-प्रभागीय अस्पतालों की कमियां दूर कर उनका विशेषज्ञ सेवाओं के लिए विकास किया जा रहा है। 1980 में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या (सरकारी और निजी) 4.7 लाख थी जबकि 1951-52 में यह 1.13 लाख थी। अब बिस्तर-जनसंख्या अनुपात 0.7 प्रति 1000 है जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 0.24 था। 1978-79 के अन्त में कार्यरत डाक्टरों और नर्सों की संख्या क्रमशः लगभग 1.78 लाख और 1.13 लाख थी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जुलाई 1954 में दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चालू की गई थी। यह अब इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, मेरठ, पटना, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ और नागपुर में चालू है। केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगी तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विधवाएं, जो पारिवारिक पेंशन पाती हैं, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। दिल्ली में कुछ स्वायत्त और अर्धसरकारी संस्थाओं के कर्मचारी और उनके परिवार, संसद सदस्य और दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और उनके परिवार भी इस योजना के अन्तर्गत आ गए हैं।

भूतपूर्व संसद सदस्य, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, भूतपूर्व राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, रक्षा उद्योगों के कर्मचारी, उन सभी केन्द्रों (बम्बई को छोड़कर) पर इस सेवा से लाभ उठा सकते हैं, जहां इस योजना के अन्तर्गत सुविधा मौजूद है। दिल्ली में चुने हुए 14 क्षेत्रों में निर्धारित राशि देकर आम लोग भी इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा सेवाओं के समन्वित ढांचे का आधार होता है। 1 अप्रैल, 1981 को देश में 5,568 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

तथा 51,192 उपकेन्द्र समाज को बहुद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा बुनियादी स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान कर रहे थे। 1982-83 के अन्त तक प्रति 5,000 जनसंख्या के लिए एक पुरुष तथा एक स्त्री स्वास्थ्य कर्मचारी रखने का प्रस्ताव है।

भारतीय चिकित्सा प्रणालियां

ग्रामीण लोगों में चिकित्सा के भारतीय तरीके बहुत प्रचलित हैं। वे उन वैद्यों और हकीमों के पास जाते हैं जो चिकित्सा करने का पारिवारिक धंधा करते हैं। लगभग 2.78 लाख पंजीकृत वैद्य या हकीम काम कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त देश में 13,535 डिस्पेंसरियां और 371 अस्पताल देशी तरीकों द्वारा इलाज कर रहे हैं, जिनमें 11,118 बिस्तरों की व्यवस्था है।

स्नातक-पूर्व शिक्षा

देश में 95 आयुर्वेदिक, 16 यूनानी तथा 1 सिद्ध स्नातक-पूर्व महाविद्यालय हैं। इनमें से 49 आयुर्वेदिक तथा 10 यूनानी महाविद्यालय स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इनमें से अधिकतर महाविद्यालय जिस राज्य में स्थापित हैं, उस राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। केन्द्रीय सरकार चिकित्सा की इन प्रणालियों के अन्तर्गत आने वाले कई निजी रूप से चलाए जाने वाले महाविद्यालयों को कालेज-भवन निर्माण तथा उपकरणों के क्रय आदि के लिए 5 लाख रुपये तक की अधिकतम वित्तीय सहायता देती है। स्नातक-पूर्व शिक्षा के लिए आयुर्वेदिक में 3,500 यूनानी में 535 तथा सिद्ध में 74 छात्रों को पढ़ाने की व्यवस्था है।

स्नातकोत्तर शिक्षा

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर, में दो पूर्ण विकसित आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर संस्थानों के अतिरिक्त 14 स्नातकोत्तर विभाग आयुर्वेद में, दो यूनानी में और एक सिद्ध में हैं, जो आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उडीसा तथा पश्चिम बंगाल में कार्य कर रहे है। स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए आयुर्वेद में 200, यूनानी मे 18 तथा सिद्ध में 20 छात्रों की पढाई की व्यवस्था है। सभी स्नातकोत्तर संस्थानों का पूरा खर्च केन्द्र सरकार उठाती है। बंगलौर में यूनानी के लिए राष्ट्रीय संस्थान बनाने का निश्चय किया गया है।

आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध चिकित्सा पद्धति की शिक्षा की देखरेख भारतीय आयुर्विज्ञान की केन्द्रीय परिषद करती है।

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी प्रतिष्ठान कुमाऊं मण्डल विकास निगम के साथ मिलकर भारतीय औषध व भेषज निगम की स्थापना की है। आयुर्वेदिक औषध कोश का पहला भाग सरकारी प्रकाशनों की बिक्री करने वाली सभी संस्थाओं के पास उपलब्ध है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के औषध कोश का पहला भाग छप रहा है। इसमें 440 विधियां संकलित की गई हैं। सिद्ध औषध कोश के पहले भाग का मसौदा तैयार हो गया है। गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में भारतीय चिकित्सा प्रणालियों की दवाएं तैयार करने का कारखाना चल रहा है।

होमियोपैथी विभिन्न राज्य-बोर्डों और परिषदों द्वारा मान्यताप्राप्त 122 संस्थाओं में होमियोपैथी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें से सात संस्थाएं सरकारी हैं। होमियोपैथी के विस्तार के लिए बनी होमियोपैथी सलाहकार समिति इस विषय में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देती है ।

होमियोपैथी औषध-कोश समिति, अब तक भारतीय होमियोपैथी मान्य औषध-कोश के तीन खण्ड प्रकाशित कर चुकी है।

होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत होमियोपैथी की केन्द्रीय परिषद की स्थापना 8 अगस्त, 1974 को की गई जो समूचे देश में होमियोपैथी शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित करती है और होमियोपैथिक चिकित्सकों का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखती है । देश में होमियोपैथिक के 83 अस्पताल हैं, जिनमें 2,249 शय्याओं की व्यवस्था है, तथा 1,806 डिस्पेंसरियां और 1.09 लाख डाक्टर हैं।

प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्राकृतिक चिकित्सा सलाहकार समिति, प्राकृतिक चिकित्सा की प्रगति के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय सरकार 24 प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों को अनुदान देती है।

अनुसंधान 1969 में स्थापित भारतीय चिकित्सा तथा होमियोपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद को 10 जनवरी, 1979 को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुरूप चार केन्द्रीय परिषदों का गठन कर दिया गया। नई अनुसन्धान परिषदें हैं : (1) आयुर्वेद तथा सिद्ध-औषधियों में अनुसन्धान के लिए केन्द्रीय परिषद; (2) यूनानी में अनुसन्धान के लिए केन्द्रीय परिषद; (3) होमियोपैथी मे अनुसन्धान के लिए केन्द्रीय परिषद; तथा (4) योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसन्धान के लिए केन्द्रीय परिषद। विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की इन शीर्ष संस्थाओं की पूरी वित्त-व्यवस्था केन्द्र सरकार करती है।

केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद परिषद अपने विभिन्न संस्थानों/केन्द्रों में बहुत से अनुसन्धान कार्यक्रम करती है जिनमें चिकित्सा अनुसन्धान, भेषज–मानकीकरण, वनौषधि सर्वेक्षण और साहित्यिक अनुसन्धान शामिल है। परिषद के अन्तर्गत 25 अनुसन्धान संस्थान तथा 67 अनुसन्धान इकाइयां काम कर रही हैं। मलेरिया और एलर्जी जनित रोगों सहित विभिन्न रोगों के चिकित्सा पक्ष पर गहन अनुसन्धान कार्यक्रम पूरे किए गए। अनेक लोकप्रिय औषधि द्रव्यों के विश्लेषणात्मक मानक-निर्धारण के साथ-साथ इसने 20 औषधि द्रव्यों के अन्तर्विषयी अध्ययन किए। 60 दवाओं के फार्मूले संकलित करने का काम पूरा हो गया है । इसके परिणाम छप रहे हैं। वनौषधि सर्वेक्षण में 125 वनों का सर्वेक्षण किया गया तथा जड़ी-बूटियां और औषधि द्रव्यों के 3,500 पौधे तथा 500 ऐसी जड़ी बूटिया एकत्रित की गईं जिन्हें औषधि माना जाता है। तीन शोधपत्र प्रकाशित किए जा चुके है और अन्य 6 शोधपत्रों पर कार्य चल रहा है। परिषद आयुर्वेद और सिद्ध

अनुसन्धान पर एक मासिक न्यूज लेटर, एक त्रैमासिक अनुसन्धान पत्रिका तथा एक अन्य पत्रिका निकालती है।

केन्द्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद

परिषद की देखरेख में एक केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान, तीन क्षेत्रीय अनुसन्धान संस्थान, सात चिकित्सा, अनुसन्धान इकाइयां, चार साहित्यिक अनुसन्धान इकाइयां, सात औषध मानकीकरण इकाइयां, दो चिकित्सा सर्वेक्षण इकाइयां, एक मिश्रित औषध अनुसन्धान योजना तथा एक चलती-फिरती अनुसन्धान इकाई काम करती है। केन्द्रीय और क्षेत्रीय संस्थानों तथा अन्य चिकित्सा अनुसन्धान एककों में विभिन्न रोगों जैसे गह्वर प्रदाह, गुर्दे की सूजन, ल्यूकोरिया, पीलिया, मलेरिया और रोहा इत्यादि पर चिकित्सा अनुसन्धान किए जाते हैं। छः मिश्रित नुस्खे और तीन एकल दवाएं मानकीकृत कर दी गई हैं। श्रीनगर स्थित अनुसन्धान एकक ने 15 वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है।

साहित्य अनुसन्धान एकक दुर्लभ पाण्डुलिपियों का सम्पादन और अनुवाद करता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति की कुछ सामान्य औषधियों के विषय में एक पुस्तिका जो अंग्रेजी तथा हिन्दी में पहले ही उपलब्ध है, उर्दू में छापी जा चुकी है और उसका अरबी और तमिल में अनुवाद किया जा रहा है। परिषद एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकालती है।

केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद

चिकित्सा अनुसन्धान, औषधि द्रव्य अनुसन्धान, औषधि परीक्षण अनुसन्धान और सर्वेक्षण कार्यक्रम के लिए इस परिषद के अन्तर्गत एक केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान, दो क्षेत्रीय अनुसन्धान संस्थान तथा पच्चीस अनुसन्धान एकक हैं। दमा, एलर्जी से हुए त्वचाशोथ, अमीबिक प्रवाहिका टौंसिल, नासूर, संधिशोथ तथा अन्य बहुत-से रोगों की चिकित्सा में परिषद को उपयोगी परिणाम प्राप्त हुए हैं। औषधि परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कम जानी-पहचानी 6 औषधियों का परीक्षण और 30 से अधिक औषधियों का मानकीकरण किया जा चुका है। प्रजनन-निरोधक सर्वेक्षण भी किए जा रहे हैं। परिषद एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है।

केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद

यह मधुमेह, मैलिटस, दमा, उच्च रक्तचाप, सन्धिशोथ और संग्रहणी एवं आन्त्र विकारों के बारे में अनुसन्धान कर रहे चार बड़े योग अनुसन्धान संस्थानों को आर्थिक सहायता दे रही है। यह देश में 24 प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों को भी सहायता दे रही है। परिषद योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है। शरीर की रचना सम्बन्धी प्रक्रियाओं पर योग द्वारा होने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से केन्द्रीय योग अनुसन्धान संस्थान में गहन अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है। विश्वायतन योगाश्रम योग तथा योगासनों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। आश्रम भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है।

औषध नियंत्रण और उत्पादन

औषध और सौंदर्य प्रसाधन वस्तु अधिनियम, विदेशों से औषध और सौन्दर्य प्रसाधन का सामान मंगवाने तथा देश में उसके निर्माण, विक्रय और वितरण के कार्य को नियमित

करता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कम प्रभावकारी, मिलावटी और गलत छाप की औषधियों के विदेशों से मंगवाने तथा देश में उनके निर्माण और विक्रय पर रोक लगा दी गई है। केन्द्रीय सरकार को विदेशों से मंगाई दवाइयों की किस्म को जांचने, राज्य सरकारों की गतिविधियों में समन्वय करने, स्तर के नियमित मापदण्ड निर्धारित करने और नई औषधियों को विदेशों से आयात करने या देश में बनाने की अनुमति देने का अधिकार प्राप्त है। निर्माण, विक्रय तथा वितरण की जाने वाली दवाइयों के स्तर पर नियंत्रण रखना राज्य सरकारों का काम है। केन्द्रीय औषध स्तर नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, जो बम्बई, कलकत्ता, गाजियाबाद और मद्रास में कार्य कर रहे हैं, अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए राज्य संगठनों के साथ तालमेल रखते हैं। यह संगठन औषध स्तर नियंत्रण में लगे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है।

केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता, विदेशों से मंगवाई गई दवाइयों का परीक्षण करती है तथा औषध और प्रसाधन वस्तु अधिनियम के अधीन अदालतों द्वारा भेजे गए नमूनों के लिए एक दूसरी सुनवाई वाली प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करती है। गाजियाबाद की केन्द्रीय भारतीय भेषज प्रयोगशाला अजैव औषधियों के नमूनों की जांच करती है तथा भारतीय भेषज कोश में दी गई औषधियों के स्तर निर्धारित करती है।

औषधि मूल्य

विपुल मात्रा में बनने वाली औषधियों के मूल्यों पर 1962 से ही कानूनी नियंत्रण रहा है किन्तु प्रभावी रूप से यह नियंत्रण औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970, जिसका स्थान अब औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 ने ले लिया है, के अन्तर्गत 1970 में लागू हुआ। इन उपायों के फलस्वरूप दवाओं और औषधियों की थोक कीमतों की मूल्यसूची अन्य वस्तुओं की तुलना में स्थिर ही रखी गई है।

टीका उत्पादन

मद्रास में गिंडी स्थित बी० सी० जी० टीका उत्पादन प्रयोगशाला, टीकों का उत्पादन करने वाली संसार की सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं में से है। यह केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक योजना के अन्तर्गत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को टीके (पी० पी० डी०, ट्यूबर्क्युलिन और जमे हुए सूखे बी० सी० जी० टीके) मुफ्त प्रदान करती है। बी० सी० जी० की वर्तमान 3 करोड़ खुराकों के उत्पादन को [redacted] करोड़ खुराकों तक बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला का विस्तार किया जा रहा है।

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली टी० ए० बी०, हैजा, कुत्ते के काटने, इन्फ्लूएंजा, विषनाशक और टिटनेस-नाशक दवा सप्लाई करता है।

बम्बई का हाफकिन संस्थान टीके, विषनाशक दवाएं और अन्य जैविक तैयार करता है।

14 और संस्थाएं टीके बनाने का कार्य कर रही हैं। भारत चेचक, बी० सी० जी०, टाइफाइड, हैजा और कुत्ता काटे के टीकों के निर्माण में आत्म-निर्भर है।

आपत्तिजनक विज्ञापन

औषध तथा चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1955 के अनुसार, उन सभी आपत्तिजनक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिनमें यौन रोगों तथा स्त्री रोगों के अद्भुत उपचार तथा कामोत्तेजक औषधों का प्रचार किया जाता है। 1963 में संशोधित किए गए इस अधिनियम के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा डाक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर विदेशों से आने वाली तथा देश से जाने वाली ऐसी सभी वस्तुओं पर रोक लगाई जा सकती है जिनमें आपत्तिजनक विज्ञापन हो।

चिकित्सा सामग्री डिपो तथा कारखाने

चिकित्सा भण्डार संगठन, बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी, हैदराबाद, करनाल और मद्रास में स्थापित छह केन्द्रों द्वारा समूचे देश में स्थित करीब 16,000 अस्पतालों और औषधालयों को अच्छी कोटि का चिकित्सा सम्बन्धी सामान कम दामों पर खरीद कर देता है। इस संगठन से अधिकतर ग्रामीण तथा उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित छोटे अस्पताल और डिस्पेंसरियां दवाएं खरीदती हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे संयुक्त राष्ट्र बाल कल्याण कोष तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से सामान लेता है तथा संस्थाओं व लोगों में बांटता है। यह दैवी प्रकोपों से प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित लोगों को भी सहायता पहुंचाने का काम करता है।

संगठन के बम्बई और मद्रास स्थित कारखानों में, मांगकर्ता एककों और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए बहुत बड़े पैमाने पर दवा तथा मरहम-पट्टी का सामान तैयार किया जाता है। यह संगठन एक शताब्दी से अधिक समय से काम कर रहा है।

स्वास्थ्य शिक्षा

1956 में स्थापित केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा को समन्वित और प्रोत्साहित करता है। 6 तकनीकी प्रभागों वाले इस ब्यूरो की प्रमुख गतिविधियां हैं—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की नीतियों तथा कार्यक्रमों की व्याख्या करना, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और समाज कल्याण कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसंधान प्रणालियों का प्रशिक्षण; प्रशिक्षण के कारगर तरीकों का विकास; स्वास्थ्य शिक्षण सामग्री तैयार करना तथा राज्यों व अन्य एजेंसियों में बांटना; स्वास्थ्य शिक्षण कार्य में रत राजकीय व गैर-राजकीय एजेंसियों को तकनीकी तथा अन्य सहायता; विभिन्न स्तरों पर शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और स्कूली बच्चों के विभिन्न आयु वर्गों के लिए शिक्षण पाठ्यक्रमों का विकास तथा स्वास्थ्य शिक्षण गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहयोग तथा साझेदारी।

ब्यूरो चार मासिक पत्रिकाएं:—'स्वस्थ हिन्द' (अंग्रेजी), डी० जी० एच० एस० क्रोनिकल (अंग्रेजी), 'इम्पैक्ट' (अंग्रेजी) और 'आरोग्य सन्देश' (हिन्दी) के साथ-साथ एक त्रैमासिक पत्रिका 'स्वास्थ्य शिक्षा समाचार' (हिन्दी) निकालता है। यह स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और अन्य संबंधित विषयों पर फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शनियां भी आयोजित करता है।

यह ब्यूरो स्वास्थ्य शिक्षण में डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाता है। यह राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य शिक्षण कार्यालयों के

विकास सम्बन्धी कार्य भी करता है। अभी तक 20 राज्यों तथा 5 केन्द्र-शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य शिक्षण कार्यालय एकक स्थापित किए हैं। 79 जिला स्वास्थ्य शिक्षण एकक भी स्थापित किए गए हैं।

चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस समय देश में 106 चिकित्सा महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं, जबकि 1950-51 में इनकी संख्या 30 थी। 19 दन्त चिकित्सा महाविद्यालय और 11 अन्य संस्थान भी कार्यरत हैं। नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और स्थापित महाविद्यालयों के विस्तार से वार्षिक प्रवेश क्षमता 1977-78 में 12,500 हो गई जबकि 1950-51 में यह 2,500 थी। चिकित्सक-आबादी अनुपात, जो 1968 में 1 : 5,150 था, 1979-80 तक 1:3,600 हो गया।

भारतीय चिकित्सा परिषद, चिकित्सा महाविद्यालयों के स्तर को कायम रखने के लिए संरक्षक संस्था का कार्य करती है।

नर्सों का प्रशिक्षण

नर्सों के प्रशिक्षण की व्यवस्था अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, चंडीगढ़, हैदराबाद, इन्दौर, कानपुर, कलकत्ता, नई दिल्ली, पुणे, तिरुअनन्तपुरम्, जयपुर, गुवाहाटी, रांची और वेल्लूर के नर्सिंग कालेजों तथा सभी बड़े अस्पतालों में है। राज्य सरकारें तथा गैर-सरकारी संगठन भी सहायक नर्स/धात्री/स्वास्थ्य कर्मचारी पाठ्यक्रम सहित कई पाठ्यक्रम चलाते हैं। इनमें से कुछ संस्थाओं को केन्द्र सरकार से सहायता भी प्राप्त होती है।

बड़े-बड़े अस्पतालों से सम्बद्ध 286 नर्स प्रशिक्षण स्कूल हैं और इसके अतिरिक्त नर्सों के प्रशिक्षण के 15 कालेज विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। इन स्कूलों और कालेजों से निकलने वालों की वार्षिक संख्या क्रमशः 7,266 और 200 से अधिक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग, शिशु रोग नर्सिंग, मनोवैज्ञानिक नर्सिंग, नर्सिंग शिक्षा और नर्सिंग प्रशासन में, योग्यताप्राप्त नर्सों के लिए डिप्लोमा/प्रमाण पत्र के पश्चात उच्च श्रेणी के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। 10 कालेजों में अर्हताप्राप्त नर्सों को बी० एस० सी० डिग्री तथा चार कालेजों में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाती है।

देश में 340 सहायक नर्स/धात्री/स्वास्थ्य कर्मचारी स्कूल हैं, जिनमें वार्षिक प्रवेश की क्षमता 14,347 से ऊपर है। इनमें से शिक्षा प्राप्त करके निकलने वालों की संख्या 6,000 से ऊपर है। यद्यपि सितम्बर, 1977 से महिला स्वास्थ्य निरीक्षकों का नियमित प्रशिक्षण बन्द कर दिया गया है, लेकिन स्कूलों का उपयोग सहायक नर्स धात्रियों के उन्नतिपरक प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है।

अनुसंधान

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद देश में चिकित्सा अनुसन्धान में पहल, विकास और समन्वय करती है। इसकी वित्त व्यवस्था मुख्यतः केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। परिषद बहुत से अर्द्धस्थायी एककों के अतिरिक्त जिन 17 स्थायी अनुसन्धान संस्थानों और केन्द्रों का अनुरक्षण करती है, उनके नाम हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद; रोगाणु अनुसन्धान केन्द्र, पुणे; तपेदिक अनुसन्धान

केन्द्र, मद्रास; राष्ट्रीय हैजा तथा आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता; इण्डियन रजिस्ट्री आफ पैथालाजी, नई दिल्ली; राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद; प्रजनन अनुसन्धान संस्थान, बम्बई; केन्द्रीय कुष्ठ "जालमा" संस्थान, आगरा; रक्त वर्ग सन्दर्भ केन्द्र, बम्बई; रोगवाहक नियंत्रण अनुसन्धान केन्द्र, पांडिचेरी; मलेरिया अनुसन्धान केन्द्र, दिल्ली; चिकित्सा आंकड़े अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली; प्रयोगशाला जीव-जन्तु सूचना सेवा, हैदराबाद; खाद्य एवं औषधि आविषालुता विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद, कोशिकी अनुसन्धान केन्द्र, नई दिल्ली; [illegible] अनुसन्धान संस्थान, मद्रास तथा एंटेरोवायरस अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई। इसके अलावा दो क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र-एक पोर्ट ब्लेयर तथा दूसरा भुवनेश्वर में बनाए गए हैं।

आयुर्विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसन्धान कार्य के संचालन के लिए दो सर्वाधिक संस्थाएं हैं। ये हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्थान, चण्डीगढ़। मैसूर में वाणी तथा श्रवण का भी एक अखिल भारतीय संस्थान है, जो 1965 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत चल रहा है। इन सभी संस्थानों में चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय भी कालाजार, प्लेग आदि रोगों के अनुसन्धान की कुछ चुनी हुई परियोजनाओं के लिए मदद देता है। "अन्य अनुसन्धान के लिए अनुदान" योजना के अंतर्गत भी विभिन्न संगठनों को अनुसन्धान के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है। इस समय पटना में कालाजार इकाई तथा बंगलौर में प्लेग निरीक्षण इकाई चल रही है। आयुर्विज्ञान की विशिष्ट शाखाओं में अनुसन्धान करने वाले कुछ संस्थान ये हैं: भारतीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई, कैंसर संस्था मद्रास, चित्तरंजन कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से सम्बद्ध रोटरी कैंसर अस्पताल, राष्ट्रीय तपेदिक संस्थान, बंगलौर, वल्लभ भाई पटेल छाती संस्थान, दिल्ली, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थान, चिंगलपट, जहां चिकित्सकों तथा सहायक चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ कुष्ठ रोगियों का इलाज किया जाता है और जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में मान्यता मिली हुई है; मलेरिया, फाइलेरिया, और संक्रामक रोगों के लिए राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान, दिल्ली, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता, ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई तथा प्रशिक्षण संस्थान, सिंगूर, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, चेत्ला, तथा केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता, जहां एक वनस्पति संग्रहालय भी है और जो औषध निर्माता कम्पनियों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है।

सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा संबंधित अध्ययन

केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान, कसौली देश में इम्यूनोबायलोजिकल उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस प्रकार के सभी उत्पादों की औषध प्रयोगशाला के रूप में भी यही संस्थान काम करता है। टीकों के निर्माताओं को राष्ट्रीय मानक वितरित करने की जिम्मेदारी भी इसी संस्थान की है। संस्थान कुत्ते काटे, पीला बुखार, सर्पदंश, हैजा, टायफाइड, कुकुर खांसी, टिटैनस, डिफ्थेरिया,

इन्फलूएंजा, सल्मोनेल्ला और ईकोली के टीकों के बारे में सरकार तथा लोगों को परामर्श देने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह संस्थान संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए बुनियादी तथा व्यावहारिक अनुसन्धान करता है और रोगाणुओं का राष्ट्रीय स्तर पर भण्डार करता है। यह जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं तथा अस्पतालों की प्रयोगशालाओं के लिए निदान सम्बन्धी प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। इसने खसरे के लिए टीका तैयार करने का प्रारम्भिक कार्य शुरू किया तथा जापानी एंसफलाइटिस के लिए टीका बनाने की योजना रिपोर्ट तैयार की है। यह सूक्ष्म जैविकी में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए पाठ्यक्रम चलाता है तथा देश और विदेश, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के संस्थानों के कर्मचारियों को उत्पादन तथा किस्म नियंत्रण के बारे में प्रशिक्षण देता है।

पेस्टयूर संस्थान, कुन्नूर कुत्ते काटने, इन्फलूएंजा और अन्य श्वास रोगाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में अनुसन्धान करता है। यह देश में कुत्ते काटे और इन्फलूएंजा पर अनुसन्धान का प्रमुख केन्द्र है। कुत्ते काटे के लिए यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ केन्द्र तथा इन्फलूएंजा के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में काम करता है।

किंग निवारक चिकित्सा संस्थान, गिण्डी, मद्रास सूक्ष्म जैविकी में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा रोग निरोधक टीके, टेटनस-निरोध तथा टिटैनस टाक्सोइड, रक्त उत्पाद तथा अतः शिरा और विशेष मिश्रण सप्लाई करता है। यह जन स्वास्थ्य के लिए जीवाणुओं से संबंधित अनुसन्धान भी करता है।

हैफकीन संस्थान, बम्बई में जीवाणु विज्ञान प्रायोगिक आयुर्विज्ञान, रसायन-क्रियात्मक चिकित्सा, औषधशास्त्र, पैथाफिजियालोजी, जीव रसायन शास्त्र रुधिर विज्ञान, असंक्रमण विज्ञान तथा संक्रामक व अन्य रोगों से संबंधित विषाणु विज्ञान (वायरोलोजी) में अनुसन्धान होता है। यह दवाओं का विश्लेषण करता है, जीव वैज्ञानिक मानकों का मूल्यांकन करता है, वैज्ञानिकों को स्नातकोत्तर डिग्री के लिए प्रशिक्षण देता है, तथा प्रयोगशाला सेवाएं उपलब्ध कराता है।

हैफकीन जैव औषध निगम, बम्बई में कुछ जीवाणु तथा विषाणु सम्बन्धी टीके, रोग निरोधक विष, मानव रक्त प्लाविका तथा अन्य जीव वैज्ञानिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं।

पोषाहार

स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा और स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार की कमी दूर करने के कार्यक्रम चलाती हैं। 18 राज्यों तथा 2 केन्द्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य निदेशालयों में जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में भोजन तथा पोषाहार स्तर का पता लगाने, पोषाहार शिक्षा अभियान चलाने, पूरक भोजन कार्यक्रम के परीक्षण, अन्य पोषाहार सुधारक उपायों, आधाररेखा सर्वेक्षणों तथा व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए राज्य पोषाहार प्रभाग स्थापित किए गए हैं। ये प्रभाग बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पोषाहार के स्तर के मूल्यांकन के लिए भी उत्तरदायी हैं। पोषाहार कार्यक्रम की केन्द्रीय समन्वय समिति की सिफारिश पर बचे हुए 4 राज्यों

तथा 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में भी राज्य पोषाहार प्रभाग स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

राज्य पोषाहार प्रभागों व राष्ट्रीय पोषाहार मूल्यांकन ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता लगा है कि प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण तथा पोषाहार की कमी से होने वाली बीमारियां जनता में काफी हद तक विद्यमान हैं। इनसे छोटे बच्चे, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं सर्वाधिक पीड़ित हैं।

भारत सरकार के बहुत से विभाग पोषाहार कार्यक्रम चला रहे हैं। अधिकतर कार्यक्रम पूरक खाद्य कार्यक्रमों के रूप में हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम तथा विद्यालय-पूर्व बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम छठी योजना (1980/85) में इन कार्यक्रमों से 2 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया जाना है। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को पोषक खाद्यों, जैसे शाक, फल, मछली तथा अंडे के उत्पादन तथा उपयोग के लिए प्रोत्साहित तथा शिक्षित किया जाता है। "समेकित बाल संरक्षण विकास सेवाएं" नाम से एक योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 1000 चुने हुए खण्डों के शहरी, ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को पूरक पोषाहार; शिक्षा, परिवार कल्याण तथा सुरक्षित जल आपूर्ति आदि बहुत-सी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

भोजन में विटामिन 'ए' की कमी के कारण बच्चों में होने वाले अंधेपन को रोकने के लिए उन्हें हर 6 महीने बाद स्वास्थ्य केन्द्रों के द्वारा विटामिन 'ए' की एक तेज खुराक दी जाती है। इस कार्यक्रम से लगभग 84 लाख लोग पांचवीं योजना में लाभान्वित हुए हैं। छठी योजना में ढाई करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी तरह महिलाओं व बच्चों में पोषाहार की कमी से होने वाली खून की कमी को रोकने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा लोह एवं फौलिक अम्ल की संयुक्त गोलियां वितरित की जाती हैं। छठी योजना अवधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 करोड़ माताओं तथा 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की आशा है। इस समय हर वर्ष 2.4 करोड़ माताएं और बच्चे इस कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं।

राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद और अखिल भारतीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता देश में पोषाहार अनुसंधान व पोषाहार कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रमुख संगठन हैं।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम

'खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम का अधिनियम, 1954, 1 जून, 1955 से लागू है। विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इसे स्वायत्त संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है, किन्तु आर्थिक और अन्य कारणों से, स्वायत्त संस्थाएं पूर्णकालिक खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति, खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा

कानून को पूरी तरह लागू नहीं कर सकीं। महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में खाद्यों और औषधियों में मिलावट से निपटने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई है और केरल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल में पूर्णकालिक खाद्य निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं।

इस अधिनियम में दो बार 1964 और 1976 में संशोधन किया गया। किन्तु सामयिक संशोधित अधिनियम में जुर्माने सहित आजीवन कारावास की व्यवस्था है। संशोधित खाद्य मिलावट रोक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रैल 1978 से चार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं क्षेत्रीय आधार पर अधिसूचित की गई हैं। ये हैं: (1) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पुणे, पश्चिमी क्षेत्र के लिए; (2) केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर, दक्षिणी क्षेत्र के लिए; (3) खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद, उत्तरी क्षेत्र के लिए तथा (4) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता, पूर्वी क्षेत्र के लिए।

कलकत्ता और गाजियाबाद की केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं, सीधे स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के नियंत्रण में हैं। केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता, जिसकी राय को अदालतें सभी मामलों में अन्तिम एवं निर्णायक मानती हैं, विश्लेषण के तरीकों के मानकीकरण तथा खाद्य मानकों की समीक्षा से सम्बन्धित खोज कार्य भी करती है। प्रशिक्षण एकक, सूक्ष्म-जीव-विज्ञान एकक, कीट नाशक तथा अवशिष्ट विश्लेषण एकक की स्थापना से प्रयोगशाला की क्षमता और बढ़ गई है।

देश में प्रशिक्षित विश्लेषकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से राज्यों और स्वायत्त संस्थाओं की प्रयोगशालाओं में काम करने वाले कैमिस्टों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। देश में राज्य सरकारों और स्वायत्त संस्थाओं के नियंत्रण में लगभग 80 खाद्य विश्लेषण प्रयोगशालाएं हैं।

तीन प्रकार के प्रदूषकों यथा कीटनाशक अवशेष, भारी धातु और बचे हुए तत्व जो विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों में मिलते हैं, के सर्वेक्षण के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन की सहायता से खाद्य प्रदूषण के बारे में जानकारी उपलब्ध करने के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

खाद्य एवं कृषि संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोडेक्स ऐलिमेंटेरियस कमेटी, जो खाद्य वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करती है, के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक राष्ट्रीय कोडेक्स कमेटी के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

परिवार कल्याण

1952 से परिवार कल्याण सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत ले लिया गया है क्योंकि यह माना गया कि जनसंख्या में तेज वृद्धि लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता के स्थान पर रुकावट का कारण बनेगी। पहली दो

पंचवर्षीय योजनाओं (1951–61) के अधीन परिवार कल्याण कार्यक्रम को साधारण और नैदानिक रूप से चालू किया गया। तीसरी योजना में इस कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया, क्योंकि 1961 की जनगणना के परिणामों के प्रकाशन के पश्चात यह पाया गया कि वास्तविक दर अनुमानित दर से अधिक थी। कार्यक्रम के नैदानिक स्वरूप के साथ-साथ प्रचार का काम भी अपनाया गया जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम के संदेश, सेवाओं और गर्भ निरोधक वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाया गया।

1966 में इसके लिए एक पूर्णरूपेण विभाग बनाया गया। तीनों एक-वर्षीय योजनाओं (1966–69) के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को, जिसको कि सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, काफी अधिक निधि देकर लक्ष्य निर्धारित किए गए और लक्ष्यों को पूरा करने की अवधि भी निश्चित कर दी गई। चौथी योजना में भी इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पांचवीं योजना के दौरान परिवार कल्याण सेवाओं को स्वास्थ्य, जच्चा और बच्चा की देखभाल और पोषण सम्बन्धी सेवाओं के साथ अधिकाधिक समन्वित करने का प्रयत्न किया गया। परिवार कल्याण कर्मचारियों को इस प्रकार बहुद्देश्यीय कर्मचारियों के रूप में परिणत कर दिया गया ताकि वे परिवार कल्याण के उद्देश्यों और सेवाओं को पूरा करने की ओर विशेष ध्यान देने में समर्थ हों। छठी योजना में इस कार्यक्रम को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। इसका उद्देश्य कुल जन्मदर को 1996 तक एक तक लाना है।

इस कार्यक्रम के लिए छठी योजना के दौरान 1,010 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय, तीन वार्षिक और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में यह राशि क्रमशः 14.50 लाख, 2.16 करोड़, 24.86 करोड़, 70.46 करोड़, 284.41 करोड़ थी और पांचवी योजना (1974-78) में यह राशि 408.98 करोड़ रुपये थी। 1982-83 के लिए 245 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

परिचालन व्यवस्था कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिसके लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम का और विस्तार किया जाएगा ताकि वह दूर क्षेत्रों तक पहुंच सके। इसका प्रसार और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों के द्वारा किया जाएगा। 1980-85 की अवधि के दौरान छठी योजना में 40,000 अतिरिक्त उपकेन्द्र स्थापित किए जाएंगे। परिवार कल्याण सामग्री, बाल स्वास्थ्य तथा प्रतिरोधीकरण का कार्यक्रम भी परिवार कल्याण कार्यक्रम का ही एक अंग है।

केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद राष्ट्रीय स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सलाह देती है। अनुसन्धान कार्यों की प्रगति का अध्ययन करने के लिए अनुसन्धान समन्वय समिति जैसी कई केन्द्रीय समितियां स्थापित की गई हैं।

सर्वोत्तम परिणामों के लिए उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा गैर-सरकारी चिकित्सकों को भी कार्यक्रम से सम्बद्ध किया गया है। यह कार्यक्रम 5,408 ग्रामीण, 1,716 शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों तथा 50,458 उपकेन्द्रों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसके अतिरिक्त 5,780 अन्य संस्थाएं भी सेवा प्रदान कर रही हैं।

निष्पादन

वन्ध्याकरण तथा लूप

कार्यक्रम शुरू होने से 31 मार्च, 1982 तक 361.8 लाख वन्ध्याकरण किए गए और 95.0 लाख लूप लगाए गए। इस प्रकार उपरोक्त तिथि तक कुल जन-संख्या में वन्ध्याकरण तथा लूप की दर क्रमशः 51.8 तथा 13.6 प्रति सहस्र रही।

निरोध

अप्रैल 1981 से फरवरी 1982 तक की अवधि में 12 प्रमुख उपभोक्ता सामग्री विपणन कम्पनियों द्वारा 3.8 लाख से अधिक खुदरा दुकानों के माध्यम से चलाई जा रही एक व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत 14.70 करोड़ निरोध बेचे गए।

मुफ्त वितरण परियोजना के अंतर्गत इसी अवधि के दौरान 12.66 करोड़ निरोध 1,587 डायफ्राम 58,005 जेली/क्रीम ट्यूब और 9,570 फोम की टिकियाँ वितरित की गईं।

खाने की गर्भ निरोधक गोलियां

खाने की गर्भ निरोधक गोलियों के कार्यक्रम का सभी शहरी केन्द्रों में, जिनमें स्थानीय स्वायत्त और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले केन्द्र भी सम्मिलित हैं, तथा उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, जहां इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जा सका और लोगों ने इसका पालन किया, विस्तार किया गया। आजकल 4,546 ग्रामीण व 2,515 शहरी केन्द्रों/अस्पतालों द्वारा इन गोलियों का वितरण किया जा रहा है।

कार्यक्रम का प्रभाव

संतानोत्पत्ति करने योग्य अनुमानतः 11.88 करोड़ युगलों में से, जिनकी पत्नियों की आयु गर्भ-धारण योग्य अर्थात 15 से 44 वर्ष के बीच थी, 23.5 प्रतिशत युगल परिवार कल्याण के किसी न किसी अनुमोदित तरीके के द्वारा 31 मार्च, 1982 तक संतानोत्पत्ति से बचे थे। अनुमान है कि 31 मार्च, 1982 तक के कार्य के फलस्वरूप 492 लाख जन्म रोके गए।

चिकित्सीय गर्भपात

अच्छे उपकरणों से सज्जित/अनुमोदित अस्पतालों में पूर्ण प्रशिक्षित डाक्टरों द्वारा चिकित्सीय गर्भपात आवश्यक रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है। किन्तु एक प्रकार से जिन मामलों में अन्य गर्भ निरोधक असफल रहते हैं, उनमें यह कानूनी गर्भपात की व्यवस्था के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम का पूरक भी है। गर्भपात को स्वीकार करने वालों में से काफी, किसी गर्भ निरोधक जैसे वन्ध्याकरण (स्टेरिलाइजेशन), लूप आदि को अपना लेते हैं।

अप्रैल 1972 में इसके आरम्भ से इसमें अच्छी प्रगति हुई । 1980–81 में 3,85,749 गर्भपात किए गए। अप्रैल 1981 से दिसम्बर 1981 तक किए गए गर्भपातों की संख्या 2,56,255 थी। कार्यक्रम के आरम्भ से कुल 22,26,604 गर्भपात किए गए। अब तक चिकित्सा कालेजों व जिला अस्पतालों के 60 वरिष्ठ प्रजनन विशेषज्ञों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित चिकित्सीय गर्भपात की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण विदेशों में दिया गया है। विभिन्न जिला अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से बुलाए डाक्टरों को चिकित्सीय गर्भपात की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए 166 अस्पताल अनुमोदित किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत भर में 16 केन्द्रों में समय-पूर्व गर्भपात की पेचीदगियों पर अनुसन्धान आरम्भ किया है। इनमें से 11 केन्द्र चिकित्सीय गर्भपात तथा बन्ध्याकरण (स्टेरिलाइजेशन) की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण साथ के राज्यों के प्रजनन विशेषज्ञों को देंगे। आने वाले वर्षों में इन सब उपायों से इस कार्यक्रम के और अधिक सफल होने की आशा है।

माता और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

यह कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि बेहतर मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुरक्षा के द्वारा निष्पादन में और सुधार होने की आशा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं में गर्भवती माताओं, स्कूल-पूर्व तथा स्कूली बालकों में रोगों से प्रतिरक्षा उत्पन्न करना (डी० पी० टी०), पोषाहार की कमी से माताओं व बच्चों में होने वाली रक्त की कमी दूर करना तथा विटामिन 'ए' की कमी से होने वाली रात्रि अन्धता से बचाना शामिल है। 1982–83 की अवधि में इस कार्यक्रम के लिए 7.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

प्रसवोत्तर कार्यक्रम

प्रसव और गर्भपात के लिए अस्पतालों में भर्ती महिलाओं में परिवार कल्याण के सन्देश का प्रचार करने के लिए शुरू किया गया। यह कार्यक्रम अब 524 अस्पतालों में चलाया जा रहा है।

1980-81 के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार 50 उप-जिला अस्पतालों में किया गया और आशा है कि 1982-83 के दौरान इसे 150 और उप-जिला अस्पतालों में लागू कर दिया जाएगा।

प्रशिक्षण

31 मार्च, 1982 तक 265 जिलों में बहुद्देशीय कार्यकर्ता स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले से ही पूरा हो चुका है। 110 जिलों में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा था जिसके मार्च 1982 तक पूरा हो जाने की आशा है।

जिला स्तर के चिकित्सा अधिकारियों और 'मुख्य प्रशिक्षणार्थियों' का पुनः प्रशिक्षण 7 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारियों तथा ब्लाक एक्सटेंशन एजुकेटर्स का 47 स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित किया गया है। ब्लाक के पैरा मेडिकल स्टाफ को चुने हुए पी० एच० सी० केन्द्रों में प्रशिक्षित किया जाता है।

प्रेरणा तथा शिक्षा भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णरूपेण स्वैच्छिक है। शहरों तथा दूर गांवों में रहने वाले लगभग 11.63 करोड़ पढ़े-लिखे तथा अनपढ़ प्रजनन-वय दम्पतियों तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक जन-शिक्षण तथा प्रेरणा कार्यक्रम चलाया गया है। इसके अतिरिक्त समाचारपत्र, फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन आदि जनसंचार माध्यमों, गीत तथा नाटक मंडली आदि मौखिक तथा दृश्य संचार माध्यमों तथा विस्तार शिक्षा कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत संचार माध्यम का व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी जनसंख्या-शिक्षण जोड़ा जा रहा है। स्कूलों से बाहर वयस्कों को भी शिक्षा कक्षाओं के माध्यम से इस बारे में बताया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों जैसे श्रमिक संघों, सहकारियों, पंचायतों और दूसरे स्थानीय संगठनों की सहायता ली जाती है। परिवार कल्याण विभाग का डाक द्वारा मुद्रित सामग्री भेजने वाला एकांश डाक द्वारा मुद्रित सामग्री, जिसमें पुस्तिकाएं, फोल्डर तथा पत्रिकाएं शामिल हैं, सीधे उन नेताओं को भेजता है, जिनका जनमत पर प्रभाव है। इस सूची में 10 लाख से अधिक पते हैं।

अनुसंधान और मूल्यांकन विभिन्न राज्यों में स्थित 16 जनांकिकीय और/अथवा संचार क्रिया अनुसन्धान केन्द्रों द्वारा जनांकिकी तथा संचार क्रिया के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य जारी है। इसी तरह प्रजनन जीव-विज्ञान तथा प्रजनन शक्ति नियन्त्रण के क्षेत्रों में जैव-चिकित्सीय अनुसन्धान का कार्य भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान तथा केन्द्रीय देशी चिकित्सा और होमियोपैथी अनुसन्धान परिषद में किया जाता है। जैव-चिकित्सीय अनुसन्धान की समन्वय समिति का पुनर्गठन 29 जनवरी, 1976 को किया गया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में कुछ बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी भारत को सहायता मिलती है। वे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त-राष्ट्र का अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या सम्बन्ध कार्य कोष और विश्व बैंक। कुछ अन्य विदेशी संस्थाएं भी द्विपक्षीय आधार पर इस कार्यक्रम के लिए सहायता देती हैं।

9 समाज कल्याण

देश में समाज कल्याण के कार्यकलापों को भारतीय संविधान से प्रेरणा मिली है, जिसमें एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है। संविधान के 38वें अनुच्छेद में कहा गया है कि जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को अधिक से अधिक प्रभावकारी ढंग से लाने और उसे संरक्षण देने की कोशिश करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें। संविधान में राज्य को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश है कि "श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, तथा आर्थिक तंगी से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार न अपनाने पड़ें जो उनकी आयु या शक्ति के प्रतिकूल हों" और "उन्हें शैशव तथा युवावस्था में शोषण तथा नैतिक और आर्थिक बेबसी से संरक्षण प्राप्त हो।"

आयोजना के लगभग तीन दशकों में समाज कल्याण कार्यक्रमों के जरिए समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से बेबस व्यक्तियों और गांवों, जनजाति-क्षेत्रों तथा शहर की गन्दी बस्तियों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्गों की स्त्रियों और बच्चों के विकास और पुनर्वास की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है।

समाज कल्याण कार्यक्रमों पर पहली योजना से हुए व्यय का विवरण सारणी 9.1 में दिया गया है।

सारणी 9.1
कल्याणकारी कार्यक्रमों पर व्यय

(करोड़ रुपयों में)

	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	चौथी योजना	पांचवीं योजना	1978-79 वार्षिक योजना	1979-80 वार्षिक योजना	छठी योजना 1980-85 (परिव्यय)	1980-81 वार्षिक योजना
केन्द्र	1.60	8.49	12.84	65.71	43.52	19.06	17.82	150.00	33.31
राज्य	—	4.95[1]	5.63	9.38	13.60	9.38	12.23	109.78	16.4
केन्द्रशासित क्षेत्र	—	—	0.93	1.43	1.72	0.97	0.84	12.19	1.4

[1]इसमें केन्द्रशासित क्षेत्रों का व्यय सम्मिलित है।

केन्द्रीय व केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए बड़ी मदों के अन्तर्गत 1979-80 और 1980-81 का योजना व्यय तथा 1981-82 के लिए प्रावधान सारणी 9.2 में दिया गया है।

सारणी 9.2
वार्षिक योजना

(लाख रुपयों में)

क्रमसंख्या	कार्यक्रम का नाम	1979-80 व्यय	1980-81 व्यय	1981-82 बजट
1	2	3	4	5
1.	प्रौढ़ स्त्रियों के लिए कार्यात्मक साक्षरता	174.39	184.42	300.00
2.	शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम	100.00	125.00	150.00
3.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	150.00	235.00	275.00
4.	महिला कर्मचारियों के लिए होस्टल	150.28	244.99	275.00
5	विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों का विस्तार व सुधार	31.82	46.37	70.00
6.	छात्रवृत्तियां, अनुसंधान, प्रशिक्षण, आरक्षित रोजगार, आई०वाई० डी० पी० तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान सहायता आदि	109.06	174.56	194.00
7.	कृत्रिम अंग उत्पादन निगम	--	33.00	10.00
8.	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	3.44	4.49	5.00
9.	राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्थान	29.08	25.00	27.00
10.	समाज कार्य शिक्षा व प्रशिक्षण	82.66	84.70	123.00
11.	आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन, मोनिटरिंग तथा नवीकरण एवं शोध परियोजनाएं	9.52	10.09	14.00
12.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान	288.50	295.00	320.00
13.	अखिल भारतीय स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान	29.03	33.50	66.00
14.	नौकरी-पेशा तथा बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु सदन	79.25	175.00	220.00

1	2	3	4
15 नशाबन्दी के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम	12.39	7.27	15.00
16. अन्तर्राष्ट्रीय बालदिवस	10.71	0.45	—
17. जरूरतमंद बच्चों के लिए देखभाल तथा सुरक्षा सम्बन्धी सेवाएं	39.99	79.10	110.00
18. समेकित बालविकास सेवाए	438.88	592.47	767.00
19. विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा	3.62	5.79	61.00
20. विशेष रोजगार कार्यालयों के द्वारा विकलांगों को रोजगार	5.19	—	5.00
21. निराश्रित महिला व बाल कल्याण (प्रशिक्षण)	1.50	8.87	20.00
22 अन्य	32.27	966.91	130.00
कुल	1,781.58	3,332.03	3,157.00

समाज कल्याण प्रशासन

भारत संघीय राष्ट्र है। अतः कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केन्द्रीय व राज्य दोनों सरकारों की है। समाज कल्याण सेवाओं की राष्ट्रीय नीति तैयार करने का काम भी केन्द्र सरकार के जिम्मे है। यह राज्यों द्वारा कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करने, उन्हें निर्देश देने और बढ़ावा देने का काम भी करती है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जो कल्याण कार्यक्रम चला रहे थे, उन सबको एक जगह मिलाकर 14 जून, 1964 को समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया जिसे 1979 में मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया।

केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय का कार्य अब तीन विभाग करते हैं: (1) पोषाहार व बाल विकास, (2) समाज सुरक्षा व समाज रक्षा और (3) नारी कल्याण एवं विकास। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान और शारीरिक विकलांग संस्थान इस मंत्रालय के कार्य मे मदद करते हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

देश में स्वैच्छिक समाज कल्याण गतिविधियों को तेज करने व बढावा देने के लिए 1953 मे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया। भारत सरकार इस बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रमुख समाज सेविकाओं में से करती है। इसकी मुख्य गतिविधियां हैं : समाज कल्याण संगठनों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण, उनके कार्यक्रमों का मूल्याकन, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य

सरकारों द्वारा दी जा रही सहायता में समन्वय और स्वैच्छिक कल्याण संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना। जिन स्थानों पर स्वैच्छिक संगठन नहीं हैं, वहां यह ऐसे संगठनों की स्थापना कराता है तथा परिवार, स्त्रियों, बच्चों, विकलांगों और अन्य लोगों के लिए समाज कल्याण सेवाओं को प्रोत्साहन देता है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इस समय चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम हैं : प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त शिक्षण पाठ्यक्रम, जरूरतमंद महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, बच्चों के लिए शिशु सदन, अनुदान के रूप में सहायता आदि देना।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों की स्थापना लगभग सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में की गई है। ये बोर्ड अपने क्षेत्र और केन्द्र के बीच सूचना के आदान-प्रदान का माध्यम हैं और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्य सरकारों के कल्याण-कार्यों में तालमेल रखते हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की आर्थिक सहायता का एक बड़ा हिस्सा स्वैच्छिक संस्थानों को राज्य बोर्डों के माध्यम से दिया जाता है।

कल्याण कार्यक्रम

समाज कल्याण कार्यक्रम मुख्यतः छह प्रकार के हैं : स्त्रियों के लिए कार्यक्रम; बच्चों के लिए कार्यक्रम; स्त्रियों और बच्चों के लिए संयुक्त कार्यक्रम; कुसमंजित लोगों के लिए कल्याण योजनाएं; विकलांगों के लिए कार्यक्रम और सामाजिक विभ्रार्यन।

नारी कल्याण

भारत में नारी कल्याण तथा विकास के लिए स्थापित तंत्र में (1) स्त्रियों के लिए राष्ट्रीय समिति, (2) राष्ट्रीय समिति की संचालन समिति, (3) अन्तर्विभागीय समन्वय समिति, तथा (4) नारी कल्याण और विकास ब्यूरो शामिल हैं।

दहेज पर प्रतिबंध

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा दहेज के लेन-देन को सरकार ने सरकारी कर्मचारी आचरण संहिता का उल्लंघन घोषित कर दिया है। राज्य सरकारों को भी ऐसा ही करने की सलाह दी गई है। केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने इस सलाह का अनुसरण किया है। उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन कर उसे अधिक प्रभावी बना दिया है। बिहार और हिमाचल प्रदेश ने इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराधों को दण्डनीय बना दिया है।

केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने नारी कल्याण कार्य के लिए एक अन्तर्विभागीय समन्वय समिति गठित की है, ताकि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच सुव्यवस्थित ढंग से सूचना के आदान-प्रदान, परामर्श और काम में ताल-मेल हो सके। राज्य स्तर पर इस समिति के ये काम हैं : विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं

1	2	3	4
15 नशाबन्दी के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम	12.39	7.27	15.00
16. अन्तर्राष्ट्रीय बालदिवस	10.71	0.45	—
17 जरूरतमंद बच्चों के लिए देखभाल तथा सुरक्षा सम्बन्धी सेवाएं	39.99	79.10	110.00
18 समेकित बालविकास सेवाएं	438.88	592.47	767.00
19. विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा	3.62	5.79	61.00
20 विशेष रोजगार कार्यालयों के द्वारा विकलांगो को रोजगार	5.19	—	5.00
21 निराश्रित महिला व बाल कल्याण (प्रशिक्षण)	1.50	8.87	20.00
22 अन्य	32.27	966.91	130.00
कुल	1,781.58	3,332.03	3,157.00

समाज कल्याण प्रशासन

भारत संघीय राष्ट्र है। अतः कल्याण-योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केन्द्रीय व राज्य दोनों सरकारों की है। समाज कल्याण सेवाओं की राष्ट्रीय नीति तैयार करने का काम भी केन्द्र सरकार के जिम्मे है। यह राज्यों द्वारा कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करने, उन्हें निर्देश देने और बढ़ावा देने का काम भी करती है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जो कल्याण कार्यक्रम चला रहे थे, उन सबको एक जगह मिलाकर 14 जून, 1964 को समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया जिसे 1979 में मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया।

केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय का कार्य अब तीन विभाग करते हैं: (1) पोषाहार व बाल विकास, (2) समाज सुरक्षा व समाज रक्षा और (3) नारी कल्याण एवं विकास। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान और शारीरिक विकलांग संस्थान इस मंत्रालय के कार्य में मदद करते हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

देश में स्वैच्छिक समाज कल्याण-गतिविधियों को तेज करने व बढ़ावा देने के लिए 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया। भारत सरकार इस बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रमुख समाज सेविकाओं में से करती है। इसकी मुख्य गतिविधियां हैं: समाज कल्याण संगठनों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण, उनके कार्यक्रमों का मूल्यांकन, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य

सरकारों द्वारा दी जा रही सहायता में समन्वय और स्वैच्छिक कल्याण संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना । जिन स्थानों पर स्वैच्छिक संगठन नहीं है, वहां यह ऐसे संगठनों की स्थापना कराता है तथा परिवार, स्त्रियों, बच्चों, विकलांगों और अन्य लोगों के लिए समाज कल्याण सेवाओं को प्रोत्साहन देता है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इस समय चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम है : प्रौढ़ महिलाओं के लिए सक्षिप्त शिक्षण पाठ्यक्रम, जरूरतमंद महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, बच्चों के लिए शिशु सदन, अनुदान के रूप में सहायता आदि देना ।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों की स्थापना लगभग सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में की गई है । ये बोर्ड अपने क्षेत्र और केन्द्र के बीच सूचना के आदान-प्रदान का माध्यम हैं और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्य सरकारों के कल्याण-कार्यों में तालमेल रखते हैं । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की आर्थिक सहायता का एक बड़ा हिस्सा स्वैच्छिक संस्थानों को राज्य बोर्डों के माध्यम से दिया जाता है ।

कल्याण कार्यक्रम

समाज कल्याण कार्यक्रम मुख्यतः छह प्रकार के हैं : स्त्रियों के लिए कार्यक्रम; बच्चों के लिए कार्यक्रम; स्त्रियों और बच्चों के लिए संयुक्त कार्यक्रम; कुसमंजित लोगों के लिए कल्याण योजनाएं ; विकलांगों के लिए कार्यक्रम और सामाजिक विधायन ।

नारी कल्याण

भारत में नारी कल्याण तथा विकास के लिए स्थापित तंत्र में (1) स्त्रियों के लिए राष्ट्रीय समिति, (2) राष्ट्रीय समिति की संचालन समिति, (3) अन्तर्विभागीय समन्वय समिति, तथा (4) नारी कल्याण और विकास ब्यूरो शामिल हैं ।

दहेज पर प्रतिबंध

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा दहेज के लेन-देन को सरकार ने सरकारी कर्मचारी आचरण संहिता का उल्लंघन घोषित कर दिया है । राज्य सरकारों को भी ऐसा ही करने की सलाह दी गई है। केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने इस सलाह का अनुसरण किया है । उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन कर उसे अधिक प्रभावी बना दिया है। बिहार और हिमाचल प्रदेश ने इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराधों को दण्डनीय बना दिया है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने नारी कल्याण कार्य के लिए एक अन्तर्विभागीय समन्वय समिति गठित की है, ताकि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच सुव्यवस्थित ढंग से सूचना के आदान-प्रदान, परामर्श और काम में ताल-मेल हो सके । राज्य स्तर पर इस समिति के ये काम हैं : विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं

समाज कल्याण प्रशासन

प्र
कल्प
को स
दर्जा दे

केन्द्र

(1) योजना
नारी कल्याण
तथा बाल विक
संस्थान (इस अंत

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

देश में स्वैच्छिक सं
लिए 1953 में केन्द्रीय
इस बोर्ड के अध्यक्ष पद
इसकी मुख्य गतिविधियां
सर्वेक्षण, उनके कार्य

: विश्व खाद्य परियोजना (डब्लू०एफ०पी०) की तरह सीमावर्ती
और बच्चों के लिए समेकित कल्याण सेवाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य
...ार परियोजनाएं शुरू की गई। 1981-82 में 435 केंद्रों
...नाएं जारी रहीं और वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर 1981
...जनाएं शुरू की गई। दिसम्बर 1981 तक 36 लाख 42
...ी दी गई। वर्ष भर के लिए कुल 52 लाख 10 हजार
...या।

...ो लघु उत्पादन इकाइयां लगाने में सहायता देता है जिनमें
...ों को प्रशिक्षण देकर रोजगार करने लायक बनाया जा सके।
...ौरान दिसम्बर 1981 तक 2063 महिलाओं को काम के
...ने वाली 234 इकाइयों को सहायता दी जा चुकी थी।

...य से संबंधित बहुत से विधायी तथा प्रशासनिक उपाय भी किए गए
...दूरी अधिनियम 1976 में पास किया गया, जिसके अनुसार (1)
श्रमिकों को बराबर मजदूरी और (2) रोजगार तथा संबंधित या
...ं में स्त्रियों के साथ भेदभाव समाप्त करने की व्यवस्था है।
...संशोधन) अधिनियम, 1976 में ऐसी प्रत्येक फैक्टरी में शिशु
... करने की व्यवस्था है जहां 30 स्त्रियां (अस्थायी अथवा
...े वाली स्त्रियों सहित) काम करती हों।

...धिनियम, 1961 में अप्रैल 1976 में संशोधन करके उन स्त्रियों
...ाया गया है जिन पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,
...ता।

...न संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम,
...शेष विवाह अधिनियम, 1954 को संशोधित करके कन्या
... दिया गया है कि वह बालिग होने से पहले बचपन में की गई
रद्द करा सकती है चाहे उसका पति के साथ सहवास हुआ हो या
...हार और परित्याग की स्थिति में और आपसी सहमति से भी तलाक
... है। बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम को संशोधित किया
...ड़की की शादी की आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़के के
... कर 21 वर्ष कर दी गई है। इस अधिनियम के उल्लंघन से
... द्वारा हस्तक्षेप योग्य बना दिया गया है।

...: निम्न आर्थिक स्तर के बच्चों में, व्यापक कुपोषण
भारत सरकार ने 1970-71 में एक विशेष पोषाहार कार्यक्रम
...। उद्देश्य पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों एवं एक लाख से
...शहरों की गन्दी बस्तियों के ... वर्ष की आयु तक के बच्चों और
...लाओं में पोषण की कमी पूरी करता है। इस समय सारे
...केन्द्रों में करीब 80 लाख ऐसे बच्चों और महिलाओं
... मिल रहा है।

और स्त्रियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से निर्मित विशेष कानूनों को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों को दूर करने के बारे में सुझाव देना और विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में तालमेल रखना।

प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता

1975-76 में 15 से 45 वर्ष तक की आयु की महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता की एक नई योजना शुरू की गई। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य, और सफाई, खाद्य व पोषाहार, गृह प्रबन्ध तथा बच्चों की देखभाल, स्कूल शिक्षा, तथा व्यवसाय या दस्तकारी सम्बन्धी अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। यह योजना 300 समेकित बाल विकास सेवा परियोजना क्षेत्रों में चलाई जा रही है।

प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त शिक्षा पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण

जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने तथा प्राथमिक स्कूल अध्यापिकाओं, बाल सेविकाओं, परिचारिकाओं, स्वास्थ्य निरीक्षकों, दाइयों और परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं का सक्षम एवं प्रशिक्षित वर्ग तैयार करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने 1958 में प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 18-30 आयु वर्ग की थोड़ी-बहुत पढ़ी-लिखी महिलाओं को दो साल के अन्दर मिडिल स्कूल, मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। 1975-76 से इस योजना में दो नए अंग अर्थात् फेल हो गई महिलाओं के लिए एक वर्षीय पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। 1958 में योजना के आरम्भ होने से लेकर 31 दिसम्बर, 1981 तक बोर्ड ने 5,597 पाठ्यक्रमों के लिए अनुदान दिया है जिससे लगभग 12,12,000 महिलाओं को लाभ पहुंचा है।

महिला मंडल

महिला मंडल स्त्रियों के संगठन हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याण कार्यक्रम चलाते हैं। इनके व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड देता है बाकी 25 प्रतिशत खर्च महिला मंडल खुद जुटाते हैं। 1981-82 में 375 महिला मंडलों के 31 दिसम्बर, 1981 तक 1028 केन्द्रों के लिए 35 लाख 42 हजार रुपये मंजूर किए गए। पूरे वर्ष में 406 महिला मंडलों के 1100 केन्द्रों के लिए कुल 53 लाख रुपये के खर्च का प्रावधान था।

महिला कर्मचारियों के लिए होस्टल

शहरों में महिला कर्मचारियों के लिए उचित दर पर आवास की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने होस्टल स्थापित करने का कार्यक्रम चलाया है। 1972-73 में शुरू इस योजना के अन्तर्गत 1980-81 के अंत तक 244 होस्टलों को स्वीकृति प्रदान की गई जिनमें 16,408 महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी। निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की महिला कर्मचारियों के लिए होस्टल चलाने वाली ऐच्छिक संस्थाओं को बोर्ड अनुदान देता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं

ग्रामीण इलाकों में विश्व खाद्य परियोजना (डब्लू०एफ०पी०) की तरह सीमावर्ती इलाकों में स्त्रियों और बच्चों के लिए समेकित कल्याण सेवाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य यहां कल्याण विस्तार परियोजनाएं शुरू की गईं। 1981-82 में 435 केंद्रों वाली 89 परियोजनाएं जारी रहीं और वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर 1981 तक 3 नई परियोजनाएं शुरू की गईं। दिसम्बर 1981 तक 36 लाख 42 हजार रुपये की राशि दी गई। वर्ष भर के लिए कुल 52 लाख 10 हजार रुपये का प्रावधान था।

सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम

के०स०क०बो० ऐसी लघु उत्पादन इकाइयां लगाने में सहायता देता है जिनमें जरूरतमंद महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार करने लायक बनाया जा सके। 1981-82 के दौरान दिसम्बर 1981 तक 2063 महिलाओं को काम के अवसर प्रदान करने वाली 234 इकाइयों को सहायता दी जा चुकी थी।

अन्य उपाय

स्त्रियों के कल्याण से संबंधित बहुत से विधायी तथा प्रशासनिक उपाय भी किए गए हैं। समान मजदूरी अधिनियम 1976 में पास किया गया, जिसके अनुसार (1) पुरुषों तथा स्त्री श्रमिकों को बराबर मजदूरी और (2) रोजगार तथा संबंधित या प्रासंगिक मामलों में स्त्रियों के साथ भेदभाव समाप्त करने की व्यवस्था है।

फैक्टरी (संशोधन) अधिनियम, 1976 में ऐसी प्रत्येक फैक्टरी में शिशु सदन स्थापित करने की व्यवस्था है जहां 30 स्त्रियां (अस्थायी अथवा ठेके पर काम करने वाली स्त्रियों सहित) काम करती हों।

प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 में अप्रैल 1976 में संशोधन करके उन स्त्रियों को इसके अधीन लाया गया है जिन पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 लागू नहीं होता।

विवाह कानून संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को संशोधित करके कन्या को यह अधिकार दिया गया है कि वह बालिग होने से पहले बचपन में की गई अपनी शादी को रद्द करा सकती है चाहे उसका पति के साथ सहवास हुआ हो या नहीं। क्रूर व्यवहार और परित्याग की स्थिति में और आपसी सहमति से भी तलाक लिया जा सकता है। बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम को संशोधित किया गया है और लड़की की शादी की आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़के के लिए 18 से बढ़ा कर 21 वर्ष कर दी गई है। इस अधिनियम के उल्लंघन के अपराधों को पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य बना दिया गया है।

बाल कल्याण

बच्चों में, विशेषकर निम्न आर्थिक स्तर के बच्चों में, व्यापक कुपोषण दूर करने के लिए भारत सरकार ने 1970-71 में एक विशेष पोषाहार कार्यक्रम आरम्भ किया, जिसका उद्देश्य पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों एवं एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की गन्दी बस्तियों के 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों और गर्भवती और प्रसूता महिलाओं में पोषण की कमी पूरी करना है। इस समय सारे देश में साठ हजार केन्द्रों में करीब 80 लाख ऐसे बच्चों और महिलाओं को इस कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है।

विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अलावा, समाज कल्याण मंत्रालय ने स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही बालवाड़ियों के माध्यम से 1970-71 में एक और कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पूरक आहार दिया जाता है। 6,000 से अधिक बालवाड़ियों में लगभग 2.29 लाख बच्चों को इससे लाभ हो रहा है।

1976 से भारत के दस राज्यों में विश्व खाद्य परियोजना चल रही है। इस परियोजना के अधीन समाज के कमजोर वर्गों के 6 वर्ष से कम उम्र के स्कूल न जाने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और प्रसूता महिलाओं को पूरक पोषाहार दिया जाता है। इस कार्यक्रम का विस्तार करके 1982 तक 20 लाख ऐसे बच्चो और महिलाओं को इसके अंतर्गत लाया जाना है।

स्कूल जाने वाले और अभी स्कूल न जाने वाले बच्चों को पूरक आहार कार्यक्रम के अधीन 14 राज्यो और 2 केन्द्र-शासित प्रदेशों को खाद्य पदार्थों के रूप में सहायता केयर' की ओर से दी जाती है। विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे बच्चों के पोषाहार कार्यक्रम के लिए 1981-82 में 'केयर' की ओर से खाद्य पदार्थों की सहायता करीब 149.01 लाख बच्चों (90 लाख स्कूल जाने वाले और 59.01 लाख अभी स्कूल न जाने वाले बच्चों) के लिए दी जानी थी।

तमिलनाडु पोषहार सुधार परियोजना

केयर संगठन दूध/रोटी कार्यक्रम से 3,85,000 बच्चो को वंचित करते जा रही है। इसके बदले यह काम नई समेकित बाल विकास सेवाओं के परियोजना इलाकों में 'विश्व खाद्य परियोजना' आहार से किया जाएगा। छः वर्ष के आसपास की आयु के बच्चों, गर्भवती और प्रसूती महिलाओं के लिए 1980 में तमिलनाडु में विश्व' बैंक की सहायता से समेकित आहार परियोजना शुरू की गई थी। इसके लिए विश्व बैंक ने 3 करोड़ 20 लाख डालर का ऋण दिया है। परियोजना पर कुल 55 करोड़ 78 लाख रुपए के खर्च का अनुमान है। इसके अधीन पांच वर्षों मे राज्य के 6 जिलो के 170 खंडों में ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 36 महीने तक के बच्चों, गर्भवती और प्रसूती महिलाओं के लिए आहार पर निगरानी और पूरक आहार की व्यवस्था की जाएगी। परिओजना के अधीन आहार वितरण सेवा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा, निगरानी और मूल्यांकन सेवा की व्यवस्था होगी।

समेकित बाल विकास सेवाएं

पांचवीं योजना में बाल विकास कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण योजना 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती व प्रसूता माताओं आदि के लिए समेकित बाल-विकास सेवाएं थीं। इस योजना के अन्तर्गत समेकित सेवाओं में पूरक-पोषाहार, रोगसह बनाना, परामर्श सेवाएं, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक और स्कूलपूर्व शिक्षा शामिल थी। 1981-82 के अन्त तक 300 परियोजनाएं चलाई गई जिनमें से 38 शहरी क्षेत्रों मे, 166 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 96 आदिवासी क्षेत्रो मे थी।

प्रत्येक समेकित बाल विकास परियोजना का भार एक बाल विकास परियोजना अधिकारी पर है। ये सेवाएं प्रदान करने का केन्द्र-बिन्दु आंगनवाड़ी

है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम की देखरेख मुख्य सेविकाएं करती हैं। परियोजना क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में एक मेडिकल अफसर और बढ़ा दिया गया है। महिला स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा सहायक परिचारिकाओं की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और इस प्रकार ग्रामीण जनजातीय परियोजनाओं में प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र बन गया है।

बच्चों के लिए अन्य सेवाएं

केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय परित्यक्त, उपेक्षित, अवांछित, बेसहारा बच्चों को संरक्षण देने तथा उनकी देखभाल करने का महत्वपूर्ण काम भी कर रहा है। इस कार्यक्रम की आवश्यकता पुरानी संयुक्त परिवार प्रणाली के टूटने के कारण हुई है, जिसमें बच्चों को पर्याप्त देखभाल और संरक्षण मिलता था। यह योजना 1974-75 में शुरू की गई। इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों को निराश्रित बच्चों की रिहायश तथा देखभाल की व्यवस्था करने के लिए सहायता दी जाती है। 1980-81 के अंत तक 971 लाख 38 हजार रुपये का अनुदान दिया गया, जिससे 47,599 निराश्रित बच्चों को लाभ हुआ।

अब केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नौकरीपेशा व बीमार माताओं के 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिशु सदन चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देने की योजना क्रियान्वित कर रहा है। सिर्फ वही बच्चे, जिनके माता-पिता की मासिक आय 300 रुपये से कम है, शिशु सदन में रखे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम ने पर्याप्त प्रगति की है तथा 1980-81 में 4398 शिशु सदन थे जिनसे लाभ उठाने वाले बच्चों की संख्या 1,09,950 थी।

अवकाश शिविर

बच्चों के लिए अवकाश शिविरों की योजना 1958 में आरम्भ की गई। निम्न आय वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए ऐसे शिविर लगाने वाली ऐच्छिक संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड वित्तीय सहायता देता है। 1981-82 में 800 शिविर लगाने के लिए 33 लाख रु० का अनुदान दिया गया।

निराश्रित बाल संरक्षण गृह

माता-पिता में से किसी के भी दूसरे को त्याग दिए जाने या तलाक देने, लम्बी बीमारी, कैद या माता-पिता में से किसी की मृत्यु से बेसहारा हुए बच्चों की देखभाल के लिए एक संरक्षण गृह मद्रास में और दो बम्बई में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्थान, स्वैच्छिक कार्य तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुसंधान, मूल्यांकन व प्रशिक्षण का कार्य करता है। इसके कार्यक्रमों में तरह-तरह की समस्याओं पर अनुसंधान, तथा समेकित बाल विकास योजना व क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त वरिष्ठ कार्मिकों को समाज-प्रशासन में प्रशिक्षण देना शामिल है। इस संस्थान ने गुवाहटी और बंगलौर में अपना एक-एक क्षेत्रीय यूनिट भी स्थापित किया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

केन्द्र सरकार ने क्षेत्र-स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं। बाल कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए "बाल सेविका" प्रशिक्षण कार्यक्रम 1961-62 में शुरू किया गया था। 1980-81 में ऐसे 36 केन्द्र थे, जहां स्कूलपूर्व-शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, पोषाहार तथा सामाजिक कार्य का 11 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। 1981-82 में तीन नए संस्थानों के लिए मंजूरी दी गई। क्षेत्र कार्यकर्ताओं को उन्नत कृषि तथा नेतृत्व विकास का प्रशिक्षण देने के लिए लघु अवधि के प्रशिक्षण शिविर लगाने के लिए, केन्द्रीय सरकार ग्रामीण महिला संघ को अनुदान देती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई मांग को विशेषकर स्वयंसेवी क्षेत्र में पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं।

बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति

अगस्त, 1974 में भारत सरकार ने बच्चों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है। इस संकल्प के अनुसार दिसम्बर 1974 में एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना हुई। 25 मई, 1981 को बोर्ड का पुनर्गठन करके प्रधान मन्त्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया। हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों में ऐसे बोर्ड बनाए गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष

संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रस्ताव पर 1979 में अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष भारत में बहुत उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस वर्ष के दौरान कई ठोस योजनाएं चलाई गईं। राष्ट्रीय बाल मंडल को 'अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयोग' नाम दिया गया।

इसके लिए पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, विधायन, प्रचार तथा धन एकत्र करने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस कार्यक्रम चलाने के विचार से एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई। योजना का मूल विषय था "वंचित बच्चों तक पहुंचना।" इसके अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्ग तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों, गांवों तथा आदिवासी क्षेत्रों व शहर की गन्दी बस्तियों में रहने वाले गरीब वर्गों के वंचित बच्चों को प्राथमिकता दी गई।

बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

वर्ष के दौरान अनेक योजनाएं शुरू की गईं तथा चालू योजनाओं का विस्तार किया गया। बच्चों को टीके लगाने का विशाल कार्यक्रम चलाया गया। बाल कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समाज कल्याण बोर्ड ने एक राष्ट्रीय बाल कोष स्थापित किया।

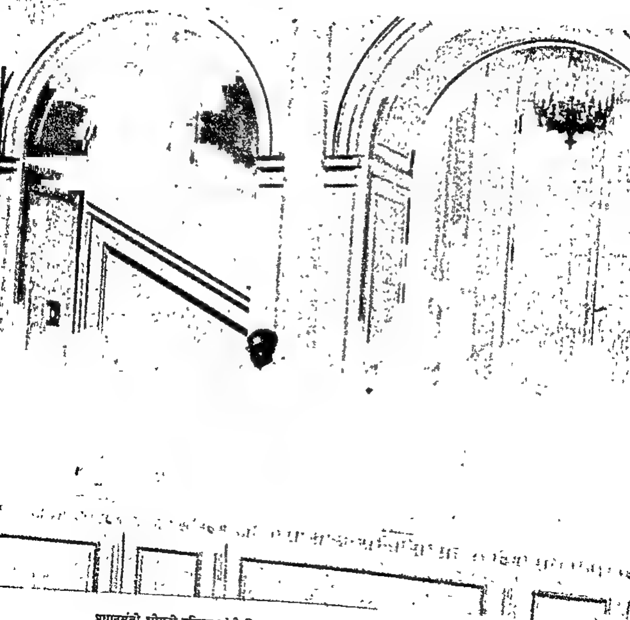
1979 से बाल कल्याण क्षेत्र में श्रेष्ठ काम करने पर व्यक्ति विशेष तथा संगठन को बाल कल्याण राष्ट्रीय पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है। व्यक्ति विशेष को बीस हजार रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र तथा संस्था को एक लाख रुपए नगद तथा एक प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।



श्री जैलसिंह को 25 जुलाई, 1982 को भारत के सातवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई ।



प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जुलाई 1982 में अमरीका गईं। चित्र में श्रीमती गांधी वाशिंगटन के ह्वाइट हाउस में राष्ट्रपति रीगन के स्वागत-भाषण का उत्तर दे रही हैं।



प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी सितम्बर 1982 में सोवियत संघ गईं। चित्र में वह सोवियत नेता श्री ब्रेझनेव के साथ संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर कर रही हैं।



ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट थैचर 24 मार्च, 1982 को लन्दन में 'भारत में विज्ञान' प्रदर्शनी का उद्‌घाटन करती हुई। यह प्रदर्शनी 'भारतोत्सव' के अवसर पर लगाई गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के बाद भी बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो आह्वान किया है, उसके बारे में राज्यों को अवगत करा दिया गया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में बाल कल्याण और बाल विकास के क्षेत्र में जिस तेजी से काम हुआ है, उसमें कमी न आने पाए और बाल कल्याण कार्यक्रमों और गतिविधियों को राज्यों की भावी विकास योजनाओं का अभिन्न अंग बना दिया जाए।

बाल दिवस प्रत्येक वर्ष की तरह 1981 में 14 नवम्बर को सारे देश में बाल दिवस मनाया गया। 14 नवम्बर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिन पड़ता है। 1981 में बाल दिवस का विशेष महत्व था क्योंकि 1981 का वर्ष संयुक्तराष्ट्र के तीसरे विकास दशक 1981-1990 का प्रथम वर्ष था, अंतर्राष्ट्रीय पेय जल सप्लाई और सफाई दशक 1981-90 का भी यह प्रथम वर्ष था तथा यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष भी था।

समाज सुरक्षा नई-नई व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकृतियों को रोकने में परम्परागत उपायों के प्रभावहीन हो जाने के कारण सरकार पर विधायन द्वारा और समाज कल्याण सेवाओं द्वारा उपाय करने की जिम्मेदारी आ पड़ी है। इन व्यक्तिगत और सामाजिक विकृतियां पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कुसमंजित हुए व्यक्तियों और समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए हैं। ये समाज सुरक्षा कार्यक्रम मुख्यतः विशिष्ट विधायी और सम्बद्ध उपायों के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। इन उपायों में समाज कल्याण से संबद्ध निवारक, सुधार और पुनर्वास सेवाएं शामि लहैं जैसे कैदियों की भलाई, बाल अपराधों पर नियंत्रण, भिक्षावृत्ति की रोकथाम और सामाजिक तथा नैतिक आचरण आदि।

कैदियों की भलाई अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के प्रति व्यवहार के मामले में अपराधियों के अधिकार को संरक्षण प्रदान करने की जरूरत महसूस की जा रही है। *इस योजना के अन्तर्गत कल्याण अधिकारी कैदियों की व्यक्तिगत समस्याओं* को उनके परिवार से सम्पर्क रखकर हल करने में मदद करते हैं। कुछ जेलों में महिला कैदियों के बच्चों के लिए शिशु सदन स्थापित किए गए हैं।

बाल अपराध बाल अपराध राज्यों का विषय है। केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों के बाल कानूनों में बाल अपराध अदालतों, बाल कल्याण मंडलों, बालगृहों, विशिष्ट स्कूलों, बाल अपराधों की रोकथाम और सुधार और बाल अपराधियों के पुनर्वास की व्यवस्था है। केन्द्रीय बाल अधिनियम 1960 सभी केन्द्र शासित क्षेत्रों पर लागू है। अधिनियम को लागू करने में कुछ कमियों को दूर करने के लिए 1978 में इसमें संशोधन किया गया।

परिवीक्षा सेवाएं परिवीक्षा, बालकों में अपराध-वृत्ति और बाल अपराधों से निपटने का एक सामुदायिक उपाय है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 में एक ऐसी अनिवार्य व्यवस्था है,

जिसके अनुसार अदालतें 21 वर्ष से कम आयु के युवा अपराधियों के बारे में परिवीक्षा अधिकारियों की जांच रिपोर्ट पर विचार करती हैं। इसमें आजीवन कैद की सजा वाले को छोड़कर 21 वर्ष से कम आयु के बाकी अपराधियो को परिवीक्षा पर रिहा करने की भी व्यवस्था है। यह एक केन्द्रीय कानून है जिसे अधिकांश राज्यों ने अपना लिया है। कुछ स्वयंसेवी संगठन भी हैं जो परिवीक्षा पर रिहा किए गए लोगों को आर्थिक तथा अन्य सहायता, जैसे होस्टल में स्थान तथा रोजगार दिलाने में सहायता देते हैं।

भिक्षावृत्ति की रोकथाम

पन्द्रह राज्यों और दो केन्द्र शासित क्षेत्रों ने भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कानून बनाए हैं। अन्य राज्यों में उनके नगरपालिका और पुलिस कानूनों में भिक्षावृत्ति की रोकथाम की व्यवस्था है। भारत सरकार केन्द्र-शासित क्षेत्रों के लिए एक आदर्श कानून तैयार कर रही है। यह कानून राज्यों के लिए भी आदर्श कानून सिद्ध हो सकता है।

सामाजिक और नैतिक आचरण

भारतीय संविधान के अनुसार मानव व्यापार देह निषिद्ध है। भारत सरकार ने 1956 में 'औरतों और लड़कियों का अनैतिक धंधा दमन अधिनियम' पारित किया। यह एक केन्द्रीय कानून है जो सारे देश में लागू है। राज्यो को इसे सुचारु रूप से लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत घोषित क्षेत्रों में वेश्यावृत्ति और आजीविका के लिए वेश्यावृत्ति का धन्धा कराने पर पाबन्दी लगाई गई है। इस कानून के अनुसार वेश्याघरों से बचाई गई स्त्रियां व लड़कियां संरक्षण सदनों तथा सुधार गृहों में भेजी जाती है। नैतिक खतरे का सामना कर रही स्त्रियों व लड़कियो की रक्षा के लिए विभिन्न राज्यों व केन्द्र-शासित क्षेत्रों ने सुरक्षा गृह, अल्पावधि निवास गृह, स्वागत केन्द्र तथा जिला आश्रयस्थल स्थापित किए हैं। अधिनियम लागू करने में कुछ कमियां देखने में आई। इनको रोकने के लिए अधिनियम में 1978 में उपयुक्त संशोधन किया गया।

नशाबंदी

लोगों का जीवन स्तर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए नशाबंदी को एक उपाय के रूप में अपनाना राज्यनीति का निदेशात्मक सिद्धांत है। संविधान के अनुच्छेद 47 में अनुदेश है कि सरकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों तथा मादक वस्तुओं का दवाई के सिवाय अन्य सेवन बन्द कराने का प्रयत्न करेगी।

संविधान के अंतर्गत नशीले पेय का उत्पादन, अधिग्रहण, ढुलाई, खरीद और बिक्री तथा मानवीय उपभोग वाले मादक पेयों पर आबकारी शुल्क लगाना राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। नशाबन्दी के बारे में संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करना अधिकांशतः राज्य सरकारों के जिम्मे है। राज्यों को यह संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए अर्थपूर्ण और प्रभावकारी उपाय करने के लिए राजी करने में केन्द्र सरकार एक उत्प्रेरक का काम करती है।

नशाबंदी के बारे में वैज्ञानिक अनुसन्धान को बढ़ावा देने और आंकड़े इकट्ठे करने, विभिन्न राज्यों में नशाबंदी के मामलों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और यह काम तेज करने के उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार ने एक केन्द्रीय नशाबंदी समिति गठित की। केन्द्र सरकार ने एक समान स्थिति लाने के लिए, नशाबंदी लागू करने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान

केन्द्रीय सुधार सेवा कार्यालय 1961 में स्थापित किया गया। एक जनवरी, 1975 को इसका पुनर्गठन हुआ और इसे राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान का नाम दिया गया। संस्थान को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के विकास, मानकीकरण और इनमे समन्वय आदि से संबंधित तकनीकी कार्य सौंपे गए हैं। इनमें मद्यपान, जुआ, आत्महत्या और नशीली दवाओं के सेवन आदि की रोकथाम सम्बन्धी कार्य भी शामिल हैं।

अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए संस्थान शोधकार्य करता है; आंकड़े इकट्ठे करता है; प्रशिक्षण कार्य को बढ़ावा देता है; आदर्श कानूनों और नियमों के मसौदे तैयार करता है; सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में जनता में जागृति पैदा करता है और विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं से सम्पर्क रखता है और सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को परामर्श देता है।

वृद्धों के लिए सेवाएं

बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों के अधिक समय तक जीने के कारण वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार, हमारी जनसंख्या के 3.36 प्रतिशत लोग 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के थे जबकि 1951 में यह 1.98 प्रतिशत थी।

भारतीय परिवार प्रणाली में बड़े-बूढ़ों की देखभाल की जिम्मेदारी उनके बच्चों की अथवा निकट संबंधियों की है। हालांकि यह जिम्मेदारी आमतौर पर अब भी निभाई जाती है, लेकिन कभी-कभी परिस्थितिवश वृद्ध लोग बेसहारा हो जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि हमारे यहां बहुत कम ऐसी नौकरियां हैं (सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों सहित) जिनसे सेवानिवृत्ति पर पेन्शन, ग्रेच्युटी आदि मिलती है।

बीस राज्य सरकारों और सात केन्द्र शासित क्षेत्रों ने बेसहारा वृद्ध लोगों को नगद सहायता देने की योजना शुरू की है। सरकार और स्वयंसेवी एजेंसियों ने वृद्धों के लिए आश्रय गृह और वृद्धों को घर पर अन्य सेवाएं दिलाने के लिए भी उपाय किए हैं।

शारीरिक विकलांग कल्याण

नेत्रहीन, बधिर और शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग—इन चार प्रकार के अपंगों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केन्द्रीय सेवाओं में और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में "सी" और "डी" श्रेणी की 3 प्रतिशत नौकरियां विकलांगों के लिए सुरक्षित कर दी गई हैं। 2 अक्तूबर,

को जिन्हें राज्य सरकारों ने करमुक्त कर दिया है, पैट्रोल/डीजल के मूल्य में 50 प्रतिशत की रियायत दे दी है, बशर्ते इनकी खपत एक निश्चित सीमा से अधिक न हो।

नेत्रहीन देश में नेत्रहीनों के लिए 140 स्कूल तथा प्रशिक्षण केन्द्र हैं। नेत्रहीनों के लिए देहरादून स्थित राष्ट्रीय केन्द्र इस विषय में समेकित सेवाएं प्रदान कर रहा है। नेत्रहीनों के लिए इस केन्द्र से सम्बद्ध माडल स्कूल, एक माध्यमिक स्कूल है। इस स्कूल के अतिरिक्त केन्द्र वयस्क नेत्रहीनों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र, कमजोर दृष्टि वाले बच्चों के लिए एक स्कूल, ब्रेल उपकरण कारखाना, एक वर्कशाप तथा केन्द्रीय ब्रेल छापाखाना चला रहा है। नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय अंध केन्द्र से सम्बद्ध एक राष्ट्रीय पुस्तकालय भी है जो देश में ब्रेल साहित्य का वितरण करता है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चार शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र प्रतिवर्ष नेत्रहीनों के लिए 40-50 शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं।

बधिर बधिरों के लिए हैदराबाद में एक राष्ट्रीय केन्द्र है जिसके अन्तर्गत वयस्क बधिरों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र और आंशिक रूप से बधिर-बच्चों के लिए एक स्कूल है। प्रशिक्षण केन्द्र बधिरों को दर्जीगीरी, शीट मेटलवर्क, बिजली के तार लगाने, बढ़ईगीरी, फिटिंग, गैस वैल्डिंग और फोटोग्राफी का प्रशिक्षण देता है।

शारीरिक रूप से विकलांग शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया है। संस्थान ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए अनुसन्धान और प्रशिक्षण का काम करता है।

मानसिक रूप से अपंग दिल्ली स्थित एक आदर्श विद्यालय 6 से 15 वर्ष तक के मानसिक रूप से अपंग बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। स्कूल कुछ शिल्पों का भी प्रशिक्षण देता है।

समेकित शिक्षा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि जहां तक संभव हो विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में रखा जाए। अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के बारे में बनाई गई राष्ट्रीय समिति के निर्णय के अनुरूप शिक्षा मन्त्रालय में "विकलांग बच्चों को शिक्षा देने" के लिए एक कार्यालय गठित किया गया। इस दल की सिफारिशों के अनुसार समेकित शिक्षा की योजना को 1981 में संशोधित करके इसे नया रूप दिया गया। यह नई योजना पहली अप्रैल, 1981 से शुरू की गई। इसे लागू करने के लिए अब राज्यों को शत प्रतिशत सहायता दी जाती है जबकि पहले पचास प्रतिशत सहायता दी जाती थी। संशोधित योजना के अधीन अब कुछ और लाभ भी दिए जाते हैं।

सहायता साधन और उपकरण कानपुर स्थित भारतीय कृत्रिम अंग उत्पादन निगम, केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ एक सार्वजनिक संस्थान है, जो विकलांगों के लिए उपयोगी एवं आवश्यक सहायता साधनों और उपकरणों का निर्माण करता है।

विकलांगों के पुनर्वास सम्बन्धी अनुसन्धान की एक योजना चलाई जा रही है। दिल्ली और मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विकलांगों के लिए सहायक साधनों के बारे में अनुसन्धान कार्य चल रहा है।

विकलांग पुनर्वास अनुसंधान अनुदान योजना

समाज कल्याण मंत्रालय विकलांगों के पुनर्वास के बारे में अनुसन्धान के लिए अनुदान योजना चलाता है। इसके अधीन अनुसन्धान करने वाली संस्थाओं/संगठनों को शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस समय इस योजना के अधीन सात परियोजनाएं चल रही हैं।

अन्य सेवाएं

विकलांगों और कुष्ठ रोगियों की सेवा करने वाले ऐच्छिक संस्थानों को सहायता दी जाती है। अनुदान की सीमा बढ़ाकर स्वीकृत मदों के अनुमानित व्यय का 90 प्रतिशत कर दी गई है। 1980-81 में 114 संगठनों को 112 लाख रुपये दिए गए। शारीरिक रूप से अपंग लोगों के लिए इस समय देश में 21 विशेष रोजगार कार्यालय हैं।

छात्रवृत्तियां

केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय नेत्रहीनों, बधिरों तथा शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा और तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां देता है। प्रति वर्ष 8,900 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। अब इस योजना का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है।

राष्ट्रीय पुरस्कार

समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से हर साल सबसे अधिक संख्या में विकलांग लोगों को रोजगार देने वाले मालिकों को और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों, स्थानीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, निगमों आदि में कार्यरत विकलांग कर्मचारियों में और अपना काम-धन्धा खुद चलाने वाले विकलांगों में सबसे अधिक कुशल विकलांगों को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करते हैं। 1981 से विकलांगों के लिए नियोक्ता अधिकारी (प्लेसमेन्ट अफसर) नाम से पुरस्कार पाने वालों की एक नई श्रेणी शुरू की गई है।

1981 में 10 मालिकों, 19 कर्मचारियों, अपना काम-धन्धा खुद चलाने वाले बीस व्यक्तियों और एक नियोक्ता अधिकारी को सम्मानित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष

भारत ने 1981 में विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया। इस वर्ष में नए कार्यक्रम शुरू किए गए, पहले से चल रहे कार्यक्रमों को मजबूत बनाया गया और विकलांगों की क्षमता के बारे में लोगों में चेतना पैदा की गई। विकलांग वर्ष मनाने के लिए, लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करने तथा कार्य योजनाएं बनाने के बारे में सलाह देने के लिए भारत सरकार ने 10 अप्रैल 1980 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के सिलसिले में एक राष्ट्रीय समिति नियुक्त की। अधिकतर राज्यों ने राज्य स्तर पर ऐसी समितियां बनाईं और खुद अपनी कार्य योजनाएं भी तैयार कीं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के सिलसिले में बनी राष्ट्रीय समिति के फैसलों के अनुरूप गठित कार्य दलों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए गए और पहले से चल रहे कार्यक्रमों को मजबूत बनाया गया। ये कार्यक्रम हैं: (1) विकलांगों को विभिन्न सहायक साधन और उपकरण खरीदने तथा लगाने में सहायता करने की एक नई योजना शुरू की गई है। यह योजना इस विचार से शुरू की गई कि अधिकतर विकलांग गरीब हैं और सहायक साधन तथा उपकरण ले सकने में असमर्थ हैं। इस योजना के अधीन जरूरतमन्द और गरीब विकलांग व्यक्तियों को सहायक साधन और उपकरण बिल्कुल मुफ्त अथवा आधी कीमत पर दिए जाते हैं; (2) एक और नई योजना विकलांग कल्याण के लिए किए गए सर्वोत्तम कार्य पर राष्ट्रीय पुरस्कार देने के बारे में है। पुरस्कार के अन्तर्गत संस्था को एक लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र और व्यक्ति को 20 हजार रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है; (3) समेकित शिक्षा योजना को संशोधित करके उसे नया रूप दिया गया है और अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए लाभों को उदार बना दिया गया है और इनमें वृद्धि कर दी गई है। संशोधित योजना के अधीन अब इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारें और केन्द्र-शासित प्रदेशों को शत प्रतिशत सहायता दी जाती है जबकि पहले केवल पचास प्रतिशत सहायता दी जाती थी; (4) 1981 में नेत्रहीनों, गूंगे और विकलांग लोगों की गिनती की गई। यह काम 1981 में की गई जनगणना के दौरान किया गया। 1981 में ही एक और व्यापक सर्वेक्षण भी किया गया। इस सर्वेक्षण के परिणाम अभी मिलने बाकी हैं; (5) छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया गया। मानसिक दृष्टि से अपंग और पक्षघात से पीड़ित व्यक्ति भी अब छात्रवृत्ति पाने के हकदार हैं। अब किसी विकलांग द्वारा ये छात्रवृत्तियां लेने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। संशोधित योजना के अधीन अब मासिक आय सीमा साढ़े सात सौ रुपए से बढ़ाकर 2 हजार रुपये कर दी गई है; (6) पहली बार अब इलाज से ठीक हुए कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए अलग से प्रावधान किया गया है।

अनुसंधान और मूल्यांकन

केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय 1973-74 से समाज कल्याण के क्षेत्र में अनुसन्धान तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन करा रहा है। यह अध्ययन कार्य विश्वविद्यालयों, समाज कार्य विद्यालयों, अनुसन्धान संस्थानों आदि द्वारा किया जाता है।

अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां

संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए 15 आदेशों में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां उल्लिखित की गई हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां 22 प्रतिशत थीं। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारों ने "अन्य पिछड़े वर्ग" के नाम में कुछ अन्य वर्गों के लोगों,

ग़ैर-अधिसूचित जातियों, खानाबदोश तथा अर्द्ध-खानाबदोश समुदायों का भी उल्लेख किया है।

भारत के संविधान में इन वर्गों की सुरक्षा तथा संरक्षण की व्यवस्था है, और पंचवर्षीय योजनाओं में भी इन जातियों के उत्थान को राष्ट्रीय नीति का एक मुख्य लक्ष्य माना गया है।

संवैधानिक संरक्षण भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने, उनका परम्परागत शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन तथा उनकी सामाजिक असमर्थताओं को दूर करने के उद्देश्य से सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। मुख्य संरक्षण इस प्रकार हैं :—

(1) अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा इसके किसी भी रूप में प्रचलन का निषेध (अनुच्छेद 17) ;

(2) इन जातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा और उनका सभी प्रकार के शोषण तथा सामाजिक अन्याय से बचाव (अनुच्छेद 46);

(3) हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों के द्वार समस्त हिन्दुओं के लिए खोलना (अनुच्छेद 25ख);

(4) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, तालाबों, स्नान-घाटों और ऐसी सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने पर लगी सभी रुकावटें हटाना, जिनका पूरा या कुछ व्यय सरकार उठाती है अथवा जो जनसाधारण के निमित्त समर्पित हैं [अनुच्छेद 15(2)];

(5) किसी भी अनुसूचित जनजाति के हित में, सभी लोगों के स्वतन्त्रता पूर्वक आने जाने, बसने तथा जायदाद प्राप्त करने के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगा सकने की व्यवस्था [अनुच्छेद 19(5)];

(6) सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षालयों में प्रवेश पर किसी तरह के प्रतिबन्ध का निषेध [अनुच्छेद 29(2)];

(7) सरकार को यह अधिकार देना कि वे जन सेवाओं में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त होने पर, उनके लिए स्थान सुरक्षित करें। राज्य का यह दायित्व है कि सार्वजनिक नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के हितों का ध्यान रखें (अनुच्छेद 16 और 335);

(8) लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और जन जातियों को 25 जनवरी, 1990 तक विशेष प्रतिनिधित्व देना (अनुच्छेद 330, 332 तथा 334);

(9) उनके कल्याण तथा हितों की सुरक्षा के प्रयोजन से राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषदों तथा पृथक विभागों की स्थापना और केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति (अनुच्छेद 164 तथा 338 और पांचवीं अनुसूची);

(10) अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था (अनुच्छेद 244 और पांचवीं तथा छठी अनुसूचियां); और

(11) मनुष्यों के व्यापार तथा बेगार पर रोक (अनुच्छेद 23)।

अस्पृश्यता निवारण विधान

अस्पृश्यता कानून को अधिक व्यापक बनाने और इसकी दण्ड-व्यवस्था को और कठोर बनाने के लिए, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और विविध व्यवस्था अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। ये संशोधन 19 नवम्बर, 1976 से लागू हुए। इस संशोधन के साथ मुख्य अधिनियम का नाम नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 रखा गया। इसके अधीन किसी व्यक्ति को छूआछूत के आधार पर उन अधिकारों के उपभोग से रोकना जो उसे अस्पृश्यता निवारण के कारण मिले हैं, दंडनीय है और बार-बार ऐसे अपराध के लिए और भी कड़े दंड/सजा की व्यवस्था है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करने का दोषी पाया जाता है तो वह संसद और विधान मण्डल के लिए 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। ये छह वर्ष उस दिन से गिने जाएंगे जिस दिन वह दोषी ठहराया गया होगा।

नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 को समय-समय पर राज्य सरकारें भी अमल में लाती हैं। अधिनियम के एक प्रावधान के अनुसार, केन्द्र सरकार भी प्रतिवर्ष अधिनियम की धारा 15 (अ) पर हुए कार्य की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सामने रखती है।

नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम

नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम के खण्ड 15 (अ) के प्रावधानों के अधीन राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को केन्द्र से सहायता दी जाती है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सम्बन्धी मामलों से पीड़ित अनुसूचित जाति लोगों को कानूनी सहायता की व्यवस्था 15 राज्यों ने की है। नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम की व्यवस्थाओं के उल्लंघन के मामलों में मुकदमे दायर करने और इनको चलाने के लिए 10 राज्यों ने विशेष कक्ष/दस्ते स्थापित किए हैं जबकि छः राज्यों ने इसके लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए हैं। अस्पृश्यता की समस्याओं और इनसे सम्बद्ध मामलों की सावधिक समीक्षा करने और नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए 16 राज्यों ने जून, 1982 तक विभिन्न स्तरों की समितियां बनाई हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीकाकुलम और मेडक जिलों में दो और चलती-फिरती अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। वहां के पांच जिलों में विशेष चलती-फिरती अदालतें पहले से ही काम कर रही हैं। राजस्थान, बिहार

और तमिलनाडु ने क्रमशः तीन-तीन और चार विशेष अदालतें स्थापित की हैं।

केन्द्रीय गृह मन्त्री ने 10 मार्च, 1980 को राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को विभिन्न उपायों के बारे में व्यापक दिशा-निर्देश भेजे थे। उन्होंने अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए अनेक एहतियाती, निवारक, दंडात्मक और पुनर्वासीय उपायों का सुझाव दिया था। 6 सितम्बर 1980 को भेजे गए एक अन्य पत्र में केन्द्रीय गृह मन्त्री ने यह सुझाव दिया था कि जहां तक हो सके, थाना प्रमुख के पद पर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए और नाजुक जिलों में जिलाधीश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक में से किसी एक पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी रखा जाए।

उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों पर हाल में हुए अत्याचारों की घटनाओं को देखते हुए अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री के पत्र में दिए गए दिशानिर्देशों का महत्व स्पष्ट हो जाता है।

जनसंख्या

1971 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की जनसंख्या क्रमशः 8, 24, 80, 251 और 4, 11, 47, 922 थी। सारणी 9.3 में कुछ राज्यों तथा सभी केन्द्रशासित क्षेत्रों में 1981 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की जनसंख्या दिखाई गई है।

सारणी 9.3
अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की जनसंख्या (1981 जनगणना)

राज्य	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	79,61,730	31,76,001
असम	—	—
बिहार	1,01,42,368	58,10,867
गुजरात	24,38,297	48,48,586
हरियाणा	24,64,012	—
हिमाचल प्रदेश	10,33,958	1,97,263
जम्मू-कश्मीर	—	—
कर्नाटक	—	—
केरल	25,49,382	2,61,475
मध्य प्रदेश	—	—
महाराष्ट्र	44,79,763	57,72,038

1	2	3	4	5
मणिपुर			—	—
मेघालय			5,492	10,76,345
नगालैन्ड			—	6,50,885
उड़ीसा			36,65,543	59,15,067
पंजाब			45,11,703	—
राजस्थान			58,38,879	41,83,124
सिक्किम			18,281	73,623
तामिलनाडु			88,81,295	5,20,226
त्रिपुरा			3,10,384	5,83,920
उत्तर प्रदेश			—	—
पश्चिम बंगाल			—	—
केन्द्र शासित क्षेत्र				
अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह			—	22,361
अरुणाचल प्रदेश			2,919	4,41,167
चण्डीगढ़			63,621	—
दादरा तथा नगर हवेली			2,041	81,714
दिल्ली			11,21,643	—
गोआ, दमन तथा दीव			23,432	10,721
लक्षद्वीप			—	37,760
मिजोरम			135	4,51,907
पांडिचेरि			96,636	—

नोट : 1. भारत के राष्ट्रपति के आदेश में अन्डमान-निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में कोई भी जाति अनुसूचित नहीं थी।

2. राष्ट्रपति के आदेश में हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, और पांडिचेरी में कोई भी जनजाति अनुसूचित नहीं थी।

3. भारत के राष्ट्रपति के आदेश में नागालैन्ड में कोई भी जाति अनुसूचित नहीं थी।

4. राष्ट्रपति के आदेशानुसार दिल्ली में कोई भी जनजाति अनुसूचित नहीं थी।

5. असम में जनगणना नहीं की जा सकी।

6. कुछ राज्यों के लिए 1981 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व

संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में इनके लिए लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। शुरू में यह व्यवस्था संविधान लागू होने से 10 वर्ष तक के लिए थी, परन्तु संविधान में संशोधन

करके, यह व्यवस्था 25 जनवरी, 1990 तक के लिए बढ़ा दी गई है। जिन केन्द्र-शासित क्षेत्रों में विधान सभाएं हैं, उनके लिए संसदीय अधिनियमों द्वारा स्थान सुरक्षित किए जाते हैं। राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित नहीं होते। सारणी 9.4 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में इन जातियों के प्रतिनिधित्व का ब्योरा दिया गया है।

पंचायती राज लागू होने पर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है।

सरकारी सेवाओं में आरक्षण

संविधान के अनुच्छेद 335 में व्यवस्था है कि केन्द्र अथवा किसी राज्य के कामकाज के सिलसिले में किन्हीं पदों और सेवाओं में नियुक्ति करते समय प्रशासनिक कुशलता बनाए रखने को ध्यान रखते हुए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों पर गौर किया जाएगा। अनुच्छेद 16 (4) में व्यवस्था है कि सेवाओं में जिन पिछड़ी जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, इनके लिए भी स्थान सुरक्षित किए जा सकते हैं। इन प्रावधानों के अनुरूप, केन्द्र सरकार ने अपने अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए हैं।

जिन पदों के लिए भर्ती खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है, उनमें 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं। अन्य पदों पर भर्ती में 16⅔ प्रतिशत स्थान इनके लिए सुरक्षित हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए दोनों श्रेणियों में 7½ प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं। ग्रुप "सी" तथा "डी" के पदों पर नियुक्ति के लिए, जिनमें आम-तौर पर स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवार आते हैं, सम्बद्ध राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की अनुसूचित जाति और जनजाति आबादी के अनुपात से स्थान सुरक्षित किए जाते हैं।

ग्रुप 'बी', 'सी' तथा 'डी' में विभागीय परीक्षाओं के आधार पर; ग्रुप 'बी', 'सी' और 'डी' में और ग्रुप 'ए' में सबसे निचले स्तर पर जिन ग्रेडों अथवा सेवाओं में किसी सीधी भर्ती में नियुक्ति 66⅔ प्रतिशत से अधिक नहीं होती उनमें चयन के आधार पर होने वाली पदोन्नति के सम्बन्ध में भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए क्रमशः 15 तथा 7½ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। ग्रुप 'ए', 'बी', 'सी' तथा 'डी' के जिन पदों या सेवाओं में 66⅔ प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती न होती हो उनमें पदोन्नति के लिए भी वरिष्ठता के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उपयुक्त व्यक्तियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है।

ग्रुप 'ए' के 2,250 रुपये प्रति मास या इससे कम वेतन वाले पदों पर चयन के आधार पर पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के उन वरिष्ठ अधिकारियों को, जिनकी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर विचार योग्य है और जो पदोन्नति के लिए रिक्त स्थानों की निर्धारित संख्या के अन्दर आते हैं, उन्हें उपयुक्त पाए जाने पर चयन सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है।

सारणी 9.4
लोकसभा और विधानसभाओं में स्थानों का आवंटन

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	लोकसभा			विधानसभा		
	कुल स्थान	अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित स्थान	अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थान	कुल स्थान	अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित स्थान	अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थान
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	42	6	2	294	39	15
असम	14	1	2	126	8	16[1]
बिहार	54	8	5	324	48	28
गुजरात	26	2	4	182	13	26
हरियाणा	10	2	—	90	17	—
हिमाचल प्रदेश	4	1	—	68	16	3
जम्मू और कश्मीर	6	—	—	76[2]	6	—
कर्नाटक	28	4	—	224	33	2
केरल	20	2	—	140	13	1
मध्य प्रदेश	40	6	[illegible]	320	44	75
महाराष्ट्र	48	3	4	288	18	22
मणिपुर	2	—	1	60	1	19
मेघालय	2	—	—	60	—	—
नगालैंड	1	—	—	60	—	—
उड़ीसा	21	3	5	147	22	34
पंजाब	13	3	—	117	29	—
राजस्थान	25	4	3	200	33	24
सिक्किम	1	—	—	32	2	12
तमिलनाडु	39	7	—	234	42	3
त्रिपुरा	2	—	1	60	7	17
उत्तर प्रदेश	85	18	—	425	92	1
पश्चिम बंगाल	42	8	2	294	59	17

1	2	3	4	5	6	7
केन्द्र शासित क्षेत्र						
अंदमान और निकोबार						
द्वीप समूह . .	1	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश[3] .	2	—	—	30	—	—
चंडीगढ़ .	1	—	—	—	—	—
दादरा और नगर हवेली	1	—	1	—	—	—
दिल्ली[4] . .	7	1	—	56	9	—
गोआ दमन और दीव	2	—	—	30	1	—
लक्षद्वीप .	1	—	1	—	—	—
मिजोरम . .	1	—	—	30	—	—
पांडिचेरि . .	1	—	—	30	5	—
कुल . .	542	74	40	3,997	557	303

1. दो स्वायत्त जिलों उत्तरी कछार हिल्स तथा मिकिर हिल्स के लिए चार स्थान सुरक्षित हैं।
2. पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्र के 24 स्थानों को छोड़ कर।
3. स्थान सुरक्षित नहीं हैं।
4. महानगर परिषद।

इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से कुछ रियायतें दी जाती हैं : जैसे (1) आयु सीमा में छूट, (2) उपयुक्तता के मानदण्ड में छूट, (3) पद/पदों के लिए चयन यदि वे अनुपयुक्त न हों, (4) जहां कहीं आवश्यक हो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 'अनुभव' संबंधी अर्हताओं में छूट तथा (5) अनुसंधान संबंधी प्रथम श्रेणी के सबसे निचले स्तर तक के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों का आरक्षण के कार्यक्रम में शामिल किया जाना। रोजगार कार्यालयों को सूचना भेजने तथा अखबारों में विज्ञापन दिए जाने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए ग्रुप 'सी' और 'डी' अर्थात् तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों की आरक्षित नौकरी के बारे में विज्ञापन, उन आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां इन जातियों की आबादी ज्यादा है। इन पदों के बारे में सूचना अनुसूचित जातियों और जनजातियों की स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण निदेशकों को भी भेजी जाती है। जब संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बिना परीक्षा लिए भर्ती की जाती है तब इन नौकरियों का विज्ञापन सबसे पहले पूर्णतया अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए किया जाता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में दूसरी बार विज्ञापन निकाला जाता

है और तब अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर सामान्य उम्मीदवारों के बारे में भी विचार किया जाता है। कुल रिक्तियों में से अधिकतम पचास प्रतिशत तक स्थान (पिछली बची खाली रिक्तियों को मिला कर) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी आरक्षण की नीति लागू है। सरकार से अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को भी अपने यहां आरक्षण की कुछ शर्तें लागू करनी पड़ती हैं।

आरक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती और इसके सिवाय अन्य तरीकों से और पदोन्नति के जरिए नियुक्ति दोनों के लिए 40—40 पदों का तथा स्थानीय और क्षेत्रीय आधार पर भर्ती के लिए 100 पदों वाला रोस्टर बनाया गया है। यदि किसी ग्रेड या सेवा में रिक्त स्थान बहुत कम हो तो सीधी भर्ती के लिए सभी समवर्गीय पदों का एक समूह बना दिया जाता है। भर्ती करने वाले संबंधित अधिकारियों द्वारा इसका वार्षिक विवरण समीक्षा के लिए सरकार के पास भेजा जाता है। इन जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने संबंधी विशेष आदेशों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं।

राज्य सरकारों ने भी इन जातियों के लिए पद सुरक्षित करने के संबंध में नियम बनाए हैं तथा राज्यों की नौकरियों में इन्हें अधिक स्थान दिलाने के लिए कदम उठाए हैं।

1 जनवरी, 1980 को केन्द्र सरकार की सेवाओं अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व सारणी 9.5 में दिखाया गया है।

सारणी 9.5 केन्द्रीय सरकार में अ० जा०/ज०जा० का प्रतिनिधित्व

वर्ग (श्रेणी)	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत
ए. (श्रेणी-1)	47,937	2,375	4.95	506	1.06
बी. (श्रेणी-2)	59,161	5,055	8.54	763	1.29
सी. (श्रेणी-3)	17,52,230	2,35,555	13.44	55,334	3.16
डी. (श्रेणी-4) (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	12,72,397	2,47,607	19.46	68,401	5.38
कुल योग	31,31,725	4,90,592	15.67	1,25,004	3.99

1 जनवरी 1981 को अखिल भारतीय सेवाओं में

भारतीय प्रशासनिक सेवा	4,009	397	9.9	215	5.3
भारतीय पुलिस सेवा	2,225	218	9.8	82	3.7

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 244 और पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित किए गए हैं। इन क्षेत्रों के प्रशासन की रिपोर्ट उन राज्यों के राज्यपाल, जिनमें ये क्षेत्र हैं, राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष भेजते हैं।

असम और मेघालय राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्र मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। इसके लिए उन्हें स्वायत्तशासी जिलों में बाट दिया गया है। इस प्रकार के आठ जिले हैं--असम में उत्तरी कछार तथा मिकिर पहाड़ी जिले; मेघालय में संयुक्त खासी जयन्तिया, जवाई और गारो पर्वतीय जिले तथा मिजोरम में चकमा, लाखेर और पावी जिले। प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले में एक जिला परिषद है जिसमें अधिक से अधिक 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से अधिक से अधिक 4 मनोनीत हो सकते हैं और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। परिषदों को कुछ प्रशासनिक, वैधानिक तथा न्यायिक अधिकार दिए गए हैं।

कल्याण तथा सलाहकार संस्थाएं

भारत सरकार का गृह मंत्रालय अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाने और उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक केन्द्रीय मन्त्रालय और विभाग अपने क्षेत्र के बारे में जिम्मेदार है। गृह मन्त्रालय इस सम्बन्ध में केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्यों से सम्पर्क बनाए रखता है।

अगस्त, 1978 में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य थे। इसमें एक विशेष अधिकारी भी था, जिसे संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत अनसूचित जातियों तथा जनजातियों के आयुक्त के नाम से भी जाना जाता है। आयोग का कार्य संविधान के सुरक्षा सम्बन्धी सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना, सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन के बारे में जांच-पड़ताल करना और विशेषकर अस्पृश्यता को दूर करना और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की उन आर्थिक सामाजिक समस्याओं तथा अन्य परिस्थितियों पर विचार करना, जिनके कारण उन पर अन्याय किए जाते हैं, और उन समस्याओं के लिए उपयुक्त सुझाव देना है।

संसदीय समितियां

भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के कल्याण से संबद्ध संवैधानिक व्यवस्थाओं के कार्यान्वियन की जांच करने के लिए तीन संसदीय समितियां नियुक्त कीं। पहली 1968 में, दूसरी 1971 में और तीसरी 1973 में बनी। अब संसद की एक स्थायी समिति बना दी गई है, जिसके सदस्यों का कार्य काल एक-एक वर्ष का होता है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं---20 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से।

राज्यों में कल्याण विभाग

राज्य सरकारों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की देख-रेख के लिए अलग विभाग बनाए हैं। विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में प्रशासन व्यवस्था

अलग-अलग है ।० बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार जनजातियों के हितों की देखभाल के लिए पृथक मंत्री नियुक्त किए गए हैं। कुछ अन्य राज्यों ने संसदीय समिति के अनुरूप विधान मडलीय समितियां स्थापित की हैं।

जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन सब में और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुसार जनजाति सलाहकार परिषदें बनाई गई हैं जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के बारे में परामर्श देती हैं।

स्वैच्छिक संगठन

बहुत से स्वैच्छिक संगठन भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ऐसे अखिल भारतीय स्तर के महत्वपूर्ण संगठन हैं— हरिजन सेवक संघ, दिल्ली; भारतीय दलित वर्ग संघ, नई दिल्ली; ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद; भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, नई दिल्ली; हिंद स्वीपर्स सेवक संघ, नई दिल्ली; रामकृष्ण मिशन, नरेन्द्रपुर, पश्चिम बंगाल; भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली; आन्ध्र राष्ट्र आदिम जाति सेवक संघ, नेलोर; रामकृष्ण मिशन, चिरापूंजी, रांची, पुरी, सिलचर और शिलांग; ठक्कर बापा आश्रम, नीमखंडी (उड़ीसा); सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी, पुणे और समाज कार्य तथा शोध केन्द्र, तिलोनिया (राजस्थान)।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों को केन्द्र सरकार अनुदान सहायता देती है। 1981–82 में 140 लाख रुपए का प्रावधान किया गया।

कल्याण कार्यक्रम

केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है। इनके कल्याण के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विशेष कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों पर खर्च प्रत्येक योजना में बढ़ता गया है जैसाकि सारणी 9.6 में दिखाया गया है।

सारणी 9.6 योजनाओं के अन्तर्गत व्यय

(करोड़ रुपये)

योजना	अवधि	व्यय
पहली योजना	1951-56	30.04
दूसरी योजना	1956-61	79.41
तीसरी योजना	1961-66	100.40
वार्षिक योजनाएं	1966-69	68.50
चौथी योजना	1969-74	172.70
पांचवीं योजना	1974-78	296.19
छठी योजना (परिव्यय)	1980-85	240.00

योजना	अवधि	व्यय
		केन्द्रीय क्षेत्र 720.00 राज्य क्षेत्र
जनजाति क्षेत्रों की उप-योजनाओं के लिए विशेप केन्द्रीय सहायता		470.00
अनुसूचित जातियों के विकास की योजनाओं मे विशेप केन्द्रीय सहायता का अंश . .		600.00

इसके अलावा राज्य सरकारें अपने गैर-योजना बजटों में से भी इन वर्गों के कल्याण पर काफी व्यय करती रही हैं ।

योजना कार्यक्रम

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

प्रशिक्षण और सहायक योजना

केन्द्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, बैंको, जीवन बीमा और सामान्य बीमा निगम में विभिन्न पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों मे परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमे अनुसूचित जातियों और जनजातियो के उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों और अन्य संस्थानों की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। मार्च 1982 के अन्त तक ऐसे 47 केन्द्रों के लिए मंजूरी दी जा चुकी थी।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

अनुसूचित जातियो और जनजातियो के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना इनके शैक्षिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। 1944-45 में शुरू की गई इस योजना के अधीन देश के विभिन्न स्कूलों और कालेजो में मैट्रिक के बाद की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थियो को वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी पढाई पूरी कर सकें। इस योजना से अनेक विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी करने में मदद मिली है। 1944-45 में अनुसूचित जातियों के कुल 114 विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी गई। 1948-49 में अनुसूचित जनजातियो के विद्यार्थियों के लिए भी यह छात्रवृत्ति शुरु की गई और उस साल केवल 89 जन जाति विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी गई। 1979-80 मे यह छात्रवृत्ति पाने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 4.90 लाख, 1980-81 में 5.65 लाख और 1981-82 में 6.80 लाख हो गई। जीवन व्यापन खर्च बढ़ जाने और अन्य कारणों को ध्यान मे रखते हुए अब सभी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दरें बढ़ा दी गई हैं।

छात्रवृत्ति पाने के हकदार विद्यार्थियों तथा उनके माता पिता अथवा अभिभावकों की आय सीमा भी बढ़ा दी गई है। ये संशोधन 1 जुलाई 1981 से लागू किए गए हैं। 1980-81 में 750 रुपए प्रति मास तक कुल वेतन पाने वाले नौकरी शुदा विद्यार्थियों को अब यह छात्रवृत्ति मिल सकती है लेकिन इन्हें अनिवार्य फीस/शुल्क आदि की ही रकम दी जाएगी।

लड़कियों के लिए होस्टल

इस योजना के तहत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उन स्थानों पर नए होस्टल बनाने और पुराने होस्टलों का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जहां इन वर्गों की लड़कियों के लिए इस तरह की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। छठी योजना में इस योजना के लिए 13 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1981-82 के लिए 2.75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

अनुसन्धान और प्रशिक्षण

केन्द्र सरकार की ओर से प्रसिद्ध और सक्षम संगठनों/संस्थानों को शत प्रतिशत सहायता दी जाती है ताकि वे अनुसूचित जातियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए कार्यक्रम बनाने और उन्हें चलाने में आने वाली समस्याओं के बारे में अल्पावधि के कार्योन्मुख अध्ययन कर सकें। लेकिन इन अध्ययनों में मुख्य ध्यान इन समुदायों की आर्थिक समस्याओं की ओर दिया जाता है। किसी विशेष अध्ययन के लिए अनुसन्धान एजेन्सी को अनुदान सहायता देने का फैसला समाज कल्याण मंत्रालय की अनुसंधान परामर्श समिति करती है।

1981-82 के लिए 25 लाख रुपए के बजट प्रावधान में से 5,69,000 रुपए विभिन्न एजेंसियों को दिए गए।

पाठ्य पुस्तक योजना

यह योजना अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उन विद्यार्थियों के लिए है जो देश में चिकित्सा/इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं। इन्हें मुफ्त पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं क्योंकि ये राजकीय सहायता के बिना महंगी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते।

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

यह योजना 1977-78 में शुरू की गई और यह उन लोगों के बच्चों के लिए है जो तथाकथित "अस्वच्छ काम" करते हैं जैसे शौचालयों की सफाई। इसके तहत छठी से दसवीं कक्षा तक के इन विद्यार्थियों को प्रतिमाह 115 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। 1981-82 में इस योजना के लिए राज्यों को 48.79 लाख रुपए दिए गए। छठी योजना में इसके लिए आठ करोड़ रुपए का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति विकास नीति

अनुसूचित जातियों के विकास में तेजी लाने के लिए तीन सूत्री नीति तैयार की गई है:

1. राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष अंगभूत योजनायें
2. अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की विशेष अंगभूत योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता और,

3. राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम।

विशेष अंगभूत योजनाओं के तहत विकास के सामान्य क्षेत्रों के अधीन उन कार्यक्रमों का पता लगाया जाता है जो अनुसूचित जातियों के लिए उपयोगी हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अधीन सभी कार्यक्रमों से कुल कोष तय किया जाता है और यह तय किया जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र के अधीन इन कार्यक्रमों से कितने परिवारों को लाभ होगा। इस सबके पीछे मूल उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जाति परिवारों की आमदनी बढ़ाने में उनकी मदद की जाए। विशेष अंगभूत योजनाओं के अन्तर्गत बुनियादी सेवाएं और सुविधाएं दिलाने तथा सामाजिक, और शैक्षिक विकास की सुविधाए दिलाने के कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे।

छठी योजना (1980—85) और 1981-82 की वार्षिक योजना के लिए विशेष अंगभूत योजना प्रावधानों का विवरण तालिका में दिया गया है।

(करोड रुपयों में)

सारणी 9.7 विशेष अंगभूत योजना

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1980-85		1981-82	
		कुल योजना प्रावधान	विशेष अंगभूत योजना प्रावधान	कुल योजना प्रावधान	विशेष अंगभूत योजना प्रावधान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3100.00	338.72	531.31	44.29
2.	असम	1115.00	16.87	210 00	3.07
3.	बिहार	3225.00	417.19	560.00	49.51
4.	गुजरात	3680.00	259.46	632 00	25.06
5.	हरियाणा	1800.00	177.85	290.00	32.66
6.	हिमाचल प्रदेश	560.00	61.60	100.00	10.98
7.	कर्नाटक	2265.00	342.20	419.00	52.23
8.	केरल	1550.00	110.00	275.00	20.16
9.	मध्य प्रदेश	3800.00	297.61	640.48	41.17
10	महाराष्ट्र	6175.00	323.60	1080.10	42.01
11.	मणिपुर	240.00	3.87	43.00	0.82

1	2	3	4	5	6
12	उड़ीसा	1500.00	162.55	275.00	28.11
13.	पजाब	1957.00	173.05	340.34	19.25
14	राजस्थान	2025.00	249.22	340.00	30.68
15.	तमिलनाडु	3150.00	560.67	514.00	78.89
16	त्रिपुरा	245.00	12.33	45.00	2.91
17.	उत्तर प्रदेश	5850.00	597.32	1075.00	95.85
18	पश्चिम बगाल	3500.00	304.79	638.00	42.44
19.	सिक्किम	122.00	0.87	23.13	0.27
20	दिल्ली	800.00	56.67	164.00	9.60
21.	चण्डीगढ़	100·75	3.31	20.00	0.53
22	पाडिचेरि	71.55	12.16	14.00	2.26
जोड़	.	. 46831.30	4481.91	8229.31	632.76

नोट छठी योजनावधि (1980—85) के आंकडे अन्तिम नहीं है।

विशेष केन्द्रीय सहायता

केन्द्र सरकार की ओर से अनुसूचित जातियो के लिए राज्यों की विशेष अंगभूत योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता इस वर्ष भी जारी रही। यह विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए राज्य योजनाओं और कार्यक्रमो के अलावा है और यह विशेष योजनाओ के लिए कार्यक्रमागत ढांचे के अनुरूप नही चलती। यह सहायता राज्यो द्वारा अनुसूचित जातियो के विकास के लिए प्रयत्नो में समर्थन के रूप में है। राज्यो को सहायता के अतिरिक्त भाग का उपयोग केवल अपनी विशेष अंगभूत योजनाओ के प्रावधान के अनुरूप ही करना होता है ताकि गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे अधिक से अधिक अनुसूचित जाति परिवारों को आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। यह सहायता विभिन्न राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्रो को अनुसूचित जाति जनसख्या, राज्य के पिछड़ेपन और राज्य सरकार के प्रयत्नों पर विचार करने के बाद बाट दी जाती है।

विशेष केन्द्रीय सहायता से राज्यो को अपनी विशेष अंगभूत योजनाओं में और अधिक प्रावधान करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। सारणी 9 6 से इस बारे में जानकारी मिलती है।

(करोड़ रुपए)

सारणी 9.8
अनुसूचित जाति विकास निगम

वर्ष	राज्य योजना प्रावधान	राज्य अंगभूत योजना प्रावधान	प्रतिशत	विशेष केन्द्रीय सहायता
1979-80 .	5967.03	240.54	4.03	5.00
1980-81 .	7140.31	547.84	7.67	100.00
1981-82 .	8229.31	632 76	7.69	110.00

छठी योजना में विशेष अंगभूत योजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। इसमें से 100 करोड़ रुपए 1980-81 में जारी किए गए। 1981-82 के लिए कुल प्रावधान 110 करोड़ रुपए का है।

राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम, बैंक सहायता की आवश्यकता वाले आर्थिक विकास कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति परिवारों और वित्तीय संस्थाओं के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। ये निगम इन परिवारों को कुछ ऋण सहायता भी देते हैं जिससे वित्तीय संस्थाओं से अनुसूचित जाति परिवारों के लिए धन अधिक आ सके।

ऐसे निगम 17 राज्यों में स्थापित किए गए हैं। इन निगमों की हिस्सा पूंजी में 49:51 के अनुपात से पूंजी निवेश के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र की ओर से अनुदान मिलता है।

अब तक सारणी 9.9 में बताई गई धनराशि जारी की गई है:

(लाख रु०)

सारणी 9.9
अनुसूचित जाति विकास निगमों के लिए अनुदान

वर्ष	राज्य सरकार अंशदान	केन्द्र द्वारा जारी राशि
1978-79 . . .	710.55	50.00
1979-80 . . .	703.16	1224.00
1980-81 . . .	1403.00	1300.97
1981-82 . . .	1367.56	1332.87

इन निगमों में प्राप्त अनुभव और राज्य सरकारों/केन्द्रीय मन्त्रालयों से मिले सुझावों के आधार पर इस योजना में 1981-82 में कुछ संशोधन किए गए। अब ये निगम कुल बारह हजार रुपए तक की गैर-आवर्ती लागत वाली योजनाओं के लिए ऋण सहायता दे सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा छः हजार रुपए तक थी। अब राज्य सरकारें इन निगमों के कर्मचारियों के लिए ऋण वसूली/जांच/मूल्यांकन/तकनीकी प्रभागों के लिए और प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए समान आधार पर अनुदान-सहायता पाने की हकदार हैं लेकिन यह सहायता, समग्र केन्द्रीय सहायता के कुछ निश्चित प्रतिशत तक सीमित है।

1	2	3	4	5	6
12.	उड़ीसा	1500.00	162.55	275.00	28.11
13.	पंजाब	1957.00	173.05	340.34	19.25
14	राजस्थान	2025.00	249.22	340.00	30.68
15	तमिलनाडु	3150.00	560.67	514.00	78.89
16.	त्रिपुरा	245.00	12.33	45.00	2.91
17	उत्तर प्रदेश	5850.00	597.32	1075.00	95.85
18	पश्चिम बंगाल	3500.00	304.79	638.00	42.44
19	सिक्किम	122.00	0.87	23.13	0.27
20.	दिल्ली	800.00	56.67	164.00	9.60
21	चण्डीगढ़	100'75	3.31	20.00	0.53
22.	पांडिचेरि	71.55	12.16	14.00	2.26
जोड़		46831.30	4481.91	8229.31	632.76

नोट : छठी योजनावधि (1980—85) के आंकड़े अन्तिम नहीं हैं।

विशेष केन्द्रीय सहायता

केन्द्र सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की विशेष अंगभूत योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता इस वर्ष भी जारी रही। यह विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए राज्य योजनाओं और कार्यक्रमों के अलावा है और यह विशेष योजनाओं के लिए कार्यक्रमागत ढांचे के अनुरूप नहीं चलती। यह सहायता राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास के लिए प्रयत्नों में समर्थन के रूप में है। राज्यों को सहायता के अतिरिक्त भाग का उपयोग केवल अपनी विशेष अंगभूत योजनाओं के प्रावधान के अनुरूप ही करना होता है ताकि गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे अधिक से अधिक अनुसूचित जाति परिवारों को आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। यह सहायता विभिन्न राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्रों को अनुसूचित जाति जनसंख्या, राज्य के पिछड़ेपन और राज्य सरकार के प्रयत्नों पर विचार करने के बाद बांट दी जाती है।

विशेष केन्द्रीय सहायता से राज्यों को अपनी विशेष अंगभूत योजनाओं में और अधिक प्रावधान करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। सारणी 9.8 से इस बारे में जानकारी मिलती है।

(करोड़ रुपए)

सारणी 9.8 अनुसूचित जाति विकास निगम

वर्ष	राज्य योजना प्रावधान	राज्य अंगभूत योजना प्रावधान	प्रतिशत	विशेष केन्द्रीय सहायता
1979-80 .	5967.03	240.54	4.03	5.00
1980-81 .	7140.31	547.84	7 67	100.00
1981-82 .	8229.31	632.76	7.69	110.00

छठी योजना मे विशेष अंगभूत योजनाओ के लिए 600 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। इसमें से 100 करोड़ रुपए 1980-81 में जारी किए गए। 1981-82 के लिए कुल प्रावधान 110 करोड़ रुपए का है।

राज्यों मे अनुसूचित जाति विकास निगम, बैंक सहायता की आवश्यकता वाले आर्थिक विकास कार्यक्रमो मे अनुसूचित जाति परिवारो और वित्तीय संस्थाओं के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। ये निगम इन परिवारों को कुछ ऋण सहायता भी देते है जिससे वित्तीय संस्थाओ मे अनुसूचित जाति परिवारों के लिए धन अधिक आ सके।

ऐसे निगम 17 राज्यों में स्थापित किए गए है। इन निगमो की हिस्सा पूजी मे 49:51 के अनुपात से पूजी निवेश के लिए राज्य सरकारो को केन्द्र की ओर से अनुदान मिलता है।

अब तक सारणी 9.9 में बताई गई धनराशि जारी की गई है :

(लाख रु०)

सारणी 9.9 अनुसूचित जाति विकास निगमों के लिए अनुदान

वर्ष	राज्य सरकार अंशदान	केन्द्र द्वारा जारी राशि
1978-79 . . .	710.55	50.00
1979-80 . . .	703.16	1224.00
1980-81 . . .	1403.00	1300.97
1981-82 . . .	1367.56	1332.87

इन निगमों से प्राप्त अनुभव और राज्य सरकारो/केन्द्रीय मन्त्रालयों से मिले सुझावों के आधार पर इस योजना में 1981-82 में कुछ संशोधन किए गए। अब ये निगम कुल बारह हजार रुपए तक की गैर-आवर्ती लागत वाली योजनाओं के लिए ऋण सहायता द सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा छः हजार रुपए तक थी। अब राज्य सरकारे इन निगमों के कर्मचारियों के लिए ऋण वसूली/जाच/मूल्यांकन/तकनीकी प्रभागो के लिए और प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए समान आधार पर अनदान-सहायता पाने की हकदार है लेकिन यह सहायता, समग्र केन्द्रीय सहायता के कुछ निश्चित प्रतिशत तक सीमित है।

1	2	3	4	5	6
12.	उड़ीसा	1500.00	162.55	275.00	28.11
13.	पंजाब	1957.00	173.05	340.34	19.25
14	राजस्थान	2025.00	249.22	340.00	30.68
15.	तमिलनाडु	3150.00	560.67	514.00	78.89
16.	त्रिपुरा	245.00	12.33	45.00	2.91
17.	उत्तर प्रदेश	5850.00	597.32	1075.00	95.85
18	पश्चिम बंगाल	3500.00	304.79	638.00	42.41
19	सिक्किम	122.00	0.87	23.13	0.27
20.	दिल्ली	800.00	56.67	164.00	9.60
21.	चण्डीगढ़	100.75	3.31	20.00	0.53
22	पांडिचेरि	71.55	12.16	14.00	2.26
जोड़		46831.30	4481.91	8229.31	632.76

नोट छठी योजनावधि (1980—85) के आकड़े अन्तिम नहीं है।

विशेष केन्द्रीय सहायता

केन्द्र सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की विशेष अंगभूत योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता इस वर्ष भी जारी रही। यह विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए राज्य योजनाओं और कार्यक्रमों के अलावा है और यह विशेष योजनाओं के लिए कार्यक्रमगत ढांचे के अनुरूप नहीं चलती। यह सहायता राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास के लिए प्रयत्नों में समर्थन के रूप में है। राज्यों को सहायता के अतिरिक्त भाग का उपयोग केवल अपनी विशेष अंगभूत योजनाओं के प्रावधान के अनुरूप ही करना होता है ताकि गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे अधिक से अधिक अनुसूचित जाति परिवारों को आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। यह सहायता विभिन्न राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्रों को अनुसूचित जाति जनसंख्या, राज्य के पिछड़ेपन और राज्य सरकार के प्रयत्नों पर विचार करने के बाद बांटी जाती है।

विशेष केन्द्रीय सहायता से राज्यों को अपनी विशेष अंगभूत योजनाओं में और अधिक प्रावधान करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। सारणी 9.8 से इस बारे में जानकारी मिलती है।

आदिवासी अनुसंधान संस्थान

आदिवासी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण संस्थान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं। इन्होंने आदिवासी उपयोजनाओं के निर्माण, परियोजना रिपोर्टों, जांच और मूल्यांकन, अनुसन्धान, अध्ययन और कर्मचारियों को प्रशिक्षण के मामले में बड़ा उपयोगी काम किया है।

पिछड़े वर्ग

श्री बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में बने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 को सरकार को दे दी थी और इस पर सरकार विचार कर रही है।

सहायता और पुनर्वास

श्रीलंका से प्रत्यावर्तित भारतीय

1964 और 1974 के भारत-श्रीलंका समझौतों के अन्तर्गत भारत सरकार ने भारतीय मूल के 6 लाख लोगों को उनकी भावी सन्तान समेत 17 वर्ष की अवधि में भारतीय नागरिकता प्रदान करना और इन्हें प्रत्यावर्तित करना स्वीकार किया था। दिसम्बर 1981 तक 3.75 लाख व्यक्ति श्रीलंका से भारत वापस आ चुके थे।

इन परिवारों को नगद सहायता, मुफ्त भोजन, कम कीमत पर राशन, यात्रा रियायत आदि विभिन्न प्रकार की सहायताएं दी जा रही हैं। इन्हें आवास, शिक्षा तथा प्रशिक्षण जैसी पुनर्वास सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन्हें विभिन्न बागान योजनाओं, प्रत्यावर्तित बैंक योजना, औद्योगिक योजनाओं, भूमि कालोनियों, कृषि योजनाओं, और तमिलनाडु राज्य फार्म निगम की परियोजनाओं तथा छोटे-मोटे काम धन्धे में लगाने की योजनाओं के तहत फिर से बसाया जा रहा है। कुछ लोगों को सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों में रोजगार पाने में भी मदद की जाती है। इन लोगों को मुख्यत: चार दक्षिणी राज्यों में बसाया गया है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष

प्रधानमन्त्री का राष्ट्रीय सहायता कोष 1947 में स्थापित किया गया था। मार्च 1982 के अंत तक जनता की ओर से इस कोष में 47.56 करोड़ रुपये का दान आ चुका था। भूकम्प, बाढ़, तूफान, सूखा, अकाल और आग दुर्घटनाओं से ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए 25.08 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई। पाकिस्तान से आए विस्थापितों की शुरू-शुरू में सहायता के लिए भी इस कोष से सहायता दी गई थी।

आदिवासी विकास

पांचवीं योजना में आदिवासी विकास के लिए नई नीति तैयार की गई। इस नीति के अनुसार ही 19 राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों—आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोआ, दमन और दीव के जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत या उससे अधिक आबादी आदिवासियों की है, उनके लिए उप-योजनाएं तैयार की गईं। सिक्किम में आदिवासी उप-योजना क्षेत्र अगस्त 1980 में तय किए गए। कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जनजातियों की जनसंख्या बहुत अधिक है—जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली इन्हें जनजाति उप-योजनाओं के अन्तर्गत नहीं लिया गया क्योंकि इन राज्यों की योजनाएं वस्तुतः जनजाति विकास के लिए ही हैं। जनजातियों के लिए बनी उप-योजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं—

(1) जनजाति क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के बीच विकास के अन्तर को कम करना।

(2) जनजातियों के रहन-सहन को ऊंचा उठाना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनजातियों का शोषण समाप्त करने विशेषकर भूमि, महाजनी, कृषि और वन की उपज में अनाचार समाप्त करने आदि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। जनजाति क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए आदिवासी उप-योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण भौतिक और वित्तीय उपायों की व्यवस्था है। इन क्षेत्रीय उप-योजनाओं को धन राशि-राज्य योजनाओं, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की मार्फत केन्द्रीय परिव्यय, संस्थागत वित्त तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के द्वारा प्राप्त होती है। पांचवीं योजना के दौरान (1974—78) विशेष केन्द्रीय सहायता 120 करोड़ रुपये थी। छठी योजना (1980—85) में विशेष केन्द्रीय सहायता 470 करोड़ रुपये रखी गई है।

19 राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के जनजाति उप-योजना क्षेत्रों को 180 समेकित जनजाति विकास परियोजनाओं में विभाजित किया गया है। छठी योजना के दौरान जनजातियों के ऐसे क्षेत्रों को, जिनकी कुल आबादी 10,000 तथा जनजातियों की आबादी 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, उपयोजना की नीति के अनुसार संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जा रहा है। उपयोजना की नीति लचीली है ताकि उसे स्थानीय स्थिति के अनुरूप चलाया जा सके। कार्यक्रमों के अन्तर्गत हैं कृषि, सिंचाई, हाट व्यवस्था और सहकारिता, शिक्षा आदि। बहुत ही पिछड़े हुए आदिवासी समूहों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए अलग से योजनाएं बनाई जाती हैं।

आदिवासी विकास कार्यक्रम शुरू से ही दो नीतियों को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है: (1) इनके जीवन स्तर को उठाने के लिए विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना और (2) कानूनी तथा प्रशासनिक उपायों द्वारा इनके हितों का संरक्षण। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार चलाया जाएगा कि लक्षित परिवारों को इनका लाभ मिले जिससे ये गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकें।

आदिवासी अनुसंधान संस्थान

आदिवासी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण संस्थान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं। इन्होंने आदिवासी उपयोजनाओं के निर्माण, परियोजना रिपोर्टों, जांच और मूल्यांकन, अनुसन्धान, अध्ययन और कर्मचारियों को प्रशिक्षण के मामले में बड़ा उपयोगी काम किया है।

पिछड़े वर्ग

श्री बी० पी० मंडल की अध्यक्षता में बने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 को सरकार को दे दी थी और इस पर सरकार विचार कर रही है।

सहायता और पुनर्वास

श्रीलंका से प्रत्यावर्तित भारतीय

1964 और 1974 के भारत-श्रीलंका समझौतों के अन्तर्गत भारत सरकार ने भारतीय मूल के 6 लाख लोगों को उनकी भावी सन्तान समेत 17 वर्ष की अवधि में भारतीय नागरिकता प्रदान करना और इन्हें प्रत्यावर्तित करना स्वीकार किया था। दिसम्बर 1981 तक 3.75 लाख व्यक्ति श्रीलंका से भारत वापस आ चुके थे।

इन परिवारों को नगद सहायता, मुफ्त भोजन, कम कीमत पर राशन, यात्रा रियायत आदि विभिन्न प्रकार की सहायताएं दी जा रही हैं। इन्हें आवास, शिक्षा तथा प्रशिक्षण जैसी पुनर्वास सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन्हें विभिन्न बागान योजनाओं, प्रत्यावर्तित बैंक योजना, औद्योगिक योजनाओं, भूमि कालोनियों, कृषि योजनाओं, और तमिलनाडु राज्य फार्म निगम की परियोजनाओं तथा छोटे-मोटे काम धन्धे में लगाने की योजनाओं के तहत फिर से बसाया जा रहा है। कुछ लोगों को सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों में रोजगार पाने में भी मदद की जाती है। इन लोगों को मुख्यतः चार दक्षिणी राज्यों में बसाया गया है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष

प्रधानमन्त्री का राष्ट्रीय सहायता कोष 1947 में स्थापित किया गया था। मार्च 1982 के अंत तक जनता की ओर से इस कोष में 47.56 करोड़ रुपये का दान आ चुका था। भूकम्प, बाढ़, तूफान, सूखा, अकाल और आग दुर्घटनाओं से ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए 25.08 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई। पाकिस्तान से आए विस्थापितों की शुरू-शुरू में सहायता के लिए भी इस कोष से सहायता दी गई थी।

10 जनसंचार के माध्यम

जनसंचार का अर्थ है सूचना, विचारों और मनोरंजन का संचार के माध्यम द्वारा व्यापक प्रसार। इनमें ऐसे माध्यम भी शामिल हैं जो जनसंचार के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, समाचारपत्र, प्रकाशन और विज्ञापन। इनके साथ-साथ, महत्वपूर्ण परम्परागत माध्यम जैसे लोकनृत्य, नाटक और कठपुतलियों का उपयोग भी इन श्रेणी में आता है। भारत मे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जनसंचार की विशाल व्यवस्था है जिसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय और चलते-फिरते केन्द्र सारे देश मे फैले हुए हैं।

रेडियो

भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में बम्बई और कलकत्ता मे दो गैर-सरकारी ट्रांसमीटरों की स्थापना से हुई। भारत सरकार ने उन्हें 1930 में अपने अधिकार में ले लिया और उनका संचालन भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से करने लगी। 1936 में इस सेवा का नाम बदल कर 'आल इंडिया रेडियो' कर दिया गया। 1957 से इसे आकाशवाणी कहते हैं और इसे एक अलग विभाग के रूप में गठित किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी विभागों में आकाशवाणी सबसे बड़ा है और इसके कार्यक्रम भारत में 2 करोड़ से भी अधिक रेडियो सेटों के जरिए सुने जाते हैं। यह केवल लोगों की जानकारी बढ़ाने तथा उन्हें शिक्षित करने में ही नहीं, वरन् स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने में भी बहुत प्रभावशाली माध्यम के रूप में काम कर रहा है। यह जनमत का ऐसा वातावरण उत्पन्न करने में भी सहायता कर रहा है जिसमें सामाजिक परिवर्तन आ सके तथा उसमें लोगों को भागीदार बनाया जा सके।

प्रसारण व्यवस्था

1947 में भारत की स्वतन्त्रता के समय आल इण्डिया रेडियो के केवल 6 केन्द्र थे। अब 86 केन्द्र हैं (सूची के लिए परिशिष्ट देखें)। इनमे से दो विविध भारती प्रसारण विज्ञापन केन्द्र हैं—एक चण्डीगढ़ में तथा दूसरा कानपुर में। भुवनेश्वर और शांतिनिकेतन में दो सहायक स्टूडियो केन्द्र हैं। आकाशवाणी केन्द्र देश के सभी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और भाषायी क्षेत्रों में स्थित हैं। आकाशवाणी के घरेलू सेवा कार्यक्रम प्रतिवर्ष 3.91 लाख घण्टे के लिए प्रसारित होते हैं जो 1.76 लाख घंटे के विविध भारती कार्यक्रम के अलावा है। आकाशवाणी द्वारा 160 ट्रांसमीटरों से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हे, जिनमें 125 मीडियम वेव के हैं, जिनसे देश के 78.08 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारण पहुंचता है और देश की 89.55 प्रतिशत जनसंख्या इनसे लाभ उठाती है।

इसके अतिरिक्त 'विदेश सेवा' कार्यक्रम में 17 विदेशी भाषाओं में और भारतीय भाषाओ में नित्य लगभग 56 घण्टे प्रसारण किया जाता है, जिसका उद्देश्य दूसरे देशों के श्रोताओं के सामने महत्वपूर्ण मामलों पर भारत के विचार रखना

और साथ ही देश की सांस्कृतिक विरासत, कला, साहित्य, संगीत और पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत हुई सामाजिक-आर्थिक प्रगति की झांकी प्रस्तुत करना है।

संगीत

आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से संगीत कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, जिनमें शास्त्रीय, सुगम, सुगम शास्त्रीय, लोक, जनजातीय तथा फिल्म संगीत सभी होते हैं। कई केन्द्रों से पश्चिमी संगीत भी प्रसारित किया जाता है। औसतन कुल प्रसारण समय का 40 प्रतिशत संगीत को दिया जाता है। प्रसारण की शुरुआत के पहले शास्त्रीय संगीत केवल कुछ 'घरानों' और राज दरबारों तक ही सीमित था, परन्तु अब आकाशवाणी के कार्यक्रमों से यह लोकप्रिय हो गया है। भारत की प्राचीन संगीत परम्पराओं के रूप और शैली के प्रति जनता में काफी रुचि पैदा हो गई है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में साप्ताहिक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी है। देश भर में फैले श्रोताओं के लिए हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत शैली के श्रेष्ठ कलाकारों को प्रस्तुत करने के लिए इन संगीत सभाओं को 1952 में आरम्भ किया गया था। 'रेडियो संगीत सम्मेलन' नामक एक संगीत समारोह का भी हर साल आयोजन किया जाता है। इनकी रिकार्डिंग आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्रसारित की जाती है। सम्मेलन के पहले एक संगीत प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य 16–24 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं में संगीत-प्रतिभा का पता लगाना है। 1981 के रेडियो संगीत सम्मेलन के अन्तर्गत संगीत की कुल 20 गोष्ठियां हुईं। अप्रैल, 1974 में युवा संगीतकारों के शास्त्रीय सुगम संगीत का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं का पता लगाना और उन्हें प्रोत्साहन देना है। प्रादेशिक संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसके द्वारा श्रोताओं को देश के विभिन्न क्षेत्रों का लोक और सुगम संगीत सुनाया जाता है, जनवरी 1973 में प्रारम्भ हुआ। मासिक कार्यक्रम के अतिरिक्त अप्रैल 1982 से एक त्रैमासिक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

वाद्यवृन्द नाम का राष्ट्रीय आर्केस्ट्रा, जिसमें हिन्दुस्तानी और कर्नाटक दोनों शैलियों के वादक सम्मिलित हैं, दिल्ली केन्द्र में, 1952 में शुरू किया गया। इसने परम्परागत रागों और लोक धुनों के आधार पर बहुत सी रचनाएं तैयार की हैं। प्रयोग से यह असंदिग्ध रूप से सिद्ध हो गया है कि भारतीय संगीत के वाद्य-वृन्दकरण की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। मद्रास केन्द्र में एक और वाद्यवृन्द एकक, जो कर्नाटक शैली के रागों को समर्पित है, स्थापित किया गया है। कभी-कभी दोनों एकक एक साथ भी अपना कार्य निष्पादित करते हैं।

सामूहिक गायन को फिर से जीवित करने के लिए तथा जनता में एकता की भावना पैदा करने के लिए 13 केन्द्रों में समूहगान मंडलियां बनाई गई हैं, जो देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के विषयों पर समूह गान तैयार करती हैं। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले ये गीत आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा 14 आकाशवाणी केंद्रों पर स्थापित सुगम संगीत एकक प्रसारण के लिए उच्चकोटि के गीत तैयार करते हैं।

पश्चिमी संगीत आकाशवाणी के अनेक केन्द्रों से प्रसारित होता है तथा भाषा लिप्यन्तरण एवं कार्यक्रम विनिमय एकक दुनिया के अनेक भागों के संगीत के कुछ चुने हुए अंश भारतीय श्रोताओं को सुनवाता है।

नाटक और रूपक

आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र से प्रति सप्ताह कम से कम दो नाटक प्रसारित होते हैं। मौलिक नाटकों के अतिरिक्त उत्तम रंगमंचीय नाटकों, उपन्यासों और लघु कहानियों के रेडियो रूपान्तर भी प्रसारित होते हैं। राष्ट्रीय नाटक कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के उत्तम नाटकों का प्रसारण 1956 से शुरू किया गया। 31 दिसम्बर 1981 तक इस कार्यक्रम में 334 नाटक प्रसारित किए जा चुके थे। प्रति माह शृंखलाबद्ध नाटक भी प्रसारित किए जाते हैं। इस ढंग से एक वर्ष के दौरान 12 आदर्श नाटक तैयार किए जाते हैं और मुख्य केन्द्रों से इनको प्रसारित किया जाता है। विविध भारती के सभी केन्द्रों से हास्य नाटकों/व्यंग्य झलकियों का प्रसारण भी किया जाता है।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति से संबंधित राष्ट्रीय महत्व की बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रूपक कार्यक्रम 1956 में शुरू किया गया। अभी तक ऐसे 377 रूपक प्रसारित किए जा चुके हैं। इनके मूल आलेख भले ही हिन्दी या अंग्रेजी में हों लेकिन विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में रूपान्तरित कर सभी क्षेत्रीय केन्द्रों से इनका प्रसारण किया जाता है। 'अपनी धरती अपना देश' नामक एक अन्य शृंखला भी नवम्बर 1980 से शामिल की गई है।

समाचार एवं सामयिक विषय

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने समाचार बुलेटिनों, वार्ताओं और सामयिक मामलों पर विचार-गोष्ठियों के जरिए श्रोताओं को शीघ्र और विस्तृत खबरें देता है। यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ-साथ संसद की कार्यवाही, गांवों की उन्नति और खेलों को भी उचित महत्व देता है। 250 समाचार बुलेटिनों के जरिये प्रतिदिन समाचार प्रसारित होते हैं। इनमें से 68 समाचार बुलेटिन 'घरेलू सेवा' कार्यक्रम में दिल्ली से 19 भारतीय भाषाओं में प्रसारित होते हैं, जो दूसरे केन्द्रों से रिले होते हैं। 119 प्रादेशिक बुलेटिन 23 भाषाओं और 35 आदिवासी बोलियों में क्षेत्रीय केन्द्रों से और 24 भाषाओं में 63 बुलेटिन विदेश स्थित श्रोताओं के लिए प्रसारित किए जाते हैं। प्रादेशिक बुलेटिनों का कार्यक्रम अप्रैल 1953 में प्रारम्भ किया गया।

इसके अतिरिक्त विश्व-समाचार, खेल समाचार तथा राज्य और विकास समाचारों के विशेष बुलेटिन तथा अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में धीमी गति के बुलेटिन भी प्रसारित किए जाते हैं। 1977 में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में "लोक-रुचि के समाचार" का साप्ताहिक बुलेटिन और अंग्रेजी तथा हिन्दी में "समाचार पत्रों से" कार्यक्रम शुरू किया गया। हज यात्रा पर जाने वालों के लिए भी विशेष बुलेटिन प्रसारित किया जाता है।

जिन दिनों संसद का सत्र चलता है, संसद की रोज की कार्यवाही की समीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित की जाती है। 1977 में साप्ताहिक समीक्षा का हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारण करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। राज्य विधान मण्डलों की कार्यवाही की दैनिक व साप्ताहिक समीक्षा का कार्यक्रम सम्बन्धित भाषाओं में राज्यों की राजधानियों से प्रसारित किया जाता है। अंग्रेजी के 'स्पाट लाइट', हिन्दी के 'सामयिकी' और उर्दू के 'तब्सरा' कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों

एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञों की वार्ताएं और आकाशवाणी के संवाददाताओं की रिपोर्टें प्रसारित की जाती हैं । प्रत्येक रविवार को अंग्रेजी के 'करेंट अफ़ेयर्स' कार्यक्रम में विशेषज्ञ ताजा मामलों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 'आंखों देखा हाल', महत्वपूर्ण व्यक्तियों के इन्टरव्यू और दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं पर आम आदमी की प्रतिक्रियाएं, 'रेडियो न्यूज रील' कार्यक्रम में अंग्रेजी और हिन्दी में प्रसारित की जाती हैं ।

आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचारों का प्रमुख भाग आकाशवाणी के अपने संवाददाताओं द्वारा भेजा हुआ होता है । आकाशवाणी के देश विदेश में 88 पूर्णकालिक और 305 अंशकालिक संवाददाता हैं । आकाशवाणी से प्रतिदिन लगभग 35 घण्टे से अधिक समय के समाचार प्रसारित किए जाते हैं ।

विदेश प्रसारण सेवा

विदेशों के लिए प्रसारण सेवा का उद्देश्य यह है कि विदेशी श्रोताओं के सम्मुख देश की सही तस्वीर पेश की जाए और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मामलों पर अपने देश के विचार प्रस्तुत किए जाएं। इन सेवाओं के माध्यम से विदेशी श्रोताओं को भारत में लोकतन्त्री प्रणाली की कार्य पद्धति से अवगत कराया जाता है तथा अपनी उच्चकोटि की कला, संस्कृति और परम्पराओं में उनकी रुचि को प्रोत्साहित किया जाता है। औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में की गई उन्नति पर इन कार्यक्रमों द्वारा विशेष प्रकाश डाला जाता है। इन प्रसारणो का उद्देश्य यह भी है कि विदेशों में रह रहे या बसे हुए भारतीय मूल के लोगो से सम्पर्क रखा जा सके। संसार में दूर-दूर तक बसे विदेशी श्रोताओं के लिए 25 (8 भारतीय और 17 विदेशी) भाषाओं में प्रतिदिन 56 घण्टे से भी अधिक ये कार्यक्रम पेश किए जाते हैं।

विविध भारती तथा विज्ञापन सेवा

लोकप्रिय मनोरंजन कार्यक्रम, जो कि 'विविध भारती' के नाम से जाना जाता है, 2 लघु तरंग ट्रांसमीटरों (बम्बई व मद्रास) सहित 31 केन्द्रों से प्रसारित होता है और रविवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य दिनों में इसका कुल प्रसारण समय प्रतिदिन 12 घंटे 45 मिनट है । रविवार और छुट्टियों वाले दिन यह समय 13 घंटे 15 मिनट का होता है। इन कार्यक्रमों में फिल्म-संगीत, हास्य नाटिकाएं, लघु नाटक और रूपक प्रस्तुत किए जाते हैं।

रेडियो पर विज्ञापन प्रसारण सेवा आजमाइशी तौर पर 1 नवम्बर, 1967 को बम्बई-नागपुर-पुणे से आरम्भ की गई थी और अब यह सेवा 28 केन्द्रों से प्रसारित होती है । 7, 15, 30 और 60 सेकेण्ड की अवधि के किसी भी भाषा में टेप-रिकार्ड किए हुए विज्ञापन इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृत किए जाते हैं । प्रायोजित कार्यक्रम मई 1970 में आरम्भ किए गए । 1981-82 में विज्ञापन प्रसारण सेवा से लगभग 18 करोड़ रु० की आय होने का अनुमान है।

विशेष श्रोता वर्गों के लिए कार्यक्रम

विशेष श्रोता वर्गों और अवसरों के लिए कार्यक्रमो में सैनिकों, महिलाओं और बच्चों, युवाओं, विद्यार्थियों, ग्रामीण और जनजातीय लोगों तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। 14 केन्द्र सैनिको के लिए

नित्य कार्यक्रम प्रसारित करते हैं और 57 आकाशवाणी केन्द्र सप्ताह में दो बार प्रादेशिक भाषाओं में महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिनका उद्देश्य मनोरंजन और घरेलू बातों के सम्बन्ध में जानकारी देना है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर 36 परिवार कल्याण एककों द्वारा नियोजित व प्रस्तुत किए जाते हैं। लगभग सभी केन्द्र परिवार कल्याण और स्वास्थ्य के कार्यक्रमों का साधारणतया प्रसारण करते हैं। ये कार्यक्रम आम कार्यक्रमों में भी शामिल किए जाते हैं और उन विशेष कार्यक्रमों में भी, जो कि विशेष श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं तथा औद्योगिक कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम।

आकाशवाणी के लगभग सभी केन्द्र ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रतिदिन 30 से 75 मिनट का विशेष कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इनके अलावा प्रत्येक दिन 45 से 55 मिनट का कृषि कार्यक्रम 61 कृषि और गृह इकाइयां प्रसारित करती हैं। ये इकाइयां विभिन्न केन्द्रों में काम कर रही हैं। किसानों के लिए मौसम समाचार भी प्रसारित किए जाते हैं। खेती-बाड़ी सम्बन्धी जानकारी देने के लिए 31 केन्द्र "आकाशवाणी कृषि विद्यालय" के नाम से एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

आदिवासियों के लिए संगीत के साथ-साथ 146 से अधिक जनजातीय बोलियों में कार्यक्रम विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं।

गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, महत्वपूर्ण विदेशी मेहमानों की भारत यात्रा, महत्वपूर्ण भारतीयों की विदेश यात्रा और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

'युववाणी', खेलकूद और विद्यालयों के लिए प्रसारण

'युववाणी' अर्थात युवाओं के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण 74 केन्द्रों से होता है। यह कार्यक्रम 15–30 वर्ष के आयुवर्ग के युवाओं के लिए एक मंच है जिसमें वे अपने विचारों को वार्ताओं, विचार-विमर्श, इण्टरव्यू, नाटक, फीचर और संगीत के जरिए अभिव्यक्त करते हैं। युवा स्वयं एक 'युवा' समाचार बुलेटिन भी प्रसारित करते हैं। इसके अलावा विभिन्न केन्द्र भिन्न-भिन्न अवधि के लिए विभिन्न भाषाओं में युवाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

अधिकांश आकाशवाणी केन्द्र स्कूलों के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं; दूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों के लिए यह विशेष रूप से लाभप्रद है। देश के लगभग 70,000 विद्यालयों में रेडियो सेट हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पत्राचार स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए भी कई केन्द्रों द्वारा कार्यक्रम पेश किया जाता है।

देश और विदेश के खेलकूद आयोजनों की समीक्षाएं, आंखों देखा हाल और टिप्पणियों के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास केन्द्रों से महत्वपूर्ण खेलकूद कार्यक्रमों के लिए 95 मिनट का दैनिक प्रसारण होता है। हिन्दी और अंग्रेजी में पांच-पांच मिनट के दो समाचार बुलेटिन और एक साप्ताहिक खेल-कूद न्यूजरील कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा 1982 के एशियाई खेलों के प्रचार कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जा रहा है ताकि लोगों में खेलों के बारे में और खासतौर से एशियाई खेलों के बारे में रुचि जागृत हो।

श्रोता अनुसंधान

आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं के नियमित सर्वेक्षण और विश्लेषण का काम श्रोता अनुसंधान एकक करता है। यह विज्ञापन सेवा के लिए छोटे-छोटे विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों की दरें निश्चित करने के लिए आंकड़े तैयार करता है और विभिन्न केन्द्रों की ग्राहिता की गुणवत्ता का भी सर्वेक्षण करता है। किसी जगह आकाशवाणी केन्द्र या दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने से पहले श्रोताओं और कार्यक्रम प्रसारण की सम्भाव्यता के बारे में आधारभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए भी यह सर्वेक्षण करता है।

ध्वन्यांकन और कार्यक्रम आदान-प्रदान

आकाशवाणी की कार्यक्रम आदान-प्रदान और ध्वन्यांकन सेवा विभिन्न केन्द्रों को महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करने में सहायता करती है, प्रमुख व्यक्तियों के भाषण स्वरांकित करती है और इसके पास स्वर-टेपों की एक लाइब्रेरी है।

स्वर-टेप लाइब्रेरी की स्थापना 1954 में की गई। यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिकार्ड किए गए भाषणों का संग्रह स्थायी तौर पर रखा जाता है। भारत और विदेशों के गण्यमान्य व्यक्तियों की आवाज को रिकार्ड करके सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। लाइब्रेरी को महात्मा गांधी की 50 घंटों से भी अधिक समय की आवाज को रिकार्ड करने का गौरव है। लाइब्रेरी में जवाहर लाल नेहरू के भाषणों के लगभग 3,000 और प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के भाषणों के लगभग 2,700 टेप-रिकार्ड हैं।

अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जो सुरक्षित है वह इस प्रकार है: (1) वेदों का परम्परागत ढंग से संस्कृत में पाठ (2) हिंदी और अन्य भाषाओं के प्रमुख कवियों के कविता-पाठ (3) हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत के पुराने गायकों के गायन (4) विभिन्न घरानों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख गायकों का चुना हुआ गायन (5) लोक संगीत, भक्ति संगीत, रंगमंच गायन के प्रतिनिधि अंश और (6) स्वतन्त्रता सेनानियों की रिकार्डिंग।

हिन्दुस्तानी, कर्नाटक और लोक तथा प्रादेशिक संगीत के महान आचार्यों का लगभग 2000 घंटे से अधिक का संगीत अब तक सुरक्षित किया जा चुका है और संगीताचार्यों के दुर्लभ और प्राचीन रिकार्डों का संग्रह करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं।

आकाशवाणी विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को तैयार करने में ध्वनि संग्रहालय लेखागार की सामग्री का भरपूर उपयोग करती है। अप्रैल 1974 से इसमें उपलब्ध रिकार्डों पर आधारित एक घण्टे की अवधि का 'चयन' नामक साप्ताहिक कार्यक्रम हर रविवार को आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित हो रहा है। एक वैसा ही आधे घण्टे की अवधि का 'संचियता' नामक साप्ताहिक प्रोग्राम युववाणी में प्रसारित किया जाता है।

इस सेवा का कार्यक्रम आदान-प्रदान एकक, आकाशवाणी के केन्द्रों और विदेशी प्रसारण संगठनों से प्राप्त रिकार्डिंग और आलेख विभिन्न केन्द्रों को भेजता रहता है सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों—संगीत, नाटक, रूपक, वार्ताओं/साक्षात्कारों और चर्चाओं को सभी केन्द्रों में भेजा जाता है। लगभग 50 विदेशी प्रसारण संगठनों से सामग्री प्राप्त की जाती है, जिसे उचित कार्रवाई के पश्चात् आकाशवाणी के केन्द्रों को उपलब्ध कराया जाता है।

नित्य कार्यक्रम प्रसारित करते हैं और 57 आकाशवाणी केन्द्र सप्ताह में दो बार प्रादेशिक भाषाओं में महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिनका उद्देश्य मनोरंजन और घरेलू बातों के सम्बन्ध में जानकारी देना है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर 36 परिवार कल्याण एकको द्वारा नियोजित व प्रस्तुत किए जाते हैं। लगभग सभी केन्द्र परिवार कल्याण और स्वास्थ्य के कार्यक्रमों का साधारणतया प्रसारण करते हैं। ये कार्यक्रम आम कार्यक्रमों में भी शामिल किए जाते हैं और उन विशेष कार्यक्रमों में भी, जो कि विशेष श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं तथा औद्योगिक कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम।

आकाशवाणी के लगभग सभी केन्द्र ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रतिदिन 30 से 75 मिनट का विशेष कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इनके अलावा प्रत्येक दिन 45 से 55 मिनट का कृषि कार्यक्रम 61 कृषि और गृह इकाइयां प्रसारित करती हैं। ये इकाइयां विभिन्न केन्द्रों में काम कर रही हैं। किसानों के लिए मौसम समाचार भी प्रसारित किए जाते हैं। खेती-बाड़ी सम्बन्धी जानकारी देने के लिए 31 केन्द्र "आकाशवाणी कृषि विद्यालय" के नाम से एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

आदिवासियों के लिए संगीत के साथ-साथ 146 से अधिक जनजातीय बोलियों में कार्यक्रम विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं।

गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, महत्वपूर्ण विदेशी मेहमानों की भारत यात्रा, महत्वपूर्ण भारतीयों की विदेश यात्रा और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

'युववाणी', खेलकूद और विद्यालयों के लिए प्रसारण

'युववाणी' अर्थात युवाओं के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण 74 केन्द्रों से होता है। यह कार्यक्रम 15–30 वर्ष के आयुवर्ग के युवाओं के लिए एक मंच है जिसमें वे अपने विचारों को वार्ताओं, विचार-विमर्श, इण्टरव्यू, नाटक, फीचर और संगीत के जरिए अभिव्यक्त करते हैं। युवा स्वयं एक 'युवा' समाचार बुलेटिन भी प्रसारित करते हैं। इसके अलावा विभिन्न केन्द्र भिन्न-भिन्न अवधि के लिए विभिन्न भाषाओं में युवाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

अधिकांश आकाशवाणी केन्द्र स्कूलों के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं; दूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों के लिए यह विशेष रूप से लाभप्रद है। देश के लगभग 70,000 विद्यालयों में रेडियो सेट हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पत्राचार स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए भी कई केन्द्रों द्वारा कार्यक्रम पेश किया जाता है।

देश और विदेश के खेलकूद आयोजनों की समीक्षाएं, आंखों देखा हाल और टिप्पणियों के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास केन्द्रों से महत्वपूर्ण खेलकूद कार्यक्रमों के लिए 95 मिनट का दैनिक प्रसारण होता है। हिन्दी और अंग्रेजी में पांच-पांच मिनट के दो समाचार बुलेटिन और एक साप्ताहिक खेल-कूद न्यूजरील कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा 1982 के एशियाई खेलों के प्रचार कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जा रहा है ताकि लोगों में खेलों के बारे में और खासतौर से एशियाई खेलों के बारे में रुचि जागृत हो।

श्रोता अनुसंधान

आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं के नियमित सर्वेक्षण और विश्लेषण का काम श्रोता अनुसंधान एकक करता है। यह विज्ञापन सेवा के लिए छोटे-छोटे विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों की दरें निश्चित करने के लिए आंकड़े तैयार करता है और विभिन्न केन्द्रों की ग्राहिता की गुणवत्ता का भी सर्वेक्षण करता है। किसी जगह आकाशवाणी केन्द्र या दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने से पहले श्रोताओं और कार्यक्रम प्रसारण की सम्भाव्यता के बारे में आधारभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए भी यह सर्वेक्षण करता है।

ध्वन्यांकन और कार्यक्रम आदान-प्रदान

आकाशवाणी की कार्यक्रम आदान-प्रदान और ध्वन्यांकन सेवा विभिन्न केन्द्रों को महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करने में सहायता करती है, प्रमुख व्यक्तियों के भाषण स्वरांकित करती है और इसके पास स्वर-टेपों की एक लाइब्रेरी है।

स्वर-टेप लाइब्रेरी की स्थापना 1954 में की गई। यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिकार्ड किए गए भाषणों का संग्रह स्थायी तौर पर रखा जाता है। भारत और विदेशों के गण्यमान्य व्यक्तियों की आवाज़ को रिकार्ड करके सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। लाइब्रेरी को महात्मा गांधी की 50 घंटों से भी अधिक समय की आवाज को रिकार्ड करने का गौरव है। लाइब्रेरी में जवाहर लाल नेहरू के भाषणों के लगभग 3,000 और प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के भाषणों के लगभग 2,700 टेप-रिकार्ड हैं।

अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जो सुरक्षित है वह इस प्रकार है : (1) वेदों का परम्परागत ढंग से संस्कृत में पाठ (2) हिंदी और अन्य भाषाओं के प्रमुख कवियों के कविता-पाठ (3) हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत के पुराने गायकों के गायन (4) विभिन्न घरानों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख गायकों का चुना हुआ गायन (5) लोक संगीत, भक्ति संगीत, रंगमंच गायन के प्रतिनिधि अंश और (6) स्वतन्त्रता सेनानियों की रिकार्डिंग।

हिन्दुस्तानी, कर्नाटक और लोक तथा प्रादेशिक संगीत के महान आचार्यों का लगभग 2000 घंटे से अधिक का संगीत अब तक सुरक्षित किया जा चुका है और संगीताचार्यों के दुर्लभ और प्राचीन रिकार्डों का संग्रह करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं।

आकाशवाणी विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को तैयार करने में ध्वनि संग्रहालय लेखागार की सामग्री का भरपूर उपयोग करती है। अप्रैल 1974 से इसमें उपलब्ध रिकार्डों पर आधारित एक घण्टे की अवधि का 'चयन' नामक साप्ताहिक कार्यक्रम हर रविवार को आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित हो रहा है.। एक वैसा ही आधे घण्टे की अवधि का 'संचियता' नामक साप्ताहिक प्रोग्राम युववाणी से प्रसारित किया जाता है।

इस सेवा का कार्यक्रम आदान-प्रदान एकक, आकाशवाणी के केन्द्रों और विदेशी प्रसारण संगठनों से प्राप्त रिकार्डिंग और आलेख विभिन्न केन्द्रों को भेजता रहता है सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों—संगीत, नाटक, रूपक, -वार्ताओं/साक्षातकारों और चर्चाओं को सभी केन्द्रों में भेजा जाता है। लगभग 50 विदेशी प्रसारण संगठनों से सामग्री प्राप्त की जाती है, जिसे उचित कार्रवाई के पश्चात् आकाशवाणी के केन्द्रों को उपलब्ध कराया जाता है।

कार्यक्रम पत्रिकाएं

आकाशवाणी 8 कार्यक्रम पत्रिकाएं प्रकाशित करती है। ये हैं: दिल्ली से प्रकाशित आकाशवाणी (अंग्रेजी), आकाशवाणी (हिंदी) और आवाज (उर्दू); कलकत्ता से प्रकाशित बेतार जगत (बंगला) और गुवाहाटी से प्रकाशित आकाशी (असमिया); मद्रास से प्रकाशित वानोलि (तमिल); विजयवाड़ा से प्रकाशित वाणी (तेलुगु) और अहमदाबाद से प्रकाशित नभोवाणी (गुजराती)। आकाशवाणी (अंग्रेजी) पाक्षिक है जब कि अन्य पत्रिकाएं मासिक हैं। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग विदेशों में श्रोताओं के लिए त्रैमासिक कार्यक्रम एक कार्यक्रम पुस्तिका के रूप में निकालता है जो अरबी, बर्मी, चीनी, इंडोनेशियाई, नेपाली, फारसी, तमिल, स्वाहिली और तिब्बती भाषा में प्रकाशित होती है। यह अंग्रेजी में भी एक मासिक पत्रिका 'इंडिया कालिंग' निकालता है।

सारणी 10.1 रेडियो दूरदर्शन लाइसेंसों की संख्या (1980)

राज्य का नाम	रेडियो	टेलीविजन
आंध्र प्रदेश	10,70,874	23,0[illegible]
बिहार	6,30,655	995
दिल्ली	9,27,347	3,90,571
गुजरात	15,64,860	10,[illegible]
जम्मू और कश्मीर	1,20,277	18,156
केरल	13,73,877	24
कर्नाटक	13,20,116	[illegible]32
महाराष्ट्र	21,96,501	[illegible]
मध्य प्रदेश	[illegible],59,077	2,[illegible]
पूर्वोत्तर क्षेत्र	2,49,912	[illegible]
[illegible]	[illegible]	2,[illegible]
उड़ीसा	[illegible]	[illegible]
राजस्थान	[illegible]	[illegible]
तमिलनाडु	[illegible]	[illegible]
उत्तर प्रदेश	[illegible]	[illegible]
पश्चिम बंगाल	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
कुल	[illegible]	[illegible]

दूरदर्शन

[illegible]

[illegible]

दूरदर्शन से पहली आम सेवा नियमित रूप से अगस्त, 1965 में दिल्ली में प्रारम्भ हुई। इस समय भारत में सात पूर्ण दूरदर्शन केन्द्र हैं, जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, श्रीनगर, जलन्धर, और लखनऊ में हैं। 5 रिले केन्द्र हैं : एक पुणे में, जहां से बम्बई के कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, दूसरा मसूरी में, जहां से दिल्ली के कार्यक्रमों का प्रसारण होता है और तीसरा कानपुर में, जहां से लखनऊ के कार्यक्रमों का; चौथा अमृतसर में, जहां से जलन्धर के कार्यक्रम का और पांचवा बंगलौर में, जहां से मद्रास और बम्बई के कार्यक्रम रिले होते हैं।

इसके अतिरिक्त उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन प्रयोग के अन्तर्गत 'स्थलीय दूरदर्शन सेवा' सुलभ कराने के लिए गुलबर्गा, हैदराबाद, जयपुर, मुजफ्फरपुर, रायपुर, सम्बलपुर और अहमदाबाद में सात ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। तीन आधार कार्यक्रम निर्माण केन्द्र भी हैं जिनका नाम उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र है और ये दिल्ली, कटक और हैदराबाद में स्थित हैं।

'साइट' कार्यक्रम

उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन प्रयोग (साइट) का श्रीगणेश पहली अगस्त, 1975 को हुआ। यह संचार के क्षेत्र में, अपनी तरह का, सबसे बड़ा प्रयोग था जो 31 जुलाई, 1976 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। उपग्रह की सहायता से शैक्षणिक कार्यक्रमों को चार भाषाओं में प्रतिदिन चार घण्टे एक वर्ष तक दिखलाया गया। राजस्थान, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में विशेष दूरदर्शन सेटों की व्यवस्था की गई जिससे इन राज्यों के लगभग 2,400 गावों में ये कार्यक्रम देखे गए।

'साइट' के अन्तर्गत आने वाले गावों में इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने विशेष तौर पर इन गांवों के लिए स्थलीय दूरदर्शन सेवा आरम्भ की और गुलबर्गा, हैदराबाद, जयपुर, मुजफ्फरपुर, रायपुर तथा सम्बलपुर में ट्रांसमीटर लगाए गए। इसके अलावा, अहमदाबाद (पिज) में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा स्थापित एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर भी दूरदर्शन ने 'साइट' का काम जारी रखने के लिए ले लिया और यह ट्रांसमीटर गुजरात के खेड़ा क्षेत्र को सेवा प्रदान कर रहा है। 1977-78 में चालू ये ट्रांसमीटर उपर्युक्त राज्यों के 9,560 गांवों को अपनी परिधि में ले आए हैं जिनमें 1,014 वे गांव भी शामिल हैं जो पहले साइट कार्यक्रम की परिधि में थे।

कार्यक्रम नियोजन

दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में मदद करना और भिन्न-भिन्न तरीकों से विशेष शिक्षा में योगदान करना है। कार्यक्रमों का नियोजन और प्रसारण इस ढंग से किया जाता है कि इस संचार माध्यम की विभिन्न सेवाओं से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के दर्शकों को लाभ हो सके। यह कोशिश रहती है कि कार्यक्रम वस्तुपरक, शिक्षाप्रद और मनोरंजक हों।

स्कूलों के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र ने 1961 में नियमित रूप से शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू किया। परियोजना का उद्देश्य भौतिकी जैसे विभिन्न विषयों में शिक्षकों के प्रयासों के साथ-साथ इस माध्यम का भी प्रयोग करना है। इस कार्यक्रम का विस्तार कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रमों के

सारणी 10.2

दूरदर्शन केन्द्रों की सेवा (1-8-1981)

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	चालू होने की तारीख	ट्रांसमीटर की शक्ति (कि० वा०)	संचालन का बैंड/चैनल	सेवा परिधि (रेंज) (कि० मी०)	लाभान्वित क्षेत्र (वर्ग कि० मी०)	लाभान्वित जनसंख्या (लाखों में) शहरी	ग्रामीण	योग	लाभान्वित ग्रामों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(क) वर्तमान केन्द्र										
1.	दिल्ली	15-9-59	10	1/चै० 4	168	14,300	67.5	25.5	93	2,523
2.	बम्बई	2-10-72	10	1/चै० 4	70 से 100	10,000	65	20	85	2,500
3.	श्रीनगर	26-1-73	10	1/चै० 4	30 से 70	4,000	5	20	25	2,600
4.	अमृतसर	29-9-73	10	3/चै० 7	65	8,400	6	14	20	1,600
5.	पुणे	2-10-73	0.6	3/चै० 5	52 से 90	15,000	14	26	40	1,400
6.	कलकत्ता (रचाली टावर)	9-8-75	10	1/चै० 4	75	17,000	73	87	160	7,500
7.	मद्रास	15-8-75	10	1/चै० 4	80	12,000	36	25	61	2,100
8.	लखनऊ	27-11-75	10	1/चै० 4	60	11,300	9	46	55	5,000
9.	मसूरी	12-8-77	10	3/चै० 10	165	29,200	19	93	112	9,700
10.	कानपुर	12-1-79	10	3/चै० 5	75	9,500	13	27	40	2,700
11.	जलंधर (प्रायोगिक व्यवस्था)	13-4-79	1	3/चै० 9	25	2,000	2.7	6.8	9.5	830

(ख) 'साइट' के अन्तर्गत ट्रांसमीटर									
12. पिज .	1-8-76	1	3/चै० 7	40	5,000	2.9	13.7	16.6	700
13. जयपुर .	1-3-77	10	3/चै० 5	90	25,400	8.3	26.7	35	4,400
14. रायपुर	10-5-77	1	3/चै० 5	40	5,000	5	6.5	11.5	
15. गुलबर्गा .	3-9-77	1	3/चै० 7	40	5,000	2	4	6	300
16. हैदराबाद .	23-10-77	10	1/चै० 4	75	17,000	19	19	38	1,600
17. सम्बलपुर .	30-4-78	1	3/चै० 7	40	5,000	1.3	4.2	5.5	650
18. मुजफ्फरपुर .	14-6-78	1	3/चै० 6	40	5,000	1.8	17.2	19	1,600
कुल वर्तमान सेवा क्षेत्र .					2,00,100	350.5	481.6	832.1	48,103
(ग) स्थायी व्यवस्था (जो वर्तमान केन्द्रों पर की जाएगी) ।									
1. जलन्धर .	—	10	3/चै० 9	80	14,000	13	42	55	4,600
2. लखनऊ	—	10	1/चै० 4	75	17,700	11	61	72	7,500
3. दिल्ली .	—	2×10	1/चै० 4	90	25,400	69	60	129	5,180

पाठों का दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण किया जाता है, इस समय दिल्ली, बम्बई, श्रीनगर, मद्रास, जयपुर, रायपुर, मुजफ्फरपुर और सम्बलपुर केन्द्रों से शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है किन्तु कार्यक्रम की प्रवृत्ति अलग-अलग केन्द्रों में अलग-अलग है।

दूरदर्शन विज्ञापन कार्यक्रम

दूरदर्शन पर विज्ञापन प्रसारण का कार्यक्रम 1 जनवरी, 1976 को शुरू हुआ था और अब सात दूरदर्शन-केन्द्रों बम्बई-पुणे, दिल्ली-मसूरी, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ-कानपुर, जलंधर, अमृतसर और श्रीनगर में हो रहा है। विज्ञापन को चित्र विज्ञापनों और चल-चित्र विज्ञापनों के रूप में लिया जाता है और दूरदर्शन द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रायोजित करके भी लिया जाता है। कुल प्रसारण समय का 10 प्रतिशत समय विज्ञापन प्रसारण को दिया जाता है। दूरदर्शन को अप्रैल-नवम्बर 1981 में विज्ञापन प्रसारण से 7.5 करोड़ रु० की आय हुई।

सामूहिक रूप से दूरदर्शन देखने की व्यवस्था

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक लोग दूरदर्शन कार्यक्रम देख सकें, सरकार ने चुने हुए सामुदायिक केन्द्रों और स्कूलों में टेलीविजन सेट लगाए हैं। इन सेटों की देखभाल दूरदर्शन और सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है। इस समय दिल्ली में, 1,333 सामुदायिक दूरदर्शन सेट हैं, जो दिल्ली और उसके आसपास के स्कूलों, टेलीक्लबों और गांवों में स्थित हैं। श्रीनगर में 575 सेट हैं। दूरदर्शन ने उन राज्यों को जहां दूरदर्शन केन्द्र स्थित हैं, 1,040 सामुदायिक दूरदर्शन सेट दिए हैं। राज्य सरकारें स्वयं भी सामुदायिक दूरदर्शन सेट दे रही हैं।

दर्शकों के विचार जानने और कार्यक्रम निर्माताओं तथा दर्शकों के बीच सेतु बनाने के लिए इस वर्ष के दौरान बहुत से दूरदर्शन क्लब प्रायोजित और स्थापित किए गए। दिल्ली के क्लबों के प्रतिनिधियों को तीन महीने में एक बार आमंत्रित किया जाता है ताकि वे मंत्री महोदय से आमने-सामने प्रश्न कर सकें और सुझाव दे सकें। यह योजना अत्यधिक सफल रही।

समाचार पत्र

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक (रजिस्ट्रार) जिनकी नियुक्ति समाचार पत्र (प्रेस) और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम (संशोधित) 1955 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत की गई है, समाचार पत्रों के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो संसद में प्रस्तुत की जाती है। समाचार पत्रों के लिए अखबारी कागज के आवंटन और प्रिंटिंग मशीनों के आयात के लिए अनुमोदन करने का काम भी पंजीयक करते हैं।

1980 के अन्त में देश में समाचार पत्रों की कुल संख्या 18,140 थी जबकि 1979 में यह 17,168 थी और इस प्रकार इस वर्ष के दौरान समाचार पत्रों की संख्या में 972 की वृद्धि दर्ज की गई। देश में प्रकाशित कुल समाचार पत्रों में 5,510 (30.4 प्रतिशत) का प्रकाशन चार महानगरों दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से हो रहा था।

इन 18,140 समाचार पत्रों में से 1,173 दैनिक, 93 सप्ताह मे तीन/दो बार प्रकाशित होने वाले, 5,280 साप्ताहिक और 11,594 अन्य प्रकार की सावधिक पत्र-पत्रिकाएं थीं। राज्यवार, उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक (2,503) पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था। उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र (2,441), दिल्ली (2,209), पश्चिम बंगाल (2,025), तमिलनाडु (1,171), और आन्ध्र प्रदेश (1,007) का स्थान है। 500 से अधिक समाचार पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन वाले राज्यों मे केरल (944), राजस्थान (962), कर्नाटक (910), मध्य प्रदेश (658), गुजरात (642) और पजाब (587) थे।

सबसे अधिक दैनिक समाचार पत्रो का प्रकाशन (166) उत्तर प्रदेश से हो रहा था, जबकि सबसे कम (एक) का प्रकाशन हिमाचल प्रदेश और मेघालय से था। तालिका 10 3 मे 1980 के अन्त में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रो का राज्यवार एवं अवधिवार विवरण दिया गया है।

समाचार पत्रो के भाषावार अध्ययन से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हिन्दी (4,946) में हो रहा था। उसके बाद अंग्रेजी (3,440), बंगला (1,376), उर्दू (1,234), और मराठी (1,047), का स्थान आता है। अन्य भाषायें जिनमें 500 से अधिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा था, वे हैं: तमिल (771), मलयालम (719), गुजराती (688), कन्नड (592), और तेलुगु (520)। द्विभाषी पत्र-पत्रिकाओं की संख्या 1,428 रही। तालिका 10.4 मे 1980 के अंत में समाचार पत्र-पत्रिकाओं के भाषावार प्रकाशन का विवरण दिया गया है।

समाचार पत्रों की वितरण संख्या

1980 के लिए प्रकाशित आंकडो से ज्ञात होता है कि इस वर्ष समाचार पत्रों की वितरण संख्या 509.21 लाख रही जबकि 1979 में यह संख्या 464.49 लाख थी। दैनिक समाचार पत्रो की संख्या 1980 में 145.31 लाख थी। जबकि 1979 मे यह 130.33 लाख थी। 8,463 समाचार पत्रों में से जिनके प्रकाशको ने वितरण संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किए, 7,890 ने एक प्रकाशन तिथि के लिए 15,000 प्रतियों तक की वितरण संख्या का दावा किया (लघु समाचार पत्र) और ऐसे पत्रों की कुल प्रसार संख्या 190.12 लाख या कुल प्रसार संख्या का 37.3 प्रतिशत थी। 394 समाचार पत्रों की प्रसार संख्या 15,001 और 50,000 (मझोले समाचार पत्र) के बीच रही और उनकी कुल प्रसार संख्या 101.70 लाख या 20 प्रतिशत थी। 179 समाचार पत्रों की प्रसार संख्या 50 हजार प्रतियो से अधिक (बड़े समाचार पत्र) थी और उनकी कुल प्रसार संख्या 217.39 लाख या समग्र प्रसार संख्या का 42.7 प्रतिशत रही।

1980 मे हिन्दी में प्रकाशित समाचार पत्रो की प्रसार संख्या सर्वाधिक 137.09 लाख थी, जो कि 1979 में 114.08 लाख थी। अंग्रेजी समाचार पत्रों की सख्या भी, 1979 (102.24 लाख) की तुलना मे 1980 में

(105.32 लाख) अधिक रही। अन्य प्रमुख भाषाओं में दस लाख या उससे अधिक प्रसार संख्या निम्नानुसार रही है: तमिल में 49.39 लाख; मलयालम 39.60 लाख, बंगला 33.04 लाख, गुजराती 27.45 लाख, मराठी 26.96 लाख, उर्दू 20.76 लाख, तेलुगु 14.78 लाख और कन्नड 18.43 लाख। मुख्य भाषाओं में से संस्कृत के समाचार पत्रों की प्रसार संख्या सबसे कम 13,000 प्रतियां थीं। तालिका 10.5 में 1980 में समाचार पत्रों की प्रसार संख्या भाषावार एवं अवधि-वार दी गई है।

निजी स्वामित्व वाले समाचारपत्रों की प्रसार संख्या 173.08 लाख (34.0 प्रतिशत) थी जबकि ज्वायंट स्टाक कम्पनियों के स्वामित्व वाले समाचार पत्रों की प्रसार संख्या 198.79 लाख (39.0 प्रतिशत), प्रतियां थी। तालिका 10.6 में समाचार पत्रों की प्रसार संख्या और स्वामित्व के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है।

अखबारी कागज

देश के समाचार पत्रों और सावधिक पत्रिकाओं की अखबारी कागज की आवश्यकता की पूर्ति मध्य प्रदेश के नेपानगर स्थित राष्ट्रीय न्यूजप्रिंट और पेपर मिल के स्वदेशी उत्पादन और आयात द्वारा की जाती है। 1980-81 में कुल स्वदेशी उत्पादन 45 हजार टन था। 1980-81 में अखबारी कागज की कुल मांग 3.69 लाख टन की थी।

1980-81 के लिए अखबारी कागज की नीति (2 जुलाई, 1980 को घोषित) के अनुसार बड़े समाचार पत्रों के लिए 1979 में खपत किए गए अखबारी कागज या सफेद छापे के कागज में 5 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गई थी। मझोले और छोटे समाचार पत्रों के लिए क्रमश: 10 और 15 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति थी। बहरहाल, समाचार पत्रों को उनकी अधिक कार्यक्षमता के आधार पर अतिरिक्त अखबारी कागज के कोटा प्राप्त करने की अनुमति दी गई।

अखबारी कागज सलाहकार समिति

एक अखबारी कागज सलाहकार समिति जिसकी स्थापना जुलाई, 1964 में की गई थी, सरकार को अखबारी कागज और छापे की मशीनों के आयात एवं आवंटन के सम्बन्ध में सलाह देती है। 1977 में किए गए पुनर्गठन के अनुसार समिति का अध्यक्ष सूचना एवं प्रसारण मंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसायटी और इण्डियन लैंग्वेज न्यूज पेपर्स एसोसियेशन से मनोनीत एक एक सदस्य, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ और राष्ट्रीय पत्रकार संघ (भारतीय) से एक एक सदस्य, तीन संसद-सदस्य और सरकार द्वारा मनोनीत छह सरकारी सदस्य होते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन उनकी पुनर्नियुक्ति भी सम्भव है। इस समिति की बैठक सामान्यतया वर्ष में दो बार होती है।

प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 1 मार्च, 1979 को भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखना और समाचार पत्रों तथा एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना तथा उनमें सुधार लाना है। परिषद को इसके [illegible]

शिकायतों की जांच के अलावा शिकायतों पर स्वतः विचार करने का भी अधिकार है। उसे किसी भी संस्था, सरकार सहित, के विरुद्ध टिप्पणी करने का हक है, यदि वैसा करना इसकी कार्यवाही की दृष्टि से आवश्यक हो।

परिषद ने सरकारी गोपनीयता, न्यायालय की अवमानना, संसद के विशेषाधिकारों, और बदनामी सम्बन्धी कानूनों का अध्ययन किया। 1981 में परिषद की 5 बैठकें हुई। प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत प्राप्त 74 शिकायतों और अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत 91 शिकायतों की इसने सुनवाई पूरी की।

धारा 13 के अन्तर्गत 59 शिकायतों और धारा 14 के अन्तर्गत 64 मामलों की सुनवाई हो रही थी।

प्रेस-आयोग

प्रेस आयोग का, जिसकी स्थापना मई 1978 में हुई थी, 1980 में पुनर्गठन किया गया। इसमें नये अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसको संशोधित और अधिक व्यापक विषय भी सौंपे गए। न्यायमूर्ति के० के० मैथ्यू को 12 अप्रैल, 1980 को नया अध्यक्ष चुना गया तथा 18 जून, 1980 को आयोग में 10 नये सदस्य और शामिल किए गए।

विभिन्न प्रेस एसोसियेशनों/संगठनों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता को बहुत महत्व देती है, 24 जुलाई 1980 को संशोधित विचारणीय विषय निर्धारित किए गए।

आयोग ने 3 अप्रैल 1982 को सरकार को अपनी सिफारिशें दी।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचनाएं मुख्यतया समाचार-पत्रों के माध्यम से देता है। समाचारपत्रों में अभिव्यक्त लोगों की प्रतिक्रियाओं से भी सरकार को अवगत कराता है। विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध सूचना अधिकारी, प्रेस नोट तथा विशेष लेख निकालते हैं, पत्रकार सम्मेलनों का आयोजन करते हैं और भारत सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त भारतीय और विदेशी पत्रकारों और कैमरामैनों के साथ सम्पर्क भी रखते हैं। पत्र सूचना कार्यालय राज्य सरकारों और सरकारी उद्योगों के साथ भी प्रचार-समन्वय रखता है। यह विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार विभाग के माध्यम से विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों को प्रचार सामग्री उपलब्ध कराता है।

कार्यालय की सूचना-सामग्री हिन्दी, अंग्रेजी और 16 अन्य भाषाओं में जारी की जाती है। यह केवल दिल्ली-स्थित समाचार एजेंसियों और पत्रकारों को ही नहीं दी जाती, बल्कि इसके 32 क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं के द्वारा, जो मुख्यालय दिल्ली से दूर मुद्रकों द्वारा जुड़े हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार-पत्रों को भी दी जाती है।

सारणी 10.3

समाचारपत्रों की संख्या (राज्यवार और प्रवधिवार)—1980

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	दैनिक	त्रि/द्वि/ साप्ताहिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	त्रैमासिक	अन्य प्रवधि के	वार्षिक	योग
उत्तर प्रदेश	166	17	1,251	260	614	126	61	8	2,503
महाराष्ट्र	160	22	594	219	906	297	136	107	2,441
दिल्ली	46	2	309	257	1,072	374	125	24	2,209
पश्चिम बंगाल	52	7	446	293	685	381	138	23	2,025
तमिलनाडु	98	6	142	160	633	83	40	9	1,171
आंध्र प्रदेश	57	2	351	172	343	49	29	4	1,007
केरल	97	2	129	106	513	36	30	11	911
राजस्थान	76	2	388	250	172	53	19	2	962
कर्नाटक	102	4	210	130	341	67	34	2	910
मध्य प्रदेश	92	9	343	56	117	[illegible]6	12	3	658
गुजरात	33	2	165	85	283	40	31	3	642
पंजाब	35	1	200	84	208	28	26	5	587
बिहार	33	5	265	75	119	31	11	3	542
हरियाणा	11	—	126	82	102	21	9	—	351
उड़ीसा	10	—	39	29	138	53	17	6	292
जम्मू और कश्मीर	24	—	111	17	16	[illegible]	3	—	174
चण्डीगढ़	11	—	33	17	55	32	14	[illegible]	165
असम	6	4	52	24	32	13	11	1	143
हिमाचल प्रदेश	1	—	21	12	26	9	8	—	77
त्रिपुरा	13	1	42	4	[illegible]	1	1	—	65

मणिपुर
पांडिचेरि

मणिपुर	23	1	5	9	16	7	4	2	67
पांडिचेरि	—	1	6	4	20	14	4	1	50
मेघालय	1	4	22	4	10	5	[illegible]	—	49
गोआ, दमन और दीव	8	—	9	4	17	5	2	—	45
मिजोरम	15	1	13	1	7	1	4	—	42
अंदमान और निकोबार	3	—	4	—	2	2	2	—	13
नगालैंड	—	—	3	—	—	2	—	—	5
दादरा और नगर हवेली	—	—	1	—	—	—	—	—	1
योग	1,173	93	5,280	2,374	6,450	1,779	774	217	18,110

तालिका 10.4

समाचार पत्रों की संख्या (भाषा वार)

भाषा	दैनिक	त्रि/द्वि/ साप्ताहिक	साप्ताहिक	अन्य	योग 1979	योग 1980
अंग्रेजी	102	8	382	2,948	3,288	3,440
हिन्दी	367	28	2,253	2,298	4,610	4,946
असमिया	3	1	21	39	58	64
बंगला	36	9	368	963	1,259	1,376
गुजराती	37	3	165	483	674	688
कन्नड़	74	3	145	370	556	592
कश्मीरी	—	—	1	—	1	1
मलयालम	95	1	110	513	697	719
मराठी	117	14	336	580	984	1,047
उड़ीसा	9	—	32	199	205	240
पंजाबी	22	1	147	214	375	384
संस्कृत	2	—	3	24	29	29
सिंधी	4	—	20	38	63	62
तमिल	92	4	114	561	755	771
तेलुगु	29	1	139	351	503	520
उर्दू	120	6	598	510	1,180	1,234
द्विभाषिक	29	11	325	1,063	1,362	1,428
बहुभाषिक	5	1	68	265	335	339
अन्य	30	2	53	175	234	260
योग	1,173	93	5,280	11,594	17,168	18,140

तालिका 10.5

1980 में प्रसार संख्या (भाषावार एवं अवधि-वार)

(हजार में)

भाषा	दैनिक	सप्ताह में दो या तीन बार प्रकाशित होने वाले	साप्ताहिक	अन्य गावधिक पत्र-पत्रिकाएं	कुल
अंग्रेजी	3,089	3	1,701	5,739	10,532
हिन्दी	3,644	74	4,116	5,875	13,709
असमिया	73	29	116	33	251
बंगला	948	16	900	1,440	3,304
गुजराती	1,061	39	732	913	2,745
कन्नड़	517	2	582	742	1,843
कश्मीरी	—	—	—	—	—
मलयालम	1,423	—	1,193	1,344	3,960
मराठी	1,214	21	646	1,015	2,896
उड़िया	151	—	44	256	451
पंजाबी	231	—	401	314	946
संस्कृत	2	—	3	8	13
सिंधी	22	—	28	35	85
तमिल	971	24	2,179	1,765	4,939
तेलुगु	467	11	333	667	1,478
उर्दू	622	9	851	594	2,076
द्विभाषी	66	16	397	812	1,291
बहुभाषी	2	—	39	161	202
अन्य	28	2	42	128	200
कुल	14,531	246	14,303	21,841	50,921

तालिका 10.5

1980 में प्रसार संख्या (भाषावार एवं अवधि-वार)

(हजार में)

भाषा	दैनिक	सप्ताह में दो या तीन बार प्रकाशित होने वाले	साप्ताहिक	अन्य सावधिक पत्र-पत्रिकाएं	कुल
अंग्रेजी	3,089	3	1,701	5,739	10,532
हिन्दी	3,644	74	4,116	5,875	13,709
असमिया	73	29	116	33	251
बंगला	948	16	900	1,440	3,304
गुजराती	1,061	39	732	913	2,745
कन्नड़	517	2	582	742	1,843
कश्मीरी	—	—	—	—	—
मलयालम	1,423	—	1,193	1,344	3,960
मराठी	1,214	21	646	1,015	2,896
उड़िया	151	—	44	256	451
पंजाबी	231	—	401	314	946
संस्कृत	2	—	3	8	13
सिंधी	22	—	28	35	85
तमिल	971	24	2,179	1,765	4,939
तेलुगु	467	11	333	667	1,478
उर्दू	622	9	851	594	2,076
द्विभाषी	66	16	397	812	1,291
बहुभाषी	2	—	39	161	202
अन्य	28	2	42	128	200
कुल	14,531	246	14,303	21,841	50,921

तालिका 10.6

स्वामित्व के स्वरूप

स्वामित्व का प्रकार	1980		
	समाचार पत्रों की संख्या[1]	प्रसार संख्या (हजार में)	कुल प्रसारण का प्रतिशत
निजी	5,124	17,308	34.0
प्राइवेट स्टाक कम्पनियां	470	19,879	39.0
फर्म/साझेदारी	404	4,161	8.2
समितियां/संघ	1,669	4,418	8.7
सरकार (केन्द्र एवं राज्य)	234	1,313	2.6
अन्य	562	3,842	7.5
कुल	8,463	50,921	100.0

[1]उन समाचारपत्रों के सम्बन्ध में जिनकी प्रसार संख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं।

छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों को पत्र सूचना कार्यालय विशेष सेवाएं प्रदान करता है, जैसे समाचारों का साप्ताहिक सारांश, विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त सचित्र लेख, आर्थिक समाचारों का सारांश, कृषि सम्बन्धी समाचार-पत्रक, विज्ञान पर लेख, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सम्बन्धी समाचार पत्रक। जिला स्तर के हिन्दी समाचारपत्रों के लिए एक विशेष साप्ताहिक सेवा "ग्रामीण पत्र सेवा" शुरू की गई है। विकास कार्यों से सम्बन्धित सफलताओं के सचित्र लेख भी अखबारों को दिए जाते हैं। प्रेस सूचना कार्यालय ने इस वर्ष अपनी फीचर सेवा के जरिए दो नए फीचर 'विजन आफ इण्डिया' और 'सोशल इन्टीग्रेटर्स आफ इण्डिया' तैयार किए जिन्हें सभी प्रादेशिक सेवाओं में भी तैयार किया गया।

यूनेस्को विशेष लेख सेवा

पत्र सूचना कार्यालय यूनेस्को के सहयोग से उर्दू और हिन्दी में एक पाक्षिक विशेष लेख सेवा चलाता है। इसके द्वारा शिक्षा, संस्कृति तकनीकी एवं विज्ञान सम्बन्धी विषयों की जानकारी दी जाती है तथा यूनेस्को के सदस्य राष्ट्रों के आविष्कारों, खोजों, विकास कार्यों और नए साहसिक कार्यों को प्रकाश में लाया जाता है।

फोटो सेवा

पत्र सूचना कार्यालय की विशाल फोटो सेवा उन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की आवश्यकता को पूरा करती है, जिनके पास ब्लाक बनाने की सुविधाएं हैं। इसके अलावा, छोटे समाचारपत्रों और उर्दू के पत्रों को क्रमशः इबानाइड ब्लाक और चरबा भी दिए जाते हैं। 1981 में फोटो यूनिट ने पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के माध्यम से 2,45,239 प्रिन्ट समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को दिए। कार्यालय ने 668 समाचार फोटो चित्रों के 4,264 प्रिन्ट विदेशों में प्रचार के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को दिए।

प्रत्यायन सुविधाएं

केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन (एक्रीडिटेशन) समिति, प्रेस संवाददाताओं, कार्टूनिस्टों और कैमरामैनों के प्रत्यायन के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देती है। प्रचार-सामग्री के अतिरिक्त कार्यालय प्रेस-प्रतिनिधियों को आवास, टेलीफोन, स्वास्थ्य, यात्रा और सीमा-शुल्क सम्बन्धी सुविधाएं देता है। प्रत्यायन कैमरामैनों और तकनीशियनों के अलावा, 31 अक्तूबर, 1981 तक भारतीय और विदेशी प्रत्यायित संवाददाताओं की संख्या 505 थी।

उन्नीस समाचार और फीचर एजेंसियां केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। उनमें से, प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती जो कि तार सेवा युक्त हैं, समाचार एजेंसी हैं और अन्य—समाचार तथा फीचर एजेंसियां हैं। इनके अलावा 24 विदेशी संवाद एजेंसियों को भी मान्यता दी गई है।

सूचना केंद्र पत्र सूचना कार्यालय के नई दिल्ली, जलंधर, श्रीनगर, इम्फाल, कोहिमा, पोर्ट-ब्लेयर और ऐजल में सूचना-केन्द्र हैं। यह अध्ययन कक्ष और पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करते हैं और जनता और पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन केन्द्रों में चलचित्र भी दिखाए जाते हैं। कई राज्य सरकारों ने भी दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर अपने सूचना केन्द्र स्थापित किए हैं। जबलपुर और शिमला में दो नए सूचना केन्द्र खोले गए हैं।

भित्तिपत्र पत्र सूचना कार्यालय द्वारा सम्पादित पाक्षिक भित्ति-पत्र 'हमारा देश' 1970 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, बंगला, गोरखाली, खासी, मलयालम, मणिपुरी, तमिल, मराठी, गारो और लुशाई में प्रकाशित होता है। यह विभिन्न मामलों में देश में हुई प्रगति को दर्शाता है। इसकी प्रतियां देश भर में विशेषकर दूर-दराज इलाकों में, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, डाकघरों और अन्य स्थानों में लगाई जाती हैं।

समाचार एजेंसियां चार मुख्य समाचार एजेंसियां अर्थात, प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ आफ इंडिया, समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार जिन्हें 1976 में मिलाकर 'समाचार' बना दिया गया था, 14 अप्रैल, 1978 से अलग-अलग कार्य करने लगीं।

पी० टी० आई० और यू० एन० आई० अंग्रेजी में समाचार भेजती हैं। अन्य दोनों हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार भेजती हैं। 1949 में रायटर कंपनी का भारत में कारोबार तथा एसोशिएटेड प्रेस आफ इंडिया के हितों की जिम्मेदारी सभालने के बाद पी० टी० आई० ने अपना काम शुरू किया। इसके सम्पादकीय और तकनीकी विभाग में 1,300 कर्मचारी हैं और इसकी समाचार सेवा टेली-प्रिन्टरों द्वारा भेजी जाती है, जिसका क्षेत्र 60,000 किलोमीटर से भी अधिक है। आकाशवाणी, दूरदर्शन केन्द्रों तथा राज्य सरकारों, व्यापारिक संस्थान, विश्वविद्यालयों तथा सार्वजनिक संस्थाओं के अतिरिक्त भारत में 200 से अधिक समाचार पत्र पी० टी० आई० की सेवाओं का उपयोग करते हैं। यू० एन० आई० ने 1961 में काम शुरू किया। विदेशी समाचार एकत्र करने के लिए ये दोनों एजेंसियां विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों पर निर्भर करती हैं। समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार मुख्यतः भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।

गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल गुट-निरपेक्ष देशों के सूचना मंत्री-स्तर के पहले सम्मेलन में, जो 8 से 13 जुलाई, 1976 तक नई दिल्ली में हुआ, एक घोषणा में कहा गया, "इस समय संसार में सूचना-व्यवस्था में गम्भीर असंतुलन है जिससे गुट-निरपेक्ष देशों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है"। इस बात पर जोर दिया गया कि वे अपने सूचना तथा सम्पर्क माध्यमों को सूचना के साम्राज्यवादी ढांचे से मुक्त करें। उन्होंने कहा

कि वे इस स्थिति को ठीक करेंगे। इस घोषणा में सूचना व्यवस्था का नया अन्तर्राष्ट्रीय ढांचा बनाने का आह्वान किया गया। कहा गया है कि यह उतना ही आवश्यक है जितनी कि नई विश्व आर्थिक व्यवस्था। इस इच्छा को कार्यरूप देने के लिए 13 जुलाई, 1976 को एक गुट-निरपेक्ष संवाद एजेंसी पूल स्थापित किया गया। भारत, जिसने पूल के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा की, समन्वय समिति का अध्यक्ष चुना गया और जुलाई 1976 से नवम्बर 1979 तक उसका अध्यक्ष रहा।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया भारत से गुट-निरपेक्ष संवाद एजेंसी पूल का संचालन करता है।

फिल्में

भारत में कथा-चित्र 1912-13 से बन रहे हैं। आर० जी० टोर्ने ने एन० जी० चित्रे के साथ मिलकर 1912 में 'पुण्डलिक' बनाई थी और धुंडिराज गोविन्द फाल्के (1870-1944) ने 1913 में 'राजा हरिश्चन्द्र' बनाई, 1931 में मूक फिल्मों का युग बोलती फिल्मों के युग से समाप्त हो गया जबकि आरदेशिर ईरानी ने 'आलम आरा' बनाई, हालांकि 1934 तक मूक फिल्में बनाई जाती रहीं। तबसे भारत में अब तक 15,000 से अधिक कथा-चित्र निर्मित हो चुके हैं। भारत विश्व भर में प्रति वर्ष सबसे अधिक फिल्में बनाता है।

1981 में 737 भारतीय कथाचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किए गए जबकि 1980 में 742 प्रमाणित किए गए थे। इनमें से 665 रंगीन चित्र तथा 72 श्वेत-श्याम चित्र थे। बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास फिल्म निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। क्षेत्रवार प्रमाण पत्रों पर नजर डालने से पता चलता है कि बम्बई और कलकत्ता क्षेत्रों के मुकाबले दक्षिण क्षेत्र में अधिक फिल्में बनीं और यह देश में कुल फिल्म निर्माण का करीब 64 प्रतिशत था। 1981 में, बम्बई में 206, कलकत्ता में 61 और मद्रास में 470 कथाचित्र प्रमाणित किए गए। बंगलौर भी तेजी से कथाचित्रों के निर्माण का केन्द्र बनता जा रहा है। 1951 से विभिन्न भाषाओं में बने और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किए गए कथा-चित्रों की संख्या सारणी 10.7 में दर्शायी गई है।

वृत्त-चित्र और समाचार चित्र

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग जन-सूचना, प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए साप्ताहिक भारतीय समाचार चित्र, कार्टून फिल्मों, छोटे और वृत्त-चित्रों का निर्माण करता है। प्रभाग 1948 में स्थापित हुआ और 1949-50 में इसने केवल 33 वृत्त-चित्र, 12 संकलित चित्र और 52 समाचार चित्र बना कर फिल्म-निर्माण की शुरूआत की थी।

इस समय 140 छोटी फिल्मों (जिनमें चार कार्टून फिल्में भी शामिल हैं), 52 राष्ट्रीय समाचारचित्रों तथा 52 प्रादेशिक समाचार चित्रों के वार्षिक निर्माण

सूचना केंद्र पत्र सूचना कार्यालय के नई दिल्ली, जलंधर, श्रीनगर, इम्फाल, कोहिमा, पोर्ट-ब्लेयर और ऐजल में सूचना-केन्द्र हैं। यह अध्ययन कक्ष और पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करते हैं और जनता और पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन केन्द्रों में चलचित्र भी दिखाए जाते हैं। कई राज्य सरकारों ने भी दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर अपने सूचना केन्द्र स्थापित किए हैं। जबलपुर और शिमला में दो नए सूचना केन्द्र खोले गए हैं।

भित्तिपत्र पत्र सूचना कार्यालय द्वारा सम्पादित पाक्षिक भित्ति-पत्र 'हमारा देश' 1970 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, बंगला, गोरखाली, खासी, मलयालम, मणिपुरी, तमिल, मराठी, गारो और लुशाई में प्रकाशित होता है। यह विभिन्न मामलों में देश में हुई प्रगति को दर्शाता है। इसकी प्रतियां देश भर में विशेषकर दूर-दराज इलाकों में, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, डाकघरों और अन्य स्थानों में लगाई जाती हैं।

समाचार एजेंसियां चार मुख्य समाचार एजेंसियां अर्थात, प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार जिन्हें 1976 में मिलाकर 'समाचार' बना दिया गया था, 14 अप्रैल, 1978 से अलग-अलग कार्य करने लगीं।

पी० टी० आई० और यू० एन० आई० अंग्रेजी में समाचार भेजती हैं। अन्य दोनों हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार भेजती हैं। 1949 में रायटर कंपनी का भारत में कारोबार तथा एसोशिएटेड प्रेस आफ इंडिया के हितों की जिम्मेदारी संभालने के बाद पी० टी० आई० ने अपना काम शुरू किया। इसके सम्पादकीय और तकनीकी विभाग में 1,300 कर्मचारी हैं और इसकी समाचार सेवा टेली-प्रिन्टरों द्वारा भेजी जाती है, जिसका क्षेत्र 60,000 किलोमीटर से भी अधिक है। आकाशवाणी, दूरदर्शन केन्द्रों तथा राज्य सरकारों, व्यापारिक संस्थान, विश्वविद्यालयों तथा सार्वजनिक संस्थाओं के अतिरिक्त भारत में 200 से अधिक समाचार पत्र पी० टी० आई० की सेवाओं का उपयोग करते हैं। यू० एन० आई० ने 1961 में काम शुरू किया। विदेशी समाचार एकत्र करने के लिए ये दोनों एजेंसियां विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों पर निर्भर करती हैं। समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार मुख्यतः भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।

गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल गुट-निरपेक्ष देशों के सूचना मंत्री-स्तर के पहले सम्मेलन में, जो 8 से 13 जुलाई, 1976 तक नई दिल्ली में हुआ, एक घोषणा में कहा गया, "इस समय संसार में सूचना-व्यवस्था में गम्भीर असंतुलन है जिससे गुट-निरपेक्ष देशो पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है"। इस बात पर जोर दिया गया कि वे अपने सूचना तथा सम्पर्क माध्यमों को सूचना के साम्राज्यवादी ढांचे से मुक्त करें। उन्होंने कहा

कि वे इस स्थिति को ठीक करेंगे। इस घोषणा में सूचना व्यवस्था का नया अन्तर्राष्ट्रीय ढांचा बनाने का आह्वान किया गया। कहा गया है कि यह उतना ही आवश्यक है जितनी कि नई विश्व आर्थिक व्यवस्था। इस इच्छा को कार्यरूप देने के लिए 13 जुलाई, 1976 को एक गुट-निरपेक्ष संवाद एजेंसी पूल स्थापित किया गया। भारत, जिसने पूल के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा की, समन्वय समिति का अध्यक्ष चुना गया और जुलाई 1976 से नवम्बर 1979 तक उसका अध्यक्ष रहा।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया भारत से गुट-निरपेक्ष संवाद एजेंसी पूल का संचालन करता है।

फिल्में

भारत में कथा-चित्र 1912-13 से बन रहे हैं। आर० जी० टोर्ने ने एन० जी० चित्रे के साथ मिलकर 1912 में 'पुण्डलिक' बनाई थी और धुंडिराज गोविन्द फालके (1870-1944) ने 1913 में 'राजा हरिश्चन्द्र' बनाई, 1931 में मूक फिल्मों का युग बोलती फिल्मों के युग से समाप्त हो गया जबकि आरदेशिर ईरानी ने 'आलम आरा' बनाई, हालांकि 1934 तक मूक फिल्में बनाई जाती रहीं। तबसे भारत में अब तक 15,000 से अधिक कथा-चित्र निर्मित हो चुके हैं। भारत विश्व भर में प्रति वर्ष सबसे अधिक फिल्में बनाता है।

1981 में 737 भारतीय कथाचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किए गए जबकि 1980 में 742 प्रमाणित किए गए थे। इनमें से 665 रंगीन चित्र तथा 72 श्वेत-श्याम चित्र थे। बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास फिल्म निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। क्षेत्रवार प्रमाण पत्रों पर नजर डालने से पता चलता है कि बम्बई और कलकत्ता क्षेत्रों के मुकाबले दक्षिण क्षेत्र में अधिक फिल्में बनीं और यह देश में कुल फिल्म निर्माण का करीब 64 प्रतिशत था। 1981 में, बम्बई में 206, कलकत्ता में 81 और मद्रास में 470 कथाचित्र प्रमाणित किए गए। बंगलोर भी तेजी से कथाचित्रों के निर्माण का केन्द्र बनता जा रहा है। 1951 से, विभिन्न भाषाओं में बने और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किए गए कथा-चित्रों की संख्या सारणी 10.7 में दर्शायी गई है।

वृत्त-चित्र और समाचार चित्र

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग जन-सूचना, प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए साप्ताहिक भारतीय समाचार चित्र, कार्टून फिल्मों, छोटे और वृत्त-चित्रों का, निर्माण करता है। प्रभाग 1948 में स्थापित हुआ और 1949-50 में इसने केवल 33 वृत्त-चित्र, 12 संकलित चित्र और 52 समाचार चित्र बना कर फिल्म-निर्माण की शुरुआत की थी।

इस समय 140 छोटी फिल्मों (जिनमें चार कार्टून फिल्में भी शामिल हैं), 52 राष्ट्रीय समाचारचित्रों तथा 52 प्रादेशिक समाचार चित्रों के वार्षिक निर्माण

सूचना केंद्र पत्र सूचना कार्यालय के नई दिल्ली, जलंधर, श्रीनगर, इम्फाल, कोहिमा, पोर्ट-ब्लेयर और ऐज़ल में सूचना-केन्द्र हैं। यह अध्ययन कक्ष और पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करते हैं और जनता और पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन केन्द्रों में चलचित्र भी दिखाए जाते हैं। कई राज्य सरकारों ने भी दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर अपने सूचना केन्द्र स्थापित किए हैं। जबलपुर और शिमला में दो नए सूचना केन्द्र खोले गए हैं।

भित्तिपत्र पत्र सूचना कार्यालय द्वारा सम्पादित पाक्षिक भित्ति-पत्र 'हमारा देश' 1970 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, बंगला, गोरखाली, खासी, मलयालम, मणिपुरी, तमिल, मराठी, गारो और लुशाई में प्रकाशित होता है। यह विभिन्न मामलों में देश में हुई प्रगति को दर्शाता है। इसकी प्रतियां देश भर में विशेषकर दूर-दराज इलाकों में, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, डाकघरों और अन्य स्थानों में लगाई जाती हैं।

समाचार एजेंसियां चार मुख्य समाचार एजेंसियां अर्थात, प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ आफ इंडिया, समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार जिन्हें 1976 में मिलाकर 'समाचार' बना दिया गया था, 14 अप्रैल, 1978 से अलग-अलग कार्य करने लगीं।

पी० टी० आई० और यू० एन० आई० अंग्रेजी में समाचार भेजती हैं। अन्य दोनों हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार भेजती हैं। 1949 में रायटर कंपनी का भारत में कारोबार तथा एसोशिएटेड प्रेस आफ इंडिया के हितों की जिम्मेदारी संभालने के बाद पी० टी० आई० ने अपना काम शुरू किया। इसके सम्पादकीय और तकनीकी विभाग में 1,300 कर्मचारी हैं और इसकी समाचार सेवा टेली-प्रिन्टरों द्वारा भेजी जाती है, जिसका क्षेत्र 60,000 किलोमीटर से भी अधिक है। आकाशवाणी, दूरदर्शन केन्द्रों तथा राज्य सरकारों, व्यापारिक संस्थान, विश्वविद्यालयों तथा सार्वजनिक संस्थाओं के अतिरिक्त भारत में 200 से अधिक समाचार पत्र पी० टी० आई० की सेवाओं का उपयोग करते हैं। यू० एन० आई० ने 1961 में काम शुरू किया। विदेशी समाचार एकत्र करने के लिए ये दोनों एजेंसियां विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों पर निर्भर करती हैं। समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार मुख्यतः भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।

गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल गुट-निरपेक्ष देशों के सूचना मंत्री-स्तर के पहले सम्मेलन में, जो 8 से 13 जुलाई, 1976 तक नई दिल्ली में हुआ, एक घोषणा में कहा गया, "इस समय संसार में सूचना-व्यवस्था में गम्भीर असंतुलन है जिससे गुट-निरपेक्ष देशों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है"। इस बात पर जोर दिया गया कि वे अपने सूचना तथा सम्पर्क माध्यमों को सूचना के साम्राज्यवादी दावे से मुक्त करें। उन्होंने कहा

सारणी 10.7

चलचित्रों का निर्माण

भाषा	1951	1956	1961	1966	1971	1976	1978	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असमिया	—	3	2	2	5	5	6	7	5
बडागा	—	—	—	—	—	—	—	1	—
बंगला	38	54	36	30	30	32	37	37	42
भोजपुरी	—	—	—	—	1	—	1	[illegible]	5
डोगरी	—	—	—	1	—	—	—	—	—
अंग्रेजी	—	—	—	—	1	2	2	—	2
गुजराती	6	3	7	2	3	29	32	34	34
हिन्दी	100	123	109	108	120*	106	122	145	153
कन्नड़	2	14	12	21	33	45	54	68	65
कोंकणी	—	—	—	—	1	1	1	[illegible]	—
मलयालम	7	5	11	31	52	84	123	99	111
मणिपुरी	—	—	—	—	—	1	—	—	—
मराठी	16	13	15	12	23	10	15	28	27
नेपाली	—	—	—	1	—	—	1	—	—
उड़िया	—	[illegible]	2	2	1	6	15	15	10
पंजाबी	4	—	5	4	2	10	8	6	8
सिन्धी	—	—	—	1	1	—	—	—	—
तमिल	26	51	49	60	73	81	105	145	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तेलुगु	20	27	55	41	85	93	94	[illegible]	132
तूलू	—	—	—	—	2	2	3	—	1
राजस्थानी	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
योग . . .	219	295	303	316	433	507	619	742	737

* मैथिली, एक छत्तीसगढ़ी और चार उर्दू की फिल्में शामिल हैं।

सेंसरशिप भारत में फिल्में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही प्रदर्शित की जा सकती हैं। यह बोर्ड सिनेमाटोग्राफ (सेंसरशिप) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। इसके 9 सदस्य और एक अध्यक्ष है, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। बोर्ड का मुख्य कार्यालय बम्बई में है और क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। फिल्म परीक्षण में क्षेत्रीय अधिकारियों की सहायता के लिए सलाहकार समितियाँ हैं, जिनके सदस्य सरकार नियुक्त करती है और जिनमें शिक्षाविद्, वकील, सामाजिक कार्यकर्त्ता और अन्य वर्गों के लोग शामिल किए जाते हैं।

नवम्बर 1977 में बोर्ड को पुनर्गठित किया गया। 1960 में बोर्ड को जो विस्तृत मार्गनिर्देशक दिए गए थे, उन्हें तर्कसंगत बनाया गया और जनवरी 1978 में सरकार ने नए मार्गनिर्देशक जारी किए। इन मार्गनिर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार अब फिल्म की समीक्षा उसके समग्र प्रभाव को देख कर की जाएगी। बोर्ड ने फिल्मों में हिंसा तथा अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। 1980 में बोर्ड को पुनः पुनर्गठित किया गया।

बोर्ड फिल्मों का परीक्षण करता है और अप्रतिबन्धित जन-प्रदर्शन के लिए 'यू' प्रमाणपत्र और प्रतिबन्ध सहित प्रदर्शन के लिए फिल्म सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर आयु वालों को दिखाने के लिए, 'ए' प्रमाणपत्र देता है। प्रमाणपत्र देने से पहले बोर्ड आवेदक को काट-छांट या सुधार करने का निर्देश दे सकता है। अगर कोई फिल्म या उसका भाग देश के हित या सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्री सम्बन्ध, अनुशासन, शिष्टाचार, नैतिकता के विरुद्ध हो, या उसमें न्यायालय की बदनामी या अवमानना हो, या उससे किसी अपराध को बढ़ावा मिलने की संभावना हो, तो बोर्ड उसे प्रमाणपत्र की मनाही भी कर सकता है। जब कभी किसी काट-छांट का आदेश दिया जाता है, तो उसका ब्यौरा सरकारी 'गजट' में प्रकाशित किया जाता है। बोर्ड के आदेश के 30 दिन के अन्दर आवेदक भारत सरकार से बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है।

सिनेमाटोग्राफ कानून 1952 में संशोधन सम्बन्धी एक विधेयक 24 दिसम्बर, 1980 को राज्य सभा में रखा गया जिसमें अन्य बातों के अलावा बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिये एक स्वतन्त्र अपील ट्राइब्यूनल बनाने की व्यवस्था है।

1981 में बोर्ड ने 2,000 भारतीय और 1,772 विदेशी फिल्मों को 'यू' प्रमाण पत्र दिए। 'ए' प्रमाणपत्र 206 भारतीय और 95 विदेशी फिल्मों को दिए गए। 1,321 फिल्मों को विशेष रूप से शैक्षिक होने के प्रमाण पत्र दिए गए। 1981 में बोर्ड ने 1071 फिल्मों को पुनः प्रमाणित किया इनमें से 1047 को 'यू' और 24 को 'ए' प्रमाण पत्र दिए गए।

प्रदर्शन सुविधाएं देश में फिल्म प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन सुविधाओं में लगातार प्रगति हुई है। सारणी 10.8 में 1974-75 से 1980-81 तक के सिनेमाघरों की संख्या दी गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तेलुगु	20	27	55	41	85	93	94	152	132
तूलू	—	—	—	—	2	3	3	—	1
राजस्थानी	—	—	—	—	—	—	—	—	2
योग	219	295	303	316	433	507	619	742	737

*इसमें 14 हिन्दुस्तानी, एक मैथिली, एक छत्तीसगढ़ी और चार उर्दू की फिल्में शामिल हैं।

सेंसरशिप

भारत में फिल्में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही प्रदर्शित की जा सकती हैं। यह बोर्ड सिनेमाटोग्राफ (सेंसरशिप) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। इसके 9 सदस्य और एक अध्यक्ष है, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। बोर्ड का मुख्य कार्यालय बम्बई में है और क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। फिल्म परीक्षण में क्षेत्रीय अधिकारियों की सहायता के लिए सलाहकार समितियाँ हैं, जिनके सदस्य सरकार नियुक्त करती है और जिनमें शिक्षाविद्, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य वर्गों के लोग शामिल किए जाते हैं।

नवम्बर 1977 में बोर्ड को पुनर्गठित किया गया। 1960 में बोर्ड को जो विस्तृत मार्गनिर्देशक दिए गए थे, उन्हें तर्कसंगत बनाया गया और जनवरी 1978 में सरकार ने नए मार्गनिर्देशक जारी किए। इन मार्गनिर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार अब फिल्म की समीक्षा उसके समग्र प्रभाव को देख कर की जाएगी। बोर्ड ने फिल्मों में हिंसा तथा अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। 1980 में बोर्ड को पुनः पुनर्गठित किया गया।

बोर्ड फिल्मों का परीक्षण करता है और अप्रतिबन्धित जन-प्रदर्शन के लिए 'यू' प्रमाणपत्र और प्रतिबन्ध सहित प्रदर्शन के लिए फिल्म सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर आयु वालों को दिखाने के लिए, 'ए' प्रमाणपत्र देता है। प्रमाणपत्र देने से पहले बोर्ड आवेदक को काट-छांट या सुधार करने का निर्देश दे सकता है। अगर कोई फिल्म या उसका भाग देश के हित या सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्री सम्बन्ध, अनुशासन, शिष्टाचार, नैतिकता के विरुद्ध हो, या उसमें न्यायालय की बदनामी या अवमानना हो, या उससे किसी अपराध को बढ़ावा मिलने की संभावना हो, तो बोर्ड उसे प्रमाणपत्र की मनाही भी कर सकता है। जब कभी किसी काट-छांट का आदेश दिया जाता है, तो उसका ब्यौरा सरकारी 'गजट' में प्रकाशित किया जाता है। बोर्ड के आदेश के 30 दिन के अन्दर आवेदक भारत सरकार से बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है।

सिनेमाटोग्राफ कानून 1952 में संशोधन सम्बन्धी एक विधेयक 24 दिसम्बर, 1980 को राज्य सभा में रखा गया जिसमें अन्य बातों के अलावा बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिये एक स्वतन्त्र अपील ट्राइब्यूनल बनाने की व्यवस्था है।

1981 में बोर्ड ने 2,000 भारतीय और 1,772 विदेशी फिल्मों को 'यू' प्रमाण पत्र दिए। 'ए' प्रमाणपत्र 206 भारतीय और 95 विदेशी फिल्मों को दिए गए। 1,321 फिल्मों को विशेष रूप से शैक्षिक होने के प्रमाण पत्र दिए गए। 1981 में बोर्ड ने 1071 फिल्मों को पुनः प्रमाणित किया इनमें से 1047 को 'यू' और 24 को 'ए' प्रमाण पत्र दिए गए।

प्रदर्शन सुविधाएं

देश में फिल्म प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन सुविधाओं में लगातार प्रगति हुई है। सारणी 10.8 में 1974-75 से 1980-81 तक के सिनेमाघरों की संख्या दी गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तेलुगु	20	27	55	41	85	93	94	152	132
तूलू	—	—	—	—	2	2	3	—	1
राजस्थानी	—	—	—	—	—	—	—	—	2
योग	219	295	303	316	433	507	619	742	737

* समें 14 हिन्दुस्तानी, एक मैथिली, एक छत्तीसगढ़ी और चार उर्दू की फिल्में शामिल हैं।

निगम फिल्म उद्योग के विकास के लिए भी प्रोत्साहन दे रहा है। इसके प्रधीन (1) पुणे प्रौर कलकत्ता में क्रमश: फिल्मों के संवादों के अन्य भाषाओं में अनुवाद प्रौर 16 मि०मी० की सुविधाएं दी जाएंगी; (2) भारतीय कथा चित्रों के वीडियो टेप (दृश्य-श्रव्य टेप) तैयार करने की एक यूनिट मद्रास में लगाई जाएगी प्रौर (3) भारतीय फिल्मों की बिक्री बढ़ाने के लिए न्यूयार्क, लन्दन प्रौर हांगकांग में दफ्तर खोले जाएंगे।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय जिसकी स्थापना सूचना प्रौर प्रसारण मंत्रालय द्वारा मई, 1973 में की गई थी, 1 जुलाई, 1981 से मंत्रालय के एक सरकारी उपक्रम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को प्रन्तरित कर दिया गया। फिल्म समारोह निदेशालय राष्ट्रीय फिल्म समारोह की योजना को क्रियान्वित करता है तथा द्विपक्षीय सांस्कृतिक प्रादान प्रदान के प्रन्तर्गत सरकार की प्रोर से विदेशी फिल्मों के भारत में प्रौर भारतीय फिल्मों के विदेशों में समारोह प्रायोजित करता है। यह निदेशालय विदेशों में होने वाले प्रन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्में भेजने के कार्य को विनियमित करता है। यह भारत के प्रन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों प्रौर अन्य फिल्मोत्सवों का प्रायोजन भी करता है।

राष्ट्रीय फिल्म समारोह

राष्ट्रीय फिल्म समारोह (जिसे पहले 'राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार' कहा जाता था) की योजना 1953 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य को पुरस्कृत कर भारत में फिल्म कला को बढ़ावा देना है। इसके प्रलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी है, जो भारतीय सिनेमा में प्रद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। ये वार्षिक पुरस्कार प्रब एक नई राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के प्रधीन दिए जाते हैं। पुरस्कारों में स्वर्ण कमल, रजत कमल प्रौर नकद पुरस्कार शामिल हैं।

'दादा साहेब फाल्के पुरस्कार' का निर्णय भारत सरकार करती है प्रौर राष्ट्रीय फिल्म समारोह की प्रविष्टियों पर दो राष्ट्रीय निर्णायक-समितियां विचार करती हैं। इनमें से एक निर्णायक समिति लघु चित्रों के लिए प्रौर दूसरी कथा चित्रों के लिए है।

प्रठाईसवें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए 79 फीचर फिल्में प्रौर 104 लघु फिल्में प्राप्त हुईं। 'प्राकालेर संधाने' (बंगाली) को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म माना गया प्रौर उसके निर्माता तथा निर्देशक को 'स्वर्णकमल' तथा क्रमश: 50,000 प्रौर 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सर्वश्रेष्ठ पटकथा प्रौर सर्वश्रेष्ठ सम्पादन के लिए भी पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 'भावनी भवाई' (गुजराती) को दिया गया। इसके निर्माता प्रौर निर्देशक को 'रजत कमल' तथा क्रमश: 30,000 प्रौर 15,000 के नकद पुरस्कार दिए गए। बालन के० नायर को मलियाली फिल्म 'प्रोप्पोल' में प्रभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभिनेता का पुरस्कार दिया गया जबकि हिन्दी फिल्म 'चक्र' में प्रभिनय के लिए स्मिता पाटिल को सर्वश्रेष्ठ प्रभिनेत्री का पुरस्कार मिला। मास्टर प्ररविन्द को 'प्रोप्पोल' में प्रभिनय

सारणी 10.8
सिनेमाघरों की संख्या

सिनेमाघर	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
स्थायी	5,474	5,650	5,845	6,030	6,216	6,405	6,667
चलते-फिरते	3,266	3,367	3,332	3,521	3,744	4,157	4,146
योग	8,740	9,017	9,167	9,551	9,960	10,462	10,813

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 1975 में गठित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि फिल्म उद्योग के समन्वित और कुशल विकास के लिए योजना बनाने, इसे लागू करने और इसे बढ़ावा देने का काम राष्ट्रीय आर्थिक नीति और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हो। इसके मोटे तौर पर कार्यकलाप ये हैं : (1) कथा चित्रों के आयात-निर्यात का काम देखना; (2) फिल्म उद्योग के लिए कच्चे माल और उपकरणों का आयात, आबंटन और वितरण ; (3) देश में विद्यमान व्यवस्था के जरिए फिल्मों का वितरण और प्रदर्शन तथा इस काम के लिए नये राष्ट्रीय थियेटरों का निर्माण भी कराना; (4) स्तरीय फिल्मों को प्रोत्साहन देना और (5) फिल्म उपकरणों तथा कच्चे माल के लिए अनुसन्धान और विकास कार्य को बढ़ावा देना।

निगम अपने गठनकाल से सुप्तावस्था में था। 11 अप्रैल, 1980 को उसे सक्रिय बनाया गया और फिल्म वित्त निगम तथा इण्डियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कारपोरेशन (भारतीय चलचित्र निर्यात निगम) को इसमें मिला दिया गया। अप्रैल से दिसम्बर 1981 के दौरान निगम ने फिल्म निर्माण के लिए कुल 28.85 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया और 25 सिनेमाघरों के निर्माण के लिए बैंक तथा सरकार के साथ मिलकर 147.26 लाख रुपये का ऋण दिया।

इसने विदेशों से 50 कथाचित्र मंगाये, 33 फिल्में जारी कीं और विदेशी आयातित फिल्मों के वितरण से 81.38 लाख रुपये कमाये। इसने 34.06 लाख रुपये की भारतीय फिल्में भी निर्यात कीं। माध्यम संस्था के रूप में इसने 27.08 लाख रुपये का कमीशन भी प्राप्त किया।

पहली बार निगम ने संयुक्त रूप से फिल्म निर्माण शुरू किया। इसने इण्डो-ब्रिटिश फिल्म्स लि० (इंग्लैंड) के साथ महात्मा गांधी पर फिल्म बनाने के लिए अनुबन्ध किया। 'गांधी' फिल्म का निर्माण पूरा हो चुका है और वितरण सम्बन्धी प्रमुख अधिकारों के बारे में फैसला हो चुका। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फ्रांस की फिल्म निर्माण संस्था मै० टैक्नीसोनर के साथ मिलकर 7 अंकों वाली दूरदर्शन फिल्म बना रहा है। भारत और विदेशों में दूरदर्शन के लिए खासतौर से फिल्में बनाने की भी इसकी योजना है।

निगम फिल्म उद्योग के विकास के लिए भी प्रोत्साहन दे रहा है। इसके अधीन (1) पुणे और कलकत्ता में क्रमश: फिल्मों के संवादों के अन्य भाषाओं में अनुवाद और 16 मि०मी० की सुविधाएं दी जाएंगी; (2) भारतीय कथा चित्रों के वीडियो टेप (दृश्य-श्रव्य टेप) तैयार करने की एक यूनिट मद्रास में लगाई जाएगी और (3) भारतीय फिल्मों की बिक्री बढ़ाने के लिए न्यूयार्क, लन्दन और हांगकांग में दफ्तर खोले जाएंगे।

फिल्म समारोह निदेशालय -- फिल्म समारोह निदेशालय जिसकी स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मई, 1973 में की गई थी, 1 जुलाई, 1981 से मंत्रालय के एक सरकारी उपक्रम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अन्तरित कर दिया गया। फिल्म समारोह निदेशालय राष्ट्रीय फिल्म समारोह की योजना को क्रियान्वित करता है तथा द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के अन्तर्गत सरकार की ओर से विदेशी फिल्मों के भारत में और भारतीय फिल्मों के विदेशों में समारोह आयोजित करता है। यह निदेशालय विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्में भेजने के कार्य को विनियमित करता है। यह भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और अन्य फिल्मोत्सवों का आयोजन भी करता है।

राष्ट्रीय फिल्म समारोह राष्ट्रीय फिल्म समारोह (जिसे पहले 'राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार' कहा जाता था) की योजना 1953 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य को पुरस्कृत कर भारत में फिल्म कला को बढ़ावा देना है। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी है, जो भारतीय सिनेमा में अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। ये वार्षिक पुरस्कार अब एक नई राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाते हैं। पुरस्कारों में स्वर्ण कमल, रजत कमल और नकद पुरस्कार शामिल हैं।

'दादा साहेब फाल्के पुरस्कार' का निर्णय भारत सरकार करती है और राष्ट्रीय फिल्म समारोह की प्रविष्टियों पर दो राष्ट्रीय निर्णायक-समितियां विचार करती हैं। इनमें से एक निर्णायक समिति लघु चित्रों के लिए और दूसरी कथा चित्रों के लिए है।

अठाईसवें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए 79 फीचर फिल्में और 104 लघु फिल्में प्राप्त हुईं। 'आकालेर संधाने' (बंगाली) को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म माना गया और उसके निर्माता तथा निर्देशक को 'स्वर्णकमल' तथा क्रमश: 50,000 और 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ सम्पादन के लिए भी पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 'भावनी भवाई' (गुजराती) को दिया गया। इसके निर्माता और निर्देशक को 'रजत कमल' तथा क्रमश: 30,000 और 15,000 के नकद पुरस्कार दिए गए। बालन के० नायर को मलियाली फिल्म 'ओप्पोल' में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया जबकि हिन्दी फिल्म 'चक्र' में अभिनय के लिए स्मिता पाटिल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। मास्टर अरविन्द को 'ओप्पोल' में अभिनय

के लिए सर्वश्रेष्ठ बालकलाकार का पुरस्कार दिया गया। हिन्दी सिनेमा में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए पी० जयराज को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया।

अब इस योजना के अन्तर्गत 32 अखिल भारतीय और प्रादेशिक पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रादेशिक पुरस्कार देश की प्रमुख भाषाओं में निर्मित फ़िल्मों के लिए दिए जाते हैं :

'अनिर्वाण' (असमिया), 'हीरक राजार देशे' (बंगाला), 'आक्रोश' (हिन्दी); 'यागम' (मलयालम), 'चन्न परदेसी' (पंजाबी), 'नेनजथाई किल्लाथे' (तमिल) और 'हरिश्चन्द्र' (तेलुगु) को विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों का पुरस्कार दिया गया।

विदेशों के फिल्म समारोह में भारतीय फिल्में

1981-82 के दौरान निदेशालय ने 21 समारोहों में फिल्में भेजी, मृणालसेन की फिल्म 'आकालेर संधाने' को बर्लिन फिल्म समारोह में सिल्वर बीयर का पुरस्कार मिला। स्व० रवीन्द्र धर्मराज द्वारा निर्देशित हिन्दी फिल्म 'चक्र' को रोत्तरदाम में गोल्डन लियोपर्ड पुरस्कार मिला। ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित फिल्म 'नक्सेलाइट्स' को इटली के बरगेम समारोह में गोल्डन मेडल पुरस्कार दिया गया। फ्रांस के वेन्सानून फिल्म समारोह मे भारतीय फिल्म 'शंकरभरणम' को संगीत के लिये पुरस्कृत किया गया। अमोलपालेकर की फिल्म 'आक्रित' को नानटास में निर्णायकों का (विशेष उल्लेख) पुरस्कार दिया गया जबकि के० मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म 'भावनी भवाई' को यूनेस्को क्लब मेडल प्राप्त हुआ। अपर्णासेन द्वारा निर्देशित फिल्म '36 चौरंगी लेन' को मनीला के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रतिस्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप मे गोल्डन ईगल से पुरस्कृत किया गया। मनीला में सत्यजित रे को निर्णायकमण्डल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।

फिल्मोत्सव

निदेशालय ने 3 जनवरी से 17 जनवरी, 1982 तक कलकत्ता में 'फिल्मोत्सव 82' के नाम से एक गैर-प्रतिस्पर्धा अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया। इस समारोह में कुल 37 देशो ने भाग लिया। इसमें 124 फीचर फिल्में और 33 लघु फिल्में दिखाई गईं। पुरानी फिल्मो के कार्यक्रम मे ज्यालुंगोदार, यिलमाज गुनी और मिकलोस जान्कसो की फिल्में दिखाई गईं। इस समारोह मे एक विशेष बात यह थी कि इसमें 16 मि० मी० की फिल्मे भी दिखाई गईं जिनमे कुछ फिल्मे विकासशील देशों की थीं। इसके अलावा भारतीय फिल्मों मे 21 फिल्में दिखाई थी जिनमें भारत के प्रतिष्ठित निर्देशकों की नवीनतम फिल्मे तथा उदीयमान निर्देशकों की फिल्मे थी। भारतीय फिल्मों के स्वर्ण जयन्ती के अन्तर्गत चुनी गई पुरानी भारतीय फिल्में दिखाई गईं। 'सिनेमा 2000' विषय पर एक गोष्ठी भी हुई।

बाल फिल्म सोसायटी

बच्चों के लिए फिल्मों का निर्माण मुख्य रूप से बाल फिल्म सोसायटी द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना मई 1955 में एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में

की गई तथा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत इसका पंजीकरण किया गया। इसका कार्य बच्चों और किशोरों के लिए फिल्मों, के निर्माण, वितरण और प्रदर्शन का कार्य स्वयं करना, इस कार्य में सहायता करना, प्रायोजित करना, उसे बढ़ावा देना और उसमें समन्वय स्थापित करना है। पिछले 27 वर्षों में सोसायटी ने 210 से अधिक फीचर और लघु फिल्मों का निर्माण और अधिग्रहण किया है जिनमें सामान्य फिल्में, कठपुतली फिल्में तथा कार्टून फिल्में शामिल हैं, । इनमें से 12 फिल्मों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। सोसायटी के खर्च की पूर्ति ज्यादातर केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान से होती है हालांकि यह अपनी फिल्मों के प्रदर्शन में टिकटों की बिक्री तथा 16 और 35 मि० मी० फिल्मों को किराये पर देने से होने वाली आय से भी राजस्व कमाती है।

सोसायटी की फिल्में विभिन्न महानगरों और दूसरे शहरों में नियमित रूप से दिखाई जाती हैं। अनेक विद्यालय, समाज कल्याण केन्द्र, और औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने परिसर में बच्चों को दिखाने के लिए सोसायटी की 16 मि० मी० फिल्मों की लाईब्रेरी से मांग कर फिल्में लेते हैं। भारतीय बाल फिल्म सोसायटी ने डा० वी० शान्ताराम, जो कि इसके अध्यक्ष हैं, के नेतृत्व में एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सिनेमा की गाड़ियों के जरिए फिल्में दिखाई जाएंगी। सोसायटी बच्चों की फिल्मों का समारोह आयोजित करती है तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समारोहों में अपनी फिल्में भेजती है।

सोसायटी ने पहला अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बाल फिल्म समारोह दिसम्बर, 1979 में बम्बई में आयोजित किया। इसमें 25 देशों ने भाग लिया। इसने दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नवयुवा (बाल) फिल्म समारोह नवम्बर 1981 में मद्रास में आयोजित किया। इसमें तीस देशो ने भाग लिया। इस समारोह को 'क' वर्ग का प्रमाण पत्र देकर इसे विश्व के 'पांच बड़े' समारोहों में स्थान दिया गया। इसकी एक नई फिल्म 'नानी मा' मास्को में विशेष पुरस्कार तथा एक दूसरी फिल्म 'बाल शिवाजी' को मद्रास में सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार दिया गया।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना 1964 में हुई। इसके मुख्य उद्देश्य ये हैं : राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्रों की प्राप्ति और उनका संरक्षण, फिल्मों का वर्गीकरण, प्रलेखन और अनुसंधान, तथा फिल्म अध्ययन को प्रोत्साहन और फिल्म कला का प्रसार। 31 दिसम्बर, 1981 को, इसका कुल संग्रह 7099 फिल्मों का था, जिनमें निःशुल्क जमा कराई गई तथा डुप्लीकेट प्रिंट सामग्री शामिल थी। इसके पास सहायक फिल्म सामग्री भी है, जिसमें 10,164 पुस्तकें, 214 पत्रिकाएं, 14,30 डिस्क रिकार्ड, 15,989 स्टिल, 3,738 इश्तिहार, 2946 गीत पुस्तिकाएं, 11,085 फिल्म पटकथाएं, 4151 फोल्डर, और 1376 प्रेसक्लिपिंग हैं।

के लिए सर्वश्रेष्ठ बालकलाकार का पुरस्कार दिया गया। हिन्दी सिनेमा में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए प्रो० जयराज को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया।

अब इस योजना के अन्तर्गत 32 अखिल भारतीय और प्रादेशिक पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रादेशिक पुरस्कार देश की प्रमुख भाषाओं में निर्मित फिल्मों के लिए दिए जाते हैं :

'अनिर्वाण' (असमिया), 'होरक राजार देशे' (बंगला), 'आक्रोश' (हिन्दी), 'याभम' (मलयालम), 'चन्न परदेसी' (पंजाबी), 'नेनजथाई किल्लाथे' (तमिल) और 'हरिश्चन्द्र' (तेलुगु) को विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों क पुरस्कार दिया गया।

विदेशों के फिल्म समारोह में भारतीय फिल्में

1981-82 के दौरान निदेशालय ने 21 समारोहों में फिल्में भेजी, मृणा फिल्म 'आकालेर संधाने' को बर्लिन फिल्म समारोह में सिल्वर बीयर म मिला। स्व० रवीन्द्र धर्मराज द्वारा निर्देशित हिन्दी फिल्म 'चक्र' को मे गोल्डन लियोपर्ड पुरस्कार मिला। ख्वाजा अहमद अब्बास फिल्म 'नक्सेलाइट्स' को इटली के बरगेम समारोह में गोल्डन दिया गया। फ्रांस के बेन्सानून फिल्म समारोह मे भारतीय को संगीत के लिये पुरस्कृत किया गया। अमोलपालेक को नानटास में निर्णायकों का (विशेष उल्लेख) पुरस्त मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म 'भावनी भवाई' क हुआ। अपर्णासेन द्वारा निर्देशित फिल्म '36 चौरंगी फिल्म समारोह में प्रतिस्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के र किया गया। मनीला में सत्यजित रे को निर्णा आमंत्रित किया गया था।

फिल्मोत्सव

निदेशालय ने 3 जनवरी से 17 जनवरी, 82' के नाम से एक गैर-प्रतिस्पर्धा अन्तरराष्ट्रीय इस समारोह में कुल 37 देशों ने भाग लिया। 33 लघु फिल्में दिखाई गईं। पुरानी फिल्मों के गुनी और मिकलोस जान्कसो की फिल्में दिखाई गई बात यह थी कि इसमें 16 मि० मी० की फिल्में फिल्में विकासशील देशों की थी। इसके अला 21 फिल्में दिखाई थी जिनमें भारत के प्रतिष्ठित नि तथा उदीयमान निर्देशकों को फिल्में थी। भारतीय फि अन्तर्गत चुनी गई पुरानी भारतीय फिल्में दिखाई गईं। पर एक गोष्ठी भी हुई।

बाल फिल्म सोसायटी

बच्चों के लिए फिल्मों का निर्माण मुख्य रूप से बाल फि जाता है। इसकी स्थापना मई 1955 में एक स्वा

कार्यालय की विशेष शाखा के रूप में हुई थी। 1944 में इसे पृथक अस्तित्व और वर्तमान नाम प्राप्त हुआ। यह कला, संस्कृति और इतिहास, परम्परा, राजनीतिक घटनाओं, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, आर्थिक विकास, सामाजिक पुनरुत्थान आदि विभिन्न विषयों पर हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकें व पत्रिकाएं और अन्य सामग्री प्रकाशित करता है। अब तक विभाग 5,636 पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है।

विभाग 7 बड़ी पुस्तकमालाओं के अंतर्गत पुस्तकें प्रकाशित करता है। ये शृंखलाएं हैं: (1) संपूर्ण गांधी वाङ्मय, (2) बाल साहित्य, (3) आधुनिक भारत के निर्माता, (4) भारत के सांस्कृतिक नेता, (5) हमारे देश के राज्य, (6) प्रमुख नेताओं के भाषण और (7) सन्दर्भ प्रकाशन।

"संपूर्ण गांधी वाङ्मय" माला में पुस्तकें अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार की गई हैं। इनमें गांधीजी के भाषण, लेख, भेंटवार्ताएं और पत्र हैं जो कालक्रम से रखे गए हैं और विशिष्ट ढंग से सम्पादित किए गए हैं। अब तक अंग्रेजी में 84 और हिन्दी में 75 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। आशा है कि इस शृंखला में 90 खंड होंगे।

"आधुनिक भारत के निर्माता" पुस्तकमाला में भारत के उन महान पुरुषों और महिलाओं की जीवनियां प्रकाशित की जा रही हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय पुनरुत्थान एवं स्वातंत्र्य-संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अब तक 52 जीवनियां प्रकाशित हो चुकी हैं और 35 प्रकाशित होने वाली हैं।

"भारत के सांस्कृतिक नेता" पुस्तकमाला में प्रकाशित पुस्तकों में आरम्भिक काल से उन्नीसवीं शताब्दी तक के उन महापुरुषों के जीवन एवं कृतियों का प्रामाणिक वर्णन है, जिन्होंने भारत की संस्कृति एवं विचारधारा में विशेष योगदान किया। "हमारे देश के राज्य" शृंखला की पुस्तकों में हमारे देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। "भारत के सांस्कृतिक नेता" शृंखला में 10 और "हमारे देश के राज्य" शृंखला में 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

यह विभाग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषण भी प्रकाशित करता है।

इसके अलावा विभाग कला सम्बन्धी पुस्तकें भी प्रकाशित करता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं: "कांगड़ा वैली पेंटिंग", "हेरीटेज आफ इंडियन आर्ट" और "लुकिंग अगेन एट इण्डियन आर्ट"।

विभाग विभिन्न अवधियों की 21 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बन्धित पत्रिका "योजना", असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलुगु में छपती है। इसका उर्दू संस्करण भी शुरू किया गया है। बच्चों के लिए "बाल भारती" (हिन्दी) तथा प्रौढ़ पाठकों की सांस्कृतिक अभिरुचि को तुष्ट करने के लिए "आजकल" (हिन्दी और उर्दू) पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। अन्य पत्रिकाओं में शामिल हैं— "इंडियन एंड फारेन रिव्यू", "कुरुक्षेत्र" तथा अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक "रोजगार समाचार" (एम्प्लायमेंट न्यूज)।

1981 के दौरान फिल्म संग्रहालय (आर्काइव) ने 1,200 फिल्में खरीदीं जो महत्वपूर्ण फिल्में और खरीदी गई उनके नाम हैं —तपस्या (हिन्दी) 1976 गमन (हिन्दी, 1978); दूरत्व (बंगला 1978) जुनून (हिन्दी, 1978), परशुराम (बंगला, 1978) शोध (हिन्दी, 1979) नीम अन्नपूर्णा (बंगला 1979); इन्कार (हिन्दी, 1979); ग्रहण (कन्नड़, 1979); मा भूमि (तेलुगु 1979); शंकरभरणम (तेलुगु, 1979) एक दिन प्रति दिन (बंगला, 1979), सिंहासन (मराठी 1980), अनिर्वाण (असमिया, 1980); आकालेर सन्धाने (बंगला, 1980), और यगम (मलयालम, 1980)।

जो विदेशी फिल्में खरीदी गई उनके नाम हैं—आन्द्रेजेज वाजदा की फिल्म "मन आव मार्बल" (1979); क्रिजटॉफ जैनुसी की फिल्में 'कैमोफ्लैज' (1977) और 'स्पाइरल' (1978); मिक्लास जैन्कुसो की फिल्म "एलेक्ट्रा" (1974); मौरो बोलोगिनिनी की 'ला नोट्टे ब्रावा' (1959) और एलबर्ट लैमोरीस की फिल्म 'ला बैलुन रूज'।

संग्रहालय को लाइब्रेरी आफ कांग्रेस, वाशिंगटन के पेपर प्रिन्ट तथा ब्रिटिश संग्रहालय से भारत के बारे में शुरू की कुछ प्रमुख सामग्री भी आदान-प्रदान के आधार पर मिली।

यह संग्रहालय अपने सिनेमा शिक्षा कार्य के एक भाग के रूप में, भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान के साथ मिल कर तथा विश्वविद्यालयों और फिल्म अध्ययन समूहों के सहयोग से पुणे में और अन्य केन्द्रों में फिल्म ज्ञान के लिए नवीकरण (रिफ्रेशर) पाठ्यक्रम चलाता है। यह फिल्मकला के विद्यार्थियों के लिए पुणे में प्रतिदिन तथा सामान्य जनता के लिए बम्बई में सप्ताह में एक बार नियमित रूप से फिल्में भी दिखाता है। संग्रहालय के पास लगभग 155 भारतीय और विदेशी फिल्मों की एक वितरण लाइब्रेरी भी है। ये फिल्में गैर-व्यापारिक अध्ययन प्रदर्शन के लिए फिल्म सोसाइटियों और फिल्म अध्ययन समूहों को उधार दी जाती हैं।

1981 में भारतीय बोलती फिल्मों ने 49 वर्ष पूरे करके पचासवें वर्ष में प्रवेश किया। इस सम्बन्ध में आयोजित विभिन्न समारोहों के लिये फिल्में और सहायक सामग्री देकर 'आर्काइव' ने सक्रिय सहयोग दिया।

राष्ट्रीय फिल्म नीति पर कार्यदल

फिल्म उद्योग के विभिन्न पक्षों का गहराई से अध्ययन करने और राष्ट्रीय फिल्म नीति के बारे में सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्यदल ने 2 जून 1980 को अपनी रिपोर्ट दी। इस कार्यदल द्वारा दी गई 231 सिफारिशों में से 212 सिफारिशों पर निर्णय लिए जा चुके हैं। शेष 19 सिफारिशों पर विभिन्न स्तरों पर विचार हो रहा है।

प्रकाशन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रकाशन संस्थान है। शुरू में 1941 में इसकी स्थापना सार्वजनिक सूचना

कार्यालय की विदेश शाखा के रूप में हुई थी। 1944 में इसे पृथक अस्तित्व और वर्तमान नाम प्राप्त हुआ। यह कला, संस्कृति और इतिहास, परम्परा, राजनीतिक घटनाओं, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, आर्थिक विकास, सामाजिक पुनरुत्थान आदि विभिन्न विषयों पर हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकें व पत्रिकाएं और अन्य सामग्री प्रकाशित करता है। अब तक विभाग 5,636 पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है।

विभाग 7 बड़ी पुस्तकमालाओं के अंतर्गत पुस्तकें प्रकाशित करता है। ये श्रृंखलाएं हैं: (1) संपूर्ण गांधी वाङ्मय, (2) बाल साहित्य, (3) आधुनिक भारत के निर्माता, (4) भारत के सांस्कृतिक नेता, (5) हमारे देश के राज्य, (6) प्रमुख नेताओं के भाषण और (7) सन्दर्भ प्रकाशन।

"संपूर्ण गांधी वाङ्मय" माला में पुस्तकें अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार की गई हैं। इनमें गांधीजी के भाषण, लेख, भेंटवार्ताएं और पत्र हैं जो कालक्रम से रखे गए हैं और विशिष्ट ढंग से सम्पादित किए गए हैं। अब तक अंग्रेजी में 84 और हिन्दी में 75 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। आशा है कि इस श्रृंखला में 90 खंड होंगे।

"आधुनिक भारत के निर्माता" पुस्तकमाला में भारत के उन महान पुरुषों और महिलाओं की जीवनियां प्रकाशित की जा रही हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय पुनरुत्थान एवं स्वातंत्र्य-संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अब तक 52 जीवनियां प्रकाशित हो चुकी हैं और 35. प्रकाशित होने वाली हैं।

"भारत के सांस्कृतिक नेता" पुस्तकमाला में प्रकाशित पुस्तकों में आरम्भिक काल से उन्नीसवीं शताब्दी तक के उन महापुरुषों के जीवन एवं कृतियों का प्रामाणिक वर्णन है, जिन्होंने भारत की संस्कृति एवं विचारधारा में विशेष योगदान किया। "हमारे देश के राज्य" श्रृंखला की पुस्तकों में हमारे देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। "भारत के सांस्कृतिक नेता" श्रृंखला में 10 और "हमारे देश के राज्य" श्रृंखला में 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

यह विभाग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषण भी प्रकाशित करता है।

इसके अलावा विभाग कला सम्बन्धी पुस्तकें भी प्रकाशित करता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं: "कांगड़ा वैली पेंटिंग", "हेरीटेज आफ इंडियन आर्ट" और "लुकिंग अगेन एट इण्डियन आर्ट"।

विभाग विभिन्न अवधियों की 21 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बन्धित पत्रिका "योजना", असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलुगु में छपती है। इसका उर्दू संस्करण भी शुरू किया गया है। बच्चों के लिए "बाल भारती" (हिन्दी) तथा प्रौढ़ पाठकों की सांस्कृतिक अभिरुचि को तुष्ट करने के लिए "आजकल" (हिन्दी और उर्दू) पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। अन्य पत्रिकाओं में शामिल हैं— "इंडियन एंड फारेन रिव्यू", "कुरुक्षेत्र" तथा अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक "रोजगार समाचार" (एम्लायमेंट न्यूज)।

पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री 3,000 से भी अधिक पुस्तक विक्रेताओं द्वारा तथा विभाग के अपने विक्रय केन्द्रों के माध्यम से की जाती है। ये बिक्री केन्द्र नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, लखनऊ और तिरुवनन्तपुरम में हैं।

भारत द्वारा मास्को में हुए तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लेने से, पहली बार एक समझौते के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है जिसके अधीन भारतीय पुस्तकों जैसे श्रीमती इन्दिरा गांधी के भाषणों का संकलन 'इयर्स आफ एनडेवर', कपिला (वात्सायन) की पुस्तक "इण्डियन क्लासीकल डान्सेज; रस्किन बांड की पुस्तक 'लास्ट टाइगर' का रूसी भाषा में अनुवाद और प्रकाशन हो सकेगा।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा स्वायत्त संस्थाओं की ओर से विज्ञापन और दृश्य प्रचार अभियान के लिए भारत सरकार की केन्द्रीय एजेंसी है। प्रचार अभियान, प्रेस विज्ञापनों, मुद्रित प्रचार-सामग्री जैसे पोस्टर, फोल्डर, पर्चे, ब्रोशरों और पुस्तिकाओं, प्रचार के अन्य तरीकों जैसे बड़े बोर्ड (होर्डिंग), पैनल, सिनेमा स्लाइड, धातु की तख्तियों और रेडियो एवं दूरदर्शन पर प्रचार और प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से चलाए जाते हैं। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी प्रचार, फोटो प्रदर्शनियों के जरिए भी किया जाता है। निदेशालय के पास 40 क्षेत्रीय प्रदर्शनी एकक हैं। इनमें से अधिकतर राज्यों की राजधानियों में हैं। इनमें 6 प्रदर्शनी वाहन और दो प्रदर्शनी रेल-डिब्बे शामिल हैं।

1980-81 के दौरान निदेशालय ने 758 प्रदर्शनियां लगाईं जो 3,844 दिनों तक चलीं। 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष मनाने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने 'विकलांगों को समर्थ बनाना' के शीर्षक से एक सुन्दर प्रदर्शनी की रूपरेखा बनाई और उसे प्रस्तुत किया। अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शनियां जो आयोजित की गई वे हैं—भारत सोवियत संधि का दशक मनाने के लिए आयोजित प्रदर्शनी 'मित्रता हमारी विरासत' 'मानव और पशु-प्रगति में सहभागी'; बोन और मारीशस में जवाहरलाल नेहरू पर आयोजित प्रदर्शनियां। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने नई दिल्ली में आयोजित तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भी भाग लिया और उसमें 'करोड़ों लोगों तक पहुंचना' नामक मंडप भी लगाया जिसमें मंत्रालय के सभी संचार माध्यमों के बारे में बताया गया था।

जनता को उसके तात्कालिक और लम्बी अवधि के हितों से सम्बद्ध बातों की जानकारी देने के लिए निदेशालय बहुमाध्यम राष्ट्रीय प्रचार अभियान भी चलाता है। परिवार कल्याण, साम्प्रदायिक एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को मिटाने के लिए व्यापक अभियान चलाए गए। देश के कृषि, आर्थिक विकास, बचत को बढ़ावा देने, दस्तकारी की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने, नागरिक

अधिकार, सड़क पर सुरक्षा, आदि विषयों के बारे में लोगों को बताने के लिए भी व्यापक अभियान चलाए गए ।

विज्ञापन

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों (रेलवे को छोड़कर) और विभागों के लिए विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन इस निदेशालय द्वारा जारी किए जाते हैं । अनेक स्वायत्त संस्थान और सार्वजनिक संस्थान भी अपने विज्ञापन इस निदेशालय के जरिए जारी करते हैं । भारत सरकार की विज्ञापन नीति, विशेष प्रचार जरूरतों, और बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सन्तुलित रूप से विज्ञापन देने के प्रयास किए जाते हैं । सरकार के व्यापक सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए छोटे और मझोले समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, विशिष्ट वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं, भाषाई समाचारपत्रों/पत्रिकाओं और खासकर पिछड़े, सीमावर्ती और दूर दराज के इलाकों से छपने वाली पत्र पत्रिकाओं को उचित तरजीह दी जाती है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय विज्ञापन एजेंसियों को मान्यता भी प्रदान करता है ताकि वे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों और स्वायत्त संस्थानों का प्रचार कार्य कर सकें।

मुद्रण और डिजाइन के लिए पुरस्कार

मुद्रण और रूप-सज्जा में उच्च स्तर के लिए स्वस्थ स्पर्धा को बढ़ावा देने के वास्ते, निदेशालय प्रतिवर्ष "पुस्तकों एवं अन्य प्रकाशनों के मुद्रण एवं डिजाइन म श्रेष्ठता के राष्ट्रीय पुरस्कारों" के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करता है। 1981 में 22वें पुरस्कार घोषित किए गए और 60 श्रेणियों के 187 विजेताओं को 344 पुरस्कार दिए गए।

वितरण

निदेशालय के पास विविध प्रकार की प्रचार सामग्री डाक द्वारा भेजने के लिए 350 से भी अधिक श्रेणियों के लोगों के लगभग 11.5 लाख पतों की सूची भी है, जिनमें से 60 प्रतिशत लोग पंचायतों, प्राइमरी/हाई स्कूलों, खंड विकास अधिकारियों, ग्रामीण डाकखानों, ग्रामीण पुस्तकालयों आदि ग्रामीण श्रेणियों के हैं। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने 1981 के दौरान शिक्षा और जानकारी देने वाले विभिन्न अभियानों के लिए 497 प्रचार पत्र प्रकाशित किए।

क्षेत्रीय प्रचार

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय छोटे से छोटे गावों-टोलों तक जाकर जन-जन से सम्पर्क करने और प्रचार कार्य करने वाला सरकार का सबसे बड़ा संगठन है। राज्यों की राजधानियों और अन्य स्थानों पर इसके 22 प्रादेशिक कार्यालय हैं और देश भर में इसकी 257 क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें हैं। इनमें से 72 सीमावर्ती क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें और 30 परिवार कल्याण यूनिटें हैं। इन यूनिटों के प्रभारी, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी होते हैं जो खासकर ग्रामीण, आदिवासी, पिछड़े और सीमावर्ती इलाकों में जाते हैं और राष्ट्रीय एकता, प्रौढ़ शिक्षा, बाल कल्याण, परिवार कल्याण, खेती बाड़ी, कृषि पर आधारित उद्योगों और छोटे उद्योग धन्धों जैसे

पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री 3,000 से भी अधिक पुस्तक विक्रेताओं द्वारा तथा विभाग के अपने विक्रय केन्द्रों के माध्यम से की जाती है। ये बिक्री केन्द्र नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, लखनऊ और तिरुअनन्तपुरम् में हैं।

भारत द्वारा मास्को में हुए तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लेने से, पहली बार एक समझौते के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है जिसके अधीन भारतीय पुस्तकों जैसे श्रीमती इन्दिरा गांधी के भाषणों का संकलन 'इयर्स आफ एनडवर', कपिला (वात्सायन) की पुस्तक "इण्डियन क्लासीकल डान्सेज; रस्किन बाड की पुस्तक 'लास्ट टाइगर' का रूसी भाषा में अनुवाद और प्रकाशन हो सकेगा।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा स्वायत्त संस्थाओं की ओर से विज्ञापन और दृश्य प्रचार अभियान के लिए भारत सरकार की केन्द्रीय एजेंसी है। प्रचार अभियान, प्रेस विज्ञापनों, मुद्रित प्रचार-सामग्री जैसे पोस्टर, फोल्डर, पर्चे, ब्रोशरों और पुस्तिकाओं, प्रचार के अन्य तरीकों जैसे बड़े बोर्ड (होर्डिंग), पैनल, सिनेमा स्लाइड, धातु की तख्तियों और रेडियो एवं दूरदर्शन पर प्रचार और प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से चलाए जाते हैं। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी प्रचार, फोटो प्रदर्शनियों के जरिए भी किया जाता है। निदेशालय के पास 40 क्षेत्रीय प्रदर्शनी एकक हैं। इनमें से अधिकतर राज्यों की राजधानियों में हैं। इनमें 6 प्रदर्शनी वाहन और दो प्रदर्शनी रेल-डिब्बे शामिल हैं।

1980-81 के दौरान निदेशालय ने 758 प्रदर्शनियां लगाईं जो 3,844 दिनों तक चलीं। 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष मनाने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने 'विकलांगों को समर्थ बनाना' के शीर्षक से एक सुन्दर प्रदर्शनी की रूपरेखा बनाई और उसे प्रस्तुत किया। अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शनियां जो आयोजित की गईं वे हैं:—भारत सोवियत संधि का दशक मनाने के लिए आयोजित प्रदर्शनी 'मित्रता हमारी विरासत' 'मानव और पशु—प्रगति में सहभागी'; चीन और मारीशस में जवाहरलाल नेहरू पर आयोजित प्रदर्शनियां। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने नई दिल्ली में आयोजित तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भी भाग लिया और उसमें 'करोड़ों लोगों तक पहुंचना' नामक मंडप भी लगाया जिसमें मंत्रालय के सभी संचार माध्यमों के बारे में बताया गया था।

जनता को उसके तात्कालिक और लम्बी अवधि के हितों से सम्बद्ध बातों की जानकारी देने के लिए निदेशालय बहुमाध्यम राष्ट्रीय प्रचार अभियान भी चलाता है। परिवार कल्याण, साम्प्रदायिक एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को मिटाने के लिए व्यापक अभियान चलाए गए। देश के कृषि, आर्थिक विकास, बचत को बढ़ावा देने, दस्तकारी की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने, नागरिक

अधिकार, सड़क पर सुरक्षा, आदि विषयों के बारे में लोगों को बताने के लिए भी व्यापक अभियान चलाए गए ।

विज्ञापन

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों (रेलवे को छोड़कर) और विभागों के लिए विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन इस निदेशालय द्वारा जारी किए जाते हैं । अनेक स्वायत्त संस्थान और सार्वजनिक संस्थान भी अपने विज्ञापन इस निदेशालय के जरिए जारी करते हैं । भारत सरकार की विज्ञापन नीति, विशेष प्रचार-जरूरतों, और बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सन्तुलित रूप से विज्ञापन देने के प्रयास किए जाते हैं । सरकार के व्यापक सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए छोटे और मझोले समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, विशिष्ट वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं, भाषाई समाचारपत्रों/पत्रिकाओं और खासकर पिछड़े, सीमावर्ती और दूर दराज के इलाकों से छपने वाली पत्र पत्रिकाओं को उचित तरजीह दी जाती है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय विज्ञापन एजेंसियों को मान्यता भी प्रदान करता है ताकि वे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों और स्वायत्त संस्थानों का प्रचार-कार्य कर सकें।

मुद्रण और डिजाइन के लिए पुरस्कार

मुद्रण और रूप-सज्जा में उच्च स्तर के लिए स्वस्थ स्पर्धा को बढ़ावा देने के वास्ते, निदेशालय प्रतिवर्ष "पुस्तकों एवं अन्य प्रकाशनों के मुद्रण एवं डिजाइन म श्रेष्ठता के राष्ट्रीय पुरस्कारों" के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करता है। 1981 में 22वें पुरस्कार घोषित किए गए और 60 श्रेणियों के 187 विजेताओं को 344 पुरस्कार दिए गए।

वितरण

निदेशालय के पास विविध प्रकार की प्रचार सामग्री डाक द्वारा भेजने के लिए 350 से भी अधिक श्रेणियों के लोगों के लगभग 11.5 लाख पतों की सूची भी है, जिनमें से 60 प्रतिशत लोग पंचायतो, प्राइमरी/हाई स्कूलो, खंड विकास अधिकारियों, ग्रामीण डाकखानों, ग्रामीण पुस्तकालयों आदि ग्रामीण श्रेणियों के हैं। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने 1981 के दौरान शिक्षा और जानकारी देने वाले विभिन्न अभियानो के लिए 497 प्रचार पत्र प्रकाशित किए।

क्षेत्रीय प्रचार

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय छोटे से छोटे गावों-टोलों तक जाकर जन-जन से सम्पर्क करने और प्रचार कार्य करने वाला सरकार का सबसे बड़ा संगठन है। राज्यों की राजधानियों और अन्य स्थानों पर इसके 22 प्रादेशिक कार्यालय हैं और देश भर में इसकी 257 क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें हैं। इनमें से 72 सीमावर्ती क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें और 30 परिवार कल्याण यूनिटें [illegible] प्रभारी, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी होते हैं जो खासकर ग्रामीण, [illegible] वर्ती इलाकों में जाते हैं और राष्ट्रीय एकता, प्रौढ़ शिक्षा, [illegible] कल्याण, खेती बाड़ी, कृषि पर आधारित उद्योगों और छोटे

पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री 3,000 से भी अधिक पुस्तक विक्रेताओं द्वारा तथा विभाग के अपने विक्रय केन्द्रों के माध्यम से की जाती है। ये बिक्री केन्द्र नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, लखनऊ और तिरुवनन्तपुरम में हैं।

भारत द्वारा मास्को में हुए तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लेने से, पहली बार एक समझौते के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है जिसके अधीन भारतीय पुस्तकों जैसे श्रीमती इन्दिरा गांधी के भाषणों का संकलन 'इयर्स आफ एन्डेवर', कपिला (वात्स्यायन) की पुस्तक "इण्डियन क्लासीकल डान्सेज; रस्किन बांड की पुस्तक 'लास्ट टाइगर' का रूसी भाषा में अनुवाद और प्रकाशन हो सकेगा।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा स्वायत्त संस्थाओं की ओर से विज्ञापन और दृश्य प्रचार अभियान के लिए भारत सरकार की केन्द्रीय एजेंसी है। प्रचार अभियान, प्रेस विज्ञापनों, मुद्रित प्रचार-सामग्री जैसे पोस्टर, फोल्डर, पर्चे, ब्रोशरों और पुस्तिकाओं, प्रचार के अन्य तरीकों जैसे बड़े बोर्ड (होर्डिंग), पैनल, सिनेमा स्लाइड, धातु की तख्तियों और रेडियो एवं दूरदर्शन पर प्रचार और प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से चलाए जाते हैं। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी प्रचार, फोटो प्रदर्शनियों के जरिए भी किया जाता है। निदेशालय के पास 40 क्षेत्रीय प्रदर्शनी एकक हैं। इनमें से अधिकतर राज्यों की राजधानियों में हैं। इनमें 6 प्रदर्शनी वाहन और दो प्रदर्शनी रेल-डिब्बे शामिल हैं।

1980-81 के दौरान निदेशालय ने 758 प्रदर्शनियां लगाईं जो 3,844 दिनों तक चलीं। 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष मनाने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने 'विकलांगों को समर्थ बनाना' के शीर्षक से एक सुन्दर प्रदर्शनी की रूपरेखा बनाई और उसे प्रस्तुत किया। अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शनियां जो आयोजित की गईं वे हैं:—भारत सोवियत संधि का दशक मनाने के लिए आयोजित प्रदर्शनी 'मित्रता हमारी विरासत' 'मानव और पशु—प्रगति में सहभागी'; चीन और मारीशस में जवाहरलाल नेहरू पर आयोजित प्रदर्शनियां। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने नई दिल्ली में आयोजित तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भी भाग लिया और उसमें 'करोड़ों लोगों तक पहुंचना' नामक मंडप भी लगाया जिसमें मंत्रालय के सभी संचार माध्यमों के बारे में बताया गया था।

जनता को उसके तात्कालिक और लम्बी अवधि के हितों से सम्बद्ध बातों की जानकारी देने के लिए निदेशालय बहुमाध्यम राष्ट्रीय प्रचार अभियान भी चलाता है। परिवार कल्याण, साम्प्रदायिक एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को मिटाने के लिए व्यापक अभियान चलाए गए। देश के कृषि, आर्थिक विकास, बचत को बढ़ावा देने, दस्तकारी की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने, नागरिक

राष्ट्रीय विषयों पर अनेक प्रचार कार्यक्रम आयोजित करते हैं । इनके अन्तर्गत फिल्में दिखाते हैं, सामूहिक गोष्ठियां और वार्तालाप कराते हैं, गीत और नाटक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और प्रदर्शनी लगाते हैं । छुआछूत और नशा करने जैसी सामाजिक बुराइयों के बारे में लोगों को बताने के लिए भी प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, परिवार कल्याण पखवाड़ा और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जैसे विशेष अवसरों पर ये क्षेत्र प्रचार यूनिटें जोरदार प्रचार अभियान चलाती हैं। चुनावों से पहले लोगों को उनके मताधिकार के बारे में बताने के लिए भी जोरदार अभियान चलाया जाता है ।

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण काम यह है कि वे सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता की प्रतिक्रिया का पता लगाएं। इनकी रिपोर्ट मुख्यालय में जाती हैं और फिर वहां से सरकार को भेजी जाती हैं। विकास कार्यों में जनता के योगदान के सफल उदाहरणों पर ध्यान दिया जाता है और इनकी जानकारी मंत्रालय के अन्य प्रचार माध्यमों को भेजी जाती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण काम यह है कि अगुआ ग्रामीण नेताओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को और देश के अन्य स्थानों के दौरे पर ले जाया जाता है । उसमें इन्हें विकास केन्द्रों और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को देखने का अवसर मिलता है । वापस जाकर ये लोग सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के पक्ष में जनमत तैयार करते हैं। इस तरह के दौरे से राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलता है ।

1981 में 257 क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें 26,000 से अधिक दिनों तक क्षेत्रीय दौरे पर रहीं और इन्होंने 74,000 से अधिक फिल्म कार्यक्रम और 9600 गीत और नाटक, कार्यक्रम पेश किए। इन कार्यक्रमों को करीब 6.5 करोड़ लोगों ने देखा।

विदेश प्रचार

विदेश मंत्रालय का विदेश प्रचार प्रभाग, विदेशों में लोगों को भारत सरकार की नीतियों और देश की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है । यह प्रभाग विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के सूचना और सांस्कृतिक विभागों के काम की देखरेख और उनमें तालमेल का काम भी करता है । यह प्रभाग विदेशों में लोगों और वहां के प्रचार माध्यमों को प्रचार सामग्री, तथा विशेष सम्मेलनों आदि के जरिए भारत सरकार की विदेश नीतियों के सभी पहलुओं को समझाने और स्पष्ट करने में भारतीय मिशनों की मदद करता है।

इसके लिए प्रभाग भारत में भारतीय और विदेशी संवाददाताओं के सम्मेलन बुलाता है, पत्रिकाएं और पुस्तिकाएं छापता है, विदेशी समाचारपत्रों में भारत के बारे में विशेष संस्करण निकलवाता है, विदेशी पत्रकारों के भारत दौरे और भारतीय पत्रकारों के विदेश दौरे का प्रबन्ध करता है, तथा फिल्मों, रेडियो और अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों के जरिए प्रचार करता है।

प्रभाग पाक्षिक पत्रिका 'इंडियन एंड फारेन रिव्यू' और इसका फ्रेंच संस्करण 'कूरियर द इंड' प्रकाशित करता है। यह मासिक 'फारेन अफेयर्स रिकार्ड' भी छापता है जिसमें भारतीय विदेश नीति संबंधी विषयों पर सरकारी घोषणा पत्र शामिल किए जाते हैं।

फोटो प्रभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फोटो प्रभाग देश के अन्दर तथा विदेशों में प्रचार के लिए फोटो तैयार करता है। इसका मुख्य कार्य देश में हो रहे विकास और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को फोटोबद्ध करना और मंत्रालय के अन्य प्रचार माध्यमों को आवश्यकतानुसार फोटो सप्लाई करना है। महत्वपूर्ण घटनाओं, विदेशी प्रमुख व्यक्तियों की यात्राओं, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं और अन्तरर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के फोटो तैयार किए जाते है। 20 सूत्री कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया जाता है, प्रमुख व्यक्तियों को भेंट के रूप में देने के लिए तथा पत्र सूचना कार्यालय और विदेश मन्त्रालय के लिए विशेष अलबमें बनाई जाती हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की आवश्कताओं को भी पूरा किया जाता है। सरकारी विभागों को फोटो उपलब्ध कराए जाते हैं और जनसाधारण को सस्ती दरों पर इनकी बिक्री भी की जाती है।

प्रभाग की एक लाइब्रेरी भी है जिसमें फोटो निगेटिव (छः लाख से भी अधिक) संगृहीत हैं। आजादी के बाद की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और देश के महत्वपूर्ण स्थानों, दृश्यों और लोगों के फोटो/चित्रों का एक बड़ा संग्रह लाइब्रेरी में है। इन निगेटिवों के विषय और विवरण, पत्र सूचना कार्यालय की एक अलग फोटो लाइब्रेरी में उपलब्ध है।

फोटो प्रभाग का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में हैं।

प्रभाग के पास उच्च कोटि के डार्करूम, बढ़िया कैमरे, विशेष कलर प्रयोगशाला, जिसमें सारा काम स्वचालित मशीनों से होता है और छपाई की मशीनें भी हैं।

गीत और नाटक प्रभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का गीत और नाटक प्रभाग, जो 1954 में स्थापित किया गया था, जीवंत मनोरंजन के माध्यमों से ग्राम जनता को विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और उद्देश्यों से अवगत कराता है। इसके लिए यह कठपुतली का नाच, नाटक, नृत्य, हरिकथा तथा ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम जैसी अनेक रंगमंचीय विधाओं का प्रयोग करता है। ये कार्यक्रम 41 विभागीय मंडलियों और प्रभाग में पंजीकृत लगभग 500 निजी मंडलियों द्वारा किए जाते हैं। क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कई केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों का सहयोग भी लिया जाता है। प्रभाग देहाती और शहरी लोगों, दूरदराज के

क्षेत्रों के जनजातीय लोगों और विशेषकर, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम पेश करता है। ये कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक और प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं।

विभाग ने 1969 में 'ध्वनि और प्रकाश' रंगमंच तैयार किया जिस पर बहुत से कलाकार सजीव अभिनय के साथ कार्यक्रम पेश करते हैं। इस कार्यक्रम को एक ही समय विभिन्न दिशाओं से हजारों लोग देख सकते हैं। सुब्रह्मण्य भारती, अमीर खुसरो, विद्यापति, अकबर, कृष्णदेवराय महापुरुषों की जीवनी और रामचरित मानस की कथा का प्रस्तुतिकरण प्रभाग ने इस माध्यम से किया है। परिवार कल्याण पर आधारित एक लघुकार्यक्रम भी काफी लोकप्रिय हुआ।

रांची में जनजातीय लोक रूपों का उपयोग करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी ताकि जनजातीय लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जा सके और विकास में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सके।

गवेषणा और संदर्भ प्रभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का गवेषणा और संदर्भ प्रभाग विभिन्न विषयों पर मूलभूत सूचना एकत्रित करता है, राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करता है तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संचार-माध्यमों आदि के लिए संदर्भ सेवा की व्यवस्था करता है। प्रभाग, भारत के बारे में प्रसिद्ध अन्त-राष्ट्रीय संदर्भ प्रकाशनों तथा यूनेस्को को सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त जनसंचार माध्यमों की प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है।

प्रभाग दो वार्षिकी संकलित करता है। "इण्डिया—ए रेफेरेंस एन्युअल" एक स्तरीय सन्दर्भ ग्रंथ है जिसमें भारत में राष्ट्रीय जीवन और क्रियाकलापों के विविध पक्षों के बारे में वस्तुपरक और प्रामाणिक जानकारी दी जाती है। दूसरी वार्षिकी का नाम है "मास मीडिया इन इण्डिया" जो 1978 से प्रकाशित हो रही है, इसमें देश के जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के सम्बन्ध में जानकारी और आकड़े दिए होते हैं। प्रभाग, समाचार अनुक्रमणिका और सन्दर्भ सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। लम्बी अवधि के महत्वपूर्ण समाचारों और लेखों को "द हिन्दू" और "इकोनामिक टाइम्स" और अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाओं से लेकर उनकी अनुक्रमणिका तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त महानगरीय और अंग्रेजी के छोटे समाचार-पत्रों में से समाचारों को काटा जाता है तथा इनको वर्गीकृत करके रखा जाता है। विभाग की नियमित सेवाओं में ये शामिल हैं : 'समाचारों सम्बन्धी पृष्ठभूमि' और 'सामयिक महत्व के विषयों पर गवेषणात्मक लेख'। विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की संक्षिप्त जीवनीयां भी तैयार की जाती है।

विभाग में एक राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेख केन्द्र 1976 में बनाया गया जिसका उद्देश्य जनसंचार अध्ययनों तथा समस्याओं सम्बन्धी सूचनाएं एकत्रित करना तथा वितरित करना है। यह केन्द्र जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रलेख सेवा उपलब्ध करता है।

अप्रैल दिसम्बर 1981 में विभाग ने विभिन्न विषयों पर समाचार सम्बन्धी 42 पत्र निकाले। प्रलेख केन्द्र ने फिल्म बुलटिन, मीडिया ममोरी, सन्दर्भ सूचना सेवा, ग्रन्थ उल्लेख सेवा और सामयिक जागृति सेवा आदि विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत 32 लेख तैयार किए।

प्रशिक्षण

देश में बहुत सी संस्थाओं द्वारा जनसंचार के विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है। जो विश्वविद्यालय पत्रकारिता में डिग्री /डिप्लोमा/सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाते हैं उनके नाम हैं —अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बरहामपुर, बंगलौर, कलकत्ता, कालीकट, गुवाहाटी, गढ़वाल, जबलपुर, केरल, मद्रास मदुरै, कामराज, महर्षि दयानन्द, मराठवाड़ा, मसूर, नागपुर, उस्मानियां, पंजाब, पणे, पंजाब, पंजाबी कृषि, राजस्थान, शिवाजी और सौराष्ट्र विश्वविद्यालय।

मैसूर, उस्मानिया, कलकत्ता, जबलपुर और केरल विश्वविद्यालयों में इस विषय पर मास्टर डिग्री का पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था है, बंगलौर विश्वविद्यालय जनसंचार के विषय में बी० एस० सी० (संचार) और एम० एस० (संचार) का पाठ्यक्रम चलाता है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय विज्ञान स्नातकों के लिए कृषि पत्रकारिता में दो वर्ष का पाठ्यक्रम चलाता है।

कर्मचारी प्रशिक्षण (कार्यक्रम)

आकाशवाणी का कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) अपने कर्मचारियों को सभी प्रकार के कार्यक्रम तैयार और उन्हें प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण देता है। ये कार्यक्रम इस प्रकार हैं : उच्चरित शब्द, नाटक, संगीत, रेडियो रिपोर्ट, कृषि प्रसारण और शैक्षणिक कार्यक्रम आदि। कार्यक्रम प्रशासन, श्रोता अनुसंधान और सम्बद्ध बातों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। दिल्ली स्थित संस्थान के दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद और शिलांग में हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में चार से बारह सप्ताह की अवधि का आधारभूत पाठ्यक्रम, कम अवधि का वर्कशाप प्रशिक्षण तथा गोष्ठियां शामिल हैं। विभाग के अपने विशेषज्ञों तथा बाहर के विशेषज्ञों को प्रशिक्षणार्थियों के सम्मुख भाषण देने व बहस आदि में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विदेशी शिक्षार्थी भी, जिनको प्रसारण संगठनों के प्रतिनिधि के तौर पर दाखिल किया जाता है, इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं।

कर्मचारी प्रशिक्षण (तकनीकी)

दूरदर्शन और आकाशवाणी के इंजीनियरों के प्रशिक्षण का प्रबंध करने की जिम्मेदारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) की है।

यह संस्था तकनीकी सेवारत कर्मचारियों के लिए बेसिक ओरिएण्टेशन कोर्स तथा प्राथमिक पाठ्यक्रम चलाती है। विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए कुछ विशेष पाठ्यक्रमों का संचालन भी किया जाता है जैसे : 'टेप रिकार्डिंग', 'फ्रीक्वेन्सी मोडुलेशन', 'सेमी कंडक्टर टेक्नोलाजी,' 'अंक तकनीक' और 'टी० वी० रिसीवर मेन्टिनेन्स'। विदेशी प्रशिक्षार्थियों को कोलम्बो योजना के अधीन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाता है।

फिल्म तथा टेलीविजन प्रशिक्षण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1960 में पुणे में स्थापित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, चलचित्र और दूरदर्शन कला एव शिल्प का प्रशिक्षण देता

11 मूल आर्थिक आंकड़े

प्राकृतिक साधनों तथा जनशक्ति की दृष्टि से भारत एक सम्पन्न देश है। इसके जन तथा भौतिक साधनों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है तथा इनके और अधिक उपयोग की अभी गुंजाइश है। भारत की अर्थ-व्यवस्था अभी भी प्रधानतः कृषि पर आधारित है और देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय खेती तथा सम्बद्ध व्यवसायों से होती है, जिनमें देश के लगभग तीन-चौथाई सक्षम व्यक्तियों को काम मिला हुआ है। 1947 से ही उद्देश्य यह रहा है कि राष्ट्रीय योजनाओं के अधीन औद्योगिक विकास की गति को तेज करके और खेती की पैदावार बढ़ाकर अर्थ-व्यवस्था में बहुमुखी प्रगति की जाए।

राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय

भारत में राष्ट्रीय आय वह कुल आमदनी है, जो देश के सामान्य नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादनों से, प्रत्यक्ष कर घटाए जाने से पूर्व, प्राप्त होती है। यह कारक लागत मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है। सारणी 11.1 में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े चालू और 1970-71 के मूल्यों के आधार पर दिए गए हैं। ये आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने तैयार किए हैं।

सारणी 11.2 में चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय उत्पाद और तत्सम्बन्धी कुछ और आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी 11.3 में सरकारी क्षेत्रों के कार्य निष्पादन के आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी 11.4 में 1970-71 से निजी क्षेत्र का पूर्ण उपभोग व्यय, शुद्ध घरेलू बचत तथा पूंजी निर्माण के आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी 11.5 में शुद्ध घरेलू उत्पादन का कर्मचारियों को मुआवजा, स्व-रोजगारी, लोगों की मिश्रित आय, ब्याज, किराया, लाभ तथा लाभांश का वितरण दिया गया है।

रोजगार और बेरोजगारी

1981 की जनगणना के लिए जनसंख्या को मुख्य कामिकों, सीमान्त कामिकों तथा अकामिकों में विभाजित किया गया। केवल इन व्यापक समूहों के अनन्तिम आंकड़े ही उपलब्ध हैं। परन्तु 1971 के मुकाबले अधिक विस्तृत आंकड़े उपलब्ध हैं। इस जनगणना में जनसंख्या को कामिकों तथा अकामिकों में विभाजित किया गया था। कामिकों की 9 श्रेणियां थीं जो सारणी 11.6 में दिखाई गई हैं। यह सारणी 1 अप्रैल, 1971 के मुकाबले 1 मार्च 1981 को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कामिकों तथा अकामिकों की संख्या दर्शाती है।

सारणी 11.1

राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय : कारक लागत पर

विवरण	1970-71	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81[1]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, कारक लागत पर (करोड़ रु०)						
चालू मूल्यों पर	34,235	67,083	75,935	80,992	87,253	1,04,201
1970-71 के मूल्यों पर	34,235	40,481	44,062	46,306	43,822	47,211
प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (रु०)						
चालू मूल्यों पर	632.8	1,082.0	11,97.7	1,249.9	1,316.0	1536.9
1970-71 के मूल्यों पर	632.8	652.9	695.0	714.6	661.0	696.3
शुद्ध राष्ट्रीय आय की सूचकांक संख्या (आधार वर्ष 1970-71)						
चालू मूल्यों पर	100.0	195.9	221.8	236.6	254.9	304.4
1970-71 के मूल्यों पर	100.0	118.2	128.7	135.3	128.0	137.9
प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, का सूचकांक (आधार वर्ष 1970-71)						
चालू मूल्यों पर	100.0	171.0	189.3	197.5	208.0	242.9
1970-71 के मूल्यों पर	100.0	103.2	109.8	112.9	104.5	110.0
कुल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर (करोड़ रु०)						
चालू मूल्यो पर	36,452	71,575	80,946	86,754	94,052	1,12,156
1970-71 के मूल्यों पर	36,452	43,124	46,854	49,343	46,966	50,507
कुल राष्ट्रीय उत्पाद का सूचकांक (आधार वर्ष 1970-71)						
चालू मूल्यों पर	100.0	196.4	222.1	238.0	258.0	307.7
1970-71 के मूल्यो पर	100.0	118.3	128.5	135.4	128.8	138.6

1. त्वरित अनुमान

सारणी 11.2

राष्ट्रीय उत्पाद और कुछ संबंधित योग (चालू मूल्यों पर)

(करोड़ रु०)

विवरण	1970-71	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. कुल राष्ट्रीय उत्पादन-कारक लागत पर	36,452	62,972	66,115	71,575	80,946	86,754	94,052	1,12,156
2. जमा किए गए अप्रत्यक्ष कर, घटी सहायता	3,527	6,332	7,714	8,533	8,917	10,534	12,168	13,588
3. कुल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्यों पर (1+2)	39,979	69,304	73,829	80,108	89;863	97,288	1,06,220	1,25,754
4. घटा—स्थिर पूंजी का ह्रास	2,217	3,526	4,046	4;492	5,011	5,762	6,799	7,955
5. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्यों पर (3-4)	37,762	65,778	69,783	75,616	84,852	91,526	99,421	1,17,789
6. घटा—विदेशों से शुद्ध कारक आय	(–)284	(–)291	(–)255	(–)233	(–)233	(–)156	(+) 69	(+)69
7. शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार मूल्यों पर (5-6)	38,046	66,069	70,038	75;849	85,085	91;682	99,352	1,17,720
8. शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत पर	34,519	69,737	62,324	67,316	76,163	81,148	87,184	1,04,132
9. घटा—सरकारी प्रशासनिक विभागों को उद्यम एवं सम्पत्ति से होने वाली आय	574	805	997	1,598	1,796	1,863	1,829	2,245
10. घटा—गैर विभागीय उपक्रमों की बचत	70	419	222	634	355	441	454	533
11. घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को होने वाली आय (8-9-10)	33,875	58,513	61,105	65,084	7,40,017	78,844	84,901	1,01,354

सारणी 11.2

विवरण	1970-71	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. जमा—राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज	216	340	491	601	699	936	979	1,481
13. जमा—विदेशों से शुद्ध कारक आय	(–) 284	(–) 291	(–) 255	(–) 233	(–) 233	(–) 156	(+) 69	(+) 69
14. जमा—सरकारी प्रशासनिक विभागों से चालू हस्तान्तरण	578	1,150	1,350	1,547	1,762	2,005	2,315	अनुपलब्ध
15. जमा—शेष विश्व से अन्य चालू हस्तान्तरण (शुद्ध)	123	274	528	739	1,022	1,042	1,213	अनुपलब्ध
16. निजी आय : (11+12+13+14+15)	34,508	59,986	63,219	67,738	77,267	82,671	89,477	अनुपलब्ध
17. घटा—गैर सरकारी निगमित क्षेत्र की बचत कुल विदेशी कम्पनियों की वापसी आय	193	677	307	273	365	489	736	अनुपलब्ध
18. घटा—निगम कर	370	709	862	984	1,221	1,251	1,392	अनुपलब्ध
19. व्यक्तिगत आय : (16–17–18)	33,945	58,600	62,052	66,481	75,681	80,931	87,349	अनुपलब्ध
20. घटा—घरों द्वारा दिया प्रत्यक्ष कर	721	1,259	1,781	1,792	1,657	1,806	1,915	अनुपलब्ध
21. घटा–सरकारी प्रशासनिक विभागों की फुटकर प्राप्तियां*	162	196	197	246	239	282	294	320
22. व्यय योग्य व्यक्तिगत आय (19–20–21)	33,062	57,145	60,072	64,443	73,785	78,843	85,140	अनुपलब्ध

*उपलब्ध आकड़ों में से उत्पादकों द्वारा भरी गई फीस और जुर्माने की रकम अलग करना मुश्किल है। अतः इस सीमा तक निजी व्यय योग्य व्यक्तिगत आय कम अनुमानित है।

सारणी 11.2

राष्ट्रीय उत्पाद और कुछ संबंधित योग (चालू मूल्यों पर)

(करोड़ रु०)

विवरण	1970-71	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. कुल राष्ट्रीय उत्पादन-कारक लागत पर	36,452	62,972	66,115	71,575	80,946	86,754	94,052	1,12,156
2. जमा किए गए अप्रत्यक्ष कर, घटी सहायता	3,527	6,332	7,714	8,533	8,917	10,534	12,168	13,588
3. कुल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्यों पर (1+2)	39,979	69,304	73,829	80,108	89;863	97,288	1,06,220	1,25,754
4. घटा—स्थिर पूंजी का ह्रास	2,217	3,526	4,046	4;492	5,011	5,762	6,799	7,955
5. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्यों पर (3−4)	37,762	65,778	69,783	75,616	84,852	91,526	99,421	1,17,789
6. घटा—विदेशों से शुद्ध कारक आय	(−)284	(−)291	(−)255	(−)233	(−)233	(−)156	(+) 69	(+)69
7. शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार मूल्यों पर (5−6)	38,046	66,069	70;038	75;849	85,085	91;682	99,352	1,17,720
8. शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत पर	34,519	69,737	62,324	67,316	76,163	81,148	87,184	1,04,132
9. घटा—सरकारी प्रशासनिक विभागों को उद्यम एवं सम्पत्ति से होने वाली आय	574	805	997	1,598	1,796	1,863	1,829	2,245
10. घटा—गैर विभागीय उपक्रमों की बचत	70	419	222	634	355	441	454	53[illegible]
11. घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को होने वाली आय (8-9-10)	33,875	58,513	61,105	65,084	7,40,017	78,844	84,901	1,01,354

सारणी 11.2

विवरण	1970-71	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
1	[redacted]	3	4	5	6	7	8	9
12. जमा—राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज	216	340	491	601	699	936	979	1,481
13. जमा—विदेशों से शुद्ध कारक आय	(−)284	(−)291	(−)255	(−)233	(−)233	(−)156	(+) 69	(+) 69
14. जमा—सरकारी प्रशासनिक विभागों से चालू हस्तान्तरण	578	1,150	1,350	1,547	1,762	2,005	2,315	अनुपलब्ध
15. जमा—शेष विश्व से अन्य चालू हस्तान्तरण (शुद्ध)	123	274	528	739	1,022	1,042	1,213	अनुपलब्ध
16. निजी आय : (11+12+13+14+15)	34,508	59,986	63,219	67,738	77,267	82,671	89,477	अनुपलब्ध
17. घटा—गैर सरकारी निगमित क्षेत्र की बचत कुल विदेशी कम्पनियों की वापसी आय	193	677	307	273	365	489	736	अनुपलब्ध
18. घटा—निगम कर	370	709	862	984	1,221	1,251	1,392	अनुपलब्ध
19. व्यक्तिगत आय : (16−17−18)	33,945	58,600	62,052	66,481	75,681	80,931	87,349	अनुपलब्ध
20. घटा—घरों द्वारा दिया प्रत्यक्ष कर	721	1,259	1,781	1,792	1,657	1,806	1,915	अनुपलब्ध
21. घटा—सरकारी प्रशासनिक विभागों की फुटकर प्राप्तियां*	162	196	197	246	239	282	294	320
22. व्यय योग्य व्यक्तिगत आय (19−20−21)	33,062	57,145	60,072	64,443	73,785	78,843	85,140	अनुपलब्ध

*उपलब्ध आकड़ों में से उत्पादकों द्वारा भरी गई फीस और जुर्माने की रकम अलग करना मुश्किल है। अतः इस सीमा तक निजी व्यय योग्य व्यक्तिगत आय कम अनुमानित है।

सारणी 11.3

सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

(चालू मूल्यों पर)

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	1970-71	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81[1]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
कुल घरेलू उत्पाद	36,736	53,772	63,263	66,370	71,808	81,179	86,910	93,983	1,12,087
सार्वजनिक	5,456	7,954	10,231	12,220	14,321	15,691	17,402	19,581	22,865
निजी	31,280	45,818	53,032	54,150	57,487	65,488	69,508	74,402	89,222
कुल का सार्वजनिक भाग (प्रतिशत)	14.9	14.8	16.2	18.4	19.9	19.3	20.0	20.8	20.4
कुल घरेलू बचत	6,783	11,392	12,753	14,846	17,699	19,235	23,797	23,833	27,853
सार्वजनिक	1,253	1,807	2,676	3,339	4,126	4079	4,603	4,673	4,188
निजी	5,530	9,585	9,977	11,507	13,573	15,156	19,194	19,160	23,665
कुल में सार्वजनिक भाग (प्रतिशत)	18.5	15.9	21.1	22.5	23.3	21.2	19.3	19.6	15.0
कुल घरेलू पूंजी निर्माण2	7,344	11,352	14,509	16,418	17,691	18,341	22,949	24,683	29,351
सार्वजनिक3	2,773	4,814	5,664	7,677	8,510	7,449	9,607	11,368	12,606
निजी	4,571	6,538	8,845	8,741	9,181	10,892	13,342	13,315	16,745
कुल में सार्वजनिक भाग (प्रतिशत)	37.8	42.4	39.0	46.8	48.1	40.6	41.9	46.1	42.9
अन्तिम उपभोग व्यय	33,639	48,033	58,184	60,343	62,689	71,914	77,156	84,469	1,00,666
सार्वजनिक प्रशासन	3,801	5,100	6,143	7,351	8,206	8,667	9,624	10,924	12,794
निजी घरेलू तथा लाभ न कमाने वाली संस्थाएं	29,838	42,933	52,041	52,992	54,483	63,247	67,532	73,545	87,872
कुल में सार्वजनिक भाग (प्रतिशत)	11.3	10.6	10.6	12.2	13.1	12.1	12.5	12.9	12.7

1. त्वरित अनुमान
2. मूलभूत असमजित
3. पुरानी वास्तविक परिसम्पत्ति की शुद्ध खरीद सहित

सारणी 11.4

गैर-सरकारी खपत, बचत और पूंजी निर्माण

वर्ष	गैर सरकारी अंतिम उपभोग खर्च (करोड़ रु०)		गैर सरकारी प्रति व्यक्ति अंतिम उपभोग खर्च (रु०)		शुद्ध घरेलू बचत (करोड़ रु०)	बचत [redacted] (प्रतिशत)	शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण (करोड़ रु०)		पूंजी निर्माण की दर (प्रतिशत)
	चालू मूल्यों पर	1970-71 के मूल्यों पर	चालू मूल्यों पर	1970-71 के मूल्यों पर	चालू मूल्यों पर	चालू मूल्यों पर	चालू मूल्यों पर	1970-71 के मूल्यों पर	चालू मूल्यों पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1970-71	29,838	29,838	551.5	551.5	4,566	12.0	4,960	4,960	13.0
1971-72	32,097	30,704	579.4	554.2	5,099	12.4	5,577	5,262	13.6
1972-73	35,131	30,070	620.7	531.3	5,100	11.3	5,397	4,667	11.9
1973-74	42,933	30,880	741.5	533.3	8,369	15.0	8,761	6,629	15.7
1974-75	52,041	31,143	880.6	527.0	9,127	13.8	9,780	5,850	14.8
1975-76	52,992	33,467	874.5	552.3	10,800	15.4	10,683	5,951	15.3
1976-77	54,483	33,422	878.8	539.1	13,207	17.4	11,898	6,491	15.7
1977-78	63,247	36,800	997.6	580.4	14,224	16.7	12,759	6,876	15.0
1978-79	67,532	38,086	1,042.2	587.7	18,035	19.7	18,163	9,071	19.8
1979-80	73,545	36,589	1,109.3	551.9	17,034	17.1	17,495	7,440	17.6
1980-81[1]	87,872	39,077	1,296.0	576.4	19,898	16.9	22,398	8,766	19.0

1. त्वरित अनुमान

सारणी 11.5

चालू मूल्यों पर कारक आय का वितरण

करोड़ रुपयों में

विवरण	1970-71	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कर्मचारियों का मुआवजा	13,363	17,818	21,350	24,341	26,516	29,469	31,827	34,988
2. ब्याज	1,802	2,750	3,361	4,091	4,802	5,330	6,143	6,598
3. किराया	1,748	2,135	2,287	2,632	2,916	3,218	3,537	3,726
4. लाभ और लाभांश	1,494	2,005	2,944	2,857	4,021	3,961	4,583	5,251
5. स्व-रोजगारियों की मिली-जुली आय[1]	16,112	26,041	29,795	28,403	29,061	34,190	35,058	36,621
6. शुद्ध घरेलू उत्पाद	34,519	50,749	59,737	62,324	67,316	76,168	81,148	87,184

1. स्व-रोजगार कार्मिकों की आय तथा लाभ और गैर-संस्थापित उद्यमों के लाभांश

सारणी 11.6

श्रेणीवार कार्मिकों तथा अकार्मिकों की जनसंख्या,

1981 जनगणना

करोड़ों में

	ग्रामीण	शहरी	योग
1981 जनगणना			
कुल जनसंख्या	50.20	15.62	65.82
कार्मिक	17.45	4.56	22.01
सीमान्त कार्मिक	2.36	0.35	2.71
अकार्मिक	30.39	10.71	41.10
1971 जनगणना			
कुल जनसंख्या	43.91	10.91	54.82
कार्मिक	14.85	3.20	18.05
1. कृषक	7.66	0.17	7.83
2. कृषि श्रमिक	4.56	0.19	4.75
3. पशुपालन, वनसंरक्षण, मत्स्यपालन में लगे हुए	0.38	0.05	0.43
4. खानों और खदानों मे लगे हुए	0.06	0.03	0.09
5. कारखानों में लगे हुए	0.82	0.89	1.71
6. निर्माण कार्यों में लगे हुए	0.11	0.11	0.22
7. व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए	0.36	0.64	1.00
8. परिवहन और भंडारण व संचार-कार्यों में लगे हुए	0.12	0.32	0.44
9. अन्य सेवाओं में लग हुए	0.78	0.80	1.58
अकार्मिक	29.06	7.71	36.77

संगठित क्षेत्र में रोजगार

जनगणनाओं के बीच की अवधि के लिए सारे देश में रोजगार की स्थिति उपलब्ध नहीं है। लेकिन 'रोजगार बाजार सूचना' के लिए एकत्रित आंकड़ों से संगठित क्षेत्र—पूरे सरकारी क्षेत्र और 10 या 10 से अधिक कामगारों वाले निजी क्षेत्र के गैर-कृषि उद्यमों में रोजगार की स्थिति का पता चलता है।

1975 से 1980 तक के वर्षों के 31 मार्च तक की सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति सारणी 11.7 में दर्शाई गई है। इस सारणी से स्पष्ट है कि पांचवीं योजना में 29.07 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला 24. [redacted] लाख को सार्वजनिक क्षेत्र में और 4.08 लाख, को निजी क्षेत्र में। योजना के अंतिम वर्ष में रोजगार अवसरों में 7.02 लाख की वृद्धि हुई जिसमें से अकेले सार्वजनिक क्षेत्र ने 5.43 लाख लोगों को और निजी क्षेत्र ने 1.59 लाख लोगों को रोजगार दिया। 1979 की तुलना में 1980 में 7.48 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में हुई (7.14 लाख)।

बेरोजगारी

रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों से कुछ हद तक बेरोजगारी का अनुमान लगाया जा सकता है। रोजगार कार्यालयों में मुख्यतः शहरी क्षेत्रों का विवरण रहता है। रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराना स्वैच्छिक है, अतः सभी बेरोजगार अपना नाम दर्ज नहीं कराते और रोजगार में लगे कुछ लोग भी बेहतर रोजगार पाने के लिए नाम दर्ज करा लेते हैं। रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में रोजगार की तलाश करने वालों की संख्या 31 दिसम्बर, 1969 को 34.23 लाख से बढ़कर 31 दिसम्बर, 1980 को 162.00 लाख हो गई। सारणी 11.8 में रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में पंजीकृत प्रार्थियों का व्यवसायगत वर्गीकरण दर्शाया गया है। इसमें 31 दिसम्बर, 1980 की स्थिति दी गई है।

सारणी 11.8 रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में पंजीकृत प्रार्थी

व्यावसायिक समूह	31-12-80 को (हजार में)	कुल प्रतिशत संख्या
व्यावसायिक, तकनीकी और सम्बन्धित कर्मचारी	784.2	4.8
प्रशासनिक, कार्यकारी तथा प्रबंध कर्मचारी	10.5	0.1
लिपिक आदि	908.3	5.6
बिक्री कर्मचारी	3.2	—
किसान, मछुए, शिकारी, लट्ठों के काम वाले तथा संबंधित कर्मचारी	80.8	0.5
सेवा कर्मचारी	410.8	2.5
उत्पादन और संबंधित कर्मचारी, बस-ट्रक चालक और श्रमिक	1408.2	8.7
ऐसे कर्मचारी जो व्यवसायवार वर्गीकृत नहीं किए गए :—		
1. मैट्रिक से कम (अशिक्षितों तथा अन्यों सहित)	5,892.2	36.4
2. मैट्रिक और मैट्रिक से ऊपर परन्तु स्नातक स्तर से नीचे	5,491.8	33.9
3. स्नातक तथा स्नातकोत्तर	1,210.3	7.5
योग	16,200.3	100.00

सारणी 11.7

संगठित क्षेत्र में रोजगार

(लाखों में)

	मार्च 1975	मार्च 1976	मार्च 1977	मार्च 1978	मार्च 1979	मार्च 1980
सार्वजनिक क्षेत्र :						
केन्द्रीय सरकार	29.88	30.47	30.79	30.96	31.36	31.68
राज्य सरकार	47.68	49.39	51.07	54.01	56.41	61.25
अर्द्ध सरकारी	31.92	33.92	36.75	39.29	41.44	43.28
स्थानीय निकाय	19.41	19.85	19.88	20.15	20.64	20.76
योग	128.90	133.63	138.49	144.41	149.85	156.97
गैर-सरकारी क्षेत्र (गैर-कृषि)						
बड़े कारखाने (25 या अधिक श्रमिकों वाले)	60.90	61.13	61.36	63.22	64.59	64.94
छोटे कारखाने (10–24 श्रमिकों वाले)	7.09	7.31	7.30	7.21	7.42	7.42
योग	67.99	68.44	68.66	70.43	72.01	72.36
कुल योग	196.89	202.07	207.15	214.84	221.86	229.33

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका काम नमूनों के आधार पर देशव्यापी सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, कृषि और जन-जीवन संबंधी आंकड़ों की लगातार और पूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। 1970 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को इसका एक भाग बना दिया गया। संगठन के चार विभाग हैं : (1) सर्वेक्षण, डिजाइन और अनुसंधान, (2) क्षेत्रीय कार्य, (3) आंकड़ा विधायन और (4) आर्थिक विश्लेषण विभाग। ये विभाग नमूनों के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की गतिविधियों का प्रबंध, एक प्रबंध परिषद करती है। क्षेत्र संचालन विभागों के तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं।

संगठन की गतिविधियों के अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के आंकड़े आते हैं। यह संगठन राज्यों के सांख्यिकी कार्यालयों के सहयोग से प्रति वर्ष विभिन्न विषयों से सम्बद्ध सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करता है। कई विषयों पर सर्वेक्षण दस वर्ष तक चलते हैं।

इनमें (1) जनसंख्या अध्ययन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, (2) परिसम्पत्ति, ऋण तथा निवेश, (3) भूमि तथा पशुपालन के सर्वेक्षण शामिल हैं जो दस वर्ष में एक बार किए जाते हैं, (4) रोजगार, ग्रामीण श्रम तथा उपभोक्ता व्यय के और (5) गैर-कृषि-क्षेत्र के असंगठित उद्योगों के सर्वेक्षण भी शामिल हैं, जो पांच वर्ष में एक बार किए जाते हैं। उपभोक्ताओं की रुचि के अन्य विषयों से संबंधित सर्वेक्षण या तो उपरोक्त सर्वेक्षणों में से किसी एक के साथ शामिल कर लिए जाते हैं, या अपने लिए आवंटित किसी वर्ष-विशेष में किए जाते हैं।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में, जिसमें कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत 50,000 से भी अधिक कारखाने शामिल किए जाते हैं, पूंजी निवेश, तैयार माल के परिमाण तथा मूल्य, माल तैयार हो जाने पर मूल्य में वृद्धि, रोजगार तथा परिलब्धियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। आकड़ों का संकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है, तथा उनका सारणीकरण और परिणामों का प्रकाशन केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। औद्योगिक आंकड़े, आकड़ा संकलन अधिनियम, 1953 के अंतर्गत प्राप्त किए जाते हैं।

कृषि सांख्यिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन राज्यों को फसल अनुमान सर्वेक्षण कराने में तकनीकी निर्देश देता है। फसल सांख्यिकी में सुधार की एक परियोजना 1973-74 से चल रही है, जिसके जरिए कमजोर फसल वाले क्षेत्रों का पता लगाया जाता है तथा उनको उन्नत करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का काम किस पैमाने पर चलता है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक वार्षिक दौर के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में 9,000 नमूना गांवों तथा 5,000 नमूना शहरी खंडों में स्थित लगभग दो लाख घर शामिल किए जाते हैं। 5,000 नमूना गांवों के

क्षेत्र तथा उपज की तथा 15,000 फसल कटाई प्रयोगों की जांच की जाती है। राज्य सरकारें भी केन्द्रीय नमूने के आकार का ही सामाजिक-आर्थिक तथा कृषि सर्वेक्षण करती हैं, कुछ राज्य तो इससे भी अधिक करते हैं। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के मामले में भी, कुछ राज्य सरकारें उन गैर-गणना कारखानों से आंकड़े एकत्र करती हैं, जिनसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन उस वर्ष, अपने सर्वेक्षण में, आंकड़े नहीं लेता।

चालू सामाजिक-आर्थिक दौर (जुलाई 1981—जून 1982 शृंखला में सैंतीसवां) में सामाजिक खपत और निर्माण गतिविधियों पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। सामाजिक खपत पर किए गए सर्वेक्षण से यह जानकारी उपलब्ध होगी कि जन-स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक वितरण सेवाओं पर किए गए खर्च से, समाज के विभिन्न स्तर के लोगों को कितना लाभ पहुंचा। मानव-शक्ति नियोजन के लिए उपयोगी प्रशिक्षित व्यक्तियों के कार्यकलापों से संबंधित ब्यौरा भी एकत्रित किया जाएगा। जिन गांवों का सर्वेक्षण किया गया है, उनमें पीने का पानी, बिजली आदि की कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसकी एक सूची तैयार की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कारपोरेट क्षेत्र को छोड़ कर निर्माण गतिविधियों के सर्वेक्षण में पक्के और अर्ध-पक्के भवन निर्माण तथा घरेलू और गैर-घरेलू दोनों क्षेत्रों द्वारा किए गए गैर-भवन निर्माण कार्यों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। निर्माण कार्य के मुख्य पहलुओं जैसे इसके प्रकार, स्वामित्व, निवेश और व्यय आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। सर्वेक्षण निर्माण कार्य के क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं की परिपूर्ति करने में भी मदद मिलेगी।

एक प्रमुख तथ्यान्वेषण संस्था के रूप में, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन राष्ट्र की सांख्यिकी प्रणाली में एक अनोखा संगठन है। हाल के वर्षों में इसके आंकड़ात्मक आधार का, विशेषतः विकास आयोजन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रों में फैलाव हुआ है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के परिणाम, सभी राज्यों के लिए, विशेष पक्षों पर अलग-अलग रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किए जाते थे। इस प्रक्रिया में, छपाई तथा संकलन के काम में काफी देर [illegible] थी। अब संगठन 'सर्वेक्षण' नाम से अपनी पत्रिका प्रकाशित करने लगा है, जिसमें राज्यों में सर्वेक्षणों के परिणाम उपलब्ध होने पर अलग-अलग प्रकाशित किए जाते हैं।

जुलाई-दिसम्बर, 1981 के दौरान संगठन ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर विकलांगों का नमूना सर्वेक्षण किया। 1981 का वर्ष 'विकलांग वर्ष' के रूप में मनाया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विकलांगों के बारे में सूचना संग्रह करना था जैसे—विकलांगता के विशिष्ट लक्षण तथा उसका प्रभाव क्षेत्र, इसके कारण, विकलांगों को दी जाने वाली उपचारोपरांत पुनर्वास सुविधाएं तथा इन सुविधाओं से लाभ उठाने वाले विकलांगो द्वारा महसूस की जाने वाली कमियां। जनवरी 1982 से संगठन, खेती की जमीन, व पशुधन तथा सम्पत्ति, ऋण व विनियोग पर भी सर्वेक्षण कर रहा है।

मूल्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1961-62=100 से बदल कर 1970-71=100 कर दिया गया है और पुरानी सूचकांक शृंखला अप्रैल, 1977 से बंद कर दी गई है।

संशोधित वर्गीकरण में, जिन्सों का वितरण तीन मुख्य समूहों में किया गया है, जैसे—

1. बुनियादी जरूरत की वस्तुएं
2. ईंधन, बिजली तथा चिकनाइयां और
3. निर्मित वस्तुएं

पहले समूह को तीन उप-समूहों में बांटा गया है, जैसे—

1. खाद्य वस्तुएं
2. अखाद्य वस्तुएं, और
3. खनिज

बुनियादी जरूरत की वस्तुओं के समूह की तुलना आमतौर पर कुछ मामूली परिवर्तन के साथ पिछले वर्गीकरण के दो समूहों, 'खाद्य पदार्थ' और 'औद्योगिक कच्चा माल' से की जा सकती है। तीसरे समूह 'निर्मित वस्तुएं' को भी 'अर्द्ध-निर्मित' तथा 'निर्मित' वस्तुओं के उप-समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पिछले वर्गीकरण में 'निर्मित वस्तु' समूह को दो उप-समूहों—'मध्यस्थ उत्पाद' और 'तैयार उत्पाद'—में बांटा गया था।

संशोधित आधार 1970-71=100 के अनुसार 1971-72 के तथा 1976-77 से 1980-81 तक की अवधि के और नवम्बर 1979, 1980 तथा 1981 के थोक मूल्य सूचकांक सारणी 11.9 में दिए गए हैं।

उपभोक्ता मूल्य

अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अगस्त, 1968 से 1949=100 के स्थान पर 1960=100 कर दिया गया है। सारणी 11.10 में औद्योगिक श्रमिक वर्ग के 1969-70 से लेकर 1980-81 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के साथ-साथ कुछ चुने हुए केन्द्रों के भी आंकड़े दिए गए हैं। ये केन्द्र, उन 50 केन्द्रों में से हैं जिनके सूचकांकों के प्रभावी औसत के आधार पर अखिल भारतीय सूचकांक निकाला जाता है।

1979-80 में अखिल भारतीय सामान्य सूचकांक में गत वर्ष की अपेक्षा 29 अंकों की वृद्धि हुई। 1980-81 में अखिल भारतीय सामान्य सूचकांक में 41 अंक और अखिल भारतीय खाद्य सूचकांक में 46 अंक की वृद्धि हुई।

सारणी 11.11 में 1970-71 से 1980-81 तक के शहरी गैर-श्रमिक उपभोक्ता मूल्यों के सूचकांक दिए गए हैं।

सारणी 11.9

थोक मूल्यों का सूचकांक

आधार 1970-71=100

वस्तु	भार	1971-72	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	नव० 1979	नव० 1980	नव० 1981
1. बुनियादी जरूरत की वस्तुएं	416.67	100.9	167.2	183.6	181.1	206.5	237.5	200.1	243.5	265.2
खाद्य वस्तुएं	297.99	101.1	155.3	173.6	172.4	186.6	207.9	186 9	215.4	237.4
खाद्येतर वस्तुएं	106.21	98.6	167.4	178.0	170.4	194.6	217.7	198.8	220.5	220.5
रेशे	31.73	106.6	184.9	185.2	169.3	168.1	179.7	169.1	177.9	177.0
तिलहन	42.01	89.9	150.8	183.5	158.9	185.7	230.7	186.2	240.5	240.4
खनिज	12.47	115.4	449.4	477.0	490.7	779.9	1,110.2	859.5	1,168.6	1,168.6
2. ईंधन, बिजली प्रकाश तथा चिकनाइयां	84.59	105.9	230.8	234.3	244.7	283	354.3	295.3	356.5	437.5
3 निर्मित वस्तुएं	498.74	109.5	175.2	179.2	179.5	215.8	257.3	219.5	254.6	266.1
खाद्य पदार्थ	133.22	118.4	189.1	184.3	157.0	214.8	308.7	214.0	296.3	282.6
मद्य, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद	27.08	106.8	168.2	171.2	178.2	186.6	210.7	186.0	214.2	219.0
कपड़ा	110.26	109.6	155.3	172.8	179.0	203.2	212.7	208.0	210.2	223.4
कागज तथा कागज उत्पाद	8.51	110.4	180.1	184.5	196.0	237.4	262.2	251.1	262.8	279.6
चमड़ा तथा चर्म निर्मित वस्तुएं	3.85	115.7	227.8	228.2	265.4	345.0	380.1	360.6	385.4	366.2
रबड़ तथा रबड़ निर्मित वस्तुएं	12.07	101.7	157.2	156.9	181.9	215.9	248.8	226.0	254.7	290.4
रसायन तथा रसायन निर्मित उत्पाद	55.48	101.5	171.4	172.8	177.2	198.7	241.3	206.8	246.8	262.1
अधातु खनिज उत्पाद	14.15	109.3	191.0	194.6	213.7	249.5	278.7	260.9	281.2	314.4
मूल धातुएं, धातु-मिश्रण तथा धातु उत्पाद	59.74	104.7	190.1	193.8	211.2	251.9	272.1	254.6	269.6	312.9
मशीनें तथा परिवहन उपकरण	67.18	105.3	170.1	172.6	183.9	215.9	239.4	221.0	242.[illegible]	265.0
विविध उत्पाद	7.20	102.5	166.0	179.4	187.8	209.8	232.8	209.0	239.6	240.6
4. सब वस्तुएं	1,000.00	105.6	176.6	185.8	185.8	217.6	257.3	220.0	258.6	280.2

सारणी 11.10

औद्योगिक श्रमिकों से सम्बन्धित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार : 1960=100)

वर्ष	बम्बई	अहमदाबाद	कलकत्ता	मद्रास*	कानपुर	दिल्ली	अखिल भारत	
							सभी वस्तुएं	खाद्य वस्तुएं
1969-70 . .	175	169	172	160	182	185	177	193
1970-71 . .	182	176	182	170	190	199	186	204
1971-72 . .	190	181	187	182	196	211	192	205
1972-73 . .	203	198	197	203	212	222	207	223
1973-74 . .	233	245	228	229	251	265	250	279
1974-75 . .	289	305	288	301	323	337	317	358
1975-76 . .	300	293	287	314	299	333	313	342
1976-77 . .	298	281	297	288	294	332	301	317
1977-78 . .	318	310	320	311	330	358	324	345
1978-79 . .	325	323	331	318	337	368	331	347
1979-80 . .	359	348	351	350	357	389	360	373
1980-81 . .	400	376	382	388	396	426	401	419

*जनवरी 1970 तक के आंकड़े मद्रास शहर के पुराने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला के आधार जुलाई, 1935—जून, 1936=100 पर अनुमानित हैं। फरवरी, 1970 से आंकड़े आधार 1960=100 पर श्रमिक ब्यूरो की नई श्रृंखला से लिए गए हैं।

सारणी 11.11

शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

वर्ष	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास	दिल्ली/ नई दिल्ली	अखिल भारतीय
1970-71	168	170	175	174	174
1971-72	172	174	188	180	180
1972-73	183	180	203	190	192
1973-74	204	204	231	217	221
1975-76	246	243	306	273	227
1976-77	255	251	294	274	277
1977-78	269	265	311	288	296
1978-79	285	279	321	303	306
1979-80	315	297	350	321	330
1980-81	347	331	390	352	369

12 वित्त

सार्वजनिक वित्त

संविधान के अन्तर्गत धन एकत्र करने और व्यय करने का अधिकार भारत सरकार और राज्य सरकारों में बांटा गया है। इस प्रकार देश में एक से अधिक बजट और एक से अधिक सार्वजनिक खजाने हैं। साझे करों को छोड़कर, केन्द्र और राज्यों के राजस्व के साधन, आमतौर पर, अलग-अलग हैं।

संविधान में व्यवस्था है कि (1) कोई कर कानूनी अधिकार के बिना लगाया या उगाहा नहीं जा सकता, (2) सरकारी निधियों से व्यय केवल संविधान में उल्लिखित तरीके के अनुसार ही किया जा सकता है, (3) शासन केन्द्र के संबंध में केवल संसद द्वारा और राज्य के संबंध में राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित पद्धति से ही सरकारी धन-व्यय कर सकता है।

केन्द्रीय सरकार का समस्त राजस्व तथा व्यय दो अलग-अलग खातों में दिखाया जाता है, जिनके नाम हैं—भारत की संचित निधि तथा भारत का लोक लेखा। संचित निधि में केन्द्रीय सरकार का समस्त राजस्व, लिए गए ऋण की राशि तथा ऋणों के भुगतान से प्राप्त राशि सम्मिलित है। इस निधि में से केवल संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार से ही धन निकाला जा सकता है। अन्य सब प्राप्तियां तथा भुगतान जैसे जमा राशियां, सेवा निधि और प्रेषित राशियां भारत के लोक लेखे में डाले जाते हैं, जिसके लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिनके संबंध में वार्षिक विनियोग अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं होती, संविधान के अनुच्छेद 267 (1) के अनुसार भारतीय आकस्मिक निधि भी स्थापित की गई है।

संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए भी एक-एक संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि की स्थापना की व्यवस्था है।

सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े उपक्रम रेल का अलग कोष और लेखा है और इसका बजट संसद में अलग से पेश किया जाता है। अन्य विनियोग तथा व्यय की भांति रेल बजट के विनियोग और व्यय पर भी संसदीय तथा लेखा परीक्षा का नियंत्रण रहता है।

राजस्व के स्रोत

केन्द्रीय सरकार के प्रमुख स्रोत हैं : सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, निगम कर तथा आयकर (कृषि आयकर को छोड़कर)। सम्पत्ति कर से प्राप्त राजस्व केन्द्र को ही प्राप्त होता है। 1971-72 से व्यक्तियों या संयुक्त हिन्दू परिवारों की कृषि-संपत्ति, इस सम्पत्ति कर अधिनियम के अधीन लाई गई है, परन्तु कृषि-संपत्ति पर संपत्ति-कर की शुद्ध आय राज्यों को सहायता-अनुदान के रूप में दे दी जाती है। रेल तथा डाक-तार विभाग भी अपने शुद्ध लाभ में से केन्द्र के सामान्य राजस्व में अंशदान देते हैं।

राज्यों में राजस्व की मुख्य मदें हैं : राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर तथा शुल्क, केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए करों में राज्यों का अंश और केन्द्र से प्राप्त अनुदान। संपत्ति कर, चुंगी और सीमा कर स्थानीय वित्त के मुख्य स्रोत हैं।

साधनों का हस्तांतरण

भारत की संघीय वित्त प्रणाली की मुख्य विशेषता केन्द्र द्वारा राज्यों को साधनों का हस्तांतरण है। करों और शुल्कों में उनके भाग के अतिरिक्त राज्य सरकारों को अधिनियमित और कई अन्य अनुदान और विभिन्न विकास और गैर विकास योजनाओं तथा समान्यत: पूर्ववर्ती उद्देश्यों के लिए ऋण भी दिए जाते हैं। प्रत्येक योजना में राज्यों को हस्तांतरित किए गए साधन पहली योजना में हस्तांतरित साधनों की तुलना में दुगुने से भी अधिक थे, जैसा कि सारणी 12.1 में दिखाया गया है।

वित्त आयोग

संविधान के अन्तर्गत प्रति पांचवें वर्ष या यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझें तो उससे पहले भी, एक वित्त आयोग गठित किए जाने की व्यवस्था है। यह आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में अपनी सिफारिश पेश करता है —(1) करों से प्राप्त शुद्ध आय का, जिसे संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यों में बांटा जाना है या बांटा जा सके, संघ और राज्यों के बीच बटवारा करना और फिर राज्यों के बीच उक्त आय का अलग-अलग भाग निर्धारित करना, (2) जिन राज्यों को ऐसी सहायता की अपेक्षा हो, उन्हें भारत के संचित कोष से सहायता अनुदान के रूप में दिए जाने वाले भाग की नीति निर्धारित करना, और (3) ऐसा कोई विषय जो राष्ट्रपति द्वारा आयोग को विचारार्थ भेजा जाए, जिससे स्वस्थ अर्थ-व्यवस्था बनाने में सहायता मिले। आयोग की सिफारिशें, और यदि साथ में किए गए कार्य के बारे में कोई स्मरण-पत्र हो तो उसको व्यवस्था के साथ, संसद के प्रत्येक सदन के सम्मुख पेश की जाती हैं। संविधान के प्रारम्भ होने से अब तक सात वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं।

यह सातवां वित्त आयोग[1] जून 1977 में स्थापित किया गया। आयोग की सिफारिशों के 1 अप्रैल, 1979 से पांच वर्ष तक की अवधि तक प्रभावी रहने की व्यवस्था थी। इसके अलावा करों और शुल्कों के अवमूल्यन तथा राज्यों को सहायता अनुदान (सहायता की आवश्यकता होने पर) की सिफारिश करने के अतिरिक्त सातवें आयोग से यह भी कहा गया कि राज्यों के गैर योजना पूंजीगत अंतर का निर्धारण करें और इससे निपटने के लिए उचित उपाय भी सुझाए। आयोग से प्राकृतिक संकटों से प्रभावित होने वाले राज्यों के लिए राहत खर्च की वित्त व्यवस्था करने की नीति पर भी विचार करने के लिए कहा गया। अक्तूबर 1978 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। बकाया लघु बचत ऋणों को 'स्थायी ऋणों' में बदलने और मद्य-निषेध के फलस्वरूप होने वाली उत्पादशुल्क राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए सहायक अनुदान की सिफारिश को छोड़कर आयोग की सभी सिफारिशें

[1] आठवां वित्त आयोग 21 जून, 1982 को बनाया गया। श्री यशवंतराव चव्हाण इसके अध्यक्ष हैं।

सारणी 12.1
राज्यों को हस्तांतरित साधन

(करोड़ रु० में)

अवधि	कर तथा शुल्क	अनुदान	ऋण[1]	योग	राज्य सरकारों का कुल व्यय	(5) के प्रतिशत के रूप में (4)
1	2	3	4	5	6	7
पहली योजना	352.5	214.8	637.9	1,205.2	3,351.9	36.0
दूसरी योजना	710.1	700.4	1,037.9	2,440.4	5,845.9	41.7
तीसरी योजना	1,196.0	1,302.9	2,151.2	4,650.1	10,719.5	43.4
वार्षिक योजनाएं						
1966-67	372.6	413.1	638.5	1,424.2	3,063.9	46.5
1967-68	415.7	479.0	492.5	1,387.2	3,221.0	43.1
1968-69	491.0	507.2	321.8	1,320.0	3,627.3	36.4
चौथी योजना	4,547.5	3,846.7	2,585.1	10,979.3	27,549.2	39.9
1974-75	1,228.5	1,021.6	569.8	2,819.9	8,004.2	35.2
1975-76	1,599.1	1,218.5	532.6	3,350.2	9,662.6	34.7
1976-77	1,679.8	1,505.2	726.9	3,911.9	11,016.8	35.5
1977-78	1,805.8	1,838.1	1,120.8	4,764.7	12,414.0	38.4
1978-79	1,952.8	2,472.7	2,361.4	6,786.6	14,731.7	46.1
पांचवी योजना	8,266.0	8,056.1	5,311.5	21,633.4	55,829.[illegible]	38.7
1979-80	3,407.8	2,083.1	1,865.8	7,356.7	17,150.3	42.9
1980-81 (सं० अ०)	3,706.2	2,690.9	2,250.6	8,647.7	20,852.7	41.5
1981-82 (ब० अ०)	3,975.8	2,470.2	1,960.5	8,406.[illegible]	21,114.0	39.8

1. पुनर्भुगतान (शुद्ध)
(सं० अ०) संशोधित अनुमान
(ब० अ०) बजट अनुमान

सरकार द्वारा मान ली गई। आयोग ने आयकर धनराशि में राज्यों के भाग को 80 से 85 प्रतिशत तक बढ़ा दिया और राज्यों के विद्युत शुल्क को छोड़कर मूल उत्पाद शुल्क को दुगना कर दिया गया। विद्युत पर उत्पाद शुल्क लगाने के मामले में शुद्ध आय उन राज्यों को दे दी जानी थी जिनसे यह इकट्ठी की गई थी। 1979-84 की अवधि के दौरान आयोग ने जिन आठ राज्यों के लिए कुल 1,173 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की, आयोग के अनुमान के अनुसार उनके राजस्व लेखे में अन्तर होने की संभावना थी। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 22 राज्यों में से 17 राज्यों के लिए प्रशासन के कुछ क्षेत्रों जैसे पुलिस, न्याय, राजस्व, जिला और प्रादेशिक प्रशासन आदि का स्तर ऊंचा उठाने के लिए 437 करोड़ रुपये की सिफारिश की।

राज्यों के गैर-योजना पूंजीगत अन्तर को कम करने के लिए आयोग ने केन्द्र सरकार को बकाया केन्द्रीय ऋणों की अदायगी में राहत के लिए एक योजना की सिफारिश की। इसके अनुसार 943 करोड़ रुपए के केन्द्रीय ऋणों को बट्टे खाते में डालना होगा। 31 मार्च, 1979 को बकाया केन्द्रीय ऋणों के समेकन से अनुमान है कि 1979-84 के दौरान राज्यों को 2,156 करोड़ रुपये की ऋण राहत मिलेगी।

राहत खर्च की वित्तीय व्यवस्था हेतु आयोग ने राज्यों की आय और व्यय के अनुमान के पुनर्निर्धारण हेतु बड़े पैमाने पर वार्षिक उपबंध किए हैं। सूखा राहत खर्च के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक व्यय के लिए राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने योजना खर्च में से 5 प्रतिशत तक का योगदान दें। राज्यों के अंशदान और आयोग द्वारा स्वीकृत वार्षिक राशि से अधिक सूखा राहत व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी, जिसका आधा भाग अनुदान के रूप में और आधा भाग ऋणों के रूप में होगा। प्राकृतिक संकटों जैसे बाढ़, तूफान, और अन्य कारणों के लिए केन्द्र सरकार की राहत सहायता आयोग द्वारा निर्धारित वार्षिक राशि से अधिक खर्च हुई राशि के 75 प्रतिशत तक गैर-योजना अनुदान के रूप में दी जाएगी। 1979-84 की अवधि में आयोग के निर्णय के अधीन 23,063 करोड़ रुपये का हस्तांतरण होने का अनुमान है।

बजट की स्थिति

सारणी 12.2 में भारत सरकार के बजट की स्थिति दिखाई गई है और सारणी 12.3 में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की चुने वर्षों की 1975-76 से आगे की समेकित बजट संबंधी स्थिति दी गई है।

वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट

प्रति वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिन को आगामी वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रत्याशित राजस्व तथा व्यय का विवरण संसद में रखा जाता है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहते हैं। इस बजट में केन्द्रीय सरकार के देश-विदेश में सभी प्रकार के लेन-देन का, चालू वर्ष का और आगामी वर्ष का विवरण रहता है।

बजट पेश करने के बाद दोनों सदनों में उस पर सामान्य तौर पर विचार-विमर्श होता है। फिर भारत की संचित निधि से व्यय के अनुमान लोकसभा में अनुदान की मांगों के रूप में पेश किए जाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय के लिए

सारणी 12.2

भारत सरकार की बजट संबंधी स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

मुख्य मद	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (संशोधित)	1981-82 (बजट)[1]
1. राजस्व लेखा							
(क) राजस्व	8,075.4	8,752.7	9,792 1	11,239.9	11,339.5	12,893 8	14,327.2 (14,056 17)
(ख) व्यय	7,188.5	8,440.5	9,362.3	10,947.6	12,033 6	14,620 2	15,299.5
(ग) बचत (+) अथवा घाटा घाटा (−)	+886.9	+312.2	+429.8	+292.3	−694.1	−1,726.4	−972.3 (−1,243.4)
2. पूंजी लेखा							
(क) प्राप्तियां[2,3]	4,697.2	5,572.8	5,588.5	6,938.3	6,125.0	10,111.5	9,712.4
(ख) भुगतान	5,950.2	6,015.7	6,951.3	8,736.3	7,864.1	10,360.2	10,297.0
(ग) बचत (+) अथवा घाटा (−)	−7,262.9	−442.9	−1,362.8	−1,798.0	−1,739.1	−248.7	−566.6
3. कुल बचत (+) अथवा घाटा (−) (1ग + 2ग) वित्त जुटाया गया	−366.0	−130.7	−933.0	−1,505.7	−2,433.2	−1,975.1	−1,538.9 (−1,810.0)
(क) सरकारी हुंडियों[4] में कमी (−) अथवा वृद्धि (+)	−845.6	+341.8	−3,350.7	+1,010.5	−2,637.9	−1,472.0	−1,539.0
(ख) नकद कमी (−) या वृद्धि (+)	479.6	−472.5	+2,417.7	−2,516.2	+204.7	−503.1	+0.1
(1) पूर्ण शेष	+317.4	+797.0	+359.7	+2,868.3	+349.3	+554.0	+50.9
(2) इतिशेष	+797.0	+324.5	+2,777.4	+352.1	+554.0	+50.9	+51.0
(ग) उपर्युक्त दोनों में नहीं	—	—	—	—	—	—	—

1. इनमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं। कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ों में कराधान के अतिरिक्त स्रोतों का प्रभाव नहीं दिखाया गया है। (2) सरकारी हुंडियों की प्राप्ति को छोड़कर। (3) 1975-76, 1976-77, 1977-78 के 100 करोड़ रुपये और 1979-80 के ... सरकारी हुंडियों के, दिनांकित प्रतिभूतियों में परिवर्तन, को छोड़कर। (4) अधिकतर रिजर्व बैंक को बेची गईं।

सारणी 12.3

राज्यों और संघीय क्षेत्रों के बजट की समेकित स्थिति

करोड़ रुपये में

मुख्य मद	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (संशोधित)	1981-82 (बजट)
1. राजस्व लेखा							
राजस्व . . .	7,474.8	8,651.7	9,400.6	11,007.9	13,059.9	14,954.1	16,171.8
व्यय . . .	6,521.9	7,555.1	8,381.4	9,872.5	11,511.6	14,239.9	14,958.8
बचत (+) या घाटा (−) . .	+952.9	+1,096.6	+1,019.2	+1,135.4	+1,548.3	+714.2	+1,213.0
2. पूंजी लेखा							
प्राप्तियां . . .	1,153.9	1,596.0	2,059.9	3,000.5	2,761.4	3,922.5	3,344.4
भुगतान . . .	2,091.0	2,695.6	3,162.2	3,815.9	4,537.7	5,048.3	4,999.8
बचत (+) या घाटा (−) . .	−937.1	−1,099.6	−1,102.3	−815.4	1,776.3	−1,125.8	−1,655.4
3. कुल मिलाकर बचत (+) या घाटा (−) .	+15.8	−3.0	−83.1	+320.0	−228.0	−411.6	−442.4

प्रस्ताव से 'मांग' रखी जाती है। इसके पश्चात संसद एक विनियोग अधिनियम पास करके प्रतिवर्ष संचित निधि में से धन निकालने का अधिकार प्रदान करती है। बजट के कर प्रस्ताव एक अन्य विधेयक में रखे जाते हैं, जिसे वर्ष में 'वित्त अधिनियम' के रूप में पास किया जाता है।

इसी प्रकार राज्यों की सरकारें भी अपने-अपने विधान मण्डल में, वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले आय-व्यय के अनुमान प्रस्तुत करके उपर्युक्त प्रणाली के अनुसार व्यय के लिए स्वीकृति प्राप्त करती हैं।

लेखा

नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, जो कार्यपालिका के अधीन नहीं होता, केंद्र तथा राज्य सरकारों की आय एवं व्यय की जांच करता है तथा हिसाब-किताब के संबंध में उसकी रिपोर्ट संसद/विधानमंडल के सामने प्रस्तुत किए जाने के लिए राष्ट्रपति/राज्यपाल को दी जाती है।

आयकर

सारणी 12.4 में चुने हुए आय-वर्गों की व्यक्तिगत आय पर 1982-83 की कर दरों के अनुसार स्थिति दर्शायी गई है।

सारणी 12.4 चुने हुए आय-वर्गों में आयकर की दर

आय (रुपये)	आयकर (10% की दर से अधिभार सहित) रुपयों में	प्रभावी दर (प्रतिशत)
15,000	कुछ नहीं	कुछ नहीं
20,000	1,650	8.25
25,000	3,300	13.20
30,000	5,170	17.23
40,000	9,570	23.93
50,000	13,970	27.94
60,000	19,470	32.45
70,000	24,970	35.67
80,000	31,020	38.78
90,000	37,070	41.19
1,00,000	43,120	43.12
1,51,000	76,120	50.75
2,00,000	1,09,120	54.56
2,50,000	1,42,120	56.85
3,00,000	1,75,120	58.37
4,00,000	2,41,120	60.28
5,00,000	3,07,120	61.42
10,00,000	6,37,120	63.71

31 मार्च, 1981 तक प्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या 45.94 लाख थी। 1 जुलाई, 1980 और 1 फरवरी, 1981 से क्रमशः ब्याज कर और होटल प्राप्तिकर लगाया गया। आयकर (निगम कर सहित), ब्याज कर और होटल प्राप्तिकर से शुद्ध आय क्रमशः 2,817.18 करोड़ रुपये, 89.58 करोड़ रुपये और 0.31 करोड़ रुपये रही है। सम्पत्तिकर से आय 67.38 करोड़ रुपये, सम्पदा कर से 16.31 करोड़ रुपये और उपहार कर से 6.51 करोड़ रुपये रही है।

विशेष धारक बांड विशेष धारक बांड 1981 के विशेष धारक बांड (छूट एवं अपवाद) अध्यादेश (1981 की संख्या 1) के जरिए घोषित विशेष धारक बांडों की योजना के बदले में विशेष धारक बांड (छूट एव अपवाद) अधिनियम, 1981 लागू किया गया।

आयकर(संशोधन) अधिनियम, 1981 बिक्री के मसौदों में अचल सम्पत्ति के बारे में जानकारी छिपाकर कर से बचने की प्रवृत्ति रोकने और काले धन के प्रसार पर नियंत्रण के लिए आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 की संख्या 22) के द्वारा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण के तहत फ्लैटों के स्थानान्तरण या सहकारी समितियो और कम्पनियों के स्वामित्व के अन्तर्गत आने वाले भवनों आदि को लाया गया। इसके अलावा बिक्री के समझौते, जो सम्पत्ति के स्थानान्तरण अधिनियम 1882 की धारा 53-ए के अन्तर्गत आंशिक रूप से आते हों और दीर्घकालीन पट्टे (लीज) जो बारह वर्ष से कम अवधि के न हों, भी इसके अन्तर्गत लिए गए।

अनिवार्य जमा योजना (आयकर-दाता) संशोधन अधिनियम, 1981 मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण के उपायों के अन्तर्गत 1974 मे अनिवार्य जमा योजना शुरू की गई। उच्च आय वर्ग के लोगों के उपभोग पर अकुश लगाने और कुछ हद तक सरकार के द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमो को दृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से अनिवार्य जमा योजना (आयकरदाता) संशोधन अध्यादेश 1981 (1981 का क्रमांक 7) लागू किया। इसके अन्तर्गत 50,000 से 70,000 के बीच आय वालों के लिए अनिवार्य जमा योजना की दर 12.1/2% से बढ़ाकर 15% कर दी गई और 70,000 से अधिक आय वालों के लिए 15% से 18% कर दी गई। इस अध्यादेश के स्थान पर अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) संशोधन अधिनियम, 1981 लागू किया गया।

आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981 अपने नाम या दूसरों के नाम से करवंचकों द्वारा बैंको, कम्पनियो, सहकारी समितियों और साझे वाली फर्मों में जमा राशि के रूप मे काले धन का प्रसार रोकने के लिए और आयकर अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की रकम जमा करने वालों का पता लगाने के लिए सरकार ने आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 की संख्या 8) लागू किया। इस अध्यादेश के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था की गई कि कोई भी कम्पनी, सहकारी समिति या फर्म ऐसे किसी भी सावधिक जमा का भुगतान नही करेगी जो खाते मे भुगतान वाले चैक या खाते में भुगतान किए जाने वाले बैंक ड्राफ्ट या जिनका भुगतान बैंकों के द्वारा न किया जाना हो। इस अध्यादेश के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में ऐसी जमा रकम या ब्याज सहित ऐसी जमा रकम भुगतान के समय 10,000 रु० या उससे अधिक होनी चाहिए। इस अध्यादेश मे इन व्यवस्थाओ का उल्लंघन करने वालो के लिए दण्ड की व्यवस्था है।

इस अध्यादेश का प्रतिस्थापन आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 की संख्या 38) के द्वारा किया गया। इस अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई है कि विशेष धारक बांड 1991 के भुगतान के रूप में दी जाने वाली राशि का भुगतान एकाउंट पेई चेक या एकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट के जरिए, उन व्यक्तियों के नाम से जिन्हें ऐसे भुगतान किए जाते हैं, किया जा सकता है।

सार्वजनिक ऋण

1980-81 के अन्त में भारत सरकार का बकाया ऋण 40,324.84 करोड़ रुपये था और 1981–82 के अन्त तक इसके 46,776.48 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सारणी 12.5 में 1950–51 से कुछ चुने हुए वर्षों में बकाया सार्वजनिक ऋण की स्थिति दिखाई गई है। राज्य सरकारों की ऋण की स्थिति सारणी 12.6 में दिखाई गई है। राज्यों पर कुल ऋण 27,449 करोड़ रुपये से अधिक है।

धन संकलन और मुद्रा

चलन मुद्रा में जनता के पास की मुद्रा और रिजर्व बैंक सहित बैंकों की मांग जमा राशि, जिसे मांगने पर वापस लिया जा सकता है, आती हैं। 1980 के अन्त में जनता के पास की चलन मुद्रा (एम-1) 21,662 करोड़ रुपये थी जिसमें जनता के लेखे में 12,591 करोड़ रुपये की मुद्रा और जमा खातों में 9,071 रुपये की मुद्रा थी। 1980 में चलन मुद्रा में 3,119 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि 1979 में 2,069 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। जनता में चलन मुद्रा और जमा रकम में वृद्धि क्रमशः 1,794 करोड़ रुपये और 1,325 करोड़ रही, जबकि 1979 में ये राशियां क्रमशः 1,343 करोड़ रुपये और 726 करोड़ रुपये थी। 1975 से लेकर बाद के वर्षों की चलन मुद्रा की प्रवृत्ति सारणी 12.7 में प्रदर्शित की गई है।

1979 में जनता के पास 2,069 करोड़ रुपये की चलन मुद्रा थी। इसमें काफी वृद्धि हुई, और यह 1980 में 3,119 करोड़ रुपये हो गई। 1980 में चलन-मुद्रा में यह भारी वृद्धि सरकारी क्षेत्र में शुद्ध बैंक ऋण के व्यापक विस्तार के कारण हुई जो 1979 के 3,270 करोड़ रुपये की तुलना में 1980 में 5,775 करोड़ रुपये हो गई। वाणिज्यिक क्षेत्रों में 1980 में बैंक ऋण 4,854 करोड़ रुपये थे जो 1979 के 4,695 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक थे। इनकी देनदारियों में 15 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि 1979 में यह वृद्धि 14 करोड़ रु० की थी। मुद्रा प्रसार पर इन बातों का प्रभाव कुछ हद तक जबकि बैंकिंग क्षेत्र की विदेशी मुद्रा सम्पत्ति 1002 करोड़ रुपये की कमी आने से कम हुआ। 1979 में इस मुद्रा में 543 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। गैर मौद्रिक देनदारियों में 6,524 करोड़ रु० की वृद्धि हुई जबकि इससे पहले वर्ष में 6,424 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

1981 में 24,466 करोड़ रुपये की मुद्रा में 2,804 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। जनता की चलन मुद्रा और जमा रकम की राशियां 1981 के अन्त में क्रमशः 13,730 करोड़ रुपये और 10,736 करोड़ रुपये थी। 1980 के विपरीत 1981 की अवधि में मुद्रा-विस्तार मुख्यतः बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण

सारणी 12.5

भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण

(करोड़ रुपये) में

मुख्य मद	की अवधि के अन्त में 1950–51	1960–61	1965–66	1978–79	1979–80 (संशोधित)	1980–81 (संशोधित)	1981–82 (बजट)
1. देश के भीतर के ऋण							
(क) स्थाई ऋण							
(1) चालू ऋण	1,438.46	2,555.72	3,415.72	10,872.57	12,830.04	15,472.55	18,272.80
(2) प्रतिपूर्ति बाड	—	—	—	—	—	—	—
(3) इनामी बाड	—	15.63	11.35	125.04	150.14	410.24[1]	1,265.66[1]
(4) 15 वर्षीय बचत पत्र	—	3.45	3.78				
(5) पुनर्भुगतान के दौरान ऋण	6.49	22.73	33.72	50.48	47.30	50.66	50.66
कुल स्थाई ऋण	1,444.95	2,597.53	3,464.12	11,048.09	13,027.48	15,933.45	19,589.12
(ख) चल ऋण							
(1) सरकारी हुंडियां	358.02	1,106.29	1,611.82	8,037.83	10,007.30	11,668.19	13,478.19
(2) विशेष चल ऋण	212.60	274.18	340.70	1,232.35	1,804.23	1,406.85	1,392.59
(3) कोष जमा प्राप्तियां एवं अन्य चल ऋण	6.73	—	—	—	—	—	—
कुल चल ऋण	577.35	1,380.47	1,952.52	9,270.18	11,811.53	13,075.04	14,870.78
योग—देश के भीतर ऋण	2,022.30	3,978.00	5,416.64	21,318.27	24,849.01	29,008.49	34,459.90
2 विदेशी ऋण	32.03	760.96	2,590.62	9,373.26	9,899.20	11,316.35[2]	12,316.58[2]
योग—सार्वजनिक ऋण	2,054.33	4,738.96	8,007.26	29,691.53	34,738.21	40,324.84	46,776.48

(1) 1980–81 के 200 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) और 1981–82 के 1000 करोड़ रुपये के विशेष धारक बाड (बजट अनुमान) इसमें शामिल हैं।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष न्यास से 533.96 करोड़ रुपये के ऋण शामिल हैं।

सारणी 12.6

राज्यों की ऋण स्थिति

(करोड़ रुपये) में

मुख्य मद	अवधि के अन्त में 1951-52	1965-66	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (संशोधित)	1981-82 (बजट)
1. सार्वजनिक ऋण[1]									
(1) स्थाई ऋण	134	327	2,107	2,289	2,471	2,656	2,839	3,031	3,356
(2) चल ऋण[2]	16	189	287	206	374	119	170	177	178
(3) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण	241	4,110	9,682	10,408	11,529	13,890	15,756	18,007	19,967
(4) अन्य ऋण[3]	—	162	499	591	580	647	713	925	985
2 अनिधिबद्ध ऋण[4]	58	231	1,142	1,307	1,533	1,827	2,148	2,554	2,963
योग	449	5,519	13,717	14,801	16,487	19,139	21,626	24,694	27,449

1. जारी किये गये चालू और मियाद समाप्त ऋण तथा जमींदारी-जागीरदारी उन्मूलन ऋण शामिल हैं।
2. मुख्यत: रिजर्व बैंक से लिये गये स्रोत एवं साधन अग्रिम शामिल हैं।
3. रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन), कोष, खादी और ग्रामोद्योग, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक आदि से लिये गये ऋण शामिल हैं।
4. इनमें राज्य भविष्य निधियां, डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधियां, परिवार पेंशन निधि और कर्मचारी कल्याण निधि और धार्मिक तथा धर्मार्थ प्रवृत्ति के निर्धारित उद्देश्यों के लिये] ब्याज और गैर दिये जाने वाले विशेष ऋण शामिल हैं।

में 6,364 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण हुई। इससे पिछले वर्ष यह वृद्धि 4,854 करोड़ रुपये रही थी। बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले शुद्ध ऋण में 5,323 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जो 1980 के 5,775 करोड़ रुपये से कम थी। इसकी मुद्रा विस्तार में गौण भूमिका रही। 1981 में जनता को सरकारी देनदारी में 8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। मुद्रा विस्तार में जो वृद्धि हुई वह बैंकिंग क्षेत्र के विदेशी मुद्रा परिलब्धियों में 1,496 करोड़ रुपये की कमी आ जाने और इसके गैर-मुद्रा की देनदारियों में 7,395 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण थोड़ा कम हो गई।

मुद्रा

1980 में मुद्रा चलन में, पिछले वर्ष की 1,406 करोड़ रुपये की तुलना में 1,886 करोड़ रुपये (कुल मुद्रा 13,480 करोड़ रुपये) की वृद्धि दर्ज की गई।

1980 में चलन मुद्रा में 1,886 करोड़ रुपये की वृद्धि का मुख्य कारण बैंक नोटों के चलन में 1,871 करोड़ रुपये की, एक रुपये के सिक्कों की चलन में (एक रुपये के नोट सहित) तीन करोड़ रुपये की और फुटकर सिक्कों में 12 करोड़ रुपये की वृद्धि थी। इसकी तुलना में 1979 में बैंक नोटों और छोटे सिक्कों के चलन में क्रमशः 1,419 करोड़ रुपये और 14 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। जबकि एक रुपये के सिक्कों (एक रुपये के नोटों सहित) के चलन में 28 करोड़ रुपये की कमी आई थी। 1980 के अन्त में बैंक नोटों, एक रुपये के सिक्कों (एक रुपये के नोटों सहित) और छोटे सिक्कों के रूप में चल रही मुद्रा क्रमशः 12,874 करोड़ रुपये, 330 करोड़ रुपये और 276 करोड़ रुपये थी।

1981 में चलन मुद्रा में 1,203 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और इस प्रकार कुल चलन मुद्रा 14,683 करोड़ रुपये हो गई। 1970 से 1981 तक चलन मुद्रा में 10,346 करोड़ रुपये या 238.6% की वृद्धि हुई। 1981 के अन्त में बैंक नोट, एक रुपये के सिक्के (एक रुपये के नोटों सहित) और छोटे सिक्कों के रूप में चल रही मुद्रा क्रमशः 14,069 करोड़ रुपये, 338 करोड़ रुपये और 276 करोड़ रुपये थी।

बैंकिंग

जून 1981 तक देश में वाणिज्यिक बैंक प्रणाली के अंतर्गत 185 अनुसूचित[1] और चार गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्यरत थे।

संगठन ढांचा

185 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से 130 सरकारी क्षेत्र में हैं और इनके पास देश के कुल बैंकिंग व्यापार का 90% भाग है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से 102 बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जिनकी स्थापना का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के छोटे ऋण लेने वालों की आवश्यकता की पूर्ति करना है। इन बैंकों को कुछ सीमाओं के भीतर अपना कार्य करना होता है। सरकारी क्षेत्र के

1. रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना के अनुसार केवल वे बैंक, जिनकी पूंजी तथा रिजर्व 5 लाख रुपये से कम नहीं है, रिजर्व बैंक के साथ अनुसूचित किए जा सकते हैं।

सारणी 12.7

जनता के पास मुद्रा

(करोड़ रुपयों में)

दिसम्बर के अन्त तक	जनता के पास मुद्रा		जनता के पास जमा राशि		जनता के पास द्रव्य	
	रकम	वर्ष में अन्तर	रकम	वर्ष में अन्तर	रकम	वर्ष में अन्तर
1975	6,443	305	6,270	+785	12,653	1,090
1976	7,318	+875	7,887	+8,677	15,205	+2,552
1977	8,410	+1,092	9,341	+16,474	17,751	—2,547
1978	9,454	+1,044	7,020	—2,321	16,474	—1,277
1979	10,779	+1,343	7,746	+726	18,543	+2,069
1980	12,591	+1,794	9,071	+1,325	21,662	+3,119
1981[1]	13,730	+1,139	10,736	+1,257	24,466	+2,804

1—अस्थाई

टिप्पणी—1978 के बाद के आंकड़ों की उसके पहले के वर्षों के आंकड़ों से तुलना नही की जा सकती, क्योंकि 1978 के बाद से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने एक नये वर्गीकरण के आधार पर अपने बचत खातों म जमा राशियों के अधिकांश भाग को समयबद्ध दायित्व और कुछ भाग को मांग दायित्व के रूप में दिखाना शुरू कर दिया है। अतएव जनता की जमा राशि और जनता के पास की चलन मुद्रा के आकड़ों की पहले के वर्षों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती।

शेष 28 बैंक पूरे तौर पर व्यवसायिक हैं और सभी प्रकार के वाणिज्यिक बैंकिंग कारोबार करते हैं।

सारणी 12.8 में हाल में पिछले कुछ वर्ष में वाणिज्यिक बैंकों की प्रकृति सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सब से बड़ी इकाई है। इसकी 6,000 से अधिक शाखाएं हैं, जिनमें जमा रकम 10,000 करोड़ रुपये से अधिक और 7,500 करोड़ रुपये से अधिक रुपये की रकम ऋण और अग्रिम के रूप में दी गई है। मुख्य स्टेट बैंक के अतिरिक्त सात और ऐसे बैंक हैं जो इसके सहायक बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों का कुल बैंकिंग व्यवसाय में 25% भाग है और सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग कारोबार में उनका हिस्सा 45% है। सरकारी क्षेत्र के 20 अन्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में जाना जाता है, जिनमें से 14 बैंकों को 19 जुलाई, 1969 को और 6 बैंकों को 15 अप्रैल, 1980 को सरकारी क्षेत्र में लिया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन वित्त संस्थाओं का आर्थिक और सामाजिक उन्नति में और अधिक कारगर रूप में उपयोग किया जाए। राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों के कार्य में तेजी से प्रगति हुई है।

शाखा विस्तार

जून 1969 के अन्त में देश में बैंकों की शाखाओं की संख्या जहां 8,262 थी वहीं जून, 1981 के अन्त में इनकी संख्या बढ़कर 35,706 और नवम्बर, 1981 के अन्त में 37,119 हो गई। देश में कुल मिलाकर बैंकिंग सुविधा की सुलभता बढ़ी है। जहां जून, 1969 में 65,000 की जनसंख्या के लिए एक शाखा थी वहीं नवंबर, 1981 के अन्त में प्रति 19,000 की आबादी के लिए एक बैंक शाखा थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक

नई शाखाओं को खोलने के लिए केन्द्रों के चयन में गांव के तथा अर्ध नगरीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, खासकर जहां बैंक नहीं हैं, शाखाएं खोलने पर जोर दिया गया। जून, 1969 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्र बैंकों की शाखाओं की संख्या 1,860 थी जो नवंबर 1981 में बढ़कर 18,768 हो गई, जो कुल शाखा विस्तार का 50% से अधिक है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कमजोर वर्गों, छोटे तथा सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों, छोटे उद्यमियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई। जून, 1981 के अंत में ऐसे 102 बैंक देश के विभिन्न भागों में काम कर रहे थे। नवंबर, 1981 तक इनकी संख्या बढ़कर 106 हो गई। जून, 1981 के अंत तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 263 करोड़ रुपए जमा थे और इनके द्वारा दी गई शेष ऋण की रकम 312 करोड़ रुपए थी।

शाखा लाइसेंसिंग नीति

ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में बैंको की सुविधाओं के और विस्तार की दृष्टि से 1 अप्रैल, 1982 से लेकर 31 मार्च, 1985 तक के तीन वर्षों के लिए एक शाखा लाइसेंसिंग नीति तैयार की गई है। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में 17,000 तक की जनसंख्या पर एक बैंक शाखा सुलभ कराने का है।

पहाड़ी क्षेत्र जहां आबादी विरल है और आदिवासी क्षेत्रों में इस नीति के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया जाएगा और इन इलाकों में बैंक सुविधाओं के विस्तार में उदार नीतियां अपनाई जाएंगी ताकि बैंक सुविधाओं की आवश्यकता की वर्तमान कमी को पूरा किया जा सके और उनके आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले।

प्रमुख बैंक योजना

बैंको की प्रगति के 'क्षेत्रीय पहुंच' के लक्ष्यों को ठोस रूप देने के लिए 1969 के अंत में एक प्रमुख बैंक योजना बनाई गई। बैंकों को एक नियमित और प्रभावशाली भूमिका निभाने के योग्य बनाने के लिए सरकार ने कलकत्ता, वृहद बम्बई और मद्रास तथा संघशासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर देश के सारे जिलों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों और चुने हुए एक निजी बैंक में बांट दिया। प्रत्येक बैंक से, जिसे "लीड बैंक" का नाम दिया गया, यह आशा की जाती है कि उसे दिए गए जिले की अर्थव्यवस्था सुधारने में वह अन्य बैंकों व वित्तीय संस्थानों को नेतृत्व प्रदान करेगा।

जिला स्तरीय समन्वय

प्रमुख बैंक योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों का सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद से पिछले कुछ वर्षों में लीड बैंकों ने अपने लिए निर्धारित जिलों में अपनी शाखाओं की स्थिति सुदृढ़ की है और नई ऋण नीतियां निर्धारित की हैं। इन नीतियों के समुचित क्रियान्वयन के लिए जिले में काम कर रहे अन्य बैंकों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया है। इसके लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है जिसमें जिले के सभी बैंक, सहकारी ऋण संस्थान और जिले के अधिकारी भाग लेते हैं। इन समन्वय समितियों की बैठक प्रत्येक तिमाही में होती है और इन बैठकों में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है।

जिला ऋण योजना

प्रमुख बैंक योजना के अंतर्गत कार्यरत बैंक अपने जिलों के लिए तीन वर्षीय ऋण योजनाएं तैयार करते हैं जिनसे पुनः वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से क्षेत्रवार और अंतर्बैंक एजेंसी आवंटन निर्धारित होते हैं। वर्तमान में 1980-82 की जिला ऋण योजनाओं के अंतर्गत प्रमुख बैंक योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक 1982 की वार्षिक योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं और 1983-85 के लिए ऋण-योजनाएं तैयार की जा रही हैं। योजना निर्धारण और उनके क्रियान्वयन में और मुकम्मल सुधार लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

सारणी 12.8

सारणी 12.6

भारत में वाणिज्यिक बैंको की प्रगति

मद	जून 1969	जून 1973	जून 1974	जून 1976	जून 1977	जून 1978	जून 1979	जून 1980	जून 1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वाणिज्यिक बैंकों नी संख्या	39	83	83	100	126	128	136	153	185
(1) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	73	74	74	92	119	122	131	148	181
(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	—	—	—	19	47	48	56	73	102
(3) गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक	16	9	9	8	7	6	5	5	4
भारत में कार्यालयों की संख्या	8,262	15,362	18,730	21,220	24,802	28,016	30,202	32419	35,706
जनसंख्या[1] प्रति कार्यालय (हजार में)	65	37	32	29	25	23	21	20	19
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा कुल राशि (करोड़ रुपये)	4,646	9,165	12,545	15,178	18,903	23,312	28,671	33,377	40,184
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको की कुल ऋण राशि (करोड़ रुपये)	3599	6,412	8,955	11,476	13,491	15,694	19,116	22,068	26,400
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में प्रति व्यक्ति जमा राशि (करोड़ रुपये)	88	160	210	249	305	369	447	512	553[3]
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रति व्यक्ति[1] (रु०) ऋण	88	112	150	188	217	249	298	339	370[3]
जमा राशि राष्ट्रीय आय के रूप में (वर्तमान कीमतों पर)[2]	15.5	21.4	19.0	23.3	27.1	31.9	33.7	35.2	34.9

1. भारत के महापंजीयक द्वारा अनुमानित वर्ष मध्य के जनसंख्या आंकड़ो पर आधारित।

2. मार्च के अन्त तक।

3. मार्च 1981 तक।

जमा राशि में वृद्धि

राष्ट्रीयकरण के बाद से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जून, 1969 के अंत में इन बैंकों की जमा राशि 4,646 करोड़ रुपये थी जो तत्कालीन मूल्य-स्तर पर राष्ट्रीय आय का लगभग 15 प्रतिशत थी। जून 1981 के अंत में जमाराशि बढ़कर 40,186 करोड़ रुपये हो गयी जो राष्ट्रीय आय का 34.9 प्रतिशत थी। 1969 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों मे जमाराशि 3,871 करोड़ रुपये थी, जो जून 1981 के अंत में बढ़कर 36,964 करोड़ रुपये हो गई।

बैंकों के साधनों का उपयोग

बैंकों की जमा राशि का उपयोग दो मुख्य कार्यों के लिए किया जाता है:—

(1) निर्दिष्ट प्रति-भूतियों की पूर्ति के लिए सरकारी एवं अन्य स्वीकृत ऋणपत्रों में निवेश; और

(2) उधार गृहीताओं को ऋण तथा पेशगी देना।

विनियोग

रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि का एक अंश सरकारी सिक्यूरटीज (सुरक्षित निधियों) और बांडो तथा सरकार से सबद्ध संस्थाओं के डिबेंचर (ऋणपत्र) में लगाते हैं। जमाराशियों में वृद्धि और साथ ही साविधिक प्रतिभूतियो में वृद्धिमत संशोधन के कारण सरकारी क्षेत्र में बैंकों के विनियोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो मार्च, 1970 के 1,727 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 1982 में 15,139 करोड़ रुपए हो गया। नियोजित कार्यक्रमों के लिए संसाधन जुटाने की दिशा मे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा उस प्रकार की सुरक्षा निधियों मे विनियोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

बैंक ऋण

ऋणो का, चाहे वे किसी भी प्रकार के हो, बैंको की कार्यप्रणाली में अत्यंत महत्व होता है। जून, 1969 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए, ऋणों की रकम 3,599 करोड़ रुपए थी जो जून 1981 मे बढ़कर 26,400 करोड़ रुपए और मार्च, 1982 में 29,642 करोड़ रुपए हो गई। सरकारी क्षेत्र में दिए गए ऋणों की राशि 3,017 करोड़ रुपए से बढ़कर क्रमशः 24,402 करोड़ रुपए और 27,107 करोड़ रुपए हो गई।;

क्षेत्रवार उपयोग

बैंक ऋणों में बढ़ोतरी से भी अधिक महत्वपूर्ण उसके उपयोग के क्षेत्रों मे परिवर्तन रहा है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व 78 प्रतिशत से अधिक बैंक ऋण बड़े और मझोले उद्योगो और थोक व्यापारियो को दिए जाते थे। जून 1980 के अंत तक इन क्षेत्रों का अंश घटकर 44% रह गया। इसकी तुलना मे प्राथमिकता वाले क्षेत्र, खाद्यान्न की उगाही करने वाली एजेंसियो आदि के अंशो मे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ऋण अधिकृति योजना

बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का उचित उपयोग करवाने के लिए 1965 में रिजर्व बैंक ने ऋण अधिकृत करने की योजना प्रारम्भ की। इस योजना के अन्तर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को किसी एक पक्ष को निजी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में दो करोड रु० और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में तीन करोड़ रु० या अधिक का नया ऋण देने से पूर्व रिजर्व बैंक की सहमति लेना आवश्यक है। (इस रुपये में वाणिज्यिक वित्त बट्टा शामिल है परन्तु ऋणपत्र और गारटी सीमा शामिल नही है)। ऐसा करना तब भी आवश्यक है, जब किसी एक पक्ष द्वारा सारे बैंकों से (जिनमें सहकारी बैंक भी शामिल हैं) सुरक्षित और असुरक्षित आधार पर लिया गया ऋण दो से तीन करोड़ रु० तक हो। यह योजना व्यक्तिगत ऋण सीमाओं पर भी लागू होती है, जब कुल ऋण 25 लाख रुपए या उससे अधिक हो, और जहा यह रकम तीन वर्षो से अधिक की अवधि में वापिस करनी हो, चाहे सारे बैंको से कुल कितना भी ऋण मिल क्यों न सकता हो।

योजना पर अमल की समीक्षा के बाद रिजर्व बैंक ने प्रक्रियाओं में और सुधार करने, स्वय बैंकों को अधिक अधिकार देने, अधिक लचीलापन लाने तथा शीघ्र निर्णय की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मई 1978 मे कार्यप्रणाली में कुछ संशोधन किए। रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से छूट के विस्तार में निम्न संशोधन किया गया।

जब अधिक सीमा की अनुमति प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक को अर्जी दी जाए, तो बैंक अनुमति मिलने तक अब तक की तरह, 25 लाख रुपए तक की राशि दे सकते है। यदि अधिकृत कार्य पूजी सीमा का 10 प्रतिशत (अर्थात पूर्वानुमति से छूट प्राप्त सीमा श्रेणियो को छोड़कर) 25 लाख रुपए से अधिक हो, तो बैंक उतनी राशि (अर्थात 10 प्रतिशत) तक दे सकते हैं, किन्तु यह राशि कुल मिलाकर 50 लाख रु० से अधिक नही होनी चाहिए; अथवा बैंक थोड़ी अवधि के लिए सीमा के अदर अस्थायी रूप से अतिरिक्त धन निकालने की अनुमति दे सकते है या अधिक से अधिक तीन महीने के लिए पूर्वानुमति के बिना अधिकृत कार्यपूजी के दस प्रतिशत तक या 50 लाख रु० इन दोनों में जो भी राशि कम हो, निकालने की अस्थायी सुविधा दे सकते हैं।

ऋण देने वाले सभी बैंकों द्वारा इन दोनों मदों के अंदर दी जाने वाली कुल सुविधाएं 50 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए। लघु अवधि के लिए अस्थायी धन-निकासी के अतिरिक्त बैंकों द्वारा स्वीकृत ऐसी सुविधाओं की सूचना रिजर्व बैंक को तुरन्त दी जानी चाहिए।

उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों मे लगे किसी ऋण-गृहीता को पूजी परिसम्पत्ति में निवेश के लिए, एक वर्ष की अवधि (जुलाई-जून) मे समस्त बैंकिंग व्यवस्था मे 50 लाख रु० तक के मियादी ऋणों के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता न होगी, चाहे ऋण स्वीकृत योजना उस पर लागू होती हो या न होती हो।

आई० डी० बी० आई० और ए० आर० डी० सी० द्वारा एक साथ दिए जाने वाले मियादी ऋणो के साथ-साथ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी० आई०) और/या भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि० (आई०-

सी० आई० सी० आई०) द्वारा एक साथ दिए जाने वाले मियादी ऋणों के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती।

बैंकों को सलाह दी गई है कि 50 लाख रु० से अधिक राशि के मियादी ऋणों के सभी प्रस्ताव सामान्यतया आई० डी० बी० आई० या अन्य संबंधित मियादी ऋण देने वाली संस्थाओं के परामर्श से किए जाने चाहिए। यदि आई० डी० बी० आई० या औद्योगिक वित्त निगम या औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम मियादी ऋणों में भाग लें, तो पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यदि उपयुक्त मियादी ऋण देने वाली संस्थाओं में से कोई भी भाग न ले, तो पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है।

ऐसे मामलों में, जहां मियादी ऋणों में और किसी परियोजना के लिए दी जाने वाली स्थगित भुगतान गारंटी की सुविधाओं में बैंकिंग व्यवस्था का भाग 25 करोड़ रु० से अधिक हो, उनके लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी, भले ही उन मियादी ऋणों में आई० डी० बी० आई०, औद्योगिक वित्त निगम या औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम या ए० आर० डी० सी० ने भाग लिया हो।

प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एक मुख्य कार्य यह भी है कि अर्थव्यवस्था के अब तक उपेक्षित क्षेत्रों के छोटे स्तर पर कर्ज लेने वालों के लिए ऋण की योजनाएं बनाई जाएं जिससे कि कृषि, लघु उद्योग, सड़क परिवहन, छोटे और खुदरा व्यापारियों को ऋण मिल सके। बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में इनका हिस्सा अब तक बहुत थोड़ा होता था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण लेने वालों में इस श्रेणी के लोगों की संख्या जून 1969 और जून 1981 के बीच 2.60 लाख रुपए से बढ़कर 1,35.74 लाख रुपये हो गई। इसी अवधि में इनको दी गई राशि 441 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,840 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार के क्षेत्रों को दिए गए ऋण का कुल ऋणों में अंश जून 1981 के अंत में 36.4 प्रतिशत था, जबकि जून 1969 में यह 14.6 प्रतिशत था।

सारणी 12.9 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में क्रमिक वृद्धि दिखाई गई है।

वर्तमान नीति

हाल के वर्षों में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि सरकारी बैंकों से न केवल प्राथमिकता क्षेत्र को अधिक ऋण मिले, बल्कि ऐसा ऋण कमजोर वर्ग के वस्तुतः छोटे और गरीब कर्ज लेने वालों को मिले। इस प्रकार बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण में वृद्धि करने को कहा गया है, ताकि मार्च 1985 तक उनका हिस्सा कुल ऋण राशि का 40 प्रतिशत हो जाए। प्राथमिकता वाले दो बड़े क्षेत्रों तथा कृषि और लघु उद्योगों के अंतर्गत कमजोर वर्गों के अंतर्गत आने वाले लोगों को परिभाषित किया गया है। कृषि क्षेत्र में लघु और सीमांत कृषक और भूमिहीन मजदूर तथा बटाईदार किसान और साथ ही कृषि संबंधी कार्यों के 10,000 रुपए तक ऋण लेने वाले कर्जदार आते हैं। लघु उद्योगों के अंतर्गत कारीगर, दस्तकार, ग्रामीण और गृह उद्योग और 25,000 रुपए

तक ऋण लेने वाली छोटी इकाइया आती है। कृषि क्षेत्र के कमजोर वर्गों को कृषि के लिए बैंको द्वारा दिए जाने वाले प्रत्यक्ष वित्त का 50% तक मुहैया कराने, लघु उद्योगों के लिए कुल बैंक ऋण का 12.5% सुलभ कराने का प्रावधान किया गया है। कमजोर वर्गों को ऋण की अधिक सुविधाएं सुलभ कराने की दृष्टि से बैंकों को बिचौलिए की भूमिका निभाने वाली सरकारी एजेंसियो या ऐसे संगठनों के मार्फत जो विशुद्ध रूप से कमजोर वर्ग के लिए योजनाओं पर कार्य कर रही हों, ऋण सुलभ कराने की अनुमति दी गई है।

कमजोर वर्गो को विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए ससाधन सुलभ कराने की जरूरत का ध्यान रखते हुए प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत उपभोक्ता ऋण (कुछ सीमाओं और विशिष्ट आवश्यकताओ के अतर्गत) को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए छोटे आवासीय ऋण (5,000 रुपए से अधिक नही) को भी प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया है।

सारणी 12.9 प्राथमिकता क्षेत्रों को दिए गए ऋण

क्षेत्र	उधार खातों की संख्या (लाखो में)		बकाया राशि (करोड़ रु० में)	
	जून 1969	जून 1980	जून 1969	जून 1981[1]
1	2	3	4	5
खेती (बागान शामिल नहीं)				
(1) प्रत्यक्ष वित्त .	1.60	86.78	40.21	2,951.78
(2) अप्रत्यक्ष वित्त	0 04	9.34	122.12	915.14
लघु उद्योग[2]	0.51	8.76	251.07	3,346.67
सड़क तथा जल परि-वहन संचालक .	0.02	3.04	5.49	739.26
खुदरा व्यापार और छोटे व्यापार .	0.33	18.47	19.37	679.22
पेशेवर तथा अपने काम-धंधे	0.08	8.92	1.90	194.09
शिक्षा . .	0.01	0.45	0.80	13.54
	2.60	135.74	440.97	8,839.70

1. अस्थायी
2. एककों की संख्या

बैंको ने इस बात का भी ध्यान रखा कि लघु किसानो और अति लघु किसानो तथा खेतिहर मजदूरों को अपनी सही आवश्यकताओं के लिए जमानत

के अभाव में ऋण सुविधा से वंचित न रखा जाए तथा उनकी ऋण जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

कृषि के लिए बैंक ऋण

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वित्त देने की योजना का कई राज्यों में विस्तार किया गया है और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मणिपुर में यह योजना चल रही है। 21 वाणिज्यिक बैंक अपनी 735 शाखाओं द्वारा 3,151 समितियों को ऋण प्रदान करते हैं।

कृषि कार्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण में लगातार बढ़ोतरी की प्रवृत्ति रही है। जून 1979 के अन्त में 2,221.78 करोड़ रुपये का ऋण और बैंकों में 68.71 लाख खाते थे जबकि दिसम्बर 1979 के अन्त तक 2,583 करोड़ रुपये ऋण और 79.04 लाख खाते हो गए। इस प्रकार जहाँ जून 1979 के अन्त में इस द के बकाया ऋणों का अंश कुल ऋणों का 14 प्रतिशत था वह दिसम्बर 1979 के अंत में बढ़कर 14.6 प्रतिशत हो गया।

यह निर्णय किया गया है कि बैंकों का प्रयत्न होना चाहिए कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से ऋण का अनुपात बढ़कर 1985 तक 40 प्रतिशत हो जाए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वालों के लिए अर्थपूर्ण अनुपात में समग्र लक्ष्य रखा जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि 1985 तक कुल ऋणों में कृषि क्षेत्र का अंश 16 प्रतिशत हो जाएगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कृषि कार्यों में दिए जाने वाले प्रत्यक्ष ऋणों का 50 प्रतिशत ऋण छोटे और सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों को मिले।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समन्वय

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और राज्य सरकारों के प्रशासकीय अभिकरणों में अच्छा समन्वय रखने के लिए छह क्षेत्रीय सलाहकार समितियाँ बनाई गई हैं। राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष इन समितियों के सदस्य हैं। इन समितियों का उद्देश्य अपने-अपने क्षेत्रों में बैंकों के विकास पर ध्यान रखना है। इसी तरह राज्य स्तर पर समन्वय रखने वाली समितियां भी बनाई गई हैं।

रियायती ब्याज दर योजना

समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 1972 से एक रियायती ब्याज दर योजना चल रही है। इसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में ऋण लेने वालों के कुछ वर्गों को उनके उत्पादन कार्यों के लिए 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर धन दे सकते हैं।

दिसम्बर 1980 के अन्त तक इन बैंकों ने 25.10 लाख लोगों को ऋण दिया और अनुमान है कि 192.49 करोड़ की राशि बकाया थी।

कृषि ऋ

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

कृषि ऋण

कृषि क्षेत्र में सरकारी बैंकों के ऋणों मे इधर और वृद्धि हुई है। दिसंबर 1979 के अंत में जहां 79.04 लाख ऋण खातों के जरिए 2,583 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए थे, वही जून 1981 के अंत तक 96.12 लाख ऋण खातो के मार्फत 3,866.92 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए थे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जून 1981 मे कृषि क्षेत्र को दिए ऋण का कुल ऋणों मे हिस्सा 15.9% था, जबकि दिसबर, 1979 में यह 14.3% था।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण अचल में सघन गतिविधियां बनाए रखने की ओर अब और भी ध्यान दिया है। दिसबर 1980 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंको ने 1,06,000 गांवों को अपना रखा था और 34.78 लाख लोगों को 866.07 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए थे।

कृषि क्षेत्र में सरकारी बैंको द्वारा ऋण प्रणाली को प्रभावित करने वाले राज्य सरकारों के कानूनों व विधेयकों के संबंध में सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। इस समिति ने यह सिफारिश की कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के संबंध एक जैसा विधेयक स्वीकार किया जाए। सोलह राज्य सरकारों—असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब ने इस प्रकार के विधेयक स्वीकृत किए हैं। 14 राज्यों ने इस अधिनियम की धाराओं को लागू करने के लिए कानून बनाए हैं। केन्द्र शासित प्रदेशों को भी समीपवर्ती राज्यों के सम्बद्ध कानूनो को समुचित संशोधन के साथ लागू करने के लिए कहा गया है। 20 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों पर कुछ सीमाओं तक स्टैम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की है। इसी प्रकार 15 राज्यों ने कुछ सीमा तक पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क में छूट प्रदान की है। 8 राज्यों में ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र पर शुल्क में छूट दी गई है

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों मे वृद्धि और कमजोर वर्गों की सहायता के लिए कई योजनाएं तैयार की गई है और अनेक कदम उठाए गए है। इनमें से कुछ निम्न है :—

(क) एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के लिए विधेयक तैयार किया गया है। इस बैंक द्वारा कुछ महीनो में अपना काम शुरू किए जाने की आशा है। कृषि के उन्नयन, लघु उद्योगों, गृह और ग्रामोद्योगो, दस्तकारी और दूसरी ग्रामीण कलाओ तथा गांव में चलने वाली अन्य सम्बद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण सुलभ कराने के संबंध में नीति निर्धारण, योजना, और क्रियान्वयन के संबंध मे राष्ट्रीय बैंक सर्वोच्च संगठन होगा। यह नया बैंक कृषि और आर्थिक विकास से संबधित कार्यों के

लिए ऋण सुलभ कराने के लिए एक समन्वित एजेन्सी होगी और इससे पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी।

बीस सूत्री कार्यक्रम

(ख) दिसम्बर, 1980 के अंत में 20 सूत्री कार्यक्रमों के अंतर्गत लोगों को 53.43 लाख खातों के जरिये 1,718 करोड़ रुपये के ऋण सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये थे। अब 20 सूत्री कार्यक्रमों को संशोधित कर दिया गया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई गई नयी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बैंकों को बड़े पैमाने पर सहायता देने को कहा गया है।

बैंकों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य प्रत्येक खण्ड में 3,000 निर्धनतम परिवारों की सहायता करने का है। प्रत्येक वर्ष 600 परिवारों को सहायता दी जाएगी। इसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 1,500 करोड़ रुपये की सबसिडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है और अनुमान है कि इसके लिए सरकारी और वाणिज्यिक बैंकों से 3,000 करोड़ रुपए तक के ऋणों की आवश्यकता होगी।

रिजर्व बैंक

1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया, जो मुख्यतः वाणिज्यिक बैंक था, केन्द्रीय बैंक के रूप में भी कुछ काम, विशेषतः सरकार के बैंकर का काम करता था।

रिजर्व बैंक का प्रारम्भिक गठन हिस्सेदारों के प्रतिष्ठान के रूप में 5 करोड़ रु० की हिस्सा-पूंजी से किया गया था। पूंजी अभी भी उतनी ही है। शुरू में सारी हिस्सा-पूंजी गैर-सरकारी हाथों में थी, केवल 2.2 लाख रुपए की नाममात्र का हिस्सा-पूंजी केन्द्रीय सरकार के नाम में थी। बाद में केन्द्रीय सरकार ने हिस्सेदारों को हर्जाना देकर सारी हिस्सा-पूंजी अपने हाथ में ले ली और 1 जनवरी, 1949 से रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिष्ठान हो गया।

कार्य

रिजर्व बैंक का मुख्य काम है—रुपये के चलन को नियमित करना और मुद्रा स्थायित्व बनाए रखने के लिए सुरक्षित भंडार रखना। एक रुपये के सिक्के, नोट और छोटे सिक्कों को छोड़कर मुद्रा जारी करने का एक मात्र अधिकार रिजर्व बैंक को है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एक रुपये के नोट और सिक्के तथा दूसरे सिक्कों का वितरण भी रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में करता है।

भारत सरकार, राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों सहित कुछ वित्तीय संस्थाओं के लिए रिजर्व बैंक बैंकर का काम करता

है। यह मुद्रा नीति बनाता है और लागू कराता है तथा ऋण की लागत और उपलब्धि में परिवर्तन करके चीजों और सुविधाओं की औसत मांग पर असर डालता है। रुपये की विनिमय दर बनाए रखने में रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा नीति में भारत की सदस्यता के संबंध में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अब यह बैंक कई तरह के विकास संबंधी और प्रोत्साहन देने के काम भी करता है।

बैंक के कामों का सामान्य अधीक्षण एवं निर्देशन केन्द्रीय निदेशक मंडल करता है। इस मंडल में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और अन्य निदेशक (एक अधिकारी सहित) होते हैं, जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। गवर्नर इस मंडल का अध्यक्ष और बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।

लघु उद्योग

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने राष्ट्रीय प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए लघु उद्योगों के लिए नियमित रूप से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इस क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को रोजगार सुलभ कराने की बहुत गुंजाइश है। लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों पर लिए जाने वाले सूद में काफी छूट प्रदान की जाती है। अब सुरक्षा गारंटी के साथ ऋण देने के बजाय उत्पादन को अहमियत देते हुए ऋण प्रदान किया जा रहा है। अनेक बैंकों ने उद्यमियो को तकनीकी सहायता सुलभ कराने के लिए कक्ष (सेल) स्थापित किये हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण देने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों में कारीगर, दस्तकार, ग्रामीण और घरेलू उद्योग और 25,000 रुपए तक ऋण चाहने वाले लघु उद्योग आते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत और प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिए नियुक्त कार्यदल की सिफारिशों पर कार्यवाही के रूप में बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि मार्च 1985 तक लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण का कम से कम 12.5 प्रतिशत कमजोर वर्गों को मिले।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिया जाने वाला ऋण जून 1980 में 2,618 करोड़ रुपए था, जबकि जून 1981 में यह ऋण रकम 3,347 करोड़ रुपए थी।

निर्यात ऋण

बैंकों द्वारा ऋण देने के मामले में निर्यात क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्यात क्षेत्र को माल भेजने के पूर्व (पैकिंग क्रेडिट) और माल लदान के बाद दोनों के लिए ही ऋण मुहैया कराये जाते हैं।

निर्दिष्ट मझोले और भारी इंजीनियरिंग उद्योग की वस्तुओं और विदेशो में निर्माण ठेकों के लिए लदानपूर्व ऋण 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 180 दिनों के लिए तथा अन्य किस्म के माल के लिए 90 दिनों तक के लिए दिये जाते हैं। कुछ विशेष वस्तुओं पर भी रियायती ब्याज दर पर 180 दिनों के लिए निर्यात ऋण की सुविधा सुलभ है।

लदान के बाद का अल्पकालिक ऋण बैंकों द्वारा 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जाता है। अधिक दिनों में भुगतान वाले रियायती दर वाले वाले ऋण, पूंजीगत तथा इंजीनियरी वस्तुओं के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज दर पर सुलभ कराये जाते हैं। निर्यात-आयात बैंक भी जहां कहीं जरूरत हो मध्य अवधि और दीर्घावधि के रियायती कर्ज देने का कार्य करता है और साथ ही विभिन्न प्रकार की गारंटी देने का भी कार्य करता है।

दिसंबर 1977 के अंत में अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये गये निर्यात ऋण की राशि 1,177 करोड़ रुपये थी जो सितंबर 1981 के अंत तक बढ़ कर 1,736 करोड़ रुपये हो गयी।

निर्यात-आयात बैंक

1 जनवरी, 1982 को एक नया बैंक (निर्यात-आयात बैंक) स्थापित किया गया। इस बैंक ने औद्योगिक विकास बैंक के अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग का कार्य ले लिया है। यह बैंक अन्य चीजों के अलावा परियोजनाओं, पूंजीगत माल, इंजीनियरी सामान आदि के लिए मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण रियायती ब्याज दर पर सुलभ करायेगा और साथ ही वाणिज्यिक बैंकों के लिए गारंटी देने या दिलाने का कार्य करेगा। अल्पकालिक निर्यात ऋण मुख्यतया वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे और, निर्यात-आयात बैंक ऐसे ऋण विशेष परिस्थितियों में ही देगा। यह बैंक व्यापारी बैंकिंग और विकास संबंधी बैंकिंग का कार्य भी करेगा, बशर्ते वे निर्यात को प्रोत्साहन देने वाले हों। यह बैंक सलाह देने का कार्य भी करेगा। यह आवश्यकता होने पर वाणिज्यिक बैंकों के लिए पुनर्वित्त व्यवस्था करने और पुनः छूट प्रदान करने का भी कार्य करेगा।

बैंक और प्रशासनिक एजेंसियों के बीच समन्वय

पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों के उत्पादक स्वरोजगार प्रयासों के लिए सभी सुविधाएं सुलभ कराने की क्रमशः बढ़ती सक्रिय भूमिका के साथ बैंकों के बीच परस्पर और बैंकों और विकास कार्यों से सम्बद्ध एजेंसियों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण हो गया है इसके लिए जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न संगठन (फोरम) गठित किये गये हैं। जिला स्तर पर गठित इस प्रकार की सलाहकार समितियों का अध्यक्ष कलक्टर होता है और प्रमुख बैंक (लीड बैंक) संयोजक की भूमिका निभाता है। कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों के बीच संवाद एवं सम्पर्क के लिए कई स्टैंडिंग समितियां गठित होती हैं। राज्य स्तर पर इस प्रकार के दो फोरम हैं, (1) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और (2) राज्य स्तरीय समन्वय समिति। पहले संगठन में मध्यम स्तर के प्रबन्धक वर्ग के बैंक अधिकारी होते हैं जबकि दूसरी समिति में राज्य सरकार के विभागों के विभागाध्यक्ष होते हैं। शीर्ष स्तर पर छह क्षेत्रीय सलाहकार समितियां गठित की गयी हैं जिनमें मंत्री भी शामिल हैं। इन समितियों की बैठकों की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री करते हैं।

सारणी 12.10
कार्यरत कम्पनियां

31 मार्च को	शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियां: सरकारी: संख्या	सरकारी: चुकता पूंजी (करोड़ रु० में)	गैर सरकारी: संख्या	गैर सरकारी: चुकता पूंजी (करोड़ रु० में)	जोड़: संख्या	जोड़: चुकता पूंजी (करोड़ रु० में)	असीमित देयता वाली कम्पनियां	लाभ न कमाने वाली जंम एवं गारंटी द्वारा लि० कं० (संख्या)
1951	12,568	566.5	15,964	208 9	28,532	775.4	—	1,213
1961	6,702	948.2	19,447	870.3	26,149	1,818.5	—	1,169
1971	6,690	2,091.5	23,632	2,422.2	30,322	4,513.7	—	1,220
1974	7,218	2,572.4	30,267	5,058.6	37,485	7,631.0	1	1,294
1975	7,485	2,799.8	33,099	5,401.0	40,584	8,200.8	4	1,326
1976*	7,708	3,001.6	35,557	6,437.0	43,265	9,441.6	15	1,337
1977*	7,858	3,146.3	37,774	7,401.9	45,632	10,548.[illegible]	43	1,356
1978*	8,025	3,374.9	39,930	8,649.4	47,955	12,024.3	47	1,381
1979*	8,214	3,540.7	42,837	8,337.4	51,051	11,878.1	62	1,414
1980*	8,578	3,725.1	47,202	9,686.5	55,780	13,411.6	178	1,447
1981	9,101	3,952.1	52,900	10,724.4	52,001	14,676.5	176	1,478

*अस्थाई

तालिका 12.11
कम्पनियों द्वारा सीमित कार्यरत कम्पनियों का क्षेत्र/राज्यवार विवरण

क्षेत्र/राज्य	31-3-1981 को कार्यरत कम्पनियां		अप्रैल 1980 से मार्च 1981 तक पंजीकृत कम्पनियां	
	संख्या	चुकता पूंजी (करोड़ रु०)	संख्या	प्राधिकृत पूंजी (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र				
असम	720	193.3	49	10.5
अरुणाचल प्रदेश	12	0.6	3	0.3
मेघालय	75	12.9	4	0.8
मिजोरम	2	0.1	—	—
बिहार	971	516.8	68	8.1
मणिपुर	15	3.2	2	4.0
नगालैंड	24	38.6	3	0.1
उड़ीसा	522	99.8	58	224.8
त्रिपुरा	15	3.5	2	5.1
पश्चिम बंगाल	13,751	2,193.3	866	138.2
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	1.9	2	0.1
योग	16,120	3,064.0	1,057	392.0
उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा	483	121.3	39	8.1
हिमाचल प्रदेश	173	29.0	27	6.4
जम्मू और कश्मीर	189	40.5	14	2.6
पंजाब	1,627	58.3	214	18.1
राजस्थान	1,146	179.3	187	22.0
उत्तर प्रदेश	2,915	379.2	273	22.0
चंडीगढ़	337	67.9	75	8.2
दिल्ली	7,893	5,879.2	1,144	113.4
योग	14,763	6,754.7	1,973	200.8

1	2	3	4	5
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	2,141	494.5	308	43.7
कर्नाटक	2,836	687.3	375	71.5
केरल	1,758	393.3	146	24.3
तमिलनाडु	5,249	804.1	475	47.2
पांडिच्चेरि	101	5.9	9	0.7
योग	12,085	2,385.1	1,313	187.4
पश्चिमी क्षेत्र				
मध्य प्रदेश	939	130.5	139	23.6
महाराष्ट्र	14,392	1,711.7	1,635	106.6
गोवा, दमन और दीव	376	57.4	39	8.0
गुजरात	3,316	573.0	460	49.9
दादरा और नगर हवेली	10	0.1	—	—
योग	19,033	2,472.7	2,273	188.1
कुल योग	62,001	14,676.5	6,616	968.3

1979-80 में 96 कम्पनियों ने 62.24 करोड़ रुपए की पूंजी जारी की थी जिसमें से 54.97 करोड़ रुपये समशेयरों के रूप में, 0.27 करोड़ रुपये प्राथमिकता वाले शेयरों के रूप में और सात करोड़ रुपए डिबेन्चरों के रूप में थे। इस प्रकार 1980-81 में जारी की गयी कुल पूंजी राशि में 36.14 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। 1980-81 में जारी की गयी कुल पूंजी में से 74.10 करोड़ रुपए (75.3%) की पूंजी जनता के लिए थी जिसमें से 42.12 (56.8%) गारन्टी युक्त थी। 1980-81 में इन कम्पनियों की कुल परियोजना लागत 393.67 करोड़ रुपए थी जबकि उससे पहले के साल की परियोजना लागत 232.83 करोड़ रुपए थी।

बंद कम्पनियाँ 1979-80 में उन कम्पनियों की संख्या 257 थी, जो 1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 560 (5) के अधीन या तो दिवालिया हो गई या जिनके नाम काट दिए गए या जिन्होंने काम करना बंद कर दिया था। इससे पूर्व के वर्षों में बंद कम्पनियों की संख्या यह थी:— 1965-66—915, 1969-70—523, 1970-71—472, 1971-72—[illegible]73, 1972-73—550, 1973-74—315, 1974-75—272, 1975-76—302, 1976-77—278, 1977-78—344 1978-79—[illegible] और 1979-80—275 और 1980-81—391

सरकारी कम्पनियाँ सारणी 12.12 में उन सरकारी कम्पनियों की संख्या और चुकता पूंजी का ब्योरा दिया गया है जो 1961-65—और 1972 में 31 मार्च, 1981 तक के वर्षों में काम कर रही थीं।

सारणी 12.12 कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

31 मार्च, 1980 को	सार्वजनिक		निजी		योग	
	संख्या	चुकता पूंजी (करोड़ रु०)	संख्या	चुकता पूंजी (करोड़ रु०)	संख्या	चुकता पूंजी (करोड़ रु०)
1962	41	23 5	113	606.2	154	629.7
1965	54	51 5	129	1,062.8	183	1,114.3
1972	107	156 0	245	2,213.1	352	2,369.1
1973	126	219 0	264	2,779.4	390	2,998.4
1974	147	249 1	303	4,396.0	450	4,645.1
1975	210	315 4	363	4,650.6	573	4,966.0
1976	243	168 5	408	5,653.7	651	6,122.2
1977	273	591.9	428	6,582.6	701	7,174.5
1978	300	725 5	445	7,802.1	745	8,527.6
1979	321	852 7	461	7,462.5	782	8,315.2
1980	353	973 6	472	8,779.7	825	9,753.3
1981	352	1,095 0	499	9,757.2	851	10,853.1

विदेशी कम्पनियाँ 31 मार्च 1981 को भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 591 के अंतर्गत परिभाषित विदेशी कम्पनियों की संख्या 300 थी (अर्थात् ऐसी कम्पनियाँ जो विदेशों में ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों के रूप में निगमित की गई है, लेकिन जिनके व्यापार का स्थान भारत में है)। इन कम्पनियों का देशवार विवरण 31 मार्च, 1981 को इस प्रकार था: ब्रिटेन 133, अमरीका 57, जापान 19, फ्रांस 8, पश्चिम जर्मनी 6, कनाडा और इटली—प्रत्येक 6, बांग्ला देश, पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड—प्रत्येक 5, आस्ट्रेलिया, हांगकांग, नीदरलैंड और स्वीडन—प्रत्येक 4, बेल्जियम, नेपाल, युगांडा और युगोस्लाविया—प्रत्येक 3, बहामा द्वीप समूह, लेबनान, सिंगापुर और थाइलैंड—प्रत्येक 2, अदन, आस्ट्रिया,

डेनमार्क, यूनान, ईरान, कुवैत, लाइबीरिया, लक्जेमबर्ग, मलेशिया, मारिशस, पनामा, तंजानिया और संयुक्त अरब अमीरात—प्रत्येक एक।

बीमा

जीवन बीमा

1981-82 में जीवन बीमा निगम की सिलचर में एक शाखा खोली गयी ताकि इस क्षेत्र के पालिसी धारियों को बेहतर सेवाएं सुलभ करायी जा सकें। हाल के वर्षों में बेहतर ढंग से समन्वित शाखा कार्यालयों के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है, खासतौर पर मुफस्सिल और ग्रामीण क्षेत्रों में। 1981-82 में निगम ने 64 नई शाखाएँ खोलने की स्वीकृति प्रदान की जिनमें से 13 शाखाएं उन जिलों में खोली जानी थीं जहां पहले से कोई शाखा नहीं थी। इनमें से अधिकांश शाखाएं इसी वर्ष खोल दी गयी। शाखा कार्यालयों के विस्तार कार्यक्रम के फलस्वरूप निगम के शाखा कार्यालयों और विकास केन्द्रों की संख्या 31 मार्च 1982 को क्रमशः 887 और 64 थी।

जीवन बीमा निगम का नया व्यापार

1980-81 का वर्ष पहला ऐसा वर्ष था जब जीवन बीमा निगम के प्रीमीयम की संशोधित सारणी लागू की गयी। 1980-81 में निगम ने 19.5 लाख पालिसियां जारी की जिनके जरिये 2,897 करोड़ रुपये का बीमा किया गया। 1981-82 के दौरान नये व्यक्तिगत जीवन बीमों की संख्या 21 लाख थी, और उनके जरिये 3,485 करोड़ रुपये का बीमा किया गया। इस प्रकार पालिसियों की संख्या में 8% की और बीमा राशि की दृष्टि से 21% की वृद्धि दर्ज की गयी।

31 मार्च 1981 को निगम की कुल आय, स्रोत स्तर पर आयकर कटौती के बाद 1,461 करोड़ रुपये थी। इसमें 965 करोड़ रुपये प्रीमियम की आय थी। 31 मार्च 1981 को निगम के 'जीवन कोष' में 6,644 करोड़ रुपये थे।

निवेश

निगम के धन का निवेश, बीमा अधिनियम की धारा-27 ए के उपबन्धों के अनुसार होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निगम की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए इन उपबन्धों को 1975 में संशोधित किया गया। इसके अनुसार निगम को अपनी नियंत्रित निधि में हुई वृद्धि का 25% केन्द्रीय सरकार के ऋण पत्रों और कम से कम—50% केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और सरकार द्वारा गारंटीशुदा बाजार ऋण पत्रों में लगाना है। इसके अलावा जीवन बीमा निगम काफी बड़े पैमाने पर ऋण सामाजिक क्षेत्रों को देता है जिनमें मुख्यतया बिजली, आवास, सड़क यातायात और जल आपूर्ति तथा सीवरेज की योजनाएं शामिल हैं। समाजोन्मुखी क्षेत्रों में, सरकारी ऋण-पत्रों और सरकार द्वारा गारंटीशुदा बाजार सहित, कम से कम 75% वार्षिक वृद्धि का निवेश करता है।

31 मार्च 1981 को निगम ने देश में 6,021 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश की थी जिसमें से 4,708 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में 666 करोड़ रुपये सहकारी क्षेत्र में और 647 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में, जिसमें संयुक्त क्षेत्र भी शामिल हैं, लगाये गये थे।

नयी योजना

कम समृद्ध वर्ग के और स्थायी आय वाले लोगों की बीमा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन बीमा निगम ने हाल में जन-रक्षा पालिसी नाम की नयी बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम के भुगतान में थोड़ी त्रुटियों के बावजूद मृत्यु के बाद बीमा की पूरी रकम का भुगतान किया जायेगा। इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

पुनर्गठन

जीवन बीमा उद्योग को और अधिक व्यापक और सघन रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाने की दृष्टि से, विशेषतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, 1981 के प्रारम्भ में यह निर्णय लिया गया है कि निगम की 5 स्वतंत्र इकाइयां होंगी इस निर्णय को कार्य रूप देने के लिए आवश्यक विधेयक तैयार किया जा रहा है।

सामान्य बीमा

सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, 1973 को किया गया था। इसके अंतर्गत सामान्य बीमा निगम और इसकी चार सहायक कंपनियां जैसे राष्ट्रीय इन्श्योरेंस कम्पनी लि०, न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, ओरियंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंश कं० लि० और यूनाइटड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि० आते हैं। सामान्य बीमा निगम, जो होल्डिंग कम्पनी हैं, मुख्यतया निगरानी और सलाह देने का कार्य करती है। इसका सीधा कारोबार उड्डयन सम्बन्धी बीमा करना है। यह राज्य सरकारों के सहयोग से प्रायोगिक आधार पर फसल बीमा भी करता है।

सामान्य बीमा निगम की सहायक कम्पनियाँ

सामान्य बीमा निगम की सहायक कम्पनियां सभी वर्गों के सामान्य बीमा का कारोबार करती हैं। इन सभी का ढांचा चार स्तरीय है जिनमें मुख्य-कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सम्भागीय कार्यालय और सहायक कार्यालय आते हैं। 31 मार्च, 1980 को इन कम्पनियों के 22 प्रादेशिक/क्षेत्रीय कार्यालय, 368 सम्भागीय कार्यालय, 882 शाखा कार्यालय थे। 1981 में इनके कार्यालयों की संख्या में और वृद्धि हुई और 31 दिसंम्बर 1981 को देश में 28 प्रादेशिक/क्षेत्रीय कार्यालय, 399 सम्भागीय कार्यालय और 976 शाखा कार्यालय कार्यरत थे। सामान्य बीमा निगम की कम्पनियां अपने शाखा कार्यालयों/एजेंसियों की मार्फत 28 अन्य देशों में भी अपना कारोबार कर रही हैं।

नयी योजनाएं

1981 में सामान्य बीमा उद्योग निगम ने समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतौर पर ग्रामीण अंचल के लोगों के लाभ के लिए बीमे की नई योजनाएं शुरू की। बिहार सरकार के सहयोग से एक नई समूह वैयक्तिक दुर्घटना

बीमा योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों के 66 लाख किसानों और कृषि मजदूरों का 2 हजार रुपये के लिए बीमा किया गया जो दुर्घटना के कारण हुई स्थायी अपंगता या मृत्यु की स्थिति में . . . . किया जाएगा। एक और योजना नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत झुग्गी-झोपड़ियो रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों के 1,50,000 झुग्गी-झोपड़ी वालों का प्रत्येक के लिए 2,000 रुपये का बीमा किया गया है।

निवेश नीति

यह सविधि और साथ ही साथ सरकार के नीति-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है। सामान्य बीमा निगम की निवेश योग्य राशि में नई अभिवृद्धि में से 25 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के कोष में, 10 प्रतिशत राज्य सरकारों के कोष, अन्य अनुमोदित बांडों और विविध सार्वजनिक संस्थानों द्वारा जारी ऋण पत्रों में, 35 प्रतिशत ऋण के रूप में राज्य सरकारों, आवास और नगर विकास निगम को, आवास व अग्निशमन सेवा के लिए राज्य सरकारों को तथा शेष 30 प्रतिशत राशि बाजार निवेश में लगाई जाती है।

31 दिसम्बर, 1981 को सामान्य बीमा निगम का कुल निवेश 892 करोड़ रुपये था जो 31 दिसम्बर, 1981 को (अनुमानित आंकड़े) बढ़ कर 1,083 करोड़ रुपये हो गया। इसमें से 31 दिसम्बर, 1981 को 70 करोड़ रुपये का निवेश समाजोन्मुख क्षेत्रों में किया गया था जो 31 दिसम्बर, 1981 को बढ़कर 108 करोड़ रुपये हो गया।

फसल बीमा योजना

सामान्य बीमा निगम, फसल बीमा योजना प्रायोगिक तौर पर चला रहा है। अभी ऐसा बीमा सीमित आधार पर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कपास, मूंगफली व धान की विभिन्न किस्मों का बीमा किया गया है।

कृषि पंप-सेटों का बीमा

पंप-सेटों की टूट-फूट, चोरी, आग, बिजली आदि से रक्षा के लिए नाममात्र के प्रीमियम पर 'कृषि पम्प-सेट बीमा' की एक नई व्यापक योजना शुरू की गई है। जून 1981 तक लगभग 43,000 पंप-सेटों का बीमा किया गया, जिससे 35.2 लाख रुपए का प्रीमियम प्राप्त हुआ।

पशु बीमा

पशु बीमा का काम सामान्य बीमा निगम की चारों सहायक कंपनियां अलग-अलग करती हैं। इन कंपनियों में एक करार हुआ है, जिसमें एक जैसी प्रीमियम दरें, पालिसी की शर्तें और प्रक्रियाएं रखने की व्यवस्था है। यह करार 1 अप्रैल, 1976 को अमल में आया। 1980 में लगभग 44 लाख पशुओं का बीमा किया गया, जिससे 13 करोड़ रु० का प्रीमियम प्राप्त हुआ।

13 आयोजना

भारत में आयोजना के लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्यों के आदि स्रोत संविधान में दिए गए राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक समझे जाते हैं। निजी क्षेत्र में केवल संगठित उद्योग ही नहीं अपितु लघु उद्योग, कृषि, व्यापार, आवास तथा अन्य कई प्रकार के उद्योग आते हैं। व्यक्तिगत तथा निजी प्रयत्न आवश्यक तथा वांछनीय समझे जाते हैं। नीति यह है कि स्वेच्छा से सहयोग के आधार पर विकास कार्यों में अधिक से अधिक सहायता मिल सके। सरकारी क्षेत्र में आधारभूत तथा भारी उद्योगों में बड़ी मात्रा में रुपया लगाते हुए इस क्षेत्र का विस्तार करते रहना भी आर्थिक आयोजन में शामिल है।

भारत सरकार ने देश के सारे साधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास का एक ढांचा तैयार करने के लिए 1950 में योजना आयोग नियुक्त किया था। 15 सितम्बर, 1982 को आयोग का गठन निम्नानुसार था:

श्रीमती इन्दिरा गांधी	प्रधानमंत्री और अध्यक्ष
यशवन्त राव चव्हाण,	योजना मंत्री और उपाध्यक्ष
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	वित्त मंत्री और सदस्य
श्री आर० वेंकटरमन	रक्षा मंत्री और सदस्य
श्री मोहम्मद फजल	सदस्य
प्रो० एम०जी०के० मेनन	"
डा० सी०एच० हनुमन्त राव	"
श्री के० वी० रामनाथन	सचिव

पहली पांच पंचवर्षीय योजनाएं

उद्देश्य

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-52 से 1955-56) के दो उद्देश्य थे—द्वितीय महायुद्ध और देश के विभाजन के कारण उत्पन्न आर्थिक असन्तुलन को ठीक करना और साथ-ही-साथ सर्वांगीण सन्तुलित विकास की प्रक्रिया शुरू करना जिससे निश्चयात्मक रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और कालान्तर में जीवन स्तरों में सुधार हो। चूंकि 1951 में देश को बड़े पैमाने पर अन्न आयात करना पड़ा और अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ा इसलिए योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई और बिजली परियोजना सहित कृषि को दी गई। इसके विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के 2,069 करोड़ रु० के कुल परिव्यय का (जो बाद में बढ़ाकर 2,378 करोड़ रु० कर दिया गया) 44.6 प्रतिशत रखा गया। इस योजना का लक्ष्य निवेश को राष्ट्रीय आय के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 7 प्रतिशत करना भी था।

1954 में लोक सभा ने घोषित किया कि आर्थिक नीति का व्यापक उद्देश्य 'समाज के समाजवादी ढांचे की' प्राप्ति होना चाहिए। इस ढांचे के अन्तर्गत प्रगति की रूपरेखा निर्धारित करने की आधारभूत कसौटी निजी मुनाफा नहीं, बल्कि सामाजिक लाभ और आय तथा सम्पत्ति में अधिकतम समानता होनी चाहिए। इसलिए दूसरी योजना (1956-57 से 1960-61) में भारत में अन्ततः समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की दिशा में विकास-ढांचे को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किए गए। इस योजना में विशेष रूप से इस बात पर बल दिया गया कि आर्थिक विकास का अधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत

कम साधन-प्राप्त वर्गों को मिले और आय, सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति के, [illegible] सिमटने, की प्रवृत्ति में लगातार कमी हो।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे—(1) राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत वृद्धि ; (2) आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल देते हुए तेजी से औद्योगीकरण; (3) रोजगार के अवसरों में वृद्धि; और (4) आय और सम्पत्ति की विषमताओं में कमी तथा आर्थिक शक्ति का और अधिक समान वितरण। इस योजना का लक्ष्य 1960-61 तक निवेश-दर को राष्ट्रीय आय के लगभग 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत करना था। योजना में औद्योगीकरण पर विशेष बल दिया गया। अतः लोहे तथा इस्पात और [illegible] युक्त उर्वरकों सहित रसायनों के उत्पादन में वृद्धि और भारी इंजीनियरी तथा मशीन उद्योग के विकास पर जोर दिया गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66) का मुख्य उद्देश्य देश को विकास की दिशा में निश्चित रूप से बढ़ाना था। इसके तात्कालिक लक्ष्य थे—(1) राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की वृद्धि करना और साथ ही ऐसे निवेश का ढांचा तैयार करना कि यह वृद्धि-दर आगामी योजना अवधियों में बनी रहे; (2) खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना और कृषि उत्पादन बढ़ाना जिससे उद्योग तथा निर्यात की जरूरतें पूरी हो सकें; (3) इस्पात, रसायनों, ईंधन और बिजली जैसे आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना और मशीन निर्माण क्षमता स्थापित करना ताकि आगामी लगभग 10 वर्षों में औद्योगीकरण की भावी मांगों को मुख्यतः देश के अपने साधनों से पूरा किया जा सके; (4) देश की जन-शक्ति के साधनों का पूरा उपयोग करना और रोजगार के अवसरों का पर्याप्त विस्तार करना; तथा (5) अवसरों की समानता में उत्तरोत्तर वृद्धि करना, आय तथा सम्पत्ति की विषमताओं को कम करना और आर्थिक शक्ति का और अधिक समान वितरण करना। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि करके, *1960-61* में *14,500* करोड़ रु० से बढ़ाकर 1965-66 तक 19,000 (1960-61 के मूल्यों पर) करोड़ रु० करना और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 17 प्रतिशत वृद्धि करके 330 रु० से 385 रु० करना।

भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न स्थिति, दो साल के लगातार भीषण सूखे, मुद्रा अवमूल्यन, मूल्यों में आम वृद्धि और योजना के लिए उपलब्ध साधनों में कमी से चौथी योजना को अन्तिम रूप देने में देर हुई। इसलिए 1966-69 के बीच चौथी योजना के मसौदे को ध्यान में रखते हुए तीन वार्षिक योजनाएं बनाई गईं। इनमें तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया। इस अवधि में अर्थ-व्यवस्था की स्थिति और योजना के लिए वित्तीय साधनों की कमी के कारण विकास परिव्यय कम रहा।

चौथी योजना (1969-70 से 73-74) का लक्ष्य स्थिरतापूर्वक विकास की गति को तेज करना, कृषि के उत्पादन में उतार-चढ़ाव को कम करना तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितताओं के दुष्प्रभाव को घटाना था। इसका उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों द्वारा लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा करना था, जिनसे समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन भी मिले। योजना में—विशेषकर रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था के जरिए—कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों की दशा को सुधारने पर विशेष बल दिया गया। इस योजना में सम्पत्ति, आय और आर्थिक शक्ति का अधिकाधिक लोगों में प्रसार करने और उन्हें चन्द हाथों में एकत्र होने से रोकने के प्रयत्न भी किए गए।

योजना का लक्ष्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को, जो 1969-70 में 1968-69 के मूल्यों पर 29,071 करोड़ रु० था, बढ़ाकर 1973-74 में 38,306 करोड़ रु० करने का था। इसका अर्थ था कि 1960-61 के मूल्यों पर 1968-69 के 17,351 करोड़ रु० के उत्पादन को 1973-74 में 22,862 करोड़ रु० कर दिया जाए। विकास की प्रस्तावित औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-75 से 77-78) ऐसे समय बनाई गई थी जब कि अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव अत्यधिक था। इस योजना के प्रमुख लक्ष्य थे—स्वावलम्बी बनना और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के उपभोग-स्तर को ऊपर उठाने के उपाय करना। पांचवीं योजना में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने को भी उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में, राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर 5.5 प्रतिशत रखी गई थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि से सम्बद्ध चार वार्षिक योजनाएं पूरी हो चुकने के बाद में निर्णय किया गया कि वार्षिक योजना 1977-78 की समाप्ति के साथ ही पांचवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी जाए और अगले पांच वर्षों के लिए, नयी प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों के साथ एक नई योजना के लिए काम शुरू किया जाए।

छठी पंचवर्षीय योजना

आयोजना के पिछले तीन दशकों की उपलब्धियों और कमियों को ध्यान में रखकर छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81 से 1984-85) तैयार की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबी दूर करना। हालांकि यह भी स्वीकार किया गया है कि इतना बड़ा कार्य पांच वर्ष की छोटी-सी अवधि में पूरा नहीं किया जा सकता।

इस योजना के लिए ऐसी नीति अपनायी गई है जिससे कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों की संरचना सुदृढ़ हो ताकि पूंजी निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हो सके और इस उद्देश्य से तैयार किए गए विशेष कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार अवसर में वृद्धि हो जिससे लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। सभी संबद्ध समस्याओं को, अलग-अलग के बदले समेकित रूप में सुलझाने, प्रबन्ध दक्षता बढ़ाने, सभी क्षेत्रों का गहन पर्यवेक्षण करने और स्थानीय स्तर की विशेष विकास परियोजनाओं में लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने तथा इन परियोजनाओं के शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980—85) के दौरान सरकारी क्षेत्र में कुल 97,500 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 5.2 प्रतिशत की और प्रति व्यक्ति आय में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि है।

परिव्यय और निवेश पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए क्रमशः 2,378 करोड़ रु०, 4,600 करोड़ रु० तथा 7,500 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रावधान था जबकि वास्तविक खर्च क्रमशः 1,960 करोड़ रु०, 4,672 करोड़ रु० तथा 8,577 करोड़ रु० हुआ। निजी क्षेत्र का पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना में विनियोग 1,800 करोड़ रु०, 3,100 करोड़ रु० और 4,190 करोड़ रु० था। तीनों वार्षिक योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के लिए

कुल 6,665 करोड़ रु० रखे गए। आरम्भ में चौथी योजना के लिए 24,882 क० रु० का प्रावधान रखा गया था। इसमें सरकारी क्षेत्र के लिए 15,902 करोड़ रु० राशि थी। चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र का वास्तविक खर्च 15,779 करोड़ रुपये था। पांचवीं योजना के अन्तिम रूप में 39,322 करोड़ सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र का परिव्यय लगभग 27,049 करोड़ रु० था पांचवी योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र पर वास्तविक खर्च 39,426 क रुपये था। पूजी निवेश की प्राथमिकताओं में परिवर्तन करके 1979-80 की योजना में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के लिए 12601 करोड़ रुपये रखे गए थे जबकि इस दौरान वास्तविक खर्च 12176 करोड़ रुपये हुआ। 1980-81 की योजना मे कुल परिव्यय 15109 करोड़ रुपये निश्चित किया गया था जबकि उस अवधि का कुल अनुमानित खर्च 14722 करोड़ रुपये रहा। 1981-82 की वार्षिक योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे 17417 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है जबकि इस दौरान संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल खर्च 18196 करोड़ रुपये के लगभग होगा। 1982-83 के वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र योजना के लिए 21082 करोड़ रुपये का परिव्यय निश्चित किया गया है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना से शुरू करके, सरकारी क्षेत्र में योजना व्यय की प्रगति को सारणी 13.1 में दर्शाया गया है।

उपलब्धियां

पहली योजना में मुख्यत: कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी से राष्ट्रीय आय में वृद्धि 12 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक अर्थात 18 प्रतिशत हुई। दूसरी योजना में वृद्धि 25 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 20 प्रतिशत रही। तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय (संशोधित) 1960-61 के मूल्यों पर पहले चार वर्षों में 20 प्रतिशत बढ़ी परन्तु अन्तिम वर्ष में इसमें 5.7 प्रतिशत की कमी आई। 1966-67 से 1968-69 तक की तीन वार्षिक योजनाओं में राष्ट्रीय आय में मामूली वृद्धि हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सन्तोषप्रद वृद्धि हुई किन्तु याद के वर्षों में विकास की दर कम रही। चौथी योजना में विकास की प्रस्तावित दर 5.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जबकि 1969–74 में विकास की वास्तविक दर अनुमानत: 3.3 प्रतिशत रही। पांचवीं योजना में अनुमानित राष्ट्रीय आय में विकास की प्रस्तावित दर 4.4 के मुकाबले वास्तविक दर अनुमानत: 5.2 प्रतिशत रही।

कृषि उत्पादन का सूचकांक, 1969-70 को समाप्त वर्षत्रयी को आधार मानकर, पहली योजना के अन्त में 71.9 से बढ़कर दूसरी योजना के अन्त में 86.7 हो गया। तीसरी योजना में कृषि उत्पादन संतोषजनक नही था। 1965-67 के व्यापक सूखे से वृद्धि की दर कम हो गई और अन्न तथा कई वस्तुओं का आयात अधिक करना पड़ा। कृषि उत्पादन सूचकांक 1965-66 में कम हो कर 80.8 तथा 1966-67 में 80.7 रह गया। बाद के वर्षों में स्थिति में काफी सुधार हुआ और 1967-68 में सूचकांक 98.9 तक पहुंच गया तथा 1973-74 में और तेजी से बढ़ता हुआ 112.4 हो गया। परन्तु 1974-75 वर्ष खेती के लिए फिर खराब रहा और सूचकांक घट कर 108.8 रह गया। 1975-76 में स्थिति में काफी सुधार हुआ और कृषि उत्पादन का सूचकांक बढ़कर 125.3

(करोड़ रु०)

सारणी 13.1

योजना व्यय की प्रगति : केन्द्र, राज्य और संघ शासित क्षेत्र

क्र० संख्या विकास की मद	पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-79		1979-80 वास्तविक	1980-85 योजना परिव्यय	1980-81 वास्तविक	1981-82 योजना परिव्यय	1981-82 संशोधित अनुमान	1982-83 योजना परिव्यय
	परिव्यय	वास्तविक						
1	[redacted]	3	4	5	6	7	8	9
1. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र .	4766	4864.86	1996.50	13274.72	2305.14	2429.08	2570.39	2856.63
2. सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण .	3434	3876.46	1287.90	9493.46	1385.92	1584.25	1536.77	1754.13
3 बिजली . . .	7016	7399.48	2240.53	19265.44	2603.95	3229.46	3144.46	3894.64
4. ग्रामीण एव लघु उद्योग .	510	592.45	255.69	1780.45	278.67	315.17	314.24	337.76
5. उद्योग और खनिज . .	9691	8988.60	2383.47	20407.12	3085.65	3948.69	4375.92	5515.45
6. परिवहन और सचार .	6917	6870.36	2044.86	15484.22	2447.22	2853.67	3033.82	3128.58
7. शिक्षा	1285	1324.24	262.96	2523 74	347.75	422.33	444.58	522.22
8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी .	436	386.02	92.35	915.20	101.80	163.33	159.71	205.21
9. स्वास्थ्य . . .	682	760.75	223.14	1821.05	266.06	356.60	353.00	392.44
10. परिवार कल्याण . .	497	491.81	118.52	1010.00	134.22	155.00	168.63	245.00
11. जलपूर्ति तथा सफाई . .	971	1091.66	387.59	3922.02	508.51	638.15	603.10	695.67
12. आवास और शहरी विकास	1189	1150.09	368.83	2370.32	466.90	430.26	468.98	514.11
13 पिछड़े वर्गों का कल्याण .	327	332.99	90.93	1560.30	232.43	259.41	270.74	315.74
14. समाज कल्याण . .	86	88.20	30.73	271.97	41.64	55.46	56.78	66.[redacted]
15 पोषण	116	89.95	27.44	238.14	45.11	41.40	40.83	45.43
16. श्रमिक और श्रमिक-कल्याण .	949	672.89	209.[redacted]	1791.85	281.65	288.05	406.67	305.04
17. पहाड़ी [redacted] जनजाति क्षेत्र .	450	358.18	125.00	1030.00	138.40	177.00	177.00	207.00
18 उत्तरपूर्वी परिषद् . .	—	87.27	32 00	340.00	51 42	70.00	70.00	80.00
कुल . .	39322	39426.26	12176 53	97500.00	14722.44	17417.31	18195.62	21081.65

हो गया। 1976-77 में सूचकांक 8.8 कम होकर 116.5 रह गया 1977-78 और 1978-79 में बढ़कर क्रमशः 133.3 और 137.9 तक चला गया। बहुत से राज्यों में सूखे तथा बाढ़ के कारण 1979-80 का वर्ष फिर वर्ष रहा जिससे कृषि का उत्पादन सूचकांक 21.4 कम होकर 116.5 रह गया। 1980-81 में सूचकांक 135.2 हो गया।

1950-51 में देश में कुल सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2.08 करोड़ हेक्टेयर था जो पहली योजना के अन्त तक बढ़कर 2.27 करोड़ हेक्टेयर, दूसरी योजना के अन्त में 2.46 करोड़ हेक्टेयर, तीसरी योजना के अन्त तक 2.63 करोड़ हेक्टेयर और 1968-69 में 2.90 करोड़ हेक्टेयर हो गया। चौथी योजना के अन्त में कुल सिंचित क्षेत्र 3.35 करोड़ हेक्टेयर था और 1978-79 में इसके 3.667 करोड़ हेक्टेयर हो जाने का अनुमान था।

पिछली 3 दशाब्दियों में बिजली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। बिजली विकास पर भारी परिव्यय के कारण पिछली योजनाओं में विद्युत उत्पादन क्षमता पर्याप्त बढ़ी और प्रेषण एवं वितरण की आधारभूत प्रणाली का विकास हुआ है। बिजली उत्पादन प्रणाली प्रारम्भ में अकेले अकेले बिजली घरों के रूप में थी तथा अन्तर-क्षेत्रीय ग्रिडों के विकास हो जाने से ये बिजली घर आपस में एक दूसरे से भली भांति जुड़े हैं।

स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता, जो 1950 में केवल 2,300 मेगावाट थी, मार्च 1980 के अन्त तक बढ़ कर 31,184 मेगावाट से भी अधिक हो गई। उसके बाद 1980–81 में लगभग 1,823 मेगावाट क्षमता और स्थापित की गई। 1981-82 में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का अनुमान लगभग 2200 मेगावाट का है। ग्रामीण विद्युतीकरण में, मार्च 1981 के अन्त तक कुल 5.76 लाख गावों में से 2.73 लाख गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था। देश में मार्च 1981 के अन्त तक कार्यशील सिचाई पम्पों की संख्या 43.30 लाख थी। जनजाति क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली का विस्तार तथा हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण को अधिकाधिक प्राथमिकता दी जा रही है।

औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र में, विशेष रूप से दूसरी योजना के प्रारंभ से भारी निवेशों के कारण उद्योगों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। पहली तीन योजनाओं की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में लगभग लगातार और तेजी से वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन, जो आयोजना की पहली दशाब्दी (1950-51 से 1960-61) में 7 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा था, अगले चार वर्षों (1961-62 से 1964-65 तक) में लगभग 9 प्रतिशत की दर से बढ़ा। उसके बाद स्थिति विषम हो गई और पहली उपलब्धियों और भावी आशाओं की तुलना में प्रगति काफी कम रही। वृद्धि जो कि 1965-66 में घटकर 5.3 रह गई थी, आगे के दो वर्षों में लगभग स्थिर रही, 1969-70 में बढ़कर 7.4 हो गई तथा अगले पांच वर्षों में लगभग 3 से 4 प्रतिशत रही। 1976-77 में विशेष सुधार हुआ और औद्योगिक उत्पादन लगभग 9.5 प्रतिशत बढ़ गया। कुल मिलाकर 1965-75 की दशाब्दी में औसत वार्षिक वृद्धि की दर 4 प्रतिशत से अधिक नहीं रही और 1974-75 से 1978-79 तक लगभग 6

प्रतिशत रही ।1979-80 में औद्योगिक उत्पादन में 1.4 प्रतिशत तक की कमी आई परन्तु 1980-81 में यह सूचकांक 4 प्रतिशत बढ़ा।

पिछले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति हुई है। देश में शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या जो 1950-51 मे 2.31 लाख थी 1976-77 के अन्त तक बढ़कर 6.51 लाख हो गई; इसके तदनुरूप छात्रो की संख्या 2.73 करोड़ से बढ़कर 9.97 करोड़ हो गई। 1979-80 में मिडिल (कक्षा एक से आठ) तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 10.85 करोड़ थी। 1978-79 में पहली से पांचवी तथा छठी से आठवीं तक प्रवेश पाने वाले छात्रों की समग्र दर क्रमश: 83.6 तथा 40.2 थी। छठी पंचवर्षीय योजना में छात्रों की संख्या मे पहली से पांचवी तक 117 लाख तथा छठी से आठवी तक 63 लाख वृद्धि करने का प्रस्ताव है। 1984-85 में पहली से पांचवी तथा छठी से आठवीं में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या क्रमश: 827 लाख तथा 258 लाख होने की आशा है जोकि अपने-अपने आयु वर्ग की जनसंख्या का क्रमश: 95 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत होगी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्णकालिक औपचारिक स्कूलों के अतिरिक्त अनौपचारिक/अंशकालिक कक्षाओं में प्रारम्भिक अवस्था के छात्रों की संख्या लगभग 80 लाख हो जाएगी।

नया बीस-सूत्री कार्यक्रम

प्रधान मंत्री ने पिछले 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा एक जुलाई, 1975 को की थी । 1975–76 तथा 1976–77 में इस कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई । जनवरी, 1980 के बाद से इस कार्यक्रम पर फिर से जोर दिया जाने लगा तथा इसे फिर से मजबूत किया गया । वार्षिक योजनाओं में शामिल किए गए कार्यक्रमों तथा नीतियों में भी इसकी झलक दिखाई दी । छठी योजना (1980–85) इस कार्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है ।

पिछले कार्यक्रम के अनेक लक्ष्य भी इस नए कार्यक्रम में शामिल कर लिए गए हैं। कई लक्ष्य पूरे हो जाने से, 1975 के बाद से आर्थिक तथा सामाजिक विकास को देखते हुए और छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए लक्ष्यों, नीतियों तथा विकास कार्यक्रमों को देखते हुए—कार्यक्रम को फिर से तैयार किया गया है और उसे नया रूप दिया गया है । 14 जनवरी, 1982 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नया बीस-सूत्री कार्यक्रम इस प्रकार है :—

1. सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना और सूखी खेती से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी तथा उपकरण तैयार करना और किसानों तक पहुंचाना ।
2. दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करना ।
3. समेकित ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को मजबूत बना कर इनसे और अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना ।
4. तमाम प्रशासनिक व कानूनी अड़चनें दूर करके कृषि भूमि की हदबंदी और फालतू भूमि का बंटवारा करना और भूमि सम्बन्धी रिकार्ड दुरुस्त करना ।
5. खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने की कारगर व्यवस्था करना और उसकी समीक्षा करना ।
6. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास ।
7. अनुसूचित जातियों और जन जातियों की भलाई के कार्यक्रमों को और तेज करना ।
8. पीने के पानी की कमी वाले गावों में पानी उपलब्ध कराना ।
9. गावों में जिन परिवारों के अपने मकान नहीं है, उन्हें मकान के लिए जमीन देना तथा मकान बनाने के लिए सहायता देने के कार्यक्रमों का विस्तार करना ।
10. तंग बस्तियों का सुधार करना, कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के कार्यक्रम चलाना और जमीन की कीमतों में अनुचित वृद्धि रोकने के प्रयास करना ।
11. बिजली उत्पादन बढ़ाना, बिजली संस्थानों के कामकाज को बेहतर बनाना तथा सभी गांवों में बिजली पहुंचाना ।
12. पेड़ लगाने के कार्यक्रमों, सामाजिक तथा कृषि वृक्षारोपण कार्यक्रमों और गोबर गैस व ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक साधनों के विकास के कार्यक्रमों पर मुस्तैदी से अमल कराना ।

13. परिवार नियोजन को स्वैच्छिक आधार पर जन अभियान के रूप में चलाना ।
14. सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार करना तथा कुष्ठ रोग, तपेदिक और अंधेपन की रोकथाम करना ।
15. महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों तथा गर्भवती महिलाओं, माताओं, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार कार्यक्रम तेजी से लागू करना खास कर पिछड़े पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में ।
16. 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और वयस्कों मे निरक्षरता दूर करने के काम में स्वयसेवी संस्थाओं और छात्रों से सहयोग लेना ।
17. उचित दर दुकानों की संख्या बढ़ाकर, दूर दराज के इलाकों मे चलती फिरती दुकानों की व्यवस्था करके, कारखानों मे काम करने वाले मजदूरों तथा छात्रावासों के लिए दुकानें खोलकर और छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें तथा कापियां प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना और उपभोगताओं के हितों की रक्षा के लिए अभियान चलाना ।
18. पूंजीनिवेश की प्रक्रियाओं को उदार बनाना और योजनाएं निश्चित समय में पूरी करने के लिए औद्योगिक नीति को सरल बनाना । हस्तशिल्प हथ-करघा और लघु व कुटीर उद्योगों को सभी सुविधाएं देना, जिससे वे प्रगति कर सकें और अपनी टेक्नोलोजी को आधुनिक बना सकें ।
19. तस्करो, जमाखोरों और कर की चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाही जारी रखना, ताकि काले धन पर रोक लगाई जा सके ।
20. सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की कार्य कुशलता, क्षमता का उपयोग तथा आंतरिक साधन जुटाने की शक्ति बढ़ाकर उनकी कार्य प्रणाली मे सुधार लाना ।

यह कार्यक्रम छठी योजना मे शामिल किए गए कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिलाता है तथा इन्हें अधिक गतिशीलता के साथ लागू करने का संकल्प जगाता है। नए कार्यक्रम मे जहा एक ओर पहले की तरह समाज के उपेक्षित वर्गों का जीवन स्तर बेहतर बनाने पर बल दिया गया है वहा उत्पादकता में चहुंमुखी सुधार का भी लक्ष्य रखा गया है ।

नया बीस-सूत्री कार्यक्रम छठी योजना का अभिन्न अंग है और इसमें राष्ट्रीय विकास कार्यों के कुछ उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम के लक्ष्यों और छठी योजना के लक्ष्यों में पर्याप्त समानता है। छठी योजना तथा इस कार्यक्रम को सफलता से लागू करना इस बात पर निर्भर है कि अनुमानित पूंजी निवेश की तुलना में वित्तीय साधन जुटाने मे हम कितने समर्थ हो जाते हैं। नये बीस-सूत्री कार्यक्रम में ऐसे कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है जिनका उद्देश्य समाज के गरीब तथा उपेक्षित वर्गों की हालत सुधारना है । समन्वित ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को मजबूत बनाने व उनसे अधिक

से अधिक लोगों को लाभान्वित करने, कृषि भूमि हदबंदी व फालतू भूमि के बंटवारे के साथ-साथ हस्तशिल्प हथकरघा और छोटे व ग्रामीण उद्योगों के विकास का और रोजगार के अवसर बढ़ाना और गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के साधनों का आधार मजबूत करना व उनकी आय में वृद्धि करना है। इसके अलावा अनुसूचित जाति व जन-जातियों तथा बन्धुआ मजदूरों की दशा सुधारने वाले विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने का प्रस्ताव है। लोगों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं तथा सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए पानी की कमी वाले सभी गांवों में पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा, ग्रामीण परिवारों को मकानों के लिए जमीन देने के साथ-साथ मकान बनाने के लिए सहायता देने के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा, तंग बस्तियों का वातावरण बेहतर बनाया जाएगा। निर्धन वर्गों के लिए मकान बनाने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, कुष्ठ रोग, तपेदिक और अंधेपन की रोकथाम की जाएगी, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रचार किया जाएगा। लोगों की निरक्षरता दूर की जाएगी, सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी और महिलाओं व बच्चों की भलाई के कार्यक्रम तेजी से लागू किए जाएंगे।

इसके साथ ही नये कार्यक्रम मे आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कार्यक्रम में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने पर जोर दिया गया है। सूखी खेती में सुधार के लिये टेक्नोलोजी तथा उपकरण आदि विकसित करने व किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी इस कार्यक्रम में जोर दिया गया है। दालों और तिलहनों की मांग और पूर्ति के बीच बराबर असन्तुलन को देखते हुए इनका उत्पादन बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जायेंगे। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये बिजली का लगातार उपलब्ध रहना बहुत आवश्यक है। इसलिये इस कार्यक्रम में बिजली का अधिकतम उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली के साथ-साथ बायोगैस तथा ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। पेड़ लगाने तथा सामाजिक व कृषि वृक्षारोपण के कार्यक्रमों को मुस्तैदी से लागू किया जायेगा। उत्पादन व पूंजीनिवेश को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जायेगा तथा औद्योगिक नीतियों में सुधार किया जायेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की कार्यकुशलता, क्षमता का उपयोग तथा आंतरिक साधन बढ़ाकर उनके काम में सुधार करने की जरूरत पर भी विशेष बल दिया गया है।

आवश्यक वस्तुएं उचित दामों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम में उचित दर दुकानों की संख्या बढ़ाकर और दूर दराज के इलाकों में चलती-फिरती दुकानों की व्यवस्था करके तथा कारखानों के मजदूरों व छात्रावासों के लिये दुकानें खोलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। छात्रों को पाठ्य पुस्तकें व कापियां प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई की जायेंगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये सुदृढ़ अभियान चलाने के प्रयास किये जायेंगे। तस्करों, जमाखोरों व कर चोरी

करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी और काले धन पर रोक लगाई जायेगी। जमीन की कीमतों में अनुचित वृद्धि पर रोक लगाने के लिये किये गये उपायों से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा पहुंचेगा।

1981 की जनगणना के बाद जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाने की आवश्यकता और गम्भीरता से महसूस की जाने लगी है। इसलिये कार्यक्रम में परिवार नियोजन को स्वैच्छिक आधार पर जन-अभियान के रूप में चलाने पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय विकास परिषद 14 मार्च, 1982 को अपनी बैठक में नये बीस-सूत्री कार्यक्रम को, जिसमें छठी योजना के महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित हैं, कारगर ढंग से लागू करने का अपना संकल्प व्यक्त किया। परिषद ने नये बीस-सूत्री कार्यक्रम तथा छठी योजना दोनों, के कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं पर कारगर ढंग से निगरानी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। परिषद ने यह भी कहा कि नये 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किये गये गरीबी दूर करने के कार्यक्रम को लागू करने में बैंकिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसने इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया कि रिजर्व बैंक ने नया 20-सूत्री कार्यक्रम लागू करने में बैंकिंग प्रणाली की भूमिका की अधिक योजनाबद्ध ढंग से जाच करने के लिये एक दल नियुक्त किया है।

निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने के लिये कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करना तथा उस पर नजर रखना अत्यन्त आवश्यक है। केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इस कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने के लिये सभी प्रयास करें तथा इसकी प्रगति की मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से योजना आयोग को भेजें।

कार्यक्रम की विभिन्न मदों के अन्तर्गत वित्तीय परिव्यय तथा वास्तविक लक्ष्य अनुमानित छठी योजना तथा राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं से लिये गये हैं। वित्तीय परिव्यय तथा वास्तविक लक्ष्यों व उपलब्धियों का मदवार ब्यौरा तालिका 14.1 व 14.2 में दिया गया है।

तालिका 14.2
वास्तविक लक्ष्य

मद	इकाई	छठी योजना से पहले	छठी योजना के लक्ष्य	1981–82 में उपलब्धियां	1982–83 में लक्ष्य
सिंचाई क्षमता में वृद्धि	दस लाख	56.6	13.74	2.74	2.38
दाल उत्पादन	दस लाख	12.80	14 50	11.40	14.87
तिलहन उत्पादन	—	10.20	13.00	11.50	13.51
स० ग्रा०वि० का०[1]—लाभ उठाने वाले परिवार .	दस लाख परिवार	2.00	15.00	2.41	3.00
रा० ग्रा० रो० का०[2]—रोजगार कार्यदिवस .	दस लाख कार्यदिवस	989.2	300-400 प्रति वर्ष	267.1	331.1
आवंटन के लिए अनुमानित फालतू भूमि .	लाख एकड़	6.79	52.48	7.31	11.33
पुनर्वास किए जाने वाले बन्धुआ मजदूर .	संख्या	1,22,000	32,300	22.314	32,574
परिवार जिन्हें आर्थिक सहायता दी जानी है					
1. अनुसूचित जातियां . . .	लाख	—	—	12.06	19.89
2. अनुसूचित जनजातियां . . .	"	—	—	—	9.47
पानी की कमी वाले गांव जहां पानी पहुंचाया जाना है	हजारों में	95.0	231.00	27.7	35.3
मकान के लिए दिए जाने वाले प्लाट .	लाख परिवार	77.00	68.00	11.28	11.32
निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता .	"	5.6	139.0	5.41	7.47
गन्दी बस्तियों की लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	लाख व्यक्ति	68.0	310.7	14.56	19.81
निर्धन लोगों के लिये मकान	"	—	16.2	0.60	1.79

[1]समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
[2]राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

			3.0 (हुडको)		
ग्रामीण विद्युतीकरण—					
1. जिन गांवों में बिजली पहुंचाई जायेगी	संख्या	2,49,799	1,00,000	24,669	25,512
2. जिन नलकूपों की बिजली मिलेगी	सख्या 1000	4000.00	2,500.0	326.4	423.0
लगाए जाने वाले पेड़	करोड़	—	—	125.7	186.0
लगाये जाने वाले वायोगैस संयंत्र	सख्या	75,000	4,00,000	23,086	75,000
नसबन्दी ग्रापरेशन	लाख	313.7	240.0	29.7	44.6
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो खोले जायेंगे	संख्या	5,400	600	171	209
उपकेन्द्र जो खोले जायेंगे	संख्या	50,000	40,000	8,319	7,931
ग्राई० सी० डी० एस० ब्लाक जो खोले जायेंगे	संख्या	150	1,000	115	320
6 से 14 वर्ष के बच्चों के नाम दर्ज करना	करोड	9.3	7.0	1.14	0.40
प्रौढ़ शिक्षा	लाख संख्या	900.0	15 से 35 वर्ष के सभी लोग	29.8	55.85
उचित दर दुकानें जो खोली जायेगी	लाख संख्या	2.98	0.52	—	0.52

15 कृषि

खेती

कृषि क्षेत्र से लगभग 50 प्रतिशत राष्ट्रीय आय होती है और देश के लगभग 75 प्रतिशत लोग इससे जीवन निर्वाह करते हैं। गैर-कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक अधिकांश माल, तथा उद्योगों के बड़े भाग को कच्चा माल, कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यह देश के निर्यात के एक बड़े भाग की व्यवस्था करता है। कृषि उत्पादन के परिवहन, विपणन, उससे माल तैयार करने तथा अन्य पहलुओं और उपयोग का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

भूमि का उपयोग

देश के कुल 32.88 करोड़ हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 30.47 करोड़ हेक्टेयर, अर्थात 92.7 प्रतिशत, भूमि के उपयोग के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं।

सारणी 15.1 में 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के भूमि-उपयोग सम्बन्धी आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी 15.1 भूमि का उपयोग

(करोड़ हेक्टेयर में)

भूमि	1974-75[1]	1975-76[1]	1976-77[1]	1977-78[1]	1978-79[1]
1	2	3	4	5	6
(अ) कुल भौगोलिक क्षेत्र	32.88	32.88	32.88	32.88	32.88
(ब) कुल भूमि जिसके उपयोग की जानकारी उपलब्ध है	30.42	30.43	30.48	30.42	30.47
1. वन . .	6.59	6.67	6.72	6.71	6.74
2. खेती के लिए अनुपलब्ध					
(1) गैर-कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त क्षेत्र	1.71	1.74	1.75	1.77	1.78
(2) ऊसर और कृषि-अयोग्य भूमि	2.36	2.21	2.21	2.16	2.15
जोड़ (1)+(2)	4.07	3.95	3.96	3.93	3.93
3. परती भूमि को छोड़कर बिना खेती की अन्य भूमि					
(1) स्थायी चरागाह और चराने के काम की भूमि .	1.29	1.26	1.25	1.24	1.22

[1] अस्थायी

1	2	3	4	5	
(2) पेड़ों की फसलों और बागों वाली भूमि	0.41	0.40	0.40	0.40	0.
(3) कृषि-योग्य खाली भूमि	1.67	1.74	1.72	1.68	1.70
जोड़ (1)+(2)+(3)	3.37	3.40	3.37	3.32	3.31
4. परती भूमि					
(1) चालू परती भूमि	1.62	1.25	1.44	1.30	1.24
(2) अन्य	0.93	0.95	0.97	0.97	0.96
जोड़ (1)+(2)	2.55	2.20	2.41	2.27	2.20
5. कुल क्षेत्र जिसमें बुवाई की जाती है	13.84	14.22	14.02	14.19	14.29
एक से ज्यादा बुवाई वाला क्षेत्र	2.58	2.88	2.71	3.04	3.22
कुल क्षेत्र जिसमें फसल बोई जाती है	16.42	17.10	16.73	17.23	17.51
शुद्ध सिंचित क्षेत्र	3.37	3.45	3.52	3.66	3.80
कुल सिंचित क्षेत्र	4.17	4.31	4.36	4.60	4.81

कृषि आंकड़ों का संकलन

1970-71 को संदर्भ वर्ष मानकर पहली बार पूर्ण गणना के आधार पर कृषि आंकड़ों का संकलन किया गया। इससे कृषि जोतों और उनकी विशेषताओं के बारे में बहुत उपयोगी आंकड़े और जानकारी प्राप्त हुई। दूसरी कृषिगणना 1976-77 को संदर्भ वर्ष मानकर की गई। इस गणना में निवेश सर्वेक्षण को शामिल कर इसे और व्यापक बनाया गया। इसके अन्तर्गत विभिन्न उर्वरकों, खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल की व्यापकता तथा पशुधन, कृषि यंत्रों और उपकरणों की उपलब्धता पर नमूने के सर्वेक्षण के आधार पर आंकड़े संकलित किए गए।

1970-71 के मुकाबले 1976-77 में वास्तविक कृषि जोतों की संख्या और क्षेत्र के वितरण के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य के बुलेटिन जारी कर दिए गए हैं, जिनमें जिलेवार आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कुल कृषि भूमि में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है (16.30 करोड़ हेक्टेयर), जबकि 1970-71 के मुकाबले 1976-77 में कृषि जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है।

परन्तु 1976-77 की गणना में यह बात सामने आई कि बड़ी जोतों की बजाय अब छोटी जोतों में ज्यादा खेती की जा रही है। इस प्रकार औसत भूस्वामित्व 1970-71 में 2.3 हेक्टेयर से घटकर 1976-77 में 2 हेक्टेयर हो गया।

1980-81 को संदर्भ वर्ष मानकर तृतीय 'कृषि संबंधी आंकड़े' एकत्र किए जा रहे हैं। 1981-82 को संदर्भ वर्ष मानकर एक लागत सर्वेक्षण भी आयोजित किया जा रहा है। लागत सर्वेक्षण की सीमा बढ़ा दी गई है जिससे कृषि ऋण इसके अंतर्गत आ गया है। जिला स्तर के विश्वस्त अनुमानों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण का नमूना आकार भी बढ़ाया जा रहा है।

मुख्य फसलें तथा उनका क्षेत्र

कृषि संबंधी उत्पादन की दो मुख्य बातें हैं :—

फसलों की विविधता और अन्य फसलों की अपेक्षा खाद्य फसलों का आधिक्य।

सारणी 15.2 में 1950-51, 1960-61, 1970-71, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र दर्शाया गया है।

सारणी 15.2 मुख्य फसलों का क्षेत्र

('000 हेक्टेयर में)

फसल	1950-51	1960-61	1970-71	1978-79	1979-80[1]	1980-81[2]
1	2	3	4	5	6	7
चावल	30,810	34,128	37,592	40,480	39,414	39,773
ज्वार	15,571	18,412	17,374	16,140	16,674	15,610
बाजरा	9,023	11,469	12,193	11,390	10,579	11,630
मक्का	3,159	4,407	5,852	5,760	5,720	5,983
रागी	2,203	2,515	2,472	2,710	2,615	2,341
मोटा अनाज	4,605	4,955	4,783	4,400	4,002	3,895
गेहूं	9,746	12,927	18,241	22,640	22,172	22,104
जौ	3,113	3,205	2,555	1,830	1,771	1,821
कुल अनाज	78,230	92,018	1,01,782	1,05,350	1,02,947	1,03,157
चना	7,570	9,276	7,839	7,710	6,985	6,720
अरहर	2,181	2,433	2,655	2,640	2,731	2,811
अन्य दालें	9,340	11,854	12,040	13310	12,543	13,102
कुल खाद्यान्न	97,321	1,15,581	1,24,316	1,29,010	1,25,206	1,25,790
गन्ना	1,707	2,415	2,615	3,087.8	2,810.2	2,648.0
काली मिर्च	80	103	120	84.57	110.72	110.64
लाल मिर्च	592	667	783	826.0	853.9	825.4

1. संशोधित अनुमान
2. अंतिम अनुमान

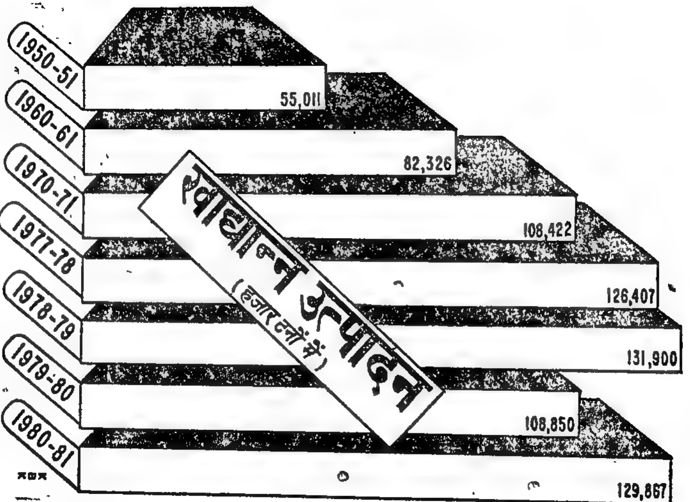
1	2	3	4	5	6	7
मूंगफली	4,494	6,443	7,326	7,433.3	7,164.8	6,904.6
अरंडी	555	466	439	446.9	440.5	501.1
तिल	2,204	2,169	2,433	2,389.1	2,377.2	2,442.5
राई तथा सरसों	2,071	2,883	3,323	3,543.5	3,470.5	4,063.00
अलसी	1,403	1,789	1,897	2,991.5	1,613.6	1,710.4
कपास	5,882	7,610	7,605	8,119.4	8,137.2(अ)	7,871.8(ह)
पटसन	571	629	749	884.4	834.3	942.1
मेस्टा	अनुपलब्ध	274	330	380.2	382.8	358.4

(अ) अस्थायी

सारणी 15.3 मुख्य फसलों का उत्पादन

('000 टन मे

फसलें	1950-51[1]	1960-61[1]	1970-71[1]	1978-79[1]	1979-80[2]	1980-
1	2	3	4	5	6	7
चावल	22,058	34,600	42,225	53,770	42,330	53,23
ज्वार	6,250	9,899	8,105	11,440	11,648	10,50
बाजरा	2,680	3,286	8,029	5,570	3,948	5,41
मक्का	2,357	4,115	7,486	6,200	5,603	6,80
रागी	1,353	1,876	2,155	3,200	2,721	2,40
मोटा अनाज	1,776	2,010	1,988	1,890	1,425	1,57
गेहूं	6,822	10,995	23,832	35,510	31,830	36,46
जौ	2,518	2,811	2,784	2,140	1,624	2,24
कुल अनाज	45,814	69,592	96.604	1,19,720	1,01,129	1,18,70
चना	3,623	6,256	5,199	5,740	3,356	4,65
अरहर	1,813	2,097	1,883	1,890	1,757	2,01
अन्य दालें	3,561	4,381	4,736	4,550	3,458	4,49
कुल खाद्यान्न	55,011	82,326	1,08,422	1,31,900	1,09,700	1,29,86


खाद्यान्न उत्पादन
(हजार टनों में)
1950-51
55,011
1960-61
82,326
1970-71
108,422
1977-78
126,407
1978-79
131,900
1979-80
108,850
1980-81
129,867

फसलें	1950-51	1960-61	1970-71	1978-79[1]	1979-80[2]	1980-81[3]
गन्ना	70,490	14,080	26,368	15,734.0	1,28,833.4	1,50,521.6
काली मिर्च	20	28	26	21.50	27.7	27.41
लाल मिर्च (सूखी)	358	426	520	565.7	507.6	485.4
मूंगफली (छिलके सहित)	3,319	4,698	6,111	6208.2	5768.4	5,019.6
अरंडी	107	109	136	229.4	227.3	210.4
तिल	422	320	562	1514.1	347.7	437.1
राई और सरसों	768	1,347	1,976	1,860.1	1,428.0	2,247.2
अलसी	364	395	474	535.1	269.3	427.5
कपास[5] (रूई) (हजार गांठ में)	3,039	5,550	4,763	7,957.8	7,670.9(अ)	7,600.0(अ)
पटसन[4] (सूखा रेशा) (हजार गांठ में)	3,497	4,136	4,938	6,470.3	6,071.5	6,515.2
मेस्टा (सूखा रेशा) (हजार गांठ में)	659	1,113	1,255	1,863.3	1,889.5	1,680.3

1. समन्वित 2. संशोधित अनुमान 3. अंतिम अनुमान
4. प्रत्येक 180 किलोग्राम 5. प्रत्येक 170 किलोग्राम (अ) अस्थायी

सारणी 15.4 कृषि तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर परिव्यय

योजना व्यय

छठी योजना (1980-85) में कृषि और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है और कृषि उत्पादन बढ़ाने, देहातों में रोजगार तथा आय के अवसरों में वृद्धि करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि का आधुनिकीकरण करने के मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं। विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 12,539 करोड़ रुपये तथा सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण के लिए 12,160 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इन दो क्षेत्रों पर कुल सरकारी खर्च 24,699 करोड़ रुपये पांचवीं योजना में रखे गए परिव्यय 8,650 करोड़ रुपये से 186 प्रतिशत अधिक है।

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों और सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण के लिए उप-क्षेत्रवार विवरण सारणी 15.4 में दिया गया है :—

सारणी 15.4 कृषि तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर परिव्यय

(करोड़ रु० में)

विकास का शीर्षक	पांचवीं योजना परिव्यय	पांचवीं योजना वास्तविक खर्च**	1979-80 परिव्यय	1980-81 परिव्यय	1981-82 परिव्यय	छठी योजना (1980-85) परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
क. कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र (ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित)						
1. कृषि	1,322.2	1,619 9	714.8	308.6	337.5	1,771.7
2 भू-संरक्षण	221.1	247.8	62.7	74 3	75.2	433.6
3 पशु-पालन तथा दुग्ध उद्योग	437 7	337 5	140.5	161.1	148.6	851.4
4 मछली पालन	150.0	152.1	80.8	63.8	68.1	371.4
5 वन	205.7	239.0	71.3	94.5	127.3	692.6
6. कृषि वित्तीय संस्थानों में पूंजी निवेश	519.6	525.9	168.3	146.9	150.8	821.1
7. सहकारिता	375.7	455.2	98.3	137 4	176.3	914.2
8. खाद्य, भंडारण, गोदाम तथा विपणन	123.5	152.9	50.2	66.1	79.3	433.7
9. भूमि सुधार	162.5	173.7	48.3	50.9	56.6	304.6
10 सामुदायिक विकास और पंचायत संस्थान	127 4	140.1	58.6	78.1	86.3	352.2
11. अन्य*	572 4	--	—	837.5	1,026.6	5,592.3
योग	4,218	4,044.1	1,493.8	2,019.2	2,332.6	12,538.8
ख सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	4,432	5,123.6	1,581.4	1,824.5	2,006.8	12,160.0
कुल जोड़ (क और ख का)	8,650	9,167.7	3,075.2	3,843.7	4,339.4	24,698 8

टिप्पणियां : (i) छठी योजना (1980-85) के मसौदे में लघु सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास को कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों से निकाल कर 'सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण' क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसलिए तुलना-योग्य बनाने के लिए कालम 2 से लेकर कालम 6 तक के आंकड़ों में आवश्यक परिवर्तन कर दिया गया है।

(ii) उपशीर्षक कृषि (मद संख्या 1) में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा और फसल रक्षा कार्यक्रम भी शामिल है।

*इसमें प्राकृतिक विपत्तियों के प्रबन्ध, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, विशेष रोजगार कार्यक्रम और विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों का परिव्यय सम्मिलित है।

**इसके अंतर्गत 1974-78 का वास्तविक व्यय और 1978-79 का अनुमानित व्यय सम्मिलित है।

(स्रोत :—योजना आयोग)

मौसम

भारत में फसलों के तीन प्रमुख मौसम हैं—रबी, खरीफ तथा ग्रीष्म। खरीफ की फसलें हैं:—चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, तिल और मूंगफली। रबी की मुख्य फसलें हैं :— गेहूं, जौ, चना, अलसी, राई तथा सरसों। चावल, मक्का तथा मूंगफली गर्मी में भी होती है।

खाद्य स्थिति

1979-80 के व्यापक सूखे के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में गिरावट आ गयी थी किन्तु 1980-81 में उत्पादन में अच्छी वृद्धि हुई। इस अवधि में 12.98 करोड़ टन का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष के 10.97 करोड़ टन के संशोधित अनुमान से 2.01 करोड़ टन अधिक रहा। खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होने और खाद्यान्न के प्रबंध में अच्छी नीति के कारण देश में खाद्य की स्थिति संतोषजनक रही, किन्तु अनाज की कीमतों में वृद्धि बनी रही। अनाज का अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1970-71=100) जो जून 1981 में 211.0 था, पिछले वर्ष से 8.9 प्रतिशत अधिक था जबकि 1979-80 के कृषि वर्ष में वृद्धि 14.6 प्रतिशत थी। संतोष की बात है कि अगस्त-सितम्बर, 1981 से अनाज की कीमतों में कमी आई है। जनवरी, 1982 में अनाज का सूचकांक 219.6 था अर्थात् इसमें अगस्त-सितम्बर, 1981 के मुकाबले, जबकि यह सूचकांक 222.6 पर पहुंच चुका था, 1.4 प्रतिशत की कमी आई। दालों के थोक मूल्य का अखिल भारतीय सूचकांक जो जुलाई, 1980 में 300.2 था, बढ़कर जून, 1981 में 340.3 हो गया अर्थात् उसमें 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1979-80 के कृषि वर्ष में वृद्धि 14.5 प्रतिशत थी। दालों का मूल्य सूचकांक अगस्त, 1981 तक लगातार बढ़ता रहा और उसके बाद उसमें लगातार गिरावट आती रही। जनवरी, 1982 में दालों का सूचकांक 322.4 था अर्थात् उसमें अगस्त के सर्वाधिक सूचकांक के मुकाबले 14.2 प्रतिशत और एक वर्ष पूर्व के सूचकांक के मुकाबले 12.7 प्रतिशत की कमी आई।

अनाज मूल्य नीति

1981-82 की रबी फसल के लिए सभी किस्मों के गेहूं की सरकारी खरीद का मूल्य 117 रु० से बढ़ाकर 130 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया। सार्वजनिक वितरण के लिए केन्द्रीय 'पूल' से जारी होने वाले गेहूं का बिक्री मूल्य 130 रु० से बढ़ाकर 145 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया।

धान और चावल के नए वर्गीकरण की बालसुब्रह्मण्यम समिति की सिफारिश सरकार ने खरीफ वर्ष 1979-80 से स्वीकार कर ली। इसके अनुसार धान और चावल की तीन किस्में निर्धारित की गई हैं। ये हैं— सामान्य, उत्तम और अति उत्तम। 1981-82 के खरीफ मौसम के लिए धान की सरकारी खरीद का मूल्य सामान्य किस्म के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल, उत्तम किस्म के लिए 119 रुपये प्रति क्विंटल और अति उत्तम किस्म के लिए 123 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। 1981-82 के लिए कच्चे तथा पके दोनों तरह के चावल के मामले में बिक्री मूल्य सामान्य किस्म के लिए 175 रुपये, उत्तम के लिए 187 रुपये तथा अति उत्तम के लिए 202 रु० प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है।

मोटे अनाजों—ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी का सरकारी खरीद मूल्य भी 1981-82 वर्ष के लिए 116 रु० प्रति क्विंटल तथा केन्द्रीय 'पूल' से बिक्री मूल्य 117 रु० प्रति क्विंटल रखा गया है।

सरकारी खरीद

1980-81 में सरकार ने अपने इस संकल्प को दोहराया कि उत्पादक अच्छी औसत किस्म का जितना भी अनाज बेचना चाहेंगे, उसे सरकारी खरीद मूल्य पर खरीदा जाएगा। सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों ने सरकारी खरीद मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में अनाज खरीदा।

1980-81 की फसल में से अनुमानतः 122 लाख टन अनाज खरीदा गया जबकि 1981-82 के दौरान 152 लाख टन अनाज खरीदे जाने का अनुमान है।

सार्वजनिक वितरण

सार्वजनिक वितरण, प्रणाली जिसमें बड़ी संख्या में उचित दर की दुकानें चलती हैं, का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं, विशेषकर कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर अनाज मुहैय्या कराना है। अतः देश की जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराया जाता है। उचित दर/राशन की दुकानों की संख्या 19 जनवरी, 1982 तक 2.98 लाख थी जबकि 1981 में यह संख्या 2.76 लाख थी। वितरण की मात्रा, जो 1979 में 116.6 लाख टन थी, बढ़कर 1980 में 149.9 लाख टन तक पहुंच गई। 1981 के दौरान कुल वितरण की मात्रा लगभग 131 लाख टन थी। इसमें काम के बदले अनाज और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए दिए गए खाद्यान्न की मात्रा भी शामिल है।

1979 से 1981 के दौरान खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण का ब्यौरा सारणी 15.5 में दिया गया है।

सारणी 15.5 खाद्यान्न का वितरण

(हजारों टनों में)

वर्ष	चावल			गेहूँ				मोटा अनाज	कुल खाद्यान्न
	सार्व०	काम०	योग	सार्व०	काम०	मिलें	योग		
1979	3568	481	4049	3223	1201	3069	7493	121	11663
1980	5025	1032	6057	4124	1052	3643	8819	117	14993
1981	6194	245	6439	3321	28	3136	6485	182	13106

(अन०)—अनन्तिम

(सार्व०)—सार्वजनिक वितरण

(काम०)—काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार (कार्यक्रम)

राशन व्यवस्था

1981-82 के दौरान ग्रेटर कलकत्ता और दुर्गापुर आसनसोल औद्योगिक समूह तक ही राशन की कानूनी व्यवस्था थी। राशन की इस कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 97 लाख लोगों को राशन मिला।

अनाज का आयात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में सुरक्षित भंडार की पूर्ति करने तथा कीमतों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से 1981-82 के दौरान 22.65 लाख टन गेहूं के आयात का ठेका किया गया (15.15 लाख टन अमरीका से और 7 50 लाख टन आस्ट्रेलिया से)।

31 दिसम्बर, 1981 तक लगभग 776.6 हजार टन अमरीकी गेहूं भारत पहुंचा। इस वर्ष के दौरान चावल का आयात नहीं किया गया, किन्तु 4 मई 1979 के भारत-बांग्लादेश करार के अंतर्गत 1.50 लाख टन चावल के ऋण के भुगतान में 67.8 हजार टन चावल भारत आया। सारणी 15.6 में 1974 से अब तक आयात हुए अनाज का ब्यौरा दिया गया है।

(हजार टन)

सारणी 15.6
अनाज का आयात

अनाज	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
चावल	—	130	149	8	—	—	—	—
गेहूं	4,203	7,016	5,832	547	—	—	—	776.6
अन्य अनाज	671	261	534	—	—	—	—	—
योग	4,874	7,407	6,515	555	—	—	—	776.6

खाद्यान्न का निर्यात 1981 के दौरान गेहूं के निर्यात का कोई वायदा नहीं किया गया, बासमती चावल का खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात करने की नीति जारी रही। किन्तु 1981-82 के दौरान बासमती को छोड़ कर अन्य किस्मों के 6 लाख टन चावल के निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया. बासमती को छोड़ कर अन्य किस्मों के चावलों के व्यापारिक निर्यात के लिए नया वायदा नहीं किया गया। किन्तु कुछ निश्चित निर्यात अभिकरणों को वर्ष 1980-81 के ठेकों से बची के निर्यात की अनुमति दी गई। 1981-82 के दौरान, सभी नए सौदे केवल भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ही किए जाएंगे। भारत और सोवियत संघ के बीच 20 अप्रैल, 1981 के एक नए करार के अंतर्गत 5 लाख टन चावल (जिसमें 1.5 लाख टन बासमती भी शामिल है) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अतिरिक्त सप्लाई के बदले सोवियत संघ को भेजे जाने थे। उसमें से अन्य किस्मों के 3.5 लाख टन चावल की पूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जानी थी।

सुरक्षित भंडार

खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार बनाना और उसे कायम रखना भारत की खाद्य नीति का महत्वपूर्ण अंग रहा है। सुरक्षित भंडार का मुख्य उद्देश्य निरन्तर आपूर्ति और मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना है।

खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार पर तकनीकी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1.2 करोड़ टन का सुरक्षित भंडार बनाने और उसे कायम रखने का निश्चय किया है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक चालू भंडार के अतिरिक्त है। तकनीकी ग्रुप के अनुसार चालू भंडार की मात्रा भिन्न-भिन्न समय के लिए भिन्न-भिन्न होती है, प्रति वर्ष 1 अप्रैल को 35 से 38 लाख टन तक और 1 जुलाई को 82 से 88 लाख टन तक अन्न की होती है।

छठी पचवर्षीय योजना में यह बताया गया कि खाद्यान्नों की कीमतों में मौसम के बदलाव के कम से कम प्रभाव के लिए लगभग 150 लाख टन का सुरक्षित भंडार आवश्यक है। अप्रैल, 1981 में सरकार ने छठी योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षित भंडार नीति तय करने के उद्देश्य से एक और तकनीकी ग्रुप का गठन किया। दिसम्बर 1981 के अंत में खाद्यान्नों का स्टाक 1.12 करोड़ टन का था जबकि उससे एक वर्ष पूर्व 1.17 करोड़ टन का स्टाक था।

भण्डारण

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय गोदाम निगम के अखिल भारतीय महत्व के स्थानों पर तथा राज्य भंडार निगमों और राज्य सरकारों ने राज्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण और जिला स्तर पर एवं सहकारी समितियों ने ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक और विपणन समिति स्तर के स्थानों पर गोदामों की व्यवस्था की हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के लिए ग्रामीण गोदामों का राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की एक योजना भी शुरू की गई है।

अन्न बचाओ अभियान

खेतों और सामुदायिक स्तर पर गलत और बेढंगे तरीकों से भण्डारण के कारण फसल काटने के बाद क्षति बहुत होती है, इसलिए सरकार इस समस्या को 'अन्न बचाओ अभियान' योजना के माध्यम से हल कर रही है। इस योजना का उद्देश्य अन्न की क्षति रोकने तथा खेत-खलिहान एवं सामुदायिक स्तर पर भण्डारण में सुधार के लिए शिक्षा के माध्यम से सही तकनीक की जानकारी तथा प्रेरणा और प्रोत्साहन देना है। अन्न के भंडारण तथा कीट नियंत्रण के सरल किन्तु प्रभावी तरीकों का प्रचार किया जा रहा है। सुधरी किस्म की धातु की धानियां और कीटनाशक दवाइयां भी दी जा रही हैं।

'अन्न बचाओ अभियान' तकनीकी कर्मचारियों के क्षेत्रीय दलों द्वारा चलाया जा रहा है। भारतीय अन्न भंडारण संस्थान, हापुड़ तथा हैदराबाद, लुधियाना, जबलपुर, जोरहाट और उदयपुर स्थित उसके क्षेत्रीय केन्द्र उनकी गतिविधियों में सहायता देते हैं। ये अन्न के भंडारण, सार-संभाल, संरक्षण के विभिन्न पहलुओं, भंडार के ढांचों के डिजाइन निर्माण, कीटनाशकों की जांच, शीर्ष स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि के संबंध में सर्वेक्षण और व्यावहारिक अनुसंधान करते हैं।

किस्म नियन्त्रण

देश भर में अनाज की वसूली के लिए एक समान किस्म निर्धारित करने तथा आयात और निर्यात के तकनीकी पहलुओं से संबंधित नीतिगत मामलों पर कार्रवाई करने एवं भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और खाद्यान्नों के भंडारण, संरक्षण और किस्म नियंत्रण से संबंधित अन्य एजेंसियों को सलाह देने का दायित्व भंडारण और निरीक्षण संभाग पर है। इस उद्देश्य से केन्द्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला आयात किए गए एवं देश के अन्दर प्राप्त किए गए अनाज और उनके उत्पादों के नमूनों का विश्लेषण करती है। भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय गोदाम निगम, राज्य गोदाम निगम और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा खरीदे गए एवं संरक्षित खाद्यान्नों की किस्मों की जांच के लिए हाल ही में तीन किस्म नियंत्रण कक्षों (सेलों) का निर्माण किया गया है। इनमें एक नई दिल्ली में, दूसरा कलकत्ता में और तीसरा हैदराबाद में है। ये किस्म के संबंध में शिकायतों की जांच करते हैं ताकि उन्हें शीघ्र दूर किया जा सके।

पोषण एवं खाद्य परिष्करण

खाद्य विभाग में खाद्य एवं पोषण बोर्ड ने, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, पोषक आहारों के क्रमिक विकास, संरक्षण और प्रभावकारी इस्तेमाल के लिए अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पोषक आहारों की आपूर्ति बढ़ाना, खासतौर से आहार कार्यक्रमों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आहारों की पौष्टिकता बढ़ाना, पोषण कर्मचारियों और उपभोक्ताओं का शिक्षण-प्रशिक्षण और समेकित खाद्य एवं पोषण प्रणाली के विकास का आयोजन करना है ताकि इन उपायों के द्वारा लोगों के पोषण में सुधार लाया जा सके। बोर्ड ने खाद्यान्नों के परिष्करण एवं फल और शाक सब्जी संरक्षण उद्योग और प्रोटीन आहार उद्योग के संवर्धन संबंधी कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। जनवरी 1981 से जनवरी 1982 की अवधि में मिल्टोन का, जो मूंगफली पर आधारित प्रोटीन युक्त हुआ टोन्ड दूध है, उत्पादन 26 लाख लिटर से अधिक हुआ। एक अन्य परियोजना के अंतर्गत मदर डेरी, दिल्ली में प्रतिदिन 4.3 लाख लिटर दूध को, पोषक बनाया जाता है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की मदर डेरियों में भी इस कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा।

होटल प्रबन्ध, आहार प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक पोषण के चार संस्थान और 11 खाद्य शिल्प संस्थान 1980-81 में भी काम करते रहे।

भारतीय खाद्य निगम

1965 में भारत सरकार के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित भारतीय खाद्य निगम अनाज की खरीद, भंडारण, वितरण तथा किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश की सेवा करता है। निगम वर्ष में 6,248 करोड़ रुपये का कारोबार करता है।

निगम प्रति वर्ष 1.2 करोड़ टन अनाज की खरीद करने के अलावा आयातित गैर-पोटाश उर्वरकों और राशन की चीनी का काम भी संभालता है।

निगम के पास लगभग 2 करोड़ टन अनाज का भंडारण करने के लिए वैज्ञानिक ढंग के भंडार हैं। विश्व बैंक की सहायता से तथा निगम के अपने जोरदार कार्यक्रमों के अंतर्गत यह भंडारण क्षमता बढ़ाई जा रही है। छठी पंचवर्षीय योजना में 35.60 लाख टन भंडारण क्षमता की और व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

उचित दर दुकानों से बिक्री के लिए निगम राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज सप्लाई करता है।

विभिन्न राज्यों में निगम की 25 आधुनिक चावल मिलें हैं। सगावनार कोइल (तमिलनाडु) में निगम का एक कारखाना है, जहां चावल की भूसी से तेल निकाला जाता है, जो खाने के तथा उद्योगों के काम आता है। सेना क्रय संगठन की जरूरत पूरी करने के लिए लखनऊ में एक दाल मिल भी लगाई गई है।

केन्द्रीय भांडागार निगम

केन्द्रीय भांडागार निगम कृषि उत्पादों, कृषि में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं, उपकरणों और अधिसूचित चीजों के भंडारण के लिए गोदाम बनाता है और उन्हें किराए आदि पर लेता है।

1 दिसम्बर, 1981 को निगम की भंडारण क्षमता 39.51 लाख टन (अपने गोदाम 23.13 लाख टन, किराए के गोदाम 15.43 लाख टन तथा ऊपर से ढके खुले भंडार 0.95 लाख टन) थी। इसके अलावा निगम के दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, कलकत्ता, अहमदाबाद, भोपाल और बम्बई में सीमा शुल्क वाले माल गोदाम भी हैं, जहां निर्यातक/आयात-कर्ता जहाजों पर लदने से पहले अपना सामान अच्छी हालत में रख सकते हैं।

विकास कार्यक्रम

कृषि विकास के संबंध में 1966-67 में एक नई नीति तैयार की गई और उसके अनुसार काम शुरू हुआ, जो जारी है। इसके अन्तर्गत अन्य बातों के अलावा अधिकाधिक क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उत्पादन, सिंचाई सुविधाओं का विकास; विशेषकर भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग, उर्वरकों का पर्याप्त और संतुलित उपयोग, आवश्यकता पर आधारित पौधा संरक्षण उपायों का अपनाया जाना और कृषि के काम आने वाली वस्तुओं, जिसमें संस्थागत एवं अन्य वित्तीय संगठनों से प्राप्त होने वाला ऋण भी शामिल है, की सुव्यवस्थित और नियमित आपूर्ति आते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षण-प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को विज्ञान और टेक्नालाजी से अवगत कराने तथा विस्तार संगठन को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। गांवों के कमजोर वर्गों की दशा सुधारने हेतु विशेष कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है जिससे छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों, जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलेगा।

अधिक उपज देने वाली किस्में

अधिक उपज देने वाली किस्मों का अपनाया जाना नई कृषि नीति का मुख्य आधार है। भारतीय कृषि के इतिहास में अनाज की अनेक फसलों के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों, विशेष रूप से ज्वार के संकर बीजों का प्रयोग एक दूरगामी प्रभाव वाली घटना है। यह ठीक ही है कि इन्हें चमत्कार उत्पन्न करने वाला बीज कहा गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा जैसे मुख्य अनाज की फसलें आती हैं। इस कार्यक्रम की सफलता से कृषि के क्षेत्र में क्रांति हुई और देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में तेजी से और उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1965-66 (नई

कृषि नीति का आधार वर्ष) से गेहूं का उत्पादन तिगुना बढ़ा है और चावल के उत्पादन में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिर भी मक्का, ज्वार और बाजरा के क्षेत्र में यह प्रगति अपेक्षाकृत कम रही है। इसका मुख्य कारण संकर किस्मों का अभाव और कुछ संकर बीजों पर कीटों और बीमारियों का प्रकोप रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। 1966-67 के 18.9 लाख हेक्टेयर की तुलना में 1980-81 में यह 4.52 करोड़ हेक्टेयर हो गया। 1981-82 के लिए निर्धारित लक्ष्य 4.85 करोड़ हेक्टेयर का है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की गई पांच फसलों में अधिक उपज देने वाले गेहूं की किस्में सबसे अधिक सफल रही हैं। कीट और बीमारियों का न होना, गेहूं पैदा होने वाले बड़े भू-भाग में विकेन्द्रित जल प्रबन्धक प्रणाली, फसलों के विकास के लिए अच्छी स्थिति, सुनिश्चित बाजार, सरकार द्वारा अपनाई गयी मूल्य नीति इसके मुख्य कारण रहे हैं। वास्तव में गेहूं के उत्पादन में यह वृद्धि देश में खाद्यान्न उत्पादन में स्थिरता और मजबूती लाने में मुख्य रूप से सहायक रही है। गेहूं की खेती का विस्तार पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और उड़ीसा-जैसे गैर-परम्परागत क्षेत्रों में भी अब तेजी से हो रहा है।

अधिक उपज देने वाली किस्मों के चावल की खेती में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, हालांकि गेहूं की तुलना में इसके विकास की गति उतनी तीव्र नहीं रही है। इसका कारण है कि धान की अधिकतर खेती खरीफ के मौसम में होती है, जब सूखा या बाढ़ तथा कीटों और बीमारियों के प्रकोप का खतरा अधिक होता है। फिर भी रबी के मौसम में जब वर्षा कम होती है और जल प्रबन्ध आसान होता है, अधिक उपज देने वाली किस्मों में पैदावार अच्छी होती है। चावल के क्षेत्र में एक मुख्य बात यह हुई है कि अधिक उपज देने वाली मोटे चावल की किस्मों के स्थान पर रत्ना, विजया, आई० आर० 20, महसूरी और आई० ई० टी० द्वारा चयनित किस्मों को अपनाया जाने लगा है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे गैर-परम्परागत चावल उत्पादक क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय खपत सीमित होने के कारण इन राज्यों में उत्पादित चावल का एक बहुत बड़ा भाग केन्द्रीय भंडार को उपलब्ध कराया जाता है। इससे परम्परागत चावल उत्पादक क्षेत्रों में जहां अन्तर-निहित कारणों से उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि होती नहीं देखी गई है, फसलों में विविधता लाने में सहायता मिली है।

मोटे अनाजों में 1970-71 तक संकर बाजरा की अच्छी प्रगति होती रही, लेकिन बाद में रोंएदार चेपा और अरगट रोगों की व्यापकता के कारण इसमें रुकावट आई। बाद में बी० जे० 104 और बी० के० 560 जैसी संकर बाजरा की कुछ रोग-प्रतिरोधक किस्में विकसित की गईं। इनका बड़े पैमाने पर प्रसार किया जा रहा है। इसी प्रकार बाजरा का उत्पादन बढ़ाने के लिए

उपयुक्त अधिक उपज देने वाले सी० एस० एच०-5 और सी० एस० एच०-6 जैसी किस्मों/संकरों का विकास किया गया है और बड़े पैमाने पर खेती में इनका प्रयोग किया जा रहा है। मक्का की खेती और उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों में गहन प्रयास किए जा रहे हैं, जहां भूमि की पर्याप्त उत्पादक क्षमता है। प्रोत्साहन के रूप में विपणन व्यवस्था को भी मजबूत बनाया जा रहा है।

अधिक उपज देनें वाली किस्मों की खेती के कार्यक्रम का केन्द्रीय क्षेत्र में चलायी जा रही इन योजनाओं के साथ सामंजस्य किया गया है: (1) विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्मों के चयन हेतु चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी का मिनिकिट कार्यक्रम; (2) बुवाई के समय को आगे करने, उत्पादकता बढ़ाने और आने वाली रबी फसलों की समय पर बुवाई के लिए खेतों को खाली करने तथा प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली क्षति से फसलों को बचाने के लिए चावल का सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम; (3) देश मे रतुआ रोग के प्रकोप के खतरे को कम करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं की उन किस्मों की जगह, जिन्हें यह रोग जल्दी पकड़ता है, रतुआ प्रतिरोधक किस्मों को अपनाना; (4) प्रति एकक क्षेत्र में मक्का का उत्पादन बढ़ाने हेतु जनजाति क्षेत्र के किसानों को खेती की नयी तकनीक की क्षमता से अवगत कराने के लिए प्रदर्शनों का आयोजन; (5) नवीनतम उत्पादन तकनीक की जानकारी देने के लिए राज्य स्तर पर विस्तार कर्मचारियों का मौसम-पूर्व प्रशिक्षण, आदि।

भूमि तथा जल संरक्षण

जलवायु और भौगोलिक स्थिति जैसे पहलुओं के आधार पर समूचे देश को 10 भू-संरक्षण क्षेत्रों में बांटा गया है तथा इन क्षेत्रों की मुख्य समस्याओं और प्रबंध संबंधी प्रमुख कार्यों का पता लगाया गया है। अनुमानतः 17.50 करोड़ हेक्टेयर समस्या वाली जमीन है जिसमें से 8.21 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जहां वर्षा होती है और धान की खेती नही होती। 1.949 करोड़ हेक्टेयर वन-भूमि है तथा 2.256 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में स्थायी चारागाह, खेती योग्य परती जमीन तथा अन्य कृषि योग्य भूमि है। इसके अलावा 4.294 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में खड्ड, नालियां, क्षार, खारापन, खेती बदलने, नदी के तट की जमीन, रेगिस्तान, समुद्र के किनारे की रेतीली भूमि जैसी समस्याओं वाली जमीन है।

भूमि तथा जल संरक्षण कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण कार्य देश के भू-साधनों की रक्षा करना, भूमि के कटाव और भूमि की शक्ति को घटने से रोकना तथा समस्या प्रधान जमीनो को फिर से उपजाऊ बनाना है। ये कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्य स्तर पर और केन्द्र प्रायोजित योजनाओ के अंतर्गत चलाए जाते हैं।

1980-81 के अंत तक लगभग 2.44 करोड़ हेक्टेयर भूमि मे मिट्टी संरक्षण उपाय किए गए, जिन पर 744 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस कार्यक्रम में मेड़ बनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, जमीन समतल करना और उसे ठीक-ठाक करना तथा कृषि-भूमि पर नए ढंग की कृषिशास्त्रीय पद्धतियां अपनाना जैसे काम शामिल है। गैर-कृषि भूमि में वन लगाने और घास वाली भूमि विकसित करने जैसे जीव वैज्ञानिक उपाय किए जाते

हैं। नमी की स्थिति सुधारने और संतुलित प्राकृतिक स्थिति बनाए रखने के लिए ढाल बंद करना, खेतों में जोहड़ बनाना, भूमि के कटाव पर नियंत्रण आदि के अलावा उपयुक्त स्थानों पर पानी के उपयोग की व्यवस्था की जाती है।

तीसरी योजना अवधि में 31 नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में जल विभाजन प्रबंध कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य नीचे जमा होने वाली मिट्टी को कम करके बड़े जलाशयों के काम देने की अवधि को बढ़ाना है। 17 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र इन जल-ग्रहण क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। 2,000 से 4,000 हेक्टेयर के आकार के चुने हुए जल विभाजकों पर काम किया जा चुका है। तलछट की माता के अध्ययन से पता चला है कि इस कार्यक्रम से पानी का क्षेत्र बढ़ने के साथ तलछट के जमाव में कमी आई है।

अखिल भारतीय मृत्तिका एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन ने जल विभाजकों के चित्रण और वर्गीकरण तथा उनकी प्राथमिकता निर्देशित करने के लिए जलग्रहण क्षेत्रों का सर्वेक्षण जारी रखा। इस संगठन ने उपग्रहों से प्राप्त चित्रों और दूरग्राही सूचनाओं के इस्तेमाल की प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ कुछ परियोजनाओं पर सहयोग किया है। हाल ही में एक दूरग्राही यूनिट की स्थापना की गई है। इसने संदर्भ के लिए लगभग 171 सर्वेक्षण रिपोर्टों की तालिका और 75 मृतिका शृंखलाओं के लिए अंतःसरण विशेषताओं का संकलन भी तैयार किया है।

गंगा के बेसिन की जिन नदियों में प्रायः बाढ़ आती है उनके जलग्रहण क्षेत्रों में समन्वित जलविभाजन प्रबंध की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना चलाई गई है। वर्षा के पानी के बहुत बड़े हिस्से को ग्रहण करने, भूमि कटाव रोकने और बहाव में कीचड़ कम करने के लिए जलग्रहण क्षेत्रों की क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से कुछ चुने हुए जल-विभाजकों में यह योजना शुरू की गई है। यह योजना ऊपरी यमुना (ताजेवाला से ऊपर), साहिबी, ऊपरी गंगा (ऋषिकेश से ऊपर), गोमती, पुनपुन, अजय, सोन तथा रूपनारायण नदियों के जलग्रहण में लागू है।

पठारी और लवणयुक्त क्षेत्रों के सुधार तथा क्षार और अम्लयुक्त मृतिकाओं को उपजाऊ बनाने व उनके प्रबंध की केन्द्र-प्रायोजित परियोजनाएं 1979-80 में राज्यों को स्थानान्तरित कर दी गईं।

उर्वरक

कृषि उत्पादकता बढ़ाने में उर्वरक का सबसे प्रमुख स्थान है। बाकी चीजों के समान रहते हुए एक टन पोषण उर्वरक खाद्यान्न के उत्पादन को लगभग 10 टन बढ़ाता है। इस प्रकार उर्वरकों की वार्षिक खपत से फसलों के उत्पादन में देश की उपलब्धि का अच्छी तरह पता चल सकता है। उर्वरकों की खपत के मामले में विश्व में भारत का ऊंचा स्थान है। 1980-81 में 55.16 लाख टन उर्वरक की खपत हुई, जो पिछले वर्ष से 4.9 प्रतिशत अधिक है। 1981-82 में लगभग 61 लाख टन उर्वरक की खपत होने का अनुमान है। 1980-81 में नाइट्रोजेनस और फास्फेटिक उर्वरकों का देश के अंदर उत्पादन 30.05 लाख टन था। कुल आवश्यकता और देश में उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए 27.59 लाख टन पोषक तत्वों का आयात किया गया।

स्थानीय खादों का उपयोग

मिट्टी की बढ़ती हुई उर्वरता, खाद के स्थानीय साधनों की उपलब्धता और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती हुई क्षमता को देखते हुए रासायनिक उर्वरकों के साथ स्थानीय खाद सामग्री के उपयोग के कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया है। गांवो मे कम्पोस्ट बनाने, शहरों मे कम्पोस्ट बनाने, हरी खाद बनाने, मल और कचरे के उपयोग जैसे कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं।

बायोगैस उत्पादन टेक्नालाजी के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में प्रारंभ किया गया है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है और छठी योजना की शेष अवधि में बायोगैस के 4 लाख संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

1981-82 के दौरान 35,000 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना मे अन्य सुविधाओं के साथ-साथ लाभभोगियों को राज-सहायता, राज्य सरकारों को संगठनात्मक सहायता, गांवों में काम करने वालों को नकदी के रूप में प्रोत्साहन और निगमित निकायों को 'टर्न-की' की फीस की भी व्यवस्था है। बायोगैस टेक्नालाजी को बढ़ावा देने के लिए कई माडलों को अपनाया गया है। स्थिर गुम्बद वाले सस्ते बायोगैस संयंत्रों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। बायोगैस कार्यक्रमों को चालू करने के लिए और भी प्रयत्न किये जा रहे हैं—इन कार्यक्रमों को पशुपालन और डेयरी विकास परियोजनाओं, विशेष रूप मे "ऑपरेशन फ्लड" के साथ जोड़ा जा रहा है। एक सौ से अधिक जिले सघन बायोगैस विकास के लिये चुने गए हैं।

बढ़िया बीज

भारत सरकार अपने दो प्रतिष्ठानों—राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम की मार्फत अच्छे बीजों के उत्पादन और वितरण में राज्यों के प्रयासों में सहयोग कर रही है। राष्ट्रीय बीज निगम प्रमाणीकृत बीजों के अन्तर्राज्यीय विपणन, आधार बीजों के उत्पादन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से प्रजनक बीज उपलब्ध कराने के काम की देख-रेख करता है। 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम की अन्तर्राज्यीय विपणन के लिए अनाज, दालों, तिलहन, चारा, रेशा और सब्जियों के लगभग 5.69 लाख क्विंटल बीजों का उत्पादन करने की योजना है। जबकि 1980-81 में 4.48 लाख क्विंटल का उत्पादन हुआ था। निगम को 1981-82 के दौरान आधार बीजों और प्रजनक बीजों का क्रमशः 1.01 लाख क्विंटल और 13,011.97 क्विंटल उत्पादन करने की आशा है, जबकि 1980-81 में इनकी मात्रा क्रमशः 82,110 और 7087.34 क्विंटल थी। सम्वर्धनात्मक कार्य के रूप में राष्ट्रीय बीज निगम ने 1981-82 में विभिन्न फसलों के 2.88 लाख क्विंटल बीजों को विकासशील देशों को निर्यात किया, जबकि 1980-81 में 1.73 लाख क्विंटल बीज इन देशों को भेजे गए थे। किसानों को समय पर बीजों की सप्लाई करने के लिए निगम ने बीज व्यापारियों की संख्या बढ़ाकर 1981-82 में 3922 कर दी।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम शुरू करने के परिणामस्वरूप पंजाब, हरियाणा, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने अपने-अपने बीज निगम बना लिए है और 1981-82 में

में जिनकी संख्या अधिक है, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जर्सी और हाल्सटीन जैसे मान्य शीतोष्ण नस्ल के विदेशी सांड के साथ देशी पशुओं के संकरण को बढ़ावा दिया जाता है।

पशुधन विकास के लिए परियोजनाएं हैं, आपरेशन फ्लड तथा सघन पशुधन विकास परियोजनाएं। अन्य गतिविधियों में प्रजनन यूथों की स्थापना, राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख नस्लों के पशुओं का यूथरजिस्टर रखना, जमा हुए वीर्य तकनीक से कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, आदि प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। नस्ल सुधार, चारा स्रोतों का संवर्धन, प्रभावशाली स्वास्थ्य रक्षा प्रबंध, विस्तार सेवा और विपणन सुविधाओं के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि एक साथ इन सभी पर ध्यान दिया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15,000 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

चारा विकास

चारे के उत्पादन और चारा पैदा करने के कार्य के प्रदर्शन के लिए देश की भिन्न-भिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार द्वारा 7 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए गए। इसका उद्देश्य चारा उत्पादन के सभी पहलुओं से संबंधित तकनीक की शीघ्रातिशीघ्र जानकारी देना, संरक्षण और प्रयोग तथा विचार कार्यक्रमों के संचालन में राज्य स्तर की एजेंसियों की सहायता करना है। नई कृषि तकनीक अपनाए जाने से कश्मीर घाटी के किसानों के लिए धान के परती खेत में बरसीम उगाकर, धान की सामान्य खेती को बिना नुकसान पहुंचाए, उत्तम चारा प्राप्त करना संभव हुआ है। वर्षा सिंचित ऊंची भूमि और देश के शीतोष्ण क्षेत्र में जाड़े के दिनों में पशुओं के चारे की कुछ नई किस्मों का पता लगाया गया है।

गोचारे भूमि के विकास के लिए चारा फली बीजों के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्टाइलों-सेन्थीस हमाटा, एस० एस्कंबरा, एस० विस्कोसा जैसी कुछ नई किस्मों को अपनाया गया है और वन विभाग, डी० पी० ए० पी० क्षेत्रों एवं अन्य जरूरतमन्द एजेंसियों को वितरण के लिए बड़े पैमाने पर बीजों के संवर्धन का कार्य शुरू किया गया है।

चारा मिनिकिट परीक्षण कार्यक्रम को और व्यापक बनाया गया है तथा इसका 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार हो चुका है। खरीफ और रबी मौसम में 13,500 से भी अधिक किट उपलब्ध कराए गए थे।

अधिक उपज देने वाली किस्मों के आधार बीजों का क्षेत्रीय केन्द्रों में उत्पादन बढ़ाया गया है। चालू वर्ष में उन्नत किस्म के 140 टन चारा बीजों का उत्पादन हुआ।

आस्ट्रेलिया के सहयोग से हेसरघट्टा (कर्नाटक) में 1979 में एक चारा बीज उत्पादक फार्म (172 हेक्टेयर) स्थापित किया गया। इसने उत्पादन शुरू कर दिया है, इसने विभिन्न किस्मों की चारा फसलों के 720 क्विंटल बीजों का उत्पादन किया है।

कुक्कुट विकास

देश में अंडों का उत्पादन, जो 1961 में 280 करोड़ था, 1981 के बढ़कर लगभग 1,300 करोड़ हो गया। चूजों का उत्पादन, जो 1971 40 लाख था, 1981 के अंत तक बढ़कर 3.5 करोड़ हो गया।

हेसरघट्टा, बंबई और भुवनेश्वर में स्थित केन्द्रीय कुक्कुट फार्मों में अन्डे देने वाली नस्लों और चंडीगढ़ फार्म में मांस के उपयोग की जाने वाली नस्लों में वैज्ञानिक कुक्कुट प्रजनन कार्यक्रम शुरू गया है। हेसरघट्टा फार्म ने प्रजनन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी को "एच०एच० 260" नाम के अधिक अंडे देने वाली संकर नस्ल के कुक्कु की सप्लाई तथा फार्म वालों को चूजों की सप्लाई जारी रखी। बम्बई फार्म ने "बी०एच०78" नाम के संकर नस्ल के अंडे देने वाले कुक्कुट की सप्ला आरंभ कर दी है। भुवनेश्वर फार्म के पक्षी भी फार्म वालों में लोकप्रिय हो रहे हैं।

हेसरघट्टा, बंबई और भुवनेश्वर स्थित तीन नमूना परीक्षण यूनिटें खाने और प्रबंध की समान परिस्थितियों मे अंडा देने वाली मुर्गियों और खाने के काम आने वाले चूजो के उत्पादन का व्यावसायिक दृष्टि से मूल्यांकन करके कुक्कुट पालकों, उत्पादको और कुक्कुट प्रजनन केन्द्रों को उपयोगी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। चौथा परीक्षण केन्द्र हरियाणा के गुड़गांव में स्थापित किया जा रहा है। यह उत्तरी क्षेत्र की कृषि व जलवायु संबंधी परिस्थितियों में कुक्कुट संबंधी परीक्षण में सहायक होगा।

अधिक अंडे देने वाली नस्ल की बत्तखों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से हेसरघट्टा में एक केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म भी स्थापित किया गया है।

हेसरघट्टा स्थित केन्द्रीय कुक्कुट उत्पादन और प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी क्षेत्र के कुक्कुट उत्पादन/कुक्कुट प्रजनन फार्मो के अधिकारियों को कुक्कुट पालन के विशेष क्षेत्रों, अर्थात् कुक्कुट प्रजनन, आनुवंशिकी, पोषाहार और चारा, प्रबंध और फार्म अर्थव्यवस्था मे प्रशिक्षण दे रहा है। 1982 से चूजों के यौन संबंधी पाठ्यक्रम चलाने का भी प्रस्ताव है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा संस्था कुक्कुट उद्योग को चारा विश्लेषण की आधुनिक सुविधाएं देती है।

राष्ट्रीय स्तर पर अंडों और मुर्गे-मुर्गियों के विपणन का काम "नाफेड" के पास ही रहेगा।

सूअर विकास

देश में सूअर का पौष्टिक गोश्त तथा सूअर के मांस के अन्य पदार्थों का उत्पादन करने और किसानों को उनके द्वारा पाले गए सूअरों की उचित कीमत दिलाने के उद्देश्य से सूअर का सूखा गोश्त तैयार करने के आठ कारखाने और सूअर के मांस की चीजें तैयार करने के संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में लगाए गए हैं। इनमें से कुछ कारखानों ने अपने उत्पादन में विविधता लाई है और वे अन्य प्रकार के मांस भी तैयार करने लगे हैं। 67 राज्य सूअर प्रजनन केन्द्र सूअरों की संख्या बढ़ाने के लिए विदेशी नस्ल के सूअर किसानों को सप्लाई करते हैं तथा

रोज सूअर बेकन कारखानों को सप्लाई करते हैं। देश में सूअर के मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े श्वेत यार्कशायर, लैंडरेस, हैंपशायर, बोर्कशायर आदि नस्लों के विदेशी सूअरों का आयात किया गया है।

: विकास

भारत में भेड़ों की कुल संख्या करीब 3.50 करोड़ है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। हमारे यहां प्रति भेड़ से औसतन 0.8 से 0.9 किलोग्राम ऊन प्रतिवर्ष उतारी जाती है, जबकि अन्य देशों में मेरीनो जैसी नस्ल की भेड़ से औसतन प्रतिवर्ष 4 से 5 कि० ग्राम ऊन उतरती है। देश में ऊन का कुल उत्पादन 3.40 करोड़ किलोग्राम होने का अनुमान है (1980-81)। इसमें से 5 प्रतिशत ऊन बढ़िया वस्त्र बनाने लायक होती है, 35 प्रतिशत ऊन गलीचे बनाने तथा 60 प्रतिशत ऊन घटिया किस्म के गलीचे, नम्दा और सेना के लिए कम्बल बनाने योग्य होती है। वस्त्र बनाने योग्य ऊन के उपयोग के लिए देश में 25 लाख तकुए हैं, जिनके लिए 3.5 करोड़ किलोग्राम ऊन की जरूरत होती है (एक शिफ्ट)। भारत प्रतिवर्ष 37.50 करोड़ रु० की बढ़िया किस्म की 1.50 करोड़ किलोग्राम ऊन आयात करता है।

1968-69 में 13.28 करोड़ रुपये के ऊनी गलीचे बनाए गए थे जबकि 1979-80 में 104.9 करोड़ रुपये के गलीचे बनाए गए। गलीचे तैयार करने के लिए देश में कुल 1.1 करोड़ किलोग्राम ऊन उपलब्ध होती है, जबकि आवश्यकता 2 करोड़ कि० ग्राम की है।

भारतीय भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए देश में सभी प्रजनन योग्य मादा भेड़ों के लिए बढ़िया किस्म की ऊन वाले कुल 1.07 लाख नर भेड़ों की आवश्यकता है। इसके लिए 90 भेड़ प्रजनन फार्म तथा 1,331 विस्तार केन्द्र खोले गए हैं। इन उपायों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं और कच्ची ऊन का कुल उत्पादन, जो 1951 में 2.75 करोड़ किलोग्राम था, 1981 में 3.50 करोड़ कि०ग्रा० तक पहुंच गया।

भेड़ उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए हिसार (हरियाणा) में विदेशी भेड़ प्रजनन फार्म खोला गया है। इस फार्म ने विभिन्न राज्यों को चुनी हुई 4,000 विदेशी नर भेड़ें सप्लाई की हैं। यह फार्म भेड़ पालन और प्रबंध के बारे में अधिकारियों और चरवाहों को प्रशिक्षण भी देता है। मशीन से ऊन उतारने के आधुनिक तरीके लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में इस तरह का काम करने वालों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। देश में ऊन का विपणन तथा वर्गीकरण प्रणाली सुधारने के लिए 5 ऊन बोर्ड/भेड़ निगम भी कायम किए गए हैं।

बूचड़खानों का आधुनिकीकरण

इस समय देश में कुल 2,800 बूचड़खाने हैं, जहां प्रतिवर्ष करीब 8.20 लाख टन मांस तैयार किया जाता है। पणजी (गोआ), बंगलौर, कलकत्ता, दुर्गापुर, दिल्ली हैदराबाद और मद्रास जैसे शहरों में बूचड़खानों को आधुनिक बनाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 7 मांस विकास निगम भी बनाए गए हैं।

पशु स्वास्थ्य

पशुधन से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता पर्याप्त पशु चिकित्सा सहायता की व्यवस्था है। पशु चिकित्सा प्रदान करने के लिए देश में लगभग 12,550 पशु चिकित्सा अस्पताल और औषधालय तथा लगभग 450 चल पशु चिकित्सा औषधालय कार्य करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में बहुनिदानीय पशु चिकित्सालय भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, मादा पशु-चिकित्सा और आंत सम्बन्धी रोगों की चिकित्सा के लिए विशेष सुविधाएं हैं। पशुरोगों के निदान के लिए विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में रोग जांच प्रयोगशालाएं भी खोली गई हैं। देश में 22 पशु चिकित्सा कालेज हैं, जहां पशु चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें स्नातकोत्तर और डाक्टरेट प्रशिक्षण भी शामिल है। इसके अलावा, दो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं—भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान में पशुरोग समस्याओं पर अनुसंधान भी किया जाता है।

अफ्रीकी अश्वरोग, जो घोड़ों का भयानक रोग है, देश से मिटा दिया गया है। सूअर ज्वर का प्रकोप उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में ही होता है, कुल मिला कर इसको नियंत्रित कर लिया गया है पशु-प्लेग का प्रकोप भी काफी कम हो गया है और अब यह देश के कुछ ही भागों तक सीमित है। खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन अब तक लगभग 40 लाख टीके लगाये जा चुके है। 1978-79 में देश के दो निर्माण केन्द्रों में खुरपका और ग्रहण का रोग के पालीवेलेन्ट टीके की 23 लाख मात्राएं तैयार की गईं। पशुधन के आयात/उत्पादन के माध्यम से देश में बाहरी देशों के रोगों को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चार संगरोध (क्वेरेंटाइन) केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

पशु पालन सम्बन्धी आंकड़े

पांचवीं योजना में पशुधन सम्बन्धी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं के आंकड़े संकलित करने के लिए एक वैज्ञानिक सूचना प्रणाली बनाने के प्रयत्न किए गए। पशुधन के प्रमुख उत्पादों, जैसे—दूध, अंडे, ऊन, मांस आदि के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए नमूना सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। छठी योजना में नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में एक योजना मंजूर की गई है।

डेरी और दूध की आपूर्ति

इस समय देश मे सरकारी और सहकारी क्षेत्र में 203 डेरी संयंत्र है। इनमें से 100 तरल दुग्ध संयंत्र, 34 दुग्ध उत्पाद कारखाने और 69 प्रायोगिक दुग्ध योजनाएं/ग्रामीण डेरिया है। 1981 में इनकी संयुक्त अधिष्ठापित क्षमता 112 लाख लीटर प्रतिदिन थी जबकि दूध का औसत उत्पादन 71.3 लाख लीटर रहा।

"आपरेशन फ्लड I" नामक डेरी विकास परियोजना, जो 1970 में 10 राज्यों में शुरू की गई थी, मार्च 1981 मे समाप्त हो गई। इस परियोजना में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यों पर 116.62 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस परियोजना में जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया, वह था–

बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में 4 मदर डेरियों की स्थापना। इसके अलावा 7,730 गांवों को तकनीकी अन्तर्निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया।

1978 में आपरेशन फ्लड II' परियोजना के अंतर्गत एकीकृत डेरी विकास का एक विशाल कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस परियोजना में सात वर्षों की अवधि में 485.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसके अंतर्गत एक करोड़ ग्रामीण दुग्ध उत्पादक परिवारों को लाकर 1985 तक डेरी उद्योग को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इससे दुग्ध उत्पादक 1.5 करोड़ दूध देने वाले पशुओं का पालन कर सकेंगे, जिनमें संकर नस्ल की गायें और उन्नत नस्ल की भैंसें होंगी, इसके अलावा एकीकृत मवेशी और डेरी विकास की तीन एकीकृत परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाएंगी जो राजस्थान, मध्यप्रदेश और कर्नाटक में हैं और इन पर अनुमानतः 117.43 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मत्स्य पालन

भारत मे मछली के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि हो रही है। 1951 में कुल मछली उत्पादन 7.52 लाख टन था जो बढ़कर 1980 में 24.23 लाख टन हो गया। समुद्र में मछली पकडने के लिए तट रेखा से 320 कि० मी० तक अधिकार क्षेत्र कर देने और इस क्षेत्र में मछली पकडने के कार्यों के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कर दिए जाने से इस उद्योग के विकास को निरंतर उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

मछली उत्पादन

1980 में मछली का उत्पादन 24.23 लाख टन (अनतिम आंकड़े) था जिसमें से 15.48 लाख टन समुद्री मछली और 8.75 लाख टन अंतस्थलीय जल स्रोतों से प्राप्त मछली थी।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

1980-81 के दौरान 234.82 करोड रुपये मूल्य के 75,583 टन समुद्री उत्पाद का निर्यात किया गया। 1981-82 के पहले आठ महीनों में 1980-81 की इसी अवधि की तुलना में समुद्री उत्पाद का 27 प्रतिशत अधिक निर्यात हुआ।

यंत्रीकरण

मछली पकडने की नौकाओं के यंत्रीकरण का कार्यक्रम खास-खास जगहों पर जारी रहा। जिन क्षेत्रों में मछली पकड़ने के प्रयास अधिक नहीं किए जा रहे हैं उनमें यंत्रीकृत नौकाओं का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया गया है किन्तु जहा पर पहले ही से बड़ी संख्या में मछली पकड़ने की नौकाएं हैं, वहा यंत्रीकृत नौकाओं की संख्या बहुत कम रखी गई है। आशा की जाती है कि यंत्रीकृत नौकाओं की संख्या जो 1980-81 में 16,151 थी, 1981-82 में बढ़कर 16,969 हो जाएगी। इस समय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले व्यावसायिक (20 मीटर और उससे अधिक लम्बाई के) जहाजों की संख्या 67 है जिनमें से 62 जहाज पूरी तरह भारतीय कम्पनियों के हैं और 5 जहाज किराए पर

लिए गए हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें देश मे इन जहाजों के निर्माण के लिए लागत के 33 प्रतिशत की राजसहायता देना, मछली पकड़ने के विदेशी जहाजों को किराए पर लेने और उनके साथ संयुक्त उद्यम चलाने की अनुमति देना, तदर्थ योजना के माध्यम से जहाजों के आयात के लिए प्राधिकृत करना तथा सर्वेक्षण प्रशिक्षण के लिए बड़े आकार के जहाजो की खरीद जैसे उपाय शामिल है।

मछली पकड़ने के बन्दरगाह

समुद्री मछलिया पकडने के लिए विभिन्न बड़े और छोटे पत्तनो पर जहाज लगाने और ठहराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मछली पकड़ने के बन्दरगाह, जिनमें छोटे और मझोले आकार के जहाज आ-जा सकते हैं, तूतीकोरीन, मल्लीपत्तनम, विजिनजोम, कासरगोडे, कारवार, धमरा और पोर्ट ब्लेयर जैसे छोटे पत्तनो में विकसित किए गए हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मझोले और बड़े आकार के जहाजो के लिए कोचीन, रायचोक और विशाखापत्तनम (प्रथम चरण) के बड़े पत्तनों मे मछली पकड़ने के बन्दरगाह विकसित किए गए हैं।

बड़े पत्तनों-मद्रास और विशाखापत्तनम (द्वितीय चरण) तथा छोटे पत्तनो-मालपे, हुन्नावर, कोडियाकराई और करजा में मछली पकड़ने के बन्दरगाहो का निर्माण पूरा होने वाला है। बम्बई के पत्तन में तथा छोटे पत्तनो—वेरावल मगरोल, पोरबंदर, काकिदा, निजामपत्तनम बावनपाडू, रत्नागिरि, नीन्दाकारा, नीलेश्वरम, मुनक्का कादवू, चेरावतूर और मंगलोर मे मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का निर्माण कार्य चल रहा है। गुजरात के वेरावल और मंगरोल, आन्ध्र प्रदेश के काकिदा, निजामपत्तनम और विशाखापत्तनम (द्वितीय चरण) मे परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से समन्वित समुद्री मत्स्य उद्योग परियोजना के रूप मे क्रियान्वित की जा रही है। समुद्री मछलिया पकडने के कार्य को बढावा देने के लिए तमिलनाडु के चिन्नामुत्तम, वालोनेक्कम और पश्चिम बंगाल के डीगा मे मछली पकडने के नए बन्दरगाहो को हाल ही मे स्वीकृति दी गई है।

समुद्री मत्स्य स्रोतों का अन्वेषण

अन्वेषी मत्स्य पालन परियोजना, बम्बई के अन्तर्गत 26 ट्रालरों की सहायता से 11 स्थानों में तटों पर और गहरे समुद्र में सर्वेक्षण का काम किया गया। नए जहाज बहुत बड़े हैं और हर तरह से तथा सभी प्रकार के स्थानों से मछली पकड़ने के काम आ सकते हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 40 फैदम की गहराई तक लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और परिणाम मछली पालन उद्योग को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

समन्वित मत्स्य परियोजना

कोच्चिन की इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं: (1) प्रयोगात्मक आधार पर मछली पकड़ना, (2) विभिन्न प्रकार के मत्स्य उत्पादों का उत्पादन और विपणन, और (3) मत्स्य उद्योग के लिए कर्मचारियो का प्रशिक्षण। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्यशाला और संसर्पिका (स्लिपवे) सेवा सुविधाएं इस परियोजना के जहाजों, मन्य सहयोगी संगठनों और

प्रशिक्षण
अनुसंधान

के क्षेत्रों के निजी उद्यमियों को उपलब्ध करायी जाती हैं। समुद्री मछली साधनों के उपयोग के लिए एक आधुनिक अल्युमिनियम डिब्बाबन्दी कारखाना स्थापित किया गया है।

अंतःस्थलीय मत्स्य पालन कार्यक्रम

अप्रैल 1980 से अन्तःस्थलीय मत्स्य पालन के बारे में विश्व बैंक की एक परियोजना प्रारंभ की गई है जो पांच वर्ष की अवधि के लिए है। इसके अंतर्गत पांच परियोजनागत राज्यों, अर्थात्, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 1.17 लाख हेक्टेयर जल-क्षेत्र विकसित किया जाएगा। मछलियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए 27 केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है और 10 केन्द्रों के विस्तृत डिजाइन को मंजूरी दे दी गई है।

मत्स्य पालक विकास एजेंसियां

पांचवी योजना के दौरान तालाबों और पोखरों मे सघन मत्स्य पालन को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू की गई मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को आवश्यक परिवर्तनों के साथ छठी योजना में जारी रखा जा रहा है।

इस समय 44 मत्स्य पालक विकास एजेंसियां हैं जो देश के 17 राज्यों मे कार्यरत हैं। इनमे से 10 एजेंसियां पूर्वोत्तर क्षेत्र मे हैं। ये एजेंसियां अब तक 7,200 हेक्टेयर जल क्षेत्र को सघन मत्स्य पालन के अंतर्गत ले आई हैं। मत्स्य पालक विकास एजेंसी कार्यक्रम शुरु होने से पहले इस क्षेत्र में मछलियों का उत्पादन कम होता था। इन एजेंसियों के जल क्षेत्र मे प्रति यूनिट मछलियो की प्राप्ति, जो 1971 में 50 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर थी, बढकर 1978-79 के दौरान लगभग 500 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर हो गयी। साथ ही लगभग 4,200 मत्स्यपालकों को अंतः स्थलीय मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

मछली पालन संबंधी प्रशिक्षण-सुविधाएं बम्बई के केन्द्रीय मछली पालन शिक्षा संस्थान और इसकी बैरकपुर शाखा अंतःस्थलीय मछली पालन प्रशिक्षण केन्द्र और आगरा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध हैं। मछली पालन से संबंधित विस्तार तकनीक में प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद मे एक केन्द्रीय मत्स्य पालन विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है। ये सभी केन्द्र अगस्त, 1979 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण मे हैं।

केन्द्रीय मछली पालन सामुद्रिक और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चिन तथा इसकी मद्रास शाखा मछली पकड़ने के जहाजों और तटीय प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए कर्मचारियों को समुद्री मछली पालन का प्रशिक्षण देता है। इस संस्थान की एक इकाई विशाखापत्तनम में खोली गई है, जहां मछली पकड़ने में सहायक के रूप में काम करने वालों तथा जहाजों के इंजिन ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया जाता है।

तीनों संस्थानों अर्थात् कोच्चिन स्थित केन्द्रीय समुद्री मत्स्यपालन अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रोद्योगिकी संस्थान तथा बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) स्थित केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्यपालक अनुसंधान संस्थान ने समुद्री और अंतःस्थलीय मछली पालन से सम्बंधित समस्याओं का अध्ययन जारी रखा। मछली पकड़ने के जहाजों के निर्माण तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी सहायता भी प्राप्त की गई है।

वानिकी

भारत में लगभग 741 लाख हेक्टेयर भूमि में वन फैले हुए हैं, जो देश की कुल भूमि का 22.7 प्रतिशत है। राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के एक-तिहाई भाग में वनों को सुरक्षित रखना है। वन-भूमि को खेती के काम, नदी घाटी परियोजनाओं, उद्योग लगाने तथा अन्य काम में लाने के लिए बड़ा दबाव पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप पिछले 30 वर्षों से लगभग 45 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र समाप्त हो गया। बहुत समय से सरकार इस चिन्ताजनक स्थिति पर ध्यान देती रही है। केन्द्रीय सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि वन क्षेत्र को गैर-वन्य कार्यों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और यदि किसी अनिवार्य कारण से गैर-वन्य उपयोग में लाना ही हो तो राज्य सरकारों की सहमति से ही ऐसा किया जाए, और जहां तक संभव हो उतनी ही भूमि वनारोपण के लिए देकर उस क्षति की समुचित पूर्ति की जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू किया है जिसके अनुसार कोई भी सुरक्षित वन किसी अन्य प्रकार के वन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बिना वन-भूमि का किसी गैर-वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए वन भूमि के अन्य कार्यों के उपयोग के मामलों पर विचार करने के लिए एक सलाहकार समिति गठित की गई है। सारणी 15.7 में 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान वन-क्षेत्र का वर्गीकरण दर्शाया गया है :—

सारणी 15.7
वन-क्षेत्र

(1000 हेक्टेयर)

विवरण	1977-78[1]	1978-79[1]
1	2	3
1. उपयोग की दृष्टि से		
(अ) उपयोग के योग्य (काम आ रहे वन)	39,735	38,741
(ब) उपयोग की सम्भावना वाले	15,044	15,981

1	2	3
(स) अन्य	19,355	19,472
कुल	74,134	74,194
2. स्वामित्व की दृष्टि से		
(अ) राज्य के	69,553	69,658
(ब) निगमित निकायों के	3,723	3,723
(स) निजी	858	813
कुल	74,134	74,194
3. कानून की दृष्टि से		
(अ) सुरक्षित	38,500	39,203
(ब) रक्षित	22,990	22,832
(स) अवर्गीकृत	12,644	12,159
कुल	74,134	74,194
4. रचना की दृष्टि से		
(अ) शंकुल	7,466	7,165
(ब) अशंकुल (बांस सहित) चौड़ी पत्तियों वाले	66,668	67,029
कुल	74,134	74,194

1. अस्थायी

लकड़ी का उत्पादन औद्योगिक लकड़ी और ईंधन की लकड़ी का उत्पादन देश में वन विकास का प्रमुख द्योतक होता है। सारणी 15.8 में 1977-78 और 1978-79 के दौरान शंकुल और अशंकुल वर्गों से अलग-अलग प्राप्त औद्योगिक लकड़ी तथा ईंधन की लकड़ी का वार्षिक उत्पादन राज्यों के वन विभागों को प्राप्त रायल्टी सहित दिखाया गया है।

सारणी 15.8 औद्योगिक एवं ईंधन लकड़ी का उत्पादन

विवरण	1977-78[1] मात्रा (लाख घन मीटर)	1977-78[1] प्राप्त रायल्टी[2] ('000 रु०)	1978-79[1] मात्रा (लाख घन मीटर)	1978-79[1] प्राप्त रायल्टी ('000 रु०)
1. औद्योगिक लकड़ी				
(अ) शंकुल	9.3	65,100	11.7	1,10,891
(ब) अशंकुल	73.8	21,81,160	76.2	23,33,418
योग	83.1	22,46,260	87.9	24,44,311
2. ईंधन लकड़ी (कोयले के लिए लकड़ी सहित)				
(अ) शंकुल	0.2	—	0.3	—
(ब) अशंकुल	12.4	3,08,005	14.1	3,21,721
योग	12.6	3,08,005	14.4	3,21,721

[1] अस्थायी

[2] वन उत्पाद का वास्तविक बाजार मूल्य, राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त रायल्टी की धनराशि से काफी अधिक है।

गौण उत्पादन

लुगदी, पैनल उत्पाद, माचिस, तथा लकड़ी पर आश्रित अन्य उद्योगों को कच्चा माल देने के अलावा वनों से गौण उत्पाद के रूप में बांस, बेंत, तेन्दू पत्ते, घास, सुगंधित तेल, जड़ी-बूटी, लाख, बिरोजावसीय तेल, वसा, गोंद, चमड़ा कमाने के पदार्थ, रंग तथा पशु-उत्पाद, आदि पदार्थ मिलते हैं। इनमें से बहुत से पदार्थों से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

सारणी 15.9 में 1977-78 और 1978-79 में राज्य के वन विभागों को गौण वन उत्पादों से प्राप्त रायल्टी के बारे में जानकारी दी गई है।

सारणी 15.9 गौण वन उत्पाद और रायल्टी

('000 रु०)

विवरण	1977-78[1]	1978-79[1]
1. बांस	1,94,342	2,07,0[illegible]
2. चरागाह व [illegible]	0,979	21[illegible]
3. अन्य गौण [illegible]	143	8,6[illegible]
योग		0,95[illegible]

[1] अस्थायी

मनुष्यकृत वन विकास

मनुष्यकृत वन विकास के अन्तर्गत वनारोपण कार्यक्रम, वना साधनों के नवीकरण के राष्ट्रीय कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण अंग है । इस कार्यक्रम में तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों और विशेष रूप से उन वृक्षों के लगाने पर अधिक जोर दिया जाता है, जिनका विविध राष्ट्रीय उपयोगों तथा लकड़ी पर आधारित उद्योगों के लिए आवश्यक विविध प्रकार की कच्ची सामग्री के लिए आर्थिक और औद्योगिक महत्व होता है । राज्य योजनाओं के अन्तर्गत अनेक वनारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और मार्च, 1979 तक कुल लगभग 34 लाख हेक्टेयर भूमि में वृक्ष लगाये जा चुके हैं।

वन विकास निगम की स्थापना

देश में वन विकास के लिए आवश्यक बजट संबंधी और वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो गया है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार संस्थागत वित्त की व्यवस्था की जाए। अनेक राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में सत्रह स्वशासी वना विकास निगम अब तक स्थापित हो चुके हैं। इनका मुख्य कार्य लकड़ी के लट्ठे तैयार करना, इमारती लकड़ियों और गौण वन उत्पादों का विपणन, नये क्षेत्रों में वना रोपण और आर्थिक दृष्टि से सक्षम परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश के जरिए वन साधनों के उपयोग के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना है।

वन साधन सर्वेक्षण

देश के वन संसाधनों का अनुमान लगाने और समय-समय पर उन पर निगरानी रखने के लिए जून 1981 में "भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग" के नाम से एक संगठन की स्थापना की गई। यह 1965 में स्थापित वन संसाधन निवेश-पूर्व सर्वेक्षण नामक संगठन का संशोधित रूप है और इसके उद्देश्यों का भी विस्तार किया गया है।

शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण

वनों तथा वन-उत्पादों में अनुसंधान और वन संबंधी शिक्षा देने का मुख्य केन्द्र देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय है । इस संस्थान और सम्बद्ध कालेजों की ओर से अनुसंधान विकास योजनाओं पर काम हो रहा है।

वन कर्मचारियों को वन साधन प्रबन्ध के आधुनिक व्यावसायिक पहलू का प्रशिक्षण देने के लिए 1978 में स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से अहमदाबाद में एक वन प्रबन्ध संस्थान स्थापित किया गया।

आयोजन, परियोजना निर्माण, साधन जांच एवं मूल्यांकन

वन प्रभाग (कृषि विभाग) में अतिरिक्त वन महानिरीक्षक की अध्यक्षता में एक आयोजन, परियोजना निर्माण, साधन जांच एवं मूल्यांकन कक्ष स्थापित किया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य ये हैं : (1) सामाजिक वन कार्यक्रमों का मार्ग निर्देशन करना और स्थानीय लोगों को शामिल करने का उपयुक्त तरीका निकालना, (2) राज्य वन विकास निगमों के कार्यों में समन्वय करना, (3) राज्य वन विकास निगमों के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन करना और (4) वाह्य सहायता के लिए परियोजनाएं तैयार करना और उनके सम्बन्ध में बातचीत करना।

1980-81 के दौरान विदेशी सहायता की 26 परियोजनाएं तैयार हुईं, जिनमें 7 को अंतिम रूप दिया गया और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए समझौतों

पर हस्ताक्षर किए गए। इन सात परियोजनाओं के लिए लगभग 114 लाख डालर की विदेशी सहायता प्राप्त हुई। जिन योजनाओं की तैयारी हो रही है, उन पर 20 करोड़ डालर और खर्च होने का अनुमान है।

वन्य प्राणी संरक्षण

प्रधानमंत्री पहली बार वन्य प्राणी बोर्ड की अध्यक्ष बनी हैं, जिससे प्रकृति और वन्य जीवन के संरक्षण को नए सिरे से महत्व मिल गया है। 1980-81 में कुछ और राष्ट्रीय उद्यान और पशु-विहार बनाए गए। इनमें केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में मरुस्थली प्राणी विहार तथा गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर समुद्रीजीवों के राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

सामाजिक वृक्षारोपण

1980-81 से एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना "सामाजिक वृक्षारोपण" शुरू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत गांवों में ईंधन की लकड़ी के लिए पेड़ लगाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। चारे तथा ईंधन की लकड़ी के जल्दी बढ़ने वाले पेड़ लगाने के लिए देश के 101 ऐसे जिले चुने गए हैं जहां ईंधन की लकड़ी की सदा कमी रहती है। बच्चों में वृक्षारोपण के प्रति चेतना जागृत करने तथा उन्हें पौष्टिक फल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'प्रत्येक बच्चे के लिए एक पेड़' योजना पर भी अमल किया जा रहा है।

सिंचाई

सिंचाई

मानसून की अनिश्चितता के कारण भारत में कृषि की अनिश्चित स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय विकास योजनाओं में सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दी जाए। 1951 से 1980 के बीच 1,127 बड़ी और मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया था जिनमें से 506 पूरी हो गई हैं। 17 अन्य परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं और कई अन्य परियोजनाओं से आंशिक लाभ मिलना शुरू हो गया है। इनके अलावा, कई छोटी सिंचाई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा बहुत सी योजनाओं पर काम चल रहा है।

सिंचाई क्षमता का विकास और उपयोग

1951 से पहले देश में सभी साधनों से कुल सिंचित क्षेत्र 2.26 करोड़ हेक्टेयर था जिसमें से 97 लाख हेक्टेयर बड़ी और मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाओं और 1.29 करोड़ हेक्टेयर छोटी सिंचाई योजनाओं से सींचा गया था। 1979-80 के अंत तक कुल सिंचाई क्षमता बढ़कर 5.66 करोड़ हेक्टेयर हो गई जिसमें से 2.66 करोड़ हेक्टेयर की सिंचाई बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से तथा [redacted] करोड़ हेक्टेयर की सिंचाई छोटी योजनाओं से हुई। 1980-81 के दौरान 22 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता बनाई गई जिससे कुल क्षमता 5.88 करोड़ हेक्टेयर की हो गई। इस प्रकार योजना अवधि (1951-1981) के दौरान देश की सिंचाई क्षमता ढाई गुना गई। सारणी 15.10 में योजना के आरंभ से लेकर सिंचाई क्षमता के विकास और बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं के उपयोग का ब्यौरा दिया गया है।

(लाख हेक्टेयरों में)

सारणी 15.10
बड़ी और मझोली परियोजनाएं

विभिन्न योजनाओं में समग्र सिंचाई क्षमता का विकास

बड़ी और मझोली

	योजना-पूर्व	पहली योजना 1951-56	दूसरी योजना 1956-61	तीसरी योजना 1961-66
क्षमता	97	122	143	165
उपयोग	97	110	129	152

परियोजनाओं से

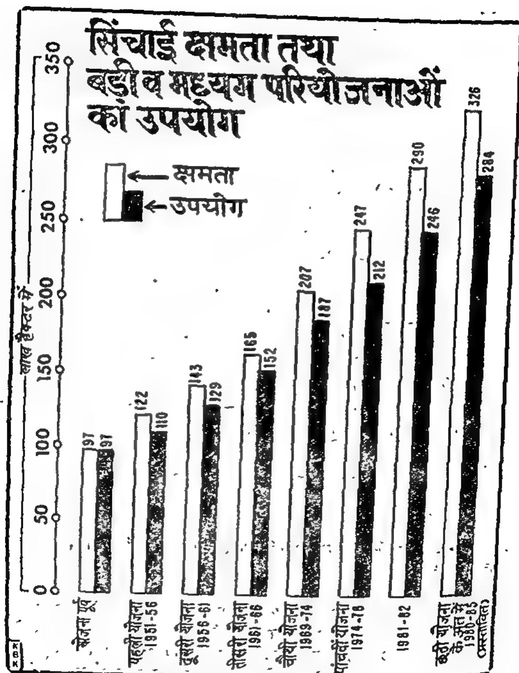
चौथी योजना 1969-74	पांचवी योजना 1974-78	वार्षिक योजनाएं 1978-80	1980-81	छठी योजना (1980-85) के लिए प्रस्तावित
207	247	266	275	326
187	212	226	232	284

सिंचाई और बहुद्देश्यीय परियोजनाएं

मुख्य सिंचाई और बहुद्देश्यीय परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश)

नागार्जुन सागर परियोजना के अन्तर्गत हैदराबाद से लगभग 144 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर नन्दीकोंडा गांव के निकट नदी के दोनों किनारों पर 3,414 मीटर लम्बे मिट्टी के पार्श्व बांध सहित 1,450 मीटर लम्बा पत्थरों का बांध तथा नदी के दोनों किनारों पर एक-एक नहर का निर्माण शामिल है। 204 किलोमीटर लम्बी दाईं नहर और 179 किलोमीटर लम्बी बाईं नहर से कुल 8.95 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। बांध का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा नहरों पर काम हो रहा है। जून 1981 तक इससे 6.49 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था हो गई थी, जबकि कुल सिंचाई क्षमता 8.95 लाख हक्टयर की है।



सिंचाई क्षमता तथा बड़ी व मध्यम परियोजनाओं का उपयोग
क्षमता
उपयोग
लाख हेक्टर में
0
50
100
150
200
250
300
350
योजना पूर्व
97
97
पहली योजना 1951-56
122
110
दूसरी योजना 1956-61
143
129
तीसरी योजना 1961-66
165
152
चौथी योजना 1969-74
207
187
पांचवीं योजना 1974-78
247
212
1981-82
290
246
छठी योजना के अंत में 1980-85 (प्रस्तावित)
326
284

तुंगभद्रा (आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों की साझी तुंगभद्रा परियोजना का तुंगभद्रा नदी पर 2,441 मीटर लम्बा और 49.38 मीटर ऊंचा बांध 1956 में तैयार हो गया था। नहरों और जल वितरण व्यवस्था का भी काम पूरा हो गया है। जून 1981 तक 4.97 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता में से कुल 3.22 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त हो चुकी थी।

पोचम्पाद (आंध्र प्रदेश) आंध्र प्रदेश की पोचम्पाद परियोजना के अधीन गोदावरी नदी पर 812 मीटर लम्बे तथा 43 मीटर ऊंचे पक्के बांध का निर्माण किया जाएगा। बांध के दाईं ओर 113 किलोमीटर लम्बी नहर होगी जो कि 2.24 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी। बांध और नहर दोनों पर कार्य हो रहा है। जून 1981 तक 1.53 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता हो गई थी।

गंडक (बिहार तथा उत्तर प्रदेश) इस परियोजना का काम उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य मिलकर कर रहे हैं। नेपाल को भी भारत से 1959 में हुए एक समझौते के अनुसार, इससे सिंचाई तथा बिजली की सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस परियोजना की सिंचाई क्षमता 14.58 लाख हेक्टेयर है।

740 मीटर लम्बे बराज का काम 1969-70 में पूरा हो गया। मुख्य पश्चिमी नहर दिसम्बर 1972 में खोल दी गई। मुख्य पूर्वी नहर से थोड़ी बहुत सिंचाई की जाने लगी है। नेपाल पूर्वी नहर का 1973 में उद्घाटन किया गया। इस परियोजना को छठी योजना तक पूरा किया जाना है। 1980-81 तक बिहार तथा उत्तर प्रदेश में 10.63 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की क्षमता हो चुकी थी।

कोसी (बिहार) बिहार की बहुउद्देश्यीय कोसी योजना से सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और अन्य लाभ मिलेंगे। परियोजना के लिए नेपाल और भारत में 1954 में करार हुआ था जिसका 1966 में संशोधन हुआ। इस योजना की सिंचाई क्षमता 4.34 लाख हेक्टेयर है। तटबन्ध 1959 में बन गए थे।

नेपाल में हनुमान नगर के पास बराज का 1965 में उद्घाटन हुआ। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली लगभग पूरी हो गई है, केवल वितरण और जल निकासी की व्यवस्था करनी है।

इस परियोजना के दूसरे चरण में चार और योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। ये हैं: 20 मेगावाट का बिजलीघर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर और तटबन्धों का विस्तार।

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अन्तर्गत, कोसी बराज, हनुमान नगर के दाएं तट से आरम्भ होकर 112.65 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर का निर्माण किया जाएगा। इस नहर का प्रारम्भिक 35.2 किलोमीटर का भाग नेपाल में है। परियोजना पूरी होने पर 3.14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। राजपुर नहर परियोजना के अधीन मुख्य पूर्वी नहर की एक शाखा के

रूप में नई नहर बनाई जाएगी जोकि 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी। सिंचाई की कुल अनुमानित क्षमता 8.73 लाख हेक्टेयर की है। 1980-81 तक इसमें से 4.73 लाख हेक्टेयर की क्षमता प्राप्त की जा चुकी थी।

सोन उच्चस्तरीय नहर (बिहार)

बिहार में सोन उच्च-स्तरीय नहर परियोजना को सोन बांध परियोजना के विस्तार के रूप में शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य सोन नदी से वर्तमान सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। इस परियोजना के पूरा होने पर 1.61 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। 1980-81 तक लगभग 1.60 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बनाई जा चुकी है।

काकड़ापार (गुजरात)

यह परियोजना गुजरात में ताप्ती घाटी के विकास का प्रथम चरण है। सूरत में काकड़ापार के निकट नदी तल से 14 मीटर ऊंचे और 621 मीटर लम्बे एक बांध का निर्माण कार्य 1963 में पूरा हो गया था। नहरों और सहायक नहरों का अधिकांश मिट्टी का काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 2.27 लाख हेक्टेयर जून 1980 तक बनायी जा चुकी है, ऐसा अनुमान है।

उकई (गुजरात)

गुजरात में उकई बहुद्देश्यीय परियोजना के अंतर्गत उकई गांव के निकट ताप्ती नदी पर 4,928 मीटर लम्बा और 68.6 मीटर ऊंचा एक बांध शामिल है। 1.53 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के साथ-साथ इस परियोजना के अंतर्गत 300 मेगावाट बिजली की क्षमता प्रस्तावित की गई है। उकई बांध और बिजलीघर पूरे हो गये हैं। 1979-80 के अन्त तक 1.53 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता स्थापित की जा चुकी थी।

मही (गुजरात)

गुजरात की मही परियोजना के दो चरण हैं। पहले चरण में वानकबोरी गांव के समीप मही नदी पर 20.6 मीटर ऊंचा और 796 मीटर लम्बा एक पक्का बांध बनाया जाएगा। इसकी दाईं ओर 74 किलोमीटर लम्बी नहर एक है, जिससे कुल 1.86 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

दूसरे चरण में 1,430 मीटर लम्बे तथा 58 मीटर ऊंचे मिले-जुले बांध का निर्माण कदाना के समीप मही नदी पर किया जाएगा, जो कि प्रथम चरण की भूमि के अतिरिक्त 89,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करेगा। कदाना में निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ गया है।

1979-80 तक 1.86 लाख हेक्टेयर की पूरी सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा चुकी थी।

साबरमती (गुजरात)

गुजरात में साबरमती जलाशय परियोजना में—(1) महसाना जिले के धारी गांव के निकट साबरमती नदी पर पानी इकट्ठा करने के लिए बांध बनाया जाएगा जिसमें दोनों किनारों पर, जलाशय से नहरों की व्यवस्था होगी; (2) अहमदाबाद के निकट वासना बांध बनाया जाएगा जहां से विद्यमान फतेवाड़ी नहरों को एक पोषक नहर जाएगी। इससे कुल 0.59 लाख हेक्टेयर की सिंचाई

क्षमता बनेगी। अनुमान है कि जून 1982 तक 0.31 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बन गई है।

पानम (गुजरात) गुजरात की पानम जलाशय परियोजना के अन्तर्गत पचमहल जिले में केल्देजार गांव के समीप पानम नदी पर एक मजबूत बांध बनाया जाएगा। इससे 0.53 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जा सकेगी और वांदो नगर तथा बड़ोदरा शहर के आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। 1980-81 में 0.20 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी।

करजन (गुजरात) गुजरात की करजन जलाशय परियोजना के अन्तर्गत भड़ौच जिले के नांदोड तालुका में जीतगढ गांव के निकट करजन नदी पर 885 मीटर लम्बा पत्थर का बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना से 0.72 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। 1980-81 सिंचाई क्षमता तैयार नहीं हो पाई थी।

भद्रा (कर्नाटक) भद्रा नदी की यह बहुद्देश्यीय परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो इससे लगभग 1.05 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी तथा 25 मेगावाट बिजली पैदा होगी। जून 1981 तक 1.01 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता स्थापित की जा चुकी थी।

ऊपरी कृष्णा (कर्नाटक) ऊपरी कृष्णा परियोजना के अन्तर्गत कृष्णा नदी पर नारायणपुर बांध तथा बाएं तट पर एक नहर और अलमती पर एक अन्य बांध बनाया जाएगा। परियोजना से लाभ मिलने शुरू हो गए हैं। 1978-79 तक 7,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता पैदा हो चुकी थी। इस परियोजना के अंतिम चरण की क्षमता 4.25 लाख हेक्टेयर की होगी।

घटप्रभा (कर्नाटक) घटप्रभा घाटी विकास परियोजना के अन्तर्गत, कर्नाटक के बेलगाम तथा बीजापुर जिलों में घटप्रभा नदी के जल को उपयोग में लाने की योजना है। इसे तीन चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव है। चरण-एक और चरण-दो पहले स्वीकृत हो चुके थे, तीसरे चरण को 1976 में स्वीकृति मिली।

प्रथम चरण में घटप्रभा नदी पर धूपदल में 2,085 मीटर लम्बा तथा 8 मीटर ऊंचा एक पत्थर का बांध बनाया जाना है, जिसके बाएं किनारे से 71 किलोमीटर लम्बी नहर भी निकाली जानी है।

दूसरे चरण में हिडकल पर 5,275 मीटर लम्बा और 50 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाना है तथा घटप्रभा के बाएं किनारे वाली नहर का 71 किलोमीटर से 114 किलोमीटर तक विस्तार किया जाना है। दूसरे चरण का काम पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में हिडकल बांध ऊंचा उठाया जाएगा और बांध के दाएं किनारे से 197 किलोमीटर लम्बी नहर निकाली जाएगी। सिंचाई की कुल 3.18 लाख हेक्टेयर क्षमता में से 1.47 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा चुकी है।

मलप्रभा (कर्नाटक) मलप्रभा परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक के बेलगाम जिले में मलप्रभा नदी पर 154.■ मीटर लम्बा और 44 मीटर ऊंचा पक्का बांध बनाया जाएगा और जलाशय के दोनों ओर से एक नहर निकाली जाएगी। इस परियोजना की कुल क्षमता 2.13 लाख हेक्टेयर की है, जिसमें से जून 1981 तक 1.16 लाख हेक्टेयर की क्षमता का विकास हो चुका था।

तवा (मध्यप्रदेश) तवा परियोजना के अन्तर्गत तवा नदी (नर्मदा की सहायक नदी) पर होशंगाबाद जिले में एक जलाशय बनाया जायेगा। यहां पर 1,627 मीटर लम्बा मिट्टी एवं पत्थरों का बांध बनाया जाएगा। यह काम पूरा हो जाने पर इस परियोजना से लगभग 3.33 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। परियोजना का निर्माण कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है और इससे लाभ मिलने शुरू हो गए हैं। लगभग 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की क्षमता अनुमानतः जून 1982 तक बनायी जा चुकी थी।

चम्बल (मध्य प्रदेश तथा राजस्थान) मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई गई इस परियोजना के पहले चरण में गांधी सागर बांध और उसके 115 मेगावाट शक्ति वाले बिजलीघर तथा कोटा बराज का निर्माण कार्य पूरा किया गया। परियोजना के दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध, जिसमें 172 मेगावाट की क्षमता वाले बिजलीघर का निर्माण भी शामिल था, पूरा किया गया। तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध और 99 मेगावाट शक्ति वाला बिजलीघर बनेगा। तीनों चरण पूरे हो जाने पर 386 मेगावाट बिजली मिलेगी। 5.15 लाख हेक्टेयर की कुल प्रस्तावित क्षमता में से 1979-80 तक 4.89 लाख हेक्टेयर की क्षमता पैदा की जा चुकी थी।

महानदी जलाशय परियोजना (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश की महानदी जलाशय परियोजना के तीन चरण हैं। पहले चरण में रविशंकर सागर परियोजना और पोषक नहर बनाई जाएगी जिससे भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी दिया जाएगा। साथ ही संदुर नदी पर संदुर बांध और उसकी पोषक नहर बनाई जाएगी, दूसरे चरण में महानदी पोषक नहर का विस्तार किया जाएगा और 40 हेक्टेयर तक जल का वितरण और मुख्य नहरों तथा सहायक नहरों की 'लाईनिंग' करने, अमनपुर लिफ्ट नहर प्रणाली को बनाने और महानदी मुख्य नहर प्रणाली की सहायक नहर सं० 2 के विस्तार का कार्य किया जाएगा। चरण एक और चरण-दो निर्माणाधीन हैं। अनुमान है कि 3.40 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता में से जून, 1982 तक 0.477 लाख हेक्टेयर की क्षमता बन गई है। चरण तीन छठी योजना की एक नई स्कीम है जिसमे पैरी बांध का निर्माण शामिल है।

हसदेव बांगो (मध्य प्रदेश) मध्यप्रदेश की हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना काम्पलैक्स के तीसरे चरण के रूप में है। पहले और दूसरे चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण में हसदेव नदी पर वर्तमान बांध (बराज) से 45 किलोमीटर ऊपर की

और 85 मीटर ऊंचे पत्थर के बांध का निर्माण किया जाएगा जिससे हसदेव नदी के एकत्रित पानी का उपयोग किया जा सकेगा और विद्युत का उत्पादन करने तथा बड़े ताप बिजली घरों को और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की सप्लाई करने के अलावा प्रतिवर्ष 3.28 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी।

बार्गी परियोजना (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश की बार्गी परियोजना में (1) जबलपुर जिले में बार्गी नदी पर पत्थर के बांध का निर्माण और (2) बाएं किनारे की 135 कि०मी० नहर का निर्माण शामिल है। यह एक बहूद्देश्यीय परियोजना है जिससे जबलपुर नगर को सिंचाई जलविद्युत् और पानी की सप्लाई की जाएगी, पूरा होने पर इससे 2 45 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

भीमा (महाराष्ट्र) भीमा परियोजना के अन्तर्गत दो बांध बनाए जाएंगे। एक पुणे जिले में फागणी के निकट पवना नदी पर और दूसरा शोलापुर जिले में उज्जैनी के निकट कृष्णा नदी पर। पवना बांध 1,319 मीटर लम्बा तथा 42 मीटर ऊंचा तथा उज्जैनी बांध, 2,467 मीटर लम्बा तथा 56.4 मीटर ऊंचा होगा। पवना बांध का काम पूरा हो चुका है और उज्जैनी बांध पूरा होने वाला है। बाएं किनारे से 139 किलोमीटर लम्बी नहर निकाली जाएगी। इस परियोजना से 1.62 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी। अनुमानतः 1980-81 तक 43,600 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की क्षमता प्राप्त की जा चुकी थी।

जायकवाड़ी (महाराष्ट्र) इस परियोजना के प्रथम चरण में 37 मीटर ऊंचा मिट्टी का पक्की ढाल वाला बांध गोदावरी नदी पर बनाया जाएगा। इसके बाएं छोर से 240 किलोमीटर लम्बी नहर निकाली जाएगी जो कि 1.42 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी। परियोजना के अन्तर्गत दाईं ओर 133 किलोमीटर लम्बी नहर बनाई जाएगी। दाईं ओर मजालगांव में सिंदफाना नदी पर 30.5 मीटर ऊंचा तथा 6,090 मीटर लम्बा बांध बनेगा और मजालगांव बांध के दायें किनारे से एक नहर निकाली जाएगी। दूसरा चरण पूरा होने पर 1.36 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। 2.78 लाख हेक्टेयर की कुल क्षमता में से, 1979-80 के अन्त तक 1,00,700 हेक्टेयर की क्षमता प्राप्त की जा चुकी थी।

कुकाडी परियोजना (महाराष्ट्र) महाराष्ट्र की कुकाडी परियोजना में पानी इकट्ठा करने वाले पांच पृथक बांधों का निर्माण शामिल है। इनके नाम हैं—योदगांव मानिकदोही, डिम्भा, वदाज और पिम्पलगांव जोग। नहर प्रणाली में ये शामिल हैं : (1) कुकाडी बाएं किनारे की नहर 253 कि०मी०, डिम्भा, बाएं किनारे की नहर 55 कि०मी०, डिम्भा, दाहिने किनारे की नहर 72 कि०मी०, मीना पोषक नहर 14 कि०मी०, नीना ब्रांच 40 कि०मी०। 1.56 लाख हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता में से 1980-81 तक 0.14 लाख हेक्टेयर क्षमता बनाई जा चुकी है।

कृष्णा परियोजना (महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र की कृष्णा परियोजना में घोम गांव के निकट कृष्णा नदी पर बं बाध और कन्हार गांव के निकट सतारा जिले में वानना नदी पर कन्हार ब का निर्माण शामिल है। इनसे 1.12 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। 1980-81 के अंत तक 0.48 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बनाई ज चुकी है।

अपर पेनगंगा (महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र की अपर पेनगंगा परियोजना में पेनगंगा नदी पर दो जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। एक जन्तवाल जिले के ईसापुर में और दूसरा परभनी जिले के सापली में। नहरों की कुल लंबाई 366 कि०मी० है। इस परियोजना मे 1 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।

हीराकुड (उड़ीसा)

4,801.2 मीटर लम्बा हीराकुड बांध संसार का सबसे लम्बा बांध है। यह महानदी के 810 करोड़ घनमीटर पानी को रोकता है। इस परियोजना से 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता 270.2 मेगावाट बिजली उत्पादन की है।

महानदी डेल्टा योजना (उड़ीसा)

महानदी डेल्टा सिंचाई योजना का निर्माण हीराकुड जलाशय से मिलने वाले पानी के उपयोग के लिए किया जा रहा है। अनुमान है कि जून 1982 तक 5.62 लाख हेक्टेयर की पूरी सिंचाई क्षमता प्राप्त हो चुकी थी।

भाखड़ा नंगल (पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान)

पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली यह देश की अब तक की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है, जिसको पूरा करने में 236 करोड़ रुपये व्यय हुए। परियोजना में सतलुज नदी पर 518 मीटर लम्बा और 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध, 29 मीटर ऊंचा नंगल बांध, 64 किलोमीटर लम्बी नंगल पनबिजली नहर, भाखड़ा बांध पर दो बिजलीघर, 1,204 मेगावाट की क्षमता वाले गंगवाल और कोटला के स्थानों पर इसी नहर पर दो और बिजलीघर, लगभग, 1,100 किलोमीटर लम्बी नहरों और 3,400 किलोमीटर से अधिक लम्बी सहायक नहरों का निर्माण कार्य सम्मिलित है। भाखड़ा बांध जलाशय की संग्रहण क्षमता 986.8 करोड़ घन मीटर है। इसकी नहरों से 14.6 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है।

व्यास (पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान)

व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की एक और संयुक्त परियोजना है। इसमें (1) व्यास सतलुज लिंक, (2). पोंग में व्यास बांध और (3) व्यास पारेषण व्यवस्था शामिल हैं। इस पारेषण लाइन परियोजना को शामिल करके व्यास परियोजना की अनुमानित लागत 715 करोड़ रुपये है।

व्यास सतलुज लिंक परियोजना मुख्यतः एक बिजली परियोजना है, जिसकी स्थापित क्षमता 660 मेगावाट है। इसमें दो विस्तार यूनिटों की भी व्यवस्था है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 165 मेगावाट होगी। निर्माण कार्य और सं

एक व्यवस्था, जिसमें पण्डो का मोड़ बांध भी शामिल है, काफी हद तक पूरे कर लिए गए हैं। पहला एकक अक्तूबर, 1977 में चालू किया गया, जब व्यास नदी का पानी सलाप्पड़ (हिमाचल प्रदेश) में सतलुज नदी में छोड़ा गया। चारों एकक चालू किए जा चुके हैं और विस्तार एकक का भी काम शुरू किया जा चुका है।

थीन बांध (पंजाब) थीन बांध परियोजना पर 689 करोड़ रु० व्यय होगा। इसके अन्तर्गत पंजाब में रावी नदी पर 147 मीटर ऊंचा मिट्टी का बांध बनाया जाएगा तथा उसके बाएं तट पर 480 मेगावाट की क्षमता का एक बिजलीघर बनाया जाएगा। इसमें यू० बी० डी० सी० हाईडल परियोजना चरण-2 भी शामिल है, जिससे 45 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। बांध के पीछे जो जलाशय बनेगा, उसका क्षेत्रफल लगभग 81.6 वर्ग किलोमीटर होगा और उसकी वास्तविक संग्रहण क्षमता 1.9 एम० ए० एफ० होगी। इससे 3.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होने की आशा है। 1980-81 तक 35.38 करोड़ रु० खर्च किये जा चुके थे।

राजस्थान नहर (राजस्थान) राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को, जो थार रेगिस्तान का एक भाग है, सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के लिए पानी पोंग बांध से लिया जाएगा। इसके दो भाग हैं: 204 किलोमीटर लम्बी राजस्थान सहायक नहर (जिसका 167 किलोमीटर पहला भाग पंजाब और हरियाणा में पड़ता है और शेष 37 किलोमीटर भाग राजस्थान में है) और 445 किलोमीटर लम्बी राजस्थान मुख्य नहर, जो पूरी राजस्थान में ही है।

परियोजना के पहले चरण में सहायक नहर को पूरा करना तथा 180 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर और 3,000 कि० मी० लम्बी शाखा प्रणाली को बनाना है। सहायक नहर और मुख्य नहर पूरी हो चुकी है।

दूसरे चरण में शेष 256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर और 3,500 कि० मी० लम्बी शाखा प्रणाली के निर्माण का काम आता है। दूसरा चरण भी प्रारम्भ हो गया है और 1985-86 तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर लगभग 12.58 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। मार्च 1980 तक 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई कमान के अन्तर्गत लायी जा चुकी थी। 1981 तक इसमें 3.60 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी हुई थी।

परम्बिकुलम अलियार (तमिलनाडु तथा केरल) यह परियोजना तमिलनाडु और केरल राज्यों का संयुक्त प्रयास है। इस परियोजना के अंतर्गत आठ नदियों—अन्नामलाई पर्वत की छह और मैदानी इलाकों की दो का सम्मिलित रूप में उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 1.01 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और 185 मेगावाट बिजली मिलेगी। जून 1982 तक 94,740 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता पैदा की जा चुकी थी।

पेरियार वेगाई प्रणाली में सुधार (पेरियार का आधुनिकीकरण (तमिलनाडु)	तमिलनाडु की इस परियोजना में : (1) जल एकत्र करने वाले एक बांध (विर) का निर्माण ; (2) सम्पर्क नहर का निर्माण और (3) मुख्य नहरों, शाखाओं और सप्लाई चैनलों और टैंकों की वितरक नहरों की लाइनिंग करना शामिल है। जल ग्रहण क्षेत्र का कार्य पूरा हो चुका है। तिरुमंगलम मुख्य नहर की शाखा वितरक नहर को अन्दर से पक्का बनाने का कार्य पूरा हो गया है। दूसरी नहरों पर यह कार्य अभी चल रहा है। इस योजना की कुल क्षमता 10.31 हजार हेक्टेयर है।
शारदा सहायक (उत्तर प्रदेश)	इस परियोजना के अन्तर्गत ये कार्य हैं:—(1) घाघरा नदी के ऊपर 1,003 मीटर लम्बा बांध, (2) 28 किलोमीटर लम्बी सम्पर्क नहर, (3) शारदा नदी पर 811 मीटर लम्बा बांध, (4) 260 किलोमीटर लम्बी फीडर नहर, जिसमें गोमती तथा सई के ऊपर दो बड़े जल-सेतुओं का निर्माण शामिल है और (5) 6,450 किलोमीटर लम्बी वितरण प्रणाली का पुनर्निर्माण तथा 2,570 किलोमीटर लम्बी नई नहरों का निर्माण कार्य, पांच चरणों में पूरा हो रहा है। प्रथम और दूसरा चरण पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है। 1981-82 के अन्त तक कुल 15.82 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता से 14.56 लाख हेक्टेयर क्षमता उत्पन्न की जा चुकी थी, ऐसा अनुमान है।
रामगंगा (उत्तर प्रदेश)	गंगा की एक मुख्य सहायक नदी रामगंगा पर गढ़वाल जिले में 62[illegible] मीटर लम्बा और 127.5 मीटर ऊंचा मिट्टी और पत्थरों से बना बांध और 7[illegible] मीटर ऊंचा एक दूसरा काठीनुमा बांध बनाया जा रहा है। इस परियोजना से 5.91 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 198 मेगावाट होगी। इससे दिल्ली जल प्रदाय व्यवस्था को 200 क्यूसेक पानी मिलेगा तथा मध्य एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप भी कम होगा। परियोजना लगभग पूरी होने को है। बांध जून, 1974 में पूरा हो चुका था। 1979-80 के अन्त तक 5.91 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता पैदा की जा चुकी थी।
घाघरा नदी के बाएं किनारे की नहर (उ० प्र०)	इस परियोजना में 360 क्यूसेक क्षमता की एक सम्पर्क नहर का निर्माण किया जाएगा जो गिरिजा बराज से घाघरा नदी के बाएं किनारे से निकलेगी और सरयू नदी में मिलेगी। सरयू नदी पर भी एक बराज बनाया जाएगा जहां से 360 क्यूसेक क्षमता की सरयू की मुख्य नहर निकलेगी। मार्च 1981 के अन्त तक सरयू बराज, सरयू मुख्य नहर और सरयू सम्पर्क नहर पर लगभग 92 लाख मीटर मिट्टी का काम पूरा हो चुका है। सरयू बराज के अन्य निर्माण कार्यों पर भी काम चल रहा है। इस परियोजना की क्षमता 14 लाख हेक्टेयर है।
टेहरी बांध (उत्तर प्रदेश)	उत्तरप्रदेश की टेहरी बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के टेहरी जिले में भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर ऊंचा मिट्टी और पत्थरों की भराई वाला बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 6.7 लाख हेक्टेयर है।

मध्य गंगा नहर (उत्तर प्रदेश) उत्तरप्रदेश की मध्यगंगा नहर परियोजना में बिजनौर जिले में गंगा नदी पर एक बराज का निर्माण किया जाएगा और दाहिने किनारे से 115 कि०मी० लम्बी एक नहर निकाली जाएगी जो ऊपरी गंगा नहर और उसकी शाखाओं से आने वाले पानी के साथ मिलेगी। इस पर कार्य चल रहा है। इस योजना की के सिंचाई क्षेत्र में 178 हजार हेक्टयर भूमि होगी।

फरक्का (पश्चिम बंगाल) यह परियोजना कलकत्ता बन्दरगाह की सुरक्षा और स्थायित्व और हुगली में भी परिवहन के सुधार के लिए बनाई गई थी। इस परियोजना में भागीरथी के ऊपर जंगीपुर के पास दूसरा बांध और 39 किलोमीटर लम्बी सहायक नहर, जो फरक्का के पास गंगा के दाहिने किनारे से निकल कर जंगीपुर बराज के नीचे भागीरथी में मिलेगी, तथा रेल और सड़क यातायात के लिए फरक्का बराज के ऊपर का पुल सम्मिलित हैं।

निर्माण कार्य 1963-64 में शुरू किया गया था। दोनों बांध और रेल तथा सड़क पुल पूरे हो चुके हैं। 18 अप्रैल, 1975 को हुए भारत-बंगला देश करार के अनुसार यह परियोजना 21 अप्रैल, 1975 को चालू की गई। नौपरिवहन सम्बन्धी निर्माण कार्य अभी हो रहा है।

मयूराक्षी (पश्चिम बंगाल) इस परियोजना में 640 मीटर लम्बा और 47.24 मीटर ऊंचा मसानजोर बांध शामिल है और इससे लगभग 2.51 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। इसके जल विद्युत संयंत्र से 4 मेगावाट बिजली मिलती है। यह परियोजना वस्तुतः पूरी हो गई है। 1980-81 के अन्त तक 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की क्षमता प्राप्त की जा चुकी थी।

कंगसावती (पश्चिम बंगाल) इस परियोजना के अन्तर्गत कंगसावती और कुमारी नदियों पर मध्यवर्ती बांधों से जुड़े हुए मिट्टी के बांध बनाए जाएंगे। इसका नहर तन्त्र सिलाबटी; भैरो बांकी और तेराफेनी नदियों से गुजरेगा, जिन पर जल एकत्र करने वाले तीन बराज बनाए जाएंगे। इस परियोजना से 4.02 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ पहुंचेगा। 1980-81 तक लगभग 3.68 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा चुकी थी।

दामोदर घाटी परियोजना (पश्चिम बंगाल तथा बिहार) पश्चिम बंगाल तथा बिहार में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा बिजली के समन्वित विकास के लिए दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी। इस परियोजना का प्रशासन दामोदर घाटी निगम करता है, जो 1948 में गठित किया गया था। निगम ने तिलया, कोनार, माइथान तथा पचेट नामक स्थानों पर बहुद्देश्यीय बांध और पन-बिजलीघर बनाए हैं। दुर्गापुर में 672 किलोमीटर लम्बा और 11.58 किलोमीटर ऊंचा बराज तथा 2,495 किलोमीटर सिंचाई वाली लम्बी नहरें भी बन चुकी हैं। बोकारो, चन्द्रपुरा तथा दुर्गापुर में तीन ताप बिजलीघर भी चालू किए जा चुके हैं। इस परियोजना से लगभग 5.15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती है। विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 1,181 मेगावाट है, जिसमें से 1,077 मेगावाट तापीय और 104 मेगावाट जल विद्युत है। 1981-82 के अन्त तक 4.75 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा चुकी थी।

बाढ़ नियंत्रण

1954 की अति भीषण बाढ़ के बाद यह आवश्यक समझा गया कि बाढ़ नियंत्रण के प्रयासों को सुनियोजित कार्यक्रम के आधार पर तेज किया जाए। तदनुसार 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया गया। कार्यक्रम को तीन भागों में बांटा गया : तात्कालिक, लघुअवधि और दीर्घावधि। तत्कालीन कार्यक्रम तेजी से आंकड़े संकलित करने और बाढ़ नियंत्रण के तत्काल उपाय करने के लिए था। लघुअवधि कार्यक्रम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ चला और वह तटबन्धों के निर्माण, कुछ कस्बों की रक्षा, ग्रामों को ऊंचा उठाने आदि के लिए था। दीर्घावधि कार्यक्रम जलाशयों का निर्माण करके पहले किए गए कामों के लाभों को स्थिरता प्रदान करने तथा तटबन्ध-निर्माण और नदी जल निकासी आदि कामों के लिये था।

बाढ़ नियंत्रण निकाय

राज्य स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्डों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की जांच करती है। ये बोर्ड राज्य स्तर पर नीतियां भी निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी योजनाओं की जांच केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा की जाती है और फिर योजना आयोग उनको अपनी स्वीकृति देता है। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी की बाढ़ की समस्या की विशालता और जटिलता को देखते हुए 31 दिसम्बर, 1981 को भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया। बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्य हैं—ब्रह्मपुत्र घाटी में सर्वेक्षण और जांच करना तथा बाढ़ों पर नियंत्रण करने, तट के कटाव को रोकने और जल निकासी की व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक वृहद योजना तैयार करना।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा जुलाई 1976 में की गई और आयोग ने मार्च 1980 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें 207 सिफारिशें की गई थीं। सरकार द्वारा गठित विशेष अन्तर-मंत्रालय समितियों ने आयोग की सिफारिशों पर विस्तार से विचार किया। इन समितियों ने राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी किया। दो समितियों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभागों द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए सितम्बर 1981 में मार्गदर्शी सिद्धान्त और अनुदेश तैयार किए।

बाढ़ नियंत्रण की प्रगति

1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के शुरू होने से अब तक लगभग 12,265 किलोमीटर तटबन्ध, 12,809 किलोमीटर जल निकासी नहरें, 304 नगर बचाव योजनाएं और 4,700 गांवों के तल उठाने सम्बन्धी योजनाएं मार्च, 1981 के अन्त तक पूरी की जा चुकी थीं। ये कार्य 11,37.97 करोड़ रुपये से पूरे किए गए और इनसे लगभग 1,157 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की उचित रक्षा हुई। इसके अलावा, अनेक जलाशय परियोजनाएं पूरी की गईं जिनसे नदियों की बाढ़ समस्या को सुलझाने में सहायता मिली है।

इनमें से प्रमुख हैं-महानदी पर हीराकुड बांध, दामोदर नदी पर कोनार, माइथान पंचेट और तिलैया बांध, सतलुज नदी पर भाखडा बांध, ब्यास नदी पर पोंग बांध और तापी नदी पर उकई बांध। केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने के लिए बाढ़ पूर्व-सूचना संगठन स्थापित किया है जिससे बचाव कार्य करने वाले अभिकरणों को सचेत किया जा सके ताकि वे संगठित हो जाएं और बाढ़ से बचाव और उससे सम्बद्ध रख-रखाव संगठनों के काम में तेजी लाई जा सके और बाढ से निपटने का काम संकट स्तर पर निपटाया जा सके। केन्द्रीय बाढ़ पूर्व-सूचना संगठन का मुख्यालय पटना में है और गुवाहाटी, माईथान और दिल्ली में इसके तीन केन्द्र हैं तथा डिब्रूगढ, गुवाहाटी, जलपाईगुड़ी, आसनसोल, पटना, लखनऊ, झांसी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, दिल्ली, गांधीनगर और सूरत में मण्डल कार्यालय हैं। इन मण्डलों के अधीन नियंत्रण कक्ष द्वारा जारी की गई पूर्व सूचनाएं जनता के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

छठी योजना (1980-85) में बाढ़ नियंत्रण के लिये 1045.10 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है, जबकि पूर्ववर्ती योजनाओं मे यह परिव्यय 976 करोड़ रुपये का था। 1978–79 में वास्तविक व्यय 171.98 करोड़ रु० था। 1980–81 में अनुमानित व्यय 162.5 करोड़ रु० था। पांचवी योजना के चार वर्षों में अनुमानतः 19 लाख हेक्टेयर और मार्च, 1981 तक 1.157 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से बचाया गया।

1981 की बाढ़ सम्बन्धी स्थिति

1981 की वर्षा ऋतु मे देश के अनेक भागों मे भारी वर्षा हुई। राजस्थान के जयपुर नगर में 18 से 20 जुलाई, 1981 के बीच अभूतपूर्व वर्षा हुई। वहा 82 सें०मी० वर्षा हुई जबकि वार्षिक औसत 59.8 सें०मी० है। इस अभूतपूर्व वर्षा के कारण जयपुर नगर और आसपास के इलाकों में भारी क्षति हुई। बम्बई और उसके उपनगरों में 23 सितम्बर 1981 को बहुत भारी वर्षा हुई। एक ही दिन मे 32 सें०मी० वर्षा हुई। अन्य बहुत से स्थानों पर भी भारी वर्षा हुई। परिणामतः राजस्थान के जयपुर, पूर्वी उत्तर-प्रदेश और असम में भारी बाढ़ आई। गुजरात, बिहार, केरल, कर्नाटक के राज्यों में बाढ से क्षति हुई। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोआ, दमन और दीव में भी बाढ़ के कारण क्षति हुई किन्तु इनमे क्षति अपेक्षा-कृत कम हुई। वर्ष के दौरान बाढ़ के कारण देश में 1,132.4 करोड रुपये की क्षति बतायी गई जबकि इससे पूर्व सबसे अधिक क्षति 1978 में 1,454.8 करोड़ रुपये की हुई थी।

समुद्र से होने वाले भूक्षरण को रोकना

समुद्र से लगने वाले सभी सात राज्यों में समुद्र से होने वाले भू-क्षरण की समस्या अलग-अलग मात्रा मे विद्यमान है। किन्तु केरल के 560 कि०मी० लम्बे समुद्र तट के लगभग 320 कि०मी० भाग मे यह समस्या बहुत गंभीर है। पहली योजना से ही बचाव के उपाय किए जाते रहे हैं, और 1980-81 तक 49.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 253 कि०मी० लम्बा समुद्र तट सुरक्षित किया जा चुका है। केन्द्र सरकार ने समुद्र से होने वाले भूक्षरण को बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए केरल सरकार को 21.96 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी है।

"फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे और [illegible] में भारत और बांग्लादेश के बीच नवम्बर 1977 में हुए [illegible] भारत और बांग्लादेश द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की [illegible] तथा शुष्क मौसम में गंगा के पानी के बहाव को [illegible] और व्यवहार्य योजना की सिफारिश करने का [illegible] वर्षों में पूरा किया जाना था, किन्तु बांग्लादेश की [illegible] गई स्थिति के कारण यह काम नहीं हो सका। [illegible] बंटवारा 1978 से 1982 तक प्रत्येक वर्ष [illegible] के अनुरूप काफी संतोषजनक ढंग से हुआ है। इस [illegible] 1982 तक है।

इस समझौते में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों [illegible] चालन, प्रभाव, क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा [illegible] पहली समीक्षा जो नवम्बर 1980 में शुरू हुई थी [illegible] हुई। इस समझौते की दूसरी और अंतिम समीक्षा इसकी [illegible] पूर्व अथवा दोनों सरकारों की सम्मति के अनुसार की जानी है।

हंगरी से सहयोग

भारत-हंगरी संयुक्त आयोग के सिंचाई के बारे में संयुक्त [illegible] बैठक 14 नवम्बर, 1980 को हुई जिसमें कार्यदल की [illegible] पर हुई कारंवाई की समीक्षा की गई। बैठक में इस बात [illegible] कि जिन निर्णयों पर अभी अमल नहीं हुआ है, उन्हें [illegible]

वहां की बाढ़ समस्याओं, बाढ़ से निपटने के तरीकों, [illegible] देने वाले संगठन और उपकरणों का अध्ययन करने तथा [illegible] भारत की खासकर दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुरूप [illegible] का पता लगाने के लिए तीन सदस्यों का एक भारतीय [illegible] गया।

सोवियत संघ से सहयोग

भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक व्यापारिक, [illegible] सहयोग के दीर्घकालिक कार्यक्रम, जिसपर मार्च, 1979 [illegible] तथा दोनों देशों के बीच 10 दिसम्बर, 1980 को हुए [illegible] के समझौते के अनुसरण में गुजरात सरकार और [illegible] बीच 3 दिसम्बर, 1981 को एक संविदा पर [illegible] नहरों के अन्दर की ओर लगाए जाने वाले [illegible] प्रिकेटेड हिस्सों के उत्पादन का कारखाना स्थापित करने [illegible] रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया। इस [illegible] योजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने [illegible] को तकनीकी सहायता देने के बारे में विचार करने के लिए [illegible] एक दल मार्च-अप्रैल 1982 में भारत आया।

हिमाचल प्रदेश में "हाइड्रोलिक [illegible]" [illegible] प्रयोगात्मक बांध और नहर के निर्माण के बारे में [illegible]

करने के लिए केन्द्रीय सरकार और सोवियत संघ के बीच 31 दिसम्बर, 1981 को को एक संविदा पर हस्ताक्षर हुए। इस संविदा के अनुसार पांच सोवियत विशेषज्ञों का एक दल फरवरी 1981 और अप्रैल 1982 के दौरान भारत आया और इस संबंध में उसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट और सुझाव दिए, हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में भराड़ी घट नामक स्थान को प्रयोगात्मक बांध के लिए चुना गया है।

भारत के सिंचाई मंत्री के आमंत्रण पर सोवियत संघ के भूमि कृषिकरण और जलप्रबंध मंत्री दो सोवियत विशेषज्ञों के साथ मार्च, 1982 में भारत आए और उन्होंने सिंचाई मंत्री, सिंचाई राज्य मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। सोवियत संघ के भूमि कृषिकरण और जल प्रबंध मंत्रालय के प्रतिनिधियों और भारत गणराज्य के सिंचाई मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच 26 मार्च, 1982 को बातचीत के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों ने सिंचाई और जलप्रबंध के क्षेत्र में और सहयोग का कार्यक्रम निर्दिष्ट किया।

“फरक्का मे गंगा के पानी के बंटवारे और उसका वहाव तेज करने” के बारे मे भारत और बांग्लादेश के बीच नवम्बर 1977 में हुए समझौते के अनुसार भारत और बांग्लादेश द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की जांच और अध्ययन करने तथा शुष्क मौसम में गंगा के पानी के वहाव को तेज करने के लिए किफायती और व्यवहार्य योजना की सिफारिश करने का काम सौपा गया था जिसे तीन वर्षों मे पूरा किया जाना था, किन्तु बांग्लादेश की ओर से आयोग मे अपनाई गई स्थिति के कारण यह काम नही हो सका। फरक्का मे गंगा के पानी का बटवारा 1978 से 1982 तक प्रत्येक वर्ष जनवरी और मई के बीच समझौते के अनुरूप काफी सतोषजनक ढंग से हुआ है। इस समझौते की अवधि-नवम्बर 1982 तक है।

इस समझौते मे अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों व्यवस्थाओ के कार्य-चालन, प्रभाव, क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा किए जाने की व्यवस्था है पहली समीक्षा जो नवम्बर 1980 में शुरू हुई थी अप्रैल, 1981 में पूरी हुई। इस समझौते की दूसरी और अंतिम समीक्षा इसकी समाप्ति से छः महीने पूर्व अथवा दोनों सरकारों की सम्मति के अनुसार की जानी है।

हंगरी से सहयोग

भारत-हंगरी संयुक्त आयोग के सिचाई के बारे में संयुक्त कार्य दल की चौथी बैठक 14 नवम्बर, 1980 को हुई जिसमे कार्यदल की पिछली बैठकों के फैसलों पर हुई कारंवाई की समीक्षा की गई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जिन निर्णयों पर अभी अमल नहीं हुआ है, उन्हें क्रियान्वित किया जाए।

वहां की बाढ़ समस्याओं, बाढ़ से निपटने के तरीकों, बाढ़ की पूर्व सूचना देने वाले संगठन और उपकरणों का अध्ययन करने तथा उनके तरीकों को भारत की खासकर दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए तीन सदस्यों का एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल हंगरी गया।

सोवियत संघ से सहयोग

भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के दीर्घकालिक कार्यक्रम, जिसपर मार्च, 1979 में हस्ताक्षर हुए तथा दोनो देशों के बीच 10 दिसम्बर, 1980 को हुए आर्थिक-तकनीकी सहयोग के समझौते के अनुसरण में गुजरात सरकार और सोवियत सघ की सरकार के बीच 3 दिसम्बर, 1981 को एक संविदा पर हस्ताक्षर हुए जो गुजरात मे नहरो के अन्दर की ओर लगाए जाने वाले ढांचे तैयार करने के लिए प्रीफैब्रिकेटेड हिस्सों के उत्पादन का कारखाना स्थापित करने के बारे मे व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया। इस संविदा के अनुसार उपर्युक्त परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में राज्य सिचाई प्राधिकरणो को तकनीकी सहायता देने के बारे में विचार करने के लिए सोवियत विशेषज्ञो का एक दल मार्च-अप्रैल 1982 में भारत आया।

हिमाचल प्रदेश में “डाइरेक्शनल ब्लास्टिंग” तकनीक का प्रयोग करके प्रयोगात्मक बाध और नहर के निर्माण के बारे में पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार

विस्तार

स० ग्रा० वि० का० शुरू में देश के 2,300 विकास खंडों में लागू किया था और प्रति वर्ष 300 नए खंडों को इसके अंतर्गत लाया जा रहा था। गांवों ... और बेरोजगारी की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए नीति संबंधी एक ... निर्णय यह किया गया कि 2 अक्तूबर 1980 से सभी 5,011 वि... खंडों में रहने वाले लक्ष्य-समूहों के परिवारों को इस कार्यक्रम द्वारा ... लाभ प्राप्त हो सकें। 2 अक्तूबर, 1980 से ही कुछ चुने हुए क्षेत्रों में चल रहे ... कृषक विकास अभिकरण (ल० कृ० वि० अ०) कार्यक्रम को भी स० ग्रा० वि० का० में मिला दिया गया है।

वित्तीय बंटवारा

स०ग्रा०वि० का० का देश के सभी खंडों में विस्तार हो जाने के साथ इसके अन्तर्गत किए जाने वाले वित्तीय बंटवारे को भी अधिक युक्ति संगत बना दिया गया है। पहले अलग-अलग खंडों के लिए अलग-अलग वित्तीय राशियां नियत की जाती थीं जो दो लाख रु० प्रति खंड से लेकर दस लाख रु० प्रति खंड तक होती थीं। 1980–81 से छठे योजना काल के दौरान सभी खंडों को प्रति खंड 35 लाख रु० की एक समान राशि दिए जाने की बात तय हुई है। यह राशि बराबरी के आधार पर केन्द्र और राज्यों को देनी होगी।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 150 लाख परिवारों को सहायता दी जाएगी। पांच वर्षों की इस पूरी अवधि में प्रत्येक खंड में कम से कम 3,000 परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जाएगी।

वित्तीय सहायता

स० ग्रा० वि० का० नाना प्रकार के अनेक आर्थिक कार्यकलापों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें वस्तुगत मानदंडों के आधार पर लाभान्वित किए जाने वाले व्यक्तियों का पता लगाने पर ध्यान दिया जाता है और इसे कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों के द्वारा समुचित पूछताछ करके किया जाता है। अभी प्रतिवर्ष प्रत्येक खंड के अन्दर कम से कम 600 परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से लगभग 400 परिवार कृषि और तत्संबंधी कार्यों के द्वारा लाभान्वित होंगे। लगभग 100 परिवार ग्राम और कुटीर उद्योगों के द्वारा और 100 अन्य परिवार सेवा-क्षेत्र में सहायता प्राप्त करेंगे। यह अनुपात अलग-अलग इलाकों में वहां की वास्तविक स्थितियों के अनुसार अलग-अलग होगा। जरूरतमन्द परिवारों का पता लगाकर उनके लिए उपयुक्त आर्थिक कार्यकलाप का निर्धारण उस परिवार के साथ सलाह-मशवरा करके किया जाएगा और उपयुक्त बैंक-ग्राह्य योजनाएं तैयार की जाएंगी। योजनाएं तैयार करने के पहले लाभान्वित होने वाले की जोखिम उठाने की क्षमता, उसके मौजूदा संसाधन तथा उसकी प्रबंधकीय योग्यता पर विचार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए वित्त की व्यवस्था अंशतः अनुदान के

और अंशतः बैंक से प्राप्त ऋण से होती है । इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए लगभग 2/3 सहायता साधन सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त करने होते हैं । चूंकि लक्ष्य समूह के अधिकतर परिवार बैंकों से प्राप्त ऋण के लिए प्रतिभूति जुटाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए बैंकिंग संस्थाओं को एक बहुत ही सहयोग-पूर्ण रवय्या अपनाना होता है ताकि योजना सफल हो सके ।

कार्यान्वयन

स०ग्रा०वि०का० के अन्तर्गत योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है । खंड स्तरीय योजनाओं को एक राज्य-स्तरीय समन्वय समिति अनुमोदन प्रदान करती है, जिसमें ग्राम-विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होता है । समन्वय समितियों की निश्चित अवधियों में बैठकें होती हैं जिनमें राज्यों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है तथा इस संबंध में तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं ।

खंड स्तर पर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला-स्तरीय ग्राम विकास अभिकरणों तथा खंड-अभिकरणों के माध्यम से किया जा रहा है । राष्ट्रीय नीति के अनुसार एक ग्राम-विकास अधिकरण होना चाहिए जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत लघु कृषक विकास अभिकरण के नमूने पर पंजीकृत एक सोसाइटी है। जहां ऐसे अभिकरण हैं वहां इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन इन अभिकरणों को सौंपा गया है । जिले में जहां कि ऐसे अभिकरण नहीं है, राज्य सरकारों को नए जिला-स्तरीय अभिकरण स्थापित करने की सलाह दी गई है। अन्य ग्राम-विकास कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर इन के क्रियान्वयन को भी उसी जिला स्तरीय अभिकरण को सौंपने की राज्य-सरकारों को सलाह दी गई है जो स०ग्रा०वि०का० को क्रियान्वित करता है । चूंकि यह कार्यक्रम प्रत्येक खंड के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने पर जोर देता है, इसलिए जिला ग्राम विकास अभिकरण के अंग के रूप में जिला स्तर पर एक तीन सदस्यो वाली योजना टीम की स्थापना की जानी है जिसमें एक अर्थशास्त्री या सांख्यिकीविद् होगा, एक ऋण की योजना बनाने वाला अधिकारी और एक लघु और कुटीर उद्योग अधिकारी होगा ।

लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 87 परियोजना क्षेत्रों में लघु कृषक विकास अभिकरण (ल०कृ०वि०अ०) (जो अब स०ग्रा०वि०का० का एक अभिन्न अंग है) कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था । पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 168 हो गई तथा पूरे देश के 1,818 खंडों में इसका विस्तार हो गया । छठी योजना के अंत तक इन सभी परियोजनाओं को जारी रहने दिया गया है तथा प्रत्येक खंड के लिए 2.50 लाख रु० प्रतिवर्ष की राशि नियत की गई है ।

इन परियोजनाओं में कृषि पर अधिक महत्व दिया गया जिसमें सघन कृषि, अधिक फसलें उगाना, अधिक पैदावार वाली किस्में उगाना, बागवानी, लघु

सिंचाई का विकास, मृदा-संरक्षण, भूमि को सही आकार देना, भूमि-विकास शामिल रहा तथा प्रचुर वृष्टि वाले क्षेत्रों में बारानी खेती प्रणाली और जल-संभर प्रणालियों को अपनाने पर बल दिया गया। ये अभिकरण दुग्ध-उत्पादन, कुक्कुट-पालन, शूकर पालन, बकरी और भेड़ पालन के गौण धंधों को भी देखते हैं।

विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम

1975-76 में शुरू किया गया विशेष पशुधन-उत्पादन कार्यक्रम (वि० प० उ० का०) कमजोर वर्गों और ग्रामीण-जनता को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया गया है। यह कार्यक्रम 21 राज्यों और 4 संघ-राज्य क्षेत्रों में जारी है।

राज्यों के द्वारा यह कार्यक्रम सहायता के रूप में ऋण के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। ऋणों की व्यवस्था संस्थागत स्रोतों के द्वारा होती है। संकर बछड़ा-पालन के लिए योजना लघु एवं सीमांत कृषकों को 50 प्रतिशत की दर से और खेतिहर मजदूरों को 66⅔ प्रतिशत की दर से चारा-सहायता देती है। लाभान्वित व्यक्तियों को सहायता चारे के रूप में दी जाती है। बीमे तथा स्वास्थ्य सेवा सम्बंधी खर्च में भी सहायता दी जाती है। कुक्कुट-पालन, शूकर-पालन और भेड़ उत्पादन के एककों की स्थापना के लिए बनाई गई योजना के अन्तर्गत लघु कृषकों को 25 प्रतिशत, सीमांत कृषकों और खेतिहर मजदूरों को 33⅓ प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को 50 प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्यय को केन्द्रीय व राज्य सरकारें 50 : 50 के आधार पर आपस में बांट रही है तथा संघराज्य क्षेत्रों में होनेवाले व्यय को केन्द्रीय सरकार ही पूरी तरह वहन कर रही है। 1981-82 के लिए इस कार्यक्रम के लिए ग्राम विकास मंत्रालय के बजट में 6.50 करोड़ रु० की व्यवस्था है।

यह निश्चय किया गया है कि विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम एक अलग योजना के रूप में छठी पंचवर्षीय योजना की विशेष अवधि में लागू रहेगा। इस कार्यक्रम के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी वह स० ग्रा० वि० का० के लिए निश्चित कुल धन से लिया जाएगा। यह भी निश्चय किया गया है कि इस कार्यक्रम को दी जाने वाली सहायता स० ग्रा० वि० का० के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रति खण्ड धनराशि के अतिरिक्त होगी।

सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का लक्ष्य है बार-बार सूखाग्रस्त होनेवाले क्षेत्रों का कृषि और उससे सम्बंधित सेक्टरों में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के समेकित विकास के द्वारा दीर्घावधि विकास। यह कार्यक्रम इन क्षेत्रों की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करता है ताकि लोगों को, विशेष रूप से ग्राम्य समाज के कमजोर वर्गों को, निरन्तर रोजगार मिलता रहे और आय होती रहे और कोशिश यह रहे कि कमीवाले दिनों में राहत देने की आवश्यकता न पड़े। यह कार्यक्रम इन

क्षेत्रों में आनेवाली इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के लिए सामर्थ्य पैदा करता है।

सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्र वे होते हैं जहां प्रायः बार-बार सूखा पड़ता रहता है, वर्षा कम या अनियमित मात्रा में होती है, सिंचाई की पूरी सुविधाएं नहीं होती हैं, इत्यादि। अब इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 राज्यों के 73 जिलों के 554 सामुदायिक विकास खंड आ गए हैं।

पांचवीं योजना से इस कार्यक्रम ने समुचित पारिस्थितिक संतुलन की पुनः स्थापना पर, सिंचाई के संसाधनों के विकास और प्रबंध पर, मृदा और नमी के संरक्षण पर, वनरोपण और चरागाहों पर तथा पशुधन और बारानी कृषि के विकास पर जोर दिया है। चूंकि इन क्षेत्रों की बड़ी-बड़ी समस्याओं का कारण पारिस्थितिक संतुलन का गम्भीर रूप से और बार-बार बिगड़ना है, इसलिए पशु चारण क्षेत्रों के विकास, नियंत्रित चराई, वनरोपण, वायुरोधी पट्टियां और वातरोकों को शुरू करने, बालू के डिब्बों के स्थायीकरण इत्यादि को महत्व दिया गया है। इन क्षेत्रों में डेरी-विकास के लिए स्वाभाविक रूप से सुविधा होती है और इसलिए मवेशियों और भेड़ों के विकास को पर्याप्त महत्व दिया जाता है।

1980-81 के दौरान लगभग 67.29 करोड़ रु० का खर्चा इस कार्यक्रम पर आया। 44,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता प्राप्त हुई, 1.40 लाख हेक्टेयर भूमि में मृदा नमी के संरक्षण के उपाय किए गए तथा 82,200 हेक्टेयर भूमि में चरागाहों का सुधार व वनरोपण किया गया। कमजोर वर्गों के परिवारों को 10,184 दुधारू पशु दिए गए, 538 दुग्ध-समितियां और 49 भेड समितियां स्थापित की गई। लगभग 9.93 लाख परिवारों को सहायता दी गई जिसमें से 2.20 लाख अनुसूचित जातियों के थे और लगभग 83,217 अनुसूचित जनजातियों के थे। 469 लाख श्रम-दिनों का रोजगार पैदा हुआ।

यह निर्णय किया गया है कि इस कार्यक्रम को छठी योजना की अवधि में भी जारी रखा जाए। परियोजनाओं को 1981-82 के लिए 15 लाख रु० प्रतिवर्ष प्रति खंड की दर से धन दिया गया है। इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का बराबर हिस्सा है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम

1977-78 में शुरू किया गया मरुस्थल विकास कार्यक्रम 132 खंडों में चल रहा है जिसमें राजस्थान के 11 जिलों (गंगानगर, बीकानेर, चुरु, झूनझनू सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और पाली); हरियाणा के चार जिलों (हिसार, भिवानी, रोहतक और सिरसा) और गुजरात के तीन जिलों (बनासकाठा, मेहसाना और कच्छ) का गर्म शुष्क मरुस्थल तथा जम्मू व कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलो के स्पीति उपमंडल का ठंडा शुष्क मरुस्थल शामिल है। गर्म शुष्क प्रदेश के ये क्षेत्र वर्षा और तापमान में होनेवाले परिवर्तन की प्रवृत्ति, नमी-सूचकाक प्रचलो तथा शुष्क प्रदेश की प्रेक्षण-योग्य विशेषताओं के विश्लेषण के आधार पर पहचाने गए हैं।

यह मरुस्थल-विकास कार्यक्रम सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम और समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम से सम्बंधित अभिकरणों के माध्यम से चलाया जा रहा है और इसका लक्ष्य है--मरुस्थली क्षेत्रों का समेकित विकास, जिसके लिए भौतिक, मानवीय तथा अन्य संसाधनों और पशुधन का अच्छे से अच्छा उपयोग करते हुए यहां के निवासियों की उत्पादन क्षमता, आय-स्तर एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो काम किए जा रहे हैं उनका आधार कृषि विषयक राष्ट्रीय आयोग द्वारा मरुस्थल के विकास को लेकर जो अंतरिम रिपोर्ट दी गई है उसमें निहित सिफारिशें हैं।

यह कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था और तब से मार्च 198 तक इसके अंतर्गत 37.81 करोड़ रु० खर्च किए जा चुके हैं। यह खर्च मुख्य रूप से वनरोपण, जल-संचय, ग्राम-विद्युतीकरण और पशुपालन की योजनाओं पर हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए 1977-78 में 610 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता मिली थी जो 1980-81 में बढ़कर 798.34 लाख रु० हो गई। मरुस्थल-विकास-कार्यक्रम के लिए 1981-82 के दौरान निर्धारित राशि 800 लाख रु० है।

राष्ट्रीय ग्राम-रोजगार कार्यक्रम

ग्राम्य क्षेत्रों में समस्या मुख्य रूप से मौसमी बेरोजगारी और न्यून रोजगार की है। ग्रामीण श्रमशक्ति के लिए अधिक रोजगार के अवसर जुटाना जरूरी है जो कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के अन्दर मिल सकते हैं। इसके लिए सिंचाई के प्रसार तथा उन्नत प्रौद्योगिकीय साधनों के द्वारा कृषि कार्य में तेजी और विविधता का लाया जाना आवश्यक है। पर समस्या के विशाल आयामों को देखते हुए एक बहुपक्षीय क्रियाविधि आवश्यक लगती है जो एक तरफ तो आबादी के कमजोर वर्गों के संसाधनों के विकास को अपना लक्ष्य बनाएं और दूसरी ओर गरीब ग्रामीणों को, विशेष रूप से काम की कमी की अवधि में ऐसे अनुपूरक रोजगार उपलब्ध कराए जो कि साथ साथ समुदाय के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में भी प्रत्यक्षतः सहायक बनें। इसी संदर्भ में 1976-77 में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम चलाया गया था। अप्रैल 1977 को प्रारम्भ किए गए इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे: ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज के उपलब्ध भण्डारों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त रोजगार पैदा करना तथा इसके द्वारा स्थाई समुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत बन सके। राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के कार्यान्वयन में पाई गई त्रुटियों तथा कमियों को ध्यान में रखते हुए अक्तूबर 1980 में इस कार्यक्रम को सुगठित करके इसे नया नाम "राष्ट्रीय ग्राम-रोजगार कार्यक्रम" दिया गया।

उद्देश्य

राष्ट्रीय ग्राम-रोजगार कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना का एक स्थाई भाग बन गया है। 1 अप्रैल 1981 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 50:50 खर्च के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा

है। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं :—

1. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार तथा न्यून रोजगार वाले पुरुषों तथा स्त्रियो दोनो के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार पैदा करना;
2. गाव के बुनियादी ढांचे के अधिक मजबूत करने के लिए स्थाई सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का द्रुत गति से विकास होगा और गरीब ग्रामीणों के आय स्तर मे स्थाई सुधार होगा; और
3. गरीब ग्रामीणों के आहार पोषक तत्वों में और जीवन स्तर में सुधार करना।

काम के लिए भुगतान

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशो मे साधनों का बंटवारा एक सूत्र के आधार पर किया जाता है जिसमें प्रत्येक राज्य में कृषि मजदूरों तथा सीमान्त कृषको की संख्या को 75% महत्व तथा सामान्य गरीबी स्तर को 25% महत्व दिया जाता है। मजदूरी की अनाज में भुगतान की सीमा 1 कि० ग्रा० प्रति व्यक्ति निर्धारित कर दी गई है तथा शेष भुगतान नगद रुपयों में किया जाएगा। प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए सामान्य भाग तथा मजदूरी भाग का अनुपात 40:60 कर दिया गया है। लेकिन पूरे राज्य के लिए सामग्री भाग की अधिकतम सीमा 33% निश्चित कर दी गई है। संसाधनों का 10% भाग अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के व्यक्तियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए निश्चित किया गया है। इसी तरह 10% भाग वन लगाने, सामाजिक वन रोपण तथा पौधे लगाने के कार्यक्रमों के लिए रखा गया है।

1977–78 से 1980–81 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बडी संख्या मे सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया गया जिन्होने पूरे देश मे ग्रामीण जीवन पर प्रभाव डाला। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की गई सामुदायिक परिसम्पत्तिया सारणी 16·1 में दर्शाई गई है।

स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना अगस्त 1979 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवकों में बेरोजगारी को दूर करना है। इस योजना में ग्रामीण युवको को स्वरोजगार ढूंढने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कौशल और तकनीकी जानकारी प्राप्त कराने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। प्रारंभ में यह प्रस्ताव है कि स० ग्रा० वि० और गैर-स० ग्रा० वि० दोनों ही क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगभग दो लाख ग्रामीण युवकों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाए। स० ग्रा० वि० का० का सभी खंडों में विस्तार कर दिए जाने के बाद भी इस राष्ट्रीय योजना को एक पृथक योजना के रूप में जारी रखा जाना है और इसके लिए पृथक वित्तीय राशियां निर्धारित की जानी है ताकि प्रशिक्षण का बुनियादी ढांचा मजबूत बने।

यह मरुस्थल-विकास कार्यक्रम सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम और समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम से सम्बंधित अभिकरणों के माध्यम से चलाया जा रहा है और इसका लक्ष्य है--मरुस्थली क्षेत्रों का समेकित विकास, जिसके लिए भौतिक, मानवीय तथा अन्य संसाधनों और पशुधन का अच्छे से अच्छा उपयोग करते हुए यहां के निवासियों की उत्पादन क्षमता, आय-स्तर एवं रोजगार के अवसरों मे वृद्धि की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो काम किए जा रहे हैं उनका आधार कृषि विषयक राष्ट्रीय आयोग द्वारा मरुस्थल के विकास को लेकर जो अंतरिम रिपोर्ट दी गई है उसमें निहित सिफारिशें हैं।

यह कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था और तब से मार्च 1981 तक इसके अंतर्गत 37.81 करोड़ रु० खर्च किए जा चुके हैं। यह खर्च मुख्य रूप से वनरोपण, जल-संचय, ग्राम-विद्युतीकरण और पशुपालन की योजनाओं पर हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए 1977-78 मे 610 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता मिली थी जो 1980-81 में बढ़कर 798.34 लाख रु० हो गई। मरुस्थल-विकास-कार्यक्रम के लिए 1981-82 के दौरान निर्धारित राशि 800 लाख रु० है।

राष्ट्रीय ग्राम-रोजगार कार्यक्रम

ग्राम्य क्षेत्रों में समस्या मुख्य रूप से मौसमी बेरोजगारी और न्यून रोजगारी की है। ग्रामीण श्रमशक्ति के लिए अधिक रोजगार के अवसर जुटाना जरूरी है जो कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के अन्दर मिल सकते हैं। इसके लिए सिंचाई के प्रसार तथा उन्नत प्रौद्योगिकीय-साधनों के द्वारा कृषि कार्य में तेजी और विविधता का लाया जाना आवश्यक है। पर समस्या के विशाल आयामो को देखते हुए एक बहुपक्षीय क्रियाविधि आवश्यक लगती है जो एक तरफ तो आबादी के कमजोर वर्गों के संसाधनों के विकास को अपना लक्ष्य बनाएं और दूसरी ओर गरीब ग्रामीणों को, विशेष रूप से काम की कमी की अवधि में, ऐसे अनुपूरक रोजगार उपलब्ध कराए जो कि साथ साथ समुदाय के लिए स्थाई परिसम्पतियों के निर्माण में भी प्रत्यक्षतः सहायक बनें। इसी संदर्भ मे 1976-77 में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम बनाया गया था। अप्रैल 1977 को प्रारम्भ किए गए इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे: ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज के उपलब्ध भण्डारों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त रोजगार पैदा करना तथा इसके द्वारा स्थाई समुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों मे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढाचा मजबूत बन सके। राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के कार्यान्वयन मे पाई गई त्रुटियो तथा कमियों को ध्यान मे रखते हुए अक्तूबर 1980 मे इस कार्यक्रम को सुगठित करके इसे नया नाम "राष्ट्रीय ग्राम-रोजगार कार्यक्रम" दिया गया।

उद्देश्य

राष्ट्रीय ग्राम-रोजगार कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना का एक स्थाई भाग बन गया है। 1 अप्रैल 1981 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 50:50 खर्च के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा

है। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं:—

1. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार तथा न्यून रोजगार वाले पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार पैदा करना;
2. गांव के बुनियादी ढांचे के अधिक मजबूत करने के लिए स्थाई सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का द्रुत गति से विकास होगा और गरीब ग्रामीणो के आय स्तर मे स्थाई सुधार होगा; और
3. गरीब ग्रामीणों के आहार पोषक तत्वो मे और जीवन स्तर में सुधार करना।

काम के लिए भुगतान

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों मे साधनो का बंटवारा एक सूत्र के आधार पर किया जाता है जिसमें प्रत्येक राज्य में कृषि मजदूरों तथा सीमान्त कृषकों की संख्या को 75% महत्व तथा सामान्य गरीबी स्तर को 25% महत्व दिया जाता है। मजदूरी की अनाज में भुगतान की सीमा 1 कि० ग्रा० प्रति व्यक्ति निर्धारित कर दी गई है तथा शेष भुगतान नगद रुपयों मे किया जाएगा। प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए सामान्य भाग तथा मजदूरी भाग का अनुपात 40·60 कर दिया गया है। लेकिन पूरे राज्य के लिए सामग्री भाग की अधिकतम सीमा 33% निश्चित कर दी गई है। संसाधनों का 10% भाग अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के व्यक्तियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए निश्चित किया गया है। इसी तरह 10% भाग वन लगाने, सामाजिक वन रोपण तथा पौधे लगाने के कार्यक्रमों के लिए रखा गया है।

1977–78 से 1980–81 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़ी संख्या में सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया गया जिन्होंने पूरे देश में ग्रामीण जीवन पर प्रभाव डाला। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की गई सामुदायिक परिसम्पत्तियां सारणी 16·1 में दर्शाई गई है।

स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना अगस्त 1979 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवकों में बेरोजगारी को दूर करना है। इस योजना में ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार ढूंढ़ने मे सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कौशल और तकनीकी जानकारी प्राप्त कराने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। प्रारंभ में यह प्रस्ताव है कि स० ग्रा० वि० और गैर-स० ग्रा० वि० दोनो ही क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगभग दो लाख ग्रामीण युवकों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाए। स० ग्रा० वि० का० का सभी खंडों में विस्तार कर दिए जाने के बाद भी इस राष्ट्रीय योजना को एक पृथक योजना के रूप में जारी रखा जाना है और इसके लिए पृथक वित्तीय राशियां निर्धारित की जानी है ताकि प्रशिक्षण का बुनियादी ढांचा मजबूत बने।

यह मरुस्थल-विकास कार्यक्रम सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम और समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम से सम्बंधित अभिकरणों के माध्यम से चलाया जा रहा है और इसका लक्ष्य है--मरुस्थली क्षेत्रों का समेकित विकास, जिसके लिए भौतिक, मानवीय तथा अन्य संसाधनों और पशुधन का अच्छे से अच्छा उपयोग करते हुए यहां के निवासियों की उत्पादन क्षमता, आय-स्तर एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो काम किए जा रहे हैं उनका आधार कृषि विषयक राष्ट्रीय आयोग द्वारा मरुस्थल के विकास को लेकर जो अंतरिम रिपोर्ट दी गई है उसमें निहित सिफारिशें हैं।

यह कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था और तब से मार्च 1981 तक इसके अंतर्गत 37.81 करोड़ रु० खर्च किए जा चुके हैं। यह खर्च मुख्य रूप से वनरोपण, जल-संचय, ग्राम-विद्युतीकरण और पशुपालन की योजनाओं पर हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए 1977-78 में 610 लाख रु० की केंद्रीय सहायता मिली थी जो 1980-81 में बढ़कर 798.34 लाख रु० हो गई। मरुस्थल-विकास-कार्यक्रम के लिए 1981-82 के दौरान निर्धारित राशि 800 लाख रु० है।

राष्ट्रीय ग्राम-रोजगार कार्यक्रम

ग्राम्य क्षेत्रों में समस्या मुख्य रूप से मौसमी बेरोजगारी और न्यून रोजगारी की है। ग्रामीण श्रमशक्ति के लिए अधिक रोजगार के अवसर जुटाना जरूरी है जो कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के अन्दर मिल सकते हैं। इसके लिए सिंचाई के प्रसार तथा उन्नत प्रौद्योगिकीय-साधनों के द्वारा कृषि कार्य में तेजी और विविधता का लाया जाना आवश्यक है। पर समस्या के विशाल आयामों को देखते हुए एक बहुपक्षीय क्रियाविधि आवश्यक लगती है जो एक तरफ तो आबादी के कमजोर वर्गों के संसाधनों के विकास को अपना लक्ष्य बनाएं और दूसरी ओर गरीब ग्रामीणों को, विशेष रूप मे काम की कमी की अवधि में, ऐसे अनुपूरक रोजगार उपलब्ध कराए जो कि साथ साथ समुदाय के लिए स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण में भी प्रत्यक्षतः सहायक बनें। इसी संदर्भ में 1976-77 में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम बनाया गया था। अप्रैल 1977 को प्रारम्भ किए गए इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे: ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज के उपलब्ध भण्डारों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त रोजगार पैदा करना तथा इसके द्वारा स्थाई सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों मे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत बन सके। राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के कार्यान्वयन में पाई गई त्रुटियों तथा कमियों को ध्यान में रखते हुए अक्तूबर 1980 में इस कार्यक्रम को सुगठित करके इसे नया नाम "राष्ट्रीय ग्राम-रोजगार कार्यक्रम" दिया गया।

उद्देश्य

राष्ट्रीय ग्राम-रोजगार कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना का एक स्थाई भाग बन गया है। 1 अप्रैल 1981 से केन्द्र द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 50:50 खर्च के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा

	सड़क निर्माण कार्य			
पंचायत घरों/ समुदाय भवनों का निर्माण (संख्या)	सड़कों का अनुरक्षण/सुधार/ मरम्मत (संख्या)	नवनिर्मित सड़कें (संख्या)	सिंचित कमान क्षेत्रों में रजवाहों, नालियों आदि का निर्माण	अन्य कार्य
8	9	10	11	12
—	22,413	13,901	183	163,533
—	1,803	—	—	101
—	36,517	15,862	7,546	86,476
—	5,514	12,795	39,551	1,501
482	934	5,192	253	8,956
29	1,097	387	—	321
2	2,660	20,523	66	1,557
—	2,514	1,587	—	882
—	3,105	4,060	—	145
32	100	213	2,000	58,752
—	—	15,973	1,53,895	4,168
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	604	—	63
91	1,14,221	12,308	3,017	5,578
—	4,571	2,317	209	13,145
1,883	43,457	13,656	—	43,873
—	—	—	—	—
355	26,341	1,833	1,832	3,600
1,329	10,421	12,868	4,365	3,943
—	1,68,621	50,278	—	57,221
1,361	34,464	54,061	2,999	2,976
—	140	20	—	19
—	—	—	—	—
70	—	9	—	68
—	—	—	—	472
—	—	10	—	—
5,642	4,78,893	2,28,377	2,15,916	3,79,221

सारणी 16.1 1977-78 से 1980-81 की अवधि में 'काम के बदले अनाज'/राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादित भौतिक परिसंपत्तियां (12 फरवरी, 1982 तक)

क्रम सं०	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	भूमि संरक्षण के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	बड़ी/छोटी सिंचाई योजना द्वारा सिंचाई के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	बाढ़ से बचाव कार्यक्रम के द्वारा कृषि योग्य बनाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	वृक्षारोपण के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	स्कूल भवनों [illegible] (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	—	35,234	—	—	43,734
2.	असम	—	—	—	—	—
3.	बिहार	8,349	2,31,392	81,010	48	470
4.	गुजरात	1,37,092	1,10,363	4,319	3,28,721	194
5.	हरियाणा	72,04,972	2,570	15,024	—	911
6.	हिमाचल प्रदेश	9,456	—	40,137	3,642	—
7.	जम्मू व कश्मीर	352	1,91,244	37,898	—	343
8.	कर्नाटक	19,488	29,131	25,024	3,006	417
9.	केरल	98	17,196	774	—	477
10.	मध्य प्रदेश	11,612	1,715	—	23	28,008
11.	महाराष्ट्र	7,31,500	—	—	11,900	—
12.	मणिपुर	—	—	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	37,232	4,00,157	79,754	59,553	24,331
16.	पंजाब	525	—	—	19,977	—
17.	राजस्थान	3,950	15,456	—	6,908	4,354
18.	सिक्किम	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	2,558	72,249	3,363	1,765	6,135
20.	त्रिपुरा	30,330	27,518	4,948	36,621	2,034
21.	उत्तर प्रदेश	1,01,612	—	—	1565	—
22.	पश्चिमी बंगाल	12,033	1,29,810	1,99,694	—	4,714
23.	अरुणाचल प्रदेश	500	—	—	565	—
24.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—
25.	मिजोरम	—	—	—	850	40
26.	पाण्डिचेरि	—	200	83	—	—
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	40	50	200	7	—
	योग	83,11,699	12,70,285	4,92,258	4,74,151	1,14,160

पंचायत घरों/समुदाय भवनों का निर्माण (संख्या)	सड़क निर्माण कार्य		सिंचित कमान क्षेत्रों में रजवाहों, नालियों आदि का निर्माण	अन्य कार्य
	सड़कों का अनुरक्षण/सुधार/मरम्मत (संख्या)	नवनिर्मित सड़कें (संख्या)		
8	9	10	11	12
—	22,413	13,901	183	163,533
—	1,803	—	—	101
—	36,517	15,862	7,546	86,476
—	5,514	[2,795	39,551	1,501
482	934	5,192	253	8,956
29	1,097	287	—	321
2	2,660	20,523	66	1,557
—	2,514	1,587	—	882
—	3,105	4,060	—	145
32	100	233	2,000	58,752
—	—	15,973	1,53,895	4,168
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	604	—	63
91	1,14,221	12,308	3,017	5,578
—	4,571	2,317	209	13,145
1,883	43,457	13,656	—	43,573
—	—	—	—	—
355	26,341	1,833	1,832	3,600
1,329	10,421	12,868	4,365	3,943
—	1,68,621	50,278	—	57,221
1,361	34,464	54,061	2,999	2,976
—	140	20	—	19
—	—	—	—	—
78	—	9	—	68
—	—	—	—	472
—	—	10	—	—
5,642	4,78,893	2,28,377	2,15,916	3,79,221

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्थागत प्रशिक्षण के अलावा स्थानीय सेवा तथा औद्योगिक इकाइयों, प्रवीण शिल्पकारों, कारीगरों और कुशल कामगरों के माध्यम से प्रशिक्षण देना भी शामिल है। प्रशिक्षणकाल में प्रशिक्षणार्थियों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने में भी उनकी मदद की जाती है, जिन्हें बैंक-ग्राह्य योजनाओं में बदल दिया जाता है। बैंकों से ऋण और सहायता लेने के लिए आवेदन करने में उनकी मदद की जाती है। सहायता स० ग्रा० वि० के नमूने पर अधिकतम 3,000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से दी जाती है। प्रशिक्षणार्थियों को उपयुक्त मामलों में 250 रु० तक की कीमत का औजार-किट भी मुफ्त दिया जा सकता है।

छठी योजना में इस योजना के लिए 5 करोड़ रु० की राशि रखी गई है।

उद्योग, सेवा और व्यवसाय घटक

फरवरी, 1979 में उद्योग, सेवा और व्यवसाय घटक (उ० से० व्य०) को स० ग्रा० वि० का० में शामिल कर दिया गया, जिसका उद्देश्य द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में रोजगार के अवसरों को अधिक से अधिक बढ़ा देना था। ऐसा महसूस किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार दिलाने के लिए द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

इस योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण के रूप में सभी खंडों में निर्धनता-रेखा के नीचे रहने वाले लक्ष्य-समूहों के परिवारों का पता लगाने के लिए एक आधार-रेखीय सर्वेक्षण किया जाता है। इस सर्वेक्षण के प्रयोजन आय के वर्तमान स्तर, व्यावसायिक ढांचों और गौण व्यवसाय की संभावनाओं के बारे में आंकड़े इकट्ठे करना होता है। उ० से० व्य० योजना के अंतर्गत लगभग 200 परिवारों को लिया जाना है।

उ० से० व्य० के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लोगों का चुनाव आय पर आधारित होता है। चुनाव में प्राथमिकता सबसे गरीब परिवारों को दी जाती है। प्रत्येक परिवार से केवल एक ही लाभ भोगी लिया जाता है और वरीयता उन्हें दी जाती है जिनमें नव्य प्रयोग और प्रभावपूर्ण नियंत्रण की रुझान दिखाई देती है। उ० से० व्य० के अंतर्गत चुने गए सभी व्यक्ति स० ग्रा० वि० प्रतिमान के अनुसार इमदाद पाने का हक रखते हैं। इमदाद की अधिकतम सीमा 3000 रु० है।

स्वरोजगार परियोजनाओं की सफलता के लिए उधार सबसे महत्वपूर्ण निविष्टियों में से एक है। नीति यह है कि संस्थागत स्रोतों से अधिकाधिक उधार दिया जाए, गैर-संस्थागत ऋण दान को नियंत्रित किया जाए और संस्थागत ऋण की दिशा को बदल कर लक्ष्य-समूहों की ओर कर दिया जाए।

संस्थागत ऋण

मंत्रालय का संस्थागत वित्त प्रभाग, वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास प्राधिकरण (कृ० प्र० वि० प्रा०) से सम्पर्क रखता है ताकि स० ग्रा० वि० का० तथा ग्रामीण गोदामों के विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए समय पर ऋण दिलाया जा सके।

स० ग्रा० वि० का० के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 3000 करोड़ रु० की संस्थागत ऋण की आवश्यकता का अनुमान है। 1980–81 के दौरान इस मद के लिये सहकारी तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा केवल 199.02 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए जिसमें से 38.97 करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों तथा 16.11 करोड़ रुपये अनुसूचित जनजातियों को मिले।

ब्लाक बैंकिंग योजनाएं

1979 में कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम (कृ० पु० वि० नि०) निगम ने ब्लाक स्तरीय बैंकिंग योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों को दिशा निदेश जारी किए जोकि व्यावहारिक रूप में तत्काल बैंक ग्राह्य योजनाओं की सूचियां थीं। दिशा निर्देशानुसार 31 दिसम्बर, 1981 तक 288 बैंकिंग योजनाएं, जो 1978 ब्लाकों के लिए हैं, के लिए 193.50 करोड़ रुपये की धन राशि स्वीकृत की गई है।

बैंक ऋण

कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (प्रा० ग्रा० बैंक) भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 31 दिसम्बर, 1980 को 17 राज्यों के 143 जिलों के लिए 85 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक थे। इसके मुकाबले में 15 दिसम्बर, 1981 तक 18 राज्यों के 180 जिलों के लिए 106 ऐसे बैंक हो गए। 30 जून, 1981 तक इन बैंकों में 252.85 करोड़ जमा किए जा चुके थे। कुल ऋण 302.45 करोड़ रुपये के दिए गए थे। छठी पचवर्षीय योजना में 270 जिलों के लिए 170 प्रा०, ग्रा० बैं० शुरू करने की योजना है।

विभेदक ब्याज दर परियोजना भी ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को बहुत कम दर पर संस्थागत ऋण दिलाने में सहायता देती है। इस योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से ऋणों का 1% भाग 4% ब्याज की दर से ग्रामीण गरीबों को दिया जाता है। जून 1980 के अन्त तक विभेदक ब्याज दर पर दी गई कुल अग्रिम ऋणों की राशि अनुमानतः 0.83% थी।

ग्राम-विकास में औद्योगिक तथा व्यापारिक घरानों का सहयोग

कम्पनियों, सहकारी समितियों को ग्रा[illegible] परियोजनाएं प्रारम्भ करने के लिए अभिप्रेरित करने की [illegible] 961 की धारा 35 सी सी तथा 35 सी सी ए [illegible] जिनमें ग्राम विकास कार्यक्रमों [illegible] जाती हैं। इस योजना के [illegible] और उन्हें स्वीकृति देने [illegible] यद्यपि इन समितियों ने [illegible] के बाद इनकी प्रग[illegible] सुव्यवस्थित कर[illegible] से पूरा कि[illegible]

और समवर्गीय जिन्सों का मानकीकरण तथा श्रेणीकरण का प्रवर्तन; (2) बाजारों और बाजार रीतियों का संविधिक नियमन; (3) कार्मिक-प्रशिक्षण; (4) बाजार-विस्तार; (5) बाजार-अनुसंधान, सर्वेक्षण और योजना बनाना; तथा (6) शीतसंग्रहागार आदेश, 1980 एवं मांस्य खाद्य पदार्थ आदेश, 1973 को लागू करना ।

श्रेणीकरण और मानकीकरण

विपणन और निरीक्षण निदेशालय लगभग 41 कृषि-जिन्सों पर निर्यात से पहले अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करता है । 1980–81 के दौरान निर्यात के लिए श्रेणीकृत जिन्सों का कुल मूल्य लगभग 332.85 करोड़ रु० था।

आन्तरिक खपत के लिए जिन महत्वपूर्ण जिन्सों का 'एगमार्क' के अन्तर्गत श्रेणीकरण हुआ है उनमें कपास, वनस्पति तेल, घी, क्रीम से तैयार मक्खन, अंडे, चावल, गेहूं, आटा, गुड़, दालें, शहद और पिसे मसाले शामिल हैं । आन्तरिक खपत के लिए श्रेणीकृत जिन्सों का मूल्य 1980-81 में लगभग 335.82 करोड़ रु० था ।

'एगमार्क' के अन्तर्गत श्रेणीकृत उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता के परीक्षण के लिए अलेप्पी, अमृतसर, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, कोच्चिन, गुवाहाटी, गाजियाबाद, गुन्टूर, जयपुर, जामनगर, कानपुर, कोझिकोड, मद्रास, मंगलौर, पटना, राजकोट, तूतीकोरिन, और विरुदनगर में 21 प्रयोगशालाएं खोली गई हैं और एक केन्द्रीय 'एगमार्क' प्रयोगशाला नागपुर में अलग से है जो आवश्यक परीक्षण-सुविधाएं प्रदान करने वाली शीर्षस्थ प्रयोगशाला है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की केन्द्रीय और प्रादेशिक 'एगमार्क' प्रयोगशालाओं को जीवविज्ञानीय परीक्षण-एककों से लैस करके और अधिक उपयोगी बनाया जा रहा है ।

किसानों के लिए गुणवत्ता के अनुरूप दाम रखने के लिए 63 कृषि जिन्सों को मार्च 1982 के अन्त तक विभिन्न राज्यों/संघराज्य-क्षेत्रों में खोले गए 734 श्रेणीकरण केन्द्रों में बिक्री से पहले श्रेणीकृत किया गया था । इन केन्द्रों में 1980-81 के दौरान जिन जिन्सों को उत्पादकों के स्तर पर श्रेणीकृत किया गया, उनका कुल अनुमानित मूल्य 761 करोड़ रु० था ।

उक्त निदेशालय ने 123 कृषि-जिन्सों का श्रेणी-विनिर्देश किया है ।

[illegible]ार-नियमन

बाजारों का नियमन राज्य-सरकारें करती हैं । विपणन और निरीक्षण निदेशालय विपणन के लिए विधि-निर्माण और उसे लागू करने के सम्बन्ध में सलाह देता है । मार्च 1981 के अन्त में देश में नियमित बाजारों की संख्या 4605 थी [illegible]89 मुख्य बाजार और 2316 उप-बाजार यार्ड थे ।

संस्थागत ऋण

मंत्रालय [illegible] बैंक तथा कृषि पुन[illegible] तम्बाकू, जूट, कपास, मूंगफली और काजू जैसे महत्वपूर्ण [illegible] रखता है ताकि स० ग्रा० [illegible]वितरण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए चुने हुए निय[illegible] को कार्यान्वित करने के लिए समय पर [illegible] वित्तीय सहायता देता है । यह आय[illegible] [illegible]मित बाजारों में तथा कमान क्षेत्रों [illegible] बने हुए बाजारों तथा

अधिकतर फलों और साग-सब्जियों का व्यापार करने वाले सीमांत बाजारों में बुनियादी ढांचे से सम्बन्धित सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्मित एक योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है। 1972-73 में जब यह योजना शुरू की गयी थी तब से 326 चुने हुए नियमित बाजारों को 10.30 करोड़ रु० का सहायता-अनुदान दिया जा चुका है। इसके अलावा एक नई योजना के अन्तर्गत, जो ग्रामीण बाजारों को सहायता देने के लिए 1977–78 में शुरू की गई थी, 12.49 करोड़ रु० तक का सहायता-अनुदान विभिन्न राज्यों के 928 प्राथमिक ग्रामीण बाजारो और 75 थोक ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए दिया जा चुका है। 1981-82 में दोनों योजनाओं के लिए 7.25 करोड़ रु० की व्यवस्था थी।

कार्मिक-प्रशिक्षण विभिन्न राज्यो के व्यक्तियों को विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि-विपणन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देता है। अब तक 5744 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बाजार-अनुसंधान और सर्वेक्षण बाजार-अनुसंधान और सर्वेक्षण की योजना के अन्तर्गत इन दो कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है : (1) बाजार अनुसंधान और योजना-निर्माण, और (2) बाजार योजना-निर्माण और डिजाइन। पहली योजना के अन्तर्गत निदेशालय कृषि-विपणन की समस्याओं का पता लगाने और अध्ययन करने के लिए पशुधन और महत्वपूर्ण कृषि-जिन्सों तथा उद्यान-पण्यों को लेकर देशव्यापी विपणन-सर्वेक्षण करता है। ताजे फलों और साग-सब्जियों के अनेक थोक बाजारों का सर्वेक्षण बाजार योजना-निर्माण और डिजाइन केन्द्र की ओर से उनके विकास और सुधार के सम्बन्ध में सुझाव देने के उद्देश्य से कराया जा चुका है। यह केन्द्र चुने हुए फलों और साग-सब्जियों की पैकेजिंग, श्रेणीकरण तथा विपणन का अध्ययन करेगा और अधिकारियों को फल और सब्जी बाजारों के डिजाइन बनाने के सम्बन्ध में सलाह देगा।

कपास श्रेणीकरण योजना 1969–70 में कपास के श्रेणीकरण की एक मार्गदर्शी परियोजना के रूप में सूरत में एक कपास श्रेणीकरण केन्द्र स्थापित किया गया था। इसकी सफलता से प्रोत्साहन पाकर ऐसे ही पांच और केन्द्रो की स्वीकृति दी गई—एक-एक महाराष्ट्र (नागपुर), कर्नाटक (रायचूर), तमिलनाडु (तिरुपुर), मध्य प्रदेश (खंडवा) और पंजाब (अबोहर) में। 1980-81 में इन केन्द्रों ने 15 करोड़ रु० कीमत की 56,900 गांठों के बारे में 2,501 कपास श्रेणीकरण प्रमाण-पत्र दिए।

शीतसंग्रहागार आदेश 1980 और मांस्य खाद्य पदार्थ आदेश, 1973 1980 का शीतसंग्रहागार आदेश, शीतसंग्रह-उद्योग का सुनियोजित ढंग से विकास करने के लिए इस निदेशालय द्वारा लागू किया गया है जिससे प्रशीतन स्वास्थ्यकर, स्वच्छ और उपयुक्त ढंग से हो तथा खाद्य पदार्थों का वैज्ञानिक ढंग से परिरक्षण करने के सम्बन्ध में तकनीकी मार्गदर्शन हो सके। अब तक देश के अन्दर

2,283 शीतसंग्रहागार स्थापित किए जा चुके हैं जिनकी धारिता 39 लाख टन है। यह निदेशालय मांसमय खाद्य-पदार्थ आदेश, 1973 को भी देश में इसलिए कार्यान्वित करता है कि मनुष्यों के खाने के लिए मांस से हुए पदार्थों की गुणवत्ता पर सुनिश्चित रूप से नियंत्रण बना रहे। अब 123 एककों को लाइसेंस दिए जा चुके हैं और 7,000 टन मांस-नि पदार्थों को 1981 में प्रमाणित किया गया।

ग्रामीण गोदाम

5 वर्षों में ग्रामीण स्तर पर 20 लाख टन की क्षमता वाले अतिरिक्त भण्ड की स्थापना की आवश्यकता को देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय 1979- से ग्रामीण भण्डारों की एक राष्ट्रीय शृंखला की स्थापना के लिए विशेष कार्य कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना सहकारी समितियों, बाजार समितियों त राज्य गोदाम निगमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इन गोदा की क्षमता 200 टन से 1000 टन की है। इन गोदामों के निर्माण पर 50 खर्च अनुदान से होगा जोकि राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा बराबर बराब दिया जाएगा तथा 50% धन व्यापारिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋ के रूप में लिया जाएगा।

ये गोदाम अनाज, तथा दूसरे कृषि उत्पादों, जिनमें जल्दी नष्ट हो जाने वाल वस्तुएं जैसे फल, सब्जियां तथा पशु उत्पाद शामिल हैं, के लिए भण्डारण की कमी को पूर करेंगे। उर्वरक तथा बीज, आदि भी इन गोदामों में संचित किए जा सकते हैं। ये गोदाम विशेष रूप से अनाज की मजबूरन में बिक्री को रोकेंगे, फसल काल में परिवहन व्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव को कम करेंगे, उर्वरकबीज आदि को छोटे तथा सीमान्त कृषकों की पहुंच में लायेंगे और घटिया गोदामों के कारण होने- वाली मात्रा, तथा गुणों की क्षति को कम करेंगे। गोदामों में माल रखने की रसीद पर ऋण लिया जा सकेगा।

इस योजना के अन्तर्गत 1980–81 के अन्त तक 1,444 गोदामों, जिनकी क्षमता 5.61 लाख टन होगी, के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी थी।

भूमि सुधार

भूमि-सुधार को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन स्वीकार कर लिया गया है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के तुरन्त बाद देश में भूमि-सुधार के उपाय किए गए, जिसके दो उद्देश्य थे—कृषि-उत्पादन को बढ़ाना और सामाजिक न्याय। भूमि-सुधार बुनियादी तौर पर राज्यों का विषय है और इसको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इसलिए इस सम्बन्ध में जो विधायी उपाय किए गए और कानून इत्यादि बनाए गए हैं वे प्रत्येक राज्य में वहां की स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग हैं। फिर भी, भारत सरकार इस विषय पर राष्ट्रीय नीति तय करती है और उसकी प्रगति का समय-समय पर जायजा लेती है तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित की गई नीतियों को ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों की ओर संकेत करती है जिनमें सतत कार्रवाई आवश्यक हो।

सभी पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि-सुधार-नीति के जो लक्ष्य निहित हैं वे ये हैं—कि अतीतकाल से चली आ रही भूमि-व्यवस्था के कारण कृषि के विकास

में जो रुकावटें आती हैं उन्हें दूर किया जाए और इस भूमि-व्यवस्था के अन्दर होने वाले शोषण और सामाजिक अन्याय को रोका जाए। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए गए उपायों में जिन पर जोर दिया गया, ये हैं (1) बिचौलियों को उखाड़ फेंकना; (2) रैयतदारी में सुधार, जैसे लगान के बारे में अधिनियम बनाना और पट्टेदारी की सुरक्षा और जोतनेवाले को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करना; (3) जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित करना; (4) चकबंदी; तथा (5) भूमि-अभिलेखों को आधुनिक बनाना।

मध्यस्थ पट्टेदारियों का उन्मूलन

सारी मध्यस्थ पट्टेदारियां, जैसे, जमींदारियां, जागीर, इनाम इत्यादि, जो भूमि के 40 प्रतिशत से अधिक हिस्से में फैली हुई थीं, समाप्त कर दी गई हैं और दो करोड़ से अधिक किसानों का सरकार से सीधा सम्बन्ध हो गया है। इनमें से कुछ पट्टे तो बहुत ही पुराने थे और उनका उन्मूलन एक आधुनिक भूमि-व्यवस्था में पहुंचाने वाले उल्लेखनीय परिवर्तन का कारण बन गया है।

रैयतदारी में सुधार

आसामियों को पट्टे की सुरक्षा प्रदान करने और उनके द्वारा दिए जाने वाले लगान की दरों को नियंत्रित करने के लिए विधायी उपाय किए गए हैं। आंध्र-प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में लगान की अधिकतम दरें इस प्रकार स्थिर कर दी गई हैं कि ये समग्र उपज के चौथे से पांचवें हिस्से तक से अधिक नहीं हो सकतीं। आसामियों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के बारे में एक समान प्रथा नहीं है और अनेक राज्यों में अब भी रैयतदारी चल रही है। कई राज्यों में काश्त करने वाले आसामियों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था भी है। परन्तु ऐसे भूस्वामियों को छोड़ दिया गया है जो रक्षा-सेवाओं के सदस्य हैं, अविवाहिता स्त्रियां हैं, नाबालिग हैं, विधवा हैं, या शारीरिक या मानसिक अशक्तता से ग्रस्त हैं।

भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए उपाय

कृषि-योग्य भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए कानून बनाए गए हैं और लगभग सभी राज्यों में उन्हें लागू किया जा रहा है—उन थोड़े से क्षेत्रों को छोड़कर जहां भूमि पूरे समुदाय की होती है। 1950 और 1960 के आसपास बनाए गए उच्चतम सीमा कानूनों में, 1972 में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार संशोधन किए गए। संशोधन से पहले के उच्चतम सीमा-कानूनों के अन्तर्गत लगभग 8.4 लाख हैक्टेयर भूमि अतिरिक्त घोषित कर दी गई और भूमि-हीनों में बांट दी गई। संशोधित उच्चतम सीमा-कानूनों के लागू हो जाने पर लगभग 15.58 लाख हैक्टेयर भूमि 1981 के मध्य तक अतिरिक्त घोषित की गई थी, जिसमें से लगभग 10.64 लाख हैक्टेयर सरकारी अधिकार में ले ली गई और लगभग 7.34 लाख हैक्टेयर लगभग 13.31 लाख भूमिहीनों में बांट दी गई। इन में से आधे से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जातियों और जनजातियों के थे।

चकबंदी

भूमि-सुधार से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति में प्रारम्भ से ही चकबंदी की आवश्यकता पर जोर दिया जाता रहा है । देश के अधिकतम राज्यों में चकबंदी के लिए क़ानून बनाए जा रहे हैं । पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह काम पूरा कर लिया गया है ।

भूमि अभिलेख

यह समझ लिया गया है कि भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण न केवल भूमि सम्बन्धी सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक है बल्कि कृषि-ऋण के लिए भी आवश्यक है जिसका मिलना भूमि-सम्बन्धी हक पर बहुत अधिक निर्भर होता है। भूमि-अभिलेखों की स्थिति हर राज्य में अलग है । कुछ राज्यों में तो ये अभिलेख काफी संख्या में अद्यतन हैं, पर अन्यों में, विशेषतः पूर्वी प्रदेश में जहां जमींदारी-प्रथा पुरानी है, अभिलेखों में दी हुई प्रविष्टियों का वास्तविकता से कम ही सम्बन्ध है । अतः सारे देश में भूमि-अभिलेखों के संकलन और संशोधन का एक कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से शुरू किया गया है ताकि स्वामित्व और आसामियों, बटाईदारों, और अन्य धारकों के अधिकारों के बारे में अद्यतन स्थिति स्पष्ट हो जाए। काम तो काफी हो चुका है, पर अभी बहुत-कुछ करना शेष है ।

भूमि-सुधार-नीति का एक लक्ष्य यह रहा है कि ग्रामीण समुदाय के अधिक निर्धन वर्गों के वासभूमि (होमस्टेड) काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान कर दिए जाएं । अधिकतर राज्यों में वासभूमि काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दे दिए गए हैं और पट्टे सुरक्षित कर दिए गए हैं । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कामगारों और कारीगरों को लगभग 86 लाख मकान बनाने की जगह बांटी गई है ।

ग्राम पुनर्निर्माण में महिलाओं का समन्वित विकास

चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम-शक्ति का एक विशाल भाग महिलाएं हैं और उनकी आर्थिक भूमिका पर भी ग्रामीण परिवारों का स्तर समान रूप से निर्भर होता है, इसलिए ग्राम विकास मंत्रालय के समेकित ग्राम विकास प्रभाग के अंदर एक अनुभाग ऐसा बनाया गया है जो ग्राम-विकास के चल रहे कार्यक्रमों में महिलाओं को अधिकाधिक भागीदार बनाने के लिए प्रयत्न करे । यह विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की जांच करके ग्रामीण महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों का पता लगाता है और राज्यों के विभागों तथा संघराज्य क्षेत्रों के लिए उपयुक्त निर्देश तैयार करता है ताकि ग्रामीण महिलाएं इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के केन्द्र में बनी रहें ।

अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम

केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनुप्रयुक्त पोषण-योजना 1963 में ग्रामीण जनता विशेषतः कमजोर वर्ग की जनता के, आहार को अधिक पौष्टिक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई जिसके अन्तर्गत पौष्टिक खाद्यों के उत्पादन और खपत का सुसमन्वित पोषण शिक्षा कार्यक्रम चालू किया गया । ग्राम पंचायतों, युवक और महिला मंडलों का पौष्टिक खाद्य के उत्पादन तथा समुदाय के कमजोर वर्ग के खाद्य-कार्यक्रमों के निर्देशन में सहयोग लिया गया है । 1978-79 तक 1766 खंडों में यह कार्यक्रम चलाया गया । राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किए गए निर्णय के

अनुसार 1979-80 से यह कार्यक्रम राज्य सेक्टर को हस्तांतरित कर दिया गया था। परन्तु केन्द्र शासित क्षेत्रों में उसे केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में जारी रखा गया है।

पंचायती राज

पंचायती राज 1959 में शुरू किया गया था। यह स्थानीय स्वशासन का ग्राम, खंड और जिला-स्तर पर लागू किया गया त्रिस्तरीय ढांचा है। परन्तु राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस ढांचे में परिवर्तन करने की छूट है। पंचायती राज के सभी निकाय आंगिक-रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। इन निकायों में पिछड़े वर्गों, महिलाओं और सहकारी समितियो को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है। पचायतों का चुनाव सीधे ग्रामवासियों में से और उन्हीं के द्वारा किया जाता है। पंचायतो पर कृषि-उत्पादन, ग्रामोद्योग, चिकित्सा सहायता प्रसूति, एवं बाल कल्याण, सार्वजनिक चरागाहों, गांव की सड़को, तालाबों और कुंओं तथा स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी है। कहीं-कहीं प्राथमिक शिक्षा, गांव के अभिलेखो का अनुरक्षण और लगान की वसूली भी उन्ही के जिम्मे डाली गई है।

विस्तार

अब मेघालय और नगालैण्ड को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज लागू है लक्षद्वीप, मिजोरम और पाडिच्चेरि को छोड़कर सभी संघराज्य क्षेत्रों में ग्राम-पंचायत संस्थाएं विद्यमान है।

इस समय 2,12,248 ग्राम-पंचायतें, 4,481 पंचायत-समितियां और 252 जिला-परिषदें है।

कार्यकलाप

ग्राम-विकास के कार्यक्रम को आगे बढाने के लिए ग्रामस्तर पर पंचायत, सहकारी समिति और विद्यालय बुनियादी संस्थाएं है। चुनी हुई पंचायत पर गांव के सभी विकास कार्यक्रमों को चलाने का दायित्व होता है। सहकारी समिति जनता को सस्ती दर पर ऋण देती है। गांव का विद्यालय, जो कि एक सामुदायिक केन्द्र भी होता है, लोगों की शिक्षा, मनोरंजन और संस्कृति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अपने-अपने क्षेत्रों में काम करनेवाली सम्बद्ध संस्थाएं, जैसे महिला और युवक संगठन, किसानो और कारीगरों की संस्थाएं, विकास-कार्यों के लिए पंचायत के साथ जुड़ी होती है और पंचायत भी इनके कामों मे सहायता करती है।

वित्त

पंचायती राज संस्थाओं को स्वयं कर लगाने का अधिकार होता है। वे घरों पर तथा कुछ प्रकार की जमीनों पर, मेलो और उत्सवों पर तथा माल की बिक्री पर कर लगाती है और चुंगी वसूल करती है। वे आर्थिक लाभ वाली सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण भी करती है।

पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार और दायित्व न केवल अपने-अपने राज्यों द्वारा बनाए गए विधान से प्राप्त होते हैं बल्कि राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओ से भी प्राप्त होते है। गुजरात, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु में इन संस्थाओं को गतिविधियो के एक बहुत व्यापक दायरे के कार्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी सौपी गई है।

न्याय पंचायतें

कुछ राज्यों में ग्रामवासियों को जल्दी और कम खर्च पर न्याय दिलाने की व्यवस्था कराने वाली न्याय पंचायतें या ग्राम अदालतें सक्रिय हैं।

पंचायती राज संस्थाओं पर अशोक मेहता समिति

देश में पंचायती राज संस्थाओं के कामों की समीक्षा तथा उन्हें मजबूत करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए 1977 में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अब एक आदर्श विधान तैयार किया जा रहा है।

अनुसंधान और प्रशिक्षण

ग्राम-विकास के लिए प्रशिक्षण के महत्व को अधिकाधिक स्वीकारा जा रहा है। एक बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य न केवल सरकारी कार्यकर्ताओं को ग्राम-विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी कराना है बल्कि लाभभोगियों को इस तरह प्रशिक्षित करना भी है कि वे वितरण पद्धति के अच्छे स्वीकर्ता बन सकें। मंत्रालय अनेक प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां और कार्य गोष्ठियां ग्राम-विकास के विभिन्न पक्षों पर आयोजित करता है। वह ग्राम विकास के सम्बन्ध में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए राज्यों के केन्द्र स्थापित करने या उन केन्द्रों को मजबूत करने में राज्य सरकारों की मदद भी करता है।

राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान

हैदराबाद का राष्ट्रीय ग्राम-विकास संस्थान ग्राम-विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो ग्राम-विकास के सभी पक्षों पर अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चला रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम विकास की प्रक्रिया में शामिल कार्यकर्ताओं की इस कार्य से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके शोध-अध्ययन कर्माभिमुखी हैं-जिससे वे प्रशिक्षण-कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण योगदान करने वाले बन सकते हैं। भाग लेने वाले राज्यों के ग्राम-विकास प्रशासन के मध्यम और उच्चतर स्तरों के कार्यकर्ता हैं। कुछ पाठ्यक्रम जैसे, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और स्वैच्छिक अभिकरणों जैसी गैर-सरकारी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी विशेष रूप से तैयार किए गए हैं।

इस संस्थान को खाद्य और कृषि संगठन (एफ ए ओ) द्वारा बांग्लादेश के कोमिल्ला नगर में स्थापित एशिया और प्रशान्त महासागरीय देशों के समेकित ग्राम विकास केन्द्र का राष्ट्रीय समेकित ग्राम विकास केन्द्र घोषित कर दिया गया है।

ग्रामीण तकनीक

ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन ग्रामीण तकनीक-प्रगति परिषद का निर्माण किया जा रहा है। यह समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत एक समिति होगी। उन क्षेत्रों को छोड़कर, जिनमें भा० कृ० अ० प० तथा उससे सम्बन्धित निकाय कार्यरत हैं, दूसरे क्षेत्रों में ग्रा० त० प्र० प० विकास के सभी प्रयत्नों तथा ग्रामीण तकनीक के वितरण के समन्वय के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में काम करेगी। यह परिषद मशीनों, उपकरणों, हिस्से-पुर्जों तथा औजारों के निर्माताओं को ग्रामीण तकनीक का हस्तान्तरण करेगी ताकि निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में तकनीकी रूप में उन्नत किस्म की मशीनें आदि बनाई जा सकें।

17 नागरिक आपूर्ति और सहकारिता

नागरिक आपूर्ति

नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग की स्थापना अक्तूबर 1974 में पुन-संस्थापित उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय के एक भाग के रूप में हुई थी। इसने सहकारिता से संबंधित उन कार्यों को (सहकारी कृषि ऋणों को छोड़कर), जो पहले सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग के अन्तर्गत थे, और जो वाणिज्य मंत्रालय में नागरिक आपूर्ति से जुड़े थे, संभाल लिया। इसको अगस्त 1976 में एक अलग मंत्रालय के रूप में बदल दिया गया लेकिन फरवरी 1978 में पुनर्गठित वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के एक विभाग के रूप में इसे बदल दिया गया। सितम्बर 1979 में नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग को वाणिज्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के एक विभाग के रूप में नया नाम नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया। इसके अन्तर्गत; उपभोक्ता सहकारी समितियों से संबंधित कार्यों, जो कि कृषि और सहकारिता विभाग को दे दिए गए, को छोड़कर सहकारिता संबंधी काम है। जुलाई 1980 में नागरिक आपूर्ति विभाग का नाम पुनः नागरिक आपूर्ति मंत्रालय रखा गया।

नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को दो काम सौंपे गए हैं: एक देशी व्यापार से संबंधित है और दूसरा व्यापार चिह्नों से संबंधित है। देशी व्यापार के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण, आवश्यक जिन्स की उपलब्धि (चोर बाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाये रखने संबंधी कानून, 1980 का पालन कराना), सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, उपभोक्ता समितियां, वस्तुओं की आपूर्ति का समन्वित प्रबन्ध और वायदा व्यापार पर नियंत्रण, वनस्पति, तिलहनों, खाद्य तेलों, साबुन और वसा के मूल्य और वितरण सम्बन्धी कार्य आते हैं। व्यापार चिह्नों के कार्य के अन्तर्गत व्यापार चिह्नों के पंजीकरण के साथ-साथ भारतीय मानक संस्था और नाप-तौल, गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कार्य आते हैं।

आवश्यक वस्तुओं की श्रेणियां

कमजोर वर्गों और अधिक प्रभावित होने वाली जनता की प्रारंभिक आवश्यकताओं के संदर्भ में विशिष्ट समस्या क्षेत्रों का पता लगाया गया और प्राथमिकता के आधार पर आवंटन के लिए आवश्यक वस्तुओं की सत्रह श्रेणियां निश्चित की गईं। इनको फिर तीन व्यापक श्रेणियों में इनके महत्व के अनुसार बांटा गया। प्रथम श्रेणी में खाद्यान्न जैसे—गेहूं और चावल (मोटे अनाज और दाल जहां जैसी आवश्यकता हो, सम्मिलित हैं), चीनी, स्टैण्डर्ड कपड़ा, वनस्पति, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, जलाने का कोयला और नमक हैं। दूसरी श्रेणी में आवास निर्माण और कृषि की जरूरतों के लिये सीमेंट, विद्यार्थियों के लिये कागज, कृषि के लिये डीजल तेल, आवश्यक औषधियां, साबुन (कपड़े धोने का साबुन भी), माचिस और सोडा ऐश आते हैं। बच्चों का आहार, साइकिल, स्कूटर, बस, ट्रक के लिये टायर व ट्यूब और सामान्य श्रेणी के जूते तीसरी श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही विशेष क्षेत्रों की अपनी आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं जैसे पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए नमक, उत्तरी और मध्य क्षेत्रों के लिये जलाने का कोयला तथा क्षेत्रों के कृषि और औद्योगिक मजदूरों के लिए मोटे अनाज व दालों की व्यवस्था।

नीति

इनमें से कुछ वस्तुओं की आपूर्ति की समस्या को हल करने के लिए दो नीति अपनाई गई है: पहली का संबंध वस्तु विशेष से है जिसके अन्तर्गत वस्तुओं का वार्षिक बजट तैयार करना, इन वस्तुओं की व्यापक और संपूर्ण मांग की पूर्ति करना है; दूसरी क्षेत्रीय नीति है जिसमें यह निश्चय किया गया है कि आवश्यक वस्तुएं, अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों जैसे महानगर, शहरी क्षेत्र, खान, उद्योग और बागानों के सघन श्रमिक इलाके, जिला मुख्यालय, पहाड़ी क्षेत्र, और अभावग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाई जाएं जहां किसी भी स्थिति से तुरन्त प्रभावित होने वाली और गरीब जनता रहती है।

आवश्यक वस्तुओं का वितरण

देश में काफी दिनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है। देश में 1 जुलाई, 1979 से चुनींदा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण की योजना शुरू की गई ताकि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने तथा उसे लगातार बनाए रखने के उपयुक्त समर्थन द्वारा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जा सके। इस समय आवश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली के 2.76 लाख निकास (दुकानें) हैं। केन्द्रीय सरकार ने वितरण के लिए जिन वस्तुओं की सिफारिश की है, वे हैं—गेहूं, चावल, लेवी चीनी, राशन का कपड़ा, मिट्टी का तेल और आयातित खाद्य तेल। कुछ राज्यों ने जलाने के कोयले तथा सीमेंट के वितरण का काम भी हाथ में लिया है। केन्द्रीय सरकार की विभिन्न एजेंसियां जैसे—भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य व्यापार निगम, कोल इण्डिया लिमिटेड तथा सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न तेल निगम, इन वस्तुओं की खरीद तथा आपूर्ति करती हैं।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य-संचालन पर राज्य सरकारों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करके लगातार निगरानी रखी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार हेतु समय-समय पर ठीक करने के उपाय किये जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संगठन तथा प्रशासन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यह राज्य सरकारों का काम है कि वे राज्यों में दुकानों के लिये विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के सुरक्षित भण्डार तैयार करें तथा उनकी आपूर्ति के लिए र्वजनिक क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र में एजेंसियों को नामजद करें। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उपभोक्ताओं को जिन वस्तुओं की आपूर्ति दुकानों के जरिये की जाती है, वह निर्धारित कीमतों पर हो। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति केन्द्रीय विक्रय मूल्यों पर करती है जोकि रियायती तथा/या नियंत्रित मूल्य होते हैं। राज्य सरकारों को अधिकार होता है कि वे

उपभोक्ता तक पहुचने वाली वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने में केन्द्रीय विक्रय मूल्यों में परिवहन व्यय तथा स्थानीय कर आदि की राशि जोड़ लें।

अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वितरण कार्य, विशेषकर दुर्गम तथा दूर-दराज के क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगो तक ये वस्तुए पहुंचाने के लिए शहरी क्षेत्रो मे उपभोक्ता सहकारी समितियो और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियो को केन्द्रीय सहायता से मजबूत किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष योजना कार्यक्रम भी तैयार किए गए है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक पुनर्गठित ग्रामीण प्राथमिक कृषि ऋण-समिति के पास कम से कम एक दुकान अवश्य होगी।

सहकारी समितियां और उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ता सहकारी समितियां, जिनको कि महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, अपनी शाखाओं और राशन की दुकानों से उपभोक्ताओं की सेवा कर रही हैं। निजी व्यापार के बजाए सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी गई है। उपभोक्ता वस्तुओं की सहकारी वितरण प्रणाली में शहरी क्षेत्रों मे उपभोक्ता सहकारी समितियां और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सेवा तथा विपणन समितियां शामिल हैं। उपभोक्ता सहकारिता संगठन चार स्तरों पर कार्यरत है। इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर पर, 14,937 प्राथमिक सोसायटी, 488 केन्द्रीय/थोक समितिया और इनके साथ 3,903 जिला स्तर की शाखाएं, राज्य स्तर पर 15 राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, 7 राज्य सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता संघ और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी उपभोक्ता संघ हैं। थोक/केन्द्रीय समितियों द्वारा जिला स्तर पर चलाई जा रही 3,903 शाखाओं में 200 ऐसे डिपार्टमेंट स्टोर्स की भी सुविधा जुटाई गई है जहा एक ही जगह सभी प्रकार की खरीदारी की जा सके। इस ढाचे के अतिरिक्त, 5,000 से ऊपर ऐसी सहकारी समितियां भी हैं जो कि औद्योगिक मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, डाक-तार कर्मचारियों मध्य और अन्य बहुत- जगह कार्य करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 31,845 के लगभग प्राथमिक मार्केटिंग सोसायटियां, सेवा सस्थाएं और अन्य सहकारिता सोसायटिया उपभोक्ता सामग्री के वितरण में जुटी हुई है।

ये सहकारी समितियो नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार की बहुत-सी आवश्यक वस्तुओं के वितरण में लगी हुई है। नियंत्रित वस्तुओं में सहकारी समितियां उन सभी वस्तुओं का वितरण करती है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नियत है। अन्य आवश्यक वस्तुओं में जिनका कि सहकारी समितियों द्वारा प्रबंध किया जाता है, किराने का सामान, सौन्दर्य और प्रसाधन सामग्री, घरेलू सामान, लेखन सामग्री, कपड़ा, अल्यूमिनियम और स्टेनलैस स्टील के बर्तन, दवाइयां, बच्चों का दूध, शुष्क बैटरी सैल और टायर ट्यूब हैं। अतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादित वस्तुओं के कुल उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत सहकारी समितियों द्वारा वितरण के लिए नियत किया जा चुका है। खाद्यान्न प्रायः भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त किया जाता है

पूरा करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं जैसे पूर्वी और उत्तर-पूर्वी ... के लिए नमक, उत्तरी और मध्य क्षेत्रों के लिये जलाने का कोयला तथा ... क्षेत्रों के कृषि और औद्योगिक मजदूरों के लिए मोटे अनाज व दालों ... व्यवस्था।

नीति

इनमें से कुछ वस्तुओं की आपूर्ति की समस्या को हल करने के लिए ... नीति अपनाई गई है: पहली का संबंध वस्तु विशेष से है जिसके अन्तर्गत ... वस्तुओं का वार्षिक बजट तैयार करना, इन वस्तुओं की व्यापक और संतुलित माग की पूर्ति करना है; दूसरी क्षेत्रीय नीति है जिसमें यह निश्चय किया ... है कि आवश्यक वस्तुएं, अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों जैसे महानगर, ... शहरी क्षेत्र, खान, उद्योग और बागानों के सघन श्रमिक इलाके, जिला मुख्यालय, पहाड़ी क्षेत्र, और प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाई जाएं जहां किसी भी स्थिति ... तुरन्त प्रभावित होने वाली और गरीब जनता रहती है।

आवश्यक वस्तुओं का वितरण

देश में काफी दिनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है। देश में 1 जुलाई, 1979 से चुनींदा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण की योजना शुरू की गई ताकि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने तथा उसे लगातार बनाए रखने के उपयुक्त समर्थन द्वारा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जा सके। इस समय आवश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली के 2.76 लाख निकास (दुकानें) हैं। केन्द्रीय सरकार ने वितरण के लिए जिन वस्तुओं की सिफारिश की है, वे हैं—गेहूं, चावल, लेवी चीनी, राशन का कपड़ा, मिट्टी का तेल और आयातित खाद्य तेल। कुछ राज्यों ने जलाने के कोयले तथा सीमेंट के वितरण का काम भी हाथ में लिया है। केन्द्रीय सरकार की विभिन्न एजेंसिया जैसे—भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य व्यापार निगम, कोल इण्डिया लिमिटेड तथा सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न तेल निगम, इन वस्तुओं की खरीद तथा आपूर्ति करती हैं।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य-संचालन पर राज्य सरकारों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करके लगातार निगरानी रखी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार हेतु समय-समय पर ठीक करने के उपाय किये जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संगठन तथा प्रशासन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यह राज्य सरकारों का काम है कि वे राज्यों में दुकानों के लिये विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के सुरक्षित भण्डार तैयार करें तथा उनकी आपूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र में एजेंसियों को नामजद करें। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उपभोक्ताओं को जिन वस्तुओं की आपूर्ति दुकानों के जरिये की जाती है, वह निर्धारित कीमतों पर हो। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति केन्द्रीय विक्रय मूल्यों पर करती है जोकि रियायती तथा/या नियंत्रित मूल्य होते हैं। राज्य सरकारों को अधिकार होता है कि वे

उपभोक्ता तक पहुंचने वाली वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने में केन्द्रीय विक्रय मूल्यों में परिवहन व्यय तथा स्थानीय कर आदि की राशि जोड़ लें।

अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वितरण कार्य, विशेषकर दुर्गम तथा दूर-दराज के क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों तक ये वस्तुएं पहुंचाने के लिए शहरी क्षेत्रों मे उपभोक्ता सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को केन्द्रीय सहायता से मजबूत किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष योजना कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक पुनर्गठित ग्रामीण प्राथमिक कृषि ऋण-समिति के पास कम से कम एक दुकान अवश्य होगी।

सहकारी समितियां और उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ता सहकारी समितियां, जिनको कि महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, अपनी शाखाओं और राशन की दुकानों से उपभोक्ताओं की सेवा कर रही हैं। निजी व्यापार के बजाए सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी गई है। उपभोक्ता वस्तुओं की सहकारी वितरण प्रणाली में शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियां और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सेवा तथा विपणन समितियां शामिल हैं। उपभोक्ता सहकारिता संगठन चार स्तरों पर कार्यरत है। इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर पर, 14,937 प्राथमिक सोसायटी, 488 केन्द्रीय/थोक समितियां और इनके साथ 3,903 जिला स्तर की शाखाएं, राज्य स्तर पर 15 राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, 7 राज्य सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता संघ और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी उपभोक्ता संघ हैं। थोक/केन्द्रीय समितियों द्वारा जिला स्तर पर चलाई जा रही 3,903 शाखाओं में 200 ऐसे डिपार्टमेंट स्टोर्स की भी सुविधा जुटाई गई है जहां एक ही जगह सभी प्रकार की खरीदारी की जा सके। इस ढांचे के अतिरिक्त, 5,000 से ऊपर ऐसी सहकारी समितियां भी हैं जो कि औद्योगिक मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, डाक-तार कर्मचारियों मध्य और अन्य बहुत- जगह कार्य करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों मे 31,845 के लगभग प्राथमिक मार्केटिंग सोसायटियां, सेवा संस्थाएं और अन्य सहकारिता सोसायटियां उपभोक्ता सामग्री के वितरण में जुटी हुई हैं।

ये सहकारी समितियां नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार की बहुत-सी आवश्यक वस्तुओं के वितरण में लगी हुई हैं। नियंत्रित वस्तुओं में सहकारी समितियां उन सभी वस्तुओं का वितरण करती हैं जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नियत हैं। अन्य आवश्यक वस्तुओं में जिनका कि सहकारी समितियों द्वारा प्रबंध किया जाता है, किराने का सामान, सौन्दर्य और प्रसाधन सामग्री, घरेलू सामान, लेखन सामग्री, कपड़ा, अल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील के बर्तन, दवाइयां, बच्चों का दूध, शुष्क बैटरी सैल और टायर ट्यूब हैं। अतः आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादित वस्तुओं के कुल उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत सहकारी समितियों द्वारा वितरण के लिए नियत किया जा चुका है। खाद्यान्न प्रायः भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त किया जाता है

अथवा फसल के समय इनकी खुद की एजेंसियां खुले बाजार से खरीद लेती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिये आवश्यक वस्तुएं जैसे औजार, खाद्य और कीट-नाशक दवाइयों को भी सहकारी समितियां ही मुहैय्या करती हैं। 1980-81 के बीच शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के द्वारा 895.58 करोड़ रु० का खुदरा व्यापार किया गया था जबकि 1979-80 में यह सिर्फ 748.23 करोड़ रु० का ही था। इस प्रकार 19.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विपणन संस्थाओं और ग्रामीण संस्थाओं ने 1980-81 में 800 करोड़ रु० की उपभोक्ता वस्तुएं बेचीं अर्थात् 1976-77 के 546 करोड़ रु० के मुकाबले 46.5 प्रतिशत अधिक।

सहकारी समितियों द्वारा कंट्रोल के कपड़े का वितरण

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन० सी० सी० एफ०) पूरे देश में कंट्रोल के कपड़े का वितरण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय शाखा है। राज्य स्तर पर प्रायः राज्य उपभोक्ता सहकारी संघों को समन्वय शाखाओं के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन कुछ राज्यों में जनजातीय विकास निगम तथा नागरिक आपूर्ति निगम भी, राज्य स्तर की विपणन शाखा जैसा कार्य करते हैं। संघ शासित क्षेत्रों में ज्यादातर कंट्रोल के कपड़े के वितरण का कार्य एन० सी० सी० एफ० करता है जोकि सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा नियत थोक भण्डारों द्वारा कपड़ा बचता है। 1980-81 के बीच (जुलाई 1980 से जून 1981 तक) टैक्सटाइल कमिश्नर ने कंट्रोल के कपड़े की 3,12,984 गांठें जारी कीं जबकि इसका राष्ट्रीय कोटा 2,66,700 गांठों का था। कंट्रोल के कपड़े का वितरण 68,304 खुदरा निकासों के जरिये हुआ (30 जून, 1981 तक) जिसमें से 55,841 अर्थात् 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जनता की सेवा के लिये था। शहरी क्षेत्रों में भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए बहुत से निकास (दुकानें) थे।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन०सी०सी०एफ०) राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता सहकारी शीर्षस्थ संस्था है। यह आवश्यक वस्तुओं की थोक खरीद करने तथा उन वस्तुओं को देश भर में फैली सम्बद्ध संस्थाओं को उपलब्ध कराने में लगी रहती है। इसने उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन को तकनीकी और प्रबंधकीय परामर्श देने के लिए परामर्शदात्री और प्रबंधकीय एकक भी स्थापित किए हैं जिनके क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में हैं। यह व्यवस्था आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपूर्ति को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह संघ, राशन और खुले दोनों प्रकार के कपड़े, सामान्य सौदा जैसे—कागज, सोडा ऐश, ब्लेड (हजामत वाले), साबुन, डिटर्जेंट, रेडीमेड कपड़े, स्टेनलेस स्टील के बर्तन और किराने के सामान जैसे दालें, चाय, चावल, नमक का लेन-देन करता है तथा दालों की थोक उपलब्धि और उनके अनुचित संग्रह को रोक-थाम में भी लगा हुआ है जिससे देश में दालों के बाजारों पर हितकर प्रभाव पड़ता है।

इसके अलावा विशेष रूप से त्योहारों के लिए विशिष्ट आवश्यक वस्तुओं के वितरण का काम भी इसने संभाल लिया है।

इस संघ ने ब्लेड, सस्ते किस्म के कपड़े और दूसरी चीजों के उत्पादन के लिए उनके निर्माताओं के साथ अपने नाम के चिह्न के साथ सम्मिलित होने के कुछ समझौते किए हैं। कुछ उपभोक्ता उद्योगों को भी यह चलाता है—जैसे कापियो, साफ किये हुए मसाले के उत्पादन। प्रारम्भिक अवस्था में, एन० सी० सी० एफ० सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत आश्रित व्यापार पर अधिक निर्भर था। धीरे-धीरे इसने विविध प्रकार के कार्य शुरू कर दिए। इसकी वार्षिक आय 1980–81 में 140.06 करोड़ रु० थी जबकि 1979–80 में 117.15 करोड़ रु० थी।

थोक मूल्यों की प्रवृत्ति

चालू वर्ष के दौरान समग्र कीमतों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अप्रैल 1981 से जनवरी 1982 के दौरान सभी वस्तुओं के थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में 3.2% की वृद्धि हुई जबकि 1980–81 की इसी अवधि के दौरान 12.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। अंक से अंक तुलना के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अप्रैल 1981 के 17.3 प्रतिशत की तुलना में जनवरी 1982 में घटकर 5.9 प्रतिशत तक आ गई। जनवरी 1980 में मुद्रास्फीति की दर 22.7 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट जारी है। फरवरी 1982 में मुद्रास्फीति की दर 3.1 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष फरवरी में मुद्रास्फीति की दर 16.2 प्रतिशत थी। सितम्बर 1981 से जनवरी 1982 के दौरान मूल्य सूचकांक 3.5 प्रतिशत नीचे आया जबकि अप्रैल से अगस्त 1981 तक सामान्य सूचकांक 7 प्रतिशत तक बढ़ गया था। सितम्बर 1981 से खाद्य तेलों की कीमतों में कुछ सुधार दिखाई दिया है। अप्रैल 1981 से जनवरी 1982 तक खाद्य तेलों का थोक मूल्य सूचकांक 3.5 प्रतिशत चढ़ा जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान सूचकांक में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अगस्त 1981 में मूल्य बहुत ऊंचे हो गये थे परन्तु उसके पश्चात् खाद्य तेलों के मूल्य में आमतौर पर कमी की प्रवृत्ति रही। सितम्बर 1981 और जनवरी 1982 के दौरान खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक में 8.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति फुटकर कीमतों में दिखाई पड़ती है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

नवम्बर 1981 की तुलना में दिसम्बर 1981 में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई। अप्रैल से दिसम्बर 1981 के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में [illegible] प्रतिशत की वृद्धि हुई। सितम्बर से दिसम्बर 1981 के दौरान सूचकांक में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अप्रैल से अगस्त 1981 के दौरान सूचकांक 8.1 प्रतिशत बढ़ गया था। इसी प्रकार, 1981-82 के प्रथम 5 महीनों की तुलना में 1981 के अन्तिम चार महीनों के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बढ़ोतरी की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई।

मूल्य वृद्धि के कारक तत्व

1979–80 के लिए केन्द्रीय बजट पेश किए जाने के शीघ्र पश्चात मार्च 1979 से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव पुन. बढ़ गया। मुद्रास्फीति की ताकतों को मदद देने वाले तत्व ये थ : 1979-80 में अभूतपूर्व सूखे का विभिन्न कृषि वस्तुओं के उत्पादन पर खराब असर, कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों जैसी वस्तुओं की आयात कीमतों में वृद्धि, पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों जैसी वस्तुओं की दर्ज कीमतें बढ़ाकर रखा, गेहूं, चावल, मोटे अनाज तथा गन्ने जैसी विभिन्न फसलों की खरीद और समर्थन मूल्यो में वृद्धि, परिवहन और बिजली क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे पर दबाव, गुड़, खडसारी, चीनी, मिट्टी के तेल और सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी, पिछले कुछ वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता तथा असम में आन्दोलन की अवधि बढ़ते जाने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति तथा मूल्यों पर दुष्प्रभाव और देश भर में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति पर भी दुष्प्रभाव।

आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन

कृषि वस्तुओं के उत्पादन मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है विशेषकर खाद्यान्नों के उत्पादन में जो कि वर्ष 1979–80 के 11 करोड़ टन से बढ़कर 1980-81 में 13 करोड़ टन हो गया था। 1981-82 में खाद्यान्नों का उत्पादन 13.4 करोड़ टन होने की आशा थी। 1979–80 में चीनी का उत्पादन 38.6 लाख टन से बढ़कर 1980-81 में 51.3 लाख टन हो गया। 1981-82 चीनी वर्ष मे, चीनी का उत्पादन फरवरी तक के 32.05 लाख टन की तुलना में, फरवरी 1982 तक 39.50 लाख टन हो गया। 1979–80 के 6.18 लाख टन की तुलना में 1980–81 में वनस्पति का उत्पादन 7.52 लाख टन तक बढ गया।

1980 के मुकाबले अप्रैल से नवम्बर 1981 के दौरान बहुत सी आम उपभोग की निर्मित वस्तुओ का उत्पादन बहुत बढ़ गया था। इन वस्तुओं में, नमक, बिस्कुट, माचिस, सीमेंट, हजामत के ब्लेड, कागज, साबुन, बिजली के बल्ब शुष्क सैल, दवाइयां, सोडा ऐश और साइकल शामिल है।

तथापि, सिंथेटिक डिटरजेंट, रबड़, चमड़े के जूते, बेबीफूड, पेन्सिल और साइकिल टायर के उत्पादन में कमी आई।

वस्तुओं की उपलब्धता

आम उपभोग की वस्तुओं और आवश्यक जिन्सों की उपलब्धता आम तौर पर सन्तोषजनक रही, यद्यपि चीनी, सीमेंट, मिट्टी के तेल और जलाने के कोयले की कमी महसूस की गई। इन वस्तुओं की कमी तथा कुछ अन्य वस्तुओ की आपूर्ति की अस्थाई अव्यवस्था भी उत्पादन एवं आवागमन की बाधाओ के कारण हुई। सम्बद्ध प्रशासकीय मंत्रालयों ने उनकी उपलब्धता में सुधार के लिये प्रयास किये।

मूल्य वृद्धि रोकने के उपाय

मुद्रास्फीति का सामना करने तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार लाने के लिये सरकार की नीति का प्रमुख झुकाव उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति प्रबंध

में सुधार लाने पर रहा है। इस दिशा में किये गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं—

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है। उचित दर की दुकानों की संख्या जो मार्च 1980 में 2.40 लाख थी दिसम्बर 1981 तक बढ़कर 2.98 लाख हो गई।

2. केन्द्रीय 'पूल' से खाद्यान्नों को ले जाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1980 में सरकारी भण्डार से 1.48 करोड़ टन खाद्यान्न ले जाया गया था जबकि 1981 में 10 लाख टन खाद्यान्न प्रति माह अधिक ले जाया गया।

3. किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया।

4. राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम, भण्डारण नियंत्रण आदेश, मूल्य-प्रदर्शन आदेश और कालाबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संरक्षण अधिनियम, 1980 की व्यवस्थाओं को जोरदार ढंग से लागू करें ताकि जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों और अन्य समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोका जा सके।

5 उपभोक्ताओं को उपयुक्त कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेलों को उपलब्ध कराने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(क) समय-समय पर राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निरीक्षण करें। 1979–80 के 3.55 लाख टन की तुलना में 1980–81 तेल वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं को 4.25 लाख टन आयातित खाद्य तेल जारी किया गया।

(ख) तेल बीजों का उत्पादन बढ़ाने और अधिक से अधिक गैर परम्परागत स्रोतों को प्राप्त करने जैसे कपास के बीज, चावल की भूसी और वृक्ष इत्यादि, के लिए विशेष कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये गये है।

(ग) माग और आपूर्ति मे सन्तुलन बनाये रखने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित खाद्य तेल का पर्याप्त मात्रा मे भण्डारण किया गया।

(घ) त्यौहारों के अवसर पर वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेल की आपूर्ति बढ़ा दी गई।

(ङ) 1979–80 के 6.79 लाख टन की तुलना में 1980–81 तेल वर्ष के दौरान वनस्पति का उत्पादन बढ़कर 8.27 लाख टन हो गया।

(6) लेवी चीनी की मासिक आपूर्ति 2.71 लाख टन कायम रखी गई। अप्रैल से दिसम्बर 1981 के दौरान गैर-लेवी चीनी की आपूर्ति 17.40 लाख टन थी जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 14.30 लाख टन थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रबन्ध व्यवस्था में उल्लेखनीय विस्तार और सुधार हुआ है। बहुत से राज्यों ने नागरिक आपूर्ति निगमों की स्थापना की है एवं अन्य राज्य भी ऐसे निगमों की स्थापना या सरकारी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये प्रयत्नशील हैं। अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिये इस वर्ष ऐसी मुद्रा नीति अपनाई गई थी जिससे एक ओर तो मुद्रा आपूर्ति और ऋण के प्रसार को रोका जा सके और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के प्राथमिक तथा उत्पादक क्षेत्रों को अधिक ऋण प्रवाह और बैंक अग्रिम को गतिशील बनाने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। 1981-82 में बैंक ऋणों और जमा खाते की ब्याज-दरों के ढांचे में परिवर्तन और बैंक दर में वृद्धि आदि के कई उपाय किये गये।

उपभोक्ता आन्दोलन बहुत सी उपभोक्ता निदेशक संस्थाएं न केवल आवश्यक वस्तुओं के वितरण का निरीक्षण करती हैं बल्कि व्यापारिक भ्रष्टाचार, विशेष तौर पर मिलावट और माप-तौल की गड़बड़ी की भी जांच करने जैसे उपयोगी कार्यों में लगी हुई हैं। मूल्य वृद्धि के सन्दर्भ में उपभोक्ता आन्दोलन और पकड़ रहा है। सरल और कारगर वितरण प्रणाली, अधिक खपत वाले माल की अच्छी किस्म की व्यवस्था, मूल्य और गुण संबंधी उपभोक्ता अधिकारों के प्रति स्त्री-वर्ग में सजगता उत्पन्न करने पर बल है। भ्रष्टाचार से उपभोक्ता की सुरक्षा के लिये पहले से ही बहुत-से नियम-विनियम काम कर रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें उपभोक्ता को शिक्षित करने, उपभोक्ता की परेशानियों का पता लगाने, उपभोक्ता समस्याओं पर अध्ययन करने, विभिन्न उत्पादों के गुणों का परीक्षण करने, उत्पादित वस्तु का स्तर बनाए रखने, उपभोक्ता की आवश्यकताओं पर सेमिनार आयोजित करने, अधिक खपत वाली चीजों की उपलब्धता के बारे में वर्कशाप चलाने तथा उपभोक्ता सुरक्षा साहित्य के प्रकाशन के लिये उपभोक्ता समितियों को सहायता प्रदान करती हैं।

ग्रामीण इलाकों में बहुत सी कृषि ऋण सहकारी/प्राथमिक विपणन समितियां, उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के कार्य में लगी हुई हैं। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु उपभोक्ता सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने के कार्य को नये बीस-सूत्री कार्यक्रम मे विशेष महत्व दिया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये शहरी इलाकों में उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास और ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के विस्तार के लिये सेवा समितियों, में दो योजनाएं छठी योजना अवधि में शामिल की गई है।

1981-82 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने प्राथमिक कृषि ऋण/सेवा समितियों की हिस्सा पूंजी को सुदृढ़ करने के लिये 4 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की। डिपार्टमेंट स्टोर्स और उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना और उनको मजबूत करने के लिये 12 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को केन्द्र सरकार ने 88.39 लाख रुपये की मंजूरी दी है।

कानूनी उपाय

आज की पेचीदा आर्थिक प्रणाली में इस बात को अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये वैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये देश में अनेक उपाय किये गये हैं।

आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, उपलब्धि, मूल्य नियंत्रण और वितरण संबंधी मुख्य कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 है। यह अधिनियम 1976 में संशोधित किया गया ताकि मुनाफाखोरों, कालाबाजारवालों और जमाखोरों की समाज विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध कारगर कदम तेजी से उठाए जा सकें।

मूल्य वृद्धि की रोकथाम और बेईमान व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं का कृत्रिम अभाव बनाने से रोकने के लिये 5 अक्तूबर, 1979 को आवश्यक वस्तु आपूर्ति और कालाबाजारी रोकथाम अध्यादेश, 1979 जारी कर के आवश्यक वस्तुओं और अधिक खपत वाली वस्तुओं की मुनाफाखोरी, चोर बाजारी में लगे लोगों, और जमाखोरों के लिए निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया। फरवरी 1980 में संसद के एक कानून ने इस अध्यादेश का स्थान ले लिया।

नाप-तौल के मानक

नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में नाप-तौल निदेशालय, अन्तर्राष्ट्रीय एकक प्रणाली (एस० आई०) के आधार पर नाप-तौल के मानक निर्धारित करने के लिये जिम्मेदार है। इसके अलावा, यह आरम्भ से ही मीट्रिक परिवर्तन तथा नाप-तौल पर नियामक नियंत्रण से संबंधित सभी कार्यों के लिये एक केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन, मानकों पर अमल का काम राज्य और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा इस विषय पर उनके अपने कानूनों के अनुसार किया जाता है। अमल के काम में एकरूपता लाने के लिये, संविधान (42वें संशोधन) कानून, 1976 के अन्तर्गत नाप-तौल को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। इसके परिणामस्वरूप संसद भी इससे संबंधित कानून बना सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय एकक प्रणाली (एस० आई०) के अन्तर्गत मीट्रिक प्रणाली के सुधरे और विकसित हुए रूप को लागू करने और अपने कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों जो कि अन्तर्राष्ट्रीय लीगल मीट्रोलाजी संघ (ओ० आई० एम० एल) ने की थीं के अनुरूप बनाने के लिए मानक नाप-तौल अधिनियम, 1976 बनाया गया था। अब यह आवश्यक है कि इस अधिनियम के अनुसार अमल सम्बन्धी कानून संशोधित किए जाए। इस कार्य के लिये उपाय किए जा चुके हैं।

1976 के कानून की व्यवस्थाओं और उनके अन्तर्गत आने वाले 'आवश्यक वस्तुओं के पैकिंग नियंत्रण नियमों' को 26 सितम्बर, 1977 से लागू किया गया। उन्होंने खुदरा बिक्री के लिए हर पैकिट पर पैकिट-बंद वस्तु के कुल भार, पैकिंग किए जाने की तिथि, उत्पादक का नाम व पता और मूल्य लिखने की शर्त रखी। पैकिट में ठीक भार की वस्तुएं बन्द की जाएं, इसकी भी व्यवस्था की गई। पैकिट में बन्द वस्तुओं का उचित व्यापार और मूल्य नियंत्रण रखने में वे बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुई।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ लीगल मैट्रोलाजी, रांची राज्यों के नाप संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। विदेशी भी इसमें प्रशिक्षण लेते हैं। इसका संघीय जर्मन गणराज्य की सहायता से और आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। पांचवी पंचवर्षीय अहमदाबाद और भुवनेश्वर में दो क्षेत्रीय सन्दर्भ मानक प्रयोगशालाएं की गईं जिन्होंने राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त मानकों का अंशांकन शुरू किया है। प्रयोगशालाओं को सुसज्जित भी किया जा रहा है जिसमें वे उद्योगों में इस्तेमाल किये जाने वाले मापक उपकरणों का अंशांकन का काम हाथ में ले सकें तथा कुछ किस्मों के मापन उपकरणों का प्रतिदर्श अनुमोदन परीक्षण भी कर सकें।

बाटों व नापों के राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन, स्थापना, अनुरक्षण व आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली की है। भारत सरकार की बम्बई टकसाल, निर्देशन, सैकेन्डरी और कार्य मानकों के उत्पादन के लिये जिम्मेदार है। टकसाल बहुत-से दूसरे देशों के मानकों की आवश्यकता भी पूरी करती है।

व्यापार चिह्न

व्यापार एवं व्यापारिक माल चिह्न अधिनियम, 1958 में व्यापारिक चिह्नों के पंजीकरण तथा व्यापारिक माल पर पंजीकृत चिह्नों के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था है। व्यापारिक चिह्न पंजीकरण कार्यालय एक सांविधिक संगठन है जो इस अधिनियम के परिपालन के लिये स्थापित किया गया है। यह पेटेंटों, डिजाइनों और व्यापारिक चिह्नों के महानियंत्रक के नियंत्रण में है जो उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये व्यापारिक चिह्नों का पंजीकार है। व्यापारिक चिह्न पंजीकरण कार्यालय का मुख्यालय बम्बई में है और उसके तीन शाखा कार्यालय कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में हैं। पंजीकरण कार्यालय की प्रत्येक शाखा का एक निश्चित अधिकार क्षेत्र है। व्यापारिक चिह्नों का रजिस्टर बम्बई के प्रधान कार्यालय में रहता है और उसकी प्रतिलिपि प्रत्येक शाखा कार्यालय में रहती है। 1981 वर्ष में 2,815 व्यापारिक चिह्न दर्ज किये गये, 5,715 पंजीकृत व्यापारिक चिह्नों का नवीनीकरण हुआ और 48 पंजीकृत उपभोक्ता दर्ज किए गए।

विदेशी मुद्रा नियमन कानून, 1973 के अधीन विदेशी कम्पनियों अथवा ऐसी भारतीय कम्पनियों को जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक गैर-निवासी लोगों के शेयर हों, को यह इजाज़त नहीं है कि वे किसी व्यापार चिह्न का किसी व्यक्ति या कम्पनी को, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग करने की अनुमति दे सकें। कानून लागू होने के पहले ऐसे किसी व्यापार चिह्न के प्रयोग के लिये दी गई स्वीकृति को भी नया कराना पड़ेगा।

अगाऊ बाजार आयोग

अगाऊ बाजार आयोग, अगाऊ ठेकों का नियमन करता है और कुछ आवश्यक वस्तुओं सहित कई वस्तुओं के मूल्यों की प्रवृत्ति पर भी निगाह रखता है। आयोग, अगाऊ अनुबंध (नियमन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अपराधों की प्रकृति, कार्य-प्रणाली तथा अन्य सम्बद्ध

के बारे में राज्य पुलिस अधिकारियों को जानकारी देने के प्रयास करता है। आयोग इस कानून के कार्यान्वयन पर निगरानी भी रखता है।

1981 के दौरान आयोग ने मान्यता प्राप्त संघों द्वारा संचालित पटसन के बोरे, काली मिर्च और हल्दी आदि के अगाऊ व्यापार का नियमन जारी रखा। पटसन के बोरों के लिए कलकत्ता, काली मिर्च के लिये कोच्चिन तथा बम्बई और हल्दी के लिए सागली को व्यापारिक केन्द्र के रूप में अनुमति दी गई। इसके अलावा कच्चे पटसन तथा पटसन के बने माल के हस्तातरणीय और गैर-हस्तांतरणीय विशिष्ट वितरण अनुबंधों की अनुमति दी गई। अहमदाबाद, भटिण्डा, बम्बई, कोयम्बुतूर, गुंटूर, सूरत, सुरेन्द्रनगर तथा उज्जैन स्थित मान्यता प्राप्त संघों के अन्तर्गत विभिन्न किस्मों की रुई के मामले में भी अहस्तांतरणीय विशिष्ट वितरण अनुबंधों की अनुमति दी गई।

सहकारिता

भारत में सहकारिता को पहली बार 1904 में ठोस रूप दिया गया, जब सहकारी ऋण समिति अधिनियम स्वीकृत हुआ। इसका उद्देश्य गांवों में ऋणग्रस्तता की समस्या को सुलझाना और ऋण समितियों को पंजीकृत कराना था। बाद में 1912 में सहकारी समिति अधिनियम में गैर-ऋण समितियों के साथ सहकारी संघों के पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई। तब से सहकारी आंदोलन ने विशेषकर कृषि ऋण, कृषि सामग्री की पूर्ति और विपणन, कृषि सामान आपूर्ति और उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में काफी प्रगति की है। जुलाई, 1980 में 2.9 लाख सहकारी समितियां थी जिनमें से 65 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। वे किसानों, भूमिहीन श्रमिकों और ग्रामीण जनता के अन्य वर्गों के लिए मुख्य तौर पर काम कर रही हैं।

सहकारी समितियों की वृद्धि

भारत में 1960-61 तथा 1979-80 के बीच चुने हुए वर्षों के दौरान सहकारी आंदोलन की मुख्य विशेषताएं एवं उसकी गतिविधियों के मोटे तौर पर आंकड़े सारणी 17.1 में दिए गए हैं:—

सारणी 17.1 सहकारी समितियों की वृद्धि

	1960–61	1970–71	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	1979–80 अस्थाई
समितियों की संख्या (लाखों में)	3.3	3.2	3.3	3.1	3.2	3.0	2.9
सहकारिता समितियों की सदस्य संख्या (लाखों में)	342	591	695	848	896	931	1,010
हिस्सा पूंजी (करोड़ रु० में)	222	851	1,529	1,529	1,700	1,812	1,987
कार्य पूंजी (करोड़ रु० में)	1,312	6,810	11,278	12,432	14,585	16,691	19,058

17.1 तालिका के आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि 1960-61 और 1979-80 तक के 19 वर्षों के बीच प्राथमिक समितियों के सदस्यों की संख्या तीन गुना, सभी प्रकार की समितियों की हिस्सा पूजी 5 गुने से अधिक और लगी हुई धन राशि 14 गुने से अधिक बढ़ गई।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

अब तक सबसे अधिक संख्या प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की थी। जून, 1980 के अंत में 95 हजार से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां थी जो कि 96.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती थी। इन समितियों के सदस्यों की संख्या 30 जून, 1980 को 541.4 लाख थी। जहां तक प्राथमिक कृषि समितियों का संबंध है उनमें सबको सदस्य बनाने की नीति मान ली गई है जिससे कि गरीब वर्गों के लोग सहकारी समितियों के सदस्य बन सकें और इनकी सेवाएं प्राप्त कर सकें। इन समितियों की जून 1980 में हिस्सा पूजी 496.6 करोड़ रु० थी और लघु अवधि के कृषि ऋणों की राशि 1979-80 के दौरान 969 करोड़ रु० थी।

विपणन और माल तैयार करने वाली सहकारी समितियां

सहकारी विपणन दायरे के अंतर्गत देश की सभी मुख्य कृषि मंडियों में लगभग 3,822 प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां है इनमें 380 जिला/क्षेत्रीय विपणन समितियां और 208 गन्ना यूनियनें, 29 राज्य स्तरीय सहकारी विपणन संघ, और एक राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ भी आते है। विपणन सहकारियों द्वारा 1980-81 में 1,950 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कृषि उत्पादन का विपणन किया गया। विपणन सहकारी समितियों द्वारा खाद्यान्न का विपणन 1968-69 में 220 करोड़ रु० का हुआ था जो 1980-81 में 500 करोड़ रु० तक बढ़ गया। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ का कारोबार 1980-81 के दौरान 200 करोड़ रु० से अधिक था जबकि 1976-77 में यह 30.53 करोड़ रु० था; इसमें 122.9 करोड़ रु० का निर्यात भी सम्मिलित है।

सहकारी क्षेत्रो में माल तैयार करने वाली इकाइयां दो रूपों में होती हैं: (1) स्वतंत्र समितियों द्वारा स्थापित इकाइयां (2) सहकारी विपणन समितियों से जुडी इकाइयां। पहली श्रेणी में बड़ी-बड़ी इकाइयां आती हैं जैसे—सहकारी चीनी फैक्टरी, कताई मिल, विलायक कर्षण संयंत्र। मध्यम और छोटी इकाइयां जैसे—चावल मिल, तेल मिल, रुई ओटाई और दबाने वाली इकाइयां, जूट की गाठें बनाने वाली इकाइयां ज्यादातर दूसरी श्रेणी में आती हैं। 1980-81 के दौरान 2,352 माल-सफाई इकाइयां सहकारी क्षेत्र में संगठित की गई। इनमें से 1,929 इकाइयां लगाई गई थी जिनमें 403 बड़े और मध्यम आकार के उद्योग थे—जैसे चीनी मिल, कताई मिल, विलायक कर्षण संयंत्र आदि। 1,519 इकाइयां विपणन समितियों से जुडी हुई स्थापित की गई। 177 सहकारी चीनी फैक्टरियां आठ राज्य संघों और एक राष्ट्रीय संघ के रूप में संगठित हुई। 1979-80 के चीनी मौसम में 154 सहकारी चीनी फैक्टरियां उत्पादन में लगी थी। उन्होंने 26.01 लाख टन चीनी का, यानी देश के कुल चीनी उत्पादन का 56.4 प्रतिशत उत्पादन किया। राष्ट्रीय स्तर पर, सहकारी चीनी फैक्ट-

रियों के राष्ट्रीय संघ ने एक तकनीकी एकक की स्थापना की। इसने महाराष्ट्र में पुणे में सहकारी क्षेत्र में मशीनरी उत्पादन के लिए राष्ट्रीय हैवी इंजीनियरिंग सहकारी (एन एच ई सी) लिमिटेड की स्थापना में मदद की। हाल ही में एन एच ई सी ने तेल, सीमेंट और कागज उद्योग के लिये भी मशीनें आदि बनाने का फैसला किया है। इसके लिए पुणे के निकट एक स्थान पहले ही तय किया जा चुका है। पहले चरण में संयंत्र और मशीनें आदि लगाई जा रही हैं। एन० एच० ई० सी० ने 69 सहकारी चीनी कारखानों सहित 80 सदस्य बनाए हैं और 163.90 लाख रु० की शेयर पूंजी इकट्ठी की है। रुई ओटाई और दाब के क्षेत्र में सहकारी समितियों ने देश के कुल उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत उपयोग किया।

भण्डारण

विभिन्न स्तरों पर सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम के आयोजन, प्रोत्साहन और उसके लिए वित्त की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की है। जून 1981 के अन्त तक सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता 51.32 लाख टन हो चुकी थी जबकि 1960-61 में यह 8 लाख टन थी। जून 1981 के अन्त तक 24,659 ग्रामीण और 5,289 विपणन गोदामों का निर्माण किया गया।

1980-81 के दौरान 2.51 लाख टन भण्डारण की कुल क्षमता के 137 सहकारी शीत भण्डार एकक भी स्थापित किए गए। यूरोपीय सांझा बाजार और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की सहायता से निगम ने 10 राज्यों में 37 लाख टन की क्षमता वाले 20,000 भण्डारों और 5 आलू उत्पादक राज्यों में 127 शीत भण्डारों के निर्माण का एक विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किया है।

औद्योगिक सहकारी समितियां

सहकारी समितियों ने लघु और ग्रामीण उद्योगों और हथकरघा बुनाई में एक मुख्य स्थान ग्रहण कर लिया है। 30 जून, 1979 को लगभग 40,000 औद्योगिक सहकारी समितियां थी जिनमें 26 लाख सदस्य थे। 1977-78 म इन समितियों का उत्पादन और बिक्री क्रमशः 262.47 और 189.42 करोड़ रु० रही।

सदस्य समितियों के उत्पाद के विपणन में सहायता की दृष्टि से बनाए गए राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी संघ ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत करने के प्रयास किए। जून, 1980 के अंत में इसके पास 70 सदस्यों सहित 25.67 लाख रु० की चुकता पूंजी थी। 1979-80 के दौरान संघ द्वारा कुल 162.24 लाख रुपए का कारोबार किया गया।

सहकारी कताई मिलें

दिसम्बर 1980 तक सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों की कुल संख्या जो कि संगठित और स्थापित की गई थी क्रमशः 149 और 62 थी। 62 स्थापित मिलों में 26 उत्पादकों की मिलें हैं और 36 बुनकरों की मिलें। मई 1981 तक सहकारी क्षेत्र में 13.49 लाख तकुए स्थापित हो गए। सहकारी कताई मिलों की कुल सदस्य संख्या 2.51 लाख थी और उनकी हिस्सा पूंजी 23.68 करोड़ रु० थी। मई, 1980 तक धागे का कुल उत्पादन 673.64 लाख कि० ग्रा० था।

कताई मिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल लिमिटेड संघ स्थापित किया है। संघ विकास और प्रोत्साहन देने वाली संस्था है जो नई मिलों की स्थापना और विद्यमान मिलों के विस्तार में परामर्श देती है। यह कताई मिलों को मशीनरी चुनने और खरीदने, कार्य कर रहे संयंत्रों की जांच, तकनीकी कर्मचारियों के चयन, लेखा विधि के मानकीकरण आदि द्वारा आधुनिक बनाने की योजनाओं को पूरा करने में भी मदद देती है। संघ अपनी सदस्य मिलों की प्रबन्ध व्यवस्था में व्यापक तकनीकी सुविज्ञता उपलब्ध कराने की दृष्टि से चुने हुए महत्वपूर्ण कर्मचारियों का पूल रखता है।

कृषि सामान आपूर्ति

किसानों की सहायता में, सहकारी समितियों ने कृषि के लिए अपेक्षित वस्तुओं जैसे—खाद, बीज, कीटनाशक और औजारों के उत्पादन तथा वितरण में अर्थपूर्ण भूमिका अदा की है। देश में वितरित कुल खाद का लगभग 42 प्रतिशत सहकारी वितरण प्रणाली के द्वारा बेचा जाता है। हाल के वर्षों में सहकारी समितियों ने नए क्षेत्रों में काम जैसे दानेदार खाद उत्पादन, बीजों का उत्पादन, उपचार और वितरण, उन्नत कृषि औजारों का निर्माण और वितरण और कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिये गतिविधियां शुरू की हैं।

इफको

भारतीय कृषक खाद सहकारी समिति लिमिटेड (इफको) भारत में बड़े स्तर पर खाद उत्पादन का एक अद्वितीय सहकारी उद्यम है। यह देश में खादों का मुख्य उत्पादक है। खाद के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में इसका योगदान 11 प्रतिशत नाइट्रोजन और 21 प्रतिशत फास्फेट के रूप में है। सहकारी समितियों से सम्बन्धित किसान सदस्यों के फायदे के लिए खाद उत्पादन और विपणन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1967 में इसका पंजीकरण हुआ। इफको की सदस्यता में 27,000 सहकारी संस्थाएं आती हैं जिनमें 16 राज्यों और तीन संघशासित क्षेत्रों के राष्ट्रीय स्तर संघों से लेकर ग्रामीण-सहकारी समितियां [illegible]। इसने अमोनिया और [illegible]

प्रशिक्षित और प्रेरित कृषि तकनीकी विशेषज्ञ कार्य करते हैं जो कि गांवों में प्रारम्भिक स्तर पर सहायता करते हैं और संतुलित खाद, उन्नत बीजों और दूसरे निवेशों के उपयोग के लिए मार्ग निर्देश करते तथा मिट्टी के परीक्षण करते और सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने की विधि बताते हैं।

इफको ने नेफ्था-आधारित अमोनिया और यूरिया परियोजनाओं को इलाहाबाद के निकट फूलपुर में प्रारंभ किया है। इनसे क्रमश: 900 टन अमोनिया और 1500 टन यूरिया प्रति दिन प्राप्त हो सकेगा। इस पर खर्च होने वाली संशोधित अनुमानित राशि 205 करोड़ रु० है। इस परियोजना का निर्माण कार्य जून 1980 तक पूरा हो गया और मार्च 1981 से उत्पादन शुरू हो गया है।

सहकारी क्षेत्र में दूसरा बड़ा अमोनिया और यूरिया समूह सूरत के निकट हजीरा में स्थापित होगा और बाम्बे हाई/दक्षिण बसई की प्राकृतिक गैस पर आधारित होगा। इनका प्रस्ताव भी स्वीकृत हो चुका है। समूह में दो अमोनिया परियोजनाएं होंगी—प्रत्येक की क्षमता 1,350 टन प्रतिदिन—और दो यूरिया परियोजनाएं होंगी-प्रत्येक की क्षमता 1,100 टन प्रतिदिन। समूह की अनुमानित लागत 980 करोड़ रु० होगी। परियोजना के निर्माण के लिए एक नई सहकारी समिति—'कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड' (कृभको) पंजीकृत की गई है। इसने परियोजना स्थापित करने संबंधी सभी प्रारम्भिक कदम उठा लिए हैं। 1985 तक इसके पूरी हो जाने की आशा है।

समाज के कमजोर वर्गों के लिये सहकारी समितियां

समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहकारी समितियां छोटे और बहुत छोटे किसानों तथा मछुओं जैसे विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार और आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करती हैं। डेरी, मछली पालन और मुर्गी पालन जैसे कार्यक्रमों के लिए कार्यात्मक सहकारी समितियां मुख्य रूप से कमजोर वर्गों की सेवा के लिए हैं। 31 दिसम्बर, 1978 तक देश में चालू कुल 190 डेरी संयंत्रों में से 80 सहकारी क्षेत्र में थे। 30 जून, 1980 को 25,859 प्राथमिक दूध आपूर्ति सहकारी समितियां थी जिनकी सदस्य संख्या 23 लाख थी। 1979–80 के दौरान इन सहकारी समितियों ने 184 करोड़ रुपये के उत्पादों का व्यापार किया। प्राथमिक दूध सहकारी समितियों के 203 संघ हैं। 1970 में डेरी सहकारी समितियों का राष्ट्रीय संघ स्थापित किया गया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) डेरी सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देता है। 1980–81 के दौरान निगम ने 40 सहकारी डेरी एकक बनाने के लिए 8.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।

मछली पालन सहकारी समितियों के संगठनात्मक ढांचे का आधार, प्राथमिक मछली पालन सहकारी समितियां हैं। प्राथमिक मछली पालन सहकारी समितियों का एक बड़ा ढांचा इनके परिसंघ के रूप में भी है। इसमें जिला और केन्द्रीय संघ तथा राज्य स्तरीय संघ शामिल हैं। 1979–80 में आल इण्डिया फैडरेशन आफ फिशरमेन्स कोआपरेटिव कायम किया गया। 30 जून, 1980 को लगभग 4,609 प्राथमिक मछली पालन सहकारी समितियां थीं जिनकी सदस्य संख्या 5.38 लाख थी। 1979–80 में इन प्राथमिक समितियों ने लगभग 19 करोड़

रुपये मूल्य की मछलियों का कारोबार किया। परियोजना के आधार पर मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये एक सहकारी मछली पालन कार्यक्रम तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मछली पालन सहकारी समितियों के विकास के लिये भी वित्तीय सहायता देता है। मार्च 1980 के अन्त तक मछली पालन सहकारी समितियों को 240 से ऊपर परियोजनाओं के लिये 911.03 लाख रुपये मंजूर किये गये।

मुर्गी पालन सहकारी समितियां

जून, 1980 के अन्त तक 1,289 से अधिक प्राथमिक मुर्गी पालन सहकारी समितियां थीं जिनकी सदस्य संख्या 67,600 थी। इन्होंने 1979-80 में 6.83 करोड़ रु० का व्यापार किया। चूजों की उपलब्धि, तकनीकी निर्देशन, उपकरण, रोग निवारण, विस्तार कार्य, दाना उपलब्ध करना और मुर्गी उत्पादों को एकत्रित करना और सहकारी समितियों के द्वारा उनका विपणन करना—ये सब काम एक समेकित तरीके से करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

बहुद्देश्यीय जनजातीय समितियां

जन जातियों के आर्थिक विकास के कार्यक्रम के अंग के रूप में जनजातीय क्षेत्रों की प्राथमिक सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है, ताकि वे ऐसी बहुद्देश्यीय समितियों के रूप में कार्य कर सकें जो जनजातीय लोगों को कम, मध्यम और लम्बी अवधि के ऋण दें, कृषि तथा मामूली वन उत्पादों के एकत्रीकरण तथा विपणन की जिम्मेदारी लें तथा कृषि के लिए आवश्यक सामग्री तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबन्ध करें। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में राज्य-स्तर पर सहकारी जनजातीय विकास निगम अथवा संघ स्थापित किए जा चुके हैं। ये निगम अथवा संघ छोटे-मोटे वन-उत्पादों और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए शीर्षस्थ संगठन के रूप में कार्य करेंगे।

श्रम

श्रम ठेका और निर्माण सहकारी समितियां इस उद्देश्य से संगठित की गई हैं कि उनके सदस्यों को उचित मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध हो और ठेकेदार उनका शोषण न कर सकें। 1979-80 में 11,858 श्रमिक सहकारी समितियां और वन श्रमिक सहकारी समितियां थीं जिनकी सदस्य संख्या 7.78 लाख थी। श्रमिक सहकारी समितियों ने 1975-76 में 40.48 करोड़ रु० का काम किया जो 1979-80 में बढ़कर 85.57 करोड़ रु० का हो गया।

1979-80 में चुनी हुई प्राथमिक गैर-ऋण समितियों की संख्या, उनकी

सदस्य संख्या और कार्य पूंजी का ब्यौरा सारणी 17.2 में दिया गया है।

सारणी 17.2 प्राथमिक गैर-ऋण सहकारी समितियां (1979-80)

संस्था	संख्या	सदस्यता (हजार में०)	कार्य पूंजी (लाख रु०)
1	[redacted]	3	4
सामान्य उद्देश्य विपयक विपणन समितियां	2910	3,205	32,368
विशिष्ट विपणन समितियां .	705	263	4,183
दूध आपूर्ति समितियां . .	25,859	2,321	7,602
मुर्गी पालन सहकारी समितियां .	1,289	68	741
मछली पालन समितियां . .	4609	538	1984*
कृषि श्रम समितियां . .	1,568	221	6,049
श्रम ठेका और निर्माण समितियां .	10,290	557	3,810
कपास ओटने और गाठे तैयार करने से सम्बद्ध समितियां . .	236	223	3520

*9 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण शामिल नहीं किये गये ।

प्रशिक्षण और अनुसंधान

सहकारी क्षेत्र मे प्रशिक्षण देने के लिए देश में विस्तरीय सुव्यवस्थित ढांचा उपलब्ध है। वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान (वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, पुणे,) मध्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 16 सहकारी प्रशिक्षण कालिज और छोटे पदों पर लगे कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 82 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इस ढांचे के अन्तर्गत स्थापित किए गए है । पुणे का राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान तथा राज्यों के मुख्यालयों में काम कर रहे 16 सहकारी प्रशिक्षण कालिज, राष्ट्रीय सहकारी परिषद के अधीन हैं। यह परिषद भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का एक भाग है। इस संघ को पूरा वित्त भारत सरकार से मिलता है। छोटे पदों पर लगे कर्मचारियों के प्रशिक्षण केन्द्र, राज्य सरकारों तथा राज्य सहकारी संघों के अधीन कार्य कर रहे हैं । वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान ने देश में सहकारिता आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान की परियोजनाएं भी शुरू की है ।

राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ

पिछले दस वर्षों में एक महत्वपूर्ण प्रगति यह हुई है कि राष्ट्रीय सहकारी संघ स्थापित हुए हैं जिससे सहकारी ढांचे में नए आयाम जुड़े हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ शीर्ष संस्था है। राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संघ, अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक संघ, सहकारी चीनी कारखानों का राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक संघ, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, औद्योगिक सहकारी समितियों का राष्ट्रीय संघ, सहकारी कताई मिलों का अखिल भारतीय

संघ, राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, राष्ट्रीय सहकारी डेरी संघ, सहकारी नगरीय बैंकों और ऋण समितियों का राष्ट्रीय संघ और मछली पालन सहकारी समितियों का अखिल भारतीय संघ आदि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं।

विद्यार्थियों को आपूर्ति

जुलाई, 1975 में राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भेजी गई इस योजना में उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं द्वारा छात्रावासों तथा विद्यार्थियों के रहने की मान्यता प्राप्त जगहों को अनाज, दालें, मसाले, वनस्पति तथा अन्य खाद्य तेल, चाय और काफी, चीनी आदि आवश्यक उपभोक्ता वस्तु रियायती दरों पर देने की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

कण्ट्रोल के कपड़े का वितरण

1964 से 1972 के बीच कपड़े के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं था यद्यपि कुछ किस्मों के कपड़े के उत्पादन तथा कीमतों पर सांविधिक नियंत्रण था। इससे कई गम्भीर बुराइयां चल पड़ी। फलस्वरूप नवम्बर, 1972 में कण्ट्रोल के कपड़े के वितरण की जिम्मेदारी उपभोक्ता सहकारी समितियों को सौंपी गई। इसके बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कण्ट्रोल का कपड़ा सब स्थानों पर, चाहे वे कितने दूरस्थ हों, एक ही खुदरा मूल्य पर प्राप्त हो सके, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने 'भाड़ा समकरण निधि' आरम्भ की है। जून 1978 से जून 1980 तक के समय मे कण्ट्रोल के कपड़े के लिए, फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या 62,198 से बढ़कर 66,304 हो गई। इनमें से 84 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

कन्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन और खरीद के लिए एक जुलाई 1981 से एक नई योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, खुदरा उपभोक्ता मूल्यों को कम रखने के लिए भारत सरकार, नियत दरों पर, कन्ट्रोल के कपड़े के विक्रय मूल्य मे सहायता देती है।

18 ऊर्जा

भारत में ऊर्जा की आवश्यकताएं वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक दोनों स्रोतों से पूरी की जाती हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा के सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत कोयला और तेल हैं। बिजली उत्पादन में मुख्य योगदान जलशक्ति और कोयले का रहता है। गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा लकड़ी, उपलों और रद्दी वनस्पति से प्राप्त होती है और यही ग्रामीणों की ऊर्जा सम्बन्धी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करती है।

पूर्ण आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा के महत्व तथा विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के विकास के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता को समझते हुए एक नया ऊर्जा मन्त्रालय अक्तूबर 1974 में बनाया गया। इस मन्त्रालय को ऊर्जा सम्बन्धी सामान्य नीति और कोयला एवं बिजली के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1970 में सरकार ने एक लम्बी अवधि की राष्ट्रीय ईंधन नीति की रूप-रेखा तैयार करने के लिए एक ईंधन नीति समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट अक्तूबर 1974 में दी। समिति की सिफारिश तथा ऊर्जा के क्षेत्र में बाद की घटनाओं के आधार पर एक व्यापक ऊर्जा-नीति तैयार की गई जिसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग और संरक्षण के उपाय निर्धारित किए गए हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा के देशी स्रोतों का विकासकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ऊर्जा को सुरक्षित रखना तथा उसके दुरुपयोग को रोकना है।

ऊर्जा की सबसे अधिक सुविधाजनक और उपयोगी किस्म बिजली है, इसलिए भारत में इसकी मांग अन्य किस्मों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है। उद्योग और कृषि दोनों में बिजली महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है तथा दोनों में उत्पादकता बिजली की समुचित उपलब्धि पर निर्भर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिजली के विकास को विकास-कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिकता दी गई है।

बिजली

भारत में बिजली विकास 1900 में शुरू हुआ था जब कर्नाटक के शिवसमुद्रम में एक पन-बिजली उत्पादन केन्द्र चालू किया गया। हालांकि बिजली का उत्पादन इतनी जल्दी शुरू हो गया था, फिर भी 1947 तक इसके उत्पादन में कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया गया। उस समय बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 19 लाख किलोवाट थी और इसका उत्पादन मुख्यतः शहरी केन्द्रों के आस-पास होता था।

पंचवर्षीय योजनाओं के शुरू होने से बिजली के उत्पादन कार्यक्रमों में काफी प्रगति हुई। पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56) के दौरान भाखड़ा-नंगल, दामोदर घाटी, हीराकुड और चंबल घाटी जैसी कई मुख्य नदी-घाटी परियोजनाएं शुरू की गई। इन परियोजनाओं से न केवल खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, अपितु इससे बिजली उत्पादन क्षमता भी बढ़ी। पहली योजना के अन्त में स्थापित क्षमता 34.2 लाख किलोवाट थी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बुनियादी तथा भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। इसके कारण बिजली-उत्पादन को भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह क्षमता 57 लाख किलोवाट हो गई।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक ध्यान इस बात पर दिया गया कि बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था अन्तर्राज्यीय बिजली प्रणाली की स्थापना। क्षेत्रीय आधार पर विद्युत विकास के लिए देश को पांच क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया तथा उन क्षेत्रों की विद्युत प्रणालियों के समेकित संचालन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक क्षेत्रीय बिजली बोर्ड स्थापित किया गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो तीन वार्षिक योजनाएं चलाई गईं, उनका मुख्य उद्देश्य तीसरी योजना के अन्तर्गत चलाए गए कार्यक्रमों को पूरा करना था।

चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बात पर ध्यान दिया गया कि विशेष महत्वपूर्ण जगहों में बिजली उत्पादन कार्यक्रम के विस्तार में केन्द्र से सहयोग लिया जाए ताकि राज्य क्षेत्र की गतिविधियों की अनुपूर्ति की जा सके।

तीसरी योजना, तीन वार्षिक योजनाओं और चौथी योजना की अवधि में विद्युत उत्पादन में काफी प्रगति हुई और कुल क्षमता 184.6 लाख किलोवाट हो गई जिसमें 69.7 लाख किलोवाट पन-बिजली परियोजनाओं के अन्तर्गत और 108.5 लाख किलोवाट ताप-बिजली उत्पादन परियोजनाओं के अन्तर्गत थी। शेष 6.4 लाख किलोवाट बिजली परमाणु बिजली केन्द्रों में पैदा की गई। 1979-80 के अन्त तक पूरे देश की कुल स्थापित क्षमता 28,447 मे०वा० थी।

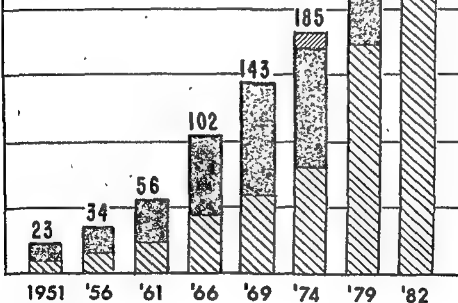
बिजली का भावी कार्यक्रम

1980-81 के आरम्भ में देश में औद्योगिक व घरेलू इस्तेमाल में आने वाली कुल उत्पादन क्षमता 31,025 मेगावाट थी। 1980-81 के दौरान 1,823 मेगावाट की नई क्षमता ने उत्पादन शुरु कर दिया। इससे बहुत सी निर्माणाधीन परियोजनाएं जो इस समय विभिन्न चरणों में है, समय आने पर लाभ देंगी। छठी योजना (1980—85) के दौरान क्षमता में लगभग 19,666 मेगावाट की वृद्धि की आशा है।

सारणी 18.1 1980—85 के दौरान कुल ऊर्जा में क्षेत्रवार वृद्धि

कुल उर्जा क्षमता में 1980—85 के अन्तर्गत क्षेत्रवार सम्भावित वृद्धि की आशा सारणी 18.1 में दर्शाई गई है:—

क्षेत्र	उत्पादन क्षमता मे वृद्धि (मेगावाट)			
	पन-बिजली	ताप बिजली	परमाणु बिजली	कुल
1	2	3	4	5
उत्तरी . .	1,292	3,660	220	5,172
पश्चिमी . .	457	5,480	—	5,937
दक्षिणी . .	2,205	1,890	470	4,565
पूर्वी . .	503	2,820	—	3,323
उत्तर-पूर्वी . .	311	358	—	669
कुल .	4,768	14,208	690	19,666


भारत में ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता
परमाणु
तापीय
पन
लाख किलोवाट में
23
34
56
102
143
185
293
355
1951 '56 '61 '66 '69 '74 '79 '82
अंतिम/मार्च
KBK

प्रेषण लाइनें तथा क्षेत्रीय विद्युत केन्द्रों का विकास

देश ने प्रेषण तथा वितरण की सुविधाएं जुटाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 50 वाट से अधिक की प्रेषण लाइनें 1950 के अन्त में 29,000 किलोमीटर से बढ़क मार्च 1966 में 2.9 लाख किलोमीटर हो गई और मार्च 1979 त 9.32 लाख किलोमीटर हो गई। इसमें 66 किलोवाट और इससे अधिक की मुख्य प्रेष लाइनों में वृद्धि दिसम्बर 1950 में 8,270 किलोमीटर से मार्च 1966 में 46,00 किलोमीटर तथा मार्च 1979 में 1.09 लाख किलोमीटर तक हो गई। इस सम अधिकतम 400 किलोवाट की प्रेषण लाइन का प्रयोग होता है। 1980-81 के अवधि में 220 किलोवाट की 3,476 किलोमीटर तथा 400 किलोवाट क 223 किलोमीटर लाइनों की और वृद्धि की गई।

चौथी पचवर्षीय योजना से पूर्व राज्य प्रणालियों की तरह देश में प्रेषण प्रणाली ला धर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बिजली उत्पादन केन्द्र शुरू में राज्य क्षेत्र में ही स्थापित किए गए। तीसरी योजना में जब राज्य प्रेषण प्रणालिया काफी हद त विकसित हो गईं तब से किसी क्षेत्र विशेष में अलग-अलग राज्य प्रणालियों क सम्मिलित व परस्पर सम्बद्ध संचालन व्यवस्थाओं की क्षमता के बारे में विचार किया गया केन्द्र द्वारा अन्तर्राज्यीय क्षेत्रीय पद्धति कार्यक्रम को चौथी योजना में शामिल किया गया इस योजना के अधीन अन्तर्राज्यीय लाइनों पर राज्यों की अपनी योजना व्यय सीमाओं अधिक पड़ने वाली पूरी लागत को केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्तर्राज्यीय प्रेषण लाइन योजन के तहत ऋण की सुविधाएं प्रदान की गईं। चौथी योजना में शुरू किया कार्य जारी है

चौथी योजना के आरम्भ में 110 किलोवाट और उससे अधिक की 2 अन्तर्राज्यीय और 7 अन्तरक्षेत्रीय कुल 4,151 सर्किट किलोमीटर लम्ब लाइन थी। अप्रैल 1966 से फरवरी 1982 तक कुल 5,531 सर्किट किलोमीटर लम्बी 44 अन्तर्राज्यीय और अन्तर्क्षेत्रीय प्रेषण लाइनों की मंजूरी दी गई थी। फरवरी 1982 तक इनमें से 4026 सर्किट किलोमीटर लम्बी 313 लाइनें पूरी हो गई हैं।

भारत में अब ठीक प्रकार से समन्वित बिजली प्रणाली है। बिजली का आदान-प्रदान बहुत से राज्यों के बीच लगातार हो रहा है। इससे उपलब्ध क्षमता का ठीक प्रकार से सुविधापूर्वक उपयोग हो रहा है।

विकास का स्वरूप

देश में बिजली उत्पादन के विकास का स्वरूप समय-समय पर उपलब्ध साधनों को देखते हुए बदलता रहा है। इस समय हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल और मेघालय, मुख्य रूप से पन-बिजली पर निर्भर करते हैं, जबकि दिल्ली, बिहार और पश्चिमी बंगाल ताप बिजली पर आश्रित हैं। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश में पन-बिजली व ताप बिजली दोनों की खपत है।

कुल स्थापित क्षमता का लगभग 95 प्रतिशत जल-विद्युत तथा कोयले पर आधारित ताप-विद्युत घरों से प्राप्त होता है।

संगठन

बिजली के विकास तथा वितरण के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व को मुख्यत: इन मदों के अन्तर्गत रखा जा सकता है: कानून बनाना; नीति निर्धारण करना; योजना बनाना और समन्वय रखना; धन, विदेशी मुद्रा और देश में कम मिलने वाले सामान का प्रबन्ध करना; बिजली घरों और क्षेत्रीय ग्रिडों को स्थापित

करना और चलाना; बिजली उत्पादन योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना तथा परामर्श प्रदान करना; ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तार करना; बिजली उत्पादन तथा वितरण के अन्तर्राज्यीय मामलों को सुलझाना; बिजली के विकास के लिए पड़ोसी देशों से सहयोग करना; परमाणु शक्ति को छोड़कर नए गैर-परम्परागत ऊर्जा-स्रोतों का पता लगाना तथा बिजलीघरों और बिजली प्रणालियों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को बनाना।

बिजली (आपूर्ति) अधिनियम,

देश में बिजली उद्योग का प्रशासकीय ढांचा बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 पर आधारित है। अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय नीति बनाने और योजनाएं तैयार करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल रखने के लिए एक केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण की तथा विद्युत निर्माण एवं पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य बिजली बोर्डों की स्थापना की गई। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के क्षेत्र और कार्य को व्यापक बनाने तथा विद्युत उत्पादन के लिए कम्पनियों का निर्माण करने की दृष्टि से बिजली (आपूर्ति) अधिनियम को 1976 में संशोधित किया गया।

केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण

केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, कुछ समय पहले तक अंशकालिक संस्था के रूप में कार्य कर रहा था और इसका मुख्य काम पंच-फैसला देना था। इसके दूसरे काम केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग कर रहा था। 1974 में केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के दो भागों में बंट जाने से केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग की बिजली शाखा के कार्य केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण करने लगा है। इसके कार्य हैं : राष्ट्रीय बिजली नीति निर्धारित करना, विद्युत विकास की योजनाओं का निर्माण तथा समन्वय, परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति लाना, विद्युत-केन्द्रों एवं प्रणालियों की कार्य-कुशलता सुनिश्चित करना, जन-शक्ति का विकास, विद्युत परियोजनाओं की जांच-पड़ताल, विद्युत के क्षेत्र में अनुसन्धान और डिजाइन गतिविधियों को आगे बढ़ाना तथा उनका समन्वय, कुछ मामलों में मध्यस्थता करना, राज्य सरकारों तथा राज्य बिजली बोर्डों को मदद देना, बिजली पूर्ति उद्योगों से सम्बन्धित सूचना आंकड़ों को एकत्र कर प्रकाशित कराना तथा डिजाइन एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्रालय के अधीन निम्नलिखित निगम कार्य करते हैं :—

(क) केन्द्रीय क्षेत्र में ताप बिजली केन्द्रों तथा सहायक प्रेषण लाइनों को बनाने व उनका कार्य संचालन करने के लिए राष्ट्रीय ताप-बिजली निगम।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में पन-बिजली केन्द्रो और उनके कार्य-सचालन के लिए राष्ट्रीय पन-बिजली निगम।

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नदी घाटी और बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए उत्तर-पूर्वी विद्युत निगम।

(घ) नदी-घाटी तथा विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम।

(ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को धन देने तथा ग्रामीण विद्युत निगम को धन और प्रोत्साहन देने के लिए एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम।

क्षेत्रीय बिजली बोर्ड

प्रारम्भ में क्षेत्र के राज्यों में सम्मिलित संचालन के विकास के लिए और अन्त में एक सुनियोजित राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के उद्देश्य से 1964 में 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक में क्षेत्रीय बिजली बोर्ड स्थापित किए गए। ये पांचों क्षेत्रीय बिजली बोर्ड हैं : उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली हैं; पश्चिम क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोआ, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली हैं; दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरि हैं; पूर्व क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, जिसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हैं।

देश में उपलब्ध विद्युत् का अधिक अच्छा नियन्त्रण करने के लिए तथा अनुकूलतम उपयोग करने के लिए सुसज्जित स्थाई क्षेत्रीय भार-प्रेषण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उत्तर, पश्चिम तथा पूर्वी क्षेत्रों में अन्तरिम भार-प्रेषण केन्द्रों की स्थापना से क्षेत्रीय स्तर का सम्पूर्ण कार्य कर लिया गया है तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शिलांग में पूर्ण भार-प्रेषण केन्द्र खोला गया है। सम्मिलित संचालन व्यवस्था का पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए एकल प्रणाली संकल्पना के आधार पर विद्युत प्रणालियों की स्थिर-संचालन व्यवस्था की सुविधा और राज्यों के बीच बिजली के आदान-प्रदान का विस्तार करने के लिए अंतर्राज्यीय व अन्तर्क्षेत्रीय सम्पर्कों को सुदृढ़ करने का काम चल रहा है।

राज्य बिजली बोर्ड

कुल 22 में से 18 राज्यों में राज्य बिजली बोर्ड स्थापित हो चुके हैं। इनका मुख्य कार्य अपने-अपने राज्य में बिजली पैदा और उसका वितरण करना है। मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नगालैंड राज्यों में अभी बिजली बोर्ड स्थापित होने हैं। बिजली आपूर्ति अधिनियम (1948) अक्तूबर, 1976 में संशोधित हुआ था, जिसके द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण पर अधिक उत्तरदायित्व आ गया, विशेषकर राष्ट्रीय विद्युत योजनाएं तैयार करने के काम में। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय अथवा राज्यीय विद्युत तैयार करने वाली कम्पनियों की स्थापना की व्यवस्था थी।

प्रशिक्षण एवं जनशक्ति विकास

आधुनिक बिजलीघरों और विद्युत प्रणालियों में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण अत्यन्त जटिल हैं, जिन्हें लगाने और चलाने के लिए विशिष्ट ज्ञान वाले कर्मचारियों की जरूरत होती है। बिजली क्षेत्र में प्रशिक्षण की जरूरतें पूरी करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी, 1980 को बिजली अभियन्ता प्रशिक्षण समिति स्थापित की तथा नेवेली, दुर्गापुर, नागपुर और दिल्ली की प्रशिक्षण संस्थायें इस समिति को हस्तांतरित कर दी गईं। बिजली प्रशिक्षण केन्द्रों पर आवश्यक रख-रखाव के लिए कर्मशालाओं तथा प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की गई। नेवेली, दुर्गापुर, दिल्ली (बदरपुर) तथा नागपुर के रख-रखाव कर्मशालाएं बनाने के लिए परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है।

बिजली अभियन्ता प्रशिक्षण समिति ने राष्ट्रीय ताप-बिजली निगम की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बदरपुर ताप बिजली घर के 210 मेगावाट एकक में कार्य के घन्टों के दौरान प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे अभियन्ताओं तथा आपरेटरों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बदरपुर (दिल्ली) प्रशिक्षण संस्थान में 200/210 मेगावाट पैदा करने वाली इकाइयों में कार्य कर रहे आपरेटरों तथा अभियन्ताओं के प्रशिक्षण के लिए एक सिमुलेटर लगाया गया है।

विद्युत् प्रणालियों व भार-प्रेषण तकनीकों के संचालन तथा संप्रेषण लाइनों के रख-रखाव के लिए कार्य कर रहे अभियन्ताओं तथा आपरेटरों को प्रशिक्षण देने के लिए बंगलौर में एक विद्युत्-प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान तथा हाट लाइन प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं।

विद्युत विकास के साधन

बिजली पैदा करने के तीन मुख्य साधन हैं—जल, ताप तथा परमाणु। इन परम्परागत साधनों के अतिरिक्त, ऊर्जा मन्त्रालय कई गैर-परम्परागत साधनों से बिजली पैदा करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। ये अन्य साधन हैं —भू-तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा ज्वारभाटा ऊर्जा। इन साधनों का उपयोग करने के लिए काफी अनुसन्धान तथा विकास प्रयत्नों की आवश्यकता है।

पन-बिजली स्रोत

केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग ने 1953–58 की अवधि में पहले-पहल देश में पन-बिजली उत्पादन की किफायती क्षमता का मूल्यांकन किया था। उस समय देश की 260 पन-बिजली परियोजनाओं की किफायती अविरल उत्पादन क्षमता लगभग 2.5 करोड़ किलोवाट आंकी गई थी। बाद की अवधि में हुई प्रौद्योगिक प्रगति तथा बिजली प्रणालियों की परिवर्तित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने देश में किफायती पन-बिजली उत्पादन क्षमता का विधिवत् पुनर्मूल्यांकन शुरू किया है। सबसे पहले इस उत्पादन क्षमता का एक त्वरित प्रारम्भिक मूल्यांकन किया गया है, जिसके अनुसार यह 4.5 करोड़ कि० वा० अविरल आंकी गई है। तदनुसार, किफायती बिजली पैदा करने के योग्य लगभग 500 स्थलों पर आधारित वार्षिक बिजली उत्पादन 394.2 टी० डब्ल्यू० एच० आका गया है। इस पुनर्मूल्यांकन का विस्तृत अध्ययन जारी है। चालू योजनाओं में लगभग 48 लाख किलोवाट अविरल के बराबर बिजली का उपयोग हो रहा है। निर्माणाधीन कुछ परियोजनाओं के पूरी हो जाने पर 1984 तक लगभग 23 लाख किलोवाट अविरल का उपयोग होने लगेगा।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण किफायती पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए उपयुक्त स्थलों का पता लगा रहा है। कुछ स्थान निश्चित भी किए जा चुके हैं।

बिजली उत्पादन के लिए कोयला

कोयले पर आधारित ताप और डीजल बिजलीघर देश में पैदा की जाने वाली कुल बिजली का लगभग 59 प्रतिशत पैदा करते हैं और ऐसी आशा है कि भविष्य में ऐसे बिजलीघरों का अधिक महत्व रहेगा।

कोयला खानों के पास बड़े-बड़े ताप बिजलीघर स्थापित करने तथा उनमें बनी बिजली को अधिक वोल्टेज वाले प्रेषण-मार्गों द्वारा वितरित करने से भारी बचत की जा सकती है। देश के कई भागों में जैसे सिंगरौली (उत्तर प्रदेश), कोरबा (मध्य प्रदेश), रामागुंडम (आंध्र प्रदेश) और फरक्का (पश्चिमी बंगाल) में सुपर ताप बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

तेल तथा गैस से बिजली उत्पादन

देश के अन्दर तेल और गैस द्वारा बिजली का उत्पादन बहुत सीमित रहा है। इस समय इस प्रकार की बिजली उन ताप-विद्युत केन्द्रों में पैदा की जा रही है, जो तेल के और गैस के कुंओं, तेलशोधक कारखानों, डीजल और गैस केन्द्रों के निकट स्थित हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि देश के अन्दर तेल की कुल खपत का केवल 8 प्रतिशत बिजली के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है।

परमाणु ऊर्जा

उष्णजल रिएक्टर तकनीक (जिसमें समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है) के आधार पर बने 420 मेगावाट की क्षमता वाले तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र के स्थापित होने से भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास की शुरुआत हुई। तत्पश्चात् दाबानुकूलित भारी पानी रिएक्टर वाले तीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र, (जिनमें प्राकृतिक यूरेनियम प्रयोग में लाया जाता है) कोटा (440 मेगावाट), कालपक्कम (470 मेगावाट) और नरोरा (470 मेगावाट) में शुरू किए गए। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (कोटा) की 220 मेगावाट वाली दो इकाइयां चालू हो चुकी हैं और अन्य दो संयंत्रों का निर्माण कार्य चल रहा है।

छठी योजना की अवधि के दौरान 235 मेगावाट वाले 6 और रिएक्टरों पर काम करने के लिए योजना आयोग ने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है। पश्चिमी क्षेत्र में काक्रापाड़ा स्थान पर 235 मेगावाट वाली दो इकाइयों के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है।

(1) ज्वार-भाटा ऊर्जा

पश्चिमी समुद्र तट पर खम्भात एवं कच्छ की खाड़ी में और पूर्वी समुद्र तट पर गंगा के मुहाने पर ज्वारभाटा की विशाल लहरें आती हैं। ज्वार-भाटा विद्युत विकास की दृष्टि से इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रारम्भिक अध्ययन से पता चला है कि खम्भात एवं कच्छ की खाड़ी में ज्वारभाटा की शक्ति से बिजली बनाने की बहुत बड़ी क्षमता है तथा पूर्वी तट पर सुन्दरवन क्षेत्र में भी ज्वारभाटा से बिजली का विकास छोटे पैमाने पर किया जा सकता है। विकास की विधि, रूप, क्षमता, लागत और आर्थिक क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अभी और अध्ययन एवं जांच पड़ताल का कार्य चल रहा है।

(2) भू-तापीय ऊर्जा

देश में भू-तापीय क्षेत्र की गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य बिजली उत्पादन तथा तापीय ऊर्जा के अन्य सम्भावित उपयोगों के लिए विश्वसनीय जल-तापीय स्रोतों का पता लगाना है। गर्म झरनों के रूप में कई जगह भू-तापीय शक्ति मानी जाती है। इनमें से महत्वपूर्ण झरने उत्तर-पश्चिम हिमालय में और पश्चिमी समुद्र तट पर हैं। भू-तापीय खोज जम्मू-कश्मीर के पूगा में, हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में और पश्चिमी समुद्र तट पर जारी है।

सौर-ऊर्जा

भारत में सौर ऊर्जा का उपयोग बड़े महत्व का है, क्योंकि यह शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र में पड़ता है, जहां वर्ष के अधिकांश भाग में सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। सौर-ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों के लिए और इसमें तकनीकी विकास के लिए बहुत-सी एजेंसियों ने अनुसंधान, उत्पादन और प्रदर्शन का एक समन्वित कार्यक्रम अपनाया है। अनुसंधानों का मुख्य उद्देश्य सौर तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना तथा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलना है। भारत और पश्चिमी जर्मनी की एक संयुक्त परियोजना के अन्तर्गत 10 कि० वा०. के प्रदर्शन सौर विद्युत उत्पादन एकक का सफलतापूर्वक विकास किया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। जिन अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य चल रहा है, उनमें से कुछ ये हैं : रेफ्रीजरेशन और कोल्ड स्टोरेज, समुद्री जल अलवणीकरण, सौर पम्प और सौर फोटो-वोल्टेइक सेल [illegible]।

खपत ढांचा

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 13 किलोवाट प्रति घंटा थी जो पहली योजना के अन्त तक 26 किलोवाट प्रति घंटा हो गई। यह वृद्धि चौथी योजना के अन्त (1973-74) तक 97.5 किलो वाट प्रति घंटा और 1976-77 में 119.5 किलोवाट प्रति घंटा तक हो गई।

देश में 1950-51 से 1980-81 तक बिजली की खपत का विवरण सारणी 18.2 में दिया गया है:—

सारणी 18.2 बिजली की खपत का विवरण

क्षेत्र	प्रतिशत भाग			
	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81 (अनंतिम)
घरेलू . .	12.6	10.8	8.8	11.3
वाणिज्य . .	7.5	6.1	5.9	6.0
उद्योग . .	62.6	69.3	67.6	58.6
कृषि . .	3.9	6.0	10.2	17.5
अन्य . .	13.4	7.8	7.5	6.6

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना से ग्रामीण विद्युतीकरण और कृषि में कार्यरत पम्पसेटों को बिजली मिलने में काफी वृद्धि हुई है। निगम न केवल इन राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहायता देता है बल्कि राज्य बिजली बोर्डों को भी उनके ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को सक्षम बनाने और उन्हें शीघ्रता से पूरा करने में भी सहयोग करता है।

अक्तूबर 1981 तक देश में कुल 5.76 लाख गांवों में से लगभग 2.79 लाख अर्थात् 48.5 प्रतिशत का विद्युतीकरण हो चुका है। लगभग 44,74 लाख कृषि में कार्यरत पम्प सेटों को बिजली मुहैय्या की गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण की नीति कृषि उत्पादन की ओर अग्रसर है। पम्पसेटों को बिजली देने के लिए बड़े पैमाने पर निगम ने एक विशेष परियोजना (कृषि) कार्यक्रम चलाया है। इसे संयुक्त रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, व्यावसायिक बैंक और कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम से वित्तीय सहायता मिलती है। समाज के पिछड़े, अविकसित और

जनजाति क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

1978-79 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम राष्ट्रीय औसत से कमी वाले राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण करने के लिए संशोधित किया गया। पहले इसे जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनाया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन लगभग 23,400 गांवों का विद्युतीकरण सितम्बर 1981 तक किया गया।

तीन राज्यों—केरल, हरियाणा और पंजाब—तथा तीन केन्द्र शासित प्रदेशों—चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरि—ने अपने सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है। छः दूसरे राज्य—आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और महाराष्ट्र—अपने 60 प्रतिशत से अधिक गांवों में विद्युतीकरण कर चुके हैं। तमिलनाडु में तो 99 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। केन्द्र प्रशासित प्रदेशों में से गोआ, दमन और दीव और लक्षद्वीप में 90 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है।

छठी योजना (1980—85) के प्रारम्भ में एक लाख अतिरिक्त गांवों का विद्युतीकरण और 25 लाख पम्पसैटों को बिजली देने का प्रावधान है। अप्रैल से अक्तूबर 1981 तक लगभग 6701 गांवों तथा 144 लाख पम्प सैटों को बिजली दी गई। यदि आवश्यक धन और निर्माण सामग्री उपलब्ध हुई तो 1994-95 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचने की आशा है।

बड़ी विद्युत परियोजनाएं

सारणी 18.3 में ताप व परमाणु बिजली केन्द्रों के नाम व उनकी क्षमता दिखाई गई है।

सारणी 18.4 में पन बिजली केन्द्र व उनकी क्षमताओं का विवरण दिया गया है।

सारणी 18.3 बड़ी बिजली परियोजनाएं (ताप व परमाणु)

ताप व परमाणु बिजली केन्द्रों के नाम तथा उनकी उत्पादन क्षमता

क्षेत्र/राज्य	बिजलीघर	क्षमता	
		स्थापित	वर्तमान उत्पादन
उत्तरी क्षेत्र			
दिल्ली . . .	बदरपुर	510.0	510.0
	इन्द्रप्रस्थ	284.1	282.2
	राजघाट	59.6	28.0
हरियाणा . .	फरीदाबाद (विस्तार)	120.0	120.0
	पानीपत	220.0	220.0
	फरीदाबाद	15.0	15.0
	सूरजपुर	6.8	5.0
जम्मू और कश्मीर . .	कालाकोट	22.5	22.5
पंजाब . . .	भटिंडा	440.0	440.0
उत्तर प्रदेश . .	ओबरा (ताप)	250.0	250.0

1	2	3	4
	(विस्तार 1—3)	300.0	300.0
	ओबरा		
	(विस्तार 4—6)	600.0	600.0
	हरदुआगंज (ख)	220.0	200.0
	हरदुआगंज (क)	90.0	90.0
	हरदुआगंज (ग)	60.0	60.0
	हरदुआगंज		
	बिजलीघर (V-I	110.0	110.0
	रेणुसागर	125.0	125.0
	पनकी (विस्तार)	220 0	220.0
	आर० पी० एच०		
	(कानपुर)	75.0	65.0
	अन्य	146.6	131.0
	पनकी	64.0	61.0
	क्षेत्र के लिए कुल	3,938.6	3,875.0
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात . .	धुवरण (ताप)	534.0	534.0
	अहमदाबाद बिजली कं	217.5	192.5
	उकई 1—2	240.0	240.0
	उकई 3—4	400.0	400.0
	गांधीनगर	240.0	240.0
	साबरमती (विस्तार)	110.0	110.0
	उत्तरान	67.5	61.0
	अन्य	142.0	116.5
मध्य प्रदेश . .	सतपुड़ा 1—5	312.5	312.5
	सतपुड़ा 6	200.0	200.0
	सतपुड़ा 7	210.0	210.0
	कोरबा—2	200.0	200.0
	कोरबा—3	120.0	120.0
	कोरबा—1	100.0	100.0
	अमरकंटक (विस्तार)	240.0	240.0
	अमरकटक	60.0	60.0
	अन्य	32.0	20.0
महाराष्ट्र . .	कोराडी 1—4	480.0	480.0
	कोराडी—5	200.0	200.0

1	2	3	4
	ट्राम्बे	337.5	330.0
	नासिक 1—2	280.0	280.0
	नासिक—3	210.0	210.0
	नासिक—4	210.0	210.0
	खापरखेड़ा	90.0	90.0
	पारस	92.5	92.5
	भुसावल—1	62.5	62.5
	भुसावल—2	210.0	210.0
	चोला	96.0	40.0
	परलिया 1—2	60.0	60.0
	परलिया—3	210.0	210.0
	बलारशाह	22.5	18.0
	क्षेत्र के लिए कुल	5,986.5	5,849.5
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश	कोठागुडेम 'क'	240.0	240.0
	कोठागुडेम 'ख'	220.0	220.0
	कोठागुडेम 'ग'	220.0	220.0
	विजयवाडा	420.0	420.0
	रामागुंडम 'ख'	62.5	62.5
	रामागुंडम 'क'	37.5	20.0
	नेल्लोर	30.0	30.0
	हुसैन सागर	12.5	10.0
	अन्य	20.0	20.0
तमिलनाडु	नेवेली	600.0	600.0
	इन्नोर	450.0	450.0
	तूतीकोरिन	210.0	210.0
	बेसिन पुल	90.0	90.0
	क्षेत्र के लिए कुल	2,612.5	2,592.5
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	पतरातु	620.0	620.0
	बरौनी	145.0	145.0
दामोदर घाटी निगम	चन्द्रपुर	780.0	780.0
	दुर्गापुर	290.0	250.0
	बोकारो	247.5	227.5

1	2	3	4
उड़ीसा . .	तलचर	250.0	250.0
पश्चिमी बंगाल . .	कलकत्ता बिजली सप्लाई निगम	412.5	328.0
	बंदेल	330.0	320.0
	दुर्गापुर परियोजना लि०	285.0	280.0
	सान्तालदिह	360.0	360.0
	अन्य	135.0	128.0
	क्षेत्र के लिए कुल	3,855.0	3,688.5
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र . .			
असम . . .	कामरूप	111.5	111.5
	चन्द्रपुर	30.0	30.0
	क्षेत्र के लिए कुल	141.5	141.5
	कुल ताप विद्युत	16534.1	16147.0
परमाणु . .	तारापुर	420.0	420.0
	राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र	440.0	440.0
	कुल परमाणु विद्युत	860.0	860.0
	भारत में कुल विद्युत	17,394.1	17,007.0

सारणी 18.4 विद्युत परियोजनाएं (पन-बिजली)

पन-बिजलीघरों के नाम तथा उनकी उत्पादन क्षमता

क्षेत्र/राज्य	बिजलीघर	क्षमता	
		स्थापित	वर्तमान उत्पादन
(1)	(2)	(3)	(4)
उत्तरी क्षेत्र			
भाखड़ा व्यास प्रबन्धक बोर्ड . .	भाखड़ा (दाएं)	600.0	600.0
	भाखड़ा (बाएं)	450.0	450.0
	गंगवाल	77.5	77.5
	कोटला	77.5	77.5
व्यास निर्माण बोर्ड .	देहर	660.0	660.0
	पोंग	240.0	240.0

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	गिरी बाटा	60.0	60.0
	बसी	45.0	45.0
	बैरा स्यूल	120.0	120.0
जम्मू और कश्मीर	लोअर जेहलम	105.0	105.0
	सलाल हाइडल	71.4	70.0
राजस्थान	राणाप्रताप सागर	172.0	172.0
	जवाहर सागर	99.0	99.0
पंजाब	शनान	51.0	43.0
	यू० बी० डी० सी०	45.0	45.0
उत्तर प्रदेश	रिहन्द	300.0	300.0
	यमुना चरण-2	240.0	240.0
	यमुना चरण 1 और 5	114.8	114.8
	चीला	108.0	108.0
	ओबरा	99.0	99.0
	नहर गंगा	45.2	45.2
	खातीमा	41.4	41.4
	माताटीला	30.0	30.0
	रामगंगा	198.0	198.0
	क्षेत्र के लिए कुल	4,049.8	4,040.4
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	उकई	300.0	300.0
मध्य प्रदेश	गांधी सागर	115.0	115.0
महाराष्ट्र	कोयना	880.0	880.0
	टाटा	276.0	276.0
	वैतरणा	60.0	60.0
	अन्य	47.5	47.5
	क्षेत्र के लिए कुल	1,678.5	1,678.5
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश	लोअर सिलेरु	400.0	400.0
	अपर सिलेरु	120.0	120.0

1	2	3	4
	मच्च कुण्ड	114.7	114.7
	नागार्जुन सागर	210.0	210.0
	तुंगभद्रा यांध	72.0	72.0
	निजाम सागर	10.0	10.0
कर्नाटक . .	शरावथी	891.0	891.0
	कालीनदी	270.0	270.0
	जोग	120.0	120.0
	भद्रा	33.2	33.2
	शिवसमुद्रम	42.0	30.0
	शिमशापुरा	17.2	16.0
	मुनीराबाद	27.0	27.0
	लिंगनामक्की	55.0	55.0
केरल . .	इडुकी	390.0	390.0
	साबरीगिरी	300.0	300.0
	कुटीयडी	75.0	75.0
	शोलायार	54.0	54.0
	सेगुंलम	48.0	48.0
	नरियामंगलम	45.0	45.0
	पाल्लीवासल	37.5	37.5
	पोरिंगल	32.0	32.0
	पनियार	30.0	30.0
तमिलनाडु . . .	कुण्डा 1 से 5	535.0	535.0
	मैत्तुर	240.0	240.0
	पेरियार	140.0	140.0
	कोडियार 1 और 2	100.0	100.0
	शोलियार 1 और 2	95.0	95.0
	पईकारा	70.0	70.0
	अलियार	60.0	60.0
	सरकरपथी	30.0	30.0
	मोयार	36.0	36.0
	सुरुलीयार	35.0	35.0
	पापनासम	28.0	28.0
	क्षेत्र के लिए कुल	4,762.6	4,749.4

1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार . .	कोसी	15.0	15.0
	सुवर्णरेखा	130.0	130.0
दामोदर घाटी निगम .	मैथान	60.0	60.0
	पंचेट	40.0	40.0
	तिलैया	4.0	4.0
उड़ीसा .	बालीमेला	360.0	360.0
	हीराकुड	270.0	270.0
पश्चिम बंगाल .	छोटे बिजलीघर	33.0	33.0
सिक्किम . .	लोअर लाग्याप	12.0	12.0
	क्षेत्र के लिए कुल	924.0	924.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
मेघालय . .	कोरडेमकुलई	60.0	60.0
	छोटे बिजलीघर	65.2	65.2
त्रिपुरा-नगालैण्ड .	छोटे बिजलीघर	11.5	11.5
	क्षेत्र के लिए कुल	136.7	136.7
	कुल (अखिल भारतीय)	11,551.6	11,529.0

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

विद्युत विकास के क्षेत्र में भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग कर रहा है।

भारत और नेपाल के बीच सहयोग कई प्रकार से उल्लेखनीय है। भारत ने त्रिशूली के स्थान पर 21 मेगावाट की पन-बिजली परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी है तथा उसका निर्माण किया है। यह नेपाल के अन्दर विद्युत पैदा करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के अन्तर्गत आपसी लाभ के लिए गंडक तथा कोसी घाटी का बहुद्देश्यीय विकास किया जा रहा है। गंडक परियोजना में 15 मेगावाट का एक बिजलीघर शामिल है जिसका निर्माण भारत कर रहा है और इसके लिए धन भी दे रहा है। इस बिजलीघर के शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है और बनने के बाद यह नेपाल को दे दिया जाएगा। कोसी परियोजना में 20 मेगावाट का पन-बिजलीघर शामिल है। इस बिजलीघर के 5 मेगावाट के तीन एकांश चालू हो चुके हैं। इस परियोजना को वित्तीय सहायता और इसका निर्माण भारत कर रहा है। इससे प्राप्त होने वाले लाभ में दोनों देश

भागीदार रहेंगे । एक करार के अनुसार बिजली पहुंचाने के लिए और मुख्यतया अलग-थलग पड़े गांवों में बिजली देने के लिए, नेपाल और भारत के बीच सीमा पर निर्धारित स्थानों से बिजली का आदान-प्रदान होता है।

बिजली के क्षेत्र में भारत-भूटान सहयोग के लिए एक बड़ा कदम 1974 में हुए एक करार के बाद उठाया गया, जो चुखा पन-बिजली परियोजना को पूरा करने के लिए किया गया था। यह परियोजना भूटान द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और भारत इसके लिए धन देगा। जो बिजली पैदा होगी, वह पहले भूटान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाएगी और जो बचेगी उसे भारत खरीद लेगा । भारत माइक्रो-पनबिजली घरों की स्थापना और बिजली वितरण में भूटान की मदद कर रहा है। भूटान के फुंटशोलिंग और समची के गिरिपीठ नगरों को जलढाका परियोजना से बिजली मिलती है जो भारत और भूटान की सीमा पर स्थित है और जिसका निर्माण दोनों देशों के बीच आपसी लाभ के एक करार के अनुसार किया गया है।

भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच तालमेल रखने के लिए तथा बिजली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत-बांग्लादेश संयुक्त बिजली समन्वय बोर्ड बनाया है ।

भारत ने चारदेह-घोरबन्द परियोजना के पहले चरण (3×100 कि॰वा॰) के निर्माण में और चालू करने में अफगानिस्तान को मदद दी है। हाल में, भारत चारदेह-घोरबंद परियोजना के दूसरे चरण (1×100 कि॰ वा॰) के विस्तार तथा बामियान (3×250 कि॰ वा॰), फैजाबाद (3×85 कि॰ वा॰), और गुल्म (2×100 कि॰ वा॰) माइक्रो-पनबिजली परियोजनाओं के लिए विद्युत-उत्पादन एवं सम्प्रेषण उपकरण देने के लिए राजी हो गया है । इन सभी परियोजनाओं को 90 प्रतिशत उपकरण दिए जा चुके हैं तथा शेष प्राप्त किए जा रहे हैं ।

विद्युत अनुसंधान विद्युत आपूर्ति उद्योग के विस्तार को देखते हुए, देश में विद्युत अनुसन्धान का एक प्रभावी कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए 1960 में केन्द्रीय बिजली अनुसन्धान संस्थान स्थापित किया गया । अब यह एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में काम कर रहा है। संस्थान के दो एकांश हैं—एक बंगलौर में और दूसरा भोपाल में। बंगलौर एकांश में एक उच्च वोल्टेज-प्रयोगशाला, एक इंस्यूलेशन प्रयोगशाला, एक आंशिक डिस्चार्ज डिटेक्शन प्रभाग, एक सम्प्रेषण और वितरण प्रभाग, एक विद्युत प्रणाली प्रभाग और एक इन्स्ट्रूमेंटेशन विकास प्रभाग है। भोपाल एकांश में एक स्विच-गियर जांच एवं विकास केन्द्र है । संस्थान ने महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं तथा कई संस्थानों को जांच तथा परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं। संस्थान ने आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड के लिए 400 किलोवाट दोहरा सर्किट वी टाइप संकीर्ण आधार वाले सम्प्रेषण टावर के डिजाइन का कार्य हाथ में लिया तथा सफलतापूर्वक पूरा किया ।

कोयला

ऊर्जा के क्षेत्र में कोयला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । कोयला देश में बहुत पाया जाता है । कोयले से गैस, विद्युत और तेल जैसे

बनाए जाते हैं। आज भी देश में ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप से कोयला है जिससे विद्युत उत्पादन हो रहा है। 1980-81 की अवधि में कोयले का उत्पादन 11.4 करोड़ टन रहा और 1981-82 में उत्पादन बढ़कर 12.50 करोड़ टन (अनंतिम) हो गया। 1982-83 में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 13.5 करोड़ टन है।

1981-82 के दौरान सरकार ने 11 कोयला खान परियोजनाओं (उन्हें छोड़ कर जो कोयला कंपनियों द्वारा स्वीकृत हैं) को स्वीकृति प्रदान की। इससे प्रतिवर्ष 2.15 करोड़ टन अतिरिक्त कोयला उत्पादन किया जा सकेगा जिसका मूल्य 166.65 करोड़ रुपये है।

सरकार ने सिंगरेणी कोयला कं० लि० संबंधी 1981-82 के दौरान दो परियोजनाएं, दो पहले की प्रस्तावित परियोजनाओं सहित, स्वीकार कीं। उनके लिए 7.8 लाख टन कोयले का लक्ष्य रखा गया है जिसका मूल्य 11.64 करोड़ रुपये है।

ईंधन नीति समिति की रिपोर्ट और ऊर्जा नीति पर कार्यदल की रिपोर्ट

ईंधन नीति समिति ने ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक विश्लेषण किया। इसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1974 में प्रस्तुत की। पहली बार रिपोर्ट में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के विकास और वितरण में सामंजस्य और व्यापक ऊर्जा नीति निर्धारण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार इस रिपोर्ट से निर्देशित होती है। ईंधन नीति समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में स्वदेश और विदेशों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं।

इसके लिए स्थिति का नए सिरे से मूल्यांकन आवश्यक था। विद्युत नीति पर एक कार्यदल का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट नवम्बर 1980 में दी। रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि कोयले का उपलब्ध भंडार सन् 2000 के पश्चात् लगभग 90 वर्ष के लिए पर्याप्त होगा तथा यह विश्वास दिलाया कि कोयले का वार्षिक उत्पादन तब तक 40 करोड़ टन के स्तर तक पहुंच जाएगा तथा इसी स्तर पर सन् 2000 के बाद भी होता रहेगा। यह अनुमान 600 मीटर गहराई पर प्राप्त 1.2 मीटर और अधिक मोटाई की कोयलों की परतों पर तैयार किए गए हैं। वसूली दर कुल भंडार के 50% के बराबर मानी गई है। यदि 600 मी० से लेकर 1200 मी० तक की गहराई और 0.5 मी० से लेकर 1.2 मी० तक की मोटाई वाली कोयले की परत के पाए जाने वाले अतिरिक्त भण्डारों को हिसाब में लिया जाए और ओपन कास्ट खानें और लांगवाल फेस का कार्य शुरू कर दिया जाता है तो इन भण्डारों की अवधि 60 वर्ष के लिए और बढ़ सकती है।

यह कोयले के स्रोतों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए उचित संरक्षण उपायों के साथ-साथ वैज्ञानिक तरीकों से खनन की आवश्यकता को उजागर करती है। कोयला भण्डार की वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

कोयले की खुदाई

खानों से कोयला निकालने का काम 1774 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में शुरू हुआ। स्वतन्त्रता के बाद इस काम को बढ़ावा मिला और उत्पादन 1950

में 3 करोड़ 20 लाख टन से बढ़कर 12 करोड़ टन हो गया।

1972 में भारत सरकार ने कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया और इसके अगले वर्ष गैर-कोकिंग कोयला खानों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। परिणामस्वरूप देश में कोयले का उत्पादन अब लगभग पूर्णतया सरकारी क्षेत्र में है। जो महत्वपूर्ण कोयला खानें अभी तक सरकार ने अपने हाथ में नहीं लीं, वे दो निजी इस्पात कम्पनियों की हैं और उनके ही इस्तेमाल के लिए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले के उत्पादन का प्रबन्ध मुख्य रूप से 'कोल इंडिया लिमिटेड' अपनी सहायक कम्पनियों के माध्यम से करती है। ये कम्पनियां हैं—ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड्स लि०, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि० और सेंट्रल माइन्स प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लि० जो कोयला तथा गैर कोयले क्षेत्र में परियोजनाओं के डिजायनों में व्यस्त है। सिंगरेणी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड भी, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है, कोयले के उत्पादन में लगी है।

कोयला साफ करने के कारखाने

कोकिंग कोयले को साफ करने के लिए 15 कोयला कारखाने काम कर रहे हैं। नवरोजाबाद (मध्यप्रदेश) में गैर-कोकिंग कोयले के लाभ के लिए एक छोटा सा कोयला साफ करने का कारखाना है। नवम्बर 1981 में नंदन जिला छिंदवाडा (मध्यप्रदेश) में लगभग 12 लाख टन की क्षमता वाले एक मध्यम कोकिंग कोयला साफ करने के कारखाने की स्वीकृति दे दी गई है। तीन और कारखाने विभिन्न कोयला क्षेत्रों में निर्माणाधीन हैं जिनमें से दो—मोनीडीह तथा करोरा के 1982-83 में तैयार हो जाने की आशा है।

संरक्षण

संसद के एक अधिनियम के अधीन कोयला बोर्ड अप्रैल 1975 में समाप्त कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) नियम, 1975 के अधीन बनी कोयला संरक्षण तथा विकास सलाहकार समिति के आदेशानुसार कोयला खानों के संरक्षण तथा सुरक्षा का कार्य सीधे कोयला कम्पनियों द्वारा ले लिया गया।

भूरा कोयला

भूरा कोयला यद्यपि कैलोरी की दृष्टि से घटिया होता है (गोंडवाना कोयले का एक टन भूरे कोयले के दो टन के बराबर होता है), परन्तु इसके भण्डारों की भौगोलिक स्थिति के कारण यह पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में कोयला नहीं मिलता। देश के भूरे कोयले के कुल भण्डार में से 3.3 करोड़ टन केवल नेवेली तमिलनाडु क्षेत्र में उपलब्ध है।

नेवेली की समेकित भूरा कोयला परियोजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में भूरा कोयला निकालने के लिए बनाई गई थी। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता वर्तमान 35 लाख टन से बढ़ाकर पहले 45 लाख टन और अन्त में 65 लाख टन कर दी जाएगी।

सरकार ने फरवरी 1978 में 144 करोड़ रुपए की लागत से 47 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता की एक दूसरी कोयला खान की और 214.0 करोड़ रुपये की लागत से 630 मेगावाट की क्षमता के दूसरे ताप बिजली केन्द्र

की स्वीकृत दी है।

1976-1977 से 1981-82 तक का भूरे कोयले का उत्पादन और मूल्य सारणी 18.5 में दिया गया है।

सारणी 18.5
भूरे कोयले का उत्पादन

वर्ष	मात्रा (लाख टन)
1976-77 . .	40.20
1977-78 . .	35.80
1978-79 . .	33.00
1979-80 . .	28.97
1980-81 . .	48.01
1981-82 . .	58.76

तेल

भारत में खनिज तेल उद्योग ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही प्रगति की है। 1950-51 से लेकर जबकि देशी स्तर के कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 2.5 लाख टन तथा उपभोग 34 लाख टन था, 1980-81 के दौरान खनिज तेल का उत्पादन 1.05 करोड़ टन तथा उपभोग लगभग 3.09 करोड़ टन हो गया। 1980-81 में देश की मांग को पूरा करने के लिए 1.62 करोड़ टन कच्चा तेल तथा 72.53 लाख टन खनिज तेल पदार्थों का आयात किया गया। 1980-81 की अवधि में शोधन शालाओं द्वारा 2.58 करोड़ टन तेल साफ किया गया।

मोटे तौर पर भारत में तेल उद्योग ■ भागों में बांटा जा सकता है:—

(1) तेल की खोज और उत्पादन
(2) तेल शोधन और विपणन, तथा
(3) पेट्रो-रसायन और अनुप्रवाह एकक

देश में तेल की खोज और कच्चे तेल के उत्पादन में दो मुख्य संगठन लगे हुए हैं—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जो पूर्णतया भारत सरकार के अधीन है तथा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग आयल इण्डिया लिमिटेड जो 14 अक्तूबर 1981 को पूर्णतया भारत सरकार का उपक्रम बन गया जब सरकार ने बर्मा आयल कम्पनी लि० के 50 प्रतिशत समता अंश अधिग्रहण कर लिए।

पहले की असम आयल कम्पनी का खोज-बीन का काम आयल इण्डिया लि० को स्थानांतरित कर दिया गया है जबकि उस कम्पनी के खनिज-तेल उत्पादों का उत्पादन, विपणन तथा वितरण का कार्य भारतीय तेल निगम को सौंप दिया गया है।

तल और प्राकृतिक गैस आयोग

1956 में स्थापित तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सरकार का प्रमुख अभिकरण है जिस पर देश के स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों मे तेल की खोज और उत्पादन का उत्तरदायित्व है। 1980-81 मे इसने 92 लाख टन कच्चे तेल और 157.4 लाख क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया। 1981 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने भूमि पर और पानी मे कई नए स्थानों पर खोज के लिए खुदाई की। इस समय के दौरान भूमि पर गुजरात मे सिसोदरा तथा लोहार स्थानों पर और असम में नापामुआ स्थान पर तेल मिला। पानी में तेल, बी-57 बम्बई हाई के पूर्व में तथा कावेरी द्रोणी मे पाक स्ट्रेट में खोजा गया।

देश के विभिन्न स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों मे तेल की खोज/खुदाई के काम को और तीव्र करने का सुझाव दिया गया। बम्बई हाई तथा उपग्रह-संरचना जैसे रत्ना, हीरा, पन्ना तथा दक्षिणी श्रेणी के लिए एक त्वरित विकास योजना सरकार के पास विचाराधीन है जिससे उत्पादन के 1981-82 की 8 एम०टी०पी०ए० से 1984-85 तक 19.12 एम०टी०पी०ए० तक बढ़ जाने की आशा है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की महत्वपूर्ण उपलब्धि बम्बई हाई का विकास रही। इसके विकास के 5 चरण हैं। चरण-1,2 तथा 3 पहले ही पूरे हो चुके हैं। चरण-4 के विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है। पाचवें चरण के कार्यक्रम में मुख्य कार्य बम्बई हाई के मध्य/दक्षिणी क्षेत्रों में पानी को रोकना है।

आयल इंडिया लिमिटेड

आयल इण्डिया लिमिटेड 14 अक्तूबर 1981 से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बना, जब सरकार ने आयल इंडिया लि० द्वारा ब्रिटेन की बर्मा आयल कम्पनी के 50 प्रतिशत शेयर खरीद लिए। इस कम्पनी के पास खानों के पट्टे, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा महानदी द्रोणी के स्थलीय तथा समुद्री क्षेत्रों में खनिज तेल को खोजने के लाइसेंस है। इसके अतिरिक्त 14 अक्तूबर, 1981 को डिगबोई के मैदानों के खानों के पट्टे भी पहले की असम आयल कम्पनी से आयल इण्डिया लिमिटेड को स्थानान्तरित कर दिए गए।

मार्च 1981 मे बोगापानी के कुंआ नंबर 2 में तेल की खोज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1982-83 मे महानदी के भूभाग में कुछ स्थलों पर खुदाई कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाने की आशा है।

अप्रैल से नवंबर 1981 के दौरान 10 कुंओं की खुदाई पूरी करली गई। इस के दौरान में कुल 38,261 मीटर की खुदाई की गई। इन दिनों कच्चे तेल का कुल उत्पादन 20 लाख टन हुआ। आयल इण्डिया लिमिटेड की एल०पी०जी० परियोजना बहुत तेजी से तरक्की कर रही है जिसकी 1982-83 में पूरी होने की आशा है।

शोधनशालाएं

इस समय कुल 11 तेल शोधनशालाएं हैं सभी शोधनशालाएं सार्वजनिक क्षेत्र मे हैं। शोधनशालाओं में 1980-81 के दौरान 2.58 करोड़ टन कच्चे तेल को साफ किया। मथुरा शोधनशाला के शुरू हो जाने से तेल साफ करने की क्षमता बढ़कर 3.78 करोड़ टन हो जाएगी।

बर्मा शैल की ट्राम्बे शोधनशाला और कालटैक्स की विशाखापत्तन शोधनशाला एवं उनके विपणन सहयोगियों को 1976 में सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। बर्मा शैल शोधनशाला का नया नाम 'भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड' रखा गया और कालटैक्स लि० शोधनशाला को मई, 1978 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में मिला दिया गया। असम आयल कम्पनी का अक्तूबर 1981 में सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया तथा उसे भारतीय तेल निगम में मिला दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की गुवाहाटी, बरौनी, कोयली और हल्दिया स्थित अन्य शोधनशालाएं इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० के अधीन हैं। कोच्चिन और मद्रास की शोधनशालाएं संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों के अधीन हैं। सारणी 18.6 में 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान प्रत्येक शोधनशाला में उत्पादन शुरू होने का वर्ष, वर्तमान क्षमता तथा कच्चे तेल की सफाई सम्बन्धी ब्यौरा दिया गया है।

सारणी 18.6 शोधनशालाओं की क्षमता और उत्पादन

शोधनशाला का नाम	जिस वर्ष से उत्पादन कार्य चालू हुआ	क्षमता (लाख टन). 1-4-80	वास्तविक उत्पादन (लाख टन) 1978-79	1979-80	1980-81
बरौनी (आई०ओ०सी०)	1964	33.0	26.61	22.85	5.00
बी०पी०सी०एल०, बम्बई	1955	52.5	46.93	48.21	48.70
कोच्चिन	1966	33.0	28.62	28.66	29.20
डिगबोई	1901	.5.0	5.24	4.08	5.00
गुवाहाटी (आई०ओ०सी०)	1962	8.5	8.25	6.46	6.40
हल्दिया (आई०ओ०सी०)	1975	25.0	22.13	24.92	23.10
एच०पी०सी०एल०, बम्बई	1954	35.0	28.00	31.33	31.10
एच०पी०सी०एल०, विशाखापत्तनम	1957	15.0	13.29	10.99	13.20
कोयली (आई०ओ०सी०)	1965	73.0	52.51	67.08	69.70
मद्रास	1969	28.0	27.59	28.22	26.10
बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रो केमीकल्स लि०	1979	10.0	0.57	1.90	0.50

नई शोधनशाला परियोजना

देश की सबसे बड़ी एक नई शोधनशाला उत्तर प्रदेश में मथुरा में लगाई जा रही है जिसकी क्षमता 60 लाख टन प्रति वर्ष होगी। इसके लिए कच्चा तेल बाहर से तथा बम्बई-हाई से मंगाया जाएगा जिसका कच्छ की खाड़ी के पास भंडारण किया जाएगा और वहां से 1,115 किलोमीटर दूर मथुरा तक पाइप लाइन से लाया जाएगा। कच्चे तेल की डिस्टिलेशन इकाई 6 जनवरी, 1982 को शुरू कर दी गई। सितम्बर/अक्तूबर 1982 तक शोधनशाला के पूर्णरूप से काम शुरू कर देने की आशा है। इसके अतिरिक्त हरियाणा में करनाल तथा कर्नाटक में मंगलौर में दो और शोधनशालाएं लगाने का निश्चय किया गया है जिनकी कुल शोधन क्षमता 120 लाख टन होगी।

पाइप लाइनें 1964-65 से पहले नाहरकटिया तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी और बरौनी शोधनशालाओं तक कच्चा तेल ले जाने के लिए एक पाइप लाइन बिछाई गई थी। उसके बाद कई बहु-उत्पाद पाईप लाइनें बिछाई गईं जिससे अधिक भाग में तेल उपलब्ध हो सके। ये पाइप लाइनें गुवाहाटी-सिलीगुड़ी, कोयली-अहमदाबाद, बरौनी-कानपुर और हल्दिया-मौरीग्राम-राजबन्ध हैं। गुजरात तेल क्षेत्रों से कोयली शोधनशाला तक कच्चा तेल ले जाने के लिए गुजरात में भी पाइप लाइनों का जाल बिछा हुआ है।

साल्या से वीरगाम होती हुई मथुरा तक एक कच्चे तेल की पाइप लाइन है। वीरगाम से कोयली तक ब्रांच लाइन होगी। इसको मथुरा तक बिछाने के लिए कार्य भारतीय तेल निगम के निर्माणाधीन है। इससे सारी पाइप लाइन 1,220 किलोमीटर लम्बी हो जाएगी। सितम्बर 1978 में साल्या-वीरगांम-कोयली विभाग को चालू किया गया और मार्च 1981 में वीरगांम-मथुरा विभाग पूरा हो गया है। एक 532 किलोमीटर लम्बी उत्पाद पाइप लाइन भारतीय तेल निगम द्वारा मथुरा से दिल्ली और अम्बाला होते हुए जालंधर तक बिछाई जा रही है जिससे कि मथुरा शोधनशाला को वितरण सुविधापूर्वक हो सके।

मद्रास शोधनशाला लिमिटेड मद्रास शोधनशाला को दिसम्बर 1965 में 13.50 करोड़ रु० की अधिकृत राशि से एक कम्पनी का रूप दिया गया। यह भारत सरकार, नेशनल ईरानियन आयल कं० और अमरीका की एमोको इंडिया, इंक० के बीच करार के आधार पर हुआ। सम (इक्विटी)—पूंजी का 74 प्रतिशत भाग भारत सरकार का है और 13-13 प्रतिशत दोनों विदेशी सहयोगी कम्पनियों के हैं। यह परियोजना 25 लाख टन प्रतिवर्ष कच्चे तेल के उत्पादन के लिए बनाई गई जिसको संशोधित करके 28 लाख टन तक कर दिया गया। इस शोधनशाला की क्षमता को दुगना अर्थात् 56 लाख टन तक करने के लिए कार्य हो रहा है। एक 20,000 टन का पैराफिन मोम संयंत्र लगाया जा रहा है।

इंजीनियर्स इंडिया इंजीनियर्स इण्डिया लि० ने अपना कार्य 1965 में आरंभ किया। 1967 में यह पूर्णतया सरकार का अभिकरण बन गया। यह कम्पनी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में चल रहे कार्यों, जैसे पैट्रोलियम, शोधन, पाइप लाइन, पैट्रोरसायन, उर्वरक, सीमेंट, कागज, शक्ति, अलौह धातुकर्मीय संयंत्र, समुद्री इंजीनियरिंग और दूसरे संसाधन से संबंधित उद्योगों के लिए इंजीनियरी रूपरेखा तैयार करने में, और तकनीकी सलाह एवं सहायता भी देती है। कम्पनी के पास अपनी कम्प्यूटर प्रणाली है। वह अपने ग्राहकों को इलैक्ट्रोनिक्स आंकड़े तैयार करने में सहायता प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से यह कम्पनी इन्टरऐक्टिव ग्राफिक प्रणाली अपना रही है। इस कम्प्यूटर प्रणाली से इंजीनियरी रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलेगी। कम्पनी ने रियल टाईम प्रणालियों के क्षेत्र में भी पदार्पण किया है। इसके पास देश और विदेश की बहुत सी परियोजनाएं हैं।

ल्यूब्रीजोल इंडिया 1966 में ल्यूब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अधीन गठित हुई। दिसम्बर 1965 में इस सम्बंध में भारत सरकार तथा अमरीका की

ल्यूब्रीजोल निगम के बीच समझौता हुआ था। इसमें केन्द्रीय सरकार की 60% इक्विटी शेयर-पूंजी और शेष विदेशी सहायकों की है। यह कम्पनी उन रसायनों का निर्माण करती है जो रक्षा, परिवहन और दूसरे उन क्षेत्रों के लिए पेट्रोल से उत्पन्न ईंधनों और स्नेहकों में इस्तेमाल के लिए आवश्यक हैं अधिक से अधिक में धीरे देशी कच्चा माल इस्तेमाल कर रहे हैं।

भारतीय तेल निगम

भारतीय तेल निगम की स्थापना 1964 में इण्डियन रिफाइनरीज लि० और इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड को मिला कर की गई थी। निगम के दो विभाग हैं :—शोधनशाला एवं पाइप लाइन विभाग और विपणन विभाग। निगम का एक अनुसंधान और विकास केन्द्र फरीदाबाद (हरियाणा) में है। यह केन्द्र ग्राहकों को तकनीकी सुविधाएं देने और अच्छे स्तर के स्नेहकों का विकास करने में लगा हुआ है।

1980-81 की अवधि में तेल उद्योग में इस निगम के विपणन का भाग 59 3 प्रतिशत रहा। 1 अप्रैल, 1982 तक भारतीय तेल निगम के खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या 4,452 थी। मार्च 1982 तक निगम के 232 नगरों में 518 वितरण केन्द्र थे। इनसे 23.46 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को ईंधन गैस वितरित होता था।

कोच्चिन शोधनशाला

कोच्चिन शोधनशाला लि० सितम्बर 1963 में स्थापित की गई। इस शोधनशाला की प्रतिवर्ष 25 लाख टन कच्चे तेल की शोधन क्षमता थी। अगस्त, 1973 में इसकी क्षमता 33 लाख टन प्रतिवर्ष कर दी गयी। शोधनशाला के उत्पाद-पैट्रोलियम गैस, नेफ्था, मोटर स्पिरिट, बढ़िया मिट्टी का तेल, हाई स्पीड डीजल, हलका डीजल तेल, फरनेंस तेल और अस्फाल्ट भारतीय तेल निगम को बाजार में बेचने के लिए दिए जाते हैं।

इस कम्पनी में भारत सरकार की 52.83% इक्विटी शेयर पूंजी है। अमरीका के फिलिप्स पैट्रोलियम के इक्विटी शेयर 26.43% और केरल सरकार के 7.14 है। शेष 13.6% में जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, जनरल इन्श्योरेंस की कंपनियां, राष्ट्रीयकृत बैंकों व जनता के शेयर हैं।

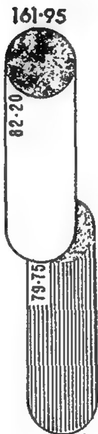
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन

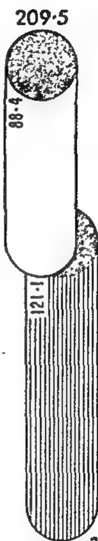
24 जनवरी, 1976 को सरकार ने बर्मा शैल रिफाइनरीज लिमिटेड की सारी शेयर पूंजी, तथा बर्मा शैल आयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया लि० के भारत में स्थित प्रतिष्ठानों की परिसम्पत्तियों और देयताओं को अपने हाथ में ले लिया। बर्मा शैल का नाम अब भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड है और इसकी अपनी शोधनशाला बम्बई में है। 1 अप्रैल, 1979 को देश भर में इसके 3,281 खुदरा बिक्री केन्द्र थे और 1978-79 के दौरान इसने लगभग 46.01 लाख टन माल बेचा। जब भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि० बम्बई की अतिरिक्त शाखा शोधन कार्य प्रारंभ कर देगी तो अक्तूबर 1984 तक प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता 52.50 लाख टन से बढ़कर 60 लाख टन हो जाएगी। इस कम्पनी के पास बम्बई व कलकत्ता में एक-एक ल्यूब तेल ब्लेन्डिंग प्लांट है।

तेल का उत्पादन

लाख टनों में







KBK

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन

14 मार्च, 1974 को सरकार ने एस्सो ग्रायल कम्पनी के 74 प्रतिशत शेयर खरीदकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० की स्थापना की। 1 अक्तूबर, 1976 को बचे हुए 26 प्रतिशत शेयर भी ले लिए गए। एस्सो की शोधनशाला बम्बई में थी।

30 दिसम्बर, 1976 को सरकार ने कालटेक्स कम्पनी के भारत-स्थित प्रतिष्ठानों की सारी शेयर पूंजी अपने हाथ में ले ली, और कम्पनी का नाम कालटेक्स ग्रायल रिफाइनरीज (इंडिया) लिमिटेड रख दिया। 9 मई, 1978 से इसे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिला दिया गया है। कालटेक्स की शोधनशाला विशाखापत्तनम में थी। 1 अप्रैल, 1979 को इसके कुल 3,197 खुदरा बिक्री केन्द्र थे। 1978-79 में इसने लगभग 50.47 लाख टन माल बेचा, जो तेल उद्योग की कुल बिक्री का लगभग 17.2 प्रतिशत था।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० की दो शोधनशालाएं हैं। एक बम्बई में है जिसकी वार्षिक क्षमता 35 लाख टन है। विशाखापत्तनम वाली शोधनशाला की वार्षिक क्षमता 15 लाख टन है जिसे बढ़ाकर 45 लाख टन तक किया जा रहा है। कार्पोरेशन को बम्बई, में एक ल्यूब शोधनशाला भी है।

इंडो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी

सरकारी क्षेत्र की यह कम्पनी भारतीय तेल निगम के उत्पादों का विक्रय करने के अतिरिक्त दो विभाग भी चला रही है। ये विभाग हैं—इंजीनियरी विभाग और रासायनिक विभाग। पहला विभाग हाई वैक्यूम इंजीनियरी यंत्र जैसे—क्रायोकन्टेनर्स और दूसरा विभाग औद्योगिक विस्फोटकों का निर्माण करते हैं।

भारतीय तेल ब्लेंडिंग प्लांट

भारतीय तेल ब्लेंडिंग प्लांट लि० पूर्णतया सरकारी एवं भारतीय तेल निगम की सहायक कम्पनी है। यह निगम के लिए ग्रीस और ब्लेंडिंग लबरीकेन्ट बनाता है। 1980-81 मे कम्पनी ने 2.51 लाख किलो ल्यूब और 5,986 मीट्रिक टन ग्रीस का उत्पादन किया।

19 उद्योग

योजनाबद्ध विकास के पिछले 30 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में विविधता और गुण की दृष्टि से द्रुतगति से विकास हुआ है। 1970–81 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन लगभग पांच प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़ा। यद्यपि इस वृद्धि में लगभग सभी उद्योग समूहों ने अंशदान किया, पर विशेष वृद्धि, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पादन, रसायन और रासायनिक उत्पाद, धातु-उत्पाद, इलेक्ट्रानिक और बिजली की मशीनरी, परिवहन उपकरण और बिजली उत्पादन आदि क्षेत्रों में हुई। विशुद्ध घरेलू उत्पादों में निर्माण क्षेत्र का योगदान 1960-61 में 13.9 प्रतिशत से बढ़कर 1980-81 में 15.4 प्रतिशत हो गया।

विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में चालू उद्योगों में नए एककों तथा नए उपक्रमों की स्थापना से उद्योग के ढांचे का विस्तार और विविधीकरण हुआ। परिणामस्वरूप औद्योगिक एककों की संख्या काफी बढ़ी है। 1951 में लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए केवल दो बड़े एकक थे। अब [illegible] विशाल इस्पात संयंत्र हैं जिनकी क्षमता लगभग 87 लाख टन की है। इन्होंने 1981-82 में 71 लाख टन से भी अधिक बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन किया। इन संयंत्रों में उत्पादित इस्पात ने देश में सुई से लेकर भारी मशीनों तक इंजीनियरी के अनेक सामान बनाने में आत्मनिर्भरता की बुनियाद रखी है। नए उद्योगों के क्षेत्र में, खेती के ट्रैक्टर, इलेक्ट्रानिक और उर्वरक उद्योग, जिनका 1951 में अस्तित्व भी नहीं था, इतने विकसित हुए कि इनका आयात नाममात्र का किया जाता है। दवाइयों और रसायन के पदार्थों के उद्योगों में भी तेजी से वृद्धि हुई। कपड़ा उद्योग, पटसन और सूत के कपड़ों तक ही सीमित नहीं है। आज कई कारखाने विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रेशे तैयार करते हैं। मशीन तैयार करने वाले उद्योग में भी तेज प्रगति हुई है। बिजली उत्पादन, रेल, सड़क परिवहन और संचार के लगभग सभी उपकरण देश का इंजीनियरी उद्योग उपलब्ध कर सकता है। चीनी और सीमेंट के लिए मशीनों, पावर बॉयलर, वस्तुओं को लादने-उतारने के उपकरण और बड़ी संख्या में टिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है।

स्वतन्त्रता के बाद देश के औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। 1951 में 29 करोड़ रुपये के निवेश के केवल पांच ही गैर-विभागीय सरकारी उपक्रम थे। अप्रैल 1981 को इनकी संख्या 185 हो गई जिनमें 21,126 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी। यह उपक्रम अब इस्पात, कोयला, अल्मूनियम, तांबा, भारी और हल्के इंजीनियरी उत्पाद, उर्वरक, आधारभूत रसायन, दवाइयां, खनिज पेट्रोलियम की वस्तुएं, रेल, इंजन, विमान और जहाज जैसी विविध चीजें बनाते हैं।

नीति और प्रगति

औद्योगिक नीति

स्वतन्त्र भारत की औद्योगिक नीति सर्वप्रथम 1948 में घोषित की गई थी। इसमें मिली-जुली अर्थव्यवस्था का उद्देश्य रखा गया, जिसमें देश के हित के

लिए उद्योगों के योजनाबद्ध विकास तथा नियमन का पूरा उत्तरदायित्व ... पर है। यद्यपि इसमें किसी भी औद्योगिक उपक्रम को जनहित के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहण करने की पुष्टि की गई, किन्तु निजी उद्योगपतियों के लिए उपयुक्त क्षेत्र सुरक्षित रखा गया। संसद द्वारा 1954 में समाज के समाजवादी ढांचे को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के पश्चात् 1956 में इस नीति को संशोधित किया गया। संशोधित नीति के अनुसार अनुसूची 'क' में उल्लिखित उद्योग (आगे दिए गए) पूर्णतया सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि अनुसूची 'ख' ... (आगे गिनाए हुए) उत्तरोत्तर सरकार के स्वामित्व में होंगे। किन्तु निजी उद्योगपतियों से इन क्षेत्रों में राज्यों के प्रयत्नों की सम्पूर्ति करने की अपेक्षा की गई है। इन दो अनुसूचियों में जिन उद्योगों का वर्णन है, उनका भावी विकास आमतौर पर निजी उद्योगपतियों के लिए छोड़ा जाएगा। किन्तु इसके बावजूद राज्य किसी भी प्रकार के औद्योगिक उत्पादन को अपने हाथ में लेने को सदा स्वतन्त्र होगा।

अनुसूची 'क' के उद्योग हैं:—हथियार और गोला-बारूद और रक्षा संबंधी अन्य साज-सामान, परमाणु ऊर्जा; लोहा और इस्पात, लोहे और इस्पात की भारी ढलाई और गढ़ाई; लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिए, खनन कार्य के लिए, मशीनों औजारों के निर्माण के लिए और सरकार द्वारा निर्धारित अन्य बुनियादी उद्योगों के लिए आवश्यक भारी यंत्र तथा मशीनें; द्रवचालित तथा वाष्पचालित टरबाइनों सहित बिजली के भारी संयंत्र; कोयला और भूरा कोयला (लिगनाइट); खनिज तेल; लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, जिप्सम, गन्धक, स्वर्ण और हीरों को खानों से निकालना; तांबे सीसे, जस्ते, मोलिब्डेनम और वुलफ्रेम का खनन और संसाधन; परमाणु ऊर्जा (उत्पादन और उपयोग पर नियन्त्रण) आदेश 1953 की अनुसूची में वर्णित खनिज; वायुयान; विमानन, रेल यातायात; जलयान निर्माण; टेलीफोन और टेलीफोन के तार, टेलीग्राफ और बेतार उपकरण (रेडियो सेटों को छोड़ कर), बिजली का उत्पादन और वितरण।

अनुसूची 'ख' के उद्योग हैं:—खनिज पदार्थ रियायत नियम, 1949 की धारा 3 में दी हुई परिभाषा के अनुरूप 'गौण खनिज पदार्थों' को छोड़ कर सभी खनिज पदार्थ; अल्यूमिनियम तथा अन्य अलौह धातुएं जो अनुसूची 'क' में शामिल नहीं, मशीनी औजार; लौह मिश्रित धातुएं और औजारी इस्पात; औषध; रंग-सामग्री और प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों जैसे रासायनिक उद्योगों के लिए आवश्यक, बुनियादी और मध्यवर्ती उत्पाद, एंटीबायटिक तथा अन्य आवश्यक औषध; उर्वरक, कृत्रिम रबड़; कोयले का कार्बनीकरण; रासायनिक लुगदी; सड़क और समुद्र परिवहन।

उद्योगों का विनियमन

1948 में घोषित नीति के अनुसार संविधान में संशोधन किया गया और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 बनाया गया। इसके अधीन इसकी प्रथम अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक है। इस अधिनियम द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि

यह किसी भी ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यसंचालन की जांच कर सकती है और ऐसे निर्देश दे सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे। यदि किसी प्रतिष्ठान में कुव्यवस्था जारी रहती है तो सरकार को यह अधिकार है कि वह उसके प्रबन्ध या नियन्त्रण को अपने हाथ में ले ले। इस अधिनियम द्वारा सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह अनुसूचित उद्योगों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का समान वितरण कराने और उचित मूल्य बनाए रखने के लिए कार्यवाही कर सकती है।

औद्योगिक लाइसेंस

इस औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निजी एकाधिकारों के अभ्युदय और आर्थिक शक्ति के कुछ थोड़े से ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होने को रोकना है। इस समस्या का अध्ययन आय के वितरण और जीवन स्तर संबंधी महालनबीस समिति (1960), एकाधिकार जांच आयोग (1964) और औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति (1967) द्वारा किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग और योजना आयोग ने भी इस सम्बन्ध में कई सिफारिशें की। इसके परिणामस्वरूप 1969 में एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम पारित किया गया और 1970 में इस अधिनियम के अन्तर्गत एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग नियुक्त किया गया। औद्योगिक लाइसेंस नीति में 1970 और 1973 में संशोधन किए गए।

नए संशोधनों में यह बात दोहराई गई कि औद्योगिक क्षेत्र में सरकार की नीति 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार होगी। आधारभूत और सामरिक महत्व के उद्योग और जनोपयोगी सेवाएं सार्वजनिक क्षेत्र मे रहेंगी। जो उद्योग आवश्यक हैं और जिनके लिए बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है, जो कि मौजूदा हालात में राज्य ही कर सकता है वे भी सार्वजनिक क्षेत्र में रहेंगे।

नए संशोधनों की कुछ अन्य मुख्य बातें ये हैं : लाइसेंस के संबंध में बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान का मतलब ऐसे प्रतिष्ठान से है जिसकी कुल परिसम्पत्ति सभी अन्तर्सम्बद्ध उपक्रमों की परिसम्पत्ति सहित (जैसा कि एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 में परिभाषित है) 20 करोड़ रुपये से कम न हो। औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने 35 करोड़ रुपये की सीमा रखी थी।

बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विदेशी कम्पनियों और उसकी सहायक कम्पनियों की सूची शीघ्र ही फिर से स्पष्ट की गई। अप्रैल 1982 में इनके 24 समूहों की घोषणा प्रकाशित की गई। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अनुसूची 'क' में उल्लिखित या लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित वस्तुओं के उत्पादन की इनको अनुमति नही है।

इन 24 उद्योगों को छोड़ कर अन्य उद्योगों के लिए बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सामान्यतः अनुमति नही दी जाएगी। लेकिन यदि उत्पादन मुख्यतः निर्यात के लिए हो तो अनुमति दी जा सकती है और ऐसे मामले में उत्पादन

का कम से कम 60 प्रतिशत निर्यात करना होगा (यदि उत्पाद लघु उद्योगों के लिए आरक्षित हो तो 75 प्रतिशत)। विदेशी कम्पनियों के मामलों में विदेशी पूंजी में कमी के सिद्धान्त पर अमल किया जाएगा, और उन्हें निवेश की अनुमति देते समय तकनीकी पहलुओं, निर्यात संभावनाओं और व्यापार संतुलन पर प्रभाव का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

नई क्षमता स्थापित करने के मामले में बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विदेशी कम्पनियों के बजाय छोटे और मध्यम स्तर के समर्थ उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाइसेंस नीति का उद्देश्य यह होगा कि सहायक साज-सामान का उत्पादन लघु या मध्य क्षेत्र में किया जाए। सहकारी समितियों तथा छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों को उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के आधार पर ही अनुमति दी जाएगी, जैसे बड़े उत्पादन के मूल्य में कमी, तकनीकी सुधार, अधिक निवेश की आवश्यकता, अधिक निर्यात की संभावना या आधुनिकीकरण। सहकारी क्षेत्र को भी ऐसे उद्योग खोलने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें गन्ना, जूट और कपास जैसे कच्चे माल को औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार किया जाता है या उर्वरक जैसी खेती के लिए आवश्यक चीजों का उत्पादन होता है।

लघु उद्योगों (जिनमें मशीनों और उपकरणों के लिए 20 लाख रुपये तक का निवेश हो सकता है) और सहायक उद्योगों (जिनमें मशीनों और उपकरणों के लिए 25 लाख रुपये तक का निवेश हो सकता है) के लिए आरक्षण की नीति जारी है। सरकार ने इस क्षेत्र के कार्य परिणामों और क्षमताओं को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची को 831 तक बढ़ा दिया है।

कारखानों के लिए जमीन, भवन और मशीनों के रूप में तीन करोड़ रुपये तक की अचल परिसम्पत्ति के लिए लाइसेंस से छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। यह छूट इन पर लागू नहीं होगी—बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान, बड़े उपक्रम और विदेशी कम्पनियां, उनकी शाखाएं और सहायक कम्पनियां।

संयुक्त क्षेत्र परियोजना के लिए प्रत्येक प्रस्ताव पर निर्णय करते समय सरकार के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के आधार पर उसके लाभों को परखा जाएगा। जो उपक्रम एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें संयुक्त क्षेत्र का प्रयोग करके ऐसे उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो उनके लिए अन्यथा वर्जित हैं। संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों के नीति निर्धारण, प्रबन्ध एवं परिचालन में सरकार की प्रभावी भूमिका रहेगी।

विकास हेतु सरकार ने कुछ पिछड़े जनपदों व क्षेत्रों को चुना है और उनके नामों की घोषणा प्रकाशित की है। सरकार ने उन उद्योगपतियों के आवेदन-पत्रों को वरीयता देने का भी निश्चय किया है जो इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे जनपदों की सूची तैयार करने के लिए भी एक सर्वेक्षण किया गया जहां कोई बड़ा या मझोला उद्योग नहीं है। ऐसे जनपदों को छांट लिया गया है।

उदार लाइसेंस नीति

उदार लाइसेंस नीति के अन्तर्गत सरकार ने मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को सामान्य औद्योगिक लाइसेंस पद्धति में छूट देने का फैसला किया, ताकि वे स्वदेशी उपकरणों और स्थानीय कच्चे माल पर आधारित औद्योगिक क्षमता स्थापित कर सकें और वर्तमान स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकें। फलस्वरूप, 24 श्रेणियों के मझोले उद्योगों मे नये उपक्रम स्थापित करने, वर्तमान क्षमता का समुचित विस्तार करने और नई वस्तुओं के निर्माण के लिए लाइसेंस लेने से छूट दे दी गई।

मध्यम श्रेणी के 29 अन्य उद्योगों को अपनी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने की अनुमति दे दी गई। मुद्रास्फीति पर अंकुश रखने और महत्वपूर्ण उद्योगों में उत्पादन बढाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। पूंजी निवेश पद्धति को उदार बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए मन्त्रालयों को एकाधिकार सौंप दिए गए। इनमें विविधीकरण व्यापार को जारी रखने के लाइसेंस और आशय-पत्र या औद्योगिक लाइसेंसों की वैधता-अवधि को बढ़ाने के आवेदन भी शामिल है।

15 इंजीनियरी उद्योगों, विशेषरूप से निर्यातोन्मुख उद्योगों को, 14 अगस्त, 1985 को पूरी होने वाली 5 वर्ष की अवधि में एक या अधिक बार में अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता में पाच प्रतिशत वार्षिक की दर से और अधिकतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि यह उत्पाद लघु उद्योगों या सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित न हों और एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम (एम०आर०टी०पी०) के अन्तर्गत यह कारखाना उस विशेष वस्तु का प्रमुख उत्पादक न हो। इसके अलावा, ऐसे 19 उद्योगों, जिन्हें बड़े औद्योगिक घराने और विदेशी प्रतिष्ठान भी खोल सकते हैं, तथा अन्य प्रत्याशियों को भी इस वृद्धि की अनुमति दी गई है। अप्रैल 1982 में घोषित किए गए उद्योगो को यह सुविधा दी गई।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख कारखानों को विशेष सुविधाएं देने की एक योजना भी बनाई गई है। इन सुविधाओं में पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे सामान और ऐसे हिस्से-पुर्जों के आयात शुल्क में छूट शामिल है, जिनका उत्पादन देश में नही होता। साथ ही निर्यात रोकने के लिए एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत प्रमुख उत्पादक इकाइयों का निर्धारण करने के उद्देश्य से भी एम० आर० टी पी० अधिनियम में संशोधन किए गए है। शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी कारखाने स्थापित करने के लिए सभी आवेदनों पर विचार करने के लिए एक विशेष बोर्ड भी गठित किया गया है।

पूरी स्थापित क्षमता का इस्तेमाल करने की दृष्टि से औद्योगिक उपक्रम विशेष की कुल लाइसेंस-निर्दिष्ट क्षमता के अन्दर, औद्योगिक मशीन, मशीनी औजार, बिजली उपकरण, इस्पात ढलाई, इस्पात गढ़ाई, इस्पात पाइप, सवारी कार और शक्तिचालित दुपहिया उद्योगों को विविधीकरण की अनुमति दी गई है।

निर्यात विकास प्रयत्नों को बढावा देने के लिए क्षमता के पूरे इस्तेमाल हेतु उद्योग मत्रालय मे एक तकनीकी विकास कक्ष खोला गया है। उत्पादन के

गुण और माला पर प्रभाव डालने वाले उपकरणों, तकनीकी जानकारी, विदेशी परामर्श सेवाओं तथा ड्राइंग और डिजाइनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक तकनीकी विकास कोष भी बनाया गया है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के व्यापारिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे औद्योगिक उपक्रम, जो एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते, बिना औद्योगिक लाइसेंस लिए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित प्रयोगशालाओं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वीकृत प्रयोगशालाओं में से किसी के द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित क्षमता स्थापित कर सकते हैं।

भारतीय मूल के विदेशों में बसे लोगों को उनकी विदेशी मुद्रा की अपनी बचत से भारत में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए, संयंत्र और मशीनें आयात करने की सुविधाएं दी गई हैं ताकि प्राथमिकता वाले और निर्यातोन्मुख क्षेत्र के उद्योगों में निवेश के लिए विदेशों से धन आकर्षित किया जा सके।

मानकीकरण

1946 में स्थापित भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली, वस्तुओं, पदार्थों, तथा क्रियाविधियों के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। यह औद्योगिक टैक्नालाजी में मानकीकरण और किस्म-नियंत्रण को बढ़ावा देता है तथा भारतीय और विदेशी कम्पनियों के कार्यकारी और तकनीकी अधिकारियों को मानकीकरण संबंधी तकनीक का प्रशिक्षण देता है।

यह संस्थान आई०एस०आई० प्रमाणीकरण चिह्न (मुहर) योजना भी चलाता है जिसके अन्तर्गत निर्माताओं को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं पर प्रमाणीकरण की मुहर लगाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। यह उनकी किस्म के बारे में एक तीसरे पक्ष की गारंटी होती है।

यह संस्थान मानकीकरण विषयक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

औद्योगिक वित्त

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सावधि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था कर रही हैं। उद्योगों के लिए वित्त देने वाली संस्थाओं के बारे में नीचे बताया गया है :

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत की गई, संयुक्त और/या सहकारी क्षेत्रों में स्थापित या उन सभी स्थापित होने वाले मध्यम और भारी उद्योगों को विभिन्न रूपों में सीधी वित्त सहायता देता है जो इसके हकदार हैं। स्थापना से लेकर 31 दिसम्बर, 1981 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 1,493 परियोजनाओं के लिए 1,395 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है जिसमें से 72 प्रतिशत वितरित हो चुकी है।

राज्यों के वित्त निगम

18 राज्यों के वित्त निगम मध्यम व लघु स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं। इनके द्वारा 1980-81 में कुल 377 करोड़ रु० के ऋण स्वीकृत हुए हैं। प्रारम्भ से मार्च 1981 तक इन निगमों द्वारा स्वीकृत कुल ऋण 1,886 करोड़ रु० था।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) 1964 में स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों में समन्वय और उनके साधनों की संपूर्ति करने, औद्योगिक ढांचे के लिए अधिक महत्व के उद्योगों की योजना बनाने और उन्हें बढ़ावा देने तथा भावी औद्योगिक विकास के लिए प्राथमिकताओं का ढंग निर्धारित कर उसे लागू करने के लिए की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को, 16 फरवरी, 1976 से भारतीय रिजर्व बैंक से पृथक कर दिया गया और भारत सरकार के स्वामित्व में एक स्वायत्तशासी निगम बना दिया गया। अपने स्थायी नियमों के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सभी प्रकार के अनपेक्षित इकाई संगठन या आकृति वाले व्यवसायों की आर्थिक व्यवस्था कर सकता है। वित्तीय सहायता देने में उस पर किसी प्रकार का भी कोई संकेत या मात्रा बंधी नहीं है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में, उद्योगों को प्रोत्साहित करने व उनके विकास की विशेष भूमिका सौंपी गई है ताकि देश के औद्योगिक ढांचे में जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जा सके। उद्योगों को शुरू करवाने, उनके प्रबन्ध और विकास के लिये तकनीकी व प्रशासनिक सहायता देना भी इसी बैंक की जिम्मेदारी है साथ ही उद्योग के विकास को लेकर बाजार विनिमय और धन लगाने के कार्य में अनुसंधान व सर्वेक्षण, और आर्थिक अध्ययन का कार्य भी यह बैंक करता है । मुख्य कार्यालय बम्बई के अलावा इसके प्रादेशिक कार्यालय अहमदाबाद, कलकत्ता, गुवाहाटी, मद्रास और नई दिल्ली और शाखा कार्यालय विभिन्न राज्यों में हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अनेक योजनाओं को वित्तीय सहायता दे रहा है : नई इकाइयों को स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के विविधीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए परियोजना वित्तीय सहायता योजना (ऋण, जोखिम अंकन, प्रत्यक्ष अभिदान प्रतिभूतिया) चुने हुए उद्योगों के लिये लघु ऋण योजना; तकनीकी विकास कोष योजना; औद्योगिक ऋण योजना, बिलों पर पुनः छूट देने की योजना, निर्यात के लिए आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी योजना और बीज पूंजी सहायता योजना।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी 145 करोड़ रुपये है। बैंक ने 31 दिसम्बर, 1981 तक 7,867 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता (गारंटियों को छोड़कर) की स्वीकृति दे दी थी, जिनमें से 5,285 करोड़ रु० वितरित किए जा चुके थे और 3,573 करोड़ रु० अभी शेष थे। वित्तीय सहायता का लगभग 47 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अनुमोदित किया गया है, लघु उद्योग इकाइयों के लिए लगभग एक-तिहाई वित्तीय सहायता दी गई है।

भारतीय औद्योगिक ऋण पूंजी निवेश निगम

भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजी निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०) की स्थापना 1955 में की गई। स्थापना के बाद से लेकर दिसम्बर 198. तक 1,310 करोड़ रु० की कुल राशि निगम द्वारा वितरित की गई।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना 1971 में उन एककों के पुनः निर्माण और पुनर्निवेशन के लिए की गई जो बन्द हो गए हैं या बन्द होने के खतरे में हैं पर पुनः जीवित किए जा सकते हैं। यह उनके लिए शेयर पूंजी का पुनर्निर्माण, प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार, नर्म शर्तों पर वित्त व्यवस्था तथा टेक्नालाजी और श्रमिक संबंधों में सुधार लाएगा। 31 जनवरी, 1982 तक निगम (आई०आर०सी०आई०) ने 131 एककों को 141 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता अनुमोदित की।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम 1954 में सूती कपड़ा और पटसन उद्योगों के पुनः स्थापन तथा आधुनिकीकरण और मशीनों-औजारों के कारखानों के विस्तार के लिए स्थापित किया गया था। आजकल यह देश और विदेश में इंजीनियरी परामर्श देता है। निगम की परामर्श सेवाओं का लाभ विकासशील देश और संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन तथा राष्ट्र मंडल सचिवालय जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी उठा रही हैं।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की स्थापना 1964 में सरकारी क्षेत्र के एक पूंजी निवेश संस्थान के रूप में इसलिए की गई थी कि लोगों की बचतों को इकट्ठा किया जा सके और उत्पादक संगठित विनियोग के रूप में उन्हें लगाया जा सके जिससे देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति हो तथा उसमें विविधता आए।

इसको प्राप्त करने के लिए यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया 10 रु० के यूनिट जनता को बेचता है। यूनिटों के अन्तर्गत विनियोजन से पूंजी लगाने वालों को (खास कर निम्न और मध्यम आय-वर्ग) ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों के शेयर और ऋणपत्रों के अप्रत्यक्ष स्वामित्व को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने यूनिटों की बिक्री के हेतु तीन कार्यक्रमों को अपनाया है। ये हैं—यूनिट स्कीम 1964, यूनिट स्कीम 1971 और यूनिट स्कीम 1976। पूंजी लगाने वालों की विशिष्ट विनियोजन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ट्रस्ट ने विशेष बचत कार्यक्रम बनाए हैं जो यूनिट स्कीम से सम्बद्ध होंगे—जैसे पुनर्निवेश कार्यक्रम 1966, बाल उपहार कार्यक्रम 1970 और यूनिट से सम्बद्ध बीमा कार्यक्रम 1971। 30 जून, 1981 वर्ष के अन्त में ट्रस्ट ने 1964 की यूनिट स्कीम का 11.5 प्रतिशत भाग घोषित किया।

विदेशी पूंजी

तीव्र गति से औद्योगिक विकास करने के संबंध में पूंजी संसाधनों और तकनीकी ज्ञान की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने इस बात की

अनुमति दी है कि वांछनीय मामलों में विदेशी सहायता प्राप्त की जा सकती है। विदेशी पूजी विषयक नीति 1948 के औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव तथा 1949 में संविधान सभा में दिए गए प्रधानमंत्री के वक्तव्य के अनुसार परिचालित होती है। इसके अन्तर्गत विदेशी पूंजी और उद्यम की साझेदारी को राष्ट्रीय हित में सावधानीपूर्वक विनियमित किया जाता है। विदेशी विनियोजन के क्षेत्र में सरकार की नीति बहुत सावधानीपूर्वक चुनाव करने की है और इसका लक्ष्य टेक्नालाजी के क्षेत्र में खाई को पाटना तथा निर्यात में अभिवृद्धि लाना है। बैंक, वाणिज्य, बागान, व्यापार, उपभोक्ता और अधिक लाभ देने वाले उद्योगों के क्षेत्र में विदेशी पूंजी की अनुमति नहीं दी गई है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत विदेशों में स्थित कम्पनियां और ऐसी भारतीय कम्पनियों, जिनमें विदेशियों का 40 प्रतिशत से अधिक का हित है, को भारत में अपनी चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को चालू रखने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया से पुनः अनुमति लेनी पड़ेगी।

सरकार द्वारा जो मानदण्ड जारी किए गए, उनके अनुसार विदेशी कम्पनियों की शाखाओं को, जिनकी विदेश पूंजी 40 प्रतिशत, 51 प्रतिशत और 74 प्रतिशत के बीच में है, भारतीय कम्पनियों के रूप से काम करना था। इसी प्रकार से भारतीय कम्पनियों को, जिनमें विदेशी पूंजी 40 प्रतिशत से अधिक है, व्यवसाय की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी पूजी को घटा कर 74 प्रतिशत या 51 प्रतिशत या 40 प्रतिशत करना था। एफ०ई०आर०ए० के अन्तर्गत विघटन कार्य लगभग पूरा हो चुका है और यह लक्ष्य बड़ी सहजता से प्राप्त कर लिया गया है।

उद्योगों का विकास

यह कहा जा सकता है कि भारत में सुव्यवस्थित आधुनिक उद्योगों का इतिहास 1854 से शुरू हुआ जबकि मुख्यतः भारतीय पूंजी और उद्यम से बम्बई में सूती मिल उद्योग का वास्तविक आरम्भ हुआ। पटसन उद्योग की शुरुआत अधिकांशतः विदेशी पूंजी और सहयोग से 1855 में कलकत्ता के निकट हुई। इसी समय के आसपास कोयला खनन उद्योग ने प्रगति करनी आरम्भ की। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक केवल ये ही बड़े उद्योग थे जिनका देश में पर्याप्त विकास हुआ। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तथा उसके बाद अधिकारियों ने कुछ अधिक उदार नीति अपनाई जैसे कि उद्योगों को संरक्षण देने की नीति, जिससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला। कई उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ और कई नए उद्योगों की स्थापना हुई जैसे इस्पात, चीनी, सीमेंट, काच, औद्योगिक रासायनिक पदार्थ, साबुन, वनस्पति और कुछ इंजीनियरी वस्तुएं आदि। परन्तु उनका उत्पादन न तो इतना पर्याप्त ही था कि उससे घरेलू माग, जो उस समय कम ही थी, पूरी हो पाती और न उसमें विविधता ही थी।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि (1951-52 से 1960-61 में उद्योगों के विकास तथा उत्पादन की विविधता में उल्लेखनीय प्र हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में हुई प्रगति विशेष उल्लेखनीय है। सरकारी क्षेत्र में 10-10 लाख टन इस्पात पिंड की क्षमता वाले नए इस्पात कारखाने स्थापित किए गए और गैर-सरकारी क्षेत्र में चल रहे इस्पात कारखानों की क्षमता बढ़ाकर दुगुनी कर दी गई। बिजली के सामान और भारी मशीनों, औजार उद्योगों तथा भारी मशीन निर्माण एवं इंजीनियरी उद्योगों की अन्य शाखाओं में उद्योगों की स्थापना की गई। और कागज उद्योगों के लिए मशीन बनाना पहली बार शुरू किया गया। रासायनिक पदार्थों के उद्योग के क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति हुई। इसके केवल नत्रजनयुक्त उर्वरकों, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, और गन्धक अम्ल जैसे आधारभूत रासायनिक पदार्थों के बड़े कारखानों की स्थापना और इन पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि ही नहीं हुई वरन्, यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, पेनिसिलिन कृत्रिम रेशे, औद्योगिक विस्फोटकों, पालिथिलीन और रंग-सामग्री जैसी नई वस्तुओं का उत्पादन भी आरम्भ हुआ। कई अन्य उद्योगों के उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई जिनमें साइकिल, सिलाई मशीन टेलीफोन तथा बिजली के सामान के उद्योग शामिल हैं। कर्मचारियों ने नए हुनर सीखे तथा औद्योगिक प्रबन्धकों के एक नए वर्ग का विकास हुआ। संगठित उद्योगों का उत्पादन इन दस वर्षों में दुगुना हो गया। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जो 1950-51 में 100 था, 1960-61 में बढ़कर 194 हो गया। देश के प्रमुख नगरों के आसपास नई औद्योगिक बस्तियां बस गईं और कारखाने स्थापित हुए।

तीसरी योजना तथा वार्षिक योजनाएं

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) और बाद की वार्षिक योजनाओं (1966-69) के आठ वर्षों में औद्योगिक प्रगति में बहुत घट-बढ़ होती रही। पहले चार वर्षों में औद्योगिक पूंजी निवेश और विकास के लिए परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल रहीं और उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसके बाद लगभग तीन वर्षों तक देश की अर्थ-व्यवस्था पर भारी बोझ और दबाव पड़ा, जिससे औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घटने लगी। पहले तो यह धीरे-धीरे घटी और बाद में तेजी से और अन्त में तो करीब-करीब गतिहीनता की स्थिति आ गई। परन्तु इस अवधि के अन्तिम वर्ष 1968-69 में इसमें सुधार के लक्षण दिखाई दिए।

1964-65 के बाद औद्योगिक विकास में गिरावट आने के कई कारण थे जिनमें सबसे प्रमुख कारण यह था कि 1965 के संघर्ष और 1965-66 और 1966-67 के दो वर्षों में निरन्तर सूखा पड़ने के कारण उद्योगों पर लगातार बुरा प्रभाव पड़ता रहा। 1965 में कुछ समय के लिए विदेशी सहायता बन्द होने की वजह से कच्चे माल व कल-पुर्जों की कमी का कई उद्योगों पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा।

जिन उद्योगों में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अपने उत्पादन लक्ष्य 1965-66 तक पूरी तरह या लगभग प्राप्त कर लिए थे, वे हैं : अल्मूनियम, मोटर

गाड़ियां, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, सूती कपड़ा मिलों की मशीनरी, मशीनी औज़ार, चीनी, पटसन का सामान, विद्युत-चालित पम्प, डीजल इंजन और पेट्रोलियम से बने पदार्थ। दूसरी ओर इस्पात और उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के उत्पादन में भारी कमी हुई। बाद के वर्षों में उर्वरक, भारी रासायनिक पदार्थ, सीमेंट और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे कुछ उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई।

उत्पादन में इस घट-बढ़ के बावजूद इस अवधि में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई जिनके फलस्वरूप औद्योगिक ढांचे में विविधता आई। कई नए क्षेत्रों में भारी क्षमता का सृजन हुआ। कई बड़ी परियोजनाएं, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में शुरू की गई थीं, पूरी कर ली गई और उनमें उत्पादन आरम्भ हो गया, विशेषकर भारी इंजीनियरी सामान और मशीनों के क्षेत्र में। भारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और माइनिंग और एलाईड मशीनरी कारपोरेशन के विभिन्न कारखानों तथा बिजली के भारी सामान की परियोजनाओं में उत्पादन आरम्भ हो जाने से लोहा और इस्पात, खनन तथा विद्युत उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, अधिकतर देशी प्रयत्नों से ही क्षमता का और विस्तार करना संभव हो सका। रेल और सड़क परिवहन तथा संचार के क्षेत्र में, उपकरणों के और रेल के इंजनों तथा डिब्बों की आपूर्ति के बारे में वस्तुतः देश आत्मनिर्भर हो चुका था। कपड़ा, चीनी और सीमेंट जैसे परम्परागत उद्योगों के लिए मशीनें बनाने की क्षमता का विकास किया गया और डिजाइन तैयार करने तथा इंजीनियरी के क्षेत्र में योग्यता का विस्तार किया गया। निर्माण कार्य की तकनीकी जानकारी या तो प्राप्त कर ली गई थी अथवा विकसित कर ली गई थी जिससे कि उर्वरक, रेयन और घुलनशील लुगदी जैसे उद्योगों की परियोजनाओं के डिजाइन या रूपरेखा बनाने से लेकर कारखाने लगाने तक का कार्य अधिकतर देशी प्रयत्नों से ही पूरा किया जा सकता था। इस्पात और अलौह धातुओं की उत्पादन-क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पेट्रोलियम, उर्वरक और पेट्रो-रासायनिक उद्योगों में भी क्षमता का विस्तार करने में सफलता मिली।

चौथी योजना के दौरान प्रगति

चौथी योजना में औद्योगिक क्षेत्र का कार्य निष्पादन घटा। सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर 3,050 करोड़ रु० के प्रावधान के मुकाबले निवेश अनुमानतः 2,700 करोड़ रुपया रहा। खनिज, लोहा, पेट्रोलियम और पेट्रो-रासायनिक पदार्थों जैसे कुछ क्षेत्रों में निवेश की प्रगति सामान्यतः सन्तोषजनक थी। किन्तु लोहा और इस्पात, अलौह धातुएं, उर्वरक और कच्चे कोयले जैसे क्षेत्रों में ऐसा नहीं था। परियोजना मूल्यों में हुए विस्तार का हिसाब लगाया जाए तो वस्तुतः समस्त निवेश में गिरावट कहीं अधिक मिलेगी।

औद्योगिक उत्पादन में असंतोषजनक वृद्धि के अनेक कारण थे। इस्पात और उर्वरक जैसे कुछ नाजुक उद्योगों में विभिन्न यूनिटों में परिचालन समस्याओं के कारण उत्पादन स्थापित क्षमता से बहुत कम रहा, चीनी और वस्त्र जैसे कृषि पर आधारित अन्य उद्योगों में भी खामियां बनी रहीं। निवेश की अपर्याप्त

प्रगति ने औद्योगिक मशीनरी की मांग को कम किया जिसका पूंजीगत माल बनाने वाले उद्योगों के उत्पादन स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इस्पात और अलौह धातुओं की कमी ने अन्य इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन पर भी बुरा असर डाला।

दूसरी ओर मिश्रित और विशेष इस्पात, अलमूनियम, मोटर गाड़ियों के टायर, पेट्रोलियम शोधन शालाओं के उत्पाद, इलेक्ट्रानिक्स, मशीनी औजार, ट्रैक्टर तथा भारी बिजली उपकरण उद्योग जैसे बहुत से उद्योगों में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। योजना के अन्तिम वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने भी उत्पादन में उत्साहवर्द्धक प्रगति दिखाई। इसके अतिरिक्त औद्योगिक आधार का और विस्तार किया गया और किस्म सुधार तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में काफी प्रगति हुई।

पांचवीं योजना के दौरान प्रगति

पांचवीं योजना में महत्वपूर्ण उद्योगों की तेज बढ़ोतरी और निर्यातोन्मुख माल तथा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। संशोधित योजना में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की औसत दर 7 प्रतिशत वार्षिक आंकी गई है। खाद्य, उर्वरक और तेल के मूल्यों में आशातीत वृद्धि के कारण वे सभी अनुमान बुरी तरह गड़बड़ा गए, जिनके आधार पर पांचवीं योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। इन नई घटनाओं के कारण खाद्य और ऊर्जा के मामले में कुछ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाना भी आवश्यक हो गया। आगे की वार्षिक योजनाएं इन्हीं बातों को ध्यान मे रखकर तैयार करनी पड़ी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (1974-79) मे कुल 53,411 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित था, जिसमें से 37,250 करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और 16,161 करोड़ रु० निजी क्षेत्र के लिए था। परन्तु, नवम्बर, 1973 मे तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप अभूतपूर्व मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाने से 1976 में योजना में काफी काट-छांट करनी पड़ी। संशोधित योजना मे कुल 69,351 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया—42,303 करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और 27,048 करोड़ रु० निजी क्षेत्र के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय में 3,000 करोड़ रु० का वस्तुनिवेश शामिल था। शेष 39,303 करोड़ रु० चालू परिव्यय के रूप में था।

पांचवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के 39,322 करोड रु० के संशोधित परिव्यय में उद्योग और खनिज क्षेत्र का भाग 7,362 करोड़ रु० कुल परिव्यय का 18.7 प्रतिशत था। बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए परिव्यय 6,852 करोड़ रु० और ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए 510 करोड़ रु० था।

पांचवीं योजना में औद्योगिक उत्पादन की अनुमानित सात प्रतिशत औसत वृद्धि दर के मुकाबले पांचवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में वास्तविक वृद्धि दर

इस प्रकार रही—1974-75 में 2.6 प्रतिशत, 1975-76 मे [redacted] प्रतिशत; 1976-77 में 9.5 प्रतिशत और 1977-78 में 3.9 प्रतिशत।

पांचवी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई और 1978-79 से शुरू होने वाली एक नई पंचवर्षीय योजना बनाने का निश्चय किया गया।

छठी योजना

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुल 97,500 करोड़ रु० की योजना राशि का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य पाच वर्ष की अवधि के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन में 8.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना है।

सार्वजनिक क्षेत्र

गत तीस वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र देश के आर्थिक विकास के प्रमुख अंग के रूप में उभरा है। भारत के सरकारी उद्योग क्षेत्र में ये उद्योग आते है :—(1) काफी पहले स्थापित की गई जनोपयोगी सेवाएं—जैसे रेलें, सड़क परिवहन सेवाएं, बन्दरगाह, डाक और तार, सिंचाई और बिजली परियोजनाए, (2) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रम जैसे चित्तरंजन का रेल इंजन कारखाना (चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स) पैराम्बूर का रेल डिब्बा कारखाना और रक्षा सामग्री उत्पादन के विभिन्न प्रतिष्ठान और (3) औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यम जिनकी लगभग पूरी वित्त व्यवस्था इक्विटी पूजी और ऋणों के रूप में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें करती हैं। अंतिम वर्ग के केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

31 मार्च, 1981 को केन्द्रीय सरकार के 185 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। इनमें से 116 उपक्रम वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय करते थे, 52 उपक्रम सेवाएं प्रदान करते थे, 10 उपक्रम निर्माणाधीन थे और 7 बीमा कम्पनिया थे। लेकिन केवल 168 उपक्रम कार्यरत थे। पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से लेकर ऐसे उपक्रमो की संख्या और उनमें पूंजी निवेश का विस्तार सारणी 19.1 में दर्शाया गया है।

निवेश

निवेश (सामान्य शेयर और ऋण) 1969 70 के 4,301 करोड़ रु० से बढ़कर 1980-81 मे 21,126 करोड़ रु० हो गया। क्षेत्रवार वितरण सारण 19.2 में दर्शाया गया है।

कारोबार

उपक्रमों का 1980-81 में कुल कारोबार 28,645 करोड़ रु० था जबकि इससे पिछले साल 23,290 करोड़ रु० का था, यानी इसमें 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1979-80 और 1980—81 में उपक्रमों का कारोबार सारणी 19.3 मे दिया गया है।

सारणी 19.1 सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश का विस्तार

अवधि	उपक्रमों की संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ रु०)	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
योजना के आरम्भ में			
पहली पंचवर्षीय	5	29	—
दूसरी पंचवर्षीय	21	91	35
तीसरी पंच वर्षीय	48	953	233
तीसरी योजना के अंत में (31 मार्च, 1966 को)	74	2,415	31
चौथी योजना के अन्त में (31 मार्च, 1974 को)	122	6,237	—
31 मार्च को			
1975	129	7,261	16
1976	129	8,973	23.6
1977	145	11,097	24.8
1978	153	12,851	15.8
1979	159	14,512	12.9
1980	169	16,549	14.0
1981	168	19,200	16.0

निर्यात

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 1980-81 में 2,212 करोड़ रु० का निर्यात किया जबकि पिछले साल 1,912 करोड़ रु० का निर्यात हुआ था। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 1980-81 में जहाजों की मरम्मत आदि सेवाओं और भाड़े से आमदनी के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा 822 करोड़ रु० थी जबकि 1979-80 में 722 करोड़ रु० अर्जित किया गया था। निर्यात किए गए कुछ उत्पाद थे—औद्योगिक बायलर, इलेक्ट्रानिक उपकरण, मशीनी औजार, कच्चा लोहा, रेल डिब्बे, इस्पात, बिजली घरों के लिए लोहा और इस्पात उपकरण।

लाभ

1980-81 के ब्याज और कर के हिसाब को छोड़कर मूल्य ह्रास का हिसाब लगाने के बाद इन उपक्रमों को कुल 1,422 करोड़ रु० का लाभ हुआ। ब्याज अदा करने के बाद, किन्तु कर आदि देने से पहले लाभ 39.16 करोड़ रु० का हुआ। 94 उपक्रमों में कुल 792 करोड़ रु० का लाभ हुआ और 74 उपक्रमों में कुल 753 करोड़ रु० का घाटा हुआ।

संसाधनों की उपलब्धि

1979-80 और 1980-81 के बीच सार्वजनिक उपक्रमों ने जिन संसाधनों की सृष्टि की, कुल मिला कर उनका मूल्य 9,212 करोड़ रु० था। इनमें लाभांश, कारपोरेट टैक्स, उत्पाद शुल्क आदि के रूप में राजकोष को किया गया अंशदान शामिल है।

रोजगार

1979-80 के 17.75 लाख कर्मचारियों की तुलना में 1980-81 में इन उपक्रमों में लगे व्यक्तियों की संख्या 18.38 लाख थी। कर्मचारियों को कुल वेतन और मजदूरी के रूप में 1980-81 में 2,613 करोड़ रु० दिया गया जबकि 1979-80 में यह राशि 2,214 करोड़ रु० थी।

सारणी 19.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षेत्रवार वितरण

श्रेणी	1979-80 के अन्त में		1980-81 के अन्त में	
	पूंजी	कुल उत्पादन का प्रतिशत	पूंजी	कुल उत्पादन का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. निर्माणाधीन कम्पनियां	1,469.65	8.1	1,884.18	8.9
2 माल का उत्पादन तथा विक्रय करने वाले उपक्रम :				
(1) इस्पात	3,479.32	19.1	4,132.42	19.6
(2) खनिज पदार्थ और धातुएं	1,265.28	6.9	1,414.97	6.7
(3) कोयला	1,935.05	10.6	1,219.09	10.5
(4) पेट्रोलियम	1,046.50	5.7	1,506.22	7.1
(5) रासायनिक पदार्थ, उर्वरक और औषधि	3,074.18	16.9	3,337.68	15.8
(6) भारी इंजीनियरी	976.16	5.4	1,095.68	5.2
(7) मध्यम और हल्की इंजीनियरी	314.98	1.7	356.05	1.7
(8) परिवहन उपकरण	579.60	3.2	700.12	3.3
(9) उपभोक्ता सामग्री	112.63	0.6	123.98	0.6
(10) कृषि पर आधारित सामग्री	19.88	0.1	21.04	0.1
(11) टैक्सटाइल्स	515.50	2.8	516.12	2.4
3. सेवा उपक्रम :				
(1) व्यापार तथा विपणन सेवाएं	746.25	4.1	682.42	3.2

1	2	3	4	
(2) परिवहन सेवाएं .	1,376.18	7.6	1,532.72	7.[illegible]
(3) ठेका तथा निर्माण सेवाएं	95.30	0.5	121.63	0.[illegible]
(4) औद्योगिक विकास तथा तकनीकी परामर्श-दात्री सेवाएं .	72.53	0.4	63.26	0.[illegible]
(5) लघु उद्योगों का विकास . .	29.80	0.2	30.90	0.1
(6) पर्यटक सेवाएं .	31.74	0.2	36.92	0
(7) वित्त सेवाएं .	881.43	4.8	1,097.46	5.[illegible]
(8) अनुच्छेद 25 के अनुसार रजि० समवाय	34.81	0.2	56.91	0.3
(9) दिल्ली परिवहन निगम	93.28	0.5	121.64	0.[illegible]
4. बीमा कम्पनियां . .	74.69	0.4	70.94	0.[illegible]
	18,225.04	100.0	21,126.35	100.[illegible]

औद्योगिक उत्पादन

चुने हुए उद्योगों में 1950-51 से लेकर विभिन्न वर्षों में जो उत्पादन हुआ वह सारणी 19.4 में दर्शाया गया है।

औद्योगिक उत्पादन के अनन्तिम सूचकांक (आधार: 1970 = 100) 1980-81 में छह अंकों से बढ़ा। खनन और प्रस्तर खानों के क्षेत्र में 4.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी समय में विनिर्माण क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत और बिजली उत्पादन 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई; लेकिन जूता उद्योग, काष्ठ और कार्क उद्योगों, [illegible] उत्पाद और पेट्रोलियम रिफाइनिंग उत्पादों के उत्पादन में कमी आई।

1951, 1961, 1971 के समूहवार सूचकांक (1960 = 100) और 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के (1970 = 100) समूहवार सूचकांक सारणी 19.5 में दिए गए हैं।

सारणी 19.3 उपक्रमों का कारोबार

करोड़ रु[illegible]

श्रेणी	1979-80	1980-81
1	2	3
(अ) माल का उत्पादन करने वाले उपक्रम :		
(1) इस्पात . . .	2,155.98	2,380.63
(2) खनिज पदार्थ और धातुएं .	429.42	506.77

1	2	3
(3) कोयला	859.29	1,100.37
(4) पेट्रोलियम	8,082.42	10,4[illegible].[illegible]8
(5) रासायनिक पदार्थ, उर्वरक और औषधि	1,087.49	1,[illegible]41.55
(6) भारी इंजीनियरिंग	983.13	1,084.[illegible]1
(7) मध्यम और हल्की इंजीनियरिंग	636.27	630.92
(8) परिवहन उपकरण	414.67	463.97
(9) उपभोक्ता सामग्री	91.66	114.09
(10) कृषि पर आधारित उपक्रम	31.96	32.50
(11) टैक्सटाइल्स	455.18	529.62
योग	15,266.47	18,624.61
(ख) सेवा प्रदान करने वाले उपक्रम		
(1) व्यापार और विपणन सेवाएं	6,351.24	7,818.08
(2) परिवहन सेवाएं	1,101.61	1,394.22
(3) ठेका और निर्माण	229.47	286.50
(4) औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श दाती	190.61	269.63
(5) लघु उद्योग विकास	9.05	13.46
(6) पर्यटक सेवाएं	36.19	42.78
(7) वित्तीय सेवाए	64.43	84.61
(8) अनुच्छेद 25 की कम्पनियां	43.31	70.24
(9) दिल्ली परिवहन निगम	37.54	41.19
योग	8,063.45	10,020.71
कुल योग	23,289.92	28,645.32

प्रमुख उद्योग

सूती वस्त्र

सूती वस्त्र उद्योग, अकेले उद्योगों की गिनती में भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत मे सूती वस्त्र उद्योग का प्रारम्भ 1818 में हुआ, जब कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी। संरक्षण प्रदान किए जाने और स्वदेशी आन्दोलन के कारण सूती वस्त्र उद्योग की तेजी से प्रगति हुई।

1937 में सूती कपड़ा मिलों की संख्या बढ़कर 389 हो गई थी, जिनमें 2,02,464 करघे थे । 1980 के अन्त में 691 मिलें थीं (400 कताई और 291 ऐसी जहां कताई बुनाई दोनों कार्य होते थे) । इनकी स्थापित क्षमता 211.8 लाख तकुवे और 2.08 लाख करघे थी । 1947 में सूती धागे का उत्पादन 59.7 करोड़ किलोग्राम और कपड़े का उत्पादन 350.9 करोड़ मीटर हुआ । 1980-81 में सूती धागे का उत्पादन 106.7 करोड़ किलोग्राम और सूती वस्त्र का 343.4 करोड़ मीटर रहा । 1950-51 से सूती धागे और कपड़े का उत्पादन सारणी 19.3 में दिखाया गया है ।

पटसन

पटसन देश के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है । यह देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का प्रमुख साधन है और इस कारण देश की अर्थ-व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। देश में सबसे पहली शक्ति चालित पटसन मिल 1859 में कलकत्ता के पास रिशरा में स्थापित हुई थी और उसके बाद से यह उद्योग तेजी से बढ़ता गया। 1947 में देश के विभाजन के कारण इस उद्योग के लिए कच्चे माल से हाथ धोना पड़ा और भारत में पटसन मिलों की संख्या घटकर 106 रह गई । 1947-48 में उत्पादन केवल 16.5 लाख गांठों का रह गया जबकि विभाजन से पूर्व 65.70 लाख गांठें था । 1961-62 में कच्चे पटसन की पैदावार सबसे अधिक, 80 लाख गांठों की हुई लेकिन खराब मौसम के कारण 1974-75 में 58 लाख और 1975-76 में 59 लाख गांठें ही हुईं । 1980-81 में कच्चे जूट का उत्पादन बढ़कर 75 लाख गांठें हो गया । 1980-81 में पटसन का माल 11.91 लाख टन तैयार हुआ । फिर भी पटसन से बनी वस्तुओं का 1980-81 में जो निर्यात किया गया उसका मूल्य 243.3 करोड़ रु० था । सारणी 19.4 में 1950-51 से पटसन उद्योग की प्रगति दिखाई गई है ।

पटसन के आयात-निर्यात और देश के भीतर इसकी हाट व्यवस्था के लिए 1971 में पटसन विभाग की स्थापना की गई ।

चीनी

चीनी उद्योग का देश के प्रमुख कृषि उद्योगों में दूसरा स्थान है । 1950-51 में चीनी मिलों की संख्या 138 थी जो 1980-81 में बढ़कर 315 हो गई । चीनी का उत्पादन 1950-51 में 11.34 लाख टन था जो 1977-78 में बढ़कर 64.62 लाख टन हो गया । लेकिन उसके बाद उत्पादन में कमी आ गई, जिसका मुख्य कारण गन्ने की खेती के क्षेत्र में कमी थी । 1978-79 में चीनी का उत्पादन घटकर 58.44 लाख टन रह गया और 1979-80 में तो यह और घटकर 38.59 लाख टन रह गया । 1980-81 में चीनी का उत्पादन 51.43 लाख टन तक बढ़ा । 1980-81 में 0.61 लाख टन चीनी निर्यात की गई थी, जबकि 1979-80 में 2.90 लाख टन की गई । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चीनी उद्योग के विकास में एक विशिष्ट बात यह रही कि सहकारी क्षेत्र में इस उद्योग का उल्लेखनीय विस्तार हुआ । 1980-81 में काम कर रही कुल

सारणी 19.4

श्रौद्योगिक उत्पादन की प्रगति (चुने हुए उद्योग)

उद्योग (इकाई)	1950-51	1960-61	1970-71	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5	6	7	8
1. खनन							
(1) कोयला (लिग्नाइट सहित) (लाख टन)	328	557	743	1,045	1,054	1,068	1,188
(2) लोहा श्रयस्क (लाख टन)[1]	30	110	225	440	373	390	407
2. धातुकर्म उद्योग							
(3) कच्चा लोहा (लाख टन)	16.9	43.1	69.9	95.1	94.9	86.2	85.8
(4) इस्पात पिंड (लाख टन)[2]	14.7	34.2	61.4	84.3	81.5	80.3	73.5
(5) बिक्री योग्य इस्पात (लाख टन)[3]	10.4	23.9	44.8	68.9	65.9	60.4	62.9
(6) इस्पात की ढली वस्तु (हजार टन)	—	34	62	69.7	75.4	73.1	71.3
(7) श्रलमूनियम (कच्ची धातु) (हजार टन)	4	18.3	166.8	178 5	213.7	191.9	200.4
(8) तांबा (कच्ची धातु) (हजार टन)	7.1	8.5	9.3	21.0	21 9	22.5	25.4
3. मशीनी इंजीनियरिंग उद्योग							
(9) मशीनी श्रौजार (करोड़ रु०)	0.3	7	43.0	107.6	132.8	165.2	196.2
(10) रेलवे के डिब्बे (हजार)[4]	2.9	11.9	11.1	12.3	11.6	12.1	13.7
(11) मोटर गाड़ियां (हजार सं०)[5]	16.5	55	87.4	—	—	—	—
1. व्यापारिक वाहन (हजार सं०)[6]	8.6	28.4	41.2	41.0	57.6	57.4	71.8

1	2	3	4	5	6	7	8
2. यात्री मोटर कार आदि (हजार सं०)	7.9	26.6	46.2	34.2	33.5	33.1	31.3
(12) बिजली चलित पम्प (हजार सं०)	35	109	259	255.3	378.0	346.8	430.6
(13) मोटर-साइकिल तथा स्कूटर (हजार सं०)	—	19.4	97.0	227.3	254.9	245.7	317.3
(14) डीजल इंजन (स्थिर) (हजार सं०)	5.5	44.7	65.7	133.9	143.5	144.6	173.9
(15) बाइसाइकिल (हजार सं०)	99	1,071	2,042	3,183	3,743	3,736	4,189
(16) सिलाई मशीन (हजार सं०)	33	303	235	367	206	385	335
4. बिजली इंजीनियरी उद्योग							
(17) बिजली ट्रांसफार्मर (लाख कि०वा०)	1.8	41.1	80.9	161.3	205.0	186.3	194.6
(18) बिजली मोटर (हजार हा० पा०)	99	728	2,721	3,960	3,980	3,740	4,060
(19) बिजली के पंखे (लाख सं०)	2	10.6	17.2	34.0	31.0	39.0	41.8
(20) बिजली के बल्ब (लाख सं०)	140	435	1,193	1,685	1,804	2,035	1,981
(21) रेडियो सेट (हजार)	54	282	1,794	1,875	2,001	2,059	1,734
(22) बिजली के केबल व तार :							
1. अल्यूमिनियम के संवाहक (हजार टन)	1.7	23.6	64.2	57.6	67.5	69.1	86.0
2. तांबे के पूरे संवाहक (हजार टन)	5	10.1	0.7	—	—	—	—
5. कागज और सम्बद्ध उद्योग							
(23) कागज और गत्ता (हजार टन)	9	98	830	2,023	2,170	2,224	2,164
(24) अखबारी कागज (हजार टन)	9	52	229	647	771	749	842

(25) गन्धक का अम्ल (हजार टन)	101	368	1,053	—	—	—	—
(26) सोडा ऐश (हजार टन)	45	152	449	573	815	541.6	568.8
(27) कास्टिक सोडा (हजार टन)	12	101	371	524	562	545.4	571.3
(28) कागज और गत्ता (हजार टन)	116	350	755	961	1,008	1,057.9	1,148.8
(29) रबड़ के टायर							
1. मोटर गाड़ियों के टायर (लाख सं०)	8.7	14.4	37.9	62.0	71.0	71.0	79.7
2. साइकिल टायर (लाख सं०)	33	111.5	192.0	284	322	276	270
(30) सीमेंट (लाख टन)	27.3	79.7	144.0	193	193	176	187
(31) ताप सह वस्तुएं (हजार टन)	237	567	683	805	812	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
(32) शोधित पेट्रोलियम उत्पाद (लाख टन)	2	58	171	232	242	255	240
6. वस्त्र उद्योग							
(33) पटसन की वस्तुएं (हजार टन)	837	1,097	958	1,179	1,046	1,355	1,387
(34) सूती धागा (करोड़ कि० ग्रा)	53.4	80.1	92.9	114.9	127.1	122	128
(35) सूती वस्त्र (करोड़ मीटर)[7]	421.5	637.8	759.6	782.5	865.0	838.7	911.4
1. मिल क्षेत्र (करोड़ मीटर)	340.1	463.9	405.5	413.5	432.8	408.5	418.0
2. विकेन्द्रित क्षेत्र (करोड़ मीटर)	81.4	208.9	354.1	369.0	432.2	430.2	493.4
(36) रेयन धागा (हजार टन)[8]	2.1	43.8	98.1	131.6	145.4	131.9	124.3
(37) कृत्रिम रेशमी वस्त्र (करोड़ मीटर)	28.7	54.4	94.7	102.8	—	—	—
(38) ऊनी सामान							
1. ऊनी और वर्स्टेड धागा (लाख कि० ग्रा०)[9]	87	130	197	9549	434	417	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2. ऊनी और वर्स्टेड वस्त्र (लाख मीटर)	61	133	143	224	191	167	—
7. खाद्य उद्योग							
(39) चीनी (अक्तूबर-सितम्बर) (लाख टन)	11.3	30.3	37.4	64.6	58.43	38.95	51.99
(40) चाय (करोड़ किलो ग्राम)	27.7	32.2	42.1	55.7	57.6	53.7	56.7
(41) काफी (हजार टन)	21	54.1	72.7	—	—	120.2	139.5
(42) वनस्पति (हजार टन)	170	340	558	572	678	618	748
8. बिजली उत्पादित (करोड़ कि० वा० घन्टे)[10]	530	1,690	5,580	9,220	10,333	10,553	11,157

1. गोमा के उत्पादन को 1969-70 तक छोड़कर।
2. इस्पात के मामले में 1970-71 तक।
3. 1970-71 तक तैयार इस्पात को ध्यान में रखते हुए।
4. रेल वर्कशापों में उत्पादन को छोड़कर।
5. लैंड्रोवर, जीप, यूटीलिटीज, स्टेशन वैगन, वैन समेत।
6. बसें, ट्रक, टैम्पो, तीन और चार पहिए वाले वाहनों को मिला कर।
7. क्रेटिंड (मिश्रित) सहित।
8. विस्कोस धागों, स्टेपल फाइबरों और एसीटेट धागों सहित।
9. आंकड़े केवल 1977 से शुरू होने वाले पंचांग वर्ष के हैं।
10. केवल जन उपयोगी से संबंधित।

सारणी 19.5

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

(आधार : 1960-100) (आधार : 1970-100)[1]

1951	1961	1971	उद्योग समूह	1978-79	1979-80	1980-81[2]	1979-80 की तुलना में 1980-81 में बढ़त की प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
54.8	109.2	186.1	सामान्य सूचकांक	150.2	148.1	154.0	+4.0
66.6	105.4	153.4	खनन तथा प्रस्तर खानें	144.2	145.0	151.3	+4.3
37.7	116.3	358.5	उत्पादित बिजली	187.9	191.8	202 9	+5.8
—	—	—	विनिर्माण	146.6	143.5	148.8	+3.7
66.9	108.6	157.6	खाद्य विनिर्माण	140.2	123.5	134.1	+8.5
58.0	107.0	182.5	पेय पदार्थ उद्योग	379.8	266.1	392.2	+23.7
—	—	—	तम्बाकू उद्योग	118.5	122.1	127.2	+4.1
79.7	102.8	106.0	वस्त्र	109 7	112.2	115.7	+3.8
अनुपलब्ध	104.8	105.2	सूती वस्त्र	—	—	—	—
अनुपलब्ध	89.1	94.7	पटसन वस्त्र	—	—	—	—
63.5	115.4	168.1	जूते (चमड़े के)	76.1	74.1	72.4	—2.3
43.5	95.5	234.1	काष्ठ व कार्क	122.9	142.7	100.[illegible]	—29.6

1	2	3	4	5	6	7	8
38.5	105.8	225.7	कागज की वस्तुएं	121.7	124.9	135.8	+8.7
72.4	100.9	55.3	चमड़े व फर से बनी वस्तुएं	74.8	82.8	97.9	+18.2
56.1	112.9	241.8	रबड़ की वस्तुएं	146.0	141.0	152.0	+7.8
42.4	113.4	252.7	रसायन तथा रासायनिक वस्तुएं	186.6	184.2	188.2	+2.2
11.0	106.0	316.0	पेट्रोलियम शोध वस्तुएं	141.0	150.4	140.5	—6.6
39.0	106.9	207.6	अधात्विक खनिज उत्पाद	153.9	156.4	161.4	+3.1
46.5	118.7	208.6	बुनियादी धातु उद्योग	144.1	137.6	137.5	—0.1
30.7	112.4	234.4	धातु की बनी वस्तुएं	157.9	161.3	147.7	—8.4
22.2	121.2	373.2	मशीनें (बिजली की मशीनों को छोड़कर)	209.1	206.0	221.8	+7.7
26.3	110.0	404.8	बिजली की मशीनें	161.6	160.0	176.0	+10.0
19.6	116.7	122.1	परिवहन उपकरण	127.8	126.6	130.7	+3.2
अनुपलब्ध	102.7	114.0	विविध (फुटकर) विनिर्माण उद्योग	125.1	121.4	109.0	—10.2

1. सारणी में हाल के वर्षों के आंकड़े नये आधार 1970-100 पर तैयार किए गए हैं। 1970 में औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक आधार 1960-100 पर 184.3 था।

2. अस्थायी।

315 मिलों में से 149 मिलें सहकारी क्षेत्र में थी जिनका उत्पादन कुल चीनी उत्पादन का 56 प्रतिशत था ।

16 अगस्त, 1978 से 16 दिसम्बर, 1979 की संक्षिप्त अवधि के लिए चीनी पर से पूरी तरह नियंत्रण हटा लेने के बाद सरकार ने 17 दिसम्बर, 1979 से फिर चीनी पर आंशिक नियंत्रण लागू कर दिया और दोहरी मूल्य नीति अपनाई । इस नीति के अन्तर्गत चीनी मिलो के कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत सरकार नियंत्रण मूल्य पर लेवी के रूप मे खरीद लेती है और शेष 35 प्रतिशत उत्पादन को बिना किसी प्रकार के मूल्य नियंत्रण के खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाती है । 1980-81 में यह नीति जारी रही ।

1950-51 से चीनी उद्योग की उन्नति सारणी 19.6 में दिखाई गई है ।

सारणी 19.6 चीनी उद्योग का विकास

	1950-51	1960-61	1970-71	1979-80	1980-81
मिलों की संख्या	138	174	215	307	315
उत्पादन (हजार टन)[1]	1,134	3,021	3,740	3,859	5,143

[1] 1966-67 तक चीनी वर्ष नवम्बर से अक्तूबर माना जाता था परन्तु बाद मे यह अक्तूबर से सितम्बर माना जाने लगा ।

वनस्पति

वनस्पति उद्योग 1930 के शुरू में अस्तित्व में आया । उस समय का उत्पादन बहुत कम था । 1971-72 तक इसने तेजी से प्रगति की । इसी वर्ष वनस्पति का उत्पादन 5.94 लाख टन हुआ । इतना उत्पादन पहले कभी नही हुआ था । परन्तु 1972-73 से 1974-75 तक वनस्पति का उत्पादन गिरता गया । इसका मुख्य कारण खाद्य तेलों के उत्पादन मे कमी था । 1975-76 में उत्पादन फिर बढा और 5 लाख टन तक पहुंच गया । वनस्पति कारखानो की संख्या 1950-51 मे 48 से बढकर 1981-82 में 90 हो गई । 1981 में वनस्पति का उत्पादन लगभग 8.48 लाख टन था ।

सीमेंट

देश में सबसे पहले मद्रास मे 1904 में सीमेंट बनाना शुरू हो गया था, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन 1912-13 मे शुरू हुआ,जब कि इस काम के लिए तीन कम्पनिया बनाई गई । इस समय 60 सीमेंट कारखाने काम कर रहे हैं जिनमे 14 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं । सभी कारखानो की कुल प्रस्थापित क्षमता 2.58 करोड टन वार्षिक है । 1981-82 मे सीमेंट का कुल उत्पादन 2.1 करोड़ टन होने की सम्भावना है, जबकि 1950-51 मे उत्पादन केवल 29 लाख टन था ।

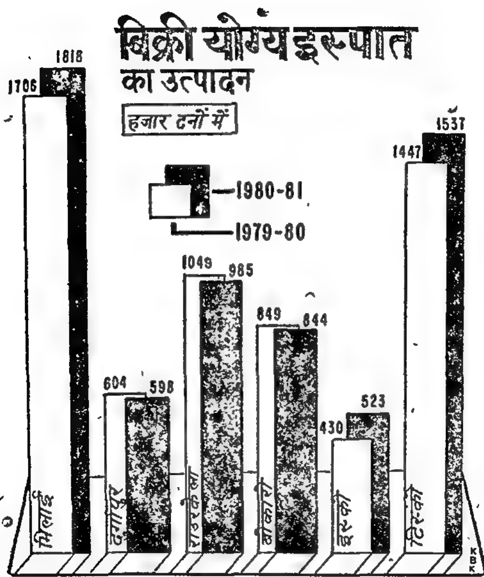
केन्द्रीय क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का एक ही अधिकरण 'भारतीय सीमेंट निगम' नई दिल्ली है । इसके 6 कारखाने हैं —कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और असम मे एक-

(हजार टन)

सारणी 19.7
इस्पात कारखानों की निर्धारित क्षमता

कारखाना	निर्धारित क्षमता	
	इस्पात पिंड	बिक्री योग्य इस्पात
सार्वजनिक क्षेत्र		
भिलाई	2,500	1,965
दुर्गापुर	1,600	1,239
राउरकेला	1,800	1,225
बोकारो	2,500	2,000
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को)	1,000	800
निजी क्षेत्र		
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को)	2,000	1,500
कुल	11,400	8,729

भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों में से प्रत्येक की क्षमता इस समय 40 लाख टन पिंड इस्पात तक बढ़ाई जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार संभवतः 1983 के मध्य तक और बोकारो इस्पात संयंत्र का 1983 के अन्त तक पूरा हो जाएगा। इस समय यह प्रस्ताव भी विचाराधीन है कि न्यूनतम पूंजी परिव्यय से तकनीकी सुधार करके तथा सन्तुलन एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करके इन संयंत्रों की क्षमता का और भी विस्तार किया जाए। सरकार ने बिजली उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 37,500 टन सी० आर० जी० ओ० और 36,000 टन सी० आर० एन० ओ० चादरें बनाने के लिए राउरकेला में एक संयंत्र लगाने की स्वीकृति हाल ही में दी है। मृदु इस्पात संयंत्र के अलावा, दुर्गापुर में सार्वजनिक क्षेत्र में एक मिश्र इस्पात संयंत्र भी है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 1,00,000 टन पिंडों की है। अब इस संयंत्र की क्षमता बढ़ाकर 1,60,000 टन की जा रही है। भद्रावती स्थित विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, जिसकी उत्पादन क्षमता 77,000 टन मिश्र धातु और विशिष्ट इस्पात तथा 47,000 टन मृदु इस्पात पिंडों की है, केन्द्रीय सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार के संयुक्त स्वामित्व में है। विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड ने एक भट्टी संयंत्र स्थापित किया है जो मिश्र और विशिष्ट इस्पात की क्षमता में 5,000 टन तक की वृद्धि करेगा।



बिक्री योग्य इस्पात
का उत्पादन
हजार टनों में
1980-81
1979-80
1706
1818
भिलाई
604
598
दुर्गापुर
1049
985
राउरकेला
849
844
बोकारो
430
523
इस्को
1447
1537
टिस्को
KBK

लघु इस्पात संयंत्र

निजी क्षेत्र द्वारा इस्पात उत्पादन वृद्धि के प्रोत्साहन के लिए अतीत में कुछ छो... और मझोले आकार की बिजली की भट्टियां लगाई गईं। इन भट्टियों में रद्दी (स्क्रैप) ... और स्पंज लोहे को कच्चा सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

लघु इस्पात संयंत्रों की संख्या तेजी से बढ़ी परन्तु अनेक कारणों से उत्पादन ... जाने से उनकी स्थिति खराब हो गई और घाटा होने लगा। उनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये।

इस समय 147 लाइसेंस शुदा बिजली की भट्टियां हैं जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 33.2 लाख टन की है। लघु इस्पात संयंत्रों से उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और 1981–82 में 20 लाख टन से अधिक इस्पात पिंड बना कर रिकार्ड उत्पादन किया।

स्पंज लोहा

इस्पात बनाने के लिए अपने गैर कोकिंग कोयले के भंडार को इस्तेमाल करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए कोकिंग कोयले के साधनों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश में कोठागुडम में एक विशेष परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत गैर कोकिंग कोयले को ठोस अपचायक के रूप में इस्तेमाल करते हुए प्रत्यक्ष अपचयन विधि से स्पंज लोहा तैयार किया जाएगा। यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है तथा यह आयातित प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इसकी क्षमता 30,000 टन वार्षिक है। प्रदर्शन परियोजना का 31 दिसम्बर, 1980 को विधिवत उद्घाटन किया गया।

स्पंज लोहे के सफल उत्पादन से यह आशा की जाती है कि बिजली भट्टी यूनिटों में इस्पात और मिश्र इस्पात का उत्पादन बढ़ेगा तथा रद्दी स्क्रैप धातु और धातु कर्मीय कोक की खपत घटेगी, इससे कोकिंग कोल सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी।

1973 से पहले सरकारी क्षेत्र के 4 इस्पात कारखाने—भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला का स्वामित्व और प्रबन्ध हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (एच० एस० एल०) और बोकारो स्टील कारखाने का बोकारो स्टील लिमिटेड के हाथ में था। एच० एस० एल० और बी० एस० एल० जनवरी, 1973 में पूर्ण रूप से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के अधीन सहायिका हो गईं। तभी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की संस्थापना इस्पात की नियंत्रक कम्पनी और संयुक्त निवेश उद्योग के रूप में हुई।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का पुनर्गठन

अक्तूबर, 1977 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों और सेल के ढांचे और कार्यकलापों का पुनरीक्षण किया, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित इस्पात उद्योग की मुख्य नीति सम्बन्धी मामलों और विकास योजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है और पूंजी निवेश की योजनाओं के लिए पूंजी का पूरी तरह प्रबन्ध भी बजट की सहायता से सरकार द्वारा ही किया जाता है। अतः यह महसूस किया गया कि इस्पात मंत्रालय और उद्योग के बीच एक संग्रहकर्ता (होल्डिंग) कम्पनी की कोई आवश्यकता नहीं है। इन संयंत्रों पर कार्यरत एककों को निर्देश देने, उनके पर्यवेक्षण और उन्हें सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व देने पर विचार किया गया।

तदनुसार 1 मई, 1978 से लागू होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्गठन) और सामान्य प्रावधान अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित इस्पात उद्योग का पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार 'सेल' अपने सार्वजनिक क्षेत्र स्थित 5 इस्पात स्कन्धों, जिनमें भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी (इस्को) भी शामिल है, के साथ एक संगठित इस्पात कम्पनी के रूप में उभरी। इसका उद्देश्य बेहतर प्रवन्ध और इनके परिचालन में अधिक कुशलता सुनिश्चित करना है। 31 मार्च, 1980 को इसकी (56.62 करोड़ रु० की शेयर पूंजी जो कि आवंटन के लिए रुकी हुई है, को छोड़कर) अधिकृत पूंजी 2,500 करोड़ रु० और चुकता पूंजी 2,434.13 करोड़ रु० थी। 1980–81 के लिए अधिकृत पूजी 3,000 करोड़ रु० थी।

सभी इस्पात कारखानों में 1979–80, 1980–81 और 1981–82 (अप्रैल 1981 से दिसम्बर 1981) में जो पिंड, बिक्री योग्य इस्पात और कच्चे लोहे का उत्पादन हुआ, उसका विवरण सारणी 19.8 में दिया गया है :—

रणी 19.8
ोहे और इस्पात
ा उत्पादन

(हजार टन)

कारखाना	इस्पात पिंड			बिक्री योग्य इस्पात			बिक्री के लिए कच्चा लोहा		
	1979-80	1980-81	1981-82 (अप्रैल 81 से दिसम्बर 81)	1979-80	1980-81	1981-82 (अप्रैल 81 से दिसम्बर 81)	1979-80	1980-81	1981-82 (अप्रैल 81 से दिसम्बर 81)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भिलाई	2,108	2,041	1,555	1,706	1,818	1,810	519	430	360
दुर्गापुर	882	741	698	604	598	576	121	102	[redacted]
राउरकेला	1,268	1,165	887	1,045	985	788	4	12	55
बोकारो	1,426	923	1,291	849	844	1,074	280	730	340
इस्को	565	609	445	430	523	362	[redacted]	64	40
टिस्को	1,779	1,874	1,443	1,447	1,537	1,157	—	—	—
योग	8,028	7,353	6,319	5,039*	6,283*	5,191	976	1,338	858

*बोकारो से राउरकेला में एच० आर० कायल्स के स्थानान्तरण को छोड़ कर।

सेलम इस्पात कारखाना

32,000 टन स्टेनलैस स्टील की चादरों और पट्टियों के उत्पादन की क्षमता सेलम इस्पात कारखाना सितम्बर 1981 को चालू हो गया।

विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना

जून, 1979 में सरकार ने लगभग 34 लाख टन क्षमता वाले सम्पूर्ण कारखाने को विशाखापत्तनम में स्थापित करने की मंजूरी दी। दो अतिव्यापक वाले इस कारखाने की लागत अनुमानतः 2,256 करोड़ रुपए होगी, जिसमें 500 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा भी सम्मिलित है। प्रथम चरण में 7.10 लाख टन मझिम व्यापारी मिल उत्पाद, 3.05 लाख टन बिक्री योग्य छड़ें और 5.12 टन बिक्री योग्य कच्चे लोहे की उत्पादन क्षमता पर विचार किया गया है। प्रथम च की योजना 4 वर्ष में पूरी हो जाएगी। द्वितीय चरण को भी पहले चरण के प्रारम्भ साथ-साथ जारी रखा जाएगा जो दो वर्षों में पूरा हो जाएगा। सोवियत संघ ने इस का खाने की स्थापना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता में वृद्धि कर दी है। भारत सलाहकारों द्वारा प्रारम्भ में तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हाल में ही सोवि और भारतीय सलाहकारों द्वारा संयुक्त रूप से, वर्तमान तकनीकों को सम्मि करने की दृष्टि से संशोधित की गई। यह रिपोर्ट 30 नवम्बर, 1980 को पेश की गई इस बीच स्थल निर्धारित करने का प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

विजयनगर इस्पात परियोजना

विजय नगर कारखाने की विस्तृत रिपोर्ट जो सलाहकारों द्वारा अद्यतन की ग है, परीक्षणाधीन है। इसी बीच स्थान निर्धारण के कुछ प्रारम्भिक कार्य किए जा र है।

मैकोन

लोहा और इस्पात उद्योग के क्षेत्र में सलाहकार और इंजीनियरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हिन्दुस्तान स्टील के केन्द्रीय इंजीनियरी ब्यूरो को 1973 में स्वतन्त्र रू से एक कम्पनी के रूप में गठित किया गया जिसका नाम मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड है। यह कम्पनी 'सेल' की सहायक थी।

सार्वजनिक क्षेत्र लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्गठन) और सामान्य प्रावधान अधिनियम, 1978 के लागू होने के बाद मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड को 'सेल' से अलग कर दिया गया। 1 मई, 1978 से यह सीधे इस्पात और खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में आ गई। यह भारत में प्रसिद्ध परामर्श दाता और इंजीनियरी संस्थानों में से एक है, जो भारत के साथ विदेशों में भी कुछ मुख्य परियोजनाओं की विस्तृत इंजीनियरी सेवाओं में परामर्श देती है। मेकोन ने तुर्की, अबूदाबी, लाइबेरिया, वियतनाम, इराक और बांग्लादेश में कुछ परामर्शदात्री कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। नाइजीरिया में भी मेकॉन को अनेक काम मिले हैं।

भारतीय इस्पात उद्योग ने प्रौद्योगिकी में भरपूर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। मेकोन (मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स) और हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी जैसी संस्थाओं में आयोजना, इंजीनियरी मशीन निर्माण,

स्थापना आदि में पर्याप्त विशेषज्ञता उपलब्ध है। अब भारत इस्पात निर्माण क्षमता के विस्तार की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में समर्थ है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन एक अनुसंधान और विकास यूनिट स्थापित किया गया है तथा योजना आयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग की सलाह से इस्पात उद्योग के लिए एक अनुसंधान और विकास योजना बनाई गई है। इससे इस्पात उद्योग को उत्पादन लागत घटाने में सहायता मिलेगी तथा प्रक्रिया सुधार और नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से माल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। इस प्रकार यह उद्योग अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता में खड़ा हो सकेगा।

इंजीनियरी उद्योग

भारतीय अभियांत्रिक उद्योग अब अर्थव्यवस्था में लगे अनेक उद्योगों की पूंजीगत सामान की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। उद्योग ने, तीन दशाब्दियों से अधिक समय में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, और अब आयात पर बिलकुल निर्भर नहीं है। अभियान्त्रिक सामान अब निर्यात भी किया जाता है।

अभियांत्रिक निर्यात 1970–71 में 125 करोड़ रु० से बढ़कर 1980–81 में 900 करोड़ रुपये हो गया। 1981–82 में निर्यात 1,060 करोड़ रुपए के निर्यात का अनुमान था जो पिछले वर्ष से 18 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत सामान और टर्नकी परि-योजनाओं का निर्यात 1956–57 में 12 प्रतिशत से बढ़कर 1980–81 में 38 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योग का निर्यात 1977–78 में 103 करोड़ रु० से बढ़कर 1981–82 में 293 करोड़ रु० हो गया।

भारी अभियांत्रिक, भारी यांत्रिक और प्रौद्योगिक मशीनरी

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में अनेक एकक हैं जो इस्पात कारखानों के लिए उपकरण, खनन उपकरण, उर्वरकों के लिए प्रक्रिया उपकरण, रसायन पेट्रोरसायन और पेट्रोलियम उद्योग, परिवहन उपकरण जैसे रेलों के लिए वैगन और दूसरे मशीनी उपकरण बना रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों के उपकरणों का निर्माण भारी इंजीनियरी निगम, रांची कर रहा है। 1981–82 में निगम द्वारा कुल उत्पादन 106.63 करोड़ रु० का था जबकि निगम ने, 1980–81 में 64.33 करोड़ रु० का उत्पादन किया था। भारी इंजीनियरी निगम लि० ने इस्पात कारखानों के लिए 3,50,000 टन के उपकरण सप्लाई किए जो बोकारो और भिलाई इस्पात कारखानों के विस्तार के लिए हैं।

खनन और सम्बन्धित मशीनरी निगम, दुर्गापुर ने 1981–82 में 36.76 करोड़ रु० के मूल्य के उपकरण बनाए। भारत हैवीप्लेट एण्ड वैसल्स लि० (बी० एच० पी० वी०), विशाखापत्तनम, उर्वरक रसायन, पेट्रोरसायन, पेट्रोलियम और अन्य सम्बद्ध उद्योगों की देशी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हीट एक्सचेन्जर, प्रेशर वेसल्स, मल्टीलेयर वेसल्स, आक्सीजन संयंत्र क्राइयोजेनिक उपकरण इण्डस्ट्रियल बायलर्स आदि बनाता है। 1981–82 में इनका कुल उत्पादन 31.98 करोड़ रु० का था। भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड इलाहाबाद बहुत से उद्योगों के लिए रेसीप्रोकेटिंग और सेन्ट्रीफ्युगल पम्प्स और कम्प्रैसर्स बना रहा है। रिचर्डसन एण्ड क्रुडास लिमिटेड त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ब्रेथवेट्स एण्ड कं०, जेसप

स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट एंड फार्मास्युटिकल्स लि० इस समय यह कम्पनी केवल दवाइयों के फार्मूलेशन्स तैयार करती है। 1980-.. 6.75 करोड़ रु० के मूल्य का उत्पादन किया।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० 1960 में निगमित हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०, रसायनी (महा... औषध रंग सामग्री तथा प्लास्टिक उद्योगों के लिए विभिन्न कार्बनिक म... माध्यमकों का निर्माण करता है। इस समय यह 13 रासायन ग्रुपों का उत्पा... कर रहा है। 1980-81 में अनेक रसायनों का उत्पादन 73,646 मी० टन था। कम्पनी सान्द्र नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन और एनालाइस के उत्पादन के लि... कुछ योजनाएं लागू कर रही है।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि० हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली जिसकी स्थापना 1954 ... थी, डी० डी० टी० जैसी कीटनाशक दवाइयों का प्रमुख उत्पादक है। दि... और अलवाये (केरल) में इसके दो कारखाने हैं। 1980-81 में डी० डी० टी० (तकनीकी) का उत्पादन दिल्ली और अलवाये कारखानों में क्रमश: 4001 मी० टन और 2,601 मी० टन था। कम्पनी डी० डी० टी० और मैलाथियन तथा ... फार्मूलेशन्स के निर्माण के लिए रसायनी (महाराष्ट्र) में अपनी तीसरी यूनिट लगा रही है।

पेट्रो-रासायन पदार्थ यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० और नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स लि० (गै... सरकारी क्षेत्र) के दो पेट्रो रासायनिक कारखानों ने क्रमश: 1967 और 1968 में उत्पादन शुरू किया। सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं के निकट पेट्रो-रासाय... निक कारखानों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए इंडियन पेट्रो केमिकल्स कार... पोरेशन लि० (आई० पी० सी० एल०) को भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में 1969 में जवाहर नगर, गुजरात में स्थापित किया गया था। 1980-81 में निगम ने 280.73 करोड़ रु० का उत्पादन किया। उस वर्ष निगम को 33.89 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ था।

बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड नामक एक अन्य कम्पनी जिसका पंजीकरण 1974 में हुआ, बोंगाईगांव में एक शोधन और पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स को चालू करेगी।

उर्वरक उर्वरक उद्योग को औद्योगिक लाइसेंस के प्रयोजन के लिए अति महत्वपू... क्षेत्र (कोर सेक्टर) में रखा गया है। स्वतन्त्रता के समय इस उद्योग के कुछ ही कारखाने थे, जिनमें प्रदावक (स्मेल्टर) गैसों से उपोत्पाद के रूप में एक एकल सुपर-फास्फेट और अमोनियम सल्फेट बनता था। नाइट्रोजन उर्वरकों के निर्माण के लिए पहला बड़ा कारखाना केरल में 1947 में लगाया गया, जिसमें अक्तूबर, 1951 में उत्पादन आरम्भ हुआ। तब से इस उद्योग ने बड़ी तेजी से प्रगति की है। अब 36 यूनिटें नाइट्रोजिनस, फास्फेटिक और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन कर रही हैं, 38 यूनिटें केवल सल्फर फास्फेट का उत्पादन और 6 दूसरी यूनिटें अमोनियम सल्फेट जैसे इस्पात सयंत्रों के द्वारा उत्पादन कर रही हैं। 1981 के अन्त तक, नाइट्रोजन की कुल उत्पादन क्षमता 47.23 लाख टन और फास्फेट की 14.15 लाख टन थी।

नाइट्रोजिनिम उर्वरकों का उत्पादन 1980-81 में 21.64 लाख टन नाइट्रोजन ग्रौर 8.41 लाख टन फासफोरस पेंटा ग्रोक्साइड (P_2O_5) का था।

उर्वरक उद्योग में सार्वजनिक, निजी ग्रौर सहकारिता क्षेत्रों का ग्रच्छा प्रतिनिधित्व है। नौ सहकारी क्षेत्र उपक्रम उर्वरक उत्पादन कर रहे हैं: वे हैं (1) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ग्राफ इंडिया (5 यूनिटें), (2) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (3 यूनिटें), (3) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड (2 यूनिटें), (4) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (4 यूनिटें), (5) फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (3 यूनिटें), (6) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (सयुक्त क्षेत्र की कम्पनी), (7) प्रदीप फास्फेट लि०, (8) फर्टिलाइजर (ग्रायोजन ग्रौर विकास) इंडिया लि० ग्रौर (9) पाइराइट्स, फास्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, राउरकेला इस्पात संयंत्र, नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन ग्रौर हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के कुछ एकक उर्वरकों को ग्रतिरिक्त उत्पाद के रूप में भी बनाते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कोग्रोपरेटिव के कलोल ग्रौर कांडला (गुजरात) में ग्रौर फूलपुर (उत्तर प्रदेश) में उवर्रक एकक हैं।

निजी क्षेत्र में प्रमुख एकक कानपुर, कोटा, गोवा, विशाखापत्तनम, तूतीकोरीन, बड़ौदा, मंगलौर, एन्नौर ग्रौर वाराणसी में हैं।

ग्रब देश में उर्वरक कारखानों के लिए ग्रत्याधुनिक उपकरण भी बन रहे हैं। भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड ग्रौर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड उर्वरकों ग्रौर रसायनिक कारखानों के लिए ग्रनेक प्रकार के सयंत्र ग्रौर उपकरण बना रहा है।

खनन तथा खनिज पदार्थ

खनिज साधन भारत खनिज पदार्थों की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। देश में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज पदार्थों के ग्रनुमानित निक्षेप ग्रागे बताए गए हैं:—

एपाटाइट ग्रौर फास्फोराइट एपाटाइट के वाणिज्यिक महत्व के भंडार बिहार के सिंहभूम जिले में, ग्रान्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले, राजस्थान के सीकर ग्रौर उदयपुर जिलों, तामिलनाडु के धर्मापुरी ग्रौर नार्थ ग्रारकोट जिलों ग्रौर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में हैं। फास्फोराइट के निक्षेप मध्य प्रदेश, राजस्थान ग्रौर उत्तर प्रदेश में हैं। ग्रनुमान है कि देश में 13.86 करोड़ टन फास्फेट खनिजों का भंडार है।

बाक्साइट बाक्साइट के महत्वपूर्ण भंडार ग्रान्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू ग्रौर काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु ग्रौर उत्तर प्रदेश में हैं। ग्रान्ध्र प्रदेश, गोवा, केरल ग्रौर उत्तर प्रदेश में ऐसे भंडारों का पता चला है जिनमें काफी मात्रा में बाक्साइट होने का ग्रनुमान है। यह ग्रनुमान लगाया गया कि देश में बाक्साइट का भंडार 248.91 करोड़ टन है।

कोयला और लिग्नाइट

गोंडवाना किस्म के कोयले के भंडार आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, और अरुणाचल प्रदेश की तृतीय युगीन चट्टानों, असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड में पाए जाते हैं। कोकिंग और गैर कोकिंग कोयले के कुल अनुमानित भंडार 8,577 करोड़ टन है। इनमें से अकेले गोंडवाना कोयला क्षेत्र के भंडार में 1,940 करोड़ टन के लगभग कोकिंग कोयला है।

भूरे कोयले (लिग्नाइट) के महत्वपूर्ण भंडार गुजरात, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कुल अनुमानित भंडार लगभग 21(करोड़ टन है, जिनमें से 192 करोड़ टन अकेले नेवेलि क्षेत्र, तमिलनाडु मे है।

क्रोमाइट

क्रोमाइट के आर्थिक महत्व के भंडार बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, और तमिलनाडु मे पाए जाते हैं। डलीवाली और बारीक किस्मों सहित भू-संस्थित क्रोमाइट के कुल भंडार लगभग 11.12 करोड़ टन है।

तांबा अयस्क

मुख्य तांबा अयस्क आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, थिनथिनी, कल्यादी, बिहार के सिंहभूम, मध्यप्रदेश के बालाघाट, गुजरात के बनस्कंठा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, हसन और रायचूर में और राजस्थान के अलवर, भीलवाड़ा, झुनझुनू और सिरोही में पाया जाता है। अनुमान है कि खनिज तांबे के कुल भंडार 45.52 करोड़ टन हैं, जिनमें कुल 56.62 लाख टन तक धातु है।

हीरा

देश में हीरे का उत्पादन करने वाला एक मात्र क्षेत्र, जिसे पन्ना हीरा कटिबंध कहा जा सकता है, मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर तथा सतना जिलों और उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के कुछ भागो मे फैला हुआ है। पन्ना क्षेत्र में अनुमानतः मझगांवन पाइप में 5,48,000 कैरेट हीरों का भंडार है।

सोना

देश में सोने की तीन महत्वपूर्ण खानें हैं। वे हैं: आन्ध्र प्रदेश के जिला अनन्तपुर में रामगिरि की सोने की खानें, कर्नाटक के जिला कोलार में कोलार की सोने की खानें, जिला रायचूर में हट्टी की सोने की खानें। सोने का उत्पादन सिर्फ, देश के कर्नाटक राज्य में होता है। देश मे सोना अयस्क के अनुमानित भंडार लगभग 87 लाख टन हैं, जिनमें सोने की कुल मात्रा करीब 64.93 टन है। कर्नाटक में स्वर्ण अयस्क भंडार लगभग 58 लाख टन है, जिनमें स्वर्ण की कुल मात्रा 49.24 टन है।

जिप्सम

देश में लगभग 120.45 करोड़ टन जिप्सम होने का अनुमान है जिसमें से राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और तमिलनाडु में क्रमशः 107.18, 10.50, और 1.77 करोड़ टन है।

इल्मेनाइट

यह मुख्यतः भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों पर और वहां के समुद्र-तटीय रेत में पाया जाता है। इस प्रकार के जिन भंडारों मे से धातु निकाली जाती है, उनमें केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु के भंडार महत्वपूर्ण हैं। समुद्रतटीय रेत में कुल 5.4 करोड़ टन से अधिक इल्मेनाइट होने का अनुमान है।

लोह अयस्क इसके बड़े-बड़े भंडार, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा मे पाए जाते हैं। रक्तवर्णीय खनिज लोहे का जिसमें 55 प्रतिशत या अधिक लोहा होता है, अनुमानित भंडार 1,147 करोड़ टन है।

सीसा-जस्ता अयस्क खनिज सीसे-जस्ते के ज्ञात भंडार राजस्थान और गुजरात में हैं। कुल सुरक्षित भंडार लगभग .35 करोड़ टन होने का अनुमान है, जिसमें 1.6 करोड़ टन धातु है।

मैंगनीज अयस्क मैंगनीज अयस्क के महत्वपूर्ण भंडार मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा राजस्थान और गोवा में पाए जाते हैं। देश मे मैंगनीज अयस्क का कुल 11.65 करोड़ टन का सुरक्षित भंडार है।

अभ्रक अभ्रक के आर्थिक महत्व के भंडार आन्ध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान तीन मुख्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

निकल अयस्क उड़ीसा के कटक, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में निकल के अयस्क पाए जाते हैं। कुल सुरक्षित निकल अयस्क 16 करोड़ टन है।

तेल तेल की संभावना वाले क्षेत्र असम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, गंगा घाटी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कच्छ और प्रति तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात हैं। कच्चे तेल का भंडार अनुमानतः लगभग 35.4 करोड़ टन है।

तापसह पदार्थ मैग्नेसाइट के मुख्य भंडार तमिलनाडु के सेलम जिला में, उत्तर प्रदेश के अल-मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ जिलों में और कर्नाटक के मैसूर और हस्सन जिलों मे पाए जाते है। कुल अनुमानित भंडार 21 करोड़ टन के हैं। क्यानाइट और सिली-मानाईट, दूसरे मुख्य तापसह पदार्थ हैं। बिहार के सिंहभूम क्यानाइट और मेघालय के खासी सिलीमानाइट प्रसिद्ध है। केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय रेत में प्लेसर सिलीमानाइट के बड़े भंडार जिनमें इलमेनाइट और रुटाइल भी हैं। क्यानाइट का कुल अनुमानित भंडार 30 लाख टन है और सिलीमानाइट का कुल अनुमानित भंडार 120 लाख टन है।

विमान द्वारा खनिज सर्वेक्षण और खोज महत्वपूर्ण धातुओं के भंडारो का पता लगाने के लिए काम में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के विमानों द्वारा दो खनिज सर्वेक्षण 'आपरेशन हार्ड राक' और बी० आर० जी० एम०/सी० जी० सी० कार्यक्रम क्रमशः 1967 और 1971 में चलाए। सर्वेक्षण के बाद की खोजों से आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ गौण धातुओं के भंडारों का पता चला है।

खनिज उत्पाद पिछले 20 वर्षों में खनिज उत्पादन (परमाणु खनिजों को छोड़कर) का मूल्य काफी बढ़ गया है। 1960 मे 165.1 करोड़ रु० से बढ़कर 1981 में 3,540.2

करोड़ रु० हो गया। इसमें ईंधन वर्ग के खनिजों का हिस्सा सबसे अधिक 2,993.7 करोड़ रु० 1981 में था। इसके बाद अन्य गैर-धातु खनिजों का स्थान आता है, जिनका उत्पादन 259.9 करोड़ रु० के मूल्य का हुआ। 1975 से 1981 तक हुए खनिज उत्पादन के मूल्य और संकेत सारणी 19.9 में दिए हुए हैं। 1979 और 1980 में खनिज पदार्थों के उत्पादन की मात्रा और उनके मूल्य के आंकड़े सारणी 19.10 में दिए हुए हैं।

कुछ खनिज संगठन खनिजों के नक्शे बनाने, खोजने, अनुसन्धान और दोहन करने के काम में कई संगठन लगे हुए हैं। उनमें से कुछ का वर्णन नीचे दिया जा रहा है:

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) कलकत्ता, खनिजों के नक्शे बनाने और उनकी खोज करने वाली मुख्य एजेन्सी है। अक्तूबर 1980 से सितम्बर 1981 की अवधि में इसने देश के विभिन्न भागों में 61,900 वर्ग किलोमीटर सख्त चट्टानी इलाके के और 32,220 वर्ग कि० मी० चतुर्थ युगीन चट्टानों के विधिवत नक्शे बनाए। साथ ही बड़े पैमाने पर 6,420 वर्ग कि० मी० के नक्शे और 203 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के ब्यौरेवार नक्शे बनाए गए और 1,13,800 मीटर क्षेत्र में खनिजों का पता लगाने के उद्देश्य से खुदाई की गई।

खनिज समन्वेषण निगम। खनिजों का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से खुदाई करने, प्रमुख परियोजनाओं के लिए परामर्श और विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1972 में खनिज समन्वेषण निगम (एम० ई० सी०) का गठन किया। तब से लेकर 31 जनवरी 1982 तक निगम ने 9.5 लाख मीटर की ड्रिलिंग की और 44,478 मीटर का खनन किया।

भारतीय खान ब्यूरो भारतीय खान ब्यूरो एक वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन है, जो देश के खनिज भण्डारों के संवर्धन, संरक्षण और वैज्ञानिक विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है (कोयला, आणविक खनिज, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और गौण खनिज को छोड़कर)।

इसका मुख्य कार्यालय नागपुर में और प्रादेशिक कार्यालय अजमेर, बंगलौर, कलकत्ता, देहरादून, गोआ, हैदराबाद, हजारीबाग, जबलपुर, नेलौर और उदयपुर में है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० हैदराबाद 1958 में तेल, प्राकृतिक गैस तथा कोयले को छोड़ कर अन्य खनिज पदार्थों को निकालने के लिए स्थापित किया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्गठन) एवं विविध व्यवस्था अधिनियम, 1978 के पास होने के बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० हैदराबाद, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० की सहायक कम्पनी नहीं रह

सारणी 19.9

खनिज उत्पादन का मूल्य

वर्ष	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981 (अनन्तिम)
1. खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ रु०)	1,120 0	1,365 9	1,466.2	1573 8	1904.4	2227.2	3540.2
2. खनिज[1] उत्पादन की मात्रा सूचकांक (आधार 1970 =100)	129	138	142	144	150	146	171

1. गौण और आणविक खनिज शामिल नही है।

सारणी 19.10

खनिज उत्पादन की मात्रा और मूल्य

(मूल्य हजार रु०)

खनिज	इकाई	1980		1981 (अनन्तिम)	
		मात्रा	मूल्य (हजार रु०)	मात्रा	मूल्य (हजार रु०)
1	2	3	4	5	6
समस्त खनिज (कुल मूल्य)			2,22,71,944	—	3,53,04,200
ईंधन (कुल मूल्य)		—	1,71,45,527	—	2,99,37,334
कोयला	हजार टन	109,152	1,29,96,435	1,22,478	1,73,75,459
लिग्नाइट	हजार टन	4,549	4,27,529	5,909	5,61,216
प्राकृतिक गैस	लाख घन मीटर	1,462	57,313[2]	1,949	67,436
पेट्रोलियम (कच्चा)	हजार टन	9,397	36,64,250[2]	14,900	1,19,33,133
धातु खनिज (कुल मूल्य)	—	—	23,09,917	—	25,99,338
बाक्साइट	टन	17,76,232	80,516	19,12,106	77,773
क्रोमाइट	टन	3,20,926	1,31,032	3,34,681	1,43,221
तांबा अयस्क	टन	20,05,436	3,27,880	20,85,069	3,58,762
डायस पोर	टन	6,070	1,570	5,158	1,296
सोना	किलोग्राम	2,452	1,86,157	2,485	2,64,941
खनिज लोहा	हजार टन	40,926	11,60,777	41,122	12,88,164
सीसा सान्द्रण	टन	16,763	47,397	20,017	57,461
मैंगनीज अयस्क	टन	16,66,467	2,33,978	15,08,898	2,38,836
चांदी	किलोग्राम	11,381	25,221	17,263	38,215

टंगस्टन (सान्द्रण)	किलोग्राम	44,107	3,619	37,738	3,229
जस्ता सान्द्रण	टन	46,509	1,11,770	52,876	1,27,420
अधातु खनिज (कुल मूल्य)	—	—	28,16,500	—	2,865,528
गोमेद	टन	1,549	371	1,476	354.
अपाटाइट	टन	20,082	4,313	16,862	3,573
फास्फोराइट	टन	5,22,825	1,97,663	5,45,082	2,33,706
एस्बस्टस	टन	32,468	10,653	24,515	12,951
बाल क्ले	टन	1,26,300	5,334	1,18,635	4,888
बैराइट्स	टन	4,34,015	36,758	3,53,362	23,040
कैलसाइट	टन	26,117	2,315	21,167	1,252
चाक	टन	87,270	7,716	85,309	4,978
काओलीन (कुल)	टन	4,52,219	40,015	5,05,745	43,096
काओलीन (प्राकृतिक)	टन	3,47,282	7,193	3,91,490	7,611
काओलीन (परिष्कृत)	टन	1,04,937	32,822	1,14,255	35,485
क्ले (अन्य)	टन	63,311	726	55,566	558.
कोरंडम	टन	1,455	980	1,004	677
हीरा	कैरेट	14,432	20,442	15,717	14,216
डोलोमाइट	टन	20,17,543	87,378	19,54,868	81,207
पन्ना (अशोधित)	कैरेट	6,600	अनिश्चित	1,000	अनिश्चित
फैल्सपर	टन	60,611	2,212	59,395	2,242
अग्नि सह मिट्टी[3]	टन	7,37,199	16,453	7,91,105	17,610
फ्लोराइट (सान्द्रण)	टन	17,158	26,146	18,720	28,879
फ्लोराइट (ग्रेडड)	टन	4,049	4,738	4,185	4,718
गार्नेट (रक्त मणि) (अपघर्षी)	टन	3,744	676	3,176	730

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गार्नेट (रत्न मणि) (रक्त किस्म)	कि० ग्राम	4,550	51	1,539	15
ग्रेफाइट (आर० ओ० एम०)	टन	54,786	5,767	56,249	5,333
जिप्सम	टन	8,67,896	26,968	9,43,316	26,623
जस्पर	टन	4,117	323	3,354	245
क्यानाइट	टन	48,740	14,335	38,283	13,890
ऐंडालूसाइट	टन	—	—	146	34
चूना पत्थर	हजार टन	29,211	7,29,334	30,873	7,48,762
चूना कंकड़	टन	8,914	85	16,326	48
चूना शैल	टन	1,09,061	5,837	1,05,071	7,325
कैलकेरियस रेत	टन	7,71,932	8,693	6,85,376	7,488
मैग्नेसाइट	टन	3,85,104	62,208	4,53,410	84,893
अभ्रक (अशोधित)	टन	7,930	27,056	8,377	30,412
अभ्रक (रद्दी)	टन	1,425	अनुपलब्ध	4,352	अनुपलब्ध
ओकर	टन	92,630	2,511	79,631	1,644
पाइराइट	टन	82,905	32,236	57,598	20,832
गन्धक	टन	5,065	7,649	4,170	6,567
पाईरोफिलाइट	टन	34,102	1,411	38,420	1,387
क्वार्ट्ज	टन	1,67,933	4,898	1,77,199	5,277
क्वार्ट्ज़ाइट	टन	83,254	3,129	1,04,580	4,502
सिलिका रेत	टन	6,42,207	15,405	5,75,068	14,123
मोल्डिंग रेत	टन	1,10,210	831	96,165	739
नमक (सेंधा)	टन	4,683	989	4,325	1,064
रेत (अन्य)					

रेत (अन्य)	टन	9,87,346	3,746	11,62,444	3,758
सिलिमेनाइट	टन	14,488	4,710	10,254	5,170
स्लेट	टन	11,934	1,060	9,187	1,095
स्टीटाइट	टन	3,35,455	22,638	3,29,149	25,047
स्टौरोलाइट	टन	6	4	15	9
वर्मिक्यूलाइट	टन	3,677	394	3,624	558
वोलस्टोनाइट	टन	5,790	382	15,940	1,052
गौण खनिज (मूल्य)	—	—	13,68,961	—	13,68,961

1. =प्रयुक्त गैस से संबंधित
2. =अनुमानित
3. =कोयला खानों से आकस्मिक रूप से प्राप्त आंशिक उत्पादन शामिल नहीं है।
4. =खानों से बचा रद्दी अभ्रक और कच्चे अभ्रक का शोधन करते समय मिला अभ्रक शामिल है।

और 1 मई 1978 से वह केन्द्रीय सरकार का उपक्रम बन गया। परन्तु किरिबुरु खनिज लोह परियोजना, जिसका निगम ने विकास किया था तथा मेघाहतुबुरु खनिज लोह परियोजना जो पहले निगम की देख-रेख में बन रही थी, उक्त अधिनियम के अधीन अब बोकारो इस्पात संयंत्र को हस्तांतरित कर दी गई है।

राष्ट्रीय खनिज भंडार निगम, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मध्य प्रदेश में बेलाडिला भंडार नं० 14 और बेलाडिला भंडार नं० 5 में तथा कर्नाटक में दोनीमलै खान में पहले अपने ही द्वारा विकसित खनिज लोह की खानों का प्रबन्ध करता है। इसके अलावा, निगम ने मध्य प्रदेश में पन्ना की हीरे की खानों का भी विकास किया है। निगम की वर्तमान खानों से निकाला खनिज लोहा निर्यात के लिए सुरक्षित रखा जाता है, केवल दोनीमलै की खान से निकले खनिज लोहे के लिए विशेष बाजार की खोज की जा रही है। 1980-81 में खनिज लोहे का उत्पादन 75.5 लाख टन हुआ।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (एम० ओ० आई० एल०) की स्थापना 1962 में की गई। भारत सरकार और दो राज्यों (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र) के इसमें 51 प्रतिशत शेयर थे और सेंट्रल प्रोविन्स मैंगनीज ओर कम्पनी लि० (सी० पी० एम० ओ०) (इंग्लैंड की एक कम्पनी) के शेष 49 प्रतिशत शेयर थे। सरकार ने इंग्लैंड की इस कम्पनी (सी० पी० एम० ओ०) के शेयर खरीद लिए और यह पूरी तरह एक सरकारी कम्पनी बन गई। इसे महाराष्ट्र की डोंगरी बुजुर्ग खानों के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई जहां पहले सी० पी० एम० ओ० काम करती थी।

कम्पनी का मुख्य कार्य मैंगनीज को खानों से निकालना है। यह कम्पनी देश में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करती है। इसके उत्पादन का बड़ा भाग बहुत अच्छी श्रेणी का अयस्क होता है। 1978-79 तक इसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक ही सीमित था। बाद में इसने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में भी कर लिया। कम्पनी की अधिकृत पूंजी 6 करोड़ रु० और चुकता पूंजी 2,15,45,100 रुपए है। 1980-81 में इसने 4,67,787 टन का उत्पादन किया।

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड पूरी तरह सरकारी और बोकारो इस्पात लि० की सहायक कम्पनी के रूप में 22 जुलाई 1974 को पंजीकृत की गई। उस समय इसकी अधिकृत पूंजी 2 करोड़ रु० थी। 30 अप्रैल 1978 तक भंडारीडाह स्थित केवल एक रिफ्रैक्टरी संयंत्र ही इसके नियन्त्रण में था। सार्वजनिक क्षेत्र की आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' (पुनर्गठन और विविध व्यवस्थाएं) अधिनियम 1978 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद 1 मई 1978 से भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि० को चार और कारखाने हस्तान्तरित किए गए। ये हैं—(1) मरार का हिन्दुस्तान स्टील लि० रिफ्रैक्ट्रीज संयंत्र (जो रांची रोड रिफ्रैक्ट्रीज के प्लांट के नाम से जाना

जाता है); (2) मेघालय की सिलिमैनाइट खानों; (3) भिलाई स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का रिफ्रेक्ट्रीज संयंत्र (जिसका नाम अब भिलाई रिफ्रेक्ट्रीज संयंत्र है) और (4) इंडिया फायर ब्रिक्स एण्ड इंसुलेशन कम्पनी लिमिटेड (जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड 'सेल' की सहायक कम्पनी थी)।

भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड की वर्तमान अधिकृत पूंजी 30 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 17.57 करोड़ रुपये है।

भारत अल्मूनियम कंपनी लिमिटेड

(1) महाराष्ट्र में रत्नागिरि में 50,000 टन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता वाली समेकित अल्मूनियम परियोजना और मध्य प्रदेश कोरबा की 1,00,000 टन की क्षमता वाली समेकित अल्मूनियम की दो परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 1965 में भारत अल्मूनियम कम्पनी लि० नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। कोरबा अल्मूनियम कारखाना अप्रैल 1973 में चालू हुआ।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता देश में तांबा निक्षेपों का विकास करता है। कम्पनी की परियोजनाएं हैं: राजस्थान में खेतड़ी, चांदमारी और दरीबा तांबा परियोजनाएं, बिहार में रखा तांबा परियोजना और मध्य प्रदेश में मलंजखंड तांबा परियोजनाएं। मलंजखण्ड को छोड़ कर कम्पनी की सभी परियोजनाओं में उत्पादन शुरू हो चुका है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने 1980-81 में लगभग 25,307 टन ब्लिस्टर तांबा धातु का उत्पादन किया है।

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड

भारत गोल्ड माइन्स लि०, ऊरगाम, कर्नाटक, ने 1 अप्रैल 1972 से विभागीय प्रतिष्ठान, कोलार गोल्ड माइनिंग अन्डरटेकिंग का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। 1980-81 में 15.63 लाख ग्राम स्वर्ण का उत्पादन हुआ उपक्रम ने 603 लाख रुपये का लाभ कमाया जबकि 1979-80 में 377 लाख रु० का लाभ कमाया था।

जस्ता और सीसा

इस समय देश में तीन जस्ता प्रद्रावक है—दो हिन्दुस्तान जिंक लि० के सरकारी क्षेत्र में और तीसरा कोमिनको बिनानी जिंक लि० का निजी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र के प्रद्रावक देवारी (राजस्थान) में और विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) में हैं तथा निजी क्षेत्र का अलवाए (केरल) में। तीनों प्रद्रावकों की कुल स्थापित क्षमता 95,000 टन प्रति वर्ष है।

देश में सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा संचालित दो सीसा प्रद्रावक कारखाने हैं—एक तुन्दु (बिहार) में और दूसरा विशाखापत्तनम में। तुन्दु सीसा प्रद्रावक कारखाने की वार्षिक क्षमता 8,000 टन है और विशाखापत्तनम के सीसा प्रद्रावक कारखाने की क्षमता 10,000 टन प्रति वर्ष है। विशाखापत्तनम प्रद्रावक की क्षमता बढ़ाकर 22,000 टन प्रतिवर्ष

की जा रही है। राजस्थान, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में, कम्पनी की खानों से उत्पादित सीसा सांद्र, सीसा प्रद्रावक कारखानों में प्रयोग किया जाता है।

जस्ता तथा अन्य सम्बद्ध धातुओं के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार का प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, 1966 में उदयपुर, राजस्थान में स्थापित किया गया था। यह देश के दो जस्ता उत्पादक कारखानों में से एक है। प्रतिष्ठान के 8 एकक हैं : (1) जवार खान, राजस्थान, (2) राजपुरा-दरीबा खान राजस्थान (3) सीसा प्रद्रावक, तुन्दु, बिहार, (4) जस्ता प्रद्रावक, विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश), (5) सर्गीपल्ली खान परियोजना, उड़ीसा (6) अग्निगुंडाला सीसा खान, आन्ध्र प्रदेश, (7) रामपुरा-अगुचा सीसा जस्ता परियोजना, राजस्थान और (8) जस्ता प्रद्रावक, देबारी, राजस्थान।

1979-80 में, देश में सार्वजनिक क्षेत्र में जस्ते और सीसे का उत्पादन क्रमशः 44,543 और 11,317 टन हुआ।

बागान उद्योग

भारत के जितने क्षेत्र में फसलें उगाई जाती हैं, चाय, कहवा, और रबड़ बागान तीनों मिलकर उसके केवल लगभग 0.4 प्रतिशत भाग ही ठहरते हैं। फिर भी चाय देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का एक बहुत बड़ा साधन है। ये उद्योग मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत और भारत के दक्षिण-पश्चिमी समुद्र तट पर केन्द्रित हैं और इनमें 12 लाख से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं।

चाय

1981 में चाय का उत्पादन 57.3 करोड़ कि० ग्रा० हुआ। 1980 में 57.2 करोड़ कि० ग्रा० था। 1981-82 में चाय के निर्यात से कुल 402.52 करोड़ रु० की आय हुई। 1980-81 में 7.6 लाख कि० ग्रा० इन्स्टेंट चाय का निर्यात हुआ।

चाय बोर्ड, चाय उद्योग के विकास के लिए मुख्य अभिकरण है और यह चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इनमें चाय बागानों को दीर्घकालीन ऋण देना, किराया-खरीद आधार पर मशीनें लेने की सुविधा देना और चाय के पुराने पौधों को पुनः लगाने के लिए सहायता देना शामिल है। कलकत्ता में एक चाय व्यापार निगम भी स्थापित किया गया है, जो भारतीय चाय को कुछ चुने हुए देशों में उपभोक्ताओं के लायक डिब्बों में भरकर बेचता है।

कहवा (काफी)

1980-81 में काफी का उत्पादन 1.17 लाख टन था। निर्यात लगभग 215 करोड़ रु० का था जबकि 1979-80 में निर्यात 178 करोड़ रु० का हुआ था।

काफी उद्योग के विकास की जिम्मेदारी काफी बोर्ड पर है और इसने काफी की किस्म सुधारने और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक काफी विकास योजना चलाई है। इसके लिए यह काफी उगाने वालों को ऋण देता है।

इलायची भारत विश्व में इलायची का सबसे अधिक निर्यात करता है और विश्व व्यापार में 70 प्रतिशत भारत का हिस्सा है । 1980-81 में इलायची का उत्पादन लगभग 4,400 टन था ।

रबड़ प्राकृतिक रबड का उत्पादन 1981 मे 1,32,000 टन था। उत्पादन मे कमी कुछ रबड बागानों में हड़ताल और मौसम की खराबी के कारण हुई। देश में रबड़ की उपलब्धि बढ जाने के कारण सरकार ने 1973-74 से प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। परन्तु 1981 में सरकार ने कमी को पूरा करने के लिए राज्य व्यापार निगम को 36,000 टन रबड़ आयात करने की अनुमति दे दी ।

रबड़ बोर्ड रबड उद्योग की समस्याओं के समाधान में सहायता करता है ।

ग्राम तथा लघु उद्योग

लघु उद्योगों ने पिछले दस वर्षो मे असाधरण प्रगति कर देश की अर्थ-व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 49 प्रतिशत उत्पादन ग्रामीण और लघु उद्योग द्वारा किया जाता है और लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों का योगदान 33 प्रतिशत है।

लघु उद्योगो की पूजी निवेश की सीमा 1980 में बढ़ा दी गई, जिससे सयत्र और मशीनो पर पूजी निवेश 10 लाख रु० से बढ़ाकर 20 लाख रु० कर दिया गया और सहायक इकाइयों के मामले मे पूजी निवेश 15 लाख रु० से बढाकर 25 लाख रु० कर दिया गया। लघु उद्योगों का 1980-81 मे उत्पादन अनुमानतः 28,060 करोड़ रु० के मूल्य का था (1979-80 वर्ष के मूल्यों के अनुसार 23,566 करोड़ रु०)। लगभग 71 लाख व्यक्तियों को इन उद्योगो द्वारा रोजगार मिला। इसी वर्ष से इस क्षेत्र से निर्यात भी बढ़ा, जो 1,519 करोड़ रु० का था।

आयात नीति सरकार ने उदार आयात नीति अपना कर कच्चे माल की वितरण पद्धति को आसान बना दिया है। इस नीति के फलस्वरूप ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं मे वृद्धि कर दी है और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना दोबारा लाइसेंस प्राप्त करने की निर्धारित सीमा में छूट दे दी गई है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 1955 में स्थापित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम छोटे कारखानों को रियायती दरों पर किराया-खरीद आधार पर मशीनें उपलब्ध कराता है। सरकारी विभागों और कार्यालयों से आर्डर प्राप्त करने में भी यह लघु उद्योगों की सहायता करत है ।

1980-81 में निगम ने किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत 748 एकको

को सहायता प्रदान की और 8.31 करोड़ रु० के मूल्य की मशीनरी सप्लाई की।

यह निगम अपने प्रोटोटाईप विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोटोटाइपों को बनाने में लगे हुए विभिन्न वर्ग के शिल्पियों को प्रशिक्षण देता है और व्यावसायिक स्तर पर इनका उत्पादन शुरू करने के लिए इन्हें लघु एककों को स्थानान्तरित कर देता है।

जिला उद्योग केन्द्र

जिला स्तर पर उपलब्ध तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने हेतु, जिला उद्योग केन्द्रों का पुनर्गठन किया गया। 1981–82 में दो और जिला उद्योग केन्द्र स्थापित हुए। अब 392 जिलों के लिए कुल 384 जिला उद्योग केन्द्र हैं। 1981–82 में अनुमानतः 3 लाख नई इकाइयां स्थापित की गईं जबकि पिछले वर्ष 2.4 लाख इकाई स्थापित की गई थीं। 1981–82 में 2.3 लाख कारीगरों के एकक थे और इस वर्ष के दौरान अनुमानतः 10.5 लाख और लोगों को रोजगार मिला। वित्तीय संस्थानों द्वारा 1981–82 में प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र को 98 लाख रु० की सहायता दी गई, जबकि 1980-81 में यह सहायता 89 लाख रुपये की थी।

ऋण सुविधाएं

लघु उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता वाला क्षेत्र मान लिया गया है। रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा अन्य बैंकों को सलाह दी गई कि इन उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले इन लघु उद्योग एककों की संख्या बढ़कर दिसम्बर, 1979 के अन्त तक 1.23 लाख हो गई थी।

दिसम्बर 1980 तक राज्य वित्तीय निगमों ने लघु उद्योगों को अनुमानतः 533.30 करोड़ रु० के ऋण दिए।

लघु उद्योग विकास संगठन

लघु उद्योग विकास संगठन अपने 25 सेवा संस्थानों, 20 शाखा संस्थानों, 41 विस्तार केन्द्रों, 4 प्रादेशिक परीक्षण केन्द्रों, 1 उत्पाद और संसाधन विकास केन्द्र, 2 प्रशिक्षण केन्द्रों और 4 उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से लघु उद्योग इकाइयों को व्यापक रूप से परामर्श सेवाएं और तकनीकी, प्रबन्धात्मक, आर्थिक और विपणन सहायता देता है। वर्ष 1981–82 के दौरान लगभग 2,29,832 उद्यमियों को सहायता दी गई।

4 प्रादेशिक परीक्षण केन्द्र जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में हैं, यांत्रिक, धातु सम्बन्धी, रसायन और विद्युत व्यापार में परीक्षण सुविधाएं प्रदान करते हैं। कलकत्ता स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर ने इस वर्ष 25 लाख रु० के औजार दिए और औजार बनाने के नियमित और अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए। लुधियाना के सेंट्रल टूल एण्ड ट्रेनिंग सेंटर ने नवम्बर 1980 से अपना कार्य शुरू किया और औजार डिजायनों के तकनीकी प्रशिक्षण देने प्रारम्भ किए।

इसके अतिरिक्त, सेंट्रल इन्स्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद और इन्स्टीट्यूट फार डिजायन आफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स, बम्बई उद्यमियों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण दे रहा है। राष्ट्रीय महत्व का एन० आर०

ई० टी० आई० हैदराबाद, लघु उद्योगों को प्रशिक्षण, अनुसन्धान और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।

हथकरघे और विद्युत करघे

रोजगार की गुंजाइश की दृष्टि से भारत में कृषि के बाद हथकरघा उद्योग का ही स्थान है। देश में लगभग 38 लाख हथकरघे हैं, जिनमें 12.7 लाख सहकारी क्षेत्र हैं। लगभग 100 लाख व्यक्ति अपनी जीविका के लिए इस उद्योग पर निर्भर हैं। विद्युत करघा उद्योग का जन्म हाल ही में हुआ है। 31 दिसम्बर 1980 को देश में 5 लाख विद्युत चालित करघे थे।

छठी योजना के लिए 600 करोड मीटर (हथकरघों के लिए 370 करोड मीटर और विद्युत करघों के लिए 230 करोड मीटर) कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। देश की कपड़े की कुल जरूरत का यह 50 प्रतिशत है।

इस उद्योग को निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है। 1967–68 में इसका निर्यात 11.60 करोड़ का था। जो 1980–81 में बढ़ कर लगभग 330.02 करोड़ रु० का हो गया।

हस्तशिल्प

हस्तशिल्प के अन्तर्गत अनेक शिल्प आते हैं जिनके पीछे सदियों का अनुभव और कौशल है। हस्तशिल्प का उत्पादन (रत्न और आभूषण सहित) 1980-81 में अनुमानतः 800 करोड़ रु० का था। 1980–81 में निर्यात 365 करोड़ रु० तक बढ़ा। निर्यात में इस योगदान के अलावा हस्तशिल्प क्षेत्र में 20 लाख लोग काम करते हैं।

हस्तशिल्प की वस्तुओं के उत्पादन तथा उनके निर्यात में सुधार करने के लिए नई दिल्ली में 1952 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके पांच प्रादेशिक कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में हैं। इसने बंगलौर में एक केन्द्रीय हस्तशिल्प विकास केन्द्र और नई दिल्ली में एक केन्द्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय भी स्थापित किया है। हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री के लिए लगभग 250 विक्रयशालाएं खोली हैं। समय-समय पर अपनी सांस्कृतिक विरासत की झांकी प्रस्तुत करने तथा नए शिल्प डिजाइनों का परिचय कराने के लिए प्रदर्शनियों और मेलों का आयोजन भी किया जाता है।

20 वाणिज्य

विदेश व्यापार

स्वाधीनता से पहले भारत के व्यापार का स्वरूप एक परम्परागत औपनिवेशिक और कृषिप्रधान देश की तरह का था। इसका विदेश व्यापार मुख्यतः ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के अन्य देशों तक ही सीमित था। निर्यात कुछ प्राथमिक वस्तुओं का ही होता था। आयात भी सीमित ही था, जो मुख्य रूप से तैयार सामान का होता था। ऊपर से देखने में व्यापार संतुलन अनुकूल लगता था, परन्तु वास्तव में औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक विकास दोनों ही कम थे।

स्वतंत्रता के बाद महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप भारत के विदेश व्यापार की पूरी तरह कायापलट हो गई है। अब यह व्यापार कुछ ही देशों और कुछ ही वस्तुओं तक सीमित नहीं है। आज विश्व के लगभग सभी देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है और निर्यात होने वाले या आयात किए जाने वाले सामान की सूची में, अब लगभग 6,660 वस्तुएं हैं। निर्यात वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों के उपकरण, हस्तशिल्प, हथकरघा, कुटीर व शिल्प वस्तुएं सम्मिलित हैं। परियोजना निर्यात ने, जिनमें परामर्श देना, नगर निर्माण तथा "टर्न की" ठेके शामिल हैं, गत वर्षों में महत्वपूर्ण तरक्की की।

इसी तरह देश की अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकता के कारण आयात में भी भारी वृद्धि हुई है। स्वभावतः अब देश के आयात व्यापार में वस्तुओं की दृष्टि से बहुत परिवर्तन हो गया है। अब मुख्यतः अत्याधुनिक मशीनों एवं दुर्लभ कच्चे माल को तथा देश के औद्योगिक और कृषि विकास के लिए जरूरी ल्यूब्रिकेन्ट तेल और रासायनिक खाद का आयात होता है। विकास के लिए भारी मात्रा में आयात तथा मुख्य आयात वस्तुओं, विशेषकर पेट्रोलियम पदार्थों व उर्वरकों के विश्व मूल्यों में तीखी वृद्धि के कारण देश का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल रहा है।

विदेश व्यापार का मूल्य

1980-81 में विदेश व्यापार (आयात, निर्यात तथा पुनः निर्यात सभी मदें रूप से) 19,234.62 करोड़ रुपये रहा जो कि 1979-80 के आकड़े 15,480.51 करोड रु० से 25% अधिक रहा।

विदेश व्यापार का कुल मूल्य 1981-82 मे 21,341.52 करोड रु० तक आ गया। 1950-51 से अब तक कुछ चुनी हुई वर्षों की अवधि में आयात तथा निर्यात का मूल्य, विदेश व्यापार की हुई वस्तुओं के कुल मूल्य और व्यापार संतुलन सम्बन्धी आकड़े नीचे सारणी 20.1 मे दिए जा रहे हैं।

(करोड़ रुपयों में)

सारणी 20.1 भारत का विदेश व्यापार

वर्ष	आयात	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)	विदेश व्यापार का कुल मूल्य	व्यापार संतुलन
1950-51	650.21	600.64	1,250 85	—49.57
1960-61	1,139.69	660.22	1,799.91	—479.47
1970-71	1,634.20	1,535.16	3,169.36	—99.04
1973-74	2,955.37	2,523.40	5.478.77	—431.97
1974-75	4,518.78	3,328.83	7,847.61	—1,189.95
1975-76	5,265.20	4.042.25	9,307.45	—1,222.95
1976-77	5,073.79	5,142.25	10,216.04	+68.46
1977-78	6,025.29	5,404.26	11,429.55	—621.03
1978-79	6,814.30	5,726.26	12,540.56	—1,088.04
1979-80	9,021.75	6,458.76	15,480.51	—2,562.99
1980-81	12,523.91	6,710.71	19,234.62	—5,813.20
1981-82	13,560.12	7,781.40	21,341 52	—5,778.72

देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात में वृद्धि हुई। दूसरी ओर विशाल स्वदेशी मांग के साथ देश के निर्यात की अपेक्षाकृत धीमी गति के कारण व्यापार संतुलन विपरीत रहा। 1972-73 में निर्यात में काफी वृद्धि होने के कारण गत 26 वर्षों में पहली बार व्यापार संतुलन सबसे अधिक अनुकूल रहा। 1976-77 में पुनः निर्यात में अधिक तेजी से वृद्धि होने और आयात में कुछ गिरावट के कारण देश के व्यापार में 68.46 करोड़ रुपये का अनुकूल सन्तुलन रहा। अगले वर्षों में व्यापार घाटे में वृद्धि होती रही। भारत के विदेशी व्यापार सन्तुलन पर 1979-80 से काफी दवाव पड रहा है। इस अवधि के दौरान भारत के विदेशी व्यापार के घाटे में तेजी से बढोतरी हुई। इस बढोतरी का मुख्य कारण विश्व बाजार में पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों सरीखी मुख्य आयात वस्तुओं के मूल्यों में असंयमित वृद्धि था। 1978-79 में घाटा केवल 1,088 करोड़ रु० था जोकि 1979-80 में 2,563 करोड़ रुपये तथा 1980-81 में 5,813 करोड़ रु० हो गया। 1979-80 तथा 1980-81 के पूर्वार्द्ध में देश सूखे का सामना कर चुका था। भारतीय अर्थ-व्यवस्था की अपर्याप्त कार्यक्षमता के कारण निर्यात में वृद्धि न हो पाई। तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण भी विदेश व्यापार प्रसार के प्रति सुखद नहीं था। एक ओर तो सारे विश्व में मन्दी थी दूसरी ओर मुद्रा दर में अस्थायित्व, नए प्रकार के टैरिफ, गैर-टैरिफ मूल्य तथा विकसित देशों द्वारा अनेक सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे थे। वर्तमान सरकार के अनेक

प्रयासों के फलस्वरूप निर्यात हेतु उत्पादन व निर्यात माल के लिए बाजार पाने में काफी प्रगति हुई है। अतः 1981-82 में भारत के निर्यात में स्पष्ट वृद्धि लक्षित है।

वर्ष 1981-82 में भारत का कुल निर्यात 7,781.40 करोड़ रु० (संशोधित) रहा। इन आंकड़ों को जब हम 1980-81 के अनंतिम आंकड़ों से तुलना करते हैं तो इसमें 16% की वृद्धि हमारे सामने आती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1980-81 में निर्यात में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1981-82 में प्रतिशत की वृद्धि दर उत्साहवर्धक है।

1981-82 में आयात 13,560.12 करोड़ रु० (संशोधित) के रहे। 1980-81 की तुलना में केवल 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसके पहले 1979-80 तथा 1980-81 में यह वृद्धि दर क्रमशः 32.4% व 38.8 प्रतिशत थी। इस प्रकार 1981-82 में भारत के विदेश व्यापार में 5,778.72 करोड़ रु० (संशोधित) का घाटा रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1981-82 में न केवल निर्यात में वृद्धि हुई बल्कि विदेश व्यापार का असन्तुलन घटा है व गत दो वर्षों से चली आ रही आयात में अनियमित वृद्धि पर रोक लगाई जा सकी है। अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि से आशा है कि यदि विश्व बाजार में व्यापार वातावरण समुचित रहा तो भविष्य में निर्यात में प्रभावी वृद्धि होगी।

व्यापार का स्वरूप

1951—60 के दशक में निर्यात लगभग स्थिर रहा जो कि औसत 600 करोड़ रु० के लगभग था, इसमें 1961 और 1966 के बीच वृद्धि आनी शुरू हुई है। 31 मार्च, 1966 को निर्यात अंक लगभग 806 करोड़ रुपये के आसपास था। अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात शनै-शनै बढ़ता तो रहा परन्तु इसकी वृद्धि दर अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू स्थिति से प्रभावित होकर पृथक रही। 1980-81 में निर्यात अंक 6,710.71 करोड़ रु० था जबकि 1966-67 के अवमूल्यन के वर्ष में यह राशि 1,093.78 करोड़ रु० रही थी। 1981-82 में कुल निर्यात 7,781.40 करोड़ रु० (संशोधित) का रहा। अभी और आंकड़े मिलने पर इस संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

निर्यात

हाल के कुछ वर्षों में निर्यात न केवल बढ़ा है बल्कि उसमें बहुत विविधता आई है। अब अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जाने लगा है जैसे—पूंजीगत माल व अन्य इंजीनियरिंग सामग्री, रसायन व रासायनिक उत्पाद, चमड़ा व चमड़े का सामान, सिले-सिलाए कपड़े, रेशमी व ऊनी वस्त्र, हीरे व आभूषण, हस्तशिल्प, तैयार भोजन व समुद्री सामग्री आदि। परम्परागत निर्यात वस्तुओं जैसे बागबानी, कृषि सामग्री, खनिज पदार्थ, कपास तथा पटसन की निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है।

गतिशील निर्यात क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 1970-71 से 1980-81 के 10 वर्षों में 130 करोड़ रु० से बढ़कर 900 करोड़ रुपये हो गया, चमड़ा व चमड़ा उत्पादों (जूते सहित) का निर्यात 84 करोड़ रु० से बढ़कर 377 करोड़ रु०, मोती, मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान पत्थर का निर्यात 42 करोड़

रु० से बढ़कर 602 करोड़ रु० हो गया, सूती कपड़ों का 9 करोड़ रु० से 376 करोड़ रु०, रसायन तथा सम्बन्ध उत्पादों का निर्यात 29 करोड़ रु० से 225 करोड़ रु० तथा मछली का 30 करोड़ रु० से 217 करोड़ रु० हो गया है। इसी दशक में पटसन-निर्मित वस्तुओं का निर्यात 190 करोड़ रु० से 330 करोड़ रु० हो गया, सूती कपड़ों का निर्यात 75 करोड़ से 332 करोड़ रु० हो गया तथा चाय का 148 करोड़ रु० से 425 करोड़ रु०, काफी का 25 करोड़ रु० से 214 करोड़ रु०, तम्बाकू का 33 करोड़ रु० से 141 करोड़ रु०, काजू का 52 करोड़ रु० से 140 करोड़ रु०, लौह खनिज का 117 करोड़ रु० से 303 करोड़ रु० तथा खाद्य तेल का 55 करोड़ रु० से 125 करोड़ रु० बढ़ा है। यद्यपि मुख्य परम्परागत निर्यात वस्तुओं जैसे चाय, पटसन उत्पादों व सूती वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हो रही है परन्तु इन वस्तुओं की विश्व बाजार में माग व पूर्ति के अनुसार इन के निर्यात में पर्याप्त उतार चढ़ाव आया है। चाय का निर्यात 1976-77 में 293 करोड़ से बढ़कर 1977–78 में 570 करोड़ रु० तक जा पहुंचा परन्तु 1978-79 में 340 करोड़ रु० ही रहा। 1980-81 में 425 करोड़ रु० की चाय का निर्यात हुआ। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के कारण, पटसन उत्पादों का निर्यात 1973-74 में 227 करोड़ से बढ़कर 1974-75 में 297 करोड़ रु० हो गया। परन्तु अगले ही वर्षों में घटना शुरू हो गया और 1978-79 में 167 करोड़ रु० पर आ गया। पुनः तेल मूल्य बढ़ने पर निर्यात में उछाल आया और पटसन उत्पादों व कृत्रिम रेशे की वस्तुओं का 1979-80 में निर्यात 336 करोड़ रु० रहा। परन्तु इसके पश्चात् पुनः घटना शुरू हो गया। सूती कपड़ों का निर्यात जो कि 1973-74 में 232 करोड़ रु० था, अगले दो वर्ष घटता रहा परन्तु 1976-77 में इसमें पुनः उछाल आया और यह 267 करोड़ रु० हो गया अगले दो वर्ष फिर दोबारा यह निर्यात घटा परन्तु 1979-80 में इसमें फिर से सुधार के लक्षण सामने आने लगे और यह 287 करोड़ रु० रहा। 1980-81 में यह 332 करोड़ रु० तक जा पहुंचा। चावल एक नई निर्यात वस्तु के रूप में सामने आया। 1978-79 में इसका निर्यात केवल 39 करोड़ था जो कि 1979-80 में 123 करोड़ रु० व 1980-81 में 224 करोड़ रु० तक जा पहुंचा।

सारणी 20.2 प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

(करोड़ रुपयों में)

		1978-79	1979-80	(अनन्तिम) 1980-81
1	2	3	4	5
1.	पटसन की वस्तुएं	166.9	336.1	330.0
2.	चाय	340.5	367.8	425.5
3.	सूती वस्त्र	224.3	287.4	331.8
	(क) कारखानों में निर्मित	163.2	216.3	276.5
	(ख) हथकरघों में निर्मित	61.1	71.1	188.4

1	2	3	4	5
4 नारियल का रेशा और उससे बनी वस्तुएं		26.9	36.6	17.3
5 लौह अयस्क		232.9	285.2	303.3
6 खली		109.9	127.5	125.1
7. चमड़ा और चमड़े के उत्पादन (जूतों के अलावा)		327.7	485.6	337.1
8 काजू की गिरी		80.2	118.1	140.1
9 तम्बाकू		116.3	113.6	140.7
10 इंजीनियरी सामान		700.7	739.1	900.0
11. काफी		144.0	163.3	214.2
12 अभ्रक		18.9	20.6	17.7
13 चीनी		131.0	128.9	36.0
14. काली मिर्च		28.9	33.3	38.7
15. मैंगनीज अयस्क		15.4	13.2	12.7
16. कपास		16.0	75.1	164.9
17. खनिज ईंधन, स्नेहक आदि		19.8	21.2	27.9
18. लोहा और इस्पात (लौह मैंगनीज और लौह धातुओं को छोड़कर)		118.0	32.7	11.7
19 रसायन तथा समवर्गीय उत्पाद		148.1	197.8	224.8
20 मछली और मछली से बने खाद्य पदार्थ		226.3	253.4	217.0
21. कृत्रिम रेशमी वस्त्र		38.9	31.6	31.4
22. जूते		26.3	33.9	40.1
23. वनस्पति तेल (आवश्यक तथा अनावश्यक)		18.9	49.5	22.0
24. सिले-सिलाए सूती वस्त्र		345.5	343.7	376.2
25. हस्तशिल्प		956.7	832.5	935.4
26. मोती काफी महंगे और कम महंगे पत्थर		713.7	519.0	[illegible]01.9
27. चादी		103.5	2.2	—
योग (अन्य वस्तुओं सहित)		5,726.3	6,418.3	6,710.7

स्रोत : फारेन ट्रेड आफ इंडिया, डी०जी०सी०आई० एन्ड एस०, कलकत्ता के मासिक आंकड़े।

1. संशोधित आंकड़े जिनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी जा रही है :—

पटसन के उत्पाद पिछले कुछ वर्षों में विश्व बाजार में बाग्लादेश से माल की आवक तथा नकली रेशे के प्रतिस्थापन पदार्थों के कारण भारतीय पटसन निर्यात लड़खड़ाने लगा है। 1975-76 में इसका निर्यात 251 करोड़ रु० था जो 1976-77 में घटकर 201 करोड़ रु० रह गया तथा 1977-78 में इसमें कुछ सुधार हुआ और 244 करोड़ रु० तक जा पहुंचा। परन्तु परम्परागत खपत क्षेत्रों में मांग की मंदी के कारण 1978-79 में 167 करोड़ रु० तक गिर गया। 1979-80 में पुनः निर्यात में उछाल आया और 336 करोड़ रु० तक जा पहुंचा परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी के कारण निर्यात में पुनः गिरावट आई तथा 1980-81 में 330 करोड़ रु० तथा 1981-82 में 249 करोड़ रु० (अनंतिम) तक आ गया।

1971 में पटसन के मूल्यों में स्थिरता लाने, उन्हें लाभप्रद स्तर तक बनाए रखने तथा कच्चे पटसन को समर्थन मूल्य देने की प्रक्रिया की देखभाल के लिए एक पटसन निगम की स्थापना की गई। यह निगम कच्चे पटसन का आयात/निर्यात कार्य देखता है।

चाय गत वर्ष के 293 करोड़ रु० के निर्यात की तुलना में 1977-78 के चाय के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा यह 569 रु० करोड़ हो गया है। 1978-79 में यह निर्यात घट कर केवल 340 करोड़ रु० रह गया परन्तु 1980-81 में इसमें पुन उछाल आया और 425 करोड़ रु० के स्तर पर जा पहुंचा। परन्तु 1980-81 में 'प्रति इकाई वसूली दर' के कम रहने से निर्यात घटकर 371 करोड़ रु० (अनन्तिम) रह गया।

डिब्बाबन्द चाय के निर्यात को बढावा देने के लिए 1971 में एक चाय व्यापार निगम की स्थापना की गई थी।

सूती कपड़ा सूती कपड़े के निर्यात को अनेक औद्योगिक देशों द्वारा निर्धारित परिमाणात्मक सीमा के भीतर रहना होता है। इससे उन देशों में सूती कपड़ा निश्चित मात्रा तक ही निर्यात हो पाता है। 22 दिसम्बर, 1981 को हुए एक समझौते के अन्तर्गत मल्टी फाइबर समझौता 4 वर्ष से भी अधिक अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस समझौते के अन्तर्गत परिमाण-सीमा बढाने तथा अनेक अन्य बंधनों को ढीला करने की व्यवस्था है। इसमें भारत समेत अनेक विकासशील देश लाभान्वित होंगे। भारत यूरोपीय साझा बाजार, अमरीका तथा अन्य कोटा देशों के साथ आपसी समझौते करेगा।

1978-79 में सूती कपडो का निर्यात 224 करोड़ रुपये से बढ़कर 1979-80 में 287 करोड़ रु० हो गया किन्तु 1980-81 में यह घट कर 277 करोड़ रु०

हो गया। 1981-82 में इन वस्त्रों के निर्यात में और गिरावट आने लगी और यह 251 करोड़ रु० (अनंतिम) रहा। इसका प्रमुख कारण था मिल निर्मित तथा हस्तनिर्मित संयंत्रों द्वारा कम निर्यात।

विदेशी बाजारों में भारतीय मिले-सिलाए वस्त्र बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन वस्त्रों का निर्यात 1979-80 में 460 करोड़ रु० व 1980-81 में 481 करोड़ रु० से बढ़कर 1981-82 में 590 करोड़ रु० (अनंतिम) हो गया।

अनिर्मित तम्बाकू

अनिर्मित तम्बाकू का निर्यात 1978-79 में 111 करोड़ रु० के स्तर से गिरकर 1979-80 में 102 करोड़ रु० रहा और 1980-81 में बढ़कर 124 करोड़ रु० हो गया। 1981-82 में मूल्य व परिमाण दोनों हिसाब से तम्बाकू के निर्यात में वृद्धि का रुख दिखाई दिया। 1981-82 में अनिर्मित तम्बाकू का निर्यात स्तर 197 करोड़ रु० (अनंतिम) रहा। यहां यह भी स्मरण करना होगा कि तैयार तम्बाकू के रुख में भी प्रत्यक्ष वृद्धि हो रही है। गत 4 वर्षों में तैयार तम्बाकू का निर्यात लगभग पांच गुना बढ़ा व 1978-79 के 6 करोड़ के स्तर से 1981-82 में 31 करोड़ रु० तक जा पहुंचा।

काजू

1977-78 से काजू के निर्यात में तीखी कमी होती जा रही थी। इस वर्ष 150 करोड़ रु० का निर्यात किया गया था परन्तु 1978-79 में यह केवल 80 करोड रु० रह गया परन्तु इसके बाद इसमें वृद्धि क्रम स्पष्ट होने लगा और 1979-80 में यह 118 करोड़ रु०, 1980-81 में 140 करोड़ रु० तथा 1981-82 में 168 करोड़ रु० (अनंतिम) तक बढ़ गया।

इंजीनियरिंग सामान

निर्यातित इंजीनियरिंग सामान में न केवल विविधता और विशिष्टता आई है अपितु कुछ सामान विकसित देशों को भी भेजा गया है। भारत से निर्यात हेतु इंजीनियरिंग सामान में मुख्यतया पूंजीगत मशीनें रहती हैं। 1979-80 में इंजीनियरिंग सामान ने पर्याप्त वृद्धि कर ली थी। इस वर्ष निर्यात स्तर 739 करोड रु० रहा। 1980-81 में 900 करोड़ रु० तथा 1981-82 में 1,060 करोड़ रु० रहा।

खनिज लौह

विश्व इस्पात उद्योग में मंदी के कारण 1976-77 से 1978-79 के बीच भारत से खनिज लौह का निर्यात लगभग स्थिर रहा। 1978-79 में इस निर्यात दर में वृद्धि आनी शुरू हुई और 233 करोड़ रु० के स्तर को छू गया। 1979-80 में 285 करोड़ रु० तथा 1980-81 में 303 करोड़ रु० तक

जा पहुंचा। 1981-82 में यह निर्यात 375 करोड़ रु० के स्तर को पार कर लेगा।

मछली मछली तथा उससे बने उत्पादो का निर्यात 1979-80 में 253 करोड़ रु० से घटकर 1980-81 में 217 करोड़ रु० रह गया था। मछली के निर्यात ने फिर से 1981-82 में उछाल ली और 268 करोड़ रु० (अनंतिम) को छुआ। निर्यात में वृद्धि का मुख्य श्रेय अधिक निर्यात मूल्यों व महंगी वस्तुओं जैसे जमी श्रिम्प का निर्यात करना था।

काफी काफी के निर्यात में 1978-79 में कमी आई। इस वर्ष 144 करोड़ रु० का निर्यात हुआ जबकि 1977-78 में यह 194 करोड़ रु० था। 1979-80 में यह बढ़कर 163 करोड़ रु० तथा 1980-81 में 214 करोड़ रुपये हो गया। 1979-80 से 1980-81 मे निर्यात वृद्धि का मुख्य कारण काफी अधिक मात्रा में काफी का निर्यात था। परन्तु 1981-82 मे काफी के निर्यात में झटका लगा और इस वर्ष निर्यात 150 करोड़ रु० (अनन्तिम) रहा।

चमड़ा व चमड़े की बनी वस्तुएं 1980-81 में चमड़ा व इससे बनी वस्तुओ (जूतों सहित) के निर्यात में तीखी गिरावट आई जब यह गत वर्ष के 520 करोड़ रुपये के स्तर से घटकर 378 करोड़ रु० हो गया। विश्व बाजार में मन्दी के कारण यह सब हुआ परन्तु 1981-82 में यह निर्यात बढ़कर 415 करोड़ रु० (अनन्तिम) हो गया। सरकार की नीति है कि तैयार चमड़ा व चमड़े से निर्मित वस्तुएं ही निर्यात कर अधिक धन अर्जित किया जाए।

रसायन व सम्बद्ध वस्तुएं गत वर्षों में इन वस्तुओं के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1976-77 से 1980-81 के 5 वर्षों की अवधि में इसके निर्यात मे 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। यह 111 करोड़ रु० से बढ़कर 1980-81 मे 225 करोड़ रु० तक आ पहुचा है। अनुमान है कि 1981-82 मे निर्यात 345 करोड़ रु० को छू लेगा।

हस्तशिल्प 1978-79 में मोतियों, मूल्यवान व कुछ कम मूल्यवान पत्थरों का निर्यात 714 करोड़ रु०को छू गया था परन्तु विश्व के हीरा बाजार में मन्दी के कारण 1979-80 में यह घटकर 519 करोड़ रु० रहा। 1980-81 में इनका निर्यात बढ़कर 602 करोड़ रु० हो गया तथा 1981-82 में इसमें और वृद्धि हुई। 1980-81 में अकेले हीरों का निर्यात 591 करोड़ रु० रहा। 1981-82 में यह बढ़कर 728 करोड़ रु० हो गया है। अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं में ऊनी गलीचे, जवाहरात आभूषण, धातुओं के बर्तन इत्यादि का निर्यात भी बढ़ा है।

आयात

प्रमुख आयातित वस्तुओं की सूची तथा उनके मूल्य 1978-79 से 1980-81 वर्षों के लिए 20.3 तालिका में दिए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्रतर विकास के लिए पेट्रोलियम, तेल स्नेहक, उर्वरक, इस्पात व लोहा, अलौह धातुएं, अन्य औद्योगिक कच्चा माल, विशेष प्रकार की मशीनरी तथा पूंजीगत सामग्री, फालतू पुर्जे व उपकरण आदि का आयात अत्यन्त आवश्यक है। कृषि अंचल में उल्लेखनीय प्रगति के कारण खाद्यान्नों तथा कपास का आयात यदि पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ तो काफी कम अवश्य हो गया है।

(करोड़ रु०)

सारणी 30.3
प्रमुख वस्तुओं का आयात

	वस्तुएं	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5
				अस्थाई
	1. उपभोक्ता वस्तुएं . . .	86.9	105.8	100.4
	अन्न तथा अन्न से बनी वस्तुएं .	86.9	105.8	100.4
	2. कच्चा माल और उसका उत्पाद			
	(क) काजू (बिना तैयार) .	9.2	11.6	8.7
	(ख) नारियल . .	16.9	8.2	5.0
	(ग) कच्चा (अपरिपक्व) रबड़ (कृत्रिम एवं पुनः सहमादित सहित) . .	29.7	53.6	31.6
	(घ) रेशा से निर्मित .	267.0	156.1	164.2
	1. कच्चा ऊन .	31.9	31.9	50.8
	2. कपास . .	26.4	0.1	उपलब्ध नहीं
	3. कच्चा पटसन .	1.2	0.4	1.1
	(ङ) पेट्रोलियम तेल और स्नेहक	1,686.9	3,332.8	5,293.0
	(च) पशु और वनस्पति तेल तथा वसा	552.4	455.4	708.8
	खाद्य तेल	537.1	446.3	682.0
	(छ) उर्वरक और रासायनिक उत्पादन .	876.8	1,208.8	1,403.7
	1. उर्वरक और उर्वरक पदार्थ .	411.1	430.9	731.4

1	2	3	4	5
	2. रासायनिक तत्व और यौगिक	230.9	323.6	358.2
	3 रंगाई का समान .	23.3	25.5	20.8
	4. औषध और भेषज उत्पाद	79.2	73.9	84.[illegible]
	5. प्लास्टिक का सामान पुनर्निर्मित सेल्युलोस और कृत्रिम रेसिन	70.0	97.4	121.4
	(ज) लुगदी और अवशिष्ट कागज	41.7	30.4	18.[illegible]
	(झ) कागज गत्ते और उनसे बना सामान . .	104.7	158.8	186.5
	(ञ) अधातु खनिज उत्पाद .	560.3	442.3	555.2
	मोती बहुमूल्य तथा सामान्य हीरे जवाहरात गढ़े और अनगढ़े . . .	466.8	347.4	416.8
	(ट) लोहा और इस्पात	462.5	868.6	852.4
	(ठ) अलौह धातु . .	245.5	353.4	477.4
	3. पूंजीगत सामान . .	1,306.0	1,454.4	1,910.2
	(क) धातु उत्पादक . .	46.1	75.7	89.4
	(ख) गैर बिजली का सामान व उपकरण . .	823.7	874.8	1,155.0
	(ग) बिजली का सामान .	139.4	169.3	193.8
	(घ) यातायात यंत्र .	296.8	338.6	472.0
	कुल (अन्य वस्तुओं सहित)	6,810.6	9,021.7	12,523.9
	योग . . .	6,814.3[1]		

[1]संशोधित आंकड़े जिनका विवरण उपलब्ध नहीं है ।

स्रोत : फारेन ट्रेड ऑफ इंडिया, डी० जी० सी० आई एण्ड एस०, कलकत्ता के मासिक आंकड़े ।

तेल मूल्यों में प्रथम वृद्धि के बाद विश्वव्यापी मुद्रास्फीति हुई। 1973-74 और 1975-76 के दौरान आयात मूल्यों मे काफी वृद्धि हुई। यह प्रवृत्ति 1976-77 में बदली जब आयात बहुत कम हो गया और निर्यात आयात से थोड़ा सा बढ़ गया। परन्तु इसके पश्चात् हमारा आयात बिल तेजी से बढ़ता गया। इसका मूल कारण हमारी मुख्य आयात वस्तुओं, विशेषकर पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य काफी ऊंचे रहे। 1980–81 मे हमारे कुल आयात का मूल्य 12,524 करोड रुपये रहा जबकि 1979–80 में यह 9,022 करोड़ रु० तथा 1978–79 मे यह 6,814 करोड़ रु० था। इस प्रकार 1979–80 में आयात 32% और 1980–81 में 39% बढ़ा। 1981-

आयात

प्रमुख आयातित वस्तुओं की सूची तथा उनके मूल्य 1978-79 से 1980-81 वर्षों के लिए 20.3 तालिका में दिए गए हैं। भारतीय अर्थ व्यवस्था के तीव्रतर विकास के लिए पेट्रोलियम, तेल स्नेहक, उर्वरक, इस्पात व लोहा, अलौह धातुएं, अन्य औद्योगिक कच्चा माल, विशेष प्रकार की मशीनरी तथा पूंजीगत सामग्री, फालतू पुर्जे व उपकरण आदि का आयात अत्यन्त आवश्यक है। कृषि अंचल में उल्लेखनीय प्रगति के कारण खाद्यान्नों तथा खाद्य का आयात यदि पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ तो काफी कम अवश्य हो गया है।

सारणी 30.3
प्रमुख वस्तुओं का आयात

(करोड़ रु०)

	वस्तुएं	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5
				अस्थाई
1	उपभोक्ता वस्तुएं	86.9	105.8	100.4
	अन्न तथा अन्न से बनी वस्तुएं	*86.9*	*105.8*	*100.4*
2.	कच्चा माल और उसका उत्पाद			
	(क) काजू (बिना तैयार)	9.2	11.6	8.7
	(ख) नारियल	16.9	8.2	5.0
	(ग) कच्चा (अपरिपक्व) रबड़ (कृत्रिम एवं पुनः संस्तादित सहित)	29.7	53.6	31.6
	(घ) रेशा से निर्मित	267.0	158.1	164.2
	1. कच्चा ऊन	31.9	31.9	50.6
	2. कपास	26.4	0.1	उपलब्ध नहीं
	3 कच्चा पटसन	1.2	0.4	1.1
	(ङ) पेट्रोलियम तेल और स्नेहक	1,686.9	3,332.8	5,293.0
	(च) पशु और वनस्पति तेल तथा वसा	552.4	455.4	708.8
	खाद्य तेल	537.1	446.3	682.9
	(छ) उर्वरक और रासायनिक उत्पादन	876.8	1,208.8	1,403.7
	1. उर्वरक और उर्वरक पदार्थ	411.1	430.9	731.4

1	2	3	4	5
	2. रासायनिक तत्व और यौगिक	230.9	323.6	358.2
	3. रंगाई का समान .	23.3	25 5	20.6
	4 औषध और भेषज उत्पाद	79.2	73.9	84.6
	5 प्लास्टिक का सामान पुनर्निमित सेल्युलोस और कृत्रिम रेसिन	70.0	97.4	121.4
	(ज) लुगदी और अवशिष्ट कागज	41.7	30.4	18.3
	(झ) कागज गत्ते और उनसे बना सामान . .	104.7	158.8	186.5
	(ञ) अधातु खनिज उत्पाद .	560.3	442.3	555.[illegible]
	मोती बहुमूल्य तथा सामान्य हीरे जवाहरात गढ़े और अनगढ़े . . .	466.8	347.4	416.8
	(ट) लोहा और इस्पात	462.5	868.6	852.4
	(ठ) अलौह धातु . .	245.5	353.4	477.4
3.	पूंजीगत सामान . .	1,306.0	1,454.4	1,910.2
	(क) धातु उत्पादक . .	46.1	75.7	89.4
	(ख) गैर बिजली का सामान व उपकरण . .	823.7	874.8	1,155.0
	(ग) बिजली का सामान .	139.4	169.3	193.8
	(घ) यातायात यंत्र .	296.8	338.6	472.0
	कुल (अन्य वस्तुओं सहित)	6,810.6	9,021.7	12,523.0
	योग . . .	6,814.3[1]		

[1]संशोधित आंकड़े जिनका विवरण उपलब्ध नहीं है ।

स्रोत : फारेन ट्रेड ऑफ इंडिया, डी० जी० सी० आई एण्ड एस०, कलकत्ता के मासिक आंकड़े ।

तेल मूल्यों में प्रथम वृद्धि के बाद विश्वव्यापी मुद्रास्फीति हुई। 1973-74 और 1975-76 के दौरान आयात मूल्यों में काफी वृद्धि हुई। यह प्रवृत्ति 1976-77 में बदली जब आयात बहुत कम हो गया और निर्यात आयात से थोडा सा बढ गया। परन्तु इसके पश्चात् हमारा आयात बिल तेजी से बढ़ता गया। इसका मूल कारण हमारी मुख्य आयात वस्तुओं, विशेषकर पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य काफी ऊंचे रहे। 1980–81 में हमारे कुल आयात का मूल्य 12,524 करोड़ रुपये रहा जबकि 1979–80 में यह 9,022 करोड़ रु० तथा 1978–79 में यह 6,814 करोड़ रु० था। इस प्रकार 1979–80 में आयात 32% और 1980–81 में 39% बढ़ा। 1981-

आयात

प्रमुख आयातित वस्तुओं की सूची तथा उनके मूल्य 1978-79 से 1980-81 वर्षों के लिए 20.3 तालिका में दिए गए हैं। भारतीय अर्थ-व्यवस्था के तीव्रतर विकास के लिए पेट्रोलियम, तेल स्नेहक, उर्वरक, इस्पात व लोहा, अलोह धातुएं, अन्य औद्योगिक कच्चा माल, विशेष प्रकार की मशीनरी तथा पूंजीगत सामग्री, फालतू पुर्जे व उपकरण आदि का आयात अत्यन्त आवश्यक है। कृषि अंचल में उल्लेखनीय प्रगति के कारण खाद्यान्नों तथा कपास का आयात यदि पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ तो काफी कम अवश्य हो गया है।

(करोड़ रु०)

सारणी 30.3 प्रमुख वस्तुओं का आयात

	वस्तुएं	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5
				अस्थाई
1	उपभोक्ता वस्तुएं . .	86.9	105 8	100.4
	अन्न तथा अन्न से बनी वस्तुएं .	86.9	105.8	100.4
2	कच्चा माल और उसका उत्पाद			
	(क) काजू (बिना तैयार) .	9 2	11.6	8.7
	(ख) नारियल . .	16.9	8.2	5 0
	(ग) कच्चा (अपरिपक्व) रबड़ (कृत्रिम एवं पुन. सस्माधित सहित) . .	29 7	53.6	31.6
	(घ) रेशा से निर्मित .	267.0	156.1	164.2
	1. कच्चा ऊन .	31.9	31 [illegible]	50.8
	2 कपास .	26.4	0.1	उपलब्ध नहीं
	3 कच्चा पटसन .	1.2	0 4	1 1
	(ङ) पेट्रोलियम तेल और स्नेहक	1,686.9	3,332.8	5,293.0
	(च) पशु और वनस्पति तेल तथा वसा	552.4	455.4	708.8
	खाद्य तेल	537.1	446.3	682.9
	(छ) उर्वरक और रासायनिक उत्पादन	876.8	1,208.8	1,403.7
	1. उर्वरक और उर्वरक पदार्थ	411 1	430 9	731.4

1	2	3	4	5
	2. रासायनिक तत्व और यौगिक	230.9	323.6	358.2
	3. रंगाई का समान .	23.3	25.[illegible]	20.8
	4. औषध और भेषज उत्पाद	79.2	73.9	84.6
	5 प्लास्टिक का सामान पुनर्निमित सेल्युलोस और कृत्रिम रेसिन	70.0	97.4	121.4
	(ज) लुगदी और अवशिष्ट कागज	41.7	30.4	18.3
	(झ) कागज गत्ते और उनसे बना सामान . .	104.7	156.[illegible]	186.5
	(ञ) अधातु खनिज उत्पाद .	560.3	442.3	555.2
	मोती बहुमूल्य तथा सामान्य हीरे जवाहरात गढ़े और अन-गढ़े . . .	466.8	347.4	416.8
	(ट) लोहा और इस्पात	462.5	868.[illegible]	852.4
	(ठ) अलौह धातु . .	245.5	353.4	477.4
	3. पूंजीगत सामान . .	1,306.0	1,454.4	1,910.2
	(क) धातु उत्पादक . .	46.1	75.7	89.4
	(ख) गैर बिजली का सामान व उपकरण . .	823.7	874.8	1,155.0
	(ग) बिजली का सामान .	139.4	169.3	193.8
	(घ) यातायात यंत्र .	296.8	338.6	472.0
	कुल (अन्य वस्तुओं सहित)	6,810.6	9,021.7	12,523.9
	योग . . .	6,814.3[1]		

[1]संशोधित आंकड़े जिनका विवरण उपलब्ध नहीं है ।

स्रोत : फारेन ट्रेड ऑफ इंडिया, डी० जी० सी० आई एण्ड एस०, कलकत्ता के मासिक आंकड़े ।

तेल मूल्यों में प्रथम वृद्धि के बाद विश्वव्यापी मुद्रास्फीति हुई। 1973-74 और 1975-76 के दौरान आयात मूल्यों में काफी वृद्धि हुई। यह प्रवृत्ति 1976-77 में बदली जब आयात बहुत कम हो गया और निर्यात आयात से थोड़ा सा बढ़ गया। परन्तु इसके पश्चात् हमारा आयात बिल तेजी से बढता गया। इसका मूल कारण हमारी मुख्य आयात वस्तुओं, विशेषकर पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य काफी ऊचे रहे। 1980–81 में हमारे कुल आयात का मूल्य 12,524 करोड़ रुपये रहा जबकि 1979–80 में यह 9,022 करोड़ रु० तथा 1978–79 में यह 6,814 करोड़ रु० था। इस प्रकार 1979–80 में आयात 32% और 1980–81 में 39% बढ़ा। 1981-

सारणी 20.4

प्रमुख देशों से आयात (जल, थल तथा वायु मार्गों द्वारा)

(लाख रु० में)

देश	1950-51	1965-66	1970-71	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (अस्थायी)
आस्ट्रेलिया	3,345	2,418	3,658	4,381	11,848	10,167	24,933	7,248	9,197	15,913	17,006
बांग्ला देश	—	—	—	1,704	918	465	607	120	177	407	1,173
बेल्जियम	922	1,151	1,151	6,571	10,190	8,649	5,722	15,325	35,653	26,492	29,586
बर्मा	1,880	972	964	7	1	263	55	303	25	381	748
कनाडा	2,190	3,152	11,723	11,586	13,042	23,201	12,940	18,121	24,033	33,234	22,236
चेकोस्लोवाकिया	277	2,115	2,020	2,671	3,331	5,301	3,413	2,914	3,092	4,967	3,991
मिस्र	3,287	1,995	3,984	2,590	2,283	1,899	2,115	1,403	1,411	2,121	2,960
फ्रांस	1,107	1,805	2,134	7,029	8,116	19,653	14,030	15,846	22,614	20,030	28,030
जर्मनी (पश्चिम)	—	13,714	10,747	20,579	30,687	36,996	31,681	55,482	63,058	65,683	69,377
ईरान	3,700	3,408	9,164	26,758	47,266	45,988	50,797	54,349	35,246	62,749	1,33,890
इटली	1,626	1,986	2,886	4,940	7,838	8,483	5,606	8,695	12,133	17,954	24,248
जापान	1,011	7,933	8,343	25,953	45,347	36,118	29,735	42,744	56,503	62,016	74,878
कीनिया	1,852	456	969	1,743	983	873	694	425	482	687	1,242
[illegible]*	61	1,277	575	3,209	1,120	458	3,393	22,103	24,119	20,924	26,607
नीदरलैंड	726	1,977	1,909	5,656	4,759	6,382	6,543	8,215	15,850	14,955	21,450
सऊदी अरब	[illegible]	866	2,417	13,135	29,765	29,013	33,198	24,680	19,696	36,612	54,004
सिंगापुर	1,608	—	117	972	722	1,166	679	5,097	8,722	16,014	42,788
सूडान	749	574	2,094	2,193	503	364	2,087	5,267	1,735	137	153
स्वीडन	529	1,063	980	2,393	2,599	6,847	3,575	5,773	7,0[illegible]	7,669	8,496
स्विट्ज़रलैंड	761	1,451	1,157	1,695	3,652	5,541	904	6,754	7,423	10,284	12,063
ब्रिटेन	13,531	15,009	12,676	25,217	21,340	28,400	33,667	46,107	56,960	74,958	73,099
अमेरिका	11,016	53,483	45,295	49,843	72,909	1,28,522	1,05,301	75,587	76,191	1,00,879	1,51,861
सोवियत संघ	23	8,317	10,613	25,473	40,249	30,978	31,605	44,638	47,059	82,232	1,01,371
ईराक	—	—	309	6,124	25,135	24,777	28,017	33,112	58,320	92,183	75,252
कुवैत		—	562	7,113	6,370	6,264	7,729	6,873	10,358	16,317	33,762
संयुक्त अरब अमीरात			3	13	4	8,160	2,750	8,856	10,298	20,685	34,997
योग (अन्य देशों सहित)	65,02 1	1,40,853	1,63,420	2,95,537	4,51,878	5,26,520	5,07,379	6,02,529	6,81,480	9,02175	12,52,391

1965-66 के आंकड़ों के अन्तर्गत मलेशिया के आंकड़े सिंगापुर सहित शामिल हैं।

82 में आयात दर में प्रत्यक्ष कमी आई। पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों का आयात जो 1979–80 में 3,267 करोड़ रु० था, बढ़कर 1980-81 में 5,266 करोड़ रु० हुआ। इस तरह इसमें (61%) 2,000 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है। जबकि परिमाण मात्रा 1979-80 में 208 लाख टन से 1980-81 में 235 लाख टन ही हुई है अर्थात् कुल 13% वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम उत्पादों का तुलनात्मक हिस्सा 1979-80 के 36% से 1980-81 के 42% तक पहुंच गया।

अन्य मुख्य आयात वस्तुओं जिनका 1980–81 में मुख्यतया आयात बढ़ा है, वे हैं:—पूंजीगत वस्तुएं, उर्वरक, अयस्क लौह, खाद्य तेल, रसायन, बिना तराशे मूल्यवान व कुछ कम मूल्यवान पत्थर इत्यादि। आयात बिल को न्यूनतम रखने के लिए कच्चे तेल, उर्वरक, इस्पात, अयस्क लौह, सीमेंट, तिलहनों आदि का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

व्यापार की दिशा

1950-51, 1965-66, 1970-71 और 1973-74 और उसके पश्चात् जिन प्रमुख देशों से आयात किया गया, उनके नाम, तथा प्रत्येक से किए गए आयात का मूल्य सारणी 20.4 में दिखाया गया है।

पेट्रोलियम, तेल स्नेहक अन्य आवश्यक उत्पाद जैसे उर्वरक, खाद्य तेल, रसायन, धातु तथा उनके उत्पाद, मशीनरी और यातायात उपकरणों आदि के आयात में भारी वृद्धि के कारण भारत का व्यापार सन्तुलन बिगड़ा और आयात बढ़ने से घाटा बढ़ा। ऐसा विशेषकर पश्चिम यूरोपीय देशों, अमरीका तथा एशिया के सम्बन्ध में रहा। दूसरी ओर भारत का पूर्व यूरोपीय देशों व अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में निर्यात अधिक रहा।

आयात

सहायता तथा अनुदान से खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं मिलने के कारण कई वर्षों से संयुक्त राज्य अमरीका हमारा मुख्य आपूर्तिकर्ता देश रहा है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका अब भी हमारा मुख्य आपूर्तिकर्ता देश है। हालांकि हमारी आयातित वस्तुओं में मुख्यतया पूंजीगत वस्तुएं, उर्वरक तथा खाद्य तेलों का ही समावेश रहा है। 1979-80 में संयुक्त राज्य अमरीका के पश्चात् सोवियत संघ का नम्बर है। 1980-81 में संयुक्त राज्य अमरिका तो यथावत प्रथम बना रहा परन्तु द्वितीय स्थान पेट्रोलियम तथा तेल स्नेहक पदार्थों के आयात के कारण ईरान को मिला और सोवियत संघ तीसरे स्थान पर आ गया। इसके अतिरिक्त 1980–81 में जिन अन्य देशों से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, वे हैं:—ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, सऊदी अरब, जापान, कुवैत, तथा संयुक्त राज्य अमीरात।

निर्यात

निर्यात के क्षेत्र में सर्वोत्तम महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि पूर्व यूरोपीय देशों को हमारा निर्यात बढ़ा है। गत वर्ष की तुलना में 1980-81 में जहां संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात में कुछ वृद्धि हुई, अफ्रीका को निर्यात 23% बढ़ा। दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप और एशिया को निर्यात क्रमश: 16% तथा 4.7% घटा।

यद्यपि यूरोपीय साझा बाजार देश भारत के निर्यात का मुख्य क्षेत्र रहा है परन्तु

सारणी 20.5

प्रमुख देशों को निर्यात

(लाख रु० में)

देश	1950-51	1965-66	1970-71	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (अस्थाई)
अल्जीरिया	1,065	415	334	642	1,063	398	229	243	154	305	528
अर्जेन्टीना	2,971	1,749	3,446	5,078	6,141	4,821	6,604	8,256	8,852	10,128	9,162
बांगला देश	—	—	—	5,878	4,220	6,219	5,483	5,161	5,266	9,804	7,495
बर्मा	2,446	357	1,403	154	465	928	908	853	1,211	484	331
कनाडा	1,379	2,027	2,796	3,109	4,418	4,580	4,954	4,601	4,823	6,254	6,235
चेकोस्लोवाकिया	1,008	1,593	2,946	4,379	6,038	3,471	4,486	5,213	3,612	4,259	5,530
मिस्र	587	2,705	5,647	1,488	5,255	10,013	9,096	7,168	5,951	7,214	8,594
फ्रांस	910	1,103	1,798	4,970	8,622	8,622	17,839	14,614	17,615	19,562	14,694
पश्चिम जर्मनी	—	1,797	3,231	1,679	10,617	11,791	22,998	24,451	27,207	37,895	38,475
इंडोनेशिया	42	82	410	2,678	5,096	5,172	6,070	4,074	7,989	5,823	5,160
इटली	1,500	939	1,401	6,935	5,243	8,002	11,898	10,060	13,713	21,304	15,155
जापान	1,027	5,705	20,348	35,875	29,665	43,276	54,438	50,583	59,506	64,345	59,781
कीनिया	641	486	787	1,028	1,540	1,572	2,009	2,881	3,590	3,439	3,331
मलयेशिया*	550	1,259	1,173	2,463	2,926	3,285	3,045	3,363	4,524	5,289	5,126
नीदरलैंड	1,016	791	1,398	7,334	7,175	8,223	19,456	13,713	17,934	22,030	15,204
न्यूजीलैंड	367	657	597	1,355	2,074	1,290	1,366	1,410	1,278	2,330	1,857
नाइजीरिया	462	400	862	1,149	2,161	3,755	2,556	2,960	2,726	2,970	5,338
सिंगापुर	3,068	—	1,763	4,354	3,679	5,305	5,912	6,926	8,010	7,841	10,868
श्रीलंका	1,968	1,279	3,182	934	2,685	2,311	3,941	5,459	8,827	12,847	8,065
सूडान	418	817	3,827	1,859	6,646	3,652	5,248	3,553	4,452	1,321	3,863
ब्रिटेन	13,982	14,478	17,044	26,314	31,226	42,132	52,144	52,527	52,800	50,595	39,484
अमरीका	11,588	14,698	20,734	34,592	37,493	51,998	56,906	67,702	77,162	80,674	74,333
सोवियत संघ	138	9,289	20,985	28,602	42,135	41,669	45,381	65,638	41,136	63,817	1,22,629
जोड़ (अन्य देशों सहित)	60,064	80,564	1,53,516	2,52,340	3,32,883	4,04,281	5,14,225	5,40,426	5,72,607	6,45,877	6,71,071

*1965-66 के आंकड़ों के अन्तर्गत मलयेशिया के आंकड़े सिंगापुर सहित शामिल है।

इसमें भी हमारा निर्यात 1979-80 में 1,735 करोड़ रु० से घटकर 1980-81 में 1,415 करोड़ रु० गया। इस प्रकार इन देशों के लिए भारत के निर्यात में 18.4% कमी आई। इसी तरह एशिया तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि देशों के मामले में ऐस्केप क्षेत्र को किए गए निर्यात में 4.8 प्रतिशत की कमी आई। यह निर्यात 1979-80 में 1659 करोड रु० से घटकर 1980-81 में 1,580 करोड़ रु० रह गया जबकि पश्चिम एशिया सहित शेष एशिया को निर्यात लगभग स्थिर अर्थात् 1980–81 में 687 करोड रु० रहा।

मुख्य मण्डियों के रूप में सोवियत संघ 1980-81 में सबसे बडी मण्डी के रूप में उभरा। इस वर्ष 1979-80 में 638.17 करोड रु० की तुलना में सोवियत संघ को निर्यात 1226.29 करोड रु० मूल्य का रहा। इस प्रकार उसके योगदान में 92% की वृद्धि हुई। इस अवधि में सोवियत संघ को भारत का निर्यात 1979-80 में कुल के 9.8% से बढ़कर 1980-81 में कुल का 18.2% हो गया। 1980-81 संयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन तथा जापान को निर्यात घटा है। यह महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों में पश्चिम जर्मनी को पिछले 6 वर्षों में किए गए निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

1950-51, 1965-66, 1970-71 और 1973-74 से आगे के वर्षों में भारत ने जिन-जिन प्रमुख देशों को जितने मूल्य का निर्यात किया उसकी जानकारी सारणी 20.5 में दी गई है। इन आकडों के अध्ययन से पता चलेगा कि भारत के निर्यात व्यापार में काफी विविधता आई है।

व्यापार नीति

गत वर्षों में निर्यात नीति को नया रूप देने के प्रयास किए गए हैं। इसका उद्देश्य निर्यात का स्वदेश में दुष्प्रभाव कम करने तथा उन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना है जिनसे हमें भविष्य में लम्बी अवधि तक लाभ की आशा है और इसके प्रसार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। वर्तमान नीति उत्पादकता वर्ष के अंगस्वरूप बनाई गई है और आशा है कि इससे निर्यात के क्षेत्र में गति आएगी।

आयात-निर्यात नीति का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को, विशेष रूप से लघु उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने के लिए सरल व स्थायी तरीके से कच्चे माल मिलते रहने की व्यवस्था करना है। वर्तमान नीति निर्यात में संलग्न, विशेषकर उत्पादन इकाईयों को निर्यात के मंच पर आलंबन प्रदान करेगी। उद्योगों को तकनीक का विकास करने के लिए काफी कार्य क्षेत्र दिया गया है ताकि वे अपने उद्योगों में कार्यकुशलता ला सकें व उत्पादन में वृद्धि कर सकें।

आयात-निर्यात की नई नीति में काफी लचीलापन लाया गया है। निर्माता-निर्यातक अपने माल के उत्पादन के लिए प्रतिबन्धित विशेष नियमों के अधीन, आयात की जाने वाली वस्तुओं के कुछ सीमित बन्धनों के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का आयात कर सकेंगे। यह सुविधा उन निर्माताओं को भी मिलेगी जिनका माल अन्य फर्मे निर्यात करती हैं। इस नीति के अन्तर्गत कच्चा माल व उपकरण आयात करने की अनुमति के लिए निर्माता-निर्यातक को अपने आर० ई० पी० लाइसेंस में उनके निर्यात के एफ० ओ० बी० मूल्य का 10% निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। उत्तम निर्यातकों को उनके लाइसेंसों पर पुनः सुविधा लेने की छूट होगी। यह सुविधा उन निर्यात इकाइयों को भी मिलेगी जिनका 25% उत्पादन चुनी हुई वस्तुओं का है।

निर्यात इकाईयों द्वारा तकनीकी जानकारी, रूप-रेखा व परामर्श सेवाओं के आयात के लिए आयात नीति में विदेशी मुद्रा देने की सुविधा में और ढील दी गई है। इसी तरह निर्यात कम्पनियां और इकाईयों को और भी कई सुविधाएं दी गई हैं।

निर्यात सवर्धन

निर्यात के विकास में गति लाने तथा उनमें विविधता लाने के प्रयासों मे तेजी लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए है। गत वर्षों में इस दिशा में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास रहे, वे हैं उद्योगों पर से लाइसेंस क्षमता सम्बन्धी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं; निर्यात हेतु उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के लिए सुमधुर वातावरण बनाया गया है, मुक्त व्यापार क्षेत्र सरीखी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयां स्थापित की जा रही हैं; निर्यात के लिए वाणिज्यिक सुविधाओं में ढील दी गई है, सीमा शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया को सरल व सुचारू बनाया गया है तथा कच्चे माल की आपूर्ति तथा निर्यात उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारित किया गया है।

निर्यातकों को निर्यात कर, शुल्क छूटों आदि के समन्वय के रूप में भी वित्तीय सहायता दी जा रही है। राज्य सरकारों तथा सरकारी उद्यमों को निर्यात प्रयासों में अधिकाधिक जुटाया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने निर्यातकों को ऋण देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अब वे 'माल भेजने से पूर्व' तथा 'माल भेजने के पश्चात्' दोनों प्रकार के ऋण घटी दरों पर ले सकते है। इस के अतिरिक्त कुछ इंजीनियरी व अन्य निर्यात सामान बनाने वाले उद्योगों को माल भेजने से पूर्व का ऋण 90 की बजाय 180 दिन पूर्व मिल सकता है। 200 करोड़ रुपये का अधिकृत पूंजी वाला एक "एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक" स्थापित किया गया है जो निर्यात की वित्तीय आवश्यकताओं का पोषण करेगा।

निर्यात प्रोत्साहन के उपायों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन में ऐसी विविधता लाना है जिससे आन्तरिक अर्थव्यवस्था को लाभ मिले। इस उद्देश्य के लिए अनेक कार्यदल व समितियां गठित की गई है जो निर्यातकों की समस्याओं की समीक्षा कर रही हैं। 1980 की उच्चाधिकार प्राप्त निर्यात नीति समिति ने अनेक उपयोगी सुझाव दिये है और उन्हें लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

संगठन

भारत सरकार ने निर्यात संवर्द्धन के लिए अनेक विशिष्ट संगठन स्थापित किए है। इनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

हाल ही में गठित कौंसिल फार कार्पेट्स सहित इस समय कुल 18 निर्यात प्रोत्साहन परिषदें हैं। ये कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत बिना लाभ के संगठन है। ये कौंसिलें सलाह मशविरा भी देती हैं व प्रबन्ध कार्य भी संभालती है। देश के निर्यात प्रयासों में गति लाने के लिए ये कौंसिलें उत्पादकों, निर्माताओं व निर्यातकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कराती हैं।

इण्डियन कौंसिल आफ आर्बिट्रेशन की स्थापना सोसायटी पंजीकरण

के अधीन की गई । इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कौंसिल एक विशेष पंच के फैसले करने वाला संगठन है ताकि व्यापारिक विवादों को शीघ्रतापूर्वक सुमधुर वातावरण में हल करके निर्यात व्यापार को सतत् प्रवहमान रखा जा सके। इसके पेनल पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पंच रहते हैं । यह संगठन विश्वभर में व्यापारिक शिकायतों को सुनता है, निर्यातकों को निर्यात समझौते प्रपत्र तैयार करने में सहायता करता है ताकि बाद में कोई विवाद न उभरे, उन्हें पंच नियमों की जानकारी देता है व झगड़ों को हल करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है।

व्यापार विकास प्राधिकरण जुलाई 1970 में गठित किया गया था। यह एक पंजीकृत संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संस्था मध्यम तथा छोटे उद्योगों में निर्यात क्षमता का विकास कर उन्हें निर्यात के लिए माल तैयार करने का प्रोत्साहन देती है। यह संस्था प्रत्येक निर्यातक को प्रारंभ से आखिर तक पैकेज सहायता प्रदान करती है, यानी सूचना इकट्ठी करना, उत्पादन का विकास करना, बाजार विपयक अन्वेषण तथा विश्लेषण करना, आदि। यह निर्यात, वित्त तथा निर्यात हेतु आर्डर प्राप्त करने के लिए भी परामर्श देती है।

समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण का गठन अगस्त 1972 में एर्नाकुलम में किया गया था। निर्यातोन्मुख समुद्री उत्पाद उद्योगों के विकास का जिम्मा इस संगठन पर है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन है। प्रशिक्षण, अनुसन्धान और बाजार सर्वेक्षणों द्वारा वरिष्ठ व मध्यम स्तर के विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा देश में व्यावसायिक प्रबन्धकों का एक वर्ग तैयार करना इसका उद्देश्य है।

भारतीय पैकेजिंग संस्थान बम्बई में 1966 में गठित किया गया। इसका मूल उद्देश्य पैकेजिंग उद्योग के लिए कच्चे माल में अनुसन्धान करना था। यह संस्थान पैकेजिंग प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है तथा उद्योग को परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। इसके दो क्षेत्रीय कार्यालय एक मद्रास में तथा एक कलकत्ता में है।

फैडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आरगेनायजेशन, नई दिल्ली केन्द्रीय संगठन के रूप में विभिन्न निर्यात संवर्धन संस्थाओं व संस्थानों जैसे निर्यात संवर्धन परिषदें, जिन्स बोर्ड व ऐसी ही अन्य संस्थाओं की गतिविधियों का समन्वय करती है। सरकारी मान्यता प्राप्त निर्यात संगठनों को समेकित सहायता प्रदान करने तथा निर्यात संवर्धन के लिए परामर्श सेवाएं सुलभ कराने में सहयोग करता है।

वाणिज्य विभाग के लिए एक सलाहकार संस्था है—केन्द्रीय व्यापार सलाहकार परिषद। इस संस्था में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि तथा वाणिज्यिक क्षेत्र में योग्यता व अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल रहते हैं। यह संस्था सरकार को निर्यात आयात नीति संचालन, आयात निर्यात व्यापार का नियंत्रण, वाणिज्य सेवाओं के विकास व संगठन तथा निर्यात संवर्धन के प्रसार व संगठन सम्बन्धी मामलों पर सलाह मशविरा देती है।

वाणिज्य विभाग के अधीनस्थ व अधीन विभाग निम्न हैं—नियंत्रक, आयात व निर्यात कार्यालय, सरकार की आयात निर्यात नीति के पालन के लिए

उत्तरदायी है। कलकत्ता अवस्थित वाणिज्यिक सतर्कता एवं सांख्यिकी निदेशालय, वाणिज्य सूचना तथा आंकड़ों के संकलन करने और वितरित करने की मूल संस्था है। इसके मुख्य प्रकाशन, इण्डियन ट्रेड जरनल व मंथली स्टेटिसटिक्स आफ फारन ट्रेड आफ इण्डिया हैं। विकास आयुक्त कांडला फ्री ट्रेड जोन का गठन 1965 में तीन उद्देश्यों—कच्छ का औद्योगिक विकास, कांडला बन्दरगाह का विकास तथा निर्यात संवर्धन को लेकर किया गया था। विकास आयुक्त, सान्ताक्रुज इलैक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1973 में बम्बई के निकट सान्ताक्रुज में इस उद्देश्य से स्थापित किया गया कि इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग सरीखे सूक्ष्म व नित बदलते उद्योग का विकास हो व निर्यात को बढ़ावा मिले। कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र की तरह यहां का सारा उत्पादन भी निर्यात किया जाता है। बम्बई में स्थित कस्टोडियन आफ एनिमी प्रापर्टी द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1939 में गठित हुआ। इसे दो तरह के कार्य निभाने होते हैं:—1. भारत में चल व अचल संपत्ति का प्रबन्ध, स्वामित्व व संचालन करना और 2. पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़ आए भारतीय नागरिकों के दावों का निपटारा करना। दिसम्बर 1981 तक इस कस्टोडियन के अधिकार में 2,000 से भी अधिक सम्पत्तियां थीं।

व्यापार समझौते

अनेक देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध सुदृढ़ करने के लिए भारत ने अनेक करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समय विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में 68 वाणिज्य कार्यालय कार्यरत हैं जो अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार व आर्थिक सम्बन्धों को बढाते हैं। 29 फरवरी, 1980 को 'भारतीय व्यापार केन्द्र' खोला गया जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लिए भारत के आर्थिक कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। यह केन्द्र निर्यात संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार तथा यूरोपीय देशों के आयोग के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है।

1980 के अन्त तक भारत के पश्चिम एशिया व उत्तरी अफ्रीका के केवल दो देशों के साथ ही व्यापार समझौते थे। तब से अब तक कीनिया, जिम्बाब्वे, घाना, मोजाम्बीक, लीबिया तथा युगांडा के साथ व्यापार करार किए गये हैं। ई० ई०सी० सहित अनेक देशों के साथ व्यापार व उद्योग, कृषि, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए संयुक्त अधिवेशन तथा प्रोटोकोल हस्ताक्षरित किए गए हैं। पांचों पूर्व यूरोपियन देशों—रूस, पौलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जनवादी जर्मन गणराज्य तथा रूमानिया, जिनके साथ आपसी व्यापार के समझौते हैं और भारत को भुगतान रुपयों में करना होता है, के साथ वार्षिक व्यापार योजना बना ली गई है।

विदेशों में संयुक्त उद्यम

भारत द्वारा देश की सीमाओं के बाहर संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने और उन्हें स्थापित करने की ओर हाल के वर्षों में ध्यान दिया गया है और ऐसा करना विकासशील देशों के मध्य अन्तरक्षेत्रीय सहयोग कार्य पद्धति के अनुरूप ही है। दिसम्बर 1981 के अन्त में 125 ऐसे संयुक्त उद्यम निर्माणाधीन थे तथा

अन्य 77 संयुक्त उद्यमों के प्रस्ताव उनके कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है ।

निर्यातोन्मुख इकाइयां

निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रमुख नवाचार के तौर पर देश के विभिन्न भागों में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना की गई है। ऐसी 130 इकाइयां स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा वे कई प्रकार के उद्योगों जैसे समुद्री मालढुलाई, घड़ियां, जवाहरात, इंजीनियरिंग माल, वैज्ञानिक, शैक्षिक तथा संगीत उपकरण, पटसन तथा पटसन के रेशे, सूती रेशें अयस्क लौह की पट्टियां/तारें, कागज के उत्पाद, मूंगफली मक्खन, इलैक्ट्रोनिक्स, कृषि उत्पाद आदि से संबन्धित हैं।

स्वीकृत कारखानों पर आगामी 5 वर्षों में लगभग 976.89 करोड़ रु० के स्थायी निवेश होने का अनुमान है और इसी अवधि में उत्पादन आरम्भ होने पर अनुमानित निर्यात मूल्य 2624.49 करोड़ रु० होने की आशा है ।

सार्वजनिक क्षेत्र एजेंसियां

देश के आयात तथा निर्यात व्यापार में सरकारी साझेदारी को बढावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र में कई एजेन्सियां स्थापित की गई हैं। उनमें से कुछ प्रमुख एजेन्सियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

राज्य व्यापार निगम

भारतीय राज्य व्यापार निगम का भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 1956 में पंजीकरण हुआ। इसका मुख्य कार्य भारत के निर्यात व्यापार के क्षेत्र को व्यापक बनाना और देश के लिए अत्यावश्यक सामान के आयात की व्यवस्था करना है। लघु उद्योगों का निर्यात के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए यह निगम उन्हें काफी सहयोग देता है। कई वर्षों से निगम का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। 1980-81 में निगम ने 1670 करोड़ रु० का व्यापार किया जो सर्वाधिक था । अनुमान है कि 1981-82 में इसका कुल व्यापार 1704 करोड़ रु० के लगभग होगा।

राज्य व्यापार निगम के सहयोगी निगम

राज्य व्यापार निगम समूह में इस समय तीन सहयोगी निगम शामिल हैं:— (1) भारतीय काजू निगम, (2) भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम, और (3) राज्य रासायनिक तथा भेषज निगम ।

भारतीय काजू निगम 1970 में स्थापित किया गया ताकि कच्चे काजू गिरी का व्यापार सुचारू रूप से हो। दिल्ली में पंजीकृत इस निगम का मुख्यालय कोच्चिन में है। यद्यपि निगम का मुख्य उद्देश्य कच्ची काजू गिरी का आयात करना है परन्तु इस निगम ने गत पांच वर्षों में इसके परम्परागत बाजार को यथावश्यक स्थायित्व प्रदान करने के लिए निर्यात के क्षेत्र में कई उद्यम किए हैं तथा गैर-परम्परागत तथा नए क्षेत्रों को भारतीय काजू का निर्यात भी कराया है। अप्रैल से दिसम्बर 1981 तक निगम ने 18.93 करोड़ रु० का व्यापार किया। भारतीय उत्पादों के निर्यात प्रचार की देख-रेख के लिए पेरिस व न्यूयार्क में निगम के दो कार्यालय हैं ।

भारतीय परियोजना और उपकरण निगम 1971 में कम्पनी एक्ट, 1956 के अधीन स्थापित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य इंजीनियरी उपकरणों तथा परियोजनाओं के निर्यात को बढ़ावा देना था। रेलवे चल स्टाक, भारी उपकरणों के निर्यात तथा 'टर्न की' परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इस निगम को विशेषज्ञता हासिल है। इस निगम ने 1981-82 में तेजी से प्रगति की है। अप्रैल-दिसम्बर 1981 में किए गए व्यापार में गत वर्ष के व्यापार की तुलना में 90% की वृद्धि हुई है। एक ओर तो निगम इंजीनियरिंग, पूंजीगत माल, संयंत्र मशीनरी तथा उपकरण के निर्यात पर कड़ी नजर रखे हुए है दूसरी ओर यह औद्योगिक परियोजनाओं के निर्यात को भी बढ़ावा दे रहा है। आजकल लीबिया, बांग्लादेश, तथा तन्जानिया और इण्डोनेशिया में परियोजना करार लागू किए जा रहे हैं। भारतीय राज्य रासायनिक तथा भेषज निगम रसायन, दवाइयों तथा भेषजों के लिए कच्चे माल के आयात का कार्य देखता है। इसके अतिरिक्त निगम देश में मूल्य स्थिरता तथा वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए गैर-परम्परागत वस्तुओं का आयात भी करता है। 1981 में निगम ने 100 करोड़ रु० का व्यापार किया। इसमें 89 करोड़ रु० की सामग्री का आयात किया तथा 11 करोड़ रु० की सामग्री का निर्यात किया। प्रस्ताव है कि इस निगम को पुनः इसकी मुख्य कम्पनी राज्य व्यापार निगम में मिला दिया जाए। यह पूर्व तिथि, अप्रैल 1982 से लागू किया जाएगा। भारतीय खनिज व धातु निगम विदेश व्यापार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता चला आ रहा है। 1980-81 में निगम का व्यापार 1881 करोड़ रु० रहा जो कि 1979-80 की इसी अवधि के व्यापार से 33.5% अधिक है। निर्यात में 20% से अधिक की वृद्धि हुई जो गत 5 वर्षों में सर्वाधिक है। आयात में भी लगभग 36% वृद्धि हुई है। अभ्रक व्यापार निगम 1 जून, 1974 में स्थापित किया गया। यह खनिज व धातु व्यापार निगम का अकेला सहयोगी निगम है जो छीजन तथा कचरा अभ्रक सहित तैयार अभ्रक के निर्यात कार्य की देखरेख करता है। 1980-81 में अभ्रक व्यापार निगम तथा गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा 29.9 करोड़ रुपये के तैयार अभ्रक का निर्यात किया गया। 1981-82 में 30.67 करोड़ रुपये के तैयार अभ्रक का निर्यात किया गया। तैयार अभ्रक से व्यापार के योग्य अभ्रक तथा अभ्रक की अन्य वस्तुओं का निर्माण शुरू करने के उद्देश्य से निगम ने अभ्रक मूल उद्योगों के विकास की योजना अपने हाथ में ली है।

निर्यात साख तथा गारन्टी निगम 1964 में देश के निर्यात संवर्धन योजनाओं को आलम्बन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह निगम निर्यातकों के द्वारा भेजे माल का बीमा कर उन्हें विदेशों से राजनैतिक तथा अन्य वाणिज्यिक कारणों से अदायगी न मिलने पर जोखिम का जिम्मा लेता है तथा वाणिज्यिक बैंकों को इस बात की गारण्टी देता है कि निर्यातक को निर्यात आर्डर के कार्यान्वयन के लिए दिए गए अग्रिम के न मिलने पर होने वाले हरजाने को यह निगम पूरा करेगा।

निगम ने 1979 में 4,412 के मुकाबले 4,715 पालिसियां जारी की हैं। सामान्य नीति के अन्तर्गत 1,017 करोड़ रु० का जोखिम मूल्य का भार उठाया गया जोकि 1979 के 782 करोड़ रु० से 30.1% अधिक है। निगम ने

एक नई बीमा योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत बैंक निर्यातक को मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि का जिम्मा लेता है । बीमे के क्षेत्र में अधिक उत्तरदायित्व लेने के लिए निगम ने लन्दन बीमा कम्पनी से पुन: बीमा समझौता किया है ।

चाय व्यापार निगम दिसम्बर 1971 में पंजीकृत हुआ ताकि भारतीय चाय विशेषकर पैकट बन्द चाय की थैलियों व इस्टेट चाय के लिए स्थायी बाजार ढूंढा जा सके । यह घरेलू उपभोग के लिए चाय का विपणन करता है तथा इसके अधीन चाय के 5 बागान तथा भण्डागार हैं । यह निगम अब उत्कृष्ट चाय का निर्यात करने लगा है । 1980-81 में इसका निर्यात 27.05 करोड़ रु० था जबकि 1979-80 में यह केवल 19.72 करोड़ रु० रहा । देश की नीतियों को मेलों तथा प्रदर्शनियों द्वारा निखार कर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण गठित किया गया । इसे वे सभी कार्य सौंपे गए जो कभी प्रदर्शनी तथा वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय, ट्रेड फेयर आरगेनाइजेशन तथा इण्डियन कौंसिल आफ ट्रेड फेयर एक्सीबिशन करती थी । प्राधिकरण ने मार्च 1977 में कार्य करना शुरू किया और कई महत्वपूर्ण व्यापार मेलों का आयोजन किया । हाल ही में नवम्बर 1981 में भारत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया जिसमें 39 देशों तथा 24 विदेशी कम्पनियों सहित 17 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, 29 राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय शासित प्रदेशों, 40 सार्वजनिक संस्थाओं, 76 गैर-सरकारी उद्यमों ने भाग लिया । इस मेले में लगभग 500 करोड़ रु० का निर्यात व्यापार हुआ ।

आंतरिक व्यापार

देश के विस्तृत क्षेत्रफल, भिन्न-भिन्न स्थानों की भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु तथा विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक साधनों के कारण भारत का आंतरिक व्यापार इसके बाह्य व्यापार से कई गुना अधिक है । भारत के आंतरिक व्यापार को पांच मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है : (1) रेलमार्ग द्वारा किया जाने वाला व्यापार, (2) नदी मार्ग द्वारा किया जाने वाला व्यापार, (3) तटीय व्यापार, (4) अन्य वाहनों द्वारा किया जाने वाला व्यापार और (5) वायु-मार्ग द्वारा किया जाने वाला व्यापार । आंतरिक व्यापार सम्बन्धी पूरी और सही-सही जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि विशेषत: मद (4) और (5) द्वारा किए जाने वाले व्यापार के अधिकृत आंकडे उपलब्ध नहीं हैं ।

रेल और नदियों द्वारा व्यापार

रेल और नदियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार के आंकड़े रेलवे और स्टीमर कम्पनियों के बीजकों पर आधारित हैं । मार्च 1965 तक ये आकड़े 'आयात' आधार पर रिकार्ड किए जाते थे । परन्तु मार्च 1965 के बाद से ये आंकड़े 'निर्यात' आधार पर रिकार्ड किए जाते

है। इन आंकड़ों के प्रयोजन के लिए भारत को कई व्यापार खंडों में विभक्त किया गया है। मोटे तौर पर भारत के प्रत्येक राज्य का एक अलग व्यापार खंड है। प्रमुख बंदरगाहों वाले नगरों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, कोच्चिन और मद्रास को अलग-अलग व्यापार खंडों में रखा गया है। इसी प्रकार कम महत्वपूर्ण बंदरगाहों को 'अन्य बंदरगाहों' के अंतर्गत रखा गया है और इन्हें भी अलग व्यापार खंड माना गया है।

सारणी 20.6
रेल और नदियों द्वारा व्यापार

(हजार मिट्रिक टनों में)

वस्तुएं	1960-61	1965-66	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
कोयला और कोक	3,14,796	3,31,919	3,38,574	3,90,533	4,05,367	4,21,525
कपास	3,982	3,143	3,541	3,340	3,344	1,970
सूती सामान	2,643	2,563	786	715	350	532
चावल (धान नहीं)	22,283	16,898	20,707	25,937	33,501	47,245
गेहू	30,642	45,959	50,774	68,983	65,808	60,969
पटसन	4,015	4,615	3,675	4,534	3,734	3,418
लोहे और इस्पात का सामान	37,025	73,432	85,328	90,760	89,820	79,845
तिलहन	9,509	7,796	7,429	8,639	8,550	5,885
नमक	13,539	20,860	27,151	28,572	27,359	26,588
चीनी (खाडसारी को छोड़कर)	9,106	10,492	12,999	16,939	14,051	10,805

1. अस्थायी

*मार्च 1962 तक भारत को 29 व्यापार खंडों में विभाजित किया गया था। अप्रैल 1962 में बम्बई राज्य का विभाजन होने के बाद खंडों की संख्या 31 और अप्रैल 1964 में नागालैंड राज्य के निर्माण के बाद 32 हो गई। अप्रैल 1967 में हरियाणा राज्य के निर्माण और चण्डीगढ़ को केन्द्र-शासित क्षेत्र बनाने के बाद व्यापार खंडों की संख्या बढ़ कर 34 हो गई। अप्रैल 1975 में कांडला बन्दरगाह को एक नए खंड के रूप में शामिल किया गया। अप्रैल 1977 से अब तक व्यापार खंडों की संख्या 38 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय नये खण्ड हैं।

नोट : सारणी 20.■ के आंकड़े केवल मात्रा से सम्बन्धित हैं क्योंकि रेलवे और स्टीमर कम्पनियों के बीजकों में मूल्य अंकित नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त एक स्टीमर कम्पनी ने तीन व्यापार खंडों के बीच अप्रैल 1960 से अगस्त 1965 तक काम किया। कम्पनी ने सितम्बर 1965 में अपनी नदी सेवा बन्द कर दी। 1972-73 के आंतरिक व्यापार आंकड़ों में वह व्यापार सेवा भी शामिल है जो आंतरिक जल परिवहन निगम द्वारा की गई। इसके अलावा इन आंकड़ों में गैर-व्यापारी सामान का आवागमन भी शामिल है, क्योंकि उसे अलग करना कठिन था।

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश .	2,328	1,380	3,700
चण्डीगढ़ . . .	14	—	14
दादरा और नागर हवेली . .	182	34	216
दिल्ली . . .	300	—	300
गोवा, दमन और दियु . .	2,321	—	2,321
लक्षद्वीप . .	—	—	—
मिजोरम . . .	8	876	884
पांडिचेरी . . .	459	10	469
कुल . .	4,20,165	1,20,555	5,40,720

सड़क अनुसंधान

सड़क इंजीनियरी सम्बन्धी अनुसंधान के लिए केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली 1952 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। 1 अप्रैल, 1978 से लेकर 31 जनवरी, 1981 तक यह जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में था। 1 फरवरी, 1981 से फिर इसका तबादला वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद को कर दिया गया है। सड़कों की विभिन्न समस्याओं पर अनुसंधान करने के लिए संस्थान को अनुदान दिया जाता है। भारतीय सड़क कांग्रेस के निर्देशन में, 1973 में राजपथ सड़क अनुसंधान बोर्ड की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर सड़क अनुसंधान के प्रोत्साहन और समन्वय के लिए की गई। केन्द्रीय जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय की सड़क शाखा सड़कों और पुलों के विभिन्न पक्षों के लिए मानक, विशिष्ट विवरण और क़िस्म प्रारूप तैयार करती है और सड़क और पुलों के निर्माण में नई तकनीकों के प्रयोगों को प्रोत्साहित करती है। सड़क अनुसंधान की त्वरित राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं पर भी इसने एक कार्यक्रम चलाया है।

सड़क परिवहन मोटर गाड़ियां

31 मार्च, 1980 को सड़क पर मोटर गाड़ियों की संख्या 41.06 लाख थी। इसमें 18.88 लाख दो पहियों वाले वाहन जैसे मोटर साइकिल और स्कूटर, 8.84 लाख कारें और जीपें, 2.54 लाख बसें (तीन पहियों वाले सवारी वाहनों सहित), 0.92 लाख टैक्सियां, 4.67 लाख ट्रक (तीन पहियों वाले माल ढोने वाले टैम्पू सहित), 3.60 लाख ट्रैक्टर, 1.29 लाख ट्रेलर और 32 हजार ऐसे वाहन जिनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, शामिल थे। मोटर वाहनों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा सारणी 21.6 में दिया गया है।

सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण

अधिकतर राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्रों ने पूर्णतः अथवा अंशतः यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। 31 मार्च, 1979 को सारे देश में अनुमानतः 55.5 प्रतिशत बसें सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही थी। सड़क परिवहन निगम अधिनियम,

1950 के अन्तर्गत अनेक राज्यों में सांविधिक निगम स्थापित किए जा चुके हैं। अन्यों में राष्ट्रीयकृत सेवाओं का परिचालन विभागों या नगर-निगमों या पंजीकृत कम्पनियों द्वारा होता है। अधिकांश बड़े नगरों में नगर बस सेवाएं राज्यों के अधीन हैं। माल परिवहन लगभग पूर्ण रूप से गैर सरकारी क्षेत्र में ही है।

राष्ट्रीय परमिट योजना

सड़क परिवहन गाड़ियों द्वारा माल लाने-ले जाने में आने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिए 1975 में एक राष्ट्रीय परमिट योजना लागू की गई, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य या संघीय क्षेत्र द्वारा जारी किए जाने वाले परमिटों की संख्या निश्चित कर दी। जारी किए जाने वाले परमिटों की संख्या शुरू में 5,300 निश्चित की गई थी, जो 1979 में 8,300 बढ़ा दी गई और अब इसमें 16,600 तक की वृद्धि कर दी गई है। अब तक लगभग 10,380 राष्ट्रीय परिवहन परमिट दिए जा चुके हैं।

क्षेत्रीय परमिट योजना

क्षेत्रीय परमिट योजना चालू करने के लिए विभिन्न राज्यों का एक मण्डल बनाने के लिए आपसी समझौता बातचीत से सम्पन्न हुआ। यह बातचीत एवं समझौता आई० एस० टी० सी० के तत्वावधान में सम्पन्न हुआ। इस समझौते में पुनर्विचार/संशोधन, जब भी आवश्यकता समझी जाएगी, किया जाएगा।

यात्री वाहन

पिछले दस वर्षों में सरकारी क्षेत्र में यात्री वाहनों का बेड़ा 1970 के 35,193 से बढ़कर 1980 में 65,428 हो गया तथा इनकी मांग विशेषकर महानगरों में निरन्तर बढ़ रही है। राज्य परिवहन निकाय, जिनमें लगभग 5.20 लाख कर्मचारी लगे हुए हैं, हर रोज लगभग 3.72 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाते-ले-जाते हैं।

परिवहन निकाय

केन्द्र और राज्यों की नीतियों और विभिन्न तरीकों के परिवहन संचालन में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक परिवहन विकास परिषद स्थापित की है। अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग, अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सड़क परिवहन सेवाओं के विकास, समन्वय और नियमन का जिम्मेदार है। आयोग के प्रयत्नों के फलस्वरूप अब लगभग सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों के अन्तर्राज्यीय मार्गों पर माल और यात्री सेवाओं के लिए पारस्परिक व्यवस्था है। उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर सीमित संख्या में सार्वजनिक माल वाहनों के बे रोक-टोक चलने के लिए क्षेत्रीय परमिट योजना लागू की है जिसके अंतर्गत एक ही स्थान पर टैक्स देना होता है।

राज्यों के सड़क परिवहन संस्थानों की एक एसोसिएशन, 46 राज्य संस्थानों के कार्यों में समन्वय करने, प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने, उच्च स्तर की सेवा सुलभ कराने और मितव्ययिता से परिचालन करने के लिए 1963 में स्थापित की गई थी।

राजस्व

1979-80 में विभिन्न मोटर वाहनों से 2,091.28 करोड़ रु० की आय हुई जबकि 1978-79 में 1,804.87 करोड़ रु० की आय हुई थी। इसमें केन्द्र का भाग 1,381.80

करोड़ रु० और राज्यों का 709.48 करोड़ रु० था। महाराष्ट्र को सड़क और सहायक करों से सबसे अधिक आय हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात आते हैं। केन्द्र के आय के साधन थे—मोटर वाहनों और सम्बद्ध सामान पर आयात शुल्क (56.51 करोड़ रु०), मोटरवाहनों और सम्बद्ध सामान पर उत्पाद शुल्क (181.10 करोड़ रु०), टायरों और ट्यूबों पर उत्पाद शुल्क (207.62 करोड़ रु०), टायरों और ट्यूबों पर आयात शुल्क (1.74 करोड़ रु०), मोटर ईंधन पर आयात शुल्क (69.97 करोड़ रु०), मोटर ईंधन पर उत्पाद शुल्क (864.86 करोड़ रु०)। राज्यों के आय के साधन थे—मोटर वाहन कर और शुल्क (337.94 करोड़ रु०), मोटर ईंधन पर विक्रय कर (138.56 करोड़ रु०), और यात्री तथा माल कर (232.88 करोड़ रु०)।

अन्तर्देशीय जल मार्ग

भारत में मशीनीकृत नौ-परिवहन योग्य जल मार्गों की लम्बाई लगभग 5,200 किलोमीटर है। किन्तु केवल 1,700 किलोमीटर का ही वास्तविक उपयोग हो पाता है। कुल नहरों की लम्बाई 4,300 किलोमीटर है, जिसमें केवल 485 किलोमीटर ही स्टीमर चलाने योग्य है। इसमें से भी केवल 331 किलोमीटर का ही वास्तविक उपयोग हो पाता है।

नौ-परिवहन योग्य महत्वपूर्ण नदियों में हैं—गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और ताप्ती तथा उनकी नहरें, केरल का पश्च जल और नहरें, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बकिंघम नहर और कम्बर्जुआ नहर। गोआ में मांडवी और जुवारी नदियों को कम्बर्जुआ नहर जोड़ती है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन राज्य सूची का विषय है। विकास कार्यक्रम अधिकतर राज्य सरकारें ही *केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के रूप में कार्यान्वित करती हैं।*

चौथी योजना में अन्तर्देशीय जल मार्गों के लिए 12 करोड़ रु० परिव्यय था जबकि व्यय 11 करोड़ रु० हुआ। अन्तर्देशीय जल मार्गों के विकास के लिए पांचवी योजना में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के लिए 24.92 करोड रु० का प्रावधान किया गया था।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980—85) में 45 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 1981-82 के लिए 11 करोड़ रु० और 1982-83 के लिए [redacted] करोड़ रु० थे।

अन्तर्देशीय जल परिवहन निकाय केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन बोर्ड, नई दिल्ली, देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए नीति निर्धारित करता है। जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय

सारणी 21.6 सड़क पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के वाहन

वर्ष 31 मार्च को	कुल वाहन	दोपहिए	तिपहिए वाहन बसें	माल	कारें
1	2	3	4	5	6
1977	29,68,197	12,35,137	83,395	17,449	6,30,925
1978	33,04,288	14,31,692	93,881	24,710	6,76,888
1979	36,96,368	16,78,142	1,10,339	28,594	7,22,511
1980	41.05,591	18,87,818	12,1 740	30,721	7,57,247
राज्य/संघ क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश (9)	2,32,098	1,21,929	8,209	6,31	26,846
असम (7)	66,615	10,717	654		21,635
बिहार (8)	1,41,493	57,213	2,461	(a)	24,383
गुजरात	34,85,35	1,98,773	23,710	5,588	41,668
हरियाणा (6)	62,019	24,096	1,074	541	5,295
हिमाचल प्रदेश (6)	18,503	5,568	—	—	2,053
जम्मू व कश्मीर (6)	22,662	9,211	64	296	3,212
कर्नाटक	3,67,773	1,95,467	18,767	1,135	59,493
केरल	1,74.704	51,002	7,435	993	54,577
मध्य प्रदेश (1)	11,10,16	49,987	3,128	(क)	17,615
महाराष्ट्र	7 49,525	3 14,571	24,802	16,412	1 91,270
मणिपुर (8)	8,062	2,134	132	—	807
नागालैण्ड	5,681	1,120	173	—	639
उड़ीसा	62,131	32,875	469.	242	6,333
पंजाब	3,14,604	1,34,132	3,054	1,995	22,305
राजस्थान	2,08,184	99,649	3,039	29	14,108
तमिलनाडु	2,74,439	1,21,410	6,925	1,174	59,821
त्रिपुरा	7,889	1,428	105	—	1992
उत्तर प्रदेश	3,96,764	2 03,192	2,821	1 115	40,422
पश्चिम बंगाल (5)	2,04,180	44,813	811	446	81,393
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2,172	1,044	—	—	105
अरुणाचल प्रदेश (2)	359	63	—	—	18
चण्डीगढ़ (4)	23,679	16,365	1,075	118	4,500

जीपें	टैक्सियां	बसें	ट्रक	ट्रैक्टर	ट्रेलर	अन्य
7	8	9	10	11	12	13
98,364	79,519	1,14,656	3,61,396	2,24,147	88,063	35,146
1,05,053	76,891	1,19,479	3,75,303	269,724	96,808	33,854
1,19,414	82,999	1,26,671	4,11,610	2,71,032	1,15,221	29,835
1,26,636	91,613	1,32,578	4,36,010	3,59,546	1,29,447	3,2,35
7,796	2,892	8,670	35,615	10,736	6,988	1,788
(ख)	1,405	3,508	13,387	4,629	4,485	6,195
9,893	3,234	6,728	21,184	9,109	5,801	1,487
6,608	1,909	8,646	25,874	20,558	14,788	413
1,782	155	2,268	9,922	15,955	848	83
2,169	101	1,961	4,951	1,020	—	680
1,909	1,136	1,946	4,075	754	45	14
10,838	2,672	11,944	30,309	16,624	16,328	4,196
7,023	17,780	9,559	20,128	4,225	260	1,723
3,490	—	4,484	17,461	8,022	1,750	5,079
25,370	30,701	16,621	85,506	21,651	29,549	2,039
1,838	2	808	1,964	164	174	39
1,788	96	380	1,371	54	60	—
5,639	264	1,782	11,452	1,441	979	[illegible]
4,456	1,298	5,176	14,742	1,42,542	24,309	[illegible]
14,059	168	7,494	17,335	39,024	12,216	[illegible]
2,459	9,346	12,225	[illegible]	10,197	[illegible]	[illegible]
498	340	[illegible]	2,426	51	[illegible]	[illegible]
9,703	3,492	[illegible]	[illegible]	62,20[illegible]	[illegible]	
7,797	10,231	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
219	[illegible]	[illegible]	459	[illegible]		
91	[illegible]	[illegible]	145	[illegible]		
15[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

1	2	3	4	5	■
दादरा मौर नागर हवेली (9) .	510	253	—	4	124
दिल्ली .	2,46,838	1,46,386	123,06	(क)	65,956
गोवा, दमन एव दीव	32 030	923	318	0	6233
लक्षद्वीप .	—	—	—	—	—
मिजोरम (3) .	2003	68	—	—	124
पांडिचेरी .	21,123	14,424	209	2	4,320

7	8	[illegible]	10	11	12	13
24	—	—	57	31	14	3
(ख)	3,296	4,687	12,297	—	—	—
(ख)	737	993	5 564	261	1	—
—	—	—	—	—	—	—
910	—	27	652	(ग)	(ग)	222
127	167	179	567	538	437	153

ट्रकों में शामिल : (क) तीन पहिए वाले यात्री वाहन शामिल, (ख) कारों में शामिल; (ग) अन्य में शामिल; (1) 31-3-74 को; (2) 31-12-74 को; (3) 30-6-75 को; (4) 31-12-75 को, (5) 31-3-76 को; (6) 31-3-77 को, (7) 31-12-77 को; (8) 31-3-78 को (9) 31-3-79 को ।

का अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय उन राज्यों को तकनीकी सलाह देता है जो अन्तर्देशीय जल मार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों ने योजनाएं बना कर क्रियान्वित करने के लिए अपने अन्तर्देशीय जल परिवहन संगठन स्थापित किए हैं।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम

1967 में कलकत्ता में स्थापित केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम बांग्ला-देश होते हुए कलकत्ता और असम के बीच माल यातायात सम्बन्धी तथा भारत और बांग्लादेश के बीच नदी सेवाएं चलाता है। यह कलकत्ता और फरक्का के बीच नदी सेवाएं और कलकत्ता तथा कछार के बीच नदी और सड़क सेवाएं चला रहा है। इसकी अन्य गतिविधियों में जहाज-निर्माण और जहाज मरम्मत, कलकत्ता में निकासी एजेंसी और भागीरथी नदी का तलकर्षण शामिल है।

जहाजरानी

विकासशील देशों में भारत का व्यापारिक जहाजी बेड़ा सबसे बड़ा है और जहाजी टन भार में विश्व में उसका स्थान पन्द्रहवां है।

31 मार्च, 1981 को भारत का चालू टन भार 58.89 लाख जी० आर० टी० (सकल टन) था जबकि स्वतन्त्रता के समय 1.92 लाख जी० आर० टी० ही था। केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान 32.40 लाख जी० आर० टी० अर्थात कुल जी० आर० टी० के 55.02 प्रतिशत के मालिक थे।

जहाजरानी निकाय

राष्ट्रीय जहाजरानी मण्डल, जिसका पुनर्गठन 25 जुलाई, 1977 को हुआ था, जहाजरानी सम्बन्धी मामलों पर सरकार को सलाह देता है। केन्द्रीय जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय में तकनीकी समीक्षा समिति सरकारी स्वामित्व/नियन्त्रण के नौभार के लिए जहाजी व्यवस्था का समुचित समन्वयन सुनिश्चित करने के लिए तथा भारतीय टनभार (जहाजों) के अधिकतम सदुपयोग के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सलाह देती है। अखिल भारतीय जहाजरानी परिषद जहाजरानी सम्मेलनों और कम्पनियों के साथ भाड़ा तय करने और जहाजरानी समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करती है। भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक एसोसिएशन, राष्ट्रीय जहाजरानी, जहाज निर्माण और सम्बद्ध उद्योगों को बढ़ावा देती है।

जहाजरानी कम्पनियां

इस समय देश में 63 जहाजरानी कम्पनियां हैं जिनमें से 17 पूर्णतया तटीय व्यापार में रत हैं, 40 वैदेशिक व्यापार में तथा शेष 6 तटीय और वैदेशिक दोनों प्रकार के व्यापार में रत हैं। केन्द्रीय सरकार की दोनों कम्पनियां—भारतीय जहाजरानी निगम और मुगल लाइन लि०—तटीय व्यापार भी करती हैं और वैदेशिक व्यापार भी।

भारतीय जहाजरानी निगम दुनिया की सबसे बड़ी जहाजरानी लाइनों में से है। इसके पास 30.24 लाख सकल टन भार के 148 जहाज हैं। इसके

जहाज सब महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर चलते हैं। भारतीय जहाजरानी निगम को 1980-81 में कारोबार से 501.68 करोड़ रु० की आय हुई। भारतीय जहाजरानी निगम का टनभार (जहाज) समस्त भारतीय टनभार (जहाजों) के आधे से भी अधिक है।

मुगल लाइन्स लि० मुख्यतः बम्बई से जेद्दा (सऊदी अरब) को हज तीर्थयात्री ले जाती और वापस लाती है। कोंकण तट पर भी इसके दो जहाज चलते हैं और लाल सागर एवं पश्चिमी एशिया खाड़ी के बन्दरगाहों तक भी इसकी सेवा उपलब्ध है। इसके बेड़े में 17 जहाज हैं, जिनका सकल टन भार 2.07 लाख टन है।

एक लाख या इससे अधिक सकल टन भार के स्वामित्व वाली गैर-सरकारी क्षेत्र की बड़ी जहाजरानी कम्पनियों में ये शामिल हैं—सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि० (5.61 लाख सकल टन भार), ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लि० (3.83 लाख सकल टन भार), इंडियन स्टीम शिप कम्पनी लि० (2.02 लाख सकल टन भार), दामोदर बल्क कैरियर्स लि० (1.61 लाख सकल टन भार), चौगुले स्टीम शिप लि० (1.61 लाख सकल टन भार), डेम्पो स्टीम शिप्स (1.60 लाख सकल टन भार), और साउथ इंडिया शिपिंग कारपोरेशन लि० (1.51 लाख सकल टन भार)।

लगभग समस्त तटीय व्यापार राष्ट्रीय जहाजों द्वारा किया जाता है। पाकिस्तान और चीन के साथ सामान्य सम्बन्धों की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद इन देशों के साथ व्यापार शुरू हो गया है और हमारे जहाज उनके बन्दरगाहों पर जाने लगे हैं। लाइनर्स सम्मेलनों के लिए संयुक्त राष्ट्र आचार संहिता पर भारत ने जून 1975 में हस्ताक्षर किए थे और उसके समर्थन का निश्चय किया।

शिक्षण संस्थाएं व्यापारिक नौवहन अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 6 प्रतिष्ठान हैं। प्रशिक्षण जहाज 'राजेन्द्र' बम्बई, नौपरिवहन कैडेटों के लिए समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण कोर्स चलाता है। लालबहादुर शास्त्री नाविक और इंजीनियरिंग कालेज, बम्बई नौपरिवहन और अभियांत्रिकी के समुद्रोत्तर प्रशिक्षण कोर्स चलाता है। बम्बई और कलकत्ता में नौवहन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण निदेशालय, नौपरिवहन कैडेटों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। कलकत्ता में 'भादरा', विशाखापत्तनम में 'मेखला', नवलेखी में 'नवलक्षी', डेक इंजीनियरिंग तथा भंडारियों के लिए समुद्रोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करता है।

भारतीय जहाजरानी रजिस्टर मार्च 1975 में भारत ने अपने जहाजों के सर्वेक्षण, वर्गीकरण और पंजीकरण के लिए अपना एक जहाजरानी रजिस्टर बनाया है। यह रजिस्टर प्रगति की ओर अग्रसर है। 1 जनवरी 1981 को इस रजिस्टर में दर्ज जहाजों की औसत संख्या 235 थी, जिनका कुल टन भार 25.7 लाख जी० आर० टी० था। इन जहाजों में 172 दुमंजले और 39 इकमंजिले जहाज थे। यह क्रेता के प्रमाणन के अनुसार भूमि आधारित संयंत्र एवं उपकरणों के निरीक्षण एवं प्रमाण के

क्षेत्र में औद्योगिक सेवाएं भी प्रदान करता है। इसे मालवाही जहाजों के सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र जारी करने का भी अधिकार है।

जहाज निर्माण

भारत के 4 बड़े जहाज निर्माण घाट हैं—कोचीन शिपयार्ड, कोचीन, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स, कलकत्ता और मझगांव गोदी, बम्बई। सभी शिपयार्ड सरकारी क्षेत्र में हैं।

इस समय जहाजों की मरम्मत के लिए 15 मुख्य सूखी गोदियां हैं—5 बम्बई में, 6 कलकत्ता में, 2 विशाखापत्तनम में और दो कोच्चिन में हैं। इसमें से अधिकांश शुष्क गोदियों में 10,000 अचल टन भार (डी० डब्ल्यू० टी०) से कम के ही जहाज आ सकते हैं; परन्तु बम्बई की एक गोदी में 20,000 अचल टन भार तक के और विशाखापत्तनम के हिन्दुस्तान जहाज निर्माण घाट की एक गोदी में 70,000 अचल टन भार और दूसरी विशाखापत्तनम गोदी में एक लाख अचल टन भार तक के विशाल जहाज भी आ सकते हैं। अप्रैल 1981 से जनवरी 1982 की अवधि में विदेशी तटों पर भारतीय जहाजों की मरम्मत में 46.10 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च हुई।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में 1947 से 80 जहाज बने हैं। इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 21,500 डी० डब्ल्यू० टी० के 3 जहाज प्रति वर्ष की है। एक सूखी गोदी के अलावा, जो 1971 से चालू है, पश्चिम बेसिन परियोजना जहाजों की मरम्मत के लिये आंशिक रूप से चालू कर दी गई है।

55 करोड़ रुपये का विकास नये आधुनिकरण कार्यक्रम (द्वितीय चरण विकास) 1981 में आरम्भ किया गया। 1984 के अन्त में इसके पूरा होने से इसकी उत्पादन क्षमता 21,500 अचल भार वाले 6/7 जहाज प्रति वर्ष होने की आशा है। 1980–81 की अवधि में उत्पादन पिछले साल के 31.33 करोड़ रुपये की अपेक्षा 24.35 करोड़ रुपये था।

कोच्चिन शिपयार्ड

जापान के सहयोग से निर्मित कोच्चिन के जहाज निर्माण घाट में 85,000 डी० डब्ल्यू० टी० के जहाज निर्माण के लिए एक गोदी और 1,00,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के जहाजों की मरम्मत के लिये एक और गोदी बनाने की व्यवस्था है। जहाज का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है और 75,000 डी० डब्ल्यू० टी० का पहला जहाज 1981 में भारतीय जहाजरानी निगम को दे दिया गया। इसका 1980-81 में उत्पादन 19.72 करोड़ रुपये का था जबकि 1980 के दौरान 10.27 करोड़ रुपये ही था।

बन्दरगाह

भारत में 10 बड़े और 160 से अधिक मध्यम और छोटे बन्दरगाह हैं जो 6,000 किलोमीटर लम्बे तट पर फैले हुए हैं। बड़े बन्दरगाहों के प्रबन्ध का सीधा सांविधानिक उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय का है। छोटे बन्दरगाह संविधान की समवर्ती सूची में हैं और उनका प्रबन्ध संबंधित राज्य की सरकारें करती हैं।

बड़े बन्दरगाह

भारत के पश्चिम तट पर बड़े बन्दरगाह बम्बई, कांडला, मर्मुगाओ, न्यू मंगलौर और कोच्चिन हैं तथा पूर्वी तट पर तूतीकोरिन, मद्रास, विशाखापत्तनम, पराद्वीप, कलकत्ता और हल्दिया हैं। बड़े बन्दरगाहों में बम्बई सबसे बड़ा है। यह एक प्राकृतिक बन्दरगाह है। भारत के सभी बन्दरगाहों के कुल यातायात का लगभग पांचवां भाग इस बन्दरगाह से होता है, जिसमें पैट्रोलियम पदार्थों तथा शुष्क लदान की अधिकता होती है। कांडला एक ज्वार-भाटा वाला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यहां से अधिकतर पैट्रोलियम तथा उर्वरक पदार्थों वाले जहाजों का आना-जाना होता है। अनाज, कपास, सीमेंट और खाने के तेल का भी अब यहीं से आवागमन हो रहा है। मर्मुगाओ बन्दरगाह का यातायात की दृष्टि से दूसरा स्थान है, जिसमें अधिकतर आयात के लिए खनिज लोहा होता है। न्यू मंगलौर बन्दरगाह पर कुद्रेमुख खनिज लोहे को निर्यात करने के लिए सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। इस बन्दरगाह से उर्वरकों, पैट्रोलियम उत्पादकों, ग्रेनाइट पत्थर तथा शुष्क लदान का भी यातायात होता है। कोच्चिन एक प्राकृतिक बन्दरगाह है। यहां से मुख्य पैट्रोलियम पदार्थों, उर्वरकों और सामान्य लदान का यातायात होता है। तूतीकोरिन बन्दरगाह से नमक, कोयला, तेल तथा शुष्क माल का यातायात होता है। पूर्वी तट पर मद्रास सबसे पुरानी बन्दरगाह है। बम्बई, कलकत्ता और हल्दिया के बाद यहां से सामान्य लदान का भारी मात्रा में यातायात होता है। इस बन्दरगाह के द्वारा मुख्यतः पैट्रोलियम पदार्थों, खनिज लोहा और शुष्क लदान का यातायात होता है। विशाखापत्तनम भूमि से घिरा एक सबसे अधिक गहरा और सुरक्षित बन्दरगाह है। यहां बाहरी बन्दरगाह बनाया गया है जहां से विशेष रूप से जापान को लोह खनिज निर्यात होता है। जिन वस्तुओं का इस बन्दरगाह से यातायात होता है वे हैं तेल, कोयला और शुष्क माल। पराद्वीप बन्दरगाह प्रमुखतया लौह खनिज और कुछ मात्रा में कोयला तथा सामान्य माल के लिए है। कलकत्ता एक नदी तट पर स्थित बन्दरगाह है जहां से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का आयात-निर्यात होता है। हल्दिया में एक नई मशीनीकृत गोदी प्रणाली है जिसमें कलकत्ता से नीचे की ओर गहरे ड्राफ्ट (खिंचाव) वाले जहाजों के लिए व्यवस्था है जो कलकत्ता बन्दरगाह पर पहले से उपलब्ध सुविधाओं की अनुपूरक है। हल्दिया गोदी पूरी तरह से साधन-सम्पन्न है। इस बन्दरगाह से मुख्यतः पैट्रोलियम पदार्थों तथा शुष्क माल का यातायात होता है।

बड़े बन्दरगाहों में 1974-75 से 1980-81 तक माल का यातायात इस प्रकार हुआ :—

(हजार टन)

	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1980-81
समुद्रपारीय	57,038	57,489	60,262	55,116	60,886	80,410[1]
तटीय	8,702	7,426	7,483	10,134	9,373	—

[1] तटीय व विदेशी माल के यातायात के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

क्षेत्र में औद्योगिक सेवाएं भी प्रदान करता है। इसे मालवाही जहाजों के सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र जारी करने का भी अधिकार है।

जहाज निर्माण

भारत के 4 बड़े जहाज निर्माण घाट हैं—कोचीन शिपयार्ड, कोचीन, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स, कलकत्ता और मझगांव गोदी, बम्बई। सभी शिपयार्ड सरकारी क्षेत्र में हैं।

इस समय जहाजों की मरम्मत के लिए 15 मुख्य सूखी गोदियां हैं—5 बम्बई में, 6 कलकत्ता में, 2 विशाखापत्तनम में और दो कोच्चिन में हैं। इसमें से अधिकांश शुष्क गोदियों में 10,000 अचल टन भार (डी० डब्ल्यू० टी०) से कम के ही जहाज आ सकते हैं; परन्तु बम्बई की एक गोदी में 20,000 अचल टन भार तक के और विशाखापत्तनम् के हिन्दुस्तान जहाज निर्माण घाट की एक गोदी में 70,000 अचल टन भार और दूसरी विशाखापत्तनम गोदी में एक लाख अचल टन भार तक के विशाल जहाज भी आ सकते हैं। अप्रैल 1981 से जनवरी 1982 की अवधि में विदेशी तटों पर भारतीय जहाजों की मरम्मत में 46.10 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च हुई।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में 1947 से 80 जहाज बने हैं। इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 21,500 डी० डब्ल्यू० टी० के 3 जहाज प्रति वर्ष की है। एक सूखी गोदी के अलावा, जो 1971 से चालू है, पश्चिम बेसिन परियोजना जहाजों की मरम्मत के लिये आंशिक रूप से चालू कर दी गई है।

55 करोड़ रुपये का विकास नये आधुनिकरण कार्यक्रम (द्वितीय चरण विकास) 1981 में आरम्भ किया गया। 1984 के अन्त मे इसके पूरा होने से इसकी उत्पादन क्षमता 21,500 अचल भार वाले 6/7 जहाज प्रति वर्ष होने की आशा है। 1980–81 की अवधि में उत्पादन पिछले साल के 31.33 करोड़ रुपये की अपेक्षा 24.35 करोड रुपये था।

कोच्चिन शिपयार्ड

जापान के सहयोग से निर्मित कोच्चिन के जहाज निर्माण घाट में 85,000 डी० डब्ल्यू० टी० के जहाज निर्माण के लिए एक गोदी और 1,00,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के जहाजो की मरम्मत के लिये एक और गोदी बनाने की व्यवस्था है। जहाज का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है और 75,000 डी० डब्ल्यू० टी० का पहला जहाज 1981 मे भारतीय जहाजरानी निगम को दे दिया गया। इसका 1980-81 में उत्पादन 19.72 करोड़ रुपये का था जबकि 1980 के दौरान 10.27 करोड रुपये ही था।

बन्दरगाह

भारत में 10 बड़े और 160 से अधिक मध्यम और छोटे बन्दरगाह हैं जो 6,000 किलोमीटर लम्बे तट पर फैले हुए हैं। बड़े बन्दरगाहो के प्रबन्ध का सीधा सांविधानिक उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय का है। छोटे बन्दरगाह संविधान की समवर्ती सूची मे हे और उनका प्रबन्ध संबंधित राज्य की सरकारें करती हैं।

बड़े बन्दरगाह

भारत के पश्चिम तट पर बड़े बन्दरगाह बम्बई, कांडला, मर्मुगाओ, न्यू मंगलौर और कोच्चिन हैं तथा पूर्वी तट पर तूतीकोरिन, मद्रास, विशाखापत्तनम, पराद्वीप, कलकत्ता और हल्दिया हैं। बड़े बन्दरगाहों में बम्बई सबसे बड़ा है। यह एक प्राकृतिक बन्दरगाह है। भारत के सभी बन्दरगाहों के कुल यातायात का लगभग पाचवां भाग इस बन्दरगाह से होता है, जिसमें पैट्रोलियम पदार्थों तथा शुष्क लदान की अधिकता होती है। कांडला एक ज्वार-भाटा वाला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यहां से अधिकतर पैट्रोलियम तथा उर्वरक पदार्थों वाले जहाजों का आना-जाना होता है। अनाज, कपास, सीमेंट और खाने के तेल का भी अब यहीं से आवागमन हो रहा है। मर्मुगाओ बन्दरगाह का यातायात की दृष्टि से दूसरा स्थान है, जिसमें अधिकतर आयात के लिए खनिज लोहा होता है। न्यू मंगलौर बन्दरगाह पर कुद्रेमुख खनिज लोहे को निर्यात करने के लिए सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। इस बन्दरगाह से उर्वरकों, पैट्रोलियम उत्पादकों, ग्रेनाइट पत्थर तथा शुष्क लदान का भी यातायात होता है। कोच्चिन एक प्राकृतिक बन्दरगाह है। यहां से मुख्य पैट्रोलियम पदार्थों, उर्वरकों और सामान्य लदान का यातायात होता है। तूतीकोरिन बन्दरगाह से नमक, कोयला, तेल तथा शुष्क माल का यातायात होता है। पूर्वी तट पर मद्रास सबसे पुरानी बन्दरगाह है। बम्बई, कलकत्ता और हल्दिया के बाद यहां से सामान्य लदान का भारी मात्रा में यातायात होता है। इस बन्दरगाह के द्वारा मुख्यतः पैट्रोलियम पदार्थों, खनिज लोहा और शुष्क लदान का यातायात होता है। विशाखापत्तनम भूमि से घिरा एक सबसे अधिक गहरा और सुरक्षित बन्दरगाह है। यहां बाहरी बन्दरगाह बनाया गया है जहां से विशेष रूप से जापान को लोह खनिज निर्यात होता है। जिन वस्तुओं का इस बन्दरगाह से यातायात होता है वे हैं तेल, कोयला और शुष्क माल। पराद्वीप बन्दरगाह प्रमुखतया लौह खनिज और कुछ मात्रा में कोयला तथा सामान्य माल के लिए है। कलकत्ता एक नदी तट पर स्थित बन्दरगाह है जहां से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का आयात-निर्यात होता है। हल्दिया में एक नई मशीनीकृत गोदी प्रणाली है जिसमें कलकत्ता से नीचे की ओर गहरे ड्राफ्ट (खिचाव) वाले जहाजों के लिए व्यवस्था है जो कलकत्ता बन्दरगाह पर पहले से उपलब्ध सुविधाओं की अनुपूरक है। हल्दिया गोदी पूरी तरह से साधन-सम्पन्न है। इस बन्दरगाह से मुख्यतः पैट्रोलियम पदार्थों तथा शुष्क माल का यातायात होता है।

बड़े बन्दरगाहों में 1974-75 से 1980-81 तक माल का यातायात इस प्रकार हुआ :—

(हजार टन)

	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1980-81
समुद्रपारीय	57,038	59,489	60,262	55,116	60,886	80,410[1]
तटीय	8,702	7,426	7,483	10,134	9,373	—

[1] तटीय व विदेशी माल के यातायात के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) में बड़ी बन्दरगाहों के विकास के लिए 531 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसमें से 177 करोड़ रुपये चालू योजनाओं के लिए तथा 354 करोड़ रुपये नई योजनाओं के लिए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त योजना आयोग ने रसायन व उर्वरक विभाग की योजना लागत में से 15.50 करोड़ रुपये जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय को पराद्वीपी बन्दरगाह पर उर्वरक बर्थ के निर्माण के लिए दिए हैं। इसके अतिरिक्त जहाज तट क्षेत्र की योजना लागत में से 4.70 करोड़ रु० बन्दरगाह क्षेत्र को एर्नाकुलम चैनल के तलकर्षण के खर्च के लिए दिए गए हैं जो कि पहले कोच्चिन शिपयार्ड के लिए आवंटित किए गए थे। यहां तक कि छठी योजना में बन्दरगाह क्षेत्र का लागत खर्च बढ़ गया है।

बन्दरगाहों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से छठी योजना की अवधि में बहुत-सी महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें सम्मिलित हैं मद्रास, कोच्चिन, विशाखापत्तनम, कांडला, मर्मुगाओ पराद्वीप, नया मंगलौर, और तूतीकोरिन बन्दरगाहों पर माल के लिए अतिरिक्त बर्थ का निर्माण काडला में पी० ओ० एल० सम्बन्धी सुविधाएं और बम्बई, मद्रास और कोच्चिन बन्दरगाहों पर कन्टेनर संचालन उपकरण तथा मद्रास में एक कन्टेनर स्टेशन की स्थापना। इन योजनाओं पर अनुमानतः 200 करोड़ रु० की लागत आएगी।

1980–81 और 1981–82 में देश में बन्दरगाहों के विकास के लिए जो धन दिया गया था और वास्तव में 1980–81 की अवधि तथा दिसम्बर 1981 तक जो धन व्यय किया गया था इस प्रकार था :—

(रु० करोड़ों में)

वर्ष	आवंटित धन	खर्च हुआ धन
1980-81	98.34	54.87
1981-82 . . .	100.93	40.00 (दिसम्बर 1982 तक)

छोटे और मंझोले बन्दरगाह

छोटे बन्दरगाहों के प्रबन्ध और उनके विकास में जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है; परन्तु उनके लिए कानून बनाने और समन्वय करने के लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऋण और तकनीकी सलाह देती है।

छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिए, अब विभिन्न जहाजरानी राज्य-योजनाओं के अन्तर्गत आबटन किया गया है, फिर भी अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बन्दरगाहों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की ही सीधी जिम्मेदारी है और 1980–85 की योजना में 20 करोड़ रुपये की राशि इसके लिए रखी गई है।

राष्ट्रीय बन्दरगाह मंडल

बन्दरगाहों, विशेषकर छोटे बन्दरगाहों के प्रबन्ध और विकास के बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए 1950 में राष्ट्रीय बन्दरगाह मण्डल स्थापित किया गया था। इसमें समुद्रवर्ती राज्यों, सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों, बन्दरगाहों और प्राधि-

करणों के प्रतिनिधि तथा संसद, जहाजरानी, व्यापार, उद्योग और बन्दरगाहों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं।

भारतीय तलकर्षण निगम

विशेषज्ञता के विकास के साथ ही, भारत सरकार ने बन्दरगाहों के अपने प्रबन्ध के अतिरिक्त बन्दरगाहों पर तलकर्षण के लिए पूंजी जुटाने और रख-रखाव के लिए तथा दूसरे देशों में बन्दरगाहों और बन्दरगाह-प्रबन्ध के विकास के लिए, केन्द्रीय तलकर्षण निगम की स्थापना की है। निगम के पास 8 तलकर्षण पोतों का एक बेड़ा है।

1980-81 की अवधि में भारतीय तलकर्षण ने निरन्तर आगे बढ़ते हुए सफलतापूर्वक अपने पचास वर्ष पूरे किए और 370 लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। निगम का लाभ 1979-80 में 20.92 करोड़ रुपये की अपेक्षा 1980-81 में 25.48 करोड़ रुपये का हुआ अर्थात् 21.8 प्रतिशत की वृद्धि। निगम में कलकत्ता, पराद्वीप बन्दरगाहों के तलकर्षण का रख रखाव, विशाखापत्तनम में नौसेना परियोजना के लिए तलकर्षण और विशाखापत्तनम तूतीकोरिन और कोच्चिन की बड़ी बन्दरगाहों का कार्य हाथ में लिया।

नौवहन के साधन

केन्द्रीय सरकार आम वर्ग के अन्तर्गत आने वाले नौचालन से सम्बन्धित सहायक साधनों की देख-रेख करती है और राज्यों, बन्दरगाह न्यासों और अन्य अभिकरणों के दायित्व में स्थानीय साधन आते हैं। किन्तु भारतीय लाइटहाउस अधिनियम, 1927 के अधीन केन्द्रीय सरकार लाइटहाउस और लाइटशिप विभाग द्वारा सब सहायक साधनों पर सामान्य नियन्त्रण रखती है। यह विभाग लांचों और वी०एच०एफ० बेतार यन्त्रों के अलावा भारतीय तट पर नौवहन से सम्बन्धित अनेक सहायक साधन रखता है। इसके अतिरिक्त, 142 प्रकाशघर, 20 लाइटवायज, 13 कोहरा संकेतक, 12 रेडियो मार्गदर्शक, 12 डक्का नौवहन श्रृंखला केन्द्र, 1 प्रकाश जहाज, 6 रेकन्स और 21 वी० एच० एफ० /आर-टी सैट भी हैं। पहले से चल रहे कार्यों तथा नई परियोजनाओं के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 12 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

नागरिक उड्डयन

31 दिसम्बर, 1981 को आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त 685 हवाई जहाज थे तथा उड़ान योग्यता के आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त 222 हवाई जहाज थे। 1980 में भारतीय हवाई जहाजों ने नियमित सेवाओं पर 8.39 करोड़ किलोमीटर की उड़ान की जिससे 65.15 लाख यात्रियों ने लाभ उठाया तथा 1,27,934 टन माल और डाक ढोई गई, जबकि 1979 में 8.22 करोड़ कि० मी० की उड़ान हुई थी जिससे 65.58 लाख यात्रियों ने लाभ उठाया तथा 1,14,357 टन माल और डाक ढोई गई।

नागरिक उड्डयन निदेशालय

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को छोड़ कर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, भारत में नागरिक हवाई अड्डों का परिचालन करता है। यह हवाई मार्ग निर्देशन सेवाओं के लिए जिम्मेदार है, जिनमें हवाई यातायात नियन्त्रण और हवाई जहाज परिचालन की सुरक्षा और नियमितता सम्बन्धी सेवाएं शामिल हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भारत)

अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, (भारत) देश के चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के परिचालन, प्रबन्ध आयोजना और विकास के लिए 1972 में स्थापित किया गया था। प्राधिकरण भारत में और बाहर के हवाई अड्डों की योजना और विकास कार्यों के संबंध में अपनी सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके पास बहुत-सी ऐसी विदेशी परियोजनाएं हैं।

हवाई अड्डे

देश में 4 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 85 अन्य हवाई अड्डे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं: बम्बई (सान्ताक्रुज), कलकत्ता (दमदम), दिल्ली (पालम) और मद्रास (मीनमबक्कम)। 31 दिसम्बर, 1981 को नागरिक उड्डयन विभाग की देख-रेख में ये हवाई अड्डे थे:

बड़े हवाई अड्डे : अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बारहपानी, भुवनेश्वर, भुज, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल (तुलिहाल), जयपुर, खजुराहो, लखनऊ, मंगलौर, नागपुर पानागढ़, पटना, रांची, त्रिवेन्द्रम, तिरुचिरापल्ली, उदयपुर और वाराणसी।

मझले हवाई अड्डे : बेलगांव, भोपाल, भावनगर, बकुलिया, डिब्रूगढ़ मोहनबारी, गया, इन्दौर, जबलपुर कान्डला, केशोद, उत्तरी लखीमपुर, पोर्ट ब्लेयर, रामपुर, राजकोट, सिलचर, तिरुपति, बड़ोदरा, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और मदुरई।

छोटे हवाई अड्डे : अकोला, बेलूरघाट, बिलासपुर, बहेला, कूच-बिहार, कुडप्पा, दिल्ली (सफदरजंग), हसन, हदनसर (ग्लाइडर अड्डा, पुणे) झरसुगुडा, जुहू (बम्बई), कानपुर, खंडवा, खोवाई, कैलाशहार, कमलपुर, कोटा, कुल्लू (भुन्तर), झांसी, जोगबनी, कोल्हापुर, दोनाकुन्डा, ललितपुर, मालदा, मुजफ्फरपुर, मैसूर, नादिरगल (ग्लाइडर अड्डा), पन्ना, पातमपुर (देसा), पोरबन्दर, पंतनगर, पासीघाट, राजामुंद्री, रक्सौल रूपसी, सतना, शैला, शोलापुर, तन्जौर वैल्लोर, वरंगल, रामानन्द और कोयम्बतूर।

इनके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, उपक्रमों, प्राइवेट व्यक्तियों तथा निकायों के नियंत्रण/स्वामित्व/अनुरक्षण में भी अनेक हवाई अड्डे चल रहे हैं।

हवाई सेवाएं

अनुसूचित हवाई सेवाएं सार्वजनिक क्षेत्र के दो निगमों—इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया—द्वारा परिचालित हैं। दोनों ही निगमों का गठन 1953 में किया गया था। इण्डियन एयरलाइन्स देश के भीतर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराता है जो अधिकांशतः प्रमुख औद्योगिक तथा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ती है। यह निगम पड़ोसी देशों—बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव तथा श्रीलंका को जाने वाली हवाई सेवाएं भी चलाता है। इसके बेड़े में अब 8 एयरबसें, 21 बोइंग-737, 8 फोक्कर फ्रेंडशिप, और 14 एच० एस०-748 हैं। एयर इण्डिया के बेड़े में 9 बोइंग-707 और 11 बोइंग-747 (जुम्बो जेट) विमान हैं। उत्तर पूर्वी भारत के दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था सुलभ कराने हेतु वायुदूत ने जनवरी 1981 में कार्य करना शुरू कर दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भारत)

अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरर
के परिचालन, प्रबन्ध आयोजना ग्रो
था। प्राधिकरण भारत में और वा
के संबंध मे अपनी सलाहकारी ‍ग
ऐसी विदेशी परियोजनाएं हैं।

हवाई अड्डे

देश में 4 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई ग्र
अड्डे हैं : बम्बई (सान्ताक्रुज),
(मीनमवक्कम)। 31 दिसम्बर
हवाई अड्डे थे :

बड़े हवाई अड्डे : अगरतला, ?
भुज, गुवाहाटी, हैदराबाद,
मंगलौर, नागपुर पानागढ़,
वाराणसी।

मझले हवाई अड्डे : बेलगा
इन्दौर, जबलपुर कान्डला,
सिलचर, तिरुपति, वडोदरा

छोटे हवाई अड्डे : अको
दिल्ली (सफदरजंग), हस
(बम्बई), कानपुर, खंडवा
झांसी, जोगबनी, कोल्हापु
नादिरगल (ग्लाइडर अड्ड
राजामुंद्री, रक्सौल रूपसी,
और कोयम्बतूर।

इनके अतिरिक्त
तथा निकायों के नियंत्रण/

हवाई सेवाएं

अनुसूचित हवाई सेवाएं
एयर इण्डिया—द्वारा
किया गया था। इण्डियन
अधिकांशतः प्रमुख औद्यो
देशों—बांग्लादेश, नेपा
जाने वाली हवाई सेव
बोइंग-737, 8 फोक्क
बेड़े में 9 बोइंग-707
भारत के दुर्गम क्षेत्रों
1981 में कार्य क

हवाई परिवहन करार भारत के हवाई परिवहन करार इन देशों के साथ हैं : अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बहरीन बांग्लादेश, बेल्जियम, बर्मा, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, मिस्र, इथिओपिया, पश्चिम जर्मनी, फिजी, फ्रांस, घाना, हंगरी, इंडोनेशिया, इराक, इटली, ईरान, जापान, केन्या, कुवैत, लेबनान, मलयेशिया, मारीशस, मालदीव गणतन्त्र, नेपाल, नीदरलैण्ड, नाइजीरिया, पोलैण्ड, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, कातार, सऊदी अरब, सेशैल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड, सीरिया, थाईलैण्ड, ब्रिटेन, अमरीका, सोवियत संघ, यमन जनवादी गणतंत्र जाम्बिया, तन्जानिया, यमन अरब गणतन्त्र (उत्तरी यमन), ओमन और संयुक्त अरब अमीरात।

उड्डयन क्लब यहां 20 उड्डयन क्लब हैदराबाद, गुवाहाटी, बम्बई, नई दिल्ली, बड़ोदरा, त्रिवेन्द्रम, लखनऊ, इन्दौर, नागपुर, मद्रास, जालन्धर छावनी, कोयम्बतूर, पटियाला, अमृतसर, वनस्थली विद्यापीठ, हिसार, जमशेदपुर (बिहार), करनाल, रायपुर, लुधियाना में हैं जिनका प्रबन्ध निजी रूप से होता है तथा पांच राज्य सरकारों के उड्डयन विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान पटना, बंगलौर, भुवनेश्वर, कलकत्ता और जयपुर में हैं।

ग्लाइडिंग क्लब 8 ग्लाइडिंग क्लब अहमदाबाद, नई दिल्ली, पिलानी (राजस्थान); रायपुर, नासिक, भारतीय तकनीकी संस्थान, कानपुर, आगरा छावनी, हैदराबाद में हैं। उड्डयन क्लबों के 7 ग्लाइडिंग विंग अमृतसर, जयपुर, पटना, जालन्धर छावनी, हिसार, पटियाला और लुधियाना में हैं।

प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद का नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, जिसमें हवाई अड्डा विद्यालय तथा संचार विद्यालय हैं, हवाई यातायात नियंत्रकों, रेडियो परिचालकों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण देता है। यहां पर विमान चालक प्रशिक्षणार्थियों को उड्डयन सम्बन्धी भूमि पर के कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

पर्यटन

1980 में 8,00,150 के मुकाबले 1981 में 8,53,148 विदेशी पर्यटक भारत आए। यह वृद्धि 6.6 प्रतिशत है। पर्यटन से 1981 में अनुमानतः 564 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आय हुई जबकि इससे पहले वर्ष में 482 करोड़ रु० की हुई थी।

भारत में पर्यटन के विकास की उतनी ही अधिक सम्भावना है, जितनी अधिक इसमें विविधता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश में पर्यटन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है और विदेशों में प्रोत्साहन कार्य किए जा रहे हैं। पर्यटन आकर्षणों में विविधता लाने के लिए, पर्यटन विभाग ने तटीय तथा पर्वतीय-स्थलों के विकास का काम हाथ में लिया है। पर्यटन विकास के लिए छठी योजना (1980-85) में 30 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

योजना में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है जिसके अनुसार कुछ यात्रा मार्ग की परिकल्पना की गई है। इन यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले विभिन्न पर्यटन केन्द्रों को विकसित किया जाएगा।

अधिक से अधिक पर्यटकों को भारत भ्रमण के लिए आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग विश्व के विभिन्न भागों में फैले हुए अपने 18 पर्यटन कार्यालयों के द्वारा अधिक से अधिक प्रचार कार्य करता है। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट स्थानों पर 6 पर्यटन विकास अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है।

हवाई परिवहन करार

भारत के हवाई परिवहन करार इन देशों के साथ हैं : अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बहरीन बांग्लादेश, बेल्जियम, बर्मा, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, मिस्र, इथिओपिया, पश्चिम जर्मनी, फिजी, फ्रांस, घाना, हंगरी, इंडोनेशिया, इराक, इटली, ईरान, जापान, केन्या, कुवैत, लेबनान, मलयेशिया, मारीशस, मालदीव गणतन्त्र, नेपाल, नीदरलैण्ड, नाइजीरिया, पोलैण्ड, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, कातार, सऊदी अरब, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड, सीरिया, थाईलैण्ड, ब्रिटेन, अमरीका, सोवियत संघ, यमन जनवादी गणतंत्र जाम्बिया, तन्जानिया, यमन अरब गणतन्त्र (उत्तरी यमन), ओमन और संयुक्त अरब अमीरात।

उड्डयन क्लब

यहां 20 उड्डयन क्लब हैदराबाद, गुवाहाटी, बम्बई, नई दिल्ली, बड़ोदरा, त्रिवेन्द्रम, लखनऊ, इन्दौर, नागपुर, मद्रास, जालन्धर छावनी, कोयम्बतूर, पटियाला, अमृतसर, वनस्थली विद्यापीठ, हिसार, जमशेदपुर (बिहार), करनाल, रायपुर, लुधियाना में हैं जिनका प्रबन्ध निजी रूप से होता है तथा पांच राज्य सरकारों के उड्डयन विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान पटना, बंगलौर, भुवनेश्वर, कलकत्ता और जयपुर में हैं।

ग्लाइडिंग क्लब

8 ग्लाइडिंग क्लब अहमदाबाद, नई दिल्ली, पिलानी (राजस्थान); रायपुर, नासिक, भारतीय तकनीकी संस्थान, कानपुर, आगरा छावनी, हैदराबाद में हैं। उड्डयन क्लबों के 7 ग्लाइडिंग विंग अमृतसर, जयपुर, पटना, जालन्धर छावनी, हिसार, पटियाला और लुधियाना में हैं।

प्रशिक्षण केन्द्र

इलाहाबाद का नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, जिसमें हवाई अड्डा विद्यालय तथा संचार विद्यालय हैं, हवाई यातायात नियंत्रकों, रेडियो परिचालकों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण देता है। यहां पर विमान चालक प्रशिक्षणार्थियों को उड्डयन सम्बन्धी भूमि पर के कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

पर्यटन

1980 में 8,00,150 के मुकाबले 1981 में 8,53,148 विदेशी पर्यटक भारत आए। यह वृद्धि 6.6 प्रतिशत है। पर्यटन से 1981 में अनुमानतः 564 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आय हुई जबकि इससे पहले वर्ष में 482 करोड़ रु० की हुई थी।

भारत में पर्यटन क विकास की उतनी ही अधिक सम्भावना है, जितनी अधिक इसमें विविधता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश में पर्यटन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है और विदेशों में प्रोत्साहन कार्य किए जा रहे हैं। पर्यटन आकर्षणों में विविधता लाने के लिए, पर्यटन विभाग ने तटीय तथा पर्वतीय-स्थलों के विकास का काम हाथ में लिया है। पर्यटन विकास के लिए छठी योजना (1980-85) में 30 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

योजना में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है जिसके अनुसार कुछ यात्रा मार्ग की परिकल्पना की गई है। इन यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले विभिन्न पर्यटन केन्द्रों को विकसित किया जाएगा।

अधिक से अधिक पर्यटकों को भारत भ्रमण के लिए आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग विश्व के विभिन्न भागो में फैले हुए अपने 18 पर्यटन कार्यालयो के द्वारा अधिक से अधिक प्रचार कार्य करता है। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट स्थानों पर 6 पर्यटन विकास अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है।

पर्यटन संस्थाएं

पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का पर्यटन विभाग विकास तथा प्रचार संबंधी दोनों ही प्रकार के कार्य करता है और भारत पर्यटन विकास निगम के निकट सहयोग से कार्य करता है। अनेक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने भी पर्यटन विभाग और कार्यालय स्थापित किए हैं।

पर्यटन विभाग के पास देश और विदेशों में क्षेत्रीय कार्यालयों की एक कड़ी है। बम्बई और दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय तथा कलकत्ता, मद्रास, आगरा, औरंगाबाद, कोच्चिन, जयपुर, खजुराहो, वाराणसी, गौहाटी, शिलांग, इटानगर और इम्फाल में उप-कार्यालय कार्य कर रहे हैं। ये कार्यालय राज्य सरकारों, यात्रा एजेंटों, होटल मालिकों और वाहन परिचालकों के निकट सहयोग से कार्य करते हैं। विदेशों में भारत के पर्यटक कार्यालय न्यूयार्क, लास एंजिल्स, शिकागो, टोरन्टो, लन्दन, जेनेवा, पेरिस, फ्रांकफुर्त, ब्रुसेल्स, स्टाकहोम, मिलान, वियना, कुवैत, बैंकाक, टोक्यो, पर्थ, सिंगापुर और सिडनी में हैं। इसके अतिरिक्त डल्लास, मियामी, सान फ्रांसिस्को, वाशिंगटन, ओसाका और मेलबोर्न में पर्यटन प्रोत्साहन केन्द्र हैं। विदेशों में विभिन्न पर्यटक कार्यालय सम्बद्ध क्षेत्रों से पर्यटक यातायात के विकास के लिए पर्यटन विभाग तथा एयर इण्डिया के निकट सहयोग से एक योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

इन कार्यालयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, पर्यटन विभाग अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, इतालवी, फारसी, अरबी, जापानी और थाई भाषाओं में पर्यटक प्रचार साहित्य प्रकाशित करता है। देश में पर्यटन को लोकप्रिय बनाने के लिए हिन्दी में भी साहित्य प्रकाशित किया जाता है। औसतन देश और विदेशों में वितरण के लिए पर्यटन साहित्य की 40 से 50 लाख प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं। इसी तरह पर्यटन कार्यालयों में पर्यटकों की रुचि के अनुसार चलचित्र एवं फोटो लायब्रेरियां भी हैं।

आवास और अन्य सुविधाएं

पर्यटन विभाग ने पक्षी-अभयारण्य, भरतपुर में तथा वन्य जीव-स्थलों, काजीरंगा, सासागिर और जालदापाड़ा में वन्य विश्राम गृहों का निर्माण किया है। भारत पर्यटन विकास निगम, भरतपुर, काजीरंगा और सासागिर के वन्य विश्राम गृहों का प्रबन्ध करता है तथा जालदापाड़ा के विश्रामगृह पर्यटन विकास निगम, पश्चिम बंगाल द्वारा चलाए जाते हैं।

वन्य विश्राम गृहों के निर्माण के अतिरिक्त विभाग ने वन्य जीवन को देखने के लिए सुविधाएं भी प्रदान की हैं, जैसे भरतपुर पक्षी-अभयारण्य में 4 नावें, काजीरंगा में 4 हाथी, कान्हा में 5 हाथी, पालमनगढ़ में 5 हाथी तथा देश में 20 वन्य जीव स्थलों में 25 मिनी-बसें वितरित की गई हैं।

इस समय 28 से अधिक पर्यटक केन्द्रों पर 120 मान्यताप्राप्त पर्यटक कार चालक और महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक मान्यताप्राप्त दुकानें हैं। इसके अतिरिक्त देश में सरकार द्वारा पंजीकृत 166 यात्रा एजेंसियां हैं और बड़ी संख्या में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त और मान्यताप्राप्त मार्गदर्शक भी हैं।

इस समय 22,300 कमरों के 363 स्वीकृत होटल हैं। विभाग ने 159 होटल परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की है जिनके पूरा होने पर 12,879 कमरे उपलब्ध हो सकेंगे।

पर्यटकों के लिए प्रोत्साहन

पर्यटक यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए, नियमानुसार पर्यटकों के लिए पुलिस पंजीकरण मुद्रा-विनिमय नियमन, सीमा शुल्क, शराब बन्दी तथा वीसा संबंधी नियम उदार बना दिए गए हैं। आगमन-पत्रों की वैधता अवधि बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। आगमन-पत्रों के आधार पर बहुत से देशों से पर्यटक अब भारत में बिना वीसा आ सकते हैं।

रेल विभाग घरेलू पर्यटकों को वापसी और वृत्त यात्राओं के लिए रियायती टिकट देता है। छात्रों को विशेष छूट दी जाती है। विदेशी पर्यटकों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए अमरीकी डालर तथा अन्य परिवर्तन योग्य मुद्राओं में भुगतान करने पर "इंडरेल पास" की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वृत्त यात्रा के लिए इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू सेवा, जिसमें मार्ग में कहीं भी रुका जा सकता है, "भारत की खोज" योजना, भारतीयों सहित उन सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, जो स्थायी रूप से भारत से बाहर रहते हैं। भारत में रहने वाले विदेशी भी परिवर्तन योग्य मुद्रा में भुगतान करके इस योजना से लाभ उठा सकते हैं।

भारतीय रेलवे और राज्य पर्यटन विकास निगम ने राजस्थान के पर्यटन आकर्षण को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त रूप से "पैलेस आन व्हील" रेलगाड़ी का आयोजन किया। रेलगाड़ी में सैलून के 96 वर्ष हैं और प्रथम श्रेणी के डिब्बों की 28 वर्ष हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम

1966 में स्थापित भारत पर्यटन विकास निगम ही देश में पर्यटन के विकास के लिए एकमात्र बहु-एकक प्रतिष्ठान है। यह होटलों, मोटलों और यात्री-विश्राम गृहों के निर्माण और प्रबंध, पर्यटकों के लिए परिवहन की सुविधाओं के प्रबन्ध, पर्यटन से सम्बद्ध प्रचार और विकास सामग्री के उत्पादन, मनोरंजन के प्रबन्ध और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 'कर-मुक्त' दुकानों के प्रबंध की देखभाल करता है।

इस समय निगम के प्रबन्ध के अन्तर्गत 21 होटल हैं—6 दिल्ली में और एक-एक औरंगाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, हासन (कर्नाटक), कोवलम, जम्मु, जयपुर, खजुराहो, महाबलीपुरम, मैसूर, उदयपुर, वाराणसी, पटना, भुवनेश्वर और मदुरै मे। यह दिल्ली के लालकिले; साबरमती आश्रम, अहमदाबाद; और शालीमार उद्यान, श्रीनगर; में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम का आयोजन भी करता है।

निगम ने विदेशों में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। सरकार ने भारतीय पर्यटन निगम के लोटस होटल्स लि० साइप्रस के सहयोग से पहले ही लिमसोल में 206 कमरों वाले एक पांच तारा होटल बनाने की

प्रदान कर दी है। इराक स्टेट ग्रार्गनाईजेशन फार टूरिज्म (सोपट) ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (प्रमुख ठेकेदार) और भारत में पर्यटन विकास निगम (प्रमुख सलाहकार) को मोसुल और डोकन में व्यावसायिक आधार पर होटल-निर्माण का ठेका दिया है।

निगम देश के पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और राज्य पर्यटन विकास निगमों के साथ मिलकर माध्यमिक कीमत की होटल परियोजना के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। निगम ने पहले ही असम सरकार के साथ गुवाहाटी में, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ भोपाल में, उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के साथ पुरी में आर्थिक विकास निगम गोवा के साथ दक्षिणी गोवा में तटीय सुरम्य स्थल के लिए तथा आंध्र प्रदेश यात्रा व पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त रूप से होटल के लिए करार किए हैं।

मौसम विज्ञान

मौसम विज्ञान और जलवायु सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जो देश की प्राचीनतम वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है, करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और पुणे में एक कार्यात्मक कार्यालय क्रमशः जलवायु विज्ञान तथा पूर्व सूचना के लिए उत्तरदायी है। मौसम विज्ञान के पांच क्षेत्रीय केन्द्र हैं: बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर और नई दिल्ली। कलकत्ता का कार्यालय "इंडियन एफेमेरिस" (भारतीय पंचांग) और "एयर ऐलमैनेक" (वायु पंचांग) अंग्रेजी में तथा "राष्ट्रीय पंचांग" अंग्रेजी, हिन्दी और 9 अन्य भारतीय भाषाओं में संकलित और प्रकाशित करता है। राज्य सरकारों के साथ और अधिक सहयोग के लिए समन्वय के उद्देश्य से, अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम और चण्डीगढ़ में मौसम विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ऊपरी वातावरण की मौसम विज्ञान सम्बन्धी राकेट-ध्वनियों के लिए त्रिवेन्द्रम का मौसम विज्ञान केन्द्र, थुम्बा स्थित विषुवतरेखीय राकेट-प्रक्षेपण केन्द्र से सम्पर्क रखता है।

मौसम विज्ञान विभाग सामान्य जनता के लिए और अनेक निजी और सरकारी संगठनों के लिए, जिनमें उड्डयन, रक्षा सेवाएं, जहाजरानी, बन्दरगाह और मछली पकड़ने वाली नावें, पर्वतारोही दल और कृषि शामिल हैं, भारी वर्षा, तेज हवाओं और समुद्री तूफानों से बचाव के उद्देश्य से चेतावनिया जारी करता है। केन्द्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्व सूचना संगठन को मौसम सम्बन्धी जानकारी के रूप में सहायता देने के लिए अहमदाबाद, भुवनेश्वर, आसनसोल गोहाटी, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, पटना और हैदराबाद में बाढ़ तथा मौसम सम्बन्धी कार्यालय हैं।

कृषि मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण हिन्द महासागर और दक्षिणी गोलार्द्ध के मौसम विश्लेषण, उपकरणों, जल-मौसम विज्ञान, भूकम्प विज्ञान, उड्डयन सेवाओं, उत्तरी गोलार्द्ध मौसम विश्लेषण, रेडियो मौसम विज्ञान, उपग्रह मौसम विज्ञान और मौसम विज्ञान सम्बन्धी दूर-संचार से सम्बन्धित काम करने वाले अलग-अलग निदेशालय मौसम विभाग में हैं।

समुद्री तूफान की चेतावनी

बंदरगाहों और जहाजों को समुद्री तूफान की चेतावनी बम्बई, कलकत्ता, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर और मद्रास कार्यालय देते हैं। ये पूर्व सूचनाएं तटीय और द्वीपीय वेधशालाओं, भारतीय समुद्रों में चलने वाले जहाजों और तटीय तूफान सूचना राडारों से किए गए परम्परागत मौसम विज्ञानीय निरीक्षण तथा मौसम उपग्रहों से प्राप्त बादलों के चित्रों के अध्ययन पर आधारित होती हैं। समुद्री तूफान की चेतावनी देने वाले राडार केन्द्र बम्बई, गोआ, कलकत्ता, मद्रास, करईकल पराद्वीप और विशाखापतनम में स्थित हैं। मौसम उपग्रहों से चित्र कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, बम्बई, पुणे, नई दिल्ली, गुवाहाटी और भुवनेश्वर के स्वचालित चित्र-प्रेषण केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। केवल उष्णकटिबन्धीय समुद्री तूफानों की समस्याओं पर खोज करने के लिए मद्रास में समुद्री तूफान चेतावनी तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया जा चुका है।

पर्यटक मौसम विज्ञान सेवाएं

पर्यटकों को उनकी रुचि वाले क्षेत्रों में भारतीय स्थलों के मौसम की जानकारी देने के लिए केन्द्र और राज्यों के पर्यटन विभाग, मौसम विज्ञान विभाग के रिकार्डों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पर्यटकों को मौसम की पूर्व सूचना देने के लिए, देश के विभिन्न विभागों में पर्यटक मौसम विज्ञान कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसा एक केन्द्र कश्मीर के गुलमर्ग में स्थापित किया जा चुका है।

आंकड़ों का आदान-प्रदान

द्रुत-गति-दूर-संचार सुविधाओं के जरिए अनेक देशों के साथ मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों का आदान-प्रदान किया जाता है। विश्व मौसम संगठन द्वारा विश्वव्यापी मौसम निगरानी में-भारत, सहयोग के अंश के रूप में नई दिल्ली में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र और क्षेत्रीय दूर-संचार केन्द्र, कार्य करता है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से आंकड़ों का आदान-प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय पूर्वसूचना केन्द्र भी स्थित है।

22 संचार

भारत में आधुनिक डाक प्रणाली 1837 में प्रारम्भ हुई, जब प्रथम बार जनता को डाक सेवा उपलब्ध की गई। पहला डाक टिकट 1852 में कराची में जारी किया गया, जो केवल सिंध में वैध था। डाक विभाग 1854 में स्थापित किया गया। तब देश में लगभग 700 डाकघर पहले से ही चालू थे। मनीआर्डर सेवा 1880 में शुरू की गई। भारतीय डाक तार विभाग में 1882 एक ऐतिहासिक वर्ष माना जाता है क्योंकि उस वर्ष से सम्पूर्ण देश के डाकघरों में सेविंग बैंक का कार्य प्रारम्भ हुआ। विभाग 1982 को डाकघर सेविंग बैंक के शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहा है। रेलवे डाक सेवा 1907 में और हवाई डाक सेवा 1911 में शुरू की गई।

संचार सेवाओं में इस दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई। 1951 से 1981 तक की अवधि में डाकघरों की संख्या में तथा तारघरों की संख्या लगभग चार गुना हो गई और टेलीफोन लगभग सत्रह गुने हो गए। सीधे डायल करके दूसरे शहरों से बातचीत करने की सेवा, जो 1960 में शुरू हुई थी, अब 198 शहरों में चालू है। विदेश संचार प्रणाली भारत को संसार के लगभग सभी देशों से मिलाती है।

डाक तार मण्डल, जो डाक और दूर संचार सेवाओं का प्रबंध करता है, देश में रोजगार देने वाले सबसे बड़े संगठनों में से एक है। 31 मार्च, 1981 को डाक तार विभाग में 8.52 लाख व्यक्ति (अतिरिक्त विभागीय और औद्योगिक श्रमिकों सहित) काम कर रहे थे।

संचालन के उद्देश्य से देश को 15 दूर संचार सर्किलों, 16 डाक सर्किलों, 17 डाक-तार सिविल सर्किलों, 5 डाक-तार विद्युत सर्किलों, और 30 टेलीफोन जिलों में विभक्त किया गया है। इनके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिए कई एकक भी हैं। संचार मंत्रालय डाक-तार विभाग के जरिए कुछ एजेंसी कार्य भी करता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि का लाइसेंस शुल्क एकत्र करना, डाकघर बचत बैंक चलाना, राष्ट्रीय बचत पत्र और डाक जीवन बीमा पालिसियां जारी करना और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की यूनिटों को बेचना, और दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र उत्तर-पश्चिम और तमिलनाडु सर्किलों के मुख्य डाकघरों में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के आवेदन-फार्म, आयकर फार्म तथा पारपत्र के लिए आवेदन फार्म बेचना। कुछ महानगरों में तो निजी मोटरकार मालिक निर्दिष्ट डाकघरों में वाहन कर का भी भुगतान कर सकते हैं।

डाक सेवाएं

31 दिसम्बर, 1981 को देश में कुल 1,40,435 डाकघर थे, जिनमें से 14,692 शहरी क्षेत्रों में तथा 1,25,743 ग्रामीण क्षेत्रों में थे। देश में औसतन 4,869 व्यक्तियों के लिए एक डाकघर था जो 23.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में काम करता था।

इसके अतिरिक्त, 31 दिसम्बर, 1981 तक देश के 82,800 गांवों को चलती-फिरती डाक सेवा का लाभ पहुंचाया गया। 31 दिसम्बर, 1981 को देश में 4,95,853 लैटर-बाक्स थे जिनमें से 4,21,604 ग्रामीण क्षेत्रों में थे। 31 मार्च, 1981 तक जनगणना में आए हुए गांवों के 99.79 प्रतिशत गांवों में डाक बांटी जाने लगी थी।

छठी योजना (1980-85) के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर सुविधाओं के विस्तार के लिए निम्नलिखित योजनाओं को भी लिया जाना है :—

	छठी योजना के लक्ष्य	लक्ष्यों की प्राप्ति 1980-81 में	1981-82 में
1. डाकघर खोलना जिनमें चलते-फिरते डाकघर भी शामिल हैं	8,000	1,889	1,601
2. चलते-फिरते डाकघरों द्वारा गांवों में डाक-सुविधाओं की व्यवस्था	10,000	2,601	1,999
3. लैटर-बाक्स लगाना	10,000	9,326	1,013
4. लैटर-बाक्सों में से डाक को निकालने तथा प्रतिदिन डाक बांटने की सेवा में सुधार करने के लिए ग्रामीण एजेंटों की नियुक्ति	10,000	3,494	2,000

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवा अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए अलग से एक उप योजना तैयार की गई जिसे कार्यरूप दिया जा रहा है।

डाक प्रेषण

औद्योगीकरण और जनसंख्या तथा साक्षरता दर में वृद्धि के कारण डाक में भी अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। डाक, स्थल और वायु दोनों मार्गों से ले जाई जाती है। स्थल डाक के लिए कई प्रकार के साधन इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे रेल, सड़क, वाहन, नाव, ऊंट, घोड़े एवं साइकिल इत्यादि। जो प्रमुख नगर हवाई मार्ग से जुड़े हैं, वहां डाक सीधी भेजी जाती है और उसके बाद जुड़े नगरों को स्थल मार्ग द्वारा भेजी जाती है।

'आल अप योजना' के अन्तर्गत सामान्यतः सब अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफे पोस्टकार्ड, रजिस्टर्ड पत्र और मनीआर्डर विमानों द्वारा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पहुंचाए जाते हैं। 1980-81 में 121.55 लाख किलोग्राम डाक विमानों द्वारा देश के भीतर और 29.27 लाख किलोग्राम डाक बाहर भेजी गई।

द्रुत डाक सेवा

1975 में एक नई योजना "द्रुत डाक सेवा" शुरू की गई। इस सेवा के अन्तर्गत सब राज्यों की राजधानियां, केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय तथा प्रमुख व्यापारिक नगर आते हैं। ऐसी सब अपंजीकृत डाक की वस्तुएं जिन पर पते में अपने गंतव्य का पोस्टल इंडेक्स नम्बर (पिन कोड) लिखा हो और जो द्रुत डाक सेवा के विशेष लैटर-बक्सों में डाली जाएं, इस सेवा द्वारा भेजी जा सकेंगी। इस

योजना के अनुसार डाले गए पत्र सामान्यतः दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। राज्यों के अन्दर क्षेत्रीय द्रुत डाक सेवा, जिलों के अधिकांश मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ती है। इस समय देश में 45 राष्ट्रीय द्रुत डाक सेवा केन्द्र तथा 410 क्षेत्रीय द्रुत डाक सेवा केन्द्र हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 4 लाख डाक की वस्तुएं आती जाती हैं।

विदेशी डाक की व्यवस्था

भारत 1876 से विश्व डाक संघ का सदस्य है। विश्व के 164 देशों के साथ भारत के डाक संचार सम्बन्ध हैं। डाक से चीजें भेजने और प्राप्त करने में थल और वायु दोनों मार्गों का प्रयोग किया जाता है।

1973 में भारत विश्व डाक संघ के नियमाधीन स्थापित एक सीमित 'एशियाई और महासागरीय डाक संघ' का सदस्य बना। इस यूनियन के भारत सहित 16 देश सदस्य हैं। इस क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच डाक सम्बन्धों की स्थापना तथा उनमें सुधार करने के लिए भारत इस का सदस्य बना है।

हवाई जहाज द्वारा डाक सप्ताह में 1 से 10 बार तक भेजी जाती है। यह इस बात पर निर्भर है कि डाक कितनी है और गंतव्य देश के लिए कितनी उड़ानें उपलब्ध हैं। भारत विश्व के 94 देशों को हवाई डाक भेजता है। जल-थल मार्ग से डाक, जहां पड़ोस के देशों को प्रतिदिन जाती है, वहीं कुछ देशों को महीने में एक बार और कहीं-कहीं तो लगभग तीन महीने में एक बार जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत के बन्दरगाहों से जहाज कब जाता है। भारत की 37 देशों के साथ मनीआर्डर व्यवस्था है जिससे देश को 1981 में लगभग 8.90 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

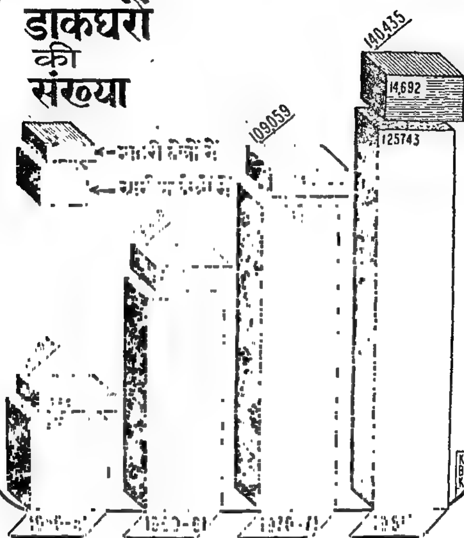
पिन कोड

बढ़ती हुई डाक सामग्री को शीघ्र तथा ठीक से पहुंचाने के लिए 1972 में डाक सूचक अंक 'पिन कोड' चालू किया गया। पिन कोड छह अंकों की वह संख्या है, जिससे प्रत्येक विभागीय डाक वितरण कार्यालय (शाखा डाकघर को छोड़कर) के स्थान आदि का पता लगाने में मदद मिलती है। इसके पहले अंक से क्षेत्र, दूसरे से उपक्षेत्र, और तीसरे से छंटाई जिले का पता चलता है जबकि अन्तिम तीन अंकों से यह पता चलता है कि इस डाक छंटाई जिले से चिट्ठी कौन से वितरण डाक घर में पहुंचनी चाहिए।

सारणी 22.1 में देश भर में डाक घरों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।

सारणी 22.1
डाक संबंधी आंकड़े

	1950-51	1960-61	1970-71	1978-79	1979-80
डाकघरों की संख्या					
शहरी	5,284	7,326	10,224	13,728	14,535
ग्रामीण	30,810	69,513	98,835	1,17,260	1,24,689
कुल	36,094	76,839	1,09,059	1,30,988	1,39,224


डाकघरों
की
संख्या
140,435
14,692
125743
109,059
KBK

	1950-51	1960-61	1970-71	1978-79	1980-81
डाक वस्तुएं (करोड़ में)	227 00	402.90	645.74	838.96	973.00
पंजीकृत डाक वस्तुएं (करोड़ में)	8.02	11.66	18.28	23.11	24.33
बीमाकृत वस्तुएं (लाख में)	37 23	41.00	64.00	73.00	77.63
मनीआर्डर (लाखों में)	5 31	7.65	9.47	10.83	11.18
मनीआर्डर की रकम (करोड़ रु० में)	205.9	334 25	613.1	1,100.00	1,251.00
डाक राजस्व (करोड़ रु० में)	21.22	40.78	110.54	239.22	278.11

पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर

28 अगस्त, 1978 से ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने की संशोधित नीति के अन्तर्गत पिछड़े, पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए नियमों को और उदार बनाया गया है। इसके पूर्व ये रियायतें केवल पिछड़े और पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित थी। अब ग्राम पंचायत के प्रत्येक उस गांव में डाकघर खोला जा सकता है जहां तीन कि०मी० के अन्दर कोई डाकघर नहीं है। इस प्रस्तावित डाकघर की अनुमानित आय इसकी लागत का कम से कम 10 प्रतिशत हो। आदीवासी तथा पिछड़े क्षेत्र में डाकघर खोलने की बाकी शर्तें वही हैं परन्तु उस गांव की जनसंख्या 1,000 से कम नहीं होनी चाहिए।

छठी पंचवर्षीय योजना में 8,000 डाकघर खोलने की योजना है। इनमें से 63 प्रतिशत डाकघर पिछड़े, पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं।

डाकघर बचत बैंक

31 मार्च, 1981 को डाकघर बचत बैंक योजना चलाने वाले 1 लाख 39 हजार डाकघरों के कारण डाकघर बचत बैंक देश का सबसे बड़ा बचत संस्थान है। डाकघर बचत बैंक सभी प्रकार की बचत योजनाएं चलाते हैं। उनका 31 मार्च, 1981 तक कुल पूंजी निवेश 7,859 करोड़ रुपये से भी अधिक है। सामान्यतः इन डाकघरों की प्रत्येक दस में से नौ शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

1961 से डाकघर बचत बैंक सेवा के विस्तार को सारणी 22.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 22.2 डाकघर बचत बैंकों का विस्तार

(31 मार्च को)

31 मार्च की स्थिति	बचत बैंक		सावधिक जमा		बचत प्रमाणपत्र
	जमाकर्ताओं की संख्या (लाख में)	शेष जमा रकम (करोड़ रु०)	जमाकर्ताओं की संख्या (लाख में)	शेष जमा रकम (करोड़ रु०)	शेष जमा रकम (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5	6
1961	92	431	3	2	456
1971	206	974	51	116	888

1	2	3	4	5	6
1977	237	1380	33	195	893
1978	250	1521	31	208	919
1979	268	1,695	30	237	1125
1980	306	1,877	32	284	1,357
1981	333	199	42	339	1,562

डाक जीवन बीमा

31 मार्च, 1981 को चालू डाक जीवन बीमा पालिसियों की संख्या 8,36,455 थी और इनकी बीमाकृत रकम 491.78 करोड़ रु० थी। 1980-81 में 102.14 करोड़ रु० मूल्य की लगभग 1,20,170 नई पालिसियां जारी की गई। इस तरह पिछले वर्ष के मुकाबले में लगभग 22.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

डाक-जीवन बीमा पालिसियों में हुई वृद्धि को यहां सारणी 22.3 में दर्शाया गया है, जिससे डाक जीवन बीमा की लोकप्रियता का पता चलता है।

सारणी 22.3 डाक जीवन बीमा योजना की प्रगति

वर्ष	नया कारोबार		कुल चालू कारोबार		जीवन बीमा निधि (करोड़ रु० में)
	पालिसियों की संख्या	बीमा राशि (करोड़ रु० में)	पालिसियों की संख्या	बीमा राशि (करोड़ रु० में)	
1947-48	3,722	0.84	92,036	18.90	1.59
1957-58	8,146	1.85	1,45,534	34.22	13.67
1967-68	15,799	5.40	2,00,885	53.04	26.02
1974-75	36,440	18.00	3,40,446	119.09	45.05
1975-76	61,337	35.06	3,92,185	153.02	51.06
1976-77	72,780	42.00	4,54,447	192.04	59.03
1977-78	99,829	59.09	5,43,486	249.02	70.04
1978-79	1,01,997	69.93	6,34,444	315.04	84.03
1980-81	1,20,170	102.14	8,36,455	491.78	129.70

स्मारक डाक टिकट

भारतीय डाकतार विभाग 1931 से प्रख्यात व्यक्तियों को सम्मानित करने तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी कर रहा है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने डाक टिकटों के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। इन डाक टिकटों के जरिए भारतीय जीवन और संस्कृति, विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति, पेड़-पौधों तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। ये डाक टिकट देश-विदेश में बहुत लोकप्रिय हैं।

1981 वर्ष के दौरान 37 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए। इन स्मारक डाक टिकटों में 'भारतीय जनजातियों' 'फूलो भरे वृक्ष' तथा 'तितलियों' पर भी चार-चार टिकट सम्मिलित थे। विभाग द्वारा 10 विशेष स्मारक

टिकटों में से 4 विशेष स्मारक टिकट 'नवें एशियाई' खेल 1982 के विषय में भी निकाले गए। इनके अतिरिक्त लुफ़थान्जा, दिल्ली बीजिंग व एयर इण्डिया के बम्बई शारजाह की प्रथम उड़ान के अवसर पर प्रथम उड़ान लिफाफे भी जारी किए गए। 'एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन' की कार्यकारी परिषद की बैठक, 'एप्पल उपग्रह' छोड़े जाने व तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की रजत जयन्ती के अवसर पर भी विशेष लिफाफे जारी किए गए।

प्रदर्शनियां

वर्ष 1981 के दौरान राज्य स्तर पर तीन प्रदर्शनियों का आयोजन जयपुर (राजपैक्स-81), मद्रास (टनापैक्स-81) तथा अहमदाबाद (गुजपैक्स-81) में किया गया। विभाग ने दो अन्तर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनियों में भी भाग लिया। 'विपा-81' में जो वियाना में 22-30 मई, 81 तक लगी तथा 'फिलाटोकियो' 81में ' जो टोकियो में 9-18 अक्तूबर, 81 आयोजित हुई।

इस समय देश के विभिन्न भागों में 34 डाक टिकट संग्रह कार्यालय और 135 डाक टिकट काउंटर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त डाक तार विभाग ने उत्तर अमरीका, पश्चिम यूरोप, जापान, स्वीटजरलैंड तथा इटली में एजेंट नियुक्त किए हैं, जो इन क्षेत्रों में भारतीय डाक टिकट बेचते हैं।

तार सेवाएं

भारतीय तार व्यवस्था, सरकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे पुरानी जन-सुविधा संस्थाओं में से एक है। देश की पहली तार लाइन 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच खोली गयी थी।

31 मार्च, 1981 को देश में 34,096 तारघर (रेल तथा नहर प्रशासनों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त तारघरों को मिला कर) थे। छठी योजनावधि में 15,000 और तार घर खोलने का प्रस्ताव है जिनमें से 3,000 जनजातीय क्षेत्रों में होंगे। 1980-81 के दौरान देश में 2,459 संयुक्त (तार) कार्यालय खोले गए।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०

टेलीप्रिंटर व सहायक उपकरण बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० मद्रास में 1960 में स्थापित किया गया था। उत्पादन तथा बिक्री लक्ष्य 8,500 यूनिट की तुलना में 1981-82 के दौरान कम्पनी ने 9,200 यूनिट टेलिप्रिंटर तथा सहायक उपकरण बनाये जिनमें से 9,110 यूनिट बेचे भी गए। 1982-83 के दौरान कम्पनी का प्रस्ताव 1,000 बिजली के टाइपराइटर बनाने का है। भारत सरकार ने हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स को इलैक्ट्रोनिक टेलिप्रिंटर बनाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह परियोजना 5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जाएगी। इलैक्ट्रोनिक टेलिप्रिंटर का उत्पादन 1982-83 में शुरू होने का प्रस्ताव है इनका उत्पादन तमिलनाडु के एक पिछड़े क्षेत्र होसुर में किया जाएगा।

टेलेक्स सेवा

राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा 1963 में शुरू हुई। प्रथम देवनागरी टेलेक्स का उद्घाटन 1969 में नई दिल्ली में हुआ। देश के महत्वपूर्ण नगरों में टेलीप्रिंटर केन्द्र स्थापित होने से देश के किसी भी भाग में अभिदाता एक दूसरे को सीधे ही मुद्रित

संदेश भेज सकते हैं। 31 मार्च, 1982 को टेलेक्स सेवा 157 शहरों के बीच उपलब्ध थी। इन शहरों में 23,927 लाइनें थी जिनमें 20,420 टेलेक्स कनेक्शन चालू थे।

टेलीफोन सेवाएं

ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किए जाने के केवल 5 वर्ष बाद 1881-82 में कलकत्ता में 50 लाइनों का एक टेलीफोन केन्द्र स्थापित हुआ। प्रथम स्वचालित टेलीफोन केन्द्र 1913 में शिमला में स्थापित हुआ। स्वाधीनता प्राप्ति के समय 321 टेलीफोन एक्सचेंज तथा 86,000 टेलीफोन थे। किन्तु टेलीफोन सेवा में तेजी से प्रगति 1951 के बाद हुई। जैसा कि सारणी 22.4 में दिखाया गया है, 1951 के बाद से टेलीफोन केन्द्रों की संख्या में ग्यारह गुने से अधिक वृद्धि हुई है और टेलीफोनों की संख्या चौदह गुने से अधिक बढ़ी है।

देश में ही निर्मित प्रथम कम्प्यूटर-नियंत्रित इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र का दिल्ली में परीक्षण किया जा रहा है।

सारणी 22.4 टेलीफोन से सम्बन्धित आंकड़े

(1 अप्रैल को)

	1951	1961	1971	1979	1981
टेलीफोन केन्द्रों की संख्या	540	1,374	3,967	6,866	7,893
टेलीफोनों की संख्या (लाख में)	1.68	4.63	13.00	24.24	28.32

31 मार्च, 1981 को देश में दूर स्थानों को टेलीफोन करने के 15,058 सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय थे। 1950-51 में 71 लाख ट्रंक काल किए गए थे, जबकि 1980-81 में 23.19 करोड़ ट्रंक काल किए गए। इस अवधि में टेलीफोन से होने वाली आय 561.23 करोड़ रु० हो गई।

सीधे ट्रंक डायल सेवा

सीधे डायल करके दूसरे शहर से बात करने की सेवा सबसे पहले 1960 में कानपुर और लखनऊ के बीच शुरू हुई थी। अब दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के अभिदाता बिना परिचालक की सहायता से लन्दन और ब्रिटेन के अन्य शहरों में सीधे डायल कर सकते हैं।

स्वचालित ट्रंक अभिदाता एस० पी० सी० के माध्यम से बम्बई तथा दिल्ली से विश्व के 48 देशों से बात करने की सुविधा प्राप्त है।

'मांग पर' ट्रंक सेवा

'मांग पर' ट्रंक काल सेवा पहली बार 1971 में बम्बई-बंगलोर मार्ग पर शुरू की गई। अब यह सेवा देश में 935 ट्रंक मार्गों पर चालू है।

जहाज-तट टेलीफोन सेवा

जहाज-तट टेलीफोन सेवा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उपलब्ध है। इस सेवा के अन्तर्गत समुद्र में 750 किलोमीटर दूरी तक के जहाजों से सम्पर्क किया जा सकता है।

आपका अपना टेलीफोन

1949 से प्रारम्भ हुई 'अपना टेलीफोन' योजना अब देश की पूरी टेलीफोन प्रणाली में लागू है।

1 सितम्बर, 1975 से एक नई स्कीम 'पेशगी जमा योजना' शुरू की गई। इसके अनुसार टेलीफोन की मांग दर्ज करने से पहले पेशगी रुपया जमा कराना आवश्यक है। पेशगी में 1,000 रु० से 8,000 रु० तक जमा करने पड़ते हैं। जब टेलीफोन दिया जाता है तब यह रकम टेलीफोन की रकम में से काट दी जाती है।

टेलीफोन निर्माण सार्वजनिक सेवा का प्रतिष्ठान इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०, बंगलौर, दूर संचार उपकरण बनाने के लिए, जिनमें विभिन्न प्रकार के टेलीफोन यन्त्र, स्वचालित एक्सचेंज, लघु इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज, माइक्रोवेव उपकरण तथा रेल-विद्युतीकरण के उपकरण सम्मिलित हैं, 1948 में स्थापित किया गया था। अब इसके कारखाने बंगलौर, नैनी, रायबरेली, पालघाट तथा श्रीनगर में हैं।

1980-81 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने अन्य उपकरणों के अतिरिक्त 4.81 लाख टेलीफोन यंत्र बनाए। इस अवधि में इसकी कुल बिक्री 157.79 करोड़ रु० की हुई, जिसमें 1.27 करोड़ लाख रु० का निर्यात शामिल है।

टी०सी०आई०एल० डाक तार बोर्ड, के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक संस्थान टेलि-कम्युनिकेशन कंसलटेंट्स इण्डिया लि० (टी० सी० आई० एल०) नई दिल्ली, की स्थापना मार्च 1978 में हुई थी। यह दूरसंचार से संबंधित हर प्रकार की सलाह देता तथा परियोजनायें क्रियान्वित करता है। इसने कुवैत, यू० ए० आर०, इराक, नाईजीरिया, ओमान, यू० ए० ई०, जोर्डन तथा लिबिया में बहुत बड़ी संख्या में अपने सुझावों और मुख्य परियोजनाओं को कार्यान्वित किया। भारत में भी टी० सी० आई० एल० ने कई ठेके लिए हैं और इसके ग्राहकों मे आयल इण्डिया, कोल इण्डिया, हाइड्रो पावर कारपोरेशन, होटल आदि शामिल हैं। वर्ष 1980–81 तथा 1981-82 के दौरान कम्पनी ने क्रमशः 11.7 करोड़ रुपये तथा 14.7 करोड़ रुपये के आर्डर प्राप्त किए हैं।

दूरसंचार कारखाने डाक तार बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में कलकत्ता, बम्बई, जबलपुर और भिलाई में चार विभागीय कारखानों की स्थापना की गई जो दूर संचार के भारी उपकरण जैसे—माईक्रोवेव टावर, सिक्के इक्ट्ठे करने के डिब्बे, पोल लाइन, हार्डवेयर आदि तैयार करते हैं। 1981-82 मे 21.75 करोड़ रुपये का सामान तैयार किया गया।

समुद्र-पार संचार भारत की अन्य देशों के साथ दूरसंचार सेवाएं 'समुद्र-पार संचार सेवा' (ओवर-सीज कम्यूनिकेशन्स सर्विस) द्वारा संचालित होती है, जिसका मुख्यालय बम्बई में है।

यह सेवा चार अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग केन्द्रों—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली से संचालित होती है। इसके अन्तर्गत उपग्रह के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय टेलीविजन सेवा के अतिरिक्त समुद्र-पार टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलेक्स, रेडियो फोटो, पट्टे पर टेलीप्रिंटर वायस ग्रेड और द्रुतगति वाले डाटा की सुविधा प्राप्त होती है। यह सरकार और समाचार एजेंसियों के लिए प्रसारण के प्रेषण (ट्रांसमिशन) और संग्रहण (रिसेप्शन) की सुविधाओं की व्यवस्था भी करती है।

आर्वी (1971 में स्थापित) और देहरादून (1976 में स्थापित) जैसे दो उपग्रह भू-केन्द्रों की सहायता से समुद्र पार संचार सेवा हिन्द महासागर के ऊपर स्थित उपग्रह 'इंटलसेट' के जरिए भारत के लगभग 99 प्रतिशत बाह्य संचार का संचालन कर रही है। मद्रास व पेनांग (मलयेशिया) के समुद्री मार्ग में एक आधुनिक उपकरण टेलिफोन केबल ने संचार सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। इलैक्ट्रोनिक स्टोर्ड प्रोग्राम, कंट्रोल गेटवे टेलिफोन तथा टेलेक्स केन्द्रों को समुद्र पार संचार सेवा टेलिफोन तथा टेलेक्स की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करता है। 75 देशों से अधिक को पूर्ण रूप से स्वचलित अन्तर्राष्ट्रीय अभिदाता डायल टेलेक्स सेवा उपलब्ध है। अब तक अन्तर्राष्ट्रीय अभिदाता डायल (आई० एस० डी०) टेलिफोन सेवा चार महानगरों, बम्बई, नई दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास से ब्रिटेन को उपलब्ध थी जिसे अब विश्व के अन्य देशों तक बढ़ाया जा रहा है।

कृत्रिम उपग्रह और उच्च-आवृत्ति रेडियो सर्किटों के जरिए समुद्र पार टेलीफोन, टेलेक्स और तार सेवा विश्व के हर भाग के लिए सीधे या पारगमन द्वारा उपलब्ध है। समुद्र-पार सीधी संचार सेवा–टेलीफोन द्वारा 40 देशों के साथ, टेलेक्स द्वारा 41 देशों के साथ और तार द्वारा 33 देशों के साथ है। अब 1 जनवरी, 1982 से यह सैटलाईट के माध्यम से 384 टेलिफोन सर्किट, 715 टेलेक्स सर्किट और 44 तार सर्किट चलाता है।

पट्टे पर टेलीप्रिंटर चैनल

समुद्रपार संचार सेवा पट्टे पर गैर-सरकारी अभिदाताओं के प्रयोग के लिए टेलीफोन सामग्री और टेलीग्राम सर्किटों के लिए वायस ग्रेड सर्किट देता है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां, सरकारी विभाग, विदेशी दूतावास, बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा समाचार एजेंसियां इन सुविधाओं का लाभ उठा रही हैं। समुद्रपार संचार सेवा ने 1 जनवरी, 1982 तक 14 वायस ग्रेड सर्किट, 124 तार सर्किट पट्टे पर दिए।

कार्यक्रम प्रेषण

प्रसारण संगठनों के प्रतिनिधियों और संवाददाताओं को अपने संगठनों के उपयोग के लिए समुद्र पार टेलीफोन प्रणाली से कार्यक्रम प्रेषण और संग्रहण की सुविधाएं भी दी जाती हैं।

प्रेस प्रसारण

समुद्र पार संचार सेवा, विदेश मंत्रालय की ओर से विश्व में 66 भारतीय वाणिज्य दूतावासों को एक साथ टेलीप्रिंटर द्वारा समाचार प्रेषण की व्यवस्था करती है।

समुद्र पार संचार सेवा, समाचार एजेंसियों की ओर से विदेशी रेडियो-टेलीप्रिंटर प्रेस प्रसारण भी प्राप्त करती है। समाचार एजेन्सियों को रियायती दर पर समाचार विज्ञप्ति सेवा प्रदान की जाती है। 1 जनवरी, 1982 को ऐसे 20 समाचार विज्ञप्ति सर्किट कार्य कर रहे हैं।

बेतार आयोजन और समन्वय

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन, जेनेवा से, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है, सम्बद्ध सभी मामलों के लिए केन्द्रीय संचार मंत्रालय की बेतार आयोजन

और समन्वय शाखा उत्तरदायी है। यह देश में सभी प्रकार के रेडियो प्रयोगों के लिए रेडियो नियमन अधिकरण के रूप में भी कार्य करती है और इस हैसियत से रेडियो आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) निर्धारित करने तथा सभी सरकारी और गैर-सरकारी वायरलेस प्रयोगकर्ताओं को संचालन लाइसेंस जारी करने का कार्य करती है। रेडियो विघ्न संबंधी सभी मामले राष्ट्रीय और यदि आवश्यक हो तो अन्तर्राष्ट्रीय तालमेल से जांच-पड़ताल के बाद हल किए जाते हैं। उपग्रह संचार और अन्य अन्तरिक्ष प्रणालियों की फ्रिक्वेंसी उपयोगों से संबंधित समस्याओं में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय रखा जाता है।

अनुश्रवण संगठन

संचार मंत्रालय के अनुश्रवण (मानिटरिंग) संगठन ने आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) सम्बन्ध और रेडियो नियमों के क्रियान्वयन के लिए अनुश्रवण केन्द्रों की श्रृंखला स्थापित की है। ऐसे 19 केन्द्र अहमदाबाद, अजमेर, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दार्जिलिंग, दिल्ली, डिब्रूगढ़, गोआ, गोरखपुर, हैदराबाद, जलंधर, मद्रास, मंगलौर, नागपुर, रांची, शिलांग, श्रीनगर और त्रिवेन्द्रम में काम कर रहे हैं।

रेडियो में सुने जाने वाले शोर की जांच-पड़ताल के लिए दिल्ली, कलकत्ता और हैदराबाद में तीन रेडियो शोर सर्वेक्षण एकक स्थापित किए गए हैं जो यह पता लगाएंगे कि रेडियो संचार में मनुष्य द्वारा पैदा किया गया शोर कितना बाधक होता है और इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं।

अजमेर, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, जलंधर, मद्रास, नागपुर और शिलांग में दस ऐसे एकांश स्थापित किए गए हैं जो क्षेत्रवार यह निरीक्षण करते है कि लाइसेंसप्राप्त और अधिकृत स्टेशन लाइसेंस की शर्तों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं।

दूर संचार अनुसन्धान केन्द्र

दूरसंचार अनुसन्धान केन्द्र (टी० आर० सी०) का गठन नई दिल्ली में 1956 में डाक व तार बोर्ड (संचार मंत्रालय) के अन्तर्गत किया गया था। दूरसंचार अनुसन्धान केन्द्र का मुख्य कार्य, इण्डियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज व राज्यों के द्वारा स्थापित इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन द्वारा निर्माण के लिए दूरसंचार के उपकरणों के डिजाइन बनाना तथा विकास करना तथा डाक व तार विभाग को दूरसंचार तन्त्र की कार्यविधि में सुधार के लिए सुझाव देना है। इस समय देश में सार्वजनिक टेलिफोन व टेलिग्राफ में प्रयुक्त हो रहे विभिन्न ट्रांसमिशन व स्विचिंग उपकरणों का डिजाइन तथा विकास दूरसंचार अनुसन्धान केन्द्र (टी० आर० सी०) ने इण्डियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज (आई० टी० आई०) इकाइयों के निकट सहयोग से किया है। पेन्टाकोन्टा क्रासबार को पूर्णतः अद्यतन करके भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बना लिया गया है। टी० आर० सी० द्वारा राजौरी गार्डन में देश में बने 1000 लाइनों के एस०पी०सी०-1 इलैक्ट्रोनिक टेलिफोन केन्द्रों के नियमित व्यापारिक परीक्षण भी पूरे किए हैं। यहां मुख्य सुविधाओं के साथ साथ संक्षिप्त डायलिंग व हॉट लाइन की सुविधा भी हैं। टी० आर० सी० के उपग्रह संचार प्रभाग ने 'सिम्फनी' तथा 'एप्पल' उपग्रह के माध्यम से कई

उपयोगी परीक्षण किए हैं। इनसैट-1 के साथ काम करने के लिए भू-उपग्रहों के अनेक उप तंत्र विकसित किए गए हैं। टी० आर० सी० के वर्तमान गतिविधियों में क्षेत्र ये हैं: अंकीय ट्रांसमिशन, अंकीय स्विचिंग, डाटा मोडम, एस० पी० सी० इलैक्ट्रोनिक टेलिफोन केन्द्रों को अद्यतन बनाना, ग्रामीण टेलिफोन केन्द्रों के लिए विशेष उपकरणों, चल रेडियो, पेजिंग प्रणालियां तथा ओपटिक फायबर संचार उपकरणों आदि का विकास करना।

23 श्रम

भारत में श्रमिकों की संख्या 1981 में लगभग 24.71 करोड़ या देश की कुल जनसंख्या का 37.55 प्रतिशत थी।

भारत की अर्थव्यवस्था के विश्वस्त आंकड़े केवल संगठित क्षेत्र के बारे में उपलब्ध हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा पास किए गए अधिकांश कानून इसी क्षेत्र के श्रमिकों की भलाई के लिए हैं। इन श्रमिकों के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी चल रही हैं। इनमें फैक्टरी अधिनियम, मजदूरी अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए मृत्यु-राहत और परिवार पेंशन सम्मिलित हैं। कुछ नियम-कानून असंगठित क्षेत्र के लिए भी बनाए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 इस क्षेत्र के बहुत-से श्रमिक वर्गों पर भी लागू होता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक फैक्टरियों में काम करते हैं।[1] 1979 में, चालू फैक्टरियों में, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रतिदिन का अनुमानित औसत रोजगार 67.97[2] लाख था।

1979 के दैनिक रोजगार आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में फैक्टरी कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी (11,89,148)। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल (8,87,253), गुजरात (6,39,131), तमिलनाडु (6,21,524) तथा उत्तर प्रदेश (5,32,659) आते हैं।

1. फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत फैक्टरी की परिभाषा इस प्रकार की गई है—कोई भी ऐसा स्थान, प्रांगण सहित, जहां पर 10 या 10 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हों, या पिछले 12 महीनों में किसी दिन भी कार्य करते रहे हों, और उसके किसी भी भाग में निर्माण कार्य के लिए बिजली का उपयोग किया जा रहा हो। जहां बिजली का प्रयोग न किया जाता हो वहां श्रमिकों की संख्या 20 या उससे अधिक होनी चाहिए।

   अधिनियम में श्रमिक उस व्यक्ति को कहा गया है जिसका किसी निर्माण प्रक्रिया में या किसी मशीनरी या उसके हिस्से अथवा स्थान की सफाई में उपयोग किया जाता हो, या किसी अन्य प्रकार के काम में जिसका संबंध निर्माण प्रक्रिया के विषय से संबंधित हो और जिसकी सीधे या किसी एजेंसी के द्वारा नियुक्ति की जाती हो, चाहे उसे मजदूरी दी जाती हो या नहीं।

2. अस्थायी

सारणी 23.1

श्रमिक तथा गैर-श्रमिक संख्या का बटवारा (1981 की जनगणना)[3]

(लाख में)

श्रेणी	पुरुष		महिलाएं		योग	
	संख्या	कुल पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत	संख्या	कुल स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत	संख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
श्रमिक जनसंख्या						
कुल (क+ख)	1,808	53.19	663	20.84	2,471	37.55
(क) कुल मुख्य श्रमिक	1,741	51.22	460	14.46	2,201	33.44
(i) कृषक	762	22.42	152	4.78	914	13 89
(ii) कृषक मजदूर	344	10.12	209	6.57	554	8.42
(iii) घरेलू उद्योग	64	1.88	24	0.75	88	1.34
(iv) अन्य श्रमिक	571	16.80	75	2.36	645	9.80
(ख) सीमान्त श्रमिक	67	1.97	204	6.41	271	4.12
(ग) कुल गैर-श्रमिक जनसंख्या	1,591	46.81	2,519	79.16	4110	62 45
(घ) कुल जनसंख्या (क+ख+ग)	3,399	100.00	3,182	100.00	6581	100.00

टिप्पणी : 1. पूर्णांक देने के कारण योग का मिलान ठीक बैठना आवश्यक नहीं।

2. जम्मू तथा कश्मीर की कुल जनसंख्या (60 लाख) तथा असम की सम्भावित जनसंख्या (199 लाख) मिलाकर भारत की कुल जनसंख्या 68.40 करोड़ हो गई।

3. असम तथा जम्मू व कश्मीर की जनसंख्या शामिल नहीं है।

सारणी 23.2

कारखाना मजदूरों की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय

(रुपयों में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1961	1971	1972	1975	1976	1977[1]	1981[1]
आंध्र प्रदेश . .	1,149	2,339	2,430	2,824	3,731	3,657	3,623
असम . .	1,599	2,484	2,481	2,627	3,504	3,983	4,673
बिहार . .	1,856	2,752	2,630	2,158	5,262	4,346	5,527
गुजरात . .	1,702	2,763	2,886	2,749	4,793	5,087	5,089
हरियाणा . .	—	2,569	2,848	3,371	4,931	6,087	5,664
हिमाचल प्रदेश .	1,288	2,849	2,849[2]	2,745	4,395	4,395[2]	4,395[2]
जम्मू और कश्मीर . .	—	1,695	2,081	2,843	2,087	2,672	2,672[2]
कर्नाटक . .	1,375	2,654	2,698	2,893	3,042	5,185	3,042
केरल . .	1,152	2,565	2,555	2,947	5,253	4,855	4,936
मध्य प्रदेश .	1,816	3,013	3,175	3,942	6,378	6,205	7,334
महाराष्ट्र .	1,775	3,090	3,249	3,459	5,680	6,684	6,683
उड़ीसा . .	1,180	3,242	3,590	4,194	5,417	5,684	6,119
पंजाब . .	1,174	2,219	2,409	3,089	3,675	3,077	4,041
राजस्थान .	761	2,507	2,814	3,325	4,954	5,312	5,811
तमिलनाडु . .	1,465	2,670	2,860	2,543	4,817	5,303	5,386
त्रिपुरा . .	—	2,790	2,221	2,453	2,251	1,469	3,630
उत्तर प्रदेश . .	1,264	2,483	2,563	3,054	4,486	5,456	5,417
पश्चिम बंगाल .	1,410	3,028	3,452	3,966	5,840	6,312	6,970
अंदमान और निकोबार .	1,234	2,315	2,115	3,300	2,831	1,423	3,429
दिल्ली . .	1,655	3,040	3,047	3,239	5,092	5,738	5,516
गोआ, दमन तथा दीव .	—	2,204	2,555	3,792	5,985	6,419	6,080
पाण्डिचेरि .	—	2,673	2,776	2,615	4,879	6,135	5,468

1. अस्थायी
2. दोबारा

ऊपर की सारणी के आंकड़े 1975 तक 400 रु० प्रतिमाह से कम पाने वाले तथा 1976 से 1,000 रु० से कम पाने वाले मजदूरों के हैं।

स्रोत : श्रम ब्यूरो

1978 में सभी खानों में काम करने वाले श्रमिकों की प्रतिदिन औसत संख्या 7,41,777 थी (3,10,170 खानों के अंदर, 2,06,121 खानों के मुख पर तथा 2,25,486 खानों के बाहर)। 1952 के खान अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कोयला खानों में काम करने वालों की यह संख्या 1978 में 4,80,592 थी

सारणी 23.1 में श्रमिकों की स्थिति (पुरुष और महिला वार) दिखाई गई है।

काम की शर्तें

कारखानों में काम की शर्तें फैक्टरी अधिनियम, 1948 के द्वारा नियमित की जाती है। इस अधिनियम के अनुसार प्रौढ़ श्रमिकों के लिए सप्ताह में 48 घंटे काम के लिए निश्चित हैं एवं किसी भी कारखाने में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने की मनाही है। अधिनियम के अन्तर्गत रोशनी, साफ हवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण सेवा के न्यूनतम मानक भी निश्चित हैं, जिनका पालन मालिकों को अपने कारखानों में करना पड़ता है। जिन कारखानों में 30 से अधिक महिला श्रमिक काम करती हैं, वहां उनके बच्चों के लिए बाल-गृहों की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिन कारखानों में 150 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहां कारखाने के मालिकों को उनके लिए आश्रय-स्थल, विश्राम-गृह तथा भोजन के लिए कमरों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। जिन कारखानों में 250 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहां श्रमिकों के लिए आवश्यक सुविधाओं से युक्त कैन्टीनों की भी व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती है।

मजदूरी तथा आय

सारणी 23.2 में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में 400 रुपये से कम माहवार पाने वाले कारखाना मजदूरों की औसत सालाना कमाई दिखाई गई है।

आय

सारणी 23.3 में आय का अन्तर दिखाया गया है।

सारणी 23.3 कामगारों की मजदूरी का सूचकांक

(1961=100)

ब्यौरा	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
कमाई का सामान्य सूचकांक	128	139	151	160	170	180	185	199	210	207	207

मजदूरी का नियमन

मजदूरी का भुगतान, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, जैसा कि उसका बाद में संशोधन हुआ, से नियंत्रित होता है। मजदूरी भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 1976 समूचे भारत पर लागू होता है और फैक्टरी अधिनियम, 1948 में परिभाषित जो भी व्यक्ति किसी भी कारखाने या रेलवे में काम करता है और औसतन 1,000 रु० मासिक से कम मजदूरी और वेतन पाता है, वह इसके अन्तर्गत आता है।

श्रमिकों द्वारा कमाई गई मजदूरी को मालिक अनधिकृत रूप से कटौतियां कर सकते हैं। श्रमिकों की दिवस के पूर्व कर देना चाहिए। केवल उन्हीं कृत्यों या किए जाते हैं जो सम्बद्ध सरकार द्वारा मान्य है। कुल ज में दी जाने वाली मजदूरी के एक रुपए के पीछे तीन (अगर मजदूरी की अदायगी देर से की जाती है या गल मजदूर या उनके संघ अपना दावा प्रस्तुत कर स में समयोपरि भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जाता है।

न्यूनतम मजदूरी

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सरक कर रहे कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित क में उपयुक्त समय-अंतरों के बाद जो 5 वर्ष से अ निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा एवं संशोधन का में हुए श्रम मंत्रियों के 31 वें सम्मेलन ने यह सिफारिश के अन्तराल पर, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 50 अ पूर्व हो, न्यूनतम वेतन में संशोधन किया जाए।

समान पारिश्रमिक

26 सितम्बर, 1975 को जारी किए गए एक अध्याद 1976 को एक अधिनियम बन गया, पूरे देश में स्त्री समान पारिश्रमिक देने की व्यवस्था हुई।

इस अधिनियम के अन्तर्गत एक ही या एक जैसे कर्मचारियों को समान वेतन या पारिश्रमिक के भुगत नौकरियों में या तत्संबद्ध मामलों में औरतों के खिलाफ वाले भेदभाव पर अंकुश लगा है। यह अंकुश वहां लागू नियुक्ति किसी चालू कानून के द्वारा या किसी कानून बंधित है।

यह अधिनियम अब तक कई क्षेत्रों में, जैसे (1 नियम के अन्तर्गत आने वाले) बागानों, स्थानीय स्वायत्त सरकारों, बैंकों, शिक्षण-संस्थाओं, खानों, अस्पतालों, हो निर्माण तथा वस्त्र उत्पाद उद्योगों, थोक तथा खुदरा व्याप यातायात उद्योग पर लागू किया जा चुका है। जून 19 दायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं भी ला गई।

बोनस

बोनस भुगतान (संशोधन) अध्यादेश 1980 का स्थान संशोधन) अधिनियम, 1980 ने ले लिया है। यह संशोधि क्षेत्र के उद्यमों, जिन्हें निजी उद्यमों से प्रतियोगिता छोड़कर, अन्यों पर लागू नहीं होगा। यह उन संस्थानों पर

के लिए नहीं है जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम और विभागों द्वारा चालित उद्यम। सभी बैंक भी इसके अन्तर्गत आते हैं। इस अधिनियम में कम से कम बोनस 8.33 प्रतिशत या 100 रुपये (जो भी अधिक हो) देने की व्यवस्था है चाहे इसके लिए धन की व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं। इस फार्मूले के अन्तर्गत कम-से-कम बोनस से अधिक भुगतान तभी संभव है जबकि उपलब्ध धन में इसकी व्यवस्था हो और वह अधिकतम 20 प्रतिशत हो सकता है। बोनस का भुगतान कर्मचारियों व मालिक के बीच एक आपसी करारनामे के अनुसार एक अन्य फार्मूले द्वारा उत्पादन/उत्पादकता से जुड़ा हुआ होता है। भुगतान में अपनाई जाने वाली कोई भी अन्य पद्धति नियम विरुद्ध होगी।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 32 (iv) के अनुसार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के किसी विभाग तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित उद्योगों में लगे हुए कर्मचारी इस भुगतान के अन्तर्गत नही आते। यद्यपि रेल, डाक-तार और कुछ रक्षा संस्थानो तथा इसी प्रकार के अन्य संस्थानों के कर्मचारियो को उत्पादन सबंधी बोनस देने का फैसला किया गया है। रेल, डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है परन्तु अन्य विभागो के कर्मचारियों के लिए एक योजना विचाराधीन है।

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

देश में तैयार माल बनाने वाले, खनन तथा बागान उद्योगों में मजदूरी की दरों से संबंधित आंकड़ों के संकलन के लिए श्रम ब्यूरो समय-समय पर व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण करता है। इस प्रकार का पहला और दूसरा सर्वेक्षण (दोनों में 44 उद्योग शामिल किए गए हैं) क्रमशः 1958-59 और 1963-65 में किए गए। दोनों सर्वेक्षणों की रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं।

ठेका मजदूरी

तीसरे सर्वेक्षण में 81 उद्योग शामिल किए गए जिनमें वे 44 उद्योग भी शामिल थे जिनका पहले सर्वेक्षण हो चुका था। इसका काम 1974 से 1979 के बीच चार चरणों में पूरा हुआ। सर्वेक्षण के पिछले तीन चरणों में 45 उद्योगों में मंहगाई भत्ते तथा बोनस पर प्राथमिकता के आधार पर पुस्तिका (ब्रोशर) जारी की गई। चौथे चरण के दौरान जिन 36 उद्योगों का सर्वेक्षण किया गया उन पर इसी तरह की एक पुस्तिका तैयार की गई है जो आजकल मुद्रणाधीन है। जहां तक व्यवसाय व मजदूरी तथा आय के आंकड़ों का प्रश्न है, पहले चरण में बागान उद्योग, खान उद्योग, अभ्रक फैक्टरी तथा चाय फैक्टरी पर रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है।

ठेका मजदूर (नियमन तथा समापन) अधिनियम 1960 जो कि फरवरी 1971 से समूचे भारत में लागू किया गया, कुछ संस्थानों में ठेका मजदूर व्यवस्था का नियमन करता है तथा किन्हीं निर्धारित हालात में उसका समापन भी। मजदूरी की अदायगी न होने पर उसके लिए मुख्य मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

बंधुवा मजदूर

सम्पूर्ण देश में बंधुवा मजदूर को मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, प्रत्येक बंधुवा मजदूर को बंधुवा मजदूरी के किसी भी दायित्व से मुक्त घोषित कर दिया गया है।

श्रमिकों द्वारा कमाई गई मजदूरी को मालिक रोक नहीं सकते, न ही वे अनधिकृत रूप से कटौतियां कर सकते हैं। श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान निश्चित दिवस के पूर्व कर देना चाहिए। केवल उन्हीं कृत्यों या अवहेलनाओं के लिए जुर्माने किए जाते हैं जो सम्बद्ध सरकार द्वारा मान्य हैं। कुल जुर्माने की राशि काम की अवधि में दी जाने वाली मजदूरी के एक रुपए के पीछे तीन पैसे से अधिक नहीं हो सकती। अगर मजदूरी की अदायगी देर से की जाती है या गलत कटौतियां की जाती हैं तो मजदूर या उनके संघ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुसूचित रोजगारों में समयोपरि भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार किया जाता है।

न्यूनतम मजदूरी

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सरकार अनुसूचित धन्धों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकती है। इस अधिनियम में उपयुक्त समय-अंतरों के बाद जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, पूर्व-निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा एवं संशोधन का प्रावधान है। जुलाई 1980 में हुए श्रम मंत्रियों के 31 वें सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि अधिकाधिक दो वर्ष के अन्तराल पर, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 50 अंक बढ़ने पर, दोनों में से जो भी पूर्व हो, न्यूनतम वेतन में संशोधन किया जाए।

समान पारिश्रमिक

26 सितम्बर, 1975 को जारी किए गए एक अध्यादेश के द्वारा, जो 11 फरवरी, 1976 को एक अधिनियम बन गया, पूरे देश में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक देने की व्यवस्था हुई।

इस अधिनियम के अन्तर्गत एक ही या एक जैसे कार्य के लिए स्त्री और पुरुष कर्मचारियों को समान वेतन या पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था है। इससे नौकरियों में या तत्संबद्ध मामलों में औरतों के खिलाफ लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर अंकुश लगा है। यह अंकुश वहां लागू नहीं होगा, जहां स्त्रियों की नियुक्ति किसी चालू कानून के द्वारा या किसी कानून के अन्तर्गत निषिद्ध या प्रतिबंधित है।

यह अधिनियम अब तक कई क्षेत्रों में, जैसे (1951 के बागान मजदूर अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले) बागानों, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, बैंकों, शिक्षण-संस्थाओं, खानों, अस्पतालों, होटलों तथा रेस्तराओं, वस्त्र निर्माण तथा वस्त्र उत्पाद उद्योगों, थोक तथा खुदरा व्यापार, निर्माण, कृषि तथा वायु-यातायात उद्योग पर लागू किया जा चुका है। जून 1978 से इसके अन्तर्गत सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं भी आ गई हैं।

बोनस

बोनस भुगतान (संशोधन) अध्यादेश 1980 का स्थान बोनस भुगतान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1980 ने ले लिया है। यह संशोधित अधिनियम उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिन्हें निजी उद्यमों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है, को छोड़कर, अन्यों पर लागू नहीं होता। यह उन संस्थानों पर भी लागू नहीं होता जो लाभ

के लिए नहीं है जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम और विभागों द्वारा चालित उद्यम । सभी बैंक भी इसके अन्तर्गत आते हैं । इस अधिनियम में कम से कम बोनस 8.33 प्रतिशत या 100 रुपये (जो भी अधिक हो) देने की व्यवस्था है चाहे इसके लिए धन की व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं । इस फार्मूले के अन्तर्गत कम-से-कम बोनस से अधिक भुगतान तभी संभव है जबकि उपलब्ध धन मे इसकी व्यवस्था हो और वह अधिकतम 20 प्रतिशत हो सकता है । बोनस का भुगतान कर्मचारियों व मालिक के बीच एक आपसी करारनामे के अनुसार एक अन्य फार्मूले द्वारा उत्पादन/उत्पादकता मे जुड़ा हुआ होता है । भुगतान में अपनाई जाने वाली कोई भी अन्य पद्धति नियम विरुद्ध होगी ।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 32 (iv) के अनुसार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारो के किसी विभाग तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित उद्योगों में लगे हुए कर्मचारी इस भुगतान के अन्तर्गत नहीं आते । यद्यपि रेल, डाक-तार और कुछ रक्षा संस्थानो तथा इसी प्रकार के अन्य संस्थानो के कर्मचारियों को उत्पादन संबंधी बोनस देने का फैसला किया गया है । रेल, डाक और तार विभाग के कर्मचारियो को भुगतान किया जा चुका है परन्तु अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए एक योजना विचाराधीन है ।

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

देश में तैयार माल बनाने वाले, खनन तथा बागान उद्योगों में मजदूरी की दरों से संबंधित आंकड़ों के संकलन के लिए श्रम ब्यूरो समय-समय पर व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण करता है । इस प्रकार का पहला और दूसरा सर्वेक्षण (दोनों में 44 उद्योग शामिल किए गए हैं) क्रमशः 1958-59 और 1963-65 में किए गए । दोनों सर्वेक्षणों की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं ।

ठेका मजदूरी

तीसरे सर्वेक्षण में 81 उद्योग शामिल किए गए जिनमें वे 44 उद्योग भी शामिल थे जिनका पहले सर्वेक्षण हो चुका था । इसका काम 1974 से 1979 के बीच चार चरणों में पूरा हुआ । सर्वेक्षण के पिछले तीन चरणों में 45 उद्योगों में मंहगाई भत्ते तथा बोनस पर प्राथमिकता के आधार पर पुस्तिका (ब्रोशर) जारी की गई । चौथे चरण के दौरान जिन 36 उद्योगो का सर्वेक्षण किया गया उन पर इसी तरह की एक पुस्तिका तैयार की गई है जो आजकल मुद्रणाधीन है । जहां तक व्यवसाय व मजदूरी तथा आय के आंकड़ों का प्रश्न है, पहले चरण में बागान उद्योग, खान उद्योग, अभ्रक फैक्टरी तथा चाय फैक्टरी पर रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है ।

ठेका मजदूर (नियमन तथा समापन) अधिनियम 1960 जो कि फरवरी 1971 से समूचे भारत में लागू किया गया, कुछ संस्थानो में ठेका मजदूर व्यवस्था का नियमन करता है तथा किन्हीं निर्धारित हालात में उसका समापन भी । मजदूरी की अदायगी न होने पर उसके लिए मुख्य मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाता है ।

बंधुवा मजदूर

सम्पूर्ण देश में बंधुवा मजदूर की मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 द्वारा समाप्त कर दिया गया है । इस अधिनियम के अन्तर्गत, प्रत्येक बंधुवा मजदूर को बंधुवा मजदूरी के किसी भी दायित्व से मुक्त घोषित कर दिया गया है ।

दिसम्बर 1981 तक 1,33,550 बंधुवा मजदूरों का पता लगाकर उन्हें मुक्त कराया जा चुका है। इनमें से 1,19,026 बंधुवा मजदूरों का पुनर्वास किया जा चुका है या इसके लिए प्रयास जारी है। केन्द्र ने 42,119 बंधुवा मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

औद्योगिक सम्बन्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, ऐसा प्रमुख केन्द्रीय कानून है, जिसमें औद्योगिक विवादों को हल करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अनुशासन संहिता (1958) और औद्योगिक शांति प्रस्ताव (1962) से भी सुचारु औद्योगिक सम्बन्ध बनाए रखने में मदद मिलती है।

औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश औद्योगिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 पारित हुआ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने उन औद्योगिक संस्थानों के लिए, जहां 100 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, आदर्श नियम तैयार किए। इस अधिनियम का 1961 में संशोधन किया गया। यह संबन्धित सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि वह इसे उन संस्थानों पर भी लागू करे, जहां 100 से कम कामगार काम करते हैं। 1963 में किए गए एक और संशोधन के अन्तर्गत संबन्धित सरकार द्वारा तैयार किए गए आदर्श स्थायी आदेश उनके अन्तर्गत आने वाले तमाम औद्योगिक संस्थानों पर तब तक लागू रहेंगे जब तक कि औद्योगिक संस्थानों द्वारा बनाए गए स्थायी आदेश प्रमाणित नहीं किए जाते।

यह अधिनियम अब आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल के उन सब संस्थानों पर लागू होता है, जहां 50 या उससे ज्यादा श्रमिक काम करते हैं। असम में यह उन संस्थानों पर भी (खानों, पत्थर की खानों, तेल के क्षेत्रों और रेलों को छोड़कर) लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा श्रमिक काम करते हैं। तमिलनाडु में वे सब कारखाने, जो फैक्टरी अधिनियम 1948, के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, इसके अन्तर्गत आ जाते हैं।

अनुशासन संहिता 1958 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में तैयार की गई अनुशासन संहिता यह अपेक्षा करती है कि मालिक और मजदूरों के झगड़ों का निपटारा करने के लिए सीधी कार्यवाही का सहारा न लेकर वर्तमान व्यवस्था का उपयोग करें। कर्मचारियों व श्रमिकों के सभी केन्द्रीय संगठनों ने तथा कई अन्य संगठनों ने भी इसे स्वीकार किया है।

केन्द्र और राज्यों के कार्यान्विति संगठन विवादों को तय करने में सहायता करते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को छोड़कर, मालिकों और मजदूरों के केन्द्रीय संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने भी विवादों की छानबीन के लिए ऐसी समितियां या सैल गठित किए हैं जो उनसे सम्बद्ध सदस्यों को औद्योगिक अधिकरणों और श्रम अदालतों जैसी निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील करने के प्रति हतोत्साहित करती हैं। केन्द्रीय प्रतिष्ठान जिन मामलों में अपील करना चाहते हैं, उनकी छानबीन के लिए भी एक ऐसी पद्धति 1964 से अपनाई जा रही है।

यह संहिता रक्षा मंत्रालय, रेलों, गोदामों और बन्दरगाहों को छोड़कर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होती है, जो कम्पनियों तथा निगमों के रूप में काम कर रहे हैं। रक्षा उत्पादन विभाग ने भी अपने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में, जो कम्पनी और निगमों की तरह चलाए जाते हैं, इसे कुछ स्पष्टीकरणों के साथ लागू कर दिया है। कुछ संशोधनों के साथ यह संहिता बीमा उद्योग, स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया पर भी लागू कर दी गई है।

मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के बीच मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करने के तरीकों से संबंधित स्पष्टीकरणों पर समझौते के अभाव में यह संहिता दूसरे बैंकों में लागू नहीं की जा सकी।

औद्योगिक शान्ति

1962 में मालिकों और मजदूरों के केन्द्रीय संगठनों ने एक औद्योगिक प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव का आशय यह था कि देश में उत्पादन में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, न उत्पादन की रफ्तार कम हो, बल्कि उत्पादन की मात्रा अधिकतम बढ़ाई जाए और सुरक्षा प्रयासों को हर संभव ढंग से बढ़ावा दिया जाए। प्रस्ताव की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अगस्त 1963 में एक स्थायी समिति का गठन किया गया। बाद में इस समिति को केन्द्रीय कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समिति में मिला दिया गया।

राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रोत्साहन बोर्ड

अनुशासन संहिता तथा उद्योग राहत प्रस्ताव दोनों आपसी झगड़ों को स्वैच्छिक मध्यस्थता द्वारा फैसला करने पर जोर देते हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा लगातार प्रत्यायक कोशिश करने के कारण लगभग सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन ने तो मध्यस्थता प्रोत्साहन बोर्डों की स्थापना कर दी है या इस उद्देश्य के लिए कोई अन्य संस्थागत प्रबन्ध कर दिया है।

शिकायतों के सम्बन्ध में कार्रवाई

अनुशासन संहिता के अन्तर्गत कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रबन्धकों को ऐसी प्रक्रिया स्थापित करनी होगी जिससे झगड़ों का पूरी जांच के बाद फैसला हो सके। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र इस बात पर जोर दे रहा है कि वे प्रबन्धकों को उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के पालन न करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करे ताकि इस सम्बन्ध में उत्पन्न शिकायतों को दूर किया जा सके।

कार्य समितियां

उन औद्योगिक संस्थानों में, जिनमें, 100 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, कार्य समितियां स्थापित की गई हैं। इसमें मालिकों और कर्मचारियों का समान प्रतिनिधित्व रहता है और इसका उद्देश्य दोनों के बीच शांति की भावना को बनाए रखने के लिए अधिक कारगर कदम उठाना तथा सौहार्द एवं अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना है। 31 दिसम्बर, 1981 तक 574 संस्थानों में कार्यसमितियां कार्य कर रही थीं।

प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी

उद्योगों में संयंत्र तथा कारखाने के स्तर पर कर्मचारियों को भागीदार बनाने की योजना अक्तूबर 1975 में प्रारम्भ की गई। यह योजना उत्पादन तथा खान उद्योग की उन इकाइयों पर लागू होती है जिनमें 500 अथवा उससे

अधिक कर्मचारी काम करते हैं। जनवरी, 1977 में एक अन्य योजना की घोषणा की गई जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जनता से कारोबार करने वाले उन व्यापारिक तथा सेवा संगठनों के प्रबंध में, जिनमें कम-से-कम 100 व्यक्ति कार्य करते हैं, कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान है। यह दोनों योजनाएं ऐच्छिक हैं।

मई 1977 में हुए त्रिदलीय श्रमिक सम्मेलन में उन मामलों पर विचार किया गया जो 1975 की योजना को कार्यरूप देते समय सामने आए। सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार प्रबंध तथा उद्योग में कर्मचारियों की भागीदारी, जिनमें प्रबंधकों के केन्द्रीय संगठनों के तथा मजदूर संगठनों, कुछ राज्यों तथा व्यावसायिक प्रबंध संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, पर विचार के लिए एक समिति सितम्बर 1977 में बनाई गई। सरकार को जो रिपोर्ट पेश की गई, उसके अनुसार अधिकांश सदस्यों ने निगमित प्रबन्ध, संयंत्र और कार्य स्थल स्तर पर भागीदारी की त्रिस्तरीय प्रणाली का समर्थन किया। समिति ने उपरोक्त तीनों स्तरों पर विभिन्न परिषदों के कार्य का विस्तृत ब्यौरा दिया। इसने सिफारिश की कि भागीदारी मंचों में मजदूरों के प्रतिनिधि गुप्त मतदान द्वारा चुने जाएं। इसने यह भी सिफारिश की कि इक्विटी भागीदारी को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तक सीमित रखा जाए और यह वैकल्पिक हो। इसकी एक सिफारिश यह भी थी कि केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक संगठन स्थापित किया जाए जो योजनाओं की कार्यान्विति की देख-रेख और समीक्षा करे। समिति की सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

समझौता और न्याय निर्णय

केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध संगठन, जिसे मुख्य श्रम आयुक्त का संगठन भी कहा जाता है, का काम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत औद्योगिक झगड़ों को रोकना, उनके बारे में जांच-पड़ताल करना और उनको निपटाना है। यही संगठन केन्द्रीय सरकार के उद्योगों में भी कुछ श्रम कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

जब औद्योगिक विवाद आपसी बातचीत के द्वारा तय नहीं होते तो समझौता कराने वाला संगठन झगड़ा निपटाने की कोशिश करता है। जब सार्वजनिक उपयोग की सेवा में कोई औद्योगिक विवाद हो या होने की आशंका हो और इसके लिए 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम की 22वीं धारा के अन्तर्गत कोई सूचना प्राप्त हो तो समझौता अधिकारी के लिए समझौते की कार्रवाई करना अनिवार्य है। दूसरे औद्योगिक संस्थानों में यह कार्रवाई ऐच्छिक है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में औद्योगिक झगड़ों में ऐच्छिक/अनिवार्य रूप से समझौता कराने की व्यवस्था है। केन्द्रीय उद्योग क्षेत्र के विवादों को निपटाने के लिए 8 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इनमें से 3 धनबाद में, 2 बम्बई में और एक-एक कलकत्ता, जबलपुर और दिल्ली में हैं। राज्यों के अपने अलग न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय हैं। इनमें बम्बई का औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है।

कामगारों को जबरन छुट्टी और छंटनी

कर्मचारियों की परिहार्य कठिनाइयों को दूर करने के लिए और उत्पादन तथा उत्पादकता की गति को कायम रखने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन किया गया ताकि कर्मचारियों की जबरन छुट्टी और छंटनी को रोका जा सके। नए अधिनियम [औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976] के अन्तर्गत मालिको के जबरन छुट्टी, छंटनी और तालाबन्दी के अधिकार पर समुचित पाबन्दी लगा दी गई है। अब मालिक को तालाबन्दी करने से पहले विशिष्ट प्राधिकारी या उपयुक्त सरकार से ऐसा करने की पूर्व-अनुमति लेनी पड़ेगी और उस नोटिस में जबरन छुट्टी, छंटनी और उस औद्योगिक संस्थान को, जिसमें 300 या उससे अधिक कामगार नियुक्त हैं, बन्द करने के कारणों को प्रार्थना-पत्र में साफ-साफ लिखना पड़ेगा। संशोधित अधिनियम में कारखाना बंद करने से संबंधित प्रावधान एक्सेल वीमर तथा भारतीय संघ के बीच 1978 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण लागू नहीं हैं।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान

राष्ट्रीय श्रम संस्थान की, जो एक पंजीकृत समिति है, स्थापना श्रम मन्त्रालय के अन्तर्गत 1 जुलाई, 1974 को नयी दिल्ली में उन लोगों को आवश्यक तकनीकों और कुशलताओं की जानकारी देने के लिए हुई जिन्हें त्रिपक्षीय आधार पर केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर श्रम-सम्बन्ध निपटाने पड़ते हैं। यह संस्थान ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों की समस्याओं, प्रबन्ध में भागीदारी, औद्योगिक प्रजातन्त्र और सरकारी प्रणाली के प्रबन्ध में भागीदारी की भावना के विस्तार के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है और एक अन्तर-अनुशासन विषयक अनुसंधान और कार्य निकाय है। संस्थान, शिक्षण और प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और प्रकाशन की गतिविधियों में सामंजस्य भी रखता है। यह संस्थान ग्रामीण श्रमिकों के संगठनकर्ताओं को ट्रेनिंग देने, ग्रामीण निर्धन वर्ग की समस्याओं की जांच करने और उनके विकास के लिए अनुसंधान और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण श्रम-शिविर भी लगाता है।

श्रमिक संघ

श्रमिक संघ अधिनियम, (ट्रेड यूनियन एक्ट), 1926 में श्रमिक संघों के पंजीकरण की व्यवस्था है। ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत किसी श्रमिक संघ के सात या इससे अधिक सदस्य ट्रेड यूनियन के नियमों का पालन करने का वचन देते हुए और रजिस्ट्री संबंधी अन्य सभी शर्तों का पालन करते हुए, रजिस्ट्री के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं। यह अधिनियम पंजीकृत श्रमिक संघों को कुछ मामलों में सिविल और दण्ड प्रक्रिया से रक्षा करता है।

सारणी 23.4 में भारत में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की संख्या और सदस्य संख्या दी गई है।

सारणी 23.4 पंजीकृत ट्रेड यूनियनें और सदस्य संख्या

विवरण	मजदूर संघ			मालिक संघ		
	1961-62	1977[1]	1978[1]	1961-62	1977[1]	1978[1]
रजिस्टर पर संघों की संख्या	11,416	30,403[2]	31,295[2]	198	492[2]	486[2]
रिटर्न भेजने वाले संघों की संख्या	6,954	8,639	7,646	133	109	109

विवरण	मजदूर संघ			मालिक संघ		
	1961–62	1977[1]	1978[1]	1961–62	1977[1]	1978[1]
रिटर्न भेजने वाले संघों की सदस्यता (हजार में)	3,960	5,858	5,689	18	25	19

(1) अस्थाई और इसमें बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल के 1977 के तथा आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल के 1978 के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

(2) अनुमानित।

सामाजिक सुरक्षा

श्रमिकों का स्वास्थ्य खराब होने, प्रसूति या औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसी विपदाओं में आवश्यक सहारा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा की कई योजनाएं हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

1948 का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, जो अब तक केवल उन कारखानों में लागू था जहां सारे साल काम होता है, मशीनें बिजली से चलती हैं और कम-से-कम बीस आदमी काम करते हैं, अब राज्य सरकारों द्वारा धीरे-धीरे उन छोटे कारखानों, होटलों, रेस्तरांओं, दुकानों, सिनेमाघरों आदि, जहां 20 या 20 से अधिक आदमी काम करते हों, पर भी लागू किया जा रहा है। यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनका प्रतिमाह वेतन 1,000 रु० से कम है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों को प्रसूति, रोजगार में चोट की अवस्था में उनके इलाज का प्रबन्ध करने और उन्हें नकद भत्ता देने तथा चोट से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पेंशन देने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को, जो इस नियम के अन्तर्गत आता है, हर प्रकार के इलाज की सुविधाएं धीरे-धीरे दी जा रही हैं।

31 दिसम्बर, 1981 को 77 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और 37 उप-अस्पताल थे जिनमें बिस्तरों की संख्या 17,004 थी और औषधालयों की संख्या 1,073 थी। इस योजना को 63.62 लाख कर्मचारियों तक पहुंचाया जा चुका है।

कर्मचारी भविष्य निधियां

1952 के कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य प्रावधान अधिनियम द्वारा औद्योगिक कर्मचारियों को अवकाश-प्राप्ति पर कई प्रकार के लाभ उपलब्ध हैं। 31 दिसम्बर 1981 तक जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में 166 उद्योग/प्रतिष्ठान थे, जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। यह कानून उन संस्थानों पर लागू नहीं होता जो 1912 के सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड हैं और जिनमें 50 से कम लोग काम करते हैं तथा जिनकी मशीनें बिजली या भाप से नहीं चलतीं। वर्तमान में यह योजना 1600 रुपये तक मासिक वेतन पाने वालों पर लागू होती है।

इस निधि के लिए मालिकों को, कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी व महंगाई भत्ते की कुल राशि के सवा छह प्रतिशत के बराबर अपना हिस्सा देना होता है (कुल राशि में कर्मचारियों को दी गई खाद्य रियायतों का नकदी मूल्य और अनुरक्षण भत्ता भी शामिल है)। इतना ही हिस्सा कर्मचारियों को भी देना होता है। 95 उद्योगों के लिए, जिनमें 50 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, यह हिस्सा बढ़ा कर 8 प्रतिशत कर दिया गया है।

सितम्बर 1981 के अन्त में भविष्य निधि अंशदाताओं की संख्या 113.10 लाख थी। भविष्य निधियों में जमा धनराशि ब्याज समेत 7,704.98 करोड़ रुपये थी और भुगताई गई रकम 3,696.02 करोड़ रु० थी।

एम्प्लाईज डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम

सामाजिक सुरक्षा की एक और योजना है एम्प्लाईज डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 अर्थात् भविष्य निधि में जमा धनराशि से जुड़ा बीमा। यह योजना 1 अगस्त, 1976 से लागू हुई। इसके अनुसार, कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके वारिस को भविष्य निधि की धनराशि के अतिरिक्त एक और धनराशि मिलेगी जो पिछले तीन वर्षों में निधि में मौजूद औसत धनराशि के बराबर होगी, बशर्ते कि निधि में औसत धनराशि 1,000 रुपये से कम न रही हो। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम भुगतान 10,000 रुपये होगा जिसके लिए कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा।

31 मार्च, 1981 तक योजना के अन्तर्गत भुगतान के 23,266 प्रार्थनापत्रों का फैसला किया गया और 14.12 करोड़ रुपये प्रार्थियों को दिए गए।

आनुतोषिक योजना

1972 के आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, गोदियों, रेलवे, मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों, कम्पनियों, दुकानों तथा अन्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी आनुतोषिक के हकदार हैं। यह हर पूरे किए गए सेवा वर्ष के पीछे 15 दिनों की मजदूरी के हिसाब से दी जाती है और कुल राशि 20 महीनों की मजदूरी से ज्यादा नहीं हो सकती। परन्तु ऐसे कारखानों में, जहां सारा वर्ष कार्य नहीं होता, आनुतोषिक की दर प्रति ऋतु में 7 दिन के वेतन के बराबर होगी। अगर किसी कर्मचारी को मालिक के साथ किए किसी अन्य निर्णय, अनुबन्ध या इकरार के अधीन इससे अच्छी शर्तें मिलें, तो उन पर अधिनियम का असर नहीं पड़ता।

मृत्यु होने पर सहायता

जनवरी, 1964 में एक मृत्यु सहायता निधि स्थापित की गई जिसका उद्देश्य गैर-छूट-प्राप्त संस्थानों के मृतक के उत्तराधिकारियों या नामजद व्यक्तियों को कम-से-कम 500 रुपये की सहायता देना था। 1 अगस्त 1969 से यह सीमा बढ़ाकर 750 रु० कर दी गई। इसके पश्चात 5 जनवरी 1978 को यह सीमा 750 रु० से बढ़ाकर 1000 रु० तथा 19 अगस्त 1981 को यह और बढ़ाकर 1000 रु० से 1250 रु० कर दी गई। उसका लाभ अब उन व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों या नामजद व्यक्तियों को मिलता है जिनका मासिक वेतन मृत्यु के समय 1000 रु० से अधिक नहीं है।

पारिवारिक पेंशन औद्योगिक मजदूरों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवारों के लिए लम्बी अवधि तक धन सम्बन्धी सुरक्षा देने की दृष्टि से 1 मार्च, 1971 से पारिवारिक पेंशन योजना 1971 और कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 शुरू की गई। कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं मे मालिकों और कर्मचारियों के अंशदान के एक भाग को अलग करके इसके लिए धन प्राप्त किया जाता है। इसमे केन्द्र सरकार भी कुछ भाग जमा करती है। 31 मार्च, 1981 को कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ 59.64 लाख लोगों को मिल रहा था।

विक्रयकर्त्ता अधिनियम 1976 का विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा-शर्तें) अधिनियम विक्रय प्रोत्साहन कार्यों मे लगे लोगों को विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत लाभ देता है। इस अधिनियम में इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमन के अतिरिक्त उनकी नौकरी की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, प्रसूति-लाभ, बोनस भुगतान, आनुतोषिक और क्षति-पूर्ति, छुट्टियो की व्यवस्था, नियुक्ति-पत्र जारी करना आदि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 6 मार्च, 1976 से लागू हुआ और इस समय औषधि बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियो पर लागू होता है।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम समाचारपत्रों के संगठनों मे काम कर रहे व्यक्तियों तथा श्रमजीवी पत्रकारो की सेवा-शर्तों को नियमित करने के लिए 1955 मे श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य कर्मचारी (सेवा-पूर्ति का नियमन) तथा अन्य सुविधाएं अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को एक विशिष्ट धारा द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धाराओं को कुछ संशोधित करके श्रमजीवी पत्रकारो पर लागू किया गया।

पालेकर न्यायाधिकरण केन्द्रीय सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों के समाचार पत्रों के संगठनों में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों को निर्धारित करने के लिए श्रमजीवी पत्रकार व अन्य कर्मचारी (सेवा-पूर्ति का नियमन) तथा अन्य सुविधाएं अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश श्री डी० जी० पालेकर की अध्यक्षता में फरवरी 1979 मे एक न्यायाधिकरण की स्थापना की थी। न्यायाधिकरण ने 13 अगस्त 1980 को अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी थीं।

सरकार ने महंगाई भत्ता संबंधी सिफारिश को छोड अन्य सभी सिफारिशों को मान लिया है। इसमे कुछ संशोधन करके आदेश जारी कर दिए गए हैं जो कि भारत के विशेष राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं। न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार सरकार ने महंगाई भत्ते मे सभी संबद्ध व्यक्तियों के विचार जानने के पश्चात्, संशोधन किया है। सशोधित महगाई भत्ते के दरो सम्बन्धी आदेश 20 जुलाई 1981 को भारत के विशेष राजपत्र मे प्रकाशित हो चुके हैं।

श्रमिकों के लिए क्षति-पूर्ति काम करते समय लगने वाली चोट या पैदा होने वाली बीमारियों की क्षति-पूर्ति के लिए 1923 के कर्मचारी क्षति-पूर्ति अधिनियम में व्यवस्था है। इस कानून में मृत्यु, स्थायी और पूर्ण विकलांगता, स्थायी और आंशिक विकलांगता तथा स्थायी विकलांगता के लिए क्षति-पूर्ति की अलग-अलग दरें निश्चित की गई हैं।

अब यह अधिनियम, उनको छोड़कर जो राज्य जीवन बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत आते हैं, कुछ अभिनिर्धारित खतरे वाले व्यवसायों के उन मजदूरों पर भी लागू होता है जिनका मासिक वेतन 1,000 रु० से कम है।

प्रसूति सम्बन्धी लाभ

प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 कुछ संस्थानों में प्रसव काल से पहले और बाद में कुछ समय तक के लिए महिलाओं की नियुक्ति का नियमन करता है और उनके लिए प्रसूति और दूसरे लाभ उपलब्ध कराता है। ऐसे कारखानों और संस्थानों के अतिरिक्त, जहां पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के नियम फिलहाल लागू है, यह अधिनियम खानों, कारखानों, सर्कस उद्योग और बागानों तथा इसी प्रकार के अन्य सरकारी संस्थानों पर लागू होता है। यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा अन्य संस्थानों पर भी लागू किया जा सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई वेतन सीमा निर्धारित नहीं है।

श्रम-कल्याण

कारखानों, खानों और बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 1948 के कारखाना अधिनियम, 1952 के खान अधिनियम, 1951 के बागान अधिनियम और 1966 के बीड़ी तथा सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम के अन्तर्गत सुविधाजनक वातावरण बनाए रखने के लिए कैंटीन, विश्राम-स्थल, छोटे बच्चों के देखभाल की वाड़िया, चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन के साधन जैसी सुख-सुविधाएं जुटाई गई हैं। 1970 के ठेका मजदूर (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम के अनुसार ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को भी ऐसी सुविधाएं देना जरूरी है। जिन कारखानों में 500 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते है उनमें कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं की देखभाल करने के लिए कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करनी आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागीय प्रतिष्ठानों में इस समय लगभग 220 कल्याण अधिकारी हैं।

1966 में केन्द्रीय उपक्रमों में स्वेच्छा कल्याण निधि प्रारम्भ की गई। इसके क्षेत्र-विस्तार का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

खनिकों के लिए कल्याण कार्य

खनिकों की भलाई के लिए अभ्रक, कच्चा लोहा, कच्चा मैंगनीज तथा चूने के पत्थर की खानों में काम करने वालो के लिए कल्याण कोष स्थापित किए गए हैं। कोषों के लिए धनराशि अभ्रक निर्यात पर लगे सीमा शुल्क पर उपकर, लोहा और मैंगनीज अयस्क निर्यात के सीमा शुल्क पर उपकर, आन्तरिक खपत पर लगे उत्पादन शुल्क और लोहा अभ्रक इस्पात संयंत्र और सीमेंट तथा अन्य कारखानों में इस्तेमाल होने वाले चूना पत्थर और डोलोमाइट के उत्पादन शुल्क पर उपकर लगाकर प्राप्त की जाती है।

बीड़ी श्रमिक

बीड़ी श्रमिकों के लिए भी कल्याण कोष स्थापित किया गया है। इसके लिए धन राशि तैयार बीड़ी पर लगे शुल्क पर उपकर लगाकर प्राप्त की जाती है। कल्याण कार्यों में श्रमिकों तथा उन पर आश्रितों के लिए मकान, जन स्वास्थ्य तथा सफाई, दवाइयां, शिक्षा तथा मनोरंजन सुविधाएं शामिल हैं।

गोदी मजदूर बम्बई, कलकत्ता, कोच्चिन, कांडला, मद्रास, मारमागाओ, न्यू मंगलोर, न्यू तूतीकोरीन, पारादीप, विशाखापत्तनम और अन्य बन्दरगाहों पर काम करने वाले गोदी कर्मचारियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य चालू हैं। इनमें मकानों, चिकित्सा, बच्चों के स्कूल की फीस की प्रतिपूर्ति तथा मनोरंजन और कैन्टीन आदि की सुविधाएं शामिल हैं। कुछ बन्दरगाहों में उचित दर की दुकानें और उपभोक्ता सहकारी समितियां भी काम कर रही हैं।

बागान मजदूर बागान श्रम अधिनियम 1951 में बागान मजदूर के कल्याण का प्रावधान है तथा बागान में मजदूरों के काम की स्थिति का नियमन है। इन अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा इस अधिनियम के कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए 8 मार्च, 1973 को राज्य सभा में एक संशोधन अधिनियम लाया गया। बागान मजदूर (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 26 जनवरी 1982 को लागू की गई। यह अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर सारे देश में लागू होता है तथा इसमें सभी चाय, काफी, रबड़, सिनकोना तथा कारडोमाम के बागान शामिल हैं जो पांच हैक्टेयर या इससे बड़े हैं तथा जिसमें 15 या इससे अधिक मजदूर काम करते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत 750 रु० प्रति माह तक पाने वाले मजदूर आते हैं। इस अधिनियम के अनुसार बागान का पंजीयन कराना आवश्यक है। राज्य सरकारें जो अधिनियम की व्यवस्था करती हैं यह देखती हैं कि वैधानिक कार्यवाही पूरी कर ली गई है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने तथा केन्द्र शासित प्रदेश अंदमान: एवं निकोबार द्वीप समूह ने सूचना दी है कि यह अधिनियम सन्तोषपूर्ण ढंग से लागू किया जा रहा है।

मोटर परिवहन कर्मचारी 1961 के मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम में परिवहन कर्मचारियों के कल्याण और उनके काम की परिस्थिति के नियमन का प्रावधान है। यह अधिनियम सारे देश में लागू होता है तथा इसमें सभी मोटर परिवहन उपक्रम आते हैं जिसमें पांच या अधिक कर्मचारी हैं।

मजदूरों की शिक्षा केन्द्रीय मजदूर शिक्षा बोर्ड, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, एक त्रिपक्षीय संस्था है, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा मालिकों और मजदूरों व शिक्षा शास्त्रियों के प्रतिनिधि हैं। यह मजदूर शिक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक पंजीकृत संस्था है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:—

(1) राष्ट्र के आर्थिक-सामाजिक विकास में सभी प्रकार के मजदूरों की भागीदारी के लिए सुविधाएं जुटाना;

(2) मजदूरों में उनके सामाजिक-आर्थिक वातावरण से संबंधित समस्याओं की अधिक समझ पैदा करना, परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी और एक नागरिक, उद्योग में मजदूर और मजदूर संघों के सदस्य और अधिकारी के रूप में उनकी जिम्मेदारी बताना;

(3) स्वयं मजदूरों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना;

(4) मजदूरों को जागरूक बनाकर तथा अच्छी ट्रेनिंग पाए हुए अधिकारियों के द्वारा मजदूर संघों को मजबूत बनाना, उनमें एकता पैदा करना और

उनमें और अधिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करना;

(5) मजदूर संघ आंदोलन में जनतांत्रिक प्रक्रियाओं और परम्पराओं को मजबूत बनाना; और

(6) स्वयं मजदूर संघों को इस योग्य बना देना जिससे वे अंततः मजदूर शिक्षा का काम स्वयं संभाल लें।

मजदूर शिक्षा योजना तीन चरणों में विभाजित है। पहले चरण के अंतर्गत शिक्षा अधिकारियों को जो बोर्ड के पूर्णकालिक कर्मचारी होते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरे चरण में शिक्षा अधिकारी मजदूर संघों द्वारा नामित मजदूरों को तीन महीने की ट्रेनिंग देते हैं। इन मजदूरों को मजदूर-शिक्षक कहा जाता है। तीसरे चरण में मजदूर-शिक्षक अन्य मजदूरों के लिए उनके काम की जगह पर कक्षाएं लगाते हैं। 31 दिसम्बर, 1981 तक लगभग 60,467 काम करने वाले अध्यापक व 29.25 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका था।

1977 में असंगठित क्षेत्र में भी बोर्ड की गतिविधियों का विस्तार किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1977-78 में चुने हुए केन्द्रीय क्षेत्रों में कई प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गईं। इन परियोजनाओं के अनुभव से प्रोत्साहित होकर बोर्ड ने अब सभी क्षेत्रीय मजदूर शिक्षा केन्द्रों में नियमित आधार पर इस कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न-प्रकार के मजदूरों को शिक्षा दी जाती है: भूमिहीन श्रमिक, कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर, वन तथा मछली पालन उद्योगों के श्रमिक, सीमांत किसान तथा ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 1981 तक लगभग 54,267 मजदूरों, को प्रशिक्षित किया गया। 1980 में बोर्ड ने ग्रामीण शिक्षा तथा संयोजकों के लिए चुने हुए क्षेत्रीय केन्द्रों में लम्बी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिये सिद्धान्त रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो माह की अवधि के होंगे। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1981 तक 171 मजदूर शिक्षक तथा आयोजकों को प्रशिक्षित किया गया।

2 अक्तूबर, 1978 को बोर्ड ने मुख्य रूप से बागवानी व खान क्षेत्रों में प्रथम: व्यावहारिक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। मजदूरों को प्रतिदिन एक घंटा, सप्ताह में पांच दिन के हिसाब से 6 माह तक शिक्षा दी जाती है। दिसम्बर 1981 तक 67,026 लाख मजदूरों को पढ़ा लिखा बनाया जा चुका था।

श्रमिकों की सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, मार्च, 1966 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्य कार्य सुरक्षा के विषय पर गोष्ठियों का आयोजन करना, कारखानों में चलचित्र दिखाना तथा पोस्टर बंटवाना है।

जुलाई, 1980 में परिषद् के 888 नियमित सदस्य, 93 व्यक्तिगत सदस्य, 11 श्रमिक संघों के सदस्य तथा 16 आजीवन सदस्य थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार

1948 के कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कारखानों तथा बन्दरगाहों में सुरक्षा का अच्छा प्रबन्ध करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार देने की कई योजनाएं हैं। हर योजना में नकद पुरस्कार और श्रेष्ठता का प्रमाणपत्र देने का प्रावधान है।

खानों में सुरक्षा

संविधान के अन्तर्गत खानों में लगे मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। ऐसा 1952 के खान अधिनियम के अन्तर्गत नियमित किया गया है। यह अधिनियम सब प्रकार की खानों, जिनमें परमाणु सम्बन्धी खनिजों की खानें तथा तेल क्षेत्र शामिल हैं, पर लागू होता है। इस समय देश में 522 कोयला खानें तथा 5,000 दूसरी खानें हैं जिन पर खान अधिनियम लागू होता है। इन खानों में लगभग 7.41 लाख कर्मचारी काम करते हैं।

कुछ वर्षों से दुर्घटनाओं में कमी आई है। कोयला खानों में जहां 1923 में मृत्यु दर प्रति हजार 1.82 थी, 1952 में 1.00 रह गई और आजकल और भी घटकर 0.32 हो गई है। इसी तरह अन्य खानों में यह दर 1923 के 1.05 से और 1952 के 0.47 से कम होकर अब 0.22 और 0.35 के बीच रह गई है। इसी अनुपात में गम्भीर दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। कोयला खानों तथा अन्य खानों में दुर्घटनाओं की जो दर 1947-52 में 7.50 तथा 5.60 थी, 1981 तक कम होकर क्रमशः 3.71 तथा 3.41 रह गई।

श्रमवीर पुरस्कार

'श्रमवीर पुरस्कार' कारखानों, खानों, बागानों और गोदियों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 1965 में शुरू किए गए। ये पुरस्कार श्रमिकों के श्लाघ्य कार्यों—जैसे ऐसे सुझाव देना जिनसे अधिक उत्पादन या मितव्ययता हो या कार्यक्षमता बढ़े—के लिए दिए जाते हैं।

कृषि श्रमिक

1981 की जनगणना के अनुसार भारत में खेतिहर मजदूरों की संख्या 5.4 करोड़ थी। 1971 के आंकड़ों के अनुसार ये संख्या 4.75 करोड़ थी। पहले किये गये अध्ययन से पता चलता है कि प्राथमिक संगठन में तथा ग्रामीण मजदूरों में जागृति की कमी के कारण वैधानिक तथा अवैधानिक योजनाओं का लाभ मजदूरों को नहीं मिल पाता। छठी पंचवर्षीय योजना से इस स्थिति पर काबू पाने के लिए ब्लाक स्तर पर अवैतनिक ग्रामीण मजदूरों को संगठित करने की योजना बनाई गई है जिसके लिए 65 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। संगठन-कर्ताओं का मुख्य कर्तव्य मजदूरों को उनके अधिकार तथा कर्तव्यों के बारे में शिक्षा देना, मजदूर संघों के महत्व का ज्ञान कराना तथा मजदूर संघ तथा दूसरे प्रकार के संघो, जो आवश्यक समझे जाएं, के संगठन में सहायता करना है। शुरू में यह योजना आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के 415 ब्लाकों में लागू की जाएगी।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 को कृषि मजदूरों पर भी लागू किया गया। वाणिज्य के आधार पर चलाए जा रहे कृषि फार्मों पर भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 लागू किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि और विभिन्न प्रावधान अधिनियम, 1952, उन खेतिहर मजदूरों

पर लागू होता है जो विशिष्ट बागानों में काम करते हैं। ट्रेक्टर के जरिए जिन फार्मों में खेती की जाती है अथवा अन्य मशीनी शक्ति या बिजली के जरिए जिन कृषि फार्मों में कार्य होता है, उन पर भी कर्मचारी क्षति-पूर्ति अधिनियम, 1923 पहले से ही लागू होता है।

वर्तमान में जितने भी मजदूर कानून हैं इनमें से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें न्यूनतम मजदूरी तथा समय-समय पर उसके संशोधन का प्रावधान है। न्यूनतम मजदूरी में संशोधन तथा उसके निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन पर सरकार ध्यान दे रही है। कुछ राज्यों ने कृषि में रोजगार की न्यूनतम मजदूरी से संशोधन का कार्य शुरू कर दिया है जबकि कुछ अन्य ने न्यूनतम मजदूरी- में संशोधन के लिए समितियों की स्थापना कर दी है। नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन में संशोधन तथा उनको लागू कराने का भी शामिल किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत खेतिहर मजदूरी निश्चित की है, जो 5.10 रु० से 7.00 रुपये के बीच प्रतिदिन है तथा क्षेत्र और कार्य के अनुसार होगी परन्तु न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया जा रहा है।

ग्रामीण असंगठित श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय स्थायी समिति बनाई गई है जिसका उद्देश्य असंगठित ग्रामीण श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार को प्रशासनिक तथा वैधानिक कार्रवाई के बारे में सुझाव देना है।

भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ कन्वेंशन संख्या 141 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके अन्तर्गत हस्ताक्षर करने वाले देशों के लिए यह जरूरी है कि वे स्वैच्छिक तौर पर ग्रामीण श्रमिकों की एक शक्तिशाली और स्वतंत्र संस्था स्थापित करें।

ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण

केन्द्र सरकार ने अब तक चार अखिल भारतीय ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण किए हैं। पहले दो सर्वेक्षण जिन्हें खेतिहर श्रमिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, 1950-51 तथा 1956-57 में किए गए अन्य दो सर्वेक्षण जिन्हें ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, 1963-65 में तथा 1974-75 में किए गए। अन्तिम दो सर्वेक्षणों का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया तथा उसमें सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू श्रमिक भी शामिल कर लिए गए।

ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य अन्तर्काल में ग्रामीण खेतीहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलनात्मक सारणी तैयार करना और कृषि ग्रामीण घरेलू श्रम के महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के विश्वसनीय तथा अद्यतन अनुमान तैयार करना तथा उनके प्रवाह तथा परिवर्तन का अध्ययन करना है। इन सर्वेक्षणों में एकत्रित [illegible] जन सांख्यिकीय से, रोजगार तथा बेरोजगारी की सीमा, आय, घरेलू उपभोग खर्च, ऋणों आदि के साथ-साथ नवीनतम सर्वेक्षण, खेतीहर मजदूरों में शिक्षा, मजदूर संघ तथा अन्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (तथा इसके अधीन निश्चित की गई मजदूरी) के आंकड़ों से सम्बन्धित हैं।

जून 1975 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 10वें दौर के साथ दूसरे

श्रमिक सर्वेक्षण के क्षेत्रगत कार्य का समाकलन किया गया। इस सारणी बनाने का कार्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुसूची की काट-छांट के बाद शुरू किया गया। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों की छह रिपोर्टें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

ग्रामीण श्रम सर्वेक्षण के दौरों के बीच के समय को कम करने के उद्देश्य से तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के क्षेत्रगत कार्यक्रम को युक्ति-युक्त बनाने के लिए यह निश्चय किया गया है कि ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण को एन० एस० एस० ओ० के रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण के साथ समाकलन कर दिया जाए। तदनुसार एन०एस० एस० ओ० के रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण में ग्रामीण/खेतिहर तथा घरेलू श्रमिक लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलू थे जो ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण 1974-75 में थे। इस दौरान संकलित आंकड़ों पर कार्य चल रहा है।

रोजगार

संगठित क्षेत्र, अर्थात् दस या इससे अधिक व्यक्तियों को काम पर लगाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र तथा गैर-कृषि क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में, रोजगार—मार्च, 1980 के 223.2 लाख से बढ़कर मार्च 1981 में 229.2 लाख हो गया। यह वृद्धि वर्ष के 2 प्रतिशत की तुलना में 2.7 प्रतिशत थी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि पिछले वर्ष के 2.7 प्रतिशत तथा 0.4 प्रतिशत के मुकाबले 1980-81 में क्रमशः 2.7 प्रतिशत तथा 2.8 प्रतिशत हुई।

एन० एस० एस० ओ० के 32वें दौरे से प्राप्त अंतिम परिणामों के आधार पर छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में मार्च, 1980 में बेरोजगारों का अनुमान दिया गया है। ये परिणाम आम स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा दैनिक स्थिति तीन धारणाओं पर आधारित हैं। आम स्थिति के अनुसार मार्च, 1980 को 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 1.14 करोड़ थी। साप्ताहिक स्थिति उन औसत व्यक्तियों से सम्बन्धित है जिन्हें मार्च, 1980 में सर्वेक्षण वाले सप्ताह में एक घंटे के लिए काम नहीं मिला या जो काम ढूंढ रहे थे या काम के लिए उपलब्ध थे। मार्च 1980 में ऐसे लोगों की संख्या, जो 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के थे, 1.16 करोड़ थी। साप्ताहिक बेरोजगार के ये अनुमान रोजगार की सही स्थिति नहीं दर्शाते, क्योंकि लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें हफ्तों कार्य नहीं मिलता। उन्हें कुछ दिन के लिए कार्य मिलता है, परन्तु उस सप्ताह में किसी दिन कार्य नहीं मिलता। इसलिये बेरोजगार व्यक्तियों की बजाय बेरोजगार दिन औसत दैनिक बेरोजगारों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गिने गए हैं। 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के औसत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या मार्च 1980 को 1.98 करोड़ थी।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

राष्ट्रीय रोजगार सेवा, 1945 में शुरू की गई। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाले अनेक रोजगार कार्यालय खोले गए हैं। ये रोजगार कार्यालय रोजगार की तलाश करने वाले सब प्रकार के व्यक्तियों की सहायता करते हैं, जिनमें शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जातियां और जन जातियां, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा व्यावसायिक और प्रबन्धक पदों के उम्मीदवार भी शामिल हैं। रोजगार सेवा और काम भी करती है जैसे

जनशक्ति के श्रेष्ठ उपयोग के लिए रोजगार परामर्श तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन, रोजगार सम्बन्धी सूचनाएं एकत्र और प्रचारित करना या रोजगार और धन्धों-सम्बन्धी अनुसन्धान के क्षेत्र में सर्वेक्षण और अध्ययन करना । ये अनुसन्धान तथा अध्ययन ऐसे आधारभूत आंकड़े उपलब्ध कराते हैं जो जनशक्ति के कुछ पहलुओं पर नीति निर्धारण में सहायक होते हैं ।

1959 के रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानो का अनिवार्य ज्ञापन) अधिनियम के अन्तर्गत सभी सरकारी और निजी क्षेत्र में ऐसे गैर-कृषि प्रतिष्ठानों का, जिनमें 25 या 25 से अधिक आदमी काम करते हों, यह दायित्व है कि अपने यहां रिक्त स्थानो की सूचना (कुछ अपवादों के साथ) अधिनियम के अन्तर्गत व नियमों के अनुसार रोजगार कार्यालयों को दें और समय-समय पर सूचित करें।

31 दिसम्बर, 1981 को देश में कुल 592 रोजगार कार्यालय थे, जिनमें 71 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन ब्यूरो शामिल है। सारणी 23.5 इन रोजगार कार्यालयों की गतिविधिया को दिखाती है।

प्रशासन

नवम्बर, 1956 से रोजगार कार्यालयों पर दिन-प्रतिदिन का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों को सौप दिया गया है । अप्रैल, 1969 से राज्य सरकारों को जनशक्ति और रोजगार योजनाओं से सम्बद्ध वित्तीय नियंत्रण भी दे दिया गया। केन्द्रीय सरकार का कार्यक्षेत्र अखिल भारतीय स्तर पर नीति-निर्धारण, कार्य- विधि और मानकों के समन्वय, विभिन्न कार्यक्रमों के विकास तथा प्रशिक्षण तक सीमित है ।

सारणी 23.5 रोजगार कार्यालयों की गतिविधियां

वर्ष	रोजगार कार्यालयो की संख्या*	पंजीकृत अभ्यर्थियो की संख्या	रोजगार पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	चालू रजिस्टर में अभ्यर्थियों की सख्या	रोजगार कार्यालयों का लाभ उठाने वाले मालिकों का मासिक औसत	ज्ञापित रिक्त स्थानो की संख्या
1956	143	16,69,985	1,89,855	7,58,503	5,346	2,96,618
1961	325	32,30,314	4,04,707	18,32,703	10,397	7,08,379
1966	396	38,71,162	5,07,342	26,22,460	12,908	8,52,467
1971	437	51,29,857	5,06,973	50,99,919	12,910	8,13,603
1976	517	56,19,397	4,96,781	97,84,332	13,277	8,45,575
1981	592	62,76,858	5,04,090	178,38,058	14,392	8,96,825

*इसमें 15 व्यावसायिक तथा कार्यपालक रोजगार कार्यालय शामिल हैं तथा 71 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं निर्देशन ब्यूरो शामिल नहीं है।

प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

रोजगार सेवा में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्रीय संस्थान, श्रम मंत्रालय मे रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन 1964 से कार्य कर रहा है यह संस्थान ये कार्य करता है :—(1) राष्ट्रीय रोजगार मे कर्मियों को प्रशिक्षण की आव-

श्यकता का निर्धारण करना (2) विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय रोजगार के कर्मियों के लिये प्रशिक्षण कोर्स देना तथा योजना बनाना; (3) रोजगार सेवाओं में आने वाली कठिनाइयों पर अनुसंधान करना तथा (4) कैरियर संबंधी साहित्य का संकलन और प्रकाशन और व्यवसाय-मार्गदर्शन तथा कैरियर परामर्श कार्यक्रमों में उपयोग के लिए श्रव्य-दृश्य साधनों का उत्पादन।

काम-धन्धे सम्बन्धी मार्गदर्शन

युवक-युवतियों को (ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काम का कोई अनुभव नहीं है) और प्रौढ़ व्यक्तियों को (जिन्हें खास-खास कामों का अनुभव है) काम-धन्धे से सम्बद्ध मार्गदर्शन और रोजगार सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है। 1981 में 263 रोजगार कार्यालयों तथा 71 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन कार्यालयों में काम-धन्धे सम्बन्धी मार्गदर्शन एकक काम कर रहे थे।

पढ़े-लिखे युवक-युवतियों को लाभदायक रोजगार दिलाने की दिशा में प्रवृत्त करने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्य-मार्गदर्शन और आजीविका परामर्श कार्यक्रमों को विस्तृत और व्यवस्थित किया गया है। रोजगार सेवा अनुसन्धान और प्रशिक्षण के केन्द्रीय संस्थान में एक आजीविका अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है, जो युवक-युवतियों तथा अन्य मार्गदर्शन चाहने वालों को व्यवसाय सम्बन्धी साहित्य देता है। यह संस्थान राष्ट्रीय रोजगार सेवा कर्मचारियों को रोजगार सेवाओं, तरीकों, व्यावसायिक मार्गदर्शन और गोष्ठियों का प्रशिक्षण देता है। यह रोजगार सेवा के अनेक पक्षों और क्षेत्रों में अनुसन्धान कार्य भी कर रहा है।

विकलांगों के लिए रोजगार कार्यालय

शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों के लिए 21 विशेष रोजगार कार्यालय हैं, जो पटना, मद्रास, अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़ (एक पंजाब के लिए और दूसरा हरियाणा के लिए), दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, कानपुर, जयपुर, त्रिवेन्द्रम, शिमला, गुवाहाटी, अगरतला, वडोदरा, सूरत, राजकोट तथा भुवनेश्वर में स्थित हैं।

विकलांगों के लिए अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास, लुधियाना और त्रिवेन्द्रम में 11 व्यावसायिक पुनः स्थापन केन्द्र काम कर रहे हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभ-कार्य

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्तियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रशिक्षण के लिए दस प्रशिक्षण व मार्गदर्शक केन्द्र दिल्ली; मद्रास, कानपुर, जयपुर, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, सूरत, जबलपुर, रांची तथा कलकत्ता में कार्य कर रहे हैं।

प्रशिक्षण कार्य-क्रम

युवाओं को किशोरावस्था में ही आजीविका के लिए तैयार करने के उद्देश्य से रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। जहां तक सम्भव होता है, ये कार्यक्रम राष्ट्र के अन्तर्गत रखे जाते हैं और विदेशी सहयोग से भी पूरे किए जाते हैं।

कारीगरों का प्रशिक्षण

15 से 25 साल की उम्र वाले युवक-युवतियों को 32 इंजीनियरी और 24 गैर इन्जीनियरी धन्धों में प्रशिक्षण देने के लिए समुचे देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। इस समय 970 संस्थाएं जिनमे कुल 2,00,000 सीटें हैं, देश में कारीगरों को प्रशिक्षण दे रही हैं। इन्जीनियरी धंधों के लिए ट्रेनिंग काल 1 से ■ वर्ष का है, परन्तु सभी गैर-इन्जीनियरी धंधों के लिए ट्रेनिंग काल 1 वर्ष है। अधिकतर धंधों में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं या मैट्रिकुलेशन से 2 वर्ष कम या इसके बराबर है।

56 धन्धों को छोड़कर राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धंधों के प्रशिक्षण शामिल कर लिए हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भारतीय सेना के दूसरे सामान्य सैनिकों को सेवा निवृत्ति के पश्चात असैनिक जीवन में पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण देते हैं।

कारीगरों का प्रशिक्षण पाने वालों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए डी० जी० ए०टी०, इंजीनियरी धन्धों के लिए प्रशिक्षण पाने वाले कारीगरों के चुनाव के लिए एप्टीच्यूड परीक्षा का आयोजन करता है। यह परीक्षा विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों में भी लागू कर दी गई है ताकि एप्रेन्टिस अधिनियम, 1961 के अधीन उपयुक्त उम्मीदवार को एप्रेन्टिस नियुक्त किया जा सके।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चार आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देश में विभिन्न चार स्थानों पर शुरू करने का प्रस्ताव है। यह प्रशिक्षण विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के अनुरूप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कारीगरों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुनः संगठित करना है। इस कार्यक्रम में पहले कारीगरों को व्यापक आधार वाले प्राथमिक प्रशिक्षण और बाद में आदर्श प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। दो आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हल्द्वानी (उत्तर प्रदेश) तथा कालीकट (केरल) (दोनों में एक-2) ने कार्य करना शुरू कर दिया है। दो अन्य संस्थान एक चौदवार (उड़ीसा) तथा दूसरा जोधपुर (राजस्थान) में 1982-83 में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

शिल्प शिक्षकों का प्रशिक्षण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास, लुधियाना तथा हैदराबाद के 6 केन्द्रीय संस्थानों में शिल्प प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। ये 6 संस्थान, जिनकी क्षमता 1,152 प्रशिक्षणार्थी लेने की है, विभिन्न कामों का प्रशिक्षण देते हैं। बम्बई संस्थान में रसायनिक वर्ग के व्यापारों में और हैदराबाद संस्थान में होटल और खान-पान सम्बन्धी मामलों में प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए सुविधाएं जुटा दी गई हैं तथा कानपुर, बम्बई और लुधियाना के संस्थानों में क्रमशः छपाई, बुनाई और खेतीबाड़ी के यंत्रों से संबंधित प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक केन्द्रीय संस्थान से एक आदर्श प्रशिक्षण संस्थान सम्बद्ध है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

"उच्च व्यावासायिक प्रशिक्षण योजना" नामक एक परियोजना कई प्रकार के उन उच्च तथा परिष्कृत कौशलों का प्रशिक्षण देने के लिए चालू की गई है

जिनका प्रशिक्षण अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नहीं दिया जाता। यह योजना बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर तथा लुधियाना में स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास के उच्च प्रशिक्षण संस्थान और चुने हुए 16 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जो अम्बातुर, बंगलौर, बड़ोदरा, धनबाद, दुर्गापुर, फरीदाबाद, गुवाहाटी, जबलपुर, जम्मू, जोधपुर, कलामसेरी, मेरठ, पटियाला पुणे, रायबरेली तथा विशाखापत्तनम में चलाई गई है। आधुनिकीकरण करके इन संस्थानों को आदर्श प्रशिक्षण संस्थानों का रूप दिया जा रहा है ताकि उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न उच्च पाठ्यक्रम चलाए जा सकें। पूरे देश के लिए मद्रास का उच्च प्रशिक्षण संस्थान शीर्ष संस्था का काम कर रहा है और पांच केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, प्रादेशिक संस्थाओं के रूप में काम करते हैं।

इलैक्ट्रानिकी और प्रक्रिया सम्बन्धी उपकरणों का प्रशिक्षण देने के लिए हैदराबाद में एक उच्च प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। इसमें घरेलू औद्योगिक चिकित्सा सम्बन्धी इलैक्ट्रानिक्स तथा प्रक्रिया उपकरणों के क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण दिया जाएगा। इलैक्ट्रानिक व प्रक्रिया सम्बन्धी उपकरणों के क्षेत्र में अति कुशल कारीगरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देहरादून, (उत्तर प्रदेश) में एक अन्य संस्थान की स्थापना की गई है।

फोरमैनों का प्रशिक्षण

फोरमैनों को प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्थान की स्थापना बंगलौर में 1971 में की गई थी। यह इस समय काम कर रहे 'शाप फोरमैनों' और सुपरवाइजरों को और भविष्य में ऐसे पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को सैद्धांतिक और प्रबन्ध क्षमता का और उद्योगों से आए श्रमिकों को उच्च तकनीकी हुनरों का प्रशिक्षण देता है। इस संस्थान की सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई में भी किया जा रहा है।

प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत मालिकों के लिए खास-खास उद्योग में प्रशिक्षु का लगाना अनिवार्य है। यह आधारभूत प्रशिक्षण होता है जिसके साथ-साथ केन्द्रीय प्रशिक्षु परिषद् के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण मानदण्डों के अनुसार ठीक काम के बारे में या व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत 217 उद्योगों तथा 138 धन्धों को शामिल किया गया है। 1973 के प्रशिक्षु (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों-जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए स्थान सुरक्षित करने और इंजीनियरी के स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों के लिए रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था है।

यह अधिनियम लगभग 15,000 संस्थानों में लागू है। जनवरी 1982 के अन्त तक विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 1.23 लाख प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। जनवरी 1982 तक इंजीनियरी तकनीकी विषयों पर लगभग 71 प्रकार के ऐसे क्षेत्र तैयार किए गए हैं जिनमें लगभग 12,270 स्नातक तथा डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं।

औद्योगिक कामगारों के लिए अंशकालिक प्रशिक्षण

संस्थानों में तथा प्रशिक्षु कार्यक्रमों के माध्यम से कारीगरों को प्रशिक्षित करने की सुविधा के विस्तार के साथ-साथ उन मौजूदा औद्योगिक श्रमिकों की भी जानकारी बढ़ाना और व्यावहारिक हुनर सिखाना जरूरी समझा गया है जो उद्योगों में बिना किसी नियमित प्रशिक्षण के प्रवेश करते हैं। उनके लिए संध्याकालीन कक्षाएं आयोजित की गई हैं।

इस पाठ्यक्रम में वे औद्योगिक श्रमिक, उनकी उम्र चाहे कुछ भी हो, प्रवेश पा सकते हैं जिन्हें किसी विशेष धन्धे में दो वर्ष का काम करने का अनुभव प्राप्त है और जिनका नाम उनके मालिक भिजवाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की है। छः केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों तथा 32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में यह पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुसंधान

देशी प्रशिक्षण विधियों के विकास के लिए 1970 में कलकत्ता में केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थान स्थापित किया गया। संस्थान में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं उद्योगों से आए लोगों के लिए (जिनके नियंत्रण, निदेशन और संचालन में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अलावा यह धन्धों और प्रशिक्षण विधियों सम्बन्धी अनुसन्धान की व्यवस्था करता है, प्रशिक्षण सहायता-सामग्री तैयार करता है और उद्योगों को औद्योगिक प्रशिक्षण विधियों में परामर्श देता है।

स्त्रियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

केन्द्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली का दर्जा बढ़ाकर उसे राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में बदल दिया गया है। संस्थान अपने यहां महिलाओं के लिए विशेष व्यवसायों में प्रशिक्षक प्रशिक्षण, मूल प्रशिक्षण तथा उच्चतर प्रशिक्षण देता है। बम्बई तथा बंगलौर में महिलाओं के लिए दो क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं।

24 आवास

भारत में आवास की समस्या बड़ी जटिल है। इसके लिए एक तो बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता है और दूसरे इसका समाधान व्यक्तियों, सहकारियों, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के समन्वित तथा दीर्घकालीन प्रयासों पर निर्भर करता है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में आवास की भारी कमी है और जो मकान उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकांश निम्न स्तर के हैं।

बढ़ती हुई जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में बसने के लिए लोगों के वहां निरन्तर जाते रहने के कारण समस्या बहुत जटिल हो गई है।

1971 में की गई भारत सरकार के महापंजीयक की जनगणना और जनसंख्या के अनुमान के आधार पर, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने 1981 के लिए 213 लाख मकानों की कमी का अनुमान लगाया है। जिनमें से 165 लाख ग्रामीण इलाको में और 48 लाख शहरी इलाकों में है।

यद्यपि उपलब्ध साधनों से आवास समस्या को शीघ्र हल करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है किन्तु देश की अधिक आवश्यक समस्याओं को देखते हुए प्रत्येक परिवार को मकान देना अभी सम्भव नहीं क्योंकि इस पर कई सौ करोड़ रु० खर्च करने पड़ेंगे।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में पूर्णतया आश्रयहीन लोगों की मकानों का आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है। इसमें 837.37 करोड़ रुपये सामाजिक आवास योजना और 353.50 करोड़ रु० ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए ग्रामीण आवास स्थल व निर्माण सहायता योजना के लिए रखे गये हैं।

आवास वित्त

आवास के लिए अधिकतर धनराशि केन्द्र और राज्य सरकारें देती हैं। जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम भी धन देते हैं। आवास और शहरी विकास निगम भी धनराशि जुटाता है; यह निगम राज्य सरकारों, राज्य आवास बोर्डों और आवास तथा शहरी विकास अधिकरणों तथा शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों को अपनी आवास योजनाएं पूरी करने के लिए ऋण देते है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को हिदायतें दी हैं कि वर्ष 1981 के दौरान आवासों के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित करें।

विनियोजन

पिछले तीन दशकों में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आवास योजनाओं में 1,253 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, विभागीय-उपक्रमों और सरकारी अनुदान तथा सहायता पाने वाली संस्थाओं ने 1,800 करोड़ रुपये इस कार्य में लगाए हैं। अनुमान है कि तदनुसार अवधि में निजी क्षेत्र ने 12,740 करोड़ रुपये की पूंजी आवास योजनाओं में लगाई है।

ऐसी सम्भावना है कि छठी योजना अवधि (1980-85) में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कुल मिलाकर 12,900 करोड़ रुपये व्यय करेंगे, इनमें से 3,500 करोड़ रुपये ग्रामीण आवास के लिए और 9,400 करोड़ रुपये शहरी आवास के लिए होंगे। इतने खर्च से ग्रामीण इलाकों में एक करोड़ 30 लाख मकान और शहरी इलाकों में 57 लाख मकान बन पाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, विभागीय उपक्रम और सरकारी अनुदान और सहायता पाने वाली संस्थाएं भी 250-300 करोड़ रुपये इस कार्य में लगा सकती हैं। समाज के कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को मकान दिलाने पर पहले की तरह विशेष बल दिया जाता है।

आवास और शहरी विकास निगम (हुडको)

दूसरे कार्यों के अलावा विशेषतया आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न-आय वर्ग के लिए वित्त पोषण और आवास नियन्त्रण, शहरी विकास, भवन निर्माण सामग्री योजनाएं तैयार करने का कार्य आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) करता है, जिसको भारत सरकार ने 1970 में निगमित किया था। इसके वित्त के मुख्य साधन सरकार द्वारा समान, अंशदान, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम द्वारा ऋण तथा अल्पकालिक ऋण पत्र हैं। छठी योजना में हुडको द्वारा 600 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें से 55 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए है।

31 जनवरी, 1982 तक 840.09 करोड़ रुपये की ऋण वचनबद्धता के साथ इसने 1,742 आवासीय योजनाओं को स्वीकृत किया है। इससे 10,65,651 मकानों को बनाने में, 70,550 आवासीय भूखण्डों के विकास में और 'साईट तथा सर्विस' में सहायता मिलेगी। इनमें 7,61,359 आवास इकाइयां और 34,426 आवासीय भूखण्ड समाज के कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए होंगे।

अनुसंधान

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

भवन-निर्माण की तकनीकों और नए तरीकों के संबंध में अनुसंधान कार्य राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन करता है, जिसकी स्थापना 1954 में भारत सरकार ने भवन-निर्माण और आवास सम्बन्धी तकनीकी विषयों के लिए एक सलाहकार और समन्वय करने वाले निकाय के रूप में की थी। यह संगठन भवन-निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर, इमारती सामान के प्रयोग में सुधार और आवास सम्बन्धी सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर अनुसंधान कार्य भी करता है। राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन के अन्तर्गत तेरह ग्रामीण आवास शाखाएं-वल्लभ विद्यानगर (आनंद), बंगलौर, कलकत्ता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, श्रीनगर, तिरुअनन्तपुरम, वाराणसी, जोधपुर, शिमला, रांची, मद्रास और गुवाहटी में काम कर रही हैं, जो ग्रामीण आवास और ग्राम आयोजन के बारे में अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्य करती हैं।

राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन, जो भवन-निर्माण और आवास सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने वाली राष्ट्रीय संस्था है, एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय आवास केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है।

राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन ने अनुसंधानों के परिणामों को अपनी प्रयोगात्मक आवास योजनाओं को व्यवहार में लाकर निर्माण लागत कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। अनुसंधान प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए 53 प्रकार के नए सामान और निर्माण की तकनीकों को 40 प्रयोगात्मक योजनाओं में अपनाया गया है और इन पर 2.85 करोड़ रुपये की लागत आई है। ये योजनाएं विभिन्न केन्द्रीय और राज्य निर्माण विभागों, आवासीय बोर्डों और अन्य एजेंसियों ने तैयार की। राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन ने आवास और भवन निर्माण के लिए न्यूनतम विशिष्टताएं, निर्धारित कीं। इमारती सामान की खपत के मानक और स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र आदि जैसी बार-बार बनने वाली इमारतों में जगह की गुंजाइश संबंधी मानक तैयार किए हैं। संगठन ने भवन-निर्माण उद्योग में मानकीकरण समन्वय लाकर एक और उपयोगी कार्य किया है।

निर्माण सामग्री का उत्पादन

सरकारी कम्पनी हिन्दुस्तान प्री-फैब लिमिटेड (जो पहले हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) पूर्व-संरचित गृहों के निर्माण के अतिरिक्त पूर्व-संरचित प्रबलित सीमेंट कन्क्रीट के हिस्से, पूर्व-प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के बिजली के खम्भे, झागदार कंक्रीट के पैनेल, विभाजन और विसंवाहन खंड आदि विभिन्न प्रकार की निर्माण में काम आने वाली वस्तुएं बनाती हैं। इसमें लकड़ी का जुड़ाई का काम होता है और यहां इमारती लकड़ी को पकाने की उत्तर भारत की सबसे बड़ी भट्ठी है। इसने व्यक्तिगत मकान-बनाने वालों और निर्माण एजेंसियों के लिए निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले पहले ढाले हुए कुछ हिस्सों का मानकीकरण किया है। औद्योगिक ढांचों के जो हिस्से कारखाने ने बनाए, उनसे केवल इस्पात की बचत तथा लागत में कमी ही नहीं आई अपितु निर्माण कार्य जल्दी पूरे होने लगे।

निर्माण एजेंसियां

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०

भारत सरकार के प्रतिष्ठान राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली—जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, देश-विदेश में विशिष्ट निर्माण कार्य अपने हाथ में लेता है। नवीनतम तकनीकों और प्रबंध संबंधी नए तरीके अपनाकर इन यूनिटों में 'टर्न-की' आधार पर कार्य किया जाता है। योजना बनाने और डिजाइन तैयार करने से लेकर निर्माण और उसे पूरा करने तक का कार्य करने के लिए ये यूनिटें पूरी तरह लैस हैं।

राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम ने देशी और विदेशी बाजारों में खासतौर से लीबिया और ईराक में अपना विशेष स्थान बना लिया है। इसने विभिन्न निर्माण कार्य सफलता के साथ पूरे किए हैं। जिनमें हवाई अड्डे, विशाल आवास योजनाएं और सभी तरह की इमारतों का निर्माण शामिल है। अस्पतालों, छात्रावासों, होटलों, रेलवे स्टेशनों, ट्यूब रेलवे, पानी की सप्लाई, गंदे पानी की निकासी, बंदरगाह आदि के निर्माण कार्य भी निगम करता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग रेलवे, संचार, परमाणु ऊर्जा, रक्षा सेवाओं और आकाशवाणी को छोड़कर सभी केन्द्रीय सरकारी इमारतों के डिजाइन, निर्माण, रख-रखाव व मरम्मत करने का कार्य करता है। दिल्ली के राजपथों के रख-

रखाव का काम भी करता है और के शासित प्रदेशों के लोक निर्माण विभागों पर तकनीकी रूप से नियंत्रण रखता है। सार्वजनिक उपक्रमों को, जिनके पास लोक-निर्माण इंजीनियरिंग संगठन नहीं है, अपने निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण संगठनों और सलाहकार संगठनों को सौंपने होते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अर्ध सरकारी संगठनों के निर्माण कार्य अनुबंध पर अपने हाथ में लेता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने वास्तुनिर्माण कला, प्राकृतिक दृश्य, बागवानी और साथ ही साथ लोक-निर्माण कार्य के क्षेत्र में काफी विशिष्टता प्राप्त की है। विभाग के पास एक सक्षम वास्तु शाखा है, डिजाइन तैयार करने के लिए केन्द्रीय डिजाइन संगठन है, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय एकांश हैं और विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल शाखा है।

राज्य क्षेत्र की योजनाएं

एकीकृत सहायता-प्राप्त आवास योजना जो 1952 में शुरू हुई, कम वेतन पाने वाले औद्योगिक श्रमिकों और समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत मकान प्राप्त करने के लिए 500 रुपया मासिक आमदनी की सीमा रखी गई है। जिनकी मजदूरी या आमदनी प्रति माह 351 रु० से 500 रु० तक है उन्हें कुछ अतिरिक्त भारवहन करना होता है। 31 दिसम्बर, 1981 तक इस योजना में 1,88,871 मकान बन चुके थे।

निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत, जो 1954 में चालू हुई थी, ऐसे व्यक्तियों को (या उनकी सहकारियों को) मकान बनाने के लिए ऋण दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 7,200 रु० से अधिक नहीं है। ऋण की राशि विकसित भूमि की लागत के 80 प्रतिशत तक होती है और अधिकतम ऋण राशि 14,500 रु० तक होती है। 31 दिसम्बर, 1981 तक 3,42,639 मकान बनाए जा चुके थे।

मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत, जो 1959 में प्रारम्भ हुई थी, मकान बनाने के लिए ऋण सामान्यतः उस धनराशि में से दिया जाता है, जिसे जीवन बीमा निगम ऋण के रूप में राज्यों को देता है। केन्द्र शासित प्रदेशों को यह धन केन्द्रीय सरकार देती है। इस योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए ऋण उन व्यक्तियों को दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 7,201 रुपये से 18,000 रुपये के बीच होती है। ऋण मकान की लागत का 80 प्रतिशत तक होता है और यह अधिकतम 27,500 रुपये तक हो सकता है। ऋण के पात्र व्यक्तियों को बने बनाए मकान खरीदने के लिए भी ऋण मिलता है। 31 दिसम्बर, 1981 तक 45,741 मकान बनाए जा चुके थे।

ग्रामीण आवास परियोजना कार्यक्रम में ग्रामीणों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की व्यवस्था है। यह ऋण निर्माण लागत का 80 प्रतिशत तक हो सकता है और अधिकतम 5,000 रुपये होता है। ग्रामों के वातावरण-सुधार के लिए गलियां और नालियां बनवाने के लिए भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण दिया जाता है। 31 दिसम्बर, 1981 तक लगभग 70,395 मकान बनाए जा चुके थे।

किराया आवास योजना राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए है और यह 1959 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनवाती हैं और उन्हें किराए पर देती हैं। 31 दिसम्बर, 1981 तक 35,023 मकान बनाए जा चुके थे।

1959 में प्रारम्भ भूमि अधिग्रहण और विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें और केन्द्र शासित क्षेत्रों के शासन शहरी क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण और विकास करते हैं, ताकि मकान बनाने के इच्छुक व्यक्तियों को, विशेषकर निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को, उचित मूल्य पर विकसित प्लाट मिल सकें। इसका उद्देश्य भूमि के मूल्य में स्थिरता लाना, नगर विकास के कार्य को युक्ति-संगत बनाना और अपने आप में पूर्ण सुविधायुक्त बस्तियों के निर्माण को बढ़ावा देना है। 31 दिसम्बर, 1981 तक विभिन्न राज्य सरकारों ने लगभग 13,748 हैक्टयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण और 7,438 हैक्टयर भूमि का विकास कर लिया था।

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

बागान मजदूरों के लिए सहायता-प्राप्त आवास योजना 1956 से चालू है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार बागान श्रमिकों को किराया लिए बिना मकान देने के वास्ते मकान तैयार करने के लिए 50 प्रतिशत ऋण और 37.5 प्रतिशत अनुदान देती है। बागान मजदूर छः राज्यों असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में हैं। बागान श्रमिकों की सहकारियों को परियोजना की स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता के रूप में मिलता है—65 प्रतिशत ऋण के रूप में और 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में।

भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवासीय स्थल

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध करवाने की योजना राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अंग है। पांचवीं योजना के शुरू होने से अर्थात 1 अप्रैल, 1974 से यह केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दी गई है।

30 सितम्बर, 1981 तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 86.77 लाख परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन दी जा चुकी थी। इस योजना को और व्यापक बनाया गया और मकान बनाने के लिए सहायता भी दी जाने लगी है। अब तक 18 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में 15.50 लाख परिवार अपने रहने के लिए मकान बना सके हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में सभी शेष 68 लाख भूमिहीन परिवारों को मकान के लिए जमीन दिलाने और 36 लाख परिवारों को मकान बनाने के लिए सहायता के रूप में 353.50 करोड़ रुपये देने का कार्यक्रम है। 30-40 मकानों के प्रत्येक समूह के लिए विकसित प्लाटों, बड़ी सड़क को जोड़ने वाली सड़कों और एक नलकूप के वास्ते प्रति परिवार 250 रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। निर्माण के लिए सहायता की राशि प्रति परिवार 500 रुपये होने की संभावना है।

नगर विकास

भारत में योजनाबद्ध ढंग से नगर विकास का कार्य करना हाल ही की परिकल्पना है। यद्यपि शहरी क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ से ही तैयार किए और लागू किए गए, किंतु योजनाबद्ध नगर विकास की आवश्यकता तीसरी योजना में ही अनुभव की गई, जब केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को अनुदान देने हेतु 3 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की। मार्च, 1969 तक नगर विकास योजना, केन्द्र प्रेरित कार्यक्रम के रूप में चालू रही। 1 अप्रैल, 1969 से मास्टर प्लान और क्षेत्रीय प्लान तैयार करने का काम राज्य सरकारों को सौंप दिया गया और केन्द्रीय सरकार महज एक सलाहकार की हैसियत से काम करने लगी। छठी योजना में नगर विकास के लिए 997.53 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

नगर और ग्राम आयोजन संगठन

नगर और ग्राम आयोजन संगठन एक तकनीकी सलाहकार संगठन है जो शहरी तथा क्षेत्रीय विकास से संबंधित विषयों पर सलाह देता है। यह सभी राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों को निर्देशन तथा सहायता प्रदान करता है। यह सार्वजनिक संगठनों तथा निकायों की परियोजनाओं का कार्य सलाह-मशविरे के आधार पर अपने हाथ में लेता है।

शहरी भूमि का समाजीकरण

शहरी भूमि (सीमा तथा नियमन) अधिनियम 17 फरवरी, 1976 से लागू हुआ।

यह सट्टेबाजी को रोकने तथा शहरी भूमि के समाजीकरण की नीति को कार्यरूप देने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में खाली पड़ी शहरी भूमि की मिलकियत की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इस अधिनियम से संबंधित राज्य सरकार को यह अधिकार भी मिला कि वह निर्धारित सीमा से अधिक खाली भूमि अपने अधिकार में लेकर मुआवजा निर्धारित करे तथा जिन इमारतों के बनाने का सुझाव है, उसकी कुर्सी की भी सीमा निर्धारित करे।

हालांकि इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन अधिनियम के उद्देश्यों को शीघ्र अमल में लाने के लिए भारत सरकार ने एक केन्द्रीय समन्वय समिति बनाई थी, जिसमें राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी थे। अब इस समिति के स्थान पर चार क्षेत्रीय समितियां बनाई गई हैं। ये समितियां अधिनियम के लागू होने की प्रगति की समीक्षा करती हैं और यदि कोई कठिनाई पैदा हो जाए, तो उसे दूर करने के लिए उपाय सुझाती हैं। राज्य इन सुझावों को मना कर सकते हैं। अधिनियम के उपबन्धों के आशय और उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकारों को कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को ध्यान मे रखते हुए और दिशा-निर्देश तय किए गए।

अधिनियम के लागू होने के कारण आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 1,925 हेक्टयर अतिरिक्त खाली भूमि सरकार के अधीन हो गई। अभी तक 38,599 हेक्टयर भूमि के संबंध में उद्योगों और अन्य कार्यों के लिए 18,751 मामलों में अधिनियम से छूट दी गई है अधिनियम में व्यवस्था है कि समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए अधिकतम सीमा से भी अधिक भूमि रखने की अनुमति दी जा सकती है। राज्यों आदि ने अब तक 1,132 योजनाओं को मंजूरी दी है। जिनके अंतर्गत 1,794 हेक्टयर भूमि पर 1,63,300 रिहायशी मकान बनेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

जिन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर इस समय कार्य हो रहा है, उसमें दिल्ली के इर्द-गिर्द के इलाकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना है। इसके अंतर्गत 30,000 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र है जिसमें दिल्ली प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं। योजना के अंतर्गत समूचे क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई, जलमल निकासी, बिजली, सामुदायिक सुविधाओं और सेवाओं की व्यवस्था करनी होगी।

1980 के अंत तक भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की राज्य सरकारों को इस योजना में आने वाले उनके नगरों मेरठ, अलवर, गुड़गांव, पानीपत और हापुड़ के विकास के लिए 713.40 लाख रुपये ऋण के रूप में मंजूर किए हैं।

महानगरों का विकास

महानगरों और राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र मे एक नई योजना पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई। योजना के अनुसार केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को शहरी इलाकों में सड़कें, पानी की सप्लाई, जलमल निकासी, भूमि अधिग्रहण और विकास आदि मूल सुविधाओ का प्रबंध करने में सहायता देती है। 1974 से मार्च 1979 तक विभिन्न राज्यों को 136 करोड़ रुपये कुल केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए गए। राज्यों से भी कहा गया कि वे चुने हुए नगरों में समन्वित विकास के स्वीकृत कार्यक्रम चलाने पर अपने पास से लगभग इतना ही धन खर्च करें। यह योजना 1 अप्रैल, 1979 को समाप्त कर दी गई। केन्द्र के तत्वावधान में एक नई योजना 1979-80 में शुरू की गई, जिसके अंतर्गत एक लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे और मझोले नगरों का समन्वित विकास किया जाना है। उस वर्ष में 12 राज्यों के 31 नगरों के लिए योजनाएं मंजूर की गईं और 2.25 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई। इन 31 नगरों के अतिरिक्त 1980-85 के दौरान एक लाख से कम जनसंख्या वाले 200 नगरों का विकास करने का प्रस्ताव है। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये लागत आएगी। छठी योजना के केन्द्रीय क्षेत्र मे इस कार्य के लिए 96 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 31 जनवरी, 1982 तक 162 नगरों की योजनाएं मंजूर की गईं और 15 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई।

दिल्ली के क्षेत्र में शहर तथा पर्यावरण की सुन्दरता को बनाए रखने, सुधारने तथा उसके विकास के लिए दिल्ली में नगर कला आयोग बनाया गया है।

गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार योजना

गंदी बस्तियों की सफाई और सुधार योजना एक केन्द्र प्रेरित कार्यक्रम के रूप में 1956 में चालू की गई थी। इसके अन्तर्गत गंदी बस्तियों की सफाई और सुधार तथा गंदी बस्तियों के ऐसे निवासियों को, जिनकी मासिक आय 350 रु० से अधिक नहीं है, स्वच्छ क्षेत्रों में मकान देने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 1 अप्रैल, 1969 से यह योजना राज्य सरकारों को सौंप दी गई।

गन्दी बस्तियों के पर्यावरण का सुधार

गंदी बस्तियों के पर्यावरण को सुधारने के लिए गंदी बस्ती पर्यावरण सुधार केन्द्रीय योजना कार्यक्रम 1972 में 10 शहरों अहमदाबाद, बम्बई, बंगलौर, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, नागपुर और पुणे में शुरू किया गया। 1973-74 के दौरान 10 और शहर कलकत्ता, कोचिन, कटक, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, लुधियाना, पटना, रोहतक और श्रीनगर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गए। गंदी बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था करने, जलमल निकास का प्रबंध करने, गुसलखाने और शौचालय बनाने, सड़कों पर रोशनी का इंतजाम करने और मौजूदा गलियों को चौड़ा और पक्का करने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों को पूरी वित्तीय सहायता दी गई। 31 मार्च, 1974 तक 24.60 करोड़ रु० से अधिक लागत की 854 परि-योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी थी। इन परियोजनाओं के लिए राज्यों को 20.23 करोड़ रु० से अधिक की राशि दी गई। इस राशि में से 14.21 करोड़ रुपये से अधिक मार्च 1974 के अंत तक खर्च किए जा चुके थे।

यह योजना 1 अप्रैल, 1974 से केन्द्रीय क्षेत्र से निकाल कर राज्य क्षेत्र को सौंप दी गई जिससे कि राज्य सरकारें इसे एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित करें। इस योजना के कार्यक्षेत्र का तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों तक या प्रत्येक उस राज्य के एक नगर में जहां यह योजना अभी तक लागू नहीं की की गई है, विस्तार कर दिया गया है। अब बिना किसी जनसंख्या आधार के सभी शहरी क्षेत्र इस योजना के अधीन आ गए हैं। छठी योजना में एक करोड़ लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए 151.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

झुग्गी - झोंपड़ी हटाने की योजना

झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजना का उद्देश्य उन लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करना है, जिन्होंने दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 2 लाख मकानों और प्लाटों का निर्माण/विकास किया जा चुका है।

25 न्याय और विधि

भारतीय गणराज्य के संविधान में अन्य अधिकारों के अलावा, जीवन और सम्पत्ति से अनुचित रूप से वंचित न किए जाने की सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 21 में यह व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या सम्पत्ति से कानून द्वारा स्थापित पद्धति अपनाए बिना वंचित नहीं किया जा सकता। 1950 में भारत द्वारा नया संविधान अपनाए जाने से वर्तमान विधियों की निरन्तरता में तथा न्यायालयों के एकीकृत ढांचे में कोई विघ्न नहीं पड़ा। अनुच्छेद 372 में उपबन्ध है कि भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 का निरसन होने पर भी, इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत वे सब विधियां जो इसके प्रारम्भ होने से ठीक पहले भारत राज्य-क्षेत्र में प्रवृत्त थीं, तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि वे सक्षम विधानमण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बदली न जाएं अथवा निरसित या संशोधित न की जाएं। अनुच्छेद 375 यह उपबन्ध करता है कि "भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र दीवानी, दाण्डिक और राजस्व क्षेत्राधिकार वाले सभी न्यायालय, सभी प्राधिकारी तथा न्यायिक, कार्यपालिका के और अनुसचिवीय अधिकारी इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने-अपने कार्य करते रहेंगे।" विधि के कुछ क्षेत्रों को जैसे दण्ड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, वसीयतों, उत्तराधिकार, विशेष प्रकार की संविदा सहित संविदाओं, जिसमें कृषि भूमि से संबंधित संविदा शामिल नहीं है, विलेखों और दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण, साक्ष्य आदि को समवर्ती सूची में रखकर न्यायपालिका की एकता व एकरूपता बनाए रखी गई।

विधि के स्रोत

भारत में विधि के मुख्य स्रोत हैं—संवैधानिक कानून (विधान), रूढ़िजन्य विधि और निर्णयज विधि। संसद, राज्य विधानमण्डलों और संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डलों द्वारा कानून बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी विधियों का एक विशाल समूह है जिसे अधीनस्थ विधान कहते हैं। वह नियमों, विनियमों और उपविधियों के रूप में होता है। इनकी रचना केन्द्रीय और राज्य सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें और अन्य स्थानीय निकाय आदि करते हैं। अधीनस्थ विधान, संसद या संबंधित राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के विधानमण्डलों द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन बनाया जाता है। वरिष्ठ न्यायालयों, जैसे उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय भी विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत सभी न्यायालयों को मान्य होती है। भारत विविधताओं का देश है, अतः न्यायालय, कुछ विषय-क्षेत्रों में न्याय करते समय स्थानीय प्रथाओं और परम्पराओं को भी, जो कानून, नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं हैं एक सीमा तक मान्यता देते हैं और ध्यान में रखते हैं।

संसद को संघ सूची में दिए गए विषयों पर विधियां बनाने का अधिकार है, जबकि राज्यों के विधानमण्डल राज्य सूची में दिए गए विषयों पर विधियां

बनाने में सक्षम हैं। जो विषय राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं दिए गए हैं उन पर एकमात्र संसद ही विधि बना सकती है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों ही विधि बना सकते हैं। किन्तु उनमें प्रतिकूलता होने की दशा में संसद द्वारा बनाई गई विधि लागू होगी और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, का प्रतिकूल अंश रद्द होगा—जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि राष्ट्रपति के विचाराधीन न हो और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति न मिले। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने पर वह विधि उस राज्य में लागू होगी।

संसद द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र पर या उसके किसी भी भाग पर हो सकता है और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियां, साधारणतया, सबंधित राज्य के राज्यक्षेत्र में ही लागू होंगी। इस प्रकार राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर एक राज्य द्वारा बनाए गए कानून दूसरे राज्य या राज्यों से भिन्न हो सकते हैं।

भारतीय संविधान की एक अनुपम विशेषता यह है कि संघात्मक प्रणाली अपनाने और अपने-अपने क्षेत्रों में केन्द्रीय अधिनियमों तथा राज्य अधिनियमों के अस्तित्व के बावजूद, इसमें साधारणतया, संघ और राज्य दोनो विधियों के संबंध में न्याय करने के लिए न्यायालयों की एक संगठित व्यवस्था है। सम्पूर्ण न्यायिक व्यवस्था में सर्वोपरि उच्चतम न्यायालय है और प्रत्येक राज्य या राज्य समूह के लिए एक उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के नीचे अनेक अधीनस्थ न्यायालयों का तंत्र है।

न्यायपालिका आम तौर पर कार्यपालिका से पृथक है। कुछ राज्यों में साधारणतया छुटपुट और स्थानीय प्रकार के सिविल और दाण्डिक विवादों का फैसला करने के लिए पंचायत न्यायालय भी विभिन्न नामों से कार्य करते हैं, जैसे न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी आदि। विभिन्न राज्यों की विधियों में न्यायालयों को भिन्न-भिन्न प्रकार के अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं।

हर राज्य को न्यायिक जिलों में बांटा गया है जिसका अध्यक्ष जिला और सेशन न्यायाधीश होता है। वह आरंभिक क्षेत्राधिकार से युक्त प्रधान सिविल न्यायाधीश होता है और वह ऐसे अपराधों सहित जिनमें मृत्युदंड दिया जा सकता है, सभी अपराधों को सुन सकता है। वह जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है। उसके नीचे सिविल न्यायालय होते हैं, जिन्हें विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न नामो से पुकारा जाता है, जैसे मुंसिफ, अधीनस्थ न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश आदि। इसी प्रकार, दाण्डिक न्यायपालिका में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं।

न्यायपालिका

उच्चतम न्यायालय भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति और अधिक-से-अधिक 17 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। न्यायाधीश

65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह किसी एक उच्च न्यायालय का या लगातार दो अथवा अधिक ऐसे न्यायालयों का कम-से-कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो; अथवा किसी एक उच्च न्यायालय का अथवा दो या उससे अधिक ऐसे न्यायालयों का लगातार कम-से-कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो; अथवा वह राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए तथा उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालयों के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को उस न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए भी उपबंध किया गया है।

संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास अनेक तरीकों से किया गया है। उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि उसके प्रमाणित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाए जाने हेतु राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो। ऐसे आदेश का आधार संसदीय प्रस्ताव होगा। प्रस्ताव की पुष्टि प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो तिहाई बहुमत द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकार समर्थित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष संसद के उसी अधिवेशन में रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, वह भारत में किसी भी न्यायालय में अथवा किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता।

31 जनवरी, 1982 को उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित न्यायाधीश थे :—

मुख्य न्यायाधिपति	वाई० वी० चन्द्रचूड़
न्यायाधीश	पी० एन० भगवती
	एस० मुर्तजा फ़ज़ल अली
	वी० डी० तुल्ज़ापुरकर
	डी० ए० देसाई
	आर० एस० पाठक
	ए० डी० कौशल
	ओ० चिन्नप्पा रेड्डी
	ए० पी० सेन
	ई० एस० वेंकटरमैया
	बहारुल इस्लाम
	ए० वरदाराजन
	ए० एन० सेन
	वी० बी० एराडी
	आर० बी० मिश्र

उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्रारम्भिक, अपील और परामर्श संबंधी अधिकारिता प्राप्त है। इसकी अनन्य प्रारम्भिक अधिकारिता का विस्तार संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच अथवा एक ओर संघ और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच अथवा दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद तक है, यदि उस विवाद में किसी हद तक (विधि का या तथ्य का) कोई ऐसा प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, संविधान का अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के बारे में व्यापक प्रारम्भिक अधिकारिता प्रदान करता है। उनके प्रवर्तन के लिए उसे निदेश या आदेश या समादेश जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के समादेश (रिट) भी हैं, निकालने का अधिकार दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय को अधिकार सौंपा गया है कि वह किसी भी सिविल/दाण्डिक मामले को एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में अथवा एक राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में भेजने का निदेश दे सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय को इस बात से तुष्टि हो जाती है कि एक-से या सारतः एक-से विधि-प्रश्नों वाले मामले उसके और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लम्बित हैं और वे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न हैं, तो वह उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के समक्ष लम्बित मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकता है और उन सबका निपटारा अपने आप कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र का सहारा सिविल और दाण्डिक दोनों प्रकार के मामलों में—यदि उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो—संबंधित उच्च न्यायालय से प्रमाण-पत्र द्वारा या उच्चतम न्यायालय से दी गई विशेष इजाजत द्वारा लिया जा सकता है। सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में तब भी अपील की जा सकती है जबकि संबंधित उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि (क) मामले में व्यापक महत्व का सारवान विधि प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, और (ख) उच्च न्यायालय की राय में उक्त प्रश्न का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। दाण्डिक मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय ने (क) किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोषमुक्ति के आदेश को, अपील में उलट दिया है और उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या कम-से-कम 10 वर्ष की अवधि के कारावास का दण्डादेश दिया है, अथवा (ख) अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित अधीनस्थ किसी न्यायालय से कोई मामला अपने समक्ष विचारार्थ मंगा लिया है और उसमें अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराया है तथा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या कम-से-कम 10 वर्ष के कारावास का दण्डादेश दिया है, अथवा (ग) प्रमाणित कर दिया है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लायक है। संसद उच्चतम न्यायालय को ऐसी और शक्तियां

अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकारी का कार्यालय अथवा ऐसे व्यक्तियों का निवास स्थान उन क्षेत्रों के अन्दर न हो।

उच्च न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सभी न्यायालयों पर अधीक्षण संबंधी अधिकार प्राप्त है। वे ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकते हैं, उनकी कार्यशैली और कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए सामान्य नियम जारी कर सकते और फार्म निर्धारित कर सकते हैं और पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखे-जोखों को सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का निर्धारण कर सकते हैं।

उच्च न्यायालयों का स्थान और उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता नीचे सारणी 25.1 में दी गई है।

सारणी 25.1 उच्च न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र और स्थान

नाम	स्थापना वर्ष	अधिकार क्षेत्र	न्यायालय का स्थान
1	2	3	4
1. इलाहाबाद	1866	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (लखनऊ में न्यायपीठ)
2. आन्ध्र प्रदेश	1954	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
3. बम्बई	1861	महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन तथा दीव	बम्बई (नागपुर और पणजी में न्यायपीठ) (औरंगाबाद में अस्थाई न्यायपीठ)
4. कलकत्ता	1861	पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कलकत्ता
5. दिल्ली	1966	दिल्ली	दिल्ली
6. गुवाहटी	1972	असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	गुवाहटी (इम्फाल, अगरतला और कोहिमा में अस्थायी न्यायपीठ)
7. गुजरात	1960	गुजरात	अहमदाबाद
8. हिमाचल प्रदेश	1971	हिमाचल प्रदेश	शिमला
9. जम्मू और कश्मीर	1928	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर और जम्मू
10. कर्नाटक	1884	कर्नाटक	बंगलौर
11. केरल	1956	केरल और लक्षद्वीप	एर्नाकुलम
12. मध्य प्रदेश	1956	मध्य प्रदेश	जबलपुर (ग्वालियर और इंदौर में न्यायपीठ)
13. मद्रास	1861	तमिलनाडु और पाण्डिचेरि	मद्रास

प्रदत्त करने के लिए प्राधिकृत है जिनके अनुसार उच्चतम न्यायालय किसी दाण्डिक कार्यवाही में किसी भी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दण्डादेश के विरुद्ध अपील ग्रहण कर सकता है और उनकी सुनवाई कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय को भारत के सब न्यायालयों और अधिकरणों पर अपील संबंधी बहुत व्यापक अधिकारिता प्राप्त है, क्योंकि वह अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी मुकद्दमे या मामले में किसी निर्णय, डिग्री, अवधारण, दण्डादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष इजाजत दे सकता है।

उसे उन मामलों में विशेष परामर्श संबंधी अधिकारिता प्राप्त है जो संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से उसे विचारार्थ सौंपे जाएं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम, न्यायालय अवमान अधिनियम आदि के अधीन भी उच्चतम न्यायालय में अपीलें की जा सकती हैं।

उच्च न्यायालय

प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। यह राज्य के न्याय प्रशासन में शीर्षस्थ होता है। देश भर में 18 उच्च न्यायालय हैं। इनमें वे दो उच्च न्यायालय भी शामिल हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य है। संघ राज्यक्षेत्रों में से केवल दिल्ली का ही अपना उच्च न्यायालय है। 'गोवा, दमण और दीव'[1] में एक न्यायिक आयुक्त है, जबकि अन्य सात संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधिपति और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्त करने की प्रक्रिया वही है; अंतर केवल इतना है कि इनके संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श किया जाता है। वे 62 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं और वे भी उसी प्रकार हटाए जा सकते हैं जैसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं। न्यायाधीश के पद के लिए वही व्यक्ति पात्र हो सकता है, जो भारत में दस वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो या इतनी ही अवधि तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में वकालत कर चुका हो।

प्रत्येक उच्च न्यायालय को किसी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए या अन्य किसी प्रयोजन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी और सरकार को निदेश, आदेश या समादेश (उन समादेशों सहित जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के हैं) जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

इस अधिकार का प्रयोग उन क्षेत्रों के संबंध में भी, जिनके अंदर ऐसे अधिकार के प्रयोग का कारण पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न होता है,

[1]बम्बई उच्च न्यायालय की पणजी न्यायपीठ का उद्‌घाटन 30 अक्तूबर 1982 को हुआ।

अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकारी का कार्यालय अथवा ऐसे व्यक्तियों का निवास स्थान उन क्षेत्रों के अन्दर न हो।

उच्च न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सभी न्यायालयों पर अधीक्षण संबंधी अधिकार प्राप्त है। वे ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकते हैं, उनकी कार्यशैली और कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए सामान्य नियम जारी कर सकते और फार्म निर्धारित कर सकते हैं और पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखे-जोखों को सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का निर्धारण कर सकते हैं।

उच्च न्यायालयों का स्थान और उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता नीचे सारणी 25.1 में दी गई हैं।

सारणी 25.1 उच्च न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र और स्थान

नाम	स्थापना वर्ष	अधिकार क्षेत्र	न्यायालय का स्थान
1	2	3	4
1. इलाहाबाद	1866	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (लखनऊ में न्यायपीठ)
2. आन्ध्र प्रदेश	1954	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
3. बम्बई	1861	महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन तथा दीव	बम्बई (नागपुर और पणजी में न्यायपीठ) (औरंगाबाद में अस्थाई न्यायपीठ)
4. कलकत्ता	1861	पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कलकत्ता
5. दिल्ली	1966	दिल्ली	दिल्ली
6. गुवाहटी	1972	असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	गुवाहटी (इम्फाल, अगरतला और कोहिमा में अस्थायी न्यायपीठ)
7. गुजरात	1960	गुजरात	अहमदाबाद
8. हिमाचल प्रदेश	1971	हिमाचल प्रदेश	शिमला
9. जम्मू और कश्मीर	1928	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर और जम्मू
10. कर्नाटक	1884	कर्नाटक	बंगलौर
11. केरल	1956	केरल और लक्षद्वीप	एर्नाकुलम
12. मध्य प्रदेश	1956	मध्य प्रदेश	जबलपुर (ग्वालियर और इंदौर में न्यायपीठ)
13. मद्रास	1861	तमिलनाडु और पांडिचेरि	मद्रास

1	2	3	4
14. उड़ीसा	1948	उड़ीसा	कटक
15. पटना	1916	बिहार	पटना (रांची में न्यायपीठ)
16. पंजाब और हरियाणा	1947	पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
17. राजस्थान	1949	राजस्थान	जोधपुर (जयपुर में न्यायपीठ)
18. सिक्किम	1975	सिक्किम	गंगतोक

अधीनस्थ न्यायालय सम्पूर्ण देश में अधीनस्थ न्यायालयों का ढांचा और उनके कार्य छुटपुट भिन्नताओं को छोड़कर न्यूनाधिक रूप से एक-सा है। एक राज्य को कई जिलों में बांटा गया है। प्रत्येक जिला प्रधान सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसका अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है। कभी-कभी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भी उसकी सहायता करते हैं। जिला न्यायाधीश के अधीन अनेक श्रेणियों के सिविल न्यायालयों का एक संघ होता है।

मुकद्दमों की सुनवाई करने के अतिरिक्त, सिविल न्यायालय अनेक विषयों के बारे में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, जैसे मध्यस्थता, संरक्षता, विवाह, विवाह-विच्छेद और रिक्थ (वसीयत) प्रमाणपत्र। कुछ किस्मों के नागरिक अधिकारों का निर्धारण करने के लिए कुछ विशेष अधिनियमों के अधीन न्यायिक कल्प अधिकरण भी स्थापित किए गए हैं जो साधारण न्यायालयों से भिन्न हैं। कुछ मामलों में उनके आदेशों के विरुद्ध अपील साधारण सिविल न्यायालयों में की जा सकती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपनी अपील अधिकारिता के अधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है।

दण्ड न्यायालयों का गठन और संगठन तथा उनकी प्रक्रिया दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा विनियमित होती है। यह संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 को निरसित करके 1 अप्रैल, 1974 से प्रवृत्त हुई थी। संहिता में कार्यपालक और न्यायिक कार्यों के लिए पृथक-पृथक मजिस्ट्रेट वर्गों का प्रावधान है। जहां तक कार्यपालक और न्यायिक दोनों प्रकार के मजिस्ट्रेटों के न्यायिक कार्य का संबंध है, वे उच्च न्यायालय के अधीक्षण और नियंत्रण में हैं। एक जिला मजिस्ट्रेट होता है और उसके नीचे अनेक अधीनस्थ मजिस्ट्रेट होते हैं। ये मजिस्ट्रेट ही कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध निवारण संबंधी समस्याओं का निपटारा करते हैं। न्यायिक पक्ष में, मजिस्ट्रेटों के न्यायिक पदानुक्रम में जिला स्तर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिन मजिस्ट्रेटीय कार्यों का स्वरूप अनिवार्यतः न्यायिक होता है, उनकी जिम्मेदारी न्यायिक मजिस्ट्रेट पर होती है। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में मेट्रोपालिट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिन्हें मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए और भी व्यापक अधिकार प्राप्त है।

देश में 31 दिसम्बर, 1980 को जिला-स्तरीय अधीनस्थ न्यायालयों में 2,443 जिला/अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश/अधीनस्थ न्यायाधीश तथा 4,578 मुंसिफ/मजिस्ट्रेट कार्य कर रहे थे।

दण्ड प्रक्रिया में सुधार

नई दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा दण्ड प्रक्रिया में भारी परिवर्तन किए गए हैं। 1978 और 1980 में कुछ और संशोधन किए गए। नई संहिता, अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है, जिनका उद्देश्य मामलों का शीघ्र निपटारा करना, दक्षता में सुधार करना, दुरुपयोग को रोकना तथा समाज के कमजोर वर्गों को राहत पहुंचाना है।

महान्यायवादी

भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाए जाने योग्य व्यक्ति होना चाहिए। महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वह भारत सरकार को उन विधिक विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के वे अन्य कार्य करे, जो उसे राष्ट्रपति द्वारा भेजे या सौंपे जाएं। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई एवं संसद् की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु उसे संसद् के भीतर मतदान का अधिकार नहीं है।

अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए महान्यायवादी को महासालिसिटर और दो अतिरिक्त महासालिसिटर की सहायता प्राप्त होती है।

महाधिवक्ता

हर राज्य में एक महाधिवक्ता होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वह राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। यह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य होना चाहिए। उसका कर्तव्य राज्य सरकार को उन विधिक विषयों पर सलाह देना है और विधिक स्वरूप के वे सब काम करना है, जो उसे राज्यपाल द्वारा भेजे या सौंपे जाएं। महाधिवक्ता को मतदान के अधिकार के बिना राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाहियों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।

विधि-व्यवसाय

भारत में विधि-व्यवसाय से संबंधित विधि, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाए गए नियम हैं। यह विधि-व्यवसायियों से संबंधित तथा राज्य विधिज्ञ परिषदों और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के गठन के लिए विधि की एक स्वयंपूर्ण संहिता है।

वही व्यक्ति वकालत करने का हकदार है, जो राज्य विधिज्ञ परिषदों में से किसी एक के पास अधिवक्ता अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो। एटार्नी और अधिवक्ता की दोहरी पद्धति, जो बम्बई और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में थी, 15 अक्तूबर, 1976 से समाप्त कर दी गई। अधिवक्ताओं के दो वर्ग हैं—"ज्येष्ठ अधिवक्ता" और "अन्य अधिवक्ता"। प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद् के अधिवक्ताओं के रजिस्टर के दो भाग हैं—भाग-1 में ज्येष्ठ अधिवक्ताओं के नाम और भाग-2 में अन्य अधिवक्ताओं के नाम

होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक राज्य विधिज्ञ परिषदों के रजिस्टर में अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं होगा। यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय है कि कोई अधिवक्ता अपनी योग्यता, न्यायालय में अपने अनुभव या विशेष ज्ञान अथवा विधि के क्षेत्र में अपने अनुभव के फलस्वरूप ज्येष्ठ अधिवक्ता के नाम से अभिहित किए जाने की योग्यता रखता है, तो उसे उसकी सम्मति से ऐसा विशिष्ट स्थान दिया जा सकता है।

अपने विधि-व्यवसाय के विषय में ज्येष्ठ अधिवक्ता पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध ये हैं : वह वकालतनामा फाइल नहीं करेगा, वह रिकार्ड पर किसी अधिवक्ता के हुए बिना न्यायालय में पेश नहीं होगा, वह राज्य के रजिस्टर के भाग-2 में नामांकित किसी अधिवक्ता के परामर्श के बिना अभिवचन आदि का मसौदा तैयार करने के लिए अनुदेश (हिदायतें) स्वीकार नहीं करेगा; वह किसी न्यायालय में हाजिर होने के लिए सीधे किसी मुवक्किल से कोई परामर्श या अनुदेश नहीं लेगा।

एक राज्य विधिज्ञ परिषद् के रजिस्टर में दर्ज अधिवक्ता, विहित रीति से किसी अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद् में स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकता है। अधिवक्ता के नामांकन के लिए शिक्षा आदि के कुछ मानदंड विहित किए गए हैं। व्यावसायिक आचार और शिष्टता के स्तर को विनियमित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं।

प्रत्येक अधिवक्ता इस बात का ध्यान रखेगा कि जिस व्यक्ति को वकील की वास्तविक रूप से आवश्यकता है, वह कानूनी सहायता पाने का हकदार है, भले ही वह पूरा या पर्याप्त पारिश्रमिक न दे सके। और अपनी आर्थिक स्थिति की सीमाओं के भीतर रहते हुए गरीब और दलित वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता देना अधिवक्ता का समाज के प्रति एक महान दायित्व है।

विधिज्ञ परिषदों को अपने रजिस्टर में अंकित अधिवक्ताओं पर अनुशासनिक अधिकार प्राप्त हैं। किन्तु अधिवक्ताओं को भारतीय विधिज्ञ परिषद् में अपील करने तथा इसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।

सरकार ने एटार्नियों की वरिष्ठता के संबंध में विधि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 में, और भारत के द्वितीय अतिरिक्त महा सालिसिटर को अन्य सभी अधिवक्ताओं से ऊपर पूर्व-सुनवाई का अधिकार देने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 23 में भी संशोधन किया और उक्त संशोधनों को लागू कर दिया गया है।

विधि आयोग

सभी देशों में लम्बे समय से यह माना जाता है कि विधि के स्वरूप और अन्तर्वस्तु का समय-समय पर पुनरीक्षण होता रहना चाहिए। बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं एवं कुल आचार संबंधी विषयों की परिवर्तित संकल्पनाओं के फलस्वरूप समय-समय पर वर्तमान विधि का पुनर्विलोकन करना आवश्यक हो जाता है। एक ऐसे स्थायी निकाय के बिना जिसे विधि के क्रमबद्ध पुनर्विलोकन का काम सौंपा जाए, इस काम को संतोषप्रद ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता। विभिन्न देशों में विधि आयोग की स्थापना की धारणा के पीछे यही आधारभूत दृष्टिकोण रहा है।

भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था और तब से समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता रहा है। विधि आयोग का प्रधान कार्य विधि को अद्यतन बनाना है।

विधि आयोग का पुनर्गठन और तीन वर्षों की अवधि, 14 दिसम्बर, 1981 से 13 दिसम्बर, 1984 तक के लिए किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश हैं। दो पूर्णकालिक सदस्य हैं; उनमें से एक उच्च न्यायालय के अवकाश-प्राप्त मुख्य न्यायाधीश और दूसरा उच्च न्यायालय का अवकाश-प्राप्त जज है; तथा भारत सरकार के सचिव के स्तर का एक सदस्य-सचिव है। विधि आयोग को विचारार्थ सौंपे गए विषय हैं :—

(1) न्याय-प्रशासन की व्यवस्था का पुनर्विलोकन करते रहना, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि यह समय की युक्तियुक्त मांगों के अनुरूप है और विशिष्टतया यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि :—

(क) मामलों में विलम्ब न हो, बकाया काम का तेजी से निपटारा हो और खर्च कम हो जिससे कि इस महत्वपूर्ण सिद्धांत पर भी कि 'निर्णय न्यायसंगत और निष्पक्ष होने चाहिएं,' कोई प्रभाव पड़े बिना मामलों का तेजी से और मितव्ययी ढंग से निपटारा हो सके;

(ख) विलम्ब करने वाली बारीकियों और युक्तियों को कम करने और बिल्कुल समाप्त करने के उद्देश्य से, प्रक्रिया सरल की जाए जिससे कि वही अपने आप में लक्ष्य न बन जाए, अपितु वह न्याय-प्राप्ति का साधन बनी रहे; और

(ग) न्याय-प्रशासन से सम्बद्ध व्यक्तियों का कार्य स्तर ऊंचा उठे।

(2) राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में वर्तमान विधियों पर विचार करना और उसमें विकास तथा सुधार के तरीके सुझाना तथा ऐसे विधान का सुझाव देना जो निदेशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने तथा संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक हों।

(3) व्यापक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना, जिससे कि वे सरल बनाए जा सकें तथा विसंगतियों, संदिग्धार्थताओं और असमताओं, को दूर किया जा सके।

(4) इस बारे में सिफारिश करना कि कानून पुस्तिका को अद्यतन बनाने के लिए उन मूल नियमों और उनके उन भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, किस प्रकार समाप्त करना है।

(5) विधि और न्याय-प्रशासन संबंधी अन्य किसी भी विषय पर, जो उसके पास भेजा जाए, विचार करना और सरकार को अपनी राय से अवगत कराना।

स्वीय विधियां

भारत में विभिन्न धर्मों और मतों के लोग रहते हैं। उनके पारिवारिक कार्यकलापों से संबंधित विषयों जैसे विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार आदि की बाबत उन पर भिन्न-भिन्न स्वीय विधियां लागू होती हैं।

भारत में इस समय जो स्वीय विधियां प्रभावी हैं, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

विवाह

विवाह विषयक विधि को विभिन्न धर्मों के लोगों पर लागू वि. में संहितावद्ध किया गया है। वे हैं :—

1. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856, 2. धर्म-प विवाह-विघटन अधिनियम, 1866; 3. भारतीय विवाह-वि 1869; 4. भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872; 5. 1880; 6. आनन्द विवाह अधिनियम, 1909; 7. बाल विवाह प्र 1929; 8. पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936; विघटन अधिनियम, 1939; 10. विशेष विवाह अधिनियम, 19 विवाह अधिनियम, 1955; 12. विदेशियों विषयक विवाह अधि

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का विस्तार जम्मू-क सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है और यह भारत के उन नागरिकों होता है, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के रहने वाले हैं किन्तु जिनका अधि क्षेत्रों में है, जिन तक इस अधिनियम का विस्तार है। जिन व्य अधिनियम लागू होता है, वे इस अधिनियम के अधीन विनि विवाह रजिस्टर करवा सकते हैं, भले ही वे पृथक-पृथक धर्म के म. अधिनियम में यह भी उपबंधित है कि यदि किसी अन्य रूप विवाह इस अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो उसे विशेष वि के अधीन रजिस्टर किया जा सकता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का विस्तार जम्मू राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है और यह उन हिन्दुओं पर है जो उन राज्यक्षेत्रों में अधिवास करते हैं, जिन तक अधिनियम है, किन्तु उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर हैं। इसके अतिरिक्त यह सब धर्म हिन्दुओं पर लागू होता है जिनमें बौद्ध, सिक्ख, जैन और वे सब जो अपने आपको मुस्लिम, ईसाई या पारसी या यहूदी नहीं मानते। किन्तु अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता, जब तक अन्यथा निदेश न दे। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 को अधिनि हिन्दुओं में प्रचलित विधि को संहितावद्ध करने का प्रयास किया अधिनियम को बनाए जाने के बावजूद इस देश के न्यायालयों ने धारणा व्यक्त की है :—

"किन्तु हिन्दू विधि के अन्तर्गत विवाह की संकल्पना में अधिनियम बनाने से कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए हैं। वस्तुतः उस बुनियादी ढांचे को बिल्कुल भी नहीं छुआ गया है और अभी तक विवाह ही बना हुआ है। हिन्दुओं के लिए विवाह करार या संविदा की विध है अपितु दो आत्माओं का आध्यात्मिक मिलन है। हिन्दू विवाह के लिए अग्नि के समक्ष पवित्र प्रतिज्ञा करना और 'सप्तपदी' न्यूनतम हैं। अतः जब तक कि यह सिद्ध न कर दिया जाए कि किसी भिन्न प्रथा हिन्दुओं में भिन्न प्रकार से विवाह संस्कार सम्पन्न किया जाता है, त संस्कारों और समारोहों को सिद्ध करने के बाद ही परिवादी ऐसे मा दावा कर सकता है कि उसका पति/उसकी पत्नी भारतीय दण्ड संहिता

496 के अधीन अपराध का/की दोषी है।,, (देखिए—शकुन्तला बनाम नीलकंठ, 1973, महाराष्ट्र लॉ जर्नल, पृ० 314)।

हिन्दू विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा हाल ही में किए गए संशोधन से विवाह विच्छेद के आधारों को, जो कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उपलब्ध थे, और बढ़ा दिया गया है। विवाह-विच्छेद संबंधी उपबंध हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 में और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 27 में दिए गए हैं। इन अधिनियमों के अधीन पति या पत्नी द्वारा जिन सामान्य आधारों पर विवाह-विच्छेद की मांग की जा सकती है, वे इन प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत आते हैं :—

जारता, परित्याग, क्रूरता, विकृतचित्त, रतिज रोग, कुष्ठरोग, परस्पर सहमति और सात वर्ष से जीवित न सुना जाना।

जहां तक ईसाई समुदाय का संबंध है, विवाह और विवाह-विच्छेद संबंधी उपबंध भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 में दिए गए हैं। ईसाई समुदाय पर लागू विवाह-विच्छेद संबंधी उपबंध भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा 10 में दिए गए हैं। इस धारा के अनुसार, कोई पति इस आधार पर विवाह-विच्छेद की मांग कर सकता है कि पत्नी जारकर्म की दोषी है, किन्तु पत्नी इस आधार पर विवाह-विच्छेद मांग सकती है कि (1) पति धर्म-परिवर्तन करके किसी दूसरे धर्म को मानने लगा है और उसने किसी दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया है या वह (क) सगोत्र जारता; (ख) जारकर्म सहित द्विविवाह; (ग) जारकर्म सहित किसी अन्य स्त्री से विवाह; (घ) बलात्कार, गुदामैथुन या पशुगमन; (ङ) जारता से युक्त ऐसी क्रूरता जो जारता के बिना भी उसे विवाह-विच्छेद के लिए हकदार बना देती, ए मेन्सा एट टोरो (यह रोमन चर्च द्वारा बनाई गई विवाह-विच्छेद की एक पद्धति है जो जारता, दोषपूर्ण आचार, क्रूरता, धर्मद्रोह, धर्म विमुखता के आधारों पर न्यायिक पृथक्करण के समकक्ष है) और (च) दो वर्ष या इससे अधिक समय से युक्तियुक्त कारण के बिना परित्याग सहित जारता का दोषी है।

जहां तक मुसलमानों का संबंध है उनके विवाह के बारे में देश में प्रचलित मुस्लिम विधि लागू होती है। जहां तक तलाक (विवाह-विच्छेद) का संबंध है, मुस्लिम पत्नी को अपने विवाह के विघटन का बहुत प्रतिबंधित अधिकार प्राप्त है। अलिखित और पारम्परिक विधि मे निम्नलिखित रूपों में विघटन की मांग करने की इजाजत देकर उसकी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया है :

(क) तलाक-ए-तालविद : यह प्रत्यायोजित तलाक का एक रूप है। इसके अनुसार, पति विवाह संविदा में तलाक के अपने अधिकार को प्रत्यायोजित कर देता है। उस संविदा में अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंध किया जा सकता है कि उसके द्वारा कोई दूसरी पत्नी ले लेने पर प्रथम पत्नी को उससे तलाक लेने का अधिकार होगा।

(ख) खुल : यह विवाह के दोनों पक्षों में हुए करार के अनुसार विघटन है जिसके लिए पत्नी को विवाह आदि के बंधन से मुक्त होने के लिए पति को कुछ

विवाह

विवाह विषयक विधि को विभिन्न धर्मों के लोगों पर लागू विभिन्न अधिनियमों मे संहितावद्ध किया गया है । वे हैं :—

1. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856, 2. धर्म-परिवर्तन (कन्वर्ट) विवाह-विघटन अधिनियम, 1866; 3. भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869; 4. भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872; 5. काजी अधिनियम, 1880; 6. आनन्द विवाह अधिनियम, 1909; 7. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929; 8. पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936; 9. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939; 10. विशेष विवाह अधिनियम, 1954; 11. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955; 12. विदेशियों विषयक विवाह अधिनियम, 1969।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है और यह भारत के उन नागरिकों पर भी लागू होता है, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के रहने वाले हैं किन्तु जिनका अधिवास उन राज्य-क्षेत्रों में है, जिन तक इस अधिनियम का विस्तार है। जिन व्यक्तियों पर यह अधिनियम लागू होता है, वे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट तौर पर विवाह रजिस्टर करवा सकते हैं, भले ही वे पृथक-पृथक धर्म के मानने वाले हों। अधिनियम में यह भी उपबंधित है कि यदि किसी अन्य रूप में अनुष्ठापित विवाह इस अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो उसे विशेष विवाह अधिनियम के अधीन रजिस्टर किया जा सकता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है और यह उन हिन्दुओं पर भी लागू होता है जो उन राज्यक्षेत्रों में अधिवास करते हैं, जिन तक अधिनियम का विस्तार है, किन्तु उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर हैं। इनके अतिरिक्त यह सब धर्म व सम्प्रदायों के हिन्दुओं पर लागू होता है जिनमें बौद्ध, सिक्ख, जैन और वे सब भी शामिल हैं, जो अपने आपको मुस्लिम, ईसाई या पारसी या यहूदी नहीं मानते। किन्तु यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता, जब तक कि सरकार अन्यथा निदेश न दे। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 को अधिनियमित करके हिन्दुओं में प्रचलित विधि को संहितावद्ध करने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम को बनाए जाने के बावजूद इस देश के न्यायालयों ने हमेशा यह धारणा व्यक्त की है :—

"किन्तु हिन्दू विधि के अन्तर्गत विवाह की संकल्पना में हिन्दू-विवाह अधिनियम बनाने से कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए हैं। वस्तुतः उस संकल्पना के बुनियादी ढांचे को विल्कुल भी नहीं छुआ गया है और अभी तक विवाह एक संस्कार ही बना हुआ है। हिन्दुओं के लिए विवाह करार या संविदा की विषयवस्तु नहीं है अपितु दो आत्माओं का आध्यात्मिक मिलन है। हिन्दू विवाह के अनुष्ठापन के लिए अग्नि के समक्ष पवित्र प्रतिज्ञा करना और 'सप्तपदी' न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। अतः जब तक कि यह-सिद्ध न कर दिया जाए कि किसी भिन्न प्रथा के अनुसार हिन्दुओं में भिन्न प्रकार से विवाह संस्कार सम्पन्न किया जाता है, तब तक इन संस्कारो और समारोहों को सिद्ध करने के बाद ही परिवादी ऐसे मामले में यह दावा कर सकता है कि उसका पति/उसकी पत्नी भारतीय दण्ड संहिता की धारा

496 के अधीन अपराध का/की दोषी है।,, (देखिए—शकुन्तला बनाम नीलकंठ, 1973, महाराष्ट्र लॉ जर्नल, पृ० 314)।

हिन्दू विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा हाल ही में किए गए संशोधन से विवाह विच्छेद के आधारों को, जो कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन उपलब्ध थे, और बढ़ा दिया गया है। विवाह-विच्छेद संबंधी उपबंध हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 में और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 27 में दिए गए हैं। इन अधिनियमों के अधीन पति या पत्नी द्वारा जिन सामान्य आधारों पर विवाह-विच्छेद की मांग की जा सकती है, वे इन प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत आते हैं:—

जारता, परित्याग, क्रूरता, विकृतचित्त, रतिज रोग, कुष्ठरोग, परस्पर सहमति और सात वर्ष से जीवित न सुना जाना।

जहां तक ईसाई समुदाय का संबंध है, विवाह और विवाह-विच्छेद संबंधी उपबंध भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 में दिए गए हैं। ईसाई समुदाय पर लागू विवाह-विच्छेद संबंधी उपबंध भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा 10 में दिए गए हैं। इस धारा के अनुसार, कोई पति इस आधार पर विवाह-विच्छेद की मांग कर सकता है कि पत्नी जारकर्म की दोषी है, किन्तु पत्नी इस आधार पर विवाह-विच्छेद मांग सकती है कि (1) पति धर्म-परिवर्तन करके किसी दूसरे धर्म को मानने लगा है और उसने किसी दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया है या वह (क) सगोत्र जारता; (ख) जारकर्म सहित द्विविवाह; (ग) जारकर्म सहित किसी अन्य स्त्री से विवाह; (घ) बलात्कार, गुदामैथुन या पशुगमन; (ङ) जारता से युक्त ऐसी क्रूरता जो जारता के बिना भी उसे विवाह-विच्छेद के लिए हकदार बना देती, ए मेन्सा एट टोरो (यह रोमन चर्च द्वारा बनाई गई विवाह-विच्छेद की एक पद्धति है जो जारता, दोषपूर्ण आचार, क्रूरता, धर्मद्रोह, धर्म विमुखता के आधारों पर न्यायिक पृथक्करण के समकक्ष है) और (च) दो वर्ष या इससे अधिक समय से युक्तियुक्त कारण के बिना परित्याग सहित जारता का दोषी है।

जहां तक मुसलमानों का संबंध है उनके विवाह के बारे में देश में प्रचलित मुस्लिम विधि लागू होती है। जहां तक तलाक (विवाह-विच्छेद) का संबंध है, मुस्लिम पत्नी को अपने विवाह के विघटन का बहुत प्रतिबंधित अधिकार प्राप्त है। अलिखित और पारम्परिक विधि ने निम्नलिखित रूपों में विघटन की मांग करने की इजाजत देकर उसकी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया है:

(क) तलाक-ए-तालविद: यह प्रत्यायोजित तलाक का एक रूप है। इसके अनुसार, पति विवाह संविदा में तलाक के अपने अधिकार को प्रत्यायोजित कर देता है। उस संविदा में अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंध किया जा सकता है कि उसके द्वारा कोई दूसरी पत्नी ले लेने पर प्रथम पत्नी को उससे तलाक लेने का अधिकार होगा।

(ख) खुल: यह विवाह के दोनों पक्षों में हुए करार के अनुसार विघटन है जिसके लिए पत्नी को विवाह आदि के बंधन से मुक्त होने के लिए पति को कुछ

प्रतिफल देना पड़ता है। इसकी शर्तें आपस में तय कर ली जाती हैं और प्रायः पत्नी को अपना मेहर या उसका एक हिस्सा छोड़ना पड़ता है।

(ग) मुबर्रत : यह आपसी सहमति द्वारा तलाक है।

फिर, मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1939 द्वारा मुस्लिम पत्नी को निम्नलिखित आधारों पर विवाह-विघटन का अधिकार दिया गया—(1) चार वर्ष से पति का कोई अता-पता न हो, (2) पति दो वर्ष से उसका भरण-पोषण नहीं कर रहा हो, (3) पति को सात वर्ष या उससे अधिक समय का कारावास दे दिया गया हो, (4) किसी समुचित कारण के बिना तीन वर्ष से पति अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन न कर रहा हो, (5) पति नपुंसक हो, (6) दो वर्ष से पागल हो गया हो, (7) कुष्ठरोग या उग्र रतिज रोग से पीड़ित हो (8) जो शादी पत्नी की आयु 15 वर्ष की होने से पहले हो चुकी हो और पूर्णता तक न पहुंची हो (9) क्रूर बर्ताव रहा हो।

पारसियों के वैवाहिक संबंध पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 के अनुसार चलते हैं। अधिनियम में पारसी शब्द की परिभाषा पारसी जरदसी के रूप में की गई है। जरदसी वह व्यक्ति होता है जो जरदसी धर्म को मानता है। पारसी शब्द नस्ल का द्योतक है। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक विवाह और विवाह-विच्छेद को अधिनियम में विहित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करवाना आवश्यक है। फिर भी इस निमित्त अपेक्षाओं का पालन न करने से विवाह अविधिमान्य नहीं होता। अधिनियम में एक विवाह की व्यवस्था है।

जहां तक यहूदियों की विवाह-विषयक विधियों का संबंध है, भारत में इसकी कोई संहिताबद्ध विधि नहीं है। आज भी वे अपनी धार्मिक विधियों से चलते हैं। यहूदी लोग विवाह को सिविल संविदा न मान कर दो व्यक्तियों के बीच ऐसा संबंध मानते हैं, जिसमें अत्यन्त पवित्र कर्तव्यों का पालन करना होता है। उनमें पर-पुरुष या पर-स्त्री गमन अथवा क्रूर बर्ताव किए जाने पर न्यायालय के माध्यम से विवाह-विघटन किया जा सकता है। उनमें एक विवाह का प्रचलन है।

जहां तक अल्पसंख्यक वर्ग की स्वीय विधियों का संबंध है, सरकार की यह नीति रही है कि इन समुदायों के पहल करने पर ही उनमें सुधार किए जाएं।

बाल विवाह

1978 के अधिनियम द्वारा हाल ही में संशोधित बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में अब उपबंधित है कि पुरुष की विवाह आयु 21 वर्ष होगी और स्त्री की 18 वर्ष। इस संशोधन को 1 अक्तूबर, 1978 से लागू किया गया है।

दत्तक ग्रहण

यद्यपि दत्तक ग्रहण की कोई सामान्य विधि नहीं है फिर भी हिन्दुओं में कानून द्वारा और कतिपय अत्यन्त अल्पसंख्यक लोगों में प्रथा द्वारा इसकी इजाजत दी गई है। चूंकि बालक का दत्तक-ग्रहण एक विधिक संबंध है, अतः यह स्वीय विधि की विषय-वस्तु है। मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों में कोई दत्तक ग्रहण विधि नहीं है। उन्हें संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अधीन न्यायालय में आवेदन करना होता है। मुसलमान, ईसाई और पारसी उक्त

अधिनियम के अधीन बच्चे को पालन-पोषण के लिए ले सकते हैं। पालन-पोषण के लिए देख-रेख में रहने वाला बच्चा वयस्क हो जाने पर अपने सब संबंधों को तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त ऐसे बालक को विरासत का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

जो विदेशी भारतीय बालकों को दत्तक लेना चाहते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिनियम के अधीन न्यायालय में आवेदन करना होता है। यदि न्यायालय बालक को देश के बाहर ले जाने की अनुज्ञा दे देता है, तो विदेशी विधि (यानी संरक्षक पर लागू विधि) के अनुसार दत्तक ग्रहण देश के बाहर होता है।

दत्तक ग्रहण संबंधी हिन्दू विधि को हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के रूप में संशोधित और संहिताबद्ध किया गया है, जिसके अन्तर्गत सामर्थ्यवान हिन्दू पुरुष या स्त्री किसी लड़के या लड़की को गोद ले सकते हैं।

संरक्षकता

कौटुम्बिक विधि के अन्य पहलुओं की भांति, किसी अवयस्क बालक की संरक्षकता के प्रश्न के संबंध में कोई एकरूप विधि नहीं है। तीन भिन्न विधि पद्धतियां प्रचलित हैं—यानी हिन्दू विधि, मुस्लिम विधि और संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890।

संरक्षक तीन प्रकार का हो सकता है: नैसर्गिक संरक्षक, वसीयती संरक्षक और न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। संरक्षकता के प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए दो भिन्न बातें ध्यान में रखनी होती हैं—अवयस्क का शरीर और उसकी सम्पत्ति। प्रायः ये दोनों चीजें एक ही व्यक्ति को नहीं सौंपी जातीं।

अप्राप्तवयता और संरक्षकता से सम्बद्ध हिन्दू विधियों को हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 द्वारा संहिताबद्ध किया गया है। असंहिताबद्ध विधि की तरह इसमें भी पिता के श्रेष्ठ अधिकार को कायम रखा गया है। इसमें अधिकथित है कि बालक 18 वर्ष की आयु तक अप्राप्तवय (अवयस्क) रहता है। लड़कों और अविवाहित पुत्रियों दोनों का नैसर्गिक संरक्षक पहले पिता होता है और उसके बाद माता। पांच वर्ष से कम आयु के बालकों की अभिरक्षा के मामलों में ही मां के अधिकार को प्रधानता दी जाती है। नाजायज बच्चों के मामले में, मां को पिता से बेहतर अधिकार प्राप्त हैं। अधिनियम के अनुसार बालक के शरीर और उसकी सम्पत्ति में कोई अन्तर नहीं रखा गया है। अतः संरक्षकता का अभिप्राय दोनों पर नियंत्रण रखना है। अधिनियम के निदेशानुसार संरक्षकता के प्रश्न का विनिश्चय करते समय न्यायालय को बालक की भलाई को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए।

मुस्लिम विधि में पिता को प्रधानता दी गई है। इसके अन्तर्गत संरक्षकता और अभिरक्षा में भी अन्तर किया गया है। संरक्षकता का संबंध प्रायः सम्पत्ति की संरक्षकता से होता है। सुन्नियों के अनुसार यह अधिकार पहले पिता का है और उसकी अनुपस्थिति में उसके निष्पादक का है। यदि पिता ने कोई निष्पादक नियुक्त नहीं किया है, तो संरक्षकता का अधिकार दादा को मिलता है। शियाओं में एक अन्तर यह है कि पिता को एकमात्र संरक्षक माना जाता है किन्तु उसके मरने पर

यह अधिकार दादा का होता है, न कि निष्पादक का। फिर भी, दोनों विचारधाराओं के विद्वान इस बात से सहमत हैं कि जीवित रहने पर पिता ही एकमात्र संरक्षक है। मां को पिता के मरने के बाद भी नैसर्गिक संरक्षक नहीं माना जाता।

जहां तक नैसर्गिक संरक्षक के अधिकारों का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता का अधिकार सम्पत्ति और शरीर दोनों पर होता है। यदि अवयस्क बालक मां की अभिरक्षा में है, तब भी देखभाल और नियंत्रण का सामान्य अधिकार पिता को प्राप्त होता है। पिता फिर भी मां को एक संरक्षक के रूप में नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार भले ही मां को नैसर्गिक संरक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त न हो, फिर भी पिता की वसीयत के अन्तर्गत उसके संरक्षक नियुक्त किए जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मुस्लिम विधि के अनुसार, अवयस्क बालक (हिज़ानत) की अभिरक्षा का मां का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है। पिता भी उसे इससे वंचित नहीं कर सकता। अनाचार के आधार पर ही मां इस अधिकार से वंचित की जा सकती है। किस आयु में मां का अभिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है, इसके बारे में शिया सम्प्रदाय का मत है कि हिज़ानत पर मां का अधिकार केवल स्तन्यमोचन की अवधि में होता है, जो बालक की दो वर्ष की आयु होने पर समाप्त हो जाता है। 'हनफी' विचारधारा के अनुसार यह अधिकार बालक के सात वर्ष का होने तक रहता है। लड़कियों के बारे में शिया विधि के अनुसार, मां का अधिकार तब तक रहता है, जब तक लड़की सात वर्ष की न हो जाए और हनफी विचारधारा के अनुसार यह अधिकार लड़की के यौवनारम्भ तक रहता है।

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890

यह अधिनियम सभी समुदायों पर लागू होता है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि पिता का अधिकार प्रधान है और अन्य कोई व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि पिता अयोग्य न पाया जाए। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि न्यायालय को बालक की भलाई ध्यान में रखनी चाहिए।

भरण-पोषण

पत्नी का भरण-पोषण करने की पति की जिम्मेदारी विवाह से उत्पन्न होती है। भरण-पोषण का अधिकार स्वीय विधि में आता है और इसीलिए उसमें एकरूपता नहीं है। किन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से धारा 128 में सब समुदायों के लिए एक ही प्रावधान है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, भरण-पोषण का अधिकार पत्नी को और आश्रित बालकों को ही नहीं दिया गया है, अपितु निर्धन माता-पिता और तलाकशुदा पत्नियों को भी दिया गया है। परन्तु पत्नी आदि का दावा पति के पास पर्याप्त साधन होने पर निर्भर करता है। सब आश्रित व्यक्तियों के भरण-पोषण का दावा 500 रु० प्रति माह तक सीमित रखा गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भरण-पोषण के अधिकार को शामिल करने से यह एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि उपचार शीघ्र और सस्ता हो गया है। किन्तु ये तलाक-

शुदा पत्नियां, जिन्होंने रूढ़िजन्य या स्वीय विधि के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि प्राप्त की है, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन भरण-पोषण का दावा करने की हक़दार नहीं है।

हिन्दू विधि के अनुसार, पत्नी को अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, किन्तु यदि वह पतिव्रता नहीं रहती है, तो वह अपने इस अधिकार से वंचित हो जाती है। पतिव्रत का पालन करने में एक बार चूक होने से ही उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भरण-पोषण का उसका अधिकार हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में संहितावद्ध है। भरण-पोषण की रकम निर्धारित करने में न्यायालय अनेक बातों को ध्यान में रखता है, जैसे दोनों पक्षों की स्थिति और हैसियत, दावेदार की उचित जरूरतें और पति की देनदारी तथा दायित्व। न्यायालय इस बात का भी निर्णय करता है कि पत्नी का पति से पृथक रहना न्यायसंगत है या नहीं। न्यायसंगत मानने योग्य कारण अधिनियम में उल्लिखित हैं।

मुकदमा चलने की अवधि में भरण-पोषण, निर्वाह-व्यय और विवाह संबंधी मुकदमे का खर्च भी या तो पति द्वारा वहन किया जाएगा या पत्नी द्वारा, यदि दूसरे पक्ष (पति या पत्नी) की अपने भरण-पोषण के लिए कोई स्वतंत्र आय नहीं है। स्थायी भरण-पोषण के भुगतान के बारे में भी यही सिद्धांत लागू होगा।

मुस्लिम विधि के अनुसार, यदि पति दो वर्ष तक अपनी पत्नी का भरण-पोषण नहीं करता है, तो पत्नी को उसे तलाक देने का हक मिल जाता है। भरण-पोषण का उसका अधिकार तभी तक रहता है, जब तक कि वह पत्नी रहती है। यदि उसे तलाक दे दिया जाता है, तो वह भरण-पोषण के अधिकार से वंचित हो जाती है और केवल तीन मास के लिए यानी 'इद्दत' की अवधि पूरी होने तक ही भरण-पोषण की हकदार रहती है। इस अवधि के बाद उसका कोई दावा नहीं रहता।

पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 भरण-पोषण के लिए केवल पत्नी के अधिकार—मुकदमे के दौरान निर्वाह-व्यय एवं स्थायी निर्वाह व्यय दोनों—को मान्यता देता है।

जिस अवधि के दौरान विवाह विषयक वाद न्यायालय में चलता है, उसके लिए न्यायालय अधिकतम रकम पति की शुद्ध आय का 1/5वां भाग, पत्नी को दिला सकता है स्थायी भरण-पोषण की राशि तय करने में न्यायालय, भुगतान करने की पति की क्षमता, पत्नी की अपनी धन-सम्पत्ति और दोनों के आचरण को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेगा कि न्यायसंगत क्या है। वह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पत्नी पतिव्रता और अविवाहित रहेगी।

ईसाई पत्नी के भरण-पोषण के अधिकारों के बारे में भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 लागू होता है। इसके उपबंध भी वही हैं, जो पारसी विधि के अन्तर्गत हैं और भरण–पोषण, वादकालीन निर्वाह व्यय एवं स्थाई निर्वाह व्यय दोनों को मंजूर करते समय यही बातें लागू की जाती हैं।

उत्तराधिकार

1925 से पहले उत्तराधिकार के विषय में अनेक कानून थे। 1925 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य उन अनेक विधियों को समेकित करना था, जो उस समय अस्तित्व में थी। मुसलमानों और हिन्दुओं के उत्तराधिकार के विषय में लागू होने वाली विधियों को इस अधिनियम से अलग रखा गया। उत्तराधिकार संबंधी विधि का समेकन करते समय दो स्पष्ट स्कीमों को अपनाया गया—प्रथम भारतीय ईसाइयों, यहूदियों और विशेष विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन विवाहित व्यक्तियों के सम्पत्ति-उत्तराधिकार के बारे में और दूसरी पारसियों के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों के बारे में।

प्रथम स्कीम में यानी उन व्यक्तियों को स्कीम में जो पारसी नहीं थे, प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति निर्वसीयती मर जाए और उसकी विधवा और पारम्परिक वंशज जीवित हों, तो विधवा एक तिहाई सम्पत्ति के नियत हिस्से की हकदार होगी और बच्चे शेष उत्तराधिकारी यानी बचे हुए दो तिहाई हिस्से के हकदार होंगे। बाद में विधवा के अधिकारों को बेहतर बनाने की दृष्टि से इस विधि में संशोधन किया गया और उसमें यह उपबंध किया गया कि जहां कोई निर्वसीयती मर जाए और उसकी विधवा जीवित हो तथा कोई पारम्परिक वंशज न हो, तथा सम्पदा का शुद्ध मूल्य 5,000 रु० से अधिक न हो, वह सम्पूर्ण सम्पत्ति की हकदार होगी। जहां सम्पदा का मूल्य 5,000 रु० से अधिक है, वहां वह संदाय तक 4 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित पांच हजार रुपये की राशि के लिए हकदार होगी और शेष में वह अपने निर्वसीयती हिस्से की हकदार है।

यह अधिनियम किसी व्यक्ति पर अपनी सम्पत्ति की वसीयत करने के मामले में कोई प्रतिबंध नहीं लगाता।

दूसरी स्कीम के अन्तर्गत, अधिनियम पारसी निर्वसीयती उत्तराधिकार के लिए उपबंध करता है। पारसी निर्वसीयती पर लागू होने वाले नियम की विशेषता यह है कि हिन्दू विधि के अनुरूप और मुस्लिम विधि से भिन्न, पुरुष और स्त्री पारसी निर्वसीयती की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में पृथक्-पृथक नियम हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी पारसी पुरुष के मरने के बाद उसकी विधवा और बच्चे हैं, तो सम्पत्ति का बंटवारा इस प्रकार होगा कि प्रत्येक पुत्र और विधवा का हिस्सा प्रत्येक पुत्री के हिस्से से दुगुना होगा। इसके अतिरिक्त जब पुरुष पारसी के मरने के बाद विधवा और बच्चों के साथ-साथ माता-पिता—दोनों या उनमें से एक—जीवित हो, तो सम्पत्ति का बटवारा इस प्रकार किया जाएगा कि पिता को पुत्र के हिस्से के आधे हिस्से के बराबर मिलेगा और माता को पुत्री के हिस्से के आधे हिस्से के बराबर।

हिन्दू उत्तराधिकार विधि

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं हैं—निर्वसीयती की सम्पत्ति की विरासत पाने में पुरुषों के समान स्त्रियों के अधिकार को भी मान्यता और स्त्री वारिसों की जीवनपर्यन्त सम्पदा की समाप्ति।

मुस्लिम उत्तराधिकार विधि

भारत के अधिकांश मुसलमान सुन्नी विधि के 'हनफ़' सिद्धान्तों का पालन करते हैं और न्यायालय यह मान कर काम करते हैं कि मुसलमानों पर हनफी विधि लागू होती है, जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न किया जाए। यद्यपि शिया और सुन्नी सम्प्रदायों में बहुत-सी बातें एक-सी हैं, फिर भी कुछ बातें भिन्न-भिन्न हैं। सुन्नी विधि के अनुसार, विरासत संबंधी कुरान के पद प्राक्-इस्लामी पारम्परिक विधि के परिशिष्ट माने जाते हैं और उसमें पुरुषों की श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रखा गया है।

हिन्दू और ईसाई विधि से भिन्न रूप में मुस्लिम विधि व्यक्ति के वसीयत करने के अधिकार को निर्बन्धित करती है। मुसलमान अपनी सम्पदा के केवल एक तिहाई की वसीयत कर सकता है। यदि कोई वसीयत एक तिहाई सम्पदा से अधिक नहीं है, तो वारिसों की सहमति के बिना भी किसी अजनबी व्यक्ति के लिए की गई वसीयत विधि मान्य होगी, किन्तु वारिसों की सहमति के बिना किसी एक वारिस के लिए की गई वसीयत विधिमान्य नहीं होगी। उत्तराधिकार प्रारम्भ होने पर वसीयत के वारिसों की सहमति प्राप्त करनी होगी और वसीयतकर्ता के जीवन-काल में वसीयत के लिए दी गई सहमति उसकी मृत्यु के बाद वापस ली जा सकती है। शिया विधि के अनुसार मुसलमानों को सम्पदा के व्ययनीय एक-तिहाई तक की वसीयत की स्वतंत्रता प्राप्त है।

गरीबों के लिए कानूनी सहायता

कानूनी सहायता की मूलभूत हकदारी संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है जिसमें राज्य को आदेश दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों द्वारा समान संरक्षण से वंचित न करे। अनुच्छेद 21, राज्य को किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से वंचित करने से रोकता है; ऐसा केवल विधि सम्मत क्रियाविधियों द्वारा ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 39 (क) में इस बात पर जोर दिया गया है कि आर्थिक और अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्ति के अवसरों से वंचित न किया जाए। सरकार की इच्छा थी कि देश में कानूनी सहायता की व्यापक योजनाएं अविलंब तैयार करके क्रियान्वित की जाएं, इसलिए उसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त लघु समिति सितम्बर 1980 में गठित की। समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है और राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक आदर्श योजना तैयार की गई है। इस आदर्श योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र में कानूनी सहायता और परामर्शदाता बोर्डों की स्थापना हुई। एक उच्चतम न्यायालय कानूनी सहायता समिति का गठन किया गया है जिसका काम उच्चतम न्यायालय के पास आए हुए मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करना है। न्यायमूर्ति डी० ए० देसाई उस समिति के अध्यक्ष हैं।

पुलिस और कारागार

पुलिस

देश में पुलिस बल को कानून व व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने का दायित्व सौंपा गया है। चूंकि संविधान के अनुसार, कानून व व्यवस्था और पुलिस, राज्य के विषय हैं, अतः भारत में पुलिस की व्यवस्था बनाए रखना और उस पर नियंत्रण रखना राज्यों का कार्य है।

राज्य में पुलिस बल का प्रधान, पुलिस महानिरीक्षक होता है। राज्यों को क्षेत्रीय खण्डों में बांटा गया है, जिन्हें 'रेंज' कहते हैं। प्रत्येक रेंज एक उप महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में होती है। एक रेंज में कई जिले होते हैं। जिला-पुलिस के कई उप-विभाग होते हैं, जैसे पुलिस खण्ड, पुलिस सर्किल और पुलिस थाने। सिविल पुलिस के अलावा, राज्यों की अपनी सशस्त्र पुलिस भी होती है और उनकी अपनी सूचना शाखाएं और अपराध शाखाएं आदि भी होती हैं।

दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद और नागपुर जैसे महानगरों में पुलिस तंत्र सीधे पुलिस आयुक्त के अधीन हैं। पुलिस आयुक्त को कुछ मजिस्ट्रेटीय शक्तियां प्राप्त हैं।

विभिन्न राज्यों के पुलिस के वरिष्ठ पद भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) कॉडर में शामिल होते हैं जिनके लिए भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। पुलिस उप-अधीक्षक से लेकर नीचे पुलिस सिपाही तक के पदों की नियुक्ति, प्रोन्नति और काडर पर नियंत्रण स्वयं राज्य सरकारें करती हैं।

केन्द्रीय सरकार के अनेक केन्द्रीय सशस्त्र बल हैं, जो भारत संघ के अन्य सशस्त्र बलों के समान हैं। केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार की कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और केन्द्रीय संस्थाएं अपराधों की वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से खोज और अन्वेषण में मदद करती हैं।

आसूचना ब्यूरो

आसूचना ब्यूरो का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा और उस से सम्बन्धित अन्य विषयों के बारे में आसूचना एकत्र करना, उसे समेकित करना, उसका मूल्यांकन करना और उसका प्रसार करना है। इस प्रयोजन के लिए आसूचना ब्यूरो भारत सरकार के विभागों से सम्पर्क रखता है और राज्यों में आपराधिक अन्वेषण/आसूचना विभागों की विशेष शाखाओं के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करता है। इसका प्रधान, निदेशक होता है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

अप्रैल 1963 में स्थापित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार और उसके निगमित उपक्रमों के कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों का और अन्तर्राज्यिक या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों का भी अन्वेषण करता है। इसका प्रधान, निदेशक होता है।

वर्ष 1981, के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अन्तर्राष्ट्रीय अपराधों से सम्बन्धित 2,448 नए अपराधियों को, अन्तर्राज्यीय अपराधों से सम्बन्धित 7019 नए अपराधियों को और उनसे सम्बद्ध सम्पत्ति की 10,312 नई मदों को सूचीबद्ध किया। ब्यूरो को विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो से जांच और सत्यापन के लिए

621 अंगुलि-छाप मिले। इसके अलावा, इसे देश में विभिन्न अभिकरणों को भेजने के लिए, 1,242 इन्टर पोल सूचनायें भी प्राप्त हुईं।

सीमा सुरक्षा बल

सीमा सुरक्षा बल 1965 में बनाया गया था। इसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, विशेष रूप से पाकिस्तान और बांगलादेश की सीमाओं पर स्थायी चौकसी रखने का काम सौंपा गया है। इसके कानूनी कार्य हैं: (i) सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना; (ii) सीमा पर अपराध तथा भारत राज्य-क्षेत्र में अनधिकृत आवागमन रोकना; तथा (iii) तस्करी और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना। इसके अतिरिक्त युद्ध-काल में यह बल सेना के साथ अनुपूरक भूमिका निभाता है और सीधे सेना के संचालनात्मक नियंत्रण में काम करता है। सशस्त्र बल होने के नाते सीमा सुरक्षा बल से विभिन्न आन्तरिक सुरक्षा कार्य करने के लिये कहा जाता है तथा इसे असैनिक प्रशासन के सहायतार्थ भी लगाया जाता है।

इस बल का मुख्यालय दिल्ली में है और इसका प्रधान महानिदेशक होता है। यह सीमा क्षेत्र में कार्यरत अन्य बलों जैसे सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना और स्थानीय पुलिस अधिकारीगण से पर्याप्त सम्पर्क रखता है। सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण एक अतिरिक्त कार्य है, जो भारतीय सर्वेक्षण प्राधिकारियों के सहयोग से किया जाता है।

वर्ष 1981 के दौरान बल ने पश्चिमी सीमा पर 3382 और पूर्वी सीमा पर 2651 व्यक्तियों को अनधिकृत रूप से या अवैध रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के प्रयास में पकड़ा और 298 करोड़ रु० का तस्करी का माल भी पकड़ा।

विभिन्न राज्यों खासकर असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में असैनिक अधिकारियों की सहायता के लिए बल को विशेष रूप से बुलाया गया।

बल के पांच बड़े प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनके नाम हैं, (1) टेकनपुर में बी०एस०एफ० अकादमी जो नयी भर्ती के प्रशिक्षण का काम करती है—एन०सी०ओ० तथा अधिकारियों—दोनों को प्रारम्भिक और उच्च प्रशिक्षण, (2) हजारी बाग का प्रशिक्षण केन्द्र और स्कूल-प्रशिक्षण और जंगल प्रशिक्षण प्रदान करता है, (3) इंदौर का केन्द्रीय स्कूल हथियार और सामरिक चाल का प्रशिक्षण देता है, (4) नई दिल्ली में सिगनल ट्रेनिंग स्कूल, तथा (5) सागर में यांत्रिक परिवहन का केन्द्रीय स्कूल। बल ने टेकनपुर में धुए के बम, और गोले उत्पादित करने का एक कारखाना स्थापित किया है। यह कारखाना लम्बी दूरी व कम दूरी के धुएं के बम व दो प्रकार के धुंए के ग्रेनेड बनाता है। इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 50,000 नग है। हर प्रकार के अश्रुगैस गोलों को देश की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति इस कारखाने से होती है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में की गई थी और इसे "क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव की पुलिस" कहते थे।

स्वाधीनता के बाद 'क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव की पुलिस' का नाम बदल कर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस रख दिया गया। बाद में इसमें 'बल' भी जोड़ दिया गया। यह महानिदेशक के नेतृत्व में काम करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

इसका मुख्य काम सम्पूर्ण देश में कानून और व्यवस्था कायम रखने में राज्यों की सहायता करना है। विदेशी आक्रमण के दौरान बल के सदस्यों से सैन्य संचालन के अन्तर्गत भी काम लिया जाता है।

असम राइफल्स असम राइफल्स को निम्नलिखित काम सौंपा गया है—(1) भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, विशेष कर, नाजुक क्षेत्रों की रक्षा और सुरक्षा; (2) अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना; और (3) अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, मणिपुर, और त्रिपुरा राज्य की पुलिस को सहायता।

इस बल का प्रधान महानिदेशक होता है, जिसका मुख्यालय शिलांग में है। सेना के कार्य-नियंत्रण में काम करते हुए इसने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने में और अपनी तैनाती के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा करने में मदद की।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इस बल की स्थापना 1969 में केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले औद्योगिक उपक्रमों की और अधिक अच्छी रक्षा तथा सुरक्षा के लिए संसद द्वारा बनाये गये एक अधिनियम के अधीन की गई थी। इस बल का प्रधान, महानिदेशक होता है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस बल को मुख्यतः इस्पात संयंत्रों, तेल शोधशालाओं, उर्वरक कारखानों, बन्दरगाहों, अंतरिक्ष अधिष्ठानों, परमाणु ऊर्जा संस्थानों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया गया है। प्रशासनिक सुविधा और कार्य संचालन संबंधी दक्षता की दृष्टि से देश को चार मंडलों (जोन) में बांटा गया है—पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी। प्रत्येक मंडल में यह बल एक उपमहानिरीक्षक की संचालनात्मक और प्रशासनिक देख-रेख में काम करता है। साथ ही, बड़े औद्योगिक संस्थानों के सुरक्षा प्रबन्ध का नियंत्रण, उपमहानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के अधीन है।

अपराध शास्त्र और न्याय सम्बन्धी विज्ञान संस्थान यह संस्थान पुलिस, न्यायिक और सुधारात्मक सेवाओं के अधिकारियों और न्याय-सम्बन्धी विज्ञान के विशेषज्ञों को भी अन्तः सेवा प्रशिक्षण देता है। यह अपराध-शास्त्र और न्याय सम्बन्धी विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसन्धान का आयोजन और सम्वर्धन करता है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग पुलिस को कार्यकुशलता बढाने के उद्देश्य से, देश में पुलिस प्रशासन से सम्बंधित अखिल भारतीय स्वरूप के प्रमुख प्रश्नों पर गहराई से विचार करने के लिए 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग बनाया गया था। आयोग सरकार को अब तक पांच रिपोर्ट पेश कर चुका है। उसके द्वारा कुछ और रिपोर्ट पेश किए जाने की सम्भावना है। आयोग की कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित भी किया जा चुका है; अन्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए 1948 में की गई थी। इसके अतिरिक्त अकादमी द्वारा 8 से 10 वर्ष की ज्येष्ठता वाले वरिष्ठ

अधिकारियों के लिए 14 सप्ताह का अभिनवीकरण पाठ्यक्रम एक वर्ष में 3 बार, और केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के उपनिरीक्षकों के लिए 5 मास का एक पाठ्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। पुलिस उपमहानिरीक्षक के स्तर के अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का उन्नत प्रबन्धन विकास कार्यक्रम भी एक सेमिनार के रूप में गठित किया जा रहा है। उन आई० पी० एस० अधिकारियों के लिए जिन्होंने इस क्षेत्र का एक-वर्षीय प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, एक महीने का बेसिक टर्मिनल ट्रेनिंग कोर्स भी आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अकादमी पुलिस से संबंधित विषयों पर संगोष्ठियों और परिसंवादों का भी आयोजन करती है।

गृह रक्षक दल (होमगार्ड) और नागरिक रक्षक दल

गृह रक्षक दल और नागरिक रक्षक दल लोगों की सेवा में कार्यरत कानूनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। गृह रक्षक दल संगठन सारे देश में फैला हुआ है, जबकि नागरिक रक्षक दल कुछ मेद्य नगरों और शहरों मे ही काम करता है। दोनों संगठनों में सभी व्यवसायों के लोगों को शामिल किया जाता है, जो अपना सामान्य कामकाज करने के साथ ही सौंपे गये कृत्य एवं कर्तव्यों के पालन के लिए स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवाएं अधिकारियों को अर्पित करते हैं।

गृह रक्षक दल का काम आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने में, किसी भी प्रकार की संकटकालीन स्थिति जैसे हवाई हमले, आगजनी, बाढ़, महामारी आदि में समाज की मदद करने में, पुलिस के सहायक के रूप मे सेवा करना है। वे अनिवार्य सेवाएं और विपत्ति से राहत भी देते हैं तथा साम्प्रदायिक सद्भावना को प्रोत्साहन देते हैं। नागरिक रक्षक दल का उद्देश्य प्राणरक्षा करना, सम्पत्ति के नुकसान को कम करना और आपतकाल मे बराबर उत्पादन बनाए रखना है।

इन दोनों में से प्रत्येक संस्था में अनुमानतः 5 लाख सदस्य हैं और इन्होंने राष्ट्र की संकटकालीन स्थितियों में उल्लेखनीय सेवाएं की हैं। शान्तिकाल में, गृह रक्षक दल ने प्राकृतिक विपत्तियों के दौरान राहत देने और बचाव कार्य करने के अतिरिक्त, विधि और व्यवस्था, अनिवार्य सेवाएं, यातायात नियंत्रण, रक्षा पहरा और रात को गश्त लगाने में पुलिस की मदद की है। ये दोनों दल अब सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों में भी भाग लेते हैं।

कारागार

कारागार, सुधारगृह और इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं, उनमें कैद व्यक्ति और अन्य राज्यों के कारागारों तथा अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए प्रबन्ध—यह विषय संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची में शामिल है। कैदियों के भरण-पोषण और देख-रेख सहित कारागारों का प्रशासन और प्रबंध राज्यों द्वारा अंगीकृत और समय-समय पर संशोधित, तीन अधिनियमों द्वारा होता है—कारागार अधिनियम, 1894, बंदी अधिनियम, 1900 और बंदी स्थानान्तरण अधिनियम, 1950। कारागारों का दिन-प्रति-दिन का प्रशासन इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए और अपने-अपने राज्य की कारागार निदेशिका में समाविष्ट नियमों के अनुसार किया जाता है।

इस समय देश में 1,169 जेलें हैं—75 केन्द्रीय जेल, 250 जिला जेल, 786 छोटी जेल, 24 विशेष जेल, 19 खुली जेल, किशोर अपराधियों की 12

संस्थाएं तथा 3 महिला जेल। राज्यों में जेलों की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रधान, कारागार महानिरीक्षक होता है।

कारागार सुधार

यद्यपि जेलों का प्रशासन स्वाधीनता के बाद सूक्ष्म अध्ययन और विचार-विमर्श का विषय रहा है, फिर भी पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने इस दिशा में अभूतपूर्व ध्यान दिया है और जागरूकता दिखाई है। भारतीय जेल समिति की रिपोर्ट (1920) से देश में जेल-सुधार की प्रेरणा मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार, जेल-प्रशासन का उद्देश्य "आगे अपराधों को रोकना तथा अपराधी को एक सुधरे हुए चरित्रवान व्यक्ति के रूप में समाज में पुनः प्रतिष्ठा दिलाना" है। तत्पश्चात विशेषज्ञों के अनेक दलों ने—डा० डब्ल्यू०सी० रेकलेस, जो अपराधशास्त्र और सुधारात्मक प्रशासन के संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ थे (1951-52), अखिल भारतीय जेल निदेशिका समिति (1957-59) और जेल विषयक कार्यदल (1972-73) ने देश में जेल-प्रशासन की समस्याओं का अध्ययन किया और जेलों में रहन-सहन की अवस्थाओं को सुधारने के लिए तथा जेल-प्रशासन के पुनर्गठन के लिए ठोस कदम उठाने की सिफारिश की। अखिल भारतीय जेल निदेशिका समिति ने आदर्श जेल निदेशिका प्रकाशित की। उसमें विस्तृत मानदण्ड और निदेशक सिद्धांत दिए गए थे, जिनका उद्देश्य जेलों को सुधार केन्द्रों में बदलना था।

अप्रैल 1979 में, मुख्य सचिवों के सम्मेलन ने जेलों में भीड़ कम करने के लिए अनेक सिफारिशें कीं। इनमें उल्लेखनीय ये थीं: मुकदमे के दौरान जेल में रखे गए व्यक्तियों के मामलों की नियमित समीक्षा की कारगर व्यवस्था, जेलों में अंशकालिक या पूर्णकालिक विधि अधिकारियों की नियुक्ति ताकि ऐसे बंदी न्यायालयों में अपने मुकदमें लड़ सकें, नये न्यायालयों की स्थापना, बंदियों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित विधि में संशोधन। सम्मेलन की अन्य सिफारिशें ये थीं: महिला अपराधियों की देखरेख, इलाज और पुनर्वास के लिए पृथक सुविधाएं, किशोर-अपराधियों का पृथक्करण, जेलों में निरीक्षण और पर्यवेक्षण व्यवस्था में सुधार जिससे कि अनुशासनहीनता और कदाचार दूर किए जा सकें, जेल कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं मजबूत करना, सब हृष्ट-पुष्ट बंदियों के लिए काम, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर आगन्तुक 'मण्डलों' की स्थापना और राज्य जेल निदेशिकाओं का आदर्श जेल निदेशिका के अनुरूप संशोधन।

इसके बाद 3 अप्रैल, 1980 को आयोजित सम्मेलन में जेल प्रशासन में सुधार संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन ने अनेक सिफारिशें कीं, जिनमें उल्लेखनीय हैं—फ्लश/सेप्टिक टैंक शौचालयों की और पर्याप्त पेय जल की व्यवस्था के लिए राज्यों द्वारा जोरदार कार्यक्रम आरंभ, बंदियों की समस्याओं के प्रति जेल प्रशासन के दृष्टिकोण में परिवर्तन, जेल कार्मिकों के लिए आरंभिक और नौकरी के दौरान प्रशिक्षण का आरंभ, महिलाओं तथा किशोर अपराधियों का पृथक्करण और प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन।

जेल सुधारों की दिशा में कदम-उठाने के संबंध मे राज्य सरकारों की सहायता हेतु भारत सरकार ने 1977 में जेल सुधारों के लिए वित्तीय सहायता देने की एक 'स्कीम' बनाई। प्राथमिकता के विषय थे: जेल भवनों की मरम्मत और उन्हें नया रूप देना, जेल उद्योगों और कृषि का आधुनिकीकरण, जेल कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों का निर्माण, जेलों मे वैज्ञानिक तथा तकनीकी सुविधाओं की व्यवस्था तथा जेल कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उपकरण। कैदियों के रहन-सहन की दशाओं और भरण-पोषण के मानदण्डों में सुधार पर जोर दिया गया। 1977-78 और 1978-79 के दो वर्षों में राज्यों को दी गई धनराशि 6 करोड़ रुपये थी। राज्यों को अधिकार दे दिया गया था कि वे खर्च नहीं की गई राशि का उपयोग मार्च 1982 तक कर लें। सातवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि 5 वर्ष (1979–84) तक कैदियों की देख-रेख सहित जेल प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कार्य अनुदान के रूप में ग्यारह राज्यों को 48.31 करोड़ रुपए आबंटित किए जायें। आयोग ने कैदियों के लिए भोजन, कपड़े और दवाओं पर, तथा जल-आपूर्ति, सफाई तथा बिजली आदि प्राथमिक सुविधाएं बढ़ाने पर और राज्यों की जेलों में अतिरिक्त स्थान क्षमता बनाने पर पर्याप्त प्रत्यक्ष खर्च सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है। वित्त आयोग की सिफारिश के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न राज्य सरकारों को 1981–82 के दौरान 864.49 लाख रु० की धनराशि मंजूर की गई है।

भारत सरकार, राज्य सरकारों से इस बात के लिए बराबर आग्रह कर रही है कि वे आदर्श जेल निदेशिका में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अपनी-अपनी जेल निदेशिकाएं संशोधित करें। राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों पर उनकी सलाह से विचार किया जा रहा है। देश मे जेल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और इसके सुधार के लिए आवश्यक सिफारिशें करने हेतु न्यायमूर्ति ए० एन० मुल्ला की अध्यक्षता में जेल सुधारों पर एक समिति 25 जुलाई, 1980 को गठित की गई। समिति ने तिहाड़ केन्द्रीय जेल के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और पूरे देश मे जेल प्रशासन के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

जेल सुधार के विभिन्न पहलुओं के बारे में भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग का राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान—केन्द्रीय और राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता तथा परामर्श देता है। संस्थान का निदेशक, गृह मंत्रालय के पदेन जेल सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

संसद द्वारा बनाई गई विधियां

1981 मे 62 विधेयक विधियों के रूप में अधिनियमित किए गए। इन विधेयकों की सूची सारणी 25.2 में दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों की परिधि और प्रयोजन नीचे दिए गए हैं :

विशेष धारक बोन्ड्स (सुविधाएं और छूट) अधिनियम, 1981—विशेष धारक बोन्ड्स 1991 के धारकों को बहुत सी सुविधायें दी गई हैं और ऐसे बोन्ड में लगी धन राशि पर प्रत्यक्ष करों से छूट भी दी गई है जिसका प्रयोजन काले धन को उत्पादन कार्यों में लगाना है।

वायु (प्रदूषण की रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 1981
वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण के लिए और इन उद्देश्यों की पूर्ति के वास्ते बोर्डो की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है।

आवश्यक वस्तुएं (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, में संशोधन के रूप में आवश्यक वस्तुओ की जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी में लगे हुए व्यक्तियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं।

बम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमन और दिव तक कार्यक्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, 1981

इस अधिनियम मे, बम्बई उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र का गोवा, दमन और दिव तक विस्तार और बम्बई उच्चन्यायालय की एक स्थाई न्याय पीठ पणजी में स्थापित करने का प्रावधान है।

भारत का आयात-निर्यात बैंक अधिनियम, 1981

देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की दृष्टि से आयातको और निर्यातको को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत का आयात-निर्यात बैंक स्थापित करने का प्रावधान है।

सिनेमा कर्मचारियों के लाभार्थ उपकर अधिनियम, 1981
इस अधिनियम में कतिपय सिनेमा कर्मचारियो के हितार्थ क्रियाकलापों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फीचर फिल्मों पर उपकर लगाने और वसूल करने का प्रावधान है।

सिनेमा कर्मचारियों के लिए कल्याण कोष अधिनियम, 1981
यह अधिनियम कतिपय सिनेमा कर्मचारियो के लाभार्थ क्रिया-कलापो को वित्तीय सहायता का प्रावधान करता है।

पेशेवर पत्रकार और दूसरे समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवाओं की शर्तों तथा फुटकर प्रावधान) संशोधन अधिनियम, 1981
इस अधिनियम में समाचारपत्रों के कर्मचारियो की कतिपय स्थितियों में मालिको द्वारा मुअत्तिली, अलग किए जाने या निकाले जाने के विरुद्ध प्रावधान है।

आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1981
यह अधिनियम देश में सामान्य जीवन और कुछ आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण के लिए प्रावधान करता है।

भारत के समुद्री (विदेशी जहाजों द्वारा मछली पकड़ने का विनियमीकरण अधिनियम, 1981

यह अधिनियम विदेशी समुद्री जहाजों द्वारा भारत के विभिन्न समुद्रवर्ती तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने के नियमन का प्रावधान करता है।

वर्ण-भेद विरोधी (संयुक्त राष्ट्र समझौता) अधिनियम, 1981

यह अधिनियम वर्ण-भेद के अपराधों के लिए दण्ड सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करता है।

सिनेमा कर्मचारी और सिनेमा थियेटर कर्मचारी (रोजगार का नियमन) —अधिनियम, 1981

यह अधिनियम विभिन्न सिनेमा कर्मचारियों और सिनेमा थियेटर कर्मचारियों की नौकरी सम्बन्धी शर्तों के नियमन, का प्रावधान करता है।

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक अधिनियम, 1981

इस अधिनियम द्वारा समग्र ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों को समुन्नत बनाने के लिए एक बैंक स्थापित किया जाना है जो कृषि, लघु-उद्योग, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, दस्तकारी, ग्रामीण-शिल्प और तत्संबंधी अन्य आर्थिक क्रिया कलापों के लिए ऋण सुविधा जुटा सके।

सारिणी 25.2

1981 में संसद द्वारा बनाई गई विधियां

क्रमांक	विधेयक	उद्भावक सदन	कब प्रस्तुत किया गया	उद्भावक सदन द्वारा कब पारित किया गया	दूसरे सदन द्वारा कब पारित/वापस किया गया	राष्ट्रपति की अनुमति की तारीख
1	[redacted]	3	4	5	6	7
1.	जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 1981	लोक सभा	23-2-81	9-3-81	16-3-81	17-3-81
2.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981	लोक सभा	13-3-81	13-3-81	18-3-81	23-3-81
3.	विनियोग विधेयक, 1981	लोक सभा	16-3-81	16-3-81	18-3-81	23-3-81
4.	विनियोग (सं० 2) विधेयक, 1981	लोक सभा	16-3-81	16-3-81	18-3-81	23-3-81
5.	विनियोग (सं० 3) विधेयक, 1981	लोक सभा	16-3-81	16-3-81	18-3-81	23-3-81
6.	दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 1981	राज्य सभा	9-3-81	17-3-81	23-3-81	25-3-81
7.	विशेष धारक बांड (सुविधायें और छूट) विधेयक, 1981	लोक सभा	2-3-81	19-3-81	26-3-81	27-3-81
8.	विनियोग (रेल) विधेयक, 1981	लोक सभा	17-3-81	17-3-81	24-3-81	27-3-81
9	विनियोग (रेल) संख्या—2 विधेयक, 1981	लोक सभा	17-3-81	17-3-81	24-5-81	27-3-81
10.	विनियोग (रेल) संख्या—3 विधेयक, 1981	लोक सभा	17-3-81	17-3-81	24-3-81	27-3-81
11.	विनियोग (रेल) संख्या—4 विधेयक, 1981	लोक सभा	17-3-81	17-3-81	24-3-81	27-3-81
12.	मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981	लोक सभा	19-3-81	19-3-81	26-3-81	29-3-81
13.	मणिपुर विनियोग विधेयक, 1981	लोक सभा	19-3-81	19-3-91	26-3-81	29-3-81
14.	वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) विधेयक, 1981	लोक सभा	24-11-80	23-12-80 23-3-81[1]	25-2-81	29-3-81
15.	विनियोग (संख्या-4) विधेयक 1981	लोक सभा	21-4-81	21-4-81	29-4-81	1-5-81
16	वित्त विधेयक 1981	लोक सभा	28-2-81	29-4-81	7-5-81	12-5-81

17. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, 1981	लोक सभा	3-3-81	4-5-81	18-8-81	27-8-81
18. आवश्यक वस्तुए (विशेष प्रावधान) विधेयक, 1981	राज्य सभा	24-2-81	23-4-81	25-8-81	2-9-91
19. काला बजारी की रोक-थाम और आवश्यक वस्तु पूर्ति अनुरक्षण (संशोधन) विधयक, 1981	राज्य सभा	24-2-81	23-4-81	25-8-81	2-9-81
20. असम विनियो विधेयक, 1981	लोक सभा	24-8-81	24-8-81	25-8-81	2-9-81
21. सांसदों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1981	राज्य सभा	15-12-80	25-2-81	27-8-81	4-9-81
22. आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1981	लोक सभा	24-4-81	19-3-81	31-8-81	4-9-81
23. अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) संशोधन विधेयक, 1981	लोक सभा	18-8-81	25-8-81	31-8-81	4-9-81
24. कस्टम ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, 1981	लोक सभा	21-8-81	26-8-81	31-8-81	4-9-81
25. कोयला खान श्रम कल्याण फंड (संशोधन) विधेयक, 1981	लोक सभा	21-12-80	23-12-80 2-9-81[2]	7-5-81	9-9-81
26. बम्बई उच्च न्यायालय (अधिकारक्षेत्र का गोआ, दमन और दीव तक विस्तार) विधेयक, 1981	लोक सभा	12-8-80	23-12-80 2-9-81[3]	20-8-81	9-9-81
27. दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981	लोक सभा	20-8-81	26-8-81	1-9-81	11-9-81
28. आयात-निर्यात भारतीय बैंक विधेयक, 1981	लोक सभा	8-5-81	18-8-81	26-8-81	11-9-81
29. ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन (शेयरों का अभिग्रहण) विधेयक 1981	लोक सभा	24-8-81	27-8-81	1-9-81	11-9-81
30. सिनेमा कर्मचारी कल्याण उपकर विधेयक, 1981	लोक सभा	8-5-81	3-9-81	8-9-81	11-9-81
31. डालमिया दादरी सीमेंट लि० (अधिग्रहण और कारोबार का स्थानान्तरण) विधेयक, 1981	लोक सभा	5-5-81	27-8-81	2-9-81	15-9-81
32. विक्टोरिया मेमोरियल (संशोधन) विधेयक, 1981	लोक सभा	17-11-80	17-2-81	7-9-82	17-9-81
33. सिनेमा कर्मचारी कल्याण फड विधेयक, 1981	लोक सभा	8-5-81	4-9-81	8-9-81	17-9-81
34. विनियोग (रेल) संख्या—5 विधेयक, 1981	लोक सभा	8-9-81	8-9-81	15-9-81	18-9-81

1	2	3	4	5	6	7
35.	नगालैंड राज्य (संशोधन) विधेयक, 1981	राज्य सभा	19-2-81	24-8-81	16-9-81	18-9-81
36.	पेशेवर पत्रकारों और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (नौकरियों की शर्तें) फुटकर प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 1981	राज्य सभा	20-8-81	25-8-81	16-8-81	18-9-81
37.	विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1981	लोक सभा	10-9-81	10-9-81	16-9-81	19-9-81
38.	आयकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1981	लोक सभा	8-9-81	14-9-81	16-9-81	19-9-81
39.	असम राज्य विधान मंडल अधिकारों का प्रत्यायोजन विधेयक, 1981	राज्य सभा	7-9-81	14-9-81	18-9-81	22-9-81
40.	आवश्यक सेवायें अनुरक्षण विधेयक, 1981	लोक सभा	10-9-81	16-9-81	17-9-81	23-9-81
41.	बर्मा आयल कम्पनी [आयल इंडिया लिमिटिड के शेयरों का और असम आयल कम्पनी लि० तथा बर्मा आयल कम्पनी के भारत में कारोबार (इंडिया ट्रेडिंग) का अधिग्रहण] विधेयक 1981	लोक सभा	28-8-81	7-9-81	16-9-81	28-9-81
42.	भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जहाजों द्वारा मछली पकड़ने का नियमन) विधेयक, 1981	लोक सभा	18-5-81	7-9-81	16-9-81	28-9-81
43.	व्यापारिक जहाज रानी (संशोधन) विधेयक, 1981	लोक सभा	16-4-81	1-9-81	1-9-81	28-9-81
44.	चीनी उद्यम (प्रबन्ध का अधिग्रहण) संशोधन विधेयक, 1981	राज्य सभा	23-11-81	26-11-81	30-11-81	30-11-81
45.	तेल उद्योग (विकास) संशोधन विधेयक, 1981	लोक सभा	17-9-81	23-11-81	2-12-81	10-12-81
46.	आर्थिक अपराध (परिमितता का लागू न होना) संशोधन विधेयक, 1981	लोक सभा	1-9-81	25-11-81	1-12-81	15-12-81
47.	बीड़ी वर्कर कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1981	लोक सभा	14-9-81	26-11-81	9-12-81	15-12-81
48.	वर्णभेद विरोधी (संयुक्त राष्ट्र समझौता) विधेयक, 1981	लोक सभा	27-11-80	31-8-81	7-12-81	18-12-81
49.	सिनेमेटोग्राफी (संशोधन) विधेयक, 1981	राज्य सभा	24-12-80	28-4-81	14-12-81	18-12-81
50.	सिनेमा कर्मचारी और सिनेमा थियेटर कर्मचारी (नौकरी का नियमन) विधेयक, 1981	लोक सभा	18-9-81	24-11-81	10-12-81	24-12-81
51.	खुदा बक्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक, 1981	राज्य सभा	28-3-79	20-11-80 15-12-81[4]	3-12-81	24-12-81
52.	रामपुर रज़ा पुस्तकालय (संशोधन) विधेयक, 1981	राज्य सभा	28-3-79	20-11-80 15-12-81[5]	30-11-81	24-12-81

53. केरल विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1981	लोक सभा	17-12-81	17-12-81	23-12-81	24-12-81
54. विनियोग (रेल) संख्या 6 विधेयक, 1981	लोक सभा	15-12-81	15-12-81	22-12-81	24-12-81
55. विनियोग (रेल) सख्या 7 विधेयक, 1981	लोक सभा	15-12-81	15-12-81	22-12-81	24-12-81
56. विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1981	लोक सभा	16-12-81	16-12-81	23-12-81	28-12-81
57. विनियोग (संख्या 7) विधेयक, 1981	लोक सभा	16-12-81	16-12-81	23-12-81	28-12-81
58. बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक, 1981	राज्य सभा	6-3-73	3-9-81	24-12-81	29-12-81
59. भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी (हिस्सों का अधिग्रहण) संशोधन विधेयक, 1981	राज्य सभा	23-11-81	7-12-81	24-12-81	29-12-81
60. असम विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981	लोक सभा	21-12-81	21-12-81	24-12-81	29-12-81
61. कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक विधेयक, 1981	लोक सभा	18-9-81	30-11-81	14-12-81	30-12-81
62. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981	लोक सभा	23-12-80	22-12-81	24-12-81	31-12-81

1. राज्य सभा द्वारा 25–2–81 को किए गए संशोधन लोक सभा द्वारा 23–3–81 को विचारित और स्वीकृत किए गए।
2. राज्य सभा द्वारा 7-5-81 को किए गए संशोधन लोक सभा द्वारा 2-9-81 को विचारित और स्वीकृत।
3. राज्य सभा द्वारा 20-8-81 को किए गए संशोधन लोक सभा द्वारा 2-9-81 को विचारित और स्वीकृत।
4. लोक सभा द्वारा 3-12-81 को किए गए संशोधनों राज्य सभा द्वारा 15-12-81 को विचारित और स्वीकृत।
5. लोक सभा द्वारा 30-11-81 को किए गए संशोधन राज्य सभा द्वारा 15–12–81 को विचारित और स्वीकृत।
6. लोक सभा में यह विधेयक इस रूप मे प्रस्तुत किया गया. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (तीसरा संशोधन) विधेयक, 1980 ।

26 राज्य तथा संघीय क्षेत्र

असम

क्षेत्रफल : 78,523 वर्ग किलोमीटर[1]	जनसंख्या : 1,46,25,152 (1971 की जनसंख्या)
राजधानी : दिसपुर (अस्थायी)	मुख्य भाषा : असमिया

कृषि

राज्य में अनाज की फसलें खेती की कुल जमीन के 72 प्रतिशत से अधिक में बोई जाती हैं। धान मुख्य खाद्य फसल है और पटसन, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना, आलू और फल प्रमुख नकदी फसलें हैं। 1980-81 वर्ष में यहां 20 लाख 52 हजार हेक्टेयर भूमि में 23 लाख 50 हजार टन चावल का उत्पादन हुआ। इसी अवधि में पटसन का उत्पादन 1 लाख गांठें होने का अनुमान है। इस वर्ष गेहूं की खेती 1,15,000 हेक्टेयर जमीन में हुई।

राज्य के कुल क्षेत्र के लगभग 20.9 प्रतिशत भाग में वन हैं। वनों की मुख्य उपज लकड़ी, बांस, नरगल, जड़ी-बूटी, लाख, बेंत और हाथीदांत आदि है।

उद्योग

असम खनिजों से सम्पन्न राज्य है। खनिज तेल के उत्पादन में इसका अपना ही स्थान है। अन्य खनिज हैं—कोयला, चूना-पत्थर, अग्निसह कड़ी मिट्टी, डोलोमाइट और प्राकृतिक गैस।

कृषि-आधारित उद्योगों में चाय का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में 750 के लगभग चाय बागान हैं। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद दूसरे मुख्य उद्योग हैं। देश भर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत उत्पादन असम में होता है। राज्य में दो तेलशोधक कारखाने हैं और पेट्रो-रसायन समूह सहित तीसरा कारखाना बन रहा है। नामरूप में सरकारी क्षेत्र का एक उर्वरक कारखाना है। दूसरे उद्योग हैं : चीनी, पटसन, रेशम, कागज, प्लाईवुड उत्पादन और चावल तथा तेल मिलिंग। महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग हैं—हथकरघा, रेशम उद्योग, बेंत और बांस की वस्तुएं बनाना, लकडी का काम, लोहशिल्प और पीतल के बर्तन बनाना। राज्य में पांच जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना से औद्योगीकरण की गति काफी बढ़ गई है। एरी और मुगा वस्तुओं की विदेशों में बहुत मांग है, इसलिए सुआलकुची में एक हथकरघा परियोजना शुरू की गई है।

सिंचाई और बिजली

असम में सिंचाई की कुल क्षमता लगभग 27 लाख हेक्टेयर अनुमानत: है जिसमें 10 लाख हेक्टेयर की दो बड़ी एवं सात मध्यम सिंचाई योजनाओं से सिंचाई करने की योजना है तथा 17 लाख हेक्टेयर छोटी सिंचाई से।

[1]उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत 21 जनवरी, 1972 को पुनर्गठित।

1980-81 के अन्त तक 7 मध्यम योजनाए पूरी हो चुकी थी। इनमें यमुना एवं शुक्ला परियोजनाए है जो कि 1969 तथा 1978 में क्रमश: शुरू कर दी गई। एक लघु सिंचाई निगम की हाल ही में स्थापना की गयी जो कि किसानों को नलकूप लगाने के लिए ऋण देने के कार्यक्रम में तेजी ला सकें।

बोंगईगांव ताप परियोजना शुरू कर दी गयी है और लखवा ताप परियोजना शीघ्र ही शुरू की जाने वाली है। 1984-85 के अन्त तक वर्तमान क्षमता को लगभग 600 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना है।

1981-82 में लगभग 1,600 गावो का विद्युतीकरण किया जाना है जिससे इनकी संख्या 7,200 हो जाएगी जबकि 1951 मे बीस गावो मे बिजली थी।

पर्यटन दर्शनीय स्थलो में प्रमुख है कामाख्या, उमानन्द और नवग्रह मन्दिर, काजीरंगा और मानस वन्य जीवन अभयारण्य और शिवसागर। हाजो (गुवाहाटी के निकट) बौद्ध मन्दिर तथा पोआ-मोक्का मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है।

सरकार राज्यपाल : प्रकाश मेहरोत्रा

असम मे राष्ट्रपति शासन लागू है और विधानसभा 19 मार्च, 1982 को भग कर दी गई थी।

विधान सभा अध्यक्ष : शेख चन्द मोहम्मद

उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश : दांबरधर पाठक

लोक सेवा आयोग अध्यक्ष : ए० के० चौधरी

मुख्य सचिव : रमेश चन्द्र

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (1971 जनगणना)	मुख्यालय
1. उत्तरी कछार पहाड़ियां	4,890	76,047	हैफ्लांग
2. कछार	6,962	17,13,318	सिलचर
3. कामरूप	9,863	28,54,183	गुवाहाटी
4. ग्वालपाड़ा	10,359	22,25,103	धुबरी
5. दारंग	8,775	17,36,188	तेजपुर
6. नौगांव	5,561	16,80,985	नौगांव
7. कार्बी अंगलांग	10,332	3,79,310	डीफू
8. लखीमपुर	5,646	7,11,600	उत्तरी लखीमपुर
9. डिब्रूगढ़	7,023	14,11,119	डिब्रूगढ़
10. शिवसागर	8,989	18,37,389	जोरहाट

आंध्र प्रदेश

क्षेत्रफल : 2,75,068 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 5,34,03,619
राजधानी : हैदराबाद	मुख्य भाषाएं : तेलुगु और उर्दू

कृषि

आंध्र प्रदेश के 74 प्रतिशत से अधिक लोगों का मुख्य धंधा खेती है। राज्य की 35 प्रतिशत भूमि सिंचित है। राज्य में अनाज, विशेषकर चावल, अपनी जरूरत से अधिक होता है। अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं: ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कुटकी, दालें, तम्बाकू, कपास, गन्ना, मूंगफली और केला। 1981-82 में 100 लाख टन से अधिक अनाज के उत्पादन की आशा है। देश के कुल अरंडी उत्पादन का लगभग 55 प्रतिशत और वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन का लगभग 94 प्रतिशत यहां होता है।

राज्य के कुल क्षेत्र के 23.3 प्रतिशत भाग में वन हैं। वन के मुख्य उत्पादन हैं: चाय, यूकिलिप्टिस, काजू, बांस, लकड़ी, फरास तथा अन्य मिश्रित वस्तुएं।

उद्योग

राज्य में विविध खनिजों के भण्डार हैं। वस्तुतः भारत में अच्छे किस्म का क्रिसोटाइल एस्बस्टस यहीं होता है। भारत के कुल धारीस्फटिक (बैराइट्स) उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत यहां होता है। अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं— तांबा अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, कोयला और चूना-पत्थर। खनिज मैंगनीज उत्पादन में इस राज्य का देश में छठा स्थान है। सारे दक्षिण में इस राज्य की सिंगरैनी कोयले की खानों से कोयले की आपूर्ति की जाती है।

राज्य में विशेषकर हैदराबाद और विशाखापत्तनम के आसपास अनेक बड़े उद्योग हैं। उद्योगों में मशीनी औजार, संश्लिष्ट औषध, औषधियां, भारी बिजली मशीनें, जहाज, उर्वरक, इलेक्ट्रानिक उपकरण, विमानों के हिस्से-पुर्जे, सीमेंट, रसायन, एस्बस्टस सीमेंट उत्पाद, शीशा तथा घड़ियां शामिल हैं।

विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र के लिए कार्य शुरू हो चुका है। तिरुपति में रेल के डिब्बे मरम्मत करने की कार्यशाला की आधारशिला रखी जा चुकी है। रामगुंडम में कोयले पर आधारित उर्वक कारखाने ने वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया है। लघु उद्योगों के विकास के लिए सारे राज्य में जिला औद्योगिक केन्द्र बनाए गए हैं।

सिंचाई और बिजली

कार्यान्वित महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में नागार्जुन सागर परियोजना, प्रकाशम बराज, तुंगभद्रा निचली सतह नहर, कुरनूल-कुड्डपा नहर, कदम परियोजना, रोमपेरू जल निकासी परियोजना और ऊपरी पेन्नार परियोजना शामिल हैं। पोलावरम महत्वपूर्ण बहु-उद्देशीय परियोजना का 19 मई 1981 को शिलान्यास किया गया है।

महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाएं हैं: मछकुण्ड, ऊपरी सिलेरू तथा निचली सिलेरू, तुंगभद्रा बांध, नागार्जुनसागर और निजामसागर पनबिजली परियोजनाएं

नोट: सभी राज्यों, जिलों और केंद्र-शासित क्षेत्रों के जनगणना सम्बन्धी आंकड़े 1981 की जनगणना अनुसार के हैं, सिवाय जहां पर दूसरी प्रकार से बतलाए गए हों।

और नेल्लोर, रामगुण्डम तथा कोठागुण्डम, विजयवाडा तथा, हुसैन सागर (हैदराबाद) ताप बिजलीघर। पहली योजना के शुरू में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2.5 किलोवाट थी, जो मार्च, 1980 में बढ़कर 102 यूनिट हो गई। 1980-81 में पनबिजली एवं ताप बिजली दोनों की प्रतिस्थापित क्षमता 2298 मेगावाट हो गई। 31 अगस्त, 1981 के दौरान 18,300 गावों और 7,349 कस्बों का विद्युतीकरण किया गया जिसमें कई हरिजन बस्तियां भी हैं तथा 42,000 पम्पसेटों को बिजली दी गई। राज्य की प्रतिष्ठित श्रीसैलम पन बिजली परियोजना निर्माणाधीन है।

1981-82 के लिए कुल वार्षिक योजना परिव्यय 538.29 करोड़ रुपए है तथा 1982-83 के लिए 600 करोड़ रुपए है।

सरकार राज्यपाल : के० सी० अब्राहम

मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री : केस विजय भास्कर राव

मंत्री : के० रोसैया, सी० जगन्नाथ राव, एन० जनार्दन रेड्डी, कोना प्रभाकर राव, ए० मदन मोहन, डी० मुन्नीस्वामी, एम० ए० अजीजह, एम० मानिक राव, बी० रामदेव, बी० सरोजनी पुल्लारेड्डी, ए० वीरप्पा, पी० वेंकटराव, च० वेंकट राव वाई० एस० राजशेखर रेड्डी, बी० वेंकटेश्वर राव, सी० दास, एम० वी० कृष्णालराव, अहमद शरीफ, एम० बागारेड्डी, के० केशवराव और एन० अमरनाथ रेड्डी।

राज्य मंत्री : एन० चन्द्र बाबू नायडू, जी० नागेश्वर राव, पी० गोवर्धन रेड्डी, आई० रामकृष्णम राजू, आर० येमप्पा, पी० वी० रघुवुलु, बी० सामैया, बी० सन्यासी नायडू, बी० हनुमन्त राव, और तमेर सिंह।

विधान परिषद सभापति : सैयद मुकस्सिर शाह

उपसभापति : रिक्त

विधान सभा अध्यक्ष : ई० ईश्वर रैड्डी

उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश : एल्लाडि कुप्पुस्वामी

न्यायाधीश : के० माधव रेड्डी, के० रामचन्द्र राव, के० ए० मुक्तदर, पी० चेन्ना केशव रेड्डी, बी० माधव राव, के० पुनैया, ए० रघुवीर, ए० गंगाधर राव, के० जयचन्द्र रेड्डी, बी० पी० जीवन रेड्डी, श्रीमती के० अमरेश्वरी, पी० ए० चौधरी, पी० रामचन्द्र राजू, जी० रामानुजुलु नायडू, ए० सीताराम रेड्डी और पी० राम राव।

लोक सेवा आयोग अध्यक्ष : वाई० शिवशंकर रेड्डी

सदस्य : गुलाम अहमद, डा० जोसेफ गुम्मडि, सी० सुदर्शन, बी० बाबूराव वर्मा और के० चन्द्रैया।

मुख्य सचिव : एस० आर० राममूर्ति

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या 1981 (अस्थाई जनगणना)	मुख्यालय
1. आदिलाबाद	16,133	16,26,688	आदिलाबाद
2. अनन्तपुर	19,125	25,45,850	अनन्तपुर
3 चित्तूर	15,763	27,29,174	चित्तूर
4 कुडप्पा	15,356	19,17,736	कुडप्पा
5 पूर्व गोदावरी	10,970	37,00,064	काकीनाडा
6 गुण्टूर	11,377	34,51,343	गुण्टूर
7. हैदराबाद[1]	217	22,79,387	हैदराबाद
8 करीमनगर	11,824	24,33,399	करीमनगर
9 खम्मम	15,872	17,39,515	खम्मम
10 कृष्णा	8,734	30,50,485	बंदर/मछली पत्तनम
11 कुरनूल	18,799	23,82,501	कुरनूल
12. महबूबनगर	18,419	24,56,111	महबूबनगर
13 मेडक	9,685	18,05,404	संगारेडी
14. नलगोंडा	14,242	22,64,736	नलगोंडा
15 नेल्लूर	13,058	20,04,914	नेल्लूर
16. निजामाबाद	7,969	16,73,375	निजामाबाद
17. प्रकाशम	6,413	23,02,014	ओंगोल
18 रंगा रेड्डी[1]	7,493	15,67,304	हैदराबाद
19. श्रीकाकुलम	5,837	19,43,749	श्रीकाकुलम
20 विशाखापत्तनम	11,161	25,63,438	विशाखापत्तनम
21. विजयनगरम[2]	6,539	18,02,947	विजयनगरम
22. वारंगल	12,875	22,97,699	वारंगल
23 पश्चिम गोदावरी	7,744	28,65,786	एलुरू

1 अगस्त, 1978 में हैदराबाद जिले को तोड़कर हैदराबाद (शहरी) और के० डब्ल्यूरंगा रेड्डी दो जिले बना दिए गए हैं। अस्थाई रूप से दोनों जिलों का मुख्यालय हैदराबाद ही है।

2 श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जिलों के क्षेत्रफल में से कुछ भाग लेकर 1 जून, 1979 को विजयनगरम जिले की स्थापना हुई।

उड़ीसा

क्षेत्रफल : *1,55,782 वर्ग किलोमीटर* जनसंख्या : *2,62,72,054*

राजधानी : भुवनेश्वर मुख्य भाषा : उड़िया

कृषि

उड़ीसा में 76 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। कुल फसल क्षेत्र 81.66 लाख हेक्टेयर में से 16.24 लाख हेक्टेयर सिंचित है। महत्वपूर्ण फसलें हैं—चावल, दालें, तिलहन, पटसन, मेस्ता, गन्ना, नारियल और हल्दी। 1976-77 के 40.75 लाख टन के मुकाबले 1980-81 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 59.77 लाख टन हुआ। चावल का उत्पादन 36.5 लाख टन; गेहूं 12.2 लाख टन; गन्ना 2.82 लाख टन; तिलहन 2.79 लाख टन हुआ।

राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 43.42 प्रतिशत वन है। मुख्य उत्पाद हैं : *साल, सागौन, रोजवुड, लाख, टसर, रेशम, जड़ी-बूटियां* और केन्दू पत्तियां। साल के बीज, जो प्रचुरता में मिलते हैं, हाल ही में वनों की आर्थिक उपज बन गए हैं। केन्दू पत्ती व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।

उद्योग

उड़ीसा खनिज पदार्थों की दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्य है। मुख्य खनिज हैं : चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्रोमाइट, नान कोकिंग कोल, बाक्साइट, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी, निकल, खनिज लौह, मैंगनीज, वेनाडियम, खनिज रेत आदि। 1978 में कुल खनिज उत्पादन लगभग 148 लाख टन था।

आजादी के बाद से अब तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 49 बड़े उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश उद्योग खनिजों पर आधारित हैं। इनमें प्रमुख हैं—राउरकेला इस्पात संयंत्र, बारबिल में कच्चा लोहा संयंत्र, जैपुर रोड पर एक लौह क्रोम कारखाना, दो लौह मैंगनीज संयंत्र, एक लौह सिलिकान संयंत्र और एक अल्यूमिनियम पिघलाने का संयंत्र। खनिजों पर आधारित अन्य उद्योग हैं : दो रिफेक्ट्री कारखाने और दो सीमेंट कारखाने। एक आक्सीजन संयंत्र, एक मिश्रित इस्पात ढलाई संयंत्र और पटसन बटने के दो कारखाने अभी नए-नए लगाए हैं। भूसी निकालने वाले दो कारखानों की स्थापना भद्रक और रैरंगपुर में हुई है।

रायगड़, चौड़वार और ब्रजराजनगर में कागज की तीन बड़ी मिलें हैं। हिन्दुस्तान स्टील लि० का एक उर्वरक कारखाना भी राउरकेला में है। एक कास्टिक सोडा संयंत्र और एक नमक कारखाना गंजम में है। राउरकेला में उद्योगों में काम आने वाले विस्फोटक पदार्थ बनाने का कारखाना है।

अन्य महत्वपूर्ण उद्योग हैं—दो बड़े चीनी कारखाने, एक रायगढ़ में और एक सहकारी-क्षेत्र में आस्का में, एक कांच कारखाना बरंग में, एक अल्यूमिनियम उद्योग समूह हीराकुड में, कसबहल में एक भारी मशीनी उपकरण बनाने का कारखाना, एक रेफ्रिजरेटर निर्माण एकांश चौड़वार में, एक री-रोलिंग मिल हीराकुड में और तीन कपड़ा मिलें चौड़वार, झारसुगुडा और सहकारी क्षेत्र में बारगढ़ में हैं। मयूरभंज जिले में साल बीज निष्कर्षण एकक और कटक जिले में एक

डाइक्रोमेटिक संयंत्र हैं। उल्लेखनीय प्रगति में राज्य में जगतपुर में प्रथम कपड़ा मिल की उत्पादन यूनिट, II कताई मिलें, खांडगिरी में प्रथम फिल्म स्टूडियो तथा चन्दक में औद्योगिक समूह शामिल हैं।

राज्य और केन्द्रीय दोनों क्षेत्रों में कई प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या शुरू होने वाला है। केन्द्रीय क्षेत्र की जो परियोजनाएं कार्यान्वित हो रही है, वे हैं, तलचर में उर्वरक संयंत्र, फार्म्ड कोक संयंत्र और हैवी वाटर संयंत्र, छत्रपुर में इंडियन रेयर अर्थ परियोजना और भुवनेश्वर के पास मंचेश्वर में माल डिब्बा मरम्मत कारखाना। कोरापुट जिले में अल्यूमीनियम कारखाना और पारादीप में एक उर्वरक संयंत्र, इस्पात संयंत्र तथा जहाज निर्माण की स्थापना के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा औद्योगिक संवर्धन और पूंजी निवेश निगम ने भी कई औद्योगिक परियोजनाएं शुरू की हैं।

सिंचाई और बिजली

1947 से राज्य में सिंचाई सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है। 1979-80 के अन्त तक बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 12.8 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई। कुल फसल भूमि का सिंचाई प्रतिशत 19.9 था। अतिरिक्त सिंचाई सुविधाए 1,32,000 हेक्टेयर भूमि में प्रदान की गईं।

1978-79 के अन्त तक 3,526 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को बिजली दी गयी। इसमें 1,744 ट्यूबवेल और 1,782 नदी लिफ्ट परियोजनाएं शामिल हैं। भूमि जल के उपयोग हेतु 750 करोड़ रुपये की एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। जुलाई 1979 के अन्त तक 2,67,164 कुएं खोदे गए। इससे लगभग 1,87,500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकती है।

हीराकुंड बांध परियोजना बहूद्देश्यीय नदी घाटी योजना है, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन (270 मेगावाट), बाढ नियन्त्रण और सिंचाई है। अन्य महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाएं हैं—बालीमेला पनबिजली परियोजना, मछकुंड पनबिजली परियोजना और तलचर ताप बिजलीघर।

वर्ष 1980 के अंत तक राज्य की बिजली की कुल संस्थापित क्षमता 1474 मेगावाट थी। जिन तीन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, उनके पूरा हो जाने पर 1983–84 तक यह क्षमता काफी बढ़ जाएगी। ये परियोजनाएं हैं—तलचर ताप बिजली परियोजना, रंगाली बहूद्देश्यीय परियोजना और अपर कोलाब पनबिजली परियोजना।

1955-56 में उड़ीसा मे 25 गांवों में बिजली थी। 1980 वर्ष के अन्त तक यह संख्या बढ़कर 18,000 हो गई।

मछली पालन

उडीसा में अन्तर्देशीय मछली उत्पादन की सभी क्षमताए हैं जैसे नमकीन पानी तथा समुद्री मत्स्य पालन। 1980-81 में 71,230 टन मछलियों का उत्पादन किया गया।

सरकार राज्यपाल : सी० एम० पुनाचा

मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री : जानकी वल्लभ पटनायक

मंत्री : उपेन्द्र दीक्षित, वासुदेव महापात्र, गंगाधर महापात्र, दयानिधि नायक, रघुनाथ, पटनायक और रामचन्द्र उलाका।

राज्यमंत्री : हरिहर करन, कुंअरिया माझी, जुगलकिशोर पटनायक, भजमन बहेरा, निरंजन पटनायक, वसंत कुमार बिसवाल, हबीबुल्ला खान, किशोर चन्द्र पटेल और कृष्ण चरण पटनायक ।

विधान सभा अध्यक्ष : सोम नाथ रथ

उपाध्यक्ष : हिमांशु सेखर पाधी

उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश : आर० एन० मिश्र

न्यायाधीश : पी० के० मोहन्ती, एन० के० दास, जे० के० मोहन्ती, ब्रजनाथ मिश्र, बी० के० बेहरा और आर० सी० पटनायक ।

लोक सेवा आयोग अध्यक्ष : ए० सी० पाधी

सदस्य : देवेन्द्र नायर, पी० के० पति, एल० डी० मलिक और सी० पी० माझी।

मुख्य सचिव : एस० एम० पटनायक

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. बालासोर	6394	22,53,090	बालासोर
2 बोलांगीर	8903	14,52,675	बोलांगीर
3. कटक	11211	46,17,748	कटक
4 ढेंकानाल	10826	15,76,565	ढेंकानाल
5. गंजम	12527	26,52,699	छत्रपुर
6. कालाहांडी	11835	13,29,780	भवानी पटना
7. क्योंझर	8240	11,09,746	क्योंझर
8 कोरापुट	27020	24,67,329	कोरापुट
9. मयूरभंज	10412	15,76,987	बारीपाडा
10. फूलवनी	11070	7,12,772	फूलवनी
11. पुरी	10159	29,11,720	पुरी
12. सम्बलपुर	17570	22,74,125	सम्बलपुर
13. सुन्दरगढ़	9675	13,36,818	सुन्दरगढ़

उत्तर प्रदेश

क्षेत्रफल : 2,94,413 वर्ग किलोमीटर — जनसंख्या : 11,08,85,874
राजधानी : लखनऊ — मुख्य भाषा : हिंदी

कृषि

उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें गेहूं, चना, चावल, जौ, मक्का तथा बाजरा हैं। कपास, अलसी, मूंगफली, गन्ना, चाय, तिल, सरसों और तम्बाकू महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं। कुछ क्षेत्रों में पटसन की खेती भी होती है। यह देश का अफीम उगाने वाला मुख्य राज्य है। 1978-79 में कृषि उत्पादन 219.95 लाख टन हुआ जो एक रिकार्ड था, 1980-81 में 220.20 लाख टन खाद्यान्न तथा 24.75 लाख टन दालों का उत्पादन हुआ। 1979-80 की तुलना में दालों के उत्पादन में 1980-81 में 59% की वृद्धि हुई।

उत्तर प्रदेश का 17.4 प्रतिशत भूक्षेत्र वनक्षेत्र है। 1982-83 में 41 जिलों में 14,500 हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रस्ताव है।

उद्योग

उत्तर प्रदेश प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में से एक है। हथकरघा उद्योग यहां का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है और सूती तथा ऊनी कपड़ा, चमड़ा और जूता, शराब, कागज और रासायनिक पदार्थ, कृषि उपकरण तथा कांच और कांच की चीजों के उद्योग प्रगति कर रहे हैं।

राज्य में केन्द्र सरकार ने अनेक बड़े प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं। ये हैं—हरिद्वार में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स; ऋषिकेश में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लि०; वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव फैक्टरी; गोरखपुर और इलाहाबाद में उर्वरक कारखाने; सिंगरौली कोयला खान, सिंगरौली; माडर्न बेकरीज, कानपुर; भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स, नैनी; इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज, नैनी और रायबरेली; त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स, नैनी; टूंडला में डीपफ्रीज मीट प्लांट; लखनऊ में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०; ट्रांसफार्मर फैक्टरी, झांसी; अपट्रान केम्पिटर लि० और अपट्रान डिजिटल सिस्टम लि० लखनऊ; तथा चर्क और डल्ला में एक-एक सीमेंट कारखाना। मिर्जापुर जिले में एक नया सीमेंट कारखाना बन गया है। गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, लखनऊ में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, तथा कानपुर में भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता निगम भी हैं। कृत्रिम - अंग निर्माण निगम, कानपुर; तेल शोधक कारखाना, मथुरा, फाऊंड्री फोर्ज, हरिद्वार उन केन्द्रीय परियोजनाओं में हैं जो राज्य में स्थापित की जा रही हैं। राज्य कपड़ा निगम के अंतर्गत आठ कताई मिलें चल रही हैं और छठी योजना अवधि में पांच अन्य कताई मिलें लगाई जाएंगी।

परंपरागत हस्तशिल्प हैं—रेशमी कपड़ा, धातु के बर्तन और वस्तुएं, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, पत्थर का काम, गुड़िया बनाने का काम, चमड़े की कलात्मक वस्तुएं, हाथीदांत की वस्तुएं, बक्से आदि बनाने के लिए कागज की लुगदी, इत्र आदि सुगन्धित पदार्थ, बांस का सामान और वाद्ययन्त्र।

राज्य में खादी और ग्राम उद्योगों के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। परिणामस्वरूप दिसम्बर 1980 के अंत तक 25,417 ग्रामोद्योग स्थापित हो चुके थे। इस समय राज्य में 73 औद्योगिक बस्तियां हैं।

सिंचाई और बिजली

राज्य में देश की कुछ सबसे पुरानी नहरें हैं पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी एवं निचली गंगनहरें, आगरा नहर, बेतवा नहर, शारदा नहर, धसान नहर और केन नहर। 1947 से कार्यान्वित महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं : माताटीला बांध, रामगंगा, पश्चिमी गण्डक नहर, शारदा सहायक, रिहन्द बांध, ओबरा पन और ताप बिजलीघर। इनके अलावा अनेक छोटी और मझोली सिंचाई परियोजनाएं भी पूरी की गई। यमुना और टिहरी पनबिजली परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं वे हैं : टिहरी बांध, लखवार व्यास बांध, शारदा सहायक, पूर्वी गंगनहर, समानान्तर निचली गंगनहर, नारायणपुर पम्प नहर और देवहूटी पम्प नहर। मार्च 1981 के अन्त तक राज्य में सभी बड़ी और मझोली और लघु सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा 91.16 लाख हेक्टेयर की सिंचन-क्षमता प्राप्त की जा चुकी थी।

छठी योजना के अन्तर्गत बड़ी, मझोली तथा छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए 1814 करोड़ रु० रखे गए हैं। 1981-82 में 176.18 करोड़ रु० सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिए गए। 1981-82 में राज्य में सिंचाई के लिए नहरों की लम्बाई 57.250 कि०मी० थी। राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ गया है। मार्च 1982 तक पन बिजली और ताप बिजली उत्पादन 1.212 और 2,282 मेगावाट क्रमशः था।

विभिन्न पनबिजली तथा ताप बिजली केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 1981-82 में, 3,494 मेगावाट थी। बुलन्दशहर जिले में नरोरा में एक परमाणु बिजलीघर स्थापित किया जा रहा है। तीन अन्य ताप बिजली परियोजनाओं पोरीछा (झांसी), अनपारा (मिर्जापुर) और टांडा (फैजाबाद) पर भी कार्य चल रहा है।

1951 में राज्य के केवल 110 गांवों में बिजली थी। 31 मार्च 1982 में ऐसे गांवों की संख्या बढ़कर 46,162 हो गई। मार्च, 1979 में 12,362 हरिजन बस्तियों में बिजली थी जो 1981-82 में बढ़कर 17,848 बस्तियों तक पहुंच गई। 1981-82 तक सिंचाई के लिए 4,11,035 निजी और 19,519 राजकीय नलकूपों को बिजली दी गई जबकि 1951 में ऐसे केवल 300 नलकूप थे।

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र -

राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ इत्यादि मसूरी, नैनीताल चकरौता, लैंसडाउन, अल्मोड़ा, रानी खेत जैसे पर्वतीय स्थान तथा फूलों की घाटी गढ़वाल हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ, हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, इलाहाबाद, वाराणसी, सारनाथ, चित्रकूट, नैमिषारण्य जैसे धार्मिक स्थान आकर्षण केन्द्र हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से नए स्थान हैं जैसे शुकताल विन्ध्यम ओबरा (मिर्जापुर), गोरखपुर, नवाब गंज (उन्नाव) भी पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। राज्य की वार्षिक योजना के लिए 1,202 करोड़ रु० का

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल वर्ग किमी०	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. आगरा	4,816	28,52,474	आगरा
2. अलीगढ़	5,024	25,65,450	अलीगढ़
3. इलाहाबाद	7,255	37,80,665	इलाहाबाद
4. अल्मोड़ा	7,023	7,72,994	अल्मोड़ा
5. आजमगढ़	5,744	35,32,876	आजमगढ़
6. बहराइच	6,871	22,21,154	बहराइच
7. बलिया	3,183	19,26,267	बलिया
8. बांदा	7,645	15,36,349	बांदा
9. बाराबंकी	4,422	20,12,576	बाराबंकी
10. बरेली	4,125	22,64,770	बरेली
11. बस्ती	7,309	35,76,789	बस्ती
12. बिजनौर	4,852	19,25,637	बिजनौर
13. बदायूं	5,158	19,64,094	बदायूं
14. बुलंदशहर	4,895	23,49,530	बुलदशहर
15. चमोली	9,125	3,64,281	चमोली
16. देहरादून	3,088	757,259	देहरादून
17. देवरिया	5,400	34,87,350	देवरिया
18. एटा	4,449	18,87,575	एटा
19 इटावा	4,327	17,48,737	इटावा
20 फैजाबाद	4,427	23,69,626	फैजाबाद
21. फरुखाबाद	4,349	20,02,513	फतेहगढ़
22. फतेहपुर	4,168	15,72,770	फतेहपुर
23. गढ़वाल	5,440	6,24,259	पौढ़ी
24. गाजीपुर	3,381	1,941,516	गाजीपुर
25. गोंडा	7,331	2,838,305	गोंडा
26. गोरखपुर	6,316	37,95,735	गोरखपुर
27. गाजियाबाद		18,66,778	गाजियाबाद
28. हमीरपुर	7,192	11,94,114	हमीरपुर

प्रावधान है। इसमें से 70 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तर की योजनाओं तथा 30% जिला स्तर की योजनाओं के लिए रखी गई है। प्रथम बार जिला स्तर पर उनके अपने साधनों के भीतर कार्यान्वित करने वाली योजनाएं बनाई गई हैं।

सरकार

मंत्रि परिषद

राज्यपाल. श्री सी०पी०एन० सिंह

मुख्यमंत्री : श्रीपति मिश्र

मंत्री : ब्रह्मदत्त, वीर बहादुर सिंह, लोकपति त्रिपाठी, बलरामसिंह यादव, रामसिंह खन्ना, अम्मार रिजवी, विद्या भूषण, स्वरूप कुमारी बख्शी, वासुदेवसिंह, बैजनाथ कुरील, यथार्थसिंह आर्य, अब्दुल रहमान खान "नश्तर" और यशपाल सिंह।

राज्यमंत्री : चन्द्र मोहन सिंह नेगी हरीसिंह बाल्मीकि, मोहम्मद अमीन अंसारी, शिवनाथ सिंह कुशवाहा, राम रतनसिंह, गोपाल राम दास, बच्चा पाठक, राम नरेश शुक्ल गुलाब सेहरा, रणजीत सिंहजू देव, सुनील शास्त्री और संजय सिंह

विधान परिषद

सभापति : वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल

उपसभापति : शिव प्रसाद गुप्ता

विधान सभा

अध्यक्ष : धर्म सिंह

उपाध्यक्ष : यादवेन्द्र सिंह

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश : सतीश चन्द्र

न्यायाधीश : महेश नारायण शुक्ल, हृदय नाथ सेठ, कमल नरायण सिंह, गोपीनाथ, नारायण दत्त ओझा, के० एन० सेठ, प्रताप नारायण बख्शी, एम० पी० मेहरोत्रा, अमिताभ बनर्जी, ब्रह्म नाथ काटजू, कृष्ण चन्द्र अग्रवाल, बृज नारायण सप्रू, आर० एन० सहाय, प्रताप नारायण हरकौली, देवकी नन्दन अग्रवाल, प्रेम शंकर गुप्ता, राजाराम रस्तोगी, केशव प्रसाद सिंह, प्रेम नारायण गोयल, सुदर्शन दयाल अग्रवाल, मदन मोहन गुप्ता, सैयद जरार हैदर, विद्या नाथ मिश्र, विजय कुमार मेहरोत्रा, राम सूरत सिंह, अमरेन्द्र नाथ वर्मा, टी०एस० मिश्र, डी०एन० झा, मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन, के०एस० वर्मा, यू०सी० श्रीवास्तव, महावीर सिंह, के०एन० गोयल और सतीश चन्द्र माथुर।

लोक सेवा आयोग

अध्यक्ष : दिलीप कुमार भट्टाचार्य

सदस्य : महेन्द्र सिंह, सैयद मेंहदी हसन रिजवी, जगदीश राजन, हरीमूर्ति सिंह जगतनारायण प्रधान तथा सतीश चन्द्र दीक्षित

मुख्य सचिव : राजेन्द्र पाल खोसला

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल वर्ग किमी०	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. आगरा	4,816	28,52,474	आगरा
2. अलीगढ़	5,024	25,65,450	अलीगढ़
3. इलाहाबाद	7,255	37,80,665	इलाहाबाद
4. अल्मोड़ा	7,023	7,72,994	अल्मोड़ा
5. आजमगढ़	5,744	35,32,876	आजमगढ़
6. बहराइच	6,871	22,21,154	बहराइच
7. बलिया	3,183	19,26,267	बलिया
8. बांदा	7,645	15,36,349	बांदा
9. बाराबंकी	4,422	20,12,576	बाराबंकी
10. बरेली	4,125	22,64,770	बरेली
11. बस्ती	7,309	35,76,789	बस्ती
12. बिजनौर	4,852	19,25,637	बिजनौर
13. बदायूं	5,158	19,64,094	बदायूं
14 बुलंदशहर	4,895	23,49,530	बुलंदशहर
15. चमोली	9,125	3,64,281	चमोली
16. देहरादून	3,088	757,259	देहरादून
17. देवरिया	5,400	34,87,350	देवरिया
18. एटा	4,449	18,87,575	एटा
19. इटावा	4,327	17,48,737	इटावा
20. फैजाबाद	4,427	23,69,626	फैजाबाद
21. फर्रुखाबाद	4,349	20,02,513	फतेहगढ़
22. फतेहपुर	4,168	15,72,770	फतेहपुर
23. गढ़वाल	5,440	6,24,259	पौड़ी
24. गाजीपुर	3,381	1,941,516	गाजीपुर
25. गोंडा	7,331	2,838,305	गोंडा
26. गोरखपुर	6,316	37,95,735	गोरखपुर
27. गाज़ियाबाद		18,66,778	गाजियाबाद
28. हमीरपुर	7,192	11,94,114	हमीरपुर

1	2	3	4
29 हरदोई	6,012	22,93,994	हरदोई
30 जालौन	4,549	9,67,432	उरई
31 जौनपुर	4,040	25,27,012	जौनपुर
32 झांसी	5,027	11,33,002	झांसी
33 कानपुर	6,121	37,90,569	कानपुर
34 पौड़ी	7,691	19,62,826	पौड़ी
35 ललितपुर	5,024	587,290	ललितपुर
36 लखनऊ	2,528	20,17,172	लखनऊ
37. मैनपुरी	4,254	1,724,057	मैनपुरी
38 मथुरा	3,797	1,543,568	मथुरा
39. मेरठ	5,944	2,766,496	मेरठ
40 मिर्जापुर	11,301	2,033,834	मिर्जापुर
41. मुरादाबाद	5,946	3,151,044	मुरादाबाद
42 मुज्जफरनगर	.4,245	2,288,410	मुज्जफरनगर
43 नैनीताल	6,792	1,133,111	नैनीताल
44 पीलीभीत	3,504	1,006,326	पीलीभीत
45 पिथौरागढ	7,217	4,79,600	पिथौरागढ
46. प्रतापगढ	3,730	18,07,252	प्रतापगढ़
47. रायबरेली	4,603	18,88,181	रायबरेली
48 रामपुर	2,372	11,77,022	रामपुर
49. सहारनपुर	5,526	26,73,653	सहारनपुर
50. शाहजहांपुर	4,581	16,48,659	शाहाजहापुर
51. सीतापुर	5,738	23,38,101	सीतापुर
52 सुलतानपुर	4,424	20,37,783	सुलतानपुर
53 टेहरी गढवाल	4,421	4,93,245	नरेन्द्रनगर
54 उन्नाव	4,586	18,26,463	उन्नाव
55. उत्तरकाशी	8,016	1,90,571	उत्तरकाशी
56 वाराणसी	5,091	36,96,768	वाराणसी

नोट : गाजियाबाद क्षेत्रफल के जिलो के आकडें क्रमश: मेरठ जिले के क्षेत्रफल में शामिल है ।

कर्नाटक

क्षेत्रफल: 1,91,791 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या: 3,70,43,451
राजधानी : बंगलौर	मुख्य भाषा : कन्नड़

कृषि

कर्नाटक कृषिप्रधान राज्य है । कुल 103.30 लाख हेक्टेयर काश्त क्षेत्र में से केवल 13.43 प्रतिशत भाग में सिंचाई की सुविधा प्राप्त है । यहां की प्रमुख खाद्य फसलें चावल, रागी, ज्वार, गेहूं, बाजरा, मोटा अनाज तथा दालें हैं। मुख्य नकदी फसलें हैं :—गन्ना, कपास, तिलहन, तम्बाकू, नारियल, सुपारी, काफी, काजू, इलायची, काली मिर्च तथा अंगूर। 1979-80 में अनाज का उत्पादन 73.85 लाख टन, गन्ने का 97 लाख टन, तिलहन का 8 लाख टन, कपास का 7 लाख गांठें तथा दालों का 6.37 लाख टन था।

1979-80 में राज्य के कुल क्षेत्र के 19.74 प्रतिशत भाग में वन थे । अच्छे किस्म की इमारती लकड़ी, चन्दन, युकलिप्टिस, सागौन और बांस प्रमुख वन उत्पादों में से हैं। अन्य उत्पाद हैं–अच्छी किस्म की रोज वुड, औद्योगिक उपयोग की साफ्ट वुड तथा अन्य बहुमूल्य इमारती लकड़ी ।

उद्योग

राज्य में खनिज साधन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इनमें मुख्य हैं—ऊंचे दर्जे का खनिज लौह, मैंगनीज, क्रोमाइट, तांबा और चीनी मिट्टी । कर्नाटक देश का एकमात्र राज्य है जहां सोने की खानें हैं । कर्नाटक में ऐसे बहुत से आधारभूत उद्योग हैं जो विशेष किस्म की घड़ियां, मशीनी उपकरण, विमान, इलेक्ट्रानिक उपकरण और बिजली का साज-सामान और दूरसंचार उपकरण आदि का निर्माण करते हैं। राज्य के स्वामित्व में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लि०, भद्रावती में विशेष प्रकार का इस्पात तैयार होता है और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 77,000 टन है । कुद्रेमुख खनिज लौह परियोजना राज्य की एक और बड़ी विकास परियोजना है । कर्नाटक में भारत सरकार के प्रमुख उद्योग हैं : हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि०, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, भारत अर्थमूवर्स तथा नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी । कपड़ा, साबुन, चीनी, गन्ना, रासायनिक पदार्थ, औषधियां, सीमेंट, उर्वरक, कागज, बिजली का सामान, कांच, मिट्टी से बना सामान और चीनी मिट्टी आदि उद्योग भी प्रमुख हैं। देश के कुल कच्ची रेशम उत्पादन का 85 प्रतिशत कर्नाटक में होता है। रेशम के अलावा यहां का चन्दन का तेल और चन्दन का साबुन सारे संसार में बिकता है ।

सिंचाई और बिजली

कर्नाटक में कृष्णा और कावेरी के दो बड़े नदी मुहाने हैं । इनके अलावा अन्य कई नदियां हैं जिनका सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाएं हैं—तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, ऊपरी कृष्णा, भद्रा, हरंगी, काविनी, हेमावती और बेनेथोरा परियोजनाएं । प्रमुख बिजली परियोजनाएं हैं : शरावती पनबिजली परियोजना, शिवसमुद्रम पनबिजली परियोजना और काली नदी पर निर्माणाधीन बिजली परियोजना । बिजली उत्पादन की संस्थापित क्षमता 1980-81 में 1469.8 मेगावाट थी। 1977 के अन्त तक 20,686 गांवों में बिजली पहुंच गई थी । सिंचाई के लिए 3,09,079 नलकूप बिजली से चलने लगे थे ।

1981-82 के लिए बजट अनुमान 1,037.31 करोड़ रुपये है ।

सरकार राज्यपाल : गोविन्दनारायण

मंत्री परिषद मुख्यमंत्री : श्रार गुंडू राव

मंत्री : वीरप्पा मोइली, वाई० रामाकृष्ण, जी० वी० शंकर राव, ए० बी० जकानौर, ए० के० ए० समद, धर्मसिंह, बेगाने रामय्या, एम० एम० जे० सदयोजात, कागोडु टिम्माप्प, पी० वेंकटरमण, एच० सी० श्रीकान्तय्या, मल्लिकाजन खर्ग, जी० माडेगोडा श्रोर मानिक राव शामाराव पाटिल।

राज्य मंत्री : श्रीमती मनोरमा माधवराज, डी० बी० पवार, के० येंकटप्पा सुधेन्दा राव कस्वे, गंगाधर गोडा, श्रीमती नागम्म केशवामूर्ति बी० बी० चिम्मनाकुती श्रोर जी० एच० अश्वथ रेड्डी।

विधान परिषद सभापति : श्रीमती वासावराजेश्वरी

उपसभापति : वी० एस० कृष्ण श्रय्यर

विधान सभा श्रध्यक्ष : के० एच० रंगानाथ

उपाध्यक्ष : बापुराव हल्सुर्कर

उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश : के० भीमय्या,

न्यायाधीश वी० एस० मालीमठ, के०जगन्नाथ शेट्टी, एम०एस० नेसारगी, एम० एन० वेंकटचल्लयश, एम० राम जोइस, एन० वेंकटाचल, के० एस० पुत्तास्वामी, पी० पी० बोपन्ना, एन० श्रार० कुदूर, जी० एन० सभाहित, एन० डी० वेंकटेश, एम०पी० चन्द्रकान्त राज श्रर्स, एम० एस० पाटिल, श्रार० एस० महेन्द्र, एम० नागप्पा, के०एस० स्वामी, डी० श्रार० विठ्ठल राव०, पी०ए० कुलकर्णी, ए०के० लक्ष्मीश्वर, एस०जी० डोडेकाले गोवदा।

लोक सेवा आयोग श्रध्यक्ष : एस० एच० श्रहमद

सदस्य : एम०एल० चन्द्रशेखर, टी० श्रार० परमेश्वरश्रय्या, एन० एम० लिंगराजू, श्रीमती श्रोफेलिया रेबोलो

मुख्य सचिव : श्रार०ए० नायक।

जिले का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलो-मीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. बंगलौर	8005	49,21,828	बंगलौर
2. बेलगाव	13,415	29,74,861	बेलगांव
3. बेलारी	9,885	14,87,062	बेलारी
4. बीदर	5,448	9,94,106	बीदर

1	2	3	4
5. बीजापुर	17,069	23,99,124	बीजापुर
6. चिकमंगलूर	7,201	9,08,626	चिकमंगलूर
7. चित्रदुर्ग	10,852	17,74,717	चित्रदुर्ग
8. दक्षिण कनारा	8,441	23,73,359	मंगलौर
9. धारवाड़	13,738	29,39,988	धारवाड़
10. गुलबर्गा	16,224	20,75,368	गुलबर्गा
11. हसन	6,814	13,51,923	हसन
12. कोडगू	4,102	4,60,164	मरकेरा
13. कोलार	8,223	18,98,984	कोलार
14. मांड्या	4,961	14,14,383	माड्या
15. मैसूर	11,954	25,84,878	मैसूर
16 रायचूर	14,017	17,79,942	रायचूर
17. शिमोगा	10,553	16,57,564	शिमोगा
18. टुमकुर	10,598	19,75,331	टुमकुर
19. उत्तर कनारा	10,291	10,71,243	कारवाड़

केरल

क्षेत्रफल : 38,864 वर्ग किलोमीटर — जनसंख्या : 2,54,037,217
राजधानी : तिरुअनन्तपुरम — मुख्य भाषा : मलयालम

केरल की कुल काश्त की जमीन के 12.71 प्रतिशत भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है। इस राज्य में प्रचुर नकदी फसलें हैं। काजू, सुपारी, नारियल, कपास, तिलहन, काली मिर्च, गन्ना, रबड़, काफी, चाय, अदरक और बड़ी इलायची व्यापक रूप से उगाई जाती है। खाद्यान्नों में धान और टैपियोका की खेती होती है। 1979-80 में चावल का उत्पादन 12.19 लाख टन था।

राज्य के कुल क्षेत्र के 22.8 प्रतिशत भाग में वन हैं। केरल की वन सम्पदा में कुछ अच्छी प्रसिद्ध किस्मों की लकड़ियां जैसे सागौन, कोली लकड़ी (ब्लैक वुड), इबोनी, साफ्ट वुड और रोज वुड शामिल हैं, जिनकी निर्यात बाजार में बहुत मांग और ऊंचा मूल्य है। लकड़ी पर आधारित उद्योगों के लिए साफ्ट वुड तथा यूकलिप्टस जैसी लकड़ी के पेड़ लगाने की एक योजना को कार्यरूप देने के लिए राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई है। देश के मछली के उत्पादन का एक बड़ा भाग केरल राज्य से प्राप्त होता है। 1979-80 में समुद्री उत्पादनों के निर्यात से 97.38 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

उद्योग

राज्य में उपलब्ध महत्वपूर्ण खनिज हैं—लाइमेनाइट, रुटाइल, मोनेजाइट, जिर्कोन, सीलीमेनाइट, कड़ी मिट्टी, क्वार्ट्ज सैण्ड और लाइम शेल।

केरल के प्रमुख उद्योग हैं : नारियल तथा नारियल की जटा, काजू, रबड़, चाय, मिट्टी के बर्तन, बिजली और इलेक्ट्रानिक उपकरण, टेलीफोन तारें, ट्रांसफार्मर, ईंटें और टाइलें, औषध और रसायन, आम इंजीनियरी सामान, प्लाईवुड, बीड़ी तथा सिगार, साबुन, तेल और उर्वरक, खपची और कलई।

हाल के वर्षों में सूक्ष्म नाप तौल उपकरण, मशीनी उपकरण, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक और सम्बद्ध उत्पाद, पेंट, अल्युमिनियम संचार तारें, रबड़, रेयन, लुगदी, कागज, प्लाईवुड, स्कूटर, कांच और अलौह धातुओं के अनेक महत्वपूर्ण कारखाने लगाए गए हैं।

केरल की प्रमुख निर्यात वस्तुएं हैं : काजू, चाय, काफी, काली मिर्च और अन्य मसाले, नींबू घास तेल, समुद्री खाद्य, रोज वुड, नारियल जटा और उससे तैयार सामान तथा रबर उत्पाद।

केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा केरल वित्त निगम निजी उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं और केरल बागान निगम रबड़ तथा ताड़ वृक्षों के व्यापक स्तर पर विकास का काम कर रहा है।

सिंचाई और बिजली

1947 से कार्यान्वित महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं छलाकुडी, पीची, मलमापुजा, नेय्यार, पोथुंडी, गायत्री, वालायार, वाझानी, मंगलम्, चिरापुझा। इसके अलावा काल्लडा, पम्बा, पेरियार घाटी, चितूरपुझा, कुट्टीयड़ी, कान्हीरामपुझा, पझस्सी, मुवत्तूपुझा, छिमोनी, मट्टापडी, करापुझा, मीनाछिल और इदामलयार परियोजनाएं भी चालू हैं। मुख्य बिजली परियोजनाएं हैं: पाल्लीवासल सेनगुलाम, नेरियमंगलम्, पेन्नियार, पेरिंगलकुथु, शोलयार शबरीगिरि, कुट्टयड्डी और इडुक्की।

भारी वर्षा और तेज बहती नदियों और चश्मों के कारण राज्य में पनबिजली उत्पादन की बहुत क्षमता है। 1978-79 में विभिन्न पन बिजली केन्द्रों की कुल स्थापित क्षमता 1,011.15 मेगावाट थी। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1980-81 में 96.47 यूनिट हो गई जब कि 1976-77 में ये 88.45 यूनिट थी।

सरकार

राज्यपाल : पी० रामचन्द्रन

मंत्रिपरिषद

मुख्य मंत्री : के० करुणाकरन

उप मुख्यमंत्री : सी०एच० मोहम्मद कोया

मंत्री : ई०अहमद, के०के० बालाकृष्णन, आर० बालाकृष्ण पिल्लै, यू०ए० बीरन, साईरक जान, एम०पी० गंगाधरन, टी०एम० जेकब, पी० जे० जोसफ, एम० कमलम, के०जी० आर० करथा, के०एम०मणि, के०पी० नूरूद्दीन, सी०वी० पद्मराजन, के० शिवदासन, एन० श्रीनिवासन, सी०एम० सुन्दरम् और व्यलर रवि।

विधान सभा

अध्यक्ष : वी० वी० पुरुषोतमन

उपाध्यक्ष : टी० के० हंसकुंजु

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश : [illegible] पी॰ सुब्रह्मण्यन पोट्टि
न्यायाधीश : [illegible], [illegible], टी॰ चन्द्रशेखर मेनन, के॰ के॰ [illegible], टी॰ [illegible], एम॰ के॰ [illegible], टी॰ [illegible], एम॰ पी॰ [illegible], [illegible], एम॰ [illegible] और के॰ [illegible]।

लोक सेवा आयोग

अध्यक्ष : एम॰ के॰ [illegible]
सदस्य : [illegible], के॰ वी॰ [illegible] और एम॰ वी॰ [illegible], पी॰ बालगोपालन, टी॰ [illegible], के॰ पी॰ [illegible], [illegible], वी॰ के॰ वेनु नैयर।
मुख्य सचिव : [illegible]।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. [illegible]	1,884	23,42,852	अलेप्पी
2. [illegible]	4,929	28,00,055	कन्नूर
3. [illegible]	2,377	25,33,265	एर्णाकुलम
4. [illegible]	5,037	9,71,193	इडुक्की
5. [illegible]	2,196	16,81,104	कोट्टयम
6. [illegible]	2,338	22,43,004	कोजिकोड
7. [illegible]	3,638	24,01,229	मलप्पुरम
8. [illegible]	4,400	20,41,912	पालघाट
9. [illegible]	4,623	28,07,223	क्विलॉन
10. [illegible]	3,032	24,36,975	त्रिचूर
11. [illegible]	2,182	25,91,057	त्रिवअनन्तपुरम
12. [illegible]	2,125	5,53,348	कल्पट्टा

गुजरात

क्षेत्रफल : 1,95,984 वर्ग किलोमीटर — जनसंख्या : 3,39,60,905
राजधानी : गांधीनगर — मुख्य भाषा : गुजराती

कृषि

गुजरात में कुल कृषि भूमि का 15 प्रतिशत और बुआई वाले क्षेत्र का 17 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। मुख्य फसलें हैं—बाजरा, ज्वार, चावल और गेहूं। महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं—कपास, तम्बाकू और मूंगफली। 1980-81 में खाद्यान्नों का उत्पादन 44.76 लाख टन था, 1979-80 में यह 44.06 लाख टन था। 1980-81 में गन्ने का उत्पादन 4.44 लाख टन, कपास का उत्पादन 17.14 लाख गांठें तथा तिलहनों का उत्पादन 18.58 लाख टन था।

राज्य के कुल क्षेत्र के 10.05 प्रतिशत भाग में वन हैं। वनों के मुख्य उत्पाद हैं—सागौन, खैर, हल्दारवो और बांस। सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में गुजरात एक अग्रणी राज्य है। यहां एक सामुदायिक वन परियोजना चल रही है जिसके लिए विश्व बैंक ने 64 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। गुजरात राज्य वन विकास निगम लघु वन उत्पादों का वैज्ञानिक ढंग पर संग्रह और विकास करने का काम करता है। इसने अच्छी प्रगति की है और अपनी हिस्सा-पूंजी 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर ली है।

उद्योग

महत्वपूर्ण उद्योगों में से कुछ हैं—कपड़ा (कपास की उठाई और रुई की गांठ बंधाई सहित), भारी रसायन जैसे कास्टिक सोडा और सोडा ऐश, पेट्रो-रसायन, औषधि द्रव्य और औषधियां, इलेक्ट्रोनिक और बिजली का सामान, इंजीनियरी का सामान, मशीनी औजार, सीमेंट और चीनी।

गुजरात में सोडा ऐश उत्पादन की चार प्रमुख इकाई (टाटा केमिकल्स, सौराष्ट्र केमिकल्स, जी० ए० सी० एल० और ध्रांगधरा) हैं। उनका कुल उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 85 प्रतिशत है। गुजरात प्रमुख नमक उत्पादक राज्य है और देश में उत्पादित कुल नमक में से 60 प्रतिशत का उत्पादन यहां होता है।

अंकलेश्वर, खम्भात और कलोल क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस की विस्तृत खोज और उत्पादन से गुजरात का नाम देश के तेल मानचित्र में आ गया है। कोयली में तेल शोधन कारखाने की स्थापना से इस क्षेत्र में पेट्रो-रसायन उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। भारतीय पेट्रो-रसायन निगम द्वारा स्थापित ओलेफिन कारखाना समूह देश में पेट्रो-रसायन उद्योगों के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। इस क्षेत्र में नाइट्रोजन उर्वरकों का भी पर्याप्त उत्पादन बढ़ा है। राज्य सरकार ने गुजरात स्टेट फर्टेलाइजर कम्पनी के साथ संयुक्त रूप से एक और बड़ी उर्वरक योजना शुरू की है। केन्द्र सरकार भी सूरत जिले में हजिरा में एक फर्टेलाइजर काम्पलेक्स स्थापित करने की योजना को कार्यान्वित कर रही है। इफको भी कलोल और कांडला में खादों के उत्पादन में कार्यरत है।

राज्य में 25 लाख टन से अधिक वार्षिक स्थापित क्षमता वाले 5 प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। सरकार ने एक संयुक्त क्षेत्र कम्पनी 'नर्मदा सीमेंट कम्पनी' भी बनाई है।

खनिज विकास के क्षेत्र में, गुजरात खनिज विकास निगम द्वारा फ्लोरस्पर परियोजना, एक लिग्नाइट परियोजना और एक आधार धातु परियोजना स्थापित कर दी गई है।

जी० आई० आई० सी० और एच० एम० टी० ने संयुक्त रूप से, भावनगर में मशीनी पुर्जों का एक कारखाना चालू किया है।

आई० डी० पी० एल० और जी० आई० आई० सी० ने एक परियोजना चलाई है जिसमें कच्चे माल के रूप में ईसबगोल इस्तेमाल होता है। आजकल ईसबगोल अपरिष्कृत रूप में पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता है।

दुग्ध उद्योग ने भी अद्भुत उन्नति की है तथा राज्य में भारत का 63 प्रतिशत शिशु आहार एवं 47 प्रतिशत दुग्ध पाउडर तैयार होता है।

सिंचाई और बिजली

1947 से लेकर अब तक कार्यान्वित महत्वपूर्ण प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में उकाई, कड़ाना, काकड़ापारा, मही दक्षिण तट नहर परियोजना, चरण-I शेत्रुंजी

दन्तीवाडा, हाथमाटी, मेशवा और भादर परियोजनाएं मुख्य हैं। इनके अलावा साबरमती नदी पर केल-डेजर के समीप धोरोई में और पानम में जलाशय बनाए गए हैं। दमण गंगा, कार्जन, सुखी और वतरक परियोजनाओं पर जोर शोर से कार्य हो रहा है और सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना पर कार्य चल रहा है।

इस समय विभिन्न पनबिजली और तापबिजली केन्द्रों की कुल क्षमता लगभग 2,350 मेगावाट है। कुल 11,879 गांवों को बिजली दी जा चुकी है और 2,22,022 नलकूप बिजली से चल रहे हैं।

1982-83 के बजट अनुमान के अनुसार आय 1,286.99 करोड़ रुपये और व्यय 1,119.83 करोड़ रुपये है।

सरकार
राज्यपाल : श्रीमती शारदा मुखर्जी

मंत्रि परिषद
मुख्यमंत्री : माधव सिंह सोलंकी
मंत्री : सनत मेहता, प्रबोध रावल, अमरसिंह चौधरी, मनोहरसिंहजी जाडेजा, महंत विजयदासजी और खोडीडेन झूला।
राज्यमंत्री : श्रीमती कोकिलाबेन व्यास, मुहम्मद सूरती, देवजी भाई बनवी, हरिहर खमोंलजा और मगनभाई सोलंकी।

विधान सभा
अध्यक्ष : नटवर लाल शाह
उपाध्यक्ष : रमणीकभाई धामी

उच्च न्यायालय
मुख्य न्यायाधीश : एम० पी० ठक्कर
न्यायाधीश : पी० डी० देसाई, बी० के० मेहता, ए० एन० सूरती, एन० एच० भट्ट, ए० एम० अहमदी, आर० सी० मांकड, एस० बी० मजूमदार, जी० टी० नानावती, वी० वी० वेडारकर, डी० एच० शुक्ल, एस० एल० तलाती, डी० सी० धीवाला और आई० सी० भट्ट।

लोक सेवा आयोग
अध्यक्ष : के० एल० जुत्शी
सदस्य : एम० जे० चौधरी और डी० एल० मुनीम
मुख्य सचिव : एच० के० एल० कपूर

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला		क्षेत्रफल (वर्ग किलो मीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	8,707	38,40,472	अहमदाबाद
2.	अमरेली	6,760	10,75,766	अमरेली
3.	बनासकांठा	12,703	16,65,511	पालनपुर
4.	भड़ोच	9,038	12,95,544	भड़ोच
5.	भावनगर	11,155	18,76,471	भावनगर

1	2	3	4	5
6.	गांधीनगर	649	2,87,483	गांधीनगर
7.	जामनगर	14,125	13,90,125	जामनगर
8.	जूनागढ़	10,607	20,98,660	जूनागढ़
9.	खेड़ा	7,194	30,07,194	खेड़ा
10.	कच्छ	45,652	10,49,589	भुज
11	मेहसाना	9,027	25,94,616	मेहसाना
12.	पंचमहल	8,866	23,13,589	गोधरा
13.	राजकोट	11,203	20,58,136	राजकोट
14.	साबरकांठा	7,390	14,98,056	हिम्मतनगर
15.	सूरत	7,657	24,91,084	सूरत
16.	सुरेन्द्रनगर	10,489	10,33,423	सुरेन्द्रनगर
17.	डांग	1,764	1,13,996	अहवा
18.	वड़ोदरा	7,794	25,50,196	वड़ोदरा
19.	वल्साड़	5,244	17,70,994	वल्साड़

जम्मू और कश्मीर

क्षेत्रफल : 2,22,236 वर्ग किलोमीटर
राजधानी : श्रीनगर (ग्रीष्म ऋतु)
जम्मू (शीत ऋतु)

जनसंख्या 59,54,010 लाख
मुख्य भाषाएं: कश्मीरी, उर्दू, लद्दाखी, डोगरी, गोजरी, बाल्टी, पहाड़ी और दर्दीरो

कृषि

जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यहां की मुख्य फसलें हैं—चावल, मक्का व गेहूं। ज्वार, बाजरा, जौ तथा चना भी कुछ क्षेत्र में उपजाए जाते हैं। 1980-81 में खाद्य फसलों के अन्तर्गत 85,51,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती हुई। 1978-79 में राज्य ने 12 लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न पैदा किया जो कि एक कीर्तिमान है। 1980-81 में 13.70 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 17.50 एक के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जाएगी। 1980-81 में फलों का उत्पादन 5 लाख टन था। गत वर्षों में फलों का निर्यात भी बढ़ता गया है और इस वर्ष 3.60 लाख टन बढ़ा है। बाग लगाने के कार्यक्रमों को गत वर्षों में बहुत प्रमुखता दी गई है। इसके लिए विश्व बैंक तथा आस्ट्रेलिया से सहायता भी ली गई है।

उद्योग

राज्य में 6,000 लघु उद्योगों में उत्पादन कार्य हो रहा है जिनमें कुशल और अप्रशिक्षित कारीगरों को मिलाकर 34,000 लोग रोजगार में लगे हुए हैं।

मुख्य कुटीर उद्योग गलीचा और शाल निर्माण, नक्काशी वाली बढ़ईगिरी तथा हस्तशिल्प हैं। 1974-75 के 7.50 करोड़ रुपये के मुकाबले 1980-81 में 57.82 करोड़ रुपये के हस्तशिल्प का उत्पादन हुआ और 2 करोड़ रुपये के हस्तशिल्पों का 1978-79 में निर्यात किया गया।

जो नए उद्योग राज्य में लगे हैं उनमें एच०एम०टी० घड़ी फैक्टरी तथा इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज का एक सहायक कारखाना प्रमुख है। ये दोनों कारखाने श्रीनगर में हैं। कई नए औद्योगिक समूहों के साथ राज्य औद्योगिक मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है।

सिंचाई और बिजली

दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कठुआ नहर और प्रताप नहर पूरी हो चुकी हैं, जो 17,140 हेक्टेयर जमीन को सींचती हैं। तवी लिफ्ट सिंचाई परियोजना 1973–74 में चालू हो गई थी। इससे कुछ लाभ मिलने शुरू हो गए हैं। राज्य ने रावी नहर परियोजना को हाथ में लिया है। इस बड़ी सिंचाई परियोजना से 54,000 हेक्टेयर भूमि को सींचा जाएगा।

निचली झेहलम पनबिजली परियोजना के चालू हो जाने से राज्य में अब 208.78 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पन्न होने लगी है। अन्य बिजली परियोजनाएं; जिन पर काम चल रहा है, वे हैं: सलाल सतनकना और डूल हस्ती पनबिजली परियोजनाएं और कराह माइक्रो पनबिजली परियोजना।

1947 के बाद जो महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाएं चालू की गईं वे हैं—गंदर-चेनानी, कालाकोट और उपरी सिंध।

1974 में श्रीनगर और पठानकोट के बीच ऊंचे वोल्टेज वाली बिजली की लाइनों के चालू हो जाने के बाद घाटी की बिजली व्यवस्था उत्तर भारत से जुड़ गई है।

1980-81 के अन्त तक कुल 5,616 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी थी, जबकि 1951 में राज्य के एक भी गांव में बिजली नहीं थी।

सरकार

राज्यपाल: बी० के० नेहरू

मंत्रिपरिषद

मुख्य मंत्री: डा० फारुख अब्दुल्ला

मंत्री: परमानन्द जी० एम० शाह, पी० एल० हांडू, बोधराज बली, लाल मोहम्मद सबीर और अब्दुल गनी मस्त फरीदी।

राज्यमंत्री: रफीक हसन खान, वली मोहम्द यातू, एस० बान्चुक नर्बू और मुंशी हबीबुल्लाह।

विधान परिषद

सभापति: हकीम हबीबुल्ला

उपसभापति: अतुल्लाह सुहारवर्दी

विधान सभा अध्यक्ष : ए० आर० राथर

उपाध्यक्ष : जनक राज गुप्ता

उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश : मुफ्ती बहाउद्दीन फारूकी

न्यायाधीश : ए० एस० आनन्द, जी० एम० मीर और आई० के० कोतवाल

लोक सेवा आयोग अध्यक्ष : जी० एन० खान

सदस्य : साजिदा जमीर अहमद, गुलाम नबी डबू और पुष्कर नाथ कौल।

मुख्य सचिव : नूर मोहम्मद

राज्य के क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग कि०मी० अस्थाई भौगोलिक क्षेत्र (महा सर्वेक्षक से प्राप्त आकड़ों पर आधारित) में से 78,932 कि०मी० पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे में है तथा 5,180 वर्ग कि०मी० क्षेत्र पाकिस्तान ने गैर कानूनी ढंग से चीन को सौंप दिया था। इसमें 1971 जनगणना के अनुसार 37,555 कि०मी० क्षेत्र चीन के गैर कानूनी नियंत्रण में है। चार जिले—मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित एजेन्सी तथा हुंजा जिले विदेशी अधिकार में हैं।

जिलों की जनसंख्या और मुख्यालय

जिले	जनसंख्या	मुख्यालय
1. अनंतनाग	6,54,945	अनंतनाग
2. पुलवामा	4,04,351	पुलवामा
3. श्रीनगर	7,21,078	श्रीनगर
4. बदगम	3,52,759	बदगम
5. बारामूला	6,69,405	बारामूला
6. कुपवाड़ा	3,27,552	कुपवाड़ा
7. कारगिल	64,566	कारगिल
8. लेह (लद्दाख)	67,733	लद्दाख
9. दोदा	4,24,390	दोदा
10. उधमपुर	4,52,244	उधमपुर
11. कठुआ	3,65,029	कठुआ
12. जम्मू	9,28,638	जम्मू
13. रजौरी	2,98,830	रजौरी
14. पुंछ	2,22,490	पुंछ

तमिलनाडु

क्षेत्रफल : 1,30,069 वर्ग कि०मी० जनसंख्या : 4,82,97,456
राजधानी : मद्रास मुख्य भाषा : तमिल

कृषि

1979-80 में 77.17 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की गई जिसमें से 39.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई व्यवस्था से पोषित था। राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं : चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी और दालें। मुख्य नकदी फसलों में गन्ना, तिलहन, कपास, मिर्च, केला, काफी, चाय और रबड़ हैं। 1979-80 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन लगभग 76.40 लाख टन था।

वन 21,79,101 हेक्टेयर क्षेत्र में है। वनों के मुख्य उत्पादों में इमारती लकड़ी, चन्दन की लकड़ी, नर्म लकड़ी तथा जलाने की लकड़ी मुख्य है। अन्य उप-उत्पादों में घास, तने, यूकिलिप्टिस, रबड़, चाय (हरी पत्तियां) काजू, मधु, हाथी दांत तथा वेटल बार्क शामिल हैं।

उद्योग

राज्य में चूना पत्थर, मैंगनीज, अभ्रक, क्वार्ट्स फैलस्पर, नमक, बाक्साइट, लिगनाइट तथा जिप्सम आदि खनिज उपलब्ध हैं।

मुख्य उद्योगों में सूतीवस्त्र, रासायनिक उर्वरक, कागज तथा इसके उत्पाद, प्रिंटिंग तथा सहयोगी उद्योग डीजल इंजन, आटोमोबाइल तथा पुर्जे, सीमेंट, चीनी, लोहा और इस्पात, तथा रेलवे इंजन व सवारी डिब्बे का निर्माण मुख्य हैं।

तमिलनाडु में अनेक सरकारी उद्यम हैं। इनमें मुख्य ये हैं : नेवेली लिग्नाइट काम्पलेक्स, सवारी डिब्बा कारखाना, हाई प्रैशर बायलर संयत्र, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म फैक्टरी, सर्जिकल इन्स्ट्रूमैन्ट्स फैक्टरी, हिन्दुस्तान टैलीप्रिन्टर्स, मद्रास रिफाइनरीज, मद्रास फर्टिलाइजर्स, और हैवी व्हीकल फैक्टरी।

राज्य तैयार चमड़े, खालों और चमड़े के सामान, सूती कपड़ों के सामान, रेशे, चाय, काफी, मसाले, इंजीनियरिंग सामान तथा तम्बाकू का निर्यातक है।

सिंचाई और विद्युत

स्वतंत्रता के समय से क्रियान्वित मुख्य सिंचाई योजनाओं में हैं लोअर भवानी, अमरावती, वैगल, पैरम्बइकुलम–अलियार, कृष्णागिरी, सत्तनूर, पुल्लाम्बड़ी-कतालेई उच्च स्तर नहर, गोमुखीनधी, चित्तूर-पट्टानाम्कल और पौन्नानियर योजनाएं।

राज्य में कुल 18 पन बिजलीघर तथा तीन ताप बिजलीघर हैं। जनवरी 1982 तक कुल स्थापित क्षमता (पनबिजली तथा ताप बिजली) 2,929 मे०वा० थी। चिंगलपेट्ट जिले के कलपक्कम में परमाणु विद्युत केन्द्र तैयार हो रहा है। जनवरी 1982 तक तमिलनाडु के 15,595 गांवों और 47,454 कस्बों में बिजली पहुंचाई जा चुकी थी और 9,38,500 पंपसेटों को बिजली दी गई थी। तमिलनाडु में सभी हरिजन बस्तियों को बिजली दी जा चुकी है।

मुख्य पर्यटन केन्द्र राज्य में महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र ये हैं :—उटकमंड (नीलगिरि पहाड़ियों में ऊटी), कोडईकनाल, मामल्लापुरम, थिरुकाजुगुनद्रम, कांचीपुरम, मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी तथा तंजावूर।

सरकार
मंत्रिपरिषद्

राज्यपाल : सुन्दर लाल खुराना
मुख्यमंत्री—एम०जी०रामाचन्द्रन
मंत्री : वी० आर० नेदुचेजियन
एस० रामाचन्द्रन
के० ए० कृष्णस्वामी
एस० डी० सोमासुन्दरम
आर० एम० वीरप्पन
सी० अरंगनायगम
के० कालिमुथु
सी० पोनैयन
पी० कुलदैवेलु
एस० राघवनन्दम
डा० एच०वी० हन्दे
के० राजा मोहम्मद
एस० मुथुस्वामी
एस० थिरुनवुक्कारसु
एस० एन० राजेन्द्रन
एम० विजयसारथी और
श्रीमती गोमती श्रीनिवासन

विधान सभा
अध्यक्ष : के० राजाराम
उपाध्यक्ष : पी० एच० पंडियन

विधान परिषद
सभापति : डा० एम० पी० शिवागनम
उपसभापति : पुलावर पुलामै पिच्यन

उच्च न्यायालय
मुख्य न्यायाधीश : पी०आर० गोकुलकृष्णन (स्थानापन्न)

न्यायाधीशगण : जी० रामानुजम
वी० रामास्वामी
एस० नटराजन
एस० रतनावल पंडियन
एस० मोहन
वी० बालासुब्रह्मण्यम
एस० पद्मनाभन

एम०ए० सयर सैयद
टी० सार्थदेव
एस० नयनार सुन्दरम
जी० महेश्वरन
एस० स्वामीकन्नु
वी० रत्नम
के० सेंगोतुवल्लन
के० पणमुगम
एम० नारायण मूर्ति
एम० फकीर मोहम्मद व
टी०एन शिंगरावेलु

लोक सेवा आयोग

अध्यक्ष : मेजर जनरल एस०पी० महादेवन
सदस्य : एम० थिरुमलैस्वामी
एम० पेरियास्वामी
डा० (श्रीमती) अम्बिका षणमुखम
जी० थिरुमल
एस० थिरुमलैप्पन और
एम० अब्दुल समद
मुख्य सचिव : के० दिरावियम

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. चिंगलपट	7,920	36,11,871	कांचीपुरम
2. कोयम्बतूर	75,038	30,51,135	कोयम्बतूर
3. धर्मपुरी	9,643	19,93,290	धर्मपुरी
4. कन्याकुमारी	1,684	14,19,110	नागरकोइल
5. मद्रास	128	32,66,034	मद्रास
6. मदुरै	12,629	45,30,028	मदुरै
7. नीलगिरि	2,549	6,28,231	उटाकमंडलम
8. उत्तरी आरकाट	12,265	44,02,087	वेलोर
9. रामानाथपुरम	12,578	33,30,339	मदुरै
10. सेलम	8,643	34,29,822	सेलम

1	2	3	4
11. दक्षिणी अरकाट	10,898	41,99,892	कुड्डालूर
12. पेरियार	8,169.2	20,57,496	इरोड
13. पुडक्काट्टै	4,619.9	11,55,684	पुडक्काट्टै
14. तिरुचिरापल्ली	11,114.3	36,06,033	तिरुचिरापल्ली
15. तंजावूर	8,24.8	40,57,230	तंजावुर
16. तिरुनेलवेलि	11,433	35,59,174	तिरुनेलवेलि

त्रिपुरा

क्षेत्रफल : 10,477 वर्ग कि०मी०
राजधानी : अगरतला

जनसंख्या : 20,47,351
मुख्य भाषाएं : बंगला, काकबोरक, त्रिपुरी तथा मणिपुरी

कृषि

राज्य का लगभग 60 प्रतिशत भाग वन है। कृषि योग्य भूमि केवल 23.5% है। धान, गेहूं, पटसन, गन्ना, मेस्टा, आलू, तिलहन, दालें और कपास मुख्य फसलें हैं। 1979-80 और 1980-81 में क्रमशः 3,784 और 5,300 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बनाई गई। खेतीहरों द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के पश्चात् 1981-82 में अनाज का कुल उत्पादन 1976-77 के अनुपात में 15% बढ़ा है। राज्य में किसानों ने अधिक पैदावार वाली किस्में अपनाकर फसलों के उत्पादन में 165% वृद्धि की है।

राज्य में सुरक्षित तथा प्रस्तावित सुरक्षित वन क्षेत्र 3,864.71 वर्ग कि०मी० है तथा 2,057.52 वर्ग कि०मी० संरक्षित वन हैं। प्राकृतिक वन क्षेत्र लगभग 371 कि०मी० है जो कि कुल वन क्षेत्र का 8.52 प्रतिशत है। राज्य में 71,232 हेक्टेयर भूमि का वन्यकरण किया गया। 1981-82 में 2,210 परिवारों को वन्यकरण योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी गई। 1980-81 में विस्तृत रूप से रबड़ की खेती शुरू की गई। 1981 तक 2,962.63 हेक्टेयर भूमि पर रबड़ की खेती की जा रही थी।

उद्योग

त्रिपुरा के मुख्य उद्योग हैं चाय व पटसन। राज्य में 56 चाय बागान हैं जो 5,700 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। लघु उद्योग के रूप में राज्य में एकमात्र हथकरघा उद्योग प्रमुख है। राज्य में 1.25 लाख हथकरघों से 98,000 बुनकरों को रोजगार मिलता है। कुटीर उद्योग के रूप में हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी इत्यादि हैं। अगरतला में एक पटसन मिल लगाई गई है जो 1,200 टन माल तैयार करेगी। सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक

लघु उद्योग कार्यरत हैं और नए भी खुल रहे हैं। 6,000 टन की क्षमता की एक इस्पात पुर्ननिर्माण मिल भी स्थापित की गई है।

सिंचाई और बिजली

दीर्घकालीन, सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता 1 अप्रेल, 1978 में 3,831 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1 दिसम्बर, 1981 तक 9,839 हेक्टेयर कर दी गई है। छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए छठी योजना में 10,000 हेक्टेयर तथा मध्यम योजनाओं के लिए, 3,500 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में आर्टीसन कुएं, खुदाई वाले कुएं, पंपसैट हैं जिनसे अप्रेल 1978 में केवल 7,049 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती थी जबकि दिसम्बर, 1981 मे 9,689 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। तीन मध्यम सिंचाई योजनाएं गुमटी, खोवई तथा मनु नदी संबंधी हैं जिन्हें हाथ में लिया गया है। इन तीनों परियोजनाओं के पूरे हो जाने पर इनसे 13,200 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 1,103 गावों का विद्युतीकरण किया गया तथा 425 नलकूपों को बिजली दी गई है।

मुख्य पर्यटन-स्थल

राज्य मे मुख्य पर्यटन स्थल ये हैं: नीरमहल, सिपाहीजाला, माताबाड़ी, डमबूर लेक, कमलसागर, जुम्पई हिल तथा उनाकोटि।

सरकार

राज्यपाल : एस० एम० एच० बर्नी

मंत्रि परिषद

मुख्य मंत्री : नृपेण चक्रवर्ती

मंत्री : दशरथ देव, बीरेन दत्त, अनिल सरकार, दिनेश देववर्मा, बैद्यनाथ मजूमदार, अरेवर रहमान, जोगेश चक्रवर्ती, ब्रजगोपाल राय, विवेकानन्द भौमिक और अभिराम देववर्मा।

विधान सभा

अध्यक्ष : सुधन्य देव बर्मा

उपाध्यक्ष : ज्योतिर्मय दास

उच्च न्यायालय

त्रिपुरा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक पीठ अगरतला में काम कर रही है।

मुख्य सचिव : एस० आर० शंकरन

जिलों का क्षेत्रफल जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. उत्तर त्रिपुरा	3,541	5,40,552	कैलाशहर
2. दक्षिण त्रिपुरा	3,577	5,35,176	उदयपुर
3. पश्चिम त्रिपुरा	3,359	9,71,623	अगरतला

नगालैंड

क्षेत्रफल : 16,579 वर्ग किलोमीटर   जनसंख्या : 7,73,281
राजधानी : कोहिमा

कृषि

नगालैंड की 90 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। चावल यहां का एकमात्र महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। 1977-78 में कुल 95,000 मी० टन चावल पैदा हुआ। राज्य में कुल 6,80,000 हेक्टयर भूमि में खेती होती है। पहाड़ के ढालों पर, जहां सिंचाई की सुविधा है, 38,000 हेक्टयेर क्षेत्र में चावल की खेती होती है।

राज्य के 17.56 प्रतिशत भाग में वन हैं। इनसे काफी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है।

उद्योग

दीमापुर में 1,250 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली चीनी की मिल है। तिजित में नगालैंड वन उत्पादन लिमिटेड में उत्पादन शुरू हो गया है। दीमापुर में 100 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला कागज का एक कारखाना और एक शराब का कारखाना लगाया गया है। सजावट और आम काम में आने वाली प्लाइवुड के उत्पादन के लिए भी एक कारखाना लगाया जा रहा है। हथकरघा और रेशम प्रमुख कुटीर उद्योग हैं। यहां छह बुनाई और उत्पादन केन्द्र, तीन कुटीर उद्योग और उत्पादन केन्द्र, पांच रेशम उत्पादन फार्म, एक दस्तकारी प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र और तीन लघु उद्योग सेवा केन्द्र हैं।

सिंचाई और बिजली

राज्य में छोटी सिंचाई परियोजनाओं का कार्य अधिकतर चावल उत्पादन करने वाली घाटियों की सिंचाई के लिए पहाड़ी चश्मों की दिशा बदलना ही है।

बिजली की कुल संस्थापित क्षमता पिछले वर्ष 3.17 मेगावाट थी। नगालैंड में से 435 गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है।

सरकार

राज्यपाल : एस० एम० एच० बर्नी

मंत्रिमण्डल

मुख्यमंत्री : एस० सी० जमीर
मंत्री : टी० ए० न्गुली, एच० माओ चंग, के० एल० चिशी, करीब आओ, खेहोज़ो सीमा, पी० एण्या कोयंक, के हेंज़े सीमा और तिमेरन

राज्यमंत्री : अचिबा, हेन्लूम एल० सिंगसन, थोन्तिन कोयंक

विधानसभा

अध्यक्ष : विलसोनई के० अंगामी
उपाध्यक्ष : होरंगसे संगतम

उच्च न्यायालय

नगालैंड गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायाधीशों की सूची 'असम' के अंतर्गत देखिए।

आयोग

अध्यक्ष : एच० एस० बूटालिया
सदस्य : टी० संगतम और चूबा आओ
मुख्य सचिव : जैड० ओबेड

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलो-मीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. कोहिमा	4,041	2,51,416	कोहिमा
2. मोकोकचुंग	1,615	1,04,257	मोकोकचुंग
3. मोन	1,786	78,745	मोन
4. फेक	2,026	70,675	फेक
5. त्यूनसांग	4,228	1,52,257	त्यूनसांग
6. वोखा	1,628	53,271	वोखा
7. जुन्हेबोटो	1,255	60,641	जुन्हेबोटो

पंजाब

क्षेत्रफल : 50,362 वर्ग कि०मी० — जनसंख्या : 1,66,69,755
राजधानी : चण्डीगढ़ — मुख्य भाषा : पंजाबी

कृषि

पंजाब के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 83 प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। राज्य में खाद्यान्नों-विशेषकर गेहूं और चावल की बहुतायत है। अन्य मुख्य खाद्यान्न हैं—मक्का, बाजरा, ज्वार, चना, जौ तथा दालें। मुख्य नकदी फसलों में तिलहन, गन्ना, तम्बाकू, कपास तथा आलू शामिल हैं। 1980-81 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 127.42 लाख टन रहा।

नवम्बर 1977 में राज्य ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया ताकि ग्रामीण अंचलों में रहने वालों को लाभकर रोजगार मिल सके तथा परम्परागत ग्रामीण उद्योगों व व्यवसायों का पुनरोत्थान हो सके।

1981 में 2,60,300 हेक्टेयर भूमि पर वन फैले हुए थे।

उद्योग

पंजाब में लघु उद्योगों की अथाह संख्या है। रेशम उद्योग, चमड़े के जूते, मशीनों के पुर्जे, साइकिल पुर्जे, सिलाई मशीनें तथा पुर्जे, प्लास्टिक का सामान, पाइप, नट तथा बोल्ट, लकड़ी और मशीन के पेंच आदि लघु उद्योगों का मुख्य उत्पादन है। राज्य में 31 मार्च, 1981 को 63,906 मुख्य लघु उद्योग कारखाने थे। देश के ऊनी होजरी उद्योग के उत्पादन में पंजाब का भाग 70 प्रतिशत है।

पंजाब औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से जिन मुख्य उद्योगों की स्थापना हुई है उनमें ये शामिल हैं—ट्रैक्टर, सूखे बैटरी सैल, पालियस्टर रेशे, नायलोन, मोटरों के टायर-ट्यूब, सिन्थेटिक डेटरजेंट, स्कूटर, शराब, उर्वरक, इस्पात छड़ें, टी०वी० सैट, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूक्ष्म उपकरण। राज्य में केन्द्रीय सरकार का मुख्य उद्यम नांगल उर्वरक कारखाना है। भटिंडा में नेफ्था आधारित उर्वरक कारखाना केन्द्र द्वारा स्थापित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त गत तीन वर्षों में पांच नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं वे हैं: बायोमेडिकल उपकरण लि०, रिकार्डस लिमिटेड, डिजिटल इंडस्ट्रियल सिस्टम लि०, इलेक्ट्रो आप्टीकल सिस्टम लि०, कन्जयूमर इलेक्ट्रानिक आयटम लिमिटेड। देश में प्रथम बार यहां कुछ बायोमेडिकल उपकरण निर्मित हो रहे हैं।

सिंचाई और बिजली

1947 के पश्चात् जिन मुख्य सिंचाई निर्माण कार्यों को पूरा किया गया वे हैं—भाखड़ा नांगल बांध, भाखडा नहरें, हरिके बैराज तथा यहीं से निकली सरहिन्द फीडर नहर और माधोपुर हैडवर्क्स को बैराज में परिवर्तित करना। रावी नदी के फालतू पानी को व्यास नदी में छोड़ने के लिए माधोपुर—व्यास संपर्क बनाया गया था। ऐसी ही सतलुज—व्यास सम्पर्क योजना पूरी कर ली गई है।

जनवरी 1979 में भटिंडा में गुरू नानक ताप विद्युत संयंत्र का चौथा यूनिट चालू किया गया था। पन-बिजली परियोजना में व्यास नदी पर पोंग बाध मुख्य है। मार्च 1979 में बांध का चौथा यूनिट चालू किया गया था। रोपड़ में एक अन्य ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। 1979 में देहड़ विद्युत संयत्र का तीसरा व चौथा यूनिट स्थापित किया गया था।

1979-80 में विद्युत उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में कुल स्थापित क्षमता 1,536 में मेगावाट थी। मई 1976 में राज्य ने पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। मार्च 1981 तक सिंचाई हेतु 6.10 लाख ट्यूबवैल लगाए जा चुके थे।

वार्षिक योजना 1982-83 का कुल आय-व्यय 385 करोड़ रुपये है।

सरकार

राज्यपाल: डा० एम० चेन्ना रेड्डी

मंत्रि-परिषद

मुख्य मंत्री: दरबारा सिंह

मंत्री: डा० केवलकृष्ण, संतोख सिंह रंधावा, कांशीराम, सरदारीलाल कपूर, बेअन्त सिंह, जगत राम, हरचरण सिंह अजनाला, गुरदर्शन सिंह और जोगिन्दर पाल पाण्डे।

राज्य मंत्री: बीरपाल सिंह, दर्शनसिंह केपी, अवतार सिंह गटवाली, श्रीमती रजिन्दर कौर भट्टल, भगवान दास।

विधान परिषद

अध्यक्ष: बृज भूषण मेहरा
उपाध्यक्ष: गुलजार सिंह

उच्च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय एक ही है। न्यायधीशों के नामों के लिए "हरियाणा" देखें।

लोक सेवा आयोग

अध्यक्ष : श्रीमती संतोष चौधरी
सदस्य : हरभजन सिंह दिओल, गोपाल सिंह सैनी, मेजर जनरल एम० एस० बरार, दिलीप सिंह संधु

मुख्य सचिव : के० डी० वासुदेव

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिले	क्षेत्रफल वर्ग कि मी०	जनसंख्या	मुख्यालय
अमृतसर	5,086	21,67,071	अमृतसर
भटिंडा	5,551	12,94,957	भटिंडा
फरीदकोट	5,740	14,29,182	फरीदकोट
फिरोजपुर	5,874	13,00,778	फिरोजपुर
गुरदासपुर	3,562	15,02,366	गुरदासपुर
होशियारपुर	3,879	12,30,848	होशियारपुर
जलंधर	3,401	17,23,699	जलंधर
कपूरथला	1,633	5,37,156	कपूरथला
लुधियाना	3,856	18,04,420	लुधियाना
पटियाला	4,584	15,61,547	पटियाला
रूपनगर	2,084	7,12,411	रूपनगर
संगरूर	5,107	14,05,320	संगरूर

पश्चिम बंगाल

क्षेत्रफल : 87,853 वर्ग किलोमीटर
राजधानी : कलकत्ता
जनसंख्या : 5,44,85,560
मुख्य भाषा : बंगला

कृषि

राज्य की 50% आय तथा 60% लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र के लगभग 30 प्रतिशत भाग में सिंचाई की सुविधा है। कृषि क्षेत्र कुल क्षेत्र का 63 प्रतिशत है। देश के चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल का मुख्य स्थान है। राज्य के कृषि क्षेत्र के करीब 70 प्रतिशत भाग में धान होता है।

1980-81 में कुल 82.8 लाख टन खाद्यान्न जिसमें 74.66 लाख टन चावल व 4.7 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। पश्चिम बंगाल में देश का 60% पटसन तथा 25% चाय उगाई जाती है। चाय व पटसन के निर्यात से राज्य को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की आय होती है। अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं—दालें, तिलहन, जौ, मक्का, तम्बाकू, पान पत्ता व गन्ना।

दार्जिलिंग की पहाड़ियों में शीतोष्ण फल सफलतापूर्वक उगाए गए हैं।

राज्य के 13.4 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं। प्रमुख वन उत्पाद इमारती लकड़ी, शहद, जलाने की लकड़ी, लकड़ी का कोयला, और बांस हैं।

उद्योग

पश्चिम बंगाल देश का मुख्य औद्योगिक राज्य है। जिसमें 6,421 पंजीकृत कारखाने कार्यरत हैं। मार्च 1981 तक पंजीकृत लघु उद्योग की इकाईयों की अनुमानित संख्या 1,28,553 थी।

राज्य में दो इस्पात कारखाने—एक दुर्गापुर में दूसरा बर्नपुर में है। और एक मिश्रित धातु कारखाना दुर्गापुर में है। अन्य प्रमुख उद्योग हैं—इंजीनिर्यारिंग, चाय, सूती कपड़ा, रेशम, मोटरगाड़ियां, कागज, पटसन, दवाइयां, रासायनिक पदार्थ, एल्यूमिनियम, इमारती लकड़ी तैयार करना, चीनी मिट्टी, कांच, चमड़ा और जूता, हड्डी की खाद और डेरी-उद्योग। केन्द्रीय सरकार के कई कारखाने जिनमें रेलगाड़ी के इंजिन बनाने, तार, उर्वरक, समुद्री जहाज निर्माण तथा रक्षा सामग्री उत्पादन के कारखाने शामिल हैं, राज्य में स्थापित हैं। आसनसोल, दुर्गापुर, हाल्दिया, कल्याणी, खड़गपुर, सथालदिह, सिलीगुड़ी और फरक्का में नए-नए उद्योग-क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।

कोयला और चीनी मिट्टी, दो महत्वपूर्ण खनिज राज्य में पाए जाते हैं। अन्य खनिज जो यहां मिलते हैं वे हैं—डोलोमाइट, राक फासफेट, अग्निसाह, चूना-पत्थर, तांबा, लोहा, सेलखड़ी, क्वार्टज फेलस्पर मैगनीज, रेतीला पत्थर।

सिंचाई और बिजली

1947 से कार्यान्वित महत्वपूर्ण बहुद्देशीय परियोजनाएं हैं—दामोदर-घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और कागसाबती परियोजना। तीस्ता बैराज परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका है। राज्य में कृषि के अन्तर्गत भूमि का 1/3 भाग सिंचित है।

बड़ी बिजली परियोजनाओं में से बंदेल ताप बिजलीघर (320 मेगावाट), सन्थालदिह ताप बिजली घर (480 मेगावाट) और दुर्गापुर बिजली परियोजना (280 मेगावाट) क्षमता वाली हैं। कालाघाट में एक नयी विद्युत परियोजना चालू की जा रही है। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के अपने तीन बिजलीघर हैं, जिनकी संस्थापित क्षमता 328 मेगावाट है। 240 मेगावाट क्षमता वाले टीटागढ़ विद्युत स्टेशन निर्माणाधीन है। इसके अलावा दामोदर घाटी निगम भी अपने बिजली उत्पादन केन्द्रों से पश्चिम बंगाल को (400 मेगावाट) बिजली सप्लाई करता है। राज्य में बिजली की कुल संस्थापित क्षमता 1,580 मेगावाट (दा० घाटी परि० को छोड़कर) है।

1951 में इस राज्य में केवल 386 गांवों में बिजली थी जबकि मार्च 1980 के अन्त तक ऐसे गांवों की संख्या बढ़कर 12,863 हो गई। बिजली के 24,000 से भी अधिक सिंचाई पम्प-सेट लगाए जा चुके हैं।

प्रमुख पर्यटन स्थल राज्य के मुख्य पर्यटन स्थलों में दार्जिलिंग, जाल्दापाडा वन्य जीव अभयारण्य माल्दा के गौर और पाण्डा, मुर्शिदाबाद, शान्तिनिकेतन, बांकुरा में विष्णुपुर, दीघा तथा सुन्दरवन।

सरकार राज्यपाल : बी० डी० पांडे

मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री : ज्योति बसु

मंत्री : कृष्णपद घोष, अशोक मित्र, कन्हाईलाल भट्टाचार्य, जतिन चक्रवर्ती, विनय चौधरी, अमृतेन्दु मुखर्जी, मुहम्मद अमीन, हासिम अब्दुल हलीम, पार्थ दे, प्रशान्त सुर, चित्तब्रत मजूमदार, राधिकारंजन बनर्जी, परिमल मित्र, बुद्धदेव भट्टाचार्य, प्रवास चन्द्र राय, कमल गुहा, भक्ति भूषण मंडल, शम्भू चरण घोष, नानी भट्टाचार्य, देवब्रत बनर्जी, सुधिन कुमार और भवानी मुखर्जी।

राज्य मंत्री : शिवेन्द्र नारायण चौधरी, मुहम्मद अब्दुल बारी, श्रीमती निरुपमा चटर्जी, शम्भुनाथ मंदी, राम चटर्जी, कान्ति विश्वास तथा तमंग दवालामा।

विधान सभा अध्यक्ष : सैय्यद अब्दुल मन्सूर हबीबुल्लाह
उपाध्यक्ष : कलीमुद्दीन शम्स

उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश : शम्भू चन्द्र घोष

न्यायाधीश : रमेन्द्र मोहन दत्त, समरेन्द्र चन्द्र देव, सब्यसाची मुखर्जी, तरुण कुमार बसु, प्रद्योत कुमार बनर्जी, अनिल कुमार सेन, चित्ततोष मुखर्जी, मुरारी मोहन दत्त, पूर्णचन्द्र बरुआ, सलिल के० रायचौधरी, अरुणकुमार जान्ह, निर्मलचन्द्र मुखर्जी, अजितकुमार सरकार, दीपक कुमार सेन, रवीन्द्र नाथ पाइने, बंकिमचन्द्र राय, मानसनाथ राय, विमल चन्द्र बसक, राम कृष्ण शर्मा, गणेन्द्र नारायण राय, चन्दन कुमार बनर्जी, मनोज कुमार मुखर्जी, श्रीमती पद्मा खास्तगीर, श्रीमती मन्जुला बोस, विमलेन्द्रनाथ मैत्रा, भवेशचन्द्र चक्रवर्ती, ज्योतिर्मयी नाग, श्रीमती श्रीमती प्रतिभा बनर्जी, सुधीन्द्र मोहन गुहा, एन० जी० चौधरी, अमिताभ दत्त, एस० एन० सन्याल तथा सुभाषचन्द्र सेन।

लोक सेवा आयोग अध्यक्ष : ए० के० दासगुप्ता

सदस्य : श्रीमती के० प्रामाणिक, एम० हसन, एन० सी० बसु राय चौधरी, एस० एस० चटर्जी, डा० जी० एन० दास और एस० एस० मण्डल।

मुख्य सचिव : एस० बी० कृष्णन

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. बांकुरा	6,881	23,74,205	बांकुरा
2. बीरभूम	4,550	20,94,756	सूरी
3. बर्दवान	7,028	48,08,886	बर्दवान
4. कलकत्ता	104	32,91,655	कलकत्ता
5. कूच विहार	3,386	17,71,562	कूचविहार
6. दार्जिलिंग	3,075	10,06,434	दार्जिलिंग
7. हुगली	3,145	35,49,817	चिनसुराह
8. हावड़ा	1,474	29,57,464	हावड़ा
9. जलपाईगुडी	6,245	22,07,087	जलपाईगुडी
10. माल्दा	3,713	20,35,009	इंगलिश बाजार
11. मिदनापुर	13,724	67,23,860	मिदनापुर
12. मुर्शिदाबाद	5,341	37,02,869	बरहामपुर
13. नदिया	3,296	29,77,013	कृष्णनगर
14. पुरुलिया	6,259	18,55,429	पुरुलिया
15. 24-परगना	13,796	1,07,26,751	अलीपुर
16. पश्चिम दीनाजपुर	5,206	24,02,763	बेलूरघाट

बिहार

क्षेत्रफल : 1,73,876 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 6,98,23,154
राजधानी : पटना	मुख्य भाषा : हिंदी

कृषि

बिहार की मुख्य खाद्य फसलें हैं—धान, गेहूं, मक्का, रागी और दालें । प्रमुख नकदी फसलें हैं—गन्ना, तिलहन, तम्बाकू, पटसन और आलू। राज्य की कृषि योग्य भूमि का कुल 35 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। खाद्यान्नों का उत्पादन 1980-81 में 99.2 लाख टन था।

कुल क्षेत्र के लगभग 17 प्रतिशत भाग में वन हैं । महत्वपूर्ण वन उत्पाद हैं—इमारती लकड़ी, केन्दु पत्तियां, लाख, गोंद विरोजा, साल बीज इत्यादि ।

उद्योग

बिहार भारत में सर्वाधिक खनिज सम्पदा वाले राज्यों में से एक है। देश का लगभग 40 प्रतिशत खनिज उत्पादन यहीं होता है । तांबा, एपैटाइट, कायनाइट, कोयला, अभ्रक और चीनी मिट्टी काफी मात्रा में इस राज्य से उपलब्ध होती है। प्रमुख खनिज लोहा उत्पादक राज्यों में बिहार का भी स्थान है । अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं—मैंगनीज, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, क्रोमाइट,

एस्बेस्टस, बैराइट्स, डोलोमाइट, फैल्सपार, कोलम्बाइट, पाइराइट्स, कल्मी शोरा; कांच रेत (ग्लास सैंड्स) स्लेट, सीसा, चांदी, भवन निर्माण पत्थर और रेडियो-धर्मी खनिज।

राज्य में बड़े-बड़े प्रमुख उद्योग प्रतिष्ठानों में से कुछ हैं—टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कम्पनी, जमशेदपुर; खाद कारखाना, सिंदरी; भारी मशीनी उपकरण कारखाना और ढलाई कारखाना, रांची; इस्पात संयंत्र, बोकारो; तेलशोधक कारखाना, बरौनी; एल्यु-मिनियम संयंत्र, मुरी (रांची); बारूद कारखाना, गोमिया; कागज कारखाना, डालमिया नगर; हिन्दुस्तान तांबा निगम; घाटशिला; अस्ता उत्पादक संयंत्र; टंडू (धनबाद) मरीन डीजल इंजीनियरिंग, बाल बियरिंग तथा वायर रोप यूनिट, रांची। हाई टेंशन इंसुलेटर तथा बिजली उपकरण कारखाना, रांची, स्पन सिल्क मिल, भागलपुर, फतवा का स्कूटर प्रोजेक्ट; सिन्द्री का एन०पी०के० दानेदार संयंत्र, सिन्द्री की सुपर फास्फेट फैक्टरी तथा विक्रमगंज की एक आधुनिक चावल मिल बिहार राज्य के सरकारी क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण कारखाने हैं जो बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे हैं। संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आदित्यपुर में बिहार एयर प्रोडक्ट लि० तथा बरौनी में गंधक के तेजाब के कारखाने में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है। बिहार में 29 चीनी कारखाने, 7 सीमेंट कारखाने, 7 आसवन शालाएं, तीन पटसन मिलें और दो रेलवे माल डिब्बे बनाने के कारखाने हैं। राज्य में 13,043 लघु उद्योग एकक हैं।

अपने टसर रेशम उद्योग के लिए जिसमें एक लाख से भी अधिक लोग काम कर रहे हैं, बिहार प्रसिद्ध है। बिहार के कुटीर उद्योगों में हस्तशिल्प का महत्वपूर्ण स्थान है। मधुबनी शैली की चित्रकलाओं का विश्व बाजार में अपना स्थान है।

आदित्यपुर, बोकारो, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर तथा रांची में छः औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं। राज्य के विभिन्न भागों में 29 औद्योगिक बस्तियों और 23 औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन कार्य हो रहा है। औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार राज्य ऋण तथा पूंजी निवेश निगम, बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम; चीनी निगम, निर्यात निगम तथा बिहार राज्य हथकरघा, विद्युतकरघा तथा हस्तशिल्प निगम, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम, बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य वस्त्र निगम, बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक निगम और बिहार राज्य औषधि एवं रसायन निगम बनाए हैं।

सिंचाई और बिजली बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कोसी, गण्डक, सोन, बदुआ, चन्दन, उत्तर कोइल और बागमती नदियों पर चल रही हैं। बदुआ और चन्दन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनके अलावा जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनेक छोटी और

मझौली सिंचाई परियोजनाएं हैं। बाढ़ नियंत्रण की कई योजनाएं भी चल रही हैं। बहुद्देश्यीय दामोदर घाटी परियोजना से बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों को बिजली मिलती है।

राज्य की और प्रमुख बिजली परियोजनाएं हैं—बिहार राज्य बिजली बोर्ड के अधीन है पतरातू ताप बिजलीघर, बरौनी ताप बिजलीघर और सुवर्णरेखा कोसी पनबिजलीघर—बोकारो, चन्द्रपुर और दुर्गापुर ताप बिजलीघर और साथ ही साथ तलैया, माइथान एवं पंचेट पनबिजलीघर दामोदरघाटी निगम के अधीन हैं।

मार्च 1982 में पन और ताप बिजलीघरों से पैदा होने वाली बिजली की प्रस्थापित क्षमता 2,301 मेगावाट थी। राज्य में 31 मार्च, 1981 को 21,268 गांवों में बिजली थी और मार्च 1982 में ऐसे गांवों की संख्या बढ़कर 24,891 हो गई। राज्य में सिंचाई के लिए मार्च 1981 में 1,59,732 नलकूपों के मुकाबले मार्च 1982 में 1,71,464 नलकूप थे।

सरकार

राज्यपाल : ए० आर० किदवई

मंत्रि परिषद

मुख्यमंत्री : डा० जगन्नाथ मिश्र

मंत्री : नसीरुद्दीन हैदर खां, राजेन्द्र प्रताप सिंह, रामाश्रय प्रसाद सिंह, करमचंद भगत, मिसरीसदा, बुद्धदेव सिंह, जगनारायण त्रिवेदी, शंकर दयालसिंह, ललितेश्वर प्रसाद साही, डा० उमेश्वर प्रसाद वर्मा, योगेश्वर प्रसाद 'योगेश,' चौधरी सलाउद्दीन, लहटन चौधरी, रमेश झा, अब्दुल समी नादवी, टी० मोचीराय मुंडा और घनश्याम सिंह।

राज्यमंत्री : डा० प्रभुनाथ सिंह, रघुनाथ झा, शमायेला नबी, सदानंद सिंह, राजो सिंह, मदन प्रसाद सिंह, शंकर प्रताप देव, श्रीमती उमा पांडे, श्रीमती प्रभावती गुप्ता, मोईदुर रहमान, रामदेव राय, दिलकेश्वर राम, प्रेम नारायण गड़वाल, और एल० टीरू।

विधान परिषद

सभापति : पृथ्वी चंद किस्कू

विधान सभा

अध्यक्ष : राधानंदन झा

उपाध्यक्ष : गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश : एस० सरवर अली (कार्यवाहक)

न्यायाधीश : बी० पी० झा, एच० एन० अग्रवाल, एल० एम० शर्मा, एस० के० झा, एन० पी० सिंह, एस० के० चौधरी, उदय सिन्हा, एम० अली अहमद, बी० पी० सिन्हा, वृषकेतु सरन सिन्हा, पी० एस० सहाय, सैयद एस० हसन, सत्येश्वर राय, यू० सी० शर्मा, एम० पी० वर्मा, विनोदानंद सिंह, आर० सी० सिन्हा, नजीर अहमद और यदुनाथ सरन सिंह।

मध्य प्रदेश

क्षेत्रफल : 4,42,841 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 5,21,38,467
राजधानी : भोपाल	मुख्य भाषा : हिन्दी

कृषि

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। लगभग 83 प्रतिशत जनसंख्या गावों में रहती है। कुल भूमि के 42 प्रतिशत क्षेत्र पर खेती होती है तथा जिसमे से केवल 12.3 प्रतिशत भाग पर सिंचाई सुविधा है। मालवा क्षेत्र में काली कपास मिट्टी भरपूर है। निचले ग्वालियर, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड तथा छत्तीस गढ़ मैदानो की मिट्टी हल्की है जबकि नर्मदा घाटी गहरी, उर्वर उपजाऊ भूमि है। यहां की मुख्य खाद्य फसल ज्वार, गेहूं और चावल है। वाणिज्य फसलों में तिलहन, कपास व गन्ना है। मुख्य फसलों का 1978-79 में उत्पादन :—खाद्यान्न;–116.41 लाख टन गन्ना–1.79 लाख टन कपास (गांठें)–2.97 लाख, तिलहन—5.54 लाख टन। राज्य में अब सोयाबीन की पैदावार भी शुरू हो गई है और 1980-81 में 4.2 लाख टन सोयाबीन की फसल का अनुमान है।

राज्य के कुल क्षेत्र के 30 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं। इनमें अधिकांशतः साल, बबूल, सलाइ, धावड़ा, तेन्दू, महुआ, सागौन, अंजन और हुरा के पेड़ हैं। उत्तम किस्म के सागौन वृक्ष भी यहां मिलते हैं।

उद्योग

दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी मध्य प्रदेश खनिज सम्पदा की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। यहां कोयला, खनिज लोहा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, तांबा, फास्फोराइट, फेलस्पार, एस्बेस्टस, हीरे और मैंगनीज के मुख्य भण्डार हैं।

राज्य में विभिन्न भागों में स्थापित बड़े उद्योगों में हैं : भिलाई इस्पात संयंत्र, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल; एल्यूमिनियम कारखाना, कोरबा; सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद; करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, देवास; अखबारी कागज की मिल, नेपानगर; ओरियेंट पेपर मिल, अमलाई; अलकोलाइड फैक्टरी, नीमच; किमोर, जमुल, बामोरा, सतना, दीवा नीमच, अकलतरा और मन्धार में सीमेंट कारखाने; सतना में केबल फैक्टरी, इन्दौर में बेकरी एकक; देवास में चमड़े की वस्तुओं का कारखाना; कोरबा में विस्फोटक पदार्थों का कारखाना; बस्तर में कागज और गूदा फैक्टरी तथा जबलपुर में वाहन कारखाना, आयुध कारखाना, गन कैरिज कारखाना और डाक-तार कर्मशाला हैं। इस समय राज्य में 23 कपड़ा मिलें हैं, जिनमें से सात का राष्ट्रीयकरण हो गया है। भारी तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों की संख्या 198 है और लघु उद्योगों की संख्या 77,361 है। दूसरे उद्योग हैं—मिट्टी के बर्तन, चीनी मिलें, गत्ते की मिलें, रिफैक्टरी, वस्त्रोद्योग की मशीनें, इस्पात की ढलाई और बिलाई, औद्योगिक गैस, सिन्थेटिक और औषधि, बिस्कुट, इंजीनियरी उपकरण, लघु इस्पात संयंत्र, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवाएं, साल्वेंट निष्कर्षण संयंत्र, रेयन और कृत्रिम रेशम;

ड्राई बैटरियां, गियरी, इलेक्टरोड्स और बिजली का सामान। 45 में से 39 जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की श्रेणी में आते ह। राज्य अपने परम्परागत ग्रामीण तथा घरेलु उद्योग जैसे हथकरघा जो चंदेर तथा महेश्वर में विकसित हुआ, के लिए प्रसिद्ध है।

सिंचाई और बिजली

मध्यप्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं—तवा, महानदी जलाशय, बार्गी, नर्मदासागर, बाणसागर, हसदेव बंगो, ऊपरी बेनगंगा और सिंध पर मादीखेड़ा। अन्य परियोजनाएं जो अभी-अभी पूरी हुई हैं वे हैं—चम्बल, हसदेव आर०बी०सी०, बर्ना, रविशंकर सागर, पैरी और सिंघ डाईवर्शन। इनकी कुल सिंचाई क्षमता 5 लाख हेक्टेयर है। मध्यम और लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत 76 मध्यम और 2,078 लघु परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 9.91 लाख हेक्टेयर है। जन-जातीय क्षेत्रों के लिए एक विशेष सिंचाई विकास कार्यक्रम चल रहा है। जिन परियोजनाओं का ऊपर उल्लेख हुआ है उनमें से 19 मध्यम और 816 लघु सिंचाई परियोजनाएं जन-जाति/अर्ध-मैदानी क्षेत्र में हैं।

मध्य प्रदेश में जलविद्युत उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। राज्य की कुल विद्युत उत्पादन 1300.5 मेगावाट में से 193 मेगावाट जल विद्युत है। ताप विद्युत गृह कोरबा, अमरकटंक, और सतपुड़ा में है तथा नए केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। एकमात्र जल विद्युत पावा स्टेशन गाधीसागर मे है। मंदसौर में एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। 165 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में विस्तृत है।

जनवरी 1981 के अन्त तक, कुल 34.2 प्रतिशत गावों का, जिसमे राज्य की 54 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या रहती है, विद्युतिकरण कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र

ग्वालियर, खुजराहो, सांची, मांडू, पन्चमढी, उज्जैन, अमरकंटक, संगमरमर चट्टानें जबलपुर, कान्हा, शिवपुरी और बंधवगढ़ के राष्ट्रीय वन्य जीव पार्क।

सरकार

राज्यपाल : भगवत दयाल शर्मा

मंत्री परिषद

मुख्यमंत्री : अर्जुन सिंह
उप-मुख्यमंत्री : शिव भानु सोलंकी

मंत्री : कुमारी विमला वर्मा, कृष्ण पाल सिंह, झुमुकलाल भेदिया, डा० तुमन लाल, मुनि प्रसाद शुक्ल, दिग्विजय सिंह, भवर सिंह पोर्ते, मनकूराम सोढ़ी, हाजी हनायत मोहम्मद, तारा सिंह वियोगी, के० एल० शर्मा, चन्द्र प्रभास शेखर, रेवा नाथ चौरे, बी० आर० यादव, बंसीलाल गृतलहरे, अजय नारायण मुशरां, डा० राजेन्द्र कुमार जैन, तेजपाल तेम्भरे और श्रीमती देविन्द्र कुमारी।

राज्य मंत्री : नत्थू राम अहीरवार, भवानीलाल वर्मा, दुर्गादास सूर्यवंशी, मोतीलाल वोरा, श्रीमती कमलादेवी, विजय गुरू, बोलेन्दु शुक्ल, विजय कुमार पटनी; विट्ठलभाई पटेल, तन्वंत सिंह कीर, सत्यनारायण अग्रवाल और कु० गंगा पोटई।

राज्य तथा संघीय क्षेत्र

1	2	3	4
18. पन्ना	7122	539864	पन्ना
19. बस्तर	39060	1840449	जगदलपुर
20. बालाघाट	9245	1147719	बालाघाट
21. बिलासपुर	19905	2952282	बिलासपुर
22. बैतूल	10061	924215	बैतूल
23. भिण्ड	4467	969988	भिण्ड
24. भोपाल	2763	895815	भोपाल
25. मंडला	13257	1036134	मंडला
26. मन्दसौर	9726	1262296	मन्दसौर
27. मुरैना	11586	1301254	मुरैना
28. रतलाम	4859	783384	रतलाम
29. राजगढ़	6163	801554	राजगढ़
30. राजनन्दगांव	11003	1166408	राजनन्दगांव
31. रायगढ़	12910	1442041	रायगढ़
32. रायपुर	21,251	3077728	रायपुर
33. रायसेन	8396	768973	रायसेन
34. रीवा	6315	1203173	रीवा
35. विदिशा	7433	783349	विदिशा
36. शहडोल	14025	1343917	शहडोल
37. शाजापुर	6201	840093	शाजापुर
38. शिवपुरी	10285	865548	शिवपुरी
39. सतना	7495	1152209	सतना
40. सरगुजा	22337	1631075	अम्बिकापुर
41. सागर	10245	1321163	सागर
42. सीधी	10532	988927	सीधी
43. सिवनी	8752	809502	सिवनी
	9015	656982	सीहोर
	10016	10,03,291	होशंगाबाद

उच्च न्यायालय : मुख्य न्यायाधीश: गुरु प्रसन्ना सिंह

न्यायाधीश : जी०एल० श्रोझा, के०के० दुबे, एन०सी० द्विवेदी, जे०एस० वर्मा, एम० एल० मलिक, यू०एन० वछावट, सी०पी०सैन, एस० एस० शर्मा, वी० सी० वर्मा, एस० के० सेठ, फयाज्जुद्दीन, एस०डी० भट्ट, जी०एस० सोहानी, पी० डी० मुले, एच० जी० मिश्रा, सी० पी० सिंह, श्रार०के० विजयवर्गीय, के० एन० शुक्ल, श्रार० एल० मुराव, ए० श्रार० नवकर तथा श्रार० सी० श्रीवास्तव ।

लोक सेवा श्रायोग

अध्यक्ष: एन० सुन्दरम

सदस्य : भरतचन्द्र काबरा, वी० एस० केशर, वी०पी०एस० चौहान, श्रीमती राजईया सूलतान अलीम और डा० एस० एम० मिश्र ।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. इन्दौर	3910	1405904	इन्दौर
2. उज्जैन	6081	1162700	उज्जैन
3. पूर्व निमाड़	10705	1154830	खण्डवा
4. पश्चिम निमाड़	13441	1630682	खरगौन
5. गुना	11017	997025	गुना
6. ग्वालियर	5213	1111145	ग्वालियर
7. छतरपुर	8690	885843	छतरपुर
8. छिन्दवाड़ा	11824	1232754	छिन्दवाड़ा
9. जबलपुर	10164	2192934	जबलपुर
10. झाबुश्रा	6781	795834	झाबुश्रा
11. टीकमगढ़	5047	736512	टीकमगढ़
12. दतिया	2034	31,1640	दतिया
13. दमोह	7301	72,1107	दमोह
14. दुर्ग	19670	1889923	दुर्ग
15. देवास	7014	794446	देवास
16. धार	8149	1055826	धार
17. नरसिंहपुर	5138	649701	नरसिंहपुर

1	2	3	4
18. पन्ना	7122	539864	पन्ना
19. बस्तर	39060	1840449	जगदलपुर
20. बालाघाट	9245	1147719	बालाघाट
21. बिलासपुर	19905	2952282	बिलासपुर
22. बैतूल	10061	924215	बैतूल
23. भिण्ड	4467	969988	भिण्ड
24 भोपाल	2763	895815	भोपाल
25. मंडला	13257	1036134	मंडला
26. मन्दसौर	9726	1262296	मन्दसौर
27. मुरैना	11586	1301254	मुरैना
28. रतलाम	4859	783384	रतलाम
29. राजगढ़	6163	801554	राजगढ़
30. राजनन्दगांव	11003	1166408	राजनन्दगांव
31. रायगढ	12910	1442041	रायगढ
32. रायपुर	21,251	3077728	रायपुर
33. रायसेन	8396	768973	रायसेन
34. रीवा	6315	1203173	रीवा
35. विदिशा	7433	783349	विदिशा
36 शहडोल	14025	1343917	शहडोल
37. शाजापुर	6201	840093	शाजापुर
38. शिवपुरी	10285	865548	शिवपुरी
39. सतना	7495	1152209	सतना
40. सरगुजा	22337	1631075	अम्बिकापुर
41. सागर	10245	1321163	सागर
42. सीधी	10532	988927	सीधी
43. सिवनी	8752	809502	सिवनी
44. सीहोर	9015	656982	सीहोर
45. होशंगाबाद	10016	10,03,291	होशंगाबाद

महाराष्ट्र

क्षेत्रफल : 3,07,762 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 62,715,300
राजधानी : बम्बई	मुख्य भाषा : मराठी

कृषि

महाराष्ट्र के लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। राज्य के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 12.2 प्रतिशत भाग में सिंचाई की व्यवस्था है। प्रमुख खाद्य फसलें हैं—गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा और दालें। 1979-80 में खाद्यान्न का उत्पादन 103.62 लाख टन था। महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं—कपास, गन्ना, मूंगफली और तम्बाकू। 1979-80 में गन्ने (गुड़) का 21.57 लाख टन, कपास का 17.30 लाख गांठें, मूंगफली का 5.38 लाख टन और तम्बाकू का 0.07 लाख टन उत्पादन हुआ। कुल क्षेत्र के 20.1 प्रतिशत भाग में वन हैं।

उद्योग

महाराष्ट्र में खनिज लौह, कोयला, मैंगनीज, बाक्साइट और चूना-पत्थर के बड़े-बड़े भण्डार हैं। विदर्भ क्षेत्र में खनिज मैंगनीज से राज्य का लौह-मैंगनीज उद्योग विकसित हुआ है। चन्द्रपुर में इलेक्ट्रो-स्मेल्टिंग कारखाना स्थापित किया गया है।

बड़े उद्योगों में वस्त्रोद्योग, कपास की ओटाई और रुई कताई, रेशम, रेयन, संश्लिष्ट कपड़ा और वनस्पति उत्पादन शामिल हैं। नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, रोहा, तारापुर और अहमदनगर नए औद्योगिक केन्द्र हैं। अधिकतर कपड़ा मिलें बम्बई में हैं। महाराष्ट्र एक प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य भी है। महत्वपूर्ण रासायनिक उद्योगों में नाइट्रोजन उर्वरक, सुपर फासफेट, पेट्रो रसायन औषध और भेषज सामग्री, फोटोग्राफिक रसायन आदि शामिल हैं। बम्बई हाई तथा बसीन उत्तर में तेल-क्षेत्र मिलने और अलीबाग के पास थल-वैशेट में नया उर्वरक कारखाना बन जाने से, राज्य में पेट्रो-रसायन उद्योग ने और तरक्की की है। विदर्भ और रत्नागिरि में खनिजों के विकास तथा गहरे समुद्र में मछली मारने के कार्यक्रम के शुरू हो जाने से राज्य के तटवर्ती क्षेत्र के समुद्र-उत्पाद उद्योगों तथा मछली संरक्षण उद्योग के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं।

अनेक प्रकार के इंजीनियरी सामान जैसे मशीनी उपकरण, इस्पात और धातुवर्ध्य लोहे की ढलाई का सामान, वैल्डिंग, इलेक्ट्रोड, बाल बियरिंग और कृषि उपकरण घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए तैयार किए जाते हैं। महाराष्ट्र में चलचित्र उद्योग, राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र का अग्रणी स्थान है। सान्ताक्रुज इलेक्ट्रोनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ने काम करना शुरू कर दिया है। यह बम्बई के हवाई अड्डे के पास मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यहां बने समूचे सामान का निर्यात किया जाता है। रत्नागिरि में 2 करोड़ की लागत से एक औद्योगिक टाइल्स बनाने की परियोजना बनाई जा रही है। राज्य में रक्षा और सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्योग स्थापित किए गए हैं।

सिंचाई और बिजली

1947 से 9 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं—जोर, घोड़, गिरना, पूर्णा, पुस, वाग, इटियाडोह, काल और तुलशी पूरी हो चुकी हैं। मुला, अपर गोदावरी और जयकवाड़ी प्रथम चरण परियोजनाओं से व्यापक स्तर पर सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई है। आशा है ये परियोजनाएं छठी योजना की अवधि में पूरी हो जाएंगी। इनके अतिरिक्त 8 और बड़ी परियोजनाओं की क्षमता आंशिक रूप से बढ़ाई गई है। ये परियोजनाएं हैं : कुकादी, भीमा, खड़कवासला, कृष्णा, मंजीरा, जयकवाड़ी द्वितीय चरण, पेंच और सूर्या। 29 वर्ष के आयोजनकाल में 90 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। 8 मध्यम परियोजनाओं पर और अधिक आंशिक क्षमता पैदा की गई है।

प्रमुख पन, ताप और परमाणु बिजली परियोजनाएं हैं :—कोयना, तारापुर, टाटा पनबिजली, नासिक, कोराड़ी, भुसावल, पारस, खापरखेड़ा। इनकी कुल संस्थापित क्षमता 3,316 मेगावाट है। महाराष्ट्र में 1951 में केवल 38 गांवों में बिजली थी। 31 जनवरी, 1981 तक इनकी संख्या बढ़कर 27,180 हो गई। इस अवधि में 1951 के 142 बिजली के पम्पों की तुलना में, 6,52,886 कृषि पम्प हो गए।

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र

अजन्ता, एलोरा, एलिफेन्टा, कन्हेरी, कारला यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र तथा महाबलेश्वर, मथेरन और पंचगनी पर्वतीय स्थल हैं। पंढरपुर, नासिक, शिरडी, अनुधानाग नाथ, नांदेड़ और गणपति पुल सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं।

सरकार

राज्यपाल : आई० एच० लतीफ

मंत्रिपरिषद

मुख्यमंत्री : बाबासाहिब अनन्तराव भोसले

केबिनट मंत्री : प्रो० बसीर शेख मोहम्मद इस्मैल, रामराव वमनराय अदिक, बाबूराव जंगलोजी घले, प्रो० नरेन्द्र मकतराव कम्बले, भगवंत माणिकरावगायकवाड़, शांताराम गोपाल घोलप, नरेन्द्र महीपति टिडके, सुरुप सिंह हिरय नायक, श्रीमती प्रतिभा देवसिंह पाटिल, श्रीमती शरद चन्द्रिका सुरेश पाटिल, श्रीमती शालिनी ताई वसन्तराव पाटिल, शिवाजी राव बाऊराव पाटिल (निलंगेकर), डा० वैद्यनाथन सुब्रह्मण्यम और डा० बालीराम वामन हिरे।

राज्यमंत्री : श्रीमती कमलाबाई छगनलाल अजमेरा, मधुकर घनश्यामराव किमतकर खान मोहम्मद अजर हुसैन, डा० श्रीकांत रामचन्द्र जिकर, केवलचन्द कन्हैयालाल जैन, अनन्तराव नारायण थिटे, टी० जी० देशमुख, विलासराव डी० देशमुख, सीताराम नारायण देसाई, बनवारीलाल भगवानदासजी पुरोहित, माणिकराव केशवराव सबले और रवीन्द्र नारायण राव

विधान परिषद

सभापति : जयन्तराव तिलक

उपसभापति : ए० जी० पवार

विधान सभा — अध्यक्ष : शरद दिघे
उपाध्यक्ष : एस० सी० जगताप

उच्च न्यायालय — मुख्य न्यायाधीश : डी० पी० मदोन
न्यायाधीश : मधुकर नरहर चन्दूरकर, एम० एच० कानिया, एस० के० देसाई, भास्कर अन्नाजी मासोदकर, चन्द्रशेखर शंकर धर्माधिकारी, प्रकाश शिवलाल शाह, देवीदत्त मंगेश रेगे, रघुनन्दन लाल अग्रवाल, दलनावर लेन्तिन, परशुराम बी० सावंत, भालचन्द्र चिन्तामणि गाडगिल, अब्बासअली असगरअली जिनवाला, राघवेन्द्र अनन्ताचार्य जहांगीरधर, एस० सी० प्रताप, एम० पी० कानाडे, एस० पी० भरूचा, आर० डी० तुलपुले, बी० बी० जोशी, सुजाता मनोहर, एम० एल० पेंडसे, एस० पी० कुर्डूकर, डी० एन० मेहता, बी० एस० कोतवाल, एम० एस० जामदार, एम० आर० धाइकर, शरद मनोहर, डी० पी० देशपांडे, आर० एस० पाध्ये, बी० ए० मोहता, बी० जे० रेले, एन० के० पारेख, एस० डब्ल्यू० पुराणिक, एस०जे० देशपांडे और एम०एन० काजी ।

लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष : डा० के० जी० देशमुख
संदस्य : बी० ए० अन्सारी, एम० जी० गवई, पी० जी० पाटिल और डा० एम० बी० सूर्यवंशी ।
मुख्य सचिव : आर० डी० प्रधान ।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (1981 की जनगणना)	मुख्यालय
1	2	3	4
1. अकोला	10567	1825027	अकोला
2. अमरावती	12210	1858120	अमरावती
3. अहमदनगर	17035	2711216	अहमदनगर
4. उस्मानाबाद	14117	2227836	उस्मानाबाद
5. औरंगाबाद	16200	2440510	औरंगाबाद
6. रायगढ़ (कोलाबा)	7198	1483459	अलीबाग
7. कोल्हापुर	8059	2499437	कोल्हापुर
8. वृहत्तर बम्बई	603	8227332	बम्बई
9. चन्द्रपुर	25641	2054286	चन्द्रपुर
10. जलगांव	11771	2618884	जलगाव
11. ठाणे	9553	3339965	ठाणे
12. धुले	13143	2051461	धुले

जिलों का क्षेत्रफल जनसंख्या और मुख्यालय

1	2	3	4
13. नादेड़	10492	1747598	नांदेड
14. नागपुर	9928	2582281	नागपुर
15. नासिक	15582	2985503	नासिक
16. परभणी	12489	1826472	परभणी
17. पुणे	15640	4162284	पुणे
18. बीड़	11227	1484424	बीड
19. बुलढाणा	9745	1506956	बुलढाणा
20. भण्डारा	9214	1836234	भण्डारा
21. यवतमाल	13925	1735377	यवतमाल
22. रत्नागिरी	13040	2109134	रत्नागिरी
23. वर्धा	6307	926737	वर्धा
24. शोलापुर	15021	2607172	शोलापुर
25. सतारा	10492	2041409	सतारा
26. सांगली	8563	1826186	सांगली

मणिपुर

क्षेत्रफल : 22,356 वर्ग किलोमीटर — जनसंख्या : 14,33,691
राजधानी : इम्फाल — मुख्य भाषा : मणिपुरी

कृषि

मणिपुर के 66 प्रतिशत लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। राज्य का करीब 92 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी है तथा वनों से घिरा है। बेहतर किस्म की लकड़ी वाले वृक्ष लगाकर, रक्षित वन क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। बांस प्रचुर मात्रा में मिलता है। जीरी तथा बड़क नदी जल-निकासी क्षेत्र में ही अनुमानतः 2,585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बांस वृक्षों से घिरा है जिस से 3 लाख टन बांस हर वर्ष मिलता है। धान यहां की मुख्य फसल है। कुछ क्षेत्रों में गेहूं और मक्का की भी खेती होती है। दोहरी फसल बोना तथा परिष्कृत उर्वरकों का उपयोग जनप्रिय होता जा रहा है। वर्तमान में 2,10,000 हैक्टेयर भूमि पर खेती होती है। बाग भी लगाए जा रहे हैं।

उद्योग

राज्य में बड़े पैमाने का कोई उद्योग नहीं है। हथकरघा बुनाई सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। अन्य कुटीर उद्योग हैं—रेशम, बांस और बेंत की वस्तुएं, लुहारगीरी, बढ़ईगीरी, चमड़े की वस्तुएं, खाद्य तेल पेराई, चावल कुटाई तथा गुड़ और खंडसारी।

छोटे उद्योगों के विकास को तेज करने के लिए एक औद्योगिक सलाहकार बोर्ड बनाया गया है तथा मणिपुर को असम वित्त निगम के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है। इम्फाल के निकट टकयेलपट में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित की जा रही है।

सिंचाई और बिजली

मानसून में पानी के समुचित वितरण के लिए तेज बहने वाले धम्मों पर बांध बनाकर मुख्यत छोटे सिंचाई कार्यों से सिंचाई की जाती है। परन्तु यहां पर 7 परियोजनाएं सिंचाई के बड़े व मध्यम कार्यक्रम में हैं।

राज्य में लोकटाक ही एकमात्र मुख्य विद्युत परियोजना है। विभिन्न पन और ताप बिजली केन्द्रों की 1976-77 तक कुल संस्थापित क्षमता 10,338 किलोवाट थी। परन्तु 1981-82 में यह बढ़कर 14,837 किलोवाट हो गई है। 1951 से पहले मणिपुर में केवल 9 गांवों में बिजली थी जबकि 1978-79 तक यह संख्या बढ़कर 274 हो गई।

सरकार

राज्यपाल : एस० एम० एच० बर्नी

मंत्रिपरिषद

मुख्य मंत्री : रिशांग केईशिंग

उप-मुख्यमंत्री : आई टोमपोक सिंह

केबिनेट मंत्री : न्गांदितिथोर, सोशो लोरहो, था चाओबा सिंह, के० राधाविनोद सिंह, था देवेन्द्र सिंह हलालुद्दीन खान, होलखामंज हाओकिप, था कृष्णा सिंह वाई इराबोट सिंह, आई डी० दिजोनांग और मोहम्मुद महामुद्दीन शाह।

राज्यमंत्री : चौ० राजमोहन सिंह, होलखोलत खोंगसई, एच० लोंखोन सिंह, के० वेल्गजलियन, एच० कामजलियन, एच० कंगजाम्बा सिंह और फो सागर सिंह।

विधान सभा

अध्यक्ष : वाई० यैमा सिंह

उपाध्यक्ष : डब्ल्यू० अंगऊ सिंह

उच्च न्यायालय

मणिपुर, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायाधीशों के नाम 'असम' के अन्तर्गत देखें।

लोक सेवा आयोग

अध्यक्ष : एम० मेघचन्द्र सिंह
सदस्य : एल० सोलोमन और एच० भगोन सिंह
मुख्य सचिव : डी० एन० बरुआ

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	
1. मणिपुर उत्तर	3,417	1,54,179	सेनापति
2. मणिपुर दक्षिण	4,581	133,965	चूड़ाचांदपुर
3. मणिपुर पूर्व	4,409	82,969	उखरुल
4. मणिपुर पश्चिम	4,344	62,233	तामेंगलोंग
5. मणिपुर मध्य	2,230	9,22,681	इम्फाल
6. तेंगनौपाल	3,375	55,348	चंदेल

मेघालय

क्षेत्रफल : 22,489 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 13,27,874
राजधानी : शिलांग	मुख्य भाषाएं: खासी, जैंतिया और गारो

कृषि

मेघालय के 80 प्रतिशत से अधिक लोग खेती करते हैं। काश्त क्षेत्र के लगभग 22.35 प्रतिशत में सिंचाई की व्यवस्था है। मुख्य फसलें हैं—आलू, तेजपात, गन्ना, तिलहन, कपास, पटसन, मेस्ता और सुपारी। चुने हुए क्षेत्र अधिक पैदावार वाले धान, गेहूं और मक्का के लिए रखे गए हैं। खासी और जैन्तिया के पहाड़ी जिलों में फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं और बागवानी विकास के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। खाद्यान्नों का वार्षिक उत्पादन 1,41,000 टन है। नकदी फसलों की वार्षिक उपज इस प्रकार होने का अनुमान है: पटसन 40 हजार गांठें, आलू 1,35,000 टन और टपियोका 13,000 हजार टन। राज्य में बागवानी की भी अच्छी प्रगति हो रही है। प्रतिवर्ष लगभग 37 हजार टन अनन्नास, 31 हजार टन संतरे और 41 हजार टन केला पैदा होता है।

वन और वन उत्पाद राज्य के मुख्य साधन हैं। औद्योगिक और व्यापारिक उपयोग के पौधे बड़े पैमाने पर रोपे जा रहे हैं।

खासी, गारो और जैन्तिया पहाड़ी जिलों की खनिज सम्पदा में कोयला, सिलीमेनाइट, डोलामाइट, अग्निसह मिट्टी, चूना-पत्थर, सफेद मिट्टी, चिकनी मिट्टी और कांच रेत शामिल हैं। देश के कुल सिलीमेनाइट उत्पादन का 95 प्रतिशत खासी पहाड़ी जिले में होता है। गारो पहाड़ी जिले में कोयला, चूना-पत्थर, अग्निसह मिट्टी और हलके रंग के रेतीले पत्थरों के भण्डार हैं। राज्य में लगभग 12,000 लाख टन कोयला और 21,000 लाख टन चूने के पत्थर के भण्डार होने का अनुमान है।

चेरापूंजी के सीमेंट कारखाने में प्रतिदिन 300 टन शिष्ट राख और 310 टन सीमेंट का उत्पादन होता है। कारखाने की शिष्ट राख क्षमता 590 टन की है। गारो पहाड़ियों में स्थित दाखगिड़ी नामक स्थान पर एक इमारती लकड़ी साफ करने का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कई खनिज आधारित उद्योगों का विकास हो रहा है। एक प्लाईवुड का तथा एक शराब का कारखाना पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

इस समय चार पनबिजली परियोजनाएं हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 126.2 मेगावाट है। इसके अलावा यहां पर शिलांग में 1.[illegible] मेगावाट क्षमता वाला एक लघु पनबिजली केन्द्र है। मार्च 1982 तक राज्य के 868 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है।

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र चेरापूंजी, नोहसंगिथियांग प्रपात 'मवस्मई गांव के निकट जकरेम का गर्म चश्मा, रानिकोर में मछली पकड़ने का स्थान गारो की पहाड़ियों में सिजु गुफाएं और उमइम झील यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में से हैं।

1981-82 के लिए राज्य की वार्षिक योजना 46.55 करोड़ रुपये की है।

सरकार राज्यपाल : प्रकाश मेहरोत्रा

मंत्रिपरिषद[1] मुख्यमंत्री : विलियमसन ए० संगम

उप मुख्यमंत्री : एस० डी० खोंगवीर

केबिनेट मंत्री : महम सिंह, हफो हडेम, सलसेंग माराक, डा० बी० पाकेम, पी० जी० मर्बेनिअंग, फुलर लिंगडो, मॉवनेई डी० डी० लपंग, एम० रेडसन मोमिन, ई० इवफनिअव, जी० मईलीम्पप, ए० एम० संगमा उपस्तार खारबुली।

राज्य मंत्री : एच० बी० डेन, पी० संगमा और बी० जी० मोमिन।

विधान सभा अध्यक्ष : विस्टन साइमींग
उपाध्यक्ष : श्रीमती एम० एड० शिरा

उच्च न्यायालय मेघालय गौहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायाधीशों की सूची के लिए देखें 'असम'।

लोक सेवा आयोग अध्यक्ष : एच सीमलीह

सदस्य : श्रीमती एफ० मरक, प्रो० लालू और श्रीमती आर० वेयेंगु खारबुली

मुख्य सचिव : जे०सी० नामपुई

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. पूर्वी खासी पहाड़ियां	5,196	5,08,429	शिलांग
2. पश्चिमी खासी पहाड़ियां	5,247	1,60,150	नोंगस्तोइन
3. पूर्वी गारो पहाड़ियां	2,603	1,35,864	विलियम नगर
4. पश्चिमी गारो पहाड़ियां	5,564	3,69,139	तारा
5. जैन्तिया पहाड़ियां	3,819	1,54,292	जोवल

नोट : जिलों के कुल क्षेत्रफल के आंकड़े राज्य सरकार के आंकड़ों से मेल नहीं खाएंगे क्योंकि यह विवरण भूमि रिकार्ड निदेशालय से लिया गया है और केवल प्रयोग में आई भूमि के बारे में है।

राजस्थान

क्षेत्रफल : 3,42,239 वर्ग कि० मी०
राजधानी : जयपुर

कृषि

1979-80 में राजस्थान में 40.84 लाख हैक्टेयर भू... तथा 142.07 लाख हैक्टेयर भूमि कृषिगत थी। कृषि... आधारित है। मुख्य फसलें, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, गेहूं, तिलहन, कपास, गन्ना व तम्बाकू हैं। 1979-80 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 52.10 लाख टन रहा जिसमें से बाजरा व दालें, 11.59 लाख टन तिलहन 2.68 लाख टन, कपास 4.79 लाख गांठें। (प्रत्येक गांठ में 170 कि० ग्रा० था) गेहूं 26.96 लाख टन थे।

1979-80 तक राज्य का 30,498 वर्ग कि० मी० क्षेत्रफल (अनुमानित) वनों के अन्तर्गत था।

उद्योग

राजस्थान में सीसे तथा जस्ता खनिज एमरेल्ड तथा गार्नेट का उत्पादन देश का कुल उत्पादन है। इसी तरह भारत के जिप्सम का 92 प्रतिशत, चांदी खनिज का 90 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एस्बेस्टस, और फल स्पर तथा 20 प्रतिशत अबरक राजस्थान में ही मिलता है। सांभर तथा अन्य स्थानों पर नमक के विशाल भंडार हैं। दरीबा तथा खेतड़ी में तांबे की खानें हैं।

महत्वपूर्ण उद्योगों में सूती वस्त्र, रस तथा ऊनी माल, चीनी, सीमेंट, शीशा, सोडियम उत्पाद संयंत्र, आक्सीजन तथा असिटलिन इकाईयां, विभिन्न कीट नाशकों व डाई का उत्पादन मुख्य है। अन्य उद्योगों में कास्टिक सोडा, कैल्शियम कार्बाइड नायलोन तथा टायर धागे ओर ताम्बा है। समेल्टिंग शामिल राज्य में मुख्य केन्द्रीय सरकार के उद्यमों में प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेन्टेशन फैक्टरी कोटा में स्थापित है। दिसम्बर, 1980 तक फैक्टरी एक्ट 1948 के अंतर्गत 6,251 फैक्टरियां थी।

हस्तशिल्प में संगमरमर की वस्तुएं, ऊनी गलीचे, आभूषण, कसीदाकारी, चमड़े का सामान, बर्तनों व तांबे पर पच्चीकारी मुख्य है।

सिंचाई व विद्युत

1947 से जो मुख्य सिंचाई योजनाएं लागू की गई उन में कोटा बेराज और राणा प्रताप सागर (दोनों मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त उद्यम हैं) के पूरा होने पर राजस्थान-नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर होगी। प्रयास किए जा रहे हैं कि यह नहर 1985-86 तक पूरी हो जाए। मरुस्थल जिलों में यह 12.6 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगी। विभिन्न छोटी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त राज्य को भाखड़ा नंगल योजना, गांधी सागर बांध तथा व्यास परियोजनाओं से भी लाभ होता है। माही परियोजना निर्माणाधीन है। 1979-80 के दौरान राजस्थान में 40.84 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत आ चुका था। राजस्थान में कुल वर्तमान स्थापित विद्युत क्षमता 1328.50 मेगावाट है। परमाणु शक्ति परियोजना ने उत्पादन शुरू कर दिया है। 1951 में राजस्थान में केवल 43 नगरों-गांवों में

बिजली थी जबकि नवम्बर, 1981 तक यह संख्या बढ़कर 15,109 हो गई। सिचाई के लिए 2,07,992 नलकूपों को बिजली दी गई है।

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र मुख्य पर्यटन केन्द्र ये हैं :—जयपुर, आम्बेर, सांगानेर, समोद, पुष्कर, उदयपुर, एक लिंग जी ऋषभदेव, जयसमंद, अलवर, सरिसका, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, मांउट आबू तथा बूंदी।

सरकार

राज्यपाल : ओ० पी० मेहरा

मुख्यमंत्री : शिवचरण माथुर

कैबिनेट मंत्री : परसराम मदेरना, चंदनमल बैद, ब्रज सुन्दर शर्मा, श्रीमती कमला बेनीवाल हनुमान प्रसाद प्रभाकर, दुलह राम, हीरा लाल देवपुरा, अहमद बक्श सिंधी और खेत सिंह राठौर

राज्य मंत्री : जयकिशन शर्मा, नरेन्द्र सिंह भाटी, प्रद्युम्न सिंह, शीशराम ओला, श्रीराम गोटावाला, दिनेश राय डांगी, पारसराम यादव, रामपाल मेतराम मीना तथा गोविन्द सिंह गुजर, रामकिशन वर्मा, देवेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र व्यास और बुलाकी दास काला।

विधान सभा अध्यक्ष : पूनम चन्द विश्नोई

उपाध्यक्ष :

उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश : के० डी० शर्मा

न्यायाधीश : डी० पी० गुप्ता, एम० एल० श्रीमाल, पी० डी० कुदाल, गुमान मल लोढा, कृष्ण मल लोढा, नरेन्द्र मोहन काशलीवाल, मिलाप चन्द जैन, सुरेश चन्द अग्रवाल तथा डा० के० एस० सिद्दू।

लोक सेवा आयोग अध्यक्ष : हरि दत्त गुप्ता

सदस्य : डी० डी० चौहान, और एस० अदियप्पा,

मुख्य सचिव : एम० एम० के० वाली

क्षेत्रफल, जनसंख्या और जिलों के मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि० मी०	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. अजमेर	8,481	14,31,609	अजमेर
2. अलवर	8,380	17,59,057	अलवर
3. बांसवाड़ा	5,037	8,85,701[1]	बांसवाड़ा
4. बाड़मेर	28,387	11,13,823	बाड़मेर
5. भरतपुर	5,150	12,95,890	भरतपुर
6. भीलवाड़ा	10,455	13,08,500	भीलवाड़ा

1. 1982 में संठित।

1		2	3	4
7. बीकानेर	:	27,244	8,40,059	बीकानेर
8. बूंदी	.	5,550	5,86.596	बूंदी
9. चित्तौड़गढ़	.	10,856	12,30,628	चित्तौड़गढ़
10. चुरू	.	16,830	11,76,170	चुरू
11. धौलपुर	.	2,950	5,83,176	धौलपुर
12. डूंगरपुर	.	3,770	6,80,865	डूंगरपुर
13. गंगानगर	.	20,634	20,14,471	गंगानगर
14. जयपुर	.	14,068	34,06,104	जयपुर
15. जैसलमेर	.	38,401	2,38,137	जैसलमेर
16. जैलोर	.	10,640	9,02,649	जैलोर
17. झालावाड़	.	6,219	7,84,982	झालावाड़
18 झुंझनूं	.	5,928	11,93,146	झुंझनूं
19. जोधपुर	.	22,850	16,50,933	जोधपुर
20. कोटा	.	12,436	15,46,937	कोटा
21. नागौर	.	17,718	16,24,351	नागौर
22. पाली	.	12,387	12,71,835	पाली
23. सवाई माधोपुर	.	10,527	15,32,652	सवाई माधोपुर
24. सीकर	.	7,732	13,73,066	सीकर
25. सिरोही	.	5,136	5,40,520	सिरोही
26. टौंक	.	7,194	7,83,796	टौंक
27. उदयपुर	.	17,279	2,35,639	उदयपुर

सिक्किम

क्षेत्रफल : 7,299 वर्ग कि० मी० — *जनसंख्या : 3,15,682*

राजधानी : गंगतोक — मुख्य भाषाएं: भूटिया, नेपाली, लेप्चा तथा अंग्रेजी

कृषि : राज्य की अर्थ-व्यवस्था कृषि प्रधान है। चावल, मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं तथा आलू यहां की मुख्य फसलें हैं—इलायची संतरा तथा सेब यहां की मुख्य नकद फसलें हैं।

राज्य में नौ क्षेत्रीय केन्द्र हैं जो प्रयोगात्मक अन्वेषक कार्य तथा प्रसार कार्यक्रमों की देखरेख करते हैं। यह केन्द्र ग्यालसिंहग हिल्ले, वरमिओक नजितम, पाकयोंग, मंगन, लाचुंग, मजिटार तथा नामची में अवस्थित हैं। राज्य की अनुसंधान प्रक्रिया में गति लाने के लिये ताडोंग गंगतोक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक केन्द्र है। सरकार ने अपने खर्चे पर एक कार्यक्रम के अधीन खेतों को आधुनिक बनाने की योजना शुरू की है।

पांगथांग में 20 हैक्टेयर क्षेत्र में इलायची बोर्ड का इलायची अनुसंधान केन्द्र है तथा इसकी पौध तैयार करने के बाग नाम्भ व मजीतर में हैं। इसी तरह लचेन, रिम्दी, वारे, ग्रौखरे, उत्तरे तथा फदाचेन में सेबों के बाग हैं। प्रयोग के रूप में काफी की खेती भी शुरू की गई है।

राज्य का लगभग एक तिहाई भाग वन है। साल के वृक्ष दक्षिणी भाग में अधिक हैं और उत्तरी भाग में कोनदार पेड़ अधिक हैं। चौड़े पत्ते वाले पेड़ अन्य क्षेत्रों में अधिक हैं। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए पांगथांग में एक फाम है।

उद्योग

राज्य में लघु व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा औद्योगिक विकास में गति लाने के उद्देश्य से एक बहुउद्देशीय राज्य स्तर औद्योगिक विकास निवेश निगम की स्थापना की गई। स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र रांगपो में कार्यरत है।

1960 में रांगपो में सिक्किम खनन निगम की स्थापना की गई थी। यह निगम तांम्बा, जस्ते व सीसे का उत्पादन करता है। भारतीय भू-सर्वेक्षण तथा निगम ने संयुक्त रूप से उच्च कोटि के मिश्रित खनिज का पता लगाया है। इसमें सोना, चांदी, तांबा तथा जस्ता मिश्रित रूप से उपलब्ध हैं। इसकी अनुमानित मात्रा 20 लाख टन है। दिक्चू में तांबे की खान पर अभी खोज काय जारी है।

गंगतोक में 1957 में इंस्टीच्यूट आफ काटेज इंडस्ट्रीज स्थापित किया गया था। स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिये स्थापित इस इंस्टीच्यूट की मूनथांग, लाचुंग तथा ग्यालशिंग में शाखाएं हैं। लकड़ी पर नक्काशी तथा गलीचे बुनना यहां के परम्परागत उद्योगों में से एक है। औद्योगीकरण प्रयासों की श्रृंखला में सिंगतम फल परिरक्षण फैक्टरी, रांगपो के निकट शराब का कारखाना और मजिटर के निकट चमड़ा तैयार करने का कारखाना, गंगतोक में सिक्किम ज्वैल्स तथा सिक्किम इलैक्ट्रोनिक्स की स्थापना और बोरडांग में लकड़ी पर नक्काशी केन्द्र के नाम गिनाए जा सकते हैं। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के सहयोग से गंगतोक में एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है जहां पुर्जे जोड़कर घड़ियां तैयार की जाएंगी।

ब्रिकेट्स, माचिसें, कपड़े धोने का साबुन व अल्यूमिनियम के उपाद बनाने के छोटे-छोटे कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं।

सिंचाई तथा विद्युत

सिक्किम में जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। मगन, रिम्बी, रोहतक तथा संग खोला में चार लघु जल विद्युत केन्द्र हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित लोअर लागयाप जलविद्युत परियोजना अभी हाल में ही शुरू की गई है। सरकार सिंचाई कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रही है।

सरकार

26 अप्रैल 1975 से सिक्किम भारत संघ का पूरा सदस्य बन गया था। 1 मार्च 1975 को यह सहयोगी राज्य के रूप में उभरा था। 10 अप्रैल 1975 को विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर चोग्याल का पद समाप्त कर दिया तथा राज्य को पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया।

1 अप्रैल 1975 को विशेष मतदान के द्वारा सिक्किम की जनता ने इस प्रस्ताव का हार्दिक रूप से स्वागत किया।

संसद ने 26 अप्रैल 1975 को संविधान (36 वीं संशोधन) अधिनियम 1975 पारित कर सिक्किम की जनता की आशाओं के अनुरूप सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया।

सरकार राज्यपाल : होमी जे० एच० तल्यारखान

मंत्रिपरिषद मुख्य मंत्री : नर बहादुर भंडारी

मंत्रि मण्डल : अयुप लेप्चा तुलसीराम शर्मा और लाचेन रिम्पोके । सामतेन त्सेरिंग, चामला त्सेरिंग और इन्द्र बहादुर लिम्बू ।

विधान सभा अध्यक्ष : सोनम त्सेरिंग

उपाध्यक्ष : एल० बी० बसनेत

उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश : मनमोहन सिंह गुजराल

मुख्य सचिव : एम० पी० प्रधान

क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा जिला-मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि० मी०	जन संख्या	मुख्यालय
1. पूर्व	1,000	1,38,105	गंगतोक
2. उत्तर	4,200	26,390	मंगन
3. दक्षिण	700	75,691	नामची
4. पश्चिम	1,200	74,813	ग्यालसिंग

हरियाणा

क्षेत्रफल : 44,212 वर्ग किलोमीटर — जनसंख्या : 1,28,50,902
राजधानी : चंडीगढ़ — मुख्य भाषा : हिन्दी

कृषि

हरियाणा खाद्यान्न के मामले में, विशेष रूप से गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार व चना फसलों के सम्बन्ध में, यद्यपि 1966 में अपने गठन के समय कमी वाला राज्य था। राज्य की विकासोन्मुख कृषि नीतियों के फलस्वरूप इतनी अधिक उत्पादकता अर्जित की जा सकी है। अनुमान है कि 1982-83 में राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन 71.40 लाख टन हो जाएगा। जबकि 1966 में यह केवल 25.92 लाख टन था। उत्तर भारत में हरियाणा प्रथम राज्य है जिसने फसलों की बीमा योजना जारी की है।

वर्तमान में कृषि गत 18.40 लाख हेक्टेयर भूमि, जो सिंचाई योग्य भूमि का लगभग आधा भाग है, सिंचाई के अन्तर्गत आती है।

वनों के अन्तर्गत 1980-81 में कुल 1,66,164 हैक्टयर भूमि थी। यहां 371.77 लाख रुपये गहन वनरोपण तथा अन्य योजनाओं पर व्यय किए जा चुके हैं।

उद्योग चूना, पत्थर, स्लेट, डोलोमाइट, मकान बनाने के पत्थर सड़क बनाने की रोड़ी, चीनी मिट्टी और संगमरमर आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में ग्रेफाइट और क्वार्टीजाइट मिलने की सूचना मिली है।

उद्योग हरियाणा के प्रमुख उद्योग हैं :—सीमेंट, चीनी, कागज, सूती कपड़ा, कांच का सामान, पीतल की वस्तुएं, साइकिल, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल, टेलीविजन सेट, स्टील ट्यूब, हैण्ड-टूल्स, कपास धागा, रेफ्रीजरेटर, वनस्पति घी, अलार्म घड़ियां, मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब, सफाई के सामान और किरमिच के जूते आदि। पिंजौर में केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान एच० एम० टी० का एक कारखाना है जो ट्रैक्टर बनाता है।

समग्र रूप से हरियाणा में 33,000 लघु इकाइयां तथा 284 मध्यम तथा बड़े उद्योग हैं। 1981-82 में निर्यात बढ़कर 110 करोड़ हो गया। राज्य के विदेशों में बसे भारतीयों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वे राज्य में उद्योग स्थापित करें। इससे विदेशी मुद्रा तथा विदेशी तकनीकी ज्ञान अर्जित हो सकेंगे।

सिंचाई और बिजली हरियाणा सतलुज और ब्यास नदियों पर बनी बहुमुखी परियोजनाओं से पंजाब तथा राजस्थान के साथ मिलकर लाभ उठाता है। राज्य की बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं—पश्चिम यमुना नहर, भाखड़ा नहर प्रणाली तथा गुड़गांव नहर। राज्य ने कई लिफ्ट सिंचाई योजनाएं जैसे जुई, लोहारू और सिवानी नहरें पूरी कर ली हैं। सबसे बड़ी लिफ्ट परियोजना जवाहर लाल नेहरू परियोजना अंतिम चरण में है। सतलुज-यमुना लिंक परियोजना भी जिससे हरियाणा के हिस्से का रावी-ब्यास का फालतू पानी मिलेगा, हरियाणा के क्षेत्र में पूरी हो चुकी है।

राज्य में विभिन्न पनबिजली और तापबिजली केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता जून, 1982 में 1,174 मेगावाट थी। इसमें भाखड़ा-नांगल, ब्यास परियोजना और इन्द्रप्रस्थ तापबिजलीघर से हरियाणा को मिलने वाली बिजली भी शामिल है। इन परियोजनाओं में हरियाणा भागीदार राज्य है। फरीदाबाद और पानीपत में राज्य के अपने ताप बिजलीघरों में तैयार होने वाली बिजली भी इसमें शामिल है। मार्च, 1971 तक सभी 6,731 गांवों में बिजली पहुंचा दी गई और 18 नवम्बर 1981 तक सभी हरिजन बस्तियों में भी बिजली दे दी गई है जबकि 1951 में राज्य के एक भी गांव में बिजली नहीं थी। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली है। सिंचाई के लिए जून, 1982 तक 2 लाख 50 हजार पम्पसेटों/नलकूपों को बिजली दी गई, जबकि 1956 में केवल 743 पम्पसेट और नलकूप ही थे।

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र बड़खल झील, सूरजकुंड, दंबचिक, सुलतानपुर, बरवेट, सोहना, यादवेन्द्र उद्यान और पिंजौर आदि यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र हैं।

सरकार

राज्यपाल : जी० डी० तपासे

मुख्य मंत्री : भजन लाल

मंत्रिपरिषद — कैबिनेट मंत्री :—शमशेर सिंह सुरजेवाला, हरपाल सिंह, लछमन सिंह, राजेन्दर सिंह, शारदा रानी, परसन्नी देवी, सुरिन्दर सिंह, शकुंतला भगवारिया, बीरेन्द्रसिंह, फूलचन्द, कटार सिंह, कल्याण सिंह, ब्रज मोहन और कर्नल रामसिंह
राज्य मंत्री :—गोवर्धन दास चौहान, लाल सिंह, ए०सी० चौधरी, राजेश कुमार, चन्दासिंह, रहीमखान, जगदीश नेहरा, और लछमनदास अरोड़ा।

विधानसभा — अध्यक्ष : तारा सिंह
उपाध्यक्ष : वेदपाल

उच्च न्यायालय — मुख्य न्यायाधीश : एस० एस० संधावालिया
न्यायाधीश : पी०सी० जैन, एस० सी० मित्तल, डी० एस० तेवटिया०, डब्लू० आर० शर्मा; आर० एन० मित्तल, ए० एस० बैंस, के० एस० तिवाना, सुरिन्दर सिंह, एस० पी० गोयल; सी०एस० तिवाना, जे० एम० टण्डन, एस० एस० दीवान, जे० वी० गुप्ता, एस० एस० कांग, जी० सी० मित्तल, आई० एस० तिवाना, एम० एम० पंछी, बी० एस० यादव, एस० एस० सोढी।

लोकसेवा आयोग — अध्यक्ष : बलबीर सिंह

सदस्य : दौलत राम, रामचन्द्र मेधिया, गुरमेश प्रकाश बिश्नोई और रघुवर दयाल।

मुख्य सचिव : पी०पी० केपरीहन

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. हिसार	6,315	14,91,490	हिसार
2. भिवानी	5,099	9,16,744	भिवानी
3. गुड़गांव	2,716	8,40,817	गुड़गांव
4. जींद	3,306	9,35,292	जींद
5. महेन्द्रगढ	3,010	9,49,745	नारनौल
6. अम्बाला	3,832	14,00,133	अम्बाला

1	2	3	4
7. करनाल	3,721	13,17,823	करनाल
8. कुरुक्षेत्र	3,740	11,23,545	कुरुक्षेत्र
9. फरीदाबाद	2,150	9,96,814	फरीदाबाद
10. रोहतक	3,841	13,26,393	रोहतक
11. सोनीपत	2,206	8,43,968	सोनीपत
12. सिरसा	4,276	7,08,188	सिरसा

हिमाचल प्रदेश

क्षेत्रफल : 55,673 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या : 42,37,569
राजधानी : शिमला मुख्य भाषा : हिन्दी और पहाड़ी

कृषि

कृषि और बागवानी हिमाचल प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था के मुख्य आधार हैं। यहां की जनसंख्या के करीब 76 प्रतिशत लोग इन व्यवसायों में हैं। बोए जाने वाले क्षेत्र का केवल लगभग 20 प्रतिशत ही सिंचित है किन्तु प्रदेश की मिट्टी और जलवायु विविध प्रकार के फल और नकदी फसलों जैसे बीज आलू, अदरक, शाक-सब्जी के बीज, सेब बड़े छिलके वाले फल आदि की खेती के लिए बहुत उपयुक्त हैं। मशरूम जैसी नई फसलों के विकास पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। गेहूं, मक्का और चावल यहां की मुख्य फसलें हैं। 1980-81 में अनाज का उत्पादन 24 लाख टन था जबकि 1966-67 में 7.04 लाख टन अनाज पैदा हुआ था।

राज्य को अच्छी जलवायु का वरदान प्राप्त है जिसके कारण इस क्षेत्र में विविध प्रकार के फल उगाए जाते हैं। राज्य में सेब के अलावा अत्युत्तम किस्म के आलूबुखारे, आड़ू तथा खुर्मानी भी पैदा होते हैं।

राज्य के कुल क्षेत्र के 39.2 प्रतिशत भाग में वन हैं। वनों से मुख्यतः इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, गोंद और बिरोजा प्राप्त होते हैं।

उद्योग

सेंधा नमक, स्लेट, खड़िया मिट्टी, चूना-पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइट्स, और बैराइट्स आदि राज्य के महत्वपूर्ण खनिज हैं।

प्राकृतिक साधन, कम दाम पर बिजली और श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण राज्य औद्योगीकरण की ओर धीरे-धीरे दृढ़ता से बढ़ रहा है। 1980-81 के अन्त तक पंजीकृत लघु उद्योग-धन्धों की संख्या 5,750 थी

प्रमुख उद्योगों में हैं—सार्वजनिक क्षेत्र में नाहन ढलाई कारखाना, नाहन और बिलासपुर में बिरोजा और तारपीन कारखाने तथा निजी क्षेत्र में सोलन में

शराब का कारखाना। सरकारी क्षेत्र के कारखाने हिमालय उर्वरक लिमिटेड ने, एन० पी० के० सन्तुलित दानेदार उर्वरकों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सोलन इलेक्ट्रानिक्स कम्प्लेक्स के एक टेलीविजन तैयार करने वाले कारखाने ने राज्य में व्यापारिक स्तर पर टेलीविजन सेटों का निर्माण शुरू कर दिया है। भारतीय सीमेंट निगम द्वारा लगाए गए सीमेंट कारखाने ने 1979 के दौरान उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया। 1981 में एशिया में सबसे बड़ा खाद्य परीक्षण संयंत्र परवानू में स्थापित किया गया।

लघु उद्योग क्षेत्र में सूक्ष्मदर्शी यंत्रों, घड़ी के पुर्जों, चिकित्सा और उद्योग के लिए थर्मामीटरों, गर्म करने के उपकरणों और अस्पतालों के उपकरणों आदि का उत्पादन हो रहा है।

ग्रामीण उद्योगों में भेड़-पालन, लकड़ी पर नक्काशी और लुहारगीरी, कताई, बुनाई, चमड़ा कमाना, मृत्तिकाशिल्प और बांस की वस्तुएं उल्लेखनीय हैं। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम स्थापित किए गए हैं।

बरोटीवाला, नगरोटा, मेहतपुर, पौटा-साहब, बिलासपुर, शमशी सोलन, परवानू और पैमो में औद्योगिक क्षेत्र तथा सोलन, धरमपुर, कांगड़ा, जवाली, मेहतपुर और देहरा में औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं।

सिंचाई और बिजली राज्य में कोई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं नहीं हैं। सात करोड़ रुपये लागत वाली मध्यम स्तर की गिरि सिंचाई परियोजना जनवरी 1981 में पूरी हो चुकी है। बिजली परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना गिरि पनबिजली परियोजना, पूरी हो गई है और 1978-79 से इसमें व्यापारिक उत्पादन भी प्रारम्भ हो गया। अन्य बिजली परियोजनाएं जिन पर कार्य हो रहा है वे हैं :—(1) किन्नौर जिले में सन्जी पनबिजली योजना, (2) लाहौल और स्पिति जिले में रौंगटोंग पनबिजली योजना, (3) मंडी जिले में बस्सी परिवर्द्धन परियोजना, (4) किन्नौर जिले में भाभा पन बिजली परियोजना, (5) कांगड़ा जिले में बिनवा पनबिजली परियोजना, (6) शिमला जिले में आंध्र पनबिजली परियोजना।

नवम्बर 1980 तक कुल 16,916 गांवों में से 9,582 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था।

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र परवानू, शिमला, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन-स्थल हैं।

सरकार राज्यपाल : अशोक नाथ बैनर्जी

मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री : राम लाल

मंत्री : शिवकुमार, सुख राम, सत महाजन, गुमान सिंह, देवी सिंह तथा संत राम

विधान सभा — अध्यक्ष : ठाकुर सेन नेगी

उच्च न्यायालय — मुख्य न्यायाधीश : वी० डी० मिश्र
न्यायाधीश : हीरा सिंह ठाकुर, तिलकराज सूद और ओम प्रकाश गुप्ता

लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष : जे० सी० मल्होत्रा
सदस्य : अनंगपाल
मुख्य सचिव : के० सी० पांडेय।

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. बिलासपुर	1,167	2,44,614	बिलासपुर
2. चम्बा	6,515	3,09,562	चम्बा
3. हमीरपुर	1,118	3,14,942	हमीरपुर
4. कांगड़ा	5,739	9,65,488	धर्मशाला
5. किन्नौर	6,553	59,154	कालपा
6. कुल्लू	5,503	2,39,123	कुल्लू
7. लाहौल और स्पिति	13,693	32,063	केलोंग
8. मण्डी	3,951	6,41,175	मण्डी
9. शिमला	5,131	5,07,793	शिमला
10. सिरमूर	2,826	3,05,927	नाहन
11. सोलन	1,937	3,01,854	सोलन
12. ऊना	1,540	3,15,874	ऊना

अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह

क्षेत्रफल : 8,293 वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या : 1,88,254
राजधानी : पोर्ट ब्लेयर

कृषि कृषि : मुख्य फसलें हैं—धान, नारियल व एरकानट है। अन्य फसलों में दालें, फल, सब्जियां और मसाले हैं। रबड़ व पाम तेल की खेती भी शुरू की जा रही है।

उद्योग कुल 150 मध्यम तथा लघु स्तर की औद्योगिक इकाईयां हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बड़े औद्योगिक कारखाने भी हैं। ये बड़े कारखाने लकड़ी उद्योग पर आधारित है तथा पोर्ट ब्लेयर में हड्डी और चाथम में दक्षिणी अंदमान मे बंबूफ्लेट तथा लांग आइलैण्ड में बकुलतला (दोनों मिडिल अंदमान मे) अवस्थित हैं। लघु उद्योग तथा हस्तशिल्प इकाईया खोल बनाने, फर्नीचर, बेकरी सामान, रेशे के उत्पाद, चावल छटाई तथा गेहूं पिसाई, तेल निकालने सरीखे कार्यों में जुटे हुए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थानीय उद्यमियों, कारीगरो तथा आदि-वासियो को बेंत तथा बांस के शिल्पों, लकड़ी के शिल्पो, खोल निर्माण तथा दर्जी के काम का प्रशिक्षण देती हैं। इनमें से अधिकतर केन्द्र प्रशिक्षण-तथा-उत्पादन केन्द्रों के रूप में कार्यरत हैं।

संचार द्वीपों पर आवागमन दो सरीकों वायु व जल मार्ग से होता है। कलकत्ता से पोर्टब्लेयर के बीच सप्ताह में दोबार बोईंग 737 सेवा तथा पोर्ट ब्लेयर व कलकत्ता /मद्रास/विशाखापट्टनम के बीच प्रथम दो नगरों के बीच में 10 दिन में एक बार तथा अन्तिम नगर के लिए तीन माह में एक बार समुद्री जहाज आते-जाते हैं। समुद्र तथा जल मार्ग निगम के अन्तः द्वीप यातायात की आवश्यकताओं को संभालने के लिए समुन्नत बेड़ा है।

सिचाई और विद्युत द्वीप प्रशासन ने ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र मे पर्याप्त प्रगति की है। कुल 390 गांवों में से 145 गांवों में बिजली पहुंचायी जा चुकी है। द्वीप में 8,400 कि० वाट स्थापित क्षमता के 15 विद्युत गृह हैं (फोनिक्स पावर हाउस जिसकी क्षमता 4,442 कि०वाट (डीजल जेनेरेटर) पोर्टब्लेयर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। किसी प्राकृतिक नदी के अभाव मे द्वीप पर बड़ी सिचाई योजनाएं लागू नही की जा सकती। छोटी सिंचाई योजनाएं—जैसे वर्षा का पानी इकट्ठा करना तथा भूमिगत पानी के बेहतर उपयोग संबंधी योजनाएं हाथ में ली गई हैं।

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र सेल्यूलर जेल, एन्थ्रोपोलिजिकल म्युजियम, चैथम सॉमिल कारबाइन्स कोव बीच, किक रोसा आईलैंड, किकइलैंड बन्दूर, चिदयाटापू माउन्ट हैरियट आदि, यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है।

सरकार उपराज्य पाल : मनोहर लाल कंपानी

उच्च न्यायालय अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायाधीशों की सूची के लिए पश्चिम बंगाल देखें।

लोक सेवा आयोग नियुक्तिया संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है।
मुख्य सचिव : बी० के० सिंह

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (1981 जनगणना)	मुख्यालय
1. अंदमान	6,340	1,57,821	पोर्ट ब्लेयर
2. निकोबार	1,953	30,433	कार निकोबार

अरुणाचल प्रदेश

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या, और मुख्यालय

क्षेत्रफल : 83,745 वर्ग किलोमीटर — जनसंख्या : 6,28,050
राजधानी : ईटानगर

कृषि

अरुणाचल प्रदेश में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। कुल जनसंख्या का 35.55% भाग खेती करता है। कुल का 72.29% भाग मजदूरी करते हैं। क्षेत्र की 94% जनसंख्या 3726 गांवों में 48 समेकित ग्रामीण विकास 4 खण्डों में रहती है।

कुल कृषि योग्य क्षेत्र लगभग 1,33,435 हेक्टेयर है जिसमें से 1,01,329 हेक्टेयर भूमि "काटो व जलाओ" के पारम्परिक खेती के ढंग जिसे स्थानीय लोग "झूम" कहते हैं, के अन्तर्गत है। 24,207 हेक्टेयर में सिंचित धान की खेती होती है और 7,899 हेक्टेयर में ढलवां बारानी खेती की जाती है। सरकार का यह मुख्य प्रयास है कि अधिकाधिक उत्पादन के लिए "झूम" पद्धति से खेती करने वाले उसे छोड़कर स्थायी खेती बाड़ी का तौर-तरीका अपनाए।

मुख्य फसलों में धान, मक्का, मोटे अनाज गेहूं, आलू, सरसों, अदरक, मिर्च, कपास इत्यादि। कुछ विशिष्ट स्थानीय फसलें हैं : रागी, जावस् टीयर, बकव्हीट, फॉक्सर मिलेट तथा कुछ जड़दार फसलें जैसे शकरकंद, कोलीकेसिया, कोचू, चाय, टापिओका इत्यादि।

विभिन्न विभिन्न समय पर अलग-अलग खेती करके खाद्यान्न, चारा व नकद फसलें, सब्जी उगाना तथा फल उगाकर भूमि का सारा वर्ष उपयोग किया जाता है। विभिन्न ऊंचाई के क्षेत्रों तथा विभिन्न जलवायु के क्षेत्रों को पहचान कर उनमें अनन्नास, संतरा, खरबूजा, लीची, पपीता, केला, अमरूद तथा अन्य कटिबन्धीय फल जैसे सेब, बेर, चेरी, जैतून, अखरोट, बादाम इत्यादि उगाए जा रहे हैं।

उद्योग

अरुणाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षमता पर्याप्त है। इस प्रदेश में पनबिजली, वन संसाधनों, कोयले के भंडार (लगभग 850 लाख टन) तथा तेल (लगभग 15 लाख टन) अपरिमित सीमा तक है।

मुख्य मझोले उद्योगों में बेनार्ट, चाय के पैकिंग डिब्बे, प्लाई बोर्ड सरीखे वन उत्पाद आधारित उद्योग हैं। लघु उद्योगों में आरामिल, चावल, तेल मिलें, फल परीक्षण इकाइयां, इस्पात ढलाई शामिल है। इसके अतिरिक्त हथकरघा तथा [illegible] हैं। सरकार कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत

आने वाले विभिन्न शिल्पों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं तथा विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। रोइंग ऐसा ही औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है।

पासीघाट में लाइट रूफिंग शीट फैक्टरी लगाई गई है तथा वेस्ट सियांग जिले में एक फल परीक्षण संयंत्र लगाने का विचार है। अनुमान है कि तेजू में एक मिनी सीमेन्ट कारखाना शीघ्र ही स्थापित हो जाएगा। निगरु तेल क्षेत्र में पता चले तेल भंडारों का आयल इंडिया द्वारा अन्वेषण हो रहा है। यहां से प्राप्त कच्चा तेल तिरप जिले के खरसांग में प्रस्तावित छोटे तेल शोधक कारखाने के लिए पर्याप्त होगा।

सिंचाई व विद्युत

अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी तराई वाला क्षेत्र है जहां 'झूम' खेती अर्थात् स्थान बदल-बदलकर खेती करना प्रचलित है। स्थायी रूप से खेती किए जाने वाले क्षेत्र मुख्यतया घाटियों व तराई में हैं, नदी-नालों के बहाव मोड़कर सिंचाई की जाती है।

राज्य में कुल 66,499 खेत हैं जिनमें से 25,341 खेत, जोकि 23,802 हैक्टेयर क्षेत्रफल के हैं, में पूर्ण या अपूर्ण रूप में सिंचाई सुविधा सुलभ है। 1981-82 के दौरान 5,700 हैक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाने का विचार है।

1971 से 17 लघु जल विद्युत परियोजनाएं लागू की जा चुकी हैं और मार्च 1982 तक उनकी कुल स्थापित क्षमता 9,170 कि० वाट हो गई है। डीजल जनरेटिंग सेटों से भी बिजली प्राप्त की जाती है। इनकी कुल स्थापित क्षमता 2,100 कि०वाट है।

पांचवीं योजना के अन्त तक 287 गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी थी। अब कुल 430 गांवों में विद्युत प्रकाश की व्यवस्था है।

छठी योजना के शुरू होने के समय 11 कि० वाट एच०टी० तथा 33 कि० वा० का 600 कि०मी० लम्बा मार्ग था। 1981-82 में इसे 883 कि० मी० तक विस्तृत करने की योजना है।

मुख्य पर्यटन स्थल

मुख्य पर्यटन स्थलों में बोमडिला, तवांग और अन्य प्रसिद्ध बुद्ध मठ, ईटानगर तथा ऐतिहासिक एटा दुर्ग के विध्वंस, पुरातत्व महत्व के दो मुख्य स्थल मालिनिथान, भीष्मकनगर तथा तीर्थस्थल-परशुराम कुंड प्रमुख हैं।

सरकार

उपराज्यपाल : एच० एस० दुबे

मंत्रिपरिषद

मुख्यमंत्री : गेगोंग अपांग
मंत्री : खापरिसो करोंग, टी० एन्गेमु, तादार तंग, टी० दुलोम और टी० टामी
उपमंत्री : कामेंग दोलो और हाइजेन पोंगलाहन।

विधानसभा

अध्यक्ष : टी० एल० राजकुमार
उपाध्यक्ष : पासांग वांगचुक सोना

47,278, और बाक्साइट 30,003 मीट्रिक टन हुआ था, 1981-82 में खनिजों का निर्यात 13.12 लाख टन हुआ। इनमें सेलखड़ी तथा फैरोमैंगनीज शामिल नहीं हैं।

मार्च 1982 तक पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 2,416 थी जिसमें 17,769 कर्मचारी थे और इनमें लगभग 28.39 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी। इन में वर्कशाप, बेकरियां, मुद्रणालय, लकड़ी चिराईमिलें, टायर रिट्रीडिंग एकक, फलों और मछलियों की डिब्बाबन्दी, काजू तैयार करना, मौजेक टाइलें, साबुन, फर्नीचर, टाइपराइटरों के रिबन, कार्बन कागज, मोटर गाड़ियों की बैट्रियां, एकराइलिक चादरें, पोलियीन के थैले, सोडियम सिलीकेट, मछली पकड़ने के जाल, जिप फास्टनर, स्टोव, जूते, ऐनकों के फ्रेम, रसायन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, चावल और आटा मिलें, तह हो जाने वाली अल्यूमिनियम ट्यूबें, खेल का सामान, सिले-सिलाए वस्त्र, हीरे काटने के औजार, औद्योगिक वाल्व और भट्टियां, पलास्क गुंस, श्रव्य-दृश्य उपकरण, घड़ियों का संयोजन और टी० वी० सेट आदि शामिल हैं। 1980-81 में 572 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात हुआ।

सिंचाई और बिजली

कई सिंचाई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे लिफ्ट सिंचाई योजनाएं, भंडार, तालाब आदि। इनसे लगभग 1,200 हेक्टयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। सिंचित क्षेत्र, जो पांचवीं योजना के अन्त तक 18,000 हेक्टेयर था, बढ़ कर 13,601 हेक्टेयर हो गया है।

कुछ बड़ी व मझोली सिंचाई योजनाएं ये हैं :—

सलौली सिंचाई योजना तिलारी, दम गंगा, अंजुने और माण्डोवी। आधुनिक आधार पर बनाई सिंचाई योजना जिसकी क्षमता 43,000 हैक्टेयर है, को हाथ में लिया गया है।

कुल 424 गांवों में से 392 गांवों को मार्च 82 तक बिजली पहुंचायी जा चुकी है।

मुख्य पर्यटनस्थल :—मुख्य पर्यटन आकर्षण ये हैं :—

कोल्वा, कोलनगूट वागाटोर, हरमल, तथा अनजुने सागर तट बेल्सिल्का आफ बाम जीसस और से केथरल चर्च, कवेलम मरदाल, मगुशी तथा बनडोर धार्मिक स्थल, अगुदा, तेरेर, चपौरा तथा काबोडी रामा किला; दुधसागर हुखेलम्र प्रपात; मयेम झील इत्यादि।

सरकार

उपराज्यपाल :[1]

मंत्रिपरिषद

मुख्यमंत्री : प्रताप सिंह राव जी राने

मंत्री : डा० विल्फ्रेड डि सोजा, अनंत एन० नायक फ्रांसिस्को सी० सारदिना, शेख हसन हरीश और एन० पी० जॉटिए।

विधान सभा

अध्यक्ष : फरोइलानो मछाड़ो

उपाध्यक्ष : वैकुंठ जी० गौस देसाई

उच्च न्यायालय

एक नई जिला अदालत 'दक्षिण गोआ' में बनाई गई है। बम्बई उच्च न्यायालय की एक बेंच गोआ में पणजी में स्थापित की गई है।

[1]वर्तमान में इसका प्रशासन महाराष्ट्र के राज्यपाल के अधीन है।

सभी 22 गांवों में बिजली पहुच चुकी है और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था की जा चुकी है। भूमि की सिंचाई के लिए 171 डीजल इंजनों तथा बिजली से चलने वाले 534 नलकूपों द्वारा भी सिंचाई होती है।

मुख्य पर्यटन स्थल मुख्य पर्यटन केन्द्र हैं :—रोज गार्डन, राक गार्डन, शान्ती कुन्ज झील, संग्रहालय तथा आर्ट गैलरी, राजधानी समूह, नेशनल गैलरी श्राफ पोर्टेट इत्यादि।

सरकार : मुख्य कमिश्नर बी०एस० सराओ

दादरा और नगर हवेली

क्षेत्रफल : 491 वर्ग किलोमीटर — जनसंख्या 1,03,677
राजधानी : सिलवासा

कृषि जनसंख्या का 89% आदिवासी हैं जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। मुख्य फसलें धान, रागी, दालें तथा फल हैं। गेहूं, सब्जियां तथा गन्ना भी उगाया जाता है। कुल 22,700 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है। 96 प्रतिशत भूमि कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर है।

क्षेत्र में एक पशु अस्पताल, एक सांडपालन फार्म, 5 पशु देखभाल केन्द्र, मुर्गी पालन फार्म, सूअर पालन फार्म, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, भैंस प्रजनन प्रदर्शन फ़ार्म, 29 गोबर गैस संयंत्र स्थापित हैं।

इस संघीय क्षेत्र का 41.48% भाग वन है। वनों से मुख्यतया टीक, खैर, सदाद, सीवान तथा महुवा की लकड़ी प्राप्त होती है।

उद्योग यहां कोई मुख्य उद्योग नहीं है। सहकारिता पर आधारित एक औद्योगिक एस्टेट तथा मसत में एक सरकारी औद्योगिक एस्टेट है। खडोली में भी एक औद्योगिक एस्टेट विकसित हो रही है। यहां कुल 124 औद्योगिक इकाइयां हैं। कुल उत्पादन 26 करोड़ रु० से ऊपर है। मुख्य उत्पादों में ये शामिल हैं :—स्पेक्टेकल फ्रेम तथा पुर्जे फलौरिंग टाइटल्स, बाल्टियां, ब्रैड व बिस्किट, लकड़ी का फर्नीचर, करघा, टेनिन, पाइप, पलास्टिक की वस्तुएं, दवाईयां, सिल्क के कलात्मक कपड़े, विद्युत् सामान, घड़ियां, आर्ट फेसेस, मोमबत्तियां, टिन के बर्तन, चप्पलें, रेक्सिनकपड़ा, सूती व सिलक कपड़े की छपाई तथा उसे तैयार करना तथा फोम रबड़ इत्यादि।

सिंचाई और बिजली यहां कोई बड़ी या मझोली सिंचाई योजना नहीं है। किन्तु इसको गुजरात सरकार और गोआ, दमण और दीव की दमण-गंगा जलाशय परियोजना से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। छोटी सिंचाई परियोजनाओं में 22 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं, 15 चैक बांध और 8 नलकूप हैं। कुल 448 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने लगी है।

बिजली गुजरात से खरीदी जाती है। 72 गांवों में से 52 गांवों में बिजली पंहुच चुकी है। सिलवासा में 66 किलोवाट के एक उप बिजली घर ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

सरकार — प्रशासक[1]

उच्च न्यायालय — यह संघीय क्षेत्र बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायाधीशों की सूची के लिए 'महाराष्ट्र' के अन्तर्गत देखें।

लोक सेवा आयोग — उच्च पदों के लिए नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है।

दिल्ली

क्षेत्रफल : 1,485 वर्ग किलोमीटर — जनसंख्या : 61,96,414
राजधानी : दिल्ली

कृषि — प्रमुख खाद्य फसलें गेहूं, चना, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार हैं। नकदी फसलें गन्ना, सरसों, तम्बाकू और मिर्च भी कुछ मात्रा में होती हैं। मिश्रित खेती तथा मिश्रित फार्मिंग, पशुपालन, मुर्गी पालन और सब्जी उगाना लोकप्रिय हो रहा है। खाद्यान्न का कुल उत्पादन 1980-81 में 1.47 लाख टन था और कृषि भूमि का क्षेत्रफल 87,599 हेक्टेयर था।

उद्योग — 1980-81 में दिल्ली में लगभग 45,000 औद्योगिक एकक थे, जिनमें लगभग 4,50,000 व्यक्ति काम करते थे। इन एककों में अनुमानतः कुल 807 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी और इनके उत्पादन का कुल मूल्य अनुमानतः 2,196 करोड़ रु० । प्रमुख उद्योग ये हैं—इस्पात ढलाई, औषध और रासायनिक पदार्थ, पेंट और वार्निश, टेलीविजन सेट, रेडियो, ट्रांजिस्टर, बिजली उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, तैयार कपड़े और वनस्पति तेल आदि। दूसरे उद्योगों में चमड़ा और रबड़ का सामान, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा उद्योग और चर्म शोधन शामिल हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध कुटीर उद्योग हैं—हाथीदांत का काम, सोने और चांदी की कशीदाकारी, आभूषण उद्योग तथा पीतल और तांबे के बर्तन।

सिंचाई और बिजली — दिल्ली में कोई बडी सिंचाई परियोजना नहीं है। लघु सिंचाई प्रणालियाँ और नलकूप ही सिंचाई के माध्यम है। 1980-81 में 61,090 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में 37,000 हेक्टेयर भूमि नलकूपों द्वारा सिंचित हुई जबकि नहरों से केवल 16,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई। अब कृषि क्षेत्र में सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सीवर शोधित संयंत्र द्वारा सीवर के पानी से सिंचाई की जा रही है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान जो बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए उत्तरदायी है, के पास 1980-81 में 2,48,000 किलोवाट की क्षमता थी। इस समय दिल्ली के सभी गांवों में बिजली है, जबकि 1957 में केवल 24 गांवों मे बिजली थी।

उच्च न्यायालय — मुख्य न्यायाधीश : प्रकाश नारायण
न्यायाधीश : राजेन्द्र सच्चर, दलीप के० कपूर, टी० पी० एस० चावला, अवध बिहारी रोहतगी, आर० एन० अग्रवाल, एच० एल० आनन्द,

[1]वर्तमान में इसका प्रशासन महाराष्ट्र के राज्यपाल के अधीन है।

योगेश्वर दयाल, एस० एस० चड्ढा, एम० एल० जैन, एस० रंगनाथन, श्रीमती लीला सेठ, एन० एन० गोस्वामी और सुलतान सिंह।

उपराज्यपाल : जगमोहन

सरकार — महानगर परिषद 21 मार्च, 1980 को भंग कर दी गई थी।

लोक सेवा आयोग — संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं।

मुख्य सचिव : एस० डी० श्रीवास्तव

पांडिचेरि

क्षेत्रफल : 492 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 6,04,182
राजधानी : पांडिचेरि	मुख्य भाषाएं : तमिल और फ्रेंच

कृषि — पांडिचेरि के संघीय प्रदेश में चार निकटस्थ बस्तियां—पांडिचेरि, करईकल माही और यंनम शामिल हैं। पहली तीन तो समुद्रीतट पर हैं व चौथी पूर्व गोदावरी मुहाने पर। क्षेत्र में कोई पर्वत या वन क्षेत्र नहीं है।

लगभग 45 प्रतिशत जनसंख्या कृषि व अन्य सहयोगी व्यवसायों में संलग्न है। 89 प्रतिशत खेती क्षेत्र सिंचित है। चावल यहां की मुख्य फसल है। अन्य फसलें जो कम मात्रा में उगायी जाती हैं वे हैं रागी व बाजरा। गन्ना मूंगफली तथा कपास मुख्य नकद फसलें हैं।

उद्योग — क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग व खनिज नहीं है। अधिकतर उद्योग मंझोले स्तर के हैं व ग्राहकोंमुख्य हैं जैसे चीनी, विद्युत् सामान, चमड़ा सामान, साईकल पुर्जे, हथकरघा, कपड़ा, इस्पात उत्पादन या स्टेनलैस स्टील के बर्तन व हस्तशिल्प। गत्ते, कागज तथा सूती वस्त्रों के कुछ बड़े कारखाने भी हैं। तीन मंझोले कारखानों में राइसब्रान आइल का निर्माण अभी हाल ही में शुरू किया गया है।

सिंचाई और बिजली — पांडिचेरी में सिंचाई मुख्यतया वर्षा के पानी भरे तालाब पर आधारित है। कुल 87 तालाब हैं। करईकल में सिंचाई कावेरी के पानी से होती है। वर्तमान नहर प्रणाली पर्याप्त पुरानी पड़ चुकी है इसके आधुनिकीकरण की योजनाएं चल रही हैं।

राज्य में विद्युत् उत्पादन नहीं किया जाता। सारी माग, तमिलनाडु केरल तथा आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त की जाती है।

मुख्य पर्यटन स्थल — जान आफ आर्क स्क्वेयर, वार मेमोरियल, गांधी स्क्वेयर, श्री अरविन्द और मां की समाधि; भरथिअर तथा भक्तिदर्शन स्मारक, गवर्नमेंट पार्क व पार्क मानूमेंट; संग्रहालय; सेक्रेड हार्ट आफ जीसस चर्च, वोटानिकल गार्डन व आरोविले।

सरकार — उपराज्यपाल : आर० एन० हल्दीपुर

मंत्रिपरिषद — मुख्यमंत्री : डी० रामचन्द्रन

मंत्री : एस० सवरीराजन, जी० पेरुमलराजा, श्रीमती रेणुका अप्पादुरई, वी० एम० सी० शिवकुमार और वी० कदिरवेलु ।

विधान सभा — अध्यक्ष : एम० ओ० एच० फारूक
उपाध्यक्ष : एल० जोसफ मारियादास ।

उच्च न्यायालय — पांडिचेरि मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायाधीशों की सूची 'तमिलनाडु' के अन्तर्गत देखें।

लोक सेवा आयोग — नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती हैं।
मुख्य सचिव : आर० बद्रीनाथ

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या (1981 जनगणना)	मुख्यालय
1. पांडिचेरि	293	4,44,188	पांडिचेरि
2. कराइकल	160	1,19,996	कराइकल
3. माहे	9	28,401	माहे
4. यनाम	30	11627	यनाम

मिजोरम

क्षेत्रफल : 21,087 वर्ग किलोमीटर
राजधानी : ऐजल
जनसंख्या : 4,93,757
मुख्य भाषाएं : मिजो और अंग्रेजी

कृषि

मिजोरम में 87% लोग खेती से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। कृषि के अन्तर्गत कुल भूमि का 7% भाग सिंचित है। पहाड़ी ढलानों पर और धान की खेती होती है। अन्य फसलों में दालें, गन्ना, मिर्च, अदरक, तम्बाकू सब्जियां, हल्दी, आलू, केला, अनानास। सामान्य रूप से यहां झूम खेती की प्रथा है परन्तु गत वर्षों में तराई क्षेत्रों में चावल की खेती तथा पानी में चावल की खेती करने की प्रथा भी शुरू की गई है। 1980-81 में धान का उत्पादन 85,290 टन, अदरक का 1629 टन, गन्ने का 50,820 टन, आलू 2,755 टन, हल्दी का 317 टन, मक्का का 6,166 टन, कपास का 1,240 टन तथा तम्बाकू का 347 टन रहा।

38 प्रतिशत क्षेत्र वन है। वनों के मुख्य उत्पाद हैं—साग, लकड़ी तथा अगर।

उद्योग

मिजोरम में बड़ा उद्योग कोई नहीं है। केवल हथकरघा और हस्तशिल्प कुटीर उद्योग हैं। लघु उद्योगों में चावल की मिलें, तेल तथा आटा पिसाई मिलें तथा आरा मशीनें, बांस के कारखाने, ईंट-निर्माण, अल्युमिनियम की ढलाई तथा फर्नीचर आदि हैं।

सिंचाई और बिजली गांवों के निकट पानी पहुंचाने के लिए जलाशयों को पक्का करने, नदियों और चश्मों में जल एकत्र करने के तथा अन्य प्रकार के नए उपाय किए जा रहे हैं। पहाड़ी इलाके के कारण सिंचाई की व्यवस्था करना कठिन है।

घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न नगरों व गांवों में 44 डीजल विद्युत् केन्द्र हैं जो बिजली का उत्पादन करते हैं। कुल स्थापित क्षमता 5.94 मेगावाट है।

सरकार उपराज्यपाल: एस० एन० कोहली

मंत्रि परिषद मुख्यमंत्री: ब्रिगेडियर टी० सैलो

मंत्री: लल्हमिंगथंगा, जैरेमथंगा, पी० बी० रोसंगा और एफ० मालसावमा

उच्च न्यायालय संघीय क्षेत्र मिजोरम गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायाधीशों की सूची 'असम' के अन्तर्गत देखें।

लोक सेवा आयोग पहली तथा दूसरी श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा की जाती है।

मुख्य सचिव: ए० एच० स्काट

लक्षद्वीप

क्षेत्रफल: 32 वर्ग किलोमीटर — जनसंख्या: 40,237

राजधानी: कवारत्ती

कृषि इस क्षेत्र की प्रमुख फसल केवल नारियल है जिसका 2.17 करोड़ रु० से अधिक प्रति वर्ष का कारोबार होता है। 1980–81 में नारियल 2,780 हेक्टेयर में उगाया गया। कवारत्ती तथा मिनिकाय में डेयरियां हैं और अन्दरोथ, कदमथ, कलपनी, मिनिकाय, कवारत्ती, अगति और किलतन में मुर्गी फार्म हैं।

उद्योग मछली पकड़ना इन द्वीपों में मुख्य उद्योग है। इन द्वीपों के चारों ओर के समुद्र में टूना और शार्क मछली बहुत होती है। 1981 के अन्त में मछली पकड़ने के लिए 231 मशीनी नौकाएं थीं। मिनिकाय द्वीप में टूना मछली को डिब्बा बंद करने का कारखाना है और कवारत्ती तथा चेतलत द्वीप में नाव बनाने के कारखाने हैं।

नारियल जटा की कताई और उसके धागों का उत्पादन यहां के मुख्य कुटीर-उद्योग हैं जिनका वार्षिक उत्पादन 7 लाख रु० तक का होता है। सरकारी भंडारों के माध्यम से नारियल जटा से बने सामान के बदले अनाज तथा अन्य उपभोक्ता सामग्री खरीदी जाती है। यह खरीद नारियल जटा एकाधिकार योजना के अन्तर्गत की जाती है, जिसे प्रशासन गरीब वर्गों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए न लाभ न हानि के आधार पर चलाता है। नारियल जटा के 4 उत्पादन केन्द्र कदमथ, अमीनी, किलतन और अंदरोथ द्वीपों में हैं। नारियल जटा के दो प्रशिक्षण केन्द्र अगेती और चेतलत में हैं। अन्दरोथ और मदमय

द्वीप में धागा तैयार करने का एक-एक संयंत्र है। कलपेनी द्वीप में होजरी का एक एकक है । 1974 में कवारत्ती द्वीप में एक हस्तशिल्प समिति शुरू की गई थी। दो हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्र, एक जो कि कवरत्ती में 1974 में खोला गया था और दूसरा कलपेनी में जो 1979 में शुरू किया गया था, कार्य कर रहे हैं।

बिजली 1973-74 तक दस आबाद द्वीपों में से नौ में बिजली पहुंच चुकी थी। बिजली उत्पादक यन्त्रों की कुल स्थापित क्षमता 31 दिसम्बर, 1979 को 1,959 किलोवाट थी।

सरकार प्रशासक : उमेश सहगल ।

उच्च न्यायालय यह संघीय क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायाधीशों की सूची के लिए 'केरल' के अन्तर्गत देखें।

लोक सेवा आयोग 'ए' और 'बी' वर्गों के पदों के लिए नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती हैं।

27 घटनाओं की डायरी 1981

जनवरी 1 बम्बई-दिल्ली-श्रीगंगानगर को जोड़ने वाली एक नई रेलगाड़ी 'उदयन एक्सप्रेस' का उद्घाटन किया गया।

2 भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पहला क्रिकेट टैस्ट मैच सिडनी में आरम्भ हुआ।

3 नई दिल्ली में आठवां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आरम्भ हुआ।

4 आस्ट्रेलिया ने सिडनी में भारत के विरुद्ध पहला क्रिकेट टैस्ट मैच जीता।

5 प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने नई दिल्ली मे एक समारोह में अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष का उद्घाटन किया।

— योजना आयोग ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना परिव्यय के रूप में 49,200 करोड़ रुपये नियत किए।

— उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 जून, 1980 को बागपत में हुई घटनाओं की जांच करने के लिए नियुक्त एक-सदस्यीय आयोग ने 10 पुलिस कर्मियों पर अभियोग लगाया।

7 सरकार ने सांविधिक निर्यात-आयात (ऐक्सिम) बैंक स्थापित करने का निर्णय किया।

— सरकार ने प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल तथा युक्तिसंगत बनाने के लिए अधिकारियों की एक समिति नियुक्ति की।

9 भूटान के नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक नई दिल्ली मे प्रधानमंत्री से मिले।

10 मदुरै, तमिलनाडु में पांचवां विश्व तमिल सम्मेलन आरम्भ हुआ।

— पाकिस्तान के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो० अब्दुस सलाम को बम्बई में पहला आर० डी० बिड़ला स्मारक पुरस्कार दिया गया।

11 अमरीकी सीनेट का 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल भारत के साथ हिन्द महासागर के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए नई दिल्ली पहुंचा।

12 सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने की घोषणा की।

— सरकार ने काले धन को समाप्त करने के लिए 'विशेष धारक बांड' योजना आरम्भ करने हेतु एक अध्यादेश जारी किया।

13 आन्ध्र प्रदेश में 61 सदस्यीय अंजैया मंत्रिमंडल के 57 सदस्यों ने त्यागपत्र दिया ।

— शिमला में आग लगने से हिमाचल राज भवन नष्ट हो गया ।

15 मणिपुर के मुख्य मंत्री रिशांग कीशिंग कांग्रेस (ई) ने, कांग्रेस (अ) द्वारा 49 दिन पुरानी संयुक्त सरकार से अपना समर्थन वापस लिए जाने के फलस्वरूप अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया ।

17 नई दिल्ली में समाप्त हुए आठवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए भारतीय फीचर फिल्म "आक्रोश" तथा बल्गारिया की फिल्म "अननोन सोल्जर्स पेटेन्ट लेदर शूज" को संयुक्त रूप से स्वर्णमयूर पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

19 कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अमरेन्द्र नाथ सेन तथा केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति बालकृष्ण इराडी को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया ।

21 असम के भूतपूर्व मुख्य मंत्री 91 वर्षीय विष्णूराम मेधी, का गुवाहाटी में निधन हुआ ।

25 मैक्सिको के राष्ट्रपति जोस लिस्पेज पोर्टिलो भारत पहुंचे ।

— हेमवती नन्दन बहुगुणा की अध्यक्षता में एक नई राजनीतिक पार्टी "डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी" बनी ।

26 पूर्वोत्तर क्षेत्र में दुर्गम केन्द्रों को मिलाने वाली नई विमान सेवा "वायुदूत" का उद्घाटन किया गया ।

27 एडेलेड में आस्ट्रेलिया और भारत के बीच दूसरा क्रिकेट टैस्ट मैच बिना हार-जीत के समाप्त हुआ ।

— तीन राज्य—उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश—खांडसारी के उत्पादन पर लेवी लगाने के लिए सहमत हुए ।

29 भारत में एकीकृत शहरी विकास के वित्त पोषण की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए. विश्व बैंक का छः-सदस्यीय दल नई दिल्ली पहुंचा ।

— भारत और मैक्सिको द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का विस्तार करने के लिए सहमत हुए ।

31 पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) ने दूसरी बम्बई हाई परियोजना के लिए भारत को 300 लाख डालर का ब्याज-मुक्त ऋण देने का अनुमोदन किया ।

फरवरी 1 राष्ट्रपति ने जीवन बीमा निगम के तृतीय व चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की परिलब्धियों को युक्तिसंगत बनाने हेतु जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश प्रख्यापित किया ।

2 चरणजीत यादव ने "लोकतांत्रिक लोकदल" बनाया।

— बैंक दरों में वृद्धि की घोषणा की गई ।

— सरकार ने 480 करोड़ रुपये के दो ऋण जारी किए ।

— भाभा अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे ने पहली बार पूरी तरह से देशी नाभिकीय रिएक्टर पोत 'कलैन्ड्रिया' का डिजाइन तैयार किया तथा उसका विकास किया ।

3 प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीपसमूह का दौरा किया ।

— नेपाल के प्रधान मंत्री सूर्य बहादुर थापा ने काठमांडू से 80 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में भारतीय सहायता से बन रही 14 मेगावाट देवीघाट जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया ।

— उच्चतम न्यायालय ने दो मुख्य न्यायधीशों के स्थानान्तरण-मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम० एम० इस्माईल का केरल उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के० बी० एन० सिंह का मद्रास उच्च न्यायालय को स्थानान्तरण के मामले में यथापूर्व स्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिये ।

— श्रीमती माधुरी शाह, प्रो० सतीश चन्द्र के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष बनीं ।

4 उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार से उन सभी विचाराधीन कैदियों को, जो जेल में पांच साल से अधिक समय से हैं, जमानत पर रिहा करने के लिए कहा ।

6 आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल ने अंजैया मंत्रिमंडल के सभी 60 मंत्रियों के त्यागपत्र स्वीकार किए।

— जम्मू और कश्मीर सरकार ने डल झील को सुरक्षित रखने के लिए 22 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी ।

7 सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों को शीघ्र पुनर्जीवित करने के लिए एक नई योजना तैयार की ।

8 राष्ट्रीय दृष्टि-विकलांग संस्थान (नेशनल इन्स्टीट्यूट फार विज्युअली हैंडीकेप्ड) ने भारत में नेत्रहीनों के लिए अपनी किस्म के पहले हिन्दी शार्ट हैण्ड का विकास किया ।

— कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत 1982 में तीन लाख और श्रमिकों को सम्मिलित करने की योजना तैयार की गई ।

9 प्रसिद्ध विधिवेत्ता तथा भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री एम०सी० छागला का 80 वर्ष की आयु में बम्बई में निधन हुआ ।

— नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष विदेश मंत्रियों का चार दिन का सम्मेलन आरम्भ हुआ ।

— आन्ध्र प्रदेश में 44 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की ।

— असम और जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर समस्त देश में 1981-जनगणना का कार्य आरम्भ हुआ ।

11 गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की 20वीं जयंती मनाने के लिए नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का विशेष अधिवेशन आरम्भ हुआ ।

— भारत ने मेलबोर्न में तीसरे और अंतिम क्रिकेट टैस्ट में आस्ट्रेलिया को हराया । इस प्रकार चालू तीन टैस्ट शृंखला को बराबर कर दिया ।

12 जनता पार्टी ने अपने सारनाथ के अधिवेशन में चन्द्रशेखर को पुनः अपना अध्यक्ष चुना ।

— भारत ने नमीबिया विशेष निधि में 10,000 डालर का अंशदान करना स्वीकार किया ।

13 नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष विदेश मंत्रियों का सम्मेलन समाप्त हुआ ।

— राष्ट्रीय विकास परिषद ने छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) को, जिस पर कुल पूंजी निवेश 1,72,210 करोड़ रुपये होगा, स्वीकृति दी ।

15 डाकुओं ने उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट 22 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या की ।

16 राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र आरम्भ हुआ ।

— श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नई दिल्ली में बोट क्लब पर विशाल किसान रैली को संबोधित किया ।

— कानपुर-बरौनी यात्री गाड़ी के छपरा में अवध-तिरहुत मेल से टकराने के कारण चौदह व्यक्तियों की मृत्यु हुई और सात व्यक्ति घायल हुए ।

17 गुजरात विधान सभा में समस्त विरोधी पक्ष को निलंबित किया गया ।

18 संसद में रेल बजट प्रस्तुत किया गया । किराये और मालभाड़े में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा की गई ।

— निदरलैण्ड के राजकुमार क्लोस भारत की 13 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

22 श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में प्रभु गोमतेश्वर का महामस्तकाभिषेक ।

23 कैन्या के राष्ट्रपति डेनियल अरप मोई भारत की [illegible] दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

24 मृणाल सेन की फिल्म "आकलेर संधाने" ने बर्लिन फिल्म समारोह में सिल्वर बीयर पुरस्कार जीता ।

25 न्यूजीलैण्ड ने वैलिंगटन में भारत के विरुद्ध पहला क्रिकेट टैस्ट मैच 62 रन से जीता ।

27 सत्तारूढ़ दल को त्यागने के परिणामस्वरूप मणिपुर में रिशांग कीशिंग के नेतृत्व में बने तीन महीने पुराने कांग्रेस (इ) मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया।

— भारत को उड़ीसा में अल्यूमीनियम परियोजना के लिए 48 अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के संघ से 6.8 करोड़ यूरो-डालर का ऋण मिला ।

28 संसद में वर्ष 1981–82 के लिए केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। सरकार ने जीवन बीमा निगम को पांच इकाइयों में विभक्त करने के निर्णय की घोषणा की ।

— मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ । राज्य विधान सभा निलंम्बित रहेगी ।

— संसद सदस्यों को 1 मार्च, 1981 से परिलब्धियों के रूप मे 500 रुपये प्रतिमाह और मिलेंगे।

मार्च 2 जैड० ए० भुट्टो के एक स्वघोषित समर्थक द्वारा पाकिस्तान एयर लाइन्स के विमान (जिसमें 120 व्यक्ति सवार थे) का अपहरण करके काबुल ले जाया गया ।

— प्रेस रजिस्ट्रार की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय समाचार-पत्रों की बिक्री चार करोड़ से अधिक हो गई।

— सरकार ने 2 मार्च 1981 से एक, दो और तीन वर्षीय डाकघर सावधि जमा राशि की ब्याज की दर में वृद्धि की ।

3 भारत में कच्चे तेल का उत्पादन 1981–82 के दौरान 60 लाख मीटरी टन बढ़ गया । इस आशय की घोषणा पेट्रोलियम मंत्री ने राज्य सभा में की ।

4 सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर के भूतपूर्व राज्यपाल एल० के० झा की अध्यक्षता में एक आर्थिक सुधार पेनल स्थापित करने का निर्णय किया ।

— भारतीय रेलवे ने चार वर्षों में पहली बार दावा किया कि फरवरी, 1981 में प्रतिदिन कोयले के 10,000 वैगनों का लदान किया गया ।

— एम० एच० बेग अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने ।

— संघीय जर्मन गणराज्य के राष्ट्रपति कार्ल कार्सटैन्स छः दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे । भारत की यात्रा करने वाले संघीय जर्मन गणराज्य के पहले राष्ट्राध्यक्ष ।

5 बहुत भीतर तक मार करने वाले प्रथम तीन जगुआर विमान देश में पहुंचे।

— भारत और पश्चिमी जर्मनी ने समुद्री भूगोल संबंधी अनुसंधान तथा औजार कक्ष (टूल रूम) प्रशिक्षण में तकनीकी सहयोग के दो करारों पर हस्ताक्षर किए ।

6 रुपये की क्रय शक्ति जो दिसम्बर, 1970 में 53.76 पैसे थी घटकर दिसम्बर, 1980 में 24.51 पैसे रह गई ।

7 उत्तर प्रदेश में उर्दू को सरकारी मान्यता मिली।

8 अरुणाचल प्रदेश में खारसंग क्षेत्र में तेल मिला ।

9 लोक सभा ने वेतन ढांचे को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में और आगे संशोधन करने वाले जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक को पारित किया ।

11 सरकार द्वारा 1980-85 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 8,000 नए डाकघर खोलने का निश्चय ।

— क्राइस्ट चर्च में भारत और न्यूजीलैण्ड के बीच दूसरा क्रिकेट टैस्ट मैच बिना हार-जीत के समाप्त हुआ ।

12 सरकार ने ऊर्जा के नए और फिर से उपयोग में लाए जा सकने वाले स्रोतों के बारे में नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत आयोग (सी०ए०एसं०ई०) गठित करने का निर्णय किया। प्रो० एम० जी० के० मेनन आयोग की अध्यक्षता में ।

— अल्जीरिया 1981 में भारत को [illegible] लाख टन अतिरिक्त तेल सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया।

15 पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के विमान में बंधक 100 व्यक्तियों के बदले पाकिस्तान की जेल से 54 व्यक्तियों को मुक्त कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात, तीन पाकिस्तानी विमान अपहरणकर्ताओं द्वारा सीरियाई प्राधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किए जाने से विश्व का सबसे अधिक समय तक चलने वाला विमान अपहरण नाटक समाप्त हुआ ।

— भारत को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से 300 लाख डालर का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हुआ ।

16 आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री टी० अंजैया राज्य विधान सभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए ।

17 राष्ट्रपति ने जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक पर अपनी सहमति दी ।

— गिनी के राष्ट्रपति अहमद सेकोन तौरे भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

18 जापान, भारत को पश्चिम यमुना नहर जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 4 अरब येन का एक ऋण तथा ऋण राहत उपाय के रूप में 2.4 अरब येन की सहायता देगा ।

— गृह राज्य मंत्री ने राज्य सभा में घोषणा की कि 1 मार्च, 1981 को भारत की जनसंख्या 68.4 करोड़ थी ।

19 विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश में दूर संचार का विस्तार करने तथा एक मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भारत को 45.4 करोड़ डालर का ऋण देना स्वीकार किया ।

23 विश्व बैंक के अध्यक्ष राबर्ट मैकनमारा छः दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

— बम्बई ने दिल्ली को हराकर 2 वर्ष के पश्चात फिर से रणजी ट्राफी प्राप्त की ।

24 असम में कांग्रेस (ई) मंत्रिमंडल के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पास नहीं हो सका ।

26 सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए उद्योगों को और अधिक रियायतें देने की घोषणा की ।

— कई विरोधी दलों ने संसद भवन जाने के लिए विशाल किसान रैली का आयोजन किया ।

— डा० फारूख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर में सत्तारूढ़ दल नेशनल कांफ्रेंस के नए अध्यक्ष बने ।

27 केन्द्रीय सरकार ने अल्यूमीनियम के मूल्यों में तत्काल भारी वृद्धि करने की घोषणा की ।

28 राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में असैनिक पुरस्कार प्रदान किए ।

29 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उड़ीसा में 1,242 करोड़ रुपये की लागत वाले एशिया के सबसे बड़े अल्यूमीनियम व अल्यूमिना कम्पलेक्स की, जो भारत और फ्रांस की सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है, आधारशिला रखी ।

5 लोकदल के भूतपूर्व सदस्य चन्द्रजीत यादव द्वारा जनवादी दल के नाम से एक और नए राजनीतिक दल का गठन किया गया।

— विकलांग व्यक्तियों को परिष्कृत सहायक साधन दिलाने के लिए केन्द्र द्वारा एक सहायता योजना की शुरूआत।

6 उत्तरी असम के आयुक्त श्री ई० एस० पार्थसारथी की उनके कार्यालय में एक बम विस्फोट में मृत्यु हुई।

7 1980 के लिए राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारों की घोषणा की गई। मृणाल सेन की आकालेर संधाने सर्वोत्तम फीचर फिल्म घोषित और पी० जयराज को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया।

8 केन्द्र ने एक अप्रैल 1981 से तेल उत्पादक राज्यों की रायल्टी 42 से बढ़ा कर 61 रुपये प्रति टन कर दी।

— राज्य सभा सदस्य 60 वर्षीय एम० आर० शेरवानी का नई दिल्ली में निधन हुआ।

10 केन्या के सेनाध्यक्ष जनरल जे० के० मुलिंगे छः दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे।

— 1980–83 के लिए मौसम सम्बन्धी संयुक्त वैज्ञानिक कार्यक्रम पर भारत तथा सोवियत संघ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

11 भूतपूर्व वाणिज्य सचिव डा० पी० सी० अलेक्जेंडर की नियुक्ति प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के रूप में की गई।

— शिमला में पश्चिमी कमान मुख्यालय की ऊपरी तीन मंजिलें भीषण अग्निकांड में नष्ट हो गईं।

12 दीपक भार्गव हैदराबाद में हुई लड़कों की एकल एशियन जूनियर टेनिस प्रतियोगिता को जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना।

— सऊदी अरब के विदेश मंत्री, राजकुमार सउद अल फैजल नई दिल्ली पहुंचे।

13 गुजरात के मेडिकल छात्रों द्वारा आरक्षण के विरुद्ध अपना 105 दिन पुराना आंदोलन बिना शर्त समाप्त किया गया।

— सरकार ने कुल 600 करोड़ रुपये के तीन बाजार ऋण जारी किए।

— भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी० पी० आई) की राष्ट्रीय परिषद द्वारा एस० ए० डांगे को दल से निष्कासित किया गया।

14 भारत तथा सऊदी अरब द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अन्तर्गत बिहार में जल-विद्युत परियोजनाओं में धन लगाने के लिए सऊदी विकास कोष 3.2 करोड़ डालर का ऋण देगा।

30 तंजानिया के राष्ट्रपति डा० जूलियस न्यरेरे भारत की पांच दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

— एस० एल० खुराना ने दिल्ली के उप-राज्यपाल का पदभार संभाला ।

— विधान सभा द्वारा विरोध पक्ष के दो कटौती प्रस्तावों को पारित किए जाने के फलस्वरूप असम सरकार की हार हुई । असम राज्य विधान सभा वित्त विधेयक पास किए बिना अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

— भर्ती तथा पदोन्नति दोनों स्तरों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण की संवैधानिक वैधता के अपने निर्णय की पुनरीक्षा के लिए दायर याचिका को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया ।

— शहरी भूमि (अधिकतम सीमा तथा नियमन) अधिनियम, 1976 की संवैधानिक वैधता के दिनांक 13 नवम्बर, 1980 के अपने बहुमत के निर्णय की पुनरीक्षा के लिए दायर याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई ।

31 थलसेनाध्यक्ष द्वारा अधिकारियों तथा जवानों के मामले में बीमे की परिव्याप्ति में 1 अप्रैल, 1981 से वृद्धि के प्रस्ताव की घोषणा की गई ।

अप्रैल 1 1981–82 के लिए नई निर्यात नीति में और अधिक मदों पर निर्यात नियंत्रण में छूट दी गई ।

— गुजरात में आरक्षण विरोधी दंगे हुए ।

— योजना आयोग द्वारा राज्यों से केन्द्रीय पद्धति पर योजना बोर्डों के गठन के लिए कहा गया ।

2 विश्व बैंक द्वारा गुजरात उर्वरक परियोजना के लिए 40 करोड़ डालर का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण देने की घोषणा की गई ।

— जीवन बीमा निगम के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल ।

— विदेश मंत्रालय के भूतपूर्व महासचिव आर० के० नेहरू का 78 वर्ष की आयु में इलाहबाद में हृदयगति रुक जाने से निधन हो गया ।

— बी० बी० वोहरा की अध्यक्षता में पर्यावरण आयोजना पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया ।

4 इ० एम० ई० को हटाकर बी०एस०एफ० ने गोल्ड कप हाकी टूर्नामेंट जीता ।

— खनन क्षेत्र के लिए उपकरणों तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु कनाडा द्वारा भारत को दो करोड़ कनाडियन डालर का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा ।

5 लोकदल के भूतपूर्व सदस्य चन्द्रजीत यादव द्वारा जनवादी दल के नाम से एक और नए राजनीतिक दल का गठन किया गया।

— विकलांग व्यक्तियों को परिष्कृत सहायक साधन दिलाने के लिए केन्द्र द्वारा एक सहायता योजना की शुरूआत।

6 उत्तरी असम के आयुक्त श्री ई० एस० पार्थसारथी की उनके कार्यालय में एक बम विस्फोट में मृत्यु हुई।

7 1980 के लिए राष्ट्रीय चलचित्र पुरस्कारों की घोषणा की गई। मृणाल सेन की आकालेर संधाने सर्वोत्तम फीचर फिल्म घोषित और पी० जयराज को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया।

8 केन्द्र ने एक अप्रैल 1981 से तेल उत्पादक राज्यों की रायल्टी 42 से बढ़ा कर 61 रुपये प्रति टन कर दी।

— राज्य सभा सदस्य 60 वर्षीय एम० आर० शेरवानी का नई दिल्ली में निधन हुआ।

10 केन्या के सेनाध्यक्ष जनरल जे० के० मुलिंगे छः दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे।

— 1980–83 के लिए मौसम सम्बन्धी संयुक्त वैज्ञानिक कार्यक्रम पर भारत तथा सोवियत संघ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

11 भूतपूर्व वाणिज्य सचिव डा० पी० सी० अलेक्जेंडर की नियुक्ति प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के रूप में की गई।

— शिमला में पश्चिमी कमान मुख्यालय की ऊपरी तीन मंजिलें भीषण अग्निकांड में नष्ट हो गईं।

12 दीपक भार्गव हैदराबाद में हुई लड़कों की एकल एशियन जूनियर टेनिस प्रतियोगिता को जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना।

— सऊदी अरब के विदेश मंत्री, राजकुमार सउद अल फ़ैजल नई दिल्ली पहुंचे।

13 गुजरात के मेडिकल छात्रों द्वारा आरक्षण के विरुद्ध अपना 105 दिन पुराना आंदोलन बिना शर्त समाप्त किया गया।

— सरकार ने कुल 600 करोड़ रुपये के तीन बाजार ऋण जारी किए।

— भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी० पी० आई) की राष्ट्रीय परिषद द्वारा एस० ए० डांगे को दल से निष्कासित किया गया।

14 भारत तथा सऊदी अरब द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अन्तर्गत बिहार में जल-विद्युत परियोजनाओं में धन लगाने के लिए सऊदी विकास कोष 3.2 करोड़ डालर का ऋण देगा।

— असम में बोगापानी में एक गवेषी कुंए में तेल तथा गैस पाई गई।

15 ब्रिटेन की प्रधान मंत्री, मारगेरेट थेचर पांच दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची।

— उच्चतम न्यायालय द्वारा जीवन बीमा निगम को एक सप्ताह के भीतर अपने तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बोनस दिए जाने का निर्देश दिया गया।

— जीवन बीमा निगम के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा दो-सप्ताह से चल रही हड़ताल समाप्त की गई।

— भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा एक पंचवर्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग समझौते की शुरूआत की गई।

— भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एस० एन० कोहली ने मिजोरम के उपराज्यपाल का पदभार ग्रहण किया।

17 ब्रिटिश प्रधान मंत्री द्वारा बम्बई में 2 करोड़ रुपये की लागत के भारतीय विद्या भवन के एस० पी० जैन प्रबन्ध तथा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई।

— उड़ीसा के क्योंझर जिले मे तूफान से 100 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

18 बिहार सरकार ने उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया।

19 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बम्बई मे 10 करोड़ रुपये की लागत के नए परिषद भवन का उद्घाटन किया।

— भारत तथा पश्चिमी जर्मनी के वैज्ञानिको ने थुम्बा भूमध्यीय राकेट-प्रक्षेपण केन्द्र से एक भारत निर्मित राकेट की पहली परीक्षण उड़ान संयुक्त रूप से कार्यान्वित की।

20 न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में विधि मंत्रालय के परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई।

— भारत तथा सोवियत संघ द्वारा देश में कोयला उत्पादन के विकास के लिए लंबी अवधि की एक योजना पर हस्ताक्षर किए गए।

21 आदिलाबाद, आन्ध्र प्रदेश में आदिवासियो पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 15 व्यक्ति मारे गए।

22 छोटे उद्यमियो तथा छोटे और मध्यम समाचारपत्रों के लाभ के लिए करों में छूट की घोषणा की गई।

— राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में 1980 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए।

23 राष्ट्रपति द्वारा 1980 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए ।

24 बम्बई में दो उपनगरीय रेलों की टक्कर से 23 व्यक्ति मरे और 90 व्यक्ति घायल हुए ।

27 बहरीन के अमीर शेख इसा-बिन सुलमान अल खलीफा भारत की चार दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

— गृह मंत्री ने एयर इंडिया के बोइंग "707 मकालू' विमान को, जो कि प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा के लिए निश्चित किया गया था, क्षति पहुंचाने के प्रयत्नों के विषय में लोक सभा को सूचना दी ।

28 भारत तथा बहरीन द्वारा आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए ।

— सरकार द्वारा 1981-82 के लिए नई अखबारी कागज आवंटन नीति की घोषणा की गई जिसमें छोटे तथा मध्यम समाचारपत्रों की उच्च विकास दर के लिए व्यवस्था की गई है ।

— असम में सिलचर के नजदीक, पंचग्राम में तेल मिला ।

30 भूटान के विदेश मंत्री ल्योनपो दावा सेरिंग भारत की तीन दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

मई 1 बिहार शरीफ में हिंसा से 10 जानें गईं तथा कई व्यक्ति घायल हुए ।

— अनाज तथा बकरी की खालों के बदले में सोवियत संघ भारत को 13.5 लाख टन अतिरिक्त कच्चा तेल देगा ।

2 हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री 75 वर्षीय डा० वाई० एस० परमार का शिमला में निधन हुआ ।

3 जानी-मानी फिल्म अभिनेत्री और राज्य सभा की सदस्या 52 वर्षीय नरगिस दत्त का बम्बई में निधन हुआ ।

4 सात राष्ट्र मंडलीय देशों द्वारा भारत को मलयेशिया से जोड़ने वाली 6.3 करोड़ डालर की दूरसंचार केबल परियोजना के बारे में एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ।

5 प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी स्विटजरलैंड, कुवैत, तथा संयुक्त अरब अमीरात की अपनी नौ दिन की यात्रा के पहले चरण में जेनेवा पहुंचीं ।

6. प्रधानमंत्री ने जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य परिषद के समक्ष भाषण करते हुए दवाओं में एकाधिकार को हटाने की मांग की ।

— उच्चतम न्यायालय द्वारा नक्सलवादी नेता नागभूषण पटनायक को अनिश्चित पैरोल पर रिहा किया गया ।

— कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में लौह अयस्क का विपुल भंडार पाया गया ।

7 मेघालय के मुख्यमंत्री, बी० बी० लिंगडो ने त्यागपत्र दिया।
8 डब्ल्यू० ए० संगमा मेघालय के नए मुख्यमंत्री बने।
— विश्व बैंक राजस्थान में जल आपूर्ति तथा मल निकास परियोजना के लिए 80 लाख डालर का ऋण देगा।
— उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की राज्य के बाहर स्थायी न्यायाधीशों के रूप में स्थानान्तरण पर रोक लगाई गई।
9 प्रधानमंत्री पांच दिन की यात्रा पर कुवैत पहुंचीं।
— वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा प्रसिद्ध समाज सेविका 72 वर्षीय श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख का हैदराबाद में निधन हुआ।
10 भारत तथा कुवैत द्वारा उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत परियोजना के लिए 52 करोड़ रुपये के कुवैती ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
11 विश्व बैंक द्वारा तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में फार्म प्रशिक्षण के लिए 8.8 करोड़ डालर का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई।
12 प्रधानमंत्री ने अबुधाबी में भारतीय इस्लामिक केन्द्र की आधार-शिला रखी।
18 भारतीय तेल निगम द्वारा सोवियत संघ के साथ नई दिल्ली में 1,100 करोड़ रुपये के एक तेल ठेके पर हस्ताक्षर किए गए।
21 दक्षिणी यमन के प्रधानमंत्री अली नासर मोहम्मद नई दिल्ली पहुंचे।
— जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री, राबर्ट मुगाबे चार दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे।
— अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा नौ राज्यों में गोदामों तथा शीतागारों के निर्माण हेतु भारत को 12.5 करोड़ डालर के ऋण देने की घोषणा की गई।
22 भारत तथा जिम्बाब्वे द्वारा नई दिल्ली में आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
23 आई० एन० एस० "संधायक" द्वारा किए गए सर्वेक्षण से सिद्ध हुआ कि न्यू मूर द्वीप भारत का भाग है।
— भारत को यूनिसेफ से 10.7 करोड़ डालर की सहायता मिली।
26 कांग्रेस (अर्स) के संसदीय दल नेता, वाई० बी० चव्हाण ने पार्टी के नेता पद तथा प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया।
27 भूतपूर्व पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री 78 वर्षीय केशवदेव मालवीय का नई दिल्ली में निधन हुआ।
29 भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री, 59-वर्षीय टी० ए० पै का बंगलौर में निधन हुआ।

— केन्द्र तथा असम आंदोलन के नेताओं की विदेशी नागरिकों के मामले पर नई दिल्ली में वार्ता स्थगित हुई ।

31 रोहिणी—2 कक्षा में प्रवेश करके 95 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा ।

— अरुणाचल प्रदेश के उपराज्यपाल आर० एन० हल्दीपुर ने त्यागपत्र दिया ।

जून 1 जनरल के० वी० कृष्णराव ने थलसेनाध्यक्ष (बारहवें) का पदभार ग्रहण किया ।

3 नई दिल्ली मे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन समाप्त हुआ । स्कूली शिक्षा की 10 + 2 पद्धति सारे देश में शीघ्र अपनाए जाने का सुझाव दिया ।

5 भारत तथा जांबिया ने आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग गठित करने का निर्णय किया ।

6 उत्तर पूर्वी रेलवे की समस्तीपुर-बनमंखी (416 डाउन) पैसेंजर ट्रेन बागमती में गिरी । 268 यात्री डूब गए ।

— राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी केन्या तथा जांबिया की आठ दिन की राजकीय यात्रा के बाद दिल्ली वापिस आए ।

7 प्रसिद्ध मलयालम उपन्यास तथा यात्रा संस्मरण लेखक, एस० के० पोट्टेकट्ट को उनके उपन्यास ओरु देशथिंटे कथा (एक गांव की कहानी) के लिए 1980 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया ।

9 31 मई, 1981 को छोड़ा गया 40 कि० ग्रा० भार वाला रोहिणी-2 उपग्रह अपना उद्देश्य पूरा किए बिना अंतरिक्ष में जल गया ।

10 भारत सहायता संघ द्वारा 1981–82 के लिए भारत को 345 करोड़ डालर की विकास सहायता देने की घोषणा की गई ।

11 भारत को थल-वैशत उर्वरक कारखाने, लोअर-मेट्टूर पन बिजली संयंत्र, लोअर बोरपानी पन-बिजली संयंत्र तथा हीराकुड पन-बिजली संयंत्र के लिए 28 बिलियन येन (14 करोड़ डालर से कम) का जापानी ऋण प्राप्त हुआ ।

12 भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश 80 वर्षीय पी० बी० गजेन्द्र गडकर का बम्बई मे निधन हुआ ।

— राष्ट्रपति ने ब्रिटिश इंडिया निगम, कानपुर के अधिग्रहण के लिए एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए ।

— विदेश मंत्री पी० वी० नरसिम्हा राव पाकिस्तान की पाच दिन की राजकीय यात्रा के पश्चात स्वदेश लौटे ।

13 पांच राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तथा कर्नाटक) में सात लोक सभा तथा 23 राज्य विधान सभा स्थानों के लिए उप चुनाव हुए ।

16 विदेश मंत्री तीन दिन की राजकीय यात्रा पर भूटान के लिए रवाना हुए।

18 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 500 नई बिजली परियोजनाओं के लिए 116 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया जो कि एक रिकार्ड ऋण सहायता है ।

— स्प्रिट कांड की जांच करने के लिए जिसका कि केरल तथा तमिलनाडु से सम्बन्ध था सरकार द्वारा उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एम० के० रे की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया ।

19 मणिपुर में 111 दिन पुराना राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ । श्री रिशांग किशिंग (कांग्रेस-इ) ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया गया।

— भारत का पहला प्रयोगात्मक संचार उपग्रह, "ऐप्पल" यूरोपियन अन्तरिक्ष ऐजेंसी के राकेट एरिएन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया ।

20 मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश में गढ़वाल लोकसभा चुनाव क्षेत्र में पुनः मतदान कराए जाने का आदेश जारी किया गया ।

21 केन्द्र सरकार ने दादरी, हरियाणा के डालमिया सीमेंट संयंत्र का राष्ट्रीयकरण किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

23 एयर मार्शल दिलबाग सिंह नए वायुसेनाध्यक्ष बनाए गए । वे एयर चीफ मार्शल आई० एच० लतीफ के 31 अगस्त को सेवानिवृत होने पर पद भार सम्भालेंगे ।

— वयोवृद्ध कांग्रेस नेता तथा भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री 80-वर्षीय एस० के० पाटिल का बम्बई में निधन हुआ ।

— भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा लक्जेमबर्ग में व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ।

— सोना, चांदी तथा प्लाटिनम की तैयार वस्तुओं पर सीमा शुल्क से छूट दी गई ।

— संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1981 से 21 विषयों में वस्तुपरक परीक्षा प्रारम्भ की गई ।

— दूरदर्शन, विकासशील तथा रचनात्मक विषयों पर उद्यमियों तथा पेशेवरों से संबंधित पार्टियों को श्रेय देते हुए, निशुल्क प्रायोजित कार्यक्रम स्वीकार करेगा ।

24 विदेशों को भेजे जाने वाले पार्सलों की दरों में 1 जुलाई से वृद्धि की गई ।

— नेशनल कैडिट कोर के 17 सदस्यीय दल (लड़कों का दल) ने गढ़वाल हिमालय में 6,632 मीटर ऊंची जोनाली चोटी पर विजय प्राप्त की ।

— इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा 7,756 मीटर ऊंची कामेट चोटी (भारत में तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी) पर विजय प्राप्त की गई ।

— हिंद महासागर पर कोलम्बो में जुलाई में होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, न्यूयार्क में हुई तैयारी बैठक में मतैक्य न होने के कारण स्थगित हो गया ।

26 चीन के विदेश मंत्री हुयांग हुम्रा चार दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे; भारत-चीन वार्ता प्रारम्भ हुई ।

— भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपयुक्त रोजगार की व्यवस्था करने की योजना शुरू की गई ।

— कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सोवियत संघ भारत को सहायता देने के लिए सहमत हुम्रा ।

27 उज्जैन के निकट क्षिप्रा में दिल्ली आने वाली एक यात्री बस गिरने से 28 व्यक्ति मर गए और 25 घायल हो गए ।

— चिकित्सा सुविधाओं तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के प्रबन्ध के लिए राज्यों को अधिक अधिकार दिए गए ।

28 भारत तथा चीन सितम्बर में सीमा-वार्ता आयोजित करने को सहमत हो गए । चीन मानसरोवर तथा कैलाश तक भारतीय तीर्थयात्रियों को जाने देने पर सहमत हो गया ।

— श्रीमती अनवरा तैमूर के नेतृत्व वाले असम मंत्रीमण्डल ने त्याग-पत्र दे दिया ।

— वेन्जुएला के विदेश मंत्री, डा० जोस अलबर्टो जाम्ब्रान चार दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

— गुजरात में अंकलेश्वर के नजदीक और अधिक तेल पाया गया ।

29 विदेशी नागरिकों के मामले पर असम आंदोलन के नेताओं की केन्द्रीय नेताओं से नई दिल्ली में पुन: बातचीत शुरू हुई ।

— मध्य प्रदेश मंत्रिमण्डल मे फेरबदल किया गया, संख्या बढ़कर 39 हो गई ।

— प्रसिद्ध मराठी लेखक 66 वर्षीय डी०बी० मोकाशी का पुणे में निधन हुम्रा ।

— अमृतराज बन्धु विंबलडन के पुरुषों के युगल के क्वाटर-फाइनल में पहुंचे ।

30 उच्चतम न्यायालय में श्रीमान प्रतिवादी ने रिपोर्टों को क्षति पहुँचाई।

— असम में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। विधान सभा निलंबित रही।

— भारतीय वायुसेना द्वारा विंग कमांडर एस० एस० सिंह को मेह में उनकी 1000 मीटर के लिए जो कि उच्चतम परिचालन क्षेत्र में किसी परिवहन पायलट के लिए विश्व रिकार्ड है, सम्मानित किया गया।

जुलाई 1 पाकिस्तान में भारत के राजदूत, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक का संदेश लेकर नई दिल्ली पहुंचे।

— नियंत्रित कपड़ा और महंगा होगा; जनता कपड़े पर सहायता बढ़ाकर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर कर दी गई।

— केन्द्रीय सरकार ने 2 लाख टन चीनी का आयात करने का निर्णय किया।

— अपना टेलीफोन योजना के अन्तर्गत टेलीफोन के संशोधित मूल्य तथा संशोधित विदेशी डाक दरें लागू हुई।

— सिक्किम सरकार की एक सरकारी समिति ने राज्य में नागरिकता विहीन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने हेतु 1970 को आधार वर्ष मानने की सिफारिश की।

2 राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों में पश्चिम बंगाल सत्तारूढ़ वामपंथी दल के उम्मीदवार 6 स्थानों में से 5 स्थानों पर विजयी रहे। एक स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा।

— भारत ने बांग्लादेश से चकमा जनजातियों को चित्तगोंग पहाड़ी इलाकों से त्रिपुरा तथा मिजोरम में घुसपैठ को रोकने के लिए कहा।

— भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 4 बिलियन डालर के ऋण की मांग की।

4 प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के संदेश के उत्तर में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की भारत की वचनबद्धता को दोहराया; उन्होंने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की।

5 मेघालय सरकार ने घुसपैठ को रोकने के लिए बांग्लादेश के साथ 443 किलोमीटर लम्बी सीमा को बंद करने का निर्णय किया।

6. लिवरपूल में दंगे और तेज हुए; 200 व्यक्ति घायल हुए; इंडिया हाउस के कर्मचारियों पर आक्रमण किया गया।

—भारत और थाइलैंड ने आर्थिक और औद्योगिक सहयोग के लिए एक संघ बनाने का निर्णय किया।

7. सरकार ने 750 करोड़ रुपये के चार ऋण जारी किए। यह एक समय में उधार ली जाने वाली सबसे बड़ी राशि है।

—बंगलौर तथा कर्नाटक के अन्य शहरों में अवैध शराब पीने से मौतें हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या लगभग 311 थी।

—उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल मे भारी फेर बदल। दो और मंत्री सम्मिलित किये गये।

—मणिपुर में सैनिक टुकड़ियों के साथ हुई मुठभेड़ में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सात सर्वोच्च उग्रवादी मारे गए। पी० एल० ए० के नेता विशेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया गया।

—आजाद हिन्द फौज के सुप्रीम कमाण्डर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा उपयोग में लाई गई कुर्सी, लाल किला, नई दिल्ली के दीवान-ए-आम में रखी गई।

8. मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम० एम० इस्माइल ने त्यागपत्र दिया। मुख्य न्यायाधीश के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए न्यायमूर्ति पी० के० गोकुल कृष्ण को नियुक्त किया गया।

9. गुजरात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनाव में कांग्रेस (इ) के तीनों उम्मीदवार सर्वश्री प्रणव मुखर्जी, वाणिज्य मंत्री, हरि सिंह महीडा और केशरी सिंह मेहता निर्वाचित हुए।

—भारत ने अमरीका से 15 लाख मीटरी टन गेहूं खरीदा; लदान अगस्त में आरम्भ होगा।

—सूरत में बुनाई मिल में बॉयलर-विस्फोट हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 23 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने मध्य प्रदेश में कोरबा ताप बिजली घर के दूसरे चरण के लिए 40 करोड़ डालर के ऋण की स्वीकृति दी।

10 नई दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने गेहूं, चीनी और खाद्य तेलों के आयात करने की सरकार की योजना की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा की कि देश का पांचवां परमाणु विद्युत संयंत्र गुजरात में कोकरपाड़ा में स्थापित किया जाएगा।

— सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में भारी वृद्धि की घोषणा की।

11 राष्ट्रपति ने मुद्रास्फीति तथा कर अपवंचन रोकने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन तथा अनिवार्य जमा योजना संबंधी दो अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किए।

— राजस्थान के मुख्य मंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने त्यागपत्र दिया।

— रिजर्व बैंक ने बैंक दर [illegible] प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी।

14 55 वर्षीय शिवचरण माथुर ने राजस्थान के नए मुख्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

15 नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार तथा असम आन्दोलन के नेताओं के बीच वार्ता का नौवां दौर पुनः मिलने के समझौते के साथ समाप्त हुआ।

16 देश का पहला भू-स्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह 'ऐपल' अंतरिक्ष में 102 डिग्री पूर्व देशान्तर पर उसके निर्धारित स्थान पर स्थापित किया गया।

— सोवियत संघ और भारत के विदेश मंत्रियों की वार्ता मास्को में समाप्त हुई।

— तमिलनाडु में मद्य-निषेध समाप्त किया गया।

— तेज गति वाली इन्दौर-बिलासपुर यात्री गाड़ी की एक माल गाड़ी से टक्कर हुई जिसमें 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 40 व्यक्ति घायल हुए।

17 प्रमुख विरोधी दलों के नेता जनता पार्टी के टूटने के बाद पहली बार नई दिल्ली में निर्वाचन सुधार के मसले के बारे में एक सामान्य मंच पर मिले।

— भारत को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित एक करार के अन्तर्गत दूर संचार और जल विद्युत विस्तार कार्यक्रमों के लिए परियोजना सहायता के रूप में 68.5 करोड़ रुपये की जापानी सहायता प्राप्त होगी।

18 एक नयी पार्टी "डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी" अस्तित्व में आई। यह तीन विरोधी दलों (सोशलिस्ट पार्टी, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फ्रन्ट और जनवादी पार्टी) के एक पार्टी में विलय हो जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप हुआ।

— गुजरात में डांगर्वा गांव के निकट अहमदाबाद जाने वाली दिल्ली मेल के पटरी से उतर जाने के परिणामस्वरूप 19 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 25 से अधिक व्यक्ति घायल हुए।

— कर्नाटक सरकार के प्रबंधाधीन संयुक्त स्टाक कम्पनी मैसूर पेपर मिल्स ने परीक्षण के तौर पर अखबारी कागज का उत्पादन आरम्भ किया।

19 उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एसोसिएटेड हास्पिटल का प्रबंध अपने हाथ में लिया।

— जयपुर का भारी वर्षा के कारण सम्पर्क टूट गया।

— रेल मंत्री ने वाराणसी में यह घोषणा की कि अगले तीन महीने के भीतर इलाहाबाद में एक रेलवे कोच निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी।

20 प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले में बीरसिंहपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत वाली संजय गांधी ताप बिजली घर परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी।

— वर्ष 1981-82 के लिए 8,400 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

— मणिपुर सरकार के सलाहकार (कृषि) एस० बी० भौमिक की दो अज्ञात युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

— पंजाब के मुख्य मंत्री दरबारासिंह, ब्रिटेन में भारतीय मूल को प्रभावित करने वाले नस्ली दंगों के बाद उस देश की 10 दिन की यात्रा के पश्चात् नई दिल्ली लौटे।

21 रेलवे ने लगभग 90,000 लोको कर्मचारियों तथा गार्डों के लाभ के लिए संशोधित वेतनमान तथा भत्तों की एक योजना की घोषणा की।

— आकाशवाणी में राष्ट्रीय एकीकरण और एकता से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए एक नया राष्ट्रीय चैनल होगा।

22 भारत के पहले प्रायोगिक संचार उपग्रह एपल ने दूरदर्शन कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक प्रसारण करके अपना कार्य करना आरम्भ किया।

— प्रकाश मेहरोत्रा को असम तथा मेघालय का राज्यपाल और एस० एम० एच० बर्नी को मणिपुर, त्रिपुरा तथा नगालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

— भारत और घाना के बीच व्यापार करार को अंतिम रूप दिया गया। इसके अंतर्गत, व्यापार और वाणिज्यिक पोतों के मामले में एक दूसरे के साथ 'सर्वाधिक रियायतों का पात्र देश' वाला व्यवहार किया जाएगा।

— मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में डरवा क्षेत्र में यूरेनियम मिला।

23. निर्वाचन आयोग द्वारा इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाले दल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मान्यता और देवराज अर्स की कांग्रेस(अ) को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अमान्यता।

24. प्रधानमंत्री तीन दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीनगर पहुंचीं।

— डाकतार विभाग द्वारा 'ऐपल' के साथ महत्वपूर्ण 'समय विभाजन बहुअक्ष' कक्ष (टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस) प्रयोग आरम्भ।

25. सरकार ने बांग्लादेश का यह आरोप अस्वीकार किया कि न्यू-मूर द्वीपसमूह के मामले पर तनाव कम करने के उपायों के बारे में अपनी बात टिके रहना नहीं चाहता।

— गुड़गांव की सहायक पुलिस अधीक्षक श्रीमती दीपा मेहता को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक; यह शौर्य पदक प्राप्त करने वाली यह उच्चतम प्रथम महिला अफसर हैं।

26. राष्ट्रपति द्वारा दो अध्यादेश जारी किए गए; (1) वनस्पति तेलों पर सीमा-शुल्क बढ़ाने और (2) समाचारपत्र नियोजकों द्वारा छटनी से अंशकालिक संवाददाताओं की रक्षा के बारे में है।

27. सरकार ने एक राष्ट्रपतीय अध्यादेश "आवश्यक सेवा अनुरक्षण अध्यादेश" के माध्यम से किसी भी आवश्यक सेवा में हड़ताल पर रोक लगाने तथा अपराधों की संक्षिप्त सुनवाई के लिए शक्तियां प्राप्त कीं।

— कृषि मूल्य आयोग ने 1981-82 के लिए धान की सामान्य किस्मों का समर्थन मूल्य 115 रुपये प्रति क्विंटल रखा।

— राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, राजकुमार चार्ल्स के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए पांच-दिन की यात्रा पर लंदन पहुंचे।

28. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मारुति आयोग की रिपोर्ट अस्वीकार की।

भारत तथा अर्जेंटीना के मध्य व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के प्रथम करार पर ब्यूनस आइरस में हस्ताक्षर हुए।

— भारत और अर्जेंटीना के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए ब्यूनस आइरस में पहले करार पर हस्ताक्षर किए.।

— उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 10वें एशियाई खेल स्मारक टिकट शृंखला की प्रथम दो टिकटें जारी कीं।

29 इण्डियन एयर लाइंस ने 1 अगस्त से यात्री किराए में 12 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की। मालभाड़ा में 1 सितम्बर से 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

30 नई दिल्ली में तारापुर संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन की सप्लाई के बारे में भारत-अमरीकी वार्ता आरम्भ हुई। यह वार्ता बिना किसी समझौते के 31 जुलाई को समाप्त हुई।

— नई दिल्ली में भारत-नाइजीरियाई संयुक्त आयोग विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के लिए सहमत हुआ।

अगस्त 1 राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ब्रिटेन की पांच दिन की यात्रा के पश्चात् भारत लौटे।

— जयपुर के 54 वर्षीय डा० प्रमोद करण सेठी को सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1981 रैमन मैगासेसे पुरस्कार मिला।

2 असम आन्दोलन के नेताओं व केन्द्रीय सरकार के बीच शिलंग में विदेशी नागरिकों के मामले पर वार्ता आरम्भ हुई।

4 उच्चतम न्यायालय ने आवश्यक सेवाएं बनाए रखने वाले अध्यादेश का अनुमोदन किया।

— आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, माल्कोम फ्रेजर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले।

— कर्नाटक के योजना तथा वक्फ मंत्री, सी० एम० इब्राहम ने त्यागपत्र दिया।

5 राज्य श्रम मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि के आधार पर उपदान निधि बनाने के सुझाव के साथ समाप्त हुआ।

— देवराज अर्स के नेतृत्व वाली कांग्रेस (अ) दो दलों में विभक्त हुई। जगजीवन राम के नेतृत्व में बनी नयी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई० एन० सी०) रखा गया।

— भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की कि देश के अपने प्रक्षेपण वाहन एस० एल० वी० 3 से छोड़ा गया पहला भारतीय उपग्रह रोहणी-I 24 जुलाई को जल गया।

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कालेजो के विकास के लिए शत प्रतिशत सहायता देने का निर्णय किया।

6 योजना आयोग ने 1981-82 के लिए वार्षिक योजना जारी की ।

— भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता 66 वर्षीय भूपेश गुप्त का हृदय गति रुकने के कारण मास्को में निधन हुआ।

— 23 जून 1980 को हुई पिट्स विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट जारी की गई।

7 सरकार ने 18 या 14 कैरेट सोने के जेवर और आभूषण अलग-अलग चरणों में फिर से आरम्भ करने की आई० जी० पटेल समिति की सिफारिशें अस्वीकार की।

— सरकार ने आकाशवाणी के चेनल "क" पर वाणिज्यिक सेवा आरंभ करने का निर्णय किया।

8 केन्द्रीय मंत्रिमंडल में थोड़ा फेर बदल किया गया, योजना मंत्री नारायण दत्त तिवारी को उद्योग मंत्री तथा शिक्षा मंत्री एस० बी० चव्हाण को योजना मंत्री, श्रीमती शीला कौल को मंत्रालय का पूर्ण प्रभार देकर शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्री बनया गया ।

— राष्ट्रपति ने राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को तत्काल राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देने के लिए कहा।

— भारत को दूर संचार विकास के लिए 8020 लाख डालर की विश्व बैंक से सहायता मिली।

— सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए अग्रिम योजना सहायता के रूप में 1977-78 तथा 1979-80 के दौरान राज्यों को दी गई 1,412 करोड़ रुपये की राशि की वसूली न करने का निर्णय किया।

9 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चार-दिन की राजकीय यात्रा पर नैरोबी पहुंची।

— चौदह केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों तथा उनके विभागों में परिवर्तन किया गया।

— बंगाली पत्रकार तथा लेखक गौर किशोर घोष को पत्रकारिता, साहित्य तथा रचनात्मक सम्प्रेषण कला के लिए 1981 का रेमन मेगासेसे पुरस्कार मिला।

10 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नैरोबी में ऊर्जा के नए और फिर से उपयोग में लाए जा सकने वाले स्रोतों के बारे में राष्ट्रसंघ सम्मेलन को सम्बोधित किया। परम्परागत ऊर्जा का शोषण न किए जाने तथा उसका समान वितरण किए जाने और अशक्त कर देने वाले तेल संकट का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों को सहायता करने की आवश्यकता पर बल दिया।

— भारत और केन्या ने हिन्द महासागर में सैन्यीकरण करने की महाशक्तियों की चालों का विरोध करने का अपना संकल्प व्यक्त किया और इसे शांति क्षेत्र बनाए रखने की प्रतिज्ञा की ।

12. नरोबी में प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने पर्यावरण संबंधी खतरों के आधार पर भारत के परमाणु विद्युत उत्पादन कार्यक्रमों का समाप्त किए जाने की सम्भावना से इन्कार किया।

— भारत ने केन्या के औद्योगिक विकास के लिए उसे 1 अरब केन्याई शिलिंग का ऋण देने का प्रस्ताव किया ।

— 1981 के जमनालाल बजाज पुरस्कार की घोषणा की गई, कुमारी प्रमालग्रोव दास (गुवाहाटी), रमा देवी गोपबन्धु चौधरी (कटक) और ए० एम० एम० मरुगप्पा चेत्तियार अनुसंधान केन्द्र (निदेशक, डा० सी० वी० शेषाद्रि) पुरस्कार के लिए चुने गए ।

— राजस्थान में नशाबन्दी समाप्त हुई ।

13. भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह "ऐप्पल" के माध्यम से प्रसारण आरंभ हुआ ।

— दिल्ली दूरदर्शन द्वारा आयोजित टेलीविजन से प्रसारित एक प्रेस सम्मेलन में आर्थिक मंत्रालयों का कार्य देखने वाले पांच केन्द्रीय मन्त्रियों ने संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए।

14 उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस (इ) को असली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानने और कांग्रेस (अ) को मान्यता न देने के निर्वाचन आयोग के आदेश के विरुद्ध कांग्रेस (अ) के अध्यक्ष के माध्यम से और कश्मीर के कांग्रेस (अ) के विधायक भीमसिंह द्वारा दायर की गयी दो याचिकाएं खारिज की ।

— सरकार ने असम में आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के अध्यादेश के उपबन्धों को लागू किया ।

— रेलवे ने सभी मानद पास रद्द कर दिए

16. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देखी गई बाढ़ से प्रभावित राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 11 राज्यों में 432 जानें गई और फसलों, मकानों, जनोपयोगी सेवाओं की 103 करोड़ रुपये की क्षति हुई ।

17. संसद का वर्षाकालीन सत्र आरंभ हुआ ।

सात राज्य सरकारों ने 143.5 करोड़ रुपये के 12 वर्षीय विकास ऋण जारी किए ।

— उत्तर प्रदेश में छः और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की जिससे मंत्रिमण्डल की सदस्य संख्या बढ़कर 47 हो गई ।

— राज्य सभा के सदस्य तथा भूतपूर्व मंत्री कृष्ण चन्द पंत ने कांग्रेस (अ) पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया।

18. केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों तथा असम आंदोलन के नेताओं के बीच नई दिल्ली में वार्ता पुनः आरंभ हुई ।
— लोक सभा ने भारतीय आयात-निर्यात बैंक विधेयक पारित किया ।
— केन्द्र सरकार ने निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा बोनस शेयर जारी किए जाने के बारे में नए मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा की ।
19 प्रधानमंत्री ने लोक सभा में इस बात की पुष्टि की कि पश्चिम क्षेत्र में फौजों की पारस्परिक कमी का प्रस्ताव पाकिस्तान ने रखा था ।
— भारत और केन्या ने इंधन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए वनरोपण कार्यक्रमों में तत्काल त्वरित वृद्धि करने की आवश्यकता के बारे में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा सम्मेलन में एक संयुक्त संकल्प रखा ।
20. केन्द्रीय सरकार के खाते में धान और चावल की सभी भावी खरीद गेहूं की भांति राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी ।
21. जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने नेशनल कांफ्रेंस का अध्यक्ष पद अपने पुत्र डा० फारुक अब्दुल्ला, संसद सदस्य को सौंपा ।
— 96 वर्षीय सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी, आचार्य काका साहिब कालेलकर, का नई दिल्ली में निधन हुआ ।
22. भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन ने अनुमान लगाया कि 1980-81 के दौरान देश की राष्ट्रीय आय में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
— सत्ता रूढ़ नेशनल कांफ्रेंस ने अपने वार्षिक अधिवेशन में जम्मू और कश्मीर राज्य की 1953 से पूर्व की जैसी स्वायत्तता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की ।
23 फ्रांस के विदेश मंत्री, क्लाड चेसन भारत की दो दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।
— आयकर विभाग ने बम्बई में एक बड़े हवाला घोटाले का पता लगाया जिसमें 40 करोड़ रुपये से अधिक का जाली लेन-देन किया गया ।
24. देवराज अर्स ने कांग्रेस (अ) पार्टी की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया ।
25. लोकसभा ने जमाखोरी और चोरबाजारी रोकने के लिए दो विधेयक (1) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) विधेयक तथा (2) आवश्यक वस्तु चोरबाजारी निवारण तथा सप्लाई बनाए रखना (संशोधन) विधेयक पारित किए ।

— पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, टी० एन० सिंह ने त्यागपत्र दिया ।

— मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों ने नर्मदा जल को आपस में बांटने के बारे में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

— कांग्रेस (अ) की कार्यकारिणी ने शरद पवार को पार्टी का अन्तरिम अध्यक्ष चुना ।

26 दक्षिण-पूर्व एशियाई मसलों के बारे में वार्ता के लिए कम्पूचिया के विदेशमंत्री, हून सेन के नेतृत्व में छः सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्ली पहुंचा ।

— अमीनुद्दीन अहमद खान ने पंजाब के राज्यपाल के रूप में और अशोक नाथ बनर्जी ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की ।

27 भारत ने कम्पूचिया के पुनर्निर्माण में कम्पूचिया के विदेश मंत्री, हून सेन को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया ।

— सोवियत उप-विदेश मंत्री, निकोलाई फिरयूबिन इस्लामाबाद की वार्ता के पश्चात् नई दिल्ली पहुंचे ।

29 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स दोनों में ही विमान परिचारिकाएं अब 45 वर्ष की आयु तक काम कर सकती हैं।

30 भारत ने गोदावरी तेल अन्वेषण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से 1200 लाख डालर के ऋण की मांग की।

— 78 वर्षीय शिक्षाविद् तथा राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य, डा० नीहार रंजन रे, का कलकत्ता में निधन हुआ ।

— भारत ने क्योटो (जापान) में जापान को 2–1 से हराकर एशियाई महिला हाकी चैम्पियनशिप जीती ।

31 दिल्ली आने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के रालपेट तथा सीरपुर कागजनगर के बीच पटरी से उतर जाने के कारण 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 39 व्यक्ति घायल हुए ।

— महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राज्य की राजस्व मंत्री श्रीमती शालिनीताई पाटिल को राज्य मंत्री पद से हटाने की मुख्य मंत्री, ए० आर० अन्तुले की सिफारिश स्वीकार की ।

— एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह ने नई दिल्ली में सेवानिवृत्त हो रहे एयर चीफ मार्शल ईदरीस हसन लतीफ से वायुसेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया ।

— लोक सभा ने रंगभेद विरोधी (संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) विधेयक जिसमें रंगभेद के उन्मूलन तथा दण्ड संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रभावी बनाने की व्यवस्था है, पारित किया

18. केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों तथा असम आंदोलन के नेताओं के बीच नई दिल्ली में वार्ता पुनः आरंभ हुई ।

— लोक सभा ने भारतीय आयात-निर्यात बैंक विधेयक पारित किया ।

— केन्द्र सरकार ने निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा बोनस शेयर जारी किए जाने के बारे में नए मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा की ।

19 प्रधानमंत्री ने लोक सभा में इस बात की पुष्टि की कि पश्चिम क्षेत्र में फौजों की पारस्परिक कमी का प्रस्ताव पाकिस्तान ने रखा था ।

— भारत और केन्या ने ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए वनरोपण कार्यक्रमों में तत्काल त्वरित वृद्धि करने की आवश्यकता के बारे में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा सम्मेलन में एक संयुक्त संकल्प रखा ।

20. केन्द्रीय सरकार के खाते में धान और चावल की सभी भावी खरीद गेहूं की भांति राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी ।

21. जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने नेशनल कांफ्रेंस का अध्यक्ष पद अपने पुत्र डा० फारुक अब्दुल्ला, संसद सदस्य को सौंपा ।

— 96 वर्षीय सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी, आचार्य काका साहिब कालेलकर, का नई दिल्ली में निधन हुआ ।

22. भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन ने अनुमान लगाया कि 1980-81 के दौरान देश की राष्ट्रीय आय में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

— सत्ता रूढ़ नेशनल कांफ्रेंस ने अपने वार्षिक अधिवेशन में जम्मू और कश्मीर राज्य की 1953 से पूर्व की जैसी स्वायत्तता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की ।

23. फ्रांस के विदेश मंत्री, क्लाड चेसन भारत की दो दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

— आयकर विभाग ने बम्बई में एक बड़े हवाला घोटाले का पता लगाया जिसमें 40 करोड़ रुपये से अधिक का जाली लेन-देन किया गया ।

24. देवराज अर्स ने कांग्रेस (अ) पार्टी की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया ।

25. लोकसभा ने जमाखोरी और चोरबाजारी रोकने के लिए दो विधेयक (1) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) विधेयक तथा (2) आवश्यक वस्तु चोरबाजारी निवारण तथा सप्लाई बनाए रखना (संशोधन) विधेयक पारित किए ।

— पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, टी० एन० सिंह ने त्यागपत्र दिया ।

— मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों ने नर्मदा जल को आपस में बांटने के बारे में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

— कांग्रेस (अ) की कार्यकारिणी ने शरद पवार को पार्टी का अन्तरिम अध्यक्ष चुना ।

26 दक्षिण-पूर्व एशियाई मसलों के बारे में वार्ता के लिए कम्पूचिया के विदेशमंत्री, हून सेन के नेतृत्व में छः सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्ली पहुंचा ।

— अमीनुद्दीन अहमद खान ने पंजाब के राज्यपाल के रूप में और अशोक नाथ बनर्जी ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की ।

27 भारत ने कम्पूचिया के पुनर्निर्माण में कम्पूचिया के विदेश मंत्री, हून सेन को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया ।

— सोवियत उप-विदेश मंत्री, निकोलाई फिरयूबिन इस्लामाबाद की वार्ता के पश्चात् नई दिल्ली पहुंचे ।

29 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स दोनों में ही विमान परिचारिकाएं अब 45 वर्ष की आयु तक काम कर सकती हैं।

30 भारत ने गोदावरी तेल अन्वेषण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से 1200 लाख डालर के ऋण की मांग की ।

— 78 वर्षीय शिक्षाविद् तथा राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य, डा० नीहार रंजन रे, का कलकत्ता में निधन हुआ ।

— भारत ने क्योटो (जापान) में जापान को 2–1 से हराकर एशियाई महिला हाकी चैम्पियनशिप जीती ।

31 दिल्ली आने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के रालपेट तथा सीरपुर कागजनगर के बीच पटरी से उतर जाने के कारण 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 39 व्यक्ति घायल हुए ।

— महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राज्य की राजस्व मंत्री श्रीमती शालिनीताई पाटिल को राज्य मंत्री पद से हटाने की मुख्य मंत्री, ए० आर० अन्तुले की सिफारिश स्वीकार की ।

— एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह ने नई दिल्ली में सेवानिवृत्त हो रहे एयर चीफ मार्शल ईदरीस हसन लतीफ से वायुसेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया ।

— लोक सभा ने रंगभेद विरोधी (संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) विधेयक जिसमें रंगभेद के उन्मूलन तथा दण्ड संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रभावी बनाने की व्यवस्था है, पारित किया ।

सितम्बर 1 लोक सभा ने नौवहन अधिनियम में संशोधन करने का बिल पास किया ।

— श्रीमती शालिनीताई पाटिल को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से निष्कासित किया गया ।

2 उच्चतम न्यायालय ने एक के मुकाबले चार के बहुमत से विशेषधारा बांड योजना को सांविधानिक दृष्टि से वैध घोषित किया ।

— वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा स्थापित न्यास निधियों की जांच कराने से इन्कार किया ।

3 लोक सभा को सूचित किया गया कि मुद्रास्फीति की दर को जो 1979 में 22.2 प्रतिशत थी, कम करके 1981 में 10.4 प्रतिशत कर दी गई ।

4 तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को बम्बई हाई के निकट नए तेल क्षेत्र का पता चला ।

— प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने भुवनेश्वर का दौरा किया ।

— अध्यापकों के लिए 1981 के राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई ।

— मणिपुर में 11 और मंत्रियों को शामिल करके कांग्रेस (इ) मंत्रिमण्डल का विस्तार किया गया ।

5 सरकार के सचिवों के साथ हुई एक बैठक में प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रीय ध्येय के प्रति अधिक निष्ठा की आवश्यकता पर बल दिया ।

— राष्ट्रपति, नीलम संजीव रेड्डी ने नई दिल्ली में एक समारोह में शिक्षकों को 1980 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए ।

6 भारत और बांगला देश ने न्यू मूर द्वीप समूह के बारे में तनाव को समाप्त करने के प्रयासों में सफलता मिलने की घोषणा की ।

7 त्रिपुरा, नगालैंड, असम और गुजरात में तेल का पता चला ।

— लोकसभा, अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने वित्त मंत्री के विरुद्ध विरोधी पक्ष के कई सदस्यों द्वारा दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं अस्वीकार कर दीं ।

— अफगानिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद दोस्त नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले ।

8 प्रधानमंत्री ने बम्बई में महिला इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन किया ।

— मेडागास्कर के राष्ट्रपति, दीदियर रतसीरका भारत की दो दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

— राज्यसभा ने आयुध संशोधन विधेयक पारित किया।
— रेल कर्मचारियों को 24 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा।

9 82 वर्षीय स्वतन्त्रता सेनानी और पत्रकार, लाला जगत नारायण को लुधियाना से जालन्धर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई।

— दो संसद सदस्यों डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी और हरीशचन्द्र सिंह रावत सहित अठारह तीर्थयात्री नई दिल्ली से मानसरोवर के लिए रवाना हुए।

10 लोकसभा में आवश्यक सेवाए बनाए रखने का विधेयक पेश किया गया।

— सरकार ने काफी पर निर्यात शुल्क में छूट दी।

— राज्यों से जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया ताकि छठी पंचवर्षीय योजना के लाभ निष्प्रभावी न हों।

11 सात राज्यों के श्रम मंत्रियों ने 1 जनवरी, 1982 से 7 रुपये से 8 रुपये की दर से समान न्यूनतम मजदूरी देने की सिफारिश की।

— केन्द्र सरकार ने हरिजनों पर अत्याचार करने वालों के विरुद्ध दायर मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए राज्यों से विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए कहा।

— बांग्लादेश के विदेश मंत्री, प्रो० मोहम्मद सामसुल हक दो दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे।

12 श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ तमिलनाडु में एक दिन का बंद आयोजित किया गया।

— बी० पी० पांडे ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की।

13 भारत और बांग्लादेश अक्तूबर में वार्ता करने के लिए सहमत हुए। यह निर्णय नई दिल्ली में हुई विदेश मंत्रियों की दो दिन की बातचीत के बाद हुआ।

— सेलम इस्पात संयंत्र का पहला चरण चालू हुआ।

— जितेन्द्र नारायण आयोग ने जमशेदपुर के दंगों के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को दोषी ठहराया।

— भारतीय वायुसेना ने एम० आई०-4 हैलीकोप्टरों को धीरे-धीरे काम में लाना बंद कर दिया।

— राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ने पोंग डैम से हटाए गए लोगों के पुनर्वास संबंधी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

14 बंगलौर में 30 लाख टन क्षमता के टेलेलाइजेशन संयंत्र स्थापित करने के लिए रूमानिया के साथ दो ठेकों पर हस्ताक्षर किए।

15 पंजाब में फगवाड़ा के निकट एक प्राइवेट बस के नदी में गिर जाने से सत्ताईस व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा बीस व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए।

— आर्थिक प्रशासन सुधार सम्बन्धी झा पैनल ने विलम्ब में कमी करने के उपायों का सुझाव दिया।

16 लोकसभा ने आवश्यक सेवाएं बनाए रखने वाला विधेयक पारित किया।

— विश्व बैंक ने तमिलनाडु में कागज मिल का निर्माण करने तथा मध्य प्रदेश में सिचाई का विकास करने के लिए 270 करोड़ रुपये से अधिक के दो ऋणों को मंजूरी दी।

— उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस के कानपुर के निकट गंगा में गिर जाने से चालीस यात्री मरे तथा चार यात्री घायल हुए।

— संसद ने एक विधेयक पारित किया जिससे सरकार बर्मा आयल कम्पनी तथा असम तेल कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर सके।

17 लोक सभा ने इन्दिरा गांधी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 83 के मुकाबले 294 मतों से अस्वीकार किया।

18 1980–81 के विपणन अवधि के दौरान खरीफ के मौसम के लिए धान का खरीद मूल्य 115 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। यह मूल्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाए गए मूल्य से 5 रुपये अधिक है।

— संसद के दोनों सदनों की बैठक पांच सप्ताह के वर्षाकालीन सत्र के पश्चात अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गई।

19. चुनाव आयोग ने गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 22 नवम्बर 1981 को फिर से निर्वाचन करने का निर्णय किया।

— तमिलनाडु में शिवकाशी स्थित पटाखों की एक फैक्टरी में आग लगने के कारण 30 जानें गईं।

20 संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले द्वारा पुलिस को आत्मसमर्पण करने के कारण अमृतसर में हिंसा भड़क उठी।

— बोतस्वाना के राष्ट्रपति, डा० क्यू० के०जे० मसीरे राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे।

— बम्बई में बिजली गिरने के कारण अठारह व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 44 अन्य व्यक्ति घायल हुए।

21 प्रधानमंत्री, इन्दिरा गांधी की हत्या के षडयंत्र का पता चला। बिहार के दो युवक गिरफ्तार किए गए।

22 प्रधानमंत्री ने पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए चंडीगढ़ का दौरा किया।
— तीन भारतीय महिलाओं ने नन्दा देवी शिखर पर विजय प्राप्त की।

23 प्रधानमंत्री, इन्दिरा गांधी, कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तथा आस्ट्रेलिया के 16 दिन के दौरे पर रवाना हुई।
— बम्बई में भारी वर्षा से 17 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

24 प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति से बातचीत की।
— रामानुजम समिति की सिफारिशों पर सरकार ने 500 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों को रखने की अनुमति देने का निर्णय किया।

25 श्रीमती इन्दिरा गांधी साउथ पैसिफिक द्वीप समूह की तीन दिन की यात्रा पर फिजी पहुंची।
— तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने दक्षिण भारत में कावेरी नदी घाटी के क्षेत्र में पहली बार तेल का पता लगाया।
— सरकार ने उत्पादकता से सम्बद्ध योजना के अंतर्गत डाकतार कर्मचारियों को 1980–81 के लिए 21 दिन के वेतन के बराबर बोनस की मंजूरी देने का निर्णय किया।

26 भू-वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किए गए अन्वेषणात्मक अध्ययन से केन्द्र को केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में यूरेनियम की उपस्थिति का पता चला।

27 सरकार ने कानून द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और शारीरिक दृष्टि से विकलांग लोगों के लिए नौकरियों के आरक्षण निजी क्षेत्र में भी करने का निर्णय किया।

28 सरकार ने चावल के निर्गम मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, जो अक्तूबर 1981 से लागू होगी, करने की घोषणा की।

29 दिल्ली से श्रीनगर जा रहे इण्डियन एयर लाईन्स के बोइंग-737 को अपहरण करके लाहौर ले जाया गया।
— निर्वाचन आयोग ने गढ़वाल संसदीय चुनाव क्षेत्र में पुनः मतदान करने की तारीख 22 नवम्बर, 1981 अधिसूचित की।

30 पाकिस्तानी कमांडों ने इण्डियन एयरलाइन्स के बोइंग के पांच अपहरणकर्ताओं को बन्दी बनाया और विमान में सवार शेष (45) यात्रियों को मुक्त किया।

— राज्य सिंचाई मंत्रियों का छठा सम्मेलन नई दिल्ली में अन्तरराज्यीय नदी जल विवादों को शीघ्र निपटाने तथा एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास परिषद की स्थापना के आह्वान के साथ समाप्त हुआ।

अक्तूबर 1 केन्द्र सरकार ने चीनी के अगले सीजन के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य 13 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया।

— सरकार ने सीमावर्ती राज्यों में बांग्लादेश के नागरिकों के अनाधिकृत रूप से आने की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक पेनल बनाया।

— अखिल भारतीय ग्रामीण खेल श्रीनगर में आरम्भ हुए।

4 प्रधानमंत्री ने कैनबरा, आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायोग के लिए नए कार्यालय भवन का उद्‌घाटन किया।

— भारत ने ब्रिस्बेन में पूर्व-राष्ट्र मण्डल बेडमिंटन खेलों में सात और स्वर्ण पदक जीते।

5 राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन ने 1983 में नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित करने के भारत के आमंत्रण को स्वीकार किया।

— 78 वर्षीय हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखक भगवती चरण वर्मा, का नई दिल्ली में निधन हुआ।

— त्रिपुरा में बाड़मरा में प्राकृतिक गैस का पता चला।

7 उप राष्ट्रपति एम० हिदायतुल्ला कनाडा की चार दिन की राजकीय यात्रा पर मोन्ट्रियाल पहुंचे।

— विश्व बैंक और उसकी सम्बद्ध संस्था अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत को 1790 लाख डालर के दो ऋण देने की मंजूरी दी।

8 प्रधानमंत्री, फिलीपीन्स की दो दिन की राजकीय यात्रा पर मनीला पहुंचीं।

9 प्रधानमंत्री, पांच देशों के 17 दिन के दौरे से नई दिल्ली लौटीं।

— विदेश मंत्री पी० वी० नरसिम्हा राव ने कुआलालम्पुर में द्विपक्षीय मामलों पर मलेशियाई नेताओं से बातचीत की।

10 घाना के राष्ट्रपति डा० हिल्ला लिमन्न छः दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

11 विदेश मंत्री द्विपक्षीय सम्बन्धों तथा क्षेत्रीय मामलों के बारे में बातचीत करने के लिए तीन दिन की राजकीय यात्रा पर बर्मा पहुंचे ।

— प्रकाश पादुकोन, ने कुआलालम्पूर में विश्व कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में हन जियान को 15-0, 18-16 से हराया ।

12 चेंगरा वीटिल देवन नैयार (भारतीय मूल के) को बेंजामिन शीरेस के स्थान पर सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किया गया ।

13 नई दिल्ली में, भारत और घाना ने आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ करने के लिए पांच करारों पर हस्ताक्षर किए । एक करार के अनुसार भारत घाना को 5 करोड़ रुपये तक की सहायता देगा ।

14 कुल्लु जिले में हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की एक बस के गहरे नाले में गिर जाने से चालीस व्यक्तियों की मृत्यु हुई और सैंतीस व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए ।

16 प्रधान मंत्री ने पंजाब की वर्तमान स्थिति के बारे में लोंगोंवाल ग्रुप से संबंधित अकाली नेताओं तथा पंजाब के हिन्दू संगठनों के साथ अलग से बातचीत की ।

— नई दिल्ली में, भारत और अल्जीरिया ने अल्जीरिया में रेलवे के विकास के लिए तकनीकी सहयोग के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए ।

— कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए कुटुम्ब पेंशन योजना को और उदार बनाने की सिफारिश की ।

17 केरल के राज्यपाल ने वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के कांग्रेस (एस) के चार मंत्रियों का त्यागपत्र स्वीकार किया ।

18 प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी रोमानिया, कनाडा, मेक्सिको और ब्रिटेन की दस दिन की यात्रा पर दिल्ली से रवाना हुई ।

— प्रधान मन्त्री बुखारेस्ट पहुंची ।

— वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व महानिदेशक, डा० आत्मा राम को जैन तुलसी फाउन्डेशन द्वारा संस्थापित एक लाख रुपये का पहला अणुव्रत पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

— पंजाब और हरियाणा सरकारों ने 20 सितम्बर, 1981 को क्रमशः मेहता चौक और चन्दो कलां में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की परिस्थितियों की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की।

19 प्रधान मंत्री ने रोमानिया के राष्ट्रपति, कैसेस से बातचीत की।

— हांगकांग में हस्ताक्षरित एक करार के अनुसार विदेशी बैंक का संघ, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा पूंजी निवेश निगम को लगभग 39 करोड़ रुपये का ऋण देगा।

— कर्नाटक में मैसूर जिले के गोपीनाथन गांव में टैंक में दरार पड़ जाने के कारण एक सौ बीस व्यक्ति डूब गए।

— हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवाणु में स्थित एशिया का सबसे बड़ा फल संसाधन संयंत्र चालू किया गया।

20 प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी बुखारेस्ट से मान्ट्रियल के लिए रवाना हुईं।

— केरल में, केरल कांग्रेस (मणि गुट) द्वारा अपना समर्थन वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप ई० के० नयनार के नेतृत्व वाले वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा मंत्रिमण्डल ने त्याग पत्र दिया।

— बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एस) के दो दिन के अधिवेशन में पार्टी के अन्तरिम अध्यक्ष, शरद पवार को अध्यक्ष चुना गया।

— भारत का दूसरा उपग्रह, भास्कर-दो को भू-प्रेक्षण के लिए सोवियत विमान में बंगलौर से मास्को ले जाया गया।

— राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश की छः दिन की यात्रा के पश्चात नई दिल्ली लौटे।

21 प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी और अमरीका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कानकुन, मैक्सिको में द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की।

— केरल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।

— वाराणसी में विश्व संस्कृत सम्मेलन आरंभ हुआ।

22 प्रधान मंत्री, इन्दिरा गांधी ने कानकुन, मैक्सिको में अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बातचीत की।

— उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने डकैती-विरोधी अध्यादेश जारी किया।

— हरबचन सिंह ने जम्मू-कश्मीर मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दिया।

23 प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने कानकुन शिखर सम्मेलन के समापन अधिवेशन में सम्मेलन को सफल बनाने हेतु मेलमिलाप की भावना पर बल दिया।

— विदेशी मंत्री पी० वी० नरसिंह राव ने पंजाब के मसले पर अकाली नेताओं के साथ वार्ता का पहला दौर आरम्भ किया।
— उप राष्ट्रपति एम० हिदायतुल्ला ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, जापान और सिंगापुर की एक महीने की लम्बी यात्रा के पश्चात स्वदेश लौटे।
— बड़ौदा के राम मूलचन्द लालवानी को नई दिल्ली मे 14 अप्रैल, 1980 को प्रधान मंत्री को मार डालने की कोशिश के लिए तीन वर्ष का कठोर कारावास दिया गया।
— भारत के पहले प्रायोगिक उपग्रह, ऐपल, में ताप अवरोध पैदा हुआ।

25. *प्रधान मंत्री स्वदेश वापसी पर-लन्दन रुकीं।*
— राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी असम और बिहार के दो-दिन के दौरे के पश्चात नई दिल्ली वापस पहुंचे।

26 सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत मणिपुर के मैती विद्रोहियों पर प्रतिबंध लगाया।
— केन्द्र सरकार ने राज्यों से बेहतर संबंधो के द्वारा श्रमिक अशांति पर रोक लगाने के लिए कहा।
— कोटा स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की यूनिट 1 में रिसाव शुरू हुआ।
— कर्नाटक के राजकवि तथा *1973* का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 86 वर्षीय डा० डी० आर० बेन्द्रे का बम्बई में निधन हुआ।

27 प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी कानकुन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात स्वदेश लौटीं।
— असम आंदोलन के नेताओं ने विदेशी नागरिकों के विषय मे केन्द्र सरकार को एक 15 सूत्री संशोधित प्रारूप प्रस्ताव भेजा।
— पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवा निवृत न्यायाधीश पी० एस० पत्तर, 20 सितम्बर को मेहता चौक में हुई घटना की जांच करेंगे।

28. सरकार ने गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि से धन निकालने से संबंधित उपबन्धों को उदार बनाया।
— अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने कानपुर में शहरी सेवाओ की व्यवस्था करने हेतु भारत को लगभग 20 करोड़ रुपये का ऋण देने की मंजूरी दी।

— इराक, भारत को 15 लाख टन और कच्चा तेल सप्लाई करने के लिए सहमत ।

29 असम आंदोलन के नेताओं और केन्द्र सरकार के बीच वार्ता का अगला दौर नई दिल्ली में आरम्भ हुआ ।

— मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु मद्य-निषेध अधिनियम का अनुमोदन किया ।

30 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शारीरिक दृष्टि से विकलांग छात्रों के लिए विशेष पुरस्कार संस्थापित किए ।

— सोवियत लैण्ड नेहरू पुरस्कार की घोषणा की गई ।

31 कृषि मूल्य आयोग ने 1982—83 के विपणन मौसम के लिए गेहूं के लिए 142 रुपये प्रति क्विंटल के खरीद-मूल्य की सिफारिश की, यह मूल्य चालू मौसम के लिए निर्धारित मूल्य से 12 रुपये अधिक है ।

— राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने नई दिल्ली में सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देते हुए राज्यों द्वारा की गई अधिक स्वायत्तता की मांग का अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल दिया ।

— असम आंदोलन के नेताओं ने संकेत दिया कि बांग्लादेश के साथ लगी 270 किलोमीटर लम्बी सीमा पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारियों के दल के साथ व्यापक समझौता हो गया है ।

नवम्बर 1 कई राज्यों ने भाषाई आधार पर अपने पुनर्गठन की रजत जयंती मनाई ।

— उत्तर प्रदेश में देवबंद स्थित दारुल-उलूम छात्रों के संघर्ष के पश्चात बंद हुआ ।

— एक भीषण चक्रवाती तूफान राजकोट (गुजरात) में एक तटवर्ती कालोनी को बहा ले गया; 1,400 मछुआरों की मृत्यु हुई ।

2 प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने नई दिल्ली में भारत और सोवियत संघ के बीच ट्रपोस्कैटर संचार सम्पर्क का उद्घाटन किया ।

— सरकार ने चीनी के निर्यात पर लगा प्रतिबंध तत्काल हटा दिया ।

— पंजाब के सारे भागों से आए सिखों ने नई दिल्ली में खालिस्तान की मांग के विरोध में एक रैली का आयोजन किया ।

3 असम आंदोलन के नेताओं और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के बीच वार्ता पांच दिन के विचार-विमर्श के पश्चात स्थगित हुई ।

— वेनेज्युएला के राष्ट्रपति, डा० लूईस हेरोरा केम्पिन्स दो दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

4 वेनेज्युएला के राष्ट्रपति ने तेल की खोज करने में भारत को सहायता देने का प्रस्ताव किया ।

5 अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग ने डा० नगेन्द्र सिंह को नौ वर्ष की दूसरी अवधि के लिए फिर से न्यायाधीश चुना ।

6 प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी बल्गेरिया, इटली तथा फ्रांस की दस दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली से रवाना हुई और बल्गेरिया पहुंची ।

— खान अब्दुल गफ्फार खान इलाज के लिए नई दिल्ली पहुंचे ।

— भारत और पुर्तगाल ने नई दिल्ली में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए ।

— राज्य बिजली मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में आरम्भ, राज्यों से विद्युत इकाइयों का उत्पादन अधिकतम करने के लिए कहा गया ।

— मेलबोर्न क्रिकेट क्लब दल छ. टेस्ट खेलने के लिए भारत पहुंचा ।

7 उच्चतम न्यायालय ने देश में सभी प्राणदण्डों को स्थगित किया ।

— धर्म तथा शांति संबंधी पांच-दिवसीय बहु-धर्म एशियाई सम्मेलन नई दिल्ली में आरम्भ हुआ ।

8 सोफिया में, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और बल्गेरिया के राष्ट्रपति टोडोर जिवकोव ने आठ पृष्ठ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए ।

— विदेश मंत्री, पी० वी० नरसिम्हाराव तीन दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली से लन्दन के लिए रवाना हुए ।

— बम्बई में दूसरी हिमालय कार रैली आरम्भ हुई ।

— पश्चिम क्षेत्र ने दिलीप ट्राफी टाईटल प्राप्त किया ।

9 प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी रोम पहुंची । उन्होंने वेटिकन शहर में पोप जोन पाल-द्वितीय से भेंट की ।

— अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को 5.8 बिलियन डालर (5000 करोड़ रुपये) का ऋण देने के लिए मंजूरी दी ।

— संसद में विरोधी दलों के नेताओं ने असम आन्दोलन के नेताओं से अपील की कि वे सरकार के साथ रचनात्मक मनोवृत्ति को लेकर बातचीत जारी रखें ।

10 एक नई सेवा—इण्डियन ब्राडकास्टिंग इंजीनियरिंग सर्विस—गठित की गई ।

11 भारत और इटली ने निर्यात के लिए तीसरे विश्व के देशों में संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया ।

— इराक, भारत को 15 लाख टन और कच्चा तेल सप्लाई करने के लिए सहमत।

29 असम आंदोलन के नेताओं और केन्द्र सरकार के बीच वार्ता का अगला दौर नई दिल्ली में आरम्भ हुआ।

— मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु मद्य-निषेध अधिनियम का अनुमोदन, किया।

30 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शारीरिक दृष्टि से विकलांग छात्रों के लिए विशेष-पुरस्कार संस्थापित किए।

— सोवियत लैण्ड नेहरू पुरस्कार की घोषणा की गई।

31 कृषि मूल्य आयोग ने 1982—83 के विपणन मौसम के लिए गेहूं के लिए 142 रुपये प्रति क्विंटल के खरीद-मूल्य की सिफारिश की, यह मूल्य चालू मौसम के लिए निर्धारित मूल्य से 12 रुपये अधिक है।

— राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने नई दिल्ली में सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देते हुए राज्यों द्वारा की गई अधिक स्वायत्तता की मांग का अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

— असम आंदोलन के नेताओं ने संकेत दिया कि बांग्लादेश के साथ लगी 270 किलोमीटर लम्बी सीमा पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारियों के दल के साथ व्यापक समझौता हो गया है।

नवम्बर 1 कई राज्यों ने भाषाई आधार पर अपने पुनर्गठन की रजत जयंती मनाई।

— उत्तर प्रदेश में देवबंद स्थित दारूल-उलूम छात्रों के संघर्ष के पश्चात बंद हुआ।

— एक भीषण चक्रवाती तूफान राजकोट (गुजरात) में एक तटवर्ती कालोनी को बहा ले गया; 1,400 मछुआरों की मृत्यु हुई।

2 प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने नई दिल्ली में भारत और सोवियत संघ के बीच ट्रपोस्कैटर संचार सम्पर्क का उद्घाटन किया।

— सरकार ने चीनी के निर्यात पर लगा प्रतिबंध तत्काल हटा दिया।

— पंजाब के सारे भागों से आए सिखों ने नई दिल्ली में खालिस्तान की मांग के विरोध में एक रैली का आयोजन किया।

3 असम आंदोलन के नेताओं और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के बीच वार्ता पांच दिन के विचार-विमर्श के पश्चात स्थगित हुई।

— कपूरथला में वहां के निरंकारी प्रमुख प्रहलाद चन्द की गोली मार कर हत्या की गई ।

17 उच्चतम न्यायालय ने राज्य के दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराने वाले जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश को लागू किए जाने के संबंध में स्थगन आदेश दिया ।

— केन्द्र सरकार ने असम आन्दोलन के नेताओं की इस मांग को अस्वीकृत कर दिया कि वार्ता का अगला दौर गुवाहाटी में किया जाए।

— भारत और मोरक्को ने नई दिल्ली में एक त्रिवर्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये ।

— नई दिल्ली में, कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी ने एक संविदा के अधीन रोमानिया को 30 लाख टन लौह अयस्क सप्लाई करने के करार पर हस्ताक्षर किए ।

नए अमरीकी राजदूत, हैरी जी० बार्नेस जूनियर ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति को अपने पद के परिचय पत्र प्रस्तुत किए ।

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जावेद-अल-नाहायान राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

केन्द्र सरकार ने आवश्यक सेवाएं बनाये रखने वाले अधिनियम के अन्तर्गत असम में हड़तालों पर रोक लगा दी ।

... प्रदेश में दो अपराधियों ने मैनपुरी जिले के देवली ग्राम 24 हरिजनों को गोली मार दी ।

... एडमिरल ओ० एस० डासन नौसेना के अगले नौ ... होंगे ।

घंटे का असम बंद आरम्भ हुआ, नौगाग जिले में ... की गोली से एक व्यक्ति मारा गया ।

... उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मद्रास स्था-... के मामले में उच्चतम न्यायालय की सात-सदस्यीय ... पीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा ।

... के जिला कपूरथला के देहरू गाव में कथित निरंकारी ... ने पंजाब पुलिस कि दो अधिकारियों को गोली ... दी ।

... और ईरान ने 1982 में कच्चे तेल के आयात के लिए ... में एक करार पर हस्ताक्षर किए ।

... दूसरा भूप्रेक्षण उपग्रह भास्कर-दो को सोवियत ... केन्द्र से पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया

— विदेश मंत्री, नरसिंह राव ने लंदन में ब्रिटिश प्रधान मंत्री से भेंट की और आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया ।

— प्रधान मंत्री फ्रांस पहुंचीं और उन्होंने राष्ट्रपति फ्रेंकोइस मित्तरां से बातचीत की ।

— श्रीमती इन्दिरा गांधी को पेरिस में सोरबोन विश्वविद्यालय द्वारा डाक्टर की मानद उपाधि-प्रदान की गई ।

— कोच्चिन शिपयार्ड में निर्मित दूसरा जहाज एम० वी० रत्नदीप जल में उतारा गया ।

13 अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए 1981 का जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार पहली बार एक अर्थशास्त्री तथा समाजविज्ञानी दम्पति प्रो० गुन्नार मिरडाल और एल्वा मिरडाल को दिया गया ।

— सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार विजेताओं को नई दिल्ली में प्रदान किए गए ।

— जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने राज्य के दल-बदल विरोधी अधिनियम को न्यायोचित ठहराया ।

14 एक संयुक्त विज्ञप्ति में भारत और फ्रांस ने विश्वव्यापी तनाव के संबंध में चिन्ता व्यक्त की ।

— मुख्य चुनाव आयुक्त ने गढ़वाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 22 नवम्बर को होने वाले पुनः चुनाव के स्थगन के आदेश दिए ।

— केन्या के रमेश खोडा ने नई दिल्ली में दूसरी हिमालयन-कार रैली में विजय प्राप्त की ।

15 प्रधान मंत्री ने अपना तीन दिवसीय फ्रांस का दौरा समाप्त किया ।

— विपक्ष के आठ नेताओं ने राष्ट्रपति से गढ़वाल में होने वाले पुनः चुनाव को स्थगित किए जाने के लिए जांच का आग्रह किया ।

— नागर विमानन विभाग ने विमान अपहरण विरोधी विशेष उपायों की घोषणा की ।

— प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बल्गेरिया, इटली और फ्रांस की 10 दिन की यात्रा के पश्चात स्वदेश वापिस पहुंचीं ।

— सोवियत संघ ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए 196 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए ।

— भारत और लाइबेरिया ने नई दिल्ली में अपने प्रथम व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए ।

16 केन्द्र सरकार ने असम के लिए 60 मेगावाट के ताप बिजली घर की स्वीकृति दी ।

— कपूरथला में वहां के निरंकारी प्रमुख प्रहलाद चन्द की गोली मार कर हत्या की गई ।

17 उच्चतम न्यायालय ने राज्य के दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराने वाले जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश को लागू किए जाने के संबंध में स्थगन आदेश दिया ।

— केन्द्र सरकार ने असम आन्दोलन के नेताओं की इस माग को अस्वीकृत कर दिया कि वार्ता का अगला दौर गुवाहाटी में किया जाए ।

— भारत और मोरक्को ने नई दिल्ली में एक त्रिवर्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये ।

— नई दिल्ली में, कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी ने एक संविदा के अधीन रोमानिया को 30 लाख टन लौह अयस्क सप्लाई करने के करार पर हस्ताक्षर किए ।

— नए अमरीकी राजदूत, हैरी जी० बार्नेस जूनियर ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति को अपने पद के परिचय पत्र प्रस्तुत किए ।

— संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जावेद-अल-नाहायान राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुचे ।

18 केन्द्र सरकार ने आवश्यक सेवाएं बनाये रखने वाले अधिनियम के अन्तर्गत असम में हडतालों पर रोक लगा दी ।

— उत्तर प्रदेश में दो अपराधियों ने मैनपुरी जिले के देवली ग्राम में 24 हरिजनों को गोली मार दी ।

— वाइस-एडमिरल ओ० एस० डासन नौसेना के अगले नौ सेनाध्यक्ष होंगे ।

19 36 घंटे का असम बंद आरम्भ हुआ, नौगाग जिले में पुलिस की गोली से एक व्यक्ति मारा गया ।

— पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मद्रास स्थानांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय की सात-सदस्यीय सविधान पीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा ।

— पंजाब के जिला कपूरथला के देहरू गाव मे कथित निरंकारी हत्यारों ने पंजाब पुलिस कि दो अधिकारियों को गोली मार दी ।

— भारत और ईरान ने 1982 मे कच्चे तेल के आयात के लिए तेहरान में एक करार पर हस्ताक्षर किए ।

20 भारत का दूसरा भूप्रेक्षण उपग्रह भास्कर-दो को सोवियत संघ में वोलगोग्राड अन्तरिक्ष केन्द्र से पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया

— कलकत्ता में हुए फाइनल मैच में चीन ने दक्षिणी कोरिया को 64 के मुकाबले 96 से हरा कर बास्केट बाल का एशियाई खिताब अपने पास बरकरार रखा ।

21 नई दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक पूंजी निवेश पर जोर दिया ।

— भारत और कनाडा ने कृषि विकास, तेल की खोज तथा विद्युत उत्पादन के लिए नई दिल्ली में कुल 96.2 करोड़ रुपये के 3 ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए ।

— रेल मंत्रालय में उपमंत्री, मल्लिकार्जुन ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाला ।

— गुरचरण सिंह तोहरा सर्वसम्मति से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए ।

— बम्बई में हुए पहले हाकी टैस्ट मैच में भारत पाकिस्तान से हारा ।

22 यशवन्तराव चव्हाण ने लोक सभा में कांग्रेस (इ) के सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण किया ।

— यूगांडा के राष्ट्रपति डा० मिल्टन ओबोटे अपनी 8-दिवसीय राजकीय यात्रा पर बम्बई से नई दिल्ली पहुंचे ।

23 संसद का शरदकालीन अधिवेशन आरंभ हुआ ।

— कलकत्ता में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा वार्ता आरंभ हुई ।

— भारत और सोवियत संघ के बीच स्प्रेयर्स, कन्वेयर्स और श्रशर्स के निर्यात के लिए 9.4 करोड़ रुपये के व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए ।

— *सरकार ने पाकिस्तानी दूतावास के 3 गैर राजनयिक कर्मचारियों को जासूसी करने के आरोप में निष्कासित कर दिया ।*

24 प्रधान मंत्री ने युद्ध न करने की संधि पर पाकिस्तान के साथ चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की बशर्ते कि पाकिस्तान का रवैया इस संबंध में गंभीरतापूर्ण हो ।

— भारत और यूगांडा ने नई दिल्ली में व्यापार, कृषि और आर्थिक, तथा वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए 4 करारों पर हस्ताक्षर किए ।

— अमृतसर में राजासांसी एयरपोर्ट पर एयर कार्गो काम्पलैक्स का उद्‌घाटन किया गया ।

— पाकिस्तान ने भारत की 23 नवम्बर की कार्यवाही की प्रतिक्रिया स्वरूप इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के 4 अधिकारियों को निकाला ।

— कलकत्ता में पाकिस्तान के साथ खेले गये दूसरे हाकी टैस्ट मैच में भारत 4–3 से जीता ।

— भारत के माइकिल फरेरा ने नई दिल्ली में इंगलैंड के नार्मन डगले को हराकर वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्डस चम्पियनशिप जीती ।

25 भारत और चैकोस्लोवाकिया ने एक व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए ।

— ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सर हैनरी लीच, नई दिल्ली में प्रधान मंत्री से मिले ।

— योजना आयोग के सदस्य डा० एम० एस० स्वामीनाथन को रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन परिषद (एफ० ए० ओ०) का अध्यक्ष चुना गया ।

26 दक्षिणी अफ्रीका के भाड़े के सैनिक एयर इंडिया के बम्बई जाने वाले एक बोइंग 707 विमान का अपहरण करके सेशल्स से डरबन, (दक्षिण अफ्रीका) ले गए।

— प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अकाली नेताओं (लोंगोवाल ग्रुप) से बातचीत की ।

— ढाका में भारत और बांग्ला देश के बीच अधिकारी स्तर की सीमा वार्ता आरंभ हुई ।

— भारत में मिस्र के नए राजदूत डा० नबील ए० एल्लाराली ने नई दिल्ली में अपने पद के परिचय पत्र प्रस्तुत किए ।

27 प्रधानमंत्री ने 19 नवम्बर के नर सहार के पश्चात उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में देवली गांव का दौरा किया ।

— प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में महिला उद्यमियों के राष्ट्रीय कन्वेंशन के दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया ।

— भास्कर-दो ने प्रथम दूरदर्शन चित्र भेजा।

— विदेश मंत्री, श्री पी० वी० नरसिंहा राव ने काठमांण्डू में नेपाली नेताओं के साथ चर्चा की ।

— लाहौर में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ तीसरा हाकी टैस्ट मैच बिना हार-जीत के समाप्त हुआ ।

— सोवियत संघ के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एस० जी० गोरशकोव 6 दिन की सद्भावना यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे।

28 राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में मलयालम लेखक एस० के पोट्टेकाट को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया।

— एयर इंडिया के अपहृत बोइंग विमान के 44 यात्री और चालक दल के 14 सदस्य नैरोबी से बम्बई पहुंचे ।

29 विदेश मंत्री काठमांडू में नेपाल के महाराजा से मिले।

— उप-चुनाव की दूसरी शृंखला में 7 राज्यों में लोक सभा के एक स्थान तथा विधान सभा के 16 स्थानों के लिए मतदान हुआ।

— 1981 के संगीत नाटक एकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई।

30 नई दिल्ली में हस्ताक्षरित एक संधि पत्र के अनुसार भारत और सोवियत संघ तेल की खोज के लिए और अधिक सहयोग करेंगे।

— एक संयुक्त विज्ञप्ति में भारत और यूगांडा ने भारतीय उप-महाद्वीप में अधुनातन शस्त्रों के भारी जमाव के बारे में चिन्ता व्यक्त की।

— विश्व कप चैम्पियन पाकिस्तान ने कराची में भारत के साथ खेली जा रही हाकी के 4 टैस्ट मैचों की शृंखला 4–2 से जीती।

दिसम्बर

1 कांग्रेस (इ) ने एक उप-चुनाव में महाराष्ट्र के नांदुरबा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा का स्थान प्राप्त किया।

— 7 राज्यों में 16 विधान सभा की सीटों के लिए हुए उप-चुनावों में कांग्रेस (इ) ने 8, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 3, भारतीय जनता पार्टी ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 स्थान प्राप्त किए।

— रिजर्व बैंक ने विशेष धारक बांड की बिक्री पुनः आरम्भ की।

— भारत ने बम्बई में एम० सी० सी० के साथ खेला गया पहला क्रिकेट टैस्ट मैच 138 रन से जीता।

2 कृषि मूल्य आयोग ने अगली फसल के लिए गेहूं का वसूली मूल्य 142 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की सिफारिश की।

— राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी इंडोनेशिया और नेपाल की 8 दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली से रवाना हुए।

— प्रधानमंत्री ने लोक सभा में कहा कि भारत तारापुर संधि को नहीं तोड़ेगा।

4 नई दिल्ली में कुतुब मीनार में हुई भगदड़ में 45 व्यक्ति कुचल कर मरे।

— उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के० के० मैथ्यू विधि आयोग के अध्यक्ष होंगे।

— भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1981 नई दिल्ली में समाप्त हुआ । तीन सप्ताह के इस मेले में 500 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ ।

— प्रख्यात पंजाबी लेखक 90-वर्षीय भाई जोध सिंह का जालन्धर में निधन हो गया ।

— लाहौर में हुई दूसरी एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में भारतीय पहलवानों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया । ईरान ने पहला तथा जापान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया ।

5 प्रधान मंत्री ने बम्बई में भारतीय सिनेमा के 50 वर्ष पूरे होने पर सिनेमा के वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया ।

— उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन से दहेज प्रथा के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए कहा ।

6 अहमदाबाद में एक आग दुर्घटना मे लगभग 46 व्यक्ति जल कर मर गए ।

— भू-वैज्ञानिक डा० आर० एस० मर्ति को 1980 का बोरलोग पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

— आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र पर उग्रवादियो ने हमला किया, एक व्यक्ति मारा गया ।

— तमिलनाडु के वैलोर जिले मे 200 हरिजनों ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया ।

7 रेल मंत्री ने लोक सभा में घोषणा की कि वर्ष 1981-82 के 75 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करने के लिए 1 जनवरी, 1982 से माल भाड़े की दरो मे वृद्धि की जा रही है ।

— राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 3 दिन की राजकीय यात्रा पर नेपाल पहुंचे ।

— एक सोवियत ससदीय शिष्ट मंडल [illegible] दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचा ।

8 संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री 57 वर्षीय कार्तिक ओरांव, का नई दिल्ली में दिल के दौरे के पश्चात निधन हो गया ।

— मिस्र के विदेश मंत्री, डा० बुतरोस घाली, 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

— वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1980 के शान्ति स्वरुप भटनागर पुरस्कार के लिए 9 वैज्ञानिकों का नामांकन किया ।

जम्मू तथा कश्मीर से निर्वाचित संसद सदस्य, ख्वाजा मुबारक शाह का नई दिल्ली मे निधन हो गया ।

— नेहरू हाकी कप में सीमा सुरक्षा बल ने आर्मी सर्विस कोर को 2—1 से हराकर कप प्राप्त किया ।

10 केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों तथा संसद में विपक्षी दलों के नेताओं ने पहली बार विदेशी नागरिकों के मसले को हल करने के लिए असम आन्दोलन के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक करके संयुक्त प्रयास करने का निर्णय किया ।

— भारतीय शिष्ट मंडल ने बेजिंग में चीनी उप-प्रधानमंत्री से बातचीत की ।

— राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी इंडोनेशिया और नेपाल की 8 दिन की राजकीय यात्रा के बाद स्वदेश लौटे ।

— 19 महीने पुराने दरबारा सिंह मंत्रिमंडल में 8 नए मंत्रियों को शामिल किया गया जिससे मंत्रिमण्डल के सदस्यों की कुल संख्या 16 हो गई ।

— पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान ने 25 व्यक्तियों की जान ले ली तथा उड़ीसा में दूर संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई ।

11 केन्द्र सरकार ने असम में विदेशियों के मसले के संबंध में, अपने 1 वर्ष पुराने त्रिपक्षीय वार्ता के प्रस्ताव को दोहराया । आंदोलन के नेताओं को बातचीत के लिए नई दिल्ली में बुलाया गया ।

— 1981 का डाग होमरशोल्ड शांति पुरस्कार विश्व शांति परिषद के अध्यक्ष रोमेश चन्द्र को प्रदान किया गया ।

12 बिहार सरकार ने आवश्यक सेवाओं मे बाधा डालने और तोड़-फोड़ करने वाले तत्वों से निबटने के लिए देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया ।

13 अमरीकी विदेश मंत्री एलेग्जेंडर हेग ने अपनी भारत की प्रस्तावित यात्रा स्थगित की ।

14 बेजिंग मे भारत-चीन की अधिकारी स्तर की वार्ता समाप्त हुई । दोनों पक्ष सीमा संबंधी मामलों के बारे में मतभेदों के हल के लिए भविष्य में सम्पर्क बनाए रखने के लिए सहमत हुए ।

— भारत और कुवैत के बीच पहला उपग्रह-समाचार चैनल आरंभ हुआ ।

— असम मे 31 घंटे के सरकारी अवज्ञा कार्यक्रम के पहले दिन हिंसा की कई वारदातें हुई ।

— भारत और रोमानिया ने नई दिल्ली में 1982 के दौरान 262 करोड़ रुपये के द्विपक्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए ।

— भारत और एम० सी० सी० के बीच बंगलौर में हुआ दूसरा टैस्ट मैच बिना हार-जीत के समाप्त ।

15 पश्चिम बंगाल में खड़गपुर रेलवे क्रासिंग के पास एक स्थानीय बस के रेलगाड़ी से टकरा जाने के कारण 17 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

16 "करेंसी एंड फाइनेंस" के संबंध में रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी की कि वर्ष 1980–81 में राष्ट्रीय आय में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

— भारत ने पाकिस्तान स्थित भारतीय राजदूत को पूर्वोत्तर सीमा प्रांत के कुछ क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति न दिए जाने के संबंध में पाकिस्तान को अपना विरोध पत्र प्रस्तुत किया ।

— नई दिल्ली में भारत और सोवियत संघ के बीच हुए एक करार के अन्तर्गत भारत सोवियत संघ को 21 करोड़ रुपये के खनन उपकरण सप्लाई करेगा ।

17 संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भारत के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि वर्ष 1982 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाए।

— प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान को दिए गए अमरीकी हथियार भारत के विरुद्ध प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से दिए गए हैं ।

18 सरकार ने असम में राष्ट्रपति शासन की अवधि और 6 महीने बढ़ाने का निर्णय किया ।

— वित्त मंत्री ने लोक सभा में मूल्य वृद्धि रोकने के लिए किसी सामान्य नियंत्रण की संभावना से इन्कार किया।

— बांग्ला देश की संसद के अध्यक्ष, मिर्जा गुलाम हाफिज के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय संसद शिष्ट मंडल ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति से भेंट की ।

19 प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने देहरादून में देश में वानिकी की शिक्षा के शताब्दी समारोहों का उद्घाटन किया।

— पैट्रोलियम अन्वेषण संस्थान, देहरादून का स्वर्गीय केशव देव मालवीय के नाम पर पुनः नामकरण किया गया ।

21 बिक्री कर सुधार के कुछ पहलुओं का अध्ययन करने के लिए मोहन लाल सुखाड़िया की अध्यक्षता में एक 3–सदस्यीय पैनल बनाए जाने की घोषणा की गई ।

— प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने गोलन हाइट्स को उसके देश से अलग करने के इस्राइल के निर्णय के कारण उत्पन्न वर्तमान संकट में अरब देशों को भारत के समर्थन के लिए आश्वासन दिया ।

— दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष 52 वर्षीय जत्थेदार संतोख सिंह की दिल्ली में गोली मार कर हत्या कर दी गई ।

— लोक सभा को बताया गया कि असम आन्दोलन के नेताओं के सितम्बर वाले प्रस्ताव सरकार को स्वीकार्य नहीं है ।

22 लोक सभा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (तीसरा संशोधन) विधेयक स्वीकार किया जो कि इस संस्था को उस का अल्पसंख्यक स्वरूप पुन. प्रदान करने के लिए है ।

— नई दिल्ली में भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार वार्ता आरम्भ हुई ।

23 असम आन्दोलन के नेताओं ने विदेशियों के मसले के बारे में प्रस्तावित त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लेने का निर्णय किया ।

— पी० एस० भिंडर के स्थान पर बजरंग लाल को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया ।

— केरल में कांग्रेस (स) का विभाजन हो गया । ए० के० एन्टनी के नेतृत्व वाला गुट कांग्रेस (इ) वाले मोर्चे में शामिल हो गया ।

— संसद ने 355.09 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों को स्वीकृति प्रदान की ।

24 नई दिल्ली में वर्ष 1982 के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच 11 प्रतिशत व्यापार वृद्धि के लक्ष्य को लेकर व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए ।

— विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश में राजागुंडम ताप बिजली घर के विस्तार के लिए भारत को 30 करोड़ डालर का ऋण दिए जाने की घोषणा की ।

— संसद का शरद्कालीन सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित ।

— संसद ने असम में राष्ट्रपति शासन की अवधि 30 दिसम्बर से और आगे 6 महीने तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी ।

— मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु तथा केरल के बीच हुए स्पिरिट के सौदे की जांच के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त रे आयोग और तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त सदाशिवम आयोग की वैधता को उचित ठहराया ।

— 1973 के कानपुर विद्रोह में भाग लेने वाले पी०ए०सी० के 109 जवानों में से 108 को आजीवन कारावास की सजा दी गई ।

25 पाकिस्तान ने अपने अनाक्रमण संधि प्रस्ताव के संबंध में भारत की प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त किया ।

— अखिल असम छात्र संघ ने त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लेने के लिए अपनी स्वीकृति भेजी ।

— तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात के भड़ौच जिले में एक उच्च कोटि की प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की।

26 केरल की राज्यपाल ने कांग्रेस (इ) के० के० करुणाकरन को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।

— केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केरल में राष्ट्रपति शासन समाप्त करने का निर्णय किया।

— भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी विपक्षी दल के साथ अपने दल के विलय की संभावना से इकार किया।

— 45-वर्षीय प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री, सावित्री का मद्रास में निधन हो गया

27 प्रधानमंत्री ने सरकार की विद्यमान संसदीय प्रणाली में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना से इन्कार किया।

— भूतपूर्व केन्द्रीय परिवहन तथा नौवहन मंत्री एच० एम० त्रिवेदी (67 वर्ष) का बम्बई में निधन हो गया।

28 उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और इससे पूर्व के 1980 के अध्यादेश और भारतीय जीवन बीमा निगम बोनस तथा महंगाई भत्ता अधिनियम को वैध ठहराया।

— केरल में के० करुणाकरन के नेतृत्व में कांग्रेस (इ) के संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे के 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ली।

— प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सालिगराम जायसवाल का इलाहाबाद में निधन हो गया।

— भारत और एम० सी० सी० के बीच नई दिल्ली में खेला गया तीसरा क्रिकेट टैस्ट मैच बिना हार-जीत के समाप्त हुआ।

29 प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में फरक्का में बृहत ताप बिजली परियोजना की आधारशिला रखी।

— प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में दनकुनी में एक कोयला कारबनीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी।

— मध्यप्रदेश में कांग्रेस (इ) ने कोटा (अनुसूचित जनजाति) विधान सभा सीट प्राप्त की तथा सागर की लोक सभा सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई।

— भारत ने नई दिल्ली में हुए एक करार के अन्तर्गत यमन जन-वादी लोकतांत्रिक गणराज्य को 1 करोड रुपये का ऋण दिया।

— नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकता परिषद ने प्रधानमंत्री को 1981 की सबसे प्रख्यात महिला घोषित किया। जबकि सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनार्द ब्रिजनेव को 1981 का सबसे प्रख्यात पुरुष घोषित किया गया।

— फूलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देशवासियों से 1982 को उत्पादन वृद्धि वर्ष के रूप में मनाने की अपील की।

30 उत्तरप्रदेश के मैनपुरी जिले के साढ़ूपुर गांव में 10 हरिजनों की गोली मार कर हत्या कर दी गई।

— उत्तरप्रदेश में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० (इफको) के फूलपुर स्थित अमोनिया-यूरिया उर्वरक संयंत्र को श्रमिकों को समर्पित किया।

— उच्चतम न्यायालय की सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के० बी० एन० सिंह को मद्रास स्थानांतरित किए जाने को उचित ठहराया।

— सरकार ने विशेष धारक बांडों की बिक्री की अवधि 9 जनवरी, 1982 तक के लिए बढ़ा दी।

— पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने नई दिल्ली में रावी और व्यास के जल के बंटवारे के लिए हस्ताक्षर किए।

— फूलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देशवासियों से 1982 को उत्पादन वृद्धि वर्ष के रूप में मनाने की अपील की।

30 उत्तरप्रदेश के मैनपुरी जिले के साधूपुर गांव में 10 हरिजनों को गोली मार कर हत्या कर दी गई।

— उत्तरप्रदेश में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० (इफको) के फूलपुर स्थित अमोनिया–यूरिया उर्वरक संयंत्र को श्रमिकों को समर्पित किया।

— उच्चतम न्यायालय की सात–सदस्यीय संविधान पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के० बी० एन० सिंह को मद्रास स्थानांतरित किए जाने को उचित ठहराया।

— सरकार ने विशेष धारक बांडों की बिक्री की अवधि 9 जनवरी, 1982 तक के लिए बढ़ा दी।

— पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने नई दिल्ली में रावी और व्यास के जल के बंटवारे के लिए हस्ताक्षर किए।

— फूलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देशवासियों से 1982 को उत्पादन वृद्धि वर्ष के रूप में मनाने की अपील की।

30 उत्तरप्रदेश के मैनपुरी जिले के साधूपुर गांव में 10 हरिजनों की गोली मार कर हत्या कर दी गई।

— उत्तरप्रदेश में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० (इफको) के फूलपुर स्थित अमोनिया–यूरिया उर्वरक संयत्र को श्रमिकों को समर्पित किया।

— उच्चतम न्यायालय की सात–सदस्यीय संविधान पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के० बी० एन० सिंह को मद्रास स्थानांतरित किए जाने को उचित ठहराया।

— सरकार ने विशेष धारक बांडों की बिक्री की अवधि 9 जनवरी, 1982 तक के लिए बढ़ा दी।

— पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने नई दिल्ली में रावी और ब्यास के जल के बंटवारे के लिए हस्ताक्षर किए।

— फूलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देशवासियों से 1982 को उत्पादन वृद्धि वर्ष के रूप में मनाने की अपील की।

30 उत्तरप्रदेश के मैनपुरी जिले के साधूपुर गांव में 10 हरिजनों की गोली मार कर हत्या कर दी गई।

— उत्तरप्रदेश में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० (इफको) के फूलपुर स्थित अमोनिया-यूरिया उर्वरक संयंत्र को श्रमिकों को समर्पित किया।

— उच्चतम न्यायालय की सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के० बी० एन० सिंह को मद्रास स्थानांतरित किए जाने को उचित ठहराया।

— सरकार ने विशेष धारक बांडों की बिक्री की अवधि 9 जनवरी, 1982 तक के लिए बढ़ा दी।

— पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने नई दिल्ली में रावी और व्यास के जल के बंटवारे के लिए हस्ताक्षर किए।

— फूलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देशवासियों से 1982 को उत्पादन वृद्धि वर्ष के रूप में मनाने की अपील की।

30 उत्तरप्रदेश के मैनपुरी जिले के माधुपुर गांव में 10 हरिजनों की गोली मार कर हत्या कर दी गई।

— उत्तरप्रदेश में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० (इफको) के फूलपुर स्थित अमोनिया-यूरिया उर्वरक संयंत्र को श्रमिकों को समर्पित किया।

— उच्चतम न्यायालय की सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के० बी० एन० सिंह को मद्रास स्थानांतरित किए जाने को उचित ठहराया।

— सरकार ने विशेष धारक बांडों की बिक्री की अवधि 9 जनवरी, 1982 तक के लिए बढ़ा दी।

— पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने नई दिल्ली में रावी और व्यास के जल के बंटवारे के लिए हस्ताक्षर किए।

— फूलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देशवासियों से 1982 को उत्पादन वृद्धि वर्ष के रूप में मनाने की अपील की।

30 उत्तरप्रदेश के मैनपुरी जिले के माधूपुर गांव में 10 हरिजनों की गोली मार कर हत्या कर दी गई।

— उत्तरप्रदेश में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० (इफको) के फूलपुर स्थित अमोनिया–यूरिया उर्वरक संयंत्र को श्रमिकों को समर्पित किया।

— उच्चतम न्यायालय की सात–सदस्यीय संविधान पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के० बी० एन० सिंह को मद्रास स्थानांतरित किए जाने को उचित ठहराया।

— सरकार ने विशेष धारक बांडों की बिक्री की अवधि [illegible] जनवरी, 1982 तक के लिए बढ़ा दी।

— पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने नई दिल्ली में रावी और व्यास के जल के बंटवारे के लिए हस्ताक्षर किए।

परिशिष्ट

1. सरकार के सदस्यों का ब्योरा[1]

राष्ट्रपति	:	जैल सिंह
उपराष्ट्रपति	:	मोहम्मद हिदायतुल्ला

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री	मंत्रालय
1. श्रीमती इन्दिरा गांधी	प्रधानमंत्री (सभी मंत्रालय/विभाग जिनका उल्लेख नीचे नहीं है)
2. प्रकाश चन्द सेठी	गृह
3. प्रणव कुमार मुखर्जी	वित्त
4. पी० वी० नरसिंह राव	विदेश
5. आर० वेंकटरामन	रक्षा
6. राव वीरेन्द्र सिंह	कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं नागरिक आपूर्ति
7. ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	रेल
8. केदार पाण्डे	सिंचाई
9. भीष्म नारायण सिंह	संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास
10. जगन्नाथ कौशल	विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य
11. एस० बी० चव्हाण	योजना
12. वीरेन्द्र पाटिल	श्रम और पुनर्वास
13. सी० एम० स्टीफन	जहाजरानी और परिवहन
14. वसन्त साठे	रसायन और उर्वरक
15. शिव शंकर	ऊर्जा (कोयला विभाग सहित)
16. अनन्त प्रसाद शर्मा	संचार
17. बी० शंकरानन्द	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
18. नारायणदत्त तिवारी	उद्योग और इस्पात तथा खान

1. अध्याय ■ का परिशिष्ट. दिनांक 12 सितम्बर, 1982 की स्थिति

राज्य मंत्री	मंत्रालय
1. जेड० आर० अंसारी	सिंचाई
2. भगवत झा आजाद[1]	नागरिक उड्डयन और नागरिक आपूर्ति
3. एन० के० पी० साल्वे[1]	सूचना और प्रसारण
4. श्रीमती शीला कौल[1]	शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण
5. सीताराम केसरी[1]	जहाजरानी और परिवहन
6. खुर्शीद आलम खान[1]	पर्यटन
7. निहार रंजन लस्कर	गृह
8. विक्रम महाजन	ऊर्जा
9. योगेन्द्र मकवाना	संचार
10. गार्गी शंकर मिश्र	ऊर्जा
11. शिवराज वी० पाटिल[1]	वाणिज्य
12. ए० ए० रहीम	विदेश
13. बालेश्वर राम	कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण
14. श्रीमती मोहसिना किदवई	श्रम और पुनर्वास
15. सी० के० जफर शरीफ	रेल
16. बूटा सिंह[1]	आपूर्ति और खेल
17. सी० पी० एन० सिंह	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सामुद्रिक विकास तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा-स्रोत
18. दलबीर सिंह	ऊर्जा
19. आर० वी० स्वामीनाथन	कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण
20. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	उद्योग और इस्पात तथा खान
21. पट्टाभि रामा राव	वित्त
22. पी० वेंकटसुब्बैया	गृह
23. हरिकिशनलाल भगत	निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य
24. राम चन्द्र रथ	रसायन और उर्वरक
25. वीरभद्र सिंह	उद्योग

1. स्वतंत्र रूप से कार्यभार

उपमंत्री	मंत्रालय
1. मोहम्मद उस्मान आरिफ	नागरिक आपूर्ति
2. के० पी० सिंहदेव	रक्षा
3. धर्मवीर	श्रम
4. गिरिधर गोमांगो	श्रम और पुनर्वास
5. कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
6. आरिफ मोहम्मद खान	सूचना और प्रसारण
7. कुमारी कमला कुमारी	कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण
8. मल्लिकार्जुन	रेल और संसदीय कार्य
9. ब्रजमोहन मोहंती	निर्माण और आवास
10. विजय एन. पाटिल	संचार
11. जनार्दन पुजारी	वित्त
12. कल्पनाथ राय	संसदीय कार्य और उद्योग
13. एम० एस० संजीवी राव	इलेक्ट्रानिक्स
14. पी० ए० संगमा	वाणिज्य
15. पी० के० थुंगन	शिक्षा और संस्कृति और समाज कल्याण
16. गुलाम नबी आजाद	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य
17. अशोक गहलोत	पर्यटन
18. दिग्विजय सिंह	पर्यावरण

2. संसद सदस्य

राज्यसभा[1]

सभापति : मोहम्मद हिदायतुल्ला

उप-सभापति : श्यामलाल यादव

आंध्र प्रदेश (18)

1. सैयद रहमत अली
2. पी० बाबुल रेड्डी
3. रेयापति सम्बा शिव राव
4. कृष्ण मोहन भामीदीपति
5. वी० मी० केशवराव
6. आदिनारायण रेड्डी
7. ए० एस० चौधरी
8. के० एल० एन० प्रसाद
9. वी० रामचन्द्र राव
10. श्रीमती रोडा मिस्त्री
11. एस० बी० रमेश बाबू
12. जी० स्वामी नायक
13. के०वी०आर०एस० बाला सुब्बाराव
14. गौस मोहिउद्दीन शेख
15. एन० पी० चेंगलराय नायडू
16. बुद्ध प्रिय मौर्य
17. टी० चन्द्र शेखर रेड्डी
18. बी० सत्यनारायण रेड्डी

असम (7)

19. विश्व गोस्वामी
20. रिक्त
21. रिक्त
22. विजय कृष्ण हन्दीक
23. अजित कुमार शर्मा
24. रौबिन काकती
25. दिनेश गोस्वामी

उड़ीसा (10)

26. बी० सी० पटनायक
27. बनमाली बाबू
28. धनेश्वर माझी
29. गया चन्द भुया
30. सन्तोष कुमार साहू
31. प्रलय पंडा
32. जगदीश जानी
33. हरेकृष्ण मलिक
34. श्याम सुन्दर महापात्र
35. सुरेन्द्र मोहन्ती

उत्तर प्रदेश (34)

36. डा० एम० एम० एस० सिद्धू
37. कृष्णा नन्द जोशी
38. कल्पनाथ राय
39. कलराज मिश्र
40. धर्मवीर
41. श्याम लाल यादव
42. प्यारेलाल कुरील उर्फ प्यारेलाल तालिब उन्नावी
43. रामेश्वर सिंह
44. श्रीमती कृष्णा कौल
45. सत्यपाल मलिक
46. सैयद अहमद हाशमी
47. कृष्ण चंद्र पंत
48. बिशम्भर नाथ पांडे
49. जगदीश प्रसाद माथुर
50. जी० सी० भट्टाचार्य
51. असद मदनी
52. खुर्शीद आलम खां
53. घनश्याम सिंह
54. जगदीश प्रसाद गोयल
55. राम नरेश
56. शांति त्यागी
57. डा० संकट प्रसाद
58. सुधाकर पांडे

1. दिनांक 12 मई, 1982 की स्थिति ।

59. चौधरी रामसेवक
60. लाखन सिंह
61. सुरेन्द्र मोहन
62. नरेन्द्र सिंह
63. पी० एन० सुकुल
64. सैयद सिब्ते रज़ी
65. अब्दुल रहमान शेख
66. राम पूजन पटेल
67. हाशिम-रज़ाअबिदी इलाहाबादी
68. सुखदेव
69. डा० रुद्र प्रताप सिंह

कर्नाटक (12)

70 एम० बासवराजु
71. श्रीमती मोनिका दास
72. वीरशेट्टी मोगलप्पा कुशनूर
73. एच० हनुमंथप्पा
74. श्रीमती मारग्रेट अल्वा
75. रामकृष्ण हेगड़े
76. एम० मदन्ना
77. बी० इब्राहीम
78. मकसूद अली खां
79. एम० राजगोपाल
80. एफ० एम० खान
81. सच्चिदानंद

केरल (9)

82. सी० हरिदास
83. के० चथुन्नी मास्टर
84. के० सी० सेबास्टियन
85. प्रो० जे० जोसफ .
86. बी० वी० अब्दुल्ला कोया
87. टी० बशीर
88. रिक्त
89. ,,
90. ,,

गुजरात (11)

91. योगेन्द्र मकवाना
92. पीलू मोदी
93. राम सिंह भाई पाटिल्या भाई रथवाकोली
94. कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी
95. घनश्यामभाई ओझा
96. हरिसिंह भगुभव महीदा
97. इब्राहीम कलानिया
98. प्रणव मुखर्जी
99. मनुभाई पटेल
100. किशोर मेहता
101. विट्ठलभाई मोतीराम पटेल

जम्मू—कश्मीर (4)

102. धर्म चंद्र
103. शरीफ-उद्दीन शरीक
104. गुलाम मोहिउद्दीन शाल
105. गुलाम रसूल मट्टो

तमिलनाडु (18)

106. एम० मोजेज
107 यू० आर० कृष्णन
108. वी० वेंका
109. मुरासोली मारन
110. एल० गणेशन
111. वी० गोपालसामी
112. पी० राममूर्ति
113. एम० कल्याणसुन्दरम्
114. आर० मोहनरंगम
115. डा० (श्रीमती) सत्यवाणी मुत्थु
116. ए० पी० जनार्दनम
117. जी० के० मूपनार
118. इरा शेजियन
119. आर० रामाकृष्णन
120. श्रीमती नूरजहां रजाक
121. डी० हीराचन्द
122. एम० एस० रामाचन्द्रन
123. पी० अंबालगन

त्रिपुरा (1)

124. श्रीमती इला भट्टाचार्य

नागालैंड (1)

125 [illegible]

पंजाब (7)

126 डा० (श्रीमती) राजिन्दर कौर
127. हरविन्दर सिंह हंसपाल
128 श्रीमती अमरजीत कौर
129 [illegible]
130 हरकिशन सिंह सुरजीत
131. [illegible] सिंह [illegible]
132. गुरचरण सिंह टोहरा

पश्चिम बंगाल (16)

133. सुकोमल सेन
134 शंकर प्रसाद मित्र
135 अमर प्रसाद चक्रवर्ती
136. प्रो० सौरीन भट्टाचार्य
137. [illegible]
138. कल्याण राय
139. नेपाल देव भट्टाचार्य
140. दीपेन घोष
141. देवेन्द्रनाथ बर्मन
142. सैयद शहीदुल्ला
143. निर्मल चटर्जी
144. रामकृष्ण मजूमदार
145. [illegible]
146. श्रीमती कनक मुखर्जी
147. [illegible] घोष
148. संतोष मित्र

बिहार (22)

149. अश्वनी कुमार
150. जगदम्बी प्रसाद यादव
151. रामलखन प्रसाद गुप्त
152. रामचन्द्र भारद्वाज
153. सैयद शहाबुद्दीन
154. ए० पी० शर्मा
155. दयानन्द सहाय
156. शिव चन्द्र झा
157. हुक्म देव नारायण यादव
158. [illegible] शर्मा
159 महेन्द्र मोहन मिश्र
160. [illegible]
161. इन्द्रदीप सिन्हा
162 जे० के० पी० एन० सिंह
163 सूरज प्रसाद
164 रफीक आलम
165 सीताराम केसरी
166 श्रीमती मनोरमा पांडे
167 राम भगत पासवान
168 रामानन्द यादव
169. भीष्म नारायण सिंह
170. श्रीमती प्रतिभा सिंह

मणिपुर (1)

171. एन० तोम्बी सिंह

मध्य प्रदेश (16)

172. नन्दकिशोर भट्ट
173. जे० के० जैन
174. श्रीकान्त वर्मा
175. [illegible] कुमार [illegible]
176. राधाकिशन मालवीय
177. डा० भाई महावीर
178. हंसराज भारद्वाज
179. श्रीमती रतन कुमारी,
180. श्रीमती मैमूना सुल्तान
181. भगत राम मनहर
182. प्यारे लाल खण्डेलवाल
183. केशव प्रसाद शुक्ल
184. लाडली मोहन निगम
185. लाल कृष्ण आडवाणी
186. श्रीमती विजया राजे सिंधिया
187. बालेश्वर दयाल

महाराष्ट्र (19)

188. जगन्नाथ सीताराम पवार
189. एस० डब्ल्यू० धाबे
190. मुरलीधर चन्द्रकान्त भण्डारे
191. विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह

192. दिनकरराव गोविन्दराव पाटिल
193. श्रीमती प्रमिलाबाई दाजीसाहब चव्हाण
194. डा० रफीक ज़कारिया
195. डा० शान्ति जी० पटेल
196. बी० डी० खोबरागड़े
197 श्रीमती सरोज खापर्डे
198 डा० जोसफ स्थियोन डीसूजा
199. श्रीमती सुशीला शंकर आदीवरेकर
200. ए० जी० कुलकर्णी
201. डा० (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला
202. विट्ठलराव माधोराव जाधव
203. सुरेश शामराव कलमढ़ी
204. सदाशिव बागाइतकर
205. एन० के० पी० साल्वे
206. गणपत हीरालाल भगत

मेघालय (1)

207. अलकजेंडर वर्अरी

राजस्थान (10)

208. धुलेश्वर मीना
209. आर० आर० मोरारका
210. भुवनेश चतुर्वेदी
211. भीम राज
212. नत्था सिंह
213. मोहम्मद उस्मान आरिफ
214. राम निवास मिर्धा
215. जसवन्त सिंह
216. मौलाना असरार-उल हक़
217. हरिशंकर भाभड़ा

सिक्किम (1)

218. लियोनार्ड सोलोमन सारिंग

हरियाणा (5)

219. सुशील चन्द मोहन्ता
220. डा० सरूप सिंह
221. हरिसिंह नलवा
222. सुजान सिंह
223. सुलतान सिंह

हिमाचल प्रदेश (3)

224. रोशन लाल
225. श्रीमती उषा मल्होत्रा
226. श्रीमती मोहिन्दर कौर

अरुणाचल प्रदेश (1)

227. रतन तामा

दिल्ली (3)

228. रिक्त
229. जगन्नाथ राव जोशी
230. रिक्त

मिजोरम (1)

231. लालसाविया

पांडिचेरि (1)

232. बी० पी० मुत्तुस्वामी

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (12)

233. रिक्त
234. ,,
235. ,,
236. डा० लोकेश चन्द्र
237. रिक्त
238. खुशवन्त सिंह
239. स्कातो स्वू
240. प्रो० (श्रीमती) असीमा चटर्जी
241. श्रीमती फातेमा इस्माइल
242. डा० मैल्कम एस० आदिशेषय्या
243. वी०सी० गणेशन
244. पांडुरंग धरमजी जाधव

लोक सभा

(12 मई, 1982 को)

अध्यक्ष : बलराम जाखड़ उपाध्यक्ष : जी० लक्ष्मणन

क्रम सं०	निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य का नाम	पार्टी*
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश—42		
1	आदिलाबाद	जी० नरसिंह रेड्डी	(कां० इ०)
2.	अमलापुरम (सु०)	कुसुम कृष्णमूर्ति	(कां० इ०)
3	अनकापल्ली	एस० आर० ए० एस० अप्पलानायडु	(कां० इ०)
4.	अनन्तपुर	दारुर पुल्लय्या	(कां० इ०)
5	एलूरु	चित्तूरी सुब्बाराव चौधरी	(कां० इ०)
6	[illegible]	पी० वेंकटरेड्डी	(कां० इ०)
7.	कुडप्पा	के० ओबुल रेड्डी	(कां० इ०)
8	कुरनूल	के० विजय भास्कर रेड्डी	(कां० इ०)
9	करीमनगर	एम० सत्यनारायण राव	(कां० इ०)
10.	काकीनाडा	एम० एस० संजीवी राव	(कां० इ०)
11.	खम्मम	जलगम कोंडला राव	(कां० इ०)
12.	गुंटूर	एन० जी० रंगा	(कां० इ०)
13.	चित्तूर	पी० राजगोपाल नायडु	(कां० इ०)
14.	ओंगोली	एम० मल्लेश्वर राव	(कां० इ०)
15.	सिद्दीपेट (सु०)	नन्दी एल्लय्या	(कां० इ०)
16.	नागर कुरनूल (सु०)	ए० आर० मल्लू	(कां० इ०)
17.	नांदयाल	पी० वेंकटसुब्बय्या	(कां० इ०)
18.	नरसारावपेट	के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	(कां० इ०)

*कांग्रेस पार्टी (इ०) (कां० इ०),
लोक दल
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (कम्यु०),
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (कम्यु० मा०),
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्र०मु०क०)
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्ना द्र० मु० क०)
भारतीय जनता पार्टी (भा० ज० पा०)
कांग्रेस पार्टी एस० (कां०एस०),
जनता पार्टी (ज०)
लोकतान्त्रिक समाजवादी दल (लो० स० द०)
क्रान्तिकारी सोशलिस्ट दल (क्रा० सो० द०),
डेमोक्रेटिक लोक दल (डी० एल० डी)
फारवर्ड ब्लाक (फा० ब०),
मुस्लिम लीग (मु० ली०),
जम्मू और कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस (एन० सी०),
सुरक्षित (सु०)

1	2	3	4
19.	नरसापुर	अलूरी सुभाष चन्द्र बोस	(कां० इ०)
20.	नलगोंडा	टी० दामोदर रेड्डी	(कां० इ०)
21.	नेल्लोर (सु०)	डी० कामाक्षय्या	(कां० इ०)
22.	निजामाबाद	एम० रामगोपाल रेड्डी	(कां० इ०)
23.	पार्वती पुरम (सु०)	वी० किशोर चन्द्र एस० देव	(कां० एस०)
24.	पेड्डापल्ली (सु०)	के० राजामलू	(कां० इ०)
25.	बोबली	पी० वी० जी० राजू	(कां० इ०)
26.	बापतला	अंकिनीडु प्रसाद राव	(कां० इ०)
27.	भद्राचलम (सु०)	श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द राव	(कां० इ०)
28.	मछलीपट्टनम	एम० अंकिनीडु	(कां० इ०)
29.	महबूब नगर	मल्लिकार्जुन	(कां० इ०)
30.	मिरयालगुडा	जी० एस० रेड्डी	(कां० इ०)
31.	मेडक	श्रीमती इन्दिरा गांधी	(कां० इ०)
32.	राजमुंद्री	एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव	(कां० इ०)
33.	राजमपेट	पी० पार्थसारथी	(कां० इ०)
34.	वारंगल	कमालउद्दीन अहमद	(कां० इ०)
35.	विजयवाड़ा	श्रीमती चेनुपति विद्या	(कां० इ०)
36.	श्रीकाकुलम	बोडेपल्ली राजगोपालराव	(कां० इ०)
37.	विशाखापत्तनम	के० ए० स्वामी	(कां० इ०)
38.	सिकन्दराबाद	पी० शिवशंकर	(कां० इ०)
39.	सिद्दीपेट (सु०)	नंदी येलैय्या	(कां० इ०)
40.	हिन्दूपुर	पी० बायप्पा रेड्डी	(कां० इ०)
41.	हैदराबाद	के० एस० नारायण	(कां० इ०)
42.	हनमकोंडा	पी० वी० नरसिम्हा राव	(कां० इ०)
	असम—14		
1.	करीमगंज (सु०)	निहार रंजन लस्कर	(कां० इ०)
2.	कालियाबोर	रिक्त	
3.	कोकराझार (सु०)	रिक्त	
4.	गुवाहाटी	रिक्त	
5.	जोरहाट	रिक्त	
6.	डिब्रूगढ़	रिक्त	
7.	तेजपुर	रिक्त	
8.	धुबरी	रिक्त	
9.	नवगांव	रिक्त	
10	मांगलदोई	रिक्त	
11.	बारपेटा	रिक्त	
12.	लखीमपुर	रिक्त	
13.	सिलचर	सन्तोष मोहन देव	(कां० इ०)
14.	स्वायत्तशासी जिले (सु०)	रिक्त	

1	2	3	4
	उड़ीसा—21		
1.	आस्का	रामचन्द्र रथ	(कां० इ०)
2.	कटक	श्रीमती जयन्ती पटनायक	(कां० इ०)
3	कालाहांडी	रास बिहारी बेहरा	(कां० इ०)
4.	केन्द्रपाड़ा	बीजू पटनायक	(लोकदल)
5	क्योंझर (सु०)	हरिहर सोरेन	(कां० इ०)
6	कोरापुट (सु०)	गिरिधर गोमांगो	(कां० इ०)
7.	जगतसिंहपुर	लक्ष्मण मलिक	(कां० इ०)
8.	जाजपुर (सु०)	ए० सी० दास	(कां० इ०)
9.	ढेंकानाल	के० पी० सिंह देव	(कां० इ०)
10.	देवगढ़	नारायण साहू	(कां० इ०)
11.	नवरंगपुर (सु०)	के० प्रधानी	(कां० इ०)
12.	पुरी	ब्रजमोहन मोहन्ती	(कां० इ०)
13.	फूलबनी (सु०)	मृत्युंजय नायक	(कां० इ०)
14.	बोलांगीर	नित्यानन्द मिश्र	(कां० इ०)
15.	बालासोर	चिन्तामणि जैना	(कां० इ०)
16.	बरहामपुर	जगन्नाथ राव	(कां० इ०)
17.	भद्रक (सु०)	अर्जुन सेठी	(कां० इ०)
18.	भुवनेश्वर	चिन्तामणि पाणिग्राही	(कां० इ०)
19.	मयूरभंज (सु०)	मानमोहन टुडू	(कां० इ०)
20.	संबलपुर	डा० कृपासिन्धु भोई	(कां० इ०)
21.	सुन्दरगढ़ (सु०)	क्रिस्टोफर एक्का	(कां० इ०)
	उत्तर प्रदेश—85		
1.	अकबरपुर (सु०)	राम अवध	(लोकदल)
2.	अमरोहा	चन्द्रपाल सिंह	(लोकदल)
3.	अमेठी	राजीव गांधी	(कां० इ०)
4.	अल्मोड़ा	हरीश चन्द्रसिंह रावत	(कां० इ०)
5.	अलीगढ़	श्रीमती इन्दिरा कुमारी	(लोकदल)
6.	आगरा	निहाल सिंह जैन	(कां० इ०)
7.	आजमगढ़	चन्द्रजीत यादव	(डी० एस० डी०)
8.	आंवला	जय पाल सिंह कश्यप	(सो० रा० द०)
9.	इटावा	राम सिंह शाक्य	(लोकदल
10.	इलाहाबाद	के० पी० तिवारी	(कां० इ०)
11.	उन्नाव	जेड० आर० अन्सारी	(कां० इ०)

1	2	3	4
12	एटा	एम० एम० ए० खान	(कां० इ०)
13.	कन्नौज	छोटे सिंह यादव	(लोकदल)
14.	कानपुर	आरिफ मोहम्मद खान	(कां० इ०)
15.	कैराना	श्रीमती गायत्री देवी	(लोकदल)
16.	केसरगंज	रणवीर सिंह	(कां० इ०)
17.	खलीलाबाद	कृष्ण चन्द्र पांडे	(कां० इ०)
18.	खुर्जा (सु०)	त्रिलोक चन्द	(लोकदल)
19.	खेरी	श्रीमती उषा वर्मा	(कां० इ०)
20.	गढ़वाल	हेमवती नन्दन बहुगुणा	(लो० स० द०)
21.	गाजीपुर	जैनुल बशर	(कां० इ०)
22.	गोंडा	आनन्द सिंह	(कां० इ०)
23.	गोरखपुर	हरिकेश बहादुर	(लो० स० द०)
24.	घाटमपुर (सु०)	अशकरण संखवार	(कां० इ०)
25.	घोसी	झारखंडे राय	(कम्यु०)
26.	चंदौली	निहाल सिंह	(असम्बद्ध)
27.	चैल (सु०)	आर० एन० राकेश	(लो० स० द०)
28.	जलेसर	चौधरी मुल्तान सिंह	(लो० स० द०)
29.	जालौन (सु०)	नाथूराम शाक्यवार	(कां० इ०)
30.	जौनपुर	डा० ए० यू० आजमी	(लोकदल)
31.	झांसी	विश्व नाथ शर्मा	(लो० स० द०)
32.	टिहरी-गढ़वाल	टी० एस० नेगी	(लो० स० द०)
33.	डुमरियागंज	जलील अब्बासी	(कां० इ०)
34.	देवरिया	रामायण राय	(कां० इ०)
35.	नैनीताल	नारायण दत्त तिवारी	(कां० इ०)
36.	पडरौना	सी० पी० एन० सिंह	(कां० इ०)
37.	प्रतापगढ़	अजित प्रताप सिंह	(कां० इ०)
38.	पीलीभीत	हरीश कुमार गंगवार	(लो० स० द०)
39.	फतेहपुर	हरिकृष्ण शास्त्री	(कां० इ०)
40.	फर्रुखाबाद	दयाराम शाक्य	(भा० ज० पा०)
41.	फिरोजाबाद (सु०)	राजेशकुमार सिंह	(लोकदल)
42.	फूलपुर	बी० डी० सिंह	(लोकदल)
43.	फैजाबाद	जयराम वर्मा	(कां० इ०)
44.	बदायूं	मो० असरार अहमद	(कां० इ०)
45.	बरेली	बेगम आबिदा अहमद	(कां० इ०)
46.	बलरामपुर	चन्द्रभाल मणि तिवारी	(कां० इ०)
47.	बलिया	चन्द्रशेखर	(ज०)
48.	बस्ती (सु०)	कल्पनाथ सोनकर	(कां० इ०)

1	2	3	4
49.	बहराइच	मौलाना सैय्यद मुजफ्फर हुसैन	(कां० इ०)
50.	बागपत	चरण सिंह	(लोकदल)
51.	बांदा	रामनाथ दुबे	(कां० इ०)
52.	बाराबंकी (सु०)	राम किंकर	(लोकदल)
53	बांसगांव (सु०)	महावीर प्रसाद	(कां० इ०)
54.	बिजनौर (सु०)	मंगल राम प्रेमी	(लोकदल)
55.	बिल्हौर	रा० न० त्रिपाठी	(कां० इ०)
56.	बुलन्दशहर	महमूद हसन खां	(लोकदल)
57.	मछलीशहर	शिव शरण वर्मा	(लोकदल)
58.	मथुरा	दिगम्बर सिंह	(लोकदल)
59.	महाराजगंज	अशफाक हुसैन	(लो० म० द०)
60.	मिर्जापुर	उमाकान्त मिश्र	(कां० इ०)
61.	मिसरिख (सु०)	राम लाल राही	(लो० म० द०)
62.	मुजफ्फरनगर	गय्यूर अली खान	(लोकदल)
63.	मुरादाबाद	गुलाम मुहम्मद खां	(लोकदल)
64.	मेरठ	श्रीमती मोहसिना किदवई	(कां० इ०)
65.	मैनपुरी	रघुनाथ सिंह वर्मा	(लोकदल)
66.	मोहनलाल गंज (सु०)	श्रीमती कैलाश पति	(कां० इ०)
67.	राबर्ट्सगंज (सु०)	रामप्यारे पनीका	(कां० इ०)
68.	रामपुर	जुल्फिकार अली खान	(कां० इ०)
69.	रायबरेली	अरुण कुमार नेहरू	(कां० इ०)
70.	लखनऊ	श्रीमती शीला कौल	(कां० इ०)
71.	लालगंज (सु०)	छांगुर राम	(डी० एस० पी०)
72.	वाराणसी	पं० कमलापति त्रिपाठी	(कां० इ०)
73.	शाहजहांपुर	जितेन्द्र प्रसाद	(कां० इ०)
74.	शाहाबाद	डी० पी० सिंह	(कां० इ०)
75.	सईदपुर (सु०)	राजनाथ सोनकर शास्त्री	(लोकदल)
76.	सम्भल	बिजेन्द्र पाल सिंह	(कां० इ०)
77.	सलेमपुर	रामनगीना मिश्र	(कां० इ०)
78.	सहारनपुर	रशीद मसूद	(लोकदल)
79.	सीतापुर	डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	(कां० इ०)
80.	सुल्तानपुर	गिरिराज सिंह	(कां० इ०)
81.	हमीरपुर	डूंगर सिंह	(कां० इ०)
82.	हरदोई (सु०)	मन्नीलाल	(कां० इ०)
83.	हाथरस (सु०)	चन्द्र पाल शैलानी	(कां० इ०)
84.	हापुड़	अनवर अहमद	(कां० इ०)
85.	हरिद्वार (सु०)	जगपाल सिंह	(लोकदल)

1	2	3	4
	कर्नाटक—28		
1.	उदुपि	ओस्कर फर्नांडिस	(कां० इ०)
2.	कनकपुरा	एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	(कां० इ०)
3.	कनारा	जी० देवारायन नाइक	(कां० इ०)
4.	काप्पल	एच० जी० रामुलु	(कां० इ०)
5.	कोलार (सु०)	जी० वाई० कृष्णन	(कां० इ०)
6.	गुलबर्गा	सी० एम० स्टीफन	(कां० इ०)
7.	चामराजनगर (सु०)	वी० श्रीनिवास प्रसाद	(कां० इ०)
8.	चिक्कोडि (सु०)	बी० शंकरानन्द	(कां० इ०)
9.	चिकमगलूर	डी० एम० पुट्टेगौडा	(कां० इ०)
10.	चिकबल्लापुर	एस० एन० प्रसन्न कुमार	(कां० इ०)
11.	चित्रदुर्गा	के० मालन्ना	(कां० इ०)
12.	तुमकुर	के० लकप्पा	(कां० इ०)
13.	दावणगेरे	टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा	(कां० इ०)
14.	धारवाड़ (उ०)	डी० के० नायकर	(कां० इ०)
15.	धारवाड़ (द०)	एफ० एच० मोहसिन	(कां० इ०)
16.	बंगलौर (उ०)	सी० के० जफर शरीफ	(कां० इ०)
17.	बंगलौर (द०)	टी० आर० शमन्ना	(ज०)
18.	बागलकोट	वीरेन्द्र पाटिल	(कां० इ०)
19.	बीजापुर	के० बी० चौधरी	(कां० इ०)
20.	बीदर (सु०)	नरसिंह सूर्यवंशी	(कां० इ०)
21.	बेल्लारी	आर० वाई० घोरपड़े	(कां० इ०)
22.	बेलगाम	एस० बी० सिडनल	(कां० इ०)
23.	मंगलौर	जनार्दन पुजारी	(कां० इ०)
24.	मांड्या	एस० एम० कृष्णा	(कां० इ०)
25.	मैसूर	एम० राजशेखर मूर्ति	(कां० इ०)
26.	रायचूर	बी० वी० देसाई	(कां० इ०)
27.	शिमोगा	एस० टी० कादरी	(कां० इ०)
28.	हासन	एच० एन० गौडा	(कां० इ०)
	केरल—20		
1.	अडूर (सु०)	पी० के० कोडियन	(कम्यु०)
2.	अलेप्पी	श्रीमती सुशीला गोपालन	(कम्यु० मा०)
3.	ओटापल्लम (सु०)	ए० के० बालन	(कम्यु० मा०)
4.	इडुक्की	एम० एम० लारेंस	(कम्यु० मा०)
5.	एर्णाकुलम	जेवियर अरावकल	(कां० इ०)

1	2	3	4
6.	कालीकट	ई० के० इम्बीची बावा	(कम्यु० मा०)
7.	कासरगोड	एम० रामन्ना राय	(कम्यु० मा०)
8.	कन्नानूर	के० कुन्हम्बू	(कां० यू०)
9	कोट्टायम	स्करिया थामस	(स्वतंत्र)
10.	क्विलोन	बी० के० नायर	(कां० इ०)
11.	चिरयिनकिल	ए० ए० रहीम	(कां० इ०)
12.	त्रिवेन्द्रम	ए० नीलालोहितदासन नादर	(कां० इ०)
13.	त्रिचूर	के० ए० राजन	(कम्यु०)
14	पालघाट	वी० एस० विजय राघवन	(कां० इ०)
15.	पोन्नानी	जी० एम० बनातवाला	(मु० ली०)
16.	बडागरा	के० पी० उन्नीकृष्णन	(कां० यू०)
17.	मंजेरी	इब्राहीम सुलेमान सेत	(मु० ली०)
18.	मावेलीकारा	प्रो० पी० जे० कुरियन	(कां० यू०)
19.	मुकुन्दपुरम	ई० बालानन्दन	(कम्यु० मा०)
20	मुवत्तुपुझा	जार्ज जोसफ मुण्डक्कल	(स्वतंत्र)
	गुजरात—26		
1.	अमरेली	नवीन रावानी	(कां० इ०)
2.	अहमदाबाद	मगन भाई बारोट	(कां० इ०)
3.	आणंद	ईश्वरभाई खोडाभाई चावड़ा	(कां० इ०)
4.	कच्छ	डा० महीपतराय एम० मेहता	(कां० इ०)
5.	कपड़वंज	नटवर सिंह सोलंकी	(कां० इ०)
6.	खेड़ा	अजीत सिंह डाभी	(कां० इ०)
7.	गांधीनगर	अमृत पटेल	(कां० इ०)
8.	गोधरा	जयदीप सिंह	(कां० इ०)
9.	छोटा उदयपुर (सु०)	अमर सिंह राठवा	(कां० इ०)
10.	जामनगर	दौलतसिंहजी जाडेजा	(कां० इ०)
11.	जूनागढ़	मोहन लाल पटेल	(कां० इ०)
12.	दोहद (सु०)	सोमजी भाई डामोर	(कां० इ०)
13.	धंधुका (सु०)	नर सिंह मकवाना	(कां० इ०)
14.	पाटण (सु०)	हीरालाल आर० परमार	(कां० इ०)
15.	पोरबन्दर	मालदेवजी एम० ओडेदरा	(कां० इ०)
16.	बड़ोदरा	आर० पी० गायकवाड़	(कां० इ०)
17.	बनासकांठा	भेरवदन के० गढ़वी	(कां० इ०)
18.	बलसार (सु०)	उत्तमभाई एच० पटेल	(कां० इ०)
19.	भड़ौच	अहमद मोहम्मद पटेल	(कां० इ०)

1	2	3	4
20.	भावनगर	जी० बी० गोहिल	(कां० इ०)
21.	मेहसाणा	मोतीभाई आर० चौधरी	(ज०)
22.	मांडवो (सु०)	छोतूभाई गमित	(कां० इ०)
23.	राजकोट	रामजीभाई मावाणी	(कां० इ०)
24.	साबरकांठा	शान्तु भाई पटेल	(कां० इ०)
25.	सुरेन्द्र नगर	दिग्विजय सिंह	(कां० इ०)
26.	सूरत	सी० डी० पटेल	(कां० इ०)
	जम्मू और कश्मीर—6		
1.	अनन्तनाग	गुलाम रसूल कोचक	(एन० सी०)
2.	उधमपुर	डा० कर्ण सिंह	(असम्बद्ध)
3.	जम्मू	जी० एल० डोगरा	(कां० इ०)
4.	बारामूला	रिक्त	
5.	लद्दाख	पी० नम्याल	(कां० इ०)
6.	श्रीनगर	डा० फारुख अब्दुल्ला	(एन० सी०)
	तमिलनाडु—39		
1.	आरकोणम	ए० एम० वेलू	(कां० इ०)
2.	कुड्डालूर	आर० मुत्थु कुमारन	(कां० इ०)
3.	करूर	एस० ए० डोरई सेबास्तियन	(कां० इ०)
4.	कृष्णगिरि	के० राममूर्ति	(कां० इ०)
5.	कोयमुत्तूर	इरा मोहन	(द्रमुक)
6.	गोबिचेट्टिपालायम	सी० चिन्नास्वामी	(अन्ना द्रमुक)
7.	चिदम्बरम (सु०)	डा० वी० कुलन्देवेलु	(द्रमुक)
8	निगलपेट्टु	एरा ऐनबरासु	(कां० इ०)
9.	तंजावूर	एस० सिंगारावादिवाल	(कां० इ०)
10.	तिरुच्चेंगोडे	एम० कण्डास्वामी	(द्रमुक)
11.	तिरुच्चिरापल्लि	एन० सेल्वाराजू	(द्रमुक)
12.	तिरुचेंडूर	के० टी० कोसलराम	(कां०इ०)
13.	तिरुनेलवेलि	डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्	(द्रमुक)
14.	तिरुप्पत्तूर	एस० मुरुगेन	(द्रमुक)
15.	तेन्कासि (सु०)	एम० अरुणाचलम	(कां० इ०)
16.	तिंडिवनम	एस०एस० रामास्वामी पदयाची	(कां० इ०)
17.	डिंडिगल	के० मायाथेवर	(द्रमुक)

1	2	3	4
18.	धर्मपुरी	के० अर्जुनन	(द्रमुक)
19.	नागपट्टिनम (सु०)	ताजई एम० करुणानिधि	(द्रमुक)
20.	नागरकोइल	एन० डेनिस	(कां० इ०)
21.	नीलगिरि	आर० प्रभु	(कां० इ०)
22.	पुदुक्कोट्टै	वी० एन० स्वामीनाथन	(कां० इ०)
23.	पेरम्बलूर (सु०)	के० बी० एस० मणि	(कां० इ०)
24.	पेरियकुलम	कम्बम एन० नटराजन	(द्रमुक)
25.	पलनि	ए० सेनापति गाउण्डर	(कां० इ०)
26.	पोल्लाची (सु०)	सी० टी० दण्डपाणि	(द्रमुक)
27.	मद्रास (उत्तर)	जी० लक्ष्मणन	(द्रमुक)
28.	मद्रास (मध्य)	ए० कलानिधि	(द्रमुक)
29.	मद्रास (दक्षिण)	आर० वेंकटरामन	(कां० इ०)
30	मदुरै	ए० जी० सुब्बुरामन	(कां० इ०)
31.	मयूरम	एन० कुडन्तई रामलिंगम	(कां० इ०)
32.	रासिपुरम (सु०)	बी० देवराजन	(कां० इ०)
33.	रामनाथपुरम	एम० एस० के० सत्येन्द्रन	(द्रमुक)
34.	वन्दवासी	डी० पट्टुस्वामी	(कां० इ०)
35.	वेल्लोर	अब्दुल समद	(मु० ली०)
36.	श्रीपेरुम्बुदूर (सु०)	टी० नागरत्नम	(द्रमुक)
37.	शिवकाशी	एन० सौन्दरराजन	(अन्ना द्रमुक)
38.	शिवगंगा	आर० वी० स्वामीनाथन	(कां० इ०)
39.	सेलम	सी० पलानियप्पन	(द्रमुक)
	त्रिपुरा—2		
1.	त्रिपुरा पूर्व (सु०)	बाजू बन रियान	(कम्यु० मा०)
2.	त्रिपुरा पश्चिम	अजय बिस्वास	(कम्यु० मा०)
	नागालैंड—1		
1.	नागालैंड	चिंगवांग कोन्याक	(कां० इ०)
	पंजाब—13		
1.	अमृतसर	आर० एल० भाटिया	(कां० इ०)
2.	गुरदासपुर	श्रीमती सुखबंस कौर	(कां० इ०)
3.	जालन्धर	आर० एस० स्पैरो	(कां० इ०)
4.	तरनतारन	एस० एस० तुर	(असम्बद्ध)
5.	पटियाला	अमरेन्द्र सिंह	(कां० इ०)

1	2	3	4
6.	फरीदकोट	श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार	(कां० इ०)
7.	फिल्लौर (सु०)	सुन्दर सिंह	(कां० इ०)
8.	फिरोज़पुर	बलराम जाखड[1]	
9.	भटिंडा (सु०)	हाकम सिंह	(कां० इ०)
10.	रोपड़ (सु०)	बूटा सिंह	(कां० इ०)
11.	लुधियाना	देवेन्द्र सिंह गरचा	(कां० इ०)
12.	संगरूर	जी० एस० निहालसिंहवाला	(कां० इ०)
13.	होशियारपुर	जैल सिंह[2]	
	पश्चिम बंगाल—42		
1.	अलीपुर द्वार (सु०)	पीयूष तिरकी	(कां०सो०द०)
2.	आराम बाग	विजय मोदक	(कम्यु० मा०)
3.	आसनसोल	आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय	(कां० इ०)
4.	उलुबेरिया	हन्नान मौला	(कम्यु० मा०)
5.	कलकत्ता (उ० पू०)	सुनील मैत्रा	(कम्यु० मा०)
6.	कलकत्ता (उ० प०)	अशोक सेन	(कां० इ०)
7.	कलकत्ता (दक्षिण)	सत्यसाधन चक्रवर्ती	(कम्यु० मा०)
8.	कटवा	सैफुद्दीन चौधरी	(कम्यु० मा०)
9.	कोन्टाई	सुधीर कुमार गिरि	(कम्यु० मा०)
10.	कूच-बिहार (सु०)	अमर राय प्रधान	(फा०ब०)
11.	कृष्णनगर	आर० पी० दास	(कम्यु०मा०)
12.	जयनगर (सु०)	सनत कुमार मंडल	(कां० सो० द०)
13.	जलपाईगुड़ी	सुबोध सेन	(कम्यु० मा०)
14.	जांगीपुर	जैनल आबिदीन	(कम्यु० मा०)
15.	जादव पुर	सोमनाथ चटर्जी	(कम्यु० मा०)
16.	झारग्राम (सु०)	मतिलाल हासदा	(कम्यु० मा०)
17.	डायमन्ड हारबर	अमल दत्ता	(कम्यु० मा०)
18.	दमदम	निरेन घोष	(कम्यु० मा०)
19.	तामलुक	सत्यगोपाल मिश्र	(कम्यु० मा०)
20.	दार्जिलिंग	आनन्द पाठक	(कम्यु० मा०)
21.	दुर्गापुर (सु०)	कृष्ण चन्द्र हालदार	(कम्यु० मा०)
22.	नव-द्वीप (सु०)	श्रीमती विभा घोष-गोस्वामी	(कम्यु० मा०)
23.	पांसकुरा	श्रीमती गीता मुकर्जी	(कम्यु०)
24.	पुरुलिया	चित महाटा	(फा०ब०)

1. बलराम जाखड़ (कां० इ०) के टिकट पर चुने गए थे परन्तु लोकसभा के अध्यक्ष बनने के बाद उनका किसी पार्टी से संबंध नहीं है।

2. जुलाई 1982 को त्याग पत्र दिया।

1	2	3	4
25.	बैरकपुर	मो० इस्माइल	(कम्यु० मा०)
26.	बशीरहाट	इन्द्रजीत गुप्त	(कम्यु०)
27.	बहरामपुर	त्रिदिब चौधरी	(क्रा०सो०पा०)
28.	बांकुड़ा	आचार्य वासुदेव	(कम्यु० मा०)
29	बारासात	चित्त बसु	(फा०ब०)
30.	बालुरघाट (सु०)	पलास बर्मन	(क्रा०सो०पा०)
31.	बोलपुर	डा० सारदीश राय	(कम्यु० मा०)
32.	बीरभूम (सु०)	गदाधर साहा	(कम्यु० मा०)
33.	बर्दवान	सुधीर भट्टाचार्य	(कम्यु० मा०)
34.	मथुरापुर (सु०)	मुकुन्द मंडल	(कम्यु० मा०)
35.	मालदा	ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	(कां० इ०)
36.	मेदिनीपुर	नारायण चौबे	(कम्यु०)
37.	मुर्शिदाबाद	सैयद मसूदल हुसैन	(कम्यु० मा०)
38.	रायगंज	डा० गुलाम यजदानी	(कां० इ०)
39.	विष्णुपुर (सु०)	अजीत कुमार साहा	(कम्यु० मा०)
40.	श्रीरामपुर	अजीत बाग	(कम्यु० मा०)
41.	हावड़ा	समर मुखर्जी	(कम्यु० मा०)
42.	हुगली	प्रो० रूप चंद पाल	(कम्यु० मा०)
	बिहार-54		
1.	अररिया (सु०)	डी० एल० बैठा	(कां० इ०)
2.	आरा	चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा	(लोकदल)
3.	औरंगाबाद	सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	(ज०)
4.	कटिहार	तारिक अनवर	(कां० इ०)
5.	किशनगंज	जमील-उर-रहमान	(कां० इ०)
6.	कोडरमा	आर० एल० पी० वर्मा	(भा० ज० पा०)
7.	खगड़िया	सतीश प्रसाद सिंह	(कां० इ०)
8.	खूंटी (सु०)	एन० ई० होरो	(झारखंड)
9.	गया (सु०)	राम स्वरूप राम	(कां० इ०)
10.	गिरीडीह	बिन्देश्वरी दुबे	(कां० इ०)
11.	गोड्डा	समीनुद्दीन	(कां० इ०)
12.	गोपालगंज	नगीना राय	(कां० इ०)
13.	चतरा	रणजीत सिंह	(कां० इ०)
14.	छपरा	प्रो० सत्यदेव सिंह	(कां० इ०)
15.	जमशेदपुर	रुद्र प्रताप सारंगी	(भा० ज० पा०)
16	जहानाबाद	महेन्द्र प्रसाद	(कां० इ०)

1	2	3	4
17.	झंझारपुर	धनिक लाल मंडल	(लोकदल)
18.	दरभंगा	हरिनाथ मिश्र	(कां० इ०)
19.	दुमका (सु०)	सिब्बु सोरेन	(असम्बद्ध)
20.	धनबाद	ए० के० राय	(असम्बद्ध)
21.	नवादा (सु०)	कुंवर राम	(कां० इ०)
22.	नालंदा	विजय कुमार यादव	(कम्यु०)
23.	पटना	रामावतार शास्त्री	(कम्यु०)
24.	पलामू (सु०)	कुमारी कमला कुमारी	(कां० इ०)
25.	पूर्णिया	श्रीमती माधुरी सिंह	(कां० इ०)
26.	बक्सर	प्रो० के० के० तिवारी	(कां० इ०)
27.	बगहा (सु०)	भोला रौत	(कां० इ०)
28.	बलिया	सूर्य नारायण सिंह	(कम्यु०)
29.	बंका	चन्द्र शेखर सिंह	(कां० इ०)
30.	बाढ़	धर्मवीर सिन्हा	(कां० एम०)
31.	बिक्रमगंज	तपेश्वर सिंह	(कां० इ०)
32.	बेगुसराय	श्रीमती कृष्णा साही	(कां० इ०)
33.	बेतिया	केदार पाण्डे	(कां० इ०)
34.	भागलपुर	भगवत झा आजाद	(कां० इ०)
35.	मधुबनी	भोगेन्द्र झा	(कम्यु०)
36.	महाराजगंज	कृष्ण प्रताप सिंह	(कां० इ०)
37.	माधीपुरा	आर० पी० यादव	(कां० एस०)
38	मुंगेर	डी० पी० यादव	(कां० एस०)
39.	मुजफ्फरपुर	जार्ज फर्नान्डीज	(लोकदल)
40.	मोतीहारी	के० एम० मधुकर	(कम्यु०)
41.	रांची	शिव प्रसाद साहू	(कां० इ०)
42.	रोसरा (सु०)	बालेश्वर राम	(कां० इ०)
43.	राजमहल (सु०)	सेठ हेम्ब्रम	(कां० इ०)
44.	लोहरडागा (सु०)	श्रीमती सुमति ओरांव	(कां० इ०)
45.	वैशाली	श्रीमती किशोरी सिन्हा	(ज०)
46.	शिवहर	श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	(कां० इ०)
47.	समस्तीपुर	प्रो० अजीत कुमार मेहता	(लोकदल)
48.	सहरसा	कमल नाथ झा	(कां० इ०)
49.	सासाराम (सु०)	जगजीवन राम	(असम्बद्ध)
50.	सिवान	मो० यूसुफ	(कां० इ०)
51.	सिंहभूम (सु०)	बगुन सुम्बरुई	(कां० इ०)
52.	सीतामढ़ी	बी० आर० भगत	(असम्बद्ध)
53.	हजारीबाग	डा० बी० एन० सिंह	(कां० ई०)

1	2	3	4
54.	हाजीपुर (सु०)	राम विलास पासवान	(लोकदल)
	मणिपुर—2		
1.	आन्तरिक मणिपुर	नगांम मोहेन्द्र	(भाकपा)
2.	बाह्य मणिपुर (सु०)	एन० गौजगिन	(कां० इ०)
	मध्य प्रदेश—40		
1.	इंदौर	प्रकाश चन्द सेठी	(कां० इ०)
2.	उज्जैन (सु०)	सत्यनारायण जटिया	(भा० ज० पा०)
3.	कांकेर (सु०)	अरविन्द नेताम	(कां० इ०)
4.	खंडवा	डा० शिवकुमार सिंह	(कां० इ०)
5.	खजुराहो	श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	(कां० इ०)
6.	खरगोन	सुभाष यादव	(कां० इ०)
7.	ग्वालियर	एन० के० शेजवलकर	(भा० ज० पा०)
8.	गुना	माधव राव सिंधिया	(कां० इ०)
9.	छिन्दवाड़ा	कमल नाथ	(कां० इ०)
10.	जबलपुर	बाबूराव परांजपे	(भा० ज० पा०)
11.	जांजगीर	आर० जी० तिवारी	(कां० इ०)
12.	झाबुआ (सु०)	दिलीप सिंह भूरिया	(कां० इ०)
13.	दमोह	प्रभुनारायण टंडन	(कां० इ०)
14.	दुर्ग	चन्दूलाल चंद्राकर	(कां० इ०)
15.	धार (सु०)	फतेहभान सिंह चौहान	(कां० इ०)
16.	बस्तर (सु०)	लक्ष्मण कर्मा	(कां० इ०)
17.	बालाघाट	नन्दकिशोर शर्मा	(कां० इ०)
18.	बिलासपुर (सु०)	गोदिल प्रसाद अनुरागी	(कां० इ०)
19.	बैतूल	गुफरान आजम	(कां० इ०)
20.	भिंड	के० सी० शर्मा	(कां० इ०)
21.	भोपाल	डा० शंकर दयाल शर्मा	(कां० इ०)
22.	मण्डला (सु०)	छोटेलाल उइके	(कां० इ०)
23.	मन्दसौर	बी० आर० नाहटा	(कां० इ०)
24.	महासमुन्द	विद्याचरण शुक्ल	(कां० इ०)
25.	मुरैना (सु०)	बाबूलाल सोलंकी	(कां० इ०)
26.	राजगढ़	डा० वसन्त कुमार पंडित	(भा० ज० पा०)
27.	राजनंदगांव	शिवेन्द्र बहादुर सिंह	(कां० इ०)
28.	रायगढ़ (सु०)	कु० पुष्पादेवी सिंह	(कां० इ०)

1	2	3	4
29.	रायपुर	केयूर भूषण	(कां० इ०)
30.	रीवा	मार्तण्ड सिंह	(असम्बद्ध)
31.	विदिशा	प्रताप भानु शर्मा	(कां० इ०)
32.	सिवनी	गार्गी शंकर मिश्रा	(कां० इ०)
33.	शाहडोल (सु०)	दलबीर सिंह	(कां० इ०)
34.	शाजापुर (सु०)	फूलचन्द वर्मा	(भा० ज० पा०)
35.	सतना	गुलशेर अहमद	(कां० इ०)
36.	सारंगढ़ (सु०)	परसराम भारद्वाज	(कां० इ०)
37.	सागर (सु०)	रामप्रसाद अहिरवार	(भा० ज० पा०)
38.	सीधी (सु०)	मोतीलाल सिंह	(कां० इ०)
39.	सरगुजा (सु०)	चक्रधारी सिंह	(कां० इ०)
40.	होशंगाबाद	रामेश्वर नीखरा	(कां० इ०)
	महाराष्ट्र—48		
1.	अकोला	मधुसूदन वैराले	(कां० इ०)
2.	अमरावती	श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी	(कां० इ०)
3.	अहमदनगर	चन्द्र भान अथारे पाटिल	(कां० इ०)
4.	एरंडेल	विजय एन० पाटिल	(कां० इ०)
5.	इचलकरंजी	आर० एस० माने	(कां० इ०)
6.	उस्मानाबाद (सु०)	टी० एम० सावन्त	(कां० इ०)
7.	औरंगाबाद	काजी सलीम	(कां० इ०)
8.	कराड	यशवन्त राव मोहिते	(कां० इ०)
9.	कोलाबा	ए० टी० पाटिल	(कां० इ०)
10.	कोपरगांव	बालासाहेब विखे पाटिल	(कां० इ०)
11.	कोल्हापुर	उदयसिंह राव गायकवाड	(कां० इ०)
12.	खेड	रामकृष्ण मोरे	(कां० इ०)
13.	चन्द्रपुर	शान्ताराम पोटदुखे	(कां० इ०)
14.	चिमूर	विलास मुत्तेमवार	(कां० इ०)
15.	जलगांव	वाई० एस० महाजन	(कां० इ०)
16.	जालना	बालासाहेब पवार	(कां० इ०)
17.	दहाणु (सु०)	डी० बी० शिंगडा	(कां० इ०)
18.	थाणे	जगन्नाथ पाटिल	(भा० ज० पा०)
19.	धुले (सु०)	रेशमा मोतीराम भोये	(कां० इ०)
20.	नानदुरबार (सु०)	माणिकराव होडल्या गवित	(कां० इ०)
21.	नागपुर	जम्बूवन्त धोते	(कां० इ०)
22.	नांदेड़	एस० बी० चव्हाण	(कां० इ०)

1	2	3	4
23.	नासिक	डा० प्रताप वाघ	(कां० इ०)
24.	पंढरपुर (सु०)	संदीपन भगवान थोरात	(कां० इ०)
25.	परभणी	आर० एन० यादव	(कां० इ०)
26.	पुणे	वी० एन० गाडगिल	(कां० इ०)
27.	बम्बई (उत्तर-मध्य)	श्रीमती प्रमिला दण्डवते	(ज०)
28.	बम्बई (उत्तर-पूर्व)	डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	(ज०)
29.	बम्बई (उत्तर-पश्चिम)	राम जेठमलानी	(भा० ज० पा०)
30.	बम्बई (दक्षिण)	रतनसिंह राजदा	(ज०)
31.	बम्बई (उत्तर)	रवीन्द्र वर्मा	(ज०)
32.	बम्बई दक्षिण-(मध्य)	आर० आर० भोले	(कां० इ०)
33.	बारामती	शंकर राव पाटिल	(कां० इ०)
34.	बीड	श्रीमती केशरबाई क्षीरसागर	(कां० इ०)
35.	बुलढाणा (सु०)	बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक	(कां० इ०)
36.	भंडारा	केशव राव पारधी	(कां० इ०)
37.	मालेगाव (सु०)	झेड० एम० कहांडोले	(कां० इ०)
38.	यवतमाल	उत्तमराव पाटिल	(कां० इ०)
39.	रत्नागिरी	बापू साहेब परुलेकर	(ज०)
40.	राजापुर	प्रो० मधु दण्डवते	(ज०)
41.	रामटेक	जे० पी० बर्वे	(कां० इ०)
42.	लातूर	शिवराज वी० पाटिल	(कां० इ०)
43.	वर्धा	वसन्त साठे	(कां० इ०)
44.	वाशिम	गुलाम नबी आजाद	(कां० इ०)
45.	सांगली	वसन्त राव पाटिल	(कां० इ०)
46.	सतारा	यशवन्त राव चह्वाण	(कां० इ०)
47.	सोलापुर	गंगाधर एस० कुचन	(कां० इ०)
48.	हिंगोली	उत्तम राठोड़	(कां० इ०)
	मेघालय—2		
1.	शिलांग	रिक्त	
2.	तुरा	पी० ए० संगमा	(कां० इ०)
	राजस्थान—25		
1.	अजमेर	आचार्य भगवान देव	(कां० इ०)
2.	अलवर	रामसिंह यादव	(कां० इ०)
3.	उदयपुर	दीनबन्धु वर्मा	(कां० इ०)
4.	कोटा	कृष्ण कुमार गोयल	(भा० ज० पा०)

1	2	3	4
5.	गंगानगर (सु०)	बीरबल	(का० इ०)
6.	चित्तौड़गढ़	प्रो० निर्मला कुमारी शेखावत	(का० इ०)
7.	चूरू	दौलत राम सारण	(लोकदल)
8.	जयपुर	सतीश अग्रवाल	(भा० ज० पा०)
9.	जालोर (सु०)	बिरधा राम फुलवारिया	(का० इ०)
10.	जोधपुर	अशोक गहलौत	(का० इ०)
11.	झालावाड़	चतुर्भुज	(भा० ज० पा०)
12.	झुंझुनू	भीम सिंह	(ज०)
13.	टोंक (सु०)	बनवारी लाल	(का० इ०)
14.	दौसा	नवल किशोर शर्मा	(का० इ०)
15.	नागौर	नाथूराम मिर्धा	(कां० एस०)
16.	पाली	मूल चन्द डागा	(का० इ०)
17.	बयाना (सु०)	लालाराम	(का० इ०)
18.	बाड़मेर	बिरधी चन्द जैन	(कां० इ०)
19.	बांसवाड़ा (सु०)	भीखा भाई	(का० इ०)
20.	बीकानेर	मन फूल सिंह चौधरी	(कां० इ०)
21.	भरतपुर	राजेश पायलट	(का० इ०)
22.	भीलवाड़ा	गिरधारी लाल व्यास	(का० इ०)
23.	सालूम्बर (सु०)	जयनारायण रोउत	(का० इ०)
24.	सवाई माधोपुर (सु०)	रामकुमार मीना	(का० इ०)
25.	सीकर	कुभा राम आर्य	(लोक दल)
	सिक्किम—1		
1.	सिक्किम	पी० एम० सुब्बा	(कां० इ०)
	हरियाणा—10		
1.	अम्बाला	सूरजभान	(भा० ज० पा०)
2.	करनाल	चिरंजी लाल शर्मा	(कां० इ०)
3.	कुरुक्षेत्र	मनोहरलाल सैनी	(लोकदल)
4.	फरीदाबाद	तैयब हुसैन	(का० इ०)
5.	भिवानी	बंसी लाल	(का० इ०)
6.	महेन्द्रगढ़	राव वीरेन्द्र सिंह	(का० इ०)
7.	रोहतक	स्वामी इन्द्रवेश	(लोकदल)
8.	सिरसा (सु०)	दलबीर सिंह	(का० इ०)
9.	सोनीपत	देवीलाल	(लोकदल)
10.	हिसार	मनीराम बागड़ी	(लो०स०द०)

असैनिक पुरस्कार 26 जनवरी 1982 को घोषित

भारत रत्न — यह सम्मान कला, साहित्य, तथा विज्ञान की उन्नति के लिए असाधारण कार्य तथा सर्वोत्कृष्ट जनसेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

प्राप्तकर्त्ता — कोई नही।

पद्मविभूषण — यह अलंकरण किसी भी क्षेत्र मे की गई असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें सरकारी सेवा भी शामिल है।

प्राप्तकर्त्ता — कुमारी मीरा बेन

पदम्भूषण — यह अलंकरण किसी भी क्षेत्र में की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा भी शामिल है।

प्राप्तकर्त्ता

1. डा० आत्मप्रकाश
2. डा० अजित राम वर्मा
3. डा० ए० एस० रामाकृष्णन्
4. रानी गेडिनलू
5. गोतिपति ब्रह्मैया
6. डा० (श्रीमती) ग्रेस एल० मेकन मोर्ले
7. झावरमल शर्मा
8. डा० जे० एम० मेहता
9. डा० जे० एस० बजाज
10. डा० (श्रीमती) कमल जे० रणदिवे
11. उस्ताद खादिम हुसैन खान
12. आचार्य पी० एन० पट्टाभिराम शास्त्री
13. डा० (श्रीमती) स्टेला क्रैम्रिश
14. एस० बालाचन्द्र
15. डा० सैयद ज़हूर कासिम

पद्मश्री — यह अलंकरण किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा भी शामिल है।

प्राप्तकर्त्ता — 31

वीरता पुरस्कार 1981

27 जनवरी, 1981 से 26 जनवरी, 1982 तक वीरता एवं विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा घोषित पुरस्कार।

1. अशोक चक्र	1
2. कीर्ति चक्र	[illegible] (पाच मरणोपरांत)

भारत के विश्वविद्यालय

(1 जनवरी, 1982 को)

क्रम संख्या	नाम, स्थान और स्थापना वर्ष	अधिनियम में निर्धारित प्रकार	31 मार्च, 1981 को कालेजों की संख्या	छात्रों की संख्या (1980-81)	
				विश्वविद्यालय विभाग/विश्व-विद्यालय कालेजों में	सम्बद्ध कालेजों में
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा (1927)	सम्बद्ध	41	575	42,742
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (1921)	आवासीय	4	12,760	—
3.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (1887)	आवासीय	12	13,466	15,533
4.	आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर (1926)	शिक्षण एवं सम्बद्ध	128	7,387	61,780
5.	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद (1964)	आवासीय, तीन परिसरों के साथ	6	2,689	—
6.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर (1929)	एकात्मक तथा आवासीय	—	7,332	—
7.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट (1968)	आवासीय	3	844	—
8.	अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (1975)	सम्बद्ध	25	—	18,637
9.	अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवां (1968)	शिक्षण तथा सम्बद्ध	42	102	20,500
10.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (1916)	शिक्षण एवं सम्बद्ध	6	15,466	3,257
11.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर (1964)	सम्बद्ध	114	5,855	59,029
12.	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर (1967)	सम्बद्ध	22	1,024	6,956

1	2	3	4	5	6
13.	भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (1960)	सम्बद्ध-शिक्षण	42	14,298	2,858
14.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर (1978)	आवासीय एवं शिक्षण	7	2,735	1,322
15.	भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल (1970)	सम्बद्ध-शिक्षण	26	634	20,732
16.	विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी (1974)	आवासीय	—	1,074	—
17.	बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (1952)	सम्बद्ध-शिक्षण	76	9,917	9,421
18.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके रांची (1980)	आवासीय	—	—	—
19.	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई (1857)	संघात्मक, शिक्षण, सम्बद्ध	130	3,816	1,22,999
20.	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान (1960)	सम्बद्ध-शिक्षण	61	1,921	30,376
21.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी (1975)	सम्बद्ध	16	—	13,851
22.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता (1857)	सम्बद्ध-शिक्षण	224	10,212	1,20,867
23.	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट (1968)	सम्बद्ध	69	762	37,471
24.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (1974)	आवासीय	2	1,223	—
25.	कोच्चिन विश्वविद्यालय, कोच्चिन (1971)	संघात्मक	—	910	—
26.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (1922)	सम्बद्ध-शिक्षण	54	19,127	48,250
27.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ (1965)	सम्बद्ध-शिक्षण तथा आवासीय	50	826	15,577
28.	गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) (1973)	सम्बद्ध-शिक्षण	19	1,953	11,917
29.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी (1948)	सम्बद्ध-शिक्षण तथा आवासीय	88	3,835	26,435
30.	गोविन्द वल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (1960)	आवासीय	6	2,338	—
31.	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (1957)	सम्बद्ध-शिक्षण	100	8,385	85,799
32.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (1950)	सम्बद्ध	145	1,987	83,966
33.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर (1972)	आवासीय	5	1,796	—

34. गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर (1968)	सम्बद्ध-शिक्षण	11	81	1,202
35. गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा (1980)	सम्बद्ध-शिक्षण	57	1,209	18,556
36. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर (1969)	सम्बद्ध-शिक्षण	75	1,552	35,646
37. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (1970)	आवासीय	7	2,018	—
38. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला (1970)	सम्बद्ध-बहुसंकाय	25	2,076	10,205
39. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर (1978)	आवासीय	2	705	—
40. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद (1974)	एकात्मक, आवासीय तथा शिक्षण	—	524	—
41. इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ (1956)	सम्बद्ध-शिक्षण	26	152	996
42. इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर (1964)	सघात्मक	21	999	22,364
43 जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर (1957)	सम्बद्ध	27	1,611	17,693
44. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता (1955)	एकात्मक तथा सम्बद्ध शिक्षण	2	4,185	444
45. जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी (1981)	सम्बद्ध-शिक्षण	—	—	—
46. जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (1969)	सम्बद्ध-शिक्षण	14	1,500	7,035
47. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (1968)	एकात्मक तथा आवासीय	—	3,336	—
48. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (1964)	आवासीय	9	2,607	—
49. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद (1972)	शिक्षण तथा अनुसंधान [असम्बद्ध]	4	3,242	—
50. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (1964)	सम्बद्ध-शिक्षण	39	199	27,538
51. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर (1962)	आवासीय	3	8,096	1,522
52. काकतिया विश्वविद्यालय, वारंगल (1976)	सम्बद्ध	18	3,010	5,584
53. कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी (1960)	सम्बद्ध	3	1,558	1,056
54. कामेश्वर सिंह दरभगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा (1961)	सम्बद्ध-शिक्षण	71	1,082	5,800
55. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर (1965)	सम्बद्ध-शिक्षण	75	—	56,972
56. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ (1949)	सम्बद्ध तथा आवासीय	108	5,870	36,704

1	2	3	4	5	6
57.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (1958)	शिक्षण-सम्बद्ध	24	1,261	12,172
58.	काशी विद्यापीठ, वाराणसी (1974)	आवासीय	—	6,338	—
59.	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम (1937)	सम्बन्ध-शिक्षण और आवासीय	105	1,036	71,925
60.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर (1972)	आवासीय (समवेत निकाय)	5	1,248	—
61.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली (1972)	शिक्षण-अनुसन्धान तथा विस्तार-शिक्षा	2	687	—
62.	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल (1973)	सम्बद्ध	13	3,701	5,476
63.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (1956)	सम्बद्ध शिक्षण	62	4,085	26,496
64.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (1921)	शिक्षण तथा आवासीय	22	14,553	21,399
65.	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (1972)	शिक्षण तथा सम्बद्ध	66	18,258	2,110
66.	मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास (1857)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	173	2,175	1,33,235
67.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै (1965)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	100	1,148	54,472
68.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (1962)	सम्बद्ध-आवासीय	63	22,858	3,146
69.	एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय, बडोदरा (1949)	शिक्षण तथा आवासीय	1	18,135	—
70.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी (जिला : अहमदनगर) (1968)	संघात्मक	5	1,912	—
71.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (1976)	सम्बद्ध	62	2,191	24,110
72.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर (1980)	सम्बद्ध-शिक्षण	44	310	22,911
73.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल (1980)	आवासीय, सम्बद्ध तथा शिक्षण	22	369	6,232
74.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी (1972)	सम्बद्ध	4	1,304	—
75.	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद (1958)	सम्बद्ध	84	1,664	26,401
76.	मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ (1965)	सम्बद्ध	55	575	51,942
77.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर (1916)	सम्बद्ध-शिक्षण	105	5,549	40,371
78.	नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर (1976)	सम्बद्ध	33	1,235	18,917
79.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर (1923)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	141	5,197	50,116
80.	नरेन्द्र देव कृषि और औद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (1974)	आवासीय	1	80	—

81. उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलंग (1973)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	30	1,278	6,138
82. उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राममोहनपुर, दार्जिलिंग (1962)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	35	2,411	11,378
83. उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (1962)	आवासीय	4	1,120	—
84. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (1918)	सम्बद्ध, आवासीय तथा शिक्षण	112	10,753	41,663
85. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (1947)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	88	6,219	42,436
86. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला (1969)	अभी निश्चित नहीं हुआ	7	2,347	—
87. पटना विश्वविद्यालय, पटना (1917)	शिक्षण तथा आवासीय	13	10,133	961
88. पेरारिगर अन्ना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गिंडी, मद्रास (1978)	एकात्मक	4	4,017	—
89. पूणे विश्वविद्यालय, पुणे (1949)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	115	2,761	65,836
90. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (1962)	आवासीय	6	3,225	—
91. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला (1962)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	50	2,210	20,815
92. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (1947)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	184	13,890	1,05,814
93. रवीन्द्रभारती, कलकत्ता (1962)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	—	2,843	—
94. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर (1970)	आवासीय	6	1,611	—
95. रांची विश्वविद्यालय, रांची (1960)	सम्बद्ध एवं शिक्षण	49	17,651	18,425
96. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (1964)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	62	568	38,608
97. रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली (1975)	सम्बद्ध	31	—	28,751
98. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की (1949)	एकात्मक, शिक्षण तथा आवासीय	—	1,985	—
99. सम्बलपुर विश्वविद्यालय, बर्लां, सम्बलपुर (1967)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	31	2,421	9,613
100. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (1958)	आवासीय, परीक्षात्मक तथा सम्बद्ध	119	1,395	4,445

1	2	3	4	5	6
101.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर (1955)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	14	1,823	8,355
102.	सागर विश्वविद्यालय, सागर (1946)	सम्बद्ध, आवासीय तथा शिक्षण	49	5,073	25,022
103.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट (1965)	शिक्षण तथा सम्बद्ध	53	419	29,676
104.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (1962)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	88	1,537	41,491
105.	श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, बम्बई (1949)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	24	3,312	3,707
106.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत (1965)	सम्बद्ध	35	1,177	21,698
107.	श्री कृष्णादेवार्य विश्वविद्यालय, अनन्तपुर (1981)	आवासीय	—	—	—
108.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति (1954)	सम्बद्ध, शिक्षण तथा आवासीय	62	3,389	32,918
109.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर (1971)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	5	2,444	—
110.	तमिल विश्वविद्यालय, तन्जावूर (1981)	आवासीय	—	—	—
111	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (1962)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	14	5,969	6,541
112	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हेब्बल, बंगलौर (1964)	आवासीय	8	3,534	—
113	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (1943)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	62	4,567	31,493
114.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मेदिनीपुर कैम्प, कलकत्ता (1981)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	—	—	—
115.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (1957)	सम्बद्ध तथा शिक्षण	43	4,784	22,641
116	विश्व भारती, शांतिनिकेतन (1951)	एकात्मक, शिक्षण और आवासीय	7	1,524	—

संस्थाएं जिन्हें विश्वविद्यालय माना जाता है

1	2	3	4	5	6
1.	बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी (1963)		—	2,298	—
2.	केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद (1973)		—	325	—
3.	दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, आगरा (1981)		—	—	—
4	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम (जिला मदुरै) (1976)		—	559	—

5. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (1962) . .	—	163	—
6. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (1963) . . .	—	414	—
7. भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली (1958) . .	—	541	—
8. इण्डियन इंस्टीच्यूट ग्राफ साइन्स, बंगलौर (1958) .	—	931	—
9. इंडियन स्कूल ग्राफ माइन्स, धनबाद (1967) . .	—	812	—
10 जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली (1962) . .	—	1,341	—
11. आयोजना और भवन निर्माण कला विद्यालय, नई दिल्ली (1979)	—	260	—
12. श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान, प्रशांति निलयम (1981)	—	—	—
13. टाटा इंस्टीट्यूट ग्राफ सोशल साइन्सेज, ट्रांबे रोड, बम्बई (1963)	—	225	—

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1981

वासवराज राजगुरु	हिन्दुस्तानी संगीत (गायन)
जिया मोहिउद्दीन डागर	हिन्दुस्तानी वाद्य संगीत (रुद्रवीणा)
कुमारी राधा और कुमारी जया लक्ष्मी	कर्नाटक संगीत गायन (संयुक्त विजेता)
नामगिरीपेट्टै के० कृष्णन्	कर्नाटक वाद्य संगीत (नागस्वरम)
के० इबोमचा शर्मा	मणिपुरी नाट्य संकीर्तन
वैद्यनाथ शर्मा	दसकठिया (नृत्य नाट्य गायन)
श्रीमती राधारानी देवी	कीर्तन (बंगला)
वेमपत्ती चिन्ना सत्यम	कुचीपुड़ी नृत्य गुरु
श्रीमती इन्द्राणी रहमान	नृत्य
पार्वती कुमार	स्वरबद्धकार
केदारनाथ साहू	सेराईकेला छऊ
कामिनी कुमार नरजरी	असम का बोडो आदिवासी नृत्य
मनोरंजन दास	नाटकलेखन (उड़िया)
आर० एस० मनोहर	निर्देशन (तमिल रंगमंच)
चिन्तामणि गोविन्द पेडसे (मामा पेडसे)	अभिनय (मराठी रंगमंच)
अशोक श्रीवास्तव	मेकअप
कुंजन मरार	मुदियेतु—केरल का पारम्परिक रंगमंच
इरेंगबम राजनिधि सिंह	मणिपुर का अरिबापाला
एम० आर० रंगानाथ राव	पारम्परिक कठपुतली (कर्नाटक की मन्दिर पर आधारित कठपुतली)

साहित्य अकादमी पुरस्कार 1981

भाषा	पुस्तक (विषय)	लेखक
असमिया	कविता (कविता)	नीलमणि फूकन (जूनियर)
बंगला	कालीकता दर्पण भाग 1 (स्थानीय इतिहास और संस्कृति)	राधा रमन मित्र
डोगरी	एक शहर यादें दा (कविता)	जितेन्द्र उधमपुरी
अंग्रेजी	रिलेशनशिप (कविता)	जयन्त महापात्र
गुजराती	रचना अने समरचना (समीक्षा)	एच० सी० भयानी

भाषा	पुस्तक (विषय)	लेखक
हिन्दी	तप के तये हुए दिन (कविता)	त्रिलोचन
कन्नड़	जीवा ध्वनि (कविता)	चेन्नावीर कणवी
कश्मीरी	मनसर (कविता)	मोतीलाल साकी
कोंकणी	सासाया (कविता)	बी० बी० बोरकर
मैथिली	अगस्तायिनी (महाकाव्य)	मार्कण्डेय प्रवासी
मलयालम	अयाकासिकल भाग 1–4 (उपन्यास)	विलासिनी (एम० के० मेनन)
मणिपुरी	कालेन्नाम्नी लेपकलेई (लघु कथाएं)	ई० रजनीकान्त
मराठी	उपरा (आत्मकथा)	लक्ष्मण माने
नेपाली	नया क्षितिज का खोज (कविता)	असित राय
पंजाबी	गराज तों फुटपाथ तक (कविता)	वी० एन० तिवारी
उड़िया	श्रो अंदागली (लघु कथाएं)	अखिल मोहन पटनायक
राजस्थानी	बरसन रा डेगोडा डूंगर लंघिया (कविता)	नारायण सिंह भाटी
संस्कृत	कपिशायिनी (कविता)	जगन्नाथ पाठक
सिंधी	सुर्ख गुलाब सुराह ख्वाब (कविता)	प्रभु 'वफा'
तमिल	पतिमा उराई नदाई (समीक्षा)	एम० रामालिंगम
तेलुगु	सीता जोस्यम (नाटक)	वी० आर० नरला

चलचित्रों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 1981

श्रेणी	चलचित्र	भाषा	पुरस्कार	पुरस्कृत
1	2	3	4	5
सर्वोत्तम कथा चित्र	दखल	बंगला	50,000 रु० तथा स्वर्ण कमल	पश्चिम बंगाल सरकार (निर्माता)। निर्देशक श्री गौतम घोष को 25,000 रु० तथा स्वर्णकमल।
सर्वोत्तम बाल कथा चित्र	कोई नहीं			
सर्वोत्तम निर्देशन	36 चौरंगी लेन	अंग्रेजी	20,000 रु० तथा रजत कमल	अपर्णा सेन (निर्देशक)
सर्वोत्तम पटकथा	थानीर थानीर	तमिल	10,000 रु० तथा रजत कमल	के० बालचन्दर (पटकथा लेखक)
सर्वोत्तम सिनेमैटोग्राफी (रंगीन)	36 चौरंगी लेन	अंग्रेजी	10,000 रु० तथा रजत कमल	अशोक मेहता (कैमरामैन)
सर्वोत्तम सिनेमैटोग्राफी (ब्लैक एण्ड व्हाइट)	मूरु दारीगालू	कन्नड़	10,000 रु० तथा रजत कमल	एस० आर० भट्ट (कैमरामैन)
सर्वोत्तम संपादन	आरोहण	हिन्दी	10,000 रु० तथा रजत कमल	भानुदासदिव कर (संपादक)
सर्वोत्तम कला निर्देशन	उमराव जान	हिन्दी	10,000 रु० तथा रजत कमल	मंजूर (कला निर्देशक)
सर्वोत्तम अभिनेता	आरोहण	हिन्दी	10,000 रु० तथा रजत कमल	ओम पुरी (अभिनेता)
सर्वोत्तम अभिनेत्री	उमराव जान	हिन्दी	10,000 रु० तथा रजत कमल	रेखा (अभिनेत्री)
सर्वोत्तम आडियोग्राफी	एलीपथयम	मलयालम	10.000 रु० तथा रजत कमल	पी० देवदास (आडियोग्राफर)
सर्वोत्तम बाल कलाकार	इमागी निंगथेम	मणिपुरी	5,000 रु० तथा रजत कमल	लेखेन्द्र सिंह (बाल कलाकार)
सर्वोत्तम संगीत निर्देशक	उमराव जान	हिन्दी	10,000 रु० तथा रजत कमल	खय्याम (संगीत निर्देशक)
सर्वोत्तम पार्श्व गायक	एक दूजे के लिए	हिन्दी	10,000 रु० तथा रजत कमल	एस० पी० बालसुब्रमण्यम (गायक)
सर्वोत्तम पार्श्व गायिका	उमराव जान	हिन्दी	10,000 रु० तथा रजत कमल	आशा भोसले (गायिका)

सर्वोत्तम हिन्दी चलचित्र	आरोहण	हिन्दी	15,000 रु० तथा रजत कमल	पश्चिम बंगाल सरकार (निर्माता) श्याम बेनेगल (निर्देशक) को 7,500 रु० तथा रजतकमल।
निर्देशक की सर्वोत्तम प्रथम फिल्म	आधारशिला	हिन्दी	10,000 रु० तथा रजत कमल	अशोक आहूजा (निर्देशक)।
क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वोत्तम कथाचित्र	अदालत ओ एकटी मेये	बंगला	15,000 रु० तथा रजत कमल	बिरेश कुमार चक्रवर्ती (निर्माता) तथा जब्बर पटेल (निर्देशक) को 7,500 रु० तथा रजत कमल।
"	बारा	कन्नड	"	एम० एस० सथ्यू (निर्माता) 7,500 रु० तथा रजत कमल निर्देशन के लिए।
"	एलिपथयम	मलयालम	"	के० रवीन्द्रनाथन नायर (निर्माता)। अडूर गोपाल कृष्णन (निर्देशक) को 7,500 रु० तथा रजत कमल।
"	इमागी निंगथेम	मणिपुरी	"	के० इबोहल शर्मा (निर्माता)। अरिबम श्याम शर्मा (निर्देशक) को 7,500 रु० तथा रजत कमल।
"	उमबारता	मराठी	"	डी० वी० राव और डा० जब्बर पटेल (निर्माता)। जब्बर पटेल (निर्देशक) को 7,500 रु० तथा रजत कमल।

1. असमिया और पंजाबी भाषा में कोई भी चलचित्र पुरस्कार योग्य नहीं पाया गया जबकि गुजराती, कश्मीरी और सिंधी भाषा के किसी भी चलचित्र का प्रवेश नहीं आया।

1	2	3	4	5
क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वोत्तम कथाचित्र	सीता रती	उड़िया	15,000 रु० तथा रजत कमल	बलराम मिश्रा (निर्माता)। मनमोहन महापात्र (निर्देशक) को 7,500 रु० तथा रजत कमल।
"	थनीर-थनीर	तमिल	"	पी० आर० गोविन्दराजन और डी० जया लक्ष्मी (निर्माता)। के० बालाचन्द्र (निर्देशक) को 7,500 रु० तथा रजत कमल।
"	सीता कोका चिलका	तेलुगु	"	इदीदा नागेश्वर राव (निर्माता) भारती राजा (निर्देशक) को 7,500 रु० तथा रजत कमल।
सर्वोत्तम सूचना चित्र (वृत्त चित्र)	फेसेज आफ्टर दी स्टोर्म	अंग्रेजी	5,000 रु० तथा रजत कमल	यश चौधरी फिल्म प्रभाग, (निर्माता)। प्रकाश झा, (निर्देशक) फिल्म प्रभाग को 5,000 रु० तथा रजत कमल।
सर्वोत्तम शिक्षाप्रद चलचित्र	दी फोर मिनट्स		"	विजय बी० चन्द्रा, फिल्म प्रभाग (निर्माता)। बी० जी० देवड़े (निर्देशक), फिल्म प्रभाग को 5,000 रु० तथा रजत कमल।
सर्वोत्तम प्रोत्साहन चित्र	हेड्रम		रजत कमल	ओम प्रकाश शर्मा, फिल्म प्रभाग (निर्माता)। महमूद कुरेशी (निर्देशक) को भी रजत कमल।

सर्वोत्तम प्रयोगात्मक चित्र	कोई नही		
सर्वोत्तम परिवार कल्याण चित्र	,,		
सर्वोत्तम समाचार चित्र कैमरामैन	,,		
सर्वोत्तम पशु कथाचित्र	दी थिंकर	5,000 रु० और रजत कमल	वी० आर० शेंदगे, फिल्म प्रभाग (निर्माता)। ए० आर० सेन (निर्देशक) को भी 5,000 रु० तथा रजत कमल।
सर्वोत्तम भारतीय समाचार चित्र	समाचार चित्र संख्या 12	,,	विजय वी० चन्द्रा, फिल्म प्रभाग (निर्माता)।

भारत में आकाशवाणी केन्द्र

आन्ध्र प्रदेश

1. हैदराबाद
2. विजयवाड़ा
3. विशाखापत्तनम्
4. कुडप्पा

असम

5. गुवाहाटी
6. सिलचर
7. डिब्रूगढ़

बिहार

8. पटना
9. रांची
10. भागलपुर
11. दरभंगा

गुजरात

12. अहमदाबाद
13. वडोदरा
14. भुज
15. राजकोट

हरियाणा

16. रोहतक

हिमाचल प्रदेश

17. शिमला

जम्मू-कश्मीर

18. श्रीनगर
19. जम्मू
20. लेह

कर्नाटक

21. बंगलौर
22. भद्रावती
23. धारवाड़
24. गुलबर्गा
25. मंगलोर/उदिपि
26. मैसूर

केरल

27. एलेप्पी
28. कालीकट
29. त्रिचूर
30. त्रिवेन्द्रम

मध्य प्रदेश

31. अंबिकापुर
32. भोपाल
33. छतरपुर
34. ग्वालियर
35. इन्दौर
36. जबलपुर
37. जगदलपुर
38. रायपुर
39. रीवा

महाराष्ट्र

40. औरंगाबाद
41. बम्बई
42. जलगांव
43. नागपुर
44. परभनी
45. पुणे
46. रत्नागिरि
47. सांगली

मणिपुर

48. इम्फाल

मेघालय

49. शिलंग

नगालैंड

50. कोहिमा

उड़ीसा

51. कटक
52. जेपुर
53. सबलपुर

पंजाब

54. जालंधर

राजस्थान

55. जयपुर
56. अजमेर
57. बीकानेर
58. उदयपुर
59. जोधपुर
60. सूरतगढ़

सिक्किम

61. गंगटोक

तमिलनाडु

62. कोयम्बतूर
63. मद्रास
64. तिरुचिरापल्ली
65. तिरुनेलवेली

त्रिपुरा

66. अगरतल्ला

उत्तर प्रदेश

67. लखनऊ
68. इलाहाबाद
69. वाराणसी
70. रामपुर
71. कानपुर
72. मथुरा
73. गोरखपुर
74. नजीबाबाद

पश्चिम बंगाल

75. कलकत्ता
76. कुरसियोंग
77. सिलीगुड़ी

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

78. पोर्टब्लेयर

अरुणाचल प्रदेश

79. पासीघाट
80. तावांग
81. तेजू

चंडीगढ़

82. चंडीगढ़

दिल्ली

83. दिल्ली

गोवा, दमन एवं दीव

84. पणजी

पांडिचेरी

85. पांडिचेरी

मिजोरम

86. ऐजल

35 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए हमारा एक नया परिप्रेक्ष्य

—नया 20 सूत्री कार्यक्रम

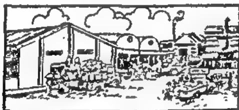
सहकारी गतिविधियों में, जिनमें देश की आधी से अधिक जनसंख्या शामिल है, रा०स०वि०नि० एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यह बहुत आवश्यक है कि किसानों को उनके उत्पाद का लाभप्रद मूल्य मिले, उन्हें उचित मूल्यों पर आवश्यक उत्पादन निवेश और रोजमर्रा की आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं। सहकारी समितियां इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं और आशा है कि सहकारी समितियां इस वर्ष कृषि उत्पाद का 2300 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करेंगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ई०ई०सी० विश्व बैंक द्वारा सहायता-प्रदत्त कार्यक्रमों के अधीन, 10 राज्यों में ग्राम स्तर पर कृषि उत्पाद और निवेशों के भण्डारण की सुविधाओं का बड़े पैमाने पर सृजन किया जा रहा है।

दूसरी ओर तिलहन और दालों के उत्पादन और विपणन को बढ़ाने को प्राथमिकता दी जा रही है। पांच समन्वित बड़े आकार के सोयाबीन काम्पलैक्सों—मध्य प्रदेश में 4 और उत्तर प्रदेश में 1—की स्थापना की जा रही है। दालों के उत्पादकों को विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सहकारी क्षेत्र 'उत्पादकता वर्ष' को सफल बनाने के लिए वचनबद्ध है। सहकारी चीनी कारखानों ने अपनी संस्थापित क्षमता के 130 प्रतिशत तक का उपयोग किया है और इसी प्रकार सहकारी कताई मिलों का रिकार्ड कार्य-निष्पादन 83 प्रतिशत रहा है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों के लिए भी 6 करोड़ रुपये के पूंजी-निवेश के कार्यक्रम इस वर्ष आरंभ किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों से जनजातियों, मछुआरों, बुनकरों और समाज के, अब तक वंचित, लाखों लोगों को सीधे लाभ पहुंचेगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अब तक उनकी बेहतरी के लिये लगभग [illegible] करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसी प्रकार, हाल ही में स्थापित, [illegible] कोआपरेटिव ऑफ इंडिया लि० के पास इस उद्योग से सम्बन्धित लाखों शिल्पियों के लिए असीम क्षमता है। अब वे उचित व्यवहार की आशा कर सकते हैं। साथ ही, आवश्यकताओं के संदर्भ में विद्यार्थियों को भी नहीं भुलाया गया है, उन्हें अपने सहकारी भण्डारों के लिए वित्त प्रदान किया जाएगा जिससे उनकी अधिकांश आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी समितियों में 600 करोड़ रुपये से अधिक राशि का पूंजी निवेश कर चुका है। इन सब कार्यक्रमों के साथ नए 20 सूत्री कार्यक्रम को भारत के ग्रामीण जनसमूह तक पहुंचाने का हमारा वादा समय की कसौटी पर खरा उतरेगा।

रा०स०वि०नि० —ग्रामीण समृद्धि के समान प्रसार की दिशा में अग्रसर











राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(एक सांविधिक संस्था)

मुख्य कार्यालय : 4-सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016

क्षेत्रीय कार्यालय : बंगलौर ● कलकत्ता ● चंडीगढ़ ● गोहाटी ● जयपुर ● लखनऊ ● पुणे

परियोजना कार्यालय : पटना ● भुवनेश्वर ● भोपाल ● हैदराबाद

श्रमिक हमारी शक्ति हैं
उनकी खुशहाली पर विकास निर्भर करता है

यही कारण है कि सी० सी० एल० में श्रम कल्याण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। हाल ही में कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा कार्ययोजना तैयार करने के लिये "कंपनी कल्याण बोर्ड" का गठन किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष एक श्रमिक नेता हैं। कामगारों के महत्वपूर्ण मामलों में उच्चतम स्तर पर साझेदारी की दिशा में यह एक और प्रयास है।

कल्याण-कार्य मद में 1980-81 के 8 15 करोड रु० के मुकाबले 1981-82 में 12 41' करोड़ रु० खर्च किये गये। 1982-83 में 17.31 करोड़ रु० का बजट है।

राष्ट्रीयकरण के समय से पिछले वर्ष के अंत तक 22 हजार से अधिक मकान बनवाये गये हैं। 1,83,580 अतिरिक्त जनसंख्या को पेय जल उपलब्ध कराया गया है तथा 15 कामगार संस्थाओं/क्लबों की स्थापना हुई है। राष्ट्रीयकरण के समय सी० सी० एल० में कुल 80 शिक्षण संस्थायें थी, आज इनकी संख्या 161 है (31-3-1982) तक। कंपनी के पास इस समय 22 अस्पताल हैं और उपलब्ध शय्याओं की संख्या 673 है। प्रत्येक कोलियरी में डिस्पेन्सरी, एम्बुलेंस तथा आवश्यकतानुसार मेडिकल स्टाफ है।

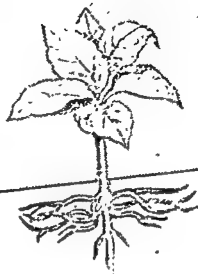
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कंपनी

दरभंगा हाउस

रांची-834001

१५ वर्षो से
हम धीरे धीरे
बढ़ते रहे



ई.सी.आई.एल.— स्वदेशी इलेक्ट्रानिकी प्रगति का जडमूल

भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की इलेक्ट्रानिक अपेक्षाओ की पूर्ति करने के उद्देश्य से १९६७ में इस सगठन की स्थापना हुई थी।

अपनी स्थापना को एक वर्ष हुए, यह संगठन महसूस करने लगा कि वह उत्पादन के सीमित लक्ष्य से बाधा जा रहा है। उसका टर्नोवर ९ लाख रुपये था और उसके कर्मी ९०० थे। जी हाँ, ई.सी.आई.एल का आरंभ साधारण और सादा ही रहा है। लेकिन यह कल तक के ई सी.आई एल. की बात रही।

पिछले १५ वर्षों ने ई सी आंई.एल का चेहरा बिल्कुल बदल दिया। उसका रग आशातीत रूप मे निखर गया है। ई सी.आई.एल.का आकार — प्रकार उसकी भविष्य वाणी से कही आर-पार बढ़ता गया है। आज ई.सी.आई.एल. प्रगति और विकास, दृढ़ता तथा विश्वास, आत्मनिर्भरता एवम् नवोन्मेष का ओजस्वी चित्र प्रस्तुत करता है।

ई.सी.आई एल. की उत्पादन — श्रेणी विशाल है जो राष्ट्रीय विकास के लिए आधारभूत महत्व रखती है। उसके उत्पादन — क्षेत्र की पहुँच नाभिकीय विज्ञान, ताप एवम् जल विद्युत, संचार, प्रतिरक्षा, उद्योग रेलवे, आयुर्विज्ञान, शिक्षा, और अनुसंधान — ऐसे कई कई क्षेत्रों तक फैली हुई है।

आरंभ से ही, ई.सी.आई एल. ने अपनी प्रगति का रास्ता अपने आप गढ़ना शुरु किया है। उसकी प्रगति की धुरी आत्मनिर्भरता रही है। विदेशी सहयोग के केचुल एक एक करके उतार देते हुए ई.सी.आई.एल.ने स्वदेशी प्रोद्योगिकी का पूर्णतः अपना ही रूप सजा — संवारा है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से आए ३०० इंजीनियरो और तकनीतिज्ञों की टोली के साथ प्रारम ई.सी.आई.एल. ने आज ७००० कर्मियों जिनमें पुरुष और महिलाएँ भी हैं, को देश के चौतरफ से आत्मसात करने की क्षमता विकसित कर ली है। आज उसके उत्पाद पहले के २५ से बढ़ते बढ़ते २५० हो गये हैं और बिक्री मात्र ९ लाख रुपये से ५१ करोड रुपये का स्तर प्राप्त किया है। ये चंद आंकडे और तथ्य हमारे कथ्य को कहने के लिए पर्याप्त हैं।

ईसीआई EC **इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड**
हैदराबाद ५०० ७६२



भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड

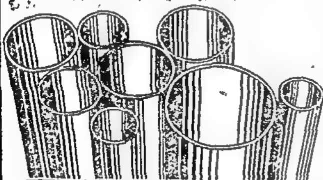
एल्यूमिनियम की बिना जोड़ वाली टयूबें

–भारत एल्यूमिनियम के उत्पादनों में एक और बढ़ोतरी

–भारत में एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन्स के इतिहास में एक प्रगति चिन्ह

भारत में हम पहली बार विभिन्न मिश्र धातुओं से एल्यूमिनियम की जोड़ रहित टयूब शीघ्र ही तैयार करने वाले हैं। उन टयूबों का बहुत ही व्यापक क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे—

- रैफ्रिजरेशन, कृषि, हीट एक्सचेन्जर्स, टेक्सटाइल बाबिन कॉप्स
- पैट्रोलियम, खाद और अन्य रासायनिक उद्योग फर्नीचर तथा टाइपराइटर इत्यादि।



एल्यूमिनियम की जोड़ रहित टयूबें जोड़ वाली टयूबों से बढ़िया होती हैं क्योंकि वे अधिक अंदरूनी दबाव सहन कर सकती हैं, रिसती बिल्कुल नहीं, तनाव की स्थिति में अधिक ताकतवाली हैं, इनकी ऊपरी फिनिश बढ़िया है और यह अधिक सख्त दबाव सह सकती हैं।

कृपया अपनी जरूरतों के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे पंजीकृत कार्यालय से सम्पर्क करें।

एल्यूमिनियम का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिये—

उच्च क्वालिटी बेमिसाल —

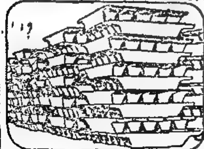
भरोसेमन्द "[illegible]"

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के कोरबा कारखाने में निम्नलिखित उत्पाद तैयार होते हैं :

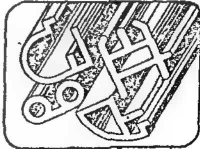
इलैक्ट्रिकल और कमर्शियल ग्रेड की सिल्लियां, प्रापर्जी छड़ें, बिलेट और एक्सट्रूडेड उत्पाद, मिश्रित धातुओं की सिल्लियां, रोल्ड प्रोडक्ट्स

अन्य उत्पाद है— एल्यूमिना हाइड्रेट, केल्साइन्ड एल्यूमिना, वैनेडियम स्लज और कार्बन इलैक्ट्रोड पेस्ट।

पंजीकृत कार्यालय : पुंज हाऊस, 18 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, टेलीफोन-681402 और 682563 टेलेक्स-031-2900 और 031-4526 तार-'रत्नकोरबा' सब क्षेत्रों के लिए







क्षेत्रीय कार्यालय :

मद्रास
प्रथम मंजिल,
कुम्भिडिमार
शापिंग सेन्टर,
811 अन्ना सले
मद्रास-600 002
फोन-82689
टेलेक्स-041-7570

बम्बई
66/16, जाली मेकर चैम्बर्स
नं. 2, नारीमन प्वाइंट,
बम्बई-400 021
फोन-235349, 234562
और 244194
टेलेक्स-011-5665

कारखाना
डाकघर बालको नगर,
कोरबा,
जिला-बिलासपुर
मध्यप्रदेश,
पिन-495 684
फोन-2020, 2084
टेलेक्स-0775-240

कलकत्ता
2/2, वी डी वी मिन्ट
सरानी,
कलकत्ता-700 071
फोन-446750, 449025,
448980 और 441322
टेलेक्स-021-3323

नई दिल्ली
पुंज हाऊस, 18 नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110019
फोन-681911-12,
681402-03, 682562-63
टेलेक्स-031-2900,
031-4526



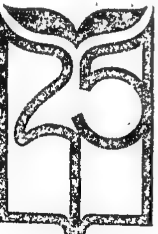
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)
निर्बंधित कार्यालय : इन्डस्ट्री हाउस, १० कैमेक स्ट्रीट, कलकत्ता-७०००१७
दूरभाष : ४४-६६६२, ४४-६६६३, ४४-१६६३, ४४-७३१७
टेलेक्स : ०२१-३२६१ तार : HINDCOPER CALCUTTA

PRESSMAN

नेशनल बुक ट्रस्ट के 25 वर्ष

रजत जयती 1957-1982



नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया अपने स्थापना काल से लेकर आज तक अपने दीर्घगामी जीवन के 25 वर्ष व्यतीत कर चुका है।

नेशनल बुक ट्रस्ट देश मे पुस्तक-प्रेम जागृत करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर पुस्तक मेले और क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करता है।

इसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट आम पाठकों के लिए सत्साहित्य प्रकाशित करके उसे सभी के लिए सस्ती कीमत पर सुलभ करता है। ट्रस्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं मे 80 प्रतिशत पुस्तके प्रकाशित की जा चुकी हैं, जबकि भारतीय भाषाओ मे प्रकाशित पुस्तकों का राष्ट्रीय औसत लगभग 50 प्रतिशत मात्र है।

प्रधानमत्री श्रीमती इंदिरा गाधी के अभी हाल मे कहे गये एक कथन के मुताबिक "नेशनल बुक ट्रस्ट की जिम्मेदारी लोगो की पुस्तकों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ऐसी पुस्तके उपलब्ध कराने की दिशा मे मार्गदर्शन करने की है जिन्हे कि लोग आम तौर पर नही प्राप्त कर पाते।"

नेशनल बुक ट्रस्ट, रजत जयती वर्ष के अवसर पर पूर्ण आस्था और सकल्प के साथ अपने इस महान उद्देश्य की पूर्ति की दिशा मे अग्रसर है।

रजत जयती वर्ष के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाले हमारे प्रकाशन और उन्नयन के कुछ कार्यक्रम

- ☐ आधुनिक भारतीय साहित्य पर एक ग्रथ
- ☐ महात्मा गाधी—एक जीवन-चरित
- ☐ भारत में मुद्रण और प्रकाशन का इतिहास
- ☐ भारतीय साहित्य पर एक पुस्तक
- ☐ नवम् एशियाड खेलों पर एक पुस्तक
- ☐ भारत में पठन-रुचि पर एक सर्वेक्षण
- ☐ भारतीय भाषाओं में मुद्राक्षर कला पर एक सगोष्ठी
- ☐ दिल्ली के शालेय छात्रो के लिए निबंध प्रतियोगिता—"मैं पुस्तक क्यों पढ़ता हू और क्या पढ़ना पसद करता हूं।"
- ☐ रजत जयंती व्याख्यान

पुस्तकें जिन्होंने मुझे प्रभावित किया



नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया
ए-5 ग्रीन पार्क, नयी दिल्ली 110016

गांव की काया पलट

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामोद्योगों में उपयुक्त तकनालाजी लागू करने के फलस्वरूप न सिर्फ उत्पादन स्तर ऊंचा हो रहा है तथा उत्पादन लागत में कमी आ रही है, बल्कि कारीगरों की आय भी बढ़ ही रही है साथ ही उनका काम भी दिलचस्प होता जा रहा है।

ग्रामीण भारत में समृद्धि लाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग कृत-संकल्प है। यह 33 लाख ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करता है जो 500 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खादी और ग्रामोद्योगी गतिविधियों में लगे लोगों में 45 प्रतिशत महिलाएं हैं। अनुसुचित जातियों तथा जनजातियों की संख्या 23 प्रतिशत है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्पादन 1,200 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा तथा 50 लाख 50 हजार लोग काम पर रहे होंगे। महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर 47 तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का 36 हो जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे विकास की नित-नवीन जानकारी प्राप्त करें।

पढ़िये

खादी ग्रामोद्योग :

ग्रामीण अर्थ विषयक मासिक पत्रिका

और

जागृति :

ग्रामोन्नयन विषयक समाचार पाक्षिक

(दोनों ही हाथ कागज पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित)

प्रत्येक का वार्षिक शुल्क : 10 रुपये

नमूने की प्रति आज ही मंगायें।

निदेशक प्रचार लोकशिक्षण और फिल्म,
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन,
बम्बई-400 056

संचार, दूरदर्शन, प्रसारण, पुलिस, वायुयान

और चिकित्सा जगत् सबका एक मित्र

बी ई एल

निस्संदेह ! बी ई एल आज देश की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगभग चार सौ प्रकार के इलेक्ट्रानिक्स उत्पादनों का निर्माण कर रही है। ये उत्पादन जीवन के हर क्षेत्र में चुपचाप कार्य कर रहे हैं जैसे प्रसारण, दूरदर्शन, रेल, पुलिस, दूरसंचार, रक्षा और चिकित्सा।

आज सवा सौ करोड़ रुपये की उद्यम बी ई एल कल के भारत के प्रवेश द्वार पर खड़ी भविष्य के मुकाबलों का सामना करने को तत्पर है।

बी ई एल : इलेक्ट्रानिक्स द्वारा भारत के भविष्य का निर्माण



भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
बंगलूर, गाजियाबाद, पुणे

विक्रान्त टायर्ज़ लिमिटेड

8, एच० सिदैया रोड, बंगलौर-560 002

With best compliments

from



VIKRANT TYRES LTD.

8, H. Siddaiah Road, BANGALORE-560 002

की ओर से

शुभकामनाओं सहित

बिहार में क्रांतिकारी कदम सामाजिक सुरक्षा योजना से 22 लाख लोग लाभान्वित

इस देश के समस्त राज्यों में बिहार पहला राज्य है जो इतने बड़े पैमाने पर विपन्न एवं उपेक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा तथा उनकी आर्थिक सहायता के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों, वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं एवं बन्धुआ मजदूरों को 30 रुपए प्रति माह का पेंशन दे रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत असहाय विधवाओं, विकलांग, बन्धुआ मजदूरों के अलावा यह पेंशन उन लोगों को भी देय है जो 60 वर्ष की आयु के हैं तथा जो छोटा नागपुर एवं संथाल परगना क्षेत्र में ढाई एकड़ तक असिंचित भूमि तथा राज्य के समस्त क्षेत्र में एक एकड़ तक भूमि रखते हैं तथा जिनकी आय 50 रुपए प्रतिमाह से कम है।

कार्य में तीव्रता लाने के लिए 15 दिसम्बर, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक एक अभियान चलाया गया, जिसके फलस्वरूप अब तक 22 लाख व्यक्ति इस योजना के तहत पेंशन पाने लगे हैं। इस कार्य के लिए एक निदेशालय की स्थापना की गई है। 1982-83 में इस योजना के लिए 54 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है।

अब आप स्वयं देख सकते हैं कि बिहार के सभी गाँवों तथा कस्बों में सामाजिक सुरक्षा योजना की किरणों ने रोशनी फैलाई है तथा लाखों लोगों के अंधकारमय जीवन को आलोकित किया है।

हम बढ़ रहे हैं बेहतर बिहार बनाने

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना।

प्रकाश की ओर बढ़ते कदम

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन नवम्बर, 1982 तक 22 राज्यों में तीन लाख से अधिक गांवों को बिजली देने की 5400 से अधिक परियोजनाओं के लिए 17 अरब रुपये से अधिक ऋण सहायता मंजूर कर चुका है ।

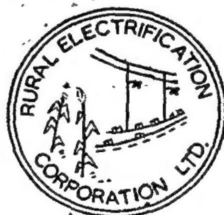
इन सभी परियोजनाओं के पूरी होने पर 19 लाख से अधिक सिंचाई के पम्प-सेटों और 2 लाख 20 हजार से ज्यादा गांवों को बिजली मिलेगी ।

11 लाख से अधिक गली-बत्तियों के कनेक्शन दिए जा सकेंगे ।

ग्रा० वि नि० की उपलब्धियां

(सितम्बर, 1982 तक की यथास्थिति)

विद्युतीकृत गांव	—	—	1,11,000
ऊर्जायित पम्पसैट	—	—	9.5 लाख



रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

डीडीए बिल्डिंग, नेहरू प्लेस

नई दिल्ली-110019